

णमोऽस्थुणं समणस्स भगवओ महावीरस्स ।

त्रैणागम शास्त्रमाला ७ रत्नम्

आचाराङ्ग सूत्रम्

द्वितीय श्रुतस्कन्ध

संस्कृतच्छाया, पदार्थान्वय, मूलार्थ, हिन्दी विवेचन सहित

: व्याख्याकार :

जैनधर्म—दिवाकर, जैनागम—रत्नाकर, साहित्य—रत्न

स्व. आचार्य प्रवर

श्री आत्मारामजी महाराज

: सम्पादक :

मुनि समदर्शी प्रभाकर

: प्रकाशक :

गम प्रकाशन समिति

ध्याना

ग्रन्थ

श्री आचाराङ्ग सूत्र
द्वितीय श्रुतस्कन्ध

व्याख्याकार

स्व. आचार्य प्रवर
श्री आत्मारामजी म.

सम्पादक

मुनि श्री समदर्शी प्रभाकर

प्रकाशक

आचार्य श्री आत्मारामजी
जैनागम प्रकाशन समिति
जैन स्थानक, लुधियाना

प्रथम प्रवेश

सितम्बर १७, १९६४.

वीर सं. २४९०

मूल्य

पन्द्रह रुपए

प्रति ११००

पूर्णचन्द्र शर्मा प्रभाकर ने गौतम एजेन्सी, मोचपुरा बाजार से कम्पोज करके सरदार सरूपसिंह प्रिंटर श्री गुरुदत्त
मेश प्रिंटिंग प्रेस लुधियाना में प्रबन्ध में छपवाई।

श्री आचाराङ्ग सूत्र

द्वितीय श्रुतस्कन्ध की

विषय-सूचि

क्या	कहाँ है	५ पञ्चम अध्ययन	११७७-१२१९
१ प्रथम अध्ययन	७३९-९५६	१ प्रथम उद्देशक	११७७
पिण्डैषणा		२ द्वितीय उद्देशक	१२०८
१ प्रथम उद्देशक	७३९	६ षष्ठ अध्ययन	१२२०-१२४०
२ द्वितीय उद्देशक	७६७	पात्रैषणा	
३ तृतीय उद्देशक	७८४	१ प्रथम उद्देशक	१२२०
४ चतुर्थ उद्देशक	८०४	२ द्वितीय उद्देशक	१२३
५ पञ्चम उद्देशक	८१८	७ सप्तम अध्ययन	१२४१-१२५
६ षष्ठ उद्देशक	८४०	श्वग्रह प्रतिमा	
७ सप्तम उद्देशक	८५६	१ प्रथम उद्देशक	१२४
८ अष्टम उद्देशक	८७४	२ द्वितीय उद्देशक	१२५१
९ नवम उद्देशक	८९२	८ अष्टम अध्ययन	१२७४-१२८८
१० दशम उद्देशक	९१०	उपाश्रय मे कायोत्सर्ग कैसे करना	१२७
११ एकादशम उद्देशक	९३९	९ नवम अध्ययन	१२८१-१२८
२ द्वितीय अध्ययन	९५७-१०५६	स्वाध्याय भूमि	१२
शय्यैषणा		१० दशम अध्ययन	१२८६-१३०५
१ प्रथम उद्देशक	९५७	उच्चार प्रश्रवण	१२८६
२ द्वितीय उद्देशक	९८४	११ एकादश अध्ययन	१३०६-१३१९
३ तृतीय उद्देशक	१०११	समभाव साधना	१३०६
४ तृतीय अध्ययन	१०५७-११३५	१२ द्वादश अध्ययन	१३२०-१३२२
इयैषणा		चक्षु इन्द्रिय	१३२०
१ प्रथम उद्देशक	१०५७	१३ त्रयोदश अध्ययन	१३२३-१३३९
२ द्वितीय उद्देशक	१०८९	परक्रिया	१३२३
३ तृतीय उद्देशक	१११३	१४ चतुर्दश अध्ययन	१३४०-१३४९
४ चतुर्थ अध्ययन	११३६-११७६	पारस्परिक क्रिया	१३४०
भाषैषणा		१५ पञ्चदश अध्ययन	१३४३-१३६५
१ प्रथम उद्देशक	११३६	भगवान् शिव की भावना	१३४३
२ द्वितीय उद्देशक	११५६	१६ सोळाहवाँ अध्ययन	१४६६-१४८३
		मिमुन्ति	१४६६

प्रकाशकीय

परम श्रद्धेय स्व. आचार्य प्रवर श्री आत्मारामजी म. के व्यक्तित्व से प्रत्येक व्यक्ति परिचित है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जो श्रद्धेय आचार्य श्री जी की ज्ञान ज्योति से अपरिचित रहा हो। वह ज्ञान दिवाकर जब तक इस भूतल पर उदित रहा, तब तक जन-जन के मन के अज्ञान तम को दूर करके उनके जीवन के कण-कणमें ज्ञान की ज्योति जगाता रहा, भूले-भटके पथिकों को साधना का पथ बताता रहा। आज वह ज्योतिर्धर महापुरुष भौतिक शरीर की अपेक्षा से हमारे मध्य में नहीं रहा, परन्तु उनके आगम की ज्योति हमारे सामने है, जो युग-युग तक मानव मन को ज्योतित करती रहेगी।

स्व. आचार्य प्रवर ने अनेक आगम ग्रन्थों का राष्ट्र भाषा में अनुवाद किया था और उन पर विस्तृत त्रिवेचन भी लिखा था। उनमें से कुछ आगम उनके जीवन काल में ही प्रकाशित हो चुके, परन्तु परिस्थिति वश ५७ आगम प्रकाशित नहीं हो सके, जिन्हें प्रकाशित करने का प्रयत्न चालू है।

प्रस्तुत आगम—आचाराग द्वितीय श्रुतस्कंध—उनमें से एक है। यह श्रद्धेय आचार्य श्री जी की सुकृपा का मधुर फल है, जिसे हम पाठकों के कर-कमलों में समर्पित कर रहे हैं। इसके पूर्व आचाराग का प्रथम श्रुतस्कंध प्रकाशित हो चुका है। आचाराग के दोनो श्रुतस्कंधों का सम्पादन मुनि श्री समदर्शी जी म. प्रभाकर ने आचार्य श्री जी के साजिन्ध्य में रहकर किया था और सम्पादन कार्य उनके सामने ही हो गया था। परन्तु प्रेस का कार्य गफ़ी धीमी गति से चलता रहा जिससे हमें दुःख एवं खेद है कि उनकी उपस्थिति में इसका प्रकाशन नहीं हो सका। परन्तु उनकी सद् कृपा से आज हम प्रस्तुत आगम पाठकों के करकमलों में समर्पित करते हुए हर्ष का अनुभव करते हैं और यह आशा रखते हैं कि पाठक पूर्व आगमों की तरह इससे भी प्रेरणा प्राप्त करके अपनी साधना में तेजस्विता लाने का प्रयत्न करेंगे।

आचाराग सूत्र के सम्पादन में मुनि श्री समदर्शी जी म. ने जिस लग्न एव उत्साह से श्रम किया, उसके लिये हम मुनि श्री का हृदय से आभार मानते हैं। प. मुनि श्री फूलचन्दजी म. 'श्रमण', पं. श्री हेमचन्द्र जी म. एव पं. श्री रत्न मुनि जी म. एव महासती श्री कौगल्या जी म. ने प्रूफ सशोधन में जो महत्त्वपूर्ण सहयोग दिया, के लिए हम उनके आभारी हैं।

प्रूफ सशोधन का विशेष ध्यान रखने पर भी अनेक स्थलों पर अशुद्धियाँ रह गई हैं, जिसके लिए हम आपको से क्षमा चाहते हैं।

निवेदक—

मन्त्री,

आचार्य श्री आत्माराम जी जैनागम

प्रकाशन समिति, लुधियान।

—: अमृत कण :—

जे एगं जाणइ,
 से सब्बं जाणइ।
 पुरिसा तुममेव तुमं मित्तं,
 किं बहिया मित्तमिच्छासि ।
 जे आया से विन्नाया,
 जे विन्नाया से आया ।
 जेण विजाणइ से आया,
 से सुयं च अज्झत्थं च मे,
 बन्धं षमोक्खो अज्झत्थे ।
 सब्बओ पमत्तस्स भयं ।
 सब्बओ अप्पमत्तस्स नात्थि भयं ।
 कामेसु गिद्धा निच्चयं करंति ।
 संसिच्चमाणा पुणरेंति गब्भं ।
 सच्चाम्मि धिइं कुण्विहा ।
 एत्थोवरुष मेहावी,
 सब्बं पावं झोसइ ।
 जे अणणारामे,
 से अणन्तदंसी ।

जो एक आत्मा को जानता है,
 वह सब कुछ जानता है ।
 हे साधक तू स्वय ही अपना मित्र है,
 तू दुनिया में बाहरी मित्र क्यों ढूँढता है ।
 जो आत्मा है वही विज्ञाता है,
 जो विज्ञाता है वही आत्मा है,
 क्यों कि ज्ञान के कारण ही आत्मा शब्द का प्रयोग होता है ।
 मैंने सुना और अनुभव किया है,
 बन्ध और मोक्ष तुम्हारी आत्मा पर ही निर्भर है ।
 जो प्रमादी है, उसे सर्वत्र भय है,
 अप्रमत्त के लिए कहीं भी भय नहीं है ।
 भोगों में आसक्त प्राणी कर्म सचय करता है,
 और कर्मों से भारी होकर ससार में परिभ्रमण करता है ।
 सत्य में सदा दृढ रहो,
 सत्य में अनुरक्त मेधावी पुरुष
 सब पापों का नाश कर देता है ।
 जो मोक्ष के अतिरिक्त अन्यत्र
 कहीं भी रुचि नहीं रखता,
 वह अचल श्रद्धा-निष्ठ माना गया है ।

—आचाराङ्गा सूत्र

द्वितीय श्रुतस्कन्ध गणधर कृत है ?

आगम साहित्य में आचाराङ्ग सूत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि, आचार जीवन का, साधना का मूलाधार है। इसी के सहारे मानव मुक्ति पथ को तय करता है। यही कारण है कि अतीत में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, उन सब ने सर्व प्रथम आचार का उपदेश दिया और अनागत में जितने भी तीर्थंकर होंगे वे सब सर्व प्रथम आचार का उपदेश देंगे तथा वर्तमान में महाविदेह क्षेत्र में जो तीर्थंकर विद्यमान हैं, वे भी अपने शासनकाल में सर्व प्रथम आचार का उपदेश देते हैं। इससे इसकी महत्ता स्वतः सिद्ध होती है और इसकी गचीनता भी स्पष्टतः परिलक्षित होती है।

प्रस्तुत सूत्र साध्याचार का पथ प्रदर्शक है। वस्तुतः पंचाचार की नींव पर आचाराङ्ग सूत्र का भव्य भवन स्थित है। श्रमण साधना से सम्बद्ध कोई भी बात ऐसी नहीं है, जिसका वर्णन आचाराङ्ग सूत्र में नहीं आया हो। इसी विशेषता के कारण इसे आचाराङ्ग भगवान कहा गया है। यह आगम दो श्रुतस्कन्धों में विभक्त हैं।

प्रथम श्रुतस्कन्ध का विषय गूढ़ एवं गम्भीर है। वर्णन शैली प्राचीन होते हुए भी सुन्दर एवं अनुपम है। भाषा प्राञ्जल एवं प्रवाहमय होते हुए भी विषय के अनुरूप क्लिष्ट भी है। परन्तु, क्लिष्टता के साथ लालित्य भी है और छोटे-छोटे सूत्रों में इतना विशाल अर्थ भर दिया है कि मानों गागर में सागर ठाठें मार रहा हो।

भाषा एवं भावों की दृष्टि से प्रथम श्रुतस्कन्ध जितना गम्भीर एवं कठिन है, द्वितीय श्रुतस्कन्ध उतना ही सुगम, सरल एवं सुबोध है। सीधो-सादी भाषा भावों को स्वतः स्पष्ट करती जाती है। उसे समझने के लिए साधक को अधिक गहराई में नहीं उतरना पड़ता है। थोड़े से प्रयत्न से ही उसे आचार का नवनीत प्राप्त हो जाता है। वस्तुतः सुगम पथ पर प्रत्येक पथिक सुगमता से चल सकता है। दुर्गम पथ को पार करने वाले विरले ही महापुरुष होते हैं। आचाराङ्ग सूत्र की भी यही स्थिति है। पहला श्रुतस्कन्ध भाव, भाषा एवं विषय की दृष्टि से गहन, गम्भीर एवं कठिन है, तो द्वितीय श्रुतस्कन्ध सरल एवं सुगम है। जिसे हृदयंगम करने के लिए मस्तिष्क को अधिक श्रम नहीं करना पड़ता है।

समवायाङ्ग सूत्र में बताया है कि प्रथम श्रुतस्कन्ध के नव अध्यायन हैं और ये नव अध्यायन ५१ उद्देशकों में विभक्त हैं। द्वितीय श्रुतस्कन्ध में १६ अध्यायन हैं और

इनके ३४ उद्देशक हैं। पूरे आचाराङ्ग सूत्र के २५ अध्ययन हैं और ये सब ८५ उद्देशार्क से संयुक्त हैं। इसमें अठारह सहस्र पद हैं॥

ऐसा ही पाठ श्री नन्दी सूत्र में भी मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि आचाराङ्ग भगवान का भव्य भवन ८५ स्तम्भों पर खड़ा है। आगम में स्पष्ट शब्दों कहा है— “नव ब्रह्मचर्यों के ५१ उद्देशक हैं।” प्रस्तुत आगम के प्रथम श्रुतस्कन्ध अध्ययनों का नाम ब्रह्मचर्य है। आगे कहा गया है कि “आचाराङ्ग भगवान के चूल्ह के साथ पच्चीस अध्ययन कहे गए हैं, जैसे शस्त्र-परिज्ञा इत्यादि।” प्रस्तुत पाठों उपरोक्त बात परिपुष्ट होती है और यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम श्रुतस्कन्ध तरह द्वितीय श्रुतस्कन्ध भी प्रामाणिक एवं गणधर कृत है। इन पाठों से संपूर्ण आच सूत्र की विशिष्टता, प्रामाणिकता एवं गणधर कृतत्व झलक उठता है।

आचाराङ्ग सूत्र के कर्ता—

जैन विचारकों की यह मान्यता है कि द्वादशांगी—अंग शास्त्र के प्रणेता तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर भगवान अपने शगसनकाल में द्वादशांगी का अर्थ रूप से उपदेश देते। उस अर्थ रूप वाणी को गणधर सूत्र में प्रथित करते हैं। अतः अर्थ रूप से द्वादशांगी उपदेश या प्रणेता तीर्थंकर होते हैं और गणधर उसे सूत्र रूप में प्रथित करते हैं। गणधर कृत सूत्रों का मूलाधार तीर्थंकरों की अर्थ रूप वाणी होने से हम उसे तीर्थंकर या सर्व कृत ही कहते हैं। इस दृष्टि से द्वादशांगी सर्वज्ञ प्रणीत कहलानी है। आचाराङ्ग सूत्र का द्वादशांगी में प्रथम स्थान है, अतः आचाराङ्ग सूत्र सर्वज्ञ प्रणीत माना जाता है।

द्वितीय श्रुतस्कन्ध के रचयिता—गणधर हैं या स्थविर ?

इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि आचाराङ्ग का प्रथम श्रुतस्कन्ध गणधर कृत है। परन्तु, द्वितीय श्रुतस्कन्ध के सम्बन्ध में कुछ विचार भेद है। कई विचारक एवं तत्त्ववेत्ता

॥ से णं अंगदठयाए पढ्मे अगे दो सूयखंदा- पणवीस्सं अण्णयणा, पंचासीइ उद्देशण काला, पच्चासी समुद्देशण काला, अट्ठारस्स पद सहस्साइ पदगणेण ।

आचारस्स भगवतो स चूल्हियागस्स अट्ठारस्स पय सहस्साइ पन्नाइ ।

—समवायाङ्ग, द्वादशाङ्गी अधिकार ।

† नवण्ह वभवेराणं एकावन्नं उद्देशण काला पं० ।

—समवायाङ्ग सूत्र, ५१ ।

‡ आचारस्स ण भगवन्नो सचूल्हियायरस्स पणवीस अण्णयणा पन्नात्ता तंजहा—
सत्यपरिणा..... ।

—समवायाङ्ग सूत्र, २५ ।

नीय श्रुतस्कन्ध को गणधर कृत नहीं, प्रत्युत स्थविर कृत मानते हैं। चूर्णिकार का प्रेमत है कि आचाराङ्ग का द्वितीय श्रुतस्कन्ध स्थविरों द्वारा रचा हुआ है। जर्मन डा. श्री हरमन जेकोवी भी चूर्णिकार के मत से सहमत है। कई जैन विचारक एवं उन भी इसे स्थविर कृत मानते हैं। उनका कथन है कि विषय की समानता होने कारण इसे स्थविरों ने बाद में चूलिका के रूप में आचाराङ्ग के साथ सम्बद्ध किया परन्तु, मेरी अपनी मान्यता यह है कि प्रस्तुत आगम का द्वितीय श्रुतस्कन्ध स्थविर नहीं, गणधर कृत है। आगम में भी इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है।

हम समवायाङ्ग सूत्र का पाठ देख चुके हैं, उसमें स्पष्टतया बताया गया है कि आग (आचाराङ्ग) के दो श्रुतस्कन्ध, २५ अध्ययन, ८५ उद्देशक और १८ सहस्र हैं। समवायाङ्ग सूत्र अंग सूत्रों में समाविष्ट है। अतः वह गणधर कृत है। उसमें आचाराङ्ग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध को प्रथम श्रुतस्कन्ध से सम्बद्ध करके वर्णन किया है। यदि द्वितीय श्रुतस्कन्ध गणधर कृत नहीं होता तो गणधर कृत समवायाङ्ग सूत्र इसका उल्लेख नहीं मिलता। प्रस्तुत पाठ से यह स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध भी प्रथम श्रुतस्कन्ध की तरह गणधर कृत है।

केवल समवायाङ्ग सूत्र में ही नहीं, अन्य आगम साहित्य में भी इस की प्राचीनता, प्राणिकता एवं महत्त्वपूर्णता का उल्लेख मिलता है। इसके साथ अन्य आगमों में इसके गणधर कृत होने के प्रमाण भी मिलते हैं।

जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में बताया गया है कि भगवान् ऋषभदेव ने श्रमण साधना के लिए पच्चीस भावनाओं के साथ पाच महाव्रतों का उपदेश दिया। इसमें 'भावना-गमेण' शब्द विशेष महत्त्वपूर्ण है। आचाराङ्ग सूत्र के २४ वें अध्ययन का नाम 'भावना अध्ययन' है, इसमें ५ महाव्रत की २५ भावनाओं का विस्तृत विवेचन मिलता है। प्रस्तुत पाठ इस ओर संकेत कर रहा है। समवायाङ्ग सूत्र में २५ अध्ययनों का

॥धेरैर्हि अणुगहृडा सीसहिअं होउ पागडत्यं च आयाराओ अत्यो आयाराङ्गेषु पविमत्तो ।

“स्थविरैः श्रुतवृद्धैश्चतुर्दश पूर्वविद्धिर्निर्युढानीति, किमर्थं ? शिष्य हितं भवत्विति कृत्वाऽनुग्रहार्थं तथाऽप्रकटोऽर्थः । प्रकटो यथा स्यादित्येवमर्थञ्च, कुतो नियुढानि आचारात् सकाशात् समस्तोऽप्यर्थं आचाराग्रेषु विस्तरेण प्रविभक्त इतिः ।

† तएणं से भगवं समणाण णिग्गथाणं वा णिग्गथीणं पंच महव्वयाइ सभावणागाइं उच्चजीवणिकाए धम्म देसमाणे विहरइ तजहा-पुढवी काइए भावनागमेण पच महव्वयाइ सभावणागाइं भणियवाइं ।

—जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति वक्ष०, ऋषभ अधिकार ।

नाम निर्देश किया है†। इससे स्पष्टतः सिद्ध होता है कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध पहले श्रुतस्कन्ध से सम्बद्ध है। अतः वह भी प्रथम श्रुतस्कन्ध की तरह गणधर कृत है। स्थानाङ्ग सूत्र में भी हमें ऐसा ही पाठ मिलता है, जिसमें भावना अध्ययन का उदाहरण दिया गया है‡। इसके अतिरिक्त प्रश्नव्याकरण सूत्र में यह प्रश्न उठाया गया है कि साधु को कैसा और किस तरह का आहार ग्रहण करना चाहिए? इसके उत्तर में कहा गया है 'पिण्डपात' अध्ययन के ग्यारह उद्देशकों में आहार-पानी ग्रहण करने की जो विधि बताई गई है, उस तरह से ग्रहण करना चाहिए††। पाठकों को यह नहीं भूलना चाहिए कि 'पिण्डपात' आचाराङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध का प्रथम अध्ययन है। अतः प्रस्तुत पाठ भी द्वितीय श्रुतस्कन्ध की महत्ता को प्रकट कर रहा है। ये सब पाठ इस बात को स्पष्टतः सिद्ध कर रहे हैं कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध की रचना उसी समय हुई थी, जब प्रथम श्रुतस्कन्ध की हुई है। अतः उभय श्रुतस्कन्ध गणधर कृत है।

भाषा एवं शैली का अन्तर—

यह हम ऊपर देख चुके हैं कि कुछ विचारक द्वितीय श्रुतस्कन्ध को गणधर कृत नहीं मानते हैं। चूर्णिकार भी इसे स्थविर कृत मानते हैं और डा० हर्मन जेकोवी एवं अन्य प्राच्य एवं पाश्चात्य विद्वान भी चूर्णिकार के विचारों से सहमत हैं। उनका कथन है कि प्रथम श्रुतस्कन्ध के ९ अध्ययन ही गणधर कृत हैं। शेष द्वितीय श्रुतस्कन्ध के १६ अध्ययन पीछे से जोड़े गए हैं। अतः इनका रचयिता गणधर नहीं, कोई स्थविर ही होना चाहिए।

अपने पक्ष के समर्थन में उनका कथन है कि प्रथम एवं द्वितीय श्रुतस्कन्ध की भाषा, भाव और शैली में एकरूपता नहीं है। प्रथम श्रुतस्कन्ध के भाव गहन-गंभीर हैं और भावों के अनुरूप उसकी भाषा एवं शैली भी क्लिष्ट एवं गम्भीर है। परन्तु, द्वितीय श्रुतस्कन्ध के भावों में वह दार्शनिकता एवं गम्भीरता नहीं है, जो प्रथम

† आयास्स ण भगवओ सचूलिआयास्स पणवीस अज्झयणा पं० तजहा—सत्थ परिण्णा, लोण विजओ, सीओसणीय, सम्मत्तं आवति, धूय, विमोह, उवहाण, सूय, महपरिण्णा, पिडेसणा, सिज्जिरिआ, भासज्झयणा, य वत्थ, पाएसा, उग्गह पडिमा, सतिक्कसत्तया, "भावणा," विमुत्ति। —समवायाङ्ग सूत्र, २५।

‡ अममे, अकवणे, अच्चिन्नगंथे, निरुवलेवे, कसयाईव, मुक्कतोए जहा भावणाए।

—स्थानाङ्ग सूत्र, स्थान ६।

†† अह केरिसय पुणाइ कप्पति, ज तं एकारस्स पिडवाय सुद्धं।

श्रुतस्कन्ध के भावों में है। इसी कारण उसकी भाषा एवं शैली में गम्भीर्य परिलक्षित नहीं होता है। यदि दोनों श्रुतस्कन्ध एक ही व्यक्ति के निर्मित होते तो दोनों के भाव, भाषा एवं शैली में इतना अन्तर नहीं आता। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध चूलिका के रूप में पीछे से जोड़ा गया है।

हम विचारकों की इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि दोनों श्रुतस्कन्धों की भाषा एवं शैली में भिन्नता है। परन्तु, इससे यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि दूसरा श्रुतस्कन्ध गणधर कृत नहीं, स्थविर कृत है। क्योंकि, केवल भाषा एवं शैली भिन्नता का प्रतीक नहीं माना जा सकती। हम देखते हैं कि भावों के अनुसार भाषा भी बदलती रहती है। वी० ए० और एम० ए० के स्तर की पुस्तकें एवं पी० एच० डी० के स्तर का महानिवन्ध लिखने वाला प्रोफेसर जय प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के छात्रों के लिए पुस्तकें लिखता है, तो उन दोनों पुस्तकों की भाषा एवं शैली में रात-दिन का अन्तर होता है। जो एम० ए० एवं पी० एच० डी० के स्तर के महानिवन्ध के भावों में गंभीरता एवं प्रौढ़ता है, वह प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के स्तर की पुस्तकों में नहीं आ सकती है। अतः भावों के अनुरूप भाषा एवं शैली में वह गम्भीरता नहीं रह सकती। वाल साहित्य लिखते समय प्रोफेसर को बच्चों की भाषा एवं शैली का खयाल रखना होगा। परन्तु, इस वाल साहित्य की सीधी-सादी शैली एवं हल्की भाषा के कारण हम यह नहीं कह सकते कि महानिवन्ध एवं एम० ए० के साहित्य का लेखक एवं वाल साहित्य का लेखक एक नहीं, दो भिन्न व्यक्ति हैं। इससे यह स्पष्ट हो गया कि एक ही व्यक्ति क्लिष्ट एवं सरल भाषा में लिख सकता है। भाषा भावों के अनुरूप बदलती रहती है।

आचारगङ्गा का प्रथम श्रुतस्कन्ध तात्त्विक है। उसमें पांच आचार—१-ज्ञानाचार २-दर्शनाचार, ३-चारित्राचार, ४-तपाचार और ५-वीर्याचार का तात्त्विक विवेचन किया गया है। अतः उस में सूत्र शैली का प्रयोग किया गया है। थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह दिया गया है। एक प्रकार से गागर में सागर भर दिया है। अतः भावों की गम्भीरता के अनुरूप ही भाषा एवं शैली में क्लिष्टता एवं गम्भीर्य का आना स्वाभाविक था। परन्तु, द्वितीय श्रुतस्कन्ध में प्रायः साध्व्याचार का ही वर्णन है और वह सर्व साधारण के लिए है। उसके भावों में दार्शनिकता एवं गम्भीरता कम है। उसके भावों को प्रत्येक व्यक्ति सरलता से समझ सकता है। अतः भावों के अनुरूप उसकी भाषा एवं शैली भी सरल एवं सीधी-सादी है। अतः दोनों श्रुतस्कन्धों की भाषा एवं शैली का अन्तर दो विभिन्न कर्माचारों के कारण नहीं, अपितु भावों की विभिन्नता के कारण है। अतः उभय श्रुतस्कन्ध गणधर कृत ही हैं।

उभय श्रुतस्कन्ध एक-दूसरे के पूरक हैं—

आचाराङ्ग सूत्र का अनुशीलन-परिशीलन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों श्रुतस्कन्ध एक-दूसरे के परिपूरक हैं। हम यह देख चुके हैं कि प्रथम श्रुतस्कन्ध में ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार इन ५ आचारों का वर्णन किया है और द्वितीय श्रुतस्कन्ध में प्रायः साध्वाचार का विस्तृत विवेचन मिलता है। यदि पंचाचार साधना की लहलहाती हुई खेती है, तो साध्वाचार उस की वाढ़ है, जो उसकी हर तरह से सुरक्षा करती है। साध्वाचार के अभाव में पंचाचार की उत्कृष्ट साधना नहीं हो सकती। अतः उभय श्रुतस्कन्ध अपने-अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। इन्हें एक-दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। देखिए, आचाराङ्ग सूत्र में द्वितीय श्रुतस्कन्ध के प्रथम अध्ययन के प्रथम उद्देशक को प्रारम्भ करते समय वृत्तिकार लिखते हैं कि “ प्रथम श्रुतस्कन्ध पूरा हुआ अब द्वितीय श्रुतस्कन्ध प्रारम्भ करते हैं, उसका परस्पर यह सम्बन्ध है ॥” इससे यह स्पष्ट होता है कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध आचाराङ्ग का उपयोगी अंग है और इसे प्रथम श्रुतस्कन्ध से किसी भी तरह अलग नहीं किया जा सकता है।

द्वितीय श्रुतस्कन्ध का कर्ता कौन स्थविर है ?

हम विस्तार से बता चुके हैं कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध गणधर कृत है। यदि कुछ लोगों के विचारानुसार यह स्थविर कृत है, तो यह प्रश्न उठे बिना नहीं रहेगा कि इसका कर्ता कौन स्थविर है ? अतः इन्हीं स्थविर कृत मानने वाले वरिष्ठ विद्वानों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उस स्थविर का नाम क्या था ? उसने किस शताब्दी में इसकी रचना की ? बिना प्रमाण के कोई भी बात मान्य नहीं की जा सकती। क्योंकि, कई आगमों का संकलन गणधरों से भिन्न स्थविरों ने किया है, वहाँ उनके नामों का उल्लेख मिलता है।

जैसे दशवैकालिक सूत्र गणधर कृत नहीं है। इसमें भी प्रायः साध्वाचार का वर्णन है। वस्तुतः देखा जाए तो यह आचाराङ्ग का एक छोटा-सा रूप है, संचिप्त संस्करण है। इसके संकलन कर्ता श्री सभवाचार्य थे। भगवान् महावीर के निर्वाण पधारने के ५५ वर्ष बाद वे आचार्य पद पर आसीन हुए। उन्होंने अपने नवदीक्षित पुत्र को साध्वाचार का ज्ञान कराने के लिए इस आगम का संकलन किया था। यह आगम

॥उक्तो नवत्रह्यार्याध्ययनात्मक आचार श्रुतस्कन्धः साम्प्रतं समाप्तं द्वितीयोऽश्रुत-
स्कन्धः समाभ्यते, अस्य चान्मभिसम्बन्धः ॥

—आचाराङ्ग वृत्ति, द्वितीय श्रुतस्कन्ध।

अलौकिक एवं विलक्षण होते हुए भी भाषा की दृष्टि से सरल एवं सुगम है और हम देखेंगे कि इसका निर्माण करते समय विशेष रूप से आचाराङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध का ही सहारा लिया है। अतः हम कह सकते हैं कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध ही दशवैकालिक की नींव है।

आचाराङ्ग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के प्रथम अध्ययन का नाम 'पिंडैषणा' अध्ययन है। इस अध्ययन को सम्मुख रखकर ही दशवैकालिक के पांचवे अध्ययन का निर्माण किया गया है, उसका नाम भी 'पिण्डैषणा' है। दोनों का विषय भी एक है और दोनों के नाम भी एक ही हैं। दशवैकालिक को चौथा 'छज्जोत्रणोकाय' अध्ययन आचाराङ्ग के 'भावना' अध्ययन के आधार से रचा गया है, जो द्वितीय श्रुतस्कन्ध का १५वां अध्ययन है। दशवैकालिक के 'सुवक्क सुद्धी, नामक सातवां अध्ययन द्वितीय श्रुतस्कन्ध के भाषा अध्ययन का पद्य में अनुवाद है। इन प्रमाणों से यह भी स्पष्ट होता है कि दशवैकालिक आचाराङ्ग का सुन्दर पद्यानुवाद है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि आचाराङ्ग का द्वितीय श्रुतस्कन्ध संभवाचार्य से पहले विद्यमान था। इससे यह भी ध्वनित होता है कि यह गणधर कृत है। क्योंकि, यदि यह साधारण स्थविर कृत होता है, तो संभवाचार्य इसके आधार पर दशवैकालिक सूत्र की रचना नहीं करते और जैसे दशवैकालिक सूत्र के साथ संभवाचार्य का नाम जुड़ा हुआ है, वैसे द्वितीय श्रुतस्कन्ध के कर्ता का नाम भी उसके साथ सम्बद्ध होता। परन्तु, द्वितीय श्रुतस्कन्ध के कर्ता के नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है और आज तक न किसी विद्वान ने इसका उल्लेख किया है। अतः इस से यह स्पष्टतः सिद्ध होना है कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध दशवैकालिक से अधिक प्राचीन एवं गणधर कृत है।

द्वितीय श्रुतस्कन्ध की प्रामाणिकता का एक और प्रमाण

यह हम देख चुके हैं कि दशवैकालिक सूत्र का निर्माण द्वितीय श्रुतस्कन्ध के आधार पर हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य आगमों में अनेक स्थानों पर आचाराङ्ग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध की मूलक मिलती है। हम यों भी कह सकते हैं कि आचाराङ्ग सूत्र बत्तीस आगमों में समाहित-सा हो गया है। स्थानाङ्ग सूत्र में यह वर्णन आता है कि 'चार शय्या प्रतिमा, चार वस्त्र प्रतिमा, चार पात्र प्रतिमा और चार स्थान प्रतिमा कही गई हैं।' वस्तुतः ये चारों प्रतिमाएं साध्वाचार की चार कड़िए हैं। आचाराङ्ग सूत्र के

† चत्तारि सेज्जा पडिमाओ पं०,
चत्तारि पाय पडिमाओ पं०,

चत्तारि वत्थ पडिमाओ पं०,
चत्तारि ठाण मडिमाओ पं०।

द्वितीय श्रुतस्कन्ध में इनसे सम्बद्ध चार अध्ययन हैं। वस्तुतः यह पाठ उन्हीं के आधार पर लिखा गया है। स्थानाङ्ग सूत्र में एक पाठ और आता है, उसमें आहार-पानी आदि की सात एषणाओं का वर्णन किया गया है।^१ यह पाठ भी द्वितीय श्रुतस्कन्ध के आधार पर ही लिखा गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत श्रुतस्कन्ध भी गणधर कृत है। यदि वह गणधर कृत नहीं होता तो स्थानाङ्ग जैसे प्राञ्जल एवं गणधर कृत आगम में इतनी स्पष्टता से उसकी महत्ता को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त समवायाङ्ग, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, प्रश्नव्याकरण आदि सूत्रों के पाठ हम पहले ही बता चुके हैं। इससे यह स्पष्टतः प्रतीत होता है कि आचाराङ्ग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के भावों का आगमों में जाल-सा बिछा हुआ है। यह एक सोचने-समझने की बात है कि एक साधारण स्थविर कृत आगम को इतना सम्मान कैसे प्राप्त हो सकता है और उसका उल्लेख गणधर कृत आगमों में कैसे आ सकता है? इससे यह सूर्य के उजाले की तरह साफ हो जाता है कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध गणधर कृत है।

स्थविर शब्द की व्याख्या—गणधर को भी स्थविर कहते हैं

स्थविर शब्द केवल अनुभवी एवं वृद्ध के लिए प्रयोग में नहीं आता है, प्रत्युत उसमें अनेक अर्थ एवं भाव सन्निहित रहते हैं। जैनागमों में स्थविर शब्द प्रमुख नायक के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। स्थानाङ्ग सूत्र में ग्राम स्थविर, नगर स्थविर, राष्ट्र स्थविर, पार्श्वस्थ स्थविर, कुल स्थविर, गण स्थविर, संघ स्थविर, वय स्थविर, श्रुत स्थविर और दीक्षा स्थविर^१, इन दस स्थविरों का वर्णन किया गया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में स्थविर प्रमुख नेता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अपने-अपने विभाग का स्थविर—प्रमुख व्यक्ति हर दृष्टि से योग्य एवं अनुभवी होता है और वह स्व विभाग से सम्बद्ध सम्पूर्ण दायित्व अपने सवल कन्धों पर उठा लेता है। इसके अतिरिक्त तीन प्रकार के स्थविर और भी बताए गए हैं—१-वय स्थविर, २-श्रुत स्थविर और ३-दीक्षा स्थविर। ६० वर्ष की आयु में कदम रखते ही साधु को वय स्थविर के पद से विभूषित कर दिया

सत्त पिण्डेसणाओ पं०, सत्त पाणेसणाओ पं०,
सत्त उग्गहंपडिमाओ पं०, सत्त सन्निक्कया पं० ।

—स्थानाङ्ग सूत्र, स्थान ७ ।

^१दस थेरा पण्णता तँजहा—गाम थेरा, नगर थेरा, रट्टु थेरा, पसत्थ थेरा, कुल थेरा, गण थेरा, संघ थेरा, जाईं थेरा, सूय थेरा, परियाय थेरा । —स्थानाङ्ग—सूत्र, स्थान १० ।

श्री

आचाराङ्ग सूत्र

द्वितीय प्रतस्कन्ध

श्री आचाराङ्ग सूत्र

द्वितीय श्रुतस्कन्ध

प्रथम अध्ययन पिण्डैषणा

प्रथम उद्देशक

इम वात को हम आचाराङ्ग सूत्र प्रथम श्रुतस्कन्ध को प्रारम्भ करते समय बता चुके हैं कि आचाराङ्ग सूत्र में आचार का वर्णन किया गया है। आचार पांच प्रकार का है—१-ज्ञानाचार, २-दर्शनाचार, ३-चारित्राचार, ४-तपाचार और ५-वीर्याचार। प्रथम श्रुतस्कन्ध में पाचों आचारों का सूत्र शैली में वर्णन किया गया है। इसलिए उनके वर्णन में संक्षिप्तता एव गम्भीरता आ गई है। और प्रस्तुत श्रुतस्कन्ध में प्रमुख रूप से चारित्राचार का उपदेश शैली में वर्णन किया गया है। साधना के लिए चारित्राचार आवश्यक है। अतः प्रथम श्रुतस्कन्ध में किए गए चारित्राचार विषयक संक्षिप्त वर्णन का प्रस्तुत श्रुतस्कन्ध में विस्तार किया गया है।

चारित्र साधना का प्रधान अंग है। ज्ञान, दर्शन, तप एवं वीर्य को चारित्र से गति मिलती है, ज्ञान आदि साधना में तेजस्विता आती है। वस्तुतः देखा जाए तो ज्ञान साधना का मूल्य उसे चारित्र का साकार रूप देने में है। ज्ञान जब तक आचरण में नहीं लाया जाएगा तब तक उसका यगार्थ एवं अभिलषित फल मोक्ष नहीं मिल सकता जब ज्ञान और चारित्र की समन्वित साधना होगी तभी आत्मा सर्व कर्म बन्धन से मुक्त हो सकेगा। इसलिए चारित्र की सम्यक् साधना आराधना करने के लिए दूसरे श्रुतस्कन्ध का अध्ययन करना जरूरी है।

जीवन की पहली आवश्यकता आहार है-भले ही गृहस्थ हो या साधु, आहार के बिना लौकिक एव लोकोत्तर कोई भी साधना नहीं हो सकती। अतः प्रस्तुत श्रुतस्कन्ध के प्रथम अध्ययन में यह बताया गया है कि साधु को संयम परिपालन करने

के लिए किस तरह मे एव कैसा आहार करना चाहिए । आगम मे इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि साधु कुछ कारणों से आहार ग्रहण करता है और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में आहार का त्याग भी कर देता है । आगम में आहार करने के ६ कारण बताए हैं— १-क्षुधा वेदनीय भूख की पीड़ा सहन नहीं हो तो साधु आहार कर सकता है २-वैयावृत्य-सेवा करने के लिए—संयम की, कृल की, गण को, आचार्य, उपाध्याय की, रोगी की, नवदीक्षित आदि की सेवा-शुश्रूषा करने के लिए शारीरिक शक्ति अपेक्षित है और उसके लिए आहार करना भी आवश्यक है । ३-ईर्ष्या-समिति का परिपालन करने के लिए । ४-संयम का पालन करने के लिए, ५-प्राणों को वारण करने के लिए, ६-धर्म-चिन्तन के लिए आहार ग्रहण करे । क्योंकि ये क्रियाएँ भी शारीरिक बल के बिना भली भाँति नहीं होसकती । इसलिए मुनि इन ६ कारणों से आहार करता है ॥ इसी तरह आहार का त्याग करने के भी ६ कारण है— १-बीमारी-बुखार आदि के आने पर साधु को आहार का त्याग कर देना चाहिए । ज्वर में आहार करने से वह जल्दी ठीक नहीं होता । इसलिए रोग के समय उपवास बहुत लाभदायक रहता है । आयुर्भेद से भी रोग चिकित्सा में लंघन—उपवास को श्रेष्ठ माना है । महात्मा गांधी ने तो उपवास के द्वारा कई रोगों की चिकित्सा की है । अतः रोग के समय साधु को आहार का त्याग कर देना चाहिए । २-उपसर्ग कष्ट आने पर साधु को तप करना चाहिए । ३-क्षुधा-भूख शांत होने पर आहार का त्याग कर देना चाहिए । क्योंकि बिना भूख क खाने से अनेक रोग होने की संभावना है और उससे संयम-साधना में भी दोष लग सकता है । अतः भूख न हो तो नहीं खाना चाहिए । ४-ब्रह्मचर्य का परिपालन करने के लिए आहार का त्याग कर देना चाहिए । यदि मन में विकार जागृत होते हों तो साधु को तपस्या करनी चाहिए । गीता में लिखा है कि निराहार—आहार का त्याग करने वाले व्यक्ति को विषय विकार नहीं सताते † । ५-जीव रक्षा के लिए आहार का त्याग करना चाहिए । जैसे कि वर्षा के पड़ते हुए अफलाय आदि की रक्षा के लिए आहार का त्याग कर देना चाहिए । ६-मृत्यु के निकट आने पर आहार का त्याग करके अनशन संथारा स्वीकार करना चाहिए ‡ । इस तरह आहार करने की आवश्यकता होने पर

॥ छह ठाणेहि समणे निगमथे ग्राहारमाहारेमाणे णाइक्कमइ तजहा वेयण, वेयावच्चे इरियट्ठाए य मथमट्ठाए तह पाणवत्तियाए छट्ठ पुण धम्मचित्ताए । —स्थानाङ्ग सूत्र, ६ ।

† निराहारस्य देहिनः विषयाविनिवर्तन्ते । —गीता २ ।

‡ छह ठाणेहि समणे—निगमथे ग्राहार बोद्धिन्दमाणे णाइक्कमइ तजहा—घातके, उवसणे, तित्तिल्लणे, वभचेरगुत्तीए, पाणिदया, तवहेउ सरीरबुच्छेयणट्ठ ए ।

—स्थानाङ्ग सूत्र स्थान ६ ।

माधु को आहार स्वीकार करना चाहिए ।

परन्तु उस समय कैसा आहार स्वीकार करे ? इसका समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षु वा भिक्षुणी वा गोहावइकुलं
 पिंडवायपडियाए अणुपविट्ठे समाणे से जं पुण जाणिज्जा—
 असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पाणेहिं वा पाणेहिं
 वा वीएहिं वा हरिएहिं वा संसत्तं उग्मिस्सं सीओदएण वा
 ओसित्तं रयसा वा परिघासियं वा तहप्पगारं असणं वा पाणं
 वा खाइम वा साइमं वा परहत्थंसि वा परपायंसि वा अफासुयं
 अणेसणिज्जंति मन्नमाणे लाभेऽवि संते नो पडिग्गाहिज्जा ।
 से य आहच्च पडिग्गहे सिया से तं आयाय एगंतमवक्कमिज्जा
 एगंतमवक्कमित्ता अहे आरामंसि वा अहे उवस्सयंसि वा
 अप्पंडे अप्पणो अप्पणीए अप्पहरिए अप्पोसे अप्पुदए अप्पुत्तिंग
 पाणगदगमट्टियमक्कडासंताणए विगिंचिय २ उग्मीसं
 विसोहिय २ तओ संजयामेव भुंजिज्ज वा पीइज्ज वा, जं च
 नो संचाइज्जा भुत्तए वा पायए वा से तमायाय एगंतमवक्क-
 मिज्जा, अहे भामथंडिलंसि वा अट्ठिरासिंसि वा किट्टरा-
 सिंसि वा तुसरसिंसि वा गोमयरसिंसि वा अन्नयरंसि वा
 तहप्पगारंसि थंडिलंसि पडिलेहिय पडिलेहिय पमज्जिय--

पमज्जिय तत्रो संजयामेव परिट्ठविज्जा ॥१॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा गृहपतिकुलं पिडपातप्रतिज्ञया अनु-
प्रविष्टः सन्, स यत् पुनः जानीयात्, अशनं वा पान वा खादिम वा स्वादिम
वा प्राणिभिः पनकैः वा बीजैः वा हरितैः वा ससक्तं वा उन्मिश्र वा
शीतोदकेन वा अवसिक्तं रजमा वा परिघर्षितं वा तथाप्रकार अशनं वा पान
वा खादिमं वा स्वादिमं वा परहस्ते वा परपात्रे वा अप्रासुकं अनेपणीय
इति मन्यमान लाभे सत्यपि नो प्रतिगृह्णीयात्, स च आहन्य प्रतिगृह्णीयात्
स्यात्, स तदादाय एकान्तमपक्रामेत्, एकान्तमपक्रम्य अथारामेवा अथो-
पाश्रये वा अल्पाडे अल्पप्राणे अल्पबीजे अल्पहरिते अल्पावश्याये अल्पोदके
अल्पोत्सिगपनकदकमृत्तिकाभर्कटसन्तानके विविच्य २ उन्मिश्र विशोध्य २
ततः सयन एव भुजीत वा पिवेद् वा यच्च न शक्नुयात् भोक्तु वा पातु वा
स तदादाय एकान्तमपक्रामेत्, अथ दग्धस्थडिले वा अस्थिराशौ वा किट्ट-
राशौ वा तुषराशौ वा गोमयराशौ वा अन्यतरराशौ वा तथाप्रकारे स्थंडिले
प्रत्युपेक्ष्य प्रत्युपेक्ष्य प्रमृज्य प्रमृज्य ततः संयत एव परिष्ठापयेत् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू—भिक्षु । वा—अथवा । भिक्खुणी वा—भिक्षुणी आर्या ।
गाहावड—गाथापति गृहस्थ के । कुलं—कुल मे अर्थात् घर में । पिडवायपडियाए—पिडपात-
आहार प्राप्ति की प्रतिज्ञा से गृहस्थ के घर मे । अणुपविट्ठे समणे—अनुप्रविष्ट हुआ । से—
वह । जं—जो । पुण—फिर । जाणेज्जा—यह जाने कि । असण वा—अन्न अथवा ।
पाण वा—पानी अथवा । खाइम वा—खादिम अथवा । साइम वा—स्वादिम-स्वादिष्ट पदार्थ ।
पाणेहि वा—द्वीन्द्रिय प्राणियो से अथवा । हरिणहि वा—हरित अकुरादि से । ससत्त—संयुक्त ।
उन्मिस्त—मिश्रित । सीओदएण वा—या शीतोदक से । उसित्त—अवसिक्त गीला है ।
रयसा वा—अथवा रज से, सचित्त धूलि से । परिघासिय—परिघर्षित है । तहपगार—तथा
प्रकार के । असण वा—आहार अथवा । पाणं वा—पानी-जल अथवा । खाइम वा—खाद्य पदार्थ
अथवा । साइमं वा—स्वादिष्ट पदार्थ । परहत्थसि वा—गृहस्थ के हाथ में अथवा । पर पायंसि—
वा—गृहस्थ के पात्र में है । ति—इस प्रकार के आहार को । अफामुय—अप्रासुक सचित्त ।
अनेसणिज्ज—सदोष-दोष युक्त । मन्नमाणे—मानता हुआ । लाभेऽवि सते—इस प्रकार का
आहार प्राप्त होने पर भी । नो पडिगाहिज्जा—ग्रहण न करे । य—पुनः । से—वह साधु ।

आहञ्च—कदाचित् । पडिगहेसिया—उसे ग्रहण करले तो । से—वह साधु । त—उस आहार को । आयाए—लेकर—ग्रहण करके । एगतमवक्कमिज्जा—एकान्त स्थान मे चला जाए । एगत-मवक्कमिता—एकान्त मे जाकर । अहे—अथवा । आरामसि वा—उद्यान मे । अहे—अथवा । उवस्सयसि वा—उपाश्रय मे 'ग्रथ' शब्द जहा पर गृहस्थ न आता हो उस अर्थ मे है और 'वा' शब्द विकल्पार्थ मे अथवा शून्य गृहादि के अर्थ मे जानना । अप्पडे—अडादि से रहित स्थान परः । अप्पपाणे—द्वीन्द्रियादि जीवो से रहित स्थान । अप्पवीए—बीजो से रहित । अप्पहरिए—हरित से रहित । अप्पोसे—ओस से रहित । अप्पोदए—उदक-जल से रहित । अप्पुत्तिगपणग-दगमट्टिवमक्कडासंताणए—जहा पर जल, चीटिये, लीलन-फूलन, मिट्टी युक्त जल अथवा उल्ली आदि, मकंठ जीव-जाला आदि जीव विशेष न हो ऐसे स्थानो मे जाकर उस आहार से । विगिच्चिय २—उन जीवो को अलग २ कर । उम्मीसं—उसमे मिश्रित हो तो । विसोहिय २—विशोधित कर । तओ—तदनन्तर । संजयामेव—साधु । भुज्जिज्ज वा—उस आहार को खाए । पीइज्ज वा—अथवा पीए । जं च—यदि वह उस आहार को । भोत्तए वा—खाने । पायए वा—अथवा पीने मे । तो सचाएज्जा—समर्थ न हो तो फिर । से—वह भिक्षु । तं—उस आहार को । आयाय—लेकर । एगतमवक्कमिज्जा—एकान्त स्थान मे चला जाए, जाकर । अहेक्काम थंडिलंसि वा—दग्ध स्थान पर या । अट्ठिरांसिसि वा—अस्थियो की राशि-ढेर पर । किट्टिरांसिसि वा—अथवा लोह के मल के ढेर पर । तुसर्रांसिसि वा—तुष राशि के स्थान । गोमयर्रांसिसि वा—गोवर के ढेर पर अथवा । अण्णयरसि—इसी प्रकार के अन्य प्रासुक पदार्थो के ढेर पर अथवा । तहप्पगारंसि—पूर्व सदृश अन्य प्रासुक स्थान पर । थडिलंसि—स्थडिल में । पडिलेहिय २—आँखो से भली-भाति देख कर । पमज्जियर—रजोहरण से भूमि को प्रमाजित कर के । तओ—तदनन्तर । संजयामेव—सम्यक् उपदोग पूर्वक वह साधु । परिट्ठवेज्जा—उस आहार को त्याग दे ।

मूलार्थ—आहार के लिए गृहस्थ के घर में प्रविष्ट हुआ साधु या साध्वी इन पदार्थो का अवलोकन करके यह जाने कि यह अन्न पानी, खादिम और स्वादिम पदार्थ, द्वीन्द्रियादि प्राणियो से, शाली चावल आदि के बीजो से और अंकुरादि हरी सब्जो से संयुक्त है या मिश्रित है या सचित्त जल से गीला है तथा सचित्त मिट्टी से अवगुठित है । यदि इस प्रकार का आहार-पानी, खादिम, स्वादिम आदि पदार्थ गृहस्थ के घर में या गृहस्थ के पात्र मे हो तो साधु उसे अप्रासुक-सचित्त तथा अनेषणीय-सदोष

मान कर ग्रहण न करे, यदि भूल से उस आहार को ग्रहण कर लिया है तो वह भिक्षु उस आहार को लेकर एकान्त स्थान में चला जाए और एकान्त स्थान में या आराम-उद्यान या उपाश्रय में जहाँ पर द्वीन्द्रिय आदि जीव नहीं है, गोधूमादि बीज नहीं हैं और अंकुरादि हरी नहीं है,, एवं ओस और जल नहीं है अर्थात् तृणों के अग्रभाग पर जल नहीं है ओस बिन्दु नहीं है, द्वीन्द्रियादि जीव जन्तु एवं उनके अण्डे आदि नहीं है, तथा मकड़ों के जाले एवं दीमकों के घर आदि नहीं है, ऐसे स्थान पर पहुँच कर सदा यत्न करने वाला साधु उस आहार में से सचित्त पदार्थों को अलग करके उस आहार एवं पानी का उपभोग कर ले। यदि वह उसे खाने या पीने में असमर्थ है तो साधु उस आहार को लेकर एकान्त स्थान पर चला जाए और वहाँ जाकर दग्धस्थण्डिन भूमि पर, अस्थियों के ढेर पर, लोह के कूड़े पर, तुष के ढेर पर और गोबर के ढेर पर या इसी प्रकार के अन्य प्रासुक एवं निर्दोष स्थान पर जाकर उस स्थान को आंखों से अवलोकन करके और रजोहरण से प्रमार्जित करके उस आहार को उस स्थान पर परठ-डाल दे।

हिन्दी विवेचन

साधु हिंसा का सर्वथा त्यागी है और आहार के बनाने में हिंसा का होना अनिवार्य है। इसलिए साधु के लिए भोजन बनाने का निषेध किया गया है। परन्तु, समय निर्वाह के लिए उसे आहार करना पड़ता है। अतः उसके लिए बताया गया है कि वह गृहस्थ के घर में जाकर निर्दोष एवं एषणीय आहार ग्रहण करे। यदि कोई गृहस्थ सचित्त एवं आधाकर्म आदि दोषों से युक्त आहार दे या सचित्त पानी से हाथ धोकर आहार दे या आहार सचित्त रज से युक्त है, तो साधु उसे स्वीकार न करे। वह स्पष्ट शब्दों में कहे कि ऐसा दोष युक्त आहार मुझे नहीं कल्पता। यदि कभी सचित्त पदार्थों से युक्त आहार आ गया हो—जैसे गुठली सहित खजूर या ऐसे ही बीज युक्त कोई अन्य पदार्थ आ गए हैं और वह गुठली, बीज या सचित्त पदार्थ उससे अलग किए जा सकते हैं, तो साधु उन्हें अलग करके उस अचित्त आहार को ग्रहण कर ले। यदि कोई पदार्थ ऐसा है कि उसमें से उन सचित्त पदार्थों को अलग नहीं किया जा सकता

है, तो मुनि उस आहार को खाए नहीं, परन्तु एकान्त स्थान में बीज-अंकुर एवं जीव-जन्तु से रहित अचित्त भूमि पर यतना-पूर्वक परठ—डाल दे। इसी तरह आधाकर्म आहार भी भूल से आ गया हो तो उसे भी एकान्त स्थान में परठ दे। इससे स्पष्ट है कि साधु सचित्त एवं आधाकर्म दोष आदि युक्त आहार का सेवन न करे। भगवान महावीर ने सोमिल ब्राह्मण को स्पष्ट शब्दों में बताया कि माधु के लिए सचित्त आहार अभक्ष्य है॥ ये ही शब्द भगवान पार्श्वनाथ एवं थावच्चा पुत्र ने शुकदेव संन्यासी को कहे हैं। श्रावक के व्रतों का उल्लेख करते समय इस बात को स्पष्ट क्रिया गया है कि श्रावक साधु को प्रासुक एव निर्दोष आहार देवे।

यह उत्सर्ग मार्ग है और साधु को यथाशक्ति इसी माग पर चलना चाहिए। परन्तु, जीवन सदा एक सा नहीं रहता। कभी कभी सामने कठिनाइयें भी आती हैं। उस समय संयम की रक्षा के लिए साधु क्या करे? इसके लिए वृत्तिकार ने बताया है— 'उत्सर्ग मार्ग में साधु आधाकर्म आदि दोषों से युक्त आहार स्वीकार नहीं करे। परन्तु अपवाद मार्ग में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का ज्ञाता गीतार्थ मुनि दोषों की न्यूनता या अधिकता का विचार करके उसे ग्रहण कर सकता है। द्रव्य का अर्थ है—द्रव्य (पदार्थ) का मिलना दुर्लभ हो। क्षेत्र—ऐसा क्षेत्र जिसमें शुद्ध पदार्थ नहीं मिलते हों या सचित्त रज की बहुलता हो। काल—दुर्भिक्ष आदि काल में और भाव-रोग आदि का अवस्था में। इन कारणों के उपस्थित होने पर साधु आधाकर्म आदि दोष युक्त आहार भी ले सकता है। यह वृत्तिकार का अभिमत है॥

सूत्रकृताङ्ग सूत्र में भी कहा है कि आधाकर्म आहार करने वाला साधु एकान्त रूप से सात या आठ कर्म का बन्ध करता है। ऐसा नहीं कहना चाहिए और ऐसा भी

॥ भगवती १८, १०

† पुष्पिका सूत्र, ज्ञाता सूत्र।

‡ औपपातिक सूत्र, रायप्रदनीय सूत्र, उपासकदशाङ्ग सूत्र।

॥ तथाप्रकारम्—एवं जातीयमशुद्धमशनादित्तुर्विधमप्याहारं 'परहस्ते दातृहस्ते पर-पात्रे वा स्थितम् 'अप्रासुक'-सचित्तम् 'अनेषणीयम्' आधाकर्मादिदोषदुष्णम् 'इति' एव मन्यमानः 'स' भावभिक्षुः सत्यपि लाभे न प्रतिगृह्णीयादित्युत्सर्गतः, अपवादस्तु द्रव्यादि ज्ञत्वा प्रतिगृह्णी-यादपि, तत्र द्रव्य दुर्लभद्रव्य, क्षेत्र साधारणद्रव्यलाभरहितं सरजस्कादिभावितं वा कालो दुर्भिक्षादिः भावो ग्लानतादिः, इत्यादिभिः कारणैरुपस्थितैः अल्पबहुत्वं पक्षालोच्य गीतार्थो गृह्णीयादिति।

— आचाराङ्ग २; १; १, १ वृत्ति।

नही कहना चाहिए कि वह सात-आठ कर्म का बन्ध नहीं करता है† । भगवती सूत्र में गौतम स्वामी द्वारा पूछे गए-तथारूप के श्रमण-माहण को अप्रासुक एवं अनेपणीय आहार देने से दाता को क्या होना है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान महावीर फरमाते हैं कि उसे अल्प पाप एवं बहुत निर्जरा होती है‡ ।

प्रस्तुत आगम के प्रथम श्रुतस्कन्ध 'में वृत्तिकार ने स्वयं आधाकर्मा आहार ग्रहण करने का प्रबल शब्दों में निषेध किया है§ । इससे इतना तो स्पष्ट है कि ध्रुव मार्ग निर्दोष आहार को स्वीकार करने का रहा है । अपवाद मार्ग साधक की स्थिति पर आधारित है । उसकी स्थापना नहीं की जा सकती । कौन साधक किस परिस्थिति में, किस भावना से, कौन-सा कार्य कर रहा है?, यह छद्मस्थ व्यक्तियों के लिए जानना कठिन है । सर्वज्ञ पुरुष ही इसका निर्णय दे सकते हैं । इसलिए साधक को किसी के विषय में पूरा निर्णय किए बिना एकान्त रूप से उसे पाप बन्ध का कारण नहीं कहना चाहिए और संभव है यही कारण वृत्तिकार के सामने रहा हो जिससे उसने अपवाद स्थिति में सदोष आहार को स्वीकार करने योग्य बताया । वृत्तिकार का यह अभिमत विचारणीय है ।

आहार ग्रहण करने की विधि का उल्लेख करते हुए सूत्रकार औपध ग्रहण करने के सम्बन्ध में कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गाहावइ० जाव-
पविट्ठे समाणे से जाओ पुण ओसहीओ जाणिज्जा कसिणाओ
सासियाओ अविदलकडाओ अतिरिच्छिन्नाओ अबुच्छिराणा

† अहाकम्माणि भुञ्जन्ति, अन्नभन्ने सकम्मुणा ।
उवलित्ते ति जाणिज्जा अणुवलित्ते ति वा पुणो
एएहिं दोहिं ठाणेहिं ववहारो न विज्जई ।
एएहिं दोहिं ठाणेहिं अणायार तु जाणए ।

— सूत्रकृताङ्ग २, ५, ८, ९ ।

‡ समणोवासगहस ण भंते ! तहारुवं समण वा माहणं वा अफासुएणं अणेसणिज्जेणं
असण पाण जाव पञ्चिभामाणसस कि कज्जइ ? गोयमा । बहुतरिया से निज्जरा कज्जइ, अप-
तराए से पाव कम्मे कज्जइ ।

—भगवती सूत्र, शतक ८, उदेशक ६ ।

§ आचाराङ्ग सूत्र-श्रुतस्कन्ध १, अध्याय ६, उदेशक ४ की वृत्ति ।

ओ, तरुणियं वा छिवाडिं अणभिककंतमभज्जियं पेहाए अफासुयं
अणोसणिज्जंति मन्नमाणे लाभेसंते नो पडिगाहिज्जा ।

से भिक्खू वा० जाव पांवट्ठे समाणे से जाओ पुण ओ-
सहीओ जाणिज्जा-अकसिणाओ असासियाओ विदलकडाओ
तिरिच्छच्छिन्नाओ वुच्छिन्नाओ तरुणियं वा छिवाडिं अभिककंतं
भज्जियं पेहाए फासुयं एसणिज्जंति मन्नमाणे लाभेसंते पडिगा-
हिज्जा । २।

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा गृहपतिः यावत् प्रविष्टः सन् स याः- पुनः
श्रौषधीः जानीयात् कृत्स्नाः स्वाश्रयाः अद्विदलकृताः अतिरश्चीनच्छिन्नाः
अव्यवच्छिन्नाः तरुणी वा फलिं(छिवाडिं) अनभिक्रान्ताम्, अभग्नान् प्रेक्ष्य अप्रासु-
कामनेपणीयामिति मन्यमानः लाभे सति न प्रतिगृहणीयात् । स भिक्षुर्वा०
यावत् प्रविष्टः सन् स याः पुनः श्रौषधीः जानीयात् अकृत्स्नाः अस्वाश्रयाः
द्विदलकृताः, तिरश्चीनच्छिन्नाः व्यवच्छिन्नाः तरुणिकां फलिम्, अक्रान्तां
भग्ना प्रेक्ष्य प्रासुकामेपणीयामिति मन्यमानः लाभे सति गृहणीयात् ।

पदार्थ— से— वह । भिक्खू — साधु । वा — अथवा । भिक्खुणी वा — साध्वी ।
गाहावइं—गृहपति के कुल मे । जाव—यावत् । पविट्ठे समाणे—प्रविष्ट हुआ । से—वह ।
जाओ—जो । पुण—फिर । ओसहीओ—श्रौषधि को । जाणिज्जा—जाने । कसिणाओ—सचित्त ।
सासियाओ—अविनष्ट योनि—जिसका मूल नष्ट नहीं हुआ । अविदलकडाओ—जिसके दो
भाग नहीं हुए हैं । अतिरिच्छच्छिन्नाओ—जिसका तिर्यक्-तिरछा छेदन नहीं हुआ है । अवुच्छि-
न्नाओ—जो जीव रहित नहीं हुई है । वा—अथवा । तरुणियं—तृण । छिवाडिं—अपक्व-
फली—जिसकी फलिया पकी हुई नहीं हैं, ऐसी मुद्गादि की फली । अणभिककंतमभज्जियं—
जो सजीव या अभ्रन-अमदित है । ऐसी श्रौषधि को । पेहाए—देखकर यह । अफासुयं—
अप्रासुक-सचित्त । अणोसणिज्जंति—तथा अनेपणीय-सदोष है इस प्रकार । मन्नमाणे—
मानता हुआ साधु । लाभे सन्ते—मिलने पर भी । नो पडिगाहिज्जा—उसे ग्रहण न करे ।

से—वह। भिक्षु वा—साधु या साध्वी। जाव—यावत्। पविष्टे समाणे—गृहस्थ के कुल में जाने पर। से—वह-भिक्षु। जाओ—जो। पुण—फिर। ओसहीओ—श्रीपथी को। जाणिज्जा—जाने कि यह श्रीपथि। अकसिणाओ—अचिन्त है। असासियाओ—विनष्ट योनि है। विद्वलकडाओ—इसके दो दल विभाग किए गए हैं। तिरिच्छच्छिन्नाओ—इसका तिर्यक् छेदन हुआ है अर्थात् सूक्ष्म खण्ड किए गए हैं। वुच्छिन्नाओ—यह अचित्त जीव से रहित है। तरुणिय छिवाडि—यह तरुण फली। अभिक्कत—जीव रहित तथा। मज्जियं—मदित एवं अग्नि द्वारा भुनी हुई है ऐसा। पेहाए—देखकर यह। फासुयं—प्रासुक-अचित्त तथा। एसणिज्जति—एषणीय निर्दोष है इस प्रकार। नन्नमाणे—मानता हुआ साधु। लाभे सते—मिलने पर। पडिग्गाहिज्जा—उसे ग्रहण—स्वीकार कर लेवे।

मूलार्थ—गृहस्थ के घर में गया हुआ साधु व साध्वी श्रीपथि के विषय में यह जाने कि इन श्रीपथियों में जो सचित्त है, अविनष्ट योनि है, जिनके दो या दो से अधिक भाग नहीं हुए हैं, जो जीव रहित नहीं हुई है ऐसी अपक्व फली आदि को देखकर उसे अप्रासुक एवं अनेषणीय मानता हुआ साधु उसके मिलने पर भी उसे ग्रहण न करे।

परन्तु श्रीपथि निमित्त गृहस्थ के घर में पविष्ट हुआ साधु या साध्वी श्रीपथि के सबंध में यह जाने कि यह सर्वथा अचित्त है, विनष्ट योनि वाली है। द्विदल अर्थात् इसके दो भाग हो गये हैं, इसके सूक्ष्म खण्ड किये गए हैं, यह जीवजन्तु से रहित है, तथा मदित एवं अग्नि द्वारा परिपक्व की गई है, इस प्रकार की प्रासुक-अचित्त एवं एषणीय निर्दोष श्रीपथि गृहस्थ के घर से प्राप्त होने पर साधु उसे ग्रहण करले।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में श्रीपथि के सम्बन्ध में विधि-निषेध का वर्णन किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि विधि एवं निषेध दोनों सापेक्ष हैं। विधि से निषेध एवं निषेध से विधि का परिचय मिलता है। जैसे साधु को सचित्त एवं अनेषणीय पदार्थ नहीं लेना, यह निषेध सूत्र है, परन्तु इससे स्पष्ट धनित होता है कि साधु अचित्त एवं निर्दोष आहार ग्रहण कर सकता है। इस तरह विधि एवं निषेध एक दूसरे के परिचायक हैं।

यह हम देख चुके हैं कि साधु पूर्ण अहिंसक है। अतः वह ऐसा पदार्थ ग्रहण

नहीं करता जिससे किसी प्राणी की हिंसा होती हो। इसलिए यह बताया गया है कि गृहस्थ के घर में औषधि आदि के लिए प्रविष्ट हुए साधु को यह जान लेना चाहिए कि वह औषध सचित्त-सजीव तो नहीं है? जैसे कोई फल या वहेड़ा आदि है, जब तक उस पर शस्त्र का प्रयोग न हुआ हो तब तक वह सचित्त रहता है। उसके दो टुकड़े होने पर वह सचित्त नहीं रहता। परन्तु कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जो दो दल होने के बाद भी सचित्त रह सकते हैं। कुछ पदार्थ अग्नि पर पड़ने या उममें दूसरे पदार्थ का स्पर्श होने पर अचित्त होते हैं। इस तरह साधु साध्वी को सब से पहले सचित्त एवं अचित्त पदार्थों का परिज्ञान होना चाहिए। और यदि उन्हें दी जाने वाली औषध सचित्त प्रतीत होती हो तो वे उसे ग्रहण न करे और वह सजीव न हो तथा पूर्णतया निर्दोष हो तो साधु साध्वी उसे ग्रहण कर सकते हैं।

प्रस्तुत सूत्र में 'कृत्स्न' आदि जो पांच पद दिये गये हैं, इनसे वनस्पति की सजीवता सिद्ध की है। उन (योनियों) में भी जीव रहते हैं एवं उनके प्रदेशों में भी जीव रहते हैं। जैसे चना आदि जो अन्न है उनके जब तक बराबर दो विभाग न हों तब तक उसमें जीवों के प्रदेश रहने की संभावना है। प्रश्न हो सकता है कि जब प्रथम सूत्र में सचित्त पदार्थ ग्रहण करने का निषेध कर दिया तो फिर प्रस्तुत सूत्र में सचित्त औषध एवं फलों के निषेध का क्यों वर्णन किया? इसका कारण यह कि जैनेतर साधु वनस्पति में जीव नहीं मानते और वे सचित्त औषध एवं फलों का प्रयोग करते रहे हैं और आज भी करते हैं। इसलिये पूर्ण अहिंसक साधु के लिये यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वह सचित्त औषध एवं फलों को ग्रहण नहीं करे।

अब सूत्रकार आहार की ग्राह्यता एवं अग्राह्यता का उल्लेख करते हुए कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा० जाव समाणे से जं पुण जाणि-
ज्जा पिहुयं वा बहुरयं वा भुंजियं वा मंथुं वा चाउलं वा चाउल-
पलंवं वा सइं संभज्जियं अफासुयं जाव नो पडिग्गाहिज्जा ।
से भिक्षू वा जावसमाणे से जं पुण जाणिज्जा-पिहुयं वा जाव
चाउलपलंवं वा असइं भज्जियं दुक्खुत्तो वा तिक्खुत्तो वा भज्जियं
फासुयं एसणिज्जं जाव पडिग्गाहिज्जा ॥३॥

छाया—स भिक्षुर्वा० यावत् सन् स यत् पुनः जानीयात् पृथुर्कं वा बहुरजः वा भर्जितं वा मन्थु वा चाउला वा तन्दुलां चाउलप्रलम्बं सकृत् सभर्जितं अग्रासुकं यावद् न गृणीयात् ।

स भिक्षुर्वा० यावत् प्रविष्टः सन् स यत् पुनः जानीयात् पृथुकं यावत् चाउल-प्रलम्बं वा असकृत् भर्जितं द्विकृत्वः वा त्रिकृत्वः वा भर्जितं प्रासुकं एषणीयं यावत् प्रतिगृणीयात् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षु—साधु । वा—अथवा साध्वी । जाव समाने—यावत् गृहस्थ के घर में प्रविष्ट हुआ । से—वह—भिक्षु । ज—जो । पुण—फिर । जाणिज्जा—जाने—अ हार विषयक ज्ञान प्राप्त करे यथा— । पिह्य वा—शाली यव गोधूमादि अथवा । बहुरज वा—जिसमें सचित रज बहुत है । भुजिय वा—अग्नि द्वारा अर्ध पक्व अथवा । मथु वा—गोधूमादि का चूर्ण । चाउलं वा—अथवा चावल । चाउललंब वा—अथवा धान्यादि का चूर्ण । सइ—एक बार । संभर्जिय—संभर्जित अग्नि से भूना हुआ । अफामुय—अप्रासुक—सचित । जाव—यावत् । तो पडिगाहिज्जा—ग्रहण न करे । से भिक्षू वा—गृहस्थ के घर में प्रविष्ट । वह साधु अथवा साध्वी । जावसमाने—यावत् भिक्षार्थ जाने पर । से—वह भिक्षु । ज—जो । पुण—फिर । जाणिज्जा—जाने । पिह्य वा—शाली यव गोधूमादि अथवा । जाव—यावत् । चाउलपलंब वा—धान्यादि का चूर्ण । असइ—अनेकवार । भर्जिय—भूना हुआ । दुक्खत्तो वा—दो बार अथवा । त्तिक्खत्तो वा—तीन बार । भर्जिय—भूना हुआ है । फामुय—प्रासुक । एषणिज्ज—एषणीय-निर्दोष । जाव—यावत् । पडिगाहिज्जा—ग्रहण करे ।

मूलार्थ—साधु अथवा साध्वी भिक्षार्थ गृहस्थ के घर में प्रविष्ट होने पर शाली आदि धान्यो, तुषबहुल धान्यो और अग्नि द्वारा अर्धपक्व धान्यो, तथा मथु चूर्ण एव कण सहित एकबार भुने हुए अप्रासुक यावत् अनेषणीय पदार्थों को ग्रहण न करे । तथा वह साधु या साध्वी गृहस्थ के घर में भिक्षार्थ उपस्थित होने पर शाली आदि धान्य या उसका चूर्ण, जो कि दो तीन बार या अनेक बार अग्नि से पका लिया गया है । ऐसा और एषणीय निर्दोष पदार्थ उपलब्ध होने पर साधु उसे स्वीकार कर ले ।

हिन्दी विवेचन

श्रुत सूत्र में भी यह बताया गया है कि साधु-साध्वी चावल (शाली-धान)

आदि अनाज एवं उनका चूर्ण जो अपक्व या अर्धपक्व हो, नहीं लेना चाहिए। क्योंकि शाली-धान (चावल), गेहूं, बाजरा आदि सजीव होते हैं, अतः इन्हें अपक्व एवं अर्धपक्व अवस्था में साधु को नहीं लेना चाहिए। जैसे— लोग मकई के भुट्टे एवं चने के होले आग में भूनकर खाते हैं, उनमें कुछ भाग पक जाता है और कुछ भाग नहीं पकता। इस तरह जो दाने अच्छी तरह से पके हुए नहीं हैं वे पूर्णतया अचित्त नहीं हो पाते। उनमें सचित्तता की संभावना रहती है। इसलिए साधु को ऐसी अपक्व एवं अर्धपक्व वस्तुएं नहीं लेनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि साधु को सचित्त एवं अनेपणीय पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जो पदार्थ अच्छी तरह पक गए हैं, अचित्त हो गए हैं, उन्हें साधु ग्रहण कर सकता है। शाली-चावल की तरह अन्य सभी तरह के अन्न एवं अन्य फलों के समन्वय में भी समझना चाहिए कि साधु उन सब वस्तुओं को ग्रहण कर सकता है जो सचित्त एवं अनेपणीय हैं और अचित्त एवं एषणीय पदार्थ को यथा शक्य ग्रहण कर सकता है।

यह तो स्पष्ट है कि साधु को आहार आदि ग्रहण करने के लिए गृहस्थ के घर में जाना पड़ता है। क्योंकि जिस स्थान पर साधु ठहरा हुआ है, उस स्थान पर यदि कोई व्यक्ति आहार आदि लाकर दे तो साधु उसे ग्रहण नहीं करता। क्योंकि वहां पर वह पदार्थ की निर्दोषता की जांच नहीं कर सकता। इस लिए स्वयं गृहस्थ के घर जाकर एषणीय एवं प्राम्क आहार आदि पदार्थ ग्रहण करता है।

अतः यह प्रश्न होना जरूरी है कि साधु को गृहस्थ के घर में किस तरह प्रवेश करना चाहिए। इसका समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गाहावइ कुलं जाव पविसिउ कामे नो अन्नउत्थिएण वा गारत्थिएण वा परिहारिओ वा अप्परिहारिएणं सद्धिं गाहावइ कुलं पिंडवायपडियाए पविसिज्ज वा निक्खमिज्ज वा । से भिक्खू वा० वहिया वियार-भूमिं वा विहार भूमिं वा निक्खममाणे वा पविसमाणे वा नो अन्नउत्थिएण वा गारत्थिएण वा परिहारिओ वा अप्परिहारिएण सद्धिं वहिया वियार भूमिं वा विहार भूमिं वा निक्खमिज्ज वा

पविसिज्ज वा । से भिक्खू वा गामाणुगामं दूइज्जमाणे नो अन्न-
उत्थिएण वा जाव गामाणुगामं दूइज्जिज्जा ॥४॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा गृहपति-कुलं यावत् प्रवेष्टु कामः न
अन्ययूथिकेन वा गृहस्थेन वा परिहारिको वा अपरिहारिकेण वा सोद्धं गृहपति-
कुलं पिडपातप्रतिज्ञया प्रविशेद् वा निष्क्रामेद् वा । स भिक्षुर्वा० बहिः
विचार-भूमिं वा विहार-भूमिं वा निष्क्रममाणो वा प्रविशमाणो वा न अन्य-
यूथिकेन वा गृहस्थेन वा परिहारिको वा अपरिहारिकेण साद्धं बहिः विचार-
भूमिं वा विहार भूमिं वा निष्क्रामेद् वा प्रविशेद् वा । स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा
ग्रामानुग्रामं गच्छन् न अन्ययूथिकेन वा यावद् ग्रामानुग्रामं गच्छेत् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू वा—साधु या साध्वी । गाहावइ-कुलं—गृहपति के कुल मे ।
जाव—यावत् । पविसिज्जकामे—प्रवेश करने की इच्छा रखता हुआ । परिहारिओ वा—दोष
दूर करने वाला उत्तम साधु । अन्नउत्थिएण वा—अन्यतीर्थी और । गारत्थिएण वा—गृहस्थी
के तथा । अपपरिहारिएण—पार्श्वस्थादि साधु के । सद्धिं—साथ । पिडवायपिडियाए—आहार
लाभ की आशा से । गाहावइ-कुल—गृहस्थी के घर मे । नो—नही । पविसिज्ज—प्रवेश करे
या । निक्खमिज्ज वा—पहले प्रविष्ट हुआ के साथ निकले भी नहीं । से भिक्खू वा—वह साधु
साध्वी । बहिया—बाहर । विचारभूमिं वा—स्थंडिल भूमि में अथवा । विहारभूमिं वा—स्वाध्याय
भूमि मे । निक्खममाणे वा—जाता हुआ । पविसमाणे वा—या प्रवेश करता हुआ । अन्नउत्थिएण
वा—अन्यतीर्थी—अन्य मतावलम्बी और । गारत्थिएण वा—गृहस्थी के साथ, अथवा । परि-
हारिओ वा—दोष दूर करने वाला उत्तम साधु । अपपरिहारिएण वा—पार्श्वस्थादि साधु के ।
सद्धिं—साथ । बहिया—बाहर । विचार-भूमिं वा—स्थंडिल भूमि में अथवा । विहार-भूमिं वा—
स्वाध्याय भूमि मे । निक्खमिज्ज—जावे अथवा । नो पविसिज्ज वा—प्रवेश न करे । से भिक्खू-
वा—वह भिक्षु वा भिक्षुकी । गामानुगामं—ग्रामानुग्राम मे । दूइज्जमाणे—जाते हुए ।
अन्नउत्थिएण वा—अन्यतीर्थी के साथ । जाव—यावत् । गामाणुगामं—ग्रामानुग्राम मे । नो
दूइज्जिज्जा—न जाए ।

मूलार्थ—गृहस्थी के घर मे भिक्षा के निमित्त प्रवेश करने की इच्छा
रखने वाला साधु या साध्वी अन्यतीर्थी या गृहस्थ के साथ भिक्षा के लिये
प्रवेश न करे, तथा दाप को दूर करने वाला उत्तम साधु पार्श्वस्थादि साधु

के साथ भी प्रवेश न करे, और यदि कोई पहले प्रवेश किया हुआ हो तो उसके साथ न निकले ।

वह साधु या साध्वी वाहर स्थंडिल भूमि (मलोत्सर्ग का स्थान) में या स्वाध्याय भूमि में जाता हुआ या प्रवेश करना हुआ किसी अन्य-तार्थी या गृहस्थी अथवा पाठर्वस्थादि साधु के साथ न जावे, न प्रवेश करे ।

वह साधु वा साध्वी एक ग्राम से दूसरे ग्राम में जाते हुए अन्यतार्थी यावत् गृहस्थ और पाठर्वस्थादि के साथ न जावे, गमन न करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तन मंत्र में साधु के लिए बताया गया है कि वह गृहस्थ, अन्य मत के साधु मंत्रानियों एवं पाठर्वस्थ साधुओं के साथ गृहस्थ के घर में, स्वाध्याय भूमि में प्रवेश न करे और उनके साथ शौच के लिए भी न जाए और न उनके साथ विहार करे । क्योंकि ऐसा करने से साधु के समय में अनेक दोष लग सकते हैं ।

साधु के लिए धनवान एवं सामान्य स्थिति के सभी घर बराबर हैं । वह बिना किसी भेद के अमीर गरीब सबके घरों में भिक्षा के लिए जाता है और एषणीय एवं शुद्ध आहार ग्रहण करता है । वह किसी भी गृहस्थ को आहार देने के लिए विवश नहीं करता और न जगद्वती से आहार ग्रहण करता है । ऐसी स्थिति में कभी वह सामान्य घर में गृहस्थ के साथ प्रवेश करे और उस गृहस्थ की साधु को आहार देने की स्थिति न हो या इच्छा न हो, परन्तु उस साथ के गृहस्थ की लज्जा या दबाव के कारण वह साधु को आहार देवे तो उससे साधु के समय में दोष लगता है अतः साधु को गृहस्थ के साथ किसी के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए ।

अप्रासुक एवं अनेषणीय आहार ग्रहण नहीं करता है तो उक्त स्थिति पैदा हो सकती है और उसे ग्रहण करता है तो उसके संयम में दोष लगता है। इसके अतिरिक्त साधु को एक साथ भिक्षा के लिए आया हुआ मान कर गृहस्थ पर भी बोझ पड़ सकता है और कभी किसी को न देने की इच्छा रखते हुए भी लज्जावश उसे देना पड़ता है, परन्तु अन्दर में बोझ सा अनुभव कर सकता है। इन सब दोषों से बचने के लिए मुनि को गृहस्थ, पार्श्वस्थ साधु एवं अन्य मत के सन्यासियों के साथ किसी भी गृहस्थ के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए।

शौच के लिए जाते समय उपरोक्त व्यक्तियों का साथ करने में भी संयम में अनेक दोष लगते हैं। प्रथम तो उनके पास अप्रासुक (सचिन्त) पानी होगा। अतः उनसे वत्त-वीत करने में उन पानी के जीवों की विराधना होगी। दूसरे साधु को रास्ते चलते हुए बोलना नहीं चाहिए। यदि वह बातें करता चलता है तो वह मार्ग को भली भाँति नहीं देख सकता। और यदि उन से बातें नहीं करता है तो वे नाराज भी हो सकते हैं और अन्त-सन्त शब्द भी बोल सकते हैं। तीसरे यदि उनके आगे-आगे चले तो उन्हें अपना अपमान महसूस हो सकता है और उनके पीछे चलने से जैन धर्म की लघुता होती है और बराबर चलने पर सचित्त पानी का स्पर्श होने की संभावना है। चौथे में वह शौच के लिए निर्दोष भूमि नहीं देख सकता। उनके सामने भी नहीं बैठ सकता। इसलिए कभी उसे बहुत दूर जाने पर भी योग्य स्थान न मिलने पर जैसे-तैसे स्थान पर शौच बैठना पड़ता है। अतः गृहस्थ आदि के साथ शौच जाने से अनेक दोष लगते हैं। इस कारण साधु को उनके साथ शौच को नहीं जाना चाहिए।

स्वाध्याय भूमि में भी उनके साथ प्रवेश करने में साचित्त जल के अतिरिक्त अन्य सभी दोष लगते हैं। इसके अतिरिक्त उनसे बातें करते रहने के कारण स्वाध्याय में विघ्न पड़ता है। इसलिए साधु को स्वाध्याय के लिए भी गृहस्थ आदि के साथ नहीं जाना चाहिए।

विहार के समय उनके साथ जाने से वह बातों में उलझा रहने के कारण अच्छी तरह से मार्ग नहीं देख सकेगा। तथा बातों में समय बहुत लग जाने के कारण समय पर पहुंच नहीं सकेगा। तथा यथासमय आवश्यक क्रियाएं भी नहीं कर सकेगा। कभी पेशाब आदि की बाधा होने पर वह संकोच बश कर नहीं सकेगा और उसे रोकने से अनेक बीमारियों का शिकार हो जाएगा। और पेशाब करना चाहे तो उनके सामने तो कर नहीं सकता, इसलिए उसे एकान्त एवं निर्दोष स्थान ढूँढने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा या फिर सदोष स्थान में ही मल त्याग करना होगा।

इस तरह आहार, शौच, स्वाध्याय एवं विहार में गृहस्थ आदि के साथ जाने से

सयम में अनेक दोष लगते हैं और अन्य मत के भिक्षुओं के अधिक परिचय से साधु की श्रद्धा एवं संयम में शिथिलता एवं विपरीतता भी आ सकती है तथा उनके घनिष्ठ परिचय के कारण श्रावकों के मन में संन्देह भी पैदा हो सकता है। इन्हीं सब कारणों से साधु को उनके साथ घनिष्ठ परिचय करने एवं भिक्षा आदि के लिए उनके साथ जाने का निषेध किया गया है, न कि किसी द्वेष भाव से। अतः साधु को अपने संयम का निर्दोष पालन करने के लिए स्वतन्त्र रूप से गृहस्थ आदि के घर में प्रवेश करना चाहिए।

इनके साथ आहार आदि का लेन-देन करने से भी संयम में अनेक दोष लग सकते हैं, अतः उनके साथ आहार-पानी के लेन-देन का निषेध करते हुए सूत्रकार कहते हैं —

मूलम्—से भिक्षू वा भिक्षुणी वा० जाव पविट्ठे समाणे
नो अन्नउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा परिहारिओ वा अपरि-
हारियस्स असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा दिज्जा
वा अणुपइज्जा वा ॥५॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा० यावत् प्रविष्टः सन् न अन्यतीर्थिकाय
वा गृहस्थाय वा पारिहारिको वा अपरिहारिकाय अशन वा पान वा खादिमं वा
स्वादिमं वा दद्याद् वा अनुप्रदापयेद् वा ।

पदार्थ—से—वह। भिक्षू वा—साधु या। भिक्षुणी वा—साध्वी। जाव—यावत्।
गृहस्थ के घर में। पविट्ठे समाणे—प्रवेश करते हुए। अन्नउत्थियस्सवा—अन्यतीर्थी के
लिए अथवा। गारत्थियस्स—गृहस्थी के लिए। परिहारिओ—दोष दूर करने वाला उत्तम साधु।
अपरिहारियस्स—पार्श्वस्थादि साधु के लिए। असणं वा—अन्न अथवा। पाणं वा—पानी।
खाइमं वा—या खादिम पदार्थ अथवा। साइमं वा—स्वादिम वस्तु। नो दिज्जावा—न देवे
या। अणुपइज्जावा—न दिलावे।

मूलार्थ—गृहस्थ के घर में प्रविष्ट हुआ साधु या साध्वी, अन्यतीर्थी पर-
पिडोपजीवी गृहस्थ-याचक और पार्श्वस्थ-शिथिलाचारी साधु को, निर्दोष
भिक्षा ग्रहण करने वाला श्रेष्ठ साधु अन्न, जल, खादिम और स्वादिम

रूप पदार्थों को न तो स्वयं देवे और न किसी से दिलावे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को पार्श्वस्थ—शिथिलाचारी एवं अन्य मत के साधुओं को आहार-पानी नहीं देना चाहिए । इससे संयम में अनेक दोष लगने की संभावना है । उनके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहने के कारण श्रद्धा में शिथिलता एवं विपरीतता आ सकती है । लोगों के मन में यह भी बात घर कर सकती है कि ये अन्य मत के साधु अधिक प्रतिष्ठित एवं श्रेष्ठ हैं, तभी तो ये मुनि भी इनका आहार पानी से सम्मान करते हैं । इससे वे श्रावक (गृहस्थ) उनका सम्मान करने जलमंगे और फलस्वरूप मिथ्यात्व की अभिवृद्धि होगी । इसके अतिरिक्त अन्य मत के साधुओं को आहार देने से सबसे बड़ा दोष गृहस्थ की चोरी का लोभ है । क्योंकि गृहस्थ के घर से वह साधु अपने एवं अपने साथियों (सङ्घर्मी एवं संभोगी मुनियों) के लिए आहार लाया है । ऐसी स्थिति में वह अन्य मत के भिक्षुओं को आहार देना है, तो उसे गृहस्थ की चोरी लगती है । गृहस्थ को मालूम होने पर साधु पर अविश्वास भी हो सकता है कि यह तो हमारे यहाँ से भिक्षा लेजाकर बाटता फिरता है । इस तरह के और भी अनेक दोष लगने की संभावना है । इस लिए मुनि को अपने संभोगी साधु के अतिरिक्त अन्यमत के साधुओं को आहार आदि नहीं देना चाहिए । यह प्रतिबन्ध संयम सुरक्षा की दृष्टि से है, न कि दया एवं स्नेहभाव को रोकने के लिए ।

साधु को सदा एषणीय आहार ग्रहण करना चाहिए । अनेपणीय आहार की अग्रगण्यता के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिषखू वा जाव समाणे असण वा ४ अस्सं-
पडियाए एणं साहग्मियं समुद्दिस्स पाणाइं भूपाइं जीवाइं सत्ताइं
समारब्भ समुद्दिस्स कीयं पामिच्चं आच्छिज्जं अणिसट्ठं
अभिहडं आहट्टु वेएइ, तं तहप्पगारं असणं वा ४ पुरि-
संतरकडं वा अपुरिसंतरकडं वा वहिया नीहडं वा अनीहडं
वा अत्तट्ठियं अणत्तट्ठियं वा परिभुत्तंवा अपरिभुत्तं वा
आमेवियं वा अणासेवियं वा अफासुयं जाव नो पडिग्गा-

हिज्जा, एवं बहवे साहम्मिया एगं साहम्मिणिं बहवे साहम्मिणी-
त्रो समुद्दिस्स चत्तारि आलावगा भाणियव्वा ॥६॥

छाया—स भिक्षुर्वा। यावत् सन् अशनं वा ४ अस्य प्रतिज्ञया एकं
साधर्मिकं समुद्दिश्य प्राणिनः भूतानि, जीवान् सत्त्वान् समारभ्य समुद्दिश्य
ब्रीत [पामिच्चं] प्राणित्य आच्छेद्यं अनिसृष्ट अभ्याहृतं आहृत्य ददति, तत्
तथा प्रकार अशनं वा ४ पुरुषान्तकृतं वा अनुरुवांतरकृतं वा वहिनिर्गतं
वा अनिर्गतं वा आत्मार्थिकं वा अनात्मार्थिकं वा परिभुक्तं वा अपरिभुक्तं
वा आसेवितं वा अनासेवितं वा अप्रासुकं यावत् नो प्रतिगृहणीयात् एव बहून्
साधर्मिकान् एकां साधर्मिकीं बह्वी साधर्मिकीः समुद्दिश्य चत्वारः आलावकाः
भाणितव्याः ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षु वा—साधु या साध्वी । जाव—यावत् । समाणे—घर
में प्रवेश करता हुआ । अशनं वा ४—अशनादि । अस्सिंपडिदाए—साधु की प्रतिज्ञा से ।
एगं—एक । साहम्मियं—साधर्मिक को । समुद्दिस्स—उद्देश्य करके । पाणाइं—प्राणि ।
भूयाइं—भूत । जीवाइं—जीव और । सत्ताइ—सत्त्वों का । समारब्ब—समारम्भ करके ।
समुद्दिस्स—उद्देश्य करके—(इस सूत्र से सर्व अविशुद्ध कोटि गृहण की गई है) तथा । कीय—
साधु के निमित्त मोल लेकर । पामिच्च—साधु के निमित्त उधार लेकर । अच्छिज्ज—साधु
के निमित्त दुमरे से छीनकर । यणिसत्ठ—साधु की वस्तु की दूसरे साथी की विना आज्ञा
लेकर या । अभिहंडं—गृहस्थ के लिए । आहुइं कोई चीज देना है । त—वह ।
तहप्पवारं—तथा प्रकार—इस प्रकार का । अशनं वा ४—अशनादिक चतुविध आहार ।
पुरिसत्तर कडं वा—पुरुषान्तर कुन—दाता से भिन्न पुरुष का किया हुआ । अनुरिसत्तर कड
वा—अथवा दाता का किया हुआ । वहिया—घर से बाहर । नीहड वा—निकाला हुआ
अथवा । अनीहड वा—न निकाला हुआ । अत्तद्वियं वा—दाता ने स्वीकार किया हुआ ।
यणिसद्विय वा—दाता ने अपना स्वीकार न किया हुआ । परिभुत्तं वा—दाता ने उन आहार में
ने कुछ भोग लिया । अपरिभुत्तं वा—अथवा नहीं भोगा । आत्तेविय वा—उन आहार में से
कुछ पान्शदन किया । अणामेविय वा—अथवा न्वादन नहीं किया है, ऐसा । अफासुयं वा—
अप्रासुक । जाव—यावत् अनेपणीय आहार मिलने पर भी । नो पटिमाहिज्जा—गृहण न करे ।
एवं—इसी प्रकार । बहवे—बहुन से । साहम्मिया—सधर्मियों को उद्देश्य रखकर नैवार

किया हुआ आहार । एग साहम्मिणि—एक साध्वी को । वहवे—वहुत सी । साहम्मिणिग्रो—साध्वियों को । समुद्दिस्स—उद्देश्य रख कर आहार बनाया गया हो तो वह भी स्वीकार करना नहीं कल्पता । चत्तारि—चार । आलावगा—आलापक सूत्र । भाणियव्वा—रहने चाहिये ।

मूलार्थ—गृहस्थ के घर में प्रविष्ट साधु-साध्वी इस बात की गवेषणा करे कि किसी भद्र गृहस्थ ने एक साधु का उद्देश्य रखकर प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वो का आरम्भ करके आहार बनाया हो, तथा साधु के निमित्त मोल लिया हो, उधार लिया हो, किसी निर्बल से छीनकर लिया हो, एव साधारण वस्तु दूसरे की आज्ञा के बिना दे रहा हो, और साधु के स्थान पर घर से लाकर दे रहा हो, इस प्रकार का आहार लाकर देता हो तो इस प्रकार का अन्न जल, खादिम और स्वादिम आदि पदार्थ, पुरुषान्तर-दाता से भिन्न पुरुषकृत, अथवा दाता कृत हो, घर से बाहर निकाला गया हो या न निकाला गया हो, दूसरे ने स्वीकार किया हो अथवा न किया हो, आत्मार्थ किया गया हो, या दूसरे के निमित्त किया गया हो, उसमें से खाया गया हो अथवा न खाया गया हो, थोड़ा सा आस्वादन किया हो या न किया हो, इस प्रकार का अप्रासुक अनेपणीय आहार मिलने पर भी साधु ग्रहण न करे । इसी प्रकार बहुत से साधुओं के लिए बनाया गया हो, एक साध्वी के निमित्त बनाया गया हो अथवा बहुत से साध्वियों के निमित्त बनाया गया हो वह भी ग्राह्य अर्थात् स्वीकार करने योग्य नहीं है । इसी भाँति चारों आलापक जानने चाहिए ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में सदोप आहार के भी दो विभाग किए गए हैं—विशुद्ध कोटि और अविशुद्ध कोटि । साधु के निमित्त जीवों की हिंसा करके बनाया गया आहार आदि अविशुद्ध कोटि कहलाता है और प्रत्यक्ष में किसी जीव की हिंसा न करके साधु के लिए खरीद कर लाया हुआ आहार आदि विशुद्ध कोटि कहलाता है । किसी व्यक्ति से उधार लेकर, छीनकर या जिस व्यक्ति की वस्तु है उसकी विना आज्ञा से या किसी के घर से लाकर दिया गया हो वह भी विशुद्ध कोटि कहलाता है । इसे विशुद्ध कहने का

तात्पर्य यह है कि इस आहार आदि को तैयार करने में साधु के निमित्त हिंसा नहीं करनी पड़ी। क्योंकि वह बेचने एवं अपने खाने के लिए ही बनाया गया था। फिर भी दोनों तरह का आहार साधु के लिए अग्राह्य है।

पहले प्रकार के आहार की अग्राह्यता स्पष्ट है कि उसमें साधु को उद्देश्य करके हिंसा की जाती है। दूसरे प्रकार के आहार में प्रत्यक्ष हिंसा तो नहीं होती है, परन्तु साधु के लिए पैसे का खर्च होता है और पैसा आरम्भ से पैदा होता है। और जो पदार्थ उधार लिए जाते हैं उन्हें वापिस लौटाना होता है और वापिस लौटाने के लिये आरम्भ करके ही उन्हें बनाया जाता है। किसी कमजोर व्यक्ति से छीनकर देने से उस व्यक्ति पर साधु के लिये दल प्रयोग किया जाता है और इससे उसका मन अवश्य ही दुःखित होना है और किसी व्यक्ति को कष्ट देना भी हिंसा का ही एक रूप है। किसी व्यक्ति के अधिकार की वस्तु को उसे बिना पूछे देने से उसे मालूम पड़ने पर दोनों में संघर्ष हो सकता है। इन सब दृष्टियों से इस तरह दिए जाने वाले पदार्थों में प्रत्यक्ष हिंसा परिलक्षित नहीं होने पर भी वे हिंसा के कारण बन सकते हैं, इसलिए साधु को दोनों तरह का आहार सदाशय समझकर त्याग देना चाहिए।

विशुद्ध एवं अविशुद्ध कोटि में इतना अन्तर अवश्य है कि विशुद्ध कोटि पदार्थ पुरुषान्तर कृत होने पर साधु के लिए ग्राह्य माने गए हैं। जैसे साधु के उद्देश्य से खरीद कर लाया गया वस्त्र किसी व्यक्ति ने अपने उपयोग में ले लिया है और इसी प्रकार साधु के निमित्त खरीदा गया मकान गृ स्थों के अपने काम में आ गया है तो फिर वह साधु के लिए अग्राह्य नहीं रहता। परन्तु, अविशुद्ध कोटि—आधाकर्मी, औद्देशिक आदि दोष युक्त पदार्थ पुरुषान्तरकृत हो या अपुरुषान्तरकृत हो किसी भी तरह से साधु के लिए ग्राह्य नहीं है। एक या बहुत से साधु-साधियों के लिए बनाया गया आहार आदि एक या बहुत से धुसा-साधियों के लिए ग्राह्य नहीं है।

प्रस्तुत सूत्र में 'पुरिसंतरकड वा अपुरिसंतरकड' पाठ आया है। इसका तात्पर्य यह है—दाता के अतिरिक्त व्यक्ति द्वारा उपभोग किया हुआ पदार्थ पुरुषान्तरकृत कहलाता है और दाता द्वारा उपभोग में लिया गया पदार्थ अपुरुषान्तरकृत कहा जाता है।

ॐ यह नियम पहले और अन्तिम तीर्थंकर भगवान के शासन में होने वाले साधु-साधियों के लिए है। अवशेष २२ तीर्थंकरों के साधु-साधियों के लिए यह प्रतिबन्ध नहीं है। उनके लिए इतना ही विधान है कि जिन साधु-साधियों के निमित्त आहार आदि तैयार किया गया हो वह साधु-साधियों से ग्रहण न करे। वृत्तिकार का भी यही अभिमत है।

सदोष आहार के निषेध का वर्णन पहले अहिसा महाव्रत की सुरक्षा की दृष्टि में किया गया है । और इससे यह भी स्पष्ट होना है कि शुद्ध आहार जीवन को शुद्ध, सारिरिक एवं उज्ज्वल बनाता है । इसके पहले क मूत्रां भ हम् देख चुके हैं कि सावक की साधना चिन्तन-मनन के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्षीकरण करके उसे निष्कर्म बनाने के लिए है । इसके लिए साध्याय एवं ध्यान आवश्यक है और इनकी साधना के लिये मन का एकाग्र होना जरूरी है और वह शुद्ध आहार के द्वारा ही हो सकता है । क्योंकि मन पर आहार का असर होता है । यह लोक कदाचन भी प्रसिद्ध है कि 'जैसा खावे अन्न वैसो रहे मन ।' इससे स्पष्ट होता है कि आहार का मन के साथ वनिष्ठ सम्बन्ध रहा हुआ है । अशुद्ध, तामसिक एवं सदोष आहार मन को विकृत बनाए बिना नहीं रहता । इसलिए आगमों में साधु के लिए स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि वह सदोष एवं अनेषणीय आहार को ग्रहण न करे । उपनिषद् में भी बताया गया है कि आहार की शुद्धि से सत्त्व शुद्ध रहता है और उसकी शुद्धि से स्मृति स्थिर रहती है अर्थात् मन एकाग्र बना रहता है ॥

अशुद्ध आहार स्वीकार न करने के विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं —

मूलम्—से भिक्षू वा जाव समाणे से जं पुण जाणिज्जा
अमणां वा ४ वहवे समणा माहणा अतिहि किवणावणीमए
पगणिय २ समुद्दिस्स पाणाइं वा ४ समारभ्य जाव नो
पडिग्गाहिज्जा ॥७॥

छाया—स भिक्षुर्वा यावत् सन् यत् पुनः जानीयात् अशनं वा ४ वहून् अमणान्
ब्राह्मणान् अतिथान् कृपण वक्षीपकान् प्रगणय्य २ समुद्दिश्य प्राणादीन् वा ४
समारभ्य यावद् न प्रतिगृह्णीयात् ।

पदार्थ—से भिक्षू वा—वह साधु या साध्वी । जाव—यावत् । समाणे—घर में प्रवेश किए हुए । से—वह । ज—जो । पुण—फिर । असण वा—अशनान्तिक को । जाणिज्जा—जाने यथा । वहवे—वहुत से । समणा—शाक्यादि भिक्षु । माहणा—ब्राह्मण ।

॥ आहार शुद्धी सत्त्व शुद्धि, सत्त्व शुद्धी ध्रुवा स्मृतिः ।

— छान्दोग्योपनिषद् ।

अतिहि—अतिथि । किवण—कूपण-दरिद्र । वणीमए—भिखारी इन सब को । पगणिय २—
गिन २ कर । समुद्दिस्स—इनको उद्देश्य कर । पाणाइं वा—प्राणि आदि का । समारम्भ—
आरम्भ कर जो आहार तैयार किया गया हो वह । जाव—यावत् मिलने पर । नोपडिग्गाहिज्जा—
ग्रहण न करे ।

मूलार्थ—गृहस्थ के घर में प्रविष्ट हुआ साधु या साध्वी इस बात का
अन्वेषण करे कि जो आहारदि बहुत से शाक्यादि भिक्षु, ब्राह्मण, भिखारी
आदि को गिन-गिन कर या उनके उद्देश्य से जीवों का आरम्भ-समारम्भ
करके बनाया हो, उसे साधु ग्रहण न करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि किसी गृहस्थ ने शाक्यादि श्रमण, ब्राह्मण,
अतिथि, भिखारी आदि की गणना करके उनके लिए आहार तैयार किया है । जबकि
यह आहार साधु के उद्देश्य से नहीं बनाया गया फिर भी साधु के लिए अपाह्य है । क्योंकि
बौद्ध भिक्षु एवं जैन साधु दोनों के लिए 'श्रमण' शब्द का प्रयोग होता है, अतः संभव
है कि गृहस्थ ने उस आहार के बनाने में उन्हें भी साथ गिन लिया हो । इसके अतिरिक्त
ऐसा आहार ग्रहण करने से लोगों के मन में यह शका भी उत्पन्न हो सकती है कि अन्य
भिक्षुओं की तरह जैन साधु भी अपने लिए बनाए गए आहार को लेते ह । और उक्त
आहार में से ग्रहण करने से—जिन व्यक्तियों के लिए वह आहार बनाया गया है, उनका
अन्तराय भी लगती है तथा उनके लिए बनाए गए आहार को लेने के लिए जैन साधु को
जाते हुए देखकर उनके मन में द्वेष भी जाग सकता है । इसलिए जैन साधु को ऐसा आहार
भी स्वीकार नहीं करना चाहिए ।

अथ विशुद्ध कोटि के अनेपणीय आहार के विषय में सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा भिक्खुणी वा० जाव पविट्ठे
समारो से जं पुण जाणिज्जा-असणां वा ४ वहवे समणा माहणा
अतिहिकिवणावणीमए समुद्दिस्स जाव चेएइ तं तहप्पगारं
असणां वा ४ अपुरिसंतरकडं वा अवाहिया नीहडं अणत्तट्ठियं

अपरिभुक्तं अणासेवियं अफासुयं अणोसणिज्जं जाव नो पडिग्गा-
हिज्जा । अह पुण एव जाणिज्जा पुरिसंतरकडं वहिया नीहडं
अत्तट्ठियं परिभुक्तं आसेवियं फासुयं एसणिज्जं जाव पडिग्गा-
हिज्जा ॥८॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा० यावत् प्रविष्टः सन् स यत् पुनः
जानीयात्-अशनं वा ४ बहून् श्रमणान् ब्राह्मणान् अतिथीन् कृपणवणीमकान्
समुद्दिश्य यावद् ददाति तं तथाप्रकार अशनं वा ४ अपुरुषान्तर कृतं वा अव-
हिर्निर्गतं अनात्मीकृत अपरिभुक्तं अनामेवितं, अप्रासुक अनेपणीयं न
प्रतिगृह्णीयात् । अथ पुनः एवं जानीयात् पुरुषान्तरकृतं वहिर्निर्गतं,
आत्मीकृतं परिभुक्तं आसेवितं प्रासुक एपणीयं यावत् प्रतिगृह्णीयात् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू वा—साधु या । भिक्खुणी वा—साध्वी । जाव—यावत् ।
पविट्ठे समाणे—घर में प्रवेश करने पर । से—वह साधु या साध्वी । जं—जो । पुण—पुनः
जाणिज्जा—जाने । असण वा ४—अशनादिक आहार । बहूवे—बहुत । समणा—शास्त्रादि
भिक्षु । माहणा—ब्राह्मण । अतिहि—अतिथि । किवण—कृपण-दरिद्री । वणीमए—भिखारी ।
समुद्दिस्स—इनको उद्देश्य कर । जाव—यावत् । चेएइ—देता है । तं—उस । तहपणार—
तथा प्रकार के । असण वा ४—अशनादि-अन्नादि चतुर्विध आहार जो कि । अपुरिसतर कडं वा—
पुरुषान्तर कृत नहीं है अथवा । अबहिया नीहडं—जो घर से बाहर नहीं निकाला गया है ।
अणत्तट्ठिय—दाता ने अपना नहीं बनाया है । अपरिभुक्त—और न उसमे से किसी ने खाया
है एव । अणासेवियं—किसी ने आसेवन भी नहीं किया है, ऐसे । अफासुय—अप्रासुक-सचित्त ।
अणोसणिज्जं—अनेपणीय-सदोष आहार को । जाव—यावत् मिलने पर जैन भिक्षु । नो पडिग्गा-
हिज्जा—ग्रहण न करे ।

अह—अथ । पुण—पुन—फिर यदि । एव जाणिज्जा—इस प्रकार जाने कि यह
अशनादिक चतुर्विध आहारादि पदार्थ । पुरिसतर कडं—पुरुषान्तरकृत है । वहियानीहडं—
बाहर निकाला गया है । अत्तट्ठिय—अपना किया हुआ है । परिभुक्त—खाया हुआ है ।
आसेवियं—सेवन किया हुआ है । फासुयं—प्रासुक-अचित्त है और । एसणिज्जं—एपणीय
निर्दोष है । जाव—यावत्—ऐसा आहार मिलने पर साधु । पडिग्गाहिज्जा—ग्रहण करे ।

मूलार्थ—गृहस्थ कुल में प्रवेश करने पर साधु-साध्वी इस प्रकार जाने कि अशनादिक चतुर्विध आहार जो कि शाक्यादिभिक्षु, ब्राह्मण अतिथि दीन और भिखारियों के निमित्त तैयार किया गया हो और दाता उसे देवे तो इसप्रकार के अशनादि आहार को जो कि अन्य पुरुष कृत न हो, घर से बाहर न निकाला गया हो, अपना अधिकृत न हो, उस में से खाया या आसेवन न किया गया हो तथा अप्रासुक और अनेषणोय हो, तो साधु ऐसा आहार भी ग्रहण न करे ।

और यदि साधु इस प्रकार जाने कि यह आहार आदि पदार्थ अन्य कृत है, घर से बाहर ले जाया गया है, अपना अधिकृत है तथा खाया और भोगा हुआ है एवं प्रासुक और एषणीय है तो ऐसे आहार को साधु ग्रहण करले ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि किसी गृहस्थ ने शाक्यादि भिक्षुओं के लिए आहार बनाया है और वह आहार अन्यपुरुषकृत नहीं हुआ है, बाहिर नहीं ले जाया गया है, किसी व्यक्ति ने उसे खाया नहीं है और वह अप्रासुक एवं अनेषणीय है, तो साधु के लिए अप्राह्य है । यदि वह आहार पुरुषान्तर हो गया है, लोग घर से बाहर ले जा चुके हैं दूसरे व्यक्तियों द्वारा खा लिया गया है और वह प्रासुक एवं एषणीय है, तो साधु उसे ग्रहण कर सकता है ।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'अथ' शब्द का पूर्व सूत्र की अपेक्षा एवं 'पुन' शब्द का विशेषणार्थ में प्रयोग किया गया है ।

इस बात को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गाहावइकुलं पिंड-
वायपडियाए पविसिउकामे से जाइं पुण कुलाइं जाणिज्जा-
इमेसु खलु कुलेसु निइए पिंडे दिज्जइ अग्गपिंडे दिज्जइ नियए

भाए दिज्जइ अण्डवाए दिज्जइ, तहण्णगाराइं कुलाइं निइयाइं
निइउमाणाइं नो भत्ताए वा पाणाए वा पविसिज्ज वा निक्ख-
मिज्ज वा । एयं खलु तस्स भिक्खुस्स भिक्खुणीए वा सामग्गियं
जं सव्वट्ठेहिं समिए सहिए सया जए ॥६॥ त्तिवेमि

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा गृहपति कुलं पिण्डपातप्रतिज्ञया
प्रवेष्टुक्लामः तत् यानि पुन. कुलानि जानीयात्—इमेषु खलु कुलेषु नित्य पिण्डः
दीयते, अग्रपिण्डः दीयते, नित्यं भागः दीयते नित्यमु अपाढं भागः दीयते,
तथा प्रकाराणि कुलानि नित्यानि नित्य मुमाणंति (प्रवेशः) नो भक्तार्थं पानार्थं वा
प्रविशेद् निष्क्रमेद् वा एतत् खलु तस्य भिक्षोः भिक्षुक्या वा सामग्र्य यत्
मर्थार्थैः समितः सहितः सदा यतेत । इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खु वा—भिक्षु—साधु वा । भिक्खुणी वा—साध्वी ।
गाहावड कुलं—गृहपति के कुल मे । पिण्डवाय पडियाए—आहार लाभ की प्रतिज्ञा से ।
पविसिउकामे—प्रवेश करने की इच्छा रखता हुआ । से—वह—साधु । जाइ—जो । पुण—
फिर । कुलाइ—कुलो को । जाणिज्जा—जाने । खलु—वाक्यालंकार अर्थ में है । इमेसु—
कुलेसु—इन कुलो मे । निइए—नित्य । पिण्डे दिज्जइ—आहार दिया जाता है । अग्रपिण्डे
दिज्जइ—अग्रपिण्ड—प्रथम आहार दिया जाता है । नियए भाए दिज्जइ—नित्य भाग दिया
जाता है । नियए अण्डवाए दिज्जइ—नित्य चतुर्थ भाग दिया जाता है । तहण्णगाराइं
कुलाइं—इस प्रकार के कुलो में । निइउमाणाइं—नित्य ही स्वपक्ष और पर पक्ष के साधु दान
के लिए प्रवेश करते हैं । नो भत्ताए वा पाणाए वा—इस प्रकार के कुलो मे भक्तपान—
अन्न और जल आदि के लिए न तो । पविसिज्ज वा—प्रवेश करे और । निक्खमिज्ज वा—
निकले । खलु—वाक्यालंकार मे है । एयं—यह । तस्स—उस । भिक्खुस्स—भिक्षु और ।
भिक्खुणीए वा—साध्वी की । सामग्गियं—समग्रता समाचारी है । ज—जो कि । सव्वट्ठेहिं-
सर्व षण्यो अर्थात् शब्दादि अर्थों में । समिए—सयत है । सहिए—हित युक्त है—अथवा
ज्ञान दर्शन चारित्र्य से युक्त है । सए—सदा । जए—प्रयत्न करे सयम युक्त होवे । त्तिवेमि-
इस प्रकार में कहता हूँ ।

मूलार्थ—गृहस्थ के कुल मे आहार प्राप्ति के निमित्त प्रवेश करने

की इच्छा रखने वाले साधु या साध्वी इन वक्ष्यमाण कुलो को जाने-जिन कुलो में नित्य आहार दिया जाता है, अग्रपिंड आहार में से निकाला हुआ पिंड दिया जाता है, नित्य अर्द्ध भाग आहार दिया जाता है, नित्य चतुर्थ भाग आहार दिया जाता है, इस प्रकार के कुलो में जो कि नित्यदान देने वाले हैं तथा जिन कुलो में भिक्षुओं का भिक्षाथ निरन्तर प्रवेश हो रहा है ऐसे कुलो में अन्न पानादि के निमित्त साधु न जावे। यह साधु और साध्वी की ममग्रना अर्थात् निर्दोष वृत्ति है वह सर्व शब्दादि ग्रंथों में यत्नवाला, संयत अथवा ज्ञान दर्शन और चारित्र्य से युक्त है। अतः वह इस वृत्ति का परिपालन करने में सदा यत्नशील है। इस प्रकार मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में इस बात का आदेश दिया गया है कि साधु को निम्न कुलों में भिक्षा के लिए नहीं जाना चाहिए। जिन कुलों में नित्य-प्रति दान दिया जाता है, जिन कुलों में अग्रपिंड— जो आहार पक रहा हो उसमें से कुछ भाग पहले निकाल कर खाया हुआ आहार—दिया जाता है, जिन कुलों में आहार का आवा या चतुर्थ हिस्सा दान में दिया जाता है और जिन कुलों में शाक्यादि भिक्षु निरन्तर आहार के लिए जाते हैं, ऐसे कुलों में जैन साधु-साध्वी को प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे घरों में भिक्षा को जाने से या तो उन भिक्षुओं को—जो वहाँ में सदा-सर्वदा भिक्षा पाते हैं, अनुराग जनेगी या उन भिक्षुओं के लिए फिर से आरम्भ करके आहार बनाना पड़ेगा। इसलिए साधु को ऐसे घरों से आहार नहीं लेना चाहिए।

जैन साधु सर्वथा निर्दोष आहार ही ग्रहण करता है। उन बात को सूत्रकार ने 'मन्त्रदृष्टेहि समिण' इत्यादि पदों में अभिव्यक्त किया है। उनका स्वशरीराला करने हुए वृत्तिकार ने लिखा है— भुक्ति मरम परं नीरम ज्ञाना नी निर्दोष आहार उपनय्य होता है, उसे समभाव में ग्रहण करता है। वह रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि विषयों में अनासक्त रहता है। वह पाच मज्जि में युक्त है, राग-द्वेष में दूर रहने का प्रयत्न करता है वह स्तन-त्रय— ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य में युक्त होने से सुखी है। और १८

भाए दिज्जइ अण्डवाए दिज्जइ, तहण्णगाराइं कुलाइं निइयाइं
निइउमाणाइं नो भत्ताए वा पाणाए वा पविसिज्ज वा निक्ख-
मिज्ज वा । एयं खलु तस्स भिक्खुस्स भिक्खुणीए वा सामग्गियं
जं सब्बट्ठेहिं समिए सहिए सया जए ॥६॥ त्तिवेमि

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा गृहपति कुलं पिण्डपानप्रतिज्ञया
प्रवेष्टुकामः तत् यानि पुनः कुलानि जानीयात्—इमेषु खलु कुलेषु नित्य पिण्डः
दीयते, अग्रपिण्डः दीयते, नित्यं भागः दीयते नित्यमु अपार्द्धं भागः दीयते,
तथा प्रकाराणि कुलानि नित्यानि नित्य मुमासंति (प्रवेशः) नो भक्तार्थं पानार्थं वा
प्रविशेद् निष्क्रमेद् वा एतत् खलु तस्य भिक्षोः भिक्षुक्या वा सामग्र्य यत्
मवार्थैः समितः सहितः सदा यतेत । इति ब्रवीमि ।

पदार्थ— से—वह । भिक्खु वा—भिक्षु—साधु वा । भिक्खुणी वा— साध्वी ।
गाहावइ कुलं—गृहपति के कुल मे । पिण्डवाय पडियाए—आहार लाभ की प्रतिज्ञा से ।
पविसिज्जकामे—प्रवेश करने की इच्छा रखता हुआ । से—वह—साधु । जाइ—जो । पुण—
फिर । कुलाइ—कुलो को । जाणिज्जा—जाने । खलु—वाक्यालंकार अर्थ में है । इमेसु—
कुलेसु—इन कुलो मे । निइए—नित्य । पिण्डे दिज्जइ—आहार दिया जाता है । अग्रपिण्डे
दिज्जइ—अग्रपिण्ड—प्रथम आहार दिया जाता है । नियए भाए दिज्जइ—नित्य भाग दिया
जाता है । नियए अण्डवाए दिज्जइ—नित्य चतुर्थ भाग दिया जाता है । तहण्णगाराइं
कुलाइं—इस प्रकार के कुलो में । निइउमाणाइ—नित्य ही स्वपक्ष और पर पक्ष के साधु दान
के लिए प्रवेश करते हैं । नो भत्ताए वा पाणाए वा—इस प्रकार के कुलो मे भक्तपान—
अन्न और जल आदि के लिए न तो । पविसिज्ज वा—प्रवेश करे और । निक्खमिज्ज वा—
निकले । खलु—वाक्यालंकार मे है । एयं—यह । तस्स—उस । भिक्खुस्स—भिक्षु और ।
भिक्खुणीए वा—साध्वी की । सामग्गियं—समग्रता समाचारी है । जं—जो कि । सब्बट्ठेहिं—
सर्व पक्षों अर्थात् शब्दादि अर्थों में । समिए—सयत है । सहिए—हित युक्त है—अथवा
ज्ञान दर्शन चारित्र्य से युक्त है । सए—सदा । जए—प्रयत्न करे सयम युक्त होवे । त्तिवेमि—
इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—गृहस्थ के कुल मे आहार प्राप्ति के निमित्त प्रवेश करने

निर्दोष मुनिवृत्ति का परिपालन करता है, यही उसकी समग्रता है॥

'त्तिवेभि' पद से सूत्रकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये त्रिचार मेरी कल्पना-मात्र नहीं हैं। आर्य सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू से कहते हैं कि हे जम्बू ! मैंने जैसा भगवान महावीर के मुख से सुना है वैसा ही तुम्हें बताना रहा हूँ।

प्रथम, षडैशक समाप्त

प्रथम षडैशक समाप्त

॥सर्वार्थं—सरसविरसादिभिराहारगतैः यदि वा क्लृप्तरसगन्धस्पर्शागतैः सम्यगितः समितः संयत इत्यर्थं । पञ्चभिर्वासमितिभिः समितः शुभेतरेषु रागद्वेषविरहित इति यावन् एषभूतश्च सहहितेन वर्तते इति सहितः, सहितो वा ज्ञान दर्शन चारित्र्यैः ।

—आचारांग वृत्ति २,१,१,६ ।

प्रथम अध्ययन पिण्डैषणा

द्वितीय उद्देशक

प्रस्तुत अध्ययन आहार से संबद्ध है अतः पहले उद्देशक में वर्णित आहार ग्रहण करने की विधि का प्रस्तुत उद्देशक में विशेष रूप से वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूत्रम्— से भिक्षू वा भिक्षुणी वा गाहावइकुलं
पिंडायपडियाए अणुपविट्ठे समाणे से जं पुण जाणिजा-
अणं वा ४ अट्ठमिपोमहिण्णु वा अट्ठमासिण्णु वा मासिण्णु
वा दोमासिण्णु वा तेमासिण्णु वा चाउम्मासिण्णु वा पंचमासि-
ण्णु वा छम्मासिण्णु वा उउमुं वा उउमंधीसु वा उउपरियट्ठे-
वा वहवे ममाणमाहणअतिहिकिण्णवणीमगे एगाओ उक्खा-
ओ परिणसिज्जमाणे पेहाए दोडिं उक्खाहिं परिणसिज्जमाणे
पेहाए तिहिं उक्खाहिं परिणसिज्जमाणे पेहाए चउहिं उक्खाहिं
परिणसिज्जमाणे पेहाए । कुंभीमुहाओ वा कलोवाइओ वा
संनिहिसंनिचयाओ वा परिणसिज्जमाणे पेहाए तहप्पगारं
असणं वा ४ अपुरिसंतरकडं जाव अणासेवियं अफासुयं जाव
नो पडिग्गाहिज्जा । अह पुण एवं जाणिज्जा पुरिसंतरकडं
जाव आसेवियं फासुयं पडिग्गाहिज्जा ॥१०॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा गृहपति कुल पिंडपातप्रतिज्ञया अनुप्रविष्ट
 सन् तद् यत् पुनः जानीयाद् अशन वा ४ अष्टमीपौषधिकेषु वा अर्द्धमासि-
 केषु वा मासिकेषु वा द्विमासिकेषु वा त्रिमासिकेषु वा चतुर्मासिकेषु वा पंच-
 मासिकेषु वा षण्मासिकेषु वा ऋतुषु वा ऋतु सन्धिषु वा ऋतु परिवर्तनेषु वा
 बहून्श्रमणब्राह्मणातिथिकृपणवृणीमगानेकस्मात् पिठरकाद् परिवेष्टमाणः
 प्रेक्ष्य द्वाभ्यामुक्खाभ्या (पिठरकाभ्या) परिवेष्टमाणः प्रेक्ष्य त्रिभिः उक्खाभिः
 परिवेष्टमाणः प्रेक्ष्य चतुर्भिः उक्खाभिः परिवेष्टमाणः प्रेक्ष्य कुम्भीमुखाद् वा
 [पिच्छी पिटक वा] संनिधिसंनिचयाद् वा परिवेष्टमाणः प्रेक्ष्य तथा प्रकारं
 अशनं वा ४ अपुरुषान्तरं कृतं यावद् अनासेवितमप्रासुकं यावत् नो प्रति-
 गृहणीयात् । अथ पुनरेव जानीयात् पुरुषान्तरं कृतं यावद् आसेवितं प्रासुकं
 प्रतिगृहणीयात् ।

पदार्थ—से — वह । भिक्षुवा—भिक्षु-साधु । भिक्षुणी वा—अथवा साध्वी ।
 गाहावइ कुल—गृहपति के कुल में । पिंडवाय पडियाए—भिक्षा ग्रहण करने की प्रतिज्ञा से ।
 अणुपविट्ठेसमाणे—प्रवेश करता हुआ । से—वह-भिक्षु । ज—जो । पुण—फिर । जाणिज्जा—
 जाने-ज्ञान प्राप्त करे । अशन वा—अन्नादि चतुर्विध आहार । अट्टमिपोसहिएसु वा—अष्टमी
 पौषध—व्रत विशेष के महोत्सव में अथवा । अट्टमासिएसुवा—अर्द्धमासिक व्रत विशेष के
 महोत्सव में । मासिएसु वा—मासिक व्रत विशेष के महोत्सव में । दोमासिएसु वा—द्विमासिक
 व्रत विशेष के महोत्सव में । तेमासिएसुवा—त्रैमासिक व्रत विशेष के महोत्सव में । चउमासि-
 एसु—चातुर्मासिक व्रत विशेष के महोत्सव में । पंचमासिएसु वा—पाच मासिक व्रत विशेष
 के महोत्सव में । छम्मासिएसु वा—षण्मासिक व्रत विशेष के महोत्सव में । उऊसु वा—
 ऋतु के मौसम में । उऊसधीसु वा—ऋतुओं की सन्धि में । उऊपरियट्ठेसुवा—ऋतु
 परिवर्तन में । बहवे—बहुत से । समणमाहणअतिहिकिवणवणीमगे—श्रमण ब्राह्मण
 अतिथि, कृपण और भिक्षारी इन सबको । एगाओ उक्खाओ—एक बर्तन से । परिएसिज्जमाणे—
 परोसता हुआ । पेहाए—देख कर । दोहि उक्खाहिं—दो बर्तनों से । परिएसिज्जमाणे—
 परोसता हुआ । पेहाए—देखकर । तिहिं—तीन । उक्खाहिं—बर्तनों से । परिएसिज्जमाणे—
 परोसता हुआ । चउहिं—चार । उक्खाहिं—बर्तनों से । परिएसिज्जमाणे—परोसता हुआ ।
 पेहाए—देखकर । कुम्भीमुहाओ—छोटे मुह वाले बर्तन से । वा—अथवा । कलोवाइओ वा—
 वास की टोकरी से । सनिहि संनिचयाओ वा—संचय किए हुए स्निग्ध घृतादि में से ।

परिऐसिञ्जमाणे—परोसता हुआ । पेहाए—देखकर । तहप्पगार—इस प्रकार का । असणं या ४—अशनादिक चतुर्विध आहार । अपुरिसतर कडं वा—अपुरुषान्तरकृत अर्थात् जो पुरुषान्तर-अन्यपुरुष कृत नहीं है । जाब—यावत् । अणासेवियं—अनासेवित । अफासुय—अप्रासुक । जाब—यावत् मिलने पर । नो पडिग्गाहिज्जा—ग्रहण न करे । अह—अथ । पुण—पुन । एवं—इस प्रकार । जाणिज्जा जाने । पुरिसंतरकडं—पुरुषान्तर कृत । आसेवियं—आसेवित । फासुयं—प्रासुक आहार । जाब—यावत् मिलने पर । पडिग्गाहिज्जा—ग्रहण करले ।

मूलार्थ—वह साधु व साध्वी गृहस्थो के घर में आहार प्राप्ति के निमित्त प्रविष्ट होने पर अशनादि चतुर्विध आहार आदि के विषय में इस प्रकार जाने-यह अशनादि आहार अष्टमी पौषध-व्रत विशेष के महोत्सव में एवं अर्द्धमासिक, मासिक, द्विमासिक, त्रिमासिक, चतर्मासिक, पंचमासिक और षण्मासिक महोत्सव में, तथा ऋतु, ऋतुसन्धि और ऋतु परिवर्तन महोत्सव में बहुत से श्रमण शाक्यादिभिक्षु, ब्राह्मण, अतिथि, कृपण और भिखारियों को एक बर्तन से, दो बर्तनों से एवं तीन और चार बर्तनों से परोसते हुए देखकर तथा छोटे मुखकी कुम्भी और बांस की टोकरी से परोसते हुए देखकर एवं संचित किये हुए घी आदि पदार्थों को परोसते हुए देखकर इस प्रकार के अशनादि चतुर्विध आहार जो पुरुषान्तर कृत नहीं है यावत् अनासेवित अप्रासुक है ऐसे आहार को मिलने पर भी साधु ग्रहण न करे । और यदि इस प्रकार जाने कि यह आहार पुरुषान्तर कृत यावत् आसेवित प्रासुक और एषणीय है तो मिलने पर ग्रहण करले ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को उस समय गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रवेश नहीं करना चाहिए या प्रविष्ट हो गया है तो उसे आहार नहीं ग्रहण करना चाहिए—जिसके यहां अष्टमी के पौषधोपवास का महोत्सव होके या इसी तरह

अतद्यथा—अष्टम्या पौषध—उपवासादिकोऽष्टमीपौषधः स विद्यते येषां तेऽष्टमी पौषधिका—उत्सवाः तथाऽर्द्धमासिकादयश्च ऋतुसन्धि—ऋतोःपर्यवसानम् ऋतुपरिवर्तः—ऋत्स्वन्तरम् आचारांग वृत्ति ।

अर्द्धमास, एक मास, दो, तीन, चार, पाँच या छ मास की पौषधोपवास (तपश्चर्या) का उत्सव हो या ऋतु, ऋतु सन्धि (दो ऋतुओं का सन्धि काल) और ऋतु परिवर्तन (ऋतु का परिवर्तन—एक ऋतु के अनन्तर दूसरी ऋतु का आरम्भ होना) का महोत्सव हो और उसमें शाक्यादि भिक्षु, श्रमण—ब्राह्मण, अतिथि, रांक—भिखारी आदि को भोजन कराया जा रहा हो। जबकि यह भोजन आधाकर्मदोष से युक्त नहीं है, फिर भी सूत्रकार ने इसके लिए जो 'अफासुयं' शब्द का प्रयोग किया है, इसका तात्पर्य यह है कि ऐसा आहार तब तक साधु के लिए अकल्पनीय है जब तक वह पुरुषान्तर कृत नहीं हो जाता है। यदि यह आहार एकान्त रूप से शाक्यादि भिक्षुओं को देने के लिए ही बनाया गया है और उसमें से परिवार के सदस्य एवं परिजन आदि अपने उपभोग से नहीं लेते हैं, तब तो साधु को वह आहार नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इससे उन भिक्षुओं को अन्तराय लगेगी। यदि परिवार के सदस्य एवं स्नेही—सम्बन्धी उसका उपभोग करते हैं, तो उनके उपभोग करने के बाद (पुरुषान्तर होने पर) साधु उसे ग्रहण कर सकता है।

इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी उत्सव के प्रसंग पर अन्य मत के भिक्षु भोजन कर रहे हों तो उस समय वहाँ साधु का जाना उचित नहीं है। उस समय वहाँ नहीं जाने से मुनि की संतोष एवं त्याग वृत्ति प्रकट होती है, उन भिक्षुओं के मन में किसी तरह की विपरीत भावना जागृत नहीं होती। अतः साधु को ऐसे समय विवेकपूर्वक कार्य करना चाहिए।

साधु को किस कुल में आहार के लिए जाना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा २ जाव समाणे से जाइ पुण कुलाइं जाणिज्जा, तंजहा-उग्गकुलाणि वा भोगकुलाणि वा राइन्नु कुलाणि वा खत्तियकुलाणि वा इक्खागकुलाणि वा हरिवंसकुलाणि वा एसियकुलाणि वा वेसियकुलाणि वा गंडागकुलाणि वा कोट्टाग कुलाणि वा गामरक्खकुलाणि वा बुक्कासकुलाणि वा अन्नयरसेसु वा तहप्पगारेसु कुलेसु अदुगुंछिएसु अगारहिएसु असणां

वा ४ फासुयं जाव पडिग्गाहिज्जा ॥११॥

छाया—स भिक्षुर्वा० यावत् सन् तद् यानि पुनः कुलानि जानीयात्, तद्यथा—उग्रकुलानि वा भोगकुलानि वा राजन्यकुलानि वा क्षत्रियकुलानि वा इक्ष्वाकुकुलानि वा हरिवंशकुलानि वा एसिय-एष्यकुलानि वा वैश्य-कुलानि वा गण्डककुलानि वा कुट्टाककुलानि वा ग्रामरक्षककुलानि वा वृक्कास तन्तुवाय कुलानि वा अन्यतरेषु वा तथा प्रकारेषु वा कुलेषु अजुगुप्सितेषु अग्रहर्षु अशन वा ४ प्रासुकं यावद् गृण्हीयात् ।

पदार्थ—से—वह । भिखू वा—भिक्षु साधु अथवा साध्वी । जाव—यावत् । समाणे—घर मे प्रवेश कर हुए । से—वह । पुण—फिर । जाइं—इन । कुलाइ—कुलो को । जाणिज्जा—जाने । तज्जाहा—जैसे कि— । उग्रकुलाणि वा—उग्र कुल । भोग कुलाणि वा—भोग कुल । राइनन् कुलाणि वा—राजन्य कुल । खत्तिय कुलाणि वा—क्षत्रिय कुल । इक्ष्वाग कुलाणि वा—इक्ष्वाकू कुल । हरिवंस कुलाणि वा—हरिवंश कुल । एसिय कुलाणि वा—गोपाल आदि कुल । वेसिय कुलाणि वा—वैश्य कुल । गंडाग कुलाणि वा—गण्डक—नापित कुल । कोट्टाग कुलाणि वा—वर्द्धकी—वढ़ई कुल । ग्रामरक्ष कुलाणि वा—ग्राम रक्षक कुल । वृक्कास कुलाणि वा—तन्तुवाय कुल । अन्नपरे सु—और भी । तहप्पगारेसु—इसी प्रकार के । कुलेसु—कुलो मे । अजुगुप्सिएसु—अनिन्दित । अग्ररहिएसु—अग्रहित कुलो मे । असणं वा ४—अशनादि चतुर्विध आहार । फासुयं—प्रासुक । जाव—यावत् मिलने पर । पडिग्गाहिज्जा—साधु ग्रहण करे ।

मूलार्थ—साधु अथवा साध्वी गृहस्थ के घर में प्रवेश करते हुए इन कुलों को जाने, यथा उग्रकुल, भोगकुल, राजन्य कुल, क्षत्रियकुल, इक्ष्वाकुकुल, हरिवंशकुल, गोपालादिकुल, वैश्यकुल, नापित कुल, वर्द्धकी (वढ़ई) कुल, ग्रामरक्षक कुल, और तन्तुवाय कुल तथा इसी प्रकार के और भी अनिन्दित, अग्रहित कुलो में से प्रासुक अन्नादि चतुर्विध आहार यदि प्राप्त हो तो साधु उसे स्वोकार करले ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को भिक्षा के लिए किन कुलों में जाना

चाहिए। वर्तमान काल चक्र में भगवान ऋषभदेव के पहले भरत क्षेत्र में भोगभूमि थी। वर्तमान काल चक्र के तीसरे आरे के तृतीय भाग में भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ था और उसके बाद भोग भूमि का स्थान कर्म भूमि ने ले लिया। भगवान ऋषभ देव ही प्रथम राजा, प्रथम मुनि एवं प्रथम तीर्थंकर थे, इनके युग से राज्य व्यवस्था, समाज व्यवस्था एवं धर्म व्यवस्था का प्रारम्भ हुआ। उनके युग से वर्ण व्यवस्था एवं कूल आदि परम्परा का प्रचलन हुआ। उसी के आधार पर बने हुए कुलों का सूत्रकार ने उल्लेख किया है। जैसे— १-उग्र कुल—रक्षक कुल, जो जनता की रक्षा के लिए सदा सन्नद्ध—तैयार रहता है, २-भोग कुल—राजाओं के लिए सम्मान्य है। ३-राजन्य कुल—मित्र के समान व्यवहार करने वाला कुल, ४-क्षत्रिय कुल—जो प्रजा को रक्षा के लिए शस्त्रों को धारण करता था। ५-इन्द्राकु कुल—भगवान ऋषभ देव का कुल, ६-हरिवंश कुल—भगवान अरिष्ट नेमिनाथ का कुल, ७-एष्य कुल—गोपाल आदि का कुल, ८-ग्राम रक्षक-कुल—कोतवाल आदि का कुल, ९-गण्डक कुल—नाई आदि का कुल, १०-कुट्टाक ११-वर्द्धकी और १२-वृक्कस—तन्तुवाय आदि के कुल एवं इसी तरह के अन्य कुलों से भी साधु आहार ग्रहण कर सकता है, जो निन्दित एवं धृष्टि कर्म करने वाले न हों।

प्रस्तुत प्रकरण में क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र इन तीनों कुलों का स्पष्ट उल्लेख हुआ है, परन्तु ब्राह्मण कुल का कहीं नाम नहीं आया। इसके दो कारण हो सकते हैं— १-ब्राह्मण वर्ण की स्थापना भगवान ऋषभ देव ने नहीं की थी, बल्कि उनके दीक्षित होने के बाद भरत ने की थी। उनका वर्ण पीछे से आरम्भ हुआ इस कारण उसका उल्लेख नहीं किया हो। २-प्रस्तुत सूत्र में भोग कुल का उल्लेख किया गया है। वृत्तिकार ने इसका अर्थ राजाओं का पूजनीय कुल किया है। ब्राह्मण प्रायः पठन-पाठन के कार्य में ही सलग्न रहते थे एवं निस्पृह भी होते थे। इस कारण राजा लोग उनका सम्मान करते थे। अतः हो सकता है कि भोग कुल से ब्राह्मण कुल का उल्लेख किया गया हो।

एष्य कुल से गौ रक्षा एवं पशु पालनकरने वाले कुलों तथा वैश्य कुल से कृषि कर्म के द्वारा अल्पारम्भी जीवन बिताने वाले कुलों का निर्देश किया गया है। ३-गण्डक-नाई आदि के कुल से वैशालंकार एवं गांघ में किसी तरह की उद्घोषणा आदि कराने की प्रवृत्ति का तथा कुट्टाक, वर्द्धकी आदि कुलों से भवन निर्माण एवं काष्ठ कला की और तन्तुवाय कुल से वस्त्र कला की परम्परा का संकेत मिलता है। इस तरह उक्त कुलों के निर्देश से उस युग की राष्ट्रीय एवं सामाजिक व्यवस्था का पूरा परिचय मिलता है।

❧भोगाः—राज. पूजनीयाः।

—आचारांगवृत्ति।

अन्य अनिन्दनीय क्लों से शिल्प एवं विज्ञान आदि के कुशल धलाकारों का निर्देश किया गया है। अतः प्रस्तुत सूत्र ऐतिहासिक विद्वानों एवं रिसर्च स्कालरों के लिए बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्र तार कहते हैं -

मूलम्—से भिक्खू वा २ जाव समाणे से जं पुण जाणि-
ज्जा असणां वा ४ समवाएसु वा पिंडनियरेसु वा इंदमहेसु वा
खंदमहेसु वा एवं रुद्धमहेसु वा मुगुंदमहेसु वा भूयमहेसु वा
जक्खमहेसु वा नागमहेसु वा थूममहेसु वा चेइय महेसु वा
रुक्खमहेसु वा गिरिमहेसु वा दरिमहेसु वा अगड़महेसु वा तलाग
महेसु वा दहमहेसु वा नइमहेसु वा सरमहेसु सागरमहेसु
वा आगर महेसु वा अन्नयरेसु वा तहप्पगारेसु विरूवरूवेसु
महामहेसु वट्टमाणेसु बहवे समाणमाहणा अतिहि किवणा वणीमगे
एगाथो उक्खाथो परिएसिज्जमाणे पेहाए दोहिं जाव संनिहि-
संनिचयाथो वा परिएसिज्जमाणे पेहाए तहप्पगारं असणां वा ४
अपुरिसंतर कडं जाव नो पडिग्गाहिज्जा । अह पुण एवं
जाणिज्जा-दिन्नं जं तेसिं दायव्वं, अह तत्थ भुंजमाणे पेहाए
गाहावइ भारियं वा गाहावइभगिणिं वा गाहावइपुत्तं वा धूयं
वा सुणहं वा धाईं वा दासं वा दासिं वा कम्मकरं वा कम्मकरिं
वा से पुव्वामेव आलोइज्ज आउसि त्ति ! वा भगिणि त्ति ! वा दाहिसि
मे इत्ता अन्नयरं भोषणजायं, से सेवं वयंतस्स परो असणां वा ४

आहट्टु दलइजा तहप्पगारं असणं वा ४ सयं वा पुण जाइ-
ज्जा परो वा से दिज्जा फामुयं जाव पडिग्गाहिज्जा ॥१२॥

छाया—स भिक्षुर्वा० यावत् सन् तत् यत् पुनः जानीयात् अशनं वा ४
समवायेषु वा पिडनिकरेषु वा इन्द्र महेषु वा स्कन्द महेषु वा एवं रुद्र महेषु वा
मुकुन्द महेषु वा भूत महेषु वा यक्ष महेषु वा नाग महेषु वा स्तूप महेषु वा
चंत्य महेषु वा वृक्ष महेषु वा गिरि महेषु वा दरी महेषु वा अवट महेषु वा
तडाग महेषु वा ह्रद महेषु वा नदी महेषु वा सरं महेषु वा सागर महेषु वा
आकर महेषु वा अन्यतरेषु वा तथा प्रकारेषु विरूपरूपेषु महामहेषु वर्तमानेषु
बहून् श्रमण ब्राह्मणातिथि कृपण वणीमकान् एकस्याः उखायाः परिवेष्यमाणः
प्रेक्ष्य द्वाभ्यां यावत् सन्निधि सन्निचयाद्वा परिवेष्यमाणः प्रेक्ष्य तथा प्रकारं
अशनं वा ४ अपुरुषान्तर कृत यावत् न प्रतिगृह्णीयात् । अथ पुनः एवं
जानीयात् दत्त यत्तभ्यो दातव्यमथ तत्र भुञ्जानान् प्रेक्ष्य गृहपतिभार्या
वा गृहपतिभगिनी वा गृहपतिपुत्रं वा सुतां वा स्नुषां वा धात्री वा दासं वा
दासी वा कर्मकरं वा कर्मकरी वा पूर्वमेव आलोकयेत्, आयुष्मति ! इति
वा भगिनि ! इति वा दास्यसि महा इत्तः अन्यतरं भोजन जात, स एवं वदतः
परः अशनं वा ४ आहृत्य दद्यात् तथा प्रकारं अशनं वा ४ स्वयं वा पुनः
याचेत् परो वा तद् दद्यात् प्रासुकं यावत् प्रतिगृह्णीयात् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षु वा—भिक्षु—साधु अथवा साध्वी । जाव सम्माणं—यावत्
पर मे गया हुआ । से—वह । जं—जो । पुण—फिर । जाणिज्जा—जाने । असणं वा—
श्रमणादिक चतुर्विध आहार । समवायेसु वा—जन समुदाय मे । पिडनियरेसु वा—मृतक भक्त
अर्थात् श्राद्ध मे तथा । इन्द्रमहेस वा—इन्द्र महोत्सव मे खदमहेसु वा—स्कन्द महोत्सव मे । एवं—
इसी प्रकार । रुद्रमहेमे वा—रुद्र महोत्सव मे । मुकुन्दमहेसु वा—मुकुन्द महोत्सव मे भ्रुयमहेसु वा—
भूत महोत्सव मे तथा । जक्ख महेषु वा—यक्ष महोत्सव मे । नाम महेषु वा—नाग महोत्सव
मे । पुन महेषु वा—स्तूप महोत्सव मे एव । चेइय महेषु वा—चैत्य महोत्सव मे । इक्ख
महेसु वा—वृक्ष महोत्सव मे । गिरिमहेसु वा—गिरि महोत्सव मे । दरिमहेसु वा—गुफा
महोत्सव मे । अगडमहेसु वा—कूप महोत्सव मे । तलाग महेषु वा—तडाग-तालाव महोत्सव

मे । वहमहेसु वा—हृद महोत्सव मे । नद्महेसुवा—नदी महोत्सव मे । सरमहेसु वा—सर महोत्सव मे तथा । सागर महेसु वा—सागर महोत्सव मे । आगर महेसु वा—आकर महोत्सव मे । अन्नयरेसु वा—अन्यान्य । तहृप्पगारेसु—इस प्रकार के । विरूव रुवेसु—नाना विध । महामहेसु—महान् उत्सवो के । वट्टमाणेसु—प्रवर्तमान होने में । बहवे—बहुत से । समण माहण अतिहि किवण वणीमग—शाक्यादि भिक्षु तथा, ब्राह्मण, अतिथि कृपण और भिखारी लोगों को । एगाओ उक्खाओ—एक वर्तन से । परिएसिज्जमाणे—परोसते हुए को । पेहाए—देखकर तथा । दोहि—दो वर्तनो से । जाव—यावत् । सनिहिसीनचयाओ—संचय किए हुए धृतादि स्निग्ध पदार्थों से । परिएसिज्जमाणे—परोसते हुए को । पेहाए—देखकर । तहृप्पगारं—तथा प्रकार के । असण वा ४—अशनादि चतुर्विध आहार जो कि । अपुरिसंतरकडं—पुरुषान्तर कृत न हो । जाव—यावत् मिलने पर । नो पडिग्गाहिज्जा—भी ग्रहण न करे । अह—अथ । पुण—पुनः । एवं—इस प्रकार । जाणिज्जा—जान । तेसि—उनको । जं—जो । दिन्न—दिया गया हो वह । दायव्व—देने योग्य है । अह—अथ । तत्थ—वहा पर । भुंजमाणे—खाते हुओ को । पेहाए—देखकर । गाहावइ भारिय वा—गृहपति की भार्या को या । गाहावइ भगिणी वा—गृहपति की भगिनी—वहिन को । गाहावइ पुत्तं वा—गृहपति के पुत्र को । धुर्यं वा—पुत्री को । सुण्हावा—स्नुषा—पुत्रवधु को । धाइ वा—धात्री—घाय माता को । दासं वा—दास को । दासि वा—अथवा दासी को तथा । कम्मकरं वा—नौकर को वा । कम्मकारि वा—नौकरानी को । से—वह । पुव्वामेव—पहले ही । आलोइज्जा—अवलोकन करके कहे कि । आउसित्ति वा—हे आयुष्मति ! भगिणित्ति वा—हे भगिनि ! मे—मुझे । इत्तो अन्नयर—इस विविध प्रकार के । भोयणजायं—भोजन जात—भोजन समुदाय मे से । बाहसि ?—देगी ? से—वह । सेवं—इस प्रकार से । वयत्तस्स—बोलते हुए संधु को । परो—दूसरे । असणं वा—अशनादिक चतुर्विध आहार में से । आहद्दु—लाकर । दलइज्जा—देवे । तहृप्पगारं—इस प्रकार के । असणं वा ४—अन्नादि चतुर्विध आहार को । सप वा—स्वयं । पुण—पुनः । जाइज्जा—मागे । से—वह । परोवा—दूसरा । दिज्जा—देवे तो । फासुर्यं—प्रासुक आहार । जाव—यावत् मिलने पर । पडिग्गाहिज्जा—ग्रहण करे—स्वीकार करले ।

मूलार्थ—साधु व साध्वी गृहस्थ के घर में प्रविष्ट होने पर यदि ग्रहजाने कि यहां पर महोत्सव के लिए जन एकत्रित हो रहे है, तथा पितृपिण्ड या मृतक के निमित्त भोजन हो रहा है या इन्द्रमहोत्सव, स्कन्दमहोत्सव, रुद्रमहोत्सव, मुकुन्दबलदेव महोत्सव, भूत महोत्सव, यक्ष महोत्सव, इसी प्रकार नाग, स्तूप, चैत्य, वृक्ष, गिरि, गुफा, कूप, तालाब,

हृद (भील) उदधि, सरोवर' सागर और आकर सम्बन्धि महोत्सव हो रहा हो तथा इसी प्रकार के अन्य महोत्सवों पर बहुत से श्रमण-ब्राह्मण, अतिथि, कृपण और भिखारी लोगों को एक बर्तन से पुरोसता हुआ देख कर दो थालियों से यावत् संचित किये हुए घृतादि स्निग्ध पदार्थों को पुरेसते को देखकर तथाविध आहार-पानी जब तक अपुरुषान्तरकृत है यावत् मिलने पर भी साधु ग्रहण न करे । और यदि इस प्रकार जाने कि जिन को देना था दिया जा चुका है तथा वहा पर यदि वह गृहस्थों को भोजन करते हुए देखे तो उस गृहपति की भार्या से, गृहपति की भगिनी से; गृहपति के पुत्र से, गृहपति की पुत्री से, पुत्रवधू से, धाय माता से, दास-दासी नौकर-नौकरानी से पूछे कि हे आयुष्मति ! भगिनि ! मुझे इन खाद्य पदार्थों में से अन्यतर भोजन दोगी ? इस प्रकार बोलते हुए साधु के प्रति यदि गृहस्थ चार प्रकार का आहार लाकर दे अथवा अशनादि चतुर्विध आहार की स्वयमेव याचना करे या गृहस्थ स्वयं दे और वह आहार पानी प्रासुक और एषणीय हो तो साधु उसे ग्रहण कर ले ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि गृह प्रवेश, नामकरण आदि उत्सव तथा मृतक कर्म या इन्द्र, स्कन्द एवं रुद्र आदि से सम्बन्धित उत्सवों के अवसर पर शाक्यादि भिक्षु, श्रमण-ब्राह्मण, गरीब—भिखारी आदि गृहस्थ के घर पर भोजन कर रहे हों और वह भोजन पुरुषान्तर कृत नहीं हुआ हो तो साधु उसे अनेषणीय समझ कर ग्रहण न करे । यदि अन्य भिक्षु आदि भोजन करके चले गए हैं, अब केवल उसके परिवार के सदस्य, परिजन एवं दास-दासी ही भोजन कर रहे हों, तो उस समय साधु प्रासुक एवं एषणीय आहार की याचना कर सकता है या उस घर का कोई सदस्य साधु को आहार की प्रार्थना करे तो वह उसे ग्रहण कर सकता है ।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'पिण्ड निषरेसु' का अर्थ है—मृतक के निमित्त तैयार किया गया भोजन । प्रस्तुत सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि उस समय इन्द्र, स्कन्द, रुद्र, वलदेव, भूत, यक्ष, नाग आदि के उत्सव मनाए जाते थे । और इन अवसरों पर गृहस्थ लोग प्रीति भोज करते थे ।

- प्रस्तुत सूत्र मे प्रयुक्त 'स्तूप एव चैत्य' शब्द एकार्थक नही, किन्तु, भिन्नार्थक हैं। मृतक की चिता पर उसकी स्मृति मे बनाया गया स्मारक 'स्तूप' कहलाता है और यक्ष आदि का आयतन 'चैत्य' कहलाता है। यहाँ प्रयुक्त महोत्सव भौतिक कामनायो के लिए किए जाते रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि चैत्य शब्द का प्रयोग जिन भगवान् की प्रतिमा या मन्दिर के लिए प्रयुक्त नही हुआ है। उक्त शब्द यक्षायतन या व्यन्तरायतन का परिवोधक है।

अब सूत्रकार ग्रामान्तरीय आचार का वर्णन करते हुए कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा २ परं अद्दजोयणमेराए संखडिं नच्चा संखडिपडियाए नो अभिसंधारिज्जा गमणाए। से भिक्खू वा २ पाईणं संखडिं नच्चा पडीणं गच्छे अणाढायमाणे, पडीणं संखडिं नच्चा पाईणं गच्छे अणाढायमाणे, दाहिणं संखडिं नच्चा उदीणं गच्छे अणाढायमाणे, उईणं संखडिं नच्चा दाहिणं गच्छे अणाढायमाणे, जत्थेव सा संखडी सिया, तंजहा—गामंसि वा, नगरंसि वा, खेडंसि वा, कव्वडंसि वा, मडंबंसि वा, पट्टणंसि वा, आगरंसि वा, दोणमुहंसि वा, नेगमंसि वा, आसमंसि वा, संणिवेसंसि वा, जाव रायहाणिसि वा संखडिं संखडिपडियाए नो

ॐ धूम पु० (स्तूप) प्रेक्षा घर के सामने वाली मणिपीठिका के ऊपर का सोलह योजन लम्बा चौडा सोलह योजन ऊचा सफेद रंग वाला चैत्यस्तूप,—स्मारक स्तम्भ, स्तूप, मृतक घर (अर्द्ध-मागधीकोप भा० ३ पृ० १०१)

चेडय-न० (चैत्य) यक्ष वर्गैरह व्यन्तर देवता के आयतन स्थान, चिता के ऊपर मन्दिर या अन्य रूप मे बनाया हुआ स्मारक चिन्ह, ससारी लोग इसकी इस लोक के सुखों की इच्छा से उपासना करते है। (अर्द्धमा० कोप भा० २ पृ०, ७३७)

अभिसंधारिजा गमणाए, केवली ब्रूया—आयाणमेयं, संखडिं
संखडिपडियाए अभिधारेमाणे आहाकम्मियं वा, उद्देसियं वा,
मीसजायं वा, कीयगडं वा, पामिच्चं वा, अच्चिज्जं वा, अणिसिट्ठं
वा, अभिहडं वा आहट्टु दिज्जमाणं भुञ्जिज्जा ॥१२॥

छाया—स भिक्षुर्वा २ परं अर्द्धयोजनमर्यादया संखडिं ज्ञात्वा संखडि-
प्रतिज्ञया नाभिसन्धारयेत् गमनाय । स भिक्षुर्वा २ प्राचीनां संखडिं ज्ञात्वा
प्रतीचीनं गच्छेत् अनाद्रियमाणः, प्रतीचीनं संखडिं ज्ञात्वा प्राचीनं गच्छेत्
अनाद्रियमाणः, दक्षिणं संखडिं ज्ञात्वा उदीचीनं गच्छेत् अनाद्रियमाणः,
उदीचीनं संखडिं ज्ञात्वा दक्षिणं गच्छेत् अनाद्रियमाणः, यत्रैव असौ संखडि-
स्यात्—तद्यथा—ग्रामे वा नगरे वा खेटे वा कर्बटे वा मडंबे वा पत्तने वा
आकरे वा द्रोणमुखे वा नैगमे वा आश्रमे वा सन्निवेशे वा यावत् राजधान्यां
वा संखडिं संखडिप्रतिज्ञया न अभिसन्धारयेत् गमनाय, केवली ब्रूयात्—
आदानमेतत्, संखडिं संखडिप्रतिज्ञया अभिसंधारयतः आधाकर्म वा, औद्देशिकं
वा, मिश्रजातं वा, क्रीतकृतं वा, प्रामित्यं वा, आच्छेद्यं वा, अनिसृष्टं वा,
अभ्याहृतं वा आहृत्य दीयमान भूञ्जीत ।

पदार्थ—से भिक्षु वा—वह साधु साध्वी । पर—प्रकर्ष से उत्कृष्ट अर्द्धयोजनमेराए—
अर्द्धयोजन परिमाण क्षेत्र मे । संखडिं—जीमणवार प्रीतिभोजन को । नच्चा—जानकर ।
संखडिपडियाए—सुस्वादु अहार लाभ की प्रतिज्ञा मे । गमणाए—जाने के लिए । नो अभिसंधा-
रिज्जा—मन मे सकल्प न करे । से—वह । भिक्षु वा २—साधु या साध्वी । पाईण—पूर्व दिशा
मे । संखडिं—सखडी को । नच्चा—जानकर । पडीणं—पश्चिम दिशा मे । अणाढायमाणे—
उनका अनादर करता हुआ । गच्छे—जाए । पडीणं—पश्चिम दिशा मे । संखडिं—सखडी को ।
नच्चा—जानकर उसका । अणाढायमाणे—अनादर करता हुआ । पाईणं—पूर्व दिशा को ।
गच्छे—जाए । दाहिण—दक्षिण दिशा मे । संखडिं—सखडी को । नच्चा—जानकर उसका ।
अणाढायमाणे—अनादर करता हुआ । उईण—उत्तर दिशा मे । गच्छे—जाए तथा । उईण—
उत्तर दिशा मे । संखडिं—सखडी को । नच्चा—जानकर उसका । अणाढायमाणे—अनादर

करता हुआ। दक्षिण—दक्षिण दिशा को। गच्छे—जाए। जत्थेव—जहाँ पर भी। सा—वह। संखड़ी—स्वादिष्ट ग्राहक सम्बन्धी भाजन समारोह। मिया होवे। तंजहा—जैसे कि। गामसि वा—ग्राम में। नगरंसि वा—नगर में। खेटसि वा—खेटक में। कर्वटसि वा—कर्वट-कुनगर में। मडबसि वा—मडव में। पट्टणमि वा—पत्तन में, तथा। आगरंसि वा—ग्रकार में—खदान में दोणमुखंसि वा—द्रोण मुख में। नैगमसि वा—नैगम-व्यापार के स्थान में। आसमसि वा—आश्रम में। सन्निवेशंसि वा—सन्निवेश में। जाव—यावत्। रायहार्णसि वा—राजधानी में। सखडि—सखड़ी को। सखडिपडियाए—सखड़ी की प्रतिज्ञा में। मगमणाए—जाने के लिए। नो अभिसंधा-रिज्जा—मन में इच्छा उत्पन्न न करे, कारण कि। केवली—केवली भगवान न, बूया—कहा है। आयाणमेय—यह कर्म बन्धन का कारण है। सखडि मखडी को। सखडिपडियाए—सखड़ी की प्रतिज्ञा में। अभिधारेमाणे आरण करना हुआ माधु। अहाकस्मिय वा—अवाकस्मिक अथवा। उद्देशिय—ग्रोहें शिक अथवा। मोसजाय—मिथिन। कीयगड—कीत-खरीदा हुआ। पामिच्च वा—उवार माग कर लाया हुआ। अखिज्ज वा—छीना हुआ। अणिसिट्ठ वा—माके की वस्तु-जोकि दूसरे की ग्राहक के बिना नाई गयी हो। अभिहड वा—अभ्याहृत मामने लाया हुआ। आहट्टु—बुलाकर। दिज्जमाण—दिये गये ग्राहक को। मुञ्जिज्जा—थावे। तात्पर्यकि इस प्रकार का ग्राहक माधु के लिये वर्जित है।

सुलार्थ—साधु व साध्वी अर्द्ध योजन प्रमाण मर्वाडि-जीमनवार को जानकर आहार लाभ के निमित्त जाने का मकल्प न करे। यदि पूर्व दिशा में प्रीतिभोज हो रहा है तो साधु उसका अनादर करता हुआ पश्चिम दिशा को और पश्चिम दिशा में हो रहा है तो उसका अनादर करता हुआ पूर्व दिशा को जाए। इसी प्रकार दक्षिण दिशा में हो रहा है तो उसका निरादर करता हुआ उत्तर दिशा को, और उत्तर दिशा में हो रहा है तो उसका आदर न करता हुआ दक्षिण दिशा को जाए। तथा जहा पर संखड़ी हो, जैसे कि—ग्राम में, नगर में, खेट में, कर्वट में एव मडव, पत्तन, आकर, द्रोणमुख, नैगम, आश्रम और सन्निवेश, यावत् राज-धानी में होने वाली सखड़ी में स्वादिष्ट भोजन लाने की प्रतिज्ञा में जाने के लिये मन में इच्छा न करे। केवली भगवान कहते हैं—कि यह कर्म बन्ध का मार्ग है। संखड़ी में सखड़ी की प्रतिज्ञा में जाना हुआ माधु यदि वहाँ

लाकर दिए हुए को खाता है तो वह आधाकर्मिक, औद्देशिक, मिश्रजात, क्रीतकृत, उधार लिया हुआ, छीना हुआ, दूसरे की बिना आज्ञा लिया हुआ और सन्मुख लाया हुआ खाता है। तात्पर्य यह है यदि साधु वहाँ जाएगा तो संभव है कि उसे सदोष आहार खाना पड़े।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को सरस एव स्वादिष्ट पदार्थ प्राप्त करने की अभिलाषा से सखड़ी—बड़े जीमनवार या प्रीतिभोज में भिक्षा को नहीं जाना चाहिए। उस स्थान में ही नहीं अपितु जहाँ पर प्रीतिभोज आदि हो रहा हो उस दिशा में भी आहार को नहीं जाना चाहिए। इससे साधु की आहार वृत्ति की कठोरता एव स्वाद पर विजय की बात सहज ही समझ में आ जाती है। ऐसे आहार को भगवान ने आधाकर्म आदि दोषों से युक्त बताया है। इससे स्पष्ट है कि साधु यदि ऐसे प्रसंग पर वहाँ आहार के लिए जाए तो अप्रासुक एव अनेषणीय आहार लेना होगा। क्योंकि अत्यधिक आरम्भ-समारम्भ होने से वह सचित्त आदि पदार्थों के स्पर्श का ध्यान नहीं रख सकता, देने में भी अविधि हो सकती है और साधु को उस दिशा में आता हुआ देखकर कुछ विशिष्ट पदार्थ भी तैयार किए जा सकते हैं या उन्हें साधु के लिए इधर-उधर रखा जा सकता है। अतः साधु को ऐसे प्रसंग पर आहार को नहीं जाना चाहिए।

'सखडि' शब्द का अर्थ होता है—'सखण्डचन्ते-विराध्यन्ते प्राणिनो यत्र सा सखडि' अर्थात् जहाँ पर अनेक जीवों के प्राणों का नाश करके भोजन तैयार किया जाता है, उसे 'सखडि' कहते हैं। वर्तमान में इसे भोजनशाला कहते हैं। इसका गूढ अर्थ महोत्सव एव विवाह आदि के समय किया जाने वाला सामूहिक जिमनवार से लिया जाता है। ऐसे स्थानों पर शुद्ध, निर्दोष, एषणीय एव सात्विक आहार उपलब्ध होना कठिन है, इसलिए साधु के लिए वहाँ आहार को जाने का दिषेध किया गया है।

उस समय गाँव एव नगरों में तो सखड़ी होती ही थी। इसके अतिरिक्त खेट—धूल के कोट वाले स्थान, कुत्सित नगर, मडब—जिस गाँव के बाद ५ मील पर गाँव बसे हुए हों, पत्तन—जहाँ पर सब दिशाओं से आकर माल विकता हो (व्यापारिक मण्डी) आकर—जहाँ ताम्बे, लोहे आदि की खान हो, द्रोणमुख—जहाँ जल और

स्थल प्रदेश का मेल होता हो, नैगम—व्यापारिक बस्ती, आश्रम, सन्निवेश—सराय (धर्मशाला) छावनी आदि । ये स्थान ऐतिहासिक गवेषण की दृष्टि से बड़ा महत्त्व रखते हैं ।

प्रस्तुत सूत्र मे प्रयुक्त 'आयाणमेय' का अर्थ है—कर्म बन्ध का हेतु । कुछ प्रतियो मे 'आयाणमेय' के स्थान पर 'आययणमेय' ऐसा पाठ भी मिलता है । इसका अर्थ है—यह कार्य दोषो का स्थान है, यहा इतना स्मरण रखना चाहिए कि यह वर्णन उत्कृष्ट पक्ष को लेकर किया गया है, जघन्य-सामान्य पक्ष को लेकर नहीं ।

सखडी मे जाने से कौन से दोष लग सकते हैं, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—असंजए भिक्खुपडियाए खुडिड्यदुवारियाओ
महल्लियदुवारियाओ कुज्जा, महल्लियदुवारियाओ खुडिड्यदुवा-
रियाओ कुज्जा, समाओ सिज्जाओ विसमाओ कुज्जा, विसमाओ
सिज्जाओ समाओ कुज्जा, पवायाओ सिज्जाओ निवायाओ
कुज्जा, निवायाओ सिज्जाओ पवायाओ कुज्जा, अंतो वा वहिं
वा उवस्सयस्स हरियाणि छिंदिय छिंदिय दालिय दालिय
संधारगं संधारिज्जा, एस विलुङ्गयामो सिज्जाए, तम्हा से संजए
नियंठे तहप्पगारं पुरेसंखडिं वा पच्छासंखडिं वा संखडिं संखडि-
पडियाए नो अभिसंधारिज्जा गमणाए, एयं खलु तस्स भिक्खु-
स्स जाव सया जए, त्तिवेमि ॥१३॥

छाया—असंयत' भिक्षुप्रतिज्ञया क्षुद्रद्वाराः महाद्वाराः कुर्यात् महाद्वाराः
 क्षुद्रद्वाराः कुर्यात्, समाः शय्या विपमाः कुर्यात्, विपमाः शय्याः समा कुर्यात्,
 प्रवाताः शय्याः निवाताः कुर्यात्, निवाताः शय्याः प्रवाताः कुर्यात्, अन्तो-

वा बहिर्वा उपाश्रयस्य हरितानि छित्त्वा २ विदार्य २ संस्तारकं संस्तारयेत्, एष निर्गन्थः (अकिंचनः) शय्यायाः, तस्मात् सः संयतः निर्गन्थः तथा-प्रकारां पुरःसंखडिं वा पश्चात्संखडिं वा संखडिं संखडिप्रतिज्ञया नाभिसन्धारयेत् गमनाय, एवं खलु तस्य भिक्षोः यावत् (सामग्र्यं) सदा यतेत । इतिब्रवीमि ।

पदार्थ—असजए—असयाति-गृहस्थ । भिक्षुपडियाए—साधु के लिए । खुडिडय-दुवारियाओ—छोटे द्वारा को । महल्लियदुवारियाओ—बड़ा द्वार । कुज्जा—करता है या । महल्लिय-दुवारियाओ—बड़े द्वार को । खुडिडयदुवारियाओ—छोटा द्वार । कुज्जा—करता है । समाओ सिज्जाओ—सम शय्या को । सिज्जाओ—विषम शय्या । कुज्जा—करता है । विसमाओ सिज्जाओ—विषम शय्या को । समाओ—सम । कुज्जा—करता है । पवायाओ सिज्जाओ—वायु वाली शय्या को । निवायाओ—निर्वात-वायु रहित । कुज्जा—करता है और । निवायाओ सिज्जाओ—निर्वात शय्या को । पवायाओ—वायु युक्त । कुज्जा—करता है । उवस्सयस्स—उपाश्रय के । अतो वा—अन्दर से । बाहि वा—बाहर से । हरियाणि—हरियाली का । छिदिय २—छेदन करता है । दालिय २—विदारण करता है । सथारग—सस्तारक को । सथारिज्जा—विछाता है । एस-यह माधु । विलुङ्गामो—अकिंचन है अत । सिज्जाए—यह शय्या उसके लिये सस्कार की गई है । तम्हा—अत । से सजए—वह संयत । नियठे—निर्गन्थ । तहप्पगार—इस प्रकार की शय्या को एव । पुरेसखडिं वा—विवाहादिक के समय की पहली जीमनवार । पच्छासंखडिं वा—मृतक के निमित्त पीछे की जाने वाली जीमनवार । सखडिं—सखडी को । सखडिपडियाए—सखडी की प्रतिज्ञा से । गमणाए—गमन करने के लिए । नो अभिसंधारिज्जा—मन में विचार न करे । एय-यह । खलु—निश्चय ही । तस्स—उस । भिक्षुस्स—भिक्षु की । जाव—यावत् सामग्रता है—मम्पूरता है । सया—सदा । जए—यत्न करे । त्तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—कोई श्रद्धालु गृहस्थ साधु के (संखडि में आने की सम्भावना से) छोटे द्वार को बड़ा करेगा और बड़े को छोटा, तथा सम शय्या को विषम और विषम को सम करेगा, तथा वायु युक्त शय्या को निर्वात (वायु रहित) और निर्वात को सवात (वायुयुक्त) करेगा । इसी भाँति उपाश्रय के अन्दर और बाहर हरियाली का छेदन करेगा तथा उसे जड से उखाड़ कर आसन को व्यवस्थित बनाएगा । क्योंकि वह शय्या अकिंचन भिक्षु

के लिए है। अतः वह यत्नशील निर्गन्थ उक्त प्रकार की पूर्व संखडी तथा पश्चात् संखडी को सखडी की प्रतिज्ञा से जाने के लिए मन में सकल्प न करे। यह निश्चय ही साधु वा साध्वी की सामग्रता अर्थात् भिक्षु भाव की सम्पूर्णता है, ऐसा मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र के पूर्व भाग में हम देख चुके हैं कि सखडी में आहार को जानने से निर्दोष आहार मिलना कठिन है। और इस सूत्र के उत्तर भाग में यह बताया गया है कि सखडी में जाने से और भी अधिक दोष लग सकते हैं। यदि किसी श्रद्धानिष्ठ व्यक्ति को यह पता लग जाए कि साधु इस ओर आहार के लिए आ रहा है, तो वह उसके लिए अग्न्या आदि को ठीक करने का प्रयत्न करेगा, स्थान को ठहरने के योग्य बनाने के लिए इधर-उधर पड़े हुए घास-फूस को काटेगा, पानी आदि से धोएगा और दरवाजे को छोटा-बड़ा बनाएगा। इस दृष्टि से भी संखडी के स्थान में साधु को आहार के लिए जाने का निषेध किया गया है।

'सखडी' भी पूर्व और पश्चात् के भेद से दो प्रकार की होती है। विवाह आदि के मागलिक कार्यों के समय विवाह सम्पन्न होने से पूर्व की जाने वाली सखडी को पूर्व सखडी कहते हैं। और मरे हुए व्यक्ति के पीछे मृत भोज को पश्चात् सखडी कहते हैं। क्योंकि मृतभोज व्यक्ति के मरने के बाद ही किया जाता है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'असजए' पद का अर्थ वृत्तिकार ने श्रावक या अन्य भद्र-पुरुष किया है। इसका अर्थ यह है कि उपाश्रय के साथ श्रावक का सम्बन्ध होने के कारण श्रावक अर्थ सगत बैठता है। परन्तु विवेकवान एव तत्त्वज्ञ श्रावक साधु के लिए धाम-फूस काटकर आरम्भ नहीं करता। इससे ऐसा ज्ञात होता है कि साधु-चर्या में अनभिज्ञ श्रावक या श्रद्धानिष्ठ भक्त हो सकता है।

'चित्तेमि' का अर्थ पूर्ववत् समझे।

प्रथम अध्ययन पिराडैषणा

तृतीय उद्देशक

द्वितीय उद्देशक में सखडि आदि से सम्बन्धित दोषो का उल्लेख किया गया है । प्रस्तुत उद्देशक में अन्य दोषो का विवेचन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से एगइओ अन्नयरं संखडिं आसित्ता पिबित्ता-
अडिड्जा वा, वमिजा वा, भुत्ते वा से नो सम्मं परिणमिज्जा,
अन्नयरे वा से दुक्खे रोगायंके समुप्पज्जिज्जा, केवली बूया—
आयाणमेयं ॥१४॥

इह खलु भिक्खू गाहावईहिं वा गाहावइणीहिं वा परि-
वायएहिं वा परिवाइयाहिं वा एगज्जं सद्धिं सुण्डं पाउं भो वइ-
मिस्सं हुरत्था वा उवस्सयं पडिलेहेमाणो नो लभिज्जा तमेव
उवस्सयं संम्मिस्सीभावमावज्जिज्जा, अन्नमणे वा से मत्ते विप्परि-
यासीयभूए इत्थिविग्गहे वा किलीबे वा तं भिक्खुं उवसंकमित्तु
बूया—आउसंतो समणा ! अहे आरामंसि वा अहे उवस्सयंसि
वा राओ वा वियाले वा, गामधम्मनियंतियं कट्टु रहस्सियं
मेहुणधम्मपरियारणाए आउट्टामो, तं चेवेगइओ सातिज्जि-
ज्जा, अकरणज्जं चयं संखाए एए आयाणा (आयतणाणि) संति

सुडपाउ—सीधु—मदिरा के पीने पर । भो हे शिष्य । वईभिस्सं—उसे व्यतिमित्र हो जायगा । वा—अथवा । हुरस्था वा—वहा से बाहर निकल कर । उवस्सयं—उपाश्रय की । पडिलेहेमाणे—याचना करता हुआ । नोलभिज्जा—जब अच्छा उपाश्रय न मिलेगा तो । तमेव उवस्सय—उसी उपाश्रय में । सम्भिस्सीभावमावज्जिज्जा—गृहस्थी वा परिव्राजको के साथ मिलकर रहना होगा । वा—और वहा । से—वह गृहस्थादि । अन्नमणे—परस्पर । मत्ते—मदोन्मत्त होकर । विप्परियासियभूए—विपरीतभाव को प्राप्त होंगे और उनके सम्पर्क से भिक्षु भी अपनी आत्मा को विस्मृत कर देगा । वा—अथवा । इत्थी विग्गहे—स्त्री के शरीर में, तथा । किलीवे—नपुसक में-विपरीत भाव को प्राप्त हो जाता है । वा—वह स्त्री या नपुसक । त—उस । भिक्खू—भिक्षु के । उवसंकिमित्त—पास में आकर । बूया—इस प्रकार कहे कि । आउसंतो समणा—हे आद्युष्मन् श्रमण ! अहे आरामसि वा—उद्यान में अथवा । अहे उवस्सयसि वा । उपाश्रय में अथवा । राओ वा—रात्री में । वियाले वा—विकाल में-अकाल में । गामधम्म नियतिय कट्टु—आस्य धर्म मँथन धर्मादि की नियंत्रणा से नियंत्रित करके । रहस्सिय एकान्त स्थान में । मेहुणधम्मपरियारणाए—मँथन धर्म के । आसेवनार्थं हम । आउट्टामो प्रवृत्त हो प्रवृत्ति करे, इस प्रकार कहे जाने पर । त—उस प्रार्थना को । चेवेगइओ कोई अनभिज्ञ भिक्षु । सातिज्जिज्जा—स्वीकार करे । च—पुनः । एयं—यह । अकरणिज्जं—अकरणीय कार्य । सखाए—जानकर सखडि में गमन न करे । एए—ये पूर्वोक्त । आयाणा—कर्म आने के माग अथवा । आयातणाणि—दोषों के स्थान । सति—हैं । सच्चिज्जमाणा—क्षण-क्षण में कर्म सचय करता हुआ । पच्चवाया—इसी प्रकार के अन्य भी कर्म आने के मार्ग । भवति—होते हैं । तम्हा—अतः । से—वह । सजए—सयत्—सयमशील । नियंदंठे—निरन्तर । तहप्पगार—उक्त प्रकार की । पुरेसखडि—पूर्व सखडि में अथवा । पच्छासंखडि वा—पश्चात् सखडि में । सखडि—संखडि को जानकर । सखडि पडियाए—संखडि की प्रतिज्ञा से । गमणाए—उस ओर जाने का । नो अभिसंधारिज्जा—मन में सकल्प भी न करे ।

मूलार्थ—सखडि में गए हुए साधु को वहा अधिक सरस आहार करने एवं अधिक दूधादि पीने के कारण उसे वमन हो सकता है या उम आहार का सम्यक्तया पाचन नहीं होने से विसूचिका, ज्वर या शूलादि रोग उत्पन्न हो सकते हैं । इसलिए भगवान ने सखडी में जाने के कार्य को कर्म आने का कारण कहा है ।

इसके अतिरिक्त सखडि में गया हुआ साधु गृहपति एवं उस

को पतनो, परिव्राजक-परिव्राजिकायो के सहवास से मदिरा पान करके निश्चय ही अपनी आत्मा का भान भूल जाएगा । और उस स्थान से बाहर आकर उपाश्रय को याचना करेगा, परन्तु अनुकूल स्थान नहीं मिलने पर वह गृहस्थ या परिव्राजको के साथ ही ठहर जाएगा । और मदिरा के प्रभाव से वह अपने स्वरूप को भूल कर अपने आप को गृहस्थ समझने लगेगा । उम्र समय स्त्री या नपुंसक पर ग्रासक्त होने लगगा उसे मदोन्मत्ता देखकर रात्री में या विकाल में स्त्री या नपुंसक उसके पास आकर कहेंगे कि हे आयुष्मान् श्रमण ! व्रगोचे या उपाश्रय के एकान्त स्थान में चलकर ग्रामधर्म-मैथुन का ग्रासेवन करे । इस प्रार्थना को सुनकर कोई अनभिज्ञ साधु उसे स्वीकार भी कर सकता है । अतः इस तरह आत्म पतन होने की सम्भावना होने के कारण भगवान ने संखडि में जाने का निषेध किया है और इसे कर्मबन्ध का स्थान कहा है । इसमें प्रतिक्षण कर्म आते रहते हैं । इसलिए साधु को पूव सखडि या पश्चात् संखडि में जाने का मन में भी सकल्प नहीं करना चाहिए ।

हिन्दी निवेदन

यह हम देख चुके हैं कि साधु को संखडि में आहार के लिए जाने का निषेध किया गया है । पूर्व उद्देशक में बताया गया है कि वहां जाने से साधु को अनेक दोष लगने की सम्भावना है । प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि संखडि में आहार को जाने से साधु को शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक हानि भी होती है । क्योंकि साधु का आहार सात्त्विक एवं नीरस होता है और प्रायः ऐसा करने से उसकी आत्मा भी उस आहार को पचाने की अभ्यस्त हो जाती है । और संखडि में सरस एवं प्रकाम भोजन बनता है और दूध आदि पौष्टिक पदार्थ भी होते हैं और सरस एवं स्वादिष्ट पदार्थों के कारण वे अधिक खाए जा सकते हैं । इससे साधु को बमन हो सकती है, या पाचन क्रिया ठीक न होने से विरूचिका, शूल आदि भयंकर रोग हो सकते हैं और उसके कारण उसकी तुरन्त मृत्यु भी हो सकती है । इस तरह आतं एवं रात्रि ध्यान में प्राण त्याग करके चंड दुर्गति में जा सकता है । इसलिए साधु को ऐसे स्थानों में आहार आदि का नहीं जाना चाहिए ।

दूसरा दोष यह है कि संखडि मे जाने पर वहां आए हुए अन्य मत के भिक्षुओं से उसका घनिष्ठ परिचय होगा और उससे उसकी श्रद्धा में विपरीतता आ सकती है। और उनके संसर्ग से वह मद्य आदि पदार्थों का सेवन कर सकता है और उनके कारण पने आत्म भान को भूलकर संयम के विपरीत आचरण का सेवन भी कर सकता है। शराव के नशे में उन्मत्त होकर वह नृत्य भी कर सकता है और किसी उन्मत्त स्त्री के द्वारा भोग का निमन्त्रण पाकर उस पथ पर भी फिसल सकता है। इस तरह संखडि मे जाकर वह अपने संयम का सर्वथा नाश करके जन्म-मरण के अनन्त प्रवाह मे प्रवहमान हो सकता है।

इस तरह संखडि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक चिन्तन एवं आध्यात्मिक साधना आदि सबका नाश करने वाली है। इस लिए साधु को संखडि के स्थान की ओर भी नहीं जाना चाहिए। इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा २ अन्नयरिं संखडिं सुच्चा निसम्म संपहावइ उस्सुयभूएण अप्पाणेणं, धुवा संखडि, नो संचाएइ तत्थ इयरेयरेहिं कुलेहिं सामुदाणियं एसियं वेसियं पिंडवायं पडिग्गाहि-त्ता आहारं आहारित्तए, माइट्ठाणं संपासे, नो एवं करिज्जा। से तत्थ कालेण अणुपविसित्ता तत्थियरेयरेहिं कुलेहिं सामुदाणियं एसियं वेसियं पिंडवायं पडिग्गाहिता आहारं आहारिज्जा ॥१६॥

छाया—स भिक्षुर्वा २ अन्यतरा संखडिं श्रुत्वा निश्चम्य सम्प्रधावति उत्सुकभूतेनात्मना, ध्रुवा संखडि न शक्नोति तत्र, इतरेतरेभ्यः कुलभ्यः सामुदानिक (भैक्षम्) एषणीय वैपिकं पिण्डपातं परिगृह्य आहारमाहर्तुं म तृ-स्थान सस्पृशेन् न एव कुर्यात् । स तत्र कालेनानुप्रविश्य तत्रेतरेतरेभ्यः कुलेभ्यः सामुदानिक (भैक्षम्) एषणीयं वैपिकं पिण्डपातं प्रतिगृह्य आहारमाहारयेत् ।

पदार्थ—से—वह। भिक्षू वा २—साधु अथवा साध्वी। अन्नयरिं—अन्यतर—किसी एक स्थान पर। संखडि—संखडि को। सुच्चा—सुनकर। निसम्म—त्रिचार कर। उस्सुयभूएण—उत्सुकतायुक्त। अप्पाणेण—आत्मा से। संपहावइ—जाता है। धुवा—निश्चित। संखडी—है।

वहा सखडि वाले ग्राम मे । इधरेधरेहिं — इतर-इतर—सखडि रहित । कुलेहिं—कुलो से । सामुदाणिय — सामुदानिक बहुत से चरो का । एसिय — एण्णीय—आधाकर्मादि दोपो से रहित । वेसिय — साधु के वेप द्वारा प्राप्त किया गया । पिडवायं — पिण्डपात—आहार को । पडिग्गाहिता— लेकर । आहारं आहारित्तः । आहार करने-भक्षण करने के लिए । नोसचाएत्ति—शक्ति सम्पन्न नही होगा अतः । माइट्ठाणं—मातृस्थान का । सफासे — स्पर्श होता है । नो एवं करिज्जा— अतः वह ऐसा न करे किन्तु । से वह भिक्षु । तत्थ — उस सखडि वाले ग्राम मे । कालेण — भिक्षा के समय । अणुपविंसत्ता — प्रवेश कर के । तत्थिधरेधरेहिं—संखडिवाले घर से इतर । कुलेहिं — कुलो-घरों से । सामुदाणिय— सामुदानिक । एसिय — निर्दोष । वेसियं — केवल साधु वेप से प्राप्त हुआ । पिडवायं — पिण्डपात आहार को । पडिग्गाहिता—ग्रहण करके । आहारं— उस आहार को आहारज्जा—भक्षण करे खावे, परन्तु सखडि मे जाने का उद्योग न करे ।

मूलार्थ—जो साधु वा साध्वी किसी अन्य स्थान पर सखडि को सुन कर तथा मन मे निश्चय कर उत्सुक आत्मा से वहा जाता है, सखडी का निश्चय कर सखडि वाले ग्राम मे या सखडि से भिन्न, जिन घरों में सखडि नही है आधाकर्मादि दोपो से रहित भिक्षा प्राप्त होती है । उनमें इस भावना से आहार को जाता है कि मुझे वहा भिक्षा करते देख कर सखडि वाला व्यक्ति मुझे आहार की विनती करेगा ऐसा करने से मातृस्थान-कपट का स्पर्श होता है । अतः साधु इस प्रकार का कार्य न करे । वह भिक्षु संखडियुक्त ग्राम मे प्रवेश कर के भी संखडी वाले घर मे आहार को न जाए, परन्तु अन्य घरों में सामुदानिक भिक्षा जो कि आधाकर्मादि दोषों से रहित, ग्रहण करके अपने समय का परिपालन करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को संखडि में जाने के लिए छल-कपट का सहारा भी नहीं लेना चाहिए । जैसे—किमी मुनि को यह मालूम हुआ कि अमुक स्थान पर संखडि है, उस समय वह भिक्षु संखडि में जाने की अभिलाषा से उम और आहार को जाता है । वह अपने मन में सोचता है कि जब मैं उस ओर के घरों मे गोचरी करूंगा तो संखडि वाले मुझे देखकर आहार की विनती करेगे और इस तरह मुझे सरम आहार प्राप्त होगा । इस भावना से भी साधु को संखडि में नहीं जाना चाहिए । इस तरह छल-कपट करने से उसका दूसरा एवं तीसरा महाव्रत भंग हो जाता है और मन में

सरस आहार की अभिलाषा बनी रहने के कारण वह अन्य घरों से निर्दोष एवं एषणीय आहार भी ग्रहण नहीं कर सकेगा। अन्ध भिक्षु को आहार के वहाने सखडि की ओर नहीं जाना चाहिए। परन्तु, सखडि को छोड़कर अन्ध घरों से निर्दोष एवं एषणीय आहार ग्रहण करने हुए समय साधना में सलग्न रहना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र में 'सामुदाणिय, एसिय, वेसिय' इन तीन पदों का प्रयोग किया है। सामुदानिक गोचरी का अर्थ है— छोटे-बड़े या गरीब-अमीर के भेद को छोड़कर अनिन्दनीय कुलों से निर्दोष आहार को ग्रहण करना। एषणीय का अर्थ है— आधाकर्म आदि १६ दोषों से रहित आहार ग्रहण करना और वैपिक का अर्थ— धात्री आदि २६ दोषों से रहित आहार स्वीकार करे। वैपिक शब्द 'वेसिय', व्येगित और वेष' का भी बोधक है ❀।

सखडि के विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा २ से जं पुण जाणिज्जा गामं वा जाव रायहाणि वा इमंसि खलु गामंसि वा जाव रायहाणि-मिवा संखडी सिथा तं पि य गामं वा जाव रायहाणिंवा सखाडे संखडिपडियाए नो अभिसंधारिज्जा गमणाए । केवली बूया आयाणमैयं, आइन्नाऽवमा णं संखडिं अणुपविस्समाणास्स पाएण वा पाए अककत्तपुव्वे भवइ, हत्थेण वा हत्थे संचालिय पुव्वे भवइ, पाएण वा पाए आवडिय पुव्वे भवइ, सीसेण वा सीसे, भवट्टियपुव्वे भवइ, काएण वा काए संखोभिय पुव्वे भवइ दंडेण वा अट्ठीण वा मुट्ठीण वा लेलुणा वा क्वा-लुणा वा अभिहयपुव्वे वा भवइ, सीओदण वा उस्सित्तपुव्वे भवइ, रयमा वा परिघासिय पुव्वे भवइ, अणोसणिज्जे वा

❀ 'वेसिय' त्रि० (वैपिक) वेप-बाह्य लिंग मात्र थी प्राप्त थयेलु। 'वेसिय' त्रि (व्येषित) विशेष एषणा थी शब्द करी लीधेज।

परिभुक्त पुच्छे भवइ, अन्नेसिं वा दिज्जमाणे पडिग्गहिर, पुच्छे
भवइ, तम्हा से संजए नियंठे तहप्पगारं आइन्नावमा गां
संखडिं संखडिं पडियाए नो अभिसंधारिज्जा गमणाए ॥१७॥

छाया—स भिक्षुर्वा तद् यत् पुनः जानीयात् ग्रामे वा यावत् राजधान्या
मस्मिन् खलु ग्राम वा यावद् राजधान्या वा संखडिः स्यात् तमपि च ग्रामे वा
यावद् राजधान्या वा संखडिं संखडिं प्रतिज्ञायो न अभिनन्धारयेत् गमनाय,
केवली भूयात्-आदानमेतत् । आकीर्णावमां वा संखडिभनुप्रदिशतः पादेन वा
पादः आक्रान्त पूर्वो भवेत्, हस्तेन वा हस्तः सचालितः-पूर्वो भवति, पात्रेण
वा पात्रं आपतित पूर्व भवति, शिरसा वा शिरः संघटित पूर्व भवति, कायेन
वा कायः संक्षोभित पूर्वो भवति, दण्डेन वा अस्थना वा मुष्टिना वा लोष्ठेन
वा कपालेन वा अभिहत पूर्वो वा भवति, शीतोदकेन वा उत्सिक्त पूर्वो भवति,
रजसा वा परिषर्पित पूर्वो भवति अनेपणीयेन वा परिभुक्त पूर्वो भवति,
अन्यस्मै वा दीयमान प्रतिग्राहित पूर्वो भवति, तस्मात् स सयतः निर्ग्रन्थः तथा
प्रकारमाकीर्णावमां सखडिं सखडिं प्रतिज्ञया नाभिसन्धारयेद् गमनाय ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षू वा—भिक्षु—साधु अथवा साध्वी । से ज पुण—जो फिर
जाणिज्जा—जाने । गमं वा—ग्राम मे । जाव—यावत् । रायहाणिं वा—राजधानी मे ।
खलु—निश्चय ही । इमसि—इस । गामंसि—ग्राम मे । जाव—यावत् । रायहाणिसिवा—
राजधानी मे । संखडि सिया—सखडि है । तं पि य—उस । गाम वा—ग्राम मे । जाव—
यावत् । रायहाणि वा—राजधानी मे । सखडि—संखडि को । संखडि पाडियाए—सखडि की
प्रतिज्ञा से । गमणाए—उस ओर जाने का । नो अभिसंधारिज्जा—सकल्पन करे । केवली बूया—
केवली भगवान कहते हैं कि । आपाणमेयं—यह सखडिगमन कर्म के आने का मार्ग है ।
आइन्ना—परिव्राजकादि से आकीर्ण । अवमा—ओर जिसमे थोड़े व्यक्तियों के लिये भोजन बनाया
गया हो तथा भिक्षारी अधिक हो ऐसी हीन । संखडि—सखडि में । अणुपविस्समाणस्स—प्रवेश
करते समय । पाएण वा पाए—परस्पर पैर से पैर । अयकतपुच्छे—प्रथम आक्रान्त । भवइ—
होता है । हत्थेण वा हत्थे—हाथ से हाथ का । संचालिय पुच्छे भवइ—संचालन होता है ।
पाएण वा पाए—पात्र से पात्र का । आवडिय पुच्छे भवइ—सघर्षण होता है । सीसेण वा—
सीसे—शिर से शिर का । सघट्टिय पुच्छे भवइ—नघट्टन होता है । काएण वा काए—गंगीर मे

शरीर का । संखोभिय पुब्बे भवइ - संकोभ होता है फिर शरीर के पारस्परिक संघटन से कलह उत्पन्न होने की सम्भावना है जिस से वे चरकादि भिक्षुगण आपस में । दंडेण वा - दण्डे से । अट्ठीण वा - अस्थि से । मुट्ठीण वा - मुष्टी से । लेलुण वा - पत्थर से । कवालेण वा - मिट्टी के ढेलों से लडेंगे । अभिहृष पुब्बे भवइ - इससे एक दूसरा अभिहत होगा - एक दूसरे को अभिघात पहुंचेगा अथवा । सीओदएण वा - शीतोदक से - शीतल जल से । उस्सित्त पुब्बे भवइ - एक दूसरे को सींचेगा, तथा । रयसा वा - रज से - मिट्टी से । पग्घासियपुब्बे भवइ - परिघातित करेगा ये सब दोष उस संखडि में जाने से उत्पन्न हो सकते हैं जिस में स्थान कम हो और जन सख्या अधिक हो । अब आगे हीन संखडि में जाने से उत्पन्न होने वाले दोषों का उल्लेख करते हैं ।

अणेसणिज्जे वा - अणेषणीव आहार । परिभुत्त पुब्बे भवइ - भोगने वाला होगा । अर्नेसि वा दिज्जमाणे - अन्न के लिए देने को उत्सुकवातासे । पडि - अहियपुब्बे भवइ - मध्य में ही कोई ग्रहण कर लेगा । तम्हा - इस लिए । से - वह । संजए - सयत । नियंठे - निर्ग्रन्थ । तहएणारं - उक्त प्रकार की । आइन्नावमा णं - आकीर्ण और अवम हीन । संखडि - संखडि में । सखडि पडियाए - संखडि की प्रतिज्ञा से । गमणए - जाने के लिए । नो अभिसंधारिज्जा - विचार न करे ।

मूलार्थ—साधु व साध्वी यह जान ले कि ग्राम में या राजधानी में तथा, निश्चय रूप से जान ले कि इस ग्राम या इस राजधानी में संखडि है, तो वह उस ग्राम या राजधानी में होने वाली संखडि में संखडि की प्रतिज्ञा से जाने का विचार न करे । क्योंकि भगवान कहने हैं कि यह अशुभ कर्म के आने का मार्ग है, ऐसी हीन संखडि में जाने के निम्न लिखित दोषों के उत्पन्न होने की संभावना रहती है । यथा—जहां थोड़े लोगों के लिए भोजन बनाया हो और परित्राजक तथा चरकादि भिखारी गण अधिक आगए हो तो उस में प्रवेश करते हुए, पैर से पैर पर आक्रमण होगा, हाथ से हाथ का संचालन होगा, पात्र से पात्र का संघर्षण होगा, एव सिर से सिर और शरीर से शरीर का संघटन होगा, ऐसा होने पर दण्डे से या मुट्ठी से या पत्थर अदि से एक दूसरे पर प्रहार का होना भी सम्भव है इसके अतिरिक्त, वे एक दूसरे पर सचित्त जल या सचित्त मिट्टी आदि फेंक सकते हैं । और वहां याचको की अधिकता

के कारण साधु को अनैषणीय आहार का भी उपयोग करना होगा तथा अन्य को दिये जाने वाले आहार को मध्य में ही ग्रहण करना होगा । इस तरह उस में जाने से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं । इसलिए संयमशील निर्ग्रन्थ उक्त प्रकार की अर्थात् परिव्राजकादि से आकीर्ण तथा हीन संखडि में संखडि की प्रतिज्ञा से जाने का विचार न करे ।

हिन्दी विवेचन

संखडि के प्रकरण को समाप्त करते हुए प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि संखडि में जाने से पारस्परिक संघर्ष भी हो सकता है । क्योंकि संखडि में विभिन्न मत एवं पन्थों के भिन्न एकत्रित होते हैं । अतः अधिक भीड़ में जाने से परस्पर एक-दूसरे के पैर से पैर कुचला जाएगा इसी तरह परस्पर हाथों, शरीर एवं मस्तक का स्पर्श भी होगा और एक-दूसरे से पहले भिक्षा प्राप्त करने के लिए धक्का-मुक्की भी हो सकती है । और भिक्षु या मांगने वाले अधिक हो जाए और आहार कम हो जाए तो उसे पाने के लिए परस्पर वाक् युद्ध एवं मुष्टि तथा दण्ड आदि का प्रहार भी हो सकता है । इस तरह संखडि संयम की घातक है । क्योंकि वहां आहार शुद्ध नहीं मिलता, श्रद्धा में विपरीतता आने की संभावना है, सरस आहार अधिक खाने से मंक्रामक रोग भी हो सकता है और संघर्ष एवं कलह उत्पन्न होने की संभावना है । इसलिए साधु को यह ज्ञात हो जाए कि अमुक गांव या नगर आदि में संखडि है तो उसे उस ओर आहार आदि को नहीं जाना चाहिए ।

संखडि दो तरह की होती है— १-आकीर्ण और २-अवम । परिव्राजक, चरक आदि भिक्षुओं से व्याप्त संखडि को आकीर्ण और जिसमें भोजन थोड़ा बना हो और भिक्षु अधिक आ गए हों तो अवम संखडि कहलाती है ॥

मूलम्—से भिक्खू वा जाव समाणे से जं पुण जाणिज्जा
असणं वा ४ एसणिज्जे सिगा अणेसणिज्जे सिया विति-
गिंइसमावन्नेण अप्पाणेण असमाहडाए लेसाए तहप्पगारं असणं
वा ४ लाभे संते नो पडिग्गाहिज्जा ॥१८॥

आया—स भिक्षुर्वा यावत् (गृहपति कुल प्रविष्टः) सन् पुनर्जानीयात्—
अशनं वा ४ एषणीयं स्यात् अनेपणीयं स्यात्, विचिकित्सा समापन्नेनात्मना
असमाहृतया—अशुद्ध्या लेश्यया तथाप्रकारमशनं वा ४ लाभे सति न प्रति-
गृह्णीयात् ।

पदार्थ—से भिखू वा—वह साधु वा साध्वी । जाव समाणे—यावत् गृह मे प्रवेश
करता हुआ । से जं पुण—फिर यह । जाणिज्जा—जाने । असणं वा—अशनादि चतुर्विध आहार ।
एसणिज्जे सिया—क्या एपणीय है अथवा । अणेसणिज्जे सिया—अनेपणीय है । वितिगिंच्छसमावन्नेण-
इस प्रकार की विचिकित्सा—आशका युक्त । अप्पाणेण—आत्मा से । असमाहड़ाए लेसाए—यह
आहार अशुद्ध है इस प्रकार की लेश्या से । तहप्पगारं—उक्त प्रकार का । असण वा ४—
अशनादिक चतुर्विध आहार । लाभे संते—मिलने पर भी । नो पडिगाहिज्जा—ग्रहण न करे ।

मूलार्थ—गृहस्थ के घर में गया हुआ साधु वा साध्वी अशनादि
चतुर्विध आहार को जाने कि यह आहार एपणीय है या अनेपणीय ? यदि
इस प्रकार की विचिकित्सा—आशका या लेश्या उत्पन्न होने पर कि यह
आहार अशुद्ध है वह उस आहार को मिलने पर भी ग्रहण न करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया है कि साधु गृहस्थ के घर में आहार आदि के लिए प्रवेश
करते ही यह देखे कि मुझे दिया जाने वाला आहार एषणीय है या नहीं ? यदि उसे उस
आहार की निर्दोषता में सन्देह हो तो उसे वह आहार नहीं लेना चाहिए । क्योंकि उस
आहार के प्रति मन में सदोषता का संशय उत्पन्न होने पर उस संशय के दूर हुए बिना
वह उस आहार को ग्रहण कर लेता है तो वह संकल्प-विकल्प में उलझ जाता है ।
और उसके उस मानसिक चिन्तन का प्रभाव साधना पर पड़ता है । इस तरह उसकी
आध्यात्मिक साधना का प्रवाह कुछ देर के लिए रुक जाता है या दूषित सा हो जाता
है । अतः साधु को आहार के सदोष होने की शंका हो जाने पर उसे उस आहार
को ग्रहण ही नहीं करना चाहिए ।

अब गच्छ से बाहर रहे हुए जिनकल्पी आदि मुनियों को आहार आदि के
लिए कैसे जाना चाहिए इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिखू० गाहावइ कुलं पविसिउकामे सर्वं
भण्डगमायाए गाहावइ कुलं पिंडवायपडियाए पविसिज्ज वा

निकखमिज्ज वा ।

से भिक्खू वा २ बहिया विहारभूमिं वा विचारभूमिं
वा निकखममाणे वा पविसमाणे वा सव्वं भंडगमायाए बहिया
विहारभूमिं वा विचारभूमिं वा निकखमिज्ज वा पविसिज्ज वा ।

से भिक्खू वा २ गामाणुगामं दूइज्जमाणे सव्वं भंडगमायाए
गामाणुगामं दूइज्जिज्जां ॥१६॥

छाया—स भिक्षुः गृहपति कुलं प्रवेष्टुकामः सर्वं भण्डकमादाय गृहपति-
कुलं पिण्डपातप्रतिज्ञया प्रविशेद् वा निष्क्रामेद् वा स भिक्षुर्वा० २ बहि—
विहारभूमिं वा विचारभूमिं वा निष्क्रमन् वा प्रविशन् वा सर्वं भण्डकमादाय
बहिः विहारभूमिं वा विचारभूमिं वा निष्क्रामेद् वा प्रविशेद् वा । स भिक्षुर्वा
२ ग्रामानुग्रामं गच्छन् सर्वभण्डकमादाय ग्रामानुग्रामं गच्छेद् ।

पदार्थ—से भिक्खू—वह साधु अथवा साध्वी । गाहावइकुलं—गृहपति के कुल में ।
पविसिज्ज कामे—प्रवेश करने की इच्छा करता हुआ । सव्व भण्डगमायाए—अपने सर्व धर्मोप-
करणों को लेकर । गाहावइ कुलं—गृहपति के कुल में । पिण्डवायपडियाए—पिण्डपात की
प्रतिज्ञा से । पविसिज्ज वा—प्रवेश करे अथवा । निकखमिज्ज वा—निकले ।

से भिक्खू वा २—वह साधु वा साध्वी । बहिया—बाहर । विहार भूमि वा—मत्तोत्सर्ग
भूमि में । विचार भूमि वा—स्वाध्याय भूमि में । निकखमाणे वा—निकलता हुआ अथवा ।
पविसमाणे वा—प्रवेश करता हुआ । सव्वं—सब । भण्डगमायाए—धर्मोपकरण को साथ लेकर ।
बहिया—बाहर । विहार भूमिं वा—विहार-मत्तोत्सर्ग करने की भूमि में । विचार भूमि वा—
स्वाध्याय भूमि में । निकखमिज्ज वा—निकले अथवा । पविसिज्ज वा प्रवेश करे ।

से भिक्खू वा—वह साधु वा साध्वी । गामाणुगामं—ग्रामानुग्राम—एक ग्राम से दूसरे
ग्राम में । दूइज्जमाणे—जाता हुआ । सव्वं—सब । भण्डगमायाए—धर्मोपकरणों को साथ लेकर ।
गामाणुगामं—ग्रामानुग्राम—एक ग्राम से दूसरे ग्राम में । दूइज्जिज्जा—गमन करे—जावे ।

मूलार्थ—जो साधु वा साध्वी गृहपति कुल में प्रवेश करने की इच्छा

रखते हैं वे सब भंडोपकरण को साथ लेकर पिंडपात प्रतिज्ञा से गृहपति कुल में प्रवेश करे या निकले ।

जो साधु वा साध्वी बाहर मलोत्सर्ग भूमि में, या स्वाध्याय भूमि में जाना चाहते हैं वे भी अपने सब धर्मोपकरण को साथ लेकर बाहर विहार भूमि में स्वाध्याय भूमि में प्रवेश करे ।

ग्रामानुग्राम—एक ग्राम से दूसरे ग्राम में, विचरते समय साधु वा साध्वी अपने सब धर्मोपकरणों को साथ लेकर एक ग्राम से दूसरे ग्राम को विहार करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि जिनकल्पी या प्रतिमाधारी साधु को आहार के लिए या शौच एवं स्वाध्याय आदि के लिए अपने ठहरे हुए स्थान से बाहर जाते समय अपने सभी उपकरण साथ ले जाने चाहिए । जब कि सूत्र में जिनकल्पी या स्थविरकल्पी का कोई उल्लेख नहीं है । परन्तु, उपकरण ले जाने के कारणों से यह ज्ञात होता है कि यह प्रसंग जिनकल्पी आदि के लिए ही हो सकता है । जिनकल्पी एवं विशिष्ट प्रतिमाधारी मुनि गच्छ से अलग अकेला रहता है । अतः उसके बाहर जाने के बाद यदि वर्षा हो जाए तो उसके उपकरण भीग सकते हैं या कभी कोई व्यक्ति उन्हें ढठाकर ले जा सकता है । स्थविरकल्पी साधु कम से कम दो साधु रहते हैं, अतः एक-दूसरे को सावधान करके अपने स्थान से बाहर जा सकता है, अतः उसके लिए ऐसा प्रसंग आ नहीं सकता ।

दूसरे में जिनकल्पी मुनि के पास अधिक उपकरण नहीं होते । सामान्य रूप से रजोहरण और मुखवस्त्रिका ही होती है और यदि वह लज्जा पर विजय पाने में समर्थ नहीं है तो एक छोटा-सा चोलपट्टक (धोती के स्थान में लपेटने का वस्त्र) रख सकता है, जिसका उपयोग गांव या शहर में आहार आदि को जाते समय करता है और ये उपकरण तो सदा साथ रहते ही हैं । परन्तु, इसके अतिरिक्त कुछ जिनकल्पी मुनि शीत सहन करने में असमर्थ हों तो वे एक ऊन का और अधिक आवश्यकता पड़ने पर एक सूत का वस्त्र भी रख सकते हैं । इस तरह ५ उपकरण हो गए और यदि किसी जिनकल्पी मुनि के हाथों की अंजली (जिन कल्पी मुनि हाथ की अंजली बनाकर उसी में आहार करते हैं) में छिद्र पड़ते हों तो उससे सब्जी, दूध, पानी आदि के टपक

यह प्रश्न हो सकता है कि जिनकल्पी मुनि होते हैं, पर उनमें साध्वी नहीं होती और प्रस्तुत सूत्र में साधु-साध्वी दोनों शब्दों का उल्लेख है। इसका समाधान यह है कि यह उल्लेख समुच्चय रूप से हुआ है। पिछले सूत्रों में साधु-साध्वी का उल्लेख होने के कारण इस सूत्र में भी उसे दोहरा दिया गया है। परन्तु, यहाँ प्रसंगानुसार साधु का ही ग्रहण करना चाहिए। वृत्तिकार ने भी इस पाठ को जिनकल्पी मुनि से मंगलित बताया है। इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत सूत्र में जिनकल्पी साधु का प्रसंग ही युक्तिसंगत प्रतीत होता है।

कुछ कारणों से साधु को अपने भंडोपकरण लेकर आहार आदि को नहीं जाना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू० ग्रह पुण्य एवं जाणिज्जा-तिव्वदेसियं
वासं वासेमाणं पेहाए तिव्वदेसियं महियं संनिचयमाणं पेहाए
महवाएण वा रयं समुद्धुयं पेहाए तिरिच्छमंपाइमा वा तमा
पाणा संधडा संनिचयमाणा पेहाए से एवं नच्चा नो सव्वं भंडग-
मायाए गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए पविमिज्ज वा निकस-
मिज्ज वा वइया विहारभूमिं वा वियारभूमिं वा निकसमिज्ज
वा पविमिज्ज वं गामा गुगाम इइज्जिज्जा ॥२०॥

रखते हैं वे सब भंडोपकरण को साथ लेकर पिंडपात प्रतिज्ञा से गृहपति कुल में प्रवेश करे या निकले ।

जो साधु वा साध्वी बाहर मन्तोत्सर्ग भूमि में, या स्वाध्याय भूमि में जाना चाहते हैं वे भी अपने सब धर्मोपकरण को साथ लेकर बाहर विहार भूमि में स्वाध्याय भूमि में प्रवेश करे ।

ग्रामानुग्राम—एक ग्राम से दूसरे ग्राम में विचरते समय साधु वा साध्वी अपने सब धर्मोपकरणों को साथ लेकर एक ग्राम से दूसरे ग्राम को विहार करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि जिनकल्पी या प्रतिमाधारी साधु को आहार के लिए या शौच एवं स्वाध्याय आदि के लिए अपने ठहरे हुए स्थान से बाहर जाते समय अपने सभी उपकरण साथ ले जाने चाहिए । जब कि सूत्र में जिनकल्पी या स्थविरकल्पी का कोई उल्लेख नहीं है । परन्तु, उपकरण ले जाने के कारणों से यह ज्ञात होता है कि यह प्रसंग जिनकल्पी आदि के लिए ही हो सकता है । जिनकल्पी एवं विशिष्ट प्रतिमाधारी मुनि गच्छ से अलग अकेला रहता है । अतः उसके बाहर जाने के बाद यदि वर्षा हो जाए तो उसके उपकरण भीग सकते हैं या कभी कोई व्यक्ति उन्हें उठाकर ले जा सकता है । स्थविरकल्पी साधु कम से कम दो साधु रहते हैं, अतः एक-दूसरे को सावधान करके अपने स्थान से बाहर जा सकता है, अतः उसके लिए ऐसा प्रसंग आ नहीं सकता ।

दूसरे में जिनकल्पी मुनि के पास अधिक उपकरण नहीं होते । सामान्य रूप से रजोहरण और मुखवस्त्रिका ही होती है और यदि वह लज्जा पर विजय पाने में समर्थ नहीं है तो एक छोटा-सा चोलपट्टक (घोती के स्थान में लपेटने का वस्त्र) रख सकता है, जिसका उपयोग गांव या शहर में आहार आदि को जाते समय करता है और ये उपकरण तो सदा साथ रहते ही हैं । परन्तु, इसके अतिरिक्त कुछ जिनकल्पी मुनि शीत सहन करने में असमर्थ हों तो वे एक ऊन का और अधिक आवश्यकता पड़ने पर एक सूत का वस्त्र भी रख सकते हैं । इस तरह ५ उपकरण हो गए और यदि किसी जिनकल्पी मुनि के हाथों की अंजली (जिन कल्पी मुनि हाथ की अंजली बनाकर उसी में आहार करते हैं) में छिद्र पड़ते हों तो उससे सवजी, दूध, पानी आदि के टपक

रखते हैं वे सब भंडोपकरण को साथ लेकर पिंडपात प्रतिज्ञा से गृहपति कुल में प्रवेश करे या निकले ।

जो साधु वा साध्वी बाहर मनोत्सर्ग भूमि में, या स्वाध्याय भूमि में जाना चाहते हैं वे भी अपने सब धर्मोपकरण को साथ लेकर बाहर विहार भूमि में स्वाध्याय भूमि में प्रवेश करे ।

ग्रामानुग्राम—एक ग्राम से दूसरे ग्राम में विचरते समय साधु वा साध्वी अपने सब धर्मोपकरणों को साथ लेकर एक ग्राम से दूसरे ग्राम को विहार करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि जिनकल्पी या प्रतिमाधारी साधु को आहार के लिए या शौच एवं स्वाध्याय आदि के लिए अपने ठहरे हुए स्थान से बाहर जाते समय अपने सभी उपकरण साथ ले जाने चाहिए । जब कि सूत्र में जिनकल्पी या स्थविरकल्पी का कोई उल्लेख नहीं है । परन्तु, उपकरण ले जाने के कारणों से यह ज्ञात होता है कि यह प्रसंग जिनकल्पी आदि के लिए ही हो सकता है । जिनकल्पी एवं विशिष्ट प्रतिमाधारी मुनि गच्छ से अलग अकेला रहता है । अतः उसके बाहर जाने के बाद यदि वर्षा हो जाए तो उसके उपकरण भीग सकते हैं या कभी कोई व्यक्ति उन्हें उठाकर ले जा सकता है । स्थविरकल्पी साधु कम से कम दो साधु रहते हैं, अतः एक-दूसरे को सावधान करके अपने स्थान से बाहर जा सकता है, अतः उसके लिए ऐसा प्रसंग आ नहीं सकता ।

दूसरे में जिनकल्पी मुनि के पास अधिक उपकरण नहीं होते । सामान्य रूप से रजोहरण और मुखवस्त्रिका ही होती है और यदि वह लज्जा पर विजय पाने में समर्थ नहीं है तो एक छोटा-सा चोलपट्टक (घोती के स्थान में लपेटने का वस्त्र) रख सकता है, जिसका उपयोग गांव या शहर में आहार आदि को जाते समय करता है और ये उपकरण तो सदा साथ रहते ही हैं । परन्तु, इसके अतिरिक्त कुछ जिनकल्पी मुनि शीत सहन करने में असमर्थ हों तो वे एक ऊन का और अधिक आवश्यकता पड़ने पर एक सूत का वस्त्र भी रख सकते हैं । इस तरह ५ उपकरण हो गए और यदि किसी जिनकल्पी मुनि के हाथों की अंजली (जिन कल्पी मुनि हाथ की अंजली बनाकर उसी में आहार करते हैं) में छिद्र पड़ते हों तो उससे सब्जी, दूध, पानी आदि के टपक

रखते है वे सब भंडोपकरण को साथ लेकर पिडपात प्रतिज्ञा से गृहपति कुल मे प्रवेश करे या निकले ।

जो साधु वा साध्वी बाहर मलोत्सर्ग भूमि मे, या स्वाध्याय भूमि में जानो चाहते है वे भी अपने सब धर्मोपकरण को साथ लेकर बाहर विहार भूमि में स्वाध्याय भूमि में प्रवेश करे ।

ग्रामानुग्राम—एक ग्राम से दूसरे ग्राम में विचरते समय साधु वा साध्वी अपने सब धर्मोपकरणों को साथ लेकर एक ग्राम से दूसरे ग्राम को विहार करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि जिनकल्पी या प्रतिमाधारी साधु को आहार के लिए या शौच एवं स्वाध्याय आदि के लिए अपने ठहरे हुए स्थान से बाहर जाते समय अपने सभी उपकरण साथ ले जाने चाहिए । जब कि सूत्र में जिनकल्पी या स्थविरकल्पी का कोई उल्लेख नहीं है । परन्तु, उपकरण ले जाने के कारणों से यह ज्ञात होता है कि यह प्रसंग जिनकल्पी आदि के लिए ही हो सकता है । जिनकल्पी एवं विशिष्ट प्रतिमाधारी मुनि गच्छ से अलग अकेला रहता है । अतः उसके बाहर जाने के बाद यदि वर्षा हो जाए तो उसके उपकरण भीग सकते हैं या कभी कोई व्यक्ति उन्हें उठाकर ले जा सकता है । स्थविरकल्पी साधु कम से कम दो साधु रहते हैं, अतः एक-दूसरे को सावधान करके अपने स्थान से बाहर जा सकता है, अतः उसके लिए ऐसा प्रसंग आ नहीं सकता ।

दूसरे में जिनकल्पी मुनि के पास अधिक उपकरण नहीं होते । सामान्य रूप से रजोहरण और मुखवस्त्रिका ही होती है और यदि वह लज्जा पर विजय पाने में समर्थ नहीं है तो एक छोटा-सा चोलपट्टक (घोती के स्थान में लपेटने का वस्त्र) रख सकता है, जिसका उपयोग गांव या शहर में आहार आदि को जाते समय करता है और ये उपकरण तो सदा साथ रहते ही हैं । परन्तु, इसके अतिरिक्त कुछ जिनकल्पी मुनि शीत सहन करने में असमर्थ हों तो वे एक ऊन का और अधिक आवश्यकता पड़ने पर एक सूत का वस्त्र भी रख सकते हैं । इस तरह ५ उपकरण हो गए और यदि किसी जिनकल्पी मुनि के हाथों की अंजली (जिन कल्पी मुनि हाथ की अंजली बनाकर उसी में आहार करते हैं) में छिद्र पड़ते हों तो उससे सवजी, दूध, पानी आदि के टपक

यह प्रश्न हो सकता है कि जिनकल्पी मुनि होते हैं, पर उनमें साध्वी नहीं होती और प्रस्तुत सूत्र में साधु-साध्वी दोनों शब्दों का उल्लेख है। इसका समाधान यह है कि यह उल्लेख समुच्चय रूप से हुआ है। पिछले सूत्रों में साधु-साध्वी का उल्लेख होने के कारण इस सूत्र में भी उसे दोहरा दिया गया है। परन्तु, यहां प्रसंगानुसार साधु का ही ग्रहण करना चाहिए। वृत्तिकार ने भी इस पाठ को जिनकल्पी मुनि से संबन्धित बताया है। इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत सूत्र में जिनकल्पी साधुका प्रसंग ही श्रुक्तिसंगत प्रतीत होता है।

कुछ कारणों से साधु को अपने भंडोपकरण लेकर आहार आदि को नहीं जाना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू० अह पुण एवं जाणिज्जा--तिव्वदेसियं
वासं वासेमाणं पेहाए तिव्वदेसियं महियं मंनिचयमाणं पेहाए
महवाएण वा रयं समुद्धुयं पेहाए तिरिच्छसंपाडमा वा तसा
पाणा संथडा संनिचयमाणा पेहाए से एवं नच्चा नो सव्वं भंडग-
मायाए गाहावडकुलं पिंडवायपडियाए पविमिज्ज वा निक्ख-
मिज्ज वा वट्ठेया विहारभूमिं वा विचारभूमिं वा निक्खमिज्ज
वा पविमिज्ज वा ग्रामाणुगाम दूइज्जिज्जा ॥२०॥

छाया—य भिक्षुरथ पुनरेवं जानीयान्, तीव्रदेशिका वर्षा वर्षन्तीं प्रेक्ष्य,
तीव्रदेशिकां महिका सनिपतन्ती प्रेक्ष्य, महावातेन वा रजः समुद्धृतं प्रेक्ष्य,
निरश्चीनं सनिपतितो वा व्रम प्राणिनः सम्कृतान् [सभूतान्] संनिपतन्तः
प्रेक्ष्य, न एव ज्ञात्वा न सर्वे भंडकमादाय गृहपतिकुलं पिंडपात प्रतिजया
प्रविजेद् वा निष्क्रामेद् वा वहिः विहारभूमिं वा विचारभूमिं वा निष्क्रामेद् वा
प्रविजेद् वा ग्रामान्ग्रामं गच्छेत् ।

पड़ने से अयतना न हो इसलिए वे एक पात्र रखते हैं और पात्र के साथ उन्हें सात उपकरण रखने होते हैं। इस तरह जिनकल्पी मुनि के जघन्य २ और उत्कृष्ट १२ उपकरण कहे गए हैं*। परन्तु स्थविरकल्पी मुनि के पास इससे अधिक उपकरण होते हैं। प्रश्नव्याकरण सूत्र में १४ उपकरण गिनए गए हैं†। निशोथ सूत्र में दण्ड, लाठी, अबलेहमी, वांस का खपाट‡ और सूत की रस्सी एवं चिलिमलिका (मच्छरदानो) रखने का उल्लेख है*। व्यवहार सूत्र में पात्र रखने का उल्लेख है और स्थविरकल्पी के छत्र आदि उपकरणों का उल्लेख भी किया गया है†। बृहत्कल्प सूत्र में साध्वी को मूत्र त्याग के लिए एक पात्र रखने की विशेष आज्ञा दी गई है‡। आचाराङ्ग सूत्र में आर्या (साध्वी) के लिए ४ चादर रखने का विधान है*। बृहत्कल्प सूत्र में साध्वी को साड़ी के भीतर चोलपट्टक (जांघिया) रखने की आज्ञा भी दी गई है†। इस तरह स्थविरकल्पी के पास १४ से भी अधिक उपकरण होते हैं, अतः उन्हें बाहिर आहार आदि को जाते समय सदा साथ ले जाना कठिन है। परन्तु, जिनकल्पी के पास थोड़े उपकरण होने के कारण वह उन्हें अपने साथ ले जा सकता है। इस अपेक्षा से यहां जिन कल्पी का प्रसंग ही उचित प्रतीत होता है।

* पात्र पात्रबन्धः पात्रस्थापनं च पात्रकेसरिका ।

पटलानि रजस्त्राण च गोच्छकः पात्रनिर्योगः ।

आचाराग वृत्ति ।

† जंपि य समणस्स सुविहियस्स उ रोगायके बहुप्पगारंमि समुप्पन्ने, वायाहिन् पित्तिसिभिअइरित्तकुविय; तह सण्णिवाय जातेव उदय पत्ते उज्जल वल बिउल क्वखड पगाढ दुवखे, असुभकडुय फरस चंड फल विवागो मह्भय जीवियत्तकरणे, सच्चसरीरपरितावणकरणे न कप्पइ—तारिसेवि तह अप्पणो परस्स व ओसह भेसज्ज, भत्तपाण च तपि सण्णिहिं कय ।६। जपिय—समणस्स सुविहियस्स तओ पडिग्गह्धारिस्सभवइ, भायणभण्डोवहि उवगरण पडिग्गही, पायवघण पायकेसरिया, पायट्टवर्ण च पडलाई, तिण्णि व रयत्ताण च, गोच्छओ तिण्णिब पच्छाका रयहरणं चोलपट्टगमूहणंतगमादिय ।

—प्रश्न व्याकरण सूत्र ५ वा सवरद्वार ।

‡ निशोथ सूत्र १, ४१ ।

* निशोथ सूत्र, १, १५ ।

† व्यवहार सूत्र, उद्देशक २ ।

‡ कप्पइ निगथीण अं नीलितय घडिमत्तयं धारेत्तए वा परिहरित्तए वा ।

—बृहत्कल्प सूत्र, १, १, ६ ।

* आचाराग सूत्र, २, ४, २, स्थानाग सूत्र-स्थान ४ ।

† कप्पइ निगथीण ओग्गहणंतगं वा ओग्गहणपट्टग वा धारेत्तए वा परिहरित्तए वा ।

—बृहत्कल्प सूत्र ३, १२ ।

वृत्तिकार ने लिखा है कि गच्छ के अन्दर एवं गच्छ बाहर रहा हुआ साधु अपने स्थान से बाहर जाते समय देखे कि वर्षा आ तो नहीं रही है। यदि वर्षा आ रही हो तो जिनकल्पी मुनि को किसी भी हालत में बाहर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वह ६ महीने तक पुरीय (टट्टी-पेशाब) को रोकने में समर्थ है। परन्तु, स्थविरकल्पी मुनि मल-मूत्र की बाधा होने पर उसका त्याग करने के लिए जा सकता है। परन्तु ऐसे समय में वह सभी उपकरण साथ लेकर न जाए ॐ।

परन्तु, वृत्तिकार का यह कथन विचारणीय है क्योंकि आगम में लिखा है कि प्रतिमाधारी मुनि को मल-मूत्र की बाधा हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए। परन्तु, पहले प्रतिलेखन की हुई (देखी हुई) भूमि पर उसका त्याग करके यथाविधि अपने स्थान पर आकर स्थित हो जाना चाहिए। इसी तरह मोक प्रतिमाधारी मुनि के लिए भी बताया गया है कि यदि उसे रात्रि को मूत्र की बाधा हो जाए तो यह उसे रोक कर न रखे। ज्ञाता सूत्र में भी उल्लेख मिलता है कि जिस समय मेघ मुनि ने श्रमण भगवान महावीर से आज्ञा प्राप्त करके पादपोषणमन संथरा किया था, उस समय उन्होंने ने सब से पहले मल-मूत्र के त्याग करने की भूमि का प्रतिलेखन किया था ॐ। साधु समाचारी में भी यह बताया गया है कि मुनि दिन के चतुर्थ भाग में मल-मूत्र त्याग करने की भूमि का प्रतिलेखन करे। यदि कोई मुनि उस का प्रतिलेखन नहीं करता है, तो उसके लिए प्रायश्चित्त (दंड) का विधान है †।

इन आगम प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि किसी भी समय में मल-मूत्र के त्याग करने का निषेध नहीं है। क्योंकि इसके रोकने से अनेक बीमारियां हो सकती है और उनके कारण होने वाली अयतना एवं सकल्प-विकल्प उस समय रात के ओस एवं वर्षा आदि की अयतना से भी अविक्र अहितकर ही सकते हैं। अतः वर्षा आदि के प्रसंग पर भी मुनि विवेक एवं यतना पूर्वक मल-मूत्र का त्याग करने जा सकता है।

ॐ आचाराग सूत्र वृत्ति ।

† उच्चार-पासवणेणं उपाहिज्जा नो से कप्पति उगिण्हत्तए वा, कप्पति मे पुट्ठ - पडिलेहिए थंडिले उच्चार पासवणं परिठवित्तए, तम्मैव उवस्सय आगम्म ग्रहाविठ्ठि ठाणं ठवित्तए ।

—दशधृतम्कध, दशा ७ ।

† व्यवहार सूत्र, उद्देशक ६ ।

ॐ ज्ञाता धर्मकथाङ्ग, अध्याय १ ।

† उत्तराध्ययन सूत्र, अ० २६ ।

‡ निशीथ सूत्र; उ० ४ ।

इस प्रकार से । जाणिज्जा — जाने । तिक्वदेसियं — वृहद् द्वारोपेत बहुत विस्तृत क्षेत्र । वास— वर्षा । वासेमाणे — वरसती हुई । पेहाए — देखकर । तिक्वदेसिय — बड़े देश में अन्धकार रूप । महिकां — घुन्ध । सनिचयमाण — पडती हुई । पेहाए — देखकर । वा — अथवा । महावायेण — महा वायु से । रय — रज-धूली । समुद्धयं — उडती हुई । पेहाए — देखकर । वा — अथवा । तिरिच्छ संपाइमा — तिर्यग् । तसापाणा — त्रसप्राणियो के । सथडा — समुदाय को । सनिचय-माणा — उडते एवं गिरते हुए । पेहाए — देखकर । से — वह भिक्षु । एव — इस प्रकार । नच्चा — जानकर । सव्व — सब । भंडगमायाए — धर्मोपकरण को ले कर । गाहावइ कुलं — गृहपतिकुल में । पिण्डवायपडियाए — पिण्डपात प्रतिज्ञा से—आहार लेने की प्रतिज्ञा से । नो पविसिज्ज वा — प्रवेश न करे । निक्खमिज्ज वा — और न वहा से निकले । बहिधा — बाहर । विहार भूमिं वा — विहार भूमि में अथवा । विचार भूमिं वा — विचार भूमि में । निक्खमिज्ज वा — न निकले । या । पविसिज्ज वा — न प्रवेश करे अर्थात् वह भडोपकरण लेकर न जाए और न आवे तथा । गामाणुगामं — एक ग्राम से दूसरे ग्राम को । दूइज्जिज्जा — नहीं जाए ।

मूलार्थ—वृहद् देश में वर्षा बरसती हुई देखकर, तथा वृहद् देश में अन्धकार रूप धुंध पडती हुई देखकर, अथवा महावायु से रज उडती हुई देख कर या बहुत से त्रस प्राणियो को उडते व गिरते हुए देखकर तथा इस प्रकार जानकर साधु वा साध्वो सब धर्मोपकरण को साथ ले कर आहार की प्रतिज्ञा से गृहपति के कुल में न तो प्रवेश करे और न वहा से निकले इसी प्रकार बाहर विहार भूमि या विचार भूमि में भी प्रवेश या निष्क्रमण न करे तथा एक गाव से दूसरे गाव को विहार भी न करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि देश व्यापी वर्षा बरस रही हो, धुंध पड़ रही हो, आंधी के कारण धूल पड़ रही हो, पतंगे आदि त्रस जीव पर्याप्त संख्या में उड़ एवं गिर रहे हों, ऐसी अवस्था में सभी भण्डोपकरण लेकर साधु को आहार के लिए या शौच एवं स्वाध्याय के लिए अपने स्थान से बाहर नहीं जाना चाहिए । और ऐसे प्रसंग पर एक गाव से दूसरे गाव को विहार भी नहीं करना चाहिए । क्योंकि ऐसे प्रसंग पर यदि साधु गमनागमन करेगा तो अप्कायिक जीवों की एवं अन्य प्राणियों की हिंसा होगी । अतः उनकी रक्षा के लिए साधु को वर्षा आदि के समय पर अपने स्थान पर ही स्थित रहना चाहिए

यह प्रश्न हो सकता है कि यदि सूत्रकार को मल-मूत्र के त्याग का निषेध करना इष्ट नहीं था, तो उसने आहार एवं स्वाध्याय भूमि के साथ उसे क्यों जोड़ा ? इसका समाधान यह है कि यह संलग्न सूत्र है, जैसा विधि रूप में इसका उल्लेख किया गया है, उसी प्रकार सामान्य रूप से निषेध के समय भी उल्लेख कर दिया गया है । ऐसा और भी कई स्थलों पर होता है । भगवती सूत्र में एक जगह जीव को गुरु-लघु कहा है^१ और दूसरी जगह अगुरुलघु कहा है^२ । फिर भी दोनों पाठों में कोई विरोध नहीं है । क्योंकि औदारिक आदि शरीर की अपेक्षा से जीव को गुरु-लघु कहा है, क्योंकि जीव उन औदारिक आदि शारीरिक पर्यायों के साथ संलग्न है और अगुरुलघु आत्म स्वरूप की अपेक्षा से कहा गया है । अतः यहाँ पर भी मल-मूत्र का पाठ आहार एवं स्वाध्याय भूमि के साथ संलग्न होने के कारण उसके साथ उसका भी उल्लेख किया गया है । परन्तु इससे जिनकर्मों मूत्रि के लिए वर्षा आदि के समय मल-मूत्र त्याग का निषेध नहीं किया गया है ।

कुछ ऐसे कुल भी हैं, जिनमें साधु को भिक्षा के लिए नहीं जाना चाहिए । उन कुलों का निर्देश करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा २ से जाइं पुण कुलाइं जाणिजा, तंज-
हा खतियाण वा राईण वा कुराईण वा रायपेसियाण वा रायवंस-
ट्टियाण वा अन्तो वा वाहिं वा गच्छताण वा संनिवट्ठाण
वा निमंतेमाणाण वा अनिमंतेमाणाण वा असणं वा ४ लाभे
मंते नो पडिग्गाहिजा त्तिदेमि ॥२१॥

आया—म भिक्षुवा २ अथ यानि पुनः कूलानि जानीयात् तद्यथा—
चत्रियाणा वा राज्ञां वा कुराजा वा राजप्रेष्याणा वा राजवंशस्थितानां
वा अन्तर्वाहिनां गच्छतां वा संनिविष्टानां वा निमत्रयता अनिमत्रयता वा
अशन वा ८ लाभे मति न प्रतिगृह्णीयात् ।

^१ भगवती सूत्र, पृ० २३, उ १ ।

^२ भगवती सूत्र, पृ० १, उ० ६ ।

पदार्थ—से—वह। भिक्खू वा २—साधु वा साध्वी। पुण—फिर। से—वह। जाइ—इन। कुलाइ—कुलो को। जाणिज्जा—जाने। तंजहा—जैसे कि-। खत्तियाण वा—क्षत्रियो के कुल। राईण वा—राजाओ के कुल। कुराईण वा—कुराजाओ के कुल। राय-पेसियाण वा—राज प्रेष्यो के कुल। राय वंसट्ठियाण वा—राजवंश में स्थित कुलो के। अन्तो वा बाहि वा—अन्दर या बाहर अर्थात् घर के अन्दर अथवा बाहर स्थित। गच्छताण वा—जाते हुए अथवा। सनिविट्ठाणं वा—बैठे हुए। निमतेमाणाण वा—निमन्त्रण करते हुए। अनिमन्तेमाणाण वा—न निमन्त्रण करते हुए। असणं वा ४—अशनादिक चतुर्विध आहार। लाभे सते—प्राप्त होने पर। नो पडिग्गाहिज्जा—ग्रहण न करे। त्तिबेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ।

मूलार्थ—साधु व साध्वी इन कुलों को जाने, यथा चक्रवर्ती आदि क्षत्रियो के कुल, उन से भिन्न अन्य राजाओ के कुल, एक देशवासी राजा-ओ के कुल, दण्डपाशिक प्रभृति के कुल, राजा के सम्बन्धियों के कुल और इन कुलो से घरके बाहर या भीतर जाते हुए, खड़े या बैठे हुए, निमन्त्रण किये जाने अथवा न किये जाने पर वहा से प्राप्त होने वाले चतुर्विध आहार को साधु ग्रहण न करे। ऐसा मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि मुनि को चक्रवर्ती, वासुदेव, वलदेव आदि क्षत्रिय कुलों का तथा उनसे भिन्न राजाओं के कुल का, एक देश के राजाओं के कुल का, राजप्रेष्य-दण्ड-पाशिक आदि के कुल का और राजवंशस्थ कुलों का आहार नहीं लेना चाहिए। उक्त कुलों का आहार उनके द्वारा निमन्त्रण करने पर या बिना निमन्त्रण किए तथा उनके घर से बाहर या घर में किसी भी तरह एवं कहीं भी ग्रहण नहीं करना चाहिए।

इस निषेध का कारण यह है कि राजभवन एवं राजमहल आदि में लोगों का आत्रागमन अधिक होने से साधु भली-भांति ईर्ष्यासमिति का पालन नहीं कर सकता। इस कारण संयम की विराधना होती है। इसलिए साधु को उक्त कुलों में आहार आदि के लिए प्रवेश नहीं करना चाहिए। यह कथन भी सापेक्ष ही समझना चाहिए। क्योंकि प्रस्तुत अध्यायन के द्वितीय उद्देशक में जिन १२ कुलों का निर्देश किया है उनमें उग्र कुल, भोग कुल, राजन्य कुल, इक्ष्वाकु, हरिवंश आदि कुलों से आहार लेने का स्पष्ट वर्णन है। भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गणधर गौतम अतिमुक्त कुमार के अंगुली पकड़ने पर

उमरु साथ उनके घर पर भिन्नार्थ गए थे। इसमें स्पष्ट होता है कि यदि इन कुलों में जाने पर संयम में किसी तरह का दोष न लगता हो तो इन घरों से निर्दोष आहार लेने में कोई दोष नहीं है। यहां पर निषेध केवल इसलिए किया गया है कि याद राजघरों में अधिक चहल-पहल आदि हो तो उस समय ईर्यासमिति का भली-भांति पालन नहीं किया जा सकेगा, इस संयम में वृत्तिकार का भी यही अभिमत है।

‘त्तिवेमि’ को व्याख्या पूर्ववत् समझें।

॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ॥

प्रथम अध्ययन पिण्डैषणा

चतुर्थ उद्देशक

तृतीय उद्देशक में संखडि एवं कुलों का निर्देश किया गया है। प्रस्तुत उद्देशक में संखडि के विषय में जो कुछ बातें शेष रह गई हैं, उनके सम्बन्ध में प्रकाश डालते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलमसे— भिक्खू वा० जाव समाणे से जं पुण जाणेज्जा मंसाइयं वा मच्छाइयं वा मंसखलं वा मच्छखलं वा आहेणं वा पहेणं वा हिंगोलं वा संमेलंवा हारमाणं पेहाए अन्तरा से मग्गा बहुपाणा बहुवीया बहरिशा बहुओसा बहुउदया बहुउत्ति-
गणगदगमट्टीमक्कडासंताणया बहवे तत्थ समणमाहणअति-
हिकिवणवणीमगा उवागया उवागमिस्संति (उवागच्छंति) तत्था-
इन्ना वित्ती नो पन्नस्स निक्खमणपवेसाए नो पन्नस्स वायण-
पुच्छणपरियट्टणाणुपेहधम्माणुओगचिंताए, से एवं नच्चा तहप्प-
गारं पुरेसंखडिं वा पच्छासंखडिं वा संखडि संखडिपडियाए नो
अभिसंधारिज्जा गमणाए । से भिक्खू० वा से जं पुण जाणेज्जा
मंसाइयं वा मच्छाइयं वा, जाव हीरमाणं वा पेहाए अन्तरा
से मग्गा अप्पा पाणा जाव संताणगा नो जत्थ बहवे समण०
जाव उवागमिस्संति अप्पाइन्ना वित्ती पन्नस्स निक्खमण-
पवेसाए पन्नस्सवायणपुच्छणपरियट्टणाणुपेहधम्माणुओगचिंताए,

मेवं नच्चा तहृण्णगारं पुरेमंखडिं वा० अभिमंधारिज्ज
गमणात् ॥२२॥

छाया—म भिक्षुर्वा यावत्— (गृहपतिकुलंप्रविष्टः) सन् तद् यत् पुनः
जानीयात् मासादिकं वा मत्स्यादिकं वा मत्स्यमूलं वा मासखल वा आह्वयं
वा प्रेक्षं वा द्विगोलं वा संमेलं वा ह्लियमाण वा प्रेक्ष्य अन्तरा तस्य मार्गाः
बहवः प्राणाः बहुवीजाः बहुहृगिता बहुवश्याया बहूदका बहूत्तिंगपनकोदक-
मृत्तिकामर्कटपन्तानकाः, बहवस्तत्र श्रमणब्राह्मणातिथिकृपणवर्णीमका उपागता
उपागमिष्यन्ति तत्राकीर्णा वृत्तिः न प्राज्ञस्य निष्क्रमणप्रवेशाय न
प्राज्ञस्य वाचनाप्रच्छनापरिवर्तनाऽनुप्रेक्षाधर्मानुयोगचिन्तार्यं म एवं ज्ञात्वा तथा
प्रकारा पुरः संखडिं वा पश्चात् सखडिं वा संखडिं सखडिप्रतिजया नाभिमन्धा-
ग्येद् गमनाय म । भिक्षुर्वा तन् यद् पुनः जानीयात् मासादिकं वा मत्स्यादिक
वा यावत् ह्लियमाण वा प्रेक्ष्य अन्तराः तस्य मार्गाः अल्पप्राणाः यावत् सन्तानकाः
न यत्र बहवः श्रमण यावत् उपागमिष्यन्ति अल्पाकीर्णा वृत्ति प्राज्ञस्य निष्क्रमण
प्रवेशाय प्राज्ञस्य वाचनाप्रच्छनापरिवर्तनाऽनुप्रेक्षाधर्मानुयोगचिन्तार्यं, म एव
ज्ञात्वा तथा प्रकारा पुरः सखडिं वा० अभिमन्धारयेद् गमनाय ।

बहुत बीज । बहु हरिया—बहुत हरी । बहु ओसा—बहुत ओस । बहु उदया—बहुत पानी । बहुर्जतिगपणगदगमट्टीमक्कडासंताणया — बहुत सूक्ष्म जीव निगोद वा पाच वर्ण फूल, जल से आर्द्र मृत्तिका और मकड़ी का जाला आदि की विराधना की संभावना है और । तत्थ — उस भोजन के स्थान पर । बह्वे— बहुत से । समणमाहणअतिहिक्विणवणीमगा — भ्रमण-शाक्यादि भिक्षुगण ब्राह्मण, अतिथि; कृपण और याचक । उवागया — आये हुए हैं अथवा । उवागच्छंति — आ रहे हैं अथवा- । उवागमिस्संति — आयेगे । तत्थाइन्ना—वहा पर आकीर्ण ; वित्ती—वृत्ति है अर्थात् वहा पर संकीर्ण वृत्त हो रही है अतः । पन्नस्स—प्रज्ञावान-बुद्धिमान साधु को । नो निक्खमण पवेसाए —वहा पर निष्क्रमण और प्रवेश नहीं करना चाहिए, तथा । पन्नस्स — बुद्धिमान साधु को वहा उस संखडि में । नो वायणपुच्छणपरियट्टणाणुप्येहधम्मणु-ओगचिंताए—वाचना, पृच्छना, परिवर्तना अनुप्रेक्षा और धर्मानुयोगचिन्ता नहीं हो सकती, कारण कि वहा गायन, वादन आदि की अधिकता रहती है । अतः । से—वह । एव—इस प्रकार । नच्चा—जानकर । तहप्पगारं—उक्त प्रकार की । पुरेसखडि वा—पूर्व सखडि में या । पच्छा संखडि वा—पश्चात् संखडि में । संखडि—सखडि को । संखडि पडियाए—सखडि की प्रतिज्ञा से । गमणाए—गमन करने के लिए । नो अमिसंधारिज्जा — मन में संकल्प न करे । अब इस सूत्र के आपवादिक विषय में कहते हैं यथा— । से भिक्खू वा—वह साधु अपवा साध्वी । से ज पुण जाणिज्जा—यदि फिर ऐसे जाने कि । मंसाइयं वा—जिस भोजन में मांस प्रधान है तथा । मच्छाइयं वा—मत्स्य प्रधान है । जाव—यावत् । हीरमाणं वा—ले जाते हुए को । पेहाए—देखकर । से—उस भिक्षु को । अंतरामग्गा—मार्ग के मध्य में । अप्पपाणा—प्राणी नहीं हैं । जाव—यावत् । सत्ताणगा—मकड़ी का जाला भी नहीं है । जत्थ—जहा पर । बह्वे—बहुत से । समणा० —भ्रमण-शाक्यादि भिक्षु गण । जाव—यावत् । नो उवागमिस्संति —नहीं आयेंगे और । अप्पाइन्ना—अल्पाकीर्ण । वित्ती—वृत्ति है अतः । पन्नस्स — प्रज्ञावान बुद्धिमान साधु को । निक्खमण पवेसाए—निष्क्रमण और प्रवेश की सुगमता है तथा । पन्नस्स — बुद्धिमान साधु को वहां । वायणपुच्छणपरियट्टणाणुप्येहधम्मणुओग चिंताए—वाचना, पृच्छना, परिवर्तना अनुप्रेक्षा और धर्मानुयोगचिन्ता में कोई बिचन उपस्थित नहीं होता है । सेवं—बह इस प्रकार । नच्चा—जानकर । तहप्पगारं—उक्त प्रकार की । पुरे संखडि वा—पूर्व सखडि में या पश्चात् सखडि में । गमणाए—गमन करने के लिए । ममि संधारिज्जा—सकल्प धारण करे ।

मूलार्थ—गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए प्रवेश करते हुए साधु व साध्वी आहार को इस प्रकार जाने कि जो आहार मांस प्रधान, मत्स्य प्रधान है अथवा शुष्क मांस, शुष्क मत्स्य सम्बन्धि, तथा नूतनवध के

कि सामिप एवं निरामिष दोनों तरह की संखडि होती थी, कोई व्यक्ति मांस प्रधान या मत्स्य प्रधान संखडि बनाता था, उसे मास और मत्स्य संखडि कहते थे। कोई पुत्र वधु के घर आने पर संखडि बनाता था, कोई पुत्री के विवाह पर संखडि बनाता था और कोई किसी की मृत्यु के पश्चात् संखडि बनाता था। इस तरह उस युग में होने वाली विभिन्न संखडियों का प्रस्तुत सूत्र में वर्णन किया है और बताया गया है कि उक्त संखडियों के विषय में ज्ञात होने पर मुनि को उसमें भिन्नार्थ नहीं जाना चाहिए।

इसका कारण पूर्व सूत्रों में स्पष्ट कर दिया गया है प्रथम तो आहार में दोष लगने की सम्भावना है, दूसरे में अन्य भिक्षुओं का अधिक आवागमन होने से उनके मन में द्वेष भाव उत्पन्न होने की तथा अन्य जीवों की विराधना होने की सम्भावना है और तीसरे में वाचना, पृच्छना आदि स्वाध्याय के पाँचों अङ्गों में अन्तराय पड़ने की सम्भावना है। क्योंकि वहाँ गीत आदि होने से स्वाध्याय नहीं हो सकेगा। इस तरह संखडि में जाने के कारण अनेक दोषों का सेवन होता है, ऐसा जानकर उसका निषेध किया गया है।

इसके अतिरिक्त आगम में संखडि में जाने का निषेध किया है, प्रस्तुत अध्ययन के द्वितीय उद्देशक में भी संखडि में जाने का निषेध किया है। परन्तु, प्रस्तुत सूत्र में निषेध के साथ अपवाद मार्ग से विधान भी किया गया है। यदि संखडि में जाने का मार्ग जीव-जन्तुओं एवं हरिनकाय या बीजों से आवृत्त नहीं है, अन्य मत के भिक्षु भी वहाँ नहीं है और आहार भी निर्दोष एवं एषणीय है तो साधु उसे ग्रहण कर सकता है। परन्तु, वृत्तिकार का कथन है कि प्रस्तुत सूत्र अवस्था विशेष के लिए है। उसमें बताया गया है कि यदि साधु थका हुआ है अर्थात् लम्बा विहार करके आया है, बीमारी से तुरन्त ही उठा है या तपश्चर्या से जिसका शरीर कृश हो गया है, वह भिक्षु इस बात को जान ले कि संखडि में जाने से किसी दोष के लगने की सम्भावना नहीं है, तो वह वहाँ से भिन्ना ले सकता है ॥

इससे स्पष्ट होता है कि उत्सर्ग मार्ग में सामिप एवं निरामिष किसी भी तरह की संखडि में जाने का विधान नहीं है। अपवाद मार्ग में भी उस संखडि में जाने एवं आहार ग्रहण करने का आदेश दिया गया है, जिसमें जाने का मार्ग निर्दोष हो और निर्दोष एवं एषणीय निरामिप आहार मिल सकता हो, अन्य संखडि में जहा का मार्ग जीव-

॥ उत्तराध्ययन, १, ३२, बृहत्कल्प सूत्र उ० १ निशीथ सूत्र, उ० ३।

॥ साम्प्रतमपवादमाह - स भिक्षुरध्वानक्षीणो ग्लानोत्थितस्तपश्चरणकपितोवा-
मवोदयंवा प्रेक्ष्य दुर्लभद्रव्यार्थी वा स यदि पुनरेव जानीयात्। - आचाराग वृत्ति।

जन्तु आदि से युक्त हो, जहां सामिष भोजन बना हो तथा निरामिष भोजन भी सदोष हो या अन्वमत के भिन्न भिन्नार्थ आए हों तो वहां अपवाद मार्ग में भी जाने का आदेश नहीं है।

प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब साधु अपवाद मार्ग में संखडि में जा सकता है; तो सामिष संखडि में बना हुआ मांस क्यों नहीं ग्रहण कर सकता ?

इसका समाधान यह है कि यहां अपवाद कारण विशेष से है अथवा साधु की शारीरिक स्थिति के कारण है, परन्तु वहां बने हुए सभी तरह के आहार को लेने के लिए नहीं है। यदि संखडि में जाने का मार्ग ठीक नहीं है और आहार भी सामिष है या निरामिष आहार भी सदोष है तो शारीरिक दुर्बलता के समय भी साधु को वहां जाने का आदेश नहीं है।

प्रस्तुत सूत्र में यह भी बताया है कि संखडि में जाने से स्वाध्याय के पांचों अङ्गों में व्यवधान पड़ता है। स्वाध्याय चलते हुए करने का निषेध है, वह तो एक स्थान पर बैठकर ही किया जा सकता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि संखडि में जाने पर कुछ देर के लिए वहां बैठना भी पड़ता था। अतः अपवाद मार्ग में जाने वाला साधु वहां कुछ काल के लिए ठहर भी सकता है और बीमार एवं तपस्वी आदि के लिए समय पर गृहस्थ के घर में बैठने का विधान भी है। अस्तु, संखडि में जाने का यह अपवाद विशेष कारण होने पर ही रखा गया है।

साधु को घरों में किस तरह के आहार की गवेषणा करनी चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्— से भिक्खू वा २ जाव पविसिउक्कामे से जं पुण
जाणिज्जा खीरिणियाओ गावीओ खीरिज्जमाणीओ पेहाए असणं
वा ४. उवसंखडिज्जमाणां पेहाए पुरा अप्पजूहिए सेवं नच्चा
नो गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए निक्खमिज्ज वा पविसिज्ज
वा। से तमादाय एंगंतमवक्कमिज्जा अणावायमसंलोए चिट्ठि-
ज्जा, अह पुण एवं जाणिज्जा—खीरिणियाओ गावीओ खीरिया-

ओ पेहाए अमणां वा ४ उवक्खडियं पेहाए पुराए जूहिए सेवं
नच्चा तत्रो संजयामेव गाहा० निक्खमिज्ज वा ॥२३॥

छाया—स भिक्षुर्वा यावत् प्रवेष्टुकामः तद् यत् पुनः जानीयात् क्षी-
रिण्यो गावः दुह्यमानाः दुग्धाः प्रेक्ष्य अशनं वा ४ उपसस्क्रियमाणं प्रेक्ष्य
पुरा-पूर्वं सिद्धेऽप्योदनादिके स एवं ज्ञात्वा न गृहपति कुल पिण्डपातप्रतिज्ञयो
निष्क्रामेद् वा प्रविशेद् वा । स तमादाय एकान्तमपक्रामेत् अनापाते असंलोक्ये
तिष्ठेत् । अथ पुनरेवं जानीयात् क्षीरिण्यो गावो दुह्यमानाः प्रेक्ष्य अशन
वा ४ उपसस्कृतं प्रेक्ष्य पूर्वं सिद्धे स एव ज्ञात्वा ततः सयत एव गृहपति-
कुलनिष्क्रामेद् वा ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू वा २—साधु या साध्वी । जाव—यावत् गृहपति के घर
में । पविसिउ कामे—प्रवेश करने की इच्छा रखता हुआ । से ज पुण जाणिज्जा—फिर यदि
इस प्रकार जाने कि । खीरिणियाओ गावीओ—दूध देने वाली गाएँ । खारिज्जमाणीओ—
जो कि दोही जा रही हैं उनको । पेहाए—देखकर तथा । असण वा ४—अशनादिक चतुर्विध
आहार जो कि बूढ़ा पर । उवसंखडिज्जमाणं बनायी जा रहा है, उसको । पेहाए—देखकर ।
पुराअपज्जूहिए—जिस मे से अभी तक और किमी को दिया नहीं गया । से—वह साधु ।
एव—इस प्रकार । नच्चा—जानकर । गाह्वइ कुल—गृहपति-गृहस्थ के घर में । पिण्डवाय-
पडियाए—आहार लेने की प्रतिज्ञा से । नो निक्खमिज्ज वा—न तो उपाश्रय से निकले और
न । पविसिज्ज वा—किसी के घर में प्रवेश करे, किन्तु क्या करे अब उसके विषय में कहते हैं ।
से—वह भिक्षु । त—उस दुग्धादि पदार्थको । आवाय—जानकर । एगतमवक्कमिज्जा—एकान्त
स्थान में चला जाए, एकान्त में जाकर । अणावायमसंलोए—जहा पर कोई गृहस्थादि न आता
जाता हो और न देखता हो ऐसे स्थान पर । चिट्ठिज्जा—खडा हो जाए । अह पुण एवं
जाणिज्जा—और वहा पर ठहरा हुआ यदि ऐसा जाने कि— । खीरिणियाओ—दूध देने वाली
गावीए—गीएँ । खीरियाओ—दोही जा चुकी हैं ऐसा । पेहिए—देखकर । असणं वा—
अशनादिक— । उवसखडियं—तैयारही चुका है ऐसे । पेहाए—देखकर-जानकर । पुराए जूहिए—
तथा उन दुग्धादि में से दूसरे को दिया जा चुका है । स—वह साधु । एव—इस प्रकार ।
नच्चा—जानकर । तत्रो—तदनन्तर । संजयामेव—साधु । गाहा०—गृहस्थ के घर में भिक्षा
के निमित्त । निक्खमिज्ज वा—स्वस्थान से निकले और गृहस्थ के घर में प्रवेश करे ।

मूलार्थ— साधु व साध्वी गृहपति के घर में प्रवेश करने की इच्छा रखते हुए यदि इस प्रकार जान ले कि गृहस्थ दूध देने वाली गायों का अभी दोहन कर रहे है तथा अशनादिक आहार पकाया जा रहा है— पक रहा है, अभी तक उसमें से किसी दूसरे को नही दिया गया, ऐसा जानकर संयमशील भिक्षु आहार ग्रहण करने के लिए उस घर में जाने के लिए न तो उपाश्रय से निकले और न उस घर में प्रवेश करे। किन्तु वह भिक्षु इस बात को जानकर जहां पर न कोई आता जाता हो, और न देखता हो, ऐसे एकान्त स्थान मे जाकर ठहर जाए। और जब वह इस प्रकार जान ले कि गायों का दोहन हो गया है और अन्नादि चतुर्विध आहार बन गया है तथा उसमे से दूसरों को दे दिया गया है, तब वह साधु उस घर में आहार के लिए प्रवेश करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि किसी गृहस्थ के घर पर गायों का दूध निकाला जा रहा है और अशन आदि चारों प्रकार का आहार पक रहा है और उस आहार में से अभी तक किसी को दिया नहीं है, तो साधु को उस घर में आहार के लिए नहीं जाना चाहिए। यदि गायों का दूध निकाल लिया गया है, आहार पक चुका है और उसमें से किसी को दिया जा चुका है, तो साधु उस घर में आहार के लिए प्रवेश कर सकता है।

इसका कारण यह है कि गायें साधु के वेश को देखकर डर जाएं और साधु को मारने दौड़ें तो उससे साधु के या दोहने के लिए बैठे हुए व्यक्ति के चोट लग सकती है। और दूध निकालते समय साधु को आया हुआ देखकर गृहस्थ यह सोचे कि साधु को भी दूध लेना होगा, अतः वह गाय के बछड़े के लिए छोड़े जाने वाले दूध को गाय के स्तनों में न छोड़कर निकाल लेगा। इससे मुनि के निमित्त बछड़े की अन्तराय लगेगी।

आहार पक रहा हो और उस समय साधु पहुंच जाए तो गृहस्थ उसे जल्दी पकाने का यत्न करेगा उससे अग्नि के जीवों की विराधना (द्विषा) होगी। इस तरह कई दीप लगने की सम्भावना होने के कारण साधु को ऐसे समय में गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रवेश नहीं करना चाहिए।

आगम में लिखा है कि आहार आग पर पक रहा हो और गृहस्थ उसे आग

पर से उतार कर दे तो साधु को स्पष्ट कह देना चाहिए कि यह आहार मेरे लिए कल्पनीय नहीं है*। इससे स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत सूत्र में किया गया निषेध घर में प्रवेश करने की दृष्टि से नहीं, किन्तु आग पर स्थित आहार को लेने के लिए है। गाय के दोहन का प्रथम विकल्प घर में प्रवेश करने सम्बन्धी निषेध को लेकर है और दूसरा विकल्प उस आहार को लेने के निषेध से सम्बन्धित है। इसका स्पष्ट कारण यह है कि गृहस्थ के घर में स्थित पशु भयभीत नहीं होते हैं और आहार आदि भी पक चुका हो तो साधु उस घर में प्रवेश करके आहार ले सकता है। साधु को यह विवेक अवश्य रखना चाहिए कि उसके निमित्त किसी तरह की हिंसा एवं अयत्नना न हो।

इसो विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — भिक्षागा नामेगे एवमाहंसु—समाणा वा भावसणा वा गामाणुगामं दूइज्जमाणे खुड्डाए खलु अयं गामे संनिरुद्धाए नो महालए सेहंता भयंतारो वाहिरगाणि गामाणि भिक्षायरियाए वयह, संति तत्थेगइयस्स भिक्खुस्स पुरेसंथुया वा पच्छासंथुया वा परिवसंति, तंजहा—गाहावई वा गाहावइणीओ वा गाहावइपुत्ता वा गाहावइधूयाओ वा गाहावइसुरहाओ वा धाइओ वा दासा वा दासीओ वा कम्मकरा वा कम्मकरीओ वा, तहप्पगाराइं कुलाइं पुरेसंथुयाणि वा पच्छासंथुयाणि वा पुवामेव भिक्षायरियाए अणुपविसिस्सामि । अविय इत्थ लभिस्सामि पिंडं वा लोयं वा खीरं वा दहिं वा नवणीयं वा घयं वा गुल्लं वा तिल्लं वा महुं वा मज्जं वा मंसं वा सक्कुलिं वा फाणियं वा पूयं

वा, सिहिरिणिं वा, तं पुव्वामेव भुच्चा पिच्चा पडिग्गहं च
 संलिहिय संमज्जिय तत्रो पच्छा भिक्खूहिं सद्धिं गाहा०
 पविसिस्सामि वा निक्खमिस्सामि वा माइट्ठाणं संफासे, तं नो
 एवं करिज्जा । से तत्थ भिक्खूहिंसद्धिं कालेण अणुपविसित्ता
 तत्थियरेयरेहिं कुलेहिं सामुदाणियं एसियंवेसियं पिंडवायं पडि-
 ग्गाहिता आहारं आहारिज्जा एयं खलु तस्स भिक्खुस्स वा
 भिक्खुणीए वा सामग्गियं० ॥२४॥

छाया—भिन्नुका नामैके एवमुक्तवन्तः समानाः वा वसमाना वा ग्रामानु-
 ग्रामं दूयमानान् (व्रजतः) क्षुन्नकः खलु अयं ग्रामः संनिरुद्धः न महान्
 अनो हन्त ! भवन्तः वहिंश्रामेषु भिक्षाचर्यार्थं व्रजत ! सन्ति तत्रैकस्य भिक्षोः पुरा
 सस्तुताः पश्चात् संस्तुता वा परिव्रसन्ति तद्यथा—गृहपतिः वा गृहपत्नी वा
 गृहपतिपुत्र वा, गृहपतिपुत्री वा, गृहपतिस्नुषा वा धात्री वा दासो वा दासी
 वा, कर्मकरो वा कर्मकरी वा तथाप्रकराणि कुलानि, पुरा संस्तुतानि वा
 पश्चात् सस्तुतानि वा पूर्वमेव भिक्षाचर्यार्थं, अनुप्रवेक्ष्यामि, अपिचैतेषु लप्स्यामि
 पिंड वा लोय वा धीरं वा दधि वा नवनीतं वा घृतं वा गुडं वा तिल वा मधु वा
 मद्यं वा मांस वा शङ्कुलि वा फाणितं वा अपूप वा सिखरिणिं वा त पूर्वमेव
 भुक्त्वा पीत्वा पतद्ग्रहं [पात्र] संलिह्य संप्रमृज्य ततः पश्चात् भिक्षुभिः मह गृह-
 पति० प्रवेक्ष्यामि वा निष्कमिष्यामि वा मातृस्थान शनृपृशेत् तद् न एव कुर्यात् ।
 स तत्र भिक्षुभिः सांद्धं कालेन अनुपविश्य तत्रैतरेतरेभ्यः कृत्सेभ्यः सामुदानिकं
 एषण्यं वंपिकं पिंडपात प्रतिगृह्य आहार आहारयेत् । एतत् खलु तस्य
 भक्षोः भिक्षुया वा सामग्र्यम् ।

एवमाहुंसु—इस प्रकार से कह गए हैं। समाणा वा—जंघा आदि का बल क्षीण होने से एक ही क्षेत्र में स्थिरवास करते हुए रहते हैं अथवा। वसमाणा वा—मास कल्पादि विहोर करते हुए। ग्रामाणुगामं—ग्रामानुग्राम। दूहञ्जमाणा—विचरते हुए जब उस क्षेत्र में आये तो उनके प्रति स्थिर वास रहने वाले साधु कहते हैं कि हे भिक्षुओ! खलु—निश्चय ही। अयंगामे—यह ग्राम खुड्डाए छोटा है और। संनिरुद्धाए—कितने एक घर अनिरुद्ध हैं अर्थात् भिक्षार्थ जाने के योग्य नहीं है। नो महालए—यह ग्राम बड़ा नहीं है। से—वह साधु कहने लगा। हुंता—सामान्य खेद सूचन के अर्थ में है। भयंतारो—पूज्य मुनिवरो। हे आप। वाहरिगाणि—वाहर के। ग्रामाणि—ग्रामो मे। भिक्षायरियाए—भिक्षा के निमित्त। बयह—जावो। तत्थे-गद्वयस्स—उस ग्राम में रहने वाले कई एक। भिक्षुस्स भिक्षु के। संति—हैं। पुरे संथुया—भाई-भतीजे आदि सगे सम्बन्धी अथवा। पच्छासथुया वा—श्वमुर कुल के सम्बन्धि लोग। परियसत्ति—बसते हैं। तजहा—जैसे कि। गाहावई वा—गृहपति अथवा। गाहावईणीओवा—गृहपत्नी अथवा। गाहावईपुत्ता वा—गृहपति के पुत्र अथवा। गाहावई धूदाओ वा—गृहपति की त्रियं अथवा। गाहावई सुण्हाओ वा—गृहपति की स्तुषा-पुत्र वधुयें अथवा। धाह्यो वा—घाय माताये अर्थात् दूध पिलाने वाली मातायें अथवा। दासा वा—दास अथवा। दासीओ वा—दासियें अथवा। कम्मकरा वा—काम करने वाले अथवा। कम्मकरीओ वा—काम करने वाली तहम्पगाराइ—तथा प्रकार के। कुलाई—कुल जो कि। पुरेसथुयाणि वा—पूर्व परिचय वाले अथवा। पच्छासंथुयाणि वा—पश्चात् परिचय वाले। संति—हैं। पुब्बामेव—उन कुलो में पहले ही। भिक्षायरियाए—भिक्षा के लिए। अणुपविसिस्सामि—मैं प्रवेश करूंगा। अविद्य—अथवा। इत्थ—इन कुलो में। लभिस्सामि—इच्छानुकूल प्राप्त करूंगा। पिण्ड वा—शाल्यादि पिण्ड। सोर्यं वा—अथवा लवण रस युक्त आहार। खीरं वा—अथवा दूध। दहिं वा—अथवा दधि-दहि नवणीय वा—नवनीत मक्खन अथवा। धयं वा—घृत। गुल्ल वा—अथवा गुड। तिल्लं वा—तैल। महु वा—मधु। मज्जं वा—अथवा मद्य। संसं वा—मास। सक्कुलि वा—अथवा जलेवी जैसी मिठाई अथवा। फाणियं वा—जल से मिश्रित गुड अथवा। पूयं वा—अपूप-पूडा आदि। सिहिरिणीं वा—शिखरणी इस नाम से प्रसिद्ध मिठाई। त पुब्बामेव—उस आहार को प्रथम ही लाकर। भुच्चा—खाकर। पिच्चा—पीकर। च—और। पडिग्गहं—पात्र को। सलिहिय—निलेप कर तथा। सयमज्जिय—समाजित कर। तओ—तदनन्तर। पच्छा—पश्चात्। भिक्खूहि—भिक्षुओ के। सद्धिं—साथ। गाहा—गृहपतियों के कुलो में भिक्षा के लिए। पविसिस्सामि वा—प्रवेश करूंगा अथवा। विक्खमिस्सामि वा—निकलूंगा। माइट्टाण संफासे—यदि उक्त प्रकार से करे तो उसे मातृस्थान छल-कपट का स्पर्श होगा। त—अतः माधु। एव—इस प्रकार। नो—न। करिज्जा—करे। से—वह-भिक्षु। तत्थ—उस। ग्रामादिक में। भिक्खूहि—भिक्षुओ के। सद्धिं—साथ अर्थात् अतिथि आदि के साथ। कालेण—भिक्षा के समय में। अणुपविसिच्चा—गृहपति कुलो में प्रवेश करके। तत्थियरेयरेहि—वहा

उच्चावच । कुलेहि—कुलो से । सामुदाणियं—भिक्षा पिंड । एसियं—उद्गमादि दोष रहित । बेसिय—साधु के वेच से प्राप्त । पिंडवायं—पिंडपात-आहारादि को । पडिग्गाहिता—अतिथि साधुओं के साथ ग्रहण करके । आहार आहारिज्जा—आहार को भक्षण करे । एयं—यह । खलु—निश्चय ही । तस्स—उस । भिक्खुस्स वा—भिक्षु—साधु अथवा । भिक्खुणीए वा—साध्वी का । सामगियं—सामग्र्य-भिक्षु भाव है अर्थात् यह उसका सपूर्ण आचर है ।

मूलार्थ—कई एक भिक्षु जंघादि के बल रहित होने से अर्थात् विहार में असमर्थ होने से एक क्षेत्र में स्थिरवास रहते हैं । जब कभी उनके पास ग्रामानुग्राम विचरते हुए अतिथि रूप से अन्य साधु आ जाते हैं तब स्थिर-वास रहने वाले भिक्षु उन्हें कहते हैं—पूज्य मुनिवरो ! यह ग्राम बहुत छोटा है, उसमें भी कुछ घर सन्निरुद्ध—बन्द पड़े हुए हैं । अतः आप भिक्षा के निमित्त किसी दूसरे ग्राम में पधारे ? यदि इस ग्राम में स्थिर वास रहने वाले किसी एक मुनि के माता पिता आदि कुटुम्बी जन या श्वमुर कुल के लोग रहते हैं या—गृहपति, गृहपत्नियों, गृहपति के पुत्र, गृहपति की पुत्रिये, गृहपति की पुत्र-वधुयें, धायमातायं दास और दासी तथा कर्मकार और कर्मकारियों, तथा अन्य कई प्रकार के कुलो में जो कि पूर्व परिचय वाले, या पश्चात् परिचय वाले हैं, उन कुलों में इन आगन्तुक-अतिथि साधुओं से पहले ही मैं भिक्षा के लिए प्रवेश करूंगा और इन कुलों से मैं इष्ट वस्तु प्राप्त करूंगा यथा शाल्यादि पिंड, लवण रस युक्त आहार, दूध, दही, नवनीत, घृत, गुड, तेल, मधु, मद्य, मास शण्कुलो (जलेबो आदि) जलमिश्रितगुड, अपूप—पूडे और शिखरणा (मिठाई विशेष) आदि आहार को लाऊंगा और उसे खा पीकर, पात्रों को साफ और समार्जित कर लूंगा । उसके पश्चात् आगन्तुक भिक्षुओं के साथ गृहपति आदि कुलों में प्रवेश करूंगा और निकलूंगा, इस प्रकार का व्यवहार करने से मातृस्थान-छल-कपट का सेवन होता है । अतः साधु को इस प्रकार नहीं करना चाहिए । उन भिक्षु को भिक्षा के समय उन भिक्षुओं के साथ ही उच्च नीच और मध्यम कुलो से साधु मर्यादा से प्राप्त होने वाले निर्दोष आहार पिंड

को लेकर उक्त अतिथि मुनियों के साथ ही उसे निर्दोष आहार करना चाहिए यही संयम शील साधु साध्वी का निर्दोष आचार है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में स्थिरवास रहने वाले मुनियों के पास आए हुए अतिथि मुनियों के साथ उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए इसका निर्देश किया गया है । कोई साधु हृदय की संकीर्णता के कारण आए हुए अतिथि मुनियों को देखकर सोचे कि यदि यह भी इसी गांव में से भिक्षा लाएंगे तो मेरे को प्राप्त होने वाले सरस आहार में कमी पड़ जाएगी । अतः इस भावना से वह आगन्तुक मुनियों से यह कहे कि इस गांव में थोड़े से घर हैं, उसमें भी कई घर बन्द पड़े हैं, इसलिए इतने साधुओं का आहार इस गांव में मिलना कठिन है । अतः आप दूसरे गांव से आहार ले आएँ । या वह उन्हें दूसरे गांव जाने को तो नहीं कहे, परन्तु उनके गोचरी (आहार लाने) को जाने से पूर्व ही अपने माता-पिता या श्वसुर आदि कुलों से या परिचित कुलों से सरस-स्वादिष्ट एवं इच्छानुकूल पदार्थ लाकर खा लेना और उसके बाद उनके साथ अन्य साधारण घरों से भिक्षा लाकर खाना, माया एवं छल-कपट का सेवन करना है । अतः साधु को आगन्तुक मुनियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए । ऐसा व्यवहार साधुता के अनुकूल तो क्या, इन्सानियत के अनुकूल भी नहीं है, इसलिए सूत्रकार ने इस तरह का व्यवहार करने का निषेध किया है । साधु का कर्तव्य है कि वह नवागन्तुक मुनियों के साथ अभेद वृत्ति रखे, उनके साथ आहार को जाए और जैसा आहार उपलब्ध हो उसे प्रेम एवं स्नेह से उनके साथ बैठकर करे ।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'समाणा-वसमाणा' का अर्थ है—जो साधु चलने-फिरने में या विहार करने में असमर्थ होने के कारण किसी एक क्षेत्र में स्थिरवास रहते हैं । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त खाद्य पदार्थों के नाम उस समय में घरों में खाए जाने वाले पदार्थों को सूचित करते हैं । इससे उस समय की खाद्य व्यवस्था का पता लगता है । प्रस्तुत सूत्र में उल्लिखित खाद्य पदार्थों में मद्य एवं मांस का भी उल्लेख किया गया है, तो क्या मुनि इन पदार्थों को ग्रहण कर सकता है ? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है ।

इसका समाधान यह है कि ये दोनों पदार्थ अभक्ष्य होने के कारण सर्वथा अप्राप्त हैं । आगम में इसका स्पष्ट रूप से निषेध किया गया है^१ । इससे स्पष्ट है कि ये दोनों पदार्थ साधु के लिए सर्वथा अभक्ष्य हैं । और संभव है कि प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त

^१ प्रश्न व्याकरण सूत्र, प्रथम सवर द्वार, सूत्र कृताङ्ग सूत्र, श्रुत० २, अ० ६ ।

उभय शब्द अन्य अर्थ के ससूचक हैं।

उपाध्याय पार्श्व चन्द्र जी की मान्यता है कि साधु को मद्य, मांस, मक्खन और मधु लेना नहीं कल्पता। इन शब्दों का प्रयोग केवल सूत्र छेद के समय से हुआ है। इससे मद्य छन्द की प्रामाणिकता सिद्ध होती है।

वृत्तिकार का अभिमत है कि मद्य-मांस को व्याख्या छेद सूत्र के अनुरार समझनी चाहिए। कोई अत्यधिक प्रमादी साधु अतिगृद्धि एवं र्वाद 'आराति' कारण इनका सेवन न करे इसके लिए इसका उल्लेख किया गया है। परन्तु विवेकनिष्ठ साधु के लिए मद्य-मांस सर्वथा अमाद्य है।

प्रस्तुत सूत्र पर व्याख्या करते हुए उपाध्याय पार्श्व चन्द्र ने मद्य, मांस, मक्खन एवं मधु चारों को तथा वृत्तिकार आचार्य शीलांक ने मक्खन को छोड़कर शेष तीनों को अभक्ष्य बताया है। और आगम में मद्य-मांस को अभक्ष्य कहा है। परन्तु मक्खन एव मधु को सर्वथा अभक्ष्य नहीं कहा है। आगम में लिखा है कि प्रथम पहर में लाए हुए नवनीत (मक्खन) का किसी रोग के कारण चतुर्थ पहर में भी अंगोपांगों पर विलेपन करना कल्पता है। इससे मक्खन की माद्यता शास्त्र सम्मत सिद्ध होती है। इसी तरह मधु के विषय में भी आगम में बताया है कि एक बार भगवान् महावीर ने मधु (शहद) मिश्रित शीर (दूध) से पारणा किया था।

इससे स्पष्ट होता है कि मद्य एवं मांस साधु के लिए सर्वथा अभक्ष्य। मक्खन एवं शहद के लिए मद्यी वात नहीं है। निष्कर्ष यह निकला कि साधु को अतिवि रूप से आणुण साधु के साथ छल-कपट एवं भेद-भाष का वर्तन नहीं रखना चाहिए। निष्कपट भाव से उगता आदर-गतकार करना चाहिए।

'चित्तवैम' की व्याख्या पूर्वगत समर्थ।

॥ चतुर्थ उद्देशक समाप्त ॥

❖ द्य विषय पर १०वें उद्देशक में विस्तार से विचार करेंगे।

१. उदा श्री सूत्र माहिं मानन, मधु, मण, मास शब्द वराण्या ते स्या भणी साधु तईए नस्तु अयोग्य छे। नितं द्य कहती उहाँ सूत्र छेदना मय मणी अ-या, पर साधु ने ए वस्तु न ल्यइ प्रयत्न इतं जे उां सन्त' तह शकी माधु पण उ टत्युं जाणिया छे। —उपाध्याय पार्श्व चन्द्र।

२. मद्य मांस मद्यः साधुप्रसायेण व्याप्यायेये अथवा कश्चिदिनि प्रमादावत्त्वधोऽप्यन्त-गुण्य तथा मद्य, मद्य मांस-मद्यशयेदतरतदुपादानम्।

अचारार्ज सूत्र वृत्ति।

❖ प्रश्न वाक्य सूत्र, सूत्र-ज्ञान सूत्र।

। नो अप्यद तिममाण ना निम्मधीणं वा रियासिणं नेत्तेणं वा, अप्प वा, नत्तीण वा, नत्ताण वा, मातारं यत्तमेत्ताण वा मक्खेत्ताण वा नन्तय आगद्वि रोगायवेहिं।

१०^० नमसी सूत्र, धातक १५।

—वृद्धत्त मद्य, उद्देशक ५।

प्रथम अध्ययन पिण्डैषणा

पञ्चम उद्देशक

चतुर्थ उद्देशक में आहार ग्रहण करने की विधि का उल्लेख किया गया है । प्रस्तुत उद्देशक में भी इसी का और विस्तृत विवेचन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा २ जाव पविट्ठे समाणे से जं पुण्ण-
जाणिज्जा--अग्गपिंडं उक्खिप्पमाणं पेहाए अग्गपिंडं निक्खि-
प्पमाणं पेहाए अग्गपिंडं हीरमाणं पेहाए अग्गपिंडं परिभा-
इज्जमाणं पेहाए अग्गपिंडं परिभुंजमाणं पेहाए अग्गपिंडं परि-
ठविज्जमाणं पेहाए पुरा असिणाइ वा अवहाराइ वा पुरा
जत्थउराणे समाणे० वणीमगा खद्धं २ उवसंकमंति से हंता
अहमवि खद्धं २ उवसंकमामि, माइट्ठाणां संफासे नो एवं
करेज्जा ॥२५॥

छाया—स भिक्षुर्वायावन्न प्रविष्टः सन् तद् यत् पुनरेव जानीयात्—अग्र-
पिंडं उत्क्षिप्यमाणं प्रेक्ष्य, अग्रपिंडं निक्षिप्यमाणं प्रेक्ष्य, अग्रपिंडं ह्रियमाणं
प्रेक्ष्य, अग्रपिण्डं परिभज्यमानं प्रेक्ष्य, अग्रपिण्डं परिभुज्यमानं प्रेक्ष्य, अग्रपिण्डं
परित्यज्यमानं प्रेक्ष्य, पुरा अशितवन्तो वा अपहृतवन्तो वा पुरा यत्रान्य
श्रमण वणीमका. त्वरित २ उपसंक्रामन्ति स हत ! अहमपि त्वरित २ उप-
सक्रामामि, मातृस्थान संस्पृशेन्न एवं कुर्यात् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू वा—साध और साध्वी । जाव—यावत् । पविट्ठेसमाणे—

गृहपति कुल में प्रवेश करते हुए । से-वह । जं-जो पुण-फिर । जाणिज्जा—आहारादि को जाने । अग्रपिंड—अग्रपिंड को । उक्खिप्पमाण—थोड़ा-थोड़ा निकालते हुए को । पेहाए—देखकर । अग्रपिंड—अग्रपिंड को । निक्खिप्पमाणं—अन्य स्थान में रखते हुए को । पेहाए—देखकर । अग्रपिंड—अग्रपिंड को । हीरमाणं—किसी स्थान पर लेजाते, हुए को । पेहाए—देखकर । अग्रपिंड—अग्रपिंड को । परिभाइज्जमाणं—बाटते हुए को । पेहाए—देखकर तथा । अग्रपिंड—अग्रपिंड को । परिभुंजमाणं—खाते हुए को । बेहाए—देखकर । अग्रपिंड—अग्रपिंड को । परिट्ठविज्जमाण—परिष्ठापन करते फँकते हुए को । पेहाए—देखकर । पुरा अत्तिणाइ वा—पहले श्रमणादि खाकर चले गये अथवा । अवहाराइ वा—पहले श्रमणादि, अग्रपिंड को लेकर चले गए । जत्थऽण्णे—जहा पर अन्य । समण—श्रमण आदि । यणीमगा—और भिक्षावृत्ति से निर्वाह करने वाले याचक लोग । खद्धं २—शीघ्र २ । उवसकमति—अग्रपिंड लेने को जाते है । हंता—यह अव्यय वाक्य उपन्यास के लिए है । से-वह भिक्षु विचार करता है । अग्रमवि—में भी । खद्धं २—शीघ्र—जल्दी २ । उवसकमामि—जाता हू । माइट्ठाणं संफासे—यदि इस प्रकार विचार करे तो वह मातृस्थान का स्पर्श करता है अर्थात् माया-कपट को आश्रित करता है अतः उसको । एवं—इस प्रकार । नो करेज्जा—नही करना चाहिए ।

मूलार्थ—व्रत साधु या साध्वी गृहपति कुल में प्रवेश करते हुए आहार आदि के विषय में इस प्रकार जाने कि अग्रपिंड को निकालते हुए को देखकर, अग्रपिंड को किसी अन्य स्थान पर रखते हुए को देखकर, अग्रपिंड को कही ले जाते हुए को देखकर, अग्रपिंड को बांटते हुए को देखकर, अग्रपिंड को खाते हुए को देखकर, अग्रपिंड को इधर-उधर फँकते हुए को देखकर तथा पहले श्रमणादि खा गए है, और अग्रपिंड को लेकर चले गए है या याचक लोग अग्रपिंड को प्राप्त करने के लिए शीघ्र २ पग उठा रहे है । उन्हे देखकर यदि साधु भी उसे प्राप्त करने के लिए शीघ्र २ कदम उठाने का विचार करता है तो वह मातृ-स्थान का सेवन करता है । अतः साधु को ऐसा विचार भी नही करना चाहिए ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि कोई गृहस्थ अग्रपिंड को देव स्थान छोड़कर तैयार होने के बाद उनमें से कुछ हिस्सा पहले देवता प्रादि के लिए निकाला जाता है, उसे अग्रपिंड कहते हैं ।

अथवा शुक्र-वीर्य से । सोणिण वा—अथवा शोणित-रुधिर से । उवलित्तोसया—उपलिप्त हो जावे । तहृप्पगारं काय—तथा प्रकार से उपलिप्त हुए शरीर को । नो—नहीं । अर्णतर-हिपाए—अन्तर रहित । पुढवीए—पृथिवी से अर्थात् सचित्त पृथिवी से । नो—नहीं । ससिणिट्ठाए-पुढवीए—स्निग्ध-आर्द्र पृथिवी से । नो—नहीं । ससरक्खाए पुढवीए—सरजस्कृ पृथिवी से । नो चित्तमत्ताए सिलाए—नहीं सचित्त-चेतनायुक्त शिला से । नो चित्तमत्ताए लेलूए वा—नहीं सचित्त चेतनायुक्त शिलाखंड से अथवा । कोलाबासंसि—घृण से युक्त । दाए—काष्ठ से । जीवपइठिठए—अथवा जीवप्रतिष्ठित जिसमें वाहर से जीव आये हो—काष्ठ से । सअंडे—अण्डो से युक्त काष्ठ अथवा । सपाणे—प्राणी युक्त काष्ठ आदि से । जाव—यावत् । ससंत्ताणाए-जाला आदि युक्त काष्ठ आदि से । नो आमज्जिज्ज वा—एक वार भी मसले नहीं अथवा । पमज्जिज्ज वा—पुन, पुनः मसले नहीं । सलिहिज्ज वा—अथवा घपित न करे । निलिहिज्ज वा—अथवा पूछे नहीं । उव्वलेज्ज वा—अथवा उद्धर्तन अर्थात् विशेष रूप से पूछे नहीं । उव्वट्ठिज्ज वा—अथवा उद्धर्तन न करे । आयाविज्ज वा—अथवा एक वार भी घूप में सुखाए नहीं । पयाविज्ज वा—अथवा पुनः-पुनः घूप में सुखाए नहीं । से—वह भिक्षु । पुव्वामेव—पहले ही । अप्पससरक्खं—रज रहित । तणं वा—तृण अथवा । पत्त वा—पत्र । कट्ठं वा—अथवा काष्ठ । सक्करं वा—एव ककड की । जाइज्जा—याचना करे । जाइत्ता—याचना करके । से—वह भिक्षु । तमायाय—उसको लेकर । एगंतमवक्कामिज्जा—एकान्त स्थान पर चला जाए, एकान्त स्थान पर जाकर देखे कि । अहेभाभयडिलसि वा—जो भूमि अग्नि के सयोग से अचित्त होकर स्थंडिल रूप में अवस्थित है—ऐसे स्थंडिल की । जाव—यावत् । अन्नयरसि वा—अन्य किसी निर्दोष भूमि की अथवा । तहृप्पगारसि—तथा प्रकार की भूमि की पडिलेहिय २—प्रतिलेखना कर के भली-भाँति अवलोकन करके । पमज्जिय पमज्जिय—अच्छी तरह से प्रमाजित करे । तओ—तदनन्तर । सज्जामेव—सयत-साधु यत्न पूर्वक उक्त-कथित तृण आदि से शरीर को । आमज्जिज्ज वा—एकवार मसले अथवा । जाव—यावत् । पयाविज्ज वा—वार वार घूप में सुखाये ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी को गृहपति आदि के कुल में जाते समय मार्ग के मध्य में खेत को क्यारिए, खाई, कोट, तोरण, अर्गला और अर्गलपाशक पडता हो तो अन्य मार्ग के होने पर वह उस मार्ग से न जाए भले ही वह मार्ग सोधा क्यों हो । क्योंकि केवलो भगवान कहते हैं कि यह कर्मबन्ध का मार्ग है । क्योंकि वह भिक्षु उस मार्ग से जाते हुए काप जाएगा या उसका पाव फिसल जाएगा या वह गिर जाएगा, तब

पर फिरल जाए और वह गिर पड़े तो उसे अपने अशुचि से लिपटे हुए अंगोपाङ्गों को मचित्त मिट्टी आदि से साफ न करके, तुरन्त अचित्त काष्ठ-कंकर की याचना करके एकान्त स्थान में चले जाना चाहिए और वहां अचित्त भूमि को देखकर वहां जीव-जन्तु से रहित अचित्त काष्ठ आदि के टुकड़े एवं अचित्त मिट्टी आदि से अशुचि को साफ करके, फिर अपने शरीर को धूप में सुखाकर शुद्ध करना चाहिए।

उपाध्याय पार्श्व चन्द्र ने अपनी 'वालावबोध' में लिखा है कि भगवान ने अशुचि से लिप्त स्थान को पानी से साफ करने की आज्ञा नहीं दी।

परन्तु आगम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अशुचि को दूर करने के लिए साधु अचित्त पानी का उपयोग कर सकता है। आगम में यह भी बताया गया है कि गुरु एवं शिष्य शौच के लिए एक ही पात्र में पानी ले गए हों तो शिष्य को गुरु से पहले शुद्धि नहीं करनी चाहिए। और प्रतिमाधारी मृत्ति के लिए सब तरह में जल स्पर्श को निषेध होने पर भी शौच के लिए जल का उपयोग करने का आदेश दिया गया है। आगम में पांच प्रकार की शुद्धि का वर्णन आता है, वहा जल से शुद्धि करने का भी उल्लेख है। और अशुचि की अस्वाध्याय भी मानी है। इससे स्पष्ट होता है कि जल से अशुचि दूर करने का निषेध नहीं किया गया है। साधक को यह विवेक अवश्य रखना चाहिए कि पहले अचित्त एवं जन्तु रहित काष्ठ आदि उसे साफ करके फिर अचित्त पानी से साफ करे।

प्रस्तुत सूत्र से यह भी घात होता है कि उस युग में गांवों के रास्ते सम एवं बहूत साफ-सुथरे नहीं होते थे। लोग रास्ते में ही पेशाब, खखार आदि फैंक देते थे। जहां-तहां गड्डे भी हो जाते थे, जिनसे वर्षा के दिनों में पानी भी सड़ता रहता था। इस तरह उस युग में गांवों में सफाई की ओर कम ध्यान दिया जाता था।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

पर श्री वीतारगिइ इम न कर्त्तौ पाणी सु धोवे, एहवी जयणा श्री नीतगने
पदे मि जाणवी पालवी इत्यर्थः ।

—उपाध्याय पार्श्वचन्द्र ।

† निशीथ सूत्र, उद्देशक ४ ।

‡ समवायांग सूत्र, ३३, दशाश्रुतम्बोध, दशा ३,

§ दशाश्रुतस्कंध दशा ७ ।

† पचविहे सोए पण्णते तजहा-पुइविमोए, आउमोए, नेउमोए, मंनमोए वंभमोए ।

न्यानाग सूत्र, स्या० ५ उ० ३

‡ न्यानाग सूत्र, न्यान १० ।

मूलम्—से भिक्खू वा० से जं पुण जाणिज्जा गोणं वियालं पडिपहे पेहाए महिसं वियालं पडिपहे पेहाए, एवं मणुस्सं आसं हत्थिं सीहं वग्धं विगं दीवियं अच्छं तरच्छं परिसरं सियालं बिरालं सुणायं कोलसुणायं कोकंतियं चित्ताचिल्लडयं वियालं पडिपहे पेहाए सइ परकम्मे संजयामेव परकमेज्जा, नो उज्जुयं गच्छिज्जा ।

से भिक्खू वा० समाणो अंतरा से उवात्थो वा खाणुए वा कटए वा घसी वा भिलुगा वा विसमे वा विज्जले वा परियावज्जिज्जा, सइ परकमे संजयामेव, नो उज्जुयं गच्छिज्जा । २७।

छाया—स भिन्नुर्वा० तद् यत् पुनः जानीयात् गां व्यालम् प्रतिपथ प्रत्युपेक्ष्य महिषिं व्याल प्रतिपथे प्रेक्ष्य एवं मनुष्यं अश्व हस्तिनं सिंहं व्याघ्र वृक द्वीपिन ऋक्ष तरक्ष सरभं शृगाल विडालं शुनकं महाशूकरं कोकतिक चित्ताचिल्लडयं व्याल प्रतिपथे प्रत्युपेक्ष्य सति पराक्रमे संयतमेव पराक्रमेत्, न ऋजुक गच्छेत् ।

स भिन्नुर्वा० (प्रविष्टः) सन् अन्तराले अवपातः स्थाणुर्वा कण्टको वा घसी वा भिलुगा वा विषमं वा विज्जल (कर्दमः) वा परितापयेत् सतिपराक्रमे संयतमेव न ऋजुक गच्छेत् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू वा—साधु या साध्वी गृहपति कुल में प्रवेश करने पर । से जं पुण जाणिज्जा—यदि मार्ग में मह जाने यथा । गोण—वृषभ—बैल । व्यालं—मदीन्मत्त अथवा सर्प—साप । पडिपहे मार्ग को रोके हुए स्थित है । पेहाए—उसे देखकर तथा । महिसं व्याल—मदीन्मत्त भैसे को । पेहाए—देखकर । एवं—इसी प्रकार । मणुस्सं—मनुष्य को । आसं—अश्व—घोड़े को । हत्थि—हाथी को । सीहं—सिंह को । वग्धं—व्याघ्र को । विग—

भेडिये को । दीविय—द्वीपी, चित्रक—चीते को । अच्छ—भालू को । तरच्छ—हिंसक जीव विशेष को जोकि व्याघ्र जाति का जीव होता है । परिसरं—अष्टापद जीव को । सियालं—शृगाल-गीदड़ को । विरालं—बिल्ले को । सुणय—कुत्ते को । कीलसुणय—महाशूकर को । कोकंतियं—शृगाल की आकृतिका लोमटक नाम का जीव विशेष जो रात्रि में को को शब्द करता है, उसको । चित्ताचिल्लडयं—अरण्य वासी जीव विशेष को । व्याल—सर्प को । पडिपहे—मार्ग में । पेहाए—देखकर । सहपरकमे—अथ मार्ग के होने पर । सजयामेव—साधु यत्नपूर्वक । परकमेज्जा—जाए । उज्जुय—सीधा अर्थात् उन जीवों के सामने से । नो गच्छिज्जा—गमन न करे अर्थात् आत्मा और समय की विराधना के भय से उन जीवों के सामने न जाए ।

से—वह । भिक्षू वा—भिक्षु साधु या साध्वी । समाणे—यावत् भिक्षा के लिये मार्ग में जाते हुए । अंतरा से—वह मार्ग के मध्य में उपयोग पूर्वक इन बातों को देखे जैसे कि—मार्ग में । उवाओ वा—गर्त अर्थात् गढ़ा । खाणुए वा—अथवा स्थाणु अर्थात् खूटा । कटए वा—अथवा काटे । घसी वा—अथवा घसी अर्थात् पर्वत की उतराई । वा—अथवा । भिलुगा—फटी हुई पृथ्वी । वा—अथवा । विसम—विपम अर्थात् ऊँची नीची भूमि । वा—अथवा । विज्जले—कीचड़ है तो वह । परियावज्जिज्जा—उस मार्ग को छोड़ दे, तथा । सहपरकमे—अन्य मार्ग के होने पर । सजयामेव—साधु यत्न पूर्वक अन्य मार्ग से जाए किन्तु मार्ग में उक्त पदार्थों को देख कर । उज्जुयं—सीधा । नोगच्छिज्जा—न जाए ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी जिस मार्ग से भिक्षा के लिए जा रहे हों यदि उस मार्ग में मदोन्मत्ता वृषभ और मदोन्मत्त भैंसा एवं मनुष्य, घोड़ा हस्ती, सिंघ, व्याघ्र, भेडिया, चोता, रीछ, व्याघ्रविशेष, अष्टापद, गीदड़, विल्ला, कुत्ता, मुअर कोकंतिक (स्याल जैसा अरण्य जीव) और सांप आदि मार्ग में खड़े या बैठे हैं तो अन्यमार्ग के होने पर साधु उस मार्ग से जाए किन्तु जिस मार्ग में उक्त जीव खड़े या बैठे हों उस से न जावे ।

साधु या साध्वी भिक्षार्थ गमन करने पर यह देखें कि मार्ग में यदि गढ़ा, म्थाणु-खूटा, कण्टक, उतराई को भूमि, कटी हुई भूमि, विपम-ऊँची नीची भूमि, और कीचड़ वाला मार्ग है तो वह अन्यमार्ग के होने पर उसी मार्ग से यत्न पूर्वक गमन करे किन्तु उक्त सीधे मार्ग से न जावे ।

क्योंकि उक्त सीधे मार्ग से गमन करने पर घ्रात्मा और संयम की विराधना होने की संभावना है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि भिक्षा के लिए जाते समय साधु को विवेक से चलना चाहिए। यदि रास्ते में मदोन्मत्त बैल या हाथी खड़ा हो या सिंह, व्याघ्र, भेड़िया आदि जङ्गली जानवर खड़ा हो तो अन्य मार्ग के होते हुए साधु को उस मार्ग से नहीं जाना चाहिए और इसी तरह जिस मार्ग में गड्ढे आदि हैं उस पथ से भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि उन्मत्त बैल आदि एवं हिंस्र जन्तुओं से आत्म-विराधना हो सकती है और गड्ढे आदि से युक्त पथ से जाने पर संयम की विराधना हो सकती है। अतः मुनि को उस पथ से न जाकर अन्य पथ से जाना चाहिए, यदि अन्य मार्ग कुछ लम्बा भी पड़ता हो तो भी उसे संयम रक्षा के लिए लम्बे रास्ते से जाना चाहिए।

उस युग में कई बार मुनि को भिक्षा के लिए एक गाव से दूसरे गाव भी जाना पड़ता था और कहीं-कहीं दोनों गावों के बीच में पड़ने वाले जंगल में सिंह, व्याघ्र आदि जङ्गली जानवर भी रास्ते में मिल जाते थे। इसी अपेक्षा से इनका उल्लेख किया गया है। परन्तु, इसका यह अर्थ नहीं है कि कुत्तों की तरह शेर भी गांवों की गलियों में घूमते रहते थे। अतः आहार के लिए जाने वाले मुनि को ग्रामान्तर में जाते हुए शेर आदि का मिल जाना भी संभव है, इस दृष्टि से सूत्रकार ने मुनि को यत्ना एवं विवेक पूर्वक चलने का आदेश दिया है।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० गाहावइकुलस्स दुबारबाहं कंठग-
 बुंदियाए परिपिहियं पेहाए तेसिं पुव्वामेव उग्गहं अण्णान्नविय
 अपडिलेहिय अप्पमज्जिय नो अवंगुणिज्जवा, पविसिज्ज वा
 निक्खमिज्ज वा, तेसिं पुव्वामेव उग्गहं अण्णान्नविय पडिलेहिय २
 पमज्जिय २ तथो संजणामेव अवंगुणिज्ज वा पविसेज्ज वा
 निक्खमेज्ज वा ॥२८॥

सकता है और उसके घर में जा-आ सकता है ।

गृहस्थ के बन्द द्वार को उसकी आज्ञा के बिना खोलकर जाने से कई दोष लगाने की सम्भावना है— १—याद कोई वहिन स्नान कर रही हो तो वह साधु को देखकर उस पर क्रुद्ध हो सकती है, २—घर का मालिक आवेश वश साधु को अपशब्द भी कह सकता है, ३—यदि उसके घर से कोई वस्तु चली जाए तो साधु पर उसका दोषारोपण भी कर सकता है और ४—द्वार खुलने से पशु अन्दर जाकर कुछ पदार्थ खा जायँ गा बिगाड़ दे या तोड़-फोड़ कर दे तो उसका आरोप भी वह साधु पर लगा सकता है । इस तरह बिना आज्ञा दरवाजा खोलकर जाने से कई दोष लगाने की सम्भावना है, अतः साधु को घर के व्यक्ति को आज्ञा लिए बिना उसके घर के दरवाजे को खोलकर अन्दर नहीं जाना चाहिए ।

गृहस्थ के घर में प्रविष्ट होने के बाद साधु को किस विधि से आहार लेना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा २ से जं पुण जाणिज्जा समणं
वा माहणं वा गामपिंडोलगं वा अतिहिं वा पुव्वपविट्ठं पेहाए
नो तेसिं संलोए सपडिदुवारे चिट्ठिज्जा, से तमायाय एगंतमव-
क्कमिज्जा २ अणावायमसंलोए चिट्ठिज्जा, से से परो अणावाय-
मसंलोए चिट्ठमाणस्स असणं वा ४ आहट्टु दलइज्जा, से य
एवं वइज्जा-आउसंतो समणा ! इमे भे असणे वा ४ सब्ब-
जणाए निसिट्ठे तं भुंजह वा ण परिभाएह वा णं, तं चेगइओ
पडिग्गाहिता तुसिणीओ उवेहिज्जा. अवियाइं एयं मममेव
सिया. माइट्ठाणं संफासे, नो एव करिज्जा, से तमोयाए
तत्थ गच्छिज्जा २ से पुव्वामेव आलोइज्जा आउसंतो समणा !
इमे भे असणे वा ४ सब्बजणाए निसिट्ठे तं भुंजह वा णं

जाव परिभाएह वा णं, सेणमेवं वयंतं परोवइज्जा—आउसंतो
 समणा ! तुमं चेव णं परिभाएहि, से तत्थ परिभाएमाणे नो
 अप्पणो खद्धं २ डायं २ उसहं २ रसियं २ मणुन्नं २ निद्धं २
 लुक्खं २, से तत्थ अमुच्छिय अगिद्धे अग (ना) ढिए अणज्झो-
 ववन्ने बहुसममेव परिभाइज्जा, से परं तत्थ परिभाएमाणं परो-
 वइज्जा—आउसंतो समणा ! माणं तुमं परिभाएहि, सब्बे वेगइआ
 ठिया उ भुक्खामो वा पाहामो वा. से तत्थ भुंजमाणे नो अप्पणा
 खद्धं खद्धं जाव लुक्खं २, से तत्थ अमच्छिए ४ बहुसममेव
 भुंजिज्जा वा पाइज्जा ॥२६॥

छाया—स भिक्षुर्वा० तद् यत्पुनः जानीयात् श्रमण वा ब्राह्मणं वा
 ग्रामपिंडालकं वा अतिथि वा पूर्वप्रतिष्ठं प्रेक्ष्य न तेषां संलोके स प्रतिद्वारे
 तिष्ठेत् स तमादाय एकान्तमपक्रामेत् २ अनापाते असंलोके तिष्ठेत् स परः
 तस्य अनापाते असलोके तिष्ठत. अशनं वा ४ आहृत्य दद्यात्, स च
 एवं ब्रूयात्—आयुष्मन्तः श्रमणाः ! अयं युष्मभ्यं अशनं वा ४ सर्वजनाय
 निसृष्टंतद् भुङ्गध्वं वा परिभाजयत् वा त चैकतो गृहीत्वा तूष्णीक उपेक्षेत्,
 अय नमैव स्यात् मातृस्थानं सस्पृशेत्, नैवं कुर्यात्, स तमादाय तत्र गच्छेत् २
 स पूर्वमेव आलोकयंत, आयुष्मन्तः श्रमणाः ! अय युष्मभ्य अशनं वा ४
 सर्वजनाय निसृष्टं त भुङ्गध्व वा यावत् परिभाजयत् वा, एतमेवं ब्रुवाण
 परः वदेत्— आयुष्मन्तः श्रमणाः ! त्वं चैव णं परिभाजय ? स तत्र
 परिभाजयन् आन्मनः प्रचुरं २ शार्कं २ उच्छ्रितं २ रासकं २ मनोज्ञं २
 स्निग्धं २ रूक्षं २ स तत्र अमूर्च्छितोऽगृह्यः अनाहतः अनध्युपपन्नः बहुसमं एव

परिभाजयेत् तच्च परिभाजयन्त परो ब्रूयात्—आयुष्मन् श्रमण ! मा त्व
परिभाजय ! सर्वे चैकत्र स्थिताः भोच्यामहे वा पास्यामो वा, स तत्र भुञ्जमानः
नात्मना प्रचुर २ यावद् रूक्षम्, स तत्र अमूर्च्छितः ४ बहु सम एव भुञ्जीत
वा पिवेद् वा ।

पदार्थ—से—वह । भिखू वा—साधु या साध्वी । से ज पुण जाणिज्जा—गृहपति
कुल में भिक्षा के लिए प्रवेश करने पर यदि ऐसे जाने यथा । समणं वा—श्रमण शाक्यादि
भिक्षु । माहणं वा—अथवा ब्राह्मण । गामपिडोल्लग वा—ग्राम के याचक । अत्तिहि वा—
अथवा अतिथि जोकि । पुठ्व पचिट्ठे—पहले प्रवेश किए हुए है, को । पेहाए—देखकर—
तेसि—उनके । सलोए—सामने । सपडिदुवारे—जिस द्वार से वे निकलते हो— । नो चिट्ठेज्जा—
खडा न हो किन्तु । तमायाए—भिक्षा के लिए आये हुए उन श्रमणादि को जानकर ।
एगंतमवक्कमिज्जा—एकान्त स्थान में जाकर । अणावायमसलोए—जहां कोई न आता हो और
न देखता हो ऐसे स्थान पर । चिट्ठिज्जा—ठहर जाए । से—वह गृहस्थ । से—उस भिक्षु
को जो कि । अणावायमसलोए चिट्ठमाणस्स—निर्जन स्थान में स्थित है । असणं वा ४—
अशनादिक चतुर्विध आहार । आहट्टु—लाकर । दलइज्जा—दे । य—फिर । से—वह ।
गृहस्थ । एव—इस प्रकार । वइज्जा—बोले । आउसतो समणा—हे आयुष्मन्त श्रमणो ।
इमे—यह । असणे वा ४—अशनादिक चतुर्विध आहार । भे—आप । सव्वजणाए—सबके
लिए अर्थात् सब भिक्षुओं के लिए । निसट्ठे—दिया है । तं—उस आहार को । भुजह—सब
इकट्ठे बैठकर खालें । वा—अथवा । णं—वाक्यालंकार में है । परिभाएह वा ण—आपस में
वाट ले । चैगइओ—परन्तु एकान्त में खडे साधुओं को जानकर । तं—उस आहार को ।
पडिगाहित्ता—लेकर । तूसिणीओ—मीन रहकर । उवेहिज्जा—उत्प्रेक्षा करे यथा— ।
अविथाइ—अपि सम्भावनार्थक है । एव—यह आहार । मममेव सिया—मुझे दिया है अतः मेरे
ही लिए है । यदि ऐसा विचार करे तो । माइट्ठाण संफासे—मातृ स्थान माया-कपट स्थान का
स्पर्श होता है—उक्त दोष लगता है अतः । एव—इस प्रकार । नो करिज्जा—न करे किन्तु ।
से—वह भिक्षु । तमायाए—उस आहार को लेकर । तत्थ—जहां पर वे श्रमणादि खडे हैं
वहां पर । गच्छिज्जा—जाए और वहा जाकर । से—वह भिक्षु । पुव्वामेव—पहले ही उन्हें ।
आलोइज्जा—उस आहार को दिखाए और कहे । आउसतो समणा—आयुष्मन्त श्रमणो । इमे—
यह । असणे वा ४—अशनादिक चतुर्विध आहार । भे सव्वजणाए—हम सब के लिए । निसिट्ठे—
दिया है । त—इस आहार को । भुजह वा ण—सब इकट्ठे मिल कर खालें अथवा । जाव—
यावत् । परिभाएह वा णं—विभाग कर ले; वाट ल, । सेणमेव वयंतं—तब इस प्रकार बोलते
हुए उन साधु को यदि । परोइज्जा—कोई साधु इस प्रकार कहे । आउसतो समणा—आयुष्मन्त

श्रमण ! तुमचेव - तुम ही । णं - पूर्ववत् । परिभाएहि - विभाग कर दो - अर्थात् इस आहार को तुम ही बाँट दो ? तव । से - वह भिक्षु । तत्थ - वहा पर । पोरभाएमाणे - विभाग करता हुआ । अण्णो - अपने लिए । खद्धं २ - प्रचुर अत्यधिक । डाय २ - सुन्दर शाक । उसढ २ - वर्णादि गुणो से युक्त । रसिय - रस युक्त । मणुन् २ - मनोज्ञ । निद्धं २ - स्निग्ध और । लुक्खं २ - रुक्ष आहार को । नो - न रखे किन्तु । से - वह-भिक्षु । तत्थ - उस आहार के विषय में । अमुच्छिण्ण - अमूर्च्छित - मूर्च्छा रहित । अग्गिद्धे - अभिकाक्षा रहित । अग्गिण्ण - विशिष्ट गृद्धि रहित । अण्णो - अण्णो - और आमक्ति रहित होकर । बहुसममेव - सबको समान रूप से अर्थात् जो सब के लिए समान हो । परिभाइज्जा - विभाग करदे तथा । से णं परिभाए माणं - समान रूप में विभाग कर बाँटने हुए उस साधु को यदि । परो वइज्जा - कोई कहे कि । आउसंतो समणा ! - आयुष्मन् श्रमण ! । माण तुमं परिभाएहि - तुम मत विभाग करो । सव्वेगइशा ठियाउ - हम सब एकट्ठे बैठकर । भुखामो - खाएंगे और । पाहामो वा - पियेगे । से - वह भिक्षु । तत्थ - वहा पर । भुज्जमाणे - उस आहार को खाता हुआ । अण्णो - अपने लिए । खद्धं २ - प्रचुर । जाव - यावत् । लुक्खं - रुक्ष आहार को । नो - ग्रहण न करे । किन्तु । से - वह भिक्षु । तत्थ - उम आहार विषयक । अमुच्छिण्ण - अमूर्च्छित-मूर्च्छा रहित होकर । बहुसममेव - सबके समान ही । भुज्जिज्जा वा - खाए अथवा । पाइज्जा वा - पीए ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी भिक्षा के निमित्त गृहपति के कुल में प्रवेश करते हुए यदि यह जाने कि उसके जाने से पहले ही गृहपति कुल में शाक्यादि भिक्षु, ब्राह्मण ग्रामयाचक और अतिथि आदि प्रवेश किए हुए हैं तो उनके सामने अथवा जिस द्वार से वे निकलते हैं उसके सन्मुख खटा नहीं हो । किन्तु एकान्त स्थान में-जहाँ न कोई आना जाता हो और न कोई देखता हो जाकर खड़ा हो जाए । वहाँ खड़े हुए उस साधु को देख कर वह गृहस्थ यदि अशनादिक चतुर्विध आहार लाकर दे और देता हुआ कहे कि आयुष्मन् श्रमणो ! यह अशनादिक चतुर्विध आहार मैंने आप सब के लिए दिया है- आप लोग यथारुचि इस आहार को एकत्र मिलकर खाले या परस्पर विभाग कर लें बाँट लो, तब उस आहार का लेकर वह साधु यदि मौन वृत्ति से उत्प्रेक्षा करे-विचार करे कि यह मुझे दिया है अतः मेरे लिए ही है, ता उसे मातृस्थान-मायास्थान का स्पर्श होता है । अतः उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, अपितु उस आहार को लेकर जहाँ पर

अन्य श्रमणादि खडे हो वहां जाकर प्रथम उन्हें उस आहार को दिखाए और दिखाकर कहे कि आयुष्मन् श्रमणो ! यह अशनादि चतुर्विध आहार गृहस्थ ने हम सबके लिये दिया है इस आहार को एकत्रित मिल कर खाले परस्पर मे विभाग कर लें बाट लें । ऐसा कहते हुए उस साधु को यदि कोई भिक्षु कहता है कि आयुष्मन् श्रमण ! तुम हो इस आहार का विभाग कर दो, सब को बाट दो ? तब वहा पर विभाग करता हुआ वह साधु अपने लिये प्रचुर शाक, भाजी या रसयुक्त मनोज्ञ स्निग्ध और रूक्ष आहार को न रक्खे, किन्तु वहा आहार विषयक मूर्छा, गृद्धि, और आसक्ति आदि से रहित होकर सबके लिये समान विभाग करे, यदि सम विभाग करते हुए उस साधु को कोई भिक्षु यह कहे कि आयुष्मन् श्रमण ! तुम विभाग मत करो हम सब वहा ठहरे हुए है, एकत्र बैठकर इस आहार को खालेंगे और जल पीलेगें । तब वह भिक्षु वहा पर भोजन करता हुआ आहार विषयक मूर्छा, गृद्धि और आसक्ति आदि को त्यागकर अपने लिए प्रचुर यावत् स्निग्ध और रूक्षादि का विचार न करता हुआ समान रूप से उस आहार का भक्षण करे तथा जलादि का पान करे अर्थात् इस प्रकार से खाए जिससे समविभाग में किसी प्रकार की न्यूनाधिकता न हो ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि भिक्षा के लिए गया हुआ साधु यह देखे कि गृहस्थ के द्वार पर शाक्यादि अन्य मत के भिक्षुओं की भीड़ खड़ी है, तो वह गृहस्थ के घर में प्रवेश न करके एकान्त स्थान में खड़ा हो जाए । यदि गृहस्थ उसे वह खड़ा हुआ देख ले और उसे अशन आदि चारों प्रकार का आहार लाकर दे और साथ में यह भी कहे कि मैं गृह कार्य में व्यस्त रहने के कारण सब साधुओं को अलग-अलग भिक्षा नहीं दे सकता । अतः आप यह आहार ले जाएं और आप सबकी इच्छा हो तो साथ बैठकर खा लें या आपस में बांट लें । इस प्रकार के आहार को ग्रहण करके वह भिक्षु (मुनि) अपने मन में यह नहीं सोचे कि यह आहार मुझे दिया गया है, अतः यह मेरे लिए है और वस्तुतः मेरा ही होना चाहिए, यदि वह ऐसा सोचता है तो उसे दोष लगता है । अतः वह मुनि उस आहार को लेकर वहाँ जाए

जहां अन्य भिक्षु खड़े हैं और उन्हें वह आहार दिखाकर उनसे यह कहे कि गृहस्थ ने यह आहार हम सब के लिए दिया है। यदि आपकी इच्छा हो तो सम्मिलित खा लें और आपकी इच्छा हो तो सब परस्पर बांट लें। यदि वे कहें कि मुनि तुम ही सब को विभाग कर दो, तो मुनि सरस आहार की लोलुपता में फंसकर अच्छा-अच्छा आहार अपनी ओर न रखे, समभाव पूर्वक वह सबका समान हिस्सा कर दे। यदि वे कहें कि विभाग करने की क्या आवश्यकता है। सब साथ बैठकर ही खा ले, तो वह मुनि उनके साथ बैठकर अनासक्त भाव से आहार करे।

प्रस्तुत पाठ पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या जैन मुनि शाक्यादि अन्य मत के भिक्षुओं के साथ बैठकर आहार कर सकता है? अपने द्वारा ग्रहण किया गया आहार उन्हें दे सकता है?

इस पर वृत्तिकार का यह अभिमत है कि उत्सर्ग मार्ग में तो साधु ऐसे आहार को स्वीकार ही नहीं करता। दुर्भिक्ष आदि के प्रसंग पर अपवाद में वह इस तरह का आहार ग्रहण कर सकता है। परन्तु, इतना होने पर भी उसे अन्य मत के भिक्षुओं के साथ बैठकर नहीं खाना चाहिए। किन्तु जो पार्श्वस्थ जैन मुनि या सांभोगिक है, उन्हें ओघ आलोचना देकर उनके साथ खा सकता है ॐ ।

परन्तु, प्रस्तुत पाठ में न तो दुर्भिक्ष आदि के प्रसंग का उल्लेख है और न पार्श्वस्थ आदि साधुओं का ही उल्लेख है। और यदि आगम के अनुसार सोचा जाए तो साधु ग्रामपिंडोलक (भिखारियों) अन्य मत के भिक्षुओं एवं पार्श्वस्थ साधुओं के साथ बैठकर खा भी नहीं सकता और न उनके आहार का लेन-देन ही कर सकता है। आचाराङ्ग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध में अन्य मत के साधुओं के साथ आहार पानी के लेन-देन करने का स्पष्ट निषेध किया गया है। ऐसी स्थिति में वृत्तिकार का अभिमत अवश्य ही विचारणीय है।

आगम में एक स्थान पर गौतम भवामी मुनि उदक पेढाल पुत्र को कहते हैं क हे श्रमण ! मुनि किसी गृहस्थ या अन्यतीर्थी (मत के) साधु के साथ आहार नहीं कर सकता। यदि वह गृहस्थ या अन्य मत का साधु दीक्षा ग्रहण कर ले तो फिर उसके साथ आहार कर सकता है। परन्तु, यदि वह किसी कारणवश दीक्षा का त्याग करके पुनः अपने पूर्व रूप में परिवर्तित हो जाए तो फिर उसके साथ साधु आहार नहीं

ॐ तत्र परतीर्थिकैः साईं न भोक्तव्यं स्वयूथ्यैश्च पार्श्वस्थादिभिः सह, सम्भोगिकं. नहीषा-
लोचना दत्त्वा भुञ्जानानामय विधिः ।

— श्री आचाराङ्ग सूत्र, २, १, ५, २६ वृत्ति ।

कर सकता ॐ । इन्से स्पष्ट होता है कि मुनि का आहार-पानी का सम्बन्ध अपने समान आचार-विचारशील साधु के साथ ही है, अन्य के साथ नहीं ।

टब्बाकार वृत्तिकार के कथन के विरोध में है । टब्बाकार का कहना है कि वृत्तिकार ने जिस अपवाद का उल्लेख किया है, वह अपवाद मूल आगम में उल्लिखित नहीं है और दूसरे में अन्य मत के साधुओं से जाकर यह कहना कि गृहस्थ ने यह आहार हम सबके लिए दिया है, अतः साथ बैठकर खा लें या परस्पर बाट लें, प्रत्यक्ष सावध है । अतः जैन मुनि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता । अतः इसका तात्पर्य यह है कि गृहस्थ ने जो आहार दिया वह अन्य मत के साधुओं को सम्बोधित करके नहीं, प्रत्युत वक्त साधु के साथ के अन्य साम्भोगिक साधुओं को सम्बोधित करके दिया है । अतः वह अपने साथ के अन्य मुनियों के पास जाकर उन्हें वह आहार दिखाए और उनके साथ या उन सबका समविभाग करके उस आहार को खाए । इस तरह यह सारा प्रसंग अपने समान आचार वाले मुनियों के लिए ही घटित होता है । यह टब्बाकार का अभिमत है † ।

वृत्तिकार एवं टब्बाकार दोनों के अभिमतों में टब्बाकार का अभिमत आगम सम्मत प्रतीत होता है । 'गच्छेज्जा' और 'आउसतो समणा' शब्द टब्बाकार के अभिमत को ही पुष्ट करते हैं । यदि अन्यमत के साधुओं के साथ ही आहार करना होता तो वे

ॐ सूत्रकृतांग सूत्र, २, ७

† एणं आलवे टीका मे कह्यो गृहस्थ साधु ने अणे भिख्यार्यो ने अशन आदि भेलो ते उत्सर्ग थकी तो न लई अणे दुभिक्षादिक कारणे लीइं ते सूत्र विसद्ध, पाठमे कारण को नाम चाल्यो न थी, अणे वृत्तिकार अण मिलतो अपवाद बखानो वली एह नू कह्युं अशन आदिक साधु वहरो ते अमणादिक समीपे आवी इम कहे तुम्ह सर्व भणी गृहस्थ ए अशनादिक दीघो ते तुम्हे भोगवो वैहचो एहवु करके ते अन्य तीर्थिक नें साधु इम किम कहे जे ए अशनादिक तुम्हे भोगवो वैहचो, एहतो प्रत्यक्ष सावध वचन छे, ते माटे एहवु जणाय छे—जे अमण ब्राह्मणादिक परतीर्थिक गृहस्थ रे घरे देखी साधु एकान्त जई उभो रहे तिण स्थान के अशन आदिक छे ते गृहस्थ आपे कहे सर्व णे में दीघो ते सर्व घणा सम्भोगिक साधु सम्भवे, पिन पेली भेला अन्य तीर्थिक न सम्भवइ, ते अशनादिक कोई एक साधु वहरी और घणा सम्भोगिक साधु अलग उभाछे—ते परते साधु आवी कहे एह आहार सर्व भणी गृहस्थे दीघो, तु मे भोगवो अणे वैहचो—ते सम्भोगी साधु ने इज कहवो कल्पे, ते भणी एह सम्भोगी साधु ने इज्ज लीघो सम्भवे पिन परतीर्थिक ने न सम्भवे, वली एह अलावा ना पाठनो अर्थ कोई अनरे पुकारे होई ते पिन केवली कहे ते सत छे, मम दोषो न दीयते इति ।

मत्र वहीं गृहस्थ के द्वार पर ही उपस्थित थे, अतः कहीं अन्यत्र जाकर उन्हें दिखाने का कोई प्रसंग उपस्थित नहीं होता और साधु की मर्यादा है कि वह गृहस्थ के घर से ग्रहण किया गया आहार अपने सांभोगिक बड़े साधुओं को दिखाकर सबको आहार करने की प्रार्थना करके फिर आहार ग्रहण करे और यह बात 'गच्छेज्जा' शब्द से स्पष्ट होती है और 'आयुध्मन् श्रमणो' को शब्द भी सांभोगिक साधुओं के लिए प्रयुक्त हुआ है, ऐसा इस पाठ से स्पष्ट परिलक्षित होता है।

कुछ हस्त लिखित प्रतियां तथा रवजी भाई देवराज द्वारा प्रकाशित भाषान्तर सहित आचाराङ्ग में निम्न पाठ विशेष रूप से मिलता है—

“केवली वूया आयाणमेयं” ॥५७३॥

“पुरा पेहाए तस्सट्ठाए परो असणं वा ४ आहट्ठु दलएज्जा अहमिक्खू णं पुव्वोवाट्ठिठ्ठा एस पतिन्ना, एस हेउ, एस उवएसो जं णो तेसिं संलोए सपड्ढिट्ठुवारे चिट्ठेज्जा से तमायाए एगंतमवक्कमिज्जा २ अणावायमसंलोए चिट्ठेज्जा।” ॥५७४॥

इसका तात्पर्य यह है कि केवली भगवान ने इसे कर्म आने का मार्ग कहा है। (अन्य मत के भिक्षुओं और भिखारियों को लांघकर गृहस्थ के घर में जाने तथा उनके सामने खड़े रहने को)। क्योंकि यदि उनके सामने खड़े हुए मुनि को गृहस्थ देखेगा तो वह उसे वहां आहार आदि पदार्थ लाकर देगा। अतः उनके सामने खड़ा न होने में यह कारण रहा हुआ है तथा यह पूर्वोपदिष्ट है कि साधु उनके सामने खड़ा न रहे। इससे अनेक दोष लगने की संभावना है। आगमोदय समिति से प्रकाशित आचाराङ्ग में उक्त पाठ नहीं है।

अब गृहस्थ के घर में प्रवेश के सम्बन्ध में सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा से जं पुण्ण जाणिज्जा-समणं वा माहणं वा गामपिंडोलगं वा अतिहिं वा पुव्व पविट्ठं पेहाए नो ते उवाइक्कम्म पविसिज्ज वा ओभासिज्ज वा ते तमायाय एगंतमवक्कमिज्जा २ अणावायमसंलोए चिट्ठिज्जा, अह पुणोवं जाणिज्जा-पडिसेहिए वा दिन्ने वा तत्रो तंमि नियत्तिए संजयामेव पविसिज्ज वा ओभासिज्ज वा एयं० सामग्गियं०

प्रथम अध्ययन पिण्डैषणा

षष्ठ उद्देशक

पञ्चम उद्देशक में अन्य मत के भिक्षुओं को लांघ कर जाने का निषेध किया गया है। अब प्रस्तुत उद्देशक में अन्य प्राणियों की वृत्ति में अन्तराय डालने का निषेध करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा० से जं पुण जाणिज्जा—रसेसिणो-
बहवे पाणा घासेसणाए संथडे संनिवइए पेहाए, तंजहा—कुक्कु-
डजाइयं वा सूयरजाइयं वा अग्रपिंडंसि वा वायसा संथडा
संनिवइया पेहाए सइ परक्कमे संजया नो उज्जुयं गच्छिज्जा । ३१।

छाया—स भिक्षुर्वा तद् यत् पुनः जानीयात्-रसैषिणः बहवः प्राणाः-
प्राणिनः प्रासार्थं संस्कृतान् (संस्तृतान्) संनिपतितान् प्रेक्ष्य- तद्यथा-कुक्कुट-
जातिकं वा शूकरजातिकं वा अग्रपिंडे वा वायसान् संस्कृतान् (संस्तृतान्)
संनिपतितान् प्रेक्ष्य सति पराक्रमे संयतः न ऋजुकं गच्छेत् ।

पदार्थ—से—वह। भिक्षू वा ४—साधु अथवा साध्वी। से जं पुण जाणिज्जा—जो फिर मार्ग आदि को जाने कि मार्ग में। बहवे—बहुत से। पाणा—प्राणी-जीव जन्तु। रसेसिणो—रस की गवेषणा करने वाले। घासेसणाए—आहार के लिए। संथडे—एकत्रित हो रहे हैं। संनिवइए—मार्ग में बैठे हुए हैं। उनको। पेहाए—देख कर। तंजहा—जैसे कि। कुक्कुडजाइयं वा—कुक्कुड की जाति के जीव अथवा। सूयर जाइयं वा—सूयर की जाति के। वा—अथवा। अग्रपिंडंसि—अग्रपिंड आहार को खाने के लिए। वायसा—कौवे। संथडा—एकत्रित हो रहे हैं या। संनिवइया—मार्ग में बैठे हुए है, तो इन सबको। पेहाए—देखकर। सइ परक्कमे—मार्गान्तर-अन्य मार्ग के होने पर। संजयामेव—सयत—साधु। उज्जुयं—सरल मार्ग से अर्थात् उन जीवों के सम्मुख होकर। नो गच्छिज्जा—न जाए।

मूलार्थ—साधु या साध्वी मार्ग में जाते हुए यदि यह जान ले कि

रुम का गवेपणा करने वाले बहून से प्राणी एकत्रित होकर मार्ग में खड़े हुए हैं— जैसे कि कुक्कुट जाति के जीव, शूकर-सूअर जाति के तथा अग्रपिंड के भोजनार्थ मार्ग में एकत्र होकर बैठे हुए कौवे आदि जीव रास्ते में बैठे हैं, तो इनको देखकर साधु या साध्वी अन्य मार्ग के होते हुए उस मार्ग से न जाएं ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि जिस रास्ते में भोजन की कामना से कुक्कुट आदि पक्षी या मूअर आदि पशु बैठे हों या अग्रपिंड के भक्षणार्थ कौवे आदि एकत्रित होकर बैठे हों तो अन्य रास्ते के होते हुए मुनि को नहें उल्लंघनकर उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए । क्योंकि मुनि को देखकर वे पशु-पक्षी भय के कारण इधर-उधर भाग जाएंगे या लड़ जाएंगे । इससे उन्हें प्राप्त होने वाले भोजन में अंतराय पड़ेगी और साधु के कारण उनके डड़ने या भागने से वायुकायिक जीवों एवं अन्य प्राणियों की अथत्ता (हिंसा) होगी । और कभी वे पशु जंगल में भाग गए और हिंस्र जन्तु की लपेट में आ गए तो उनका भी वध हो जाएगा । अतः साधु को जहाँ तक अन्य पथ हो तो ऐसे रास्ते से आहार आदि के लिए नहीं जाना चाहिए । इससे स्पष्ट हो जाता है कि साधु का जीवन दया एवं रक्षा की भावना से कितना ओत-प्रोत होता है । यही साधुता का आदर्श है कि उसका जीवन प्रत्येक प्राणी के हित की भावना से भरा होता है । वह स्वयं कष्ट सह लेता है, परन्तु अन्य प्राणों को कष्ट नहीं देता ।

गृहस्थ के घर में प्रवेश करने के बाद साधु को वहाँ किस वृत्ति से खड़े होना चाहिए, उस सम्बन्ध में उल्लेख करते हुए मूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भियस्व वा २ जावपचिट्ठेसमाणा नो गाहावङ्कुलस्स
वा दुवारसाहं अचलं विय २ चिट्ठिज्जा, नो गा० दगच्छड्डणमत्तए
चिट्ठिज्जा, नो गा० चदणियए चिट्ठिज्जा, नो गा० सिणा-
णास्स वा वञ्चस्म वा संलोए सपडिदुवारे चिट्ठिज्जा, नो आलोयं
वा, थिग्गलं वा, संधिं वा, दगभवणां वा, वाहात्थो पगिज्झिय २

अंगुलियाए वा उद्दिसिय २ उरणमिय २ अवनमिय २ निज्भा-
इज्जा, ना गाहावइं अंगुलियाए उद्दिसिय २ जाइज्जा, नो गा०
अंगुलियाए चालिय २ जाइज्जा, नो गा० अं० तज्जिय २ जाइ-
ज्जा, नो० गा० अं० उक्खुलंपिय (उक्खुलुंदिय) २ जाइज्जा,
नो गाहावइं वंदिय २ जाइज्जा, न वयणं फरुसं वइज्जा ।३२।

छाया— स भिन्नुर्वा यावत् न गृहपति कुलस्य वा द्वारशाखाम् अव-
लव्य तिष्ठेत् न गृहपति० उदक प्रतिष्ठापन मात्रके तिष्ठेत् न गृ० आच-
मनोदके तिष्ठेत् न गृ० स्नानस्य वा वर्चस्य वा संलोके तत् प्रतिद्वारे
तिष्ठेत् न० आलोकस्थानं वा थिग्गल वा सन्धिं वा उदकभवनं वा
बाहून् प्रगृह्य २ अंगुल्योद्दिश्य वा उन्नम्य २ अवनम्य २ निध्यापयेत् न
गृहपति अंगुल्योद्दिश्य २ याचेत् नो गृहपति अंगुल्या चालयित्वा याचेत् नो
गृहपति अंगुल्या तर्जयित्वा याचेत् नो गृहपति अंगुल्या कडूयित्वा
याचेत् न गृहपतिं टदिन्वा याचेत्, न वचनं परुष वदेत् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू वा २—साधु या साध्वी । जाव—यावत् भिक्षा के
लिए प्रवेश करने पर । गाहावइकुलस्स—गृहस्थ के घर की । दुवार साहं—द्वार शाखा की ।
अवलविय २—अवलम्बन करके—बार-बार पकड़ कर । नो चिट्ठिज्जा—खडा न हो । गा०—
गृहपति के घर । दगच्छइडणमत्तए—जहा पर उपकरणो-वर्तनो के धोवन का पानी गिराया
जाता हो वहा पर । नो चिट्ठिज्जा—खडा न हो तथा । गा०—गृहपति के घर में ।
चदणिधयए—जिस स्थान पर आचमन-पीने का पानी बहाया जाता हो या बहता हो वहा पर ।
नो चिट्ठिज्जा—खडा न हो । गा०—गृहपति के घर में । सिणाणस्स वा—जहा स्नान किया
जाता हो वहा पर अथवा । वर्चस्स—जहा मलोत्सर्ग किया जाता हो या । संलोए—दृष्टि
पडती हो तात्पर्य यह कि जहा स्नान करते या मलोत्सर्ग करते हुए गृहस्थ पर दृष्टि पडती हो
ऐसे स्थान पर तथा । सपडिदुवारे—दरवाजे के सामने । नो चिट्ठिज्जा—खडा न हो तथा ।
गा०—गृहपति कुल के । आलोयं वा—गवाक्ष आदि को । थिग्गलं वा—किसी गिरे हुए भित्ति
प्रदेश को फिर से सस्कागित किया हो उसको तथा । संधिं वा—चोर आदि के द्वारा तोड़ी हुई

किं मुनि को गृहस्थ के द्वार की शाखा को पकड़ कर खड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि वह जीर्ण है तो गिर जाएगी, इससे मुनि को भी चोट लगेगी, उसके रुंधम की विराधना होगी और अन्य प्राणियों की भी हिंसा होगी + वह जीर्ण तो नहीं है, परन्तु कमजोर है तो आगे-पीछे हो जाएगी, इस तरह उसको पकड़कर खड़े होने से अनेक तरह के दोष लगने की सम्भावना है। इसी तरह मुनि को उस स्थान पर भी खड़े नहीं रहना चाहिए जहाँ बतनों को माज-धो कर पानी गिराया जाता है, स्नानघर, शौचालय या पेशाबघर है। क्योंकि ऐसे स्थानों पर खड़े रहने से प्रवचन की जुगुप्सा-घृणा होने की सम्भावना है। और स्नानघर आदि के सामने खड़े होने से गृहस्थों के मन में अनेक तरह की शंकाएं पैदा हो सकती हैं। इसी प्रकार मरुखां, नव निमित्त दीवारों या दीवारों की सन्धि की ओर देखने से साधु के सभ्य व्यवहार ने कुछ दोष आता है।

भिक्षा ग्रहण करते समय अगुली आदि से संकेत करके पदार्थ लेने से साधु की रस लोलुपता प्रकट होती है और तर्जना एवं प्रशसा द्वारा भिक्षा लेने से साधु के अभिमान एवं दीन भाव का प्रदर्शन होता है। अतः साधु को भिक्षा ग्रहण करते समय किसी भी तरह की शारीरिक चेष्टाएं एवं संकेत नहीं करने चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि कोई गृहस्थ साधु को भिक्षा देने से इन्कार करदे तो साधु को उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए और न उन्हें कटु एवं कठोर वचन ही कहना चाहिए। साधु का यह कर्तव्य है कि वह बिना कुछ कहे एवं मन में भी किसी तरह की दुर्भावना लाए बिना तथा संकलेश का संवेदन किए बिना शान्त भाव से गृहस्थ के घर में बाहर आजाए।

इस सूत्र से साधु जीवन की धीरता, गम्भीरता, निरभिमानता अनासक्ति एवं सहिष्णुता का स्पष्ट परिचय मिलता है और इन्हीं गुणों के विकास में साधुता स्थित रहती है। इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अह तत्थ कंचि भुंजमाणं पेहाए गाहावइं वा० जाव
कम्मकरिं वा से पुव्वामेव आलोइज्जा—आउसोत्ति वा भइणित्ति
वा दाहिसि मे इत्तो अन्नयरं भोयणाजायं ! से सेवं वयंतस्स
परो हत्थं वा मत्तं वा दब्बिं वा भायणं वा सीओदगवियडेण
वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलिज्ज वा पहोइज्ज वा, से

पुव्वामेव आलोइज्जा आउमात्ति वा भइणित्ति वा ! मा एयं तुमं
हत्थं वा ४ सीओदगवियडेण वा २ उच्छोलेहि वा २ अभि-
कंखमि मे दाउं एवमेव दलयाहि. से मेवं वयंतस्स परो हत्थं वा
४ मीओ० उसि० उच्छोलित्ता पहोइत्ता आहट्टु दलइज्जा
तहप्पगारेणं पुरेकम्मएणं हत्थेण वा ४ असणं वा ४ अफासुयं
जाव नो पडिग्गाहिज्जा । अह पुणेवं जाणिज्जा नो पुरेकम्म-
एणं उदउल्लेणं तहप्पगारेणं वा उदउल्लेण (ससिणिद्धेण) वा
हत्थेण वा ४ असणं वा ४ अफासुयं जाव नो पडिग्गाहिज्जा ।
अह पुणेवं जाणिज्जा—नो उदउल्लेण ससिणिद्धेण सेसं तं चेव,
एवं ससरक्खे उदउल्ले ससिणिद्धे मट्ठियाउसे । हरियाले हिंणु-
लुए मणोसिला अंजणे लोणे ॥१॥

गेरुय वन्निय सेटिय, सोरट्ठिय पिट्ठ कुक्कुस उक्कु-
ट्ठ मंसट्ठेण । अह पुणेवं जाणिज्जा नो असंसट्ठे संसट्ठे,
तहप्पगारेण मंसट्ठेण हत्थेण वा ४ असणं वा ४ फासुयं जाव
पडिग्गाहिज्जा ॥३३॥

छाया—अथ तत्र कचन भूजानं प्रेच्य गृहपतिं वा यावत् कर्मकरी वा
स पूर्वमेव आलोचयेत्, आयुष्मन् ! इति वा भगिनि ! इति वा दास्यसि मे इतः
अन्यतरं भोजन जातम् ? न तस्यैव वदतः परः हस्तं वा मात्रं वा दर्बीं वा
भाजन वा शीनोदक विकटेन वा उष्णोदक विकटेन वा उत्क्षालयेत्-प्रक्षालयेत्

किमुनि को गृहस्थ के द्वार की शाला को पकड़ कर खड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि वह जीर्ण है तो गिर जाएगी, इससे मुनि को भी चाँट लगेगी, उसके रुंधम की विराधना होगी और अन्य प्राणियों की भी हिंसा होगी। वह जीर्ण तो नहीं है, परन्तु कमजोर है तो आगे-पीछे हो जाएगी, इस तरह उसको पकड़कर खड़े होने से अनेक तरह के दोष लगने की सम्भावना है। इसी तरह मुनि को उस स्थान पर भी खड़े नहीं रहना चाहिए जहाँ बतनों को माँज-धो कर पानी गिराया जाता है, स्नानघर, शौचालय या पेशाबघर है। क्योंकि ऐसे स्थानों पर खड़े रहने से प्रवचन की जुगुप्सा-धृणा होने की सम्भावना है। और स्नानघर आदि के सामने खड़े होने से गृहस्थों के मन में अनेक तरह की शंकाएँ पैदा हो सकती हैं। इसी प्रकार भूरोखां, नव निमित्त दीवारों या दीवारों की सन्धि की ओर देखने से साधु के सभ्य व्यवहार में कुछ दोष आता है।

भिक्षा ग्रहण करते समय अगुजो आदि से संकेत करके पदार्थ लेने से साधु की रस लोलुपता प्रकट होती है और तर्जना एवं प्रशसा द्वारा भिक्षा लेने से साधु के अभिमान एवं दीन भाव का प्रदर्शन होता है। अतः साधु को भिक्षा ग्रहण करते समय किसी भी तरह की शारीरिक चेष्टाएँ एवं संकेत नहीं करने चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि कोई गृहस्थ साधु को भिक्षा देने से इन्कार करदे तो साधु को इस पर क्रोध नहीं करना चाहिए और न उन्हें कटु एवं कठोर वचन ही कहना चाहिए। साधु का यह कर्तव्य है कि वह बिना कुछ कहे एवं मन में भी किसी तरह की दुर्भावना लाए बिना तथा संक्लेश का संवेदन किए बिना शान्त भाव से गृहस्थ के घर में बाहर आजाए।

इस सूत्र से साधु जीवन की धीरता, गम्भीरता, निरभिमानता अनासक्ति एवं सहिष्णुता का स्पष्ट परिचय मिलता है और इन्हीं गुणों के विकास में साधुता स्थित रहती है। इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अह तत्थ कंचि भुंजमाणं पेहाए गाहावइं वा० जाव
कम्मकरिं वा से पुव्वामेव आलोइज्जा—आउसोत्ति वा भइणित्ति
वा दाहिसि मे इत्तो अन्नयरं भोयणाजायं ! से सेवं वयंतस्स
परो हत्थ वा मत्तं वा दव्विं वा भायणां वा सीओदगवियडेण
वा उमिणोदगवियडेण वा उच्छोलिज्ज वा पहोइज्ज वा, से

पुत्रामेव आलोइज्जा आउमात्ति वा भइणित्ति वा ! मा एयं तुमं
हत्थं वा ४ सीओदगवियडेण वा २ उच्छोलेहि वा २ अभि-
कंखमि मे दाउं एवमेव दलयाहि. से सेवं वयंतस्स परो हत्थं वा
४ सीओ० उसि० उच्छोलित्ता पहोइत्ता आहट्टु दलइज्जा
तहप्पगारेणं पुरेकम्मएणं हत्थेण वा ४ असणं वा ४ अफासुयं
जाव नो पडिग्गाहिज्जा । अह पुणोवं जाणिज्जा नो पुरेकम्म-
एणं उदउल्लेणं तहप्पगारेणं वा उदउल्लेण (ससिणिद्धेण) वा
हत्थेण वा ४ असणं वा ४ अफासुयं जाव नो पडिग्गाहिज्जा ।
अह पुणोवं जाणिज्जा—नो उदउल्लेण ससिणिद्धेण सेसं तं चेव,
एवं ससरक्खे उदउल्ले ससिणिद्धे मट्ठियाउसे । हरियाले हिंणु-
लुए मणोसिला अंजणे लोणे ॥१॥

गेरुय वन्निय सेढिय. सोरट्ठिय पिट्ठ कुक्कुस उक्कु-
ट्ठ संसट्ठेण । अह पुणोवं जाणिज्जा नो असंसट्ठे संसट्ठे,
तहप्पगारेण संसट्ठेण हत्थेण वा ४ असणं वा ४ फासुयं जाव
पडिग्गाहिज्जा ॥३३॥

छाया—अथ तत्र कचन भूजान प्रेच्य गृहपतिं वा यावत् कर्मकरी वा
स पृथगेव आलोचयेत्, आयुष्मन् ! इति वा भगिनि ! इति वा दास्यसि मे इतः
अन्यतरं भोजन जातम् ? स तस्यैव वदतः परः हस्तं वा मात्रं वा दत्तं वा
भाजन वा शीतोदक विकटेन वा उष्णोदक विकटेन वा उत्क्षालयेत्-प्रक्षालयेत्

वा प्रधावयेद् वा, स पूर्वमेव आलोचयेत्-आयुष्मन् ! इति वा भगिनि ! इति वा मा एव त्वं हस्तं वा ४ शीतोदक विकटेन वा २ उत्क्षाल्य वा २ अभि-
 कान्क्षसि मे दातु एवमेव ददस्व ? स तस्यैव वदतः परः हस्त वा ४ शीतोदकं
 उष्णोदकं । उत्क्षाल्य प्रधावय्य आहृत्य दद्यात्, तथाप्रकारेण पूर्वकर्म-
 णा हस्तेन वा ४ अशनं वा ४ अप्रासुकं ४ यावत् नो प्रतिगृह्णीयात् । अथ
 पुनरेव जानीयात्—नो पुरः कर्मणा उदकाद्रैण तथा प्रकारेण वा उदका-
 द्रैणसस्निग्धेन वा हस्तेन वा ४ अशनं वा ४ अप्रासुकं यावत् न प्रतिगृह्णीयात् ।
 अथ पुनरेव जानीयात् न उदकाद्रैण सस्निग्धेन शेषं तच्चैव एवं—सरजस्केन
 उदकाद्रैण सस्निग्धेन सस्निग्धा मृत्तिका उषः (क्षारमृत्तिका) हरिताल,
 हिगुजक मनःशिला अञ्जनं लवणम् । गैरिक वर्णिक सेटिक सौराष्ट्रिक पिष्ट
 कुक्कुस उत्कृष्ट संस्पृष्टेन । अथ पुनरेव जानीयात्-न असंसृष्टः संस्पृष्टः तथा-
 प्रकारेण संस्पृष्टेन हस्तेन वा ४ अशनं वा ४ प्रासुकं यावत् प्रतिगृह्णीयात् ।

पदार्थ—मह—अथ भिक्षु । तत्थ—गृहपति कुल मे प्रवेश करने पर वहा । कंचि -
 किसी गृहस्थ को । भुजमाणं—खाते हुए को । पेहाए—देखकर जैसे कि । गाहावइ वा—गृहपति
 उसकी पत्नी । जाव—यावत् । कम्मकरिं—कर्मकरी । से—वह भिक्षु । पुब्बामेव—पहले ही ।
 आलोएज्जा—विचार करे और कहे । आउसोत्ति वा—हे आयुष्मन् गृहपते ! अथवा । भगिन्ति
 वा—हे भगिनि ! हे वहिन ! मे—मुझे । इत्तो—इस आहार में से । अन्नयरं—अन्यतर ।
 भोयणजायं—भोजन । दाहिसि—देगी ? से—यह अथ के अर्थ में है । से एवं—उसके इस
 प्रकार । वयंतस्स—कहने पर । परो—गृहपति आदि यदि । हत्थं वा—हाथ को । मत्तं वा—
 पात्र को । दग्गिं वा—दर्वी-कढछी को । भावणं वा—अथवा अन्य भाजनादि को । सीओदग-
 वियडेण वा—निर्मल शीतल जल से । उस्सिणोदग वियडेण वा—थोड़े उष्ण जल से अर्थात्
 मिश्रित पानी से । उच्छोलिज्ज वा—एक बार धोवे- । पहोइज्ज वा—अथवा बार-बार
 धोवे तब । से—वह-भिक्षु । पुब्बामेव—पहले ही । आलोइज्जा—घोने के लिए तत्पर हुए को
 देखकर विचार करे और इस प्रकार कहे । आउसोत्ति वा—हे आयुष्मन् ! गृहपते । भयणिति
 वा—हे भगिनि !—हे वहिन ! एयं तुमं—तुम इस प्रकार-। हत्थं वा ४—हाथ-पात्र और
 अन्य भाजन आदि को । सीओदगवियडेण वा—शीतल जल से अथवा उष्ण-थोड़े गर्म जल से या
 मिश्रित जल से । मा उच्छोलिहि वा २—एक बार अथवा बार-बार प्रक्षालन न करो ? मे-
 वाउं अमिकंक्षसि—यदि तुम मुझे आहार देना चाहती हो तो । एवमेव—इसी प्रकार अर्थात् बिना

कर कहे कि हे आयुष्मन् ! गृहस्थ ! अथवा हे बहिन ? तुम इस भोजन मे से कुछ भोजन मुझे दोगे ? उस भिक्षु के इस प्रकार बोलने पर यदि वह गृहस्थ अपने हाथ को, पात्र को अथवा कड़छो या अन्य किसी बर्तन विशेष को निर्मल शीतल जल से या थोटे उष्णजल से (मिश्र जल) से एक बार या एक से अधिक बार धोने लगे तो वह भिक्षु पहले हा उसे देखकर और विचार कर कहे कि आयुष्मन् गृहपते या भगिनि बहिन ! तू इस प्रकार शीतल अथवा अल्प उष्ण जल से अपने हाथ एवं बर्तनादि का प्रक्षालन मत कर ? यदि तू मुझे भोजन देना चाहती है तो ऐसे ही दे दे। उस भिक्षु के इस प्रकार कहने पर भी यदि वह गृहस्थ आदि शीतल या थोड़े उष्णजल से हस्तादि का एक अथवा अनेक बार प्रक्षालन करे और तदनन्तर अशनादि चतुर्विध आहार लाकर दे तो इस प्रकार के गीले हाथ आदि से लाए गए आहार को अप्रासुक जानकर साधु ग्रहण न करे।

गृहस्थ के घर में भिक्षार्थ प्रविष्ट हुआ साधु यदि यह जाने कि गृहस्थ ने साधु को भिक्षा देने के लिए हस्तादि का प्रक्षालन नहीं किया है किन्तु किसी दूसरे ही अनुष्ठान से - काम से हस्त आदि जल से आर्द्र हो रहे हैं, ऐसे हाथों से या पात्र से (जो जल से आर्द्र अथवा स्निग्ध हों) लाकर दिया गया भोजन भी अप्रासुक होने से साधु ग्रहण न करे।

यदि गृहस्थ के हाथ या पात्र आदि जल से आर्द्र नहीं है। उनसे जल बिन्दु भी नहीं टपकते है किन्तु जल से स्निग्ध है—कुछ गीले से है। तो भी उन हाथों से दिया गया अशनादिक चतुर्विध आहार अप्रासुक जान कर साधु को ग्रहण नहीं करना चाहिए।

इसी प्रकार सचित्त रज से, सचित्त जल से स्निग्ध हस्तादि, सचित्त मिट्टी, खारी मिट्टी हरिताल, हिंगुल, सिगरफ मनसिल, अंजन, लवण, गेरु, पोली मिट्टी, खड़िया मिट्टी, तुवरिका, पिष्ट-बिना छाना

कर कहे कि हे आर्युष्मन् ! गृहस्थ ! अथवा हे बहिन ! तुम इस भोजन मे से कुछ भोजन मुझे दोगे ? उस भिक्षु के इस प्रकार बोलने पर यदि वह गृहस्थ अपने हाथ को, पात्र को अथवा कडछो या अन्य किसी बर्तन विशेष को निर्मल शीतल जल से या थोटे उष्णजल से (मिश्र जल) से एक बार या एक से अधिक बार धोने लगे तो वह भिक्षु पहले हा उसे देखकर और विचार कर कहे कि आर्युष्मन् गृहपते या भगिनि वहिन ! तू इस प्रकार शीतल अथवा अल्प उष्ण जल से अपने हाथ एवं बर्तनादि का प्रक्षालन मत कर ? यदि तू मुझे भोजन देना चाहती है तो ऐसे ही दे दे। उस भिक्षु के इस प्रकार कहने पर भी यदि वह गृहस्थ आदि शीतल या थोड़े उष्णजल से हस्तादि का एक अथवा अनेक बार प्रक्षालन करे और तदनन्तर अशनादि चतुर्विध आहार लाकर दे तो इस प्रकार के गोले हाथ आदि से लाए गए आहार को अप्रासुक जानकर साधु ग्रहण न करे।

गृहस्थ के घर में भिक्षार्थ प्रविष्ट हुआ साधु यदि यह जाने कि गृहस्थ ने साधु को भिक्षा देने के लिए हस्तादि का प्रक्षालन नहीं किया है किन्तु किसी दूसरे ही अनुष्ठान से - काम से हस्त आदि जल से आर्द्र हो रहे हैं, ऐसे हाथों से या पात्र से (जो जल से आर्द्र अथवा स्निग्ध हो) लाकर दिया गया भोजन भी अप्रासुक होने से साधु ग्रहण न करे।

यदि गृहस्थ के हाथ या पात्र आदि जल से आर्द्र नहीं है। उनसे जल बिन्दु भी नहीं टपकते हैं किन्तु जल से स्निग्ध है-कुछ गीले से है। तो भी उन हाथों से दिया गया अशनादिक चतुर्विध आहार अप्रासुक जान कर साधु को ग्रहण नहीं करना चाहिए।

इसी प्रकार सचित्त रज से, सचित्त जल से स्निग्ध हस्तादि, सचित्त मिट्टी, खारी मिट्टी हरिताल, हिगुल, सिंगरफ, मनसिल, अंजन, लवण, गेरु, पोली मिट्टी, खडिया मिट्टी, तुवरिका, पिष्ट-बिना छाना

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि प्रासुक शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है — निर्जीव । अतः अप्रासुक का अर्थ हुआ सजीव पदार्थ । अतः सचित्त जल से हाथ या पात्र धोने मात्र से पदार्थ अप्रासुक कैसे हो जाते हैं ?

इसका समाधान यह है कि प्रस्तुत प्रकरण में इस शब्द का प्रयोग अकल्पनीय अर्थ में हुआ है और उसके समान होने के कारण इसे भी अप्रासुक कहा गया है और मध्यम पद लोपो समास के सदृश होने से यहाँ इसे ग्रहण किया गया है । जैसे राज-प्रश्नीयसूत्र में वैक्रिय स उत्पन्न किए गए अचित्त पुष्पों के लिए जलज एवं स्थलज शब्दों का प्रयोग किया गया है । जब कि वे जलज एव स्थलज नहीं हैं । परन्तु, उनके समान दिखाई देने के कारण उन्हें जलज एवं स्थलज कहा गया है । इसी तरह अप्रासुक शब्द अकल्पनीय शब्द के समान होने के कारण यहाँ उसे ग्रहण किया गया है ।

अब आहार की गवेषणा के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा २ से जं पुण जाणिज्जा पिहुयं
वा बहुरयं वा जाव चाउलपलंबं वा असंजए भिक्षुपडियाए
चित्तमंताए सिलाए जाव मसंताणाए कुट्टिसु वा कुट्टन्ति वा
कुट्टिस्संति वा उप्फणिसु वा ३ तहप्पगारं पिहुयं वा० अफासुयं
नो पडिगाहिज्जा ॥३४॥

छाया—स भिक्षुर्वा २ अथ पुनरेव जानीयात्-पृथुकं वा बहुरजसं वा यावत् तन्दुलप्रलम्बं वा असंयतः भिक्षुप्रतिज्ञया चित्तमत्यां शिलायां यावत् संतानोपेतायां अकुट्टिषुः, कुट्टन्ति वा कुट्टिष्यन्ति वा अदुः ३ वा तथाप्रकारं २ पृथुकं वा अप्रासुकं न प्रतिगृहणीयात् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षू वा—साधु या साध्वी । से—अथ । ज—जिस आहार आदि को । पुण—फिर । एवं—इस प्रकार से । जाणिज्जा—जाने । पिहुयं वा—शाल्यादि के कण अथवा । बहुरयं वा—बहुत रज वाले शाल्यादि के कण । जाव—यावत् । चाउलपलंबं वा—प्रदं पक्व शाल्यादि कण । असंजए—गृहस्थ ने । भिक्षुपडियाए—भिक्षु को देने के लिए । चित्तमंताए सिलाए—सचित्त शिला पर । जाव—यावत् । मसंताणाए—मकड़ी जाला आदि

मूलम्—से भिक्खू वा २ जाव समाणे से जं० बिल वा लोणं उब्भियं वा लोणं अस्संजए जाव संताणाए भिदिसु ३ रुचिसु वा ३ बिलं वा लोणं उब्भियं वा लोणं अफासुयं० नो पडिग्गाहिज्जा ॥३५॥

छाया—स भिक्षुर्वा० यावत् लन् अथ यत्० बिलं वा लवणं उद्भिदितं वा लवणं असंयतः यावत् सन्तानोपेताया अभैत्सुः भिन्दन्ति भेत्स्यन्ति वा, अपिषन् (पिष्टवन्तः) पिषन्ति पेच्यन्ति बिलं वा लवणं उद्भिदितं वा लवणं अप्रासुकं न प्रतिगृहीयात् ।

पदार्थ—से—वह। भिक्खू वा—साधु अथवा साध्वी। जाव—यावत्। समाणे—भिक्षा के लिए गृहपति कुल में प्रविष्ट होने पर। से जं०—यह जान ले कि। बिल वा लोण—खदान से उत्पन्न हुए लवण। उब्भिय वा लोण—अथवा समुद्र के क्षार जल से उत्पन्न हुए लवण को। असंजए—गृहस्थ ने। जाव—यावत्। संताणाए—सचित्त अथवा जाले आदि से युक्त शिला पर। भिदिसु ३—भेदन किया है या वह भेदन कर रहा है या भेदन करेगा, अथवा। रुचिसु वा ३—शिला आदि पर पीसा, पीसता है या पीसेगा ऐसे। बिलं वा लोण—खान के लवण को। उब्भियं वा लोणं—समुद्र से उत्पन्न होने वाले लवण को। अफासुय—अप्रासुक जानकर साधु। नो पडिग्गाहिज्जा—ग्रहण न करे।

मूलार्थ—गृहस्थ के घर में भिक्षार्थं प्रविष्ट साधु को यदि यह ज्ञात हो जाए कि खदान एवं लवण समुद्रादि के जल से उत्पन्न लवण को किसी गृहस्थ ने सचित्त एवं जालो से युक्त शिला पर भेदन करके या पीस कर रखा है, या भेदन करके या पीस कर रख रहा है या भेदन करके पीस कर रखेगा तो साधु को ऐसे अप्रासुक नमक को ग्रहण नहीं करना चाहिए।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि खान से एवं समुद्र से उत्पन्न लवण (नमक) को साधु ग्रहण न करे। इसके साथ सैन्धव, सौवर्चल आदि सभी प्रकार का सचित्त

नमक साधु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि कोई गृहस्थ सचित्त नमक को सचित्त शिला पर उसके टुकड़े-टुकड़े करके दे या उसका बारीक चूर्ण बनाकर दे तो उसे अप्रासुक समझकर ग्रहण न करे।

‘त्रिल’ शब्द खान एवं ‘उत्थिय शब्द समुद्र का बोधक है। और भिंदिसु’ एवं ‘रुचिसु’ इन उभय क्रियाओं से क्रमशः खड-खंड करने एवं बारीक पीसने का निर्देश किया गया है। इसके अतिरिक्त लवण शब्द से यहा उपलक्षण से समस्त सचित्त पृथ्वीकाय का ग्रहण किया गया है। अतः संयमशील साधु को पृथ्वीकायिक जीवों की यत्ना करनी चाहिए, उसे किसी भी तरह से उक्त जीवों को विराधना नहीं करनी चाहिए।

‘अप्रासुक’ शब्द से यह भी सूचित किया गया है कि यदि सचित्त नमक अन्य पदार्थ या शस्त्र के संयोग से अचित्त हो गया है, तो फिर वह साधु के लिए अप्रासुक एवं अप्राह्य नहीं रह जाता है।

अत्र अग्निनाय के आरम्भ का निषेध करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० से जं० असणां वा ४ अगणि—

निक्खित्तं तहप्पगारं असणां वा ४ अफासुयं नो०, केवली बूया
आयाणमेयं, अस्संजए भिक्खुपडियाए उस्सिचमाणे वा निस्सि
चमाणे वा आमज्जमाणे वा पमज्जमाणे वा ओयारेमाणे वा
उव्वत्तमाणे वा अगणिजीवे हिंसिज्जा, अह भिक्खूणां पुव्वोवइट्ठा
एस पइन्ना एस हेऊ एस कारणे एसुवएसे जं तहप्पगारं
असणां वा ४ अगणिनिक्खित्तं अफासुयं नो० पडि० एयं०
सामग्गियं ॥३६॥

छाया—स भिक्षुर्वा अथ यत् अशनं वा ४ अग्निनिक्षिप्तं तथाप्रकारं
अशनं वा ४ अप्रासुकं न प्रतिगृह्णीयात् । केवली ब्रूयात् आदानमेतत्,
असंयतः भिक्षुप्रतिज्ञया उत्सिचन् वा निसिचन् वा आमर्जयन् वा प्रमर्जयन्
वा अवतारयन् वा अपवर्तयन् वा अग्निजीवान् हिंस्यात् । अथ भिक्षूणां

पूर्वोपदष्टा एषा प्रतिज्ञा एष हेतुः एतत् कारण, अयमुपदेशः यत् तथा प्रकारं अशनं वा ४ अग्निनिक्षिप्त अप्रासुकं न प्रतिगृणीयात् एतत् सामग्र्यम् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षू वा—साधु या साध्वी । से ज०—यदि फिर ऐसा जाने कि । असण वा ४—अशनादिक चतुर्विध आहार जो कि । अग्निनिक्षिप्त—अग्नि पर रखा हुआ है । तहृत्पगारं—इस प्रकार के । असणं वा ४—अशनादिक चतुर्विध आहार को । अप्रासुकं—अप्रासुक जानकर । नो०—ग्रहण न करे । केवली बूया—केवलि भगवान कहते हैं । आयाणमेयं—यह कर्म आने का मार्ग है अर्थात् इससे कर्म का बन्ध होता है, यथा । अस्सजए—गृहस्थ । भिक्षुपडियाए—भिक्षु की प्रतिज्ञा से अर्थात् भिक्षु के लिए । उस्सिचमाणे वा—अग्नि पर रखे हुए पात्र में से निकालता हुआ । निस्सिचमाणे वा—अग्नि पर रखे हुए भाजन से निकलते हुए दुग्धादि को उपशान्त करता हुआ । आमज्जमाणे वा—अथवा उसे हस्तादि से हिलाता हुआ । पमज्जमाणे वा—या बार-बार हिलाता हुआ । ओयारेमाणे वा—अग्नि पर से उतारता हुआ । उव्वत्तमाणे वा—अथवा भाजन को तिग्घा-टेढा करता हुआ । अग्नि जीवे—अग्नि काय—अग्नि के जीवों की । हिंसिज्जा—हिंसा करता है अर्थात् उसकी इस क्रिया से अग्नि काय की हिंसा होनी है । अह—अथ । भिक्षूण—भिक्षुओं को । पूर्वोपदिष्ट—जो पूर्व कह चुके हैं वह तीर्थकर भाषित है । एस पइन्ना—यह प्रतिज्ञा । एस हेऊ—यह हेतु । एस कारणे—यह कारण । एसुवसे—और यह तीर्थकरादि का उपदेश है कि । जं—जो । तहृत्पगारं—इस प्रकार का । असणं वा—अशनादिक चतुर्विध आहार है जो कि । अग्निनिक्षिप्त—अग्नि पर रखा हुआ है उसे । अप्रासुकं—अप्रासुक जानकर । नो०—साधु ग्रहण न करे । एयं—यह । सामगियं—साधु वा साध्वी का सामग्र्य—सम्पूर्ण आचार है अर्थात् इसी पर उस का साधुत्व निर्भर है ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी भिक्षादि के निमित्त गृहस्थ के घर में प्रवेश करने पर यदि यह देखे कि अशनादिक चतुर्विध आहार अग्नि पर रखा हुआ है, तो उसे अप्रासुक जानकर साधु ग्रहण न करे । क्योंकि केवली भगवान कहते हैं कि यह कर्म आने का मार्ग है । क्योंकि गृहस्थ साधु के लिए यदि अग्नि पर रखे हुए भाजन में से वस्तु को निकालता है, जबलते हुए दुग्धादि को जल आदि के छींटे देकर शान्त करता है, या अग्नि पर रखे हुए भाजन आदि को नीचे उतारता है अथवा टेढा करता है, तो

वह अग्निकाय—अग्नि के जीवों की हिंसा करता है। अतः भिक्षुओं के लिए तीर्थंकर भगवान ने पहले ही कह दिया है कि इसमें यह प्रतिज्ञा है, यह हेतु है, यह कारण है और यह उपदेश है कि जो आहार अग्नि पर रखा हुआ है, उस आहार को अप्रासुक जानकर साधु-साध्वी ग्रहण न करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि किसी गृहस्थ के घर आहार आदि पदार्थ आग पर रखे हुए हैं और उम समय साधु को अपने घर में आया हुआ देखकर कोई गृहस्थ उम अग्नि पर स्थित आहार में से निकाल कर दे, या वह आग पर उबलते हुए दूध को पानी के छींटों से शान्त करके या आग पर से कोई वस्तु उतार कर साधु को दे तो साधु उस आहार को अप्रासुक समझ कर ग्रहण न करे। क्योंकि इन क्रियाओं से अग्निक्रांतिक जीवों की हिंसा होती है। इसलिए साधु को इस तरह की सावध क्रिया करते हुए कोई व्यक्ति आहार दे तो साधु उसे ग्रहण न करे।

कुछ प्रतियों में 'अफासुयं' के साथ 'अणोसणिज्जं लाभे संते' यह पाठ भी मिलता है। आगमोदय समिति से प्रकाशित प्रति में 'त्तिवेमि' शुद्ध नहीं दिया गया है। परन्तु उद्देशक की समाप्ति होने के कारण यहां 'त्तिवेमि' शब्द ग्रहण किया गया है।

'त्तिवेमि' की व्याख्या पूर्ववत् समझे।

॥ षष्ठ उद्देशक समाप्त ॥

प्रथम अध्ययन पिण्डैषणा

सप्तम उद्देशक

छठे उद्देशक में संयम विराधना का उल्लेख किया गया था। अब प्रस्तुत उद्देशक में संयम की, आत्मा की एवं दाता की विराधना एवं उक्त विराधना से होने वाली प्रवचन की अवहेलना का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा २ से जं० असणां वा ४ खंधंसि वा, थंभंसि वा मंचंसि वा मालंसि वा पासायंसि वा हम्मियतलंसि वा अन्नयरंसि वा तहप्पगारंसि अंतलिक्खजायंसि उवनिक्खित्ते सिया तहप्पगारं मालोहडं असणां वा ४ अफासुयं नो० केवली-बूया आयाणमेयं, अस्संजए भिक्खुपडियाए पीढं वा फलगं वा निस्सेणिं वा उदूहलं वा आहट्टु उस्मविय दुरूहिज्जा, से तत्थ दुरूहमाणो पयलिज्ज वा पवडिज्ज वा, से तत्थ पयलमाणो वा २ हत्थं वा पायं वा बाहुं वा उरुं वा उदरं वा सीसं वा अन्नयरं वा कायंसि इंदियजालं लूसिज्ज वा पाणाणि वा ४ अभिहणिज्ज वा वित्तासिज्ज वा लेसिज्ज वा संघसिज्ज वा संघट्टिज्ज वा परियाविज्ज वा किलामिज्ज वा ठाणांओ ठाणं संकामिज्ज वा, तं तहप्पगारं मालोहडं असणां वा ४ लाभे संते

ना पडिगाहिज्जा, से भिक्खू वा २ जाव समाणे से जं असणं वा
४ कुट्ठियाओ वा कोलेज्जाओ वा असंसजए भिक्खुपडियाए
उक्कुज्जिय अवउज्जिय ओहरिय आहट्टु दलइज्जा, तहप्पगारं
असणं वा ४ लाभे संते ना पडिगाहिज्जा ॥३७॥

छाया—स भिक्षुर्वा २ तद् यत्० अशन वा ४ स्कन्धे वा स्तम्भे वा
मंचके वा माले वा प्रामादे वा हर्म्येतले वा अन्यतरस्मिन् वा तथाप्रकारे
अन्तरिक्षजाते उपनिक्षिप्तः स्यात् तथाप्रकारं मालाहृतं अशन वा ४
अप्रासुक न० केवली ब्रूयात् आदानमेतत् असंपतः भिक्षुप्रतिज्ञया पीठं वा फलक
वा निश्रेणि वा उदूखल वा आहृत्य उत्सृज्य ऊर्ध्व संस्थाप्य आरोहेत् स तत्र
आरोहन् प्रचलेद् वा प्रपतेद् वा, स तत्र प्रचनन्, प्रपतन् वा हर्मन् वा पाद वा
बाहु वा उरुं वा उदरं वा शीर्षं वा अन्यतरत् काये इन्द्रिय जाल लूषयेत्-विरा-
धयेद् वा प्राणिनो वा (भूतानि, जीवान्, सत्वान् वा) अभिहन्याद् वा वित्रा-
सयेद् वा लेषयेद् वा सघर्षयेद् वा संघट्टयेद् वा, परितापयेद् वा, बलामयेद् वा
स्थानात् स्थान सक्रामयेद् वा, तन् तथाप्रकार मालाहृत, अशन वा ४ लाभे
सति न प्रतिगृहणीयात् । स भिक्षुः वा २ यावत् (प्रविष्टः) सन् अथ यत्
जानीयात्-अशनं वा ४ कोष्ठिकातः अधोवृत्त खाताकाराद् वा असंपतः
भिक्षुप्रतिज्ञया उन्कुञ्ज्य अवकुञ्ज्य अवहृत्य, आहृत्य दद्यात् तथाप्रकारं अशन
वा लाभे सति न प्रतिगृहणीयात् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू वा—नाथु अथवा माध्वी । से ज—आहार के निमित्त
गृहम्य के घर में प्रवेश करने पर यदि यह जाने कि । असण वा ४—अशनादि चतुर्विध आहार
जो कि । खर्षेसि वा—भीत-दीवार पर रखा हुआ । यभसि वा—स्तम्भ पर रखा हुआ ।
मचसि वा—प्रथवा मञ्चक पर । मालसि वा—माल-मकान की मंजिन पर । पासायंसि वा—
प्रासाद-महल पर । हम्मिस्य तत्तंसि वा—प्रासाद की भूमि पर । अन्नपरसि वा—प्रथवा अन्य
कोई । तहप्पगारसि—रानी प्रकार के । अंससिक्खजायंसि—अन्तरिक्ष जान में (जहा पर

सीढी लगाकर पदार्थ उतारा जाता है उसको अन्तरिक्ष जात कहते हैं) उवनिखिलत्तिसिया—रखा हुआ हो। तहप्पगारं—इस प्रकार। मालोहड—ऊपर रखे गए पदार्थों को ऊपर से उतार कर दे रहा है, तो। असण वा ४—ऐसा अशनादि चतुर्विध आहार है उसे। अफामुयं—अप्रामुक जानकर। नो०—साधु ग्रहण न करे। केवली बूया—केवली भगवान कहते हैं कि। आघाणमेय—यह कर्म आने का मार्ग है जो कि। असजए—असयत गृहस्थ। भिक्खुपडियाए—अर्थात् साधु को आहार देने के लिए। पीढ वा—पीठ चौकी आदि को। फलग—पट्टे को। निस्सेणि वा—अथवा सीढी को। उदूहल वा—या ऊखल को। आहट्टु—लाकर। उस्सविय—ऊचा करके। डुरूहिज्जा—चढे और। से—उस गृहस्थ का। तत्थ—उस स्थान पर। डुरूहमाणे—चढते हुए। पयलिज्ज वा—पाँव फिसल जाए। पवडिज्ज—अथवा वह गिर पड़े। से—वह गृहस्थ। तत्थ—उस स्थान पर। पयलमाणे वा—फिसलता हुआ अथवा गिरता हुआ अर्थात् उसके फिसलने या गिरने से उसका। हत्थं वा—हाथ। पाय वा—पैर। बाहु वा—भुजा। उरु वा—उरु—सत्थल। उदर वा—पेट। सीत्तं वा—शीर्ष—सिर में अथवा। अन्नयरसि वा कायसि—शरीर के किसी अन्य। इडिय जालं—अवयव विशेष को। लसिज्जा वा—दोषप्राप्त हो अर्थात् टूट जाए और उसके गिरने से। पाणाणि वा ४—प्राणि, भूत, जीव और सत्त्वो का। अभिहणिज्ज वा—अवहनन होता है। वित्तासिज्ज वा—वह उन्हें त्रास दे। लेसिज्ज वा—भूमि से सखिल्ल करे। संघसिज्ज वा—सघर्षित करे। सघट्टिज्ज वा—सघट्टा करे अथवा। परिथाविज्ज वा—परितापना दे। किलामिज्ज वा—पीडा दे। ठाणाओ ठाणं—एक स्थान से दूसरे स्थान पर। सकामिज्ज वा—संक्रमण करे। त—इसलिए। तहप्पगारं—तथा प्रकार के। मालोहड—ऊचे स्थान से उतारा हुआ। असणं वा ४—अशनादि चतुर्विध आहार। लाभे संते—मिलने पर भी। नो पडिग्गाहिज्जा—ग्रहण न करे। से—वह। भिक्खू वा—भिक्षु—साधु या साध्वी। जाव समाणे—यावत् गृहस्थ के घर में प्रवेश करने पर। से ज—यदि, ऐसा जाने कि। असणं वा ४—अशनादिक चतुर्विध आहार को। कुट्टियाओ वा—मिट्टी की कोठी में। कोलेज्जाओ वा—अधोवर्त्त—नीचे के प्रकोष्ठ विशेष से। अस्सजए—गृहस्थ। भिक्खु पडियाए—भिक्षु के निमित्त। उक्कुज्जिय—भुक्त कर। अवउज्जिय—बहुत नीचा होकर। ओहरिय—तिरछा—टेढा होकर। आहट्टु—उस वस्तु को निकालकर। दलइज्जा—दे तो। तहप्पगारं—इस प्रकार के। असणं वा ४—अशनादिक चतुर्विध आहार को। लाभे संते—प्राप्त होने पर भी साधु। नो पडिग्गाहिज्जा—ग्रहण न करे—अर्थात् उक्त प्रकार से लाया गया आहार साधु न ले।

मूलार्थ—साधु या साध्वी गृहस्थ के घर में प्रवेश करने पर यदि यह जाने कि अशनादि चतुर्विध आहार, गृहस्थ के वहाँ भित्ति पर, स्तम्भ पर,

मंचक पर, छत पर, प्रासाद पर, कोठी आदि की छत पर तथा किसी अन्य अतृप्तजात अर्थात् ऊच स्थान पर रक्खा हुआ है तो इस प्रकार के ऊचे स्थान से उतार कर दिया गया अशनादि चतुर्विध आहार, अप्रासुक जानकर साधु ग्रहण न करे। केवली भगवान कहते हैं कि यह कर्म बन्ध का कारण है जो कि गृहस्थ, साधु को आहार देने के लिए उचे स्थान पर रखे हुए आहार को उतारने के लिए चौकी, फलक, पट्टा, सीढ़ी या ऊखल आदि को लाकर, ऊंचा करके ऊपर चढेगा। यदि ऊपर चढता हुआ वह गृहस्थ फिसल जाए या गिर पड़े तो फिसलते या गिरते हुए उसका हाथ, पाव, भुजा, छाती, उदर, सिर या अन्य कोई शरीर का अवयव टूट जाएगा और उसके गिरने से किमी प्राणि, भूत, जीव और सत्व आदि का अवहनन होगा, उन जीवो को त्रास उत्पन्न होगा, सकलेश उत्पन्न होगा, सघर्ष होगा, सघट्टा होगा, अतापना या क्लामना होगी और स्थान से स्थानान्तर मे सक्रमण होगा, अतः इस प्रकार के मालाहृत-ऊचे स्थान से उतारे गए आहार के प्राप्न होने पर भा साधु उसे ग्रहण न करे।

साधु या साध्वी आहार के निमित्त घर मे प्रविष्ट होने पर यदि यह देखे कि अशनादिक चतुर्विध आहार जिसे गृहस्थ मिट्टी की कोठी से अथवा बाम आदि की कोठी से भिक्षु के लिए नीचा होकर, कुन्बा होकर या तिरछा होकर निकालता है, तो वह आहार उपलब्ध होने पर भी साधु स्वीकार न करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र मे बताया गया है कि समतल भूमि से बहुत ऊपर या नीचे के स्थान पर आहार आदि रखा हो, वह आहार सीढ़ी या चौकी को लगाकर या उसे ऊचा करके उस पर चढकर वहा से आहार को उतार कर दे या इसी तरह नीचे मुक कर, टेढा होकर नीचे के प्रकोष्ठ में रखे हुए पदार्थों को निकाल कर दे तो उन्हें अप्रासुक अकल्पनीय समझ कर ग्रहण नहीं करना चाहिए। यहां अप्रासुक का अर्थ सचित्त नहीं, परन्तु अकल्पनीय है। उन अचित्त पदार्थों को अकल्पनीय इसलिए कहा गया है कि उक्त विषम स्थान से सीढ़ी, तख्त आदि पर से उतारते समय यदि पैर फिसल जाए या

सीढ़ी व तख्त का पाया फिपल जाए तो व्यक्ति गिर सकता है और उससे उसके शरीर में चोट आ सकती है एवं अन्य प्राणियों की भी विराधना हो सकती है। इसी तरह नीचे के प्रकोष्ठ में झुककर निकालने से भी अयतना होने की सम्भावना है, अतः साधु को ऐसे विषम स्थानों पर रखा हुआ आहार-पानी ग्रहण नहीं करना चाहिए।

परन्तु, यदि उक्त स्थान पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हों, किसी तरह की अयतना होने की सम्भावना न हो तो ऐसे स्थानों पर स्थित वस्तु कोई यत्नापूर्वक उतार कर दे तो साधु ले सकता है। 'पीठं वा फलगं वा निस्तोणं वा आहट्टु उस्संवेयं डुरुहिज्जा' पाठ से यह सिद्ध होता है कि हिलने-डुलने वाले साधनों पर चढ़कर उन वस्तुओं को उतार कर दे तो साधु को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उन पर से फिसलने का डर रहता है। परन्तु, स्थिर सीढ़ियों पर से चढ़कर कोई वस्तु उतार कर लाई जाए या किसी स्थिर रहे हुए तख्त आदि पर चढ़कर उन्हें उतारा जाए तो वे अकल्पनीय नहीं कही जा सकतीं।

इससे यह स्पष्ट होता है कि जिससे आत्म विराधना, संयम विराधना, गृहस्थ की विराधना एवं जीवों की विराधना हो या गृहस्थ को किसी तरह का कष्ट होता हो तो ऐसे स्थान पर स्थित पदार्थ को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि किसी भी तरह की विराधना एवं किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचता हो तो उस स्थान पर स्थित वस्तु साधु के लिए ग्राह्य है। वस्तुतः यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि साधु के निमित्त किसी भी प्राणी को कष्ट न हो और आत्मा एवं संयम की विराधना भी न हो।

पृथ्वीकाय पर स्थित आहार के विषय में उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खु वा० सेजं० असणां वा० ४ मट्ठिया-
उलित्तं तहप्पगारं असणां वा ४ लाभे संते नो०, केवली० अस्संजए
भि० मट्ठिओलित्तं असणां वा ४ उब्भिदमाणां पुढविकायं समा-
रंभिज्जा, तहायाऊ तेऊ वाऊ वणास्सइ तसकायं, समारंभिज्जा पुण-
रत्रि उल्लिपमाणो पच्छाकम्मं करिज्जा, अह भिक्खूणां पुव्वोवइट्ठा
जाव जं तहप्पगारं मट्ठिओलित्तं असणां वा ४ लाभे संते नो।

से भिक्षू० जं० असणां वा ४ पुढविकाय पइट्ठियं
तहप्पगारं असणां वा० अफासुयं० । से भिक्षू० जं० असणा
वा ४ आउकायपइट्ठियं चेव, एवं अगणिकायपइट्ठियं
लाभे० केवली०, अस्मंजए भि० अगणिं उस्सक्किय निस्स-
क्किय ओहरिय आहट्टु दलइज्जा अह भिक्षूणां० जाव नो
पडि० ॥३८॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा अथ यत् पुनरेव जानीयात् अशन वा ४
मृत्तिकावल्लिप्त तथा प्रकार अशन वा ४ लाभे सति न प्रतिगृणीयात्, केवली
ब्रूयात् आदानमेतत्, असंयतो भिक्षुप्रतिज्ञया मृत्तिकोपलिप्त अशन वा ४
उद्भिन्दन् पृथ्वीकायं समारभेत् तथा तेजो वायु वनस्पति त्रसकायं समा-
रभेत् पुनरपि अर्वालिपन् पश्चात् कर्म कुर्यात्, अथ भिक्षूणां पूर्वं दृष्टा
(एषा प्रातिज्ञा एष हेतुरेतत्कारणमयमुपदेशः) यत् तथा प्रकारं मृत्ति का-
वल्लिप्तं अशन वा लाभेसति— (न प्रतिगृणीयात्) स भिक्षु० अथ यत्०
अशनं वा ४ पृथ्वीकाय प्रतिष्ठित तथाप्रकारं अशनं वा ४ अप्रासुकम् । स
भिक्षु यत्० अशनं वा ४ अपकाय प्रतिष्ठितं चैव, एव अग्निकाय प्रतिष्ठित
लाभे० केवली० असयतः भिक्षु० प्रतिज्ञया० अग्नि उत्सिच्य निषिच्य अव-
हृत्य आहृत्य दद्यात् । अथ भिक्षूणा यावत् न प्रतिगृणीयात् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षू वा—साधु या साध्वी गृहपति कुल मे प्रविष्ट होने पर ।
से ज०—यदि यह जाने कि । असणं वा—अशनादिक चतुर्विध आहार । मट्टिया उल्लिप्तं—
मिट्टी से लिप्त वर्तन में है, तो । तहप्पगारं—इस प्रकार के । असण वा—अशनादिक चतुर्विध
आहार के । लाभे स०—मिलने पर भी साधु उसे ग्रहण न करे । केवली०—केवली भगवान
कहते हैं कि । अस्सजए—असयत-गृहस्थ । भि०—भिक्षु—साधु के लिए । मट्टिओल्लिप्तं—
मिट्टी से लिप्त भोजन में रखा हुआ । असण वा ४—अशनादिक चतुर्विध आहार, उसे—अर्थात्
भोजन को । उद्भिन्दमाणं—उद्भेदन करता हुआ । पुढविकायं—पृथ्वीकाय के जीवों का ।
समारभेज्जा—समारम्भ करता है । तह—तथा । तेउवाउवणस्सदत्तसकायं—अग्नि, वायु,

वनस्पति और त्रस काय के जीवो का । समारम्भज्ज-समारम्भ करता है । पुणग्वि-फिर । उल्लिपमाणे-उस भाजन को शेष द्रव्य की रक्षा के लिए लेपन करता हुआ । पच्छाकर्मं करिञ्जा-पश्चात् कर्म करता है । ग्रह-अथवा । भिक्खूण-भिक्षुओं-माधुओं को । पृथ्वी०-पूर्वोपदिष्ट प्रतिज्ञा आदि है । जाव-यावत् । तहप्पगारं-इस प्रकार का । मट्टिओल्लिन्न-मिट्टी से अवलिप्त । असणं वा-अशनादिक चतुर्विध आहार है । लाभे०-मिलने पर साधु उसे ग्रहण न करे ।

से-वह । भिक्खू-सानु या साध्वी गृहपति कुल में प्रवेश करने पर । से जं०-यदि इस प्रकार जाने कि । असण वा ४-अशनादिक चतुर्विध आहार । पृथ्विकाय पइट्ठिय-सचित्त पृथ्वी पर प्रतिष्ठित-रखा हुआ है । तहप्पगार-उस प्रकार के । असण वा-अशनादिक चतुर्विध आहार को । अप्फासुय०-अप्रासुक जानकर ग्रहण न करे ।

से भिक्खू-वह साधु या साध्वी । जं-जो यह जाने कि । असणं वा ४-अशनादिक चतुर्विध आहार । आउकाय पइट्ठिय चेव-सचित्त पानी पर रखा हुआ है तो उसे भी पूर्व की भाँति अप्रासुक जानकर ग्रहण न करे । एवं-इसी प्रकार । अगणिकाय पइट्ठिय-अग्नि-काय पर प्रतिष्ठित-रखे हुए आहार को भी अप्रासुक जानकर । लाभे०-मिलने पर भी उसे ग्रहण न करे । केवली०-केवली भगवान कहते हैं । अस्सजए-असत-गृहस्थ । भि०-भिक्षु के लिए । अगणि-अग्नि में । उसविकय-ईन्धन डाले । निरसविकय-अथवा प्रज्वलित अग्नि में से ईन्धन निकाले । ओहरिय-अग्नि पर रखे हुए भाजन को नीचे उतारे । आहट्टु-इस प्रकार आहार लाकर । दलइज्जा-साधु को दे । ग्रह-अथवा । भिक्खूणं०-भिक्षुओं को पूर्वोपदिष्ट प्रतिज्ञा है । जाव-यावत् । नो पडि०-वह उसे ग्रहण न करे ।

मूलार्थ-साधु या साध्वी भिक्षा के निमित्त गृहस्थ के घर में प्रवेश करने पर यदि यह देखे कि अशनादि चतुर्विध आहार मिट्टा से लीपे हुए बर्तन में स्थित है, इस प्रकार के अशनादि चतुर्विध आहार को, मिलने पर भी साधु ग्रहण न करे । क्योंकि भगवान ने इसे कर्म आने का मार्ग कहा है । इसका कारण यह है कि गृहस्थ, भिक्षु के लिए मिट्टी से लिप्त अशनादि के भाजन का उद्भेदन करता हुआ पृथ्वीकाय का समारम्भ करता है, तथा अप्-पानी, तेज-अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस काय का समारम्भ करता है, फिर शेष द्रव्य को रक्षा के लिए उस बर्तन का पुनः लेपन करके पश्चात् कर्म करता है, इसलिए भिक्षुओं को तीर्थकर आदि

ने पहले ही कह दिया है कि वे मिट्टी से लिप्त बर्तन में रखे हुए अशनादि को ग्रहण न करे । तथा गृहपति कुल में प्रविष्ट हुआ भिक्षु यदि यह जाने कि अशनादि चतुर्विध आहार सचित्त मिट्टी पर रखा हुआ है तो इस प्रकार के आहार को अप्रासुक जानकर साधु ग्रहण न करे ।

वह भिक्षु यदि यह जाने कि अशनादि चतुर्विध आहार अप्काय पर रखा हुआ है तो उसे भी अप्रासुक जान कर स्वीकार न करे । इसी प्रकार अग्निकाय पर प्रतिष्ठित अशनादि चतुर्विध आहार को भी अप्रासुक जानकर उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए । केवली भगवान कहते हैं कि यदि गृहस्थ भिक्षु के निमित्त अग्नि में ईन्धन डालकर अथवा प्रज्वलित अग्नि में से ईन्धन निकाल कर या अग्नि पर से भोजन को उतार कर, इस प्रकार से आहार लाकर दे तो साधु ऐसे आहार को अप्रासुक जानकर ग्रहण न करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि मिट्टी के लेप से बन्द किए गए खाद्य पदार्थों के बर्तन में से उक्त लेप को तोड़कर गृहस्थ कोई पदार्थ दे तो साधु को ग्रहण नहीं करना चाहिए । क्योंकि इससे पृथ्वीकाय की एवं उसके साथ अन्य अप्कायिक आदि जीवों की हिंसा होगी और उस बर्तन में अवशिष्ट पदार्थों की सुरक्षा के लिए उस पर पुनः मिट्टी का लेप लगाने के लिए नया आरम्भ करना होगा । इस तरह पश्चात कर्म दोष भी लगेगा । इसी तरह सचित्त पृथ्वी, पानी एवं अग्नि पर रखा हुआ आहार भी साधु को ग्रहण नहीं करना चाहिए । यदि कोई गृहस्थ अग्नि पर रखे हुए बर्तन को उतारते हुए या ऐसा ही कोई अन्य अग्नि सम्बन्धी आरम्भ करते हुए साधु को आहार दे तो उस आहार को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए । तात्पर्य यह है कि जिससे छः काय एवं ६ में से किसी भी एक कायिक जीवों की हिंसा होती हो तो ऐसा आहार साधु को ग्रहण नहीं करना चाहिए ।

अथ वायुकाय की यतना के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्— से भिक्षू वा २ जात्र से जं० असणां वा ४

अञ्चुसिणां, अस्संजए भि० मुप्पेण वा विहुयणेण वा तालियंटेण वा

पत्तेण वा साहाए वा साहाभंगेण वा पिहुणेण वा पिहुणहत्थेण
 वा चलेण वा चेलकण्णेण वा हत्थेण वा मुहेण वा फुमिज्ज
 वा वीइज्ज वा, से पुव्वामेव आलोइज्जा आउसोत्ति वा भइणित्ति
 वा ! मा एतं तुमं अमणं वा अच्चुसिणं सुप्पेण वा जाव फमाहि
 वा वीयाहि वा, अभिकंखसि मे दाउ, एमेव दलयाहि, से सेवं
 वयंतस्स परो सुप्पेण वा जाव वीइत्ता आहट्टु दलइज्जा तहप्प-
 गारं असणं वा ४ अफासुयं वा नो पडिं ॥३६॥

छाया—स भिक्षुर्वा २ अथ यत् । अशन वा० अत्युष्ण असंयतः भिक्षु-
 प्रतिज्ञया सूर्पेण वा बीजनेन वा तालवृन्तेन वा पत्रेण वा शाखया वा शाखा-
 भगेन वा वर्हेण वा (पिच्छेण वा) वर्हकलापेन वा (पिच्छहस्तेन वा) चेलै-
 वस्त्रेण वा चेलकण्णेन-वस्त्र कर्णेन वा हस्तेन वा मुखेन वा फूत्कुर्याद् वा
 बीजयेद् वा, स पूर्वमेव आलोकयेद्—(आलोक्य) आयुष्मन्नितीवा भगिनि !
 इति वा मैवं त्वं अशन वा ४ अत्युष्णं सूर्पेण वा यावत् फूत्कुरु बीजय
 वा, अभिकाक्षमि मे दातु एवमेव ददस्व, स तस्यैव वदतः पः सूर्पेण वा
 यावत् बीजयित्वा आहृत्य दद्यात् तथाप्रकार अशनं वा ४ अप्रासुक न
 प्रतिगृह्णीयात् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खु वा—साधु या साध्वी, गृहपति कुल में प्रवेश करने पर ।
 से जं—यदि यह जाने कि । असन वा—अशनादिक चतुर्विध आहार । अच्चुसिणं—अत्युष्ण है
 और उसे । असंजए—गृहस्थ । भिक्खुपडियाए—साधु के निमित्त शीतल करने के लिए ।
 सुप्पेण वा—छाज से । विहुयणेण वा—अथवा पंखे से । त लियंटेण वा—ताल पत्र से । परोण
 वा—अथवा पत्र से । (पत्त भगेण वा—खजूर आदि वृक्ष के पत्र खण्ड से ।) साहाए वा—शाखा
 में । साहाभंगेण वा—शाखा के खण्ड से । पिहुणेण वा—अथवा मयूर पिच्छ से । पिहुण हत्थेण
 वा—मयूर पिच्छ से वने हुए पंखे से । चलेण वा—अथवा वस्त्र से । चेलकण्णेण वा—वस्त्र

खण्ड से । हस्थेण वा—हाथ से । मुहेण वा—प्रथवा मुख से । फुमिज्ज वा—मुख की वायु से शीतल करे । वीइज्ज वा—पखे आदि से शीतल करे तब । से—वह—साधु । पुव्वामेव—पहले ही । आलोइज्जा—ध्यान देकर देखे और विचार करे, विचार करके उसके प्रति कहे । आउसोत्ति वा—हे आयुष्मन् !, गृहस्थ ! अथवा । भइणित्ति वा—हे भगिनि—हे बहिन ! तुम—तू । एत—इस । अच्चुसिणं—अत्युष्ण—गर्म । असणं वा ४—अशनादिक आहार को । सुप्पेण—सूर्प—छाज से । जाव—यावत् । फुमाहि—मुख की वायु से अथवा । मा बीयाहि—पखे की वायु से ठण्डा मत करो ! यदि तुम । मे—मुझे । दाउ—देना । अभिकखसि—चाहती हो तो । एमेव—इसी तरह—बिना शीतल किए ही । दलयाहि—दे दो । से—वह । परो—गृहस्थ । मेवं वरइस्त—इन प्रकार बोलते हुए उस साधु को यदि । सुप्पेण वा—सूर्प और व्यजनादि से । जाव—यावत् । वीइत्ता—शीतल करके । आहट्टु—लाकर । दलइज्जा—दे तो । तहप्पगारं—इस प्रकार के । असण वा ४—अशनादि चतुर्विध आहार को । अप्रासुयं वा—अप्रासुक जान कर । नो पडिगा०—ग्रहण न करे ।

मूलार्थ—आहार के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश करने पर यदि साधु साध्वी यह देखे कि, गृहस्थ साधु को देने के लिए अत्युष्ण अशनादिक चतुर्विध आहार को शूर्प से, पखे से, ताड पत्र से, शाखा से, शाखा खड से मयूरपिच्छ से, मयूर पिच्छ के पंखे से, वस्त्र से, वस्त्र खड से, हाथ से अथवा मुख से फूक मार कर या पखे आदि की हवा से ठंडा करके देने लगे तब वह भिक्षु उस गृहस्थ को कहे कि हे आयुष्मन्-गृहस्थ ! अथवा हे आयुष्मति बहिन ! तुम इस उष्ण आहार को इस प्रकार पखे आदि से ठंडा मत करो । यदि तुम मुझे देना चाहतो हो तो ऐसे ही दे दो । साधु के इस प्रकार कहने पर भी यदि वह गृहस्थ, उसे पखे आदि से ठंडा करके दे तो साधु उस आहार को अप्रासुक जानकर ग्रहण न करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि यदि कोई गृहस्थ उष्ण पदार्थ को पंखे आदि से ठण्डा करके देने का प्रयत्न करे तो साधु उसे ऐसा करने से इन्कार करदे । वह स्पष्ट कहे कि हमारे लिए पंखे आदि से किसी भी पदार्थ को ठण्डा करने की आवश्यकता नहीं है । इस पर भी यदि वह गृहस्थ साधु की बात को न मानकर उक्त उष्ण पदार्थ को पंखे आदि से ठण्डा करके दे तो साधु को उस आहार को ग्रहण नहीं करना चाहिए । क्योंकि इस तरह की क्रिया से वायुकायिक जीवों की हिंसा होती है ।

अत्र वनस्पति काय की यतना का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं ।

मूलम्—से भिक्षू वा २ से जं० अमणं वा ४ वणस्मइ
कायपइट्ठियं तहप्पगारं असणं वा ४ वण० लाभे संते नो-
पडि० । एवं तसकाय वि ॥४०॥

छाया—स भिक्षुर्वा २ अथ यत् अशनं वा ४ वनस्पतिकायप्रतिष्ठित
तथाप्रकारं अशनं वा ४ वन० लाभे सति न० प्रति० । एवं तसकायमपि ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षू वा—साधु अथवा साध्वी गृहस्थ के घर में प्रविष्ट होने पर । से—वह । ज—यदि इस प्रकार जाने कि । अमणं वा ४—अशनादि चतुर्विध आहार । वणस्सकायपइट्ठियं—वनस्पति काय पर रखा हुआ है तो । तहप्पगार—इस प्रकार के वण०—वनस्पति काय पर प्रतिष्ठित । असण वा ४—अशनादि चतुर्विध आहार को । लाने ससे—मिलने पर भी । नो पडि०—साधु ग्रहण न करे । एवं तसकाय वि—इसी प्रकार तसकाय के सम्बन्ध में भी जानना चाहिए ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी, भिक्षा के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश करते हुए यदि यह देखे कि गृहस्थ के वहाँ अन्नादि चतुर्विध आहार वनस्पति काय पर रखा हुआ है, तो ऐसे वनस्पतिकाय पर प्रतिष्ठित अशनादि को साधु प्राप्त होने पर भी ग्रहण न करे । इसी प्रकार तसकाय के विषय में भी जान लेना चाहिए ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि किसी गृहस्थ के घर में आहार वनस्पति या तस प्राणी (द्वीन्द्रिय आदि प्राणियों) पर रखा हो या वनस्पति आदि खाद्य पदार्थों पर रखी हो तो साधु को उस आहार को ग्रहण नहीं करना चाहिए । इसका तात्पर्य यह है कि साधु के निमित्त स्थावर एवं तस किसी भी प्राणी को कष्ट होता हो तो साधु को ऐसा आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए ।

सूत्रकार ने आहार के अन्य १ दोषों का अन्यत्र वर्णन किया है और वृत्तिकार

ने उनका प्रस्तुत सूत्र की वृत्ति में ही उल्लेख कर दिया है ।❀

आहार की तरह पानी भी जीवन के लिए आवश्यक है और नदी, तालाब, कुएं आदि का जल सचित्त होता है । अतः साधु को कैसा पानी ग्रहण करना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा २ से जं पुण पाणगजायं जाणिज्जा
तंजहा—उस्सेइमं वा १ संसेइमं वा २ चाउलोदगं वा ३
अन्नयरं वा तहप्पगारं पाणगजायं अहुणाधोयं अण्णविलं
अव्वुक्कंतं अपरिणयं अविद्धत्थं अफासुयं जाव नो पडिगाहिज्जा
अह पुण एवं जाणिज्जा चिराधोयं अंवलं वुक्कंतं परिणयं
विद्धत्थं फासुयं पडिगाहिज्जा । से भिक्खू वा० से जं पुण पाण-
गजायं जाणिज्जा, तंजहा—तिलोदगं वा ४ तुसोदगं वा ५
जवोदगं वा ६ आयामं वा ७ सोवीरं वा ८ सुद्धवियडं वा ९
अन्नयरं वा तहप्पगारं वा पाणगजायं पुव्वामेव आलोइज्जा—
आउसोत्ति वा ! भइणित्तिवा ! दाहिसि मे इत्तो अन्नयरं पाण-

❀ अत्र च वनस्पति काय प्रतिष्ठितमित्यादिना निक्षिप्ताख्या एषणादोषोऽभिहितः, एवमन्वेऽप्येषणादोषायथासम्भवं सूत्रेष्वेवायोज्या. । ते चामी—

‘सकिय १, मक्खिय २, निक्खित्त ३, पिहिय ४, साहरिय ५, दायगु ६ म्मी से ७, अपरिणय ८, लित्त ९, छड्डिय १०, एसणा दोसो दस हंति १० । ॥१॥ तत्र शक्तिमाघाकर्मादिना १-अक्षित्तमुदकादिना २ निक्षिप्त पृथिवी कायादी ३ पिहित वीजपूरकादिना ४ साहरियति-मात्रकादेस्तुपाद्यदेयमन्यत्र सचित्त पृथिव्यादी सहृत्य तेन मात्रकादिना यद् ददाति तत् संदृत-मित्युच्यते ५ दायगति—दाताबालवृद्धाद्ययोग्यः ६ उन्मिश्च—सचित्त मिश्रम् ७ अपरिणतमिति—यद्देय न सम्यगचिन्तीभूतं दातृग्राहकयोर्वा न सम्यग् भावोपेतं ८ लित्तं—वसादिना । ९ छड्डियंति परिशाट्बदि १० त्वेषणा दोषा. ।

—आचाराङ्ग वृत्ति ।

गजायं ? से सेवं वयंतस्म परो वइज्जा आउसंतो समणा ! तुमं
चेवेयं पाणगजायं पडिग्गहेण वा उस्मिचिया णं उयत्तिया णं
गिहहाहि, तहप्पगार पाणगजायं मयं वा गिहिहज्जा परो वा से
दिज्जा, फासुयं लाभे संते पडिगाहिज्जा ॥४१॥

श्राया—स भिक्षुर्वा २ अथ यत् पुन पानकजात जानीयात् तद् यथा-
उत्स्वेदितं वा १ सस्वेदितं वा २ तन्दुलोदकं वा ३ अन्यतद् वा तथाप्रकार
पानकजातं अधुना धौत अनम्ल अव्युत्क्रान्तमपिणितमविध्वस्तमप्रासुक
यावन्नो प्रतिगृणीयात् । अथ पुनरेवं जानीयात्, चिरधौतं, अम्ल व्युत्क्रान्तं
पिणित ध्वस्त प्रासुक प्रतिगृणीयात् । स भिक्षुर्वा० अथ यत् पुनः पानक-
जात जानीयात्, तद्यथा—तिलोदकं वा ४ तुषोदकं वा ५ यचोदकं वा ६ आ-
चाम्लं वा ७ सौवीरं वा ८ शुद्धविकटं वा ९ अन्यतरत् वा तथाप्रकारं
वा पानकजातं पूर्वमेवालोचयेत्—आयुष्मन् । इति वा, भगिनि । इति वा
दास्यमि मे इतोऽन्यतरत् पानकजातम् ? अथ तस्यैव वदत. परो वदेत्—
आयुष्मन् श्रमण ! न्व चैवेद पानकजातं पतद्ग्रहेण वा उत्तिसच्य अपवृत्य
गृहाण, तथाप्रकार पानकजात स्वयं वा गृणीयात् परो वा तस्मै दद्यात्, प्रासुक
लाभे सति न प्रतिगृणीयात् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षु वा—साधु अथवा माध्वी जल के लिए गृहस्थ के घर में
प्रवेश करने पर । से जं पुण—फिर वह । पाणगजाय—पानी की जाति को—पानी के भेदों
को । जाणिज्जा—जाने । तज्जहा—जैसे कि । उस्सेइम वा—चूर्ण से लिप्त वर्तन का धोवन,
अथवा । ससेइमं वा—तिल आदि का धोवन, अथवा जिसमें पालक आदि शक-भाजी को उबाला
गया है वह धोवन या चावलो का ओसामन । चाउलोदग वा—चावलो का धोवन या । अन्न घर
वा—अन्य कोई । तहप्पगार—इसी प्रकार का । पाणगजाय—प्रासुक धोवन आदि । अहुणा-
धोय—तत्काल का हो । अणं विल—जिससे अभी तक उसका स्वाद परिवर्तित नहीं हुआ है, वह ।
अब्बक्कत—अपने रस में अतिक्रान्त नहीं हुआ है । अपरिणय—वर्णोदि से परिणत नहीं हुआ

है। अविद्वन्त्यं—जिमके जीव अस्त्र परिणत नहीं हुए हैं। अफामुय—उमे अप्रामुक जानकर। जाव—यावत् मिलने पर भी। नो पडिगाहिज्जा—साधु उमे ग्रहण न करे। अह—अथवा। पुण—फिर। एव—इस प्रकार। जाणिज्जा—जाने कि। चिराघोय—जो धोवन चिर काल का है। अंबिल—जिमका स्वाद बदन गया है। बुक्कत—अन्य रस को प्राप्त हो गया—अचिन हो गया। परिणय—जिमका वर्णादि बदन गया है। विद्वत्त्यं—अस्त्र परिणत हो गया है। फामुय—उमे प्रामुक जानकर। पडिगाहिज्जा—साधु ग्रहण करे। मे—वह। भिक्खू वा०—साधु अथवा साध्वी। से—अथ। ज—जो। पुण—पुनः। पाणगजाय—पानी के मन्वन्थ मे यइ। जाणिज्जा—जाने। तजहा—जैसे कि। तिलोदग वा—निलो का धोवन। तुमोदग वा—अथवा नुप का धोवन। जवोदग वा—अथवा यवो का धोवन। आचामग वा—उबले हुए चावलो का धोवन। सोवीरं वा—कार्जा के भाजन का धोवन। सुद्धवियड वा—उष्ण नया प्रामुक पानी। अन्नयर वा—या अन्य कोई। नहणगार—इसी प्रकार के। पाणगजयं—अन्य अचिन पानी का। पुब्बामेव—पहले ही। आलोडज्जा—अवलोकन करे-देवे और देखकर कहे। आउमोत्ति वा—आयुष्मन्-गृहपते। भइगिति वा—हे भगिनि। हे वरुन ! इत्तो—इनमें मे। अन्नयरं—किमी एक तरह के। पाणगजाय—पानी को। मे—मझे। दाणि पि—देगी ? जे—वह गृहपति। मे—उम साधु को। एव—इस प्रकार। वयनन्स—बोलने हुए को। परा—गृहस्थ। वडज्जा—वहै। आउमतो—आयुष्मन्। ममणा—अमण। तुम चैवेयं—तुम इसी। पाणगजायं—जल जात को। पडिगहेण वा—अपने पात्र मे। उम्मिच्चिया—नीचे उतार कर उनीचकर। ण—वाक्यालंकार मे है। उयत्तिया—पानी को नितार कर। ण—वाक्यालंकार मे है। गिण्हाहि—पानी के वर्तन को पकड़ो नो। तहणगारं—इस प्रकार के। पाणगजायं—अचिन पानी को। सयं वा—साधु स्वय ही। गिण्हेज्जा—ग्रहण करे। वा—अथवा। परो—प्रति गृहस्थ। मे—उम साधु को। डिज्जा—दे ना। फामुय—उसे प्रामुक जानकर। लामे—सते—मिलने पर। पडिगाहिज्जा—साधु ग्रहण न ले।

मूलार्थ—साधु या साध्वी गृहस्थ के घर मे प्रवेग करने पर पानी के भेदो को जाने जैसे कि—चूर्ण मे लिप्त वर्तन का धोवन, अथवा निल आदि का धोवन, चावल का धोवन अथवा इसी प्रकार का अन्य कोई धोवन तत्काल का किया हुआ हो। जिसका कि स्वाद चलित नहीं हुआ हो, रस अतिक्रान्त नहीं हुआ हो। वर्ण आदि का परिणमन नहीं हुआ हो और अस्त्र भी परिणत नहीं हुआ हो तो ऐसे पानो के मिलने पर भी उमे अप्रामुक जानकर साधु ग्रहण न करे। यदि पुन वह इस प्रकार

जाने कि यह धोवन बहुत देर का बनाया हुआ है और इसका स्वाद बदल गया है, रस का अतिक्रमण हो गया है, वर्ण आदि परिणत हो गया है और शस्त्र भी परिणत हो गया है तो ऐसे पानी को प्रासुक जानकर साधु उसे ग्रहण करले ।

फिर वह साधु या साध्वी गृहस्थ के घर में जलार्थं प्रविष्ट होने पर जल के त्रिषय में इस प्रकार जाने, यथा—तिलो का धोव-, तुषो का धोवन, यवो का धोवन तथा उबले हुए चावलो का जल, काजो के वर्तन का धोवन एवं प्रासुक तथा उष्ण जल अथवा इमी प्रकार का अन्य जल इनको पहले ही देखकर साधु गृहपति से कहे—आयुष्मन् गृहस्थ ! अथवा - [स्त्रो हो तो] हे भगिनि ! क्या मुझे इन जलो में से किसी जल को दोगी ? तब वह गृहस्थ, साधु के इस प्रकार कहने पर यदि कहे कि आयुष्मन् श्रमण ! तुम इस जल के पात्र में से स्वयं उलीचकर और नितार कर पानो ले लो । गृहस्थ के इस प्रकार कहने पर साधु स्वयं ले ले अथवा गृहस्थ के देने पर उसे प्रासुक जान कर ग्रहण कर ले ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को वह पानी ग्रहण करना चाहिए जो शस्त्र परिणत हो गया है और जिसका वर्ण, गंध एवं रस बदल गया है । अत वर्तन आदि का धोया हुआ प्रासुक पानी यदि किसी गृहस्थ के घर में प्राप्त हो तो साधु उसे ग्रहण कर सकता है । इस प्रकार निर्दोष एव एषणीय प्रासुक जल गृहस्थ की आज्ञा से स्वयं भी ले सकता है । इसका तात्पर्य यह है कि यदि कभी गृहस्थ पानी का भरा हुआ वर्तन उठाने में असमर्थ है और वह आज्ञा देता है तो साधु उस प्रासुक एवं एषणीय पानी को स्वयं ले सकता है ।

प्रस्तुत सूत्र में ६ तरह के पानी के नामों का उल्लेख किया गया है—१-आटे के वर्तनों का धोया हुआ धोवन (पानी) । २-तिलों का धोया हुआ पानी, ३-चावलों का धोया हुआ पानी, ४-जिस पानी में उष्ण पदार्थ-शाक आदि ठंडे किए गए हों, वह पानी, ५-तुषों का धोया हुआ पानी, ६-यवों का धोया हुआ पानी, ७-उबले हुए चावलों का निकाला हुआ पानी, ८-काजो के वर्तनों का धोया हुआ पानी, ९-उष्ण-गर्म

पानी। इसके आगे 'तहूपगारं' शब्द से यह सूचित किया गया है कि इस तरह के शस्त्र से जिस पानी का वर्ण, गन्ध, रस बदल गया हो वह पानी भी साधु ग्रहण कर सकता है। जैसे— द्राक्षा का पानी, राख से मांजे हुए वर्तनों का धोया हुआ पानी आदि भी प्रासुक एवं ग्राह्य है। ❀

इससे स्पष्ट हो गया कि साधु शस्त्र परिणत प्रासुक जल ग्रहण कर सकता है। यदि निर्दोष वर्तन आदि का धोया हुआ या गर्म पानी प्राप्त होता हो तो साधु उसे स्वीकार कर सकता है। इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — से भिक्खू वा० से जं पुण पाणमं जाणिज्जा-
अणंतरहियाए पुढ्वीए जाव संताणए उद्धट्टु २ निक्खित्ते
सिया, असंजए भिक्खुण्डियाए उदुल्लेण वा मसिणिद्धेण वा

❀ 'उस्सेइम' और 'ससेइम'। इन दो पदों की व्याख्या वृत्तिकार एवं अन्य आगम टीकाकार तथा कोपकारों ने इस प्रकार की है—

'उस्सेइम वेत्ति' पिण्डोत्स्वेदनार्थमुदकम् । 'ससेइम वेत्ति' तिलधावनोदक, यदि वाऽऽरणिकादिसस्विन्नधावनोदकम् — आचाराङ्ग वृत्ति ।

'उत्स्वेदेन निवृत्तमुत्स्वेदिम — येन त्रीह्यादि पिण्डं सुराद्यर्थं उत्स्वेद्यते, तथा ससेकेन निवृत्त-
मति, ससैकम' अरणिकादि पत्र शकमुत्काल्य येन शालि जलेन मसिच्यतेतदिति ।

— स्थानाग सूत्र, ३, ३ वृत्ति (अभयदेव सूत्र)

उस्सेइमं — (उत्स्वेदिम) घाटा में मिश्रित पानी घाटा धोया जल, (कप्प, टा० ३।३)

— प्राकृत महार्णव पृ० २३८ ।

संसेइम — (ससेकम) संकेक से बना हुआ । नि० चू० १५ ।

उत्राली हुई भाजी जिस ठण्डे जल से भीची जाए वह पानी । टा० ३।३ पत्र १४ कप्प ।

तिथका धोन । आचाराग २।८४ ।

पिण्डोदक घाटे का धोन । दम० ५।१।७५ ।

उस्सेइम — न (उत्स्वेदिम) घाटे का धोवन । पृ० ३१३ ।

ससेइम — तिलादि धान्य के धोवन का पानी, जिममें पत्र याक आदि चाफने में आते हैं या धान्य अमाचन के काम में आता है वह पानी । — अर्धमागधी कोप, पृ० ३१३ ।

सकसाएण वा मत्तेण वा मीओदगेण वा संभोइत्ता आहट्टु
दलइज्जा, तहप्पगारं पाणगजाय अफासुयं० एयं खलु मा-
मग्गियं० त्तिवेमि ॥४२॥

छाया— स भिक्षुर्वा अथ यत् पुनः पानक जानीयात्—अनन्तहिंतायां
पृथिव्यां यावत् सन्तानके, उद्धृत्य २ निक्षिप्त स्यात्, अमंयतः भिक्षुप्रतिज्ञया
उदकाद्र्हेण वा मस्तिग्धेन वा मकषायेण वा मात्रेण वा शीतोदकेन वा म-
भुक्त्वा-मिश्रयित्वा आहृत्य दद्यात् तथाप्रकार पानकनांतम् अप्रासुकं०
एतत् खलु सामग्र्यम् ।

पदार्थ—से- वह । भिक्षू वा०—साधु अथवा साध्वी गृहपति कुल में प्रवेश करने
पर । से—वह । ज—जो । पुण—फिर । पाणगज य—अचित्त पानी के भेदोपभेद को । जा-
णिज्जा—जाने यथा । अणतग्घियाए पुढवीए—सचित्त पृथ्वी पर । जाव—यावत् । संताणए—
सन्तानक-मकड़ी के जाले आदि पर । उद्धट्ट २—अन्य भाजन से निकाल कर २ । निक्षिप्ते
सिया—उन सचित्त पृथ्वी आदि पर रखा हुआ हो । असजए—असयत—गृहस्थ । भिक्षुपडियाए—
साधु की प्रतिज्ञा से—साधु के लिए । उदडल्लेण वा—जल टपकते हुए हाथों से । ससिग्घेण
वा—अथवा गीले हाथों से । सकसाएण वा मत्तेण वा—अथवा सचित्त पृथ्वी आदि से अव-
गुठित वर्तन से, अथवा । सीओदगेण वा—सचित्त जल से । संभोइत्ता—मिश्रित-मिला करके ।
आहट्टु—लाकर । दलइज्जा—दे तो साधु । तहप्पगार—इस प्रकार के । पाणगजाय—जल
को । अफासुय—अप्रासुक जानकर ग्रहण न करे । एय—यह । खलु—निश्चय ही । सामग्गिय—
साधुत्व है अर्थात् साधु का समग्र आचार है । त्तिवेमि—ऐसा मैं कहता हू ।

मूलार्थ—जल के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश करने पर साधु या
साध्वी जल के सम्बन्ध में यदि यह जान ले कि गृहस्थ ने प्रासुक जल
को सचित्त पृथ्वी से लेकर मकड़ी आदि के जालों से युक्त पदार्थ पर
रखा है या उसने उसे अन्य सचित्त पदार्थ से युक्त वर्तन से निकाल कर
रखा है या वह उन हाथों से दे रहा है जिससे सचित्त जल टपक रहा है या
उसके हाथ जल से भीगे हुए हैं ऐसे हाथों से, या सचित्त पृथ्वी आदि से

युक्त बर्तन से या प्रासुक जल के साथ सचित्त जल मिलाकर देवे तो इस प्रकार के जल को अप्रासुक जानकर साधु उसे ग्रहण न करे । यही सयमशील मुनि का समग्र आचार है । ऐसा मैं कहता हूं ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि किसी गृहस्थ के घर पर प्रासुक पानी सचित्त पृथ्वी आदि पर रखा हुआ है, या उसमें सचित्त जल मिलाया जा रहा है, या उस सचित्त जल से गीले हाथों से या सचित्त पृथ्वी या रज आदि से भरे हुए हाथों से दे रहा है, तो साधु को वह पानी नहीं लेना चाहिए । क्योंकि उससे अन्य जीवों की हिंसा होती है । अतः साधु को बहो प्रासुक पानी ग्रहण करना चाहिए जो सचित्त पृथ्वी, पानी, अग्नि, वनस्पति आदि पर न रखा हो और गृहस्थ भी इन पदार्थों से युक्त न हो ।

‘त्तिबेमि’ की व्याख्या पूर्ववत् समझें ।

॥ सप्तम उद्देशक समाप्त ॥

सकसाएण वा मत्तेण वा मीत्रोदगेण वा संभोइत्ता आहट्टु
दलइज्जा, तहप्पगारं पाणगजाय अफासुयं० एयं खलु सा--
मग्गियं० त्तिवेमि ॥४२॥

छाया— स भिक्षुर्वा अथ यत् पुनः पानक जानीयात्— अनन्तहिंतायां
पृथिव्यां यावत् सन्तानके, उद्धृत्य २ निक्षिप्त स्यात्, अमंयतः भिक्षुप्रतिज्ञया
उदकाद्रैण वा मस्तिग्धेन वा मकपायेण वा मात्रेण वा शीतोदकेन वा म-
भुक्त्वा-मिश्रयित्वा आहृत्य दद्यात् तथाप्रकार पानकनांतम् अप्रासुकं०
एतत् खलु सामग्र्यम् ।

पदार्थ—से- वह । भिक्षु वा०—साधु अथवा साध्वी गृहपति कुल में प्रवेश करने
पर । से—वह । ज—जो । पुण—फिर । पाणगज यं—अचित्त पानी के भेदोपभेद को । जा-
णिज्जा—जाने यथा । अणतरहियाए पुढवीए—सचित्त पृथ्वी पर । जाव—यावत् । संताणए—
मन्तानक-मकडी के जाले आदि पर । उद्धट्ट २—अन्य भाजन से निकाल कर २ । निक्षिप्त
सिया—उन सचित्त पृथ्वी आदि पर रखा हुआ हो । असजए—असयत—गृहस्थ । भिक्षुपडियाए—
साधु की प्रतिज्ञा से—साधु के लिए । उदउल्लेण वा—जल टपकते हुए हाथों में । ससिण्ढेण
वा—अथवा गीले हाथों से । सकसाएण वा मत्तेण वा—अथवा सचित्त पृथ्वी आदि से अव-
गुठित बर्तन से, अथवा । मीत्रोदगेण वा—सचित्त जल से । संभोइत्ता—मिश्रित-मिला करके ।
आहट्टु—लाकर । दलइज्जा—दे तो साधु । तहप्पगार—इस प्रकार के । पाणगजाय—जल
को । अफासुय—अप्रासुक जानकर ग्रहण न करे । एय—यह । खलु—निश्चय ही । सामग्गियं—
साधुत्व है अर्थात् साधु का समग्र आचार है । त्तिवेमि—ऐसा मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—जल के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश करने पर साधु या
साध्वी जल के सम्बन्ध में यदि यह जान ले कि गृहस्थ ने प्रासुक जल
को सचित्त पृथ्वी से लेकर मकडी आदि के जालों से युक्त पदार्थ पर
रखा है या उसने उसे अन्य सचित्त पदार्थ से युक्त बर्तन से निकाल कर
रखा है या वह उन हाथों से दे रहा है जिससे सचित्त जल टपक रहा है या
उसके हाथ जल से भीगे हुए हैं ऐसे हाथों से, या सचित्त पृथ्वी आदि से

युक्त बर्तन से या प्रासुक जल के साथ सचित्त जल मिलाकर देवे तो इस प्रकार के जल को अप्रासुक जानकर साधु उसे ग्रहण न करे । यही सयम-शील मुनि का समग्र आचार है । ऐसा मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि किसी गृहस्थ के घर पर प्रासुक पानी सचित्त पृथ्वी आदि पर रखा हुआ है, या उसमें सचित्त जल मिलाया जा रहा है, या उस सचित्त जल से गीले हाथों से या सचित्त पृथ्वी या रज आदि से भरे हुए हाथों से दे रहा है, तो साधु को वह पानी नहीं लेना चाहिए । क्योंकि उससे अन्य जीवों की हिंसा होती है । अतः साधु को वही प्रासुक पानी ग्रहण करना चाहिए जो सचित्त पृथ्वी, पानी, अग्नि, वनस्पति आदि पर न रखा हो और गृहस्थ भी इन पदार्थों से युक्त न हो ।

‘त्तिबेमि’ की व्याख्या पूर्ववत् समझे ।

॥ सप्तम उद्देशक समाप्त ॥

सकसाएण वा मत्तेण वा मीत्रोदगेण वा संभोइत्ता आहट्टु
दलइज्जा, तहप्पगारं पाणगजाय अफासुयं० एयं खलु सा-
मग्गियं० त्तिवेमि ॥४२॥

छाया— स भिक्षुर्वा अथ यत् पुनः पानक जानीयात्— अनन्तर्हितायां
पृथिव्यां यावत् सन्तानके, उद्धृत्य २ निक्षिप्त स्यात्, अमंयतः भिक्षुप्रतिज्ञया
उदकाद्रेण वा मस्तिग्धेन वा मकपायेण वा मात्रेण वा शीतोदकेन वा म-
भुक्त्वा-मिश्रयित्वा आहृत्य दद्यात् तथाप्रकार पानकनातम् अप्रासुकं०
एतत् खलु सामग्र्यम् ।

पदार्थ—से- वह । भिखू वा०—साधु अथवा साध्वी गृहपति कुल में प्रवेश करने
पर । से—वह । ज—जो । पुण—फिर । पाणगज यं—अर्चित पानी के भेदोपभेद को । जा-
णिज्जा—जाने यथा । अणत्तग्गियाए पुढवीए—सचित्त पृथ्वी पर । जाव—यावत् । संताणए—
मन्तानक-मकडी के जाले आदि पर । उद्धट्ट २—अन्य भाजन से निकाल कर २ । निखिलत्ते
सिया-उन सचित्त पृथ्वी आदि पर रखा हुआ हो । असजए - असयत-गृहस्थ । भिक्खुपडियाए-
साधु की प्रतिज्ञा से—साधु के लिए । उदउल्लेण वा—जल टपकते हुए हाथों से । ससिण्ढेण
वा—अथवा गीले हाथों से । सकसाएण वा मत्तेण वा—अथवा सचित्त पृथ्वी आदि से अब-
गुठित बर्तन से, अथवा । मीत्रोदगेण वा—सचित्त जल से । संभोइत्ता—मिश्रित-मिला करके ।
आहट्टु—लाकर । दलइज्जा—दे तो साधु । तहप्पगार—इस प्रकार के । पाणगजाय—जल
को । अफासुय—अप्रासुक जानकर ग्रहण न करे । एयं—यह । खलु—निश्चय ही । सामग्गियं—
साधुत्व है अर्थात् साधु का समग्र आचार है । त्तिवेमि—ऐसा मैं कहता हू ।

मूलार्थ—जल के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश करने पर साधु या
साध्वी जल के सम्बन्ध में यदि यह जान ले कि गृहस्थ ने प्रासुक जल
को सचित्त पृथ्वी से लेकर मकडी आदि के जालों से युक्त पदार्थ पर
रखा है या उसने उसे अन्य सचित्त पदार्थ से युक्त बर्तन से निकाल कर
रखा है या वह उन हाथों से दे रहा है जिससे सचित्त जल टपक रहा है या
उसके हाथ जल से भीगे हुए हैं ऐसे हाथों से, या सचित्त पृथ्वी आदि से

युक्त बर्तन से या प्रासुक जल के साथ सचित्त जल मिलाकर देवे तो इस प्रकार के जल को अप्रासुक जानकर साधु उसे ग्रहण न करे । यही सयम-शील मुनि का समग्र आचार है । ऐसा मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि किसी गृहस्थ के घर पर प्रासुक पानी सचित्त पृथ्वी आदि पर रखा हुआ है, या उसमें सचित्त जल मिलाया जा रहा है, या उस सचित्त जल से गीले हाथों से या सचित्त पृथ्वी या रज आदि से भरे हुए हाथों से दे रहा है, तो साधु को वह पानी नहीं लेना चाहिए । क्योंकि उससे अन्य जीवों की हिंसा होती है । अतः साधु को वही प्रासुक पानी ग्रहण करना चाहिए जो सचित्त पृथ्वी, पानी, अग्नि, वनस्पति आदि पर न रखा हो और गृहस्थ भी इन पदार्थों से युक्त न हो ।

‘त्तिबेमि’ की व्याख्या पूर्ववत् समझे ।

॥ सप्तम उद्देशक समाप्त ॥

प्रथम अध्यायन पिण्डैषणा

अष्टम उद्देशक

सप्तम उद्देशक के अन्त में प्रासुक पानी के विषय में बताया गया है और प्रस्तुत उद्देशक में भी इसी विषय का और विस्तार से विवेचन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा २ से जं पुण पाणगजायं जाणिज्जा
तंजहा—अंबपाणगं वा १० अंबाडगपाणगं वा ११ कविट्ठ-
पाण० १२ माउलिंगपा० १३ मुहियापा० १४ दालिमपा०
१५ खज्जूरपा० १६ नालियेर पा० १७ करीरपा० १८
कोलपा० १९ आमलपा० २० चिंचोपा० २१ अन्नयरं वा
तहप्पगारं पाणगजातं सअट्ठियं सकण्णयं सब्बीयगं अस्संजए भिक्खू-
पडियाए छब्बेण वा दूसेण वा वालगेण वा आविलियाण परि-
वीलियाण परिसावियाण आहट्टु दलइज्जा तहप्पगारं पाणगजाय
अफा० लाभे संते नो पडिगाहिज्जा ॥४३॥

छाया—स भिक्षुर्वा तद् यत् पुनः पानकजातं जानीयात्, तद्यथा --
आमूपानक वा १० आम्रातकपानकं वा ११ कपित्थपानकं १२ मातुलंग
पानकं १३ मृद्वीकापानक १४ दाडिमपानकं १५ खजूरपानक १६
नालिकेरपानक १७ करीरपानकं १८ कोलपानकं १९ आमलपानक
२० चिंचापानक २१ अन्यतरत् वा तथाप्रकारं पा जातं सर्वं पकं

सकण्ठकं मवीजकं अमयतः भिक्षुप्रतिज्ञया छद्मकेण वा दृष्येण वा बालकेन वा अपीड्य परिपीड्य परिम्राभ्य आहृत्य दद्यात् तथाप्रकारं पानकजातं अप्रा० लाभे मति न प्रतिगृह्णीयात् ।

पदार्थ—मि - वह । भिक्षु वा - गाथु अथवा मा-र्वी गृहस्थ के घर में प्रवेश करने पर । मे - वह । पुण - फिर । ज - उम । पाणगजायं - प्रचिन पानी के सम्बन्ध में । जाणिज्जा - जाने । तजहा - जैस कि । अंबपाणगं वा - आम्र फल का घोंवन । अंबाडग पाणग वा - अम्बाहट्ट फल विशेष का घोंवन । कविट्ट पाण० - कपित्थ फल का घोंवन । मातुलिंग पा० - मातुलिंग का घोंवन । मुद्दिया पा० - द्राक्षा का घोंवन । दालिमा पा० - अनार का घोंवन या रस । खज्जूरपा० - खजूर का घोंवन । नारियल पा० - नारियल का घोंवन । करीर पा० - करीर का घोंवन । कोल पा० - बदरी फल-बेर का घोंवन । आमल पा० - आमले का घोंवन । चिचा पा० - डमली का घोंवन-पानी । अन्नपर वा - अन्नपर । तहप्पगार - हमी प्रकार का कोई । पाणगजाय - जल विशेष । म अट्ठियं - अम्ब-गुठनी के सहित ही । सकण्ठकं - वनस्पति छाल के सहित ही । सवीयं - बीज सहित ही और । अरसंजाए - अरसंग - गृहस्थ । भिक्षुपरिचारा - भिक्षु के लिए । छद्मेण वा - छलनी में । दसेण वा - वस्त्र में अथवा । बालकेण वा - बालों के बालों में बनी हुई छलनी में । आर्चिलियाण - गुठली आदि को दूर करने के लिए एक बार छानकर । परिचिलियाण - बार-बार छानकर । परिमाचियाण - गुठली आदि को निकाल कर । आहट्टु - उम प्रकार में उम घोंवन का नाकर । वनइज्जा - दे तो । तहप्पगार - उम प्रकार के । पाणगजाय - जल को । अपा० - अप्राणुक जानकर । लाभे मति - मिलने पर भी । नो पडिगाहिज्जा - ग्रहण न कर ।

मूलार्थ—गृहस्थ के घर में पानी के निमित्त प्रवेश करने पर साधु या साध्वी जल के विषय में इन बातों को जाने । जैसे कि—आम्रफल का पानी, अम्बाडगफल का पानी, कपित्थ फल का पानी, मातुलिंग फल का पानी, द्राक्षा का पानी, अनार का पानी, खजूर का पानी, नारियल का पानी, करीर का पानी, बदरी फल-बेर का पानी, आमले का पानी और डमली का पानी, तथा इसी प्रकार का अन्य पानी, जो कि गुठली सहित, छाल सहित और बीज सहित-बीज के साथ मिश्रित है, उसे यदि गृहस्थ भिक्षु के निमित्त वास की छलनी से, वस्त्र से या बालों की छलनी से, एक बार अथवा अनेक बार छानकर और उसमें रहे हुए गुठली छाल और बीजादि का छलनी के द्वारा अलग

करके उसे दे तो साधु इस प्रकार के जल को अप्रासुक-जानकर मिलने पर भी ग्रहण न करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में २१ प्रकार के प्रासुक पानी का उल्लेख किया गया है । उसमें आम्र फल आदि के धोवन पानी के विषय में बताया गया है कि यदि कोई गृहस्थ आम्र आदि को धोने के पश्चात् उस पानी को छान रहा है और उसमें रहे हुए गुठली छाल एवं बीज आदि को निकाल रहा है, तो साधु को उक्त पानी नहीं लेना चाहिए । क्योंकि वह वनस्पतिकार्थिक (बीज, गुठली आदि) जीवों से युक्त होने के कारण निर्दोष एवं ग्राह्य नहीं है ।

प्रस्तुत सूत्र में 'अस्थि' शब्द गुठली के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । क्योंकि आम्र के साथ उसका प्रयोग होने के कारण उसका गुठली अर्थ ही घटित होता है । द्राक्षा की अपेक्षा त्वक्-छाल, अनार आदि की अपेक्षा से बीज शब्द का प्रयोग हुआ है ।

प्रस्तुत सूत्र का तात्पर्य यह है कि आम्र आदि फलों का धोया हुआ पानी एव रस यदि गुठली, बीज आदि से युक्त है और उसे बांस की बनाई गई टोंकरी या गाय के बालों की बनाई गई छलनी या अन्य किसी पदार्थ से निर्मित छलनी या वस्त्र आदि से एक बार या एक से अधिक बार छानकर तथा उसमें से गुठली, बीज आदि को निकाल कर दे तो वह पानी या रस साधु के लिए अग्राह्य है । क्योंकि इस तरह का पाना उद्गमादि दोषों से युक्त होता है^१ । अतः साधु को ऐसा जल अनेषणीय होने के कारण ग्रहण नहीं करना चाहिए ।

अपने स्थान से स्थित साधु को भौतिक पदार्थों से किस तरह अनासक्त रहना चाहिए, इस बात का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

१ उद्गम के दोष १६ प्रकार के बताए गए हैं—

• • आहाकम्मुदेसिअ पूतिकम्मे अ मीसजाए अ ।
ठवणा पाहुडियाए पाओअरकीअ पामिच्चे ॥
परियट्टिए अभिहडे उडिभन्ने मालोहडे इअ ।
अच्छेज्जे अणिसिट्ठे अज्जोअरए अ सोलसमे ॥

मूलम्— से भिक्षू वा २ आगंतारेसु वा आरामागारेसु वा
गाहावइगिहेसु वा परियावमहेसु वा अन्नगंधाणि वा पाण-
गंधाणि वा सुरभिगंधाणि वा आघाय २ से तत्थ आसाय-
पडियाए मुच्छिए गिद्धे गट्टिए अज्झोववन्ने अहो गंधो २ नो
गंधमाघाडज्जा ॥४४॥

छाया — स भिक्षुर्वा २ आगत्रगारेषु वा आरामागारेषु वा गृहपतिगृहेषु
वा पर्यावमथेषुवा अन्नगन्धान् वा पानगन्धान् वा सुरभिगन्धान् वा आघ्राय २
स तत्र आस्वादनप्रतिज्ञया मूर्च्छितो गृद्धो ग्रथितोऽध्युपपन्नः (सन्) अहो-
गन्धः २ न गन्धं जिघ्रेत् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षू वा०—भिक्षु--माधु अथवा माध्वी । आगंतारेसु वा—
धर्मशालाओ मे । आरामागारेसु वा—अथवा उद्यान शालाओ मे । गाहावई गिहेसु वा—
अथवा गृहस्थो के घरों में । परियावसहेसु वा—अथवा भिक्षुओं के मठों में अवस्थित--ठहरा
हुआ हो ता उम समय । अन्न गंध णि वा—अन्न की गन्ध को । पाण गन्धाणि वा—अथवा
पानी की गन्ध का । सुरभिगन्धाणि वा—केसर-कस्तूरी आदि की मुगन्ध को । आघाय २—
मूषकर । से—वह भिक्षु । तत्थ—उन सवासित पदार्थों में । आसायपडियाए—आस्वादन
की प्रतिज्ञा में । मुच्छिए—मूर्च्छित । गिद्धे—गृद्ध । गट्टिए—प्राथन । अज्झोववन्ने—आमक्त
होता हुआ । अहोगंधो २—कि यह मुगन्ध कैसी मीठी एवं मन्दर है जैसे कहना हुआ । गंधं—
उस गंध को । नो आघाडज्जा—ग्रहण न करे—मूषे नहीं ।

मूलार्थ—धर्मशालाओ मे, आरामशालाओ मे, गृहस्थो के घरों मे
या परिव्राजको के मठों मे ठहरा हुआ साधु या साध्वी अन्न एवं पानी
की तथा मुगन्धित पदार्थों वस्तुओं आदि की गन्ध को मूष कर उस गन्ध
के आस्वादन का इच्छा से उसमें मूर्च्छित, गृद्धित, ग्रथित और आमक्त
होकर कि वाह! क्या ही अच्छी मुगन्ध है, कहता हुआ उस गन्ध का
सुवाम न ले ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि धर्मशाला में, बगीचे में, गृहस्थ के मकान में, परिव्राजक—सन्यासी के मठ में अथवा किसी भी निर्दोष एवं एषणीय स्थान में ठहरा हुआ साधु अनासक्त भाव से अपनी साधना में संलग्न रहे। यदि उक्त स्थानों के पास स्वादिष्ट अन्न एवं पानी या अन्य सुवासित पदार्थों की सुहावनी सुवास आती हो तो वहाँ स्थित साधु उसमें आसक्त होकर उस सुवास को ग्रहण न करे और न यह कहे कि क्या ही मधुर एवं सुहावनी सुवास आ रही है। परन्तु, वह अपने मन आदि योगों को उग्र और से हटाकर अपनी साधना में— स्वाध्याय, ध्यान, चिन्तन—मनन आदि में लगा दे।

अब सूत्रकार फिर से आहार ग्रहण करने के सम्बन्ध में कहते हैं—

मूलम्— से भिक्खू वा २ से जं० सालुयं वा विरालियं वा सासवनालियं वा अन्नयरं वा तहप्पगार आमगं असत्थपरिणयं अफासु० । से भिक्खू वा० से जं पुण० पिप्पलिं वा पिप्पलिचुराणं वा मिरियं वा मिरियचुराणं वा सिंगबेरं वा सिंगबेरचुराणं वा अन्नयरं वा तहप्पगारं आमगं वा असत्थ प० । से भिक्खू वा० से जं पुण पलंबजायं जाणिज्जा तंजहा — अंबपलंबं वा अंबाडगपलंबं वा तालप० सुरहि० भिज्भरिप० सल्लरप० अन्नयरं वा तहप्पगारं पलंबजायं आमगं असत्थप० । से भिक्खूर से जं पुण पवालजायं, जाणिज्जा तंजहा—आसोट्ठपवालं वा निग्गोहप० पिलुंखुप० नियू(पू)रप० सल्लइप० अन्नयरं वा तहप्पगारं पवालजायं आमगं असत्थपरिणयं । से भि० से जं पुण० सरडुयजायं जाणिज्जा, तंजहा — सरडुयं वा कविट्ठसर०

दाडिमसर० बिल्व स० अन्नयरं वा तहृषगारं सरडुयजायं आमं
असत्थपरिणयं० । से भिक्खू वा० से जं पु० तंजहा उवरमथुं
वा निग्गोह मं० पिनुंखु मं० आमोत्थ मं० अन्नयरं वा तहृषगारं
वा मथुजायं आमयं दुरुक्कं साण्णवीयं अफामुयं ॥४५॥

छाया—स भिक्षुर्वा अथ यत् शालूक वा विगलिक वा सर्षपनालिक
वा अन्यतरद् वा तथाप्रकार आमक अशस्त्रपरिणत अप्रासुकं० । स भिक्षुर्वा
अथ यत् पुन. पिप्पली वा पिप्पलीचूर्णं वा मरिच वा मरिचचूर्णं वा शृंगबेरं
वा शृंगबेरचूर्णं वा अन्यतरद् वा तथाप्रकार आमक वा अशस्त्रपरिणत ।
स भिक्षुर्वा० अथ यत् पुनः प्रलम्बजात जानायात्, तद्यथा—आमूपलम्ब
वा अम्बाडग प्रलम्बं वा तालप्रलम्ब वा भ्मिंभर प्रलम्बं० सुग्भि० शन्ल-
की० अन्यतरद् वा तथाप्रकारं प्रलम्बजात आमकं अशस्त्रपरिणतं ।
स भिक्षुः २ अथ यत् पुनः प्रवाल जात जानीयात्, तद्यथा—अश्वत्थप्रवालं
वा न्यग्रोधप्रवालं वा प्लक्षप्र० न्यू(पू)र प्र० अन्यतरद् वा तथाप्रकार प्रवाल-
जात आमक अशस्त्रपरिणतम् । स भिक्षुर्वा० अथ यत् पुनः सरडुय (अबद्धा-
स्थिललम्) जानीयात्, तद्यथा—सरडुय वा कपित्थ सर० दाडिम सर० बिल्व
सर० अन्यतरद् वा तथाप्रकारं सरडुय जातं आमक अशस्त्रपरिणतम् । स
भिक्षुर्वा अथ यत् पुन. तद्यथा—उदुम्बरमन्थुं वा न्यग्रोधमन्थु वा प्लक्ष-
मन्थु वा अश्वत्थ मं० अन्यतरद् वा तथाप्रकार मं० जात आमक दुरुक्कं
सानुवीज अप्रासुकं० ।

पदाथ—से—वह । भिक्खू वा०—साधु अथवा साध्वी गृहपति कुल मे प्रवेश करने
पर । से—अथ-यदि । जं—जो फिर जाने कि । सालुय वा—जन्म से उत्पन्न होने वाला
कन्द विशेष । विरालियं वा—अथवा स्थल मे उत्पन्न होने वाला कन्द । सासवनालिय वा—
सर्षपनालिका कन्द । अन्नयर वा—तथा अन्य । तहृषगार—इसी प्रकार का कन्द विशेष ।
आमय—कच्चा । असत्थपरिणयं—जो शस्त्र से परिणत नहीं हुआ उने । अफामुय०—
अप्रामुक जानकर मिनने पर ग्रहण न करे । से—वह । भिक्खू वा—साधु या साध्वी गृहपति

कुल में प्रवेश करने पर । से ज पुण—यदि फिर यह जाने कि । पिप्पली वा—पीपल-मध । पिपलिचूर्णं वा—पीपल का चूर्ण । मिर्चि वा—अथवा मिरच । मिरचिचूर्ण वा—तथा मिर्च का चूर्ण । सिंगवेर वा—अदरक । सिंगवेरचूर्णं वा—अथवा अदरक का चूर्ण । अन्नयर वा—तथा अन्य । तहृप्पगार—इसी प्रकार का । आमग वा—कच्चा चूर्ण एव अपरिपक्व पदार्थ । असत्थप०—जिसे शस्त्र ने परिणत नहीं किया है उसे । अफासुय—अप्रासुक जानकर मिलने पर भी ग्रहण न करे । से—वह । भिक्खू०—साधु अथवा साध्वी गृहस्थ के घर में प्रवेश करने पर । से जं पुण—यदि फिर । पल्लवजाय—फलो की जाति को । जाणिज्जा—जाने । तंजहा—जैसे कि । अंघ्रपलवं वा—आम्र फल को । अवाडगपलव वा—अम्बाडग फल को । तालप०—ताड़ के फल को । भिक्खर प०—लताओ के फल को । सुरहि०—सुरभि-वनस्पति विशेष के फल को । सत्तर प०—शन्य-वनस्पति विशेष के फल को । अन्नयर—तथा अन्य । तहृप्पगार—इसी प्रकार के । पल्लवजाय—पल्लव फल विशेष को । आमग—कच्चा । असत्थप०—जो कि शस्त्र परिणत नहीं हुआ, ऐसा मिलने पर । अप्रासुक जानकर ग्रहण न करे । से—वह । भिक्खू वा—साधु या साध्वी गृहस्थ के घर जाने पर । से ज पुण—वह फिर । पवालजाय—प्रवाल जात को । जाणिज्जा—जाने । तंजहा—जैसे कि । आसोठ्ठपवालं वा—पीपल वृक्ष के प्रवाल-पत्र । निग्गोह प०—न्यग्रोध-वट वृक्ष के पत्ते । पिलुखु प०—पिप्परी वृक्ष के पत्ते । न्यू(पू)रप०—नन्दी वृक्ष के पत्ते । सत्तइ प०—शल्य वृक्ष के पत्ते तथा । अन्नयर—अन्य । तहृप्पगारं—इसी प्रकार के । पवालजाय—पत्ते । आमग—कच्चे हैं । असत्थप०—जो शस्त्र परिणत नहीं हैं तो उन्हें । अफासुय—अप्रासुक जानकर ग्रहण न करे । से भिक्खू वा०—वह साधु या साध्वी गृहपति कुल में जाने पर । से ज पुण—वह फिर । सरड्यजाय—सरडु जात—अवद्धास्थि फल जिसमें अभी तक गुठली नहीं बनी है ऐसे सुकोमल फलो को । जाणिज्जा—जाने । तंजहा—जैसे कि । अंघ्रसरड्यं वा—आम का सुकोमल फल । कविट्ठसर०—कपित्थ का सुकोमल फल । दाडिमसर०—अनार का सुकोमल फल । बित्तसर—वित्त का सुकोमल फल तथा । अन्नयरं—अन्य । तहृप्पगार—इसी प्रकार । सरड्यजाय—सुकोमल फलो को जो । आमं—कच्चे हैं । असत्थप०—जिसको शस्त्र परिणत नहीं हुआ है, मिलने पर भी अप्रासुक जानकर उसे ग्रहण न करे । से भिक्खू वा—वह साधु या साध्वी गृहपति कुल में प्रविष्ट होने पर । से जं पु०—फिर इस प्रकार जाने । तंजहा—जैसे कि । उंघ्रमंथुं वा—उदुम्बर फल का चूर्ण । निग्गोह मं—वट वृक्ष के फल का चूर्ण । पिलुखु मं—पिप्परी फल का चूर्ण । आसोत्थमं०—अश्वत्थ पीपल का चूर्ण । अन्नयरं—तथा अन्य । तहृप्पगारं—इसी प्रकार का । मथुजायं—मन्थुजात-चूर्ण । आमथं—कच्चा है । दुक्कं—थोड़ा पीसा हुआ है । साणुबीय—जिसका योनि बीज विध्वस्त नहीं हुआ है तो । अफासुय०—उसे अप्रासुक जानकर ग्रहण न करे ।

मूलार्थ—गृहपति के घर में प्रविष्ट जलज कन्द, और सर्षपनालिका

कन्द तथा इसी प्रकार का अन्य कोई कच्चा कन्द जिसको शस्त्रपरिणत नहीं हुआ ऐसे कन्द आदि को अप्रासुक जानकर मिलने पर भी ग्रहण न करे ।

गृहस्थ के घर में प्रविष्ट होने पर साधु वा साध्वी पिप्पली, पिप्पली का चूर्ण, मिरच, मिरच का चूर्ण, अदरक, अदरक का चूर्ण, तथा इसी प्रकार का अन्य कोई पदार्थ या चूर्ण, कच्चा और अशस्त्र परिणत-जिसे शस्त्र परिणत नहीं हुआ मिलने पर अप्रासुक जान कर ग्रहण न करे ।

गृहपति के घर में प्रविष्ट साधु या साध्वी प्रलम्बजात फलजात-फल समुदाय को जाने, यथा—ग्राम्प्रलम्ब ग्रामफल का गुच्छा—फलसामान्य, अम्बाडग फल, ताडफल, लताफल, सुरभि फल, और शल्यकी का फल तथा इसी प्रकार का अन्य कोई प्रलम्बजात कच्चा और जिसे शस्त्र परिणत नहीं हुआ मिलने पर अप्रासुक जान कर ग्रहण न करे ।

गृहस्थ के घर में प्रविष्ट साधु या साध्वी प्रवालजात-पत्र समुदाय को जाने यथा अश्वत्थ प्रवाल, न्यग्रोध-वट प्रवाल, प्लक्ष प्रवाल, निपूर प्रवाल, नन्दी वृक्ष प्रवाल और शल्यकी प्रवाल तथा इसप्रकार का कोई अन्य प्रवालजात कच्चा अशस्त्रपरिणत जिसे शस्त्रपरिणत नहीं हुआ, मिलने पर अप्रासुक जानकर ग्रहण न करे ।

गृहपति के घर में प्रविष्ट साधु या साध्वी अबद्धास्थि फल—कोमल फल को जाने, जैसे कि—ग्राम् वृक्ष का कोमल फल, कपित्थ का कोमल फल, अनार का कोमल फल और तिलक का कोमल फल तथा इसी प्रकार का अन्य कोमल फल जोकि कच्चा और शस्त्र परिणत नहीं, मिलने पर भी अप्रासुक जान कर साधु या साध्वी को उमें परिग्रहण न करना चाहिए ।

गृहस्थों के घर में प्रविष्ट साधु या साध्वी मन्थ के मन्थ में जान-

कारी करे जैसे—उदुम्बर मन्थु-चूर्ण, न्यग्रोधमन्थु, प्लक्षमथु, अश्वत्थ-मन्थु, तथा इसी प्रकार का अन्य मन्थुजात जोकि कच्चा और थोड़ा पोसा हुआ तथा सबोज अर्थात् जिसका कारण-योनि बीज विध्वस्त नहीं हुआ ऐसे चूर्ण जात को मिलने पर भी अप्रासुक जानकर ग्रहण न करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को अपक्व कन्द-मूल, वनस्पति एवं फल आदि नहीं लेने चाहिए। यदि कच्ची सब्जी शस्त्रपरिणत हो गई है तो वह ब्राह्म है, परन्तु, जब तक वह शस्त्रपरिणत नहीं हुई है, तब तक सचित्त है; अतः साधु के लिए अब्राह्म है ।

‘विरालिय’ का अर्थ है—जमीन में उत्पन्न होने वाला कन्द विशेष । ‘पलम्ब जायं’ का तात्पर्य फल से है । ‘अबद्धा अस्थि फल’ का तात्पर्य है—वह फल जिस में अभी तक गुठली नहीं बन्धी है, ऐसे सुकोमल फल को ‘सरडुय’ कहते हैं ‘मन्थु’ का अर्थ चूर्ण होता है और ‘साणुवीर्यं’ का तात्पर्य है—वह बीज जिसकी योनि का अभी नाश नहीं हुआ है । ‘क्लिञ्जती’ शब्द लता विशेष का बोधक है । इस पाठ का तात्पर्य यह है कि साधु को सचित्त वनस्पति को ग्रहण नहीं करना चाहिए ।

पुनः आहार के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० से जं पुण्ण० आमडागं वा पूइ-
पिन्नागं वा महुं वा मज्जं वा सपिं वा खोलं वा पुराणगं वा
इत्थ पाणा अणुप्पसूयाइं जायाइं संवुड्ढाइं अव्वुक्कंताइं अप-
रिणया इत्थ पाणा अविद्धत्था नो पडिगाहिज्जा ॥४६॥

छाया—स भिक्खुवा० स यत् पुनः० आम पत्रक वा पूतिग्णियाकं वा मधु वा मद्य वा सपिं वा खोलं वा पुरोणकं वा अत्र प्राणाः अनद्रसूता जाता संवृद्धाः अव्युत्क्रान्ता. अपरिणताः अत्र प्राणाः (प्राणिनः) अविध्वस्ताः नो प्रतिगृह्णीयात् ।

पदार्थ—से—वह। मिक्खू ३१०—साधु अथवा साध्वी। से जं पुण—गृहस्थ के घर में प्रविष्ट हुआ यदि इस प्रकार जाने कि। आमडाग वा—अर्द्धपक्व ज क अथवा। पुइपिन्नाग—सड़ी हुई खल अथवा। महुं वा—मधु। मज्जं वा—मद्य। सप्पि वा—घृत। खोल वा—अथवा खोल-मद्य के नीचे का कर्दम-कीच। पुराणग वा—ये पुराने पदार्थ। इत्थ—इनमें। पाणा—प्राणी—जीव। अणुप्पसूयाइं—उत्पन्न होते हैं। जायाइ—प्राणियों का जन्म होता है। सवुड्ढाइ—वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अब्बुक्कताइ—व्युत्क्रान्त नहीं होते हैं तथा। अपरिणया—परिणत नहीं होते हैं। इत्थ—इनमें। पाणा—प्राणी। अबिद्धत्था—विध्वंस को प्राप्त नहीं हुए हैं, तो उसके मिलने पर भी। नो पडिगाहिज्जा—ग्रहण न करे।

मूलार्थ—गृहपति कुल में प्रविष्ट हुआ साधु या साध्वी अर्द्धपक्व शाक, सड़ी हुई खल, मधु, मद्य, सर्पि-घृत, खोल-मद्य के नीचे का कर्दम-कीच इन पुराने पदार्थों को ग्रहण न करे, कारण कि—इन में प्राणी-जीव उत्पन्न होते हैं, जन्मते हैं, तथा वृद्धि को प्राप्त होते हैं और इन में प्राणियों का व्युत्क्रमण, परिणमन तथा विध्वंस नहीं होता, इसलिए मिलने पर भी उन पदार्थों को ग्रहण न करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को कच्चा पत्र, (वृक्षादि का पत्ता), सचित्त पत्र या अर्द्धपक्व पत्र एवं शाक-भाजी आदि ग्रहण नहीं करना चाहिए और सड़ी हुई खल एवं पुराना मद्य, मधु (शहद), घृत और मद्य के नीचे जमा हुआ कर्दम नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ये पदार्थ बहुत दिनों के पुराने होने के कारण उनका रस विचलित हो जाता है और इस कारण उनमें त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए मुनि को ये पदार्थ ग्रहण नहीं करने चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त मधु एवं घृत तो साधु के लिए कल्पनीय हैं। परन्तु, मद्य अकल्पनीय है, अतः मद्य शब्द कुछ विचारणीय है। क्योंकि सूत्र में कहा गया है कि पुराना मद्य एवं उसके नीचे जमा हुआ कर्दम (मैल) नहीं लेना, तो इसका अर्थ यह है कि नया मद्य लिया जा सकता है। किन्तु, आगमों में मद्य एवं मांस का सर्वथा निषेध किया गया है। अतः यहां इसका यह अर्थ है—मद्य के समान गुण वाला पदार्थ। यदि इसका तात्पर्य शराब से होता तो उसके अन्य भेदों का उल्लेख भी करते। क्योंकि सूत्र की यह एक पद्धति है कि जिस वस्तु का उल्लेख करते हैं, उसके सब भेदों

का नाम गिना देते हैं। यहाँ मद्य शब्द के साथ अन्य नामों का उल्लेख नहीं होने से ऐसा लगता है कि मद्य का अर्थ होगा—उसके सदृश पदार्थ। आगम में युगलियों के अधिकार में दस प्रकार के कल्पवृक्षों में 'मातंग' कल्प वृक्ष का नाम आता है। उसके फल मद्य के समान मादक होते हैं। आजकल महुए के फलों को उसके समान समझ सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि मद्य शब्द मदिरा का बोधक नहीं है। आगम में मदिरा का प्रबल शब्दों में निषेध किया गया है। इसके लिए दशवैकालिक सूत्र का २वाँ अध्यायन दृष्ट्य है। दशवैकालिक सूत्र प्रायः आचाराङ्ग का पद्यानुवाद है। इससे प्रस्तुत सूत्र का मदिरा सदृश पदार्थ अर्थ ही उपयुक्त प्रतीत होता है।

आहार के विषय में और बातों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं।

मूलम् — से भिक्खू वा० से जं० उच्छुमेरगं वा अंककरेलुगं
वा कसेरुगं वा सिंघाडगं वा पूइ आलुगं वा अन्नयरं वा० ।
से भिक्खू वा० से जं० उप्पलं वा उप्पलनालं वा भिसं वा भिस-

❀ जीवाभिगम सूत्र ।

† सुर वा मेरग वावि, अन्न वा मज्जग रस ।
ससक्खं न पिवे भिक्खू, जसं सारक्खमप्पणो ॥
पियए एगओ तेणो, न मे कोइ विम्राणइ ।
तम्मस पस्सह दोसाइं, निर्याडि च सुणेह मे ॥
वड्ढइ सुडिआ तस्स, माया मोस च भिक्खुणो ।
अयसो अ अनिच्चाण, सयय च असाहुआ ॥
निच्चूव्विग्गो जह। तेणो, अत्तकम्मिहि दुम्मई ।
तारिसो मरणते वि, न आराहेइ सवर ॥
आयरिए नाराहेइ समणे आवि तारिसो ।
गिहत्था विणं गरिहत्ति, जेण जाण ति तारिस ।
एव तु अगुणप्पेही गुणाण च विवज्जए ।
तारिसो मरणतेवि, ण आराहेइ सवर ॥
तवं कुव्वइ मेहावी, पणीय वज्जए रस ।
मज्जप्पमायविरओ, तवस्सी अइउक्कस्सो ॥

मुणालं वा पुक्खलं वा पुक्खलविभंगं वा अन्नयरं वा
तहप्पगारं ॥४७॥

छाया—स भिक्षुर्वा म यत् इच्छु मेरक वा अंककरेलुक कसेरुक वा
शृगाटक वा पूतिआलुक वा अन्यतरद् वा० (तथाप्रकारं) ।

म भिक्षुर्वा० म यत् उत्पल वा उत्पलनालं वा भिसं वा भिसमुणालं वा
पुक्करं वा पुक्करविभंगं वा अन्यतरद् वा तथाप्रकारं० ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खूवा—साधु अथवा साध्वी । से जं—फिर इस प्रकार
जाने यथा । उच्छु मेरगं वा—इक्षुखण्ड—गंडेरी । अंककरेलु वा—अक करेलु नाम वनस्पति
कसेरुक वा—कसेरु । सिघाडगं वा—सिघाडे । पूइ आलुग वा—पूतिआलुक-वनस्पति विशेष
अन्नयरं वा—तथा इसी प्रकार की अन्य वनस्पति जो कच्ची शस्त्र परिणत न हो, तो
उसे अप्रामुक जान कर साधु ग्रहण न करे ।

से—वह । भिक्खू वा—साधु या साध्वी गृहस्थ के घर जाने पर । से जं पुण०—
फिर इस प्रकार जाने यथा । उत्पल वा—उत्पल कमल । उत्पल नाल वा—उत्पल कमल की
नाल । भिस वा—कमल का कन्द मूल । भिसमुणाल वा—कमल के कन्द के ऊपर की लता
पुक्खलं वा—कमल की केसर । पुक्खलविभंगं वा—कमल का कन्द । अन्नयरं वा—तथा ।
अन्य । तहप्पगार—इसी प्रकार का कन्द आदि जो कच्चा और अशस्त्र परिणत हो तो उसे
साधु मिलने पर भी अप्रामुक जानकर ग्रहण न करे ।

मूलाथ—गृहपति कुल में प्रवेश करने पर साधु या साध्वी इस प्रकार
से जाने, यथा—इक्षुखण्ड—गंडेरी, अककरेलु नामक वनस्पति, कसेरु, सिघाडा
और पूति आलुक तथा अन्य इसी प्रकार को वनस्पति विशेष जो शस्त्र
परिणत नहीं हुई, उसे मिलने पर भी अप्रासुक जान कर साधु ग्रहण न करे ।

गृहस्थ के घर में प्रविष्ट हुआ साधु या साध्वी यदि यह जान ले
कि उत्पल-कमल, उत्पलकमल की नाल, उसका कन्द-मूल, उस कन्द के ऊपर
की लता, कमल की केसर और पद्म कन्द तथा इसी प्रकार का अन्य कन्द
कोई कच्चा हो, जिसको शस्त्र परिणत नहीं हुआ हो तो साधु मिलने पर भी

उसे अप्रासुक जानकर ग्रहण न करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को डज्जुखंड, कसेरु, सिंघाड़ा, उत्पल (कमल), उत्पल-नाल (कमल की डडी), भृणाल (कमल के नीचे का कन्द) आदि ग्रहण नहीं करना चाहिए । क्योंकि ये सवित्त होते हैं, अतः जब तक शस्त्रपरिणत न हों तब तक साधु के लिए अग्राह्य हैं ।

इस विषय में और पदार्थों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा २ से जं पु० अग्गबीयाणि वा मूल-
बीयाणि वा खंधबीयाणि वा पोर्बी० वा अग्गजायाणि वा मूल-
जा० वा खंधजा० वा पोर्जा० वा नन्नत्थ तक्कलिमत्थएण वा
तक्कलिसीसेण वा नालियेरमत्थएण वा खज्जूरिमत्थएण
वा तालम० अन्नयरं वा तह० । से भिक्खू वा २ से जं०
उच्छुं वा काण्णं वा अंगारियं वा संमिस्सं विगदूमियं वित-
ग्गं वा कंदलीऊसुगं अन्नयरं वा तहप्पगा० ।

से भिक्खू वा० से जं० लसुणं वा लसुणपत्तं वा ल० नालं
वा लसुणकंदं वा ल० चोयगं वा अन्नयरं वा० । से भिक्खू
वा० से जं० अंच्छियं वा कुंभिपक्कं वा तिट्ठुगं वा बेलुगं वा कास
वनालियं वा अन्नयरं वा तहप्पगारं आमं असत्थप० । से
भिक्खू वा० से जं० कणां वा कणाकुंडगं वा कणापूयलियं वा
चाउलं वा, चाउलपिट्ठं वा तिलं वा तिलपिट्ठं वा तिल-

पप्पड़गं वा अन्नयरं वा तहप्पगारं आमं अनत्थप० लाभे-
संते नो प० , एयं खलु तस्स भिक्खुस्स सामग्गियं ॥४८॥

छाया—स भिक्षुर्वा अथ यत् पुनः० अग्रबीजानि वा मूलबीजानि वा
स्कन्धबीजानि वा पर्वबीजानि वा, अग्रजातानि वा मूलजातानि वा, स्कन्ध-
जातानि वा पर्वजातानि वा नान्यस्माद् , तक्कलीमस्तकेन वा तक्कलीशीर्षेण
वा नालिकेरमस्तकेन वा खर्जूरमस्तकेन वा तालमस्तकेन वा अन्यतद्
वा तथाप्रकार० ।

स भिक्षुर्वा २ अथ यत् इक्षु वा काणक वा अणारतिकं वा संमिश्र वृक-
भक्षित वेत्राग्रं कन्दचीमध्या अन्यतरद् वा तथाप्रकारं ।

स भिक्षुर्वा० अथ यत् लशुन वा लशुनपत्र वा लशुननाल वा लशुन-
कन्द वा लशुनचोदक वा अन्यतरद् वा० स भिक्षुर्वा० स यत् अस्थिक वा
कुंभिपक्क वा तिन्दुकं वा बिल्व वा काश्यपनालिकां वा अन्यतरद् वा तथा-
प्रकारं आमं अशस्त्रपरिणतं ।

स भिक्षुर्वा० स यत् कणं वा कणकुडकं वा कणपूपलिकां वा
ओदन वा ओदनपिष्टं वा तिल वा तिलपिष्टं वा तिलपर्पटक वा
अन्यतरद् वा तथाप्रकार आमं अशस्त्रपरिणतं लाभेसति न प्रातगृहणीयात् ।
एवं खलु तस्य भिक्षोः सामग्र्यम् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू वा—साधु या साध्वी गृहपति कुल मे प्रविष्ट हु प्रा ।
से ज—इस प्रकार जाने, जैसे कि— । अग्रबीयाणि वा—अग्रबीज, जपा कुसुमादि, अथवा ।
मूलबीयाणि वा—मूल बीज—जात्यग्नि । खधबीयाणि वा—स्कन्ध बीज—सल्लक्यादि । पोर-
बीयाणि—पर्व बीज—इक्षु दण्डादि अथवा । अग्रजायाणि वा—अग्रजात—अग्रभाग में उत्पन्न
होने वाले । मूल जा०—मूल जात—मूल मे उत्पन्न होने वाले । खध जा०—स्कन्ध जात—
स्कन्ध मे उत्पन्न होने वाले । पोर जा०—पर्वजात—पर्व मे उत्पन्न होने वाले । नन्तथ—
इतना विशेष है कि ये उक्त स्थानो मे उत्पन्न होते हैं अन्य स्थानो पर नहीं, अतः इनको
अग्रजातादि कहते है । ण—यह वाक्यालकार में है । तक्कलि मत्थए—कन्दली के मध्य का
गर्भ तथा । तक्कलिसे—कन्दली स्तवक । णालिएरमत्थए—अथवा नारियल का मध्य

गर्भं । खज्जूर मत्थए — खजूर का मध्य गर्भ अथवा । ताल मत्थए — ताल का मध्य गर्भ, तथा । अन्नयर वा — अन्य । तहप्पगार — इसी प्रकार का । आम — कच्चा और जिसको अशत्र परिणत नहीं हुआ, मिलने पर अप्रासुक जान कर ग्रहण न करे ।

से — वह । भिक्खू वार — साधु अथवा साध्वी गृहस्थ के घर में प्रवेश करने पर । से ज० — इस प्रकार जाने, यथा । उक्खुं वा — इक्षु और इक्षु के समान अथ वनस्पति को तथा । काणं वा — व्याधि विशेष से सृष्टि हुई वनस्पति को । अंगारियं वा — अथवा ऋतु विशेष से जिसका वर्ण और हो गया हो । समिस्स — वह वनस्पति जिसकी स्वचा फटी हुई हो । विगदूमियं — वृक या इयाल भक्षित अर्थात् जिसे वृक या शृगाल आदि ने खाया हुआ हो । वित्तग्ग वा — वेतस-वैत का अग्र भाग अथवा । कदलीऊसुग — कन्दली का मध्य-भाग तथा । अन्नयरं वा — अन्य । तहप्पगार — इसी प्रकार का कच्ची और अशत्र परिणत वनस्पति, मिलने पर अप्रासुक जानकर साधु उसे ग्रहण न करे ।

से — वह । भिक्खू वा० — साधु अथवा साध्वी गृहपति कुल में प्रवेश करने पर । से जं पुण० — फिर इस प्रकार जाने, यथा । लसुण वा — लशुन को । लसुणपत्त वा — लशुन के पत्र को । लसुण नालं वा — लशुन की नाल को अथवा । लसुणं कं व वा — लशुन कन्द को लसुणचोयगं वा — लशुन के ऊपर की छाल-छिलका, तथा । अन्नयरं वा — अन्य । तहप्पगार० — इसी प्रकार की कच्ची और अशत्र परिणत वनस्पति, मिलने पर अप्रासुक जान कर उसे ग्रहण न करे ।

से — वह । भिक्खू वा० — साधु या साध्वी गृहपति कुल में प्रविष्ट होने पर । से ज — फिर इस प्रकार जाने यथा । अच्छिय वा — आस्तिक नाम के वृक्ष विशेष का फल, तथा । कुम्भिवक्कं — गर्त आदि में धूए आदि से पकाया हुआ । तिडुगं वा — तिन्दुग वृक्ष का फल । वेत्तुगं वा — अथवा विल्व वृक्ष का फल । कासवानालिय वा — श्रीर्षणफल तथा । अन्नयर वा — अन्य कोई । तहप्पगार — इसी प्रकार का । आम — कच्चा । असत्थ प० — अशत्र परिणत फल विशेष मिलने पर अप्रासुक जानकर ग्रहण न करे ।

से — वह । भिक्खू वा० — साधु या साध्वी गृहस्थ के घर में प्रवेश करने पर । से ज० — यदि इस प्रकार जाने जैसे कि । कण वा — शाल्यादि के कण । कण कुडग वा — कणो आदि से मिश्रित छानस । कणपूयलिय वा — कणो से मिश्रित रोटी अर्थात् मन्दपक्वरोटिका । चाउलं वा — अथवा चावल । चाउलपिट्ठं वा — अथवा चावलों का पिष्ट-आटा । तिल वा — तिल । तिल पिट्ठं वा — अथवा तिल पिष्ट — (तिलकुट) तथा । तिलपप्पडग वा — तिल पर्पटिका-तिल पापड़ी तथा । अन्नयरं वा — अन्य कोई । तहप्पगारं — इसी प्रकार का । आम — कच्चा । असत्थ प० — अशत्र परिणत पदार्थ विशेष ।

लाभे सते—मिलने पर। नो प०—ग्रहण न करे। एवं—इस प्रकार। खलु—निश्चय ही। तस्स—उस। भिक्खुस्स—भिक्षु का। सामग्गिय—समग्र भिक्षुभाव अर्थात् सम्पूर्ण आचार है।

मूलार्थ—गृहपतिकुल में प्रविष्ट हुआ साधु या साध्वी अग्रबीज, मूलबीज, स्कन्धबीज, तथा पर्वबीज, एव अग्रजात, मूलजात, स्कन्धजात पर्वजात, इनमे इतना विशेष है कि ये उक्त स्थानों से अन्यत्र उत्पन्न नहीं होते, तथा कन्दली के मध्य का गर्भ, कन्दली का स्तबक, नारियल का मध्यगर्भ, खजूर का मध्यगर्भ और ताड का मध्यगर्भ तथा इसी प्रकार की अन्य कोई कच्चो और अशस्त्रपरिणत वनस्पति, मिलने पर अप्रासुक जानकर ग्रहण न करे।

गृहस्थ के घर में प्रविष्ट हुआ साधु या साध्वी इक्षु [ईख] को, सच्छिद्र इक्षु को तथा जिसका वर्ण बदल गया, त्वचा फट गई एव शृगालादि के द्वारा खाया गया ऐसा फल, तथा बँत का अग्रभाग और कन्दली का मध्यभाग तथा अन्य इसी प्रकार की वनस्पति, जो कि कच्चो और शस्त्र परिणत नहीं हुई, मिलने पर अप्रासुक जानकर साधु उसे स्वीकार न करे।

गृहस्थ के घर में प्रविष्ट हुआ साधु या साध्वी लशुन, लशुन के पत्र, लशुन की माल और लशुन की वाह्यत्वक्-बाहर का छिलका, तथा इसी प्रकार की अन्य कोई वनस्पति जो कि कच्चो और शस्त्रपरिणत नहीं हुई है, मिलने पर अप्रासुक जान कर उसे ग्रहण न करे।

गृहपति कुलमें प्रविष्ट हुआ साधु या साध्वी अस्तिक (वृक्षविशेष) के फल, तिन्दुकफल, विल्दफल और श्रीपर्णीफल, जोकि गर्त आदि में रखकर धूप आदि से पकाए गए हो, तथा इसी प्रकार के अन्यफल जोकि कच्चे और अशस्त्र परिणत हो मिलने पर अप्रासुक जान कर उन्हें ग्रहण न करे।

गृहस्थ के घर में प्रविष्ट हुआ साधु या साध्वी शाल्यादि के कण कणमिश्रितछाणस, कणमिश्रित रोटी, चावल, चावलो का चूर्ण-आटा, तिल, तिलपिष्ठ—तिलकुट और तिलपर्पट—तिलपपड़ी तथा इसी प्रकार का अन्य पदार्थ जोकि कच्चा और अशस्त्र परिणत हो, मिलने पर अप्रासुक जान कर उसे ग्रहण न करे। यह साधु को समग्र-सम्पूर्ण आचार है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि अग्रबीज, मूलबीज, स्कन्धबीज, पर्वबीज, अग्रजात, मूलजात, स्कन्धजात, पर्वजात, कन्द का, खजूर का एवं ताड़ का मध्य भाग तथा इक्षु या शृगाल आदि से खाया हुआ फल, लहसुन का छिलका, पत्ता, त्वचा या बिल्व आदि के फल आदि सभी तरह की वनस्पति जो सचित्त है, अपक्व है, शस्त्र-परिणत नहीं हुआ है, तो साधु को उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'अग्रबीज' एवं 'अग्रजात' में यह अन्तर है कि अग्रबीज को भूमि में बो देने पर उस वनस्पति के बढ़ने के बाद उसके अग्रभाग में बीज उत्पन्न होता है, जबकि अग्रजात अग्रभाग में ही उत्पन्न होता है, अन्यत्र नहीं। वृत्तिकार ने 'न-नस्थ' शब्द के दो अर्थ किए हैं—एक तो अन्यत्र उत्पन्न नहीं होते हैं और दूसरा अर्थ यह किया है कि कदली (केला) आदि फलों का मध्य भाग छेदन होने से नष्ट हो जाता है। इस तरह वे फल अचित्त होने से ग्राह्य हैं। परन्तु, इन अचित्त फलों को छोड़ कर, अन्य अपक्व एवं शस्त्र से परिणित नहीं हुए फलों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसी तरह शृगाल आदि पशु या पक्षियों के द्वारा थोड़ा सा खाया हुआ तथा आग के धुंए से पनाया हुआ फल भी अग्राह्य है।

प्रस्तुत सूत्र का अनुशीलन-परिशीलन करने से स्पष्ट हो जाता है कि उस युग में साधु प्रायः बगीचों में ठहरते थे। शृगाल आदि द्वारा भक्षित फल बगीचों में ही उपलब्ध हो सकते हैं। क्योंकि शृगाल आदि जङ्गलों में ही रहने एवं घूमते हैं, वे घरों में आकर फलों को नहीं खाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि उस युग में साधु अधिन्नर बगीचों में ही ठहरते थे। इसी कारण वनस्पति को ग्राह्यता एवं अग्राह्यता पर विशेष रूप से विचार किया गया है। जैसे गर्म पानी के चश्मे भी बहते हैं, परन्तु फिर भी वह पानी साधु के लिए अग्राह्य है। इसी तरह कृत्रिम साधनों से पकाए जाने वाले फल

भी अग्राह्य हैं । क्योंकि वह उष्ण योनि के जीवों का समूह होने से सचित्त हैं । इसी तरह कुछ फल ऐसे हैं, जो अपक्व एवं शस्त्र परिणत नहीं होने के कारण साधु के लिए अग्राह्य हैं । इस तरह साधु को सज्जी ग्रहण करते समय उसकी सचित्तता एवं अचित्तता का सूक्ष्म अवलोकन करके ग्रहण करना चाहिए । इस तरह प्रासुक सज्जी ग्रहण करने पर ही उसका अहिंसा महाव्रत निर्दोष रह सकता है । अस्तु साधु के लिए अप्रासुक, अनेपणीय सज्जी ग्रहण करने का निषेध किया गया है ।

‘त्तिवेमि’ का अर्थ पूर्ववत् समझना चाहिए ।

॥ अष्टम उद्देशक समाप्त ॥

प्रथम अध्यायन पिण्डैषणा

नवम उद्देशक

प्रस्तुत उद्देशक में भी अनेषणीय आहार आदि का निषेध करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इह खलु पाईणां वा ४ संतेगइया सड्ढा भवन्ति, गाहावई वा जाव कम्मकरी वा. तेसिं च णां एवं वुत्तपुव्वं भवइ-जे इमे भवन्ति समणा भगवंता सालवंतो वयवंतो गुणा-वंतो संजया संवुड़ा बंभयारी उवरया मेहुणाओ धम्माओ, नो खलु एएसिं कप्पइ आहाकम्मिए असणे वा ४ भुत्तए वा पायए वा. से जं पुणा इम अम्हं अप्पणो अट्ठाए निट्ठियं तं असणां ४ सव्वमेयं ममणाणां निसिरामो. अवियाइं वयं पच्छा अप्पणो अट्ठाए असणा वा ४ चेइस्सामो, एयप्पगारं निग्घोसं सुच्चा निसम्म तहप्पगारं असणां वा ४ अफासुयं० ॥४६॥

छाया—इह खलु प्राचीन वा ४ सन्त्येककाः श्राद्धा भवति, (श्रद्धा लवो भवेयु) गृहपतिर्वा यावत् कर्मकरी वा तेषां च एवं उक्त पूर्व भवति (भवेत्) ये इमे भवन्ति श्रमणाः भगवन्तः शीलवन्तः व्रतवन्तः गुणवन्तः सयताः संवृता ब्रह्मचारिण उपरतः मैथुनाद् धर्मात्, न खलु एतेषा कल्पते आधाकर्म्मिकं, अशनंवा ४ भोक्तु वा पातु वा, स यत् पुनः इदं अस्माक

आत्मार्थं निष्ठितं तद् अशनं वा ४ सर्व एतेभ्यः श्रमणेभ्यः निसृजामः-
प्रयच्छमः, अपि च त्रय पश्चान् आत्मार्थं अशनं वा ४ चेतयिष्यामः । एतन्
प्रकार निर्घोष श्रुत्वा निशम्य तथाप्रकार, अशन वा ४ अप्रासुकं --- (यावन्-
न प्रतिगृह्णीयात्) ।

पदार्थ—इह खलु—इह गवद वाक्योपन्यास अर्थ में, तथा प्रजापक क्षेत्र के अर्थ में
है, और खलु गवद वाक्यालंकार में है । पाईण वा० ८—प्रजापक की अपेक्षा से पूर्व दिशा में,
पश्चिम दिशा में तथा उत्तर और दक्षिण दिशा में अर्थात् पूर्वादि दिशाओं में । संतेगइया—
अनेक पुरुष हैं उनमें कई एक । सड्ढा भवति—श्रद्धालु-श्रद्धावाले भी होते हैं यथा । गाहावड
वा—गृहपति । जाव—यावत् । कम्म करीवा—काम करने वाली दामी आदि । च—पुनः ।
णं—वाक्यालंकार में है । तेसि—उनके परस्पर मिलने पर । एव—इस प्रकार । वुन पुच
भवड—गहले वातालाप होता है, जैसे कि । जे इमे—जो ये । समणा—श्रमण । भगवतो—
भगवान् । सीलवंतो—शील वाले अर्थात् अष्टादश मत्तन्नीलाग रथ धारा के धारण करने
वाले तथा । यद्वंतो—व्रतधारी अर्थात् पाच महाव्रत और छठा रत्रि भोजन विरमण त्याग
व्रत को धारण करने वाले एवं । गणवंतो—पिण्ड विशुद्धि आदि उत्तंगुणों को धारण करने
वाले । संजया—मयत-अर्थात् इन्द्रिय और मन पर विजय प्राप्त करने वाले । सबुडा—प्रासुक
काग्रे को वन्द करने वाले । वमयारी—ब्रह्मचारी अर्थात् नवविध ब्रह्मचर्य गुप्ति में युक्त । मेहुआओ
धम्मआओ—मैथुन धर्म में । उवरया—उत्तम-निवृत्त । भवति—होने है । खलु—वाक्यालंकार
में है । एएसि—उनको । आह,कम्मिए—आधार्कामिक । प्रसण वा ४ । अशनादिक ।
चतुविध आहार । भुत्तए वा—खाना । पायए वा—पीना । नो—नहीं । कप्पइ—कल्पना
पूण—फिर । से ज—वह जो । इम—यह । अन्ह—हमारे । अट्ठाच—वास्ने । निठ्ठिय ।
वना हुआ है । तं—वह । अमण वा ४—अशनादिक चतुविध आहार । सत्त्वमेय—सभी ।
समणाण - इन श्रमणों को । निसिरामो—दे दने हैं । अविद्याइ—अपिच और फिर । वयं—
हम । पच्छा—पीछे में । अप्पणो अट्ठे—अपने लिए । असण वा ४—अशनादिक चतुविध
आहार । चेइस्सामो—और बना लेंगे । एयप्पगार—इस प्रकार के । निग्घोस—गवद को ।
धुच्चा—मुनकर । निसम्म—विचार कर । तहप्पगार—वह माधु इस प्रकार के । असण०—
अशन दि चतुविध आहार को । अकामुय—अप्रासुक जनकर मिलने पर भी ग्रहण न करे ।

मूलार्थ—इस क्षेत्र में पूर्वादि चारा दिशाओं में कई गृहपति एवं उनके
परिजन आदि श्रद्धावान् सद्गृहस्थ रहते हैं, और वे परस्पर मिलने पर
इस प्रकार वाते करते हैं कि ये पूज्य श्रमण शील निष्ठ हैं, व्रतधारी हैं,

गुण सपन्न है, सयमी है, सवृत-आस्रवों का निरोध करने वाले है, परम-ब्रह्मचारी है, मैथुन धर्मसे सर्वथा निवृत्त है। इनको आधाकर्मिक अशनादि चतुर्विध आहार लेना नहीं कल्पता है। अतः हमने जो अपने लिए आहार बनाया है, वह सब आहार इन श्रमणों को दे देगे, और हम अपने लिए और आहार बना लेंगे। उनके इस प्रकार के वार्तालाप को सुन कर तथा विचार कर साधु इस प्रकार के आहार का अप्राप्तक जानकर मिलने पर भी ग्रहण न कर।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को अपने घर में आया हुआ देखकर यदि कोई श्रद्धालु गृहस्थ एक-दूसरे से कहें कि ये पूज्य श्रमण संयम निष्ठ हैं, शीलवान हैं, ब्रह्मचारी हैं। इसलिए ये आधाकर्म आदि दोषों में युक्त आहार नहीं लेते हैं। अतः हमने जो अपने लिए आहार बनाया है, वह सब आहार इन्हें दे दें और अपने लिए फिर से आहार बना लेंगे। इस तरह के विचार सुन कर साधु उक्त आहार को ग्रहण न करे। क्योंकि इसने साधु को पश्चात्कर्म दोष लगेगा।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त तीन शब्द विशेष विचारणीय हैं— १-सङ्घा, २-असण वा ४ और ३-चेइस्सामो। १-सङ्घा-प्रस्तुत सूत्रमें सूत्रकार ने श्रावक एवं उपासक दोनों शब्दों का उपयोग न करके 'सङ्घा' शब्द का उपयोग किया है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रतधारी एवं साधुसमाचारी से परिचित श्रावक इतनी भूल नहीं कर सकता कि वह पश्चात्कर्म का दोष लगाकर साधु को आहार दे। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि इस तरह का आहार देने का विचार करने वाला व्यक्ति श्रद्धानिष्ठ भक्त है, परन्तु साधु आचार से पूरी तरह परिचित नहीं है। वह इतना तो जानता है कि ये आधाकर्म आदि आहार ग्रहण नहीं करते हैं। परन्तु उसे यह ज्ञात नहीं है कि ये पश्चात्कर्म दोष युक्त आहार भी ग्रहण नही करते हैं। परन्तु, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि चाहे दाता श्रद्धालु हो, प्रकृति का भद्र हो, दोषों से अज्ञात हो फिर भी साधु को इस तरह का सदोष आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए।

२- असणं वा— सूत्रकार ने जगह-जगह चार प्रकार के आहार का उल्लेख किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मद्य-मांस आदि का आहार साधु के लिए सर्वथा अप्राप्त है। यदि इस प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते तो जगह-जगह चार प्रकार के आहार का ही ग्रहण न करके, अन्य प्रकार के आहार को भी साथ जोड़ देते।

३-चेडस्सामो— इससे स्पष्ट होता है कि सधु को आहार देने के बाद फिर से ६ काय का आरम्भ करके आहार तैयार करने का विचार करके दिया जाने वाला आहार भी सदोष माना गया है। अत आहार शुद्धि के लिए सधु को बड़ी सावधानी से गवेषणा करनी चाहिए।

इसी विषय में कुछ और जानकारी कराने हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—मे भिक्खू वा० वसमाणो वा गामाणुगामं वा दूइज्जमाणो से जं० गामं वा जाव रायहाणिं वा इमंसि खलु गामंसि वा रायहाणिंसि वा संतेगइयस्स भिक्खुस्स पुरेसंथुया वा पच्छासंथुया वा परित्रमंति, तंजहा-गाहावई वा जाव कम्म० तहप्पगाराइं कुलाइं नो पुव्वामेव भत्ताए वा निक्ख-मिज्ज वा पविसिज्ज वा २, केवली बूया--आयाणमेयं, पुरा-पेहाए तस्स परो अट्ठाए अमणं वा ४ उवकरिज्ज वा उवक्ख-डिज्ज वा, अह भिक्खूणं पुव्वोवइट्ठा ४ जं० नो तहप्पगाराइं कुलाइं पुव्वामेव भत्ताए वा पाणाए वा पविसिज्ज वा निक्ख-मिज्ज वा २, से तमायाय एगंतमत्रक्कमिज्जा २, अणावायमसं-लोए चिट्ठिज्जा, से तत्थकालेणं अणुपविसिज्जा २ तत्थि-यरेयरेहिं कुलेहिं सामुदाणियं एसियं वेसियं पिंडवायं एसित्ता आहारं आहारिज्जा, सिया से परो कालेण अणुपविट्ठस्स आहाकम्मियं अमणं वा उवकरिज्ज वा उवक्खडिज्ज वा तं-चेगइओ तुसिणीओ उवेहेज्जा, आइइमेव पच्चाइक्खिस्सामि,

माइट्टाणं संफामे. नो एवं करिज्जा, से पुव्वामेव आलोइज्जा-
 आउमोत्ति वा भइणित्तिवा नो खलु मे कप्पइ आहाकम्मियं
 असण वा ४ भुत्तए वा पायए वा, मा उवक्खेहि वा उवक्खडे-
 हि, से सेववयंतस्स परो आहाकम्मियं अमण वा० उवक्खडावित्ता
 आहट्टु दलइज्जा तहप्पगारं अमणं वा० अक्कामुयं० ॥५०॥

छाया—म भिक्षुर्वा० वमन् वा ग्रामानुग्राम वा दूयमान म यत्
 ग्रामं वा यावत् राजधानी वा अस्मिन् खलु ग्रामे वा राजधान्यां वा सन्ति
 एककम्य (कस्यचित्) भिक्षो. पूर्व सस्तुता वा पश्चान् संस्तुता वा परिव्रमन्ति,
 तद्यथा—गृहपतिः वा यावत् कार्करी, तथाप्रकाशणि कुलानि न पूर्वमेव
 भक्ताय निष्क्रामत् प्रविशेद् वा, केवली ब्रूयात्—कर्मापादानमेतत्, पूर्व प्रेक्ष्य
 तस्य परः अर्थाय, अशनं वा उपकुर्यात् वा उपसस्कुर्याद् वा—(तस्य भिक्षोः
 कृते परः गृहस्थोऽशनाद्यर्थं उपकुर्यात्-ढौकयेदुपकरणजातम् तदशनादि पचेत्)
 अथ भिक्षूणां पूर्वोपदिष्टमेतत् प्रतिज्ञादि, यत् न तथाप्रकाराणि कुलानि पूर्वमेव
 भक्ताय वा पानाय वा प्रविशेद् वा निष्क्रामेद् वा स तमादाय एकान्तमपक्रामत्,
 उपक्रम्य च अनायाते, असंलोके तिष्ठेत्, स तत्र कालेनानुप्रविशेत् २, तत्र
 इतरेतरेभ्यः कुलेभ्यः सामुदानिकं एषणीय वेधितं पिंडपातं एषित्वा, आहारमा-
 हारयेत्, स्यात् स परः क्लौनानुप्रविष्टस्य, आधार्कमिकमशन वा उपकुर्यात्
 उपसस्कुर्याद् वा तच्चैककः तूष्णीकः उपेक्षेत्, आहृतमेव प्रत्याख्यास्यामि-
 मानृस्थानं सस्पृशेत्, नैवं कुर्यात्, स पूर्वमेवालोकयेत् (आलोक्य च) अयुष्मन् ।
 इति वा भगिनि ! इति वा खलु मम कल्पते आधार्कमिकमशन वा भोक्तु वा
 पातु वा; मा उपकुरु, मा उपसस्कुरु, स तस्यैवं वदतः परः आधार्कमिक—
 मशन वा ४ उपसस्कृत्य, आहृत्य दद्यात् तथाप्रकार, अशनं वा ४
 असुप्र कं० ।

पदार्थ-से - वह । भिक्षू वा - साधु अथवा साध्वी के । जाव - जंघा आदि के निर्वल होने के कारण एक ही क्षेत्र में रहते हुए । वा - अथवा । वसमाणे - मासकल्पादि विहार करते हुए । गामाणुगाम वा - या एक गाव में दूसरे गाव को । दूइज्जमाणे - जाते हुए । से - वह भिक्षु । ज - जो ऐसा जानता है कि । गाम वा - ग्राम । ज व - यावत् । रायहार्णि - वा - राजधानी को । खलु - निश्चय में । इनां गामंति वा - इन ग्राम में अथवा । राय-हार्णिसि वा - राजधानी में । सतेगइयस्म - कई एक साधु विद्यमान है । भिक्खुस्स - उस भिक्षु के । पुठसयुथा वा - माता-पिता आदि या । पच्छासंयुथा वा - स्वसुर आदि परिजन । परिवसति - वसते हैं । तजहा - यथा । गाहावड्ड - गृहपति । जाव - यावत् । कम्मकरी - दासी, आदि रहती हैं । तहपगाराइ - इस प्रकार के । कुलाइं - कुलो में । पुव्वामेव - भिक्षा काल में पहले ही । भत्ताए वा - भोजन के लिए अथवा । पाणाए वा - पानी के लिए नो निक्खमिज्ज वा पविसिज्ज वा - न निकले और न प्रवेश करे । केवली बूया - केवली भगवान कहते हैं । आयाणमेयं - यह कर्म आने का मार्ग है, क्योंकि । पुरा पेहाए - पहले देनाकर । परो - गृहस्थ । तस अट्ठाए - उस भिक्षु के लिए । असणं वा ४ - अन्ननादिक अतुविध आहार को । उवकरिज्ज वा - एकत्रित करेगा तथा । उवक्खडिज्ज वा - पकाएगा । अह - अथ । भिक्खूणं - भिक्षुओं को । पुव्वोवड्ड्ठा ४ - पूर्वोपदिष्ट प्रतिज्ञा हेतु कारण और उपदेश का भगवान ने प्रतिपादन किया है । ज - जो । तहपगारं - तथा प्रकार के । कुलाइं - कुलो में । पुव्वामेव - पहले ही । भत्ताए वा - भोजन के लिए अथवा । पाणाए वा - पानी के लिए । नो पविसिज्ज वा निक्खमिज्ज वा - न तो प्रवेश करे और न ही निकले किन्तु । से - वह भिक्षु । तमायाय - उन कुलो को जानकर । एगनमवक्कमिज्जा - एकान्त में चला जाए वहा जाकर । अणावयमसलोए - जहा पर न कोई आता-जाता हो और न देखता हो, ऐसे स्थान पर । चिट्ठिज्जा - ठहर जाए । से - वह भिक्षु । तस्थ - उस ग्रामादि में - जहा सम्बन्धी लोग रहते हैं । कालेण - भिक्षा के समय पर । अणुपविसिज्ज २ - उनके घरमें प्रवेश करे और निकले । तत्थियरेयरेह - वह स्वजन रहित अन्य । कुलेह - कुलो से । सामुदाणिय - सामुदायिक - बहुत से घरों की भिक्षा । एसियं - एषणीय अर्थात् उद्गमादि दोषों से रहित । वेसिय - केवल साधु वेष से प्राप्त अर्थात् उत्पादनादि दोषों से रहित । पिडवाय - पिडपात-भिक्षा की । एसित्ता - गवेषणा करके । आहार - आहार का । आहारिज्जा - भक्षण करे । सिया - कदाचित् । से परो - वह गृहस्थ । कालेण - साधु के भिक्षा के समय । अणुपविट्ठस्स - प्रवेश करने पर भी । आहाकम्मिय - आधाकर्मी । असण वा - आहार-पानी । उवकरिज्ज वा - एकत्रित करे अथवा । उवक्खडिज्ज वा - पकावे । तंचेगइओ - उसे देखकर कोई साधु । तुसीणीओ - मौन रहे । उवेहेज्जा - इस भावना से कि । आहज्जेव - जब यह मुझे लाकर देगा । पच्छाइक्खिस्सामि - मैं इसका प्रतिषेध कर दूंगा यदि साधु ऐसा करे तो ।

साइष्टाण सफाले—मातृस्थान—कपः क' स्पर्श होता है अतः । एव—इस प्रकार । नो क'िञ्जा—न करे किन्तु । से—वः । पुव्वामेव—पहले ही । आलीइज्जा—उपयोग पूर्वक देखे और विचार करे तदनन्तर कहे कि । आउसोति व'—आयुषान् । गृहस्थ (स्त्री हो तो) । भइणित्ति वा—हे भगिनि । हे वहिन । खलू—निश्चय ही । मे—मुझे । आहाकम्मिय—आधाकर्मिक । असणं वा—अशनादिक आहार । भुत्तए वा—भोगना—खाना अथवा । पायए वा—पीना । नो कप्पइ—नहीं कल्पता है । इसलिए तू । मा उवकरेहि—इमे एकत्र मत कर तथा । मा उवखडेहि—मत पका । से—वह । सेव वयतस्स—उसके इस प्रकार कटने पर भी । परो—यदि गृहस्थ । आहाकम्मियं—आधाकर्मिक । असणं वा—अशनादिक चतुर्विध आहार को । उवखडेविता—वना कर और । आहट्टु—लाकर साधु को । वलइज्जा—दे तो । तह पगारं—साधु इस प्रकार के । असण वा ४—आहार को । अफासुय०—अप्रामुक्त जानकर ग्रहण न करे ।

मूलार्थ—शारीरिक अस्वस्थता एव वाद्दक्य के कारण एक ही स्थान पर रहने वाले या ग्रामानुग्राम विहार करने वाले साधु या साध्वी के किमी गाव या राजधानी में, माता-पिता या स्वसुख आदि सम्बन्धिजन रहते हो या परिचित गृहपति, गृहपत्नी यावत् दास-दासी रहती हो तो इस प्रकार के कुलो में भिक्षाकाल से पूर्व आहार-पानी के लिए उनके घर में आए-जाए नहीं । केवली भगवान कहने हैं कि यह कर्म आने का मार्ग है । क्योंकि आहार के समय से पूर्व उसे अपने घर में आए हुए देखकर वह उसके लिए आधाकर्म आदि दाष युक्त आहार एकत्रित करेगा या पकाएगा । अतः भिक्षुओं को पूर्वोपादष्ट तार्थकर आदि का उपदेश है कि इस प्रकार के कुलो में भिक्षा के समय से पूर्व आहार-पानी के लिए आए-जाए नहीं, किन्तु वह साधु स्वजनादि के कुल को जानकर और जहा पर न कोई आता-जाता हो और न देखता हो, ऐसे एकान्त स्थान पर चला जाए । और जब भिक्षा का समय हो, तब ग्राम में प्रवेश करे और स्वजन आदि से निम्न कुलो में सामुदानिक रूप से निर्दोष आहार का अन्वेषण करे । यदि कभी वह गृहस्थ भिक्षा के समय प्रविष्ट हुए भिक्षु के लिए भी आधाकर्मों आहार एकत्रित कर रहा हो या पका रहा हो और उसे देख-

कर भो कोई साधु इस भाव से मौन रहता हो कि जब यह लेकर आया तब इसका प्रनिषेध कर दूंगा तो उसे मातृस्थान-माया का स्पर्श होता है। अतः साधु ऐसा न करे, अपितु वह देखते ही कह दे कि है आयुष्मन्! गृहस्थ! अथवा भगिनि! मुझे आधाकर्मिक आहार-पानी खाना और पीना नहीं कल्पता है, अतः मेरे लिए इसको एकत्रित न कर और न पका। उस भिक्षु के इस प्रकार कहने पर भी यदि वह गृहस्थ, आधाकर्म आहार को एकत्रित करता है या पकाना है, और उसे लाकर देता है तो इस प्रकार के आहार को अप्रासुक जानकर वह ग्रहण न करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में दो बातों का उल्लेख किया गया है— १—साधु आहार का समय होने से पहले अपने पारिवारिक व्यक्तियों के घरों में आहार को न जाए। क्योंकि उसे अपने यहां आया हुआ जानकर वे स्नेह एवं श्रद्धा-भक्ति वश सदोष आहार तैयार कर देगे। इस तरह साधु को पूर्वकर्म दोष लगेगा। २— यदि कोई गृहस्थ साधु के लिए आधाकर्मिक आहार बना रहा हो, तो उसे देखकर साधु को स्पष्ट कह देना चाहिए कि यह आहार मेरे लिए ग्राह्य नहीं है। यदि इस बात को जानते-देखते हुए भी साधु उस गृहस्थ को आधाकर्म आदि दोष युक्त आहार बनाने से नहीं रोकता है, तो वह माया का सेवन करता है। यदि साधु के इन्कार करने के बाद भी कोई आधाकर्म आहार बनाता रहे और वह सदोष आहार साधु को देने के लिए लाए तो साधु उसे ग्रहण न करे।

प्रस्तुत सूत्र में जो सम्बन्धियों के घर में जाने का निषेध किया है, उसका तात्पर्य इतना ही है कि यदि उनके घर में राग-स्नेह भाव के कारण आहार में दोष लगने की सम्भावना हो तो वहां साधु आहार को न जाए। क्योंकि आगम में परिवार वालों के यहां आहार को जाने एवं आहार-पानी लाने का निषेध नहीं किया है। आगम में बताया है कि स्थविरों की आशा से साधु सम्बन्धियों के घर पर भी भिक्षा के लिए जा सकता है॥

निष्कर्ष यह है कि साधु को १६ उद्गम के, १६ उत्पादन के और १० पण्य के ४२ दोष टाल कर आहार ग्रहण करना चाहिए और प्रासेपणा के ५ दोषों का त्याग

करके आहार करना चाहिए। इस तरह माधु को ४७ दोषों से दूर रहना चाहिए।

माधु को सभी दोषों से रहित निर्वीर्य आहार ग्रहण करना चाहिए, इसका उल्लेख करके अब सूत्रकार उत्सर्ग एवं अपत्राद में आहार ग्रहण करने की विधि का उल्लेख करते हुए कहते हैं—

मूलम्—सेभिक्खू वा० से जं० मंसं वा मच्छं वा भज्जि-
ज्जमाणं पेहाए तिल्लपूर्यं वा आएसाए उवक्खडिज्जमाणं-
पेहाए नो खद्धं २ उवसंकमित्तु ओभासिज्जा, नन्नत्थ गिलाण-
णीसाए ॥५१॥

छाया—स भिज्जुर्वा अथ यत्० मांसं वा मत्स्यं वा भज्यमानं (पच्य-
मान) प्रेक्ष्य तैलपूत वा आदेशाय-उपसंस्क्रियमाणं प्रेक्ष्य न शीघ्रं २ उपसक्रम्य
अवभाषेत (याचेत्) नान्यत्र ग्लान निश्रया ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू वा—साधु अथवा साध्वी गृहपति कुल में प्रवेश करने पर । से जं०—वह यह जाने कि । आएसाए—पाहुनो के लिए । मत्स वा—मांस । मच्छं वा—अथवा मत्स्य को । भज्जिज्जमाणं—पकाते हुए । पेहाए—देखकर । वा—अथवा । तिल्ल-
पूर्यं—तैल प्रदान अपूप (पूडे)—अर्थात् तैल के पूडे । उवक्खडिज्जमाणं—बनाते हुए । पेहाए—
देखकर । खद्धं २—अति शीघ्रता से । उवसंकमित्तु—पास जाकर । नो ओभासिज्जा—न
मागे । नन्नत्थ—इतना विशेष है । गिलाण णीसाए—रोगी के लिए माग सकता है ।

†१६ उद्गम और १० एषणा के दोषों का उल्लेख गीछे कर चुके हैं । प्रस्तुत प्रकरण में वृत्तिकार ने शेष दोषों का उल्लेख करते हुए लिखा है—

घाई, दूई, निमित्ते, आजीव, वणिमगे तिमिच्छा य ।
काहे, माणे, माया, लोभे य हवन्ति दस एए ।
पुट्ठि, पच्छा, संथव, विज्जा, मत्ते, अ चुण्ण, जोगे य ।
उपायणाज दोसा सोलममे मूलकम्मे य ॥

प्रासंपणा के ५ दोष—

सजोगणा, पमाणे, इगाले, धूम, कारणे चेत ।

—आचाराग वृत्ति ।

हुए हैं, तो फिर उसके लिए याचना करने को अपवाद मार्ग क्यों बताया गया ? वनस्पति तो साधु बिना कारण भी माग कर ला सकता है। इसका समाधान यह है कि अतिथि के लिए बनाए हुए पदार्थ उसके भोजन करने से पूर्व मांग कर लाना नहीं कल्पता इसलिए यह आदेश दिया गया है कि यदि बीमार के लिए उनकी आवश्यकता हो तो साधु अतिथि के भोजन करने के पूर्व भी उनकी याचना करके ला सकता है।

आहार के विषय में और बातों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा० अन्नयरं भोयणजायं पडिगाहिता
सुब्धिं सुब्धिं भुच्चा दुब्धिं दुब्धिं परिट्ठवेइ, माइट्ठाणं संपासे,
नो एवं करिज्जा । सुब्धिं वा दुब्धिं वा सब्बं भुजिज्जा, नो
किंचिवि परिट्ठविज्जा ॥५२॥

छाया—स भिक्षुर्वा अन्यतरद् भोजनजातं प्रतिगृह्य सुरभि २ भुक्त्वा
दुरभि २ परिष्ठापयति (परित्यजेत्) मातृस्थानं संस्पृशेत् न एवं कुर्यात् ।
सुरभि वा दुरभि वा सर्वं भुजीत न किंचिदपि परिष्ठापयेत् ।

पदार्थ—से—वह। भिक्षू वा०—साधु अथवा साध्वी गृहपति कुल में प्रवेश करने पर। अन्नयर—कोई एक साधु। भोयणजाय—भोजन को। पडिगाहिता—ग्रहण कर उसमें से। सुब्धि २—अच्छे २ पदार्थ। भुच्चा—खाकर। दुब्धि २—खराब या निकृष्ट पदार्थों को। परिट्ठवेइ—फैक देता है तो उसे। माइट्ठाण—मातृस्थान—माया का। संपासे—स्पर्श होता है अतः। एवं—साधु इस प्रकार। नो करिज्जा—न करे, किन्तु। सुब्धिं वा—सुगन्ध युक्त। दुब्धिं वा—दुर्गन्ध युक्त अर्थात् अच्छे-बुरे। सब्बं—सब तरह के भोजन को। भुजिज्जा—खा ले और। किंचिवि—किंचिन्मात्र भी। नो परिट्ठविज्जा—फैके नहीं।

मूलार्थ—गृहस्थ के घर में जाने पर कोई साधु या साध्वी वहा से भोजन लेकर, उसमें से अच्छा-अच्छा खाकर शेष रुक्ष आहार को बाहर फैंक दे तो उसे मातृस्थान (माया) का स्पर्श होता है। इसलिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, सुगन्धित या दुर्गन्धित जैसा भी आहार मिला है, साधु उसे समभाव पूर्वक खा ले, किन्तु उसमें से किंचिन्मात्र भी फैंके नहीं।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को रस (स्वाद) की आसक्ति के वश लिए हुए आहार में से अच्छे-अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ को ग्रहण करके, शेष अस्वादिष्ट पदार्थों को फेंक नहीं देना चाहिए। से सरम एव नीरस जैसा भी आहार उपलब्ध हुआ है, उसे अनासक्त एवं समभाव पूर्वक खा लेना चाहिए। क्योंकि साधु का आहार स्वाद के लिए नहीं, संयम का परिपालन करने के लिए होता है। अतः उसे लागू हुए आहार में स्वाद की दृष्टि से अच्छे-बुरे का भेद करके नहीं, बल्कि सबको समभाव पूर्वक, बिना स्वाद लिए खा लेना चाहिए।

अब पानी के विषय में वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा २ अन्नयरं पाणगजायं पडिगाहिता
पुष्पं २ आविइत्ता कसायं २ परिट्ठवेइ, माइट्ठाणां संफाम्भे,
नो एवं करिज्जा । पुष्पं पुष्पेइ वा कसायं कसाइ वा सव्वमेयं
भुंजिज्जा, नो किंचिवि परि० ॥५३॥

छाया—स भिक्षुर्वा २ अन्यतरत् पानकजातं प्रतिगृह्य पुष्पं २ आपीय
कषायं २ परिष्ठापयेत् मातृस्थानं सस्पृशेत् न एवं कुर्यात् । पुष्पं पुष्पमिति
वा कषायं कषाय इति वा सर्वमेतत् भुंजीत न किञ्चिदपि परिष्ठापयेत् ।

को फँक देता है तो उसे मातृस्थान—कपट का स्पर्श होता है। अतः वह ऐसा न करे, किन्तु वर्ण, गन्ध युक्त या वर्ण, गन्ध रहित जैसा भी जल उपलब्ध हो उसे समभाव पूर्वक पी ले, परन्तु उसमें से थोड़ा सा भी न फँके।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि कभी खट्टा या कषायला पानी आ गया हो तो मुनि उसे फँके नहीं। मधुर पानी के साथ उम पानी को भी पी ले। आहार की तरह पानी पीने में भी साधु अनासक्त भाव का त्याग न करे। दशवैकालिक सूत्र में भी इस सम्बन्ध में बताया गया है कि मधुर या खट्टा जैसा भी प्रासुक पानी आ जाए, साधु को बिना खेद के उसे पी लेना चाहिए॥

अब फिर से आहार के विषय का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

ॐ तहेवुच्चावय पाणं, अदुवा वार धोग्न ।
 ससेइम चाउलीदग अहुणाधोयं विवज्जए ॥
 ज जाणेज्ज चिराधोय, मइए दंसणेण वा ।
 पडि पुच्छिऊण सुच्चावा, ज च निस्सकिय भवे ॥
 अजीव पडिणयं नच्चा, पडिगाहिज्ज सजए ।
 अह सकिय भविज्जा, आसाइत्ताण रोअए ॥
 थोवसासायणट्ठाए, हत्थगम्मि दलाहि मे ।
 मा मे अच्चविल पूय, नाल तिण्ह विणित्तए ॥
 त च अच्चविलं पूई, नालं तिण्ह विणित्तए ।
 दित्तिअ पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस्स ॥
 त च हुज्ज अकामेणं; विमणेण पडिच्छिठय ।
 त अप्पणा न पिवे, नो वि अन्नस्स दावए ।
 एगतमवक्कमित्ता, अचित्त पडिलेहिया ।
 जय पडिहुविज्जा, परिट्ठप्प पडिक्कमे ॥

मूलम्—से भिक्खू वा० बहुपरियावन्नं भोयणजायं पडिगाहिता, बहवे साहम्मिया तत्थ वसंति संभोइया समणुन्ना अपरिहारिया, अदूरगया, तेसिं अणालोइय अणामंतिय परिट्ठवेइ माइट्ठाणं संफासे, नो एवं करिज्जा, से तमायाए तत्थ गच्छिज्जा २ से पुव्वामेव आलोइज्जा—आउसंतो समणा ! इमे मे असणे वा पाणे वा ४ बहुपरियावन्ने तं भुंजह णं, से सेवं वयंतं परो वइज्जा-आउसंतो समणा ! आहारमेयं असणां वा ४ जावइयं २ सरइ तावइयं २ भुक्खामो वा पाहामो वा, सव्वमेयं परिसडइ सव्वमेयं भुक्खामो वा पाहामो वा ॥५४॥

छाया—स भिक्षुर्वा० बहुपरियापन्नं भोजनजातं प्रतिगृह्य बहवः साधर्मिकाः तत्र वसन्ति सांभोगिका समनोज्ञा अपरिहारिका अदूरगताः तेषाम् अनालोच्य अनामन्त्र्य परिष्ठापयेत्, मातृस्थान सस्पृशेत्, नैवं कुर्यात्, स तदादाय तत्र गच्छेत् २ (गत्वा च) स पूर्वमेव, आलांचयेत्-आयुष्मन्तः श्रमणाः ! एतत् मम अशन वा पानं वा बहुपर्यापन्नं तद्भुङ्गध्वम्, तस्य चैवं वदतः परो वदेत्-आयुष्मन्तः श्रमणाः ! आहार एषः अशन वा ४ यावन्मात्रं शक्नुमः तावन्मात्रं भोक्ष्यामहे वा पास्यामो वा, सर्वमेतत् परिशटति सर्वमेतत् भोक्ष्यामहे वा पास्यामो वा ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू वा०—साधु अथवा साध्वी गृहपति कुल में प्रवेश करने पर । परियावन्न—प्राप्त हुए । बहु भोयणजाय—बहुत से भोजन को । पडिगाहिता—लेकर के अपने स्थान पर आए । यदि वह आहार अधिक हो तो साधु । तत्थ—उस ग्राम आदि में । बहवे—बहुत से । साहम्मिया—स्वधर्मी । संभोइया—सभोगी साधु । समणुन्ना—अपने समान आचार वाले जोकि । अपरिहारिया—त्यागने योग्य नहीं हैं अर्थात् शुद्ध आचार वाले हैं तथा । अदूरगया—अपने उपाश्रय में दूर नहीं हैं । वसति—निवास करते हो । तेसिं—उनको ।

अणालोड्या—बिना पूछे। अणामते—बिना निमन्त्रित किये यदि। परिठ्ठवेड—आहार को परठे-बाहर फेंक दे तो उमे। माड्डठाणं—मत् स्थान का। मंफासे—स्पर्श होता है। अतः। नो एव कण्ज्जा—वह इस प्रकार न करे किन्तु। से—वह भिक्षु। तमायाए—उस आहार को लेकर। तत्थ—वहा पर। गच्छिज्जा—जाए जहा सन्त ठहरे हुए है और वहा ज.कर। से—वह भिक्षु। पुव्वामेव—पहले। आलोड्ज्जा—उ हे उस आहार को दिखाए और दिखाकर इस प्रकार कहे। आउसतो समणा—आयुष्मन्त् श्रमणो। इमे—यह। असणे वा पाणे वा—आहार और पानी। से—मेरे प्रमाण से। बहु परिवावन्ने—बहुत अधिक है। त—इस आहारादि का। मुजह—आप भी उपभोग करें। सेव वयत—इस प्रकार कहते हुए उस साधु के प्रति। से परो—कोई दूसरा साधु। वड्ज्जा—बोले। आउसतो समणा—आयुष्मन्त् श्रमण। आहार-मेय—यह आहार। असणं चा ४—अशनादिक चतुर्विध। जावइय—यावन्मात्र—जितना। खइ—हमसे खाया जाएगा। तावइय २—तावन्मात्र—उतना। भुक्खामो वा—हम खाएंगे तथा। पाहामो वा—पीएंगे प्रथवा। सव्वमेयं—यदि यह सब। परिसड्डइ—खाया गया तो। सव्वमेय—यह सब। भुक्खामो वा—खा लेंगे। पाहामो व—और सब पी लेंगे।

मूलार्थ—साधु अथवा साध्वी गृहपति कुल में प्रवेश करने पर गृहस्थ के घर से बहुत सा अशनादिक आहार प्राप्त होने पर ग्रहण करके अपने स्थान पर आए। यदि वह आहार उससे खाया न गया हो तो वहा पर जो अन्य स्वधर्मी साधु रह रहे हो, जो साभागिक तथा समान आचार वाले हैं, और जो अपने उपाश्रय के समाप भी हैं, उनका बिना पूछे, बिना निमन्त्रित किए यदि उस शेष आहार को परठ-फेंक देता है तो उसे मातृस्थान का स्मरण होता है, अर्थात् माया का दोष लगता है। इस लिए वह ऐसा न करे, किन्तु वह भिक्षु उस आहार को लेकर वहा जावे और जाकर सर्वप्रथम उस आहार का दिखाए और दिखाकर इस प्रकार कहे—कि हे भाग्यशाली श्रमणा। यह अशनादिक चतुर्विध आहार मेरे खाने से बहुत अधिक है अतः आप इसे खाले। इसके इसप्रकार कहने पर किसी भिक्षु ने कहा— हे आयुष्मन्त् श्रमण। यह आहार हम जितना खा सकेंगे उतना खाने का प्रयत्न करेंगे। यदि हम पूरा आहार-पानो खा-पी सके तो सब खा-पी लेंगे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि साधु रोगी एवं बीमार आदि के लिए पर्याप्त आहार लेकर आए और वह आहार खाने के बाद कुछ बच गया है, तो साधु उक्त शहर में या समीपस्थ गांव आदि में स्थित सांभोगिक साधुओं को उस आहार को खाने के लिए प्रार्थना करे, किन्तु उन्हें दिखाए बिना परटे(फैके) नहीं। यदि वह समीपस्थ स्थान में स्थित साधुओं का दिखाए बिना उस बड़े हुए आहार को बाहर फैकता है, तो वह प्रायश्चित्त का अधिकारी होता है। अतः साधु का कर्तव्य है कि वह अपने निकट प्रदेश में स्थित सहधर्मी एवं सांभोगिक साधुओं के पास जाकर उन्हें प्रार्थना करे कि हमारे खाने के बाद कुछ आहार बच गया है, अतः आप इसे ग्रहण करने की कृपा करें, और आप थोड़ा या पूरा जितना भो खा सकें, खाने का प्रयत्न करें।

इससे स्पष्ट होता है कि बड़ा हुआ आहार समान धर्मी, समान आचार-विचार वाले या सांभोगिक साधु को ही देने का विधान है। दूसरी बात यह है कि उस युग में बड़े-बड़े शहर होते थे, अतः एक ही शहर में कई स्थानों पर साधु आकर ठहर जाते थे। या थोड़ी-थोड़ी दूर पर गांव होते थे, जिनमें साधु ठहरा करते थे और वे गांव आहार-पानी लाने-ले जाने की मर्यादा में होते थे। तीसरी बात यह है कि साधुकी भाषा निश्चल एवं स्पष्ट होती है। वह अन्य साधु के पास जाकर ऐसा नहीं कहता कि मैं आपके लिए अच्छा आहार लेकर आया हूँ। वह तो स्पष्ट कहता है कि मैं अपने या अपने साथ के साधुओं के लिए आहार लाया था, उसमें से इतना आहार बच गया है। अतः कृपा करके इसे ग्रहण करे और लेने वाले साधु भी बिना किसी भेदभाव के स्नेह एवं सहभावना के साथ तथा जीवों की यतना के लिए उसे ग्रहण करते हैं और उस आए हुए श्रमण से कहते हैं कि हम जितना खा सकेंगे उतना खाने का प्रयत्न करेंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि साधु जीवन कितना स्पष्ट, सरल एवं मधुर है।

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा से जं० असणां वा ४ परं समुद्दिस्स
वहिया नीहडं जं परेहिं असमणुन्नायं अणिसिट्ठं अफा० जाव नो
पडिगाहिज्जा जं परेहिं समणुन्नायं सम्मं णिसिट्ठं फासुयं जाव

पडिगाहिज्जा, एव खलु तस्स भिक्खुस्स भिक्खुणीए वा
सामग्गियं ॥५५॥

ज्ञाया—स भिक्षुर्वा २ स यद् अशनं वा ४ पर समुद्दिश्य वहिनिष्क्रान्तं यत् परैः असमनुज्ञातं, अनिसृष्टं, अप्रासुकं यावत् न प्रतिगृहणीयात् । यत् परैः समनुज्ञातं सम्यग् निसृष्टं प्रासुकं यावत् प्रतिगृहणीयात् । एव खलु तस्य भिक्षोर्भिक्षुण्या वा सामग्र्यम् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू वा २—साधु अथवा साध्वी । से जं—जो फिर इस प्रकार जाने यथा । असणं वा ४—अशनादिक चतुर्विध आहारः । परं—अन्य भाट आदि को । समुद्दिस्स—उद्देश करके—उनके निमित्त । वहिया—वाहर । नीहडं—देने के लिए निकाला है । ज—जिसकी । परेहं—गृहस्थो ने । असमणुन्नायं—आज्ञा नहीं दी है अर्थात् तुम जहा चाहो और जिसको चाहो दे सता हो, ऐसा नहीं कहा । अणिसिट्ठं—उस आहार को अभी तक उसे पूरी तरह समर्पित नहीं किया है । ऐसा आहार देने के लिए ले जाया जा रहा हो और यदि माग मे साधु मिल जाए और उसे उस आहार को ग्रहण करने की अभ्यर्थना की जाये तो । अफासुय—उस आहार को अप्रासुक जानकर । जाव—यावत् मिलने पर भी । नो पडिगाहिज्जा—ग्रहण न करे तथा । जं—जिस के लिए । परेहं—गृहस्थो ने । समणुन्नायं—आज्ञा दे दी है और जो । सम्मं—भली प्रकार से । निसिट्ठं—उनके स्वाधीन किया गया है तब वह आहार जिस के अधिकार मे है वह यदि साधु को आहार ग्रहण करने की विनती करे तो साधु उस आहार को । फासुय—प्रासुक जानकर । जाव—यावत्—मिलने पर । पाडगाहिज्जा—ग्रहण करले । एव—इस प्रकार । खलु—निश्चय ही । तस्स—उस । भिक्खुस्स—साधु । भिक्खुणीए वा—या साध्वी का । सामग्गियं—समग्र-ममूर्ण साधु भाव है ।

मूनार्थ—गृहस्थो के घर मे भिक्षार्थं प्रविष्ट साधु या साध्वी भाट आदि के निमित्त बनाया गया जो अशनादिक चतुर्विध आहार घर से देने के लिए निकाला गया है, परन्तु, गृहपति ने अभी तक उस आहार को उन्हें ले जाने के लिए नहीं कहा है, और उनके स्वाधीन नहो किया है, ऐसी स्थिति मे यदि कोई व्यक्ति उस आहार को साधु को विनति करे तो वह उसे अप्रासुक जानकर स्वीकार न करे । और यदि गृहपति आदि ने उन

भाटादि को वह भोजन सम्यक् प्रकार से समर्पित कर दिया है और कह दिया है कि तुम जिसे चाहो दे सकते हो। ऐसी स्थिति में वह साधु को विनति करे तो साधु उसे प्रासुक जानकर ग्रहण करले। यही साधु या साध्वी का समग्र आचार है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि किसी गृहस्थ ने भाट या अन्य किसी के लिए अशन आदि चार प्रकार का भोजन बनाया है, किन्तु अभी तक न तो उसे दिया गया है, न उसके अधिकार में किया गया है और न उसे यह कहा गया है कि इस आहार को तुम जिसे चाहो दे सकते हो, ऐसी स्थिति में यदि कभी वह उस आहार के लिए साधु को प्रार्थना करे तो साधु उस आहार को अप्रासुक-अकल्पनीय समझ कर ग्रहण न करे। क्योंकि, वह आहार देने वाले व्यक्ति के अधिकार में नहीं है, अतः हो सकता है कि साधु को देते हुए देखकर गृहस्थ के मन में भाट या साधुके प्रति दुर्भाव या आवेश आ जाए। या वह भाट को देने के लिए फिर से भोजन बनाए। इससे कई तरह के दोष लगने की सम्भावना है। अतः साधु को ऐसा आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए।

यदि वह आहार भाट आदि के अधिकार में हो गया है तो अब वह इस बात के लिए स्वतन्त्र है कि उक्त आहार को चाहे जिसे दे। ऐसी स्थिति में यदि वह साधु को आहार के लिए विनति करता है, तो साधु उसे ग्रहण कर सकता है।

॥ नवम उद्देशक समाप्त ॥

प्रथम अध्यायन पिण्डेषणा

दशम उद्देशक

नवम उद्देशक में यह बताया गया है कि साधु को किस तरह से आहार ग्रहण करना चाहिए। अब प्रस्तुत उद्देशक में इस बात को स्पष्ट करते हुए कि यदि साधारण आहार उपलब्ध हो तो स्थान पर आने के पश्चात् साधु को क्या करना चाहिए, सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से एगइत्रो साधारणं वा पिंडवायं पडिगाह्तिता
ते साहम्मिण अणापुच्छिता जस्स जस्स इच्छइ तस्स तस्स
खद्धं खद्धं दलइ, माइट्ठाणं संफासे, नो एवं करिज्जा । से
तमायाय तत्थ गच्छिज्जा २ एवं वइज्जा--आउसंतो समणा !
संति मम पुरेसंथुया वा पच्छा० तंजहा--आयरिण वा १ उवज्भाए
वा २ पवित्ती वा ३ थेरे वा ४ गणी वा ५ गणहरे वा ६
गणावच्छेइए वा ७ अवियाइं एएसिं खद्धं खद्धं दाहामि, सेणेवं
वयंतं परो वइज्जा-कामं खलु आउसो ! अहापज्जत्तं निसिराहि,
जावइयं २ परो वदइ तावइयं २ निसिरिज्जा, सव्वमेवं परो
वयइ सव्वमेयं निसिरिज्जा ॥५६॥

छाया—स एककः साधारणं वा पिण्डपात प्रतिगृह्य तान्साधर्मिकान्
अनापृच्छ्य यस्मै यस्मै इच्छति तस्मै तस्मै प्रभूत प्रभूतं प्रयच्छति, मातृ-
स्थान सक्षृणोत् । नैव कुर्यात् स तदादाय तत्र गच्छेत् २ (श्रुत्वा) चैवं वदेत्

आयुष्मन्तः श्रमणाः ! मन्ति मम पुगः संस्तुता वा पश्चात्० तद्यथा-आचार्यो
वा १ उपाध्यायो वा २ प्रवृत्ति० (प्रवर्चकः) वा ३ स्थविरो वा ४ गणी वा ५
गणधरो वा ६ गणावच्छेदको वा ७ अपि च, एताम् एतेभ्यः प्रभूत प्रभूतं दास्या-
मि, तस्यैवं वदन्तः परो वदेत्-- कामं खलु आयुष्मन् ! यथा प्राप्तं निमृज
यात् २ परो वदेत् तावत् २ निसृजेत् सर्वमेतन् परो वदेत् सर्वमेतन्निसृजेत्
(दद्यात्) ।

पदार्थ—से—वह—भिक्षु । एगद्ग्रो—कभी । साहारणं—मन के लिए । वा—
अथवा । पिडवायं—आहार को । पडिगाहिन्ता—ग्रहण करके । ते—उन । साहम्मिए—
नावमिन्को को । अणापुच्छित्ता—पूछे बिना । जस्त जस्त—जिन-जिन को । इच्छड—उम
आहार की आवश्यकता है । तस्त तस्त—उम-उम के लिए । खड्ड खड्ड—अधिक ने अधिक
बलइ—आहार दे देता है. तो । माइठ्ठाणं—माया के म्यान को । सफासे—स्वर्ग करता
है अतः । एवं—इस प्रकार । नो—नहीं । करेज्जा—करे किन्तु । से—वह-भिक्षु । त—उन
आहार को । आयाय—नेकर । तस्य—वहा—गुरुजनादि के पान । गच्छिज्जा—जाए और
वहां जाकर । एव—इस प्रकार । वड्ज्जा—कहे कि । आउसतो—हैं आयुष्मन् ! समणा—
श्रमणो । मम—मेरे । पुरे मंथुया—पूर्व परिचित अर्थान् जिनके पान दीजा ग्रहण की है ।
वा → और । पच्छा सयुया—पश्चान् परिचित अर्थान् जिनके पान मूत्र आदि का अध्ययन किया
है । तजहा—जैम कि । आयरिए वा—आचार्य । उवज्जाए वा—उपाध्याय । पविस्ती वा—
नावुग्रो को यथा योग्य वैयावृत्त आदि में नियुक्त करने वाले प्रवर्चक । थेरे वा—धर्म ने भ्रष्ट
होने वाले नावुग्रो को तथा श्रावको को पुनः धर्म में स्थिर करने वाले स्थविर । गणी वा—
गण समूह का व्यवस्था करने वाले गणि । गणहरे वा—गुरुजनो की आज्ञा ने आचार्य रूप में
नावुग्रो को लेकर स्वन्त्र रूप से विहार करने वाले गणधर और । गणावच्छेइए वा—गच्छ
के कार्यों की चिन्ता-देखभाल करने वाले गणावच्छेदक । अविपाइं—इत्यादि को कहे कि आप
की आज्ञा हो तो । एण्णि—इन नावुग्रो को । खड्डं खड्डं—पर्याप्त आहार । दाहामि—दूँ ?
से णवं—उमके इस प्रकार । वयतं—बोलने पर । परो—आचार्यादि । वड्ज्जा—कहे कि ।
आउसो—हैं आयुष्मन् ! श्रमण ! कामं खलु—तू अपनी इच्छानुसार । अहापज्जस्त—यथापर्याप्त ।
निसिराहि—दे ? जावइयं २—जिनना-जिनना । परो—आचार्यादि गुरुजन । वड्ड—कहे ।
तावइयं २—उतना-उतना आहार उन्हें । निनिरिज्जा—दे देवे यदि । परो—आचार्य ।
वड्ज्जा—कहे कि । सव्वमेयं—नभी पदार्थ दे दे तो । मव्वमेयं—नभी पदार्थ । निनि-
रिज्जा—दे दे ।

मूलार्थ—कोई भिक्षु गृहस्थ के यहा से सम्मिलित आहार को लेकर अपने स्थान पर आता है और अपने साधर्मियों को पूछे बिना जिस जिस को जो रुचता है उस उस के लिए वह दे देता है तो ऐसा करने से वह मायास्थान का सेवन करता है । अतः साधु को ऐसा नहो करना चाहिए परन्तु, उसे यह चाहिए कि उपलब्ध आहार को लेकर जहां अपने गुरु जनादि हो जैसे कि--आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्त्तक स्थविर, गणी, गणवर और गणावच्छेदक आदि, वहा जाए और उनसे प्रार्थना करे कि हे गुरुदेव ! मेरे पूर्व और पश्चात् परिचय वाले दोनो ही भिक्षु यहा उपस्थित है यदि आपको आज्ञा हो तो मैं इन उपस्थित सभी साधुप्रो को आहार दे दू ? उस भिक्षु के ऐसा कहने पर आचार्य कहे कि— आयुष्मन् श्रमण ! जिस साधु को जैसी इच्छा हो, उसी के अनुसार उमे पर्याप्त आहार दे दो । आचार्य की आज्ञानुसार सबको यथोचित बाट कर दे देवे । यदि आचार्य कहें कि जो कुछ लाए हो, सभी दे दो, तो बिना किसी संकोच के सभी आहार उन्ह दे दे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि कोई मुनि अपने सांभोगिक साधुओं का आहार लेकर आया है, तो उसे पहले आचार्य आदि की आज्ञा लेनी चाहिए कि मैं यह आहार लाया हूं, आपकी आज्ञा हो तो सभी साधुओं में विभक्त कर दूं । उसके प्रार्थना करने पर आचार्य आदि जो आज्ञा प्रदान करें उसके अनुसार कार्य करना चाहिए । इससे स्पष्ट होता है कि साधु को संघ की व्यवस्था करने वाले आचार्य आदि प्रमुख मुनियों की आज्ञा लेकर ही साधु जीवन की प्रत्येक क्रिया में प्रवृत्त होना चाहिए ।

आचार्य अभयदेव सूरि ने सात पदवियों का निम्न अर्थ किया है—

१—आचार्य— प्रतिबोधक प्रनाजकादि, अनुयोगाचार्यो वा ।

२—उपाध्याय :— सूत्रदाता ।

३—प्रवर्त्तक— प्रवर्त्तयति साधूनाचार्योपदिष्टेषु वैयावृत्यादिष्विति प्रवर्त्ता ।

४—स्थविर — प्रवर्तिव्यापारितान् साधून् संयमरोगेषु सीदतः स्थिरीकरोतीति स्थविरः ।

५—गणी — गणोऽस्यानीति गणी—गणाचार्य ।

६—गणधरः — गणधरो—जिनशिष्य विशेषः ।

७—गणावच्छेदकः — गणस्यावच्छेदो — विभागोऽशोऽस्यास्तीति योहि-
गणाश गुहीत्वा गच्छोपष्टम्भायैत्रोपविमार्गणादि निमित्त विहरति स
गणावच्छेदकः ।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि उक्त सातों उपाधियां गण की, संघ की सुरक्षा एव
सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए रखी गई हैं । इनमें गणावच्छेदक का कार्य साधुओं की
उपधि आदि की आवश्यकता को पूरा करना है । जबकि आचाराङ्ग सूत्र के वृत्तिकार
आचार्य शीलांक ने गणावच्छेदक को गण, गच्छ या संघ का चिन्तक बताया है* ।
परन्तु, आचार्य अभयदेव सूरि ने जो अर्थ किया है, वह दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र में वर्णित
आठ गणि संपदाओं से सबन्ध रखता है ।

प्रस्तुत सूत्र में 'पुरे संथुवा' और 'पच्छा सथुवा' शब्द का प्रयोग किया गया है ।
इसका तात्पर्य दीक्षाचार्य एवं वाचनाचार्य से है । उक्त सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि
दीक्षाचार्य एवं वाचनाचार्य (आगम का ज्ञान कराने वाले) अलग-अलग होते थे ।

प्रस्तुत सूत्र में साधु के वात्सल्य भाव का वर्णन किया गया है और साथ में यह
भी स्पष्ट कर दिया है कि उसे प्रत्येक कार्य आचार्य आदि की आज्ञा से करना चाहिए ।
उन्हें बिना बताए या उन्हें बिना पूछे न स्वयं आहार करना चाहिए एवं न अन्य साधुओं
को देना चाहिए । से आहार आदि कार्यों में माया, छल, कपट आदि का परित्याग करके
सरल भाव से साधना में संलग्न रहना चाहिए ।

साधु को माया-रूप से सदा दूर रहना चाहिए इसे स्पष्ट करते हुए सूत्रकार
कहते हैं —

मूलम्—से एगइत्रो मणुन्नं भोयणजायं पडिगाहिता पंते-
ण भोयणेन पलिच्छाएइ मा मेयं दाइयं संतं दट्ठूणं सयमाइए
आयरिए वा जाव गणावच्छेए वा, नो खलु मे कस्सइ किंचि
दायव्वं सिया, माइट्ठाणं संफासे, नो एवं करिज्जा । से तमा-

याए तत्थ गच्छिज्जा २ पुव्वामेव उताणए हत्थे पडिग्गहं कट्टु
इमं खलु इम खलुत्ति आलोइज्जा, नो किंचिवि निगूहिज्जा ।
से एगइओ अन्नयरं भोयणजायं पडिगाहिता भइयं २ भुच्चा
विवन्नं विरसमाहरइ माइ० नो एवं ॥५७॥

छाया— स एकतरः मनोज्ञं भोजनजात प्रतिगृह्य प्रान्तेन भोजनेन
प्रतिच्छादयेत् ममेद दर्शिति मन् दृष्ट्वा स्वयं आदद्यात् आचार्यः वा यावन्
गणावच्छेदकः वा नो खलु मे कस्यापि किंचिद् दातव्यं स्यात्, मातृस्थानं सस्पृ-
शेत्, नो एवं कुर्यात् । म तमादाय तत्र गच्छेन् गत्वा पूर्वमेव उत्तानके हस्ते
प्रतिग्रहं कृत्वा इदं खलु इदं खलु इति आलोचयेत् दर्शयेत्, न किंचिदपि
निगूहयेत् । स एकतरः अन्यतरद् भोजनजात प्रतिगृह्य भद्रकं भद्रकं भुक्तम्
विवर्णं विरसमाहरति, मातृस्थानं सस्पृशेत् न एव कुर्यात् ।

पदार्थ — से — वह । एगइओ — कोई एक भिक्षु । भणुन्न — मनोज्ञ । भोयणजायं —
भोजन को । पडिगाहिता — ग्रहण करके । पंतेण भोयणेण — नीरस भोजन से । परिच्छइ —
आच्छादित करे । मा — मत । मेयं — यह आहार । दाइम सत — दिखाने पर, फिर । दट्ठणं
देखकर । सयमाइए — स्वयं ही ले ले । अ यरिए — आचार्य । वा — अथवा । जाव — यावत् ।
गणावच्छेयए — गणावच्छेदक । खलु — निश्चय ही । मे — मेरे को । कत्सइ — किसी भी भोजन
वा । किंचि — कुछ भी भाग । नो — नहीं । दायव्व सिया — दे । ऐसा करने से भिक्षु ।
माइठान — मातृस्थान का । सपासे — स्पर्श करता है अतः वह । एव — इस प्रकार । नो
करिज्जा — न करे । से — वह-भिक्षु । तं — उस आहार को । आयाए — लेकर । तत्थ — जहां
आचार्य अदि गुरुजन हो वहां । गच्छिज्जा — जाए और वहां जाकर । पुव्वामेव — पहले ही ।
उताणए — पसारे हुए । हत्थे — हाथ में । पडिग्गह — पात्र को । कट्टु — करके । इमं खलु-
इमं खलुत्ति — यह पदार्थ यह है और यह पदार्थ यह है — इस प्रकार एक-एक करके सब पदार्थ ।
आलोइज्जा — दिखलावे । किंचिवि — किंचिन्मात्र भी । नो निगूहिज्जा — छिपावे नहीं ।
से — वह । एगइओ — कोई एक भिक्षु । अन्नयरं भोयण जायं — अन्य किसी प्रकार का भी भोजन ।
पडिगाहिता — ग्रहण करके और गृहस्थ क वही । भइयं भइयं — अच्छा अच्छा भोजन । भुच्चा-
खाकर के । विरसं विरसं — बचा हुआ विरस और निकृष्ट भोजन । आहरइ — निवास स्थान

पर आचार्यादि के पास लाता है, ऐसा करने से । माइट्ठणं—मातृ स्थान का । संफासे—
सेवन करता है अतः भिक्षु को । एवं—इस प्रकार । नो—नहीं । करिज्जा—करना चाहिए ।

मूलार्थ—यदि कोई मुनि भिक्षा में प्राप्त सरस, स्वादिष्ट आहार को आचार्य आदि न ले लेवे इस दृष्टि से उसे रूखे-मूखे आहार से छिपा कर रखता है, तो वह माया का सेवन करता है । अतः साधु को सरस एवं स्वादिष्ट आहार के लोभ में आकर ऐसा छल-कपट नहीं करना चाहिए । जैसा भी आहार प्राप्त हुआ हो उसे ज्यो का त्यो लाकर आचार्य आदि के सामने रख दे और भोलो एवं पात्र को हाथ में ऊपर उठाकर एक-एक पदार्थ को बता दे कि मुझे अमुक-अमुक पदार्थ प्राप्त हुए हैं । इस तरह साधु को थोड़ा भी आहार छिपाकर नहीं रखना चाहिए ।

यदि कोई साधु गृहस्थ के घर पर ही प्राप्त पदार्थों में से अच्छे-अच्छे पदार्थों को उदरस्थ करके बचे-खुचं पदार्थ आचार्य आदि के पास लेकर आता है, तो वह भी माया का सेवन करता है । अतः साधु को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में साधु जीवन की मरलता एवं स्पष्टता का दिग्दर्शन कराया गया है । इसमें बताया गया है कि साधु को अपने स्वादेन्द्रिय का परिपोषण करने के लिए सरस को न तो नीरस आहार से छुपाकर रखना चाहिए और न उसे गृहस्थ के घर में या मार्ग में ही उदरस्थ कर लेना चाहिए । साधु को चाहिए कि उसे गृहस्थ के घरों से जो भी आहार उपलब्ध हुआ है, उसमें किसी तरह की आसक्ति नहीं रखते हुए अपने अपने स्थान पर ले आए और आहार के पात्र को अपने हाथ में ऊपर उठाकर आचार्य आदि से निवेदन करे कि मुझे भिक्षा में ये पदार्थ प्राप्त हुए हैं । परन्तु, उसे उसमें से थोड़ा सा भी छुपाना नहीं चाहिए । आगम में यह भी कहा गया है कि जो साधु प्राप्त पदार्थों का सबसे समान भाग नहीं देता है तो वह मुक्ति नहीं पा सकता । अतः साधु को चाहिए कि वह बिना किसी सकोच एवं बिना किसी तरह की स्वाद-लोलुपता को रखते हुए सब सांभोगिक साधुओं में सम विभाजन करके आहार करे ।

परन्तु, ऐसा न करे कि अच्छे-अच्छे पदार्थ स्वयं खा ले और बचे-खुचे पदार्थ अन्य साधुओं को देवे ।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'मगुन्न' और 'पतेण' पदों से सामूहिक आहार की परम्परा सिद्ध होती है । क्योंकि विविध प्रकार के सरस आहार की प्राप्ति अनक घरों से ही हो सकती है । और अनेक घरों में कई साधुओं के लिए ही घूमा जाता है । केवल एक साधु के लिए एक-दो घर ही पर्याप्त होते हैं । इस तरह इस सूत्र से सामूहिक गोचरी का स्पष्ट निर्देशन मिलता है ।

इस सूत्र में यह भी बताया गया है कि साधु को गदा मरल एवं स्पष्ट भाव रखना चाहिए । उसे अपने स्वाद एवं स्वार्थ के लिए किसी भी वस्तु को छुपाकर नहीं रखना चाहिए और गुरु एवं आचार्य आदि के सामने सभी पदार्थ इस तरह रखने चाहिए कि वे आसानी से सभी पदार्थों को देख सकें । न तो उन्हें देखने में कोई कष्ट हो और न कोई पदार्थ उनकी दृष्टि से ओझल रह सके ।

इस सूत्र से विशेष कारण होने पर गृहस्थ के घर में आहार करने की ध्वनि भी प्रस्फुटित होती है । यह ठीक है कि उस समय वह इतनी ईमानदारी एवं प्रामाणिकता रखे कि वह स्वयं ही सभी सरस पदार्थ न खा जाए । उस समय उस पर अपनी प्रामाणिकता को निभाने का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ जाता है । परन्तु, विशेष परिस्थिति में गृहस्थ के घर में खाने का पूर्णतया निषेध नहीं है । आगम में इसकी आज्ञा भी दी गई है ॥

साधु को किस तरह का आहार ग्रहण करना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० से जं० अंतरुच्छियं वा उच्छुगंडियं

ॐ सिया एगइओ लद्ध, विविह पाणभोयण ।
महग—महग भुच्चा, विवन्न विरसमाहरे ॥
जाणत्ता इमे समण, आयय्ही अय मुणी ।
सतुट्ठी सेवए पत, लूहवित्ती मतोसओ ॥
पूणट्ठा जसोकामी, माण समाण कामए ।
वह पसधड पाव, मायासल्ल च कुव्वइ ॥

वा उच्छुचोयगं वा उच्छुमेरंग वा उच्छुसालगं वा. उच्छुडालगं
 वा, सिबलिं वा सिबलथालगं वा अस्सि खलु पडिग्गहियंसि
 अप्पे भोयणाजाए बहुउज्झिक्कपयम्मिए तहप्पगारं अंतरुच्छुयं वा०
 अफा० ॥ से भिक्खू वा २ से जं० बहुअट्ठियं वा मंसं वा
 मच्छं वा बहुकंटयं अस्सि खलु० तहप्पगारं बहुअट्ठियं वा
 मंसं० लाभे संते० । से भिक्खू वा० सिया णं परो बहुअट्ठिण्ण-
 मंसेण वा बहुकंटण्ण मच्छेण वा उवनिमंतिज्जा आउसंतो
 समणा ! अभिक्खसि बहुअट्ठियं मंसं० पडिगाहित्तए ?
 एयप्पगारं निग्घोसं सुच्चा निमम्म से पुव्वामेव आलोइज्जा--
 आउसोत्ति वा २ नो खलु मे कप्पइ बहु० पडिगा०, अभिक्खसि
 मे दाउं जावइयं तावइयं पोग्गलं दलयाहि, मा य अट्ठियाइं, से
 सेवंवयंतस्स परो अभिहट्ठु अंतो पडिग्गहंसि बहु० परिभाइत्ता
 निहट्ठु दलइज्जा, तहप्पगारं पडिग्गहं परहत्थंसिवा परपायंसि वा
 अफा० नो । से आहच्च पडिगाहिए सिया तं नोहित्ति वइज्जा नो
 अण्हित्ति वइज्जा, से तमायाय एगंतमवक्कमिज्जा २ अहे आरामंसि
 वा अहे उवस्सयंसि वा अप्पंडे जाव संताण्ण मंसगं मच्छगं भुच्चा
 अट्ठियाइं कंटए गहाय से तमायाय एगंतमवक्कमिज्जा २ अहे-
 ज्झामशंडिल्लसि वा जाव पमज्जिय पमज्जिय परट्ठविज्जा ॥५८॥

छाया—स भिक्षुः वा स यत्० अन्तर्गिच्छुक वा इक्षुगंडिका वा इक्षुचोयग वा इक्षुमेरुक वा इक्षुशालक वा इक्षुडालक वा सिबर्लि वा मिबलस्थालकं वा अस्मिन् खलु प्रतिग्रहे अल्पे भोजन जाते बहुजिम्मा धर्मके तथाप्रकार अन्तर्गिक्षुक वा अप्रासुकं यावत् नो प्रतिगृह्णीयात् । स भिक्षुः वा० स यत्० बह्वस्थिकं मांसं वा मत्स्यं वा बहुकण्टक अस्मिन् खलु० तथाप्रकार बह्वस्थिकेन वा मांसं लाभेसति यावत् न प्रतिगृह्णीयात् । स भिक्षुः वा० स्यात् परः बहवा-स्थिकेन मांसेन वा मत्स्यकेन वा उा निमन्त्रयेत् आयुष्मन्तः श्रमणा । अभिकाक्षसि बह्वस्थिकं मांसं प्रतिग्रहीतुम् ? एतत्प्रकारं निर्घोष श्रुत्वा निशम्य स पूर्वमेव आलोचयेत्—आयुष्मन् इति वा २ नो मे खलु कल्पते बहवस्थिक मांसं प्रतिग्रहीतुम् । अभिकाक्षसि मे दातुं यावतिकं तावतिकं पुद्गलं देहि, मा च अस्थिकानि, तस्य एवं वदतः परः अभ्याहृत्य अन्तः प्रतिग्रहे बहु० परि-भाज्य निहृत्य दद्यात्, तथाप्रकारं प्रतिग्रहं परहस्ते वा पर पात्रे वा अप्रासुकं नो प्रतिगृह्णीयात् । स आहृत्य प्रतिग्राहितः स्यात् त नो ही इति वदेत् नो अही इति वदेत् म तमादाय एकान्तमपक्रामेत् अपक्रम्य अथ आरामे वा अथ उपाश्रये वा अल्पाडे यावत् अल्प सन्तानक मास मत्स्यकं भुक्त्वा अस्थिकानि कण्टकान् गृहीत्वा स तमादाय एकान्तमपक्रामेत् अपक्रम्य अथ ज्जामस्थंडिले वा प्रमृज्य प्रमृज्य परिष्ठापयेत् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू—भिक्षु । वा—अथवा भिक्षुणी गृहस्थ के घर मे गया हुआ । से जं०—फिर वह ग्राह्य पदार्थ को जाने, जैसेकि—अंतरुच्छिवं वा—इक्षुका छिला हुआ पर्व का मध्य भाग अथवा । उच्छुगंडियं वा—छिला हुआ इक्षुखण्ड । उच्छुचोयगं वा—अथवा इक्षु के पीने जाने पर जो निःसार छिलके रहजाते हैं वे । उच्छुमेरग वा—अथवा इक्षु का छिला हुआ अग्रभाग । उच्छुशालकं वा—अथवा इक्षु की छिली हुई शाखा । उच्छुडालक वा । अथवा छिली हुई इक्षु शाखा का एक भाग । सिबर्लि वा—अथवा मूंग आदि की किसी भी प्रयोग से प्रासुक हुई अचित्त फलिया, अथवा । सिबल थालकं वा—बल्ली आदि की अग्नि प्रयोग से अचित्त हुई फलिया । खलु—वाक्यालंकार मे है । अस्सि पडिग्गहियसि—इस प्रकार का आहार गृहस्थ के पात्र मे पडा हुआ है । अप्पेसिया भोयणजाए—जिस में भोजन योग्य अन्न अलग है और । बहुज्जिम्भय धम्मिए—परठने-फँकने योग्य अंश अधिक है । तहप्पमारं—तथाप्रकार के । अतरुच्छुयं वा—छिला हुआ इक्षु पर्व का मध्य भाग आदि मिलने पर । अफा०—

माधु उमे अप्रागुरु जान कर ग्रहण न करे । से भिक्षू वा २—बह माधु अथवा साध्वी गृहपति के घर मे गया हुआ । से ज०—बह आहार को जाने जैसे कि—बहु अट्ठियं वा मसं—बहुत अस्थिवाला मास अर्थात् जिम वनस्पति के फलों मे गुठलिया अधिक हो श्रीर गूदा कम हो अथवा । मच्छया बहु कटय—मत्स्य नामक वनस्पति, जिमके फल मे काटे विशेष होते है । अस्ति खलु०—इम प्रकार का आहार गृहस्थ के पात्र मे है तथा । तहृत्पगार—तथा प्रकार का । बहुअट्ठियं वा मस—बहुत अस्थि वाला मास अर्थात् बहुत गुठली वाला गूदा श्रीर बहुत काटी वाला अचितफल । लभे सते—मिलने पर अरुलपनीय जान कर ग्रहण न करे ।

से भिक्षू वा०—वह भिक्षु अथवा भिक्षुकी गृहस्थ के घर मे गया हुआ । णं—वाप्यालकार मे है । सिषा—कदाचित् । बहुअट्ठिएणमसेण वा—बहुत गुठलियो वाले गूदे मे श्रीर । मच्छेग वा—बहुत काटी वाली मत्स्य नामक वनस्पति के फलो से । उवनि—मतिज्जा—उपनिमथित करे कि । आउसतो समणा ! हे आयुष्मन् भ्रमणो ! बहुअट्ठियमसं—बहुत अस्थियो वाले गूदे को । पडिगहित्तए—ग्रहण करना । अभिक्खसि—चाहते हो ? एत्पगारं—इस प्रकार के । निग्घोस—निर्घोष-शब्द को । सुच्चा—सुन कर श्रीर । निसम्म—हृदय मे विचार कर । से—वह भिक्षु । पुव्वामेव—पहले ही । आलोएज्जा—देखे श्रीर गृहस्थ के प्रति कहे कि । आउसोत्ति वा०—हे आयुष्मन् गृहपते ! या वहन ! । खलु—निश्चय ही । मे—मुझे । बहुअट्ठियं वा मसं—बहुत गुठलियो वाला गूदा । पडिगाहित्तए—ग्रहण करना । नो कप्पइ—नही कल्पता किन्तु यदि तू । मे—मेरे का । वाउ—देना । अभिक्खसि—चाहता है या चाहती है तो । जावइयं—इममे से जितना । पुग्गल—पुद्गल-खाद्य अश है । तावइय—उतना ही । दलयाहि—दे, दे । मा यअट्ठियाइं—अस्थिया-गुठलिया मत दे । से—वह । गृहस्थ । सेवं—उस भिक्षु के इम प्रकार । वयतस्स—कहने पर । परो—वह । अभिहट्ठु—लाकर । अन्तो पडिगहसि—घर मे जाकर उन्थ पात्र मे । बहु—बहुत गुठलियो वाला गूदा । परिभाइत्ता—अविभक्त कर श्रीर । निहट्ठु—वाहर लाकर । दलहयाहि—दे तो । तहृत्पगारं—तथा प्रकार वा । पडिगह—प्रतिग्रह पात्रगत आहार । परहत्थसि वा—गृहस्थ के हाथ मे हो अथवा । पर पार्यसि वा—गृहस्थ के पात्र मे हो । अफासुय—उसे अप्रासुक जानकर मिलने पर ग्रहण न करे । से—उस भिक्षु ने । आहच्च—कदाचित् । पडिगाहिएसिया—ऐसा आहार ले लिया हो अर्थात् गृहस्थ ने पात्र मे डाल दिया हो, तो फिर । तं—उस गृहस्थ को । नो हिंसिवइज्जा—न अच्छा कहे श्रीर । नो—नाही । अणिहित्ति वा—बुरा कहे किन्तु । स—वह भिक्षु । त—उस आहार को । आयाय—लेकर । एगत—एकान्त स्थान मे । अवक्क—मिज्जा—चला जाए श्रीर वहा जाकर । अहे आरामसि वा—बाग में अथवा । अहे उवस्स—यदि वा—उपाश्रम मे ही । अप्पडे जाव सताणे—जहाँ चीटी आदि के अण्डे श्रीर मकड़ी आदि के जाले न हो । मसगमच्छया—वहा फल के गूदे श्रीर मत्स्य वनस्पति फल को । भुच्चा—

खाकर । अटिठ्याइ—गुठलियो और । कटए—काटो को । गहाए—ग्रहण कर और । से—वह भिक्षु । त—उसको । घायाथ—लेकर । एगत—एकान्त स्थान के । अववकमिज्जा—चला जाए और वहा जाकर । अहेज्झामथडिलसि वा—अग्नि द्वारा दग्ध भूमि आदि अचित्त एव निर्दोष स्थान को । जाव—यावत् । पमज्जिय २—अच्छी तरह प्रमाजित करके । परट्ठविज्जा—उन गुठलियों को वहा परह फैंक दे ।

मूलार्थ—गृहस्थ के घर पर आहार आदि के लिए गया हुआ भिक्षु, इक्षु खड आदि जो छिले हुए हैं एव सब प्रकार से अचित्त हैं, तथा मूंग और बल्ली आदि की फलो, जो किसी निमित्त से अचित्त हो चुकी है, परन्तु उसमें खाद्य भाग स्वल्प है और फैंकने योग्य भाग अधिक है तो इस प्रकार का आहार मिलने पर भी अकल्पनीय जानकर ग्रहण न करे ।

फिर वह भिक्षु किसी गृहस्थ के यहा गया हुआ बहुत गुठलियो युक्त फल के गूदे को और बहुत काटो वाली मत्स्य नामक बनस्पति को भी उपर्युक्त दृष्टि के कारण ग्रहण न करे । यदि गृहस्थ उक्त दोनो पदार्थों की निमत्रणा करे तो मुनि उसे कहे कि आयुष्मन् गृहस्थ । यदि तू मुझे यह आहार देना चाहता है तो उक्त दोनो पदार्थों का खाद्य भाग ही मुझे दे दे, शेष गुठली तथा कांटे मत दे ।

यदि शीघ्रता में गृहस्थ ने उक्त पदार्थ मुनि के पात्र में डाल दिए हो तो गृहस्थ को भला बुरा न कहता हुआ वह मुनि बगीचे या उपाश्रय में आए और वहा एकान्त स्थान में जाकर खाने योग्य भाग खाले और शेष गुठली तथा काटो को ग्रहण कर एकान्त अचित्त एव प्रासुक स्थान पर परठ छोड़ दे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को ऐसे पदार्थ ग्रहण नहीं करने चाहिएं जिनमें से थोड़ा भाग खाया जाए और अधिक भाग फैंकने में आए । जैसे—छिला हुआ इलु खण्ड—गण्डेरी, मूंग, एवं बल्ली आदि की फली जो आग आदि के प्रयोग से अचित्त हो चुकी है, साधु को नहीं लेनी चाहिए । आग में भूना हुई मूङ्ग फली, पिस्ते,

नोजे (छिलके सहित) भी नहीं लेने चाहिए। इसी तरह अग्नि पर पके हुए या अन्य तरह से अचिन्त हुए फल भी नहीं लेने चाहिए। जिनमें गुठली, कांटे आदि फेंकने योग्य भाग अधिक हो। यदि कभी शीघ्रतावश गृहस्थ ऐसे पदार्थ पात्र में डाल दे तो फिर मुनि को उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उक्त पदार्थों को लेकर अपने स्थान पर आ जाए और उनमें से खाने योग्य भाग खा लेवे और अवशेष भाग (गुठली, कांटे आदि) एकान्त ग्रासुक स्थान में परठ-फेंक दे।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'बहु अद्विय मम' और 'मच्छ वा बहु कटय' पाठ कुछ विवादास्पद है। कुछ विचारक इसका प्रसिद्ध शाब्दिक अर्थ ग्रहण करके जैन साधुओं को भी मांस भक्षक कहने का साहस करते हैं। वृत्तिकार आचार्य शीलांक ने इसका निराकरण करने का विशेष प्रयत्न नहीं किया। वे स्वयं लिखते हैं कि बाह्य भोग के लिए अपवाद में मांस आदि का उपयोग किया जा सकता है*।

परन्तु, वृत्तिकार के पश्चात् आचाराङ्ग सूत्र पर बालबोध व्याख्या लिखने वाले उपाध्याय पार्श्वचन्द्र सूरि वृत्तिकार के विचारों का विरोध करते हैं। उन्होंने लिखा है कि आगम में अपवाद एवं उत्सर्ग का कोई भेद नहीं किया है और जो कंटक आदि को एकान्त स्थान में परठने का विधान किया है, उसे यह स्पष्ट होता है कि अस्थि एवं कण्टक आदि फलों में से निकलने वाले बीज (गुठली) या कांटे आदि ही हो सकते हैं। प्रज्ञापना सूत्र में बीज (गुठली) के लिए अस्थि शब्द का प्रयोग किया गया है। यथा—'एगट्ठया बहुट्ठया' एक अस्थि (बीज) वाले हरड़ आदि और बहुत अस्थि (बीज) वाले अनार, अमरुद आदि। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त शब्दों का वनस्पति अर्थ में प्रयोग हुआ है। अतः वृत्तिकार का कथन सगत नहीं जचता†।

* एवं मांससूत्रमपि नेयम्, अस्य चोपादानं क्वचित् लूताद्युपशमनार्थं सदैवोपदेशतो बाह्यपरिभोगेन स्वेदादिना ज्ञानाद्युपकारकत्वात् क्लवदृष्टेः, भुजिश्चात्र बहिःपरिभोगार्थं नाभ्यवहारार्थं पदातिभोगवदिति।
— आचाराङ्ग वृत्ति।

† ते मांसं शुद्धिं जे कुलिया विना आहारं न उं दलच्छइ ते जिमी नद् कुलिया कटकादि लेईं राकारिंति निरवद्य स्थं छिलइज्जाम थं छिलंति कहता अग्निदग्ध स्थानक नीवाहादिक तिहां आवी पडिलेही २ प्रमार्जी २ परिठवईं। ए परठवि वा नी विधि जाणवी जिगि कारणी एकेक वनस्पति माहिला कुलिया आहारी न सकिवइ पान न कराय कटक गलइ न अतरइ तिणी कारणि परठविवा कख्या। इहा वृत्तिकार लोक प्रसिद्ध मांस मत्स्यादिक न उ भाव वखाणय उछ इ पर सूत्र स्यउं विरोध भणिए अर्थ न संभवइ। पछइ वली श्री जिनमतना जाण गितार्थ

जब हम प्रस्तुत प्रकरण का गहराई से अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि वृत्तिकार का कथन प्रसंग से बाहर जा रहा है। उक्त सूत्र में गृहस्थ के घर में प्रविष्ट साधु का आहार के सम्बन्ध में गृहस्थ के साथ होने वाले सम्वाद का वर्णन किया गया है, न कि औषध के सम्बन्ध में। यदि वृत्तिकार के कथनानुसार यह मान लें कि बाह्य लेप के लिए साधु मांस ग्रहण कर सकता है। तो यह प्रश्न उठे बिना नहीं रहेगा कि बाह्य लेप के लिए कच्चे मांस की आवश्यकता पड़ेगी, न कि पक्व मांस की और कच्चे मांस के लिए किसी के घर न जाकर कसाई की दुकान पर जाना होता है। और यहाँ कसाई की दुकान का वर्णन न होकर गृहस्थ के घर का वर्णन है। इससे स्पष्ट है कि वृत्तिकार का अपवाद में मांस ग्रहण करने का कथन आगम के अनुकूल प्रतीत नहीं होता। क्योंकि प्रस्तुत पाठ में इसका कहीं भी संकेत नहीं किया गया है कि रोग को उपशान्त करने के लिए मांस को बन्धना चाहिए। अतः वृत्तिकार का कथन प्रस्तुत सूत्रसे विपरीत होने के कारण मान्य नहीं हो सकता।

प्रस्तुत सूत्र के पूर्व भाग में वनस्पति का स्पष्ट निर्देश है और उत्तर भाग में मांस शब्द का उल्लेख है। इस तरह पूर्व एवं उत्तर भाग का परस्पर विरोध दृष्टिगोचर होता है। एक ही प्रकरण में वनस्पति एवं मांस का सम्बन्ध घटित नहीं हो सकता। और अस्थि एवं मांस शब्द का आगम एवं वैद्यक ग्रन्थों में गुठली एवं गुदा अर्थ में प्रयोग मिलता है। आचाराङ्ग सूत्र में जहाँ धोवन (प्रासुक) पानी का वर्णन किया गया है, वहाँ अस्थि शब्द का प्रयोग किया गया है। उसमें बताया गया है कि यदि कोई गृहस्थ आम्र आदि के धोवन को साधु के सानने छानकर एवं अस्त्र (गुठली) निकाल कर दे तो ऐसा धोवन पानी साधु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यहाँ गुठली के लिए अस्थि

जे प्रमाण करेइ—ते प्रमाण। शास्त्र माहि अस्थि शब्द इ कुलिया घणे ठामे कहा छइ। श्री पन्नवणा माहि वनस्पति अधिकारि “एगट्ठिया, बहुअट्ठिया” एहवा शब्द छइ एगट्ठिया हरडइ प्रभृति बहु अट्ठिया दाडिम प्रभृति जाणि वा इमइज इहा अस्थि न इ शब्दइ कुलिया बोल्या छइ, त उ मास शब्दइ माहिल उ गिर भाविडइ, एह मणी वनस्पति विशेष मास मत्स शब्दइ फलाख्या छइ इम चारित्रिया नइ मांस अने मत्स उघाडइ भावि कारणि पुण आहारवा योग्य न दीसइ, तथा वली सूत्र माहि ए साधु नइ उत्सग्गि कह्यउ छइ, वृत्ति माहि अपकादि पद वखाणि उं छइ, तिणि विशादि सूत्र स्यउ मिलतु पण नथी, तिणि कारणि वनस्पति विशेष कहता सूत्र नउ अर्थ जिम उत्सग्गि छइ तिथइज मिलइ इति भावः।

शब्द का प्रयोग हुआ है। और यह भी स्पष्ट है कि आम्र के धोवन अस्थि (हड्डी) के होने की कोई सम्भावना ही नहीं हो सकती। उसमें गुठली का होना ही उचित प्रतीत होता है। और आम्र के धोए हुए पानी में गुठली के अनिरिक्त और हो ही क्या सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि अस्थि शब्द का गुठली के अर्थ में प्रयोग होता रहा है।

प्रज्ञापना सूत्र में वनस्पति के प्रमंग मे 'समकडाह' शब्द का प्रयोग किया गया है। वृत्तिकार ने इसका अर्थ 'समांसं समिर' अर्थात् फलों का गुहा किया है। और वृत्तों का वर्णन करते हुए लिखा है कि कुछ वृत्त एक अस्थि वाले फलों के होते हैं— जैसे— आम्र, जामुन आदि के वृत्त। अर्थात् आम्र, जामुन आदि फलों में में एक गुठली होनी है। यह तो स्पष्ट है कि फलों में गुठली ही होती है, न कि हड्डी इससे स्पष्ट है यि आगम में अस्थि शब्द गुठली के अर्थ में प्रयुक्त होता रहा है।

जैनागमों के अतिरिक्त आयुर्वेद के ग्रन्थ मे भी अस्थि शब्द का गुठली के अर्थ में अनेक स्थलों पर प्रयोग हुआ है—

पथ्याया मज्जा स्वादु, स्नाया बम्लो व्यवस्थितः ।

वृन्ते तिक्तस्त्वचि कटुरस्थिस्थस्नुवरा रसः ॥

अर्थात्—हरड़ की मज्जा स्वादु है, इसकी नाड़ियों में खट्टापन है, वृन्त में तिक्त रस है, त्वचा में कटुरान और अस्थि-गुठली मे कसैला रस है।

मज्जा पनसजा वृष्या, वात पित्त कफा पहाः ।

अर्थात् कटहर की मज्जा वृष्य, वात पित्त और कफ को नाश करती है।

अभिनव निघण्टु पृ० १ ६०

मुण्डी भिक्षुरपि प्रोक्ता, थावणी च तपोधना ।

थावणाह्वा मुण्डतिका, तथा श्रवणगीर्षका ॥

महाथावणिकाऽन्यातु, सा स्मृता भूकदम्बिका ।

कदम्बपुष्पिका च स्याद्व्यथाति तपस्विनी ।

॥ आचारण सूत्र, २, १, ८, ८३ ।

† प्रज्ञापना सूत्र, प्रथम पद ।

‡ प्रज्ञापना सूत्र, प्रथम पद ।

॥ भावप्रकाश निघ० हरीतक्यादि० व० पृ० ५६ ।

अर्थात्—मुण्डी, भिज्जु, आवरणी, तपोधना आवणाह्वा, मुण्डतिका, श्रवणशीर्षका, भूतघ्नी पलकषा कदम्बपुष्पा अरुणा, मुण्डीरिका, कुम्भला, तपस्विनी, प्रव्रजिता और परिव्रजिका ये मुण्डी के नाम हैं।

— भावप्रकाश पृ० २३१, २३२

भाव प्रकाश में और भी इसी प्रकार वनस्पतियों के नामों का उल्लेख है, जैसे कि—

हयपुच्छिका	मापपर्णी वनस्पति	२६६
व्याघ्रप्रच्छ	एरण्ड	२०७
सिंहतुण्ड	डडा शोहर	२०६
मिहास्य वृष	वांसा	२११
जीव	घकापर्ण-डैक	२१२
वत्स, कीट, इन्द्र	कुटज-कोरडसक	२१५
मर्कटी, वायसी	करंजुआ (मीचका)	२१६
मर्कटे	कौववीज	२१७
गोलोमी	श्वेतदूर्वा-सफैद दूव	२२५
मत्स्याक्षी	गाठदूव	२२५
मृगाक्षी	इन्द्रीयण (तुम्मा)	२२६-२३०
गान्धारी	जवासा	२३१
शिलरी मयूरक, मर्कटी	अपामार्ग (पुठकडा)	२३२
भिज्जु	तालमखाणा	२३३
कुमारो, कन्या	धीकुआर	२३४
गोपी, गोपा, कन्या } गोपवधू, कृशीदरी }	काला वांवा	२३५
मृग	भंगरा	२३६
वायसी, काका	मको	२३७
कारुनाम	कौआटूएटी	२३८
काकजघा	एक वनस्पति	२३८
मेप शृङ्गी	मेढासिगी	२४१
मत्स्याक्षी	मछोछी	२४१
मत्स्यादनी	जल पिप्पली	२४६
गो जिह्वा	गोभो (गालजवां)	२४७
नाम्र चूड	ककरौदा	२४७
व्याल, चित्रक	चीता - वनस्पति	१४८

मार्जारी	जवादि वनस्पति	५५
कुक्कुटी	शेमल	६७
तापस, मार्जार	तिगोटी	६८
कुक्कुर	श्लिष्ठपूर्ण, त्रिकीर्ण, शीर्ण रोमक (ये ग्रन्थि पूर्ण वनस्पति के नाम हैं)	६८
शठ, कुटिल	तगर	१८३
पिशुन	केसर	१९०
जटायु, कौशिका, धूर्त	गुग्गुल	१८३
गौरी	गोगोचन	११०
कुक्कुट	कुकुभ-कुम्हार का मुर्गा, श्वेत् तीक्ष्ण, ताम्रचूड-मुर्गा अग्नि का अंगारा, चाण्डाल, शूद्रपुत्र, सुनिषण्णक वनस्पति ।	७५४
केश	सुगन्ध वाला	१९१
तपस्विनी	वालछड़	१९२
मेघ वारिद	मोथा	१९३
दैत्या	मुरा वनस्पति	१९४
वधू	कपूर कचरी	१९४
अङ्गना, प्रिया	प्रियगु औपधि	१९४
राज पुत्री, द्विजा	सम्भालू के वीज	१९५
कुक्कुर, शुक, मयूर	थुनेर	१९६
ब्राह्मणी, देवी, देवपुत्री	असवर्ग वनस्पति	१९८
जननी	पपडी	१८८
नटी, धमनी	नली-सुगन्धित द्रव्य	१९९

इन उपर्युक्त नामों को देखते हुए, मनुष्य, पशु-पक्षी आदि के नामों से अनैकानेक वनस्पतिये—अभिहित हुई हैं। अतएव प्रस्तुत प्रकरण में भी शठ का अर्थ धूर्त, कुटिल का वक्र और पिशुन का चुगलखोर अर्थ करना सगत नहीं है, किन्तु इन शब्दों के वनस्पति रूप अर्थ ही प्रसंगोचित है।

भल्लूक	आलू बुखारा	९१
मत्स्य	पोई नामक वनस्पति	१०२
कपोतिका	मूली	१०४

इन प्रमाणों से यह भली-भांति सिद्ध हो जाता है कि—फलों के गुद्दे को मास,

और गुठली को अस्थि के नाम से निर्दिष्ट करना भी उस युग की प्रणाली रही है। ऊपर प्राचीन वैद्यक ग्रन्थों के प्रमाणों से अस्थि और मांस का गुठली और गुद्दे के अर्थ में प्रयुक्त होना प्रमाणित किया गया है। आयुर्वेद साहित्य के नवीन ग्रंथों में भी इस तरह का वर्णन मिलता है। देखिए हरिताल भस्म की विधि का वर्णन करते हुए ग्रंथकार लिखते हैं —

तालं मुथा प्रस्तार नीरमग्न, कूप्माड मासै. पुढित विधाय ।

दहेदृजप्रम्भ वनोपलेपु, गु जोन्मिन स्यात् सकल ज्वरेषु ॥१॥

अर्थात्— हरिताल को चूने के पानी में रखने के अनन्तर कूप्माड के मांस से (पेटे के गुद्दे से) मम्बुटिन करके १० सेर वन्योपलों (पाथियों) में फूंक देने से उत्तम भस्म बन जाती है और उसकी शक्ति की मात्रा है तथा वह सभी प्रकार के ज्वरों को शान्त करने के लिए हितकर है. (सिद्ध भेषज मणिमाला ज्वराधिकार) इसमें कूप्माड (पैठा) का 'मास' उसके गुद्दे के अनिरिक्त अन्य कोई भी पदार्थ मम्भव नहीं हो सकता। तात्पर्य कि उक्त श्लोक में मांस शब्द का प्रयोग गुद्दे के अर्थ में ही हुआ है। इसके अतिरिक्त मन्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ में भी मांस शब्द का गुद्दा अर्थ किया है। इस प्रकार वैद्यक के प्राचीन और अर्वाचीन ग्रन्थों में यह स्पष्ट सिद्ध हो गया कि अस्थि और मांस के लोकोपमिष्ट अर्थ के ही बोधक नहीं अपितु गुठली और गुद्दे के भी बोधक हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि इनका वाच्यार्थ केवल लोकप्रसिद्ध अर्थ अस्थि (हड्डी) और मांस (रुधिर निष्पन्न धानु) ही नहीं अपितु गुठली और गुद्दा भी होता है।

वृत्त के कठिन भाग एवं फलों के बीज (गुठली) के लिए अस्थि शब्द का हम वैद्यक एवं जैन साहित्य में अनेक स्थलों पर देख चुके हैं। परन्तु, वैद्यक में कर्पास के अंदर के कठिन भाग के लिए भी अस्थि शब्द का प्रयोग किया है। शोमकुण्डल में लिखा है— 'कर्पास का फल अति उष्ण प्रकृति वाला कर्पास का फल अति उष्ण प्रकृति वाला और गुरु होता है। वह वात, कफ को दूर करने वाला होता है। इसमें से अस्थि (बीज का कठिन भाग) निकाल कर प्रयोग करना लाभदायक होता है।'

ॐ मान (न०) १ गोत्र । २ मन्त्री । ३ फल का गूदा ।

— मन्कृत व... कौस्तुभ

कर्पास फलमनुष्ण, कर्पासं मधुरं गुरु ।

वानश्चेनप्यर च्छयं, 'वयोपेणान्धिवजितम्

१

इसी ग्रंथ में आगे कहा गया है कि जो शंख, कुन्द पुष्प और चन्द्र के समान श्वेत वर्ण की हो उसे अजा नामक महौषधि समझना चाहिए।

इस तरह हम देख चुके हैं कि जैनागमों में ही नहीं, अपितु वैद्यक एवं अन्य ग्रन्थों में भी मांस, मत्स्य एवं पशु-पक्षी के वाचक शब्दों का वनस्पति अर्थ में प्रयोग हुआ है। अतः प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त मांस एव मत्स्य शब्द वनस्पति वाचक हैं, न कि मांस और मछली के वाचक हैं। इमसे स्पष्ट होता है कि उक्त शब्दों के आधार पर जैन मुनियों को मांस-मछली खाने वाला कहना नितान्त गलत है।

आचाराङ्ग सूत्र के आधार पर आचार्य शयंभव द्वारा रचित दशवैकालिक सूत्र में इस तरह का पाठ आता है। फलों के प्रकरण में अस्थि शब्द का गुठली के अर्थ में प्रयोग किया गया है। और ७वीं शताब्दी में होने वाले आचार्य हरिभद्र ने अस्थि का अर्थ फलों की गुठली एवं पुद्गल का अर्थ गुदा किया है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है

द्विरस्तिमात्रा जानीयाद्, गोनसीं गोनसाकृतिम् ।
सक्षारां रोमशां सूट्टी, रसनेक्षुरसोपमाम् ॥
एव रूप रसां चापि, कृष्ण कापोत्तिमादिशेत् ।
कृष्ण सर्पस्य रूपेण, वाराहीकन्दसम्भवाम् ॥
एकपर्णी महावीर्या, भिन्नाञ्जनचयोपमाम् ।
छत्रातिच्छत्रके विद्येत, रक्षोघ्ने कन्दसभवे ॥
जरा मृत्युनिवारिण्यौ, इवेतकापोतिसम्भवे ।
कान्तैर्द्वादशभिः पत्रैर्मयूराङ्गहोपमैः ॥

— कल्पद्रुम कोष ५६८ ।

† अजामहौषधिर्ज्ञेया शखकुन्देन्दुपाण्डुरा ।

— कल्पद्रुम कोष ५६८ ।

क्षु बहु अट्ठियं पोग्गलं, अणिमिसं वा बहुकंटयं ।
उच्छिन्नं त्तिदुअ विल्ल, उच्छुखड च सिर्वाल ॥
अप्पेसिया भोयण 'जाये, बहु उज्झिय घम्मिय-
दितिय पडिआइक्खे, न मे कप्पइ त्तरिस ॥

— दशवैकालिक ५, १, ७३-७४ ।

† 'बहु अट्ठियं' त्ति 'सूत्रम्' बहुवचस्य, पुद्गल मांसम् 'अनिमिषं वा' मत्स्य वा बहु-
कण्टक । अय किल कालाद्यपेक्षया ग्रहणे प्रतिषेध अन्वेषत्वभिदधति — वनस्पत्यधिकारात्
तथाविध फलाभिधाने एते इति । तथा चाह— 'अस्थिक' अस्थिक वृक्ष फलम्, 'तेन्दुक' तेन्दुकी

किं यहा फलों के वर्णन का प्रसंग होने के कारण उक्त शब्द गुठली एवं गुहे के ही परिबोधक हैं और पुराने आचार्यों ने भी ऐसा ही अर्थ किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य हरिभद्र से पूर्व भी मांस एवं मत्स्य आदि शब्दों का वनस्पति अर्थ किया जाता था ।

उक्त वृत्ति में 'पुद्गल' शब्द का जो मांस अर्थ किया है, वह भी युक्ति मंगत नहीं है । क्योंकि जब अस्थि शब्द का गुठली अर्थ स्पष्ट परिलक्षित होता है, तो ऐसी स्थिति में पुद्गल शब्द मांस परक कैसे हो सकता है । जिसमें बहुत अस्थियां (गुठलियां) हों ऐसे पुद्गल का तात्पर्य बहुत गुठलियों वाला मांस नहीं, प्रत्युत बहुत गुठलियों वाला फलों का गुहा ही होगा । अर्द्धमागधी कोष में भी इसका अर्थ—गर्भ (फलों का गुहा) फल के मध्य का मनोरम अंश किया है* ।

आ मों मे साधु के लिए कड़ी भी मांस ग्रहण करने का उल्लेख नहीं किया गया है । अनेक स्थलों पर निषेध अवश्य किया है । साधु की आहार विधि के वर्णन में कहीं भी मांस अह र के ग्रहण का उल्लेख नहीं मिलता है । यहां हम कुछ पाठों का उल्लेख करदे तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि उक्त सूत्र में प्रयुक्त शब्द फलों के अर्थ से संबन्धित है । वे पाठ इस प्रकार हैं—

अताहारा पंताहारा अरसाहारा विरसाहारा लुडाहारा तुच्छाहारा
अन्सजीवी, पन्तजीवी आयाम्बिलिया, पुरिमडिहया निव्विगइया
अमज्जमंसासिणो नो नियामरसभोइ । — सूत्रकृताङ्ग द्वि श्रु० द्वि० अ० ।

'सूत्रकृताङ्गसूत्र' के इस पाठ में मुनि के अन्य विशेषणों के साथ 'अमज्जमंसासिणो' यह विशेषण भी दिया है, जिसका आशय है कि—साधु कभी मद्य और मांस का सेवन न करे । क्या इतने पर भी जैन भिक्षु को मांसाहारी कहने का साहस किया जा सकता है ? और भी देखिए—

जे भिक्खू माउगामस्स मेहुण वडियाए खीरं वा दहिं वा एवणीयं

फलम्, बिल्वम् इक्षुखण्डमिति च प्रतीते, शाल्मलि वा बल्लादि फलि वा । वा शब्दस्य व्यवहित-सम्बन्ध इति सूत्रार्थः । अत्रैव दोषमाह—'अप्ये' ति सूत्रम्, अल्पं स्याद् भोजनजातमत्रापितु वज्जुक्कन धर्मकमेतत् । यतश्चैवमतोददनी प्रत्याचक्षीन न मम कल्पते तादृशमिति सूत्रार्थः ।

— दशबैकलिक वृत्ति ।

‡ अन्येत्वभिदवति—वनस्पत्यधिकारात् तथात्रैव फलभिधाने एते इती ।

— दशबैकालिक सूत्र, वृत्ति ।

* अर्द्धमागधी कोष; भाग ३, पृष्ठ ५६५ ।

वा सर्पि वा गुलं वा खंडं वा सक्करं वा मच्छंडिय वा अणणयरं
वा पराणं आहारं आहारेड, आहारंतं वा साडजजड । ६

निशोथ सूत्र के इस पाठ का भाव यह है कि— 'साधु मैथुन के लिए दूध, दही, मक्खन, घी, गुड़, खांड और शर्करा आदि पौष्टिक पदार्थों का कभी सेवन न करे। उक्त सूत्र में साधु के खाने के पदार्थों में मांस को विरुद्ध नहीं माना, इससे स्पष्ट है कि जैन आगमों का आशय साधु को मांस खाने के नियम में है। और भी—

कप्पड मे समणे निग्गंथे फासुएणं एसणिज्जेण—असणपाण—
खाइमसाइमेणं कथपडिग्गहकम्मलपायपुच्छणेणं पीड फलय
सिज्जासंधारणं ओसह भेसज्जेणं य पडिलामेमाणस्स विहरित्ते
त्तिकट्टुडमंयारुवं अभिग्गहं अभित्तिण्हड । —उया० दग० प्र० अ० सूत्र = ।

प्रस्तुत सूत्र में भगवान् महावीर के पास आनन्द श्रावक ने साधु को आहार देने का नियम लिखा है। इस पाठ में साधु को क्या-क्या आहार देना चाहिए, यह लिखा है। इसमें अशन आदि का तो उल्लेख है परन्तु मांस देने का उल्लेख नहीं है। अगर भिक्षुओं में मांस खाने को भी प्रथा होनी तो उसका भी उल्लेख होना।

आगमों से स्पष्ट होता है कि साधु के लिए मांस सर्वथा त्याज्य रहा है। आर्द्रकुमार ने मांसभक्षण बौद्ध भिक्षुओं का उपहान्य करते हुए कहा है—

श्रूळं उरुध डड मारियाणं, उडिट्ठ भत्तं च पगप्पएत्ता ।
तं लोण तेल्लेण उवक्खडंत्ता मपिप्पलीयं पगरंति मंसं ॥
नं भुञ्जमाणा पिमियं पभृयं, ने ओवलिप्पामु वयं रएणं ।
इच्चेव माहंसु अणज्जवम्मा, अणारिया वाल रमेसु निद्धा ॥
सव्वेनि जीवाण दधट्ठयाण. मावज्ज दोसं परिवज्जयता ।
तन्मंकिणो इसिणो नायपुत्ता, उडिट्ठभन्नं परिवज्जयंति ॥
भूयाभिसंकाए दुगुच्छमाणा म्म्वेनि पाणाण निहाय दण्डं ।
नन्दा न भुञ्जन्ति तदपगार. एसोऽणुवम्मो डड संजयाणं ॥

आर्द्र कुमार का कथन जैन आचार-विचार को स्पष्ट कर देता है। वह बौद्ध भिक्षुओं से कहता है कि आप व्रत का मांस खाकर भी अपने आप को पाप में लिप्त नहीं मानते। परन्तु, यह कैसे हो सकता है? मांस भक्षण का कार्य तो स्पष्टतः अनार्थ-

ॐ निशोथ सूत्र ६ उद्देशक ३६ सूत्र ।

† सूत्र इतिंग श्रुत० २ प्रथ० ३,

कर्म है। उसका सेवन करने वाला पाप कर्म के बन्ध से कैसे बच सकता है? निर्ग्रन्थ ज्ञातपुत्र भगवान महावीर के साधु कभी भी मांसाहार नहीं करते। आर्द्रकुमार की यह स्पष्ट आलोचना सुनकर बौद्ध भिक्षु चुप हो जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जैन साधु मांसाहारी नहीं थे और न है। यदि जैन साधु स्वयं मांसाहार करते होते तो वे बौद्धों के सामिप भोजन की आलोचना नहीं करते। और यदि करने का दुसाहस करते भी तो बौद्ध भिक्षु उन्हें सचोट उत्तर देने से कभी नहीं चूकते- कि तुम भी तो सामिप भोजन करते हो, तुम कौन से पवित्र व्यक्ति हो। परन्तु, जैन मुनियों की कहीं ऐसी आलोचना नहीं की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि जैन मुनि आमिप भोजन से सर्वथा निवृत्त हैं। आगम में तो मांसाहार को साधु के लिए तो क्या मनुष्य के लिए भी उपयुक्त नहीं बताया है। उसे मनुष्यों का नहीं पशुओं का, जङ्गली जानवरों का आहार कहा है*।

जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में बताया गया है कि उत्सर्पिणी काल चक्र का पहला आरा समाप्त होकर जब दूसरा लगेगा तब ४६ दिन तक अनवरत वर्षा होगी। उससे पृथ्वी में सरसता आएगी और वह विविध वनस्पतियों से शस्य-श्यामला हो जाएगी। उस समय बिलों में रहने रहने वाले मनुष्य बाहर आएंगे और फल-फूल खाकर अत्यधिक प्रसन्न होंगे और यह सामाजिक नियम बनाएंगे कि आज तक हमने विवश होकर मांसाहार किया, परन्तु अब कभी भी मांसाहार नहीं करेंगे। जो सामिष आहार करेगा उसका बहिष्कार करेंगे और उसकी छाया से भी दूर रहेंगे†। आचार्य शान्तिचन्द्र ने प्रस्तुत सूत्र की टीका में लिखा है कि मांसाहारी लोगों के अपवित्र शरीर को छूना तो दूर रहा,

* तिरिक्खजोणियाण चउच्चिहे आहारे पन्नते तजहा ककोवमे, विलोचमे, पाणमंसो-
वमो, पुत्त मंसावमो । मणुसाणं चउच्चिहे आहारे पन्नते तजहा—अरणे जाव सतिमे ।

— स्थानांग सूत्र, स्थान ४, ३४० ।

† 'तएणं से मणुआ भरह वास परूढ रुक्खगुच्छगुम्मगुम्मलयवल्लीतणपव्वय
हरिआ भोसहीयं उवचियतय पत्त पवाल पल्लवकुर पुप्फ फलं समुइअ सुहोवभोगजाय २ चाव
पासिह्मिन्ति पासित्ता विलोहितो णिद्धाइस्मन्ति णिद्धाइत्ता हट्ठनुट्ठा अण्णमण्णं सहविस्सति
२ ता एव वदिस्सति — जाते ण देवाणुप्पिया । भरहे वासे परूढ रुक्खगुच्छगुम्मलयवल्ली
तणपव्वयहरिय जाव सुहोवभोगे, तं जे देवाणुप्पिया । अमहं केइ अज्जप्पभिइ असुभ कुणिम
आहारं आहारिस्सइ से ण अणेगाहि छायाहि वज्जणिज्जे ति कट्टु सठियं ठव्वेति २ ता भरहे वासे
सुहंसुहेण अभिरममाणा २ विहरिस्सति ।

— जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति २, ३६ ।

उनकी छाया तक को भी नहीं छूएंगे। अर्थात् उनकी छाया को स्पर्श करना भी पाप माना जाएगा। इससे बढ़कर मांसाहार के प्रति और अधिक क्या कहा जा सकता है? इसे पढ़ने के पश्चात् क्या कोई समझदार व्यक्ति यह कल्पना कर सकता है कि इतने कड़े शब्दों में मांसाहार का विरोध करने वाले जैनागम साधु के लिए सामिष भोजन का विधान कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं।

आगमों में चार गति मानी हैं— १-नरक, २-तिर्यञ्च, ३-मनुष्य और ४-देव गति। औपपातिक सूत्र में प्रत्येक गति में जाने के कारणों का उल्लेख किया गया है। उसमें मांस भक्षण को नरक गति का कारण बताया गया है। उत्तराध्ययन सूत्र में भी बताया गया है कि मांस मद्य का आहार करने वाला व्यक्ति अकाम मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में जाता है। मृगापुत्र ने भी मांस एवं मद्य का सेवन करने से नरक गति का मिलना कहा है।

इन सब पाठों से यह स्पष्ट होता है कि आगम में सामिष भोजन को कड़े शब्दों में निषेध किया गया है। इसे मनुष्य का भोजन नहीं, अपितु पशु का भोजन कहा है। मांसाहार करने वाला खूंखार भेड़िये से भी भयानक है, जो अपने आहार को छोड़कर अपने पेट को जीवित पशुओं की कत्र बनाता है। अतः इन सब उद्धरणों

† आस्ता तेषामसृश्याना शरीर स्पर्शः तच्छरीरच्छायास्पर्शोपि वर्जनीयः ।

‡ चर्हि ठार्णहि जीवा णेरइयत्ताए कम्मं पकरेति, णेरइयत्ताए कम्म पंकरेता णेरइएमु उववज्जंति, तंजहा— १-महारभयाए २-महापरिग्गहयाए ३-पंचिदियवहेण ४-कुणि-
माहारेण । —औपपातिक सूत्र, भगवद्देशना ।

§ हिसे वाले मुसावाई, माइल्ले पिसुणे सढे ।
मुजमाणे सुर मस, सेय मेय त्ति मन्नई ॥ —उत्तरा० ५, ६
इत्थी विसय गिढे य, महारंभ परिग्गहे ।
भुजमाणे सुर मंस, परि वूढे परं दमे ॥
अय कक्करभोइ य, तुदिल्ले चियलोहिये ।
आउयं नरयु कवे, जहा एस व एलए ॥ —उत्तरा० ७, ६, ७ ।

तुहं पियाड मंसाडं, खंडाणि सोल्लगाणि य ।

खाइओ विसमंसाडं, अग्गि वण्णाइण्णेगमो ॥

तुह पिया सुरा सीहू, मेरओ य मह्णिण य ।

पाइओमि जलन्तीओ, वसाओ रहिराणि य ॥

— उत्तरा०; १६, ६८-७० ।

कर्म है। उसका सेवन करने वालों पाप कर्म के बन्ध से कैसे बच सकता है? निर्ग्रन्थ ज्ञातपुत्र भगवान महावीर के साधु कभी भी मांसाहार नहीं करते। अर्द्रिकुमार की यह स्पष्ट आलोचना सुनकर बोद्ध भिक्षु चुप हो जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जैन साधु मासाहारी नहीं थे और न हैं। यदि जैन साधु स्वयं मासाहार करते होते तो वे बौद्धों के सामिप भोजन की आलोचना नहीं करते। और यदि करने का दु साहस करते भी तो बोद्ध भिक्षु उन्हें सचोद उत्तर देने से कभी नहीं चूकते कि तुम भी तो सामिप भोजन करते हो, तुम कौन से पवित्र व्यक्ति हो। परन्तु, जैन मुनियों की कहीं ऐसी आलोचना नहीं की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि जैन मुनि आमिप भोजन से सर्वथा निवृत्त हैं। आगम में तो मांसाहार को साधु के लिए तो क्या मनुष्य के लिए भी उपयुक्त नहीं बताया है। उसे मनुष्यों का नहीं पशुओं का, जङ्गली जानवरों का आहार कहा है ॥

जम्बूद्वीप प्रकृति में वर्तया गया है कि उत्सर्पिणी काल चक्र का पहला आरा समाप्त होकर जब दूसरा लगेगा तब ४६ दिन तक अनवरत वर्षा होगी। उससे पृथ्वी में सरसता आएगी और वह विविध वनस्पतियों से शस्य-श्यामला हो जाएगी। उस समय बिलों में रहने रहने वाले मनुष्य बाहर आएंगे और फल-फूल खाकर अत्यधिक प्रसन्न होंगे और यह सामाजिक नियम बनाएंगे कि आज तक हमने विवश होकर मांसाहार किया, परन्तु अब कभी भी मांसाहार नहीं करेंगे। जो सामिप आहार करेगा उसका बहिष्कार करेंगे और उसकी छाया से भी दूर रहेंगे। आचार्य शान्तिचन्द्र ने प्रस्तुत सूत्र की टीका में लिखा है कि मासाहारी लोगों के अपवित्र शरीर को छूना तो दूर रहा,

ॐ तिरिक्खजोणियाण चउद्विहे आहारे पन्ते तज्जहा ककोवमे, विलोवमे; पाणमंसो-
वमो, पुत्त मसावमो। मणुसाणं चउद्विहे आहारे पन्ते तज्जहा—असणे जाव सत्तिमे

— स्थानांग सूत्र, स्थान ४, ३४०।

† 'तएण से मणुआ भरह वास परूढ हक्खगुच्छगुम्मगुम्मलयवल्लीतणपव्वय हरिआ ओसहीयं उवचियतय पत्त पवाल पल्लवकुर पुप्फ फलं समुद्भआ सुहोवभोगंजाय २ चाव पासिहिन्ति पासिता विलेहितो णिद्धाइस्सन्ति णिद्धाइत्ता हट्ठतुट्ठा अण्णमण्णं सहविस्सति २ ता एव वदिस्सति — जाते ण देवाणुप्पिया। भरहे वासे परूढ हक्खगुच्छगुम्मलयवल्ली तणपव्वयहरिय जाव सुहोवभोगे, त जे देवाणुप्पिया। अम्हं केइ अज्जप्पभिइ असुभ कुणिम आहार आहारिस्सइ से ण अणेगाहिं छायाहिं वज्जणिज्जे त्ति कट्टु सठियं ठवेति २ ता भरहे वासे सुहंसुहेण अभिरममाणा २ विट्ठरिस्सति।

— जम्बूद्वीप प्रकृति २, ३६।

उनकी छाया तक को भी नहीं छूएंगे। अर्थात् उनकी छाया को स्पर्श करना भी पाप माना जाएगा। इससे बढ़कर मासाहार के प्रति और अधिक क्या कहा जा सकता है? इसे पढ़ने के पश्चात् क्या कोई समझदार व्यक्ति यह कल्पना कर सकता है कि इतने कड़े शब्दों में मासाहार का विरोध करने वाले जैनागम साधु के लिए सामिष भोजन का विधान कर सकते हैं? त्रिकुल नहीं।

आगमों में चार गति मानी हैं— १-नरक, २-तिर्यञ्च, ३-मनुष्य और ४-देव गति। औपपातिक सूत्र में प्रत्येक गति में जाने के कारणों का उल्लेख किया गया है। उसमें मांस भक्षण ही नरक गति का कारण बताया गया है। उत्तराध्ययन सूत्र में भी बताया गया है कि मांस मद्य का आहार करने वाला व्यक्ति अकाम मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में जाता है। मृगापुत्र ने भी मांस एवं मद्य का सेवन करने से नरक गति का मिलना कहा है।

इन सब पाठों से यह स्पष्ट होता है कि आगम में सामिष भोजन का कड़े शब्दों में निषेध किया गया है। इसे मनुष्य का भोजन नहीं, अपितु पशु का भोजन कहा है। मासाहार करने वाला खूँखार भेड़िये से भी भयानक है, जो अपने आहार को छोड़कर अपने पेट को जीवित पशुओं की कत्र बनाता है। अतः इन सब उद्धरणों

† ग्रास्ता तेषामस्वृक्ष्यात शरीर स्वशः तच्छरीरच्छायास्पर्शोपि वर्जनीयः।

‡ चउर्हि ठार्णेहि जीवा णेरइयत्ताए कम्मं पकरेति, णेरइयत्ताए कम्मं पकरेत्ता णेरुइएमु उववज्जंति, तंजहा— १-महारभयाए २-महापरिगहयाए ३-वच्चिदियवहेण ४-कुणि-माहारेण।
—औपपातिक सूत्र, भगवद्देशना।

ॐ ः हिसे वाले मुसावाई, माइल्ले पिसुणे सढे ।
मुजमाणे सुर मस, सेय मेय ति मन्नई ॥ —उत्तरा० ५, ६
इत्थी विसय गिद्धे य, महारंभ परिगहे ।
भुजमाणे सुर मंस, परि वूढे परं दमे ॥
अय कक्करभोइ य, तुदिल्ले चियलोहिये ।
आउयं नरयु कम्मे, जहा एम व एलए ॥ —उत्तरा० ७, ६, ७ ।
तुहं पियाड मंसाडं, खंडाणि मोल्लगाणि य ।
खाइओ विमभंमाइं, अग्गि वण्णाइण्णेगमो ॥
तुह पिया मुरा सीहू, मेरओ य मडूणि य ।
पाइओमि जलन्तीओ, वमाओ रुहिराणि य ॥

कर्म है। उसका सेवन करने वालों पाप कर्म के बन्ध से कैसे बच सकता है? निर्ग्रन्थ ज्ञातपुत्र भगवान महावीर के साधु कभी भी मांसाहार नहीं करते। आर्द्रिकुमार की यह स्पष्ट आलोचना सुनकर बौद्ध भिक्षु चुप हो जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जैन साधु मांसाहारी नहीं थे और न हैं। यदि जैन साधु स्वयं मांसाहार करते होते तो वे बौद्धों के सामिप भोजन की आलोचना नहीं करते। और यदि करने का दुःसाहस करते भी तो बौद्ध भिक्षु उन्हें सचोट उत्तर देने से कभी नहीं चूकते, कि तुम भी तो सामिप भोजन करते हो, तुम कौन से पवित्र व्यक्ति हो। परन्तु, जैन मुनियों की कहीं ऐसी आलोचना नहीं की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि जैन मुनि आमिप भोजन से सर्वथा निवृत्त है। आगम में तो मांसाहार को साधु के लिए तो क्या मनुष्य के लिए भी उपयुक्त नहीं बताया है। उसे मनुष्यों का नहीं पशुओं का, जङ्गली जानवरों का आहार कहा है*।

जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में बताया गया है कि उत्सर्पिणी काल चक्र का पहला आरंभ समाप्त होकर जब दूसरा लगेगा तब ४६ दिन तक अनवरत वर्षा होगी। उससे पृथ्वी में सरसता आएगी और वह विविध वनस्पतियों से शस्य-श्यामला हो जाएगी। उस समय विलों में रहने रहने वाले मनुष्य बाहर आएंगे और फल-फूल खाकर अत्यधिक प्रसन्न होंगे और यह सामाजिक नियम बनाएंगे कि आज तक हमने विवश होकर मांसाहार किया, परन्तु अब कभी भी मांसाहार नहीं करेंगे। जो सामिप आहार करेगा उसका बहिष्कार करेंगे और उसकी छाया से भी दूर रहेंगे। आचार्य शान्तिचन्द्र ने प्रस्तुत सूत्र की टीका में लिखा है कि मांसाहारी लोगों के अपवित्र शरीर को छूना तो दूर रहा,

* तिरिक्खजोणियाण चउव्विहे आहारे पन्नते तजहा ककोवमे, विलोवमे; पाणमंसो-
वमो, पुत्त मसावमो । मणुसाणं चउव्विहे आहारं पन्नते तजहा—असणे जाव सात्तिमे ।

— स्थानाग सूत्र, स्थान ४, ३४० ।

† 'तएणु से मणुआ भरह वास परूढ रुक्खगुच्छगुम्मगुम्मलयवल्लीतणपव्वय हरिआ भोसहीर्यं उवचियतय पत्त पवाल पल्लवंकुर पुप्फ फलं समुइअ सुहोवभोगजाय २ चाव पासिह्मित्तं पासित्ता विलेहितो णिद्धाइस्सत्ति णिद्धाइत्ता हट्ठुट्ठा अण्णमण्णं सहविस्सत्ति २ ता एव वदिस्सत्ति — जाते ण देवाणुप्पिया । भरहे वासे परूढ रुक्खगुच्छगुम्मलयवल्ली तणपव्वयहरिय जाव सुहोवभोगे, त जे देवाणुप्पिया । अमहं केइ अज्जप्पभिइ अमुभ कुणिम आहार आहारिस्सइ से ण अणेगाहिं छायाहिं वज्जणिज्जे त्ति कट्ठु सठियं ठवेति २ ता भग्हे वासे सुहंसुहेण अभिरममाणा २ विहरिस्सत्ति ।

— जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति २, ३६ ।

उनकी छाया तक को भी नहीं छूएंगे। अर्थात् उनकी छाया को स्पर्श करना भी पाप माना जाएगा। इससे बढ़कर मांसाहार के प्रति और अधिक क्या कहा जा सकता है? इसे पढ़ने के पश्चात् क्या कोई समझदार व्यक्ति यह कल्पना कर सकता है कि इतने कड़े शब्दों में मांसाहार का विरोध करने वाले जैनगम साधु के लिए सामिष भोजन का विधान कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं।

आगमों में चार गति मानी हैं— १-नरक, २-तिर्यञ्च, ३-मनुष्य और ४-देव गति। औपपातिक सूत्र में प्रत्येक गति में जाने के कारणों का उल्लेख किया गया है। उसमें मांस भक्षण ही नरक गति का कारण बताया गया है। उत्तराध्ययन सूत्र में भी बताया गया है कि मांस मद्य का आहार करने वाला व्यक्ति अकाम मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में जाता है। मृगपुत्र ने भी मांस एवं मद्य का सेवन करने से नरक गति का मिलना कहा है।

इन सब पाठों से यह स्पष्ट होता है कि आगम में सामिष भोजन को कड़े शब्दों में निषेध किया गया है। इसे मनुष्य का भोजन नहीं, अपितु पशु का भोजन कहा है। मांसाहार करने वाला खूंखार भेड़िये से भी भयानक है, जो अपने आहार को छोड़कर अपने पेट को जीवित पशुओं की कत्र बनाता है। अतः इन सब उद्धरणों

† आस्ता तेषामसृक्ष्यात् नारीर स्वर्गः तच्छरीरच्छायास्पर्शोपि वर्जनीयः ।

‡ चउहि ठार्णेहि जीवा णेरइयत्ताए कम्मं पकरेति, णेरइयत्ताए कम्म पंकरेता णेरइएमु उववज्जंति, तंजहा— १-महारभयाए २-महापरिग्गहयाए ३-पविदियवहेण ४-कुणि-माहारेण ।

—औपपातिक सूत्र, भगवद्देशना ।

§ हिसे वाले मुसावाई, माइल्ले पिसुणे सढे ।
 मुजमाणे सुर मस, सेय मेय ति मन्नई ॥ —उत्तरा० ५, ६
 इत्थी विसय गिद्धे य, महारंभ परिग्गहे ।
 भुंजमाणे सुर मंस, परि वूढे परं दमे ॥
 अय कक्करभोइ य, तुदिल्ले चियलोहिंये ।
 आउर्यं नरय् कत्ते, जहा एस व एलए ॥ —उत्तरा० ७, ६, ७ ।
 तुहं पियाइ मंसाइं, खंडाणि मोल्लगाणि य ।
 खाइओ विममंमाइं, अग्गि वण्णाइण्णेतो ॥
 तुह पिया मुरा सीहू, मेरओ य म्हाणि य ।
 पाइओमि जलन्तीओ, वमाओ रुहिराणि य ॥

— उत्तरा०, १६, ६६-७० ।

से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त मास एवं मत्स्य शब्द सामिप आहार से नहीं, अपितु फलों से सम्बन्धित है। अतः उक्त शब्दों का वनस्पति विशेष अर्थ करना ही उचित एवं आगम सम्मन प्रतीत होता है।

आहार के विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० सिया से परो अभिहट्टु अंतो पडिग्गहे विलं वा लोणं वा उच्चिमं वां लोणं परिभाइत्ता-- नीहट्टु दलइज्जा, तहप्पगारं पडिग्गहं परहत्थसि वा २ अफ्फासुयं नो पडि० । से आहच्च पडिगाहिए सिया, तं च नाइ- दूरगए जाणिज्जा, से तमायाए तत्थ गच्छिज्जा २ पुव्वामेव आलोइज्जा—आउसोत्ति वा २ इमं किंते जाणया दिन्नं उदाहु अजाणया ? से य भणिज्जा नो खलु मे जाणया दिन्नं, अजा- णया दिन्नं कामं खलु आउसो ! इयाणि निसिरामि, तं भुंजह वा णं परिभाएह वा णं तं परेहि समणुन्नायं समणुसट्ठं तओ संजयामेव भुंजिज्ज वा पीइज्ज वा, जं च नो संचाएइ भोत्तए वा पायए वा साहम्मिया तत्थ वसंति संभोइया समणुन्ना अपरि- हारिया अदूरगया, तेसिं अणुप्पयायव्वं सिया, नो जत्थ सा- हम्मिया जहेव बहुपरियावन्नं कीरइ तहेव कायव्वं सिया, एवं खलु० ॥५६॥

छाया—स भिक्षुः० स्यात् स परः अभिहृत्य अन्तः पतद्ग्रहे विड वा

लवण वा उद्भिज्जं वा लवण परिभाज्य निर्हृत्य दद्यात् तथाप्रकारं गतद्-
ग्रह पृहस्ते वा २ अप्रासुकं नो प्रतिगृहीयात् । म आहृत्य प्रतिगृहीत स्यात्
तं च नातिदूगतं जानीयात् (ज्ञात्वा) स तमादाय तत्र गच्छेत् गत्वा च
पूर्वमेव आलोकयेत्— आयुष्मन् इति वा २ इदं किं त्वया जानता दत्तं,
उत अजानता ? म च भणेत्र ना खलु मया जानता दत्तं, अजानता दत्तं,
कामं खलु आयुष्मन् ! इदानीं निमृजामि त भुक्षध्वम् वा परिभाजयत तद्
परैः समनुज्जात, ममनुमृष्टं ततः मयतमेव भुजीत पिवेद् वा । यच्च नो
शक्नोति भोक्तु वा पातुं वा माधमिकाः यत्र वसन्ति सभोगिकाः समनोज्ञाः
अपरिहारिकाः अदूरगता तेभ्योऽनुप्रदातव्य स्यान् नो यत्र माधमिकाः । यथैव
बहु पर्यायन्न क्रियेत् तथैव कर्तव्यं स्यात् । एवं खलु० (सूत्र ५९)

—पिंडपणां दशम उद्देशकः ।

वा—अथवा । परिभाएह—आपस मे बाट लो । णं—पूर्ववत् । त—वह । परेहि—गृहस्थो की ओर से । समणुन्नाय—आज्ञा मिलने पर । समणुसदंठं—सम्यक् प्रकार से प्राप्त कर । तओ—तदनन्तर । संजयामेव—साधु यत्ना पूर्वक । भुजिज्जा वा—खा ले अथवा । पिबेज्ज वा—पी ले । ज च—यदि वह । भोत्तए वा—खाने मे तथा । पायए वा—पीने मे । नो सचाएमि—समर्थ नहीं है । तत्थ—वहां पर । साहम्मिया—जो साधर्मिक साधु । वसंति—रहते है, जो । संभोइया—एक मांडले के सभोगी है । समणुन्ना—समनोज्ञ है तथा । अपरिहारिया—अपरिहार्य अर्थात् त्यागने योग्य नहीं हैं—निर्दोष हैं । अदूरगया—दूर भी नहीं—अर्थात् समीपवर्ती है । तेस—उनको । अणुप्पयायव्वसिया—उनको प्रदान करना चाहिए यदि । जत्थ—जहा पर । साहम्मिया—साधर्मिक । नो—नहीं है तो । जहेव—जिस प्रकार । बहूपरियावन्नं—अधिक आहार मिलने पर जो परठने की विधि बताई है । कीरइ—पूर्व किया है । तहेव—उसी प्रकार । कायव्व सिया—करना चाहिए । एव खलु०—इस प्रकार मुनि का समग्र आचार वर्णन किया है ।

मूलार्थ—यदि कोई गृहस्थ घर पर भिक्षार्थ आए हुए भिक्षु को अंदर- घर मे अपने पात्र में बिड़ अथवा उद्भिज्ज लवण को विभक्त कर उसमे से कुछ निकाल कर साधु को दे दे तो तथाप्रकार लवणादि को गृहस्थ के पात्र में अथवा हाथ में अप्रासुक जानकर ग्रहण न करे ।

यदि कभी अकस्मात् वह ग्रहण कर लिया है तो-मालूम होने पर गृहस्थ को समीपस्थ ही जानकर लवणादि को लेकर वहां जावे और वहा जाकर पहले दिखलाए और कहे कि—हे आयुष्मन् ! अथवा भगिनि ! तुमने यह लवण मुझे जानकर दिया है या बिना जाने दिया है ? यदि वह गृहस्थ कहे कि मैंने जानकर नहीं दिया, किन्तु भूल से दिया है । परन्तु, हे आयुष्मन् ! अब मैं तुम्हे जानकर दे रहा हूँ, अब तुम्हारी इच्छा है- तुम स्वयं खाओ अथवा परस्पर में बाट लो । अस्तु, गृहस्थ की ओर से सम्यक् प्रकार से आज्ञा पाकर अपने स्थान पर चला जावे, और वहा जाकर यत्नपूर्वक खाए तथा पीए । यदि स्वयं खाने या पीने को असमर्थ हो तो जहा आस-पास में एक मांडले के सभोगी, समनोज्ञ और निर्दोष साधु रहते हो वहा जावे और उनको दे दे । यदि साधर्मिक पास मे न हों तो जो

परठने की विधि बतलाई है उसी के अनुसार परठ दे। इस प्रकार मुनि का आचार धर्म बतलाया गया है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि किसी गृहस्थ ने साधु को भूल से अचित्त नमक दे दिया है तो साधु उस गृहस्थ से पूछे कि यह नमक तुम्हें भूल से दिया है या जानकर? वह कहे कि मैंने दिया तो भूल से है, फिर भी मैंने आपको दे दिया है अतः अब आप इसे खा सकते हैं या अपने अन्य साधुओं को भी दे सकते हैं। ऐसा कहने पर वह साधु उस अचित्त नमक को यदि स्वयं खा सकता है तो स्वयं खा ले, अन्यथा अपने सांभोगिक, मनोज्ञ एवं चारित्रनिष्ठ साधुओं को बांट दे। यदि स्वयं एवं अन्य साधु नहीं खा सकते हों तो उसे एकान्त एवं प्रासुक स्थान में जाकर परठ देवे।

इसमें यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि नमक सचित्त होता है और उसके लिए अप्रासुक शब्द का प्रयोग भी हुआ है, फिर उसे खाने एवं सांभोगिक साधुओं में विभक्त करने की आज्ञा कैसे दी गई? इसका समाधान यह है कि आगम में जो खाने का आदेश दिया गया है, वह अचित्त नमक की अपेक्षा से दिया गया है। किसी शस्त्र के प्रयोग से जो नमक अचित्त हो गया है और वह भूल से आ गया है तो गृहस्थ को पूछकर उसके कहने पर साधु खा सकता है। प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त अप्रासुक शब्द सचित्त के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है। इसका तात्पर्य इतना ही है कि भूल से आए हुए नमक के विषय में गृहस्थ से पूछकर यह निर्णय करे कि यह नमक भूल से दिया गया है या जानकर और यदि भूल से दिया गया है तो अब गृहस्थ को इसे खाने के लिए आज्ञा है या नहीं— आज्ञा लिए बिना साधु को उसे खाना नहीं कल्पता। अतः अप्रासुक शब्द सचित्त के अर्थ में नहीं, अपितु अकल्पनीय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और वह कब तक अकल्पनीय है इसकी स्पष्ट व्याख्या ऊपर कर चुके हैं।

जैसे आचाराग में स्थित सचित्त एवं अकल्पनीय दोनों अर्थों में अप्रासुक शब्द का प्रयोग हुआ है, उसी तरह दशवैकालिक सूत्र में अग्रहणीय सचित्त वस्तु एवं जो वस्तु लेने की इच्छा न हो उन दोनों के लिए 'न कप्पइ तारिसं' शब्द का प्रयोग हुआ है। और भगवती सूत्र में भगवान महावीर ने सचित्त उड़द के लिए भी अभक्ष्य शब्द का प्रयोग किया है और किसी गृहस्थ के द्वारा बिना याचना किए हुए उड़द को भी साधु के लिए अभक्ष्य कहा है।[†] इसी तरह थावच्चा पुत्र ने शुकदेव संन्यासी को और

❀ दशवैकालिक सूत्र ५, १, ७६।

† भगवती सूत्र १८, ३०।

भगवान् पार्ष्वनाथ ने सोमल ब्राह्मण को भां ऐसे शब्द कहे थे । इससे यह स्पष्ट होता है कि यह आगम की एक शैली रही है कि एक शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है । अतः यहा अप्रासुक्त शब्द अकल्पनीय अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ।

प्रस्तुत सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि यदि कोई पदार्थ विना इच्छा के भूल से आ गया है तो उसके लिए गृहस्थ से पूछकर उसको आज्ञा मिलने पर उसे खा सकता है, अपने समान आचार-विचारनिष्ठ साधुओं को दे सकता है और उसे खाने में समर्थ न हो तो साधु मर्यादा के अनुसार आचारण कर सकता है ।

‘त्तिबेभि’ की व्याख्या पूर्ववत् समर्भे ।

॥ दशम उद्देशक समाप्त

प्रथम अध्ययन पिण्डैषणा

एकादशम उद्देशक

प्रस्तुत उद्देशक में यह बताया गया है कि साधु को जो आहार प्राप्त हुआ है, उसे उसका कैसे उपयोग करना चाहिए। इस बात का निर्देश करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—भिक्षागा नामेगे एवमाहंसु—समाणे वा वसमाणे वा गामाणुगामं वा दूइज्जमाणे मणुन्नं भोयणजायं लभित्ता से भिक्खू गिलाइ, से हंदह गां तस्साहरह, से य भिक्खू नो भुंजिज्जा तुमं चेव गां भुंजिज्जासि, से एगइओ भोक्खामित्ति कट्टु पलिउंचिय २ आलोइज्जा, तंजहा— इमे पिंडे इमे लोए इमे तित्ते इमे कडुयए इमे कसाए इमे अंबिले इमे महुरे, नो खलु इत्तो किंचि गिलाणस्स सयइत्ति माइट्ठाणां संफासे, नो एवं करिज्जा, तहाठियं आलोइज्जा जहाठियं गिलाणस्स सयइत्ति, तं तित्तयं तित्तएत्ति वा कडुयं कडुअं कसायं कसायं अंबिलं अंबिलं महुरं महुरं० ॥६०॥

छोया—भिक्षाका नामैके एवमाहुः समाना वा वसन्तो वा ग्रामानुग्रामं वा दूयमानाः मनोज्ञ भोजनजातं लब्ध्वा स भिक्षुः ग्लायति, स

गृहणीत यूयम् ण तस्य आहरतः स च भिक्षुः न भुवते त्वमेव भुञ्च स एककः
भोक्ष्ये इति कृत्वा परिकुच्य परिकुच्य आलोकयेत्, तद्यथा—अयं पिण्डः अयं
रूक्षः अयं तिक्तः अयं कण्डुकः अयं कषायः, अयं अम्लः, अयं मधुरः, नो खलु
इतः किञ्चिद् ग्लानस्य स्वदतीति, मातृस्थानं सस्पृशेत्, नो एव कुर्यात्, तथा स्थित
आलोकयेत् यथा स्थित ग्लानस्य स्वदतीति, तद् तिक्तकं तिक्तक इति वा कटुक
कटुकं, कषाय कषायं, अम्ल अम्लं मधुरं मधुरम् ।

पदार्थ—भिक्षागा—भिक्षु-साधु । नाम—सम्भावनार्थक अन्वय है । एगे—कितने
एक । एव—इस प्रकार । आहसु—कहने लगे । समाणे वा—संभोगी साधु तथा अमभोगी साधु
वसमाणे वा—रोगादि के कारण से एक स्थान में रहते हुए । गामाणुगाम दूइज्जमाणे—अनुक्रम
से ग्रामानुगाम विचरते हुए, वहा आ गए उनमें कोई साधु रोगी है उसके लिए । मगुन्न—मनोज्ञ
भोग्यजाय—भोजन पदार्थ । लमिस्ता—प्राप्त कर कहने लगे । से—वह । भिक्खू—भिक्षु ।
गिलाहं—रोगी है । से हवह—यह आहार तुम ले लो । णं—वाक्यालकार में है । तस्साहरह—
उसके लिए दे दो । से य भिक्खू—यदि रोगी—वह भिक्षु । न भुजिज्जा—न खावे तो । तुम-
चेव—तुम ही । भुजिज्ज सि—भोग लेना । ण—वाक्यालकार में है । से एगइओ—वह कोई एक
भिक्षु गृहस्थ से आहार लेकर मन में विचारता है कि । भोक्खामिस्ति कड्डु—इस आहार को मैं
ही भोगूँगा—मैं ही खाऊँगा । पणिडंविच पलिउचेय—अस्तु मनोज्ञ आहार को छुटा छुपाकर
वानादि रोगी को देकर कर । आलोइज्जा—दिखल ता है । तजहा—जैसे कि । इमे पिडे—
यह जो आहार साधुओं ने आपक लिए दिया है, यह अपथ्य है, क्योंकि । इमे लोए—यह रूक्ष
आहार है । इमे तिक्त—यह तिक्त है । इमे कडुयए—यह कटुक है । इमे कसाए—यह कषाय
है । इमे अविडे—यह खट्टा है । इमे महुरे—यह मीठा है । खलु—निश्चय ही । इत्तो—
इससे । किञ्चि—किञ्चिन्मात्र भी । गिलाणस्त—रोगी को । नो सयइत्ति—लाभ नहीं हाँगा,
ऐसा करने से वह भिक्षु । माइट्ठाण—मातृस्थान-छल के स्थान का । संफासे—सेवन करता
है । एव—इस प्रकार । नो करेज्जा—वह न करे किन्तु । तइठियं—तथावस्थित । आलो-
इज्जा—दिखलावे । जहाठिय—यथावस्थित । गिलाणस्त—रोगी को । सयइत्ति—लाभ
पहुँचे । त—जैसे कि । तिस्त तैत्तएत्ति—तिक्त को तिक्त । वा—और । कडुयं कडुअ—
कटुक को कटुक । कसाय कसाय—कषाय को कषाय । अविच अविचल—खट्टे को खट्टा ।
महुर महुर—मधुर को मधुर कहे ।

मूलार्थ—एक क्षेत्र में किसी कारण से साधु रहते हैं, वहा पर ही

ग्रामानुग्राम विचरते हुए अन्य साधु भी आगये है और वे भिक्षाशील मुनि मनोज्ञ भोजन को प्राप्त कर उन पूर्वस्थित भिक्षुओं को कहे कि अमुक भिक्षु रोगी है उसके लिए तुम यह मनोज्ञ आहार ले लो । यदि वह रोगी भिक्षु न खाए तो तुम खालेना ? अस्तु, किसी एक भिक्षु ने उनके पास से आहार लेकर मन मे विचार किया कि यह मनोज्ञ आहार मैं ही खाऊंगा । इस प्रकार विचार कर उस मनोज्ञ आहार को अच्छी तरह छिपा कर, रोगी भिक्षु को अन्य आहार दिखला कर कहे कि यह आहार भिक्षुगो ने आप के लिए दिया है । किन्तु यह आहार आपके लिए पथ्य नहीं है, क्योंकि यह रुक्ष है, तिक्त है, कटुक है, कसंला है, खट्टा है, मधुर है, अतः रोग की वृद्धि करने वाला है, आपको इससे कुछ भी लाभ नहीं होगा । जो भिक्षु इस प्रकार कपट चर्या करता है, वह मातृस्थान का स्पर्श करता है, अतः भिक्षु को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए । किन्तु जैसा भी आहार हो उसे वैसा ही दिखलावे—अर्थात् तिक्त को तिक्त, कटुक को कटुक, कपाय को कषाय, खट्टे को खट्टा और मीठे को मीठा बतलावे । तथा जिस प्रकार रोगी को शांति प्राप्त हो उसी प्रकार पथ्य आहार के द्वारा उसकी सेवा-शुश्रूषा करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में रोगी साधु की निष्कपट भावसे सेवा-शुश्रूषा करने का आदेश दिया गया है । यदि किसी साधु ने किसी रोगी साधु के लिए मनोज्ञ आहार दिया हो तो सेवा करने वाले साधु का कर्तव्य है कि जिस साधु ने जैसा आहार दिया है उसे उसी रूप में बताए । ऐसा न करे कि उस मनोज्ञ आहार को स्वयं के लिए छुपाकर रख ले और बीमार साधु से कहे कि तुम्हारे लिए अमुक साधु ने यह रूखा-सूखा, खट्टा, कपायला आदि आहार दिया है, जो आपके लिए अपथ्यकर है । यदि स्वाद लोलुपता के वश साधु इस तरह से मरस आहार को छुपाकर उस रोगी साधु को दूसरे पदार्थ दिखाता है और उसके सम्बन्ध में गलत बातें बताता है तो वह माया-कपट का सेवन करता है । कपट आत्मा को गिराने वाला है । इससे महाप्रतों में दोष लगता है और साधु साधुत्व से

गिरता है। अतः साधु को अपने अपने स्वाद का पोषण करने के लिए छल-कपट नहीं करना चाहिए। जैसा आहार दिया गया है उसे उसी रूप में रोगी साधु के सामने रख देना चाहिए।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—भिक्षवागा नामेगे एवमाहसु—समाणे वा वसमाणे
वा गामाणुगाम दूइज्जमाणे वा मणुन्नं भोयण जाय लभित्ता से
य भिक्खू गिलाइ से हदह णं तस्स आहरह, से य भिक्खू नो
भुंजिज्जा आहारिज्जा, से ण खलु मे अतराए आहरिस्सामि,
इच्चेयाइ आयतणाइ उवाइक्कम्म ॥६१॥

छाया—भिक्षाकाः नामेके एवमाहुः समानान् वा वसमानान् वा ग्रामानु-
ग्राम दूयमानान् वा मनोज्ञं भोजनजातं लब्ध्वा स च भिक्षुं ग्लायति स
गृह्णीत, णं तस्य आहरत स च भिक्षुः नो भुंक्ते आहरेत् स न खलु मे अन्त-
रायं आहरिष्यामि इत्येताभिः श्रुतानामि उपातिक्रम्य।

पदार्थ—नाम—सभावना अर्थ में है। एगे—कोई एक। भिक्षवागा—भिक्षा से जीवन व्यतीत करने वाले भिक्षु-साधु। एवमाहसु—इस प्रकार साधुओं के समीप आकर कहने लगे। समाणे वा—संभोगी साधुओं को। वसमाणे—अथवा एक क्षेत्र में स्थिर वास रहने वाली को अथवा। गामाणुगाम दूइज्जमाणे वा—ग्रामानुग्राम विहार करने वाली को। मणुन्नं—मनोज्ञ। भोयणजाय—भोजन पदार्थ। लभित्ता—प्राप्त कर। से—वह। भिक्खू—साधु, वसते हुए या विहार करने वाले आगन्तुक साधु को कहे कि। गिलाइ—जो भिक्षु रोगी है उसके लिए। हदह—यह आहार ले लो। तस्स—उसको। आहरह—दे दो। णं—वावयालंकार में है, यदि। से—वह। भिक्खू—रोगी साधु। नो भुंजिज्जा—न खावे, तो। आहारिज्जा—वापिस लाकर हमको दे देना क्योंकि हमारे यहां भी रोगी साधु है। य ण—प्राग्वत्। से—वह—भिक्खू, लेने वाला कहने लगा कि यदि। मे—मुझे। नो अतराए—कोई अंतर न हुआ अर्थात् आने में कोई विघ्न उपस्थित न हुआ तो। आहारिस्सामि—मैं वापिस लाकर दे दूंगा, इस प्रकार प्रतिज्ञा कर, वह आहार रोगी को न देकर आप ही खा जाता है तो। इच्चेयाइ—इस प्रकार यह कार्य। आयतणाइ—कर्म बन्धन का कारण है। उवाइक्कम्म—इनको सम्यक्

प्रकार से दूर करके रोगी साधु की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि छल-कपटादि से कर्म का बन्ध होता है।

मूलार्थ—भिक्षाशील साधु, सभोगी साधु वा एक क्षेत्र में स्थिर वास रहने वाला साधु गृहस्थ के वहाँ से मनोज्ञ आहार प्राप्त करके ग्रामानु-ग्राम विचरने वाले अतिथि रूप में आए हुए साधुओं से कहे कि तुम रोगी साधु के लिए यह मनोज्ञ आहार ले लो? यदि वह रोगी साधु इसे न खाए तो यह आहार हमें वापिस लाकर दे देना, क्योंकि हमारे यहाँ भी रोगी साधु है। तब वह आहार लेने वाला साधु उनसे कहे कि यदि मुझे आने में कोई विघ्न न हुआ तो मैं इस आहार को वापिस लाकर दे दूंगा, परन्तु रस लोलुपो वह साधु उस आहार को रोगी को न देकर स्वयं खा जाए और पूछने पर कहे मेरे शूल उत्पन्न होगया था अर्थात् मेरे पेट में बहुत दर्द होगया था इस लिए मैं नहीं आ सका, इसप्रकार वह साधु मायास्थान का सेवन करता है, अतः इस तरह के पापकर्मों के स्थानों को सम्यक्तया दूर करके, रोगी साधु की आहार आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए,

हिन्दी वितेचन

प्रस्तुत सूत्र में पूर्व सूत्र में कथित विषय को कुछ विशेषता के साथ बताया गया है। पूर्व सूत्र में कहा गया था कि यदि कोई साधु रोगी साधु की सेवा में स्थित साधु को यह कहकर मनोज्ञ आहार दे गया हो कि इस आहार को रोगी को दे देना यदि वह न खाए तो तुम खा लेना, तो साधु उस आहार को अपने लिए छुपाकर नहीं रखे। और प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि यदि किसी साधु ने प्रतिज्ञा पूर्वक यह कहा हो कि यह मनोज्ञ आहार रोगी साधु को ही देना यदि वह न खाए तो हमें वापिस लाकर दे देना, तो उस साधु को चाहिए कि वह आहार रोगी साधु को दे दे। स्वयं उसका उपभोग न करे। यदि वह स्वाद की लोलुपता से उस आहार को अपने लिए छुपाकर रखता है, तो माया का सेवन करता है। और उसकी इस वृत्ति से उमका दूसरा महाव्रत भी भंग होता है और रोगी को आहार की अंतराय देने के कारण अन्तराय कर्म का भी बन्ध होता है। उम

तरह स्वाद के वश साधु अपना अधःपतन कर लेता है। वह आध्यात्मिक साधना से भ्रष्ट हो जाता है। अतः साधक को अपनी क्रिया में छल-रुपट नहीं करना चाहिए। पदार्थों के स्वाद की अपेक्षा साधना, सरलता, सेवा एव सत्यता का अधिक मूल्य है, उस से आत्म का विकास होता है। इसलिए साधु को शुद्ध एव निष्कपट भाव से रोगी की सेवा करनी चाहिए और उसके लिए जो आहार दिया गया हो उसे बिना छुपाए उमी रूप में उसको देना चाहिए। वृत्तिकार का भी यही अभिमत है॥

अब सूत्रकार सप्त पिंडैषणा के विषय में कहते हैं—

मूलम्—अह भिक्षू जाणिज्जा सत्त पिंडेसणाओ सत्त पाणेसणाओ, तत्थ खलु इमा पढमा पिंडेसणा—असंसट्ठे हत्थे असंसट्ठे मत्ते, तहप्पगारेण असंसट्ठेण हत्थेण वा मत्तेण वा असणां वा ४ सयं वा णं जाइज्जा परो वा से दिज्जा फासुयं पडिगाहिज्जा, पढमा पिंडेसणा ॥१॥ अहावरा दुच्चा पिंडेसणा-संसट्ठे हत्थे संसट्ठे मत्ते, तहेव दुच्चा पिंडेसणा ॥२॥ अहा वरा तच्चा पिंडेसणा—इह खलु पाईणां वा ४ संतेगइआ सद्धा भवंति—गाहावई वा जाव कम्मकरी वा, तेसिं च णं अन्नयरेसु विरूवरूवेसु भायणाजाएसु उवनिक्खित्तपुब्बे सिया तंजहा—थालंसि वा, पिढरंसि वा सरगंसि वा परगंसि वा बर-

॥ सचैवमुक्त, सन् एव वदेत्—यथाऽन्तरायमतरेणाहरिष्यामीति प्रतिज्ञयाऽऽहार-मादाय ग्लानातिक गत्वा प्राक्नान् भक्तादिरूक्षादिदोषानुद्घाट्य ग्लानागदत्वा स्वतएव लोत्थाद् भुक्त्वा ततस्तस्य साधोर्निवेदयति, यथा मम शूलं वैयावृत्यकालापरापि यादिक गन्तरायिकमभूदतोऽहं तद् ग्लानभक्तं गृहीत्वा नायात इत्यादि मातृस्थानं संस्पृशेत् एतदेव दर्शयति—इ येतानि—पूर्वोक्तान्यायतेनानि—कर्म्मोपादानस्थानानि 'उपातिक्रम्य' सम्यक् परिहृत्य मातृस्थान-परिहारेण ग्लानाय वा दद्याद् दातृमाधुममीप वाऽऽहरेदिनि । — आचाराङ्ग वृत्ति ।

गंसि वा, अह पुगोवं जाणिजा—असंसट्ठे हत्थे संसट्ठे मत्ते,
संसट्ठे वा हत्थे असंसट्ठे मत्ते, से य पडिग्गह्वारी सिया
पाणिपडिग्गहिए वा, से पुब्बामेव०—आउमोत्ति वा ! २ एग्गा
तुमं असंसट्ठेण हत्थेण, संसट्ठेण मत्तेणं संसट्ठेण वा हत्थेण
असंसट्ठेण मत्तेण अस्सि पडिग्गह्वगंसि वा पाणिमि वा निह—
ट्ठु उचित्तु दत्तयाहि तहप्पगारं भोयणाजायं सयं वा गां जाइजा
२ फामुयं० पडिगाहिजा, तइया पिंडेसणा ॥३॥ अहावरा
चउत्था पिंडेसणा—से भिक्खू वा० से जं० पिहुयं वा जाव
चाउलपलंबं वा अस्सि खलु पडिग्गहियंमि अप्पे पच्छाकम्भे
अप्पे पज्जवजाए, तहप्पगारं पिहुयं वा जाव चाउलपलंबं वा
सयं वा गां० जाव पडि०, चउत्था पिंडेसणा ॥४॥ अहावरा
पंचमा पिंडेसणा—से भिक्खू वा २ उग्गहियमेव भोयणाजायं
जाणिजा, तंजहा—सरावंसि वा डिंडिमंसि वा कोमगंसि वा,
अह पुगोवं जाणिजा बहुपरियावन्ने पाणीसु दगलेवं, तहप्पगारं
असणां वा ४ सयं० जाव पडिगाहि०, पंचमा पिंडेसणा ॥५॥
अहावरा छट्ठा पिंडेसणा—से भिक्खू वा २ पग्गहियमेव
भोयणाजायं जाणिजा, जं च सयट्ठाए पग्गहियं, जं च पर-
ट्ठाए पग्गहियं, तं पायपरियावन्नं, तं पाणिपरियावन्नं फामुयं

पडि०, छट्ठा पिंडेसणा ॥६॥ अहावरा सत्तमा पिंडेसणा—से भिक्खू वा० बहुउज्झियधम्मियं भोयणाजायं जाणिज्जा, जं चऽन्ने बहवे दुपयचउप्पय समणमाहणाअतिहिक्खिणवणीमगा नावकंखंति, तहप्पगारं उज्झियधम्मियं भोयणाजायं सयं वा एं जाइज्जा, परो वा से दिज्जा जाव पडि०, सत्तमा पिंडेसणा ॥७॥ इच्चेयाओ सत्त पिंडेसणाओ, अहावराओ सत्त पाणेसणाओ, तत्थ खलु इमा पढमा पाणेसणा असंसट्ठे हत्थे, असंसट्ठे मत्ते, तं चेव भाणियच्चं, नवरं चउत्थाए नाणत्तं — से भिक्खू वा० से जं० पुण पाणागजायं जाणिज्जा, तंजहा—तिलोदगं वा ६, अस्सिंखलु पडिगगहियसि अप्पे पच्छाकम्मे तहेव पडिगाहिज्जा ॥६२॥

छाया—अथ मित्तुर्जानीयात् सप्त पिंडैषणाः सप्तपानैषणाः तत्र खलु इयं प्रथमा पिंडैषणा असंसृष्टो हस्तः असंसृष्टं मात्रम्, तथाप्रकारेण असंसृष्टेन हस्तेनवा मात्रेण वा अशन वा ४ स्वयं वा याचेत् परो वा स दद्यात् प्रासुकं प्रतिगृहणीयात्, प्रथमा पिंडैषणा ॥१॥ अथापरा द्वितीया पिंडैषणा—संसृष्टो-हस्तः संसृष्टं मात्रं तथैव द्वितीया पिंडैषणा ॥२॥ अथापरा तृतीया पिंडैषणा-इह खलु प्राचीन वा ४ सन्त्येककाः श्राद्धा भवन्ति गृहपति वा यावत् कर्मकरा वा तेषां च अन्यतरेषु विरूपरूपेषु भाजनजातेषु उपनिहितपूर्वः स्यात्, तद्यथा—स्थाले वा पिठरे वा सरके वा परके वा वरके वा, अथ पुनरेवं जानीयात्, असंसृष्टो हस्तः संसृष्टं मात्रं असंसृष्टो वा हस्तः असंसृष्टं मात्रं स च प्रतिग्रहधारी स्यात् पाणिप्रतिग्राहितः वा स पूर्वमेव आयुष्मन् । इति वा एनेन न्न असंसृष्टेन हस्तेन संसृष्टे मात्रेण संसृष्टेन वा हस्तेन असंसृष्टेन

मात्रेण अस्मिन् पतद्ग्रहे वा पाणौ वा निर्हृत्य उच्चित्य ददस्व, तथाप्रकार भोजनजातं स्वयं वा याचेत् २ प्रासुकं प्रतिगृह्णीयात्, तृतीया पिण्डैषणा ॥३॥ अथापरा चतुर्थी पिण्डैषणा—स भिक्षुः वा स यत् पृथुक वा यावत् ओदन-पलम्बं वा अस्मिन् खलु पतद्ग्रहे अल्प पश्चात् अल्प पर्यायजातं, तथाप्रकार पृथुक वा यावत् तन्दुलपल्लव वा स्वयं वा यावत् प्रतिगृह्णीयात्, चतुर्थी पिण्डैषणा ॥४॥ अथापरा पंचमी पिण्डैषणा—स भिक्षुर्वा० उपहृतमेव भोजन-जात जानीयात्, तद्यथा—शरावे वा डिण्डिमे वा कोशके वा अथ पुनरेवं जानीयात् बहुपर्यापन्नः पाणिषु दकलेपः तथाप्रकार अशनं वा ४ स्वयं यावत् प्रतिगृह्णीयात्, पंचमी पिण्डैषणा ॥५॥ अथापरा षष्ठी पिण्डैषणा स भिक्षुर्वा २ प्रगृहीतमेव भोजनजातं जानीयात्, यच्च स्वार्थाय प्रगृहीतं यच्च परार्थाय प्रगृहीत तत् पात्रपर्यापन्न वा तत् पाणिपर्यापन्नं वा प्रासुक प्रतिगृह्णीयात्, षष्ठी पिण्डैषणा ॥६॥ अथापरा सप्तमी पिण्डैषणा—स भिक्षुः वा बहु उज्जितधर्मिक भोजन-जातं जानीयात् यच्च अन्ये बहवः द्विपद-चतुष्पद-श्रमण-ब्राह्मण-अतिथि-कृपण-वनीपकाः नावकांक्षन्ति तथाप्रकारं उज्जितधर्मिकं भोजनजात स्वयं वा याचेत् परो वा स दद्यात् प्रतिगृह्णीयात्, सप्तमी पिण्डैषणा ॥७॥ इत्येताः सप्त पिण्डैषणाः ॥ अथापराः सप्त पानैषणाः—तत्र खलु इयं प्रथमा पानैषणा—असंसृष्टो हस्तः असंसृष्टं मात्रं तच्चैव तथैव पूर्ववत् भणितव्य, नवरं चतुर्थ्या नानात्वम्—स भिक्षुर्वा० स यत् पुनः पानकजातं जानीयात्, तद्यथातिलोदकं वा ६ अस्मिन् खलु पतद्ग्रहे अल्पं पश्चात्कर्म तथैव प्रतिगृह्णीयात् ।

पदार्थ—अह—अथ । भिखू—भिक्षु । जाणिज्जा—इम वात को जाने कि । सप्त पिण्डैषणाओ—सात पिण्डैषणा और । सप्त पाणैषणाओ—सात पानैषणा है । खलु—निश्चया-यंक है । तत्थ—उन सात पिण्डैषणाओ में से । इमा—यह । पढमा—पहली । पिण्डैषणा—पिण्डैषणा है कि । असंसृष्टे हत्ये—हाथ लेने वाले पदार्थों से लिप्त नहीं । असंसृष्टे मत्ते—और पात्र भी भोज्य पदार्थों से लिप्त न हो । तहृप्पगारेण—तथा प्रकार के । असंसृष्टेण हत्येण—अलिप्त हाथ से । वा—अथवा । मत्तेण—अलिप्त पात्र से । असणं वा—अशनादिक चतुर्विध आहार की । सयं वा जाइज्जा—याचना करे अथवा । परो जा। वह गृहस्थ

दे तो उसे । फासुय — प्रासुक जान कर । पडिगाह्विजा — ग्रहण कर ले । ण — वाक्यालकार में है । पढमा पिडेसणा — यह पहली पिडेसणा है । अहावरा — अथ अत्र अन्य । दुच्चा पिडेसणा — दूसरी पिडेसणा कहते हैं । ससट्ठे हत्थे — अचित्त पदार्थ से हाथ लिप्त है और । संसट्ठे मत्ते-पात्र-भाजन भी अचित्त पदार्थ से लिप्त है । तहेव — तो उसे उसी प्रकार प्रासुक जानकर ग्रहण कर ले । दुच्चा पिडेसणा — यह दूसरी पिडेसणा है । अहावरा — अत्र इसके आगे । तच्चा-पिडेसणा — तीसरी पिडेसणा कहते हैं । खलु — वाक्यालकार में है । इह — इस ससार में या क्षेत्र में । पाईण वा ४ — पूर्वादि चारो दिशाओं में । संतेगइया — कई एक अर्थात् बहुत से लोग हैं उनमें कोई २ । सड्ढा भवति — अट्टालु-अट्टा वाले भी होते हैं यथा । गाहावई वा — गृहपति, गृहवत्नी । जाव — यावत् । कम्मकरी वा — दासी पर्यन्त । च — पुन । ण — वाक्यालकार में है । तेसि — उनके । अणयरेसु — अन्यतर । विरुवरुवेसु — नाना प्रकार के । भायणजाएसु — पात्रों में । उवणिविखसपुव्ठेसिया — पहले ही अशनादिक चतुर्विध आहार रखा हुआ हो । नजहा — जैसे कि । थालसि वा — थाल में । पिठरंसि वा — पिठर-बटनोही या हाडी में । सरगंसि वा — सूपदि में । परगंसि वा — अथवा वांस की टोकरी में । वरगंसि वा — किमी विशिष्ट महर्घ पात्र में । अह — अथ । पुण — फिर । एवं — इस प्रकार । जाणिज्जा — जाने जैसे कि । अससट्ठे हत्थे — अचित्त व अचित्त पदार्थ में हाथ लिप्त नहीं हैं किन्तु । ससट्ठे मत्ते — भाजन लिप्त है तथा । ससट्ठे वा हत्थे — हाथ लिप्त है और । अससट्ठे मत्ते — भाजन-पात्र लिप्त नहीं है । य — फिर । से — वह भिक्षु-साधु । पडिगह्वधारो सिया — पात्रों के धारण करने से स्वविरकल्पी हो । वा — अथवा । पाण पडिगह्विहए — हाथ ही जिसका पात्र है ऐसा जिनरूपी हा । से पुव्वामेव — वह पहले ही । आलोइज्जा — देखे-विचारे और कहे । आउसोत्ति वा — हे आयुष्मन् ! गृहस्थ अथवा भगिनि । तुम एएणं — तम इस । अससट्ठेण हत्थेण — अससट्ठ-अलिप्त हाथ से । ससट्ठेण मत्तेण — और लिप्त भाजन से । वा — अथवा । ससट्ठेण हत्थेण — लिप्त हाथ से । अससट्ठेण मत्तेण — और अलिप्त भाजन से । अंसि पडिगह्वसि — इस हमारे पात्र में । वा — अथवा । पाणिसि वा — हमारे हाथ में । निहट्टु — लाकर । उचित्तु दलयाहि — हमें दे दो । तहप्पगार — तथ प्रकार के अर्थात् ऐसे । भोयणजाय — भोजन को । सय वा — स्वय । जइज्जा — याचना करे । वा — अथवा । परो वा से दिज्जा — गृहस्थ स्वयमेव दे तो । फासुय — उसे प्रासुक जानकर । पडिगाह्विज्जा — ग्रहण कर ले । तइयापिडेसणा — यह तीसरी पिडेसणा है । अहावरा — अत्र इसके प्रनन्तर । चउत्था पिडेसणा — चौथी पिडेसणा कहते हैं । से भिकखु वा भिकखुणी वा — वह साधु अथवा माध्वी । से ज० — गृहपति कुल में प्रवेश करने पर इस प्रकार जाने यथा । पिहुय वा — अग्नि से परिपक्व तुप गृहित शाल्यादि । जाव — यावत् । चाउलपलंब वा — तुप-हित चावन । खलु — वाक्यालकार में है । असस पडिगह्वसि — हमारे इस पात्र में । अप्पे-

पच्छा कम्मे — जहा पश्चात् कर्म नही तथा । अप्पे पव्वज्जाए — तुपादि रहित है । तहप्पगारं—
 तथाप्रकार के । पिहुय वा — अचित्त शान्यादि को । जाव — यावत् । चाउलपलंब वा — तुप-
 रहित चावलो को । सय वा ण जाव पडि० — स्वयं याचना करे अथवा गृहस्थ स्वयं दे तो उसे
 प्रासुक जानकर स्वीकार करले, यह । चउन्था पिडेसणा — चौथी पिंडैपणा है । अहावरा — अत्र
 इसके अनन्तर । पंचमा पिडेसणा — पाचवी पिंडैपणा के विषय में कहते हैं यथा — । से भिक्खू
 वा — वह साधु या साध्वी । उग्गहियमेव भोयणजायं जाणिज्जा — खाने के लिए पात्र में रखे
 हुए भोजन को जाने, यथा । सरावसि वा — सराव में मिट्टी के सकोरे से । डिडिमसि वा —
 कासी के वर्तन में अथवा । कोसगसि वा — कोक-मिट्टी के बने हुए पात्र विशेष में । अह पुण
 एवं जाणिज्जा — अथवा फिर इस प्रकार जाने । बहुपरिपावन्ने — कि सचित्त जल से हाथ आदि
 धोए हुए उसे बहुत देर हो गई है जिसमें वह अचित्त हो गया है और । पाणिसु दगलेवे — हाथ
 आदि में लिप्त जल अचित्त हो रहा है । तहप्पगार — तथा प्रकार के । असण वा ४ — अगनादि
 चार प्रकार के आहार को । सय वा ण० जाव पडि० — स्वयं याचना करे या गृहस्थ दे तो उसे
 प्रासुक जानकर स्वीकार करले । पंचमा पिडेसणा — यह पाचवी पिंडैपणा है । अहावरा —
 अत्र अन्य । छट्ठा पिडेसणा — छठी पिंडैपणा के सम्बन्ध में कहते हैं । से भिक्खू वा० — वह साधु
 अथवा साध्वी गृहस्थ के घर गया हुआ । पग्गहियमेव — भोजन से निकाली गई वस्तु दूसरे ने
 अभी ग्रहण नहीं की उस समय अभिग्रहधारी भिक्षु । भोयणजाय — भोजनादि पदार्थ को जाने ।
 च — पुन — फिर । ज — जो वस्तु । सयट्ठाय पग्गहिय — अपने लिए वर्तन आदि से निकाली है ।
 ज च — और जो फिर । परट्ठाए पग्गहिय — दूसरे के लिए निकाली है । तं पायपरियावन्न — वह
 भोजनादि वस्तु गृहस्थ के पात्र में है अथवा । त पाणि परिपावन्नं — हाथ में है, तो । फासुयं जाव
 पडिगाहिज्जा — उसे प्रासुक जानकर ग्रहण करले । छट्ठा — यह छठी । पिडेसणा — पिंडैपणा
 है । अहावरा — अत्र इसके बाद । सत्तमा पिडेसणा — सातवी पिंडैपणा के सम्बन्ध में कहते
 हैं । से भिक्खू वा भिक्खुणी वा — वह साधु अथवा साध्वी गृहपति के घर में गया हुआ । बहु-
 उज्झिय धम्मिय — उज्झित धर्म वाले । भोयणजाय — भोजनादि पदार्थ को । जाणिज्जा —
 जाने । जं चउन्ने — और जिसको फिर अन्य । वहवे — बहुत से । दुपय-चउप्पय-समण-माहण-
 अतिहि-क्विण-वणीमगा — द्विपद-चतुष्पद, (दो पैर और चार पैर वाले) श्रमण-शाक्यादि भिक्षु
 माहण-ब्राह्मण, अतिथि, कृपण और वणीमग-भिखारी आदि । नाक्खंति — नहीं चाहते हैं ।
 तहप्पगार — तथा प्रकार का आहार । उज्झिय धम्मिय — जिसको लोग नहीं चाहते ऐसे ।
 भोयणजायं — भोजन को । सय वा ण जाइज्जा — स्वयमेव गृहस्थ से याचना करे अथवा ।
 से — उस साधु को । परो वा दिज्जा — गृहस्थ दे । जाव — यावत्-मिलने पर । पडिगाहिज्जा —
 प्रासुक जानकर ग्रहण कर ले । सत्तमा पिडेसणा — यह सातवी पिंडैपणा है । इच्चेयाओ —
 इग प्रकार ये । सत्त पिडेसणाओ — सात पिंडैपणा कही गई है । अहावराओ — अत्र इसके

अनन्तर । सत्त-सात । पाणेषणाओ—पानैषणा—पानी की एषणा कहते हैं । खलु—निश्चय ही । तत्थ—उन सात पानैषणाओ मे से । इमा पढमा—यह पहली पानैषणा है । अससट्ठे हत्थे—अससृष्ट हाथ-अलिप्त हाथ और । असंसट्ठे मत्ते—अलिप्त पात्र है अथत् हाथ और पात्र दोनो ही अछूते है, इत्यादि । तं चेव भाणियव्व—सब कुछ पूर्व कथित की भाति जानना । णवर—इतना विशेष है कि । चउत्थाए—चौथी मे । नाणत्तं—नानात्व है, विशेषता है । से भिव्व वा भिव्वुणी वा—वह साध या साध्वी । से ज०—गृहपति कुल मे प्रवेश करने पर फिर इस प्रकार । पाणगजाय—पानी के विषय में । जाणिज्जा—जाने । तंजहा—जैसे कि । तिलोदग वा ६—तिलादि का धोवन । खलु—निश्चय ही । अस्सि पडिग्गहियंसि—इसके ग्रहण करने मे । अप्पे पच्छा कम्मे—पश्चात्कर्म नहीं है । तहेव पडिगाहिज्जा—तो उसे उसी प्रकार प्रासुक जानकर ग्रहण करले ।

मूलार्थ—सयमशील साधु सात पिण्डेषणाओ तथा सात पानैषणाओ को जाने । उन सातो मे से पहली पिण्डेषणा यह है कि अचित्त वस्तु से न हाथ लिप्त और न पात्र ही लिप्त है, तथा प्रकार के अलिप्त हाथ और अलिप्त पात्र से अशनादि चतुर्विध आहार की स्वयं याचना करे अथवा गृहस्थ दे तो उसे प्रासुक जानकर ग्रहण करले, यह प्रथम पिण्डेषणा है, इसके अनन्तर दूसरी पिण्डेषणा यह है कि अचित्त वस्तु से हाथ और भाजन लिप्त है तो पूर्ववत् प्रासुक जान कर उसे ग्रहण करले, यह दूसरी पिण्डेषणा है । तदनन्तर तीसरी पिण्डेषणा कहते है—इस ससार या क्षेत्र मे पूर्वादि चारो दिशाओ में बहुत पुरुष है उन मे से कई एक श्रद्धालु-श्रद्धा वाले भी हैं, यथा गृहपति, गृहपत्नी यावत् उनके दास और दासी आदि रहते है । उनके वहां नानाविध भाजनो मे भोजन रखा हुआ होता है यथा—थाल मे, पिठर-बटलोही में, सरक [छाजजैसा] मे, टोकरी मे और मणिजटित महार्घ पात्र मे । फिर साधु यह जाने कि गृहस्थ का हाथ तो लिप्त नहीं है भाजन लिप्त है, अथवा हाथ लिप्त है, भाजन अलिप्त है, तब वह स्थविर कल्पी अथवा जिनकल्पी साधु प्रथम ही उसको देखकर कहे कि-हे आयुष्मन् गृहस्थ ! अथवा भगिनि ! तू मुझ को इस अलिप्त हाथ से और लिप्त भाजन से हमारे पात्र वा हाथ मे

वस्तु लाकर दे दे । तथाप्रकार के भोजन को स्वयं मांगले अथवा विना-
 मांगे ही गृहस्थ लाकर दे तो उसे प्रासुक जानकर ग्रहण करले । यह
 तीसरी पिण्डैषणा है । अब चौथी पिण्डैषणा कहते हैं—वह भिक्षु तुषरहित
 शाल्यादि को यावत् भुग्न शाल्यादि के चावल को जिसमें पश्चात्कर्म
 नहीं है, और न तुपादि गिराने पड़ते हैं, इस प्रकार का भोजन स्वयं माग ले
 या विना मांगे गृहस्थ दे तो प्रासुक जान कर ले ले, यह चौथी पिण्डैषणा
 है । पांचवीं पिण्डैषणा—गृहस्थ ने सचित्त जल से हस्तादि को धोकर
 अपने खाने के लिए, सकोरे में, कांसे की थाली में अथवा मिट्टी के किसी
 भाजन में भोजन रखा हुआ है—उसके हाथ जो सचित्त जल से धोए थे सचित्त
 हो चुके हैं तथाप्रकार के अशनादि आहार को प्रासुक जानकर साधु
 ग्रहण करले, यह पांचवी पिण्डैषणा है । छठी पिण्डैषणा यह है—गृहस्थ
 ने अपने लिए अथवा किसी दूसरे के लिए बर्तन में से भोजन निकाला
 है परन्तु दूसरे ने अभी उसको ग्रहण नहीं किया है तो उस प्रकार
 का भोजन गृहस्थ के पात्र में हो या उसके हाथ में हो तो मिलने पर प्रासुक
 जानकर उसे ग्रहण कर ले । यह छठी पिण्डैषणा है । सातवी पिण्डैषणा यह
 है—वह साधु या साध्वी, जिसे बहुत से पशु-पक्षी मनुष्य-श्रमण (बौद्ध
 भिक्षु) ब्राह्मण, अतिथि, कृपण और भिखारी लोग नहीं चाहते, तथाप्रकार
 के उज्जिभक्त धर्म वाले भोजन को स्वयं याचना करे अथवा गृहस्थ दे दे तो
 उसे प्रासुक जानकर ग्रहण कर ले, यह सातवीं पिण्डैषणा है । इस प्रकार
 ये सात पिण्डैषणाएँ कही हैं । तथा, अपर सात पानैषणा अर्थात् पानी की
 एषणाएँ हैं । जैसेकि अलिप्त हाथ और अलिप्त भाजन आदि, शेष सब
 वर्णन पूर्व की भांति समझना चाहिए । और चौथी पानैषणा में नानात्व का
 विशेष है । वह साधु या साध्वी पानी के विषय में जाने जैसे कि तिलादि
 का धोवन जिसके ग्रहण करने पर पश्चात्कर्म नहीं लगती है तो उसे प्रासुक
 जानकर ग्रहण करले । शेष पानैषणा पिण्डैषणा की तरह जाननी चाहिए ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में विशिष्ट अभिग्रहधारी मुनियों के सात पिण्डैपणा एवं सात पानैपणा का वर्णन किया गया है। इसमें आहार एवं पानी ग्रहण करने के एक जैसे ही नियम हैं। ये सातों एपणाएं इस प्रकार हैं—

१-अलिप्त हाथ एवं अलिप्त पात्र से आहार ग्रहण करना प्रथम-पिण्डैपणा है और अलिप्त हाथ एवं अलिप्त पात्र से पानी ग्रहण करना प्रथम पानैपणा है।

२-लिप्त हाथ और लिप्त पात्र से आहार ग्रहण करना द्वितीय पिण्डैपणा है और ऐसी ही विधि से पानी ग्रहण करना द्वितीय पानैपणा है।

३-अलिप्त हाथ और लिप्त पात्र या लिप्त हाथ और अलिप्त पात्र से आहार एवं इसी विधि से पानी ग्रहण करना तृतीय पिण्ड एवं पानैपणा है।

४-साधु को आहार देने के बाद सचित्त जल से हाथ या पात्र आदि धोने या पुन आहार बनाने आदि का पश्चात्कर्म नहीं करना चतुर्थ पिण्डैपणा है, इसी तरह पानी देने के बाद भी पश्चात् कर्म नहीं लगाना चतुर्थ पानैपणा है। इसमें तिल, तुष, यव (जौ) का धोवन, आयाम—जिस पानी में गर्म वस्तु ठण्डी की जाती है, कांजी का पानी और उष्ण जल आदि ६ प्रकार के प्रासुक जल का नाम निर्देश किया है। परन्तु उपलक्षण से अन्य प्रासुक पानी को भी समझ लेना चाहिए।

५-गृहस्थ ने अपने पात्र में खाद्य पदार्थ रखे हैं और उसके बाद वह सचित्त जल से हाथ धोता है, यदि हाथ धोने के बाद वह जल अचित्त रूप में परिवर्तित हो गया है तो मुनि उसके हाथ से आहार ले सकता है। इस तरह पानी भी ले सकता है, यह पाचवीं पिण्डैपणा एवं पानैपणा है।

६-गृहस्थ ने अपने या अन्य के खाने के लिए पात्र में खाद्य पदार्थ रखा है, परन्तु न स्वयं ने खाया है और न अन्य ने ही खाया है, ऐसा आहार ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करना छठी पिण्डैपणा है और ऐसा पानी लेने का संकल्प करना छठी पानैपणा है।

७-जिस आहार को बहुत से लोग खाने की इच्छा नहीं रखते हों ऐसा रूक्ष आहार लेने का संकल्प करना सातवीं पिण्डैपणा है। इसी तरह ऐसे पानी को ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करना सातवीं पानैपणा है।

उक्त अभिग्रह जिनकल्प एवं स्थविरकल्प दीनों तरह के मुनियों के लिए हैं। तृतीय पिण्डैपणा में 'पडिग्गहधारी सिया पाणि पडिग्गहिए वा' तथा छठी पिण्डैपणा में, पाप

परियावन्न पाणि पयि यावन्न' दो पदों का उल्लेख करके यह स्पष्ट कर दिया है कि दोनों ही कल्प वाले मुनि इन अभिग्रहों को ग्रहण कर सकते हैं।

प्रस्तुत सूत्र में उस युग के गृहस्थों के रहन-सहन, आचार विचार एवं उम्र युग की सभ्यता का स्पष्ट परिचय मिलता है। ऐतिहासिक अन्वेषकों के लिए प्रस्तुत सूत्र महत्त्वपूर्ण है।

'उज्झिन धर्म वाला' अर्थात् जिस आहार को कोई नहीं चाहता हो इसका तात्पर्य इतना ही है कि जो अधिक मात्रा में होने के कारण विरोध उपयोग में नहीं आ रहा है। परन्तु, इसका यह अर्थ नहीं है कि वह पदार्थ खाने योग्य नहीं है। इस अभिग्रह का उद्देश्य यही है कि अधिक मात्रा में अवशिष्ट आहार में से ग्रहण करने से पश्चत्कर्म का दोष नहीं लगता है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'बहुपरियावन्ने पाणीस् दगलेवे' का अर्थ है— यदि सचित्त जल से हाथ धोए हों, परन्तु हाथ धोने के बाद वह जल अचित्त हो गया है तो साधु उस व्यक्ति के हाथ से आहार ले सकता है।

"सर्वं वा जाइज्जा परो वा से दिज्जा" वा तात्पर्य है— जिस प्रकार मुनि गृहस्थ से आहार की याचना करे उसी प्रकार गृहस्थ के लिए भी यह विधान है कि वह भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक साधु को आहार ग्रहण करने की प्रार्थना करे।

उक्त अभिग्रह ग्रहण करने वाले मुनि को अन्य मुनियों के साथ—जिन्होंने अभिग्रह नहीं किया है या पीछे से ग्रहण किया है, कैसा वर्तनी रखना चाहिए, इस मन्त्र में सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इच्चेयामि मत्तराहं पिंडेमणाणां सत्तराहं पाणेमणाणां
अन्नयर पडिमं पडिवज्जमाणो नो एवं वड्ज्जा-मिच्छापडि-
वन्ना खलु एए भयंतारो, अहमेगे मम्मं पडिवन्ने, जे एए
भयंतारो एयाथो पडिमाथो पडिवज्जित्ता णां विहरंति, जो य
अहमंसि एयं पडिमं पडिवज्जित्ताणां विहरामि मव्वेवि ते उ
जिणाणाए उवट्ठिया अराणुन्न ममार्हाए, एवं च णां विहरंति.

एयं खलु तस्म भिक्षुस्स भिक्षुणीए वा सामग्गियं ॥६३॥

छाया—इत्येतामां सप्तानां पिण्डेषणानां सप्तानां पानैषणानां अन्यतरां प्रतिमा प्रतिपद्यमानो नैतद् वदेत्, तद्यथा—मिथ्या प्रतिपन्नाः खलु एते भयत्रा-
नाः (भगवन्तः) अहमेवैकः सम्यक् प्र तान्न ये एते भयत्रातारः एताः प्रतिमाः
प्रतिपद्य पिड/न्नि अइपन्नि एतां प्रतिमा प्रतिपद्य विहरामि सर्वेऽपि ते जिना-
जायां समुत्थिता अन्योऽन्यममाधिना एव च विह्वन्ति । एव खलु तस्य
भिक्षो भिक्षुव्या वा सामग्र्यम् ।

पदार्थ - इच्छेयासि - इस प्रकार ये । सत्तण्ह - सान । पिण्डेषणाण - पिंडेपणा
और । सत्तण्ह पाणेसणाणं - सात पानैषणा में से । अन्नयरं - अन्यतर - कोई एक । पडिम -
प्रतिमा को । पडिवज्जमाणे - ग्रहण करता हुआ फिर । एव - इस प्रकार । नो चइज्जा -
न बोले । खलु - निश्चय । एए अयंतारो - ये सब अभिग्रह धारण करने वाले भगवत् अर्थात्
साधु लोग । मिच्छा पडिवन्ना - मिथ्या प्रतिपन्न अर्थात् पिंडेषणादि अभिग्रह को इन्होंने अच्छी
तरह ग्रहण नहीं किया है । अहमेगे - मैं ही एक अकेला । सम्मं पडिवन्ने - सम्यक्-भली प्रकार
में अभिग्रह को ग्रहण करने वाला हूँ अर्थात् जिस प्रकार अभिग्रह धारण किया है उस प्रकार
का और कोई नहीं है इस प्रकार मुनि को अहंकार वृत्ति से नहीं बोलना चाहिए किन्तु इस
तरह बोलना चाहिए यथा- । जे - जो । एए - ये सब । भयनारो - भय से रक्षा करने वाले
भगवान-साधु । एयाओ पडिमाओ - इन प्रतिमाओं को । पडिवज्जिता - ग्रहण करके । ण -
वाक्यालंकार में है । विहरति - विचरते हैं । य - और । जो - जो । अहमसि - मैं । एय -
इस । पडिम - प्रतिजा रूप प्रतिमा को । पडिवज्जिताण - ग्रहण करके । विहरामि - विचरता
हूँ । सवे वि ते - ये सर्व ही । उ - वितकं - वितक अर्थ में है । जिणाणाए - जिनेन्द्र भगवान
की आज्ञा में उपदिठया - उपस्थित हुए । अन्नन्न समाहिए - अन्योन्य परस्पर समाधि में ।
एव च ण - इस प्रकार । विहरति - विचरते हैं । चकार पुनर्थक है । ण - वाक्यालंकार में है ।
एय खलु - इस प्रकार निश्चय ही । तस्स - उस । भिक्षुस्स - भिक्षु । वा - अथवा ।
भिक्षुणीए - भिक्षुकी-साथी का । सामग्गियं - समग्र श्रमण भाव है - सम्पूर्ण आचार है ।

मूलार्थ—इन सातों पिण्डेषणाओं तथा पानैषणाओं में से किसी एक
प्रतिमा-प्रतिज्ञा अभिग्रह को ग्रहण करता हुआ साधु फिर इस प्रकार न
कहे ये सब अन्य साधु सम्यक्तया प्रतिमाओं को ग्रहण करने वाले नहीं

है, केवल एक मै हो सम्यक् प्रकार से प्रतिमा ग्रहण करने वाला हू । उसे किस तरह बोलना चाहिए ? इस विषय में कहते हैं—ये सब साधु महाराज इन प्रतिमाओं को ग्रहण करके विचरते हैं । ये सब जिनाज्ञा में उद्यत हुए परस्पर समाधि पूर्वक विचरते हैं । इस तरह जो साधु साध्वी अहंभाव को नहीं रखता उसी में साधुत्व है और अहंकार नहीं रखना सम्यक् आचार है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में साधना में अहंकार करने का निषेध किया गया है । साधना का उद्देश्य जीवन को ऊंचा उठाना है, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है । अतः साधक को चाहिए कि वह दूसरे की निन्दा एवं असूया से ऊपर उठकर क्रिया करे । यदि कोई साधु उसके समान अभिग्रह या प्रतिमा स्वीकार नहीं करता है, तो उसे अपने से निम्न श्रेणी का मानना एवं उससे घृणा करना साधुत्व से गिरना है । साधना की दृष्टि से की जाने वाली प्रत्येक क्रिया महत्त्व पूर्ण है और उसका मूल्य बाह्य त्याग के साथ आभ्यन्तर दोषों के त्याग में स्थित है । यदि बाह्य साधना की उत्कृष्टता के साथ-साथ उस त्याग का अहंकार है और दूसरे के प्रति ईर्ष्या एवं घृणा की भावना है तो वह बाह्य त्याग आत्मा को ऊपर उठाने में असमर्थ ही रहेगा । अस्तु, प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को अपने त्याग का, अपने अभिग्रह आदि का गर्व नहीं करना चाहिए और अन्य साधुओं को अपने से हीन नहीं समझना चाहिए । उसे तो साधना के पथ पर गतिशील सभी साधकों का समान भाव से आदर करना चाहिए । गुण सम्पन्न पुरुषों के गुणों को देखकर प्रसन्न होना चाहिए और उनके गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए । इसी से आत्मा का विकास होना है ।

आगम में यह स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि साधु को परस्पर एक-दूसरे की निन्दा नहीं करनी चाहिए । एक वस्त्र रखने वाले मुनि को दो वस्त्रधारी मुनि की और दो वस्त्र सम्पन्न मुनि को तीन या बहुत वस्त्र रखने वाले मुनि की निन्दा नहीं करनी चाहिए । इसी तरह अचेलक मुनि को सवस्त्र मुनि का तिरस्कार नहीं करना चाहिए । साधु को निन्दा-चुगली से सर्वथा निवृत्त रहना चाहिए^१ । क्योंकि आत्मा का विकास

^१ जेज्वि दुवत्य तिवत्यो वट्टवत्यो अचेल ओव्वस्यरड, न हते हीलंति परं मन्वेधिर ते जिणाणाए ।

निन्दा एवं चुगली से निवृत्त होने में है। साधना का महत्व आभ्यन्तर दोषों के त्याग में है, न कि केवल बाह्य साधना में। माता मरुदेवी एवं भरत चक्रवर्ती ने आभ्यन्तर दोषों का त्याग करके ही गृहस्थ के वेश में पूर्णता को प्राप्त किया था।

प्रस्तुत सूत्र में सात पिण्डैपण आँ का वर्णन करके अभिग्रह की संख्या सीमित कर दी है। सात से ज्यादा या कम अभिग्रह नहीं होते। और 'विहरति' वर्तमानकालिक क्रिया का प्रयोग करके यह स्पष्ट कर दिया है कि चारित्र को ग्राहना वर्तमान में ही होती है। ज्ञान एवं दर्शन पूर्व भव से भी साथ में आने है और एक गति में दूसरी गति में जाते समय भी साथ रहते हैं। परन्तु, चारित्र न पूर्वभव से साथ में आना है और न साथ में जाता है। उसकी साधना-आराधना एही भव में की जा सकती है।

अभिग्रह के सम्बन्ध में वृत्तिकार का मत है कि स्थविर कल्पी मुनि से त अभिग्रह स्वीकार कर सकता है और जिन कल्पी मुनि ५ अभिग्रह स्वीकार कर सकता है ॥

आगमोदय समिति की प्रति में प्रस्तुत उद्देशक के अन्त में 'त्तिवेमि' नहीं दिया है। किन्तु, अन्य कई प्रतियों में 'त्तिवेमि' शब्द दिया है। 'त्तिवेमि' की व्याख्या पर्ववत् समझनी चाहिए।

॥ ग्याहरवा उद्देशक समाप्त ॥

॥ प्रथम अध्ययन समाप्त ॥

ॐ अत्र च द्वये माधवो—गच्छन्तर्गता गच्छन्निर्गताश्च तत्र गच्छन्तर्गतानां सप्ता-
नामपि ब्रह्मणमनुज्ञानं, गच्छन्निर्गतानां पुनराद्भोर्द्वयोरग्रह पंचस्त्रिभिग्रह इति ।

— आचाराङ्गवृत्ति ।

अणुपविसित्ता गामं वा जाव रायहाणिं वा, से जं पुण उवस्सयं
जाणिज्जा सत्रं जाव समंताण्य तहप्पगारे उवस्सए नो ठाण
वा सिज्ज वा निसीहियं वा चेइज्जा ॥

से भिक्खू वा० से जं पुण उवस्सयं जाणिज्जा अप्पंडं,
जाव अप्पसंताण्यं, तहप्पगारे उवस्सए पडिलेहिता, पर्माज्जिता
तत्रो संजयामेव ठाणं वा ३ चेइज्जा ॥

से जं पुण उवस्सयं जाणिज्जा अस्सि पडियाए एगं साह-
म्मियं समुद्दिस्स पाणाइं ४ समारब्भ समुद्दिस्स, कीयं पामिच्चं
अच्छिज्जं अणिसट्ठं, अभिहडं, आहट्टु चेएइ, तहप्पगारे उव-
स्सए पुरिसंतरकडे वा जाव अणासेविए वा नो ठाणं वा ३
चेइज्जा । एवं बहवे साहम्मिया एगं साहम्मिणिं बहवे साह-
म्मिणीत्रो । से भिक्खू वा० से जं पुण उ० बहवे समणवणीमए
पगणिय २ समुद्दिस्स तं चेव भाणियव्वं ॥

से भिक्खू वा० से जं० बहवे समण० समुद्दिस्स पाणाइ ४
जाव चे एति, तहप्पगारे उवस्सए अपुरिसंतरकडे जाव अणासे-
विए नो ठाणं वा ३ चेइज्जा ३, अह पुणेवं जाणिज्जा, पुरि-
संतरकडे जाव सेविए पडिलेहिता २ तत्रो-संजयामेव चेइज्जा ॥

से भिक्षु वा० से ज पुण्य अस्संजए भिक्षुपडियाए
 कडिए वा उक्कंविए व छन्ने वा लित्ते वा घट्ठे वा मट्ठे वा
 संमट्ठे वा संपधूमिए वा तहप्पगारे उवस्सए अपुरिमंतरकडे
 जाव अणासेविए नो ठाणं वा सेज्जं वा निमीहिं वा चेइज्जा,
 अह पुण्य एवं जाणिज्जा पुरिमंतरकडे जाव आसेविए पडिल्ले-
 हित्ता २ तथो चेइज्जा ॥६४॥

छाया—स भिक्षुः वा० अभिकाक्षंत, उपाश्रयं एषितुं अनुप्रविश्य ग्रामं
 वा यावत् राजधान्यां वा स यत् पुनः उपाश्रय जानीयात् साण्डं यावत् स-
 मन्तानकम् । तथाप्रकारे उपाश्रये नो स्थान वा शय्या वा निर्वाधिकां वा
 चेतयेत्, स भिक्षुर्वा० यत् पुनः उपाश्रयं जानीयात् अल्पाण्ड यावत् अल्प
 मन्तानकं तथाप्रकारे उपाश्रये प्रतिलिख्य प्रमज्ज्य ततः संयतमेव स्थान वा ३
 चेतयेत् । स यत् पुः उपाश्रयं जानीयात् एतन्प्रतिज्ञया एक माधमिक
 समुद्दिश्य प्राणानि ४ समाश्रय्य समुद्दिश्य क्रोतं प्रामृत्य आच्छेद्यं अनिसृष्ट
 अभ्याहृत आहृत्य, चेतयति तथाप्रकारे उपाश्रये पुरुषान्तर कृते यावत् अना-
 सेविते नो स्थान वा ३ चेतयेत्, एव बहवः माधमिकाः एका माधमिका
 बह्वीः माधमिकाः ? स भिक्षुर्वा० स यत् पुन उपाश्रयं० बहून् श्रमण वनीप-
 कान् प्रगण्य २ समुद्दिश्य, तच्चैव भणितव्यम् । स भिक्षुर्वा० स यत् बहून्
 श्रमण० समुद्दिश्य प्राणानि ४ यावत् चेतयति तथाप्रकारे उपाश्रये अपुरुषान्तर
 कृते यावत् अनानेविते नो स्थानं वा ३ चेतयेत् । अथ पुनरेवं जानीयात्
 पुष्पान्तरकृतः यावत् सेवितः प्रतिलिख्य २ ततः नयतमेव चेतयेत् । स
 भिक्षुर्वा० स यत् पुनः अमंयतः भिक्षुप्रतिज्ञया कर्त्तव्यो वा उन्कवितो वा
 छन्नो वा लितो वा घट्ठो वा मट्ठो वा समुट्ठो वा संप्रधुवितो वा तथा-
 प्रकारे उपाश्रये अपुरुषान्तरकृते यावत् अनानेविते नो स्थानं वा शय्या

वा निपीधिका वा चेतयेत् । अथ पुनरेवं जानीयात्, पुरुषान्तरकृतः यावत्
आसेवितः प्रतिलिख्य २ तत. चेतयेत् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू वा—साधु अथवा साध्वी । उवस्सयं—उपाश्रय की ।
एत्तिए—भवेष्णा करनी । अभिक्खेज्जा—चाहें तव । गाम वा—ग्राम से अथवा । जाव—
यावत् । रायहाणिं वा—राजधानी मे । अणुपविसित्ता—प्रवेश करके । से वह-भिक्षु । जं
पुण—जो फिर । उवस्सय—उपाश्रय को । जाणिज्जा—जाने । म अड—अडदि से युक्त ।
जाव—यावत् । ससत्ताणय—मकड़ी आदि के जालो मे युक्त । तहपगारे—तथा प्रकार के ।
उवस्सए—उपाश्रय मे । ठाण वा—कायोत्सर्ग का स्थान अथवा । सिज्ज वा—शय्या-मस्तारक-
मथारे का स्थान । निसीहियं वा—अथवा स्वाध्याय भूमि का स्थान । नो चेइज्जा—न करे ।

से भिक्खू वा—वह साधु या साध्वी । से जं पुण—जो फिर । उवस्सयं
जाणिज्जा—उपाश्रय को जाने । अप्पड—अडो से रहित । जाव—यावत् । अप्पसत्ताणय—
मकड़ी आदि के जालो से रहित । तहपगारे उवस्सए—इस प्रकार के उपाश्रय की । पडिले-
हित्त—प्रतिलेखना कर । पमज्जित्ता—प्रमार्जना कर । तओ—तदनन्तर । मज्जामेव—
सयत्—साधु । ठाण वा ३—कायोत्सर्ग-शय्या और स्वाध्याय भूमि का स्थान । चेइज्जा—वनावे ।

से ज पुण—वह साधु फिर । उवस्सयं जाणिज्जा—उपाश्रय को जाने, यथा । अस्सि
पडियाए—इस प्रतिज्ञा—अर्थात् साधु का प्रतिज्ञा मे । एगं साहम्मियं—एक साध्विक साधु का ।
समुद्दिस्स—उद्देश्य रखकर । पाणाडं—प्राणी आदि का । समारट्ठम—समारम्भ करके अर्थात्
पट्कय की विराधना-हिंसा करके । समुद्दिस्स—तथा साधु के उद्देश्य से । बीय—मोल लेकर ।
पामिच्चं—दूसरे से उवारा लेकर । अच्चिज्जं—अन्य से छीन कर । अणिसिट्ठ—दो या दो से
अधिक की मालकियत के उपाश्रय को एक की आज्ञा के बिना ग्रहण करके । अभिहंडं—अन्य
से आज्ञा । आहद्दु—नेकर । चेएत्ति—देना है तो । तहपगारे उवस्सए—तथाप्रकार के उपाश्रय
मे । पुस्सतरकडे—पुरुषान्तरकृत । वा—अथवा अपुरुषान्तरकृत । जाव—यावत् । अणासे-
विए—अनासेवित सेवित—अर्थात् सेवन नहीं किया या सेवन किया हो उसमें । ठाण ३ वा—
स्थान दि-कायोत्सर्गादि । नो चेइज्जा—न करे । एव—इसी प्रकार । बहवे साहम्मिया—बहुत
से साध्वी साधु अथवा । एगं साहम्मिणिं—एक साध्वी तथा । बहवे साहम्मिणीओ—बहुत
साध्वियों के विषय मे भी जानना चाहिए ।

से भिक्खू वा०—वह साधु अथवा साध्वी । से ज पुण—वह फिर । उवस्सयं—
जाणिज्जा—उपाश्रय को जाने, जैसे कि । बहवे समण वणीमए—अमण तथा भिक्षारियों को ।

पगणिय २—गिन गिन कर । समुद्दिस्स—एक एक का उद्देश करके । तं चेव भाणियव्वं—
 शेष वर्णन पूर्व की ही भांति जानना चाहिए । से भिषखू वा—वह साधु या साध्वी । से ज०—
 फिर वह उपाश्रय गो जाने । बह्वे—ग्रहण से । समण०—भ्रमण, ब्राह्मण, अतिथि, कृपण और
 भिखारियो का । समुद्दिस्स—उद्देश्य करके । पाणाइ ४—प्राणी, भूत, जीव और सत्वो की
 हिंसा करके । जाव—यावत् । चेइत्ति—उपाश्रय बनाया है । तहप्पगारे—तथा प्रकार का उपाश्रय ।
 अपुरिसंतरकडे—अपुरुषान्तर कृत । जाव अनासेविए—यावत् अनासेवित अर्थात् जिसे किसी
 ने भी सेवन नहीं किया है ऐसे उपाश्रय में । ठाणं वा ३—कायोत्सर्ग, मन्तारक तथा स्वाध्याय
 आदि । नो चेइज्जा—न करे । अह पुण एव जाणिज्जा—अथ फिर इस प्रकार जाने कि ।
 पुरिसंतरकडे—यह उपाश्रय पुरुषान्तरकृत है । जाव—यावत् । सेविए—दूसरो से सेवित है उसे ।
 पडिलेहित्ता २—प्रतिलेखन करके । तथो—तदनन्तर । संजयामेव—साधु कायोत्सर्गादि—
 चेइज्जा—करे ।

से भिषखू वा०—वह साधु या साध्वी । से ज पुण—वह जो फिर । असंजए—
 गृहस्थ ने । भिषखू पडियाए—साधु के लिए । कडिए वा—काष्ठादि से दीवार आदि का संस्कार
 किया । उक्कंविए वा—अथवा वाम आदि से बाधा है । छन्ने वा—तृणादि में प्राच्छादित किया
 है । लिच्चे २ वा—गोबर आदि में उल्लिखित किया है । घट्ठे वा—या सवारा है अथवा ।
 मट्ठे वा—ऊंची नीची भूमि को समतल बनाया है । समट्ठे वा—उसे घोट कर कोमल बनाया
 है और दुर्गन्ध आदि को दूर करने के लिए । संपधूमिए वा—धूप आदि के द्वारा सुगन्धित किया
 हो । तहप्पगारे—तथा प्रकार का । उवस्सए—उपाश्रय जोकि । अपुरिसंतरकडे—पुरुषान्तर-
 कृत नहीं है । जाव—यावत् । अनासेविए—अनासेवित है उसमें । ठाण वा ३—कायोत्सर्ग ।
 सेज्ज वा—अथवा क्षैय्या-मस्तारक या । णिसीहिय वा—स्वाध्याय । नो चेइज्जा—न करे ।
 अह पुण एव जाणिज्जा—फिर वह इस प्रकार जाने कि जो उपाश्रय । पुरिसंतरकडे—पुरुषान्तर-
 कृत । जाव—यावत् । आसेविए—आसेवित है तो उगका । पडिलेहित्ता—प्रतिलेखन करके ।
 तथो—तदनन्तर उगमे कायोत्सर्गादि कार्य । चेइज्जा—करे ।

मूलार्थ—वह साधु वा साध्वी उपाश्रय की गवेषणा के लिए ग्राम
 यावत् राजधानी में जाकर उपाश्रय को जाने जो उपाश्रय अण्डो से यावत्
 मकड़ी आदि के जालो से युक्त है तो उसमें वह कायोत्सर्ग संस्तारक
 (गथारा) और स्वाध्याय न करे । वह साधु या साध्वी जिस उपाश्रय को
 अण्डों और मकड़ी के जाले आदि से रहित जाने, उसे प्रतिलेखित और

प्रमाजित करके उसमे कायोत्सर्गादि करे ।

जो उपाश्रय एक साधर्मी के उद्देश्य से प्राणो, भूत, जीव और सत्वा-दिका समारम्भ करके, मोल लेकर, उधार लेकर, किसी निर्बल से छीन कर, यदि सर्व साधारण का है तो किसी एक की भी बिना आज्ञा लिए साधु को देता है तो इस प्रकार का उपाश्रय पुरुषान्तरकृत हो अथवा अपुरुषान्तरकृत, एवं सेवित हो या अनासेवित, उसमे साधु कायोत्सर्ग आदि कार्य न करे । इसी प्रकार जो बहुत से साधर्मियों के लिए बनाया गया हो तथा एक साधर्मिणी या बहुत सी साधर्मिणियों के लिए बनाया आदि गया है उसमे भी स्थानादि कायोत्सर्गादि न करे । और जो उपाश्रय बहुत से श्रमणों तथा भिखारियों के लिए बनाया गया हो उसमे भी स्थान न करे ।

जो उपाश्रय शाक्यादि भिक्षुओं के निमित्त षट्काय का समारम्भ करके बनाया गया है, जब तक वह अपुरुषान्तरकृत यावत् अनासेवित है तब तक उसमे स्थानादि—कायोत्सर्गादि न करे, और यदि वह पुरुषान्तरकृत या अनासेवित है तो उसका प्रतिलेखन करके यत्नापूर्वक वहा स्थानादि कार्य कर सकता है ।

जो उपाश्रय गृहस्थ ने साधु के लिए बनाया हुआ है उस का काष्ठादि से सस्कार किया है, बास आदि से बान्धा है तृणादि से आच्छादित किया है गोबरादि से लोपा है, सत्रारा है तथा ऊँची नीची भूमि को समतल बनाया है, मुकोमल बनाया है और दुर्गन्धादि को दूर करने के लिए सुगन्धित द्रव्यों से सुवासित किया है तो इस प्रकार का उपाश्रय जब तक अपुरुषान्तरकृत या अनासेवित है, तबतक उस मे नहीं ठहरना चाहिए, और यदि वह पुरुषान्तरकृत यावत् अनासेवित होगया हो तो उस का प्रति-लेखन करके उसमे स्थानादि कार्य कर सकता है, अर्थात् कायोत्सर्ग, सथारा और स्वाध्याय आदि कर सकता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि गाँव या शहर में ठहरने के इच्छुक साधु-माधु को उपाश्रय (ठहरने के स्थान) को गवेषणा करनी चाहिए। उसे देखना चाहिए कि उस स्थान में अण्डे एवं मकड़ी के जाले आदि न हों और बीज एवं अनाज के दाने बिखरे हुए न हों। क्योंकि अण्डे, बीज एवं सत्रजी आदि से युक्त मकान में ठहरने से उनकी विराधना होने की सम्भावना है। अतः साधु को ऐसे मकान की गवेषणा करनी चाहिए कि जिसमें संयम की विराधना न हो। यदि किसी मकान में चोटो आदि लुट्ट जन्तु हों तो उस मकान का प्रमार्जन करके उन तस जीवों को एकान्त में छोड़ दे। इस तरह साधु ऐसे मकान में ठहरे जिसमें किसी भी प्राणी की विराधना (हिसा) न हो।

स्थान की गवेषणा करते समय लुट्ट प्राणियों से रहित स्थान के साथ-साथ यह भी देखना चाहिए कि वह स्थान साधु के उद्देश्य से न बनाया गया हो, साधु के लिए किसी निर्बल व्यक्ति से छीन कर न लिया गया हो, अनेक व्यक्तियों के सांभे का न हो तथा सामने लाया हुआ न हो। यदि वह उपरोक्त दोषों से युक्त है तो वह स्थान चाहे गृहस्थों ने अपने काम में लिया हो या न लिया हो, चाहे उसमें गृहस्थ ठहरे हों या न ठहरे हों, साधु के लिए अकल्पनीय है, साधु उस स्थान में न ठहरे।

सांभे के मकान के विषय में इतना अवश्य है कि यदि वह मकान साधु के लिए नहीं बनाया गया है और जिन व्यक्तियों का उस पर अधिकार है वे सब व्यक्ति इस बात में सहमत हैं कि साधु उक्त मकान में ठहरे तो साधु उस मकान में ठहर सकते हैं। यदि उन में से एक भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि साधु उक्त मकान में ठहरे तो साधु को उस मकान में नहीं ठहरना चाहिए।

यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या मकान भी सामने लाकर दिया जाता है? इसका समाधान यह है कि तम्बू आदि सामने लाकर खड़े किए जा सकते हैं। लकड़ी के बने हुए मकान भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। और आजकल तो ऐसे मकान भी बनने लगे हैं कि उन्हें स्थानान्तर किया जा सकता है।

इससे स्पष्ट होता है कि साधु के निमित्त ६ काय की हिंसा करके जो मकान बनाया गया है, साधु को उस मकान में नहीं ठहरना चाहिए। और जो मकान साधु के लिए नहीं बनाया गया है, परन्तु उसमें साधु के निमित्त फर्श आदि को लीपा-पोता गया है या उसमें मफेदी आदि कराई गई है, तो साधु को उस मकान में तब तक नहीं ठहरना चाहिए जब तक वह पुरुषान्तर नहीं हो गया है। इसी तरह जो मकान अन्य

श्रमणोंके लिए या अन्य व्यक्तियों के ठहरने के लिए बनाया गया है— जैसे धर्मशाला आदि । ऐसे स्थानों में उनके ठहरने के पश्चात् पुरुषान्तर होने पर साधु ठहर सकता है ।

इसी बात को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं —

मूलमू—से भिक्खू वा० से जं० पुण उवस्सयं जा०
 अस्संजए भिक्खूपडियाए खुड्डियाओ दुवारियाओ महल्लियाओ-
 कुज्जा, जहा पिंडेसणाए जाव संथारगं संथारिज्जा बहिया वा
 निन्नक्खु तहप्पगारे उवस्सए अपु० नो ठाणं ३ अह पुणेव०
 पुरिसंतरकडे आसेविए पडिलेहिता २ तओ संजयामेव जाव
 चेइज्जा । से भिक्खू वा० से जं० अस्संजए भिक्खूपडियाए
 उदग्गप्पसूयाणि कंदाणि वा मूलाणि वा पत्ताणि वा पुप्फाणि
 वा फलाणि वा बीयाणि वा हरियाणि वा ठाणाओठाणं साहरइ
 बहिया वा निराणक्खू तं० अणु० नो ठाणं वा चेइज्जा, अह पुणं०
 पुरिसंतरकडं चेइज्जा । से भिक्खू वा से जं० अस्संज० भि०
 पीढं वा फलगं वा निस्सेणिं वा उदूखलं वा ठाणाओठाणं सा-
 हरइ बहिया वा निराणक्खू तहप्पगारे उ० अपु० नो ठाणं वा
 चेइज्जा, अह पुणं० पुरिसं० चेइज्जा ॥६५॥

छाया— स भिन्नुः वा स यत् पुनः उपाश्रय जानीयात्, असयत्तः भिन्नु

श्री 'श्रमण' शब्द का प्रयोग निर्ग्रन्थ (जैन मुनि), याक्य (बौद्ध भिक्षु), तापन, गैरुक और अग्जीवक (गॉंगानक के अनुयायी) संप्रदाय के लिए होना रहा है ।

प्रतिज्ञया चूद्रद्वारं महाद्वारं कुर्यात् तथा पिण्डैपणायां यावत् सस्तागकं संस्तरत्, वहिर्वा निस्सारयति तथाप्रकारे उपाश्रये अपुरुषान्तरकृते नो स्थान० ३ । अथ पुनरेवं जानीयात् पुरुषान्तरकृतः आसेवितः प्रतिलिख्य २ ततः सयतमेव यावत् चेतयेत् । म भिक्षुर्वा० म यत् भिक्षुप्रतिज्ञया उदकप्रसूतानि कन्दानि वा मूलानि वा पत्राणि वा पुष्पाणि वा, फलानि वा, बीजानि वा, हरितानि स्थानात् स्थानं साहरति—सक्रामयति वहिर्वा निस्सारयति त० अ पु० नो स्थान वा ३ चेतयेत् । अथ पुनरेवं जानीयात् पुरुषान्तरकृतं चेतयेत् । स भिक्षुर्वा स यत् असंयतः भिक्षुप्रतिज्ञया पीठ वा फलक वा निश्रेणि वा उदूखल वा स्थानतः स्थानं संक्रामयति वहिर्वा निस्सारयति तथाप्रकारे उपाश्रये अपुरुषान्तरकृते नो स्थानं वा ३ चेतयेत्, अथ पुनरेवं जानीयात् पुरुषान्तरकृतं चेतयेत् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षु वा—साधु अथवा माव्दी । से ज० पुण उवस्सय जा०—वह जो फिर उपाश्रय को जाने । अस्मंजए—असंयत—गृहस्थ । भिक्षुपट्टियाए—भिक्षु-माधु के लिए । खुड्डियाओ दुवारियाओ—छोटे द्वार को । महल्लियाओ—बड़ा । कुज्जा—बनाए । जहा पिडेसणाए—जैसे पिंडैपणा अध्ययन में बताया है । जाव—यावत् । सथारग सथारिज्जा—मन्तारक (विद्यीना) को विद्यावे । वा—अथवा । वहिया—कोई पदार्थ उपाश्रय से बाहर । नि-नक्खु—निकाले । तहप्पगारे—तथा प्रकार के । उवस्सए—उपाश्रय में । अपुरिसतर कडे—जो कि पुष्पान्तरकृत नहीं है तो । नो ठाणं ३—माधु वहा स्थानादि कायोत्तर्मादि न करे । अह पुणेव०—माधु पुनः यह जाने कि यदि उक्त उपाश्रय । पुरिसतरकडे—पुष्पान्तरकृत है । आसेविए—आसेवित है नो फिर उमका । पडिलेहिता २—प्रतिनिखन करके । तओ—तदनन्तर । मज्जामेव—माधु । जाव—यावत् । चेडज्जा—उसमें स्थानादि करे कायोत्तर्मादि करे । से भिक्षु वा०—वह माधु या माव्दी । से ज०—वह फिर यह जाने कि । असंजए—गृहस्थ ने । भिक्षुपट्टियाए—भिक्षु के लिए । उदरगप्पसूयाणि—पानी में उत्पन्न हुए । कदाणि वा—कन्द । मूलाणि वा—अथवा मूल । पत्ताणि—पत्र । वा—अथवा । पुष्पाणि वा—पुष्प । फलाणि वा—फल अथवा । बीजाणि वा—बीज, अथवा । हरियाणि वा—हरी मन्त्री को । ठाणाओ—एक स्थान ने । ठाण—अन्य स्थान पर । माहरइ—न्वा है । वा—अथवा । वहिया निण्णवग्गू—भीतर में बाहर फला है तो । त०—वैशे उपाश्रय में जाकि । अप०—अपुरुषान्तरकृत है । नो ठाण वा—चेडज्जा—कायोत्तर्मादि न करे ।

अह—अथ । पुण०—फिर जो ऐसा जाने कि यह । पुरिसतर कड—पुरुषान्तर कृत है तो । चेइज्जा—उसमें कायोत्सर्गादि करे अर्थात् निवाम-करले वे । से मिदखू वा—वह साधु अथवा साध्वी । से ज पुण—जोकि उपाश्रय को जाने कि । अस्तज०—गृहस्थ । मि०—भिक्षु के लिए । पीठ वा—पीठ । फलग वा—फलक । निस्सेणि वा—लकड़ी की सीढियों । उदूखल वा—अथवा ऊखल को । ठाणाओ ठाणं साहरइ—एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखता है । वहिया वा निष्णइखू—अथवा भीतर से बाहर निकालता है । तहएगारे—तो टम तग्ह के । उ०—उपाश्रय में जो । अपु०—अपुरुषान्तरकृत है । नो ठाणं वा इ चेइज्जा—साधु निवास न करे । अह पुण—अथ यदि वह यह जाने कि । पुरिस०—यह पुरुषान्तरकृत है तो । चेइज्जा—उस में निवास करे ।

मूलार्थ—वह साधु या साध्वी उपाश्रय के विषय में यह जाने कि गृहस्थ ने साधु के लिए उपाश्रय के छोटे द्वार को बड़ा बनाया है और बड़े को छोटा कर दिया है, तथा भीतर से कोई पदार्थ बाहर निकाल दिया है तो इस प्रकार के उपाश्रय में जब तक वह अपुरुषान्तरकृत एव अनासेवित है तब तक वहा कायोत्सर्गादि न करे, और यदि वह पुरुषान्तरकृत अथवा आसेवित हो गया है, तो उसमें स्थानादि कर सकता है ।

इसी प्रकार यदि कोई गृहस्थ साधु के लिए उदक से उत्पन्न होने वाले कन्द मूल, पत्र, पुष्प, फल, बीज और हरी का एक स्थान से स्थानान्तर में सक्रमण करता है, या भीतर से किसी पदार्थ को बाहर निकालता है, तो इस प्रकार का उपाश्रय भी अपुरुषान्तरकृत और अनासेवित हो तो साधु के लिए अकल्पनीय है । और यदि पुरुषान्तरकृत अथवा आसेवित है तो उसमें वह कायोत्सर्गादि कर सकता है ।

इसी भाँति यदि गृहस्थ साधु के लिए पीठ [चौकी] फलक और ऊखल आदि पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान में रखता है या भीतर से बाहर निकालता है, तो इस प्रकार के उपाश्रय में जो कि अपुरुषान्तरकृत और अनासेवित है तो साधु उसमें कायोत्सर्ग आदि कार्य न करे, और यदि वह पुरुषान्तरकृत अथवा आसेवित हो चुका है तो उसमें वह कायोत्सर्गादि

क्रियाएँ कर सकता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि यदि किसी गृहस्थ ने साधु के निमित्त उपाश्रय के दरवाजे छोटे-बड़े किए हैं, या कन्द, मूल, वनस्पति आदि को हटाकर या कांट-छांट कर उपाश्रय को ठहरने योग्य बनाया है तथा उसमें स्थित तरुत आदि को भीतर से बाहर या बाहर से भीतर रखा है और इस तरह की क्रियाएँ करने के बाद उस उपाश्रय में गृहस्थ ने निवास किया हो या अपने सामायिक संवर आदि धार्मिक क्रियाएँ करने के काम में लिया हो तो साधु उम मकान में ठहर सकता है । इससे स्पष्ट होता है कि जो मकान मूल से साधु के लिए बनाया हो, उस मकान में साधु किसी भी स्थिति-परिस्थिति में नहीं ठहर सकता । परन्तु, जो स्थान मूल से साधु के लिए नहीं बनाया गया है, केवल उसकी मुरम्मत की गई है या उसके कमरों या दरवाजों आदि को छोटाई-बड़ाई में कुछ परिवर्तन किया गया है या उसका अभिनव संस्कार किया गया है तो वह पुरुषान्तर होने के बाद साधु के लिए कल्पनीय है ।

इसी बात को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० से जं० तंजहा—खंधंसि वा मंचंसि
वा मालंसि वा पासा० हम्मि० अन्नयरंसि वा तहप्पगारंसि
अंतलिकखजायंसि, नन्नत्थ आगाढागाढेहिं कारणेहिं ठाणं
वा नो चेइज्जा । से आहच्च चेइए सिया नो तत्थ सीयोदग-
वियडेण वा २ हत्थाणि वा पायाणि वा अच्छीणि वा दंताणि
वा मुहं वा उच्छोलिज्ज वा पहोइज्ज वा, नो तत्थ ऊसठं पकरे-
ज्जा, तंजहा—उच्चार वा पा० खे० सिं० वंतं वा पित्तं वा पूयं
वा सोणियं वा अन्नयरं वा सरीरावयवं वा, केवली बूया
आयाणमेयं, से तत्थ ऊसठं पगरे माणे पयलिज्ज वा २, से तत्थ

पयलमाणो वा पवडमाणो वा हृत्थं वा जाव सीसं वा अन्नयरं
वा कायंसि इंदियजालं लूसिज्ज वा पाणिं ४ अभिहणज्जि
वा जाव ववरोविज्ज वा, अथ भिक्खूणां पुव्वोवड्ढा ४ जं तह-
प्पगारं उवस्सए अंतलिव्वजाए नो ठाणं वा ३ चेइज्जा ॥६६॥

छाया—स भिक्षुर्वा। स यत्-तद्यथा—स्कन्धे वा मंचे वा माले वा प्रासादे
वा हर्म्यतले वा अन्यतरस्मिन् वा अन्तरिक्षे जाते नान्यत्र अगाढागाढैः कारणैः
स्थानं वा नो चेतयेत्, स आहृत्य चितः—गृहीतः स्यात् न तत्र शीतोदक विक-
टेन वा २ हस्तौ वा पादौ वा अक्षिणी वा दन्तान् मुखं वा उत्सोलयेत् वा प्रधा-
वेद् वा न तत्र उत्सृष्टं प्रकुर्यात्, तद्यथा उच्चार वा प्रस्रवणं वा खेलं वा
सिंघानं वा बान्त वा पिच्चं वा पूति वा शोणित वा अन्यतर वा शरीरावयव वा
केवली ब्रूयात् आदानमेतत् स तत्र उत्सृष्ट प्रकुर्वन् प्रचलेद् वा २ स तत्र प्रचलन्
वा पतन् वा हस्तौ वा यावत् शीर्षं वा अन्यतरं वा काये इन्द्रियजात लूपयेद्—
त्रिनाशयेद् वा प्राणिनः वा ४ अभिहन्यात् यावद् व्यपरोपयेद् वा अथ भिक्खूणां
पूर्वोपदिष्ट ४ यत् तथाप्रकारे उपाश्रये अन्तरिक्षे जाते नो स्थानं वा ३ चेतयेत् ।

पदार्थ - से भिक्खु वा - वह साधु अथवा साध्वी । सेजं - वह फिर उपाश्रय के सम्बन्ध
मे जाने । तंजहा - जैसेकि । खर्धंसि वा - एक स्कन्ध पर अथवा । मंचसि वा - मंच पर ।
मालसिवा - माल पर । पासार्यंसि वा - प्रासाद पर दूसरी भूमिका-मंजिल पर । हम्मियतलसि-
वा - महल पर । अण्णयरंसि वा - अन्य कोई । तहप्पगारसि - इसी प्रकार के । अतलिव्व
जायसि वा - आकाश मे अर्थात् ऊंचे स्थान मे है उसमे । ठाणं वा ३ - कायोत्सर्गादि । नो
चेइज्जा - न करे । णण्णत्थ - इतना विशेष है अर्थात् । अगाढागाढेहि - किसी विशेष या
प्रगाढ कारण के उपस्थित हुए बिना उपाश्रय को स्वीकार न करे । आहृच्च - यदि कभी ।
मे - उसने । चेइए सिया - उसे ग्रहण कर लिया है तो । तत्थ - वह वहा पर । सीओदगविडयेण
वा - प्रासुक शीतल या उष्ण जल से । हत्थाणि वा - हाथ । पायाणि वा - पैर । अच्छीणि
वा - आख । दताणि वा - दान्त । मुह वा - मुख आदि को । नो उच्छोलिज्ज वा -
प्रक्षालन न करे । पओएज्ज वा - वार २ प्रक्षालन न करे और । तत्थ - वहां पर । ऊसडं -

मल मूत्रादि । नो पकरेज्जा - न करे । तजहा - जैसे कि । उच्चारं वा - उच्चार-विष्ठा । पा० - मूत्र । खे० - मुख की मल । सि० - नाक का मल । वतं वा - वान्ति-वमन । पित्त वा - पित्त । पूय वा - पीप । सोणिय वा - शोणित-रुधिर या । ग्रन्नयर वा - ग्रन्थ कोई । शरीराव-यवं वा - शरीर का अवयव वहा पर परठे नहीं । केवली - केवली भगवान । ब्या - कहते हैं । आयाणसेय - यह कर्म आने का मार्ग है । से तत्थ - यदि वह वहा पर । ऊसडंपगरे-माणे - उच्चार आदि करता हुआ । पयलेज्ज वा २ - फिसल पडेगा या गिर पडेगा फिर । से - उसके । तत्थ - वहा पर । पयलमाणे वा - फिसलने अथवा । पवडुमाणे - गिरने से । हत्थं वा - हाथ । जाव - यावत् । सीसं वा - सिर या । कायसि - शरीर का । अन्नयर वा - कोई । इंदिय जाल - अवयव विशेष । लूसिज्ज वा - टूट जाएगा तथा । पाणि वा ४ - द्वीन्द्रिय आदि प्राणियो को । अभिहणेज्ज वा - विराधना होगी । जाव - यावत् । ववरोविज्ज वा - विनाश होगा । अथ - अतः । भिवखूण पुव्वोवदिट्ठा - भगवान ने भिक्षुओ के लिए पहले ही आदेश दे रखा है कि । ज - जो । तहपगार - इस तरह के । उवस्सए - उपाश्रय मे जां कि । अन्तलिबखजाये - आकाश में अर्थात् ऊचे स्थान मे स्थित है । ठाणसि वा - कायोत्सर्गादि । नो चेइज्जा - न करे और ऐसे उपाश्रय मे न ठहरे ।

मूलार्थ—वह साधु या सोध्वी उपाश्रय को जाने, जैसे कि-जो उपाश्रय एक स्तम्भ पर है, मचान पर है, माले पर है, प्रासाद पर—दूसरी मजिल पर या महल पर बना हुआ है, तथा इसी प्रकार के अन्य किसी ऊचे स्थान पर स्थित है तो किसी असाधारण कारण के बिना, उक्त प्रकार के उपाश्रय मे स्थानादि न करे । यदि कभी विशेष कारण से उसमे ठहरना पडे तो वहां पर प्रासुक शीतल या उष्ण जल से, हाथ, पैर, आख, दान्त और मुख आदि का एक या एक से अधिक बार प्रक्षालन न करे । वहा पर मल आदि का उत्सर्जन न करे यथा—उच्चार (विष्ठा) प्रस्रवण (मूत्र) मुख का मल, नाक का मल, वमन, पित्त, पूय, और रुधिर तथा शरीर के ग्रन्थ किसी अवयव के मल का वहा त्याग न करे । क्योंकि केवली भगवान ने इसे कर्म आने का मार्ग कहा है । यदि वह मलादि का उत्सर्ग करता हुआ फिसल पडे या गिर पडे, तो उसके फिसलने या गिरने पर उसके हाथ-पैर, मस्तक एवं शरीर के किसी भी भाग मे चोट लग सकती है और

उसके गिरने से स्थावर एव त्रस प्राणियों का भी विनाश हो सकता है। अतः भिक्षुओं के लिए तीर्थकरादि का पहले ही यह उपदेश है कि इस प्रकार के उपाश्रय में जो कि अन्तरिक्ष में अवस्थित हैं, साधु कायोत्सगादि न करे और न वहा ठहरे।

हिन्दो विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में उपाश्रय के विषम स्थान में रहने का निषेध किया गया है। जो उपाश्रय एक स्तम्भ या मंचान पर स्थित हो और उसके ऊपर निश्रेणी (लकड़ी की मीढ़ी) लगाकर चढना पड़े, तो ऐसे स्थानों में किसी विशेष कारण के नहीं ठहरना चाहिए। क्योंकि उस पर चढने के लिए निश्रेणी लाने (लगाने) की व्यवस्था करनी होगी और उस पर से गिरने से शरीर पर चोट लगने या अन्य प्राणियों का हिंसा होने को सम्भावना रहती है। अतः जहाँ इस तरह के अनिष्ट की सम्भावना हो ऐसे विषम स्थानों में नहीं ठहरना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र में अन्तरिक्षजात स्थानों में जो ठहरने का निषेध किया गया है, वह स्थान की विषमता के कारण किया गया है। यदि किसी उपाश्रय में ऊपर बने हुए आवासस्थल पर पहुँचने के लिए सुगम रास्ता है, उसमें गिरने आदि का भय नहीं है और ऊपर छत इतनी मजबूत है कि चलने-फिरने से झिलनी नहीं है या ऊपर से मिट्टी आदि नहीं गिरती है तो ऐसे स्थानों में ठहरने का निषेध नहीं किया गया है। आगम में यत्र-तत्र विषम स्थानों पर ठहरने या ऐसे विषम स्थानों पर रखी हुई वस्तु यदि कोई गृहस्थ उतार कर देवे तो साधु को धृष्ट करने का निषेध किया गया है। इन्हीं तरह जो उपाश्रय दुर्बद्ध (विषम स्थान पर स्थित) है, तो वहाँ साधु को नहीं ठहरना चाहिए। परन्तु, जिस उपाश्रय में ऊपर पहुँचने का मार्ग सुगम है और उसमें किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं होती हो तो ऐसे स्थान में साधु को ठहरने का निषेध नहीं किया गया है।

इसी तरह ऊपर की छत पर जो हाथ-पैर धोने एवं दात आदि साफ करने का निषेध किया है उसमें भी यही दृष्टि रही हुई है। यदि विषम स्थान नहीं है तो साधु उस पर आ-जा सकता है और दन्त आदि प्रक्षालन करने का जो निषेध किया है वह विभूषा की दृष्टि से किया गया है, न कि कारण विशेष की दृष्टि से। छेद सूत्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो साधु विभूषा, के लिए दान्तों का प्रक्षालन करते हैं उन्हें प्रायश्चित्त आता

ॐ दशवैतालिक सूत्र, ५, १, ६७-६८।

† निगीथ सूत्र, उद्देशक १४, सूत्र ३८, ३९।

हैः। अस्तु, कारण विशेष से उपाश्रय में स्थित ऊपर के ऐसे स्थानों में जिन पर पहुंचने का मार्ग सुगम है, उन पर दन्त आदि का प्रचालन करने का निषेध नहीं है।

उपाश्रय के विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० से जं० सइत्थियं सखुड्डं सपसु-
भत्तपाणां, तहप्पगारे सागारिए उवस्सए नो ठाणं वा ३ चे-
इज्जा । आयाणमेयं भिक्खुस्स गाहावइकुलेण सद्धिं संवसमाणस्स
अलसगे वा विसूइया वा छड्डी वा उव्वाहिज्जा अन्नयरे वा
से टुक्खे रोगायंके समुप्पज्जिज्जा, अस्संजए कलुणावडियाए तं
भिक्खुस्स गायं तिल्लेण वा धएण वा नवणीयेण वा वसाए वा
अव्भंगिज्ज वा मक्खिज्ज वा सिणाणेण वा कक्केण वा लुद्धेण
वा वराणेण वा चुराणेण वा पउमेण वा आघंसिज्ज वा पधंसिज्ज
वा उव्वलिज्ज वा उव्वट्ठिज्ज वा सीओदगवियडेण वा उसि-
णोदगवियडेण वा उच्छोलिज्ज वा पक्खालिज्ज वा सिणा-
विज्ज वा सिंचिज्ज वा दारुणा वा दारुपरिणामं कट्ठु अगणि-
कायं उज्जालिज्ज वा पज्जालिज्ज वा उज्जालित्ता२ कायं आया-
विज्जा वा प०, अह भिक्खूणां पुव्वोवइट्ठा० जं तहप्पगारे
सागारिए उवस्सए नो ठाणं वा ३ चेइज्जा ॥६७॥

‡: जे भिक्खू विभूसा वडियाए अप्पणो दत्ते सीउदगवियडेण वा जाव पधोवतं वा साइज्जइ ।

छाया—म भिक्षुर्वा म यत् सस्त्रियं सञ्जुद्र मपशुमस्तगान तथा प्रकार-
के सागारिके उपाश्रये नो स्थानं वा ३ चेतयेत् । आदानपतेत् भिक्षोः गृहपति-
कुलेन सार्द्धं संवमतः अलमक वा विसूचिका वा छर्दी वा उद्वाधेरन्, अन्यतरद् वा
दुःख रोगातक समुत्पद्येत असयत कारुण्य प्रतिज्ञया तद् भिक्षो गात्र तैलेन
वा घृतेन वा नवनीतेन वा व्रमया वा अभ्यज्यात् वा मूक्षयेद् वा स्नानेन वा
कलकेन वा चोघ्रेण वा वर्णेन वा चूर्णेन वा पद्मेन वा आघर्षेत् प्रघर्षेत्
उद्वलेत् उद्वर्तेत् वा शीतोदकविकटेन वा उष्णोदकविकटेन वा उच्छालयेद् वा
प्रक्षालयेद् वा स्नपयेद् वा पिञ्चेद् वा दारुण्य वा दारुपरिणाम कृत्वा अग्निकाय
उज्ज्वालयेद् वा प्रज्ज्वालयेद् वा उज्ज्वाल्य कायं वा आतापयेत् वा प्रतापयेद् वा अथ
भिक्षूणां पूर्वोपदिष्टं ० यन् तथाप्रकारे सागारिके उपाश्रये नो स्थान वा ३ चेतयेत् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षू वा—साधु अथवा साध्वी । से ज०—उपाश्रय को जाने
जंमे कि । सङ्गन्धियं—यह उपाश्रय स्त्री युक्त है । सखुड्डं—शुद्ध पशुओ और बालको से युक्त है ।
मपशुमस्तगान—पशुओ तथा उनके खाने योग्य अन्न पानी से युक्त है । तथाप्रकारे—तथाप्रकार
के । सागारिए—सागारिक—गृहस्थो से युक्त । उवस्सए—उपाश्रय मे । ठाणं वा—कायोत्सर्गादि
नो चेद्दज्जा—न करे । आयाणमेयं—यह कर्म बन्धन का कारण है । भिक्षुस्स—भिक्षु को ।
गहावइ कुलेण सार्द्धं—यदि गृहपति के कुटुम्ब के साथ । सबसमाणस्स—वसते-निवास करते
हुए रुदाचित् । अलसके—हाथ-पैर आदि का स्तम्भन हो जाए अथवा उनमे सोजन आ जाए
अथवा । विसूडया वा—विसूचिका—हैजा हो जाए या । छड्डी वा—वमन । उवाहिज्जा—होन
गगे । से अन्नधरे वा—अथवा उमे अन्य कोई । दुक्खे—दुःख । रोगायके—या ज्वरादि रोग
अथवा शूल आदि प्राणनाशक रोग । समुप्पज्जेज्जा—उत्पन्न हो जाए तो इस प्रकार के रोग से
पीडित साधु को देखकर । असजए—गृहस्थ । कलुणापडियाए—करुणा से । तं—उस ।
भिक्षुस्स—भिक्षु के । गायं—शरीर को । तेल्लेण वा—तेल से । घएण वा—घृत से ।
नवणीएण वा—नवनीत—मक्खन से अथवा । बसाए वा—चर्बी से । अब्भगेज्ज वा—उसके
शरीर का एक वार मालिश करेगा अथवा । मक्खज्ज वा—अनेक वार मालिश करेगा तथा ।
सिणाणेण वा—मृगन्धित द्रव्य मिश्रित जल से स्नान कराएगा या । कक्केण—कपाज द्रव्य से मिश्रित
जल से । लोद्धेण वा—लोद से । वन्नेण वा—कम्पिलकादि वर्ण से । चुण्णेण वा—जवादि के चूर्ण
से । पउमेण वा—पद्म से । आथसिज्ज वा—उसके शरीर का थोडा सा घर्षण करेगा ।
पघसिज्ज वा—वार वार घषण करेगा । उव्वलिज्ज वा—उव्वत पदार्थो को मसल कर शरीर की
स्निग्धता को दूर करेगा । उव्वट्टिज्ज वा—उव्वट्टन करेगा तथा । सीप्रोदगवियङ्गे वा—उमे

प्रासुक शीतल जल से । उतिणोदगवियङ्गेण वा—या उष्ण जल से । उच्छोलेज्ज वा—एक बार । धोएगा या । पक्खलिज्ज वा—अनेक बार प्रक्षालन करेगा । सिणाविज्ज वा—बार-बार मस्तक को धोएगा । सिवेज्ज वा—जन्तु के द्वारा मात्र-शरीर का सिंचन करे अथवा । दासणा वा दासु-परिणामं कट्टु—अरणी के काष्ठ को घर्षण करके । अग्गिकायं—अग्नि को । उज्जालेज्ज वा—उज्वलित करेगा । पज्जालिज्ज वा—प्रज्वलित करेगा और । उज्जलित्ता—उज्वलित वा प्रज्वलित करके । कायं—साधु के शरीर को । आयाविज्जा—एक बार तपाएगा । पमाविज्ज वा—या बार-बार तपाएगा । अह—इमलिए । भिक्खूणं—भिक्षुओं को । पुब्बोव इट्ठा—तीर्थकरादि ने पहले ही आदेश किया है कि । ज—जो कि । तहपगारे—तथा प्रकार के । सागारिए—सागारिक-गृहस्थादि से युक्त । उवस्सए—उपाश्रय है, उनमें । ठाणं वा—स्थानादि । नो च्छेज्जा—न करे, अर्थात् ऐस स्थान में न ठहरे ।

मूत्रार्थ—जो उपाश्रय स्त्री, बालक और पशु तथा उनके खाने योग्य पदार्थों से युक्त है तो इस प्रकार के गृहस्थादि से युक्त उपाश्रय में साधु-साध्वी न ठहरे । क्योंकि यह कर्म आने का मार्ग है । भिक्षु का गृहस्थ के कुटुम्ब के साथ बसते हुए कदाचित् शरीर का स्तम्भन या सूजन हो जाए या विसूचिका, वमन, ज्वर या शूलादि रोग उत्पन्न हो जाये, तो वह गृहस्थ करुणाभाव से प्रेरित होकर साधु के शरीर का तेल से, घी से, नवनीत (मक्खन) से और बसा से मालिश करेगा । और फिर उसे प्रासुक शीतल या उष्ण जल से स्नान कराएगा या लोध्र से, चूर्ण से तथा पद्म से एक अथवा अनेक बार उसके शरीर को घर्षित करेगा, तथा शरीर को स्निग्धता को उबटन आदि से दूर करेगा । उस मैल को साफ करने के लिए उसके शरीर का प्रासुक शीतल या उष्ण जल से प्रक्षालन करेगा । उसके मस्तक को धोएगा या उसे जल से सिंचित करेगा, अथवा अरणी के काष्ठ को परस्पर रगड़ कर अग्नि प्रज्वलित करेगा और उससे साधु के शरीर को गर्म करेगा । इस तरह गृहस्थ के परिवार के साथ उसके घर में ठहरने से अनेक दोष लगने की संभावना देखकर भगवान ने ऐस स्थान पर ठहरने का निषेध किया है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु-साध्वी को ऐसे मकान में नहीं ठहरना

चाहिए जिसमें गृहस्थ सपरिवार रहता हो और अपने परिवार एवं पशुओं के पोषण के लिए सब तरह के सुख-साधन एवं भोगोपभोग की सामग्री रखी हो। क्योंकि, गृहस्थ के साथ ऐसे मकान में ठहरने पर यदि कभी वह बीमार हो गया तो वह अनुप्राणी गृहस्थ अनेक तरह की सावधान एवं निरवधान औषधियों से, तेल आदि के लेपन से या अग्नि जलाकर उसके शरीर को तपाकर उसे व्याधि से मुक्त करने का प्रयत्न करेगा और साधु का उसको प्रतिकार करना होगा। यदि वह प्रतिकार नहीं करेगा तो उसके संयम का नाश होगा। इसलिए साधु को ऐसे स्थान में नहीं ठहरना चाहिए, जिससे उसके महाव्रतों में किसी तरह का दोष लगे।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'वसा' शब्द का अर्थ चर्मा नहीं, किन्तु स्निग्ध (चिकनाहट से युक्त) औषधि विशेष है। और 'पशुसत्ताण' का अर्थ है— पशुओं के काम में आने वाले खाद्य पदार्थ। 'सखुड्ड' (सुर) शब्द से कुत्ता, बिल्ली आदि पशुओं का एवं पशु शब्द से गाय भैंस आदि पशुओं का ग्रहण किया गया है।

यह स्पष्ट है कि बीमार साधु को देखकर गृहस्थ के मन में दयाभाव विशेष रूप से जागृत होता है। इसलिए साधु को गृहस्थ के परिवार के साथ नहीं ठहरना चाहिए। इससे और भी अनेक दोष लगने की संभावना है। स्त्री आदि के साथ अविक परिचय रहने से ब्रह्मचर्य में भी शिथिलता आ सकती है। यही कारण है कि आगम में साधु को स्त्री, पशु और नपुंसक युक्त मकान में और माध्वी को पुरुष, पशु और नपुंसक सहित मकान में रहने का निषेध किया गया है और इनसे रहित मकान में रहने वाले साधु को ही निर्ग्रन्थ कहा गया है*। यह बात अलग है कि जिस मकान में केवल पुरुष ही रहने हों तो उस मकान में साधु और जिस मकान में केवल स्त्रियें निवसित हों तो उस मकान में साध्वियें ठहर सकती हैं†।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—आयाणमेय भिक्षुस्स सागारिए उवस्सए संबस—
माणस्स इह खलु गाहावई वा जाव कम्मकरी वा अन्नमन्नं
अक्कोसंति वा पचंति वा रुभंति वा उद्विंति वा, अह
भिक्षूणां उच्चावयं माणं नियंछिज्जा, एए खलु अन्नमन्नं

* नो इत्थीपसुपण्ढगमंसत्ताइं सयणासणाइ सेवित्ता से निगन्थे ।

अक्रकोसंतु वा मा वा अक्रकोसंतु जाव मा वा उद्वित्तु, अह
भिक्षूणां पुव्वो० जं० तहप्पगारे सा० नो ठाणां वा ३ चेइज्जा ॥६८॥

छाया —आदानमेतत् भिक्षोः सागारिके उपाश्रये सवसतः इह खलु गृहपतिः
वा यावत् कर्मकरी वा अन्योऽन्यं आक्रोशयन्ति वा पचन्ति वा रुधन्ति वा
उपद्रायन्ति वा अथ भिक्षुः उच्चावच मनः कुर्यात्, एते खलु अन्योऽन्यं
आक्रोशन्तु मा वा आक्रोशन्तु यावत् उपद्रायन्तु, अथ भिक्षूणां पूर्वोपदिष्टं यत्
तथाप्रकारे सागारिके उपाश्रये नो स्थानं वा ३ चेतयेत् ।

पदार्थ — सागारिके उवससए — गृहस्थ मे युक्त उपाश्रय मे । संवसमाणस्स — निवास
करना । भिक्षुस्स — साधु के लिए । आयाणमेय — कर्म बन्ध का कारण है, क्योंकि । इह खलु —
इस उपाश्रय मे । गाहावई वा — गृहपति । जाव — यावत् । कम्मकरी वा — उसकी दासी आदि ।
अन्नमन्न — परस्पर । अक्रकोसंति वा — एक-दूसरे को कोसती है । पचति वा — खाना पकाती हैं ।
रुधति वा — रोकती है । उद्वित्ति वा — उपद्रव करती है । अह — अत, उन्हे ऐसा करते देखकर,
भिक्षूण — भिक्षु के । उच्चावयं मणं नियच्छिज्जा — मन नें ऊचे-नीचे परिणाम आ सकते है, वह
सोच सकता है कि । एए खलु — यह सब निश्चय ही । अन्नमन्न — परस्पर । अक्रकोसतु वा —
आक्रोश करे । मा वा अक्रकोसतु — आक्रोश न करे । जाव — यावत् । मा वा उद्वित्तु —
उपद्रव न करे । अह भिक्षूण — भिक्षुओं को । पुव्वोवइट्ठा — तीर्थंकरों ने पहले ही उपदेश दिया
है कि । जं — जो । तहप्पगारे — ऐसा स्थान है, जिसमे । सा० — गृहस्थ निवास करता है,
उसमे । नो ठाण वा ३ चेइज्जा — साधु निवास न करे ।

मूलार्थ — गृहस्थो से युक्त उपाश्रय मे निवास करना साधु के लिए
कर्म बन्ध का कारण कहा है । क्योंकि उसमे गृहपति, उसकी पत्नी, पुत्रिये,
पुत्रवधु, दास-दासिए आदि रहती है और कभी वे एक-दूसरी को मारे,
रोकें या उपद्रव करे तो उन्हे ऐसा करते हुए देखकर मुनि के मन मे
ऊचे-नीचे भाव आ सकते है । वह यह सोच सकता है कि वे परस्पर लड़े-
झगड़े या लड़ाई-झगड़ा न करें आदि । इसलिए तीर्थंकरों ने साधु को पहले
ही यह उपदेश दिया है कि वह गृहस्थ से युक्त उपाश्रय में न ठहरे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में भी परिवार से युक्त मकान में ठहरने का निषेध किया है। क्योंकि कभी पारिवारिक संघर्ष होने पर साधु के मन में भी अच्छे एवं दुरे संकल्प विकल्प आ सकते हैं। वह किसी को कहेगा कि तुम मत लड़ो और किसी को संघर्ष के लिए प्रेरित करेगा। इस तरह वह साधना के पथ से भटककर भङ्गटों में उलझ जाएगा। यहां प्रश्न तो मकान है कि किसी को लड़ने से रोकना तो अच्छा है, फिर यहा उसका निषेध क्यों किया गया? इसका समाधान यह है कि परिवार के साथ रहने के कारण उसका मन तटस्थ न रहकर राग द्वेष से युक्त हो जाता है और इस कारण वह अपने अनुरागी व्यक्ति का पक्ष लेकर विरोधी को रोकना चाहता है और अनुरागी को भड़काता है, उसकी यह राग-द्वेष युक्त प्रवृत्ति कर्म बन्ध का कारण होने से साधु के लिए इसका निषेध किया है। यदि कोई साधु तटस्थ एवं मध्यस्थ भाव से संघर्ष को शान्त करने का प्रयत्न करता है तो उसका कहीं निषेध नहीं किया गया है। भगवान महावीर ने कहा है कि साधु जनता को शान्ति का मार्ग बताए और उपदेश के द्वारा कलह को शान्त करने का प्रयत्न करे। अस्तु, प्रस्तुत प्रसंग में जो निषेध किया है, वह राग-द्वेष युक्त भाव से किसी का पक्ष लेकर हा या ना करने का निषेध किया गया है, और इसी भावना को सामने रख कर साधु को परिवार युक्त मकान में ठहरने का निषेध किया गया है, जिससे वह पारिवारिक संघर्ष से अलग रहकर अपनी साधना में संलग्न रह सके।

इसी बात को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—आयाणमेयं भिक्खुस्स गाहावईहिं सद्धिं संवसमा-
णास्स. इह खलु गाहावई अप्पणो सयट्ठाए अगणिकायं उज्जालि-
ज्जा वा पज्जालिज्ज वा, विज्झविज्ज, वा अह भिक्खू उच्चावयं मणं
नियंच्छिज्जा एए खलु अगणिकायं उ० वा २ मा वा उ० पज्ज-
लित्तु वा मा वा प०, विज्झवित्तु वा मा वा वि०, अह भिक्खूणां
पु० जं तहप्पगारे उ० नो ठाणां वा ३ चेइज्जा ॥६६॥

छाया—आदानमेतद् भिक्षोः गृहपतिभिः सार्द्धं सवसतः इह खलु गृहपतिः
आत्मनः स्वार्थमग्निं काय उज्ज्वालयेद् वा प्रज्वालयेद् वा विध्यापयेद् वा अथ
भिक्षुः उच्चावचं मनः कुर्यात् एते खलु अग्निं कायमुज्ज्वालयन्तु वा २ मा वा
उज्ज्वालयन्तु, प्रज्वालयन्तु वा मा वा विध्यापयन्तु अथ भिक्षूणां पूर्वोपदिष्ट
यत् तथाप्रकारे उपाश्रये नो स्थान वा ३ चेतयेत् ।

पदार्थ—भिक्षुरस—भिक्षु को । गाहावईहि—गृहपतियो—गृहस्थो के । सार्द्धि—साथ ।
सवसमाणसस—निवास करना । आयाणसेयं—यह कर्म बन्धन का कारण है । इह खलु—
निश्चय ही उस उपाश्रय में । गाहावई—गृहस्थ । अप्पणोसयट्ठाए—अपने स्वार्थ के लिए—
आत्म—प्रयोजन के लिए । अग्निं काय—अग्निं काय को । उज्जालिज्जा वा—उज्वलित करे अथवा ।
पज्जालिज्जा—प्रज्वलित करे अथवा । वा—अथवा । विज्झाविज्ज वा—बुझावे, इस प्रकार के
काम करते हुए को देखकर । अह—अथ । भिक्षू—भिक्षु कभी । उच्चावय—ऊचा-नीचा ।
मण नियच्छिज्जा—मन करे, यथा- । खलु—निश्चय ही । एए—ये गृहस्थ लोग । अग्निं काय—
अग्निं काय—अग्नि को । उ० वा २—उज्ज्वलित करे । मा वा उ०—अथवा उज्वलित न करे
तथा । पज्जालित्तु—प्रज्वलित करे । मा वा प०—अथवा प्रज्वलित न करे । विज्झावित्तु वा—
बुझा दे । मा वा वे०—अथवा न बुझाएं । अह—अथ । भिक्षूण—भिक्षुओं को । पु०—
तीर्थकरादि का पहले ही यह उपदेश है । ज—जो । तथापगारे—तथाप्रकार के । उ०—उपाश्रय
में । ठाण वा ३—स्थानादि । नो चेइज्जा—न करे- ठहरे ।

मूलार्थ—गृहस्थादि से युक्त उपाश्रय में ठहरना साधु के लिए कर्म-
बन्ध का कारण है । क्योंकि वहाँ पर गृहस्थ लोग अपने प्रयोजन के लिए
अग्नि को उज्वलित और प्रज्वलित करते हैं या प्रज्वलित आग को बुझाते
हैं । अतः उनके साथ बसते हुए भिक्षु के मन में कभी ऊचे-नीचे परिणाम
भी आ सकते हैं । कभी वह यह भी सोच सकता है कि यह गृहस्थ अग्नि
को उज्ज्वलित और प्रज्वलित करे या ऐसा न करे, यह अग्नि को बुझादे
या न बुझाएं । इसलिए तीर्थकरादि ने भिक्षु को पहले ही यह उपदेश दिया
है कि वह इस प्रकार के सागारिक उपाश्रय में न ठहरे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में भी गृहस्थ के साथ गृहवास करने का निषेध किया गया है और

वताया गया है कि उसके साथ निवास करने से मन विभिन्न संकल्प-विकल्पों में चक्कर काटता रहेगा। कभी गृहस्थ दीपक प्रज्वलित करेगा और कभी जलते हुए दीपक को बुझा देगा। उसके इन कार्यों से साधु की साधना में रुकावट पड़ने के कारण उसके मन में ऊचे-नीचे संकल्प-विकल्प उठ सकते हैं। इन सब संकल्प-विकल्पों से बचने के लिए साधु को गृहस्थ के साथ नहीं ठहरना चाहिए।

इस सन्ध मे सूत्रकार और भी बताते है—

मूलम्—आयाणमेयं भिक्षुस्स गाहावईहिं सड्ढिं संवसमा-
णस्स, इह खलु गाहावइस्स कुंडले वा गुणे वा मणी वा मुत्तिए
वा हिरण्णोसु वा सुवण्णोसु वा कडगाणि वा तुडियाणि वा ति-
सराणि वा पालंबाणि वा हारे वा अद्धहारे वा एगावली वा
कणागावली वा मुत्तावली वा रयणावली वा तरुणीयं वा कुमारीं
अलंकिय विभूसियं पेहाए, अह भिक्षू उच्चाव० एरिसिया वा
सा नो वा एरिसिया इय वा णं बूया इय वा णं मणं साइज्जा ।
अह भिक्षूणं पु० ४ जं तहप्पगारे उवस्सए नो ठा० ॥७०॥

छाया—आयानमेतत् भिक्षोः गृहपतिभिः सार्द्धं संवसतः इह खलु गृहपतेः
कुंडलं वा गुणं वा मणिं वा मौक्तिकं वा हिरण्येषु वा सुवर्णेषु वा कटकानि
वा त्रुटितानि वा त्रिसराणि वा प्रालम्बानि वा, हारं वा अर्द्धहारं वा, एकावलि
वा कनकावलि वा मुक्तावलि वा रत्नावलि वा तरुणिका वा कुमारी वा
अलंकृतविभूषितां प्रेक्ष्य, अथ भिक्षु उच्चावचं० मनः कुर्यात् ईदृशी वा सा नो
वा ईदृशी इति वा ब्रूयात् इति वा मनः स्वदेत अथ भिक्षूणां पूर्वोपदिष्टम्
४ यत् तथाप्रकारे उपाश्रये नो स्थानं ३ चेतयेत् ।

पदार्थ—आयाणमेयं—गृहस्थो के साथ निवास करना साधु के लिए कर्मबन्ध का

यरी सड्ठी तं तवस्सिं भिक्खुं मेहुणधम्मपडियारणाए आउट्टा-
विज्जा, अह भिक्खूणां पु० जं तहप्पगारे सा० उ० नो ठा० ३ चे-
इज्जा । एयं खलु तस्स० ॥ पढमा सिज्जा सम्मता ॥७१॥

छाया— आदानमेतत् भिक्षोः गृहपतिभिः सार्द्धं संवसतः इह खलु
गृहपतन्य वा गृहपतिदुहितगे वा गृहपतिस्नुषा वा गृहपतिश्रात्र्यो वा गृहपति-
दास्यो वा गृहपतिकर्मकर्यो वा, तासां च एवं उक्तपूर्वं भवति—ये इमे
श्रमणा भगवन्तः यावद् उपरता मैथुनाद् धर्मात् नो खलु एतेषां कल्पते मैथुन
धर्मपरिचारणया आकुटयितुं अभिमुखं कर्तुम् । या च खलु एतैः सार्द्धं मैथुन-
धर्मपरिचारणया आकुटयितुं अभिमुखं कुर्वीत पुत्रं खलु लभेत—ओजस्विनं,
तेजस्विनं, वर्चस्विनं, यशस्विनं संपरायं आलोकं दर्शनीयं. एतत् प्रकारं निर्घोषं
श्रुत्वा निशम्य तासां च अन्यतरा श्राद्धी त तपस्विन भिक्षुं मैथुनधर्म-
परिचारणायामभिमुखं कुर्यात्, अथ भिक्षूणां पूर्वोपदिष्टं यत् तथाप्रकारे सागा-
निके उपाश्रये नो स्थानं वा ३ चेतयेत् । एतत् खलु तस्य भिक्षोः भिक्षुक्याः
वा सामग्र्यम् । प्रथमा शय्या समाप्ता ।

पदार्थ—आयाणमेयं—यह कर्म बन्धन का कारण है । भिक्खुस्त—भिक्षु को ।
गाहावईहिं सड्ढिं—गृहस्थो के साथ । संवसमाणस्त—बसते हुए को, ये दोष उत्पन्न हो सकते हैं
यथा । इह खलु—निश्चय ही सागारिक उपाश्रय मे । गाहावईणीओ वा—गृहपति की भाययि
अथवा । गाहावईधूयाओ—गृहपति की पत्नियों । गाहावईसुण्हाओ—गृहपति की पुत्रवधुये ।
गाहावईधातिओ वा—गृहपति की धायमाताये अथवा । गाहावईदासिओ—गृहपति की दासियों
अथवा । गाहावईकम्मकरीओ वा—गृहपति का काम करने वाली मनुचरिएं । णं—वाक्यालंकार
मे है । च—फिर । तस्सिं—उन्हो का । एव—इस प्रकार । वुत्तुव्वं भवइ—पहले ही यह
कथन होता है अर्थात् वे परस्पर इस प्रकार बातलाप करते हैं । जे इमे—जो ये । भगवन्तो
समणा—पूज्य श्रमण है । जाव—यावत् । मेहुणाओ धम्माओ—मैथुन धर्म से । उव्वत्या भवन्ति—
सर्वथा उपरत रहते हैं अर्थात् ये मैथुन का कभी सेवन नहीं करते । खलु—निश्चय ही । एएत्तिं—
इन्को । मेहुणधम्मं—मैथुन धर्म के । परिधारणाए—सेवनार्थ—सेवन करने के लिए ।
आउट्टित्तए—सन्मुख होना । नो कप्पइ—नही कल्पता, किन्तु । य—और । जा—जो स्त्री ।

एएँह सँद्धि—इनके साथ । मेहुणधम्म—मैथुन धर्म के । परिवारणाए—सेवन के लिए ।
 आउट्टाविज्जा—सन्मुख करे अर्थात् मैथुन सेवन करे । खलु—निश्चय ही । सा—वह स्त्री ।
 ओयस्सि—ओजस्वी—बलवान । तेथँस्सि—तेजस्वी—तेजवाला । वच्चसि—वर्चस्वी—रूपवान ।
 जसस्सि—यशस्वी—यशवाला । सपराइय—संग्राम में शूरवीर । आत्तोयणदरसणिज्ज—आ-
 लोकनीय और दर्शनीय । पुत्तं—पुत्र को । लमिज्जा—प्राप्त करनी है । एरुप्पगार—इस
 प्रकार के । निग्घोसं—शब्द को । सुच्चा—सुनकर । निसम्म—और विचार कर-हृदय में
 धारण कर । तासि च ण—उनमें से । अन्नयरी—कोई एक । सड्डी—स्त्री । त—उस ।
 तवस्सि—तपस्वी । भिक्खु—भिक्षु को । मेहुणधमापडियारणाए—मैथुन धर्म के सेवनार्थ ।
 आउट्टाविज्जा—सन्मुख करे । अह—अथ । भिक्खूणं—भिक्षुओं को । पु०—तीर्थकरादि ने
 पहले ही यह उपदेश किया है । जं—जो कि । तहप्पगारे—तथाप्रकार के । उवस्सए—उपाश्रय
 में । ठाण वा ३—भिक्षु स्थानादि न करे—न ठहरे । एय—यह । खलु—निश्चय ही । तस्स—
 उस । भिक्खुस्स भिक्खणीए वा—भिक्षु-साधु, या साध्वी का । सामगिय—यह सम्पूर्ण भिक्षु-
 भाव-भिक्षुत्व है । पढमा सिज्जा सम्मत्ता—पहली गय्य। समाप्त हुई ।

मूलार्थ—भिक्षु को गृहस्थों के साथ बसने से निम्नलिखित दोष लग सकते हैं । जब वह गृहस्थों के साथ रहेगा तब उन गृहस्थों की गृहपत्निएं उनकी पुत्रिएं, पुत्रवधुएं, धायमाताएं, दासिएं और अनुचरिएं आपस में मिल कर यह वार्तालाप भी करने लगती है कि—ये साधु मैथुन धर्म से सदा उपरत रहते हैं अर्थात् ये मैथुन क्रीडा नहीं करते । अतः इन्हें मैथुन सेवन करना नहीं कल्पना । परन्तु, जो कोई स्त्री इनके साथ मैथुन क्रीडा करती है, उसको बलवान, तेजस्वी, रूप वाला और कीर्तिमान, संग्राम में शूरवीर एवं दर्शनीय पुत्र की प्राप्ति होती है । इस प्रकार के शब्द को सुनकर उनमें से कोई एक पुत्र को इच्छा रखने वाली स्त्री उस तपस्वी भिक्षु को मैथुन सेवन के लिए तैयार कर लेवे । इस तरह की संभावना हो सकती है, इसलिए तीर्थंकरों ने ऐसे स्थान में ठहरने का निषेध किया ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि गृहस्थ के साथ ठहरने से साधु के ब्रह्मचर्य व्रत में दोष आ सकता है । क्योंकि साधु को अपने बीच में पाकर स्त्रिएं उसकी ओर आकर्षित हो सकती है और पारस्परिक वार्तालाप से यह जानकर कि ब्रह्मचारी के संपर्क से होने

वाला पुत्र बलवान एवं तेजस्वी होता है, तो पुत्र की अभिलाषा रखने वाली कोई स्त्री मुनि से मैथुन क्रीड़ा करने की प्रार्थना भी कर सकती है और अपने हाव-भाव से वह मुनि को भी इस कार्य के लिए तैयार कर सकती है। इस तरह महाव्रतों से गिरने की संभावना देखकर भगवान ने साधु को गृहस्थ के परिवार के साथ ठहरने का निषेध किया है।

वस्तुतः देखा जाए तो वीर्य ही जीवन है। क्योंकि इस शरीर का निर्माण वीर्य से ही होता है। आगम में बताया गया है कि मनुष्य की अस्थि, मज्जा, केश एवं रोम का निर्माण पिता के वीर्य से होता है और मांस-मस्तक आदि का ढांचा माता के रुधिर (रज) से बनता है। अस्तु माता और पिता का जीवन जितना संयमित, नियमित एवं मर्यादित होगा उतना ही सन्तान का शरीर शक्तिसम्पन्न एवं तेजस्वी होगा। अतः जीवन को शक्तिसम्पन्न एवं तेजस्वी बनाए रखने के लिए वीर्य की सुरक्षा करना आवश्यक है। इसी कारण गृहस्थ के लिए भी स्वदारसन्तोष व्रत का उल्लेख किया गया है। स्वपत्नी के साथ भी मर्यादा से अधिक मैथुन का सेवन करना अपनी शक्ति का नाश करना एवं सन्तति को दुर्बल एवं रोगी बनाना है। असंयत एवं अमर्यादित जीवन चाहे गृहस्थ का हो या साधु का, किली के लिए भी हितप्रद नहीं है। अतः साधु को अपने संयम एवं ब्रह्मचर्य की रक्षा में सदैव सावधान रहना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मचर्य साधना का महत्वपूर्ण स्तम्भ है, इसलिए साधु को ऐसे स्थान में नहीं ठहरना चाहिए, जहाँ ब्रह्मचर्य के खलित होने की संभावना हो।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'आउट्टितए, आउट्टिटाबिञ्जा' का प्राकृत महार्णव में आवृत्त करना, भुलाना, व्यवस्था करना, सम्मुख करना एवं तत्पर होना अर्थ किया है^१। और अर्द्धमागधी कोष में आउट (आ+रुट्) धातु को हिसार्थक माना है और 'आउट्टइ, आउट्टेइ, आउट्टानी, आउट्टिया, आउट्टे, आउट्टेजा, आउट्टितए और आउट्ट-आवृत्त शब्द से भी दिया है^२। परन्तु, प्रस्तुत प्रसंग में 'आउट्टितए' पद का सम्मुख करना अर्थ ही सगत प्रतीत होता है।

॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

^१ प्राकृत शब्द महार्णव, पृ० १३०।

^२ अर्द्धमागधी कोष, भाग २, पृ० ११।

द्वितीय अध्यायन शय्यैषणा

द्वितीय उद्देशक

प्रथम उद्देशक में उपाश्रय के दोषों का वर्णन किया गया है, और प्रस्तुत उद्देशक में निवास स्थान संबन्धी कुछ विशेष दोषों का उल्लेख किया है। साधु को स्त्री-पशु एवं तपुंसक से युक्त भवन में क्यों नहीं ठहरना चाहिए, इसका स्पष्टीकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं —

मूलम्—गाहावई नामेगे सुइसमायारा भवन्ति, से भिक्खू य असिणाणए मोयसमायारे, से तग्गंधे दुग्गंधे पडिकूले पडिलोमे याधि भवइ, जं पुव्वंकम्मं तं पच्छाकम्मं जं पच्छाकम्मं तं पुरे-कम्मं, तं भिक्खू पडियाए वट्टमाणा करिज्जा वा नो करिज्जा वा अह भिक्खूणां पु० जं० तहप्पगारे उ० नो ठाणां ॥७२॥

छाया—गृहपतयो नामैके शुचिसमाचारा भवन्ति, स भिक्षुश्च अस्नान-तया मोक्षसमाचारः स तद्गन्धः दुर्गन्धः प्रतिकूलः प्रतिलोमश्चापि भवति, यत् पूर्वकर्म तत् पश्चात्कर्म यत् पश्चात्कर्म तत् पुराकर्म तद् भिक्षुप्रतिज्ञया वर्तमानाः कुर्युः वा नो कुर्युः वा अथ भिक्षूणां पूर्वोपदिष्टमेतत् यत् तथाप्रकारे उपाश्रये नो स्थानं वा ३ कुर्यात् ।

पदार्थ—नाम—सभावनार्थक है अथवा आमन्त्रण अर्थ में आता है। एगे—कई एक। गाहावई—गृहपति-गृहस्थ लोग। सुइसमायारा—शुचि धर्म के मानने वाले। भवन्ति—होते हैं। ए—और। से—वह। भिक्खू—भिक्षु। असिणाणए—स्नान न करने से और। मोयसमायारे—मोक्ष प्रतिमा का आचरण करने से। से—वह भिक्षु। तग्गंधे—तद्गन्ध वाला और। दुग्गंधे—

दुर्गन्ध वाला / पङ्किले—प्रतिकूल और। पङ्किलोमे यावि भवइ—प्रतिलोम होता है, अतः। जं पुव्वंकम्मं—गृहस्थ साधु के कारण से जो पहले कार्य करना है। तं पच्छ कम्मं—उसे पीछे करने लगता है। ज पच्छाकम्मं—जो पीछे कर्म करना है। त पुरेकम्मं—उसे पहले करने लगता है। त भिक्खुपडियाए—वह भिक्षु के कारण से भोजन आदि क्रिया प्राप्त काल में। वट्टमाणा—वर्तता हुआ। करिज्जा वा—आगे-पीछे करे अथवा। नो करिज्जा वा—न करे, तथा साधु गृहस्थ के कारण से प्रत्युपेक्षादि क्रिया आगे-पीछे करने लगे अथवा कालातिक्रम करके क्रिया करे या कम करे या सर्वथा ही न करे। अह—अतः। भिक्खूणं—भिक्षुओं को। पु०—तीर्थं करो ने पहले ही यह उपदेश दिया है। जं—जो। तहपगारे—साधु तथा प्रकार के। उवस्सए—उपाश्रय में। नो ठाणं०—न ठहरे।

मूलार्थ—कई एक गृहस्थ शुचि धर्म वाले होते हैं, और साधु स्नानादि नहीं करते और विशेष कारण उपस्थित होने पर मोक का आचरण भी कर लेते हैं। अतः उनके वस्त्रों से आने वाली दुर्गन्ध गृहस्थ के लिए प्रतिकूल होती है। इस लिए वह गृहस्थ जो कार्य पहले करना है उसे पीछे करता है और जो कार्य पीछे करना है उसे पहले करने लगते हैं और भिक्षु के कारण भोजनादि क्रियाएँ समय पर करे, या न करे। इसी प्रकार भिक्षु भी प्रत्युपेक्षादि क्रियाएँ समय पर नहीं कर सकेगा, अथवा सर्वथा ही नहीं करेगा। इसलिए तीर्थंकरादि ने भिक्षुओं को पहले ही यह उपदेश दिया है कि वे इस प्रकार के उपाश्रय में न ठहरे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में गृहस्थ एवं साधु जीवन के रहन-सहन का अन्तर बताते हुए कहा है कि कुछ गृहस्थ शुद्धि वाले होते हैं। वे स्नान आदि से अपने शरीर को शुद्ध बनाने में ही व्यस्त रहते हैं। और साधु सदा आत्मशुद्धि में, संलग्न रहता है। वह ज्ञान रूपी सागर की अनन्त गहराई में डुबकिएँ लगाता रहता है। वह गृहस्थों की तरह स्नान आदि नहीं करता और यदि कभी उसके शरीर पर घाव आदि हो जाता है तो वह औषध के रूप में अपने मूत्र का प्रयोग करके उस घाव को ठीक कर लेता है^१। इस तरह उसका

^१ इस का यह अर्थ नहीं है कि वह पानी से नफरत करता है या शरीर को अशुचि में आवृत्त रखता है। वह अशुचि दूर करने के लिए अचित्त जन का उपयोग भी करता है। परन्तु वह बिना किसी प्रयोजन के केवल शृंगार के लिए स्नान आदि नहीं करता।

आचरण गृहस्थ से भिन्न होता है। इसलिए अधिक शौच का ध्यान रखने वाला व्यक्ति मुनि के जीवन को देखकर उससे घृणा कर सकता है। और इस कारण वह गृहस्थ साधु के कारण अपनी क्रियाओं को आगे-पीछे कर सकता है और साधु भी गृहस्थों के संकोच से अपनी आवश्यक क्रियाओं को यथासमय करने में असमर्थ हो जाता है। इस तरह गृहस्थके कारण साधु को साधना में अन्तराय पडती है और साधु के कारण गृहस्थ के दैनिक कार्यों में विघ्न होता है, इससे दोनों के मन में चिन्ता एवं एक-दूसरे के प्रति कुछ बुरे भाव भी आ सकते हैं। अतः मुनि को गृहस्थ के साथ नहीं ठहरना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'मोय समायारे' का पाठ भी विचारणीय है। वृत्तिकार ने इसका अर्थ कायिक मूत्र माना है। परन्तु, वृत्तिकार ने उसके आचरण करने के विशिष्ट कारण का भी उल्लेख नहीं किया है और उसके पीछे किसी तरह का विशेषण नहीं होने से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि 'वह मूत्र सामान्य है या विशिष्ट? मूत्र सामान्य की अपेक्षा से गो मूत्र का भी ग्रहण हो सकता है और उसे वैदिक एवं लौकिक परम्परा में भी अशुद्ध नहीं माना है।' इसके अतिरिक्त 'मोय' शब्द के संस्कृत में मोक, मोच और मोद तीन रूप बनते हैं। इस अपेक्षा से 'मांय समायारे' की संस्कृत छाया 'मोद समाचारः' बनेगी और इसका अर्थ होगा—प्रसन्नता पूर्वक स्नान का त्याग करने वाला। अर्थात्—ज्ञान के पवित्र सागर में गोते लगाने वाला मुनि। महाभारत आदि ग्रन्थों में भी मुनि के लिए बाह्य स्नान के स्थान में अन्तर स्नान को महत्त्व दिया गया है। क्योंकि पानी से केवल शरीर की शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि नहीं होती। आत्मशुद्धि के लिए ज्ञान एवं तप-त्याग का स्नान ही आवश्यक माना गया है। इस तरह 'मोय' का संस्कृत रूप मोद मान लेने पर अर्थ में किसी तरह की असंगति नहीं रहती है। उत्तराध्ययन सूत्र में भी 'मोय' शब्द का 'मोद' के अर्थ में प्रयोग किया गया है। उसमें बताया गया है कि जैसे पत्नी स्वेच्छा पूर्वक आकाश में उड़ानें भरता है, उसी तरह काम-भोग का परित्याग करके लघुभूत बना हुआ मुनि 'प्रमोयमाणा-प्रमोदमना' अर्थात् प्रसन्नता पूर्वक देश में

† वैदिक परम्परा में अशुद्धि को दूर करने तथा पाप भ्रातृ की निवृत्ति के लिए पंच-गव्य का पान करना श्रेष्ठ माना है और प्रसूता स्त्री को गोमूत्र का पान कराकर या गोमूत्र प्रधान पंचमव्य से स्नान कराकर शुद्ध करने की प्रथा अभी भी प्रचलित है।

ॐ ज्ञान पाल परिक्षिप्ते ब्रह्मचर्यं दयाम्भसि, स्नात्वाति विमलेतीर्थे पाप पकापहारिणि।

—स्याद्वादमजरी, कारिका ११ (व्याख्या)

तत्राभिपेक कुरु पांडुपुत्र ! न वारिणा शुद्धति चान्तरात्मा ।

† उत्तरा० ग्र० १४ गा० ४४

त्रिचरण करे । इस तरह 'मोय' शब्द का प्रमन्नता अर्थ ही अधिक सगत एवं उपयुक्त प्रतीत होता है ।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—आयाणमेयं भिक्खुस्स गाहावर्हहिं सद्धिं सं-
इह खलु गाहवइस्स अप्पणो सयट्ठाए विरूवरूवे भोयणाजाए
उवक्खडिए सिया, अह पच्छा भिक्खुपडियाए अस्सं वा ४
उवक्खडिज्ज वा उवक्करिज्ज वा, तं च भिक्खू अभिक्खिज्जा
भुत्तए वा पायए वा, वियट्ठित्तए वा अह भि० जं नो तह० ॥७३॥

छाया—आदानमेतद् भिक्षोः गृहपतिभिः साद्धं सवसत, इह खलु गृह-
पतिना आत्मना स्वार्थं विरूपरूप भोजनजातं उपस्कृतं स्यात्, अथ पश्चाद् भिक्षु-
प्रतिज्ञया अशनं वा ४ उपस्कुर्यान् वा उपकुर्यात् वा तं च भिक्षुः अभिकाक्षेद्
भोक्तुं वा पातुं वा विवर्तितु वा, अथ भिक्षु यत् नो तथाप्रकारे उपाश्रये
स्थानं वा ३ चेतयेत् ।

मूलम्—आयाणमेयं भिक्खुस्स गाहावइणा सद्धिं संव०
इह खलु गाहावइस्स अप्पणो सयट्ठाए विरूवरूवाइं दारुयाइं
भिन्नपुव्वाइं भवंति, अह पच्छा भिक्खुपडियाए विरूवरूवाइं
दारुयाइं भिदिज्ज वा किण्णिज्ज वा पामिच्चेज्ज वा दारुणा
वा दारुपरिणामं कट्ठु अगणिकायं उ० प०, तत्थ भिक्खू
अभिक्खिज्जा आयावित्तए वा पयावित्तए वा वियट्ठित्तए वा,
अह भिक्खू० जं नो तहप्पगारे० ॥७४॥

छाया—आदानमेतद् भिक्षोः गृहपतिना गार्द्धं सवमतः, इह खलु गृह-
पतिना आत्मना स्वार्थाय विरूपरूपाणि दारुणि भिन्नपूर्वाणि भवन्ति, अथ
पश्चाद् भिक्षुप्रतिज्ञया विरूपाणि दारुणाणि भिक्षाद् वा क्रीणीयाद् वा
अपमिमीत दारुणा वा दारुरिणामं कृत्वा अग्निं क्रायं, उज्ज्वालयेत् प्रज्वालयेत्
वा तत्र भिक्षुः अभिक्तां चेत आतापयितु वा परितापयितु वा, विवर्तितुं वा, अथ
भिक्षुः यत् तथा प्रकारे उपाश्रये नो स्थानादि चेतयेत्—कुर्यात् ।

पदार्थ—भिक्षुस्त—भिक्षु के लिए । आयाणमेयं—यह एक और भी कर्म बन्ध का
कारण है, जैसे कि । गाहावर्द्धिं सद्धि—गृहस्थो के साथ । संबसमाणस्त—बसते हुए को यथा ।
इह खलु—निश्चय ही इस उपाश्रय में । गाहावर्द्धिस्त—गृहपति ने । अप्पणो सयट्ठाए—स्वय
अपने लिए । विरूपरूपा—नाना प्रकार के । भोयणजाए—खाद्य पदार्थों को । उवक्खडिं सिया—
तैयार किया है । अह—अथ—फिर । पच्छा—पश्चात्—पीछे से । भिक्षुपडियाए—भिक्षुओं के
लिए अर्थात् उनके निमित्त । असणं वा ४—चार प्रकार के अशनादिक अहार को । उवक्खडिज्ज
वा—वन ता है अथवा । उवक्खिज्ज वा—उनके लिए सामग्री एकत्रित करता है । त च—और
उस बनते हुए आहार को साधु । भुत्ताए वा—खाना अथवा । पायए वा—पीना । अभिक्-
खिज्जा—चाहते हैं और । विपट्टित्तए वा—उस आहार का अच्छी तरह से आस्वाद लेना चाहे ।
अह भि०—अतः तीर्थंकरादि ने भिक्षुओं को पहले ही यह उपदेश किया है कि साधु इस प्रकार के
उपाश्रय में । जं नो तह०—न ठहरे ।

गाहावर्द्धिं सद्धि—गृहस्थो के साथ । संबसमाणस्त—बसते हुए । भिक्षुस्त—भिक्षु
को । आयाणमेयं—यह एक और भी कर्म बन्ध का हेतु हो सकता है, यथा । इह खलु—निश्चय
ही उम स्थान में । गाहावर्द्धिस्त—गृहपति ने । अप्पणो सयट्ठाए—स्वय अपने लिए । विरूपरू-
पाइ—नाना प्रकार के । दारुणाइ—काष्ठ । भिन्न पुव्वाहं भवन्ति—जो भेदन करके पहले ही रखे
हुए हैं । अह पच्छा—अथ—फिर पश्चात् पीछे से । भिक्षुपडियाए—भिक्षु-साधु के लिए ।
विरूपरूपाइ—नाना प्रकार के । दारुणाइ—काष्ठों को । भिज्ज वा—भेदन करे अथवा ।
किणिज्ज वा—मोल ले अथवा । प भिज्जेज्ज वा—कमी से उधार ले, फिर । दारुणा वा
दारुपरिणामं कट्टु—काष्ठ से काष्ठ को संघटित करके । अग्निं क्रायं—अग्नि को उ०—
उज्वलित करे । प०—प्रज्वलित करे । तन्थ—वहा पर । भिक्षु—साधु । आयावित्तए—
आताप लेना अथवा । पयावित्तए वा—विशेष रूप से आताप लेना और । विपट्टित्तए वा—
अग्नि के आताप में विशेष आसक्त होना । अभिक्खेज्जा—चाहे तो । अह भिक्षु०—तीर्थंकरादि
ने भिक्षु के लिए यह पहले उपदेश दिया है कि । जं नो तहपगारे—भिक्षु इस प्रकार के

उपाश्रय मे स्थानादि न करे ।

मूलार्थ—गृहस्थो के साथ निवास करते हुए भिक्षु के लिए यह भी एक कर्म बन्धन का कारण हो सकता है, जैसे कि--गृहस्थ अपने लिये नाना-प्रकार का भोजन तैयार करके फिर साधु के लिये चतुर्विध आहार को तैयार करने एवं उसके लिये सामग्री एकत्रित करने में लगेगा, उस आहार को देखकर साधु भी उसका आस्वादन करना चाहेगा या उसमें आसक्त हो जायगा । इसलिये तीर्थंकर भगवान ने पहले ही यह प्रतिपादन कर दिया है कि साधु का इस प्रकार के उपाश्रय में नहीं ठहरना चाहिये ।

इसी प्रकार गृहस्थो के साथ ठहरने से भिक्षु को एक यह भी दोष लगेगा कि गृहस्थ ने अपने लिये नाना प्रकार का काष्ठ-ईंधन एकत्रित कर रखा है, फिर वह साधु के लिये नाना प्रकार के काष्ठो का भेदन करेगा, मोल लेगा अथवा किसी से उधार लेगा, और काष्ठ से काष्ठ को सघपित करके अग्निकाय को उज्ज्वलित और प्रज्वलित करेगा, और उस गृहस्थ की तरह साधु भी शीन निवारणार्थ अग्नि का आताप लेगा और उसमें आसक्त हो जायगा । इस लिये भगवान ने साधु के लिये ऐसे मकान में ठहरने का निषेध किया है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत उभय सूत्रों में यह बताया गया है कि यदि साधु गृहस्थ के साथ ठहरेगा तो गृहस्थ अपने लिए भोजन बनाने तथा सर्वा निवारणार्थ ताप के लिए लकड़ी आदि की व्यवस्था कर चुकने के बाद अतिथि रूप में ठहरे हुए साधु के लिए भोजन बनाने की सामग्री एकत्रित करेगा और उसके शीत को दूर करने के लिए लकड़ियों खरीदेगा, उसका छेदन-भेदन करेगा । उसे ऐसा करते हुए देखकर साधु के भावों में भी परिवर्तन आ सकता है और वह उस भोजन एवं आताप में आसक्त होकर संयम पथ से गिर भी सकता है । क्योंकि आत्मा का विकास एवं पतन भावों पर ही आधारित है । भावों के बन्ते एवं विगडते विशेष देर नहीं लगती है । जैसे अपस्मार (मृगो) का रोगी पानी को देखते ही मूर्च्छित होकर गिर पड़ता है । इसी तरह आत्मा में मत्ता रूप में स्थित आध्यात्मिक भाव बाहर का निर्मित पाकर जागृत हो उठते हैं और आत्मा को सन्मार्ग के शिखर से

पतन के गर्त में गिरा देते हैं । इसलिए साधु को सदा सावधान रहना चाहिए और उसे सदा ऐसे निमित्तों से बचकर रहना चाहिए जिससे उसकी आत्मा पतन की ओर गतिशील न हो । इसीलिए आगम में यह आदेश दिया गया है कि साधु को गृहस्थ के साथ नहीं ठहरना चाहिए ।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'गाहावइस्स' पद में तृतीया विभक्ति के अर्थ में पठो-विभक्ति का प्रयोग किया गया है । और 'उवस्सए' अर्थात् उपाश्रय शब्द का प्रयोग स्थानक के अर्थ में नहीं, प्रत्युत मकान मात्र के अर्थ में हुआ है । और जब हम प्रस्तुत पाठ का गहराई से अध्ययन करते हैं तो उपाश्रय का अर्थ गृहस्थों से युक्त एवं भोजनशाला के निकटवर्ती स्थान विशेष पर ही स्पष्ट होता है । इसे अन्तरगृह भी कहते हैं और कल्प-सूत्र में साधु-साध्वी को अन्तरगृह में ठहरने एवं मल-मूत्र के त्याग करने आदि क्रियाओं का निषेध किया गया है और दशवैकालिक सूत्र में भी अन्तरगृह में निवास करने एवं पर्यंक आदि पर बैठने का निषेध किया गया है* । इससे स्पष्ट होता है कि समय की सुरक्षा के लिए मुनि को ऐसे मकान में नहीं ठहरना चाहिए जिसमें गृहस्थ अपने परिवार सहित निवसित हो ।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० उच्चारपासवणोण उव्वाहिज्जमाणे,
 राओ वा वियाले वा गाहावईकुलस्स दुवारबाहं अवंगुणिज्जा,
 तेणो य तस्संधिचारी अणुपविसिज्जा, तस्स भिक्खुस्स नो कप्पइ,
 एवं वइत्तए—अयं तेणो पविसइ वा नो वा पविसइ उवल्लियइ
 वा नो वा०, आवयइ वा नो वा०, वयइ वा नो वा०, तेण हडं
 अन्नेण हडं, तस्स हडं अन्नस्स हडं, अयं तेणो, अयं उवचरए अयं
 हंता, अयं इत्थमकासी, तं तवस्सि भिक्खुं अतेणं तेणंति संकइ ।

* सिज्जायर पिड च आसंदीपलियंकए,

गिहतर निसिज्जाय, गायस्सुव्वट्टणाणि य ।

—दशवैकालिक सूत्र, ३, ५ ।

अह भिक्षूणां पु० जाव नो ठा० ॥७५॥

छाया—स भिक्षु वा उच्चारप्रसन्नवशेन उद्वाध्यमानः रात्रौ वा विकाले वा गृहपतिकुलस्य द्वारभागम् अपवृणुयात् स्तेनश्च तत्संधिचारी अनुप्रविशेत्, तस्य भिक्षोः नो कल्पते एवं वक्तुम्—अयं स्तेनः प्रविशति, वा नो वा प्रविशति उपलीयते वानो वा० आपतति वा नो वा० वदति वा नो वा० तेन हृतं, अन्येन हृतं तस्य हृतं अन्यस्य हृतं अयं स्तेनः अयं उपचारकः अयं हन्ता अयमत्राकार्षीत्, तं तपस्वि- न भिक्षु अस्तेनं स्तेनमिति शक्रेत्, अथ भिक्षूणां पूर्वोपदिष्टं यावन्नो स्थानं चेतयेत् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षू—भिक्षु-साधु । उच्चारपासवशेन—मल-मूत्र से । उद्वाहिज्जमाणे—बाधित-पीड़ित होने से । रात्रौ वा—रात्रि में । विकाले वा—अथवा विकाल में । गृहपतिकुलस्त—गृहपति के घर के । द्वारवाहं—द्वार को । अंगुणिज्जा—खोल कर बाहर निकले । य—और फिर । तेणे—चोर । तत्संधिचारी—और छिद्र देखने वाला व्यक्ति । अणुपविसिज्जा—घर में प्रवेश कर जाए तो । तस्स—उस । भिक्षुस्त—भिक्षु को । एवं—इस प्रकार । वइत्तु—बोलना । नो कप्पइ—नहीं कल्पता, यथा । अयतेणो—यह चोर । पविसइ वा—प्रवेश कर रहा है । नो वा पविसइ—अथवा नहीं प्रवेश कर रहा है । उवत्तिवइ वा यह यहा छिप रहा है । नो वा०—अथवा नहीं छिप रहा है । आवयइ वा—नीचे कूदता है । नो वा०—अथवा नीचे नहीं कूदता है । वयइ वा—बोलता है । नो वा०—अथवा नहीं बोलता है । तेणहइ—उसने चोरी की है । अन्नेणहइ—या अन्य ने चोरी की है । तस्स हइं—इसने उसका माल चुराया है । अन्नसहइं—या अन्य का चुराया है । अयं तेणे—यह चोर है । अय उवचरए—यह उसका उपचारक—संरक्षक है । अयं हन्ता—यह मारने वाला है । अयं इत्थमकासी—इस चोर ने यहा यह काम किया । तं—उस । तवस्सि—तपस्वी । भिक्षु—भिक्षु के प्रति । अतेणं—जो चोर नहीं है । तेणति—चोरपनेकी । संकइ—आशंका करता है । अह भिक्षूणां—भिक्षुओं को । पु०—तीर्थकरादि ने पहले ही यह उपदेश दिया है कि इस प्रकार के उपाश्रय में साधु । जाव—यावत् । नो ठा०—कायोत्सर्गादि न करे ।

मूलार्थ—रात्रि में अथवा विकाल में साधु ने मल-मूत्रादि की बाधा होने पर गृहस्थ के घर का द्वार खोला और उसी समय कोई चोर या उसका साथी घर में प्रविष्ट हो गया तो उस समय साधु तो मौन रहेगा । वह हट्टला नहीं मचाएगा, कि यह चोर घरमें घुसता है,

अथवा नहीं घुसता है, छिपता है, अथवा नहीं छिपता है, नीचे कूदता है अथवा नहीं कूदता है, बोलता है अथवा नहीं बोलता है, उसने चुराया है, अथवा अन्य ने चुराया है, उसका धन चुराया है, अथवा अन्य का धन चुराया है, यह चोर है, यह उसका उपचारक है, यह मारने वाला है, और इस चोर ने यहा यह कार्य किया है। और साधु के कुछ नहीं कहने पर उसे उस तपस्वी साधु पर जो वास्तव में चोर नहीं है, चोर होने का सन्देह हो जाएगा। इसलिए भगवान ने गृहस्थ से युक्त मकान में ठहरने एवं कायोत्सर्ग का निषेध किया है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु रात्रि में या त्रिकाल में मल-मूत्र का त्याग करने के लिए द्वार खोलकर बाहर आए और यदि उसी समय कोई चोर घर में प्रविष्ट होकर छुप जाए और समय पाकर चोरी करके चला जाए। ऐसी स्थिति में साधु उस चोर को चोर नहीं कह सकता है और न हो हल्ला ही कर सकता है। वह उस चोर को उपदेश दे सकता है। यदि उसने साधु का उपदेश नहीं माना तो उसके चोरी करके चले जाने के बाद गृहस्थ को मालूम पड़ने पर उस साधु पर चोरी का संदेह हो जाएगा, अतः साधु को ऐसे स्थान में नहीं ठहरना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि जिस मकान में मल-मूत्र के परिष्ठापन का योग्य स्थान न हो वहां साधु को नहीं ठहरना चाहिए तथा यह भी स्पष्ट होता है कि मल-मूत्र के त्याग के लिए साधु द्वार खोलकर जा सकता है एवं वापिस आने पर वन्द भी कर सकता है।

इस सूत्र से यह भी स्पष्ट होता है कि साधु को ऐसे मकान में नहीं ठहरना चाहिए, जिसमें गृहस्थ का कीमती सामान पड़ा हो। इस तरह गृहस्थ के साथ ठहरने से साधु की साधना में अनेक दोष आने की संभावना है। इसलिए साधु को गृहस्थ से युक्त मकान में नहीं ठहरना चाहिए।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा से जं० तणपुजेसु वा, पलाल पुंजेसु वा
सथंडे जाव ससंताणए, तहप्पगारे उ० नो ठाणां वा ३। से भिक्खू
वा० से जं० तणपुं० पलाल० अण्णंडे जाव चेइज्जा ॥७६॥

छाया—स भिक्षुर्वा स यत्० तृणपुंजेषु वा पलाल पुंजेषु वा साण्डः यावत्
ससन्तानकः तथाप्रकारे उपाश्रये नो स्थान वा ३ । स भिक्षुर्वा स यत्० तृण-
पुंजेषु वा पलालपु० अल्पाण्डे यावत् चेतयेत् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू वा—भिक्षु अथवा भिक्षुणी । से—वह । जं०—जो फिर
उपाश्रय के सम्बन्ध में जाने, जैसे कि—तण पुञ्जेषु वा—तृण कं समूह मे । पलाल पुञ्जेषु वा—
पलाल के समूह में । सअण्डे—अण्डे । जाव—यावत् । ससन्तानए—मकड़ी के जाले है तो ।
तहप्पगारे—इस प्रकार के । उ०—उपाश्रय मे साधु । नो ठाणं वा ३—कायोत्सर्गादि क्रिया न
करे । से—वह । भिक्खू वा०—भिक्षु—साधु या साध्वी । से—वह । ज०—उपाश्रय को जाने,
जैमे कि । तण पु०—तृण का समूह । पलाल०—अथवा पलाल क समूह मे । अपण्डे—अण्डो
से रहित है । जाव—यावत् मकड़ी आदि के जालो से रहित है तो इस प्रकार के उपाश्रय मे ।
चेद्धजा—कायोत्सर्गादि क्रिया करे एव ठहरे ।

मूलार्थ—साधु अथवा साध्वी उपाश्रय के संबन्ध में यह जाने कि
यदि तृण एव पलाल का समूह अण्डो से युक्त है, अथवा मकड़ी के जालो
से युक्त है तो इस प्रकार के उपाश्रय मे कायोत्सर्गादि न करे । वह भिक्षु
यदि यह जाने कि यह उपर्युक्त प्रकार का उपाश्रय अण्डो से रहित यावत्
मकड़ी के जालो से रहित है, ता इस प्रकार के उपाश्रय मे कायोत्सर्गादि
क्रियायें कर सकता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह अभिव्यक्त किया गया है कि तृण और पलाल (घास)के
पुंजों से निर्मित उपाश्रय अण्डे आदि से युक्त हो तो साधु को वहां नहीं ठहरना चाहिए
और न कायोत्सर्ग (ध्यान) ही करना चाहिए । इससे स्पष्ट होता है कि उस युग में साधु
गांवों में अविक्रम भ्रमण करते थे । क्योंकि, घास-फूस की भोंपड़िएं (मकान) प्रायः गांवों
में ही मिलती हैं । और इस पाठ से यह भी ध्वनित होता है कि मकान के जिस भाग में
साधुको कायोत्सर्ग आदि क्रियायें करनी हों, उस भाग में अण्डा एवं त्रस जीव आदि न हों
दशवैकालिक सूत्र मे भी बताया गया है कि कायोत्सर्ग करते समय या अन्य समय में
मुनि के शरीर पर या वस्त्र-पात्र आदि पर ऊपर से त्रस जीव गिर गया हो तो मुनि उसे
बिना किसी तरह का कण्ट पहुंचाए एकान्त स्थान में छोड़ देवे* । इस तरह प्रस्तुत पाठ

परिचय होने से श्रद्धा में विपरीतता आने की भी संभावना रहती है । इसलिए साधु को अन्य मत के भिक्षुओं के अधिक आवागमन वाले स्थान में मासकल्प या चातुर्मास कल्प नहीं करना चाहिए ।

इसमें स्पष्ट होता है कि साधु को ऐसे स्थानों में परिस्थितिवशा एक-दो दिन ठहरना पड़े तो उसका निषेध नहीं है । प्रस्तुत पाठ से यह भी ज्ञात होता है कि उस युग में यात्रियों के ठहरने की सुविधा के लिए गांव के बाहर धर्मशालाएं, विश्रामगृह एवं मठ आदि होते थे और गांव या शहर में गृहपतियों के अतिथ्यालय बने होते थे और उनमें विना किसी जाति-पांति एवं सम्प्रदाय या पंथ भेद के सबको समान रूप से ठहरने की सुविधा मिलती थी ।

प्रस्तुत सूत्र में 'साहम्मिर्हि' पद का केवल साधर्मिक साधुओं के लिए नहीं, अपितु सभी साधुओं के लिए सामान्य रूप से प्रयोग किया गया है । अतः प्रस्तुत प्रसंग में इसका अर्थ अन्य मत के साधु संन्यासी करना चाहिए । वृत्तिकार ने भी यही अर्थ किया है ।

साधु को अपनी विहार मर्यादा में काल का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, इस सम्बन्ध में सूत्रकार कहते हैं —

मूलम्—से आगंतारेसु वा ४ जे भयंतारो उडुवद्वियं वा वासावासियं वा कप्पं उवाइणित्ता तत्थेव भुज्जो २ संवसंति अयमाउसो ! कालाइक्कंत किरियावि भवति ॥७८॥

छाया— स आगन्तागारेषु वा ४ ये भयत्रातारः ऋतुवद्ध वा वर्षावासंवा कल्प-पमुनीय तत्रैव भूयः २ संवसन्ति अयमायुष्मन् ! कालातिक्रान्तक्रियापि भवति ।

पदार्थ—से—वह-भिक्षु । आगंतारेसु वा ४—धर्मशाला आदि में । जे भयंतारो—जो पूज्य भगवान् । उडुवद्वियं—शीतोष्णकाल में मासकल्पादि तथा । वासावासियं वा—वर्षाकाल-चातुर्मास । कप्पं—कल्प की मर्यादा को । उवाइणित्ता—विताकर । तत्थेव—वही पर । भुज्जो २—पुनः पुनः । संवसंति—विना कारण रहते हैं । अयमाउसो—हे आयुष्मन् शिष्य ! यह । कालाइक्कंतकिरियावि—कालातिक्रान्त क्रिया । भवति—होती है ।

मूलार्थ—धर्मशाला आदि स्थानों में जो मुनिराज शीतोष्ण काल में

मास कल्प एवं वर्षाकाल मे चातुर्मासकल्प को विनाकारण पुनः वही पर निवास करते है तो वे काल का अतिक्रमण करते है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि जिस स्थान में साधु ने मासकल्प या वर्षावासकल्प किया हो उसे उसके बाद उस स्थान में विना कारण के नहीं ठहरना चाहिए । यदि विना किसी विशेष कारण के वे उस स्थान में ठहरते हैं तो कालातिक्रमण दोष का सेवन करते हैं । क्योंकि मर्यादा से अधिक समय तक एक स्थान में रहने से गृहस्थों के साथ अधिक घनिष्ठ परिचय हो जाता है और इससे उनके साथ राग-भाव हो जाता है और इस-कारण आहार में भी उद्गमादि द्रव्यों का लगाना सम्भव है । और दूसरी वान यह है कि एक ही स्थान पर रुक जाने से अन्य गावों में धर्म प्रचार भी नहीं होता है । अतः संयम शुद्धि एवं शासनोन्नति की दृष्टि से साधु को मर्यादित काल से अधिक नहीं ठहरना चाहिए । क्योंकि प्रत्येक क्रिया काल-मर्यादा में ही होनी चाहिए । इससे जीवन की व्यवस्था बनी रहती है और तप-संयम भी निर्मल रहता है । आगम में एक पक्ष किया गया है कि काल की प्रतिलेखना करने से अर्थात् कालमर्यादा का पालन करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है ? इसका उत्तर देते हुए श्रमण भगवान् महाव्रत ने फरमाया है कि काल मर्यादा का सम्यक्त्वया परिपालन करने वाला व्यक्ति ज्ञानावरणीय कर्मों की निर्जरा करता है* । इसका कारण यह है कि प्रत्येक क्रिया समय पर करने के कारण वह स्वाध्याय, ध्यान एवं चिन्तन-मनन के समय का उल्लंघन नहीं करेगा और स्वाध्याय आदि के करने से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय या क्षयोपशम होगा और उसके ज्ञान में अभिवृद्धि होगी । और समय पर क्रियाएं न करके आगे-पोछे करने से साधक स्वाध्याय आदि के लिए भी व्यवस्थित समय नहीं निकाल सकेगा । अतः मुनि को मासकल्प एवं वर्षावासकल्प के पश्चात् विना किसी कारण के काल का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए ।

अत्र सूत्रकार उपस्थान क्रिया के सम्बन्ध में कहते हैं—

मूलम्—से आगंतारसु वा ४ जे भयंतारा उडुबद्धियं वा

*

काल पडिलेहणवाए ण भन्ते जीवे कि जणयइ ?

काल मडिलेहणवाए ण नाणावरणिज्जं कम्म खंवाइ ।

वासावासियं वा कल्पं उवाङ्णावित्ता तं दुगुणतिगुणेण वा अप-
रिहरित्ता तत्थेव भुज्जा संवसन्ति, अयमाउसो ! उवट्ठाण किरिया
यावि भवति ॥७६॥

छाया—स आगन्तागारेषु वा ४ये भयतारः(भयत्रातारः)ऋतुचंद्रं वा वर्षा-
वासं वा कल्पमुपनीय तं द्विगुणत्रिगुणेन वा अपरिहृत्य तत्रैव भूयः संवसन्ति,
अयमायुष्मन् ! उपस्थानक्रियाचापि भवति ।

पदार्थ—से—वह भिक्षु । आगतारेसु वा → धर्मशाला आदि स्थानो मे । जे भयंतारो-
पूज्य मुनिराज । उडुवद्धिय—शीतोष्णा काल में मानकल्प तथा । वासावासिय—वर्षाऋतु
मे चातुर्मास । कल्प—कल्प को । उवाङ्णित्ता—त्रिता कर । तं—वह अन्यत्र । दुगुणतिगुणेण—
वा—द्विगुण त्रिगुण काल को । अपरिहरित्ता—न त्रिता कर । तत्थेव—वही । भुज्जो०
पुनः । संवसन्ति—निवास करते हैं । अयमाउसो—हे आयुष्मन् शिष्य ! यह उवट्ठाण किरिया-
यावि—उपस्थान क्रिया । भवति—होती है, अर्थात् इसे उपस्थान क्रिया कहते है ।

मूलार्थ—हे आयुष्मन् (शिष्य) ! जो साधु साध्वी धर्मशाला आदि
स्थानो मे, शेषकाल मे मासकल्प आदि और वर्षा काल मे चातुर्मासकल्प
को वित्ताकर अन्य स्थानो मे द्विगुण या त्रिगुण काल को न वित्ताकर जल्दी
हा फिर उन्ही स्थानो मे निवास करते हैं, तो उन्हें उपस्थान क्रिया
लगती है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु-साध्वी ने जिन स्थान में मास कल्प
या वर्षावासकल्प किया है, उससे दुगुना या त्रिगुना काल व्यतीत किए बिना उक्त
स्थान में फिर से मास या वर्षावास कल्प नहीं करना चाहिए । यदि कोई साधु-
साध्वी अन्य क्षेत्र में मर्यादित काल वित्ताने से पहले पुनः उस क्षेत्र में आकर मास या
वर्षावास कल्प करते हैं तो उन्हें उपस्थान क्रिया लगती है । इससे स्पष्ट है कि जिन
स्थान में एक महीना ठहरे हों उन स्थान पर दो या तीन महीने अन्य क्षेत्रों में लगाए
बिना मास कल्प करना नहीं कल्पता । इसी तरह जहां चातुर्मास किया है उस क्षेत्र में
दो या तीन वर्षावास अन्य क्षेत्रों में किए बिना पुनः वर्षावास करना नहीं कल्पता । इस

प्रतिबन्ध का कारण यह है कि नए-नए क्षेत्रों में घूमते रहने से साधु का संयम भी शुद्ध रहता है और अनेक क्षेत्रों को उनके उपदेश का लाभ भी मिलता है। और अनेक प्राणियों को आत्म विकास करने का अवसर मिलता है। मुनियों का आवागमन कम होने से कई वार लोगों की श्रद्धा में शिथिलता एवं विपरीतता भी आ जाती है। नन्दन-मण्डिहार का उदाहरण हमारे सामने है। वह व्रतधारी श्रावक था, परन्तु साधुओं का संपर्क कम रहने से, साधुओं का दर्शन न होने से तथा अन्य धर्म के विचारकों एवं भिक्षुओं का संपर्क रहने से उसकी श्रद्धा में विपरीतता आ गई थी। इसी तरह भगवान् पार्वनाथ के पास से श्रावक व्रत स्वीकार करने के बाद सोमल ब्राह्मण को साधुओं का संपर्क नहीं मिला और परिणाम स्वरूप वह भी पथभ्रष्ट हो गया था। इसलिए साधुओं को किसी स्थान विशेष से बंधकर नहीं रहना चाहिए, प्रत्युत उन्हें समभाव पूर्वक सभी क्षेत्रों को संभालते रहना चाहिए। इससे उनकी साधना भी शुद्धरूप से गतिशील रहती है और लोगों की श्रद्धा एवं चारित्र्य में भी अभिवृद्धि होती है।

अब तृतीय अभिक्रान्त क्रिया का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इह खलु पाईण वा ४ संतेगइया सद्धा
 भवंति, तंजहा गाहावई वा जाव कम्मकरीओ वा तेसिं च णं
 आयारगोयरे नो सुनिसंते भवइ, तं सहहमाणेहिं, पत्ति-
 यमाणेहिं रोयमाणेहिं बहवे समण-माहण-अतिहि-किवण-वणी-
 मए समुद्दिस्स तत्थ २ अगारीहिं अगाराइं चेइयाइं भवंति
 तंजहा—आएसणाणि वा आयतणाणि वा देवकुलाणि वा
 सहाओ वा पवाणि वा पणियगिहाणि वा पणियसालाओ वा
 जाणगिहाणि वा जाणसालाओ वा सुहाकम्मंताणि वा दब्भ-
 कम्मंताणि वा वड्ढकं० बक्कयकं० इंगाल कम्मं० कट्ठ क०

ॐ जाता सूत्र, अध्या० १३ ।

† पुष्पिका सूत्र ।

सुसाणक० सुगणागारगिरिकंदरसंतिसेलोवट्टाणकम्मंताणि वा
 भवणगिहाणि वा, जे भयंतारो तहप्पगाराइं आएसणाणि वा
 जाव गिहाणि वा तेहिं उवयमाणेहिं उवयंति अयमाउसो !
 अभिक्कंत किरिया यावि भवइ ३ ॥८०॥

छाया--इह खलु प्राचीनं वा ४ सन्ति एकका श्राद्धा भवन्ति, तद्यथा-
 गृहपतिर्वा यावत् कर्मकर्यो वा तेषां च आचारगोचरः न सुनिशान्तो भवति,
 तत् श्रद्धानैः प्रतीयमानैः रोचमानैः बहवः श्रमण-ब्राह्मण-अतिथि-कृपण-
 वनीपकान् समुद्दिश्य तत्र २ अगारिभिः अगाराणि चंतितानि भवन्ति, तद्यथा-
 आदेशनानि वा आयतनानि वा देवकुलानि वा सभा. वा प्रपाः वा पण्य-
 गृहाणि वा पण्यशालाः वा यानगृहाणि वा यानशालाः वा सुधाकर्मान्तानि वा
 दर्भकर्मान्तानि वा वर्धकर्मान्तानि वा बल्कजकर्मान्तानि वा अंगारकर्मा-
 न्तानि वा काष्ठहर्मान्तानि वा श्मशानकर्मान्तानि वा शून्यागारागिरि-कंदर
 शान्ति-शैलोपस्थानकर्मान्तानि वा भवनगृहाणि वा ये भयत्रातारः तथा-
 प्रकाराणि आदेशनानि वा यावत् गृहाणि वा तैः अवगतद्भिः अवपतन्ति
 अयमायुष्मन् ? अभिक्रान्तक्रिया चापि भवति ।

पदार्थ— इह— प्रज्ञापक की अपेक्षा से । खलु— वाक्यालंकार मे है । पाईणं— पूर्वादि
 दिशाओ मे । सतेगइया— कई एक । सड्डा भवति— श्रद्धालु गृहस्थ होते है । तंजहा—
 यथा । गाहावई वा— गाथापति । जाव— यावत् । कम्मकरीओ वा— दासिया । ण— वाक्या-
 लंकार मे है । तेसिं च— उन्होने । आयारगोयरे— साधु का आचार-विचार । नो सुनिसते—
 भली-भाति श्रवण नही किया । भवइ— है, किन्तु उपाश्रय आदि का दान देने से स्वर्गादि का
 श्रेष्ठ फल मिलता है यह सुन रखा है । तं— उसकी । सइहमाणेहिं— श्रद्धा करने से । पत्तिय-
 माणेहिं— प्रतीति करने से । रोयमाणेहिं— रुचि करने से । बहवे— बहुत से । समण— शाक्यादि
 श्रमण । माहण— ब्राह्मण । अतिहि— अतिथि । किवण— कृपण । वणीमग— दरिद्र-भिखारी
 इनकी । समुद्दिस्स— उद्देश्य करके । आगारीहिं— गृहस्थो ने । तत्थ तत्थ— जहा-तहा । आगाराइं—
 अपने और श्रमण आदि के लिए घर एव । चेइयाइं भवति— उपाश्रय बनाए हुए है । तंजहा—

जैसे कि । आएमणाणि वा—लुहार आदि की शाला । आयतणाणि वा - धर्मशाला । देवकुलाणि वा - देवमदिर-देहरा । सहाश्रो वा - सभाभवन, । पवाणि वा - प्रपा-पानी पिलाने का स्थान-प्याऊ आदि । पणियगिहाणि वा - दुकान । पणियसालाश्रो वा - पण्यशाला- मालगोदाम आदि । जाणगिहाणि वा - रथ शाला-जहा रथ आदि ठहराए जाते हैं । जाणसाला वा - यान-शाला-जहां रथ आदि यान बनाए जाते हैं । सुहाकम्मताणि - चूने का कारखाना । दटमकम्म-ताणि वा - जहा कुशा की वस्तुएं बनाई जाती है । बद्धक० - जहां चमड़े की वाघ बनाई जाती है । बद्धकय क० - जहा छाल आदि तैयार की जाती है । इगाल कम्म - जहा कोयले बनाए जाते हैं । कट्ठ क० - जहा काठ आदि घडा जाता है । सुसाण क० - जहां श्मशान मे कूपादि बनाए जाते है । सुण्णागार - शून्यागार-शून्यगृह । गिरिकदर - पहाड के ऊपर बने हुए घर और गुफा आदि । सत्ति - शान्ति कर्म के लिए बने हुए मन्दिर । सेलोवट्ठाण कम्मताणि वा - पर्वत-भवन, पाषाणमण्डप । भवणगिहाणि - तलघर इत्यादि । जे मयतारो - जो पूज्य साधु । तहपगाराइ - तथाप्रकार के । आएसणाणि वा जाव गिहाणि - लुहारशाला आदि को । तेहि उवण माणेहि - अन्य मत के भिक्षुओं या गृहस्थो ने भोग लिया है और उन स्थानो में । उवयति - साधु ठहरते हैं तो । आउसो - हे आयुष्मन् शिष्य ! अय - यह । अभिक्कतकिरिया - अभिक्कान्तक्रिया । मवइ - होती है अर्थात् इस प्रकार के स्थानो मे उतरने से साधु को कोई दोष बही लगता है ।

मूलार्थ- हे आयुष्मन् शिष्य ! इस ससार में पूर्वादि दिशाओं मे कई व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते है । जैसे कि- गृहपति यावत् उनके दास-दासियां । उन्होने साधु का आचार और व्यवहार तो सम्यक्तयो नही सुना है परन्तु यह सुन रखा है कि उन्हे उपाश्रय आदि का दान देने से स्वर्गादि का फल मिलता है और इस पर श्रद्धा, विश्वास एव अभिरुचि रखने के कारण उन्होने बहुत से शाक्यादि श्रमण, ब्राह्मण, अतिथि, कृपण, और भिखारी आदि का उद्देश्य करके तथा अपने कुटुम्ब का उद्देश्य रख कर अपने-अपने गांवों या शहरो मे उन गृहस्थो ने बडे-बडे मकान बनाए है । जैसेकि लोहकार की शालायें, धर्मशालायें, देवकुल, सभाए, प्रपाए प्याऊ दुकानें, मालगोदाम, यानगृह, यानशालाये, चूने के कारखाने, कुशा के कारखाने, बर्ध के कारखाने, बलकल के कारखाने, कोयले के कारखाने, काष्ठ के कारखाने, श्मशान भूमि में बने हुए मकान, शून्यगृह, पहाड के ऊपर बने हुए मकान पहाड की गुफा शान्तिगृह, पाषाण मण्डप,

भूमिघर-तहखाने इत्यादि और इन स्थानों में श्रमण-ब्राह्मणादि अनेक बार ठहर चुके हैं। यदि ऐसे स्थानों में जैन भिक्षु भी ठहरते हैं तो उसे अभिक्रान्त क्रिया कहते हैं अर्थात् साधु को ऐसे मकान में ठहरना कल्पता है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु के आचार एवं व्यवहार से अपरिचित श्रद्धा-निष्ठ, भद्रपरिणामों वाले गृहस्थों ने शक्य आदि अन्यमत के भिक्षुओं के ठहरने के लिए या अपने व्यवसाय आदि के लिए कुछ मकान बनाए हैं और वे मकान अन्यमत के साधु-संन्यासियों एवं गृहस्थों द्वारा अभिक्रान्त हो चुके हैं अर्थात् भोग लिए गए हैं तो साधु उसमें ठहर सकता है और उसकी इस वृत्ति को अभिक्रान्त क्रिया कहा गया है। अन्य भिक्षुओं एवं गृहस्थों द्वारा मकान के अभिक्रान्त होने की क्रिया के आधार पर ही इस क्रिया का नाम अभिक्रान्त क्रिया रखा गया है।

प्रस्तुत पाठ में अभिव्यक्त किए गए मकानों के नाम से उस युग में चलने वाले विविध व्यापारों का स्पष्ट परिचय मिलता है। और यह भी स्पष्ट होता है कि उस युग में देवी-देवताओं के मन्दिर, भिक्षुओं के लिए मठ, धर्मशालाएं एवं पहाड़ों पर विश्रामगृह तथा गुफाएं बनाने की परम्परा रही है। वर्तमान में उपलब्ध अनेक विशाल गुफाओं से—जिनमें रहने के लिए प्रकोष्ठ भी बने हैं, उस युग की प्रवृत्तियों का स्पष्ट परिज्ञान होता है।

'सङ्घा' शब्द का वृत्तिकार ने 'श्रावका वा प्रकृति भद्रकाः' अर्थात् भद्र प्रकृति के श्रावक' अर्थ किया है। परन्तु, मूल पाठ में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे श्रद्धालु भक्त जो साध्वाचार से अपरिचित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वे श्रद्धालु व्यक्ति श्रावक नहीं हो सकते। क्योंकि श्रावक साध्वाचार से अपरिचित नहीं हो सकता, अतः वृत्तिकार का अर्थ मूलपाठ से संगत प्रतीत नहीं होता।

इस पाठ से यह स्पष्ट होता है कि साधु को निर्दोष एवं सीधे-सादे मकानों में ठहरना चाहिए। जिससे उनकी साधना में किसी तरह का दोष न लगे। इसी कारण आगम में मनोहर एवं सुसज्जित मकानों में तथा गृहस्थ के साथ ठहरने का निषेध किया गया है। जितना एकान्त, सादा एवं निर्दोष स्थान होगा जीवन में उतनी ही अधिक समाधि एवं शान्ति रहेगी। इसलिए साधक को योगियों में, श्रमशाला एवं शून्य गृहों में

ठहरने का भी आदेश दिया गया है* । और इस पाठ से भी स्पष्ट होता है कि उस युग में श्मशान, जंगल एवं गिरिकन्द्राओं में भी स्थान बने होते थे, जिनमें वानप्रस्थ संन्यासी निवास किया करते थे और ऐसे निर्दोष एवं शान्त वातावरण वाले स्थानों में जैन साधु भी ठहर जाते थे । और ऐसे स्थान उनकी आत्मसमाधि एवं चिन्तन में सहायक होते थे ।

अत्र अनभिक्रान्त क्रिया का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इह खलु पाईणं वा जाव रोयमाणोहिं बहवे समण-
माहण-अतिहि-क्विण-वणीमए समुद्दिस्स तत्थ तत्थ अगारीहिं
अगाराइं चेइयाइं भवंति तं० आएसणाणि वा जाव भवण-
गिहाणि वा, जे भयंतारो तहप्पगाराणि आएसणाणि जाव
गिहाणि वा तेहिं अणोवयमाणोहिं उवयंति अयमाउसो ! अण-
भिककंतकिरिया यावि भवइ ॥८१॥

छाया—इह खलु प्राचीनं वा यावत् रोचमानैः बहून् श्रमण-ब्राह्मण-अतिथि-
कृपण-वनीपकान् समुद्दिश्य तत्र तत्र अगारिभिः अगाराणि चेतितानि-
भवन्ति, तद्यथा- आदेशनानि वा यावत् भवनगृहाणि वा, ये भयत्रातारः तथा
प्रकाराणि आदेशनानि यावद् गृहाणि वा तैः अनवपतद्भिः अवपतन्ति, अयमा-
युष्मन् ! अनभिक्रान्तक्रिया चापि भवति ।

पदार्थ—इह—इस ससार में । खलु—निश्चय ही । पाईणं—पूर्वादि दिशाओं में
जो श्रद्धालु गृहस्थ रहते हैं, साधु क्रिया को नहीं जानते हैं परन्तु बसती दान का स्वर्गफल
उन्होंने सुना है और उस पर । जाव—यावत् श्रद्धा और । रोयमाणोहिं—रुचि करने से ।

* इंदियाणि उ भिक्खुस्स, तारिस्सम्मि उवस्सए ।
दुक्कराइ निवारेउं, कामराग विवड्ढणे ॥
सुसाणे सुन्नगारे वा, रुक्खमूले व इक्कथो ।
पडरिक्के परकडे वा, वासतत्थाभिरोयए ॥

वह्वे—वहुत से। समणमाहणप्रतिहिकिवणवगीमए—शाक्यादि श्रमण, ब्राह्मण, अतिथि, कृपण और वनीपको को। समुहिस्स—उद्देश्य करके। तत्थ तत्थ—जन्म तथा। अगारिहि—उन-गृहस्थो ने। अगाराइं—गृह। चेइयाइं—बड़े विशाल रूप में बनाये हैं। तं०—जैसा कि। आएसणाणि—लोहकार शाला। जाव—यावत्। भवणगिहाणि—तलघर आदि। जे—जो। भयंतारो—पूज्य मुनिराज। तहप्प०—तथाप्रकार—के। आएसणाणि—लोहकार शाला। जाव—यावत्। गिहाणि—तलघरो में जोकि। तेहि—उन गृहस्थो और शाक्यादि श्रमणो से। अणोवयमाणेहि—उपयोग मे मन्त्री लिए गये हैं। उवयंति—ठहरते हैं तो। अयमाउत्तो—हे आयुष्मन् शिष्य ! यह। अणभिवकत् किरिया यावि भवइ—अनभिक्रान्त क्रिया है।

मूलार्थ—हे आशुष्मन् शिष्य ! ससार में बहुत से श्रद्धालु गृहस्थ ऐसे हैं जो साधु के आचार विचार को नहीं जानते है, परन्तु बसती दान के स्वर्गादि फल को जानते हैं। अस्तु, उन लोगो ने उक्त स्वर्ग के फल पर श्रद्धा और अभिरुचि करते हुए शाक्यादि श्रमणो का उद्देश्य करके लोहकार शाला यावत् तलघर आदि बनाए हैं। यदि ये लोहकार शाला यावत् तलघर आदि स्थान, गृहस्थों ने तथा शाक्यादि श्रमणों ने अपने उपभोग में नही लिए है, अर्थात् बनने के बाद वे खाली ही पड़े रहे हैं। ऐसे स्थानो मे यदि जैन साधु ठहरते है तो उन्हें अनभिक्रान्त क्रिया लगती है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत मूत्र में पूर्व सूत्र में अभिव्यक्त की गई बात को दुहराते हुए कहा गया है कि यदि किसी श्रद्धालु गृहस्थ द्वारा शाक्य आदि श्रमणों एवं अपने उपयोग के लिए बनाए गए स्थानों में वे अन्यमत के श्रमण एवं गृहस्थ ठहरे नहीं हैं, उन्होंने उस मकान को अपने उपभोग मे नहीं लिया है, तो जैन साधु को वहां नहीं ठहरना चाहिए। इसमें आरम्भ आदि के दोष की दृष्टि के अतिरिक्त एक कारण यह भी है कि यदि कालान्तर में उस मकान में कोई उपद्रव होगया या उससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ तो लोगों में यह अपवाद फैल सकता है कि इसमें सबसे पहले जैनमुनि ठहरे थे। अतः इस तरह की भ्रान्ति न फैले इस दृष्टि से भी साधु को पुरुषान्तरकृत मकान में ही ठहरना चाहिए।

अब चर्चाभिधान क्रिया का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

ठहरने का भी आदेश दिया गया है* । और इस पाठ से भी स्पष्ट होता है कि उम युग में श्मशान, जंगल एवं गिरिकन्द्राओं में भी स्थान बने होते थे, जिनमें वानप्रस्थ संन्यासी निवास किया करते थे और ऐसे निर्दोष एवं शान्त वातावरण वाले स्थानों में जैन साधु भी ठहर जाते थे । और ऐसे स्थान उनकी आत्मसमाधि एवं चिन्तन में सहायक होते थे ।

अत्र अनभिक्रान्त क्रिया का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इह खलु पाईणं वा जाव रोयमाणोहिं वहवे समण-
माहण-अतिहि-किवण-वणीमए समुद्दिस्स तत्थ तत्थ अगारीहिं
अगराइं चेइयाइं भवंति तं० आएसणाणि वा जाव भवण-
गिहाणि वा, जे भयंतारो तहप्पगाराणि आएसणाणि जाव
गिहाणि वा तेहिं अणोवयमाणोहिं उवयंति अयमाउसो ! अण-
भिककंतकिरिया यावि भवइ ॥८१॥

छाया—इह खलु प्राचीनं वा यावत् रोचमानैः बहून् श्रमण-ब्राह्मण-अतिथि-
कूपण-वनीपकान् समुद्दिश्य तत्र तत्र अगारिभिः अगाराणि चेतितानि-
तद्यथा-आदेशनानि वा यावत् भवनगृहाणि वा, ये भयत्रातारः तथा
एव आदेशनानि यावद् गृहाणि वा तैः अनवपतद्भिः अवपतन्ति, अयमा-
! अनभिक्रान्तक्रिया चापि भवति ।

पदार्थ—इह—इस ससार में । खलु—निश्चय ही । पाईणं—पूर्वादि दिशाओं में
नो श्रद्धालु गृहस्थ रहते हैं, साधु क्रिया को नहीं जानते हैं परन्तु बसती दान का स्वर्गफल
उन्होंने सुना है और उस पर । जाव—यावत् श्रद्धा और । रोयमाणोहिं—रुचि करने से ।

* इंदियाणि उ भिकखुस्स, तारिसम्मि उवस्सए ।

दुक्कराइ निवारेउ, कामराग विवड्ढणे ॥

सुसाणे सुन्नगारे वा, खखमूले व इक्कमो ।

पइरिक्के परकडे वा, वासंतत्याभिरोयए ॥

बह्वे—बहुत से । समणमाहणअतिहिकिवणवगीमए—शाक्यादि श्रमण, ब्राह्मण, अतिथि, कृपण और बनीपको को । समुद्दिस्स—उद्देश्य करके । तत्थ तत्थ—जहा तथा । अगारिहि—उन-गृहस्थो ने । अगाराई—गृह । चेइयाई—बड़े विशाल रूप में बनाये है । तं०—जैसा कि । आएसणाणि—लोहकार शाला । जाव—यावत् । भवणगिहाणि—तलघर आदि । जे—जो । भयतारो—पूज्य मुनिराज । तहप्प०—तथाप्रकार के । आएसणाणि—लोहकार शाला । जाव—यावत् । गिहाणि—तलघरो में जोकि । तेहि—उन गृहस्थो और शाक्यादि श्रमणो से । अणोवयमाणेहि—उपयोग में मही लिए गये हैं । उवयंति—ठहरते है तो । अयमाउसो—हे आयुष्मन् शिष्य ! यह । अणभिवकत किरिया यावि भवइ—अनभिक्रान्त क्रिया है ।

मूलार्थ—हे आशुष्मन् शिष्य ! ससार में बहुत से श्रद्धालु गृहस्थ ऐसे है जो साधु के आचार विचार को नहीं जानते है, परन्तु बसती दान के स्वर्गादि फल को जानते है । अस्तु, उन लोगो ने उक्त स्वर्ग के फल पर श्रद्धा और अभिरुचि करते हुए शाक्यादि श्रमणो का उद्देश्य करके लोहकार शाला यावत् तलघर आदि बनाए है । यदि ये लोहकार शाला यावत् तलघर आदि स्थान, गृहस्थों ने तथा शाक्यादि श्रमणो ने अपने उपभोग में नहीं लिए है, अर्थात् बनने के बाद वे खाली ही पड़े रहे है । ऐसे स्थानों में यदि जैन साधु ठहरते है तो उन्हें अनभिक्रान्त क्रिया लगती है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में पूर्व सूत्र में अभिव्यक्त की गई बात को दुहराते हुए कहा गया है कि यदि किसी श्रद्धालु गृहस्थ द्वारा शाक्य आदि श्रमणों एवं अपने उपयोग के लिए बनाए गए स्थानों में वे अन्यमत के श्रमण एवं गृहस्थ ठहरे नहीं हैं, उन्होंने उस मकान को अपने उपभोग में नहीं लिया है, तो जैन साधु को वहां नहीं ठहरना चाहिए । इसमें आरम्भ आदि के दोष की दृष्टि के अतिरिक्त एक कारण यह भी है कि यदि कालान्तर में उस मकान में कोई उपद्रव होगया या उससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ तो लोगों में यह अपवाद फैल सकता है कि इसमें सबसे पहले जैनमुनि ठहरे थे । अत इस तरह की भ्रान्ति न फैले इस दृष्टि से भी साधु को पुरूपान्तरकृत मकान में ही ठहरना चाहिए ।

अत्र वर्ज्याभिधान क्रिया का चर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इह खलु पाईणं वा ४ जाव कम्मकरीओ वा, तेसिं च णं एवं वुत्तपुब्बं भवइ— जे इमे भवंति समणा भगवंतो जाव उवरया मेहुणाओ धम्माओ, नो खलु एएसिं भयंतराणं कप्पइ आहाकम्मिए उवस्सए वत्थए, से जाणिमाणि अम्हं अप्पणो सयट्ठाए चेइयाइं भवंति, तं—आएसणाणि वा जाव गिहाणि वा, सव्वाणि ताणि समणाणं निसिरामो, अवियाइं वयं पच्छा अप्पणो सयट्ठाए चेइस्सामो, तं—आएसणाणि वा जाव०, एयप्पगारं निग्घोसं सुच्चा निसम्म जे भयंतारो तहप्प० आएसणाणि वा जाव गिहाणि वा उवागच्छंति इयराइयरोहिं पाहुडेहिं वट्ठंति, अयमाउसो! वज्जकिरिया यावि भवइ ॥८२॥

छाया—इह खलु प्राचीनं वा ४ यावत् कर्मकर्यो वा तेषा च एवमुक्तपूर्वं भवति—ये इमे भवंति श्रमणाः भगवन्तो यावत् उपरताः मैथुनाद् धर्मात्, नो खलु एतेषां भयत्रातृणां कल्पते आधाकर्मिके उपाश्रये वमितु, अथ यानि इमानि अस्माभिः आत्मनः स्वार्थाय चित्तानि भवन्ति, तद्यथा— आदेशनानि वा यावत् गृहाणि वा सर्वाणि तानि श्रमण्येषां निसृजामः । अपि च वय पश्चाद् आत्मनः स्वार्थाय करिष्यामः । तद्यथा आदेशनानि वा यावत्० एतत् प्रकारं निर्घोषं श्रुत्वा निशम्य ये भयत्रातारः तथाप्रकाराणि आदेशनानि वा यावत् गृहाणि वा उवागच्छन्ति इतरेतरेषु प्राभूतेषु वर्तन्ते अयमायुष्मन् ! वज्जक्रिया चापि भवति ।

पदार्थ— इह—इम संसार मे । खलु—वाग्दालकार मे है । पाईणं ४—पूर्वादि दिशाओ में कई एक अठालु व्यक्ति होने हैं यथा- । जाव—यावत् । कम्मकरीओ—दासी प्रादि वे सब ।

एवं वृत्तपुत्रं भवति—वे परस्पर ऐसा कहते हैं । जे—जो । इमे—ये । [समणा—श्रमण । भगवन्तो—भगवान् । जाव—यावत् । मेहुणाओ धम्माओ—मैथुन धर्म से । उवरया—उपरत है । खलु—पूर्ववत् । एएंसि—इन । भयंताराणं—भगवन्तो को । आहाकम्मिए—आधा-कर्मिक । उवस्सए—उपाश्रय मे । वत्थए—वसना । नो कप्पइ—नही कल्पता है । से—वह । जाणि—जो । इमाणि—ये । अम्हं—हमने । अप्पणो—अपने । सयट्ठाए—निजी प्रयोजन के लिए । चेइयाइ भवति—ये विशाल मकान बनाए हैं । त०—जैसेकि । आएसणाणि वा—लोहकारशाला । जाव—यावत् । गिहाणि—तलघर आदि । ताणि—वे । सब्वाणि—सब । समणाण—इन श्रमणों के लिए । निसिरामो—दे देते हैं । अविद्याइं—अपि च । वय—हम । पच्छा—बाद मे । अप्पणो सयट्ठाए—अपने लिए और मकान । चेइस्सामो—बना लेगे । त०—जैसे कि । आएसणाणि—लोहकार शाला आदि । जाव—यावत् तलघर आदि । एयप्पगारं—इस प्रकार के । निग्घोसं—निर्घोष-वचन को । सुच्चा—सुनकर । निसम्म—हृदय मे विचार कर । जे—जो । भयतागे—मुनिराज । तहप्पगा०—तथाप्रकार के । आएसणाणि—लोहकार शाला । जाव—यावत् । गिहाणि वा—तलघर आदि में । उवागच्छंति—आकर ठहरते हैं और । इयराइयरेह पाहुडोह—छोटे-बड़े दिए हुए घरों को । वट्ठंति—वर्तते हैं—उपयोग मे लाते हैं । अयमाउसो—हे आयुष्मन् शिष्य! वज्ज किरिया धावि भवइ—यह वर्ज्य क्रिया होती है ।

मूलार्थ—संसार मे पूर्वादि दिशाओं में बहुत से ऐसे श्रद्धालु गृहस्थ यावत् दास दासी आदि व्यक्ति हैं जो साधु के आचार विचार को जानते हैं, फलतः परस्पर बातचीत करते हुए कहते हैं कि-ये पूजनीय जैन साधु मैथुन धर्म से सर्वथा उपरत हैं एवं सावद्य क्रियाओं से विरक्त हैं । अतः इन्हे आधाकर्मिक—आधाकर्म दोष से दूषित उपाश्रय में बसना नहीं कल्पता है । अस्तु, हमने अपने लिए जो लोहकार शाला आदि मकान बनाए हैं, वे सब इन श्रमणों को दे देते हैं । और हम अपने लिए दूसरे नए लोहकार शाला आदि मकान बना लेगे । गृहस्थों के उक्त निर्घोष को सुनकर तथा समझ कर भी जो मुनि--साधु तथाप्रकार के छोटे-बड़े लोहकार शाला आदि, गृहस्थों द्वारा दिए गए स्थानों मे उतरते हैं तो हे आयुष्मन् शिष्य! उन्हे वर्ज्यक्रिया लगती है । अर्थात् जो साधु ऐसे स्थानों मे ठहरता है उसे वर्ज्यक्रिया का दोष लगता है ।

मूलम्—इह खलु पाईणं वा ४ जाव कम्मकरीओ वा, तेसिं च णं एवं वुत्तपुब्बं भवइ— जे इमे भवंति समणा भगवंतो जाव उवरया मेहुणाओ धम्माओ, नो खलु एएसिं भयंताराणं कप्पइ आहाकम्मिए उवस्सए वत्थए, से जाणिमाणि अम्हं अप्पणो सयट्ठाए चेइयाइं भवंति, तं—आएसणाणि वा जाव गिहाणि वा, सब्वाणि ताणि समणाणं निसिरामो, अवियाइं वयं पच्छा अप्पणो सयट्ठाए चेइस्सामो, तं—आएसणाणि वा जाव०, एयप्पगारं निग्घोसं सुच्चा निसम्म जे भयंतारो तहप्प० आएसणाणि वा जाव गिहाणि वा उवागच्छंति इयराइयरेहिं पाहुडेहिं वट्ठंति, अयमाउसो! वज्जकिरिया यावि भवइ ॥८२॥

छाया—इह खलु प्राचीनं वा ४ यावत् कर्मकर्यो वा तेषा च एवमुक्तपूर्वं भवति—ये इमे भवंति श्रमणाः भगवन्तो यावत् उपरताः मैथुनाद् धर्मात्, नो खलु एतेषां भयत्रातृणां कल्पते आधाकर्मिके उपाश्रये वमितु, अर्थ यानि इमानि अस्माभिः आत्मनः स्वार्थाय चिंतयानि भवन्ति, तद्यथा— आदेशनानि वा यावत् गृहाणि वा सर्वाणि तानि श्रमण्येभ्यो निसृजामः । अपि च वय पश्चाद् आत्मनः स्वार्थाय करिष्याम । तद्यथा आदेशनानि वा यावत्० एतत् प्रकारं निर्घोषं श्रुत्वा निशम्य ये भयत्रातारः तथाप्रकाराणि आदेशनानि वा यावत् गृहाणि वा उवागच्छन्ति इतरेतरेषु प्राभूतेषु वर्तन्ते अयमायुष्मन् ! वज्जक्रिया चापि भवति ।

पदार्थ— इह—इम ममार में । खलु—वाग्दालकार में है । पाईणं ४—पूर्वादि दिशाओ में कई एक श्रद्धालु व्यक्ति होने हैं यथा— । जाव—यावत् । कम्मकरीओ—दामी प्रादि वे सब ।

मूलम्—इह खलु पाईणं वा ४ जाव कम्मकरीओ वा, तेसिं च णं एवं वुत्तपुब्बं भवइ - जे इमे भवन्ति समणा भगवंतो जाव उवरया मेहुणाओ धम्माओ, नो खलु एएसिं भयंताराणं कप्पइ आहाकम्मिए उवस्सए वत्थए, से जाणिमाणि अम्हं अप्पणो सयट्ठाए चेइयाइं भवन्ति, तं-आएसणाणि वा जाव गिहाणि वा, सव्वाणि ताणि समणाणं निसिरामो, अविद्याइं वयं पच्छा अप्पणो सयट्ठाए चेइस्सामो, तं-आएसणाणि वा जाव०, एयप्पगारं निग्घोसं सुच्चा निसम्म जे भयंतारो तहप्प० आएसणाणि वा जाव गिहाणि वा उवागच्छन्ति इयराइ- यरेहिं पाहुडेहिं वट्ठन्ति, अयमाउसो! वज्जकिरिया यावि भवइ ॥८२॥

छाया—इह खलु प्राचीनं वा ४ यावत् कर्मकर्यो वा तेषा च एवमुक्त-पूर्वं भवति-ये इमे भवन्ति श्रमणाः भगवन्तो यावत् उपरताः मैथुनाद् धर्मात्, नो खलु एतेषां भयत्रातृणां कल्पते आधाकर्मिके उपाश्रये वमितु, अर्थ यानि इमानि अस्माभिः आत्मन-स्वार्थाय चतितानि भवन्ति, तद्यथा— आदेश-नानि वा यावत् गृहाणि वा सर्वाणि तानि श्रमणेभ्यो निसृजामः । अपि च वय पश्चाद् आत्मनः स्वार्थाय करिष्याम । तद्यथा आदेशनानि वा यावत्० एतत् प्रकार निर्धोपं श्रुत्वा निशम्य ये भयत्रातारः तथाप्रकाराणि आदेशनानि वा यावत् गृहाणि वा उवागच्छन्ति इतरेतरेषु प्राभृतेषु वर्तन्ते अयमायुष्मन् ! वज्जक्रिया चापि भवति ।

पदार्थ— इह—इम संसार मे । खलु—वाग्दालकार मे है । पाईण ४—पूर्वादि दिशाओ मे कई एक श्रद्धालु व्यक्ति होते हैं यथा- । जाव—यावत् । कम्मकरीओ—दासी प्रादि वे सब ।

प्रगण्य प्रगण्य समुद्दिश्य अगारिभिः अगाराणि कृतानि भवन्ति, तद्यथा-आदेशनानि वा यावद् गृहाणि वा ये भयत्रातारः तथाप्रकाराणि आदेशनानि वा यावद् गृहाणि वा उपागच्छन्ति इतरेतरेषु प्राभृतेषुः, अयमायुष्मन्, महावज्रक्रिया चापि भवति ।

पदार्थ—इह—इस संसार में । खलु—वाक्यालकार सूचक अव्यय है । पाईण वा ४—पूर्वादि दिशाओं में । एगइया—कई एक । सड्डा—श्रद्धा वाले गृहस्थ । भवंति—रहते हैं । तेसिं च ण—उन्होंने । आघारगोघरे—आचार-विचार । जाव—यावत् । तं—उसके स्वर्गादि फल की । रोयमाणोह—रुचि करने से । बहवे—बहुत से । समणमाहण—श्रमण और ब्राह्मण । जाव—यावत् । बणीमणे—भिखारी आदि को । पणिय पणिय—गिन-गिन कर और । समुद्दिस्स—उनको उद्देश्य करके । तत्थ तत्थ—जहां तहां । अगारिहिं—गृहस्थों ने । अगाराइ—कई मकान । चेइयाड भवंति—बनाए है । तंजहा—जैसे कि । आएसणाणि वा—लोहकारशाला आदि । जाव—यावत् । गिहाणि वा—गृह-तलघर आदि । जे सयतारे—जो पूज्य मुनिराज । तहएवगाराइ—तथाप्रकार के । आएसणाणि वा—लोहकार शाला आदि । जाव—यावत् । गिहाणि—गृहों में । इयराइयरेहि—छोटे-बड़े । पाहुडोह—प्राभृत स्वरूप दिए गए उपाश्रयो में । उवागच्छंति—आते हैं और रहते हैं । अयमाउसो—हे आयुष्मन् शिष्य ! यह । महावज्रक्रिया यावि भवइ—महावज्र्यं क्रिया होती है ।

मूलार्थ—इस संसार में पूर्वादि दिशाओं में बहुत से ऐसे श्रद्धालु गृहस्थ हैं जो साधु (जैन मुनि) के आचार विचार को सम्यक्तया नहीं जानते हैं, परन्तु साधु को बसती दान देने के स्वर्गादि फल को सम्यक्तया जानते हैं और उस पर श्रद्धा-विश्वास तथा अभिरुचि रखते हैं । उन गृहस्थों ने बहुत से श्रमण, ब्राह्मण यावत् भिखारियों को गिन गिन कर तथा उनका लक्ष्य करके लोहकार शाला आदि विशाल भवन बनाए हैं । जो पूज्य मुनिराज तथाप्रकार के छोटे बड़े और गृहस्थों द्वारा सहर्ष भेंट किए गए उक्त लोहकार शाला आदि गृहों में आकर ठहरते हैं ता हे आयुष्मन् शिष्य ! यह उनके लिए महावज्र्यं क्रिया होती है, अर्थात् उन को यह क्रिया लगती है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि कुछ श्रद्धालु लोग साधुआचार से अनभिज्ञ हैं,

परन्तु वे साधु को मकान का दान देने में स्वर्ग आदि की प्राप्ति के फल को जानते हैं और इस कारण उन्होंने श्रमण, भिक्षु आदि को लक्ष्य में रखकर उनके ठहरने के लिए मकान बनाए हैं। साधु को ऐसे मकान में नहीं ठहरना चाहिए, यदि वह ऐसे मकानों में ठहरता है तो उसे महावज्र्य दोष लगता है। इस पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि गृहस्थ ने शाक्य आदि श्रमणों के लिए मकान बनाया है और वे उस मकान में ठहर भी चुके हैं, तो फिर साधु उस मकान में ठहरता है तो उसे महावज्र्य क्रिया कैसे लगती है? इसका समाधान यह है कि श्रमण शब्द का प्रयोग निर्ग्रन्थ के लिए भी होता है। आगम में बताया गया है— १-निर्ग्रन्थ (जैन साधु), २-बौद्ध भिक्षु, ३-तापस, ४-गैरिक (संन्यासी) और ५-आजीवक (गौशालक मत के साधु) आदि ५ सम्प्रदायों के साधुओं के लिए श्रमण शब्द का प्रयोग होता रहा है*। अतः श्रमण शब्द से जैन साधु का ग्रहण किया गया है, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं आदि के लिए भिक्षु शब्द का भी प्रयोग किया गया है। अतः जिस मकान को बनाने में जैन साधु का लक्ष्य रखा गया हो उस मकान के पुरुषान्तर होने पर भी जैन साधु को उसमें नहीं ठहरना चाहिए। यदि वह उसमें ठहरता है तो उसे महावज्र्य क्रिया (दोष) लगती है।

अब सावद्य क्रिया को अभिव्यक्त करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इह खलु पाइणां वा ४ संतेगइया जाव तं सदहमा-
 णोहिं तं पत्तियमाणोहिं तं रोयमाणोहिं बहवे समणमाहणअतिहि-
 किवणावणीमगे पगणिय २ समुद्दिस्स तत्थ तत्थ अगारिहिं अगा-
 राइं चेइयाइं भवन्ति, तं—आएसणाणि वा जाव भवणागिहाणि
 वा जे भयंतारो तहप्पगाराणि आएसणाणि वा जाव भवणागिहा-
 णि वा उवागच्छन्ति इयराइयरेहिं पाहुडेहिं अयमाउसो ! सावज्ज-

* से किं त पासंडे नामे ? समणे य पडुरंगे भिक्खू, कावलिए अ तावसिए परिवायगे से त पासडनामे ।

—अनुयोगद्वार सूत्र ।

वृत्ति— इह येन यत् पाषण्डमाश्रितं तस्य तन्नाम स्थाप्यमान पाषण्ड स्थापना नामा-
 भिधीयते तत्र निर्गन्थ, सक्क, तावस, गेस्सक्य, आजीव पचहा समणा इति वचनात् निर्ग्रन्थादि
 पच पापण्डान्याश्रित्य श्रमण उच्यते एव नैयायिकादि पाषण्डमाश्रिता पाडुरगादयो भावनीया, नवर-
 भिक्षुर्बुद्ध दर्शनाश्रितः ॥

— आचार्य श्री मल्लधारी हेमचन्द्र ।

किरिया यावि भवइ ॥८४॥

छाया—इह खलु प्राचीनं सन्त्पेकहा यावत् तत् श्रद्धधानैः तत् प्रतीयमानैः तद् रोचयमानैः बहूष् श्रमणब्राह्मणातिथिकृपणवनीपकान् प्रगण्य प्रगण्य समुद्दिश्य तत्र तत्र अगारिभिः अगाराणि कृतानि भवति, तद्यथा-आदेशनानि वा यावद् भवनगृहाणि वा ये भयत्रातारः तथा प्रकाराणि आदेशनानि वा यावत् भवनगृहाणि उपागच्छन्ति, इतरन्तरेषु प्राभृतेषु, इयमायुष्मन् ! सावद्यक्रिया चापि भवति ।

पदार्थ—इह—संसार मे । खलु—निश्चय । पार्श्वं वा ४—पूर्वादि दिशाओ मे । सतेगइया—कई एक श्रद्धालु गृहस्थ ऐसे है, जिन्होंने उपाश्रय के दान के फल को सुन रखा है । तं—उस फल के प्रति । सहमाणेहि—श्रद्धा करने से । तं पत्तिमाणेहि—उस पर प्रतीति करने से । तं रोयमाणेहि—उस पर रुचि करने से । बहवे—बहुत से । समणमाहणअतिहि—किष्ण वनीमणे—श्रमण—ब्राह्मण—अतिथि—कृपण और वनीपको को । पगणिय २—गिन गिनकर तथा उनको । समुद्दिस्स—उद्देश्य करके । अगारिहि—गृहस्थो ने । तत्थ तत्थ—जहा-तहा । आगाराइ—मकान । चेइयाइ—वनाए । भवंति—है । तजहा—जैसे कि । आएसणाणि वा—लोहकार शाला । जाव—यावत् । भवणगिहाणि वा—तल घर आदि । जे—जो । मयतारो—पूज्य मुनिराज । तहएपगाराणि—तथाप्रकार के । आएसणाणि वा—लोहकार शाला । जाव—यावत् । भवणगिहाणि—तलघर आदि उक्त । इयराइयरेहि—छोटे-बड़े । पाहुडोहे—भेंट स्वरूप दिए हुए उपाश्रयो मे । उवागच्छति—उतरते है तो । इयमाउसो—हे प्रायुष्मन् शिष्य ! यह । सावज्जकिरिया यावि भवइ—यह सावद्य क्रिया होती है ।

मूलार्थ—इस संसार में पूर्वादि दिशाओ में बहुत से ऐसे श्रद्धालु गृहस्थ है जो उपाश्रय दान के फल पर श्रद्धा करने से, प्रीति करने से और रुचि करने से बहुत से श्रमण, ब्राह्मण, अतिथि, कृपण और भिक्षारियों का उद्देश्य रखकर लोहकार शालादि भवनो का निर्माण करते है अर्थात् उन्होंने बनाए हैं । जो मुनिराज तथाप्रकार के भेंटस्वरूप दिए गए छोटे बड़े भवनों में उतरते है, तो हे प्रायुष्मन् शिष्य ! उनके लिए यह सावद्य क्रिया होती है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में भी पूर्व सूत्र की बात को दुहराया गया है। इसमें यह बताया गया है कि यदि श्रमण, भिक्षु आदि को लक्ष्य में रखकर किसी मकान में सावध क्रिया की गई हो तो साधु को उसमें नड़ी ठहरना चाहिए। यदि कोई साधु उसमें ठहरता है तो उसे सावध क्रिया लगती है।

अब महासावध क्रिया का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इह खलु पाईणं वा ४ जाव तं रोयमाणोहिं एगं समण-
जायं समुद्दिस्स तत्थ २ अगारिहिं अगाराइं चेइयाइं भवन्ति,
तं०-आएसणाणि जाव गिहाणि वा महया पुढविकायसमा-
रंभेणं जाव महया तसकायसमारंभेणं महया विरूवरूवेहिं पाव-
कम्मकिच्चेहिं, तंजहा-छायणओ लेवणओ संथारदुवारपिहणओ
सीओदए वा परट्ठवियपुव्वे भवइ, अगणिकाए वा उज्जालिय
पुव्वे भवइ, जे भयंतारो तह० आएसणाणि वा० उवागच्छन्ति इय-
राइयरेहिं पाहुडेहिं वट्टन्ति दुपक्खं ते कम्मं सेवन्ति अयमाउसो !
महासावज्ज किरिया यावि भवइ ॥८५॥

छाया—इह खलु प्रचीनं यावत् तद् रोचमानैः एक श्रमणजातं समुद्दिश्य
तत्र तत्र अगारिभि अगाराणिः कृतानि भवन्ति। तद्यथा—आदेशनानि यावद्
गृहाणि वा महता पृथ्वीकाय समारम्भेन यावत् महता त्रसकाय समारम्भेन
महद्भि विरूपरूपैः पापकर्म कृत्यैः, तद्यथा—छादनतो, लेपनतः संस्तारक द्वार-
पिधापनतः शीतोदकं वा परिष्ठापितपूर्वं भवति। अग्निकायो वा उज्ज्वलित-
पूर्वो भवति, ये भयत्रातार. तथाप्रकाराणि आदेशनानि वा, उपागच्छन्ति, इतरे-
तरेषु प्राभूतेषु द्विपक्षे ते कर्म सेवन्ते, इयमायुष्मन् ! महासावध क्रियाचाणि भवन्ति।

पदार्थ—खलु—वाक्यालंकार में है। इह—इस संसार में। पाईणं वा ४—पूर्वादि

दिशाओं में । जाव-यावत् । त-उपाश्रय प्रदान के स्वर्गादि फल की । रोचनागेहि-रचि करने से । एगं समजजायं -किसी एक श्रमण को । समुहित्त-उद्देश्य करके । तत्थ २-जहां-तहां । अगारीहि-गृहस्थों ने । अगाराई-भवन । चेइयाई-बनाए हुए हैं । तं० । जैसे कि । आएसणाणि-लोहकार माना । जाव-यावत् । गिहागि वा-तलवर आदि । मह्या पृड्विकाय समारभेणं-महान् पृथ्वीकाय के समारम्भ से । जाव-यावत् । मह्या तव-काय समारभेणं-महान् वनकाय के समारम्भ ने । मह्या विह्वह्वेहि-नाना प्रकार के महान् । पावकम्मकिच्चेहि-पापकर्मदृष्टियों से । तजहा-जैसे कि साधु के लिए । छायणओ-मकान पर छत आदि डाली हुई है । लेवणओ-लीची पीनी हुई है । संवारदुवारपिहुणओ-संस्तारक-के स्थान को नव-वरात्र बनाया है, दरवाजे बनाए हैं और । तीओइए वा परट्ठविय-पुध्वे भवइ-ठडक करने के लिए शीतल जल का छिड़काव किया है, तथा । अगणिकाये वा उज्जालियपुध्वे भवइ-गीत निवारणार्थ अग्नि प्रज्वलित की है । वे नयतारो-जो मुनिराज । तह०-तथा प्रकार के । आएसणाणि-लोहकार माना आदि में । उवागच्छति-आते हैं तथा । इयराइयरेहि-साधु के लिए बने हुए छंटे-बडे । पाहुडेहि-नेट स्वरूप दिए गए उपाश्रयों में जो ठहरते हैं । ते-वे । दुपव्वं-द्विपन्न अर्थात् द्रव्य ने नाधु और भाव से गृहस्थ रूप । कम्मं-कर्म का । सेवन्ति-सेवन करते हैं । इयमाउसो-हे आयुष्मन् शिष्य : यह । महासावच्च किरिया यावि भवइ-महासावद्य क्रिया होती है ।

मूलार्थ—इस ससार में पूर्वादि चारों दिशाओं में बहुत से श्रद्धालु व्यक्ति हैं, जिन्होंने साधु का आचार तो सम्यक्तया नही सुना, केवल उपाश्रय दान के स्वर्गादि फल को सुना है । वे साधु के लिए ६ काय का समारम्भ करके लोहकार गाला आदि स्थान-मकान बनाते हैं । यदि साधु उनमें ज्ञान होने पर भी ठहरता है तो वह द्रव्य से साधु और भाव से गृहस्थ है, अर्थात् साधु का वेप होने से साधु और पट्काय के आरम्भ की अनुमति आदि से युक्त होने के कारण भाव से गृहस्थ जैसा है । अतः हे गिप्यु ! इस क्रिया को महासावच्च क्रिया कहते हैं ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि जो उपाश्रय-मकान साधु के उद्देश्य से बनाया गया है और साधु के उद्देश्य से ही उसको लीप-पोत कर साफ-सुथरा बनाया है और छपर आदि से आच्छादित किया है तथा दरवाजे आदि बनवाए हैं और गर्मी में ठण्डे पानी का छिड़काव करके मकान को शीतल एवं शरद् ऋतु में आग जलाकर गर्म किया गया है

तो ऐसे मकान में साधु को नहीं ठहरना चाहिए। यदि साधु जानते हुए भी ऐसे मकान में ठहरता है तो उसे महासावध किया लगती है। और ऐसे मकान में ठहरने वाला केवल भेष से साधु है, भावों से नहीं। क्योंकि उसमें साधु के लिए ६ काय के जीवों का आरम्भ समारम्भ हुआ है। इसलिए सूत्रकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है— 'दुःखं ते कर्म सेवति !' आचार्य शीलाक ने प्रस्तुत पद की व्याख्या करते हुए लिखा है— 'ते द्विक्ष कर्मा सेवन्ते तद्यथा— प्रव्रज्यामाषाकर्मिकवसत्यासेवद् गृहस्थत्वं च रागद्वेषं इर्यापथ साम्प्रयायिकं च ।'

इससे स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे सदोष मकान में ठहरने वाले साधु साधुत्व के महापथ से गिर जाते हैं, उनकी साधना शुद्ध नहीं रह पाती। अतः साधु को सदा निर्दोष एव निरवद्य मकान में ठहरना चाहिए।

अब अल्प सावध क्रिया का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इह खलु पाईणं वा रोयमाणेहिं अप्पणो सयट्ठाए
तत्थ २ अगारिहिं जाव उज्जालियपुव्वे भवइ, जे भयंतारो तहप्प०
आएसणाणि वा० उवागच्छन्ति इयराइयरेहिं पाहुडेहिं एगपक्खं
ते कम्मं सेवन्ति, अयमोउसो ! अप्पसावज्ज किरिया यावि भवइ ६ ।
एवं खलु तस्स० ॥८६॥

छाया—इह खलु प्राचीन वारोचमानै. आत्मनः स्वार्थाय तत्र तत्र अगारिभिः यावत् उज्ज्वलितपूर्वं भवति, ये भयत्रातारः तथाप्रकाराणि आदेशनानि वा० उपागच्छन्ति इतरेतरेषु प्रामृतेषु एकपक्षं ते कर्म सेवन्ते । इयमायुष्मन् ! अल्प सावधक्रिया चापि भवति । एवं खलु तस्य भिक्षोः सामग्र्यम् ।

पदार्थ—इह—इस ससार में । खलु—वाक्यालंकार सूचक अव्यय है । पाईण वा—पूर्वादि दिशाओं में किसी भद्र परिणामी गृहस्थ ने उपाश्रय दान का महत्व सुना है और उसपर । रोयमाणेहिं सूचि करने से । अप्पणो सयट्ठाए—अपने निज के प्रयोजन के लिए । तत्थ २—जहां-तहां । अगारिहिं गृहस्थों ने स्थान बनाए हुए हैं । जाव—यावत् । उज्जालिय पुव्व-भवइ—जिसमें अग्नि प्रज्वलित की गई हो । जे भयंतारो—जो पूज्य मृनिराज । तहप्प०—तथाप्रकार के । आएसणाणि वा—लोहकार शाला आदि भवनो-स्थानों में । उवागच्छन्ति—आते हैं और । इयराइयरेहिं—छोटे-बड़े (पाहुडोह—दिए गये उक्त स्थानों में उतरते हैं ।

द्वितीय अध्यायन शय्यैषणा

तृतीय उद्देशक

द्वितीय उद्देशक के अन्तिम सूत्र में शुद्ध वस्ती (मकान) का वर्णन किया गया है। अब प्रस्तुत उद्देशक में अशुद्ध वस्ती का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से य नो सुलभे फासुए उंछे अहेसण्णज्जे नो य खलु सुद्धे इमेहिं पाहुडेहिं, तंजहा-छायण्णओ लेवण्णओ संथारदु वारपिह्ण-ओ पिंडवाएसणाओ, से य भिक्खू चरियारए ठाणारए निसीहिया-ए सिज्जासंथारपिंडवाएसणाए, संति भिक्खुणो एवमक्खाइणो उज्जुया नियागपडिवन्ना अमायं कुव्वमाणा वियाहिया, संतेगइया पाहुडिया उक्खित्तपुव्वा भवइ, एवं निक्खित्तपुव्वा भवइ, परिभाइय निक्खित्तपुव्वा भवइ, पुव्व भवइ, परिभुत्तपुव्वा भवइ, परिट्ठ-वियपुव्वा भवइ, एवं वियागरेमाणे समियाए वियागरेइ ? हंता भवइ ॥८७॥

छाया—स च नो सुलभः प्रासुकः उच्छ्र अथ एषणीयः, न च खलु शुद्धः एभिः प्राभृतैः, तद्यथा— छादनतः लेपनतः संस्तार-द्वार पिधानतः पिंड-पातैषणातः ते च भिक्षवः चर्याताः स्थानरताः निषीधिकारताः शय्यासस्तार-पिंडपातैषणारताः संति भिक्षवः एवमाख्यायिनः ऋजवः नियागप्रतिपन्नाः अमायां कुर्वाणाः व्याख्याताः सन्ति एकका प्राभृतिका उत्क्षिप्त पूर्वा भवति, एव निक्षिप्त पूर्वा भवति, परिभाजित पूर्वा भवति, परिभुक्तपूर्वा भवति, परि-स्थापितपूर्वा भवति एव व्याकुर्वन्क-थयन् सम्यग् व्याकरोति ? हन्त भवति ।

पदार्थ—से—वह भिक्षु किसी ग्रामदि मे भिक्षा के लिए गया तब किसी गृहस्थ ने उसे वहा ठहरने की विनती की कि भगवन् ! आप यहा पर ही कृपा करे । इस नगर मे अन्न पानी का संयोग सुख पूर्वक मिल सकता है, इसके उत्तर मे मुनि ने कहा भद्र ! प्रासुक आहार पानी का मिलना तो कठिन नहीं है, किन्तु जहा पर बैठकर शुद्ध निर्दोष आहार किया जाता है उस उपाश्रय का मिलना । नो सुलभे—सुलभ नहीं है । अब सूत्रकार उपाश्रय के विषय मे वर्णन करते है । फासुए—प्रासुक-आधाकर्मादि दोषो से रहित । उछे—छादनादि उत्तरगुणीय दोषो से रहित । अहेसणिज्जे—मूल एव उत्तर गुणीय दोषो से शून्य होने के कारण एषणीय । य—और । खलु—निश्चय ही । नो सुद्धे—उत्तर गुणो से जो शुद्ध नहीं है । इमेहि—इन । पाहुडोहि—पाप कर्मों के उपादान से बनाए गए है । तजहा—जैसे कि । छायणाओ—साधु के लिए आच्छादन करने से । लेवणओ—गोबर आदि का लेपन करने से । सथार दुवार पिहणओ—संस्तारक भूमि को सम करने और द्वार बन्द करने के लिए किवाड आदि बनाने से । पिंडवाए—सणाओ—तथा पिंडपानैषणा की दृष्टि से भी शुद्ध उपाश्रय का मिलना कठिन है अर्थात् जिसके उपाश्रय मे साधु ठहरता है वह गृहस्थ प्रायः आहार का आमंत्रण करता है । अतः साधु वह आहार लेता है तो उसे दोष लगता है, और नहीं लेता तो गृहस्थ के मन को ठेस लगती है । अतः यह कारण भी उपाश्रय की प्राप्ति में विशेषकर बाधक है । यदि उत्तरदोष से शुद्ध उपाश्रय मिल भी गया है तो फिर स्वाध्याय आदि की अनुकूलता से युक्त उपाश्रय का मिलना तो और भी कठिन है, अब सूत्रकार यही बतलाते है कि । य—फिर । से—वे । भिक्खू—भिक्षु-मुनिराज । चरियारए—नव कल्पी विहार की चर्या मे रत है । ठाणरए—तथा कायोत्सर्गादि करने में रत है । निसीहियारए—स्वाध्याय करने में रत है । सिज्जासंथार पिंडवाएसणारए—शय्या-वस्ती-सस्तारक-ढाई हाथ प्रमाण शयन करने का स्थान अथवा रोगादि कारण से शय्या सस्तारक में रत है अर्थात् अगार एव धूम आदि दोषो से रहित आहार करते । संति—है । भिक्खुणो—कोई कोई भिक्षु । एवमक्खाइणो—इस प्रकार वसती के यथावस्थित गुण-दोषो के कहने वाले है । उज्जुया—सरल हैं । नियागपडिबन्ना—सयम एव मोक्ष में प्रतिपन्न है । अमायं कुव्वमाणा—माया नहीं करने वाले । वियाहिया—कहे गए हैं ।

अब सूत्रकार गृहस्थो द्वारा साधु को वस्ती दान देने सम्बन्धि छल करने के विषय में बतलाते है । संति—किनने ही गृहस्थ ऐसे हैं जो साधु को उपाश्रय देने में छल करते हैं यथा— । पाहुडिया—जो उपाश्रय साधु के उद्देश्य से बनाया गया है उसको । उविस्सत्तपुव्वा भवइ—दिखाकर कहते हैं कि आप इस उपाश्रय में रहे योकि यह उपाश्रय । निविसत्त पुव्वा भवइ—हमने अपने लिए बनाया है तथा । परिभाइयपुव्वा भवइ—हमने पहले ही आपमे के वटवारे में बाट लिया है । परिभुत्तपुव्वा भवइ—वह हम लोगो द्वारा रहने ही भोगा जा चुका है । परिट्ठविपुव्वा भवइ—हमने ब्रह्म पहले से रमे द्योग दुग्गा है अतः आपके लिए निर्दोष

होने के कारण ग्राह्य है। गृहस्थ इस प्रकार कुछ भी छल वच करे परन्तु साधु उनके प्रपच को जानकर कदापि उक्त उपाश्रय में न रहे। यदि कोई गृहस्थ उपाश्रय के गुण दोषादि के विषय में पूछे तो साधु उसको शास्त्रानुसार उपाश्रय के गुण दोष बतला दे, अब शिष्य प्रश्न करता है कि—हे भगवन् ! साधु उपाश्रय के गुणदोषों के सम्बन्ध में। एवं विद्यारेमाणे—इस प्रकार कहता हुआ। सनियारे विद्यारेण्डे? क्या सम्यक् कथन करता है? आचार्य उत्तर देते हैं। हता भवइ—हा, वह सम्यक् कथन करता है।

मूलार्थ—भिक्षा के लिए ग्राम में गए हुए साधु को यदि कोई भद्र गृहस्थ यह कहे कि भगवन् ! यहां आहार-पानी की सुलभता है, अतः आप यहां रहने की कृपा कर। इसके उत्तर में साधु यह कहे कि यहां आहार-पानी आदि तो सब कुछ सुलभ है परन्तु निर्दोष उपाश्रय का मिलना दुर्लभ कठिन है। क्योंकि साधु के लिए कहीं उपाश्रय में छत डाली हुई होती है, कहीं लोपा-पोती की हुई होती है, कहीं सस्तारक के लिए ऊंची नीची भूमि को समतल किया गया होता है और कहीं द्वार बन्द करने के लिए दरवाजे आदि लगाए हुए होते हैं, इत्यादि दोषों के कारण शुद्ध निर्दोष उपाश्रय का मिलना कठिन है। और दूसरी यह बात भी है कि शय्यातर का आहार साधु को लेना नहीं कल्पता है। अतः यदि साधु उसका आहार लेते हैं तो उन्हें दोष लगता है और उनके नहीं लेने से बहुत से शय्यातर गृहस्थ रूष्ट हो जाते हैं। यदि कभी उक्त दोषों से रहित उपाश्रय मिल भी जाए, फिर भी साधु की आवश्यक क्रियाओं के योग्य उपाश्रय का मिलना कठिन है। क्योंकि साधु विहारचर्या वाले भी हैं, कायोत्तमर्ग करने वाले भी हैं, एकान्त स्वाध्याय करने वाले भी हैं, तथा शय्या-संस्तारक और पिंडपाल की शुद्ध गवेपणा करने वाले भी हैं। अस्तु, उक्त क्रियाओं के लिये योग्य उपाश्रय मिलना और भी कठिन है। इस प्रकार कितने ही सरल-निष्कपट एव मोक्ष पथ के गामी भिक्षु उपाश्रय के दोष बतला देते हैं।

कुछ गृहस्थ मुनि के लिये ही मकान बनाते हैं, और फिर यथा अवसर आगन्तुक मुनि से छल युक्त वार्तालाप करते हैं। वे साधु से कहते हैं कि

‘यह मकान हमने अपने लिये बनाया है, आपस में बांट लिया है, परिभोग में ले लिया है, परन्तु अब नापसद होने के कारण बहुत पहले से वैसे ही खाली छोड़ रखा है। अतः पूर्णतया निर्दोष होने के कारण आप इस उपाश्रय में ठहर सकते हैं’। परन्तु विचक्षण मुनि इस प्रकार के छल में न फसे, तथा सदोष उपाश्रय में ठहरने से सर्वथा इन्कार कर दे। गृहस्थो के पूछने पर जो मुनि इस प्रकार उपाश्रय के गुण-दोषो को सम्यक् प्रकार से बतला देता है, उसके सबन्ध में शिष्य प्रश्न करता है कि हे भगवन् ! क्या वह सम्यक् कथन करता है ? सूत्रकार उत्तर देते हैं कि हा, वह सम्यक् कथन करता है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु किसी गांव या शहर में भिक्षा के लिए गया, उस समय कोई श्रद्धानिष्ठ गृहस्थ उक्त मुनि से प्रार्थना करे कि हमारे गांव या शहर में आहार-पानी आदि की सुविधा है, अतः आप इसी गांव में ठहरें। गृहस्थ के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर मुनि सरल एवं निष्कपट भाव से कहे कि आहार पानी की तो यहां सुलभता है, परन्तु ठहरने के लिए निर्दोष मकान का उपलब्ध होना कठिन है। मूल एवं उत्तर गुणों की दृष्टि से निर्दोष मकान सर्वत्र सुलभ नहीं होता। कहीं मकानों की कमी के कारण मूल से ही साधु के लिए मकान बनाया जाता है। कहीं साधु के उद्देश्य से नहीं बने हुए मकान पर साधु के लिए छत डाली जाती है, उममें सफेदी करवाई जाती है, शय्या के लिए योग्य स्थान बनाया जाता है, दरवाजे तथा खिड़कियाँ लगाई जाती हैं। इस तरह मूल या उत्तर गुण में दोष लगने की संभावना रहती है।

यदि कहीं सब तरह से निर्दोष मकान मिल जाए तो दृमरा प्रश्न यह सामने आएगा कि हम शय्यातर (मकान मालिक) के घर का आहार-पानी आदि ग्रहण नहीं करते। कभी वह भक्तिवश आहार आदि के लिए आप्रह करे और हमारे द्वारा इनकार करने पर कोपित होकर धर्म से या साधु-संतों से विमुख होकर उनका विरोध कर सकता है। वृत्तिकार ने भी यही भाव अभिव्यक्त किया है।

निर्दोष मकान एवं शय्यातर के अनुकूल मिलने के बाद तीसरी समस्या साधना की रह जाती है। कुछ साधु विहार चर्चा वाले होते हैं, कुछ कायोत्सर्ग करने में अतुरक्त रहते हैं, कुछ स्वाध्याय एवं चिन्तन-मनन में व्यस्त रहते हैं। अतः इन सब साधनाओं को दृष्टि से भी मकान अनुकूल होना आवश्यक है, अर्थात् साधना के लिए मकान एवं

होने के कारण ग्राह्य है। गृहस्थ इस प्रकार कुछ भी छल वज्र करें परन्तु साधु उनके प्रपच को जानकर कदापि उक्त उपाश्रय में न रहे। यदि कोई गृहस्थ उपाश्रय के गुण दोषादि के विषय में पूछे तो साधु उसको शास्त्रानुसार उपाश्रय के गुण दोष बतला दे, अत्र शिष्य प्रश्न करता है कि—हे भगवन् ! साधु उपाश्रय के गुणदोषों के सम्बन्ध में। एवं विद्यारेमाणे—इस प्रकार कहता हुआ। समियाए विद्यागरेइ? क्या सम्यक् कथन करता है? आचार्य उत्तर देते हैं। हंता भवइ—हा, वह सम्यक् कथन करता है।

मूलार्थ—भिक्षा के लिए ग्राम में गए हुए साधु को यदि कोई भद्र गृहस्थ यह कहे कि भगवन् ! यहां आहार-पानी को सुलभता है, अतः आप यहां रहने की कृपा कर। इसके उत्तर में साधु यह कहे कि यहां आहार-पानी आदि तो सब कुछ सुलभ है परन्तु निर्दोष उपाश्रय का मिलना दुर्लभ कठिन है। क्योंकि साधु के लिए कहीं उपाश्रय में छत डालो हुई होती है, कहीं लोपा-पोती की हुई होती है, कहीं सस्तारक के लिए ऊंची नीची भूमि को समतल किया गया होता है और कहीं द्वार बन्द करने के लिए दरवाजे आदि लगाए हुए होते हैं, इत्यादि दोषों के कारण शुद्ध निर्दोष उपाश्रय का मिलना कठिन है। और दूसरी यह बात भी है कि शय्यातर का आहार साधु को लेना नहीं कल्पता है। अतः यदि साधु उसका आहार लेते हैं तो उन्हें दोष लगता है और उनके नहीं लेने से बहुत से शय्यातर गृहस्थ रुष्ट हो जाते हैं। यदि कभी उक्त दोषों से रहित उपाश्रय मिल भी जाए, फिर भी साधु की आवश्यक क्रियाओं के योग्य उपाश्रय का मिलना कठिन है। क्योंकि साधु विहारचर्या वाले भी हैं, कायोत्सर्ग करने वाले भी हैं, एकान्त स्वाध्याय करने वाले भी हैं, तथा शय्या-संस्तारक और पिंडपात की शुद्ध गवेषणा करने वाले भी हैं। अस्तु, उक्त क्रियाओं के लिये योग्य उपाश्रय मिलना और भी कठिन है। इस प्रकार कितने ही सरल-निष्कपट एव मोक्ष पथ के गामी भिक्षु उपाश्रय के दोष बतला देते हैं।

कुछ गृहस्थ मुनि के लिये ही मकान बनाते हैं, और फिर यथा अवसर आगन्तुक मुनि से छल युक्त वार्तालाप करते हैं। वे साधु से कहते हैं कि

‘यह मकान हमने अपने लिये बनाया है, आपस में वाट लिया है, परिभोग में ले लिया है, परन्तु अब नापसद होने के कारण बहुत पहले से वैसे ही खाली छोड़ रखा है। अतः पूर्णतया निर्दोष होने के कारण आप इस उपाश्रय में ठहर सकते हैं’। परन्तु विचक्षण मुनि इस प्रकार के छल में न फसे, तथा सदोप उपाश्रय में ठहरने से सर्वथा इन्कार कर दे। गृहस्थों के पूछने पर जो मुनि इस प्रकार उपाश्रय के गुण-दोषों को सम्यक् प्रकार से बतला देता है, उसके सवन्ध में शिष्य प्रश्न करता है कि हे भगवन् ! क्या वह सम्यक् कथन करता है ? सूत्रकार उत्तर देते हैं कि हा, वह सम्यक् कथन करता है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु किसी गांव या शहर में भिक्षा के लिए गया, उस समय कोई श्रद्धानिष्ठ गृहस्थ उक्त मुनि से प्रार्थना करे कि हमारे गांव या शहर में आहार-पानी आदि की सुविधा है, अतः आप इसी गांव में ठहरें। गृहस्थ के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर मुनि सरल एवं निष्कपट भाव से कहे कि आहार पानी की तो यहां सुलभता है, परन्तु ठहरने के लिए निर्दोष मकान का उपलब्ध होना कठिन है। मूल एवं उत्तर गुणों की दृष्टि से निर्दोष मकान सर्वत्र सुलभ नहीं होता। कहीं मकानों की कमी के कारण मूल से ही साधु के लिए मकान बनाया जाता है। कहीं साधु के उद्देश्य से नहीं बने हुए मकान पर साधु के लिए छत डाली जाती है, उसमें सफेदी करवाई जाती है, शय्या के लिए योग्य स्थान बनाया जाता है, दरवाजे तथा खिड़कियाँ लगाई जाती हैं। इस तरह मूल या उत्तर गुण में दोष लगने की सभावना रहती है।

यदि कहीं सब तरह से निर्दोष मकान मिल जाए तो दूसरा प्रश्न यह सामने आएगा कि हम शय्यातर (मकान मालिक) के घर का आहार-पानी आदि ग्रहण नहीं करते। कभी वह भक्तिवश आहार आदि के लिए आग्रह करे और हमारे द्वारा इनकार करने पर क्रोधित होकर धर्म से या साधु-सन्तों से विमुख होकर उनका विरोध कर सकता है। वृत्तिकार ने भी यही भाव अभिव्यक्त किया है।

निर्दोष मकान एवं शय्यातर के अनुकूल मिलने के बाद तीसरी समस्या साधना की रह जाती है। कुछ साधु विहार चर्या वाले होते हैं, कुछ कायोत्सर्ग करने में अनुरक्त रहते हैं, कुछ स्वाध्याय एवं चिन्तन-मनन में व्यस्त रहते हैं। अतः इन सब साधनाओं की दृष्टि से भी मकान अनुकूल होना आवश्यक है, अर्थात् साधना के लिए एकान्त एवं

शान्त वातावरण का होना जरूरी है। इस तरह मनि स्थान सम्बन्धी निर्दोषता एव सदोषता को स्पष्ट रूप से बता दे और सभी दृष्टियों से शुद्ध एवं निर्दोष मकान की गवेषणा करने के पश्चात् उसमें ठहरे।

साधु से मकान सम्बन्धी सभी गुण-दोष सुाने के बाद यदि कोई गृहस्थ साधु के लिए बनाए गए मकान को भी शुद्ध बताए और छल-कपट के द्वारा उसकी सदोषता को छिपाने का प्रयत्न करे तो साधु को उसके धोखे में नहीं आना चाहिए। और उसकी तरह स्वयं को भी छल-कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। साधु को सदा सरल एवं निष्कपट भाव ही रखना चाहिए। यदि कोई गृहस्थ छल-कपट रखकर उपाश्रय के गुण-दोष जानना चाहे, तब भी साधु को बिना हिचकिचाहट के उपाश्रय सम्बन्धी सारी जानकार करा देनी चाहिए। इसी से साधु को साधना सम्यक् रह सकती है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'चरियारण' पद से प्रियार चर्या का 'ठाणरण' से ध्यानस्थ होने का, 'निसिहियाए' से स्वाध्याय का, 'उज्जुय' से छल-कपट रहित, सरल स्वभाव वाला होने का एवं 'नियाम पडिवना' से संयम में मोक्ष के ध्येय को सिद्ध करने वाला बताया गया है। और 'सतेगइय पाहुडिया उक्खित्तपुव्वा भवइ' पद से यह स्पष्ट किया गया है कि साधु के उद्देश्य से बनाए गए उपाश्रय को निर्दोष बताना तथा 'एव परिमु च्छुध्व भवइ, परिद्धवियपुव्वा भवइ' आदि पदों से इस बात को बताया गया है कि कुछ श्रद्धालु भक्त रागवश सदोष मकान को भी छल-कपट से निर्दोष सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं साधु को उनकी बातों में नहीं आना चाहिए।

यदि कभी परिस्थितिवश साधु को चरक आदि अन्य मत के भिक्षुओं के सथा ठहरना पड़े, तो किस विधि से ठहरना चाहिए इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० से जं पुण उवस्सयं जाणिज्जा-
खुड्डियाओ खुड्डदुवारियाओ निययाओ संनिरुद्धाओ भवंति,
तहप्पगा० उवस्सए राओ वा वियाले वा निक्खममाणे वा प०
पुरा हत्थेण वा पच्छा पाएण वा, तओ संजयामेव निक्खमिज्ज वा
२ । केवली बूया--आयाणमेयं, जे तत्थ समणाण वा माहणाण वा
उत्तए वा मत्तए वा ढंडए वा लट्ठिया वा भिसिया वा नालिया

वा चेलं वा चिलिमिली वा चम्मए वा चम्मकोसए वा चम्मछेयणाए
 वा दुब्बद्धे दुन्निक्खित्ते अणिकंपे चलाचले, भिक्खू य रात्रो वा
 वियाले वा निक्खममाणे वा २ पयलिज्ज वा २, से तत्थ पयल-
 माणे वा० हत्थं वा० लूसिज्ज वा पाणाणि वा ४ जाव ववरो-
 विज्ज वा । अह भिक्खूणं पुब्बोवइट्ठं जं तह० उवस्सए पुरा-
 हत्थेण निक्ख० वा पच्छा पाएणं तत्रो संजयामेव नि० पवि-
 सिज्ज वा ॥८८॥

छाया—स भिक्षुर्वा० स यत् पुनरुपाश्रयं जानीयात्-क्षुद्रिकाः क्षुद्रद्वारा
 नीचाः संनिरुद्धा भवन्ति, तथाप्रकारे उपाश्रये रात्रौ वा विकाले वा निष्क्रम-
 माणः वा प्रविशन् पुरो हस्तेन वा पश्चात् पादेन वा तत संयतमेव निष्क्रामेद्
 वा प्रविशेद् वा, केवली ब्रूयाद् आदानमेतन्, ये तत्र श्रमणानां ब्राह्मणानां
 वा छत्रको वा मात्रकं वा दण्डको वा यष्टिर्वा वृशिका वा नलिका वा
 चेल वा चिलिमिली वा चर्मको वा चर्मकोशको वा चर्मछेदनं वा दुर्बद्धः दुन्नि-
 क्षिप्तोऽनिष्कम्पः चलाचलः भिक्षुश्च रात्रौ वा विकाले वा निष्क्रममाणः
 प्रविशन् वा प्रस्खलेत् वा पतेद् वा स तत्र प्रस्खलन् वा पतन् वा हस्त वा
 लूषयेत् वा प्राणानि ४ यावद् व्यपरोपयेद् वा, अथ भिक्षूणां पूर्वोपदिष्ट यत्-
 तथाप्रकारे उपाश्रये पुरो हस्तेन वा निष्क्रामेद् वा प्रविशेद् वा पश्चात् पादेन
 ततः संयतमेव निष्क्रामेद् वा प्रविशेद् वा ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू वा०—साधु या साध्वी । से ज—वह साधु जो आगे
 कहा जाता है । पुण—फिर । उवस्सय—उपाश्रय को । जाणिज्जा—जाने । खुड्डियाओ—
 छोटा उपाश्रय । खुड्डवुवारियाओ—लघु द्वार वाला उपाश्रय । निययाओ—नीचा है । सनिरुद्धाओ—
 जो चरक आदि अन्य मत के भिक्षुओं के । भवति—ठहरने से खाली नहीं है । तहप्पगा०—

ऐमे । उवस्सए—उपाश्रय में ठहरा हुआ साधु । रात्रो वा—रात्रि में । वियाले वा—विकाल मे । निक्खममाणे वा—भीतर से बाहर निकलता हुआ अथवा । पविसमाणे वा—बाहर से भीतर प्रवेश करता हुआ । पुरा—पहले । हत्थेण वा—हाथ से अर्थात् हाथ आगे करके भूमि को देखकर । पच्छा—पीछे । पाएण वा—र से गमन करे जिससे चरक आदि भिक्षुओं के उपकरण का तथा उनके किसी अवयव का उपघात न हो । तप्रो—तदनन्तर । सजयामेव—सयत-साधु यत्नपूर्वक । निक्खमिज्ज वा—निकले अथवा प्रवेश करे क्योंकि । केवली—केवली भगवान् । बूया—कहते हैं कि । आयाणमेय—यह कर्म आने का मार्ग है, जैसे कि— । जे—यदि । तत्थ—वहा पर । समणाण वा—शाक्यादि श्रमणों के । माहणाण वा—ब्राह्मणों के । छत्तए वा—छत्र । मत्तए वा—गाजन विशेष । दडए वा—दड अथवा । लट्ठिया—लाठी । भिसिया वा—योग आसन विशेष । नालिया वा—अपने शरीर से चार अंगुल लम्बी लाठी । चेल वा—वस्त्र । विलिमिली वा—यवनिका—तरदा अर्थात् मच्छर दानी । चम्मए वा—मृगचर्म । चम्मकोसए वा—चर्म कोष—मृगचर्म की थैली या झोली । चम्मछेयणए वा—चर्म छेदने का उपकरण इत्यादि उपकरण, जोकि । बुब्बद्धे—अच्छी तरह से नही बांधा हुआ । बुन्निविस्सत्ते—भली प्रकार से नही रखा हुआ तथा । अणिकपे—जो थोडा बहुत हिलता है । चलाचले—जो विशेष रूप से हिल रहा है, अत । भिक्खू—भिक्षु । प—फिर । रात्रो वा—रात्रि मे । वियाले वा—विकाल मे । निक्खममाणे वा०—भीतर से बाहर निकलता हुआ अथवा बाहर से भीतर प्रवेश करता हुआ । पयलिज्ज वा २—फिसल पडे या गिर पडे । से—भिक्षु के । तत्थ—वहा पर । पयलमाणे वा २—फिसलने या गिर पडने से उनके उपकरण आदि गिर पडे अथवा । हत्थं वा०—हाथ-पैर आदि । लूसिज्ज वा—टूट जावे या । पाणाणि वा०—क्षुद्र जीव-जन्तुओं की । जाव—यावत् विराधना और । ववरोविज्ज वा—नाश हो जाए । अह—इसलिए । भिक्खूण—भिक्षुओं को । पुब्बोवइड्ठ—तीर्थंकरादि ने पहले ही यह उपदेश किया है । जं—जो कि । नह०—तथाप्रकार के । उवस्सए—उपाश्रय में । पुरा—पहले । हत्थेण वा—हाथ से देखभाल कर । पच्छा पाएण वा—पीछे पैर रखे । तप्रो—तदनन्तर । सजयामेव—सयत साधु यत्न पूर्वक । नि०—बाहर निकले । पविसिज्ज वा—अथवा भीतर प्रवेश करे ।

मूलार्थ—वह साधु अथवा साध्वी फिर उपाश्रय को जाने, जैसे कि— जो उपाश्रय छोटा है अथवा छोटे द्वार वाला है, तथा नीचा है और चरक आदि भिक्षुओं से भरा हुआ है, इस प्रकार के उपाश्रय मे यदि साधु को ठहरना पडे तो वह रात्रि मे और विकाल मे, भीतर से बाहर निकलता हुआ या बाहर से भीतर प्रवेश करता हुआ, प्रथम हाथ से देखकर पीछे पैर

रखे। इस प्रकार साधु यत्नापूर्वक निकले या प्रवेश करे। क्योंकि केवली भगवान कहते हैं कि यह कर्म बन्धन का कारण है, क्योंकि वहां पर जो शाक्यादि श्रमणों तथा ब्राह्मणों के छत्र, अमत्र (भाजन विशेष) मात्रक, दंड, यष्टी, योगासन, नलिका (दण्ड विशेष) वस्त्र, यमनिका (मच्छर-दानो) मृगचर्म, मृगचर्मकोष, चर्मछदन-उपकरण विशेष-जोकि अच्छी तरह से बन्धे हुए और ढंग से रखे हुए नहीं है, कुछ हिलते हैं और कुछ अधिक चंचल हैं उनको आघात पहुंचने का डर है, क्योंकि रात्रि में और विकाल में अन्दर से बाहर और बाहर से अन्दर निकलता या प्रवेश करता हुआ साधु यदि फिसल पड़े या गिर पड़े तो वे उपकरण टूट जाएंगे, अथवा उस भिक्षु के फिसलने या गिर पड़ने से उसके हाथ-पैर आदि के टूटने का भी भय है और उसके गिरने से वहां पर रहे हुए अन्य क्षुद्र जीवों के विनाश का भी भय है, इसलिए तीर्थकरादि आप्त पुरुषों ने पहले ही साधुओं को यह उपदेश दिया है कि इस प्रकार के उपाश्रय में पहले हाथ से टटोल कर फिर पैर रखना चाहिए और यत्नापूर्वक बाहर से भातर एवं भीतर से बाहर गमनागमन करना चाहिए।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि अपनी आत्मा एवं संयम की विराधना से बचने के लिए साधु को रात्रि एवं विकाल के समय आवश्यक कार्य से उपाश्रय के बाहर जाते एवं पुनः उपाश्रय में प्रविष्ट होते समय विवेक एवं यत्नापूर्वक गमनागमन करना चाहिए। यदि किसी उपाश्रय के द्वार छोटे हों या उपाश्रय छोटा हो और उसमें कुछ गृहस्थ रहते भी हों या अन्य मत के भिक्षु ठहरे हुए हों तो साधु को रात के समय बाहर आते-जाते समय पहले हाथ से टटोल कर फिर पैर रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से उसके कहीं चोट नहीं लगेगी और न किसी से टक्कर खाकर गिरने या फिसलने का ही भय रहेगा। यदि वह अपने हाथ से टटोल कर सावधानी से नहीं चलेगा तो संभव है दरवाजा छोटा होने के कारण उसके सिर आदि में चोट लग जाए या वह फिसल पड़े या किसी भिक्षु की उपधि पर पैर पड़ जाने से वह टूट जाए और इससे उसके मत को संकलेश हो और परस्पर कलह भी हो जाए। इस तरह समस्त दोषों से बचने के लिए साधु को विवेक एवं यत्नापूर्वक गमनागमन करना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र से उस युग के साधु समाज में प्रचलित उपधियों का एवं उस युग की विभिन्न साधना पद्धतियों का परिचय मिलता है और साथ में गृहस्थ की उदारता का भी परिचय मिलता है कि वह बिना किसी भेद भाव से सभी संप्रदाय के भिक्षुओं को विश्राम करने के लिए मकान दे देता था। उसके द्वार सभी के लिए खुले थे।

साधु को स्थान की याचना किस तरह करनी चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से आगंतारेसु वा अणुवीय उवस्सयं जाइज्जा, जे तत्थ ईसरे, जे तत्थ समहिट्ठाए ते उवस्सयं अणुन्नविज्जा कामं खलु आउसो ! अहालंदं अहापरिन्नायं वसिस्सामो जाव आउसंतो ! जाव आउसंतस्स उवस्सए जाव साहम्मियाइं ततो उवस्सयं गिण्हस्सामो, तेण परं विहरिस्सामो ॥८६॥

छाया—स आगन्तारेषु वा अनुविचिन्त्य उपाश्रयं याचेत्, यस्तत्र ईश्वरः, यस्तत्र समधिष्ठाता तानुपाश्रयं अनुज्ञापयेत् कामं खलु आयुष्मन् ! यथा—लंदं यथापरिज्ञातं वत्स्यामः यावद् आयुष्मन्तः ! यावत् आयुष्मत उपाश्रयं यावत् साधर्मिकाः ततः उपाश्रयं ग्रहीष्यामः, ततः परं विहरिष्यामः ।

पदार्थ—से—वह भिक्षु । आगंतारेसु वा—धर्मशाला आदि में प्रवेश करके और । अणुवीय—विचार करके-यह उपाश्रय कैसा है और इसका स्वामी कौन है, फिर । उवस्सयं—उपाश्रय की । जाइज्जा—याचना करे, जैसे कि । जे—जो । तत्थ—वहा पर । ईसरे उस उपाश्रय का स्वामी है और । जे—जो । तत्थ—वहा पर । समहिट्ठाए—जिनके अधिकार में दिया हुआ है । ते—उनको । अणुन्नविज्जा—अनुज्ञापन करे अर्थात् उनसे आज्ञा मागे और कहे । काम खलु आउसो—हे आयुष्मन् ! निश्चय ही आपकी इच्छानुसार । अहालंदं—जितना कान आप कहे । अहा परिन्नायं—जितना भाग इस उपाश्रय का आप देना चाहें उतने ही भाग में हम । वसिस्सामो—रहेगे, तब मुनि के प्रति गृहस्थ बोले । जाव—यावत् । आउसंतो—हे पूज्य! आप कितना समय यहा ठहरेगे ? तब मुनि ने उसके प्रति कहा कि हे आयुष्मन्-गृहस्थ ! हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में तो बिना कारण एक मास तक रह सकते हैं, और वर्षा ऋतु में चार मास तक । जाव—यावत् । आउसंतस्स—आयुष्मान् के । उवस्सए—उपाश्रय में रहेगे । तब गृहस्थ ने कहा

कि आयुष्मन् भ्रमण ! एतावत् इतने समय के लिए यह उपाश्रय और इसका इतना भाग आप को नहीं दिया जा सकता । तब मुनि उस गृहस्थ के प्रति कहे कि आयुष्मन्-गृहस्थ ! जितने समय के लिए आपकी आज्ञा हो तथा जितना भाग इस उपाश्रय का आप देना चाहे हम उस में आपकी आज्ञा से उतना समय रहकर फिर विहार कर देगे । तत्र उस गृहस्थ ने मुनि के प्रति कहा कि आप कितने साधु हैं ? इसके उत्तर में मुनि बोला कि हे सद्गृहस्थ ! हमारा साधु वर्ग समुद्र के समान है जिसका कोई प्रमाण नहीं । कुछ साधु अपने पठन पाठन आदि कार्य के लिए आते हैं, और अपना कार्य करके चले जाते हैं अतः । जाव — यावन्मात्र । साहम्मियाइं — साधु आवेगे । ताव — जितने काल तक आप कहेंगे उतने काल पर्यन्त । उवस्सय — उपाश्रय को । गिण्हिस्सामो — ग्रहण करेंगे । तेणपरं तत्पश्चात् । विहरिस्सामो — विहार कर जावेंगे अर्थात् आपकी आज्ञानुसार रहकर फिर चले जावेगे ।

मूलार्थ—वह साधु धर्मशालाओं आदि में प्रवेश करने के अनन्तर यह विचार करे कि यह उपाश्रय किसका है और यह किसके अधिकार में है ? तदनन्तर उपाश्रय की याचना करे । [इस सूत्र का विषय कुछ क्लिष्ट है इसलिए प्रश्नोत्तर के रूप में लिखा जाता है]

मुनि—आयुष्मन् गृहस्थ ! यदि आप आज्ञा दें तो आपकी इच्छानुकूल जितने समय पर्यन्त और जितने भूमि भाग में आप रहने की आज्ञा देंगे, उतने ही समय और उतने ही भूमि भाग में हम रहेंगे ।

गृहस्थ—आयुष्मन् मुनिराज ! आप कितने समय तक रहेंगे ?

मुनि—आयुष्मन् सद्गृहस्थ ! किसी कारण विशेष के बिना हम ग्रीष्म और हेमन्त ऋतु में एक मास और वर्षा ऋतु में चार मास पर्यन्त रह सकते हैं ।

गृहस्थ— इतने समय के लिए आप को यह उपाश्रय नहीं दिया जा सकता ।

मुनि—यदि इतने समय तक की आज्ञा नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं आप जितने समय के लिए कहेंगे उतने समय तक यहाँ ठहर कर फिर हम विहार कर जावेंगे ।

गृहस्थ—आप कितने साधु हैं ?

मुनि—साधु तो समुद्र के समान अनगिनत हैं। क्योंकि अपने पठन पाठन आदि कार्य के लिए कई मुनि आते हैं, और अपना कार्य करके चले जाते हैं। किन्तु जो यहाँ पर आवेंगे वे सब आपकी आज्ञानुसार रह कर विहार कर जावेंगे। इस प्रकार मुनि को गृहस्थ के पास उपाश्रय की याचना करनी चाहिए।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में उपाश्रय की याचना करने की विधि का उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि साधु को सबसे पहले यह जानना चाहिए कि शू मकान किसके अधिकार में है अथवा किस का है? मकान मालिक का परिज्ञान करने के बाद उससे उस मकान में ठहरने की आज्ञा मागनी चाहिए। यदि वह पूछे कि आप कितने समय तक ठहरेंगे तो मुनि उससे कहे कि हम वर्षावास में ४ महीने और शेष काल में एक महीने से ज्यादा बिना किसी विशेष कारण के एक स्थान में नहीं ठहरते हैं। यदि वह एक महीने के लिए मकान देने को तैयार न हो तो वह जितने दिन ठहरने की आज्ञा दे उतने दिन उस मकान में ठहरे। उसकी आज्ञा की अवधि पूरी होने के बाद उसकी पुनः आज्ञा लिए बिना साधु को उस मकान में नहीं ठहरना चाहिए। गृहस्थ ने जितने समय के लिए जितने भू-भाग को उपभोग में लेने की आज्ञा दी हो उतने समय तक उतने ही क्षेत्र को अपने काम में ले। यदि कोई गृहस्थ साधुओं की संख्या के विषय में पूछे तो मुनि को निश्चित संख्या में नहीं बंधना चाहिए। क्योंकि, कई बार स्वाध्याय आदि के लिए स्थान की अनुकूलता देखकर आस-पास के क्षेत्र में स्थित साधु भी स्वाध्याय, ध्यान आदि के लिए आ जाते हैं और वापिस चले भी जाते हैं। इस तरह सन्तों की संख्या कम-ज्यादा भी होती रहती है। इसलिए इस सम्बन्ध में उसे इतना ही कहना चाहिए कि साधुओं की संख्या अधीम है, उसे नियमित रूप से नहीं बताया जा सकता, परन्तु आपने जितने समय के लिए आज्ञा दी है उससे ज्यादा समय आपकी आज्ञा लिए बिना कोई भी साधु नहीं ठहरेगा।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'अहलन्द-यथालन्द' पद का अर्द्धमागधी कोष में निम्न अर्थ किया है— 'जितने समय के लिए कहा गया हो उतने समय तक ठहरे।' पानी से भीगा हुआ हाथ जितनी देर में सूखे उतने समय को जघन्य यथालन्द काल कहते हैं और पांच दिन की अवधि को उत्कृष्ट यथालन्द काल कहते हैं तथा उन दोनों के बीच के समय को मध्यम यथालन्द काल कहते हैं॥

इस तरह उपाश्रय की आज्ञा लेने के बाद साधु को किस तरह रहना चाहिए इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा जस्सुवस्सए संवसिज्जा तस्स पुव्वा-
मेव नामगुत्तं जाणिज्जा । तत्रो पच्छा तस्स गिहे निमंतेमाणस्स
वा अनिमंतेमाणस्स वा असणं वा ४ अफासुयं जाव नो पडि-
गाहेज्जा ॥६०॥

ध्याया—स भिक्षुर्वा यस्योपाश्रये सवसेत् तस्य पूर्वमेव नामगोत्रं
जानीयात्, ततः पश्चात् तस्यगृहे निमंत्रयतः वा अनिमंत्रयतः वा अशन
वा ४ अप्रासुकं यावन्न प्रतिगृह्णीयात् ।

पदार्थ—से— वह । भिक्षू वा— साधु अथवा साध्वी । जस्सुवस्सए— जिसके उपाश्रय
में । संवसिज्जा— ठहरे । तस्स— उसके । नामगुत्तं— नाम और गोत्र को । पुव्वामेव— पहले
ही । जाणिज्जा— जाने । तत्रोपच्छा— तत्पश्चात् । तस्सगिहे— उसके घर में । निमंतेमाणस्स—
निमंत्रित करने पर अथवा । अनिमंतेमाणस्स— अनिमंत्रित करने पर । असण वा०— अशनादि
चतुर्विध आहार को । अफासुयं— अप्रासुक । जाव— यावत् अनेषणीय जानकर । नो पडिगाहेज्जा—
ग्रहण न करे ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी जिस गृहस्थ के उपाश्रय-स्थान में ठहरे,
उसका नाम और गोत्र पहले ही जानले । तत्पश्चात् उसके घर में निमंत्रित
करने या न करने पर भी अर्थात् बुलाने या न बुलाने पर भी उसके घर का
अशनादि चतुर्विध आहार ग्रहण न करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि मकान में ठहरने के पश्चात् शय्यातर के नाम
एवं गोत्र तथा उसके मकान आदि का परिचय करना चाहिए । आगमिक परिभाषा में
मकान मालिक को शय्यातर कहते हैं । शय्या का अर्थ है— मकान और तर का अर्थ
है— तैरने वाला, अर्थात् शय्या+तर का अर्थ हुआ— साधु को मकान का दान देकर
ससार-समुद्र से तैरने वाला । शय्यातर के नाम आदि का परिचय करने का यह तात्पर्य

है कि उसके घर को अच्छी तरह पहचान सके। क्योंकि, भगवान ने शय्यातर के घर का आहार-पानी लेने का निषेध किया है। इसका कारण यह रहा है कि अन्य सम्प्रदायों में यह परम्परा थी कि जो किमी अन्य मत के साधु को ठहरने के लिए स्थान देता था उसे ही उसके आहार-पानी आदि का सारा प्रबन्ध करना पड़ता था। इस तरह वह भिक्षु उसके लिए बोझ रूप बन जाता था। इस कारण कई व्यक्ति निर्दोष मकान होते हुए भी देने से इन्कार कर देते थे। परन्तु, जैन साधु का जीवन किसी भी व्यक्ति पर बोझ रूप नहीं रहा है। इसी कारण भगवान ने साधुओं को यह आदेश दिया है कि जिस समय से शय्यातर के मकान में ठहरें तब से लेकर जब तक उस मकान में रहें तब तक शय्यातर के घर का आहार-पानी आदि ग्रहण न करे अर्थात् मकान का दान देने वाले पर दूसरा किसी तरह का बोझ नहीं डाले। इसलिए शय्यातर के नाम आदि का परिचय करना जरूरी है, जिससे आहारादि के लिए उसके घर को छोड़ा जा सके।

उपाश्रय की योग्यता एवं अयोग्यता के विषय को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्--से भिक्षू वा०से जं० ससागारियं सागणियं सउदयं,
नो पन्नस्स निक्खमणपवेसाए जावऽणुचिंताए तहप्पगारे उवस्सए
नो ठा० ॥६१॥

झाया—स भिक्षुर्वा० स यत्० ससागारिक साग्निकं सोदकं न प्राज्ञस्य निष्क-
मणप्रवेशाय यावदनुचिंतया, तथाप्रकारे उपाश्रये नो स्थानं० ।

पदार्थ—से—वह। भिक्षू वा—साधु या साध्वी। से जं—वह फिर उपाश्रय को जाने गया। ससागारियं—गृहस्थो से युक्त। सागणियं—अग्नि से युक्त। सउदयं—जल से युक्त उपाश्रय। पन्नस्स—प्रजावान के लिए। नो निक्खमणपवेसाए—निकलने और प्रवेश करने योग्य नहीं है। जाव—यावत्। अणुचिन्ताए—अनुचिन्तन अर्थात् धर्मानुयोग के चिन्तन करने योग्य भी नहीं है। तहप्पगारे—साधु तथाप्रकार के। उवस्सए—उपाश्रय में। नो ठाणं—न ठहरें।

मूलार्थ—जो उपाश्रय गृहस्थो से, अग्नि से और जल से युक्त हो, उसमें प्रजावान् साधु या साध्वी को निष्क्रमण और प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा।

वह उपाश्रय धर्मचिन्तन के लिए भी उपयुक्त नहीं है। अतः साधु को उसमें कायोत्सर्गादि क्रियाएँ नहीं करनी चाहिए।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को ऐसे उपाश्रय में नहीं ठहरना चाहिए जिसमें गृहस्थों का, विशेष करके साधुओं के स्थान में वहनों का एवं साधियों के स्थान में पुरुषों का आवागमन रहता हो और जिन स्थानों में अग्नि एवं पानी रहता हो। क्योंकि इन सब कारणों से साधु के मन में विकृति आ सकती है। इसलिए साधु को इन सब बातों से रहित स्थान में ठहरना चाहिए।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं —

मूलम्—से भिक्खू वा० से जं० गाहावडकुलस्स मज्झं-
मज्झेणं गंतुं पथाए पडिबद्धं वा नो पन्नस्स जाव चिंताए, तह-
उ० नो ठा० ॥६२॥

छाया—स भिक्षुर्वा० स यत्० गृहपतिकुलस्य मध्यमध्येन गन्तुं पथाः प्रतिबद्धं
वा नो प्राज्ञस्य यार्थचित्तया तथाप्रकारे उपाश्रये न स्था० ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू वा—साधु अथवा साध्वी । से जं०—वह जो फिर उपाश्रय को जाने, जिस उपाश्रय का मार्ग गाहावडकुलस्स—गृहपति के घर के । मज्झं-मज्झेण—मध्य में होकर । गतुं—जाने का । पथाए—मार्ग है । वा—अथवा । पडिबद्धं—प्रतिबद्ध है अर्थात् उसके अनेक द्वार हैं तथा वहां पर स्त्री आदि विशेष रूप से जाती-वैठनी है तो । पन्नस्स—प्रज्ञावान साधु को । जाव चिंताए—यावत् पांच प्रकार का स्वाध्याय करना । नो—नहीं कल्पता है और । तहप्पगारे—तथाप्रकार के । उ०—उपाश्रय में । नो ठाणं०—स्थानादि-कायोत्सर्गादि करना योग्य नहीं है ।

मूलार्थ—जिस उपाश्रय में जाने के लिए गृहपति के कुल से-गृहस्थ

ॐ इस संबन्ध में विशेष जानकारी करने की जिज्ञासा रखने वाले पाठकों को बृहत्कल्प सूत्र का १, २ उद्देशक और निशाय सूत्र का ८वा उद्देशक देखना चाहिए ।

के घर से होकर जाना पडता हो, और जिसके अनेक द्वार हो ऐसे उपाश्रय मे बुद्धिमान साधु को स्वाध्याय और कायोत्सर्ग--ध्यान नही करना चाहिए अर्थात् ऐसे उपाश्रय मे वह न ठहरे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र मे बताया गया है कि जिस उपाश्रय मे जाने का मार्ग गृहस्थ के घर मे से होकर जाता हो तो साधु को ऐसे स्थान में नहीं ठहरना चाहिए । क्योंकि, बार-बार गृहस्थ के घर मे से आते-जाते स्त्रियों को देखकर साधु के मन में विकार जाग्रत हो सकता है तथा साधु के बार-बार आवागमन करने से गृहस्थ के कार्य में भी विध्न पड़ सकता है या बहिनों के मन में सक्रोच या अन्य भावना उत्पन्न हो सकती है । इसी कारण आगम मे ऐसे स्थानों में ठहरने का निषेध किया गया है, परन्तु साध्वियों के लिए ऐसे स्थान में ठहरने का निषेध नहीं किया है* ।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० से जं०, इह खलु गाहावई वा०
कम्मकरीओ वा अन्नमन्नं अक्कोसंति वा जाव उह्वंति वा
नो पन्नस्स० सेवं नच्चा तहप्पगारे उ० नो ठा० ॥६३॥

मूलम्— से भिक्खू वा० से जं पुण० इह खलु गाहावई वा
कम्मकरीओ वा अन्नमन्नस्स गायं तिल्लेण वा नव० घ० वसाए
वा अब्भंगेति वा मक्खेंति वा नो परणस्स जाव तहप्प० उव०
नो ठा० ॥६४॥

मूलम्— से भिक्खू वा० से जं पुण०—इह खलु गाहावई वा
जाव कम्मकरीओ वा अन्नमन्नस्स गायं सिणाणेण वा क०

* नो कप्पड निग्गथाण गाहावइकुलस्स मज्झमज्जेणं ठातु वत्थए । कप्पड निग्ग-
थीणं गाहावइकुलस्स मज्झमज्जेण गतु दत्थए ।

लु०चु० प० आघंसन्ति वा पघंसन्ति वा उव्वलन्ति वा उव्वट्ठिन्ति वा
नो पन्नस्स ॥६५॥

मूलम्—से भिक्खू० से जं पुण्ण उव्वस्सयं जाणिज्जा, इह खलु
गाहावती वा जाव कम्मकरी वा अण्णमण्णस्स गायं सीओ-
दग० उसिण्णो० उच्चो० पहोयन्ति वा सिंचन्ति वा सिण्णायन्ति वा नो
पन्नस्स जाव नो ठाणं० ॥६६॥

छाया—स भिक्षुर्वा० स यत्० इह खलु गृहपतिर्वा० कर्मकर्षो वा अन्योऽन्यं
आक्रोशन्ति वा यावत् उपद्रवन्ति वा नो प्राज्ञस्य० तदेवं ज्ञात्वा तथाप्रकारे
उपाश्रये नो स्थानं० ।

छाया—स भिक्षुर्वा० स यत् पुनः० इह खलु गृहपतिः वा० कर्मकर्षो वा
अन्योऽन्यस्य गात्र तैलेन वा नवनीतेन वा घृतेन वा वसया वा अभ्यंगयन्ति वा
मूक्षयन्ति वा नो प्राज्ञस्य यावत् तथाप्रकारे उपाश्रये नो स्थानं० ।

छाया—स भिक्षुर्वा० स यत् पुनः इह खलु गृहपतिर्वा यावत् कर्मकर्षो वा
अन्योऽन्यस्य गात्रं स्नानेन वा कर्कषेण वा लोध्रेण वा चूर्णेन वा पद्मेन० आ-
घर्षयन्ति वा प्रघर्षयन्ति उद्वलयन्ति वा उद्वर्तयन्ति वा नो प्राज्ञस्य० ।

छाया—स भिक्षुः० स यत् पुनरुपाश्रयं जानीयात्, इह खलु गृहपतिर्वा
यावत् कर्मकर्षो वा अन्योऽन्यस्य गात्रं शीतोदकः उष्णो० उच्चोल० प्रधावयन्ति
वा सिंचन्ति वा स्नपयन्ति वा नो प्राज्ञस्य यावत् नो स्थानम्० ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू वा—साधु या साध्वी । से ज०—फिर वह जो उपाश्रय
को जाने जैसे कि । इह खलु—निश्चय ही इस संसार में । गाहावई—गृहपति । जाव—
यावत् । कम्मकरीओ वा—गृहपति की दासियों । अन्नमन्न—परस्पर । भक्कोसति वा—आक्रोश
करती हैं । जाव—यावत् । उद्वति वा—उपद्रव करती हैं अतः वहाँ । पन्नस्स—बुद्धिमान साधु

को स्वाध्याय आदि नहीं करना चाहिए तथा । सेवं नच्चा—वह साधु इस प्रकार जानकर । तहृप्पगारे—तथाप्रकार के । उ०—उपाश्रय मे । नो ठा०—कायोत्सर्गादि न करे ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू वा—साधु अथवा साध्वी । से जं०—फिर जो उपाश्रय को जाने जैसे कि । इह खलु—निश्चय ही इस संसार मे । गाहावई वा—गृहपति । जाव—यावत् । कम्मकरीओ वा—गृहपति की दासिये । अन्नमन्नस्स—परस्पर एक-दूसरे के । गायं—शरीर को । तिल्लेण वा—तेल से अथवा । नव०—नवनीत-मक्खन से । घ०—घी से । वसाए वा—वसा से । अब्भगेति वा—मर्दन करते या करती है । मक्खेति वा—तेल आदि लगाती हैं तो । नो पण्णस्स—प्रज्ञावान साधु को वहा पर स्वाध्याय आदि नहीं करना चाहिए । जाव—यावत् । तहृप्प०—तथाप्रकार के । उव०—उपाश्रय में । नो ठा०—स्थानादि नहीं करना चाहिए ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू वा—साधु या साध्वी । से जं पुण—वह जो फिर उपाश्रय को जाने । इह खलु—निश्चय ही इस संसार में । गाहावई वा—गृहपति । जाव—यावत् । कम्म-करीओ वा—उसकी दासिये । अन्नमन्नस्स—परस्पर एक-दूसरे के । गायं—शरीर को । मिणाणेण वा—पानी से । क०—ककं-सुगन्धित द्रव्य से । लु०—लोध्र से । चु०—चूर्ण से । प०—पद्म से—पद्म द्रव्य से । अघंसंति वा—साफ करती हैं । पघंसंति वा—प्रघषित करती हैं । उव्वलति वा—तेल आदि से मर्दन करती है । उव्वट्ठति वा—उद्वर्तन करती है—उवटन करती हैं । नो पन्नस्स—अतः प्रज्ञावान साधु को इस प्रकार के उपाश्रय में स्वाध्याय और ध्यानादि नहीं करना चाहिए ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू वा—साधु अथवा साध्वी । से ज पुण—फिर वह । उवस्सयं—उपाश्रय को जाने । इह खलु—निश्चय ही इस संसार में । गाहावई वा—गृहपति । जाव—यावत् । कम्मकरीओ वा—गृहपति की दासिये । अण्णमण्णस्स—परस्पर एक-दूसरे के । गायं—शरीर को । सीओदग०—शीतल जल से । उसिणो०—उष्ण जल से । उच्छो०—अभिसिक्त करती है, छीटे देती हैं । पहोयति—घोती है । सिचति—जल से सिचन करती हैं । सिणायति वा—स्नान करती है तो । नो पन्नस्स जाव नो ठाणं०—प्रज्ञावान् साधु को इस प्रकार के उपाश्रय में स्थानादि नहीं करना चाहिए ।

मूलार्थ—साधु और साध्वी गृहस्थ के उपाश्रय को जाने, जैसेकि जिस उपाश्रय-बसती मे, गृहपति और उसकी स्त्री यावत् दास दासिएं परस्पर एक दूसरे को आक्रोशती-कोसती है, मारती और पीटती यावत् उपद्रव करती है । तथा परस्पर एक दूसरे के शरीर को तैल से, मक्खन से, घी से और वसा से मर्दन करती है और एक दूसरे के शरीर को पानी

से, कर्क से, लोध्र से, चूर्ण से और पद्मद्रव्य से साफ करती है मैल उतारती है तथा उबटन करनी है और एक दूसरे के शरीर को शीतल जल से, उष्ण जल से छीटे देती है, धोती है, जल से सीचन करती है और स्नान कराती है, प्रज्ञावान् साधु को इस प्रकार के उपाश्रय मे न ठहरना चाहिए और न कायोत्सर्गादि क्रियाए करनी चाहिए ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत चार सूत्रों में यह बताया गया है कि जिस वस्ती में स्त्रियं परस्पर लड़ती-झगड़ती हों, मार-पीट करती हों, या एक दूसरी के शरीर पर तेल आदि स्निग्ध पदार्थों की मालिश करती हों, मैल उतारती हों, या परस्पर पानी उछालती हों, छीटे मारती हों या इसी तरह की अन्य क्रीड़ाएं करती हों तो मुनि को ऐसे स्थान में नहीं ठहरना चाहिए । ये चारों सूत्र स्त्रियों से सम्बन्धित हैं, अतः ऐसे स्थानों में साधुओं को ठहरने के लिए निषेध किया गया है, क्योंकि, इससे उनके मन में विकार जागृत हो सकता है । परन्तु, साध्विण ऐसे स्थान में ठहर सकती हैं । यदि किसी वस्ती में उपरोक्त क्रियाएं पुरुष करते हों तो वहां साध्वियों को नहीं ठहरना चाहिए । छेद सूत्रों में भी बताया गया है कि जिस मकान में स्त्रियं रहती हों उस मकान में साधु को तथा जिस मकान में पुरुष रहते हों उस मकान में साध्वियों को ठहरना नहीं कल्पताः ।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार लिखते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा० से जं० इह खलु गाहावई वा जाव
कम्मकरीओ वा निगिणा ठिया निगिणा उल्लीणा मेहुणधम्मं विन्न-
विंति रहस्सियं वा मंतं मंतंति नो पन्नस्स जाव नो ठाणं वा ३

❧ नो कप्पइ निग्गथाणं इत्थी सागारिए उवस्सए वत्थए ।

कप्पइ निग्गथाण पुरिस सागारिए उवस्सए वत्थए ।

नो कप्पइ निग्गथीण पुरिस सागारिए उवस्सए वत्थए ।

कप्पइ निग्गथीणं इत्थीसागारिए उवस्सए वत्थए ।

नो कप्पइ निग्गथाणं पडिबद्धए सेज्जाए वत्थए ।

कप्पइ निग्गथीणं पडिबद्धए सेज्जाए वत्थए ।

चेइज्जा ॥६७॥

छाया—स भिक्षुर्वा० स यत्० इह खलु गृहपतिर्वा यावत् कर्मकर्यो वा नग्नाः स्थिताः नग्नाः उपलीनाः मैथुनधर्मं विज्ञपयन्ति रहस्यं वा मंत्रं मंत्र-यन्ते न प्राज्ञस्य यावन्न स्थान वा ३ चेतयेत् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू वा०—साधु अथवा साध्वी । से ज०—यदि उपाश्रय के सम्बन्ध में जाने कि । खलु—वाक्यालकार मे है । इह—इस ससार मे । गाहावई वा—गृहपति । जाव—यावत् । कम्मकरीओ वा—उसकी दासियों । नगिणा ठिया—नग्न हो कर खड़ी है । नगिणा उल्लीणा—नग्न प्रच्छन्न । मेहुण धम्म—मैथुन धर्म विषयक । रहस्सिय—किंचित् रहस्य को । चिन्तवित्ति—परस्पर-आपस मे कह रही है अथवा । मत मंतंति—अकार्य के लिए परस्पर गुप्त मन्त्रणा, गुप्त विचार करती है इसलिए । नो पन्नस्स जाव—प्रज्ञावान साधु को इस प्रकार के उपाश्रय मे निष्क्रमण और प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा । नो ठाण वा ३ चेइज्जा—कायोत्सर्गादि भी नहीं करना चाहिए ।

मूलार्थ—जिस उपाश्रय-वस्ती मे गृहपति यावत् उसकी स्त्रियं और दासिएं आदि नग्न अवस्था मे खड़ी है, और नग्न होकर मैथुनधर्म विषय परस्पर वार्तालाप करती है, अथवा कोई रहस्यमय अकार्य के लिए गुप्तमन्त्रणा—गुप्त विचार करती है तो बुद्धिमान साधु को ऐसे उपाश्रय मे नहो ठहरना चाहिए और उसमे कायोत्सर्गादि भी नहीं करना चाहिए ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि जिस मकान में स्त्री-पुरुष नग्न होकर आमोद-प्रमोद में व्यस्त हों, विषय-भोग सम्बन्धी वार्तालाप करते हों, रात्रि में मैथुन सेवन के लिए परस्पर प्रार्थना करते हों या किसी रहस्यमय कार्य के लिए गुप्त मन्त्रणा कर रहे हों, तो विवेक सम्पन्न साधु को ऐसे स्थान मे नहीं ठहरना चाहिए । क्योंकि इससे साधु के स्वाध्याय, ध्यान एवं चिन्तन-मनन में बिध्न पड़ेगा और उसके मन में भी विकार भावना जागृत हो सकती है । इसलिए साधु को सदा ऐसे स्थानों से बचकर ही रहना चाहिए ।

प्रस्तुत सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि जब मानव मन में विषय-वासना की आग प्रज्वलित होती है तो उस समय वह अपना सारा विवेक भूल जाता है । कभी-कभी तो वह मानवीय सभ्यता को त्याग कर पशुता के स्तर पर भी पहुँच जाता है । उस समय उसे

ठहरने का निषेध क्यों किया ? इसका समाधान यह है कि चित्र केवल विकृति के ही साधन नहीं हैं, उनका और रूप में भी प्रभाव पड़ता है । यदि केवल विकार उत्पन्न होने की दृष्टि से ही निषेध किया जाता तो यह उल्लेख अवश्य किया जाता कि साधु को स्त्री के चित्रों में चित्रित उपाश्रय में तथा साध्वी को पुरुषों के चित्र युक्त उपाश्रय में नहीं ठहरना चाहिए । परन्तु, प्रस्तुत सूत्र में तो केवल स्त्री-पुरुष के चित्र ही नहीं, अपितु पशु-पक्षी एवं नदी, पर्वत, जगल आदि के प्राकृतिक चित्रों से युक्त उपाश्रय में भी ठहरने का निषेध किया है । जबकि पशु-पक्षी एवं प्रकृति सम्बन्धी चित्रों को देखकर विकार भाव जागृत नहीं होते हैं । फिर भी इसका निषेध किया गया है । इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि उपाश्रय में चित्रित चित्र चाहे स्त्री-पुरुष के हों या अन्य किन्हीं प्राणियों एवं प्राकृतिक दृश्यों के हों, साधु उन्हें देखने में व्यस्त हो जाएगा और उनका साध्याय एवं ध्यान का समय चक्षुइन्द्रिय के पोषण में लग जाएगा । इस तरह उसकी ज्ञान और ध्यान की साधना में विघ्न पड़ेगा और यदि उन चित्रों में आसक्ति उत्पन्न हो गई तो मन में विकृत भाव भी उत्पन्न हो सकते हैं । अस्तु ज्ञान-दर्शन की साधना के प्रवाह को अन्तुण बनाए रखने के लिए साधु को ऐसे स्थानों में ठहरने का निषेध किया गया है । छेद सूत्रों में भी ऐसे स्थानों में ठहरने का निषेध किया गया है* ।

मकान में ठहरने के वाद तख्त आदि की आवश्यकता होती है, अतः साधु को कैसा तख्त ग्रहण करना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० अभिकंखिज्जा संथारग एसित्तए,
से जं० संथारगं जाणिज्जा सय्यंड जाव ससंताणयं, तहप्पगारं
संथारं लाभे संते नो पडि० १ । से भिक्खू वा० से जं० अण्णंडं जाव
संताणगरुयं तहप्पगारं नो प० २ । से भिक्खू वा० अण्णंडं लहुयं
अपा डेहारियं तह० नो प० ३ । से भिक्खू वा० अण्णंडं जाव अण्ण-
संताणगं लहुयं पाडिहारियं नो अहावद्धं, तहप्पगारं लाभे संते
नो पडिगाहिज्जा ४ । से भिक्खू वा २ से जं पुण संथारगं जा-

नो पडिगाहिज्जा — ग्रहण न करे ।

पदार्थ-से—वह । भिक्खू वा—साधु या साध्वी । से जं पुण—फिर जो । सधारगं—सस्तारक है उसे । जाणिज्जा—जाने । अपण्ड—जो अण्डो से रहित है । जाव—यावत् । संताणग—जाला आदि से रहिन है । लहुप्रं—लघु है । पाडिहारियं—गृहस्थ देकर फिर पीछे लेना स्वीकार करता है और । अहाबद्ध—उसके बन्धन भी दूढ हैं । तहणगरं—इस प्रकार का । सधारग—सस्तारक । लामे सते—मिलने पर । पडिगाहिज्जा—ग्रहण करले ।

मूलार्थ—जो साधु या साध्वी फलक आदि सस्तारक की गत्रेपणा करनी चाहे तो वह सस्तारक के सम्बन्ध में यह जाने कि जो सस्तारक अण्डो से यावन् मरुडो आदि के जालो से युक्त है, ऐसे सस्तारक को मिलने पर भी ग्रहण न करे ।

मूलार्थ—इसी प्रकार जो संस्तारक अण्डो और जाले आदि से तो रहित है, किन्तु भारी है, ऐसे सस्तारक का भी मिलने पर ग्रहण न करे ।

मूलार्थ—जो संस्तारक अण्डो आदि से रहित एवं लघु भी है किन्तु गृहस्थ उसे देकर फिर वापिस लेना नहीं चाहता है, तो ऐसा सस्तारक भी मिलने पर स्वीकार न करे ।

मूलार्थ—इसी तरह जो सस्तारक अण्डादि से रहित है, लघु है और गृहस्थ ने उसे वापिस लेना भी स्वीकार कर लिया है परन्तु उसके बन्धन शिथिल है तो ऐसा सस्तारक भी स्वीकार न करे ।

मूलार्थ—जो सस्तारक अण्डो आदि से रहित है, लघु है, गृहस्थ ने वापिस लेना भी स्वीकार कर लिया है और उसके बन्धन भी मुदूढ है, तो ऐसे सस्तारक को मिलने पर साधु ग्रहण कर ले ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में सस्तारक—तख्त, पट्टा आदि के ग्रहण करने की विधि बताई गई है । इसमें बताया गया है कि जो तख्त अण्डे एव जीव-जन्तुओं से युक्त हो, भारी हो, जिसे गृहस्थ ने वापिस लेने से इन्कार कर दिया हो तथा जिसके बन्धन शिथिल (ढीले) हो, वह

तख्त ग्रहण नहीं करना चाहिए। या चारों या इनमें से कोई भी एक कारण उःस्थित हो तो साधु-साध्वी को वैसा तख्त ग्रहण नहीं करना चाहिए। परन्तु, जो तख्त इन चारों कारणों से रहित हो वही तख्त साधु ग्रहण कर सकता है।

इसका कारण यह है कि अण्डे आदि से युक्त तख्त ग्रहण करने से जीवों की हिंसा होगी, अतः समय की विराधना होगी। और भारी तख्त उठाकर लाने से शरीर को सक्लेश होगा, कभी अतिक बोझ के कारण रास्ते में पैर के इधर-उधर पड़ने से पैर आदि में चोट भी आ सकती है, इस तरह आत्म विराधना होगी। यदि गृहस्थ उम तख्त को वापिस नहीं लेता है तो फिर साधु के सामने यह प्रश्न उपस्थित होगा कि वह उसे कहा रखे। क्योंकि उसे उठाकर तो वह विहार कर नहीं सकता और एक व्यक्ति के यहां से ली हुई वस्तु दूसरे के यहां रख भी नहीं सकता, और यदि वह उसे यों ही त्याग देता है तो उसे परित्याग करने का दोष लगता है। और शिथिल बन्धन वाला तख्त लेने से उसे पलिमंथ दोष लगेगा। क्योंकि यदि उसकी कोई कील निकल गई या वह कहीं से टूट गया तो, साधु क्या करेगा। अतः साधु को इन सब दोषों से मुक्त तख्त ही ग्रहण करना चाहिए।

अस्तु जो तख्त अण्डे, जाले आदि से रहित हो, वजन में हल्का होके, साधु की आवश्यकता पूरी होने पर गृहस्थ उसे वापिस लेने के लिए कह चुका हो और जिसके बंधन मजबूत हों, वही तख्त साधु-साध्वी को ग्रहण करना चाहिए।

सन्तारक ग्रहण करने के लिए किए जाने वाले अभिप्रहों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इच्चेयाइं आयतणाइं उवाइक्कम्—अह भिक्खु
जाणिज्जा इमाइं चउहिं पडिमाहिं संथारगं एसित्तए, तत्थ खलु
इमा पढमा पडिमा—से भिक्खू वा २ उद्दिसिय २ संथारगं जाइ-
ज्जा, तंजहा--इक्कडं वा, कडिणां वा, जंतुयं वा, परगं वा, मोरगं
वा, तणागं वा, सोरगं वा, कुसं वा, कुच्चगं वा, पिप्पलगं वा,

ॐ व्यवहार भाष्य में बताया गया है कि जिस तरह को साधु महज ही अर्थात् बिना किसी नेद के माथ एक ही हाथ से (बिना दूसरे हाथ में बदलने हुए) ला सके, ऐसा तख्त ग्रहण करना चाहिए।

पलालगं वा, से पुवामेव आलोइज्जा--आउसो त्ति वा भ० दाहि-
सि मे इत्तो अन्नयरं संथारगं ? तह० संथारगं सयं वा एं जा-
इज्जा, परो वा देज्जा, फासुयं एसणिज्जं जाव पडि० , पढमा
पडिमा ॥१००॥

छाया—इत्येतानि आयतनानि उपातिक्रम्य—अथ भिक्षुः जानीयात् आभिः
चतसृभिः प्रतिमाभिः संस्तारकमेषितुं तत्र खलु इय प्रथमा प्रतिमा—स भिक्षुः
वा भिक्षु २ उद्दिश्य २ सस्तारकं याचेत्, तद्यथा—इक्कड वा, कठिनं वा,
जन्तुक वा, परकं वा. मयूरकं वा, तृणकं वा, सोरकं वा, कुश वा, कुर्चक वा,
पिप्पलक वा, पलालक वा, स पूर्वमेव आलोचयेत्—आयुष्मन् ! इति वा भगिनि !
(इति वा) दास्यमि मे इतोऽन्नयरं सस्तारकं ? तथाप्रकारं संस्तारकं स्वयं वा
याचयेत् परो वा दद्यात् प्रासुकमेपणीयं यावत् प्रतिगृह्णीयात्, प्रथमा प्रतिमा ।

पदार्थ—इच्चेयाइं—ये सब पूर्वोक्त । आयतण इं—वस्ती और सस्तारक के दोपो का
स्थान है । उवाइक्कम—इसे अतिक्रम करके अर्थात् तद्गत दोपो को दूर करके । अह भिक्खू—
अथ साधु । जाणिज्जा—यह जाने । इमाइ—इन । चउर्ह—चार । पडिमाह— प्रतिमाओ-
प्रतिज्ञाओ से स धु को । सथारग—सस्तारक को । एयित्तए—गवेषणा करनी चाहिए । खलु—
वाक्यालकार मे है । तत्थ—इन चार प्रतिमाओ-प्रतिज्ञाओ मे से । इमा—यह । पढमा—पहली ।
पडिमा—प्रतिमा-प्रतिज्ञा है अर्थात् अभिग्रह विशेष है । से भिक्खू वा—वह साधु या साध्वी ।
उद्दिश्यं २—नाम ले ले कर । सथारग—सस्तारक की । जाइज्जा—याचना करे । तजहा—जैसे
कि । इक्कड वा—तृण विशेष से निर्मित । कठिन वा—वास की त्वचा से निर्मित । जंतुय वा—
तृण से निष्पन्न । परकं वा—परक-जिसमे पुष्पादि गन्थे जाते है, वह तृण । सोरकं वा—मयूर-
पिच्छ से निर्मित । तणग वा—तृण विशेष । सोरग वा—कोमल तृण विशेष से निर्मित । कुसं वा—
दूर्वा आदि से निष्पन्न । कुच्चग वा—कूचं-जिसमे कूचं बनाए जाते हैं उसका बना हुआ ।
पिप्पलगं वा—पीपल के काष्ठ विशेष से निर्मित और । फलग वा—शाली आदि के घास से
बना हुआ संस्तारक । से—वह साधु । पुवामेव—पहले ही । आलोइज्जा—देखे और कहे कि ।
आउसोत्ति वा—हे आयुष्मन् ! गृहस्थ ! भ०—हे भगिनि ! मे—मुझको । इत्तो—इन सस्ता-
रको मे से । अन्नयर—कोई एक । संथारगं—सस्तारक । दाहिसि—दोगी ? तह०—तथाप्रकार
के । सथारग—सस्तारक की । सय वा ण—स्वयं—अपने आप । जाइज्जा—याचना करे । वा—

पहली प्रतिमा (अभिग्रह) है कि साधु यह निश्चय करके गवेषणा करे कि मुझे सस्तारक के लिए अमुक तरह का तृण ग्रहण करना है। इस तरह साधु किसी भी एक प्रकार के तृण का नाम निश्चित करके उसकी याचना करता है और यदि कोई गृहस्थ उसे उस तरह के तृण का आमंत्रण करे तब भी वह उसे ग्रहण कर सकता है। यह प्रथम प्रतिमा हुई।

अब दूसरी एवं तीसरी प्रतिमा का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्— अहावरा दुच्चा पडिमा—से भिक्षू वा० पेहाए सं-
थारगं जाइज्जा, तंजहा--गाहावइं वा कम्मकरिं वा से पुव्वामेव
आलोइज्जा--आउ० ? भइ० ? दाहिसि मे ? जाव-पडिगाहिज्जा,
दुच्चा पडिमा ।

अहावरा तच्चा पडिमा—से भिक्षू वा० जस्सुवस्सए संवसि-
ज्जा जे तत्थ अहासमन्नागए, तंजहा--इक्कडे इ वा जाव पला-
ले इ वा तस्स लाभे संवसिज्जा, तस्सालाभे उक्कुडुए वा नेसज्जिए
वा विहरिज्जा, तच्चा पडिमा ॥१०१॥

छाया—अथापरा द्वितीया प्रतिमा, स भिक्षुर्वा० प्रेच्य सस्तारक याचेत्
तद्यथा—गृहपति वा कर्मकरी वा स पूर्वमेव आलोचयेद् आयुष्मन् ! भगिनि !
दास्यसि मे ? यावत् प्रतिगृह्णीयाद्, द्वितीया प्रतिमा ।

अथापरा तृतीया प्रतिमा स भिक्षुर्वा० यस्योपाश्रये सबसेद् ये तत्र यथा-
समन्वागताः तद्यथा—इक्कड इति वा यावत् पलाल इति वा तस्य लाभे संवसेन्
तस्सालाभे उत्कुण्ठो वा निपण्णो वा विहरेत्, तृतीया प्रतिमा ।

पदार्थ—अहावरा—अथ अन्य । दुच्चा पडिमा—दूसरी प्रतिमा के सम्बन्ध में कहते हैं ।
मे भिक्षू वा०—अभिग्रह करने वाला साधु या साध्वी । सथारग—सस्तारक को । पेहाए—देख
कर । जाइज्जा—याचना करे । तंजहा—जैसेकि । गाहावइ वा—गृहपति को अथवा । कम्मकरि
वा—दासी को । से—वह भिक्षु-साधु । पुव्वामेव—पहले ही । आलोइज्जा—देखे और उनके प्रति

कहे । आउ० । — हे आयुष्मन् ! गृहपते ! अथवा । ऋ० — हे भगिनि ! मे — मुझे । दाहिसि — यह संस्तारक दोगी ? जाव — यावत् । पडिगाहिज्जा — उसके देने पर उसे ग्रहण करे । दुच्चा-पडिम यह दूसरी प्रतिमा है ।

पदार्थ—अहावरा — अथ ग्रन्थ । तच्चा पडिमा — तीसरी प्रतिमा के सम्बन्ध में कहते हैं जैसे कि । से भिवखू वा० — साधु या साध्वी । जस्बुवस्सए-जिसके उपाश्रय में । संबसिज्जा — निवास करे । जे — जो । तत्थ — वहा पर अर्थात् उस उपाश्रय में । अहासपन्नागए-यावन्ममात्र उस उपाश्रय में संस्तारक है — जैसे कि । इक्कउंइ वा — इक्कड तृण विशेष । जाव — यावत् । पलालेइ वा — पलाल आदि से निमित्त संस्तारक है । तस्सलामे — अर्थात् उसके मिलने पर । संबसिज्जा — वह वहाँ पर निवास करे अर्थात् उसके ऊपर शयनादि क्रिया करे । तस्सलामे — उसके न मिलने पर अर्थात् उपाश्रय में, उक्त प्रकार के तृण आदि के संस्तारको के न मिलने पर । उक्कुडुए वा — वह उत्कुटुक आसन । नेसज्जिए वा — पद्म आसन आदि के द्वारा । विहरिज्जा — विचरे अर्थात् रात्रि व्यतीत करे । तच्चा पडिमा — यह तीसरी प्रतिमा है ।

मूलार्थ—द्वितीया प्रतिमा यह है कि साधु या साध्वी गृहपति आदि के परिवार में रखे हुए संस्तारक को देखकर उस की याचना करे — यथा-हे आयुष्मन् ! गृहस्थ ! अथवा बहन ! क्या तुम मुझे इन संस्तारकों में से अमुक संस्तारक दोगी ? तब यदि निर्दोष और प्रासुक संस्तारक मिले तो उसे लेकर वे संयम साधना में संलग्न रहे ।

मूलार्थ—तृतीया प्रतिमा यह है कि साधु जिस उपाश्रय में रहना चाहता है यदि उसी उपाश्रय में संस्तारक विद्यमान हो तो गृह-स्वामी की आज्ञा लेकर संस्तारक को स्वीकार करके विचरे, यदि उपाश्रय में संस्तारक विद्यमान नहीं है तो वह उत्कुटुक आसन, पद्मासन आदि आसनों के द्वारा रात्रि व्यतीत करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि गृहस्थ के घर में जो तृण आदि रखे हुए हैं, उन्हें देखकर साधु उसकी याचना करे और यदि वह प्रासुक एवं निर्दोष हों तो वह उन्हें ग्रहण करे । यह दूसरी प्रेक्ष्य प्रतिमा है । तीसरी प्रतिमा को स्वीकार करने वाला मुनि जिस उपाश्रय में ठहरना चाहता है उसी उपाश्रय में स्थित प्रासुक एवं निर्दोष तृण ही ग्रहण कर सकता है । यदि उपाश्रय में तृण आदि नहीं हैं तो वह उत्कुटुक या पद्मासन आदि

आसनों से ध्यानस्थ होकर रात व्यतीत करे, परन्तु अन्य स्थान से लाकर तृण आदि न विछाए। ये दोनों आसन कायोत्सर्ग से ही सम्बद्ध हैं। अतः इनका उल्लेख कायोत्सर्ग के लिए किया गया है। क्योंकि, कायोत्सर्ग का प्रमुख साधन आसन ही होता है। अतः प्रस्तुत उभय आसनों का उल्लेख करने का उद्देश्य यही है कि यदि तृतीया प्रतिमाधारी मुनि को उपाश्रय में सस्तारक प्राप्त न हो तो वह अपना समय ध्यान एवं चिन्तन-मनन में व्यतीत करे।

अथ चतुर्थं प्रतिमां का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्—अहावरा चउत्था पडिमा—से भिक्खू वा अहासंथड-
मेव संधारगं जाइज्जा, तंजहा—पुढविसिलं वा कट्ठसिलं वा
अहासंथडमेव, तस्स लाभे संते संवसिज्जा, तस्सालाभे उक्कुडुए
वा २ विहरिज्जा, चउत्था पडिमा ४ ॥१०२॥**

छाया—अथापरा चतुर्थी प्रतिमा—स भिक्खुवा यथासंस्तृतमेव सस्तारक
याचेत् तद्यथा पृथ्वीशिलां वा काष्ठशिलां वा यथासंस्तृतमेव तस्य लाभेसति
सवसेत् तस्यालाभे उत्कुडुको वा २ विहरेत्, चतुर्थी प्रतिमा।

पदार्थ—अहावरा—अथ अन्य। चउत्था पडिमा—चतुर्थी प्रतिमा के सम्बन्ध में कहते हैं, जैसे कि। से भिक्खू वा—वह साधु या साध्वी। अहासथडमेव—जिस उपाश्रय में रहना चाहता है उस उपाश्रय में विछाए हुए। संधारग—सस्तारक की। जाइज्जा—याचना करे। तंजहा—जैसे कि। पुढविसिलं वा—पृथ्वी की शिला अथवा। कट्ठसिलं वा—काष्ठ की शिला-फलक आदि अथवा। अहासथडमेव—जो तृणादि पहले से विछाए हुए है। तस्स लाभे संते—उसके मिलने पर। संवसिज्जा—वह वहा निवास करे। तस्स अलाभे—और उसके न मिलने पर। उक्कुडुए वा—वह उत्कुडुके आसन वा पद्म आसन दि के द्वारा रात्रि व्यतीत करता हुआ। विहरिज्जा—विचरे-समय दिताए। चउत्था पडिमा—यह चौथी प्रतिमा है।

मूलार्थ—चतुर्थी प्रतिमा में यह अभिग्रह होता है—कि—उपाश्रय में सस्तारक पहले से ही विछा हुआ हो, या पत्थर की शिला या काष्ठ का तख्त विछा हुआ हो तो वह उस पर शयन कर सकता है। यदि वहा कोई

भी संस्तारक बिछा हुआ न मिले तो पूर्व कथित आसनो के द्वारा रात्रि व्यतोन्न करे यह चौथी प्रतिमा है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में चतुर्थी प्रतिमा के सम्बन्ध में यह बताया गया है कि उक्त प्रतिमा को स्वीकार करने वाला मुनि जिस उपाश्रय में ठहरे उस उपाश्रय में ग्रामुक एवं निर्दोष तृण आदि पहले से बिछे हुए हों या पत्थर की शिला या लकड़ी का तख्त बिछा हुआ हो तो वह उस पर शयन कर सकता है, अन्यथा तृतीय प्रतिमा में उल्लिखित आसनों के द्वारा रात्रि को आध्यात्मिक चिन्तन करते हुए व्यतीत करता है, परन्तु स्वयं संस्तारक बिछाकर शयन नहीं कर सकता है ।

इससे स्पष्ट होता है कि अन्तिम की दोनों प्रतिमाएं ध्यान एवं स्वाध्याय आदि की दृष्टि से रखी गई हैं । वृत्तिकार का भी यही मन्तव्य है । प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'कूट-सिल' पद का तात्पर्य काष्ठ के तख्त से ही है ।

संस्तारक सम्बन्धी प्रतिमाओं के विषय का उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्—इच्छेयाणां चउग्रहं पडिमाणं अन्नयरं पडिमं पडिवज्ज-
माणे तं चेव जाव अन्नोऽन्नसमाहिए एवं च णं विहरन्ति ॥१०३॥**

**ध्याय—इत्येतासां चतसृणा प्रतिमानामन्यतरां प्रतिमां प्रतिपद्यमानः तच्चैव
यावद् अन्योऽन्नसमाधिना एव च विहरन्ति ।**

पदार्थ—इच्छेयाण—इन । चउग्रह—चार । पडिमाणं—प्रतिमाओं में से । अन्नयर, पडिमं—किसी एक प्रतिमा को । पडिवज्जमाणे—ग्रहण करता हुआ अन्न प्रतिमाधारी साधु की हीलना न करे किन्तु, तच्चेव—शेष वर्णन पिण्डवषणा की तरह जानना । जाव—यावत् । अन्नोऽन्न समाहिए—परस्पर समाधि के द्वारा बुद्धिमान साधु । एव—इस प्रकार से । विहरन्ति—विचरते हैं । च णं—पूर्ववत् !

मूलार्थ—इन चार प्रतिमाओं में से किसी एक प्रतिमा को धारण करके विचरने वाला साधु, अन्य प्रतिमाधारी साधुओं की अवहेलना-

निन्दा न करे । किन्तु, सब साधु जिनेन्द्र देव की आज्ञा में विचरते हैं ऐसा समझ कर परस्पर समाधिपूर्वक विचरण करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि भगवान की आज्ञा के अनुरूप आचरण करने वाले सभी साधु समाधियुक्त एवं मोक्ष मार्ग के आराधक होने से वन्दनीय एवं पूजनीय हैं । अतः उक्त चारों प्रतिमाओं में से किसी एक प्रतिमा को धारण करने वाले मुनि को अन्य मुनियों को अपने से तुच्छ समझकर गर्व नहीं करना चाहिए । क्योंकि, त्याग चारित्र्यावरणीय कर्म के त्रयोपशम के अनुरूप ही ग्रहण किया जाता है । अतः प्रत्येक चारित्रनिष्ठ मुनि का सम्मान करना चाहिए और अपने अहंकार का त्याग करके सबके साथ प्रेम-स्नेह रखना चाहिए ।

गृहस्थ से ग्रहण किए गए सस्तारक को वापिस लौटाने की विधि का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा अभिकंखिज्जा संथारगं पच्चपिणित्तए, से जं पुण संथारगं जाणिज्जा सअण्डं जाव ससंताणयं तहप्प० संथारगं नो पच्चपिणित्तए ॥१०४॥

छाया—स भिक्षुर्वा० अभिकांक्षेत् सस्तारकं प्रत्यर्पयितुं स यत् पुनः संस्तारकं जानीयात् साण्ड यावत् ससन्तानक तथाप्रकार सस्तारकं न प्रत्यर्पयेत् ।

पदार्थ—से भिक्षू वा—वह साधु या साध्वी । संथारगं—सस्तारक को । पच्चपिणित्तए—गृहस्थ को पीछे देना । अभिकंखिज्जा—चाहे तब । से—वह भिक्षु । जं पुण—जो फिर । संथारगं—सस्तारक को । जाणिज्जा—जाने कि । सअण्ड—जो सस्तारक अण्डों से युक्त । जाव—यावत् । ससंताणयं—मकड़ी आदि के जालों से युक्त है । तहप्पगारं—उस प्रकार के । संथारगं—सस्तारक को । नो पच्चपिणित्तए—गृहस्थ को प्रत्यर्पण न करे अर्थात् गृहस्थ को वापिस न देवे ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी यदि प्रतिहारिक संस्तारक, गृहस्थ को वापिस देना चाहे तो वह संस्तारक अण्डों यावत् मकड़ी के जालों आदि से

युक्त नहीं होना चाहिए। यदि वह इन से युक्त है तो वह उसे गृहस्थ को वापिस न करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को अपनी नेश्राय में स्थित प्रत्येक वस्तु की प्रतिलेखना करते रहना चाहिए। चाहे वह वस्तु गृहस्थ को वापिस लौटाने की भी क्यों न हो, फिर भी जब तक साधु के पास है, तब तक प्रतिदिन नियत समय पर उसका प्रतिलेखन करना चाहिए। जिससे उस में जीव-जन्तु की स्पृष्टि न हो। और उसे वापिस लौटाने समय भी प्रतिलेखन करके लौटानी चाहिए। यदि कभी संस्तारक पर किसी पत्नी ने अंडे दे दिए हों या मकड़ी ने जाले बना लिए हों तो वह संस्तारक गृहस्थ को वापिस नहीं देना चाहिए। क्योंकि, गृहस्थ उसे शुद्ध बनाने का प्रयत्न करेगा और परिणामस्वरूप उन जीवों की घात हो जाएगी। इस तरह साधु के प्रथम महाव्रत में दोष लगेगा, अतः उन जीवों की रक्षा के लिए ऐसे संस्तारक को वापिस नहीं लौटाना चाहिए।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू० अभिकांखिज्जा सं० से जं० अप्पंडं० तहप्प-
गारं संथारगं पडिलेहिय २ प० २ आयाविय २ विहुणिय २
तन्नो संजयामेव पच्चपिण्णिज्जा ॥१०५॥

छाया—स भिक्खुः० अभिकांचोत् सं० स यत् अत्पांडं० तथाप्रकारं
संस्तारकं प्रतिलिख्य २ प्र० २ आताप्य २ विधूय २ ततः संयतमेव
प्रत्यर्पयेत् ।

पदार्थ—से भिक्खू०—वह साधु या साध्वी। संथारगं—संस्तारक को गृहस्थ के प्रति
अर्पण करना। अनिकांखिज्जा—चाहे तो। से—वह साधु। जं—जो संस्तारक। अप्पंडं—
अंडादि से रहित हो। तहप्पगारं—तथाप्रकार के संस्तारक को। पडिलेहिय २—दृष्टि से प्रतिले-
खन करके। पमिज्जिय २—रजोहरण आदि से प्रमाजित करके। आयाविय २—सूर्य की
आतापना देकर और। विहुणिय २—यत्नापूर्वक भाड़कर। तन्नो—तदनन्तर। संजयामेव—
यत्नापूर्वक। पच्चपिण्णिज्जा—गृहस्थ को वापिस लौटाए।

मूलार्थ—अण्डे एवं मकड़ी के जाले आदि से रहित जिस संस्तारक को

साधु-साध्वी वापिस लौटाना चाहे, तो वह उसका प्रतिलेखन करके, रजोहरण से प्रमार्जित करके, सूर्य की धूप में सुखा कर एव यत्ना पूर्वक भाड़ कर फिर गृहस्थ को लौटावे ।

हिन्दी विवेचन

इस सूत्र में बताया गया है कि साधु को गृहस्थ के घर से लाए हुए संस्तारक को वापिस लौटाने समय उसकी शुद्धता का पूरा खयाल रखना चाहिए । प्रतिदिन उसकी प्रतिलेखना करनी चाहिए जिससे उस पर जीव-जन्तु पैदा न हों, और वापिस लौटाने समय भी उसे अच्छी तरह से देख लेना चाहिए और रजोहरण से प्रमार्जन कर लेना चाहिए जिससे उस पर कूड़ा-ककट भी न जमा रहे । इतना ही नहीं, फिर उसे सूर्य की धूप में रखकर और भली-भाति भाड़-पोंछकर लौटाना चाहिए । इससे साधु जीवन की व्यवहारिकता पर विशेष प्रकाश डाला गया है । यदि वह उस संस्तारक को बिना साफ किए ही दे आएगा, तो गृहस्थ उसे साफ करके रखेगा और यह भी स्पष्ट है कि वह सफाई करते समय साधु जितना विवेक नहीं रख सकेगा, अतः साधु को ऐसी स्थिति ही नहीं आने देनी चाहिए कि उसके द्वारा उपभोग किए गए संस्तारक को साफ करने के लिए कोई अयत्ना-पूर्वक प्रयत्न करे । दूसरे में साफ की हुई वस्तु को देखकर गृहस्थ के मन में फिर किसी साधु को देने की भावना सहज ही जागृत होगी और अश्वच्छ रूप में प्राप्त करके उसके मन में कुछ रोष भी आ सकता है । अतः गृहस्थ के यहा से लाए हुए संस्तारक आदि को यत्नापूर्वक साफ करके ही लौटाना चाहिए ।

साधु को वस्ती में किस तरह निवास करना चाहिए इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा० समाणे वा वसमाणे वा गामाणुगामं
दूइज्जमाणे वा पुव्वामेव पन्नस्स उच्चारपासवणभूमिं पडि-
लेहिज्जा, केवली बूया —आयाणमेयं, अपडिलेहियाए उच्चार-
पासवण भूमीए, से भिक्षू वा० राओ वा विणाले वा उच्चार-
पासवणं परिट्ठवेमाणे पयलिज्ज वा २, से तत्थ पयलमाणे
वा २ हत्थं वा पायं वा जाव लूसेज्ज वा पाणाणि वा ४

ववरोविज्जा, अह भिक्खूणां पु० जं पुव्वामेव पन्नस्स उ० भूमिं
पडिलेहिज्जा ॥१०६॥

छाया—स भिक्षुर्वा० समानो वा वसन् वा ग्रामानुग्रामं
गच्छन् वा पूर्वमेव प्राज्ञस्य उच्चारप्रसवण भूमिं प्रतिलेखयेत् । केवली ब्रूयात्-
आदानमेतत् अप्रतिज्जिखितायां उच्चारप्रसवणभूमौ, स भिक्षुः वा० रात्रौ वा
विकाले वा उच्चारप्रसवणं—परिष्ठापयन् प्रसखलेद् वा सः तत्र प्रसखलन वा०
हस्तं वा पादं वा यावत् लूषयेत् प्राणान् वा ४ व्यपरोपयेत्, अथ भिक्षूणां पूर्वो-
पदिष्टं यत् पूर्वमेव प्राज्ञस्य उच्चारप्रसवण भूमिं प्रतिलेखयेत् ।

पदार्थ— से भिक्खू वा—वह साधु या साध्वी । समाने वा—जघादि बल से क्षीण होने
के कारण किसी एक स्थान में रहता हुआ । वसमाने वा—वस्ती में मास कल्पादि करके निवास
करता हुआ । ग्रामानुग्रामं दूइज्जमाने वा—ग्रामानुग्राम—एक ग्राम से दूसरे ग्राम में विहार करता
हुआ जहा पर जाकर रहे वहा पर । पुव्वामेव—पहले ही । पन्नस्स—प्रज्ञावान् साधु को योग्य
है कि वह । उच्चार पासवण भूमि—उच्चार—मल—मूत्र त्यागने की भूमि को । पडिलेहिज्जा—
अपनी दृष्टि से भली-भांति अवलोकन करे, क्योंकि । केवली ब्रूया—केवली भगवान कहते हैं ।
आयाणमेयं—कि यह कर्म बन्धन का कारण है । क्योंकि । अपडिलेहियाए—विना प्रतिलेखन की
हुई । उच्चारपासवणभूमि—मल-मूत्र परित्याग करने की भूमि में । से भिक्खू—वह भिक्षु
कदाचित् । रात्रौ वा—रात्रि में । विकाले वा—विकाल में । उच्चार पासवण—मल-मूत्र को
परिदृठवेमाणे—परठना हुआ । पयलिज्ज वा २—फिसल जाए या गिर पड़े तो । तस्थ—वहा
पर । पयलमाणे वा २—उसके फिसलने एव गिरने से । से—उसके । हत्य वा—हाथ । पायं वा—
या पैर । जाच—यावत् अन्य कोई शरीर का अंग ही । लूसेज्ज वा—टूट जाएगा या । पाणाणि
वा—अन्य किसी त्रस प्राणी का । ववरोविज्ज वा—विनाश हो जाएगा । अह भिक्खूणां—इस
लिए साधु को । पु०—तीर्थकरादि ने पहले ही यह उपदेश दिया है कि । ज—जो । पन्नस्स—
प्रज्ञावान् साधु को चाहिए कि वह । पुव्वामेव—पहले ही । उ० भूमि—मल-मूत्र त्यागने की भूमि
का । पडिलेहिज्जा—सम्यक्तया अवलोकन करे ।

मूलार्थ—जो साधु या साध्वी जघादि बल से क्षीण होने के कारण
एक स्थान में स्थित हो, या उपाश्रय में मास कल्पादि से रहता हो या ग्रामा-
नुग्राम में विहार करता हुआ उपाश्रय में आकर रहे तो उस बुद्धिमान साधु

वाएण वा तत्रो संजयामेव पडिलेहिय २ पमिज्जिय २ तत्रो सं-
जयामेव बहुफासुयं सिज्जासंथारगं संथरिज्जा ॥१०८॥

छाया—स भिक्षुर्वा २ अभिकांचेत् शय्यासंस्तारकभूमिं प्रतिलेखयितु
नान्यत्र आचार्येण वा उपाध्यायेन वा यावत् गणावच्छेदकेन वा बालेन वा वृद्धेन
वा शैक्षेण वा ग्लानेन वा आदेशेन वा अन्तेन वा मध्येन वा समेन वा विषमेण
वा प्रवातेन वा निर्वृतेन वा ततः संयतमेव प्रतिलिख्य प्रतिलिख्य प्रमृज्य
प्रमृज्य ततः संयतमेव बहुप्रासुक शय्यासंस्तारकं सस्तेत् ।

पदार्थ—से भिक्षु वा —वह साधु या साध्वी । सिज्जासंथारगं भूमि—शय्या
संस्तारक की भूमि का । पडिलेहिसए—प्रतिलेखन करना । अभिकखेज्जा—चाहे । नन्नत्य—
इतना विशेष है कि । आथरिएण वा—आचार्य । उ०—उपाध्याय । जाव—यावत् । गणा-
वच्छेएण वा—गणावच्छेदक अथवा । बालेण वा—बालक साधु । बुद्धेण वा—वृद्ध साधु ।
सेहेण वा—नव दीक्षित साधु । गिलाणेण वा—रोगी या । आएसेण वा—मेहमान, साधु ने
शयन करने के लिए जो भूमि स्वीकार कर रखी है उसको छोड़कर उपाश्रय के । अतेण वा—
अन्दर या । मज्जेण वा—मध्य स्थान में । समेण वा—सम स्थान में । विषमेण वा—विषम
स्थान में । पवाएण वा—अत्यन्त वायु युक्त स्थान में । निवाएण वा—वायु रहित स्थान में ।
तत्रो—तदनन्तर । संजयामेव—यतना पूर्वक । पडिलेहिय २—भूमि की प्रतिलेखना करके ।
पमिज्जिय २—और प्रमार्जना करके । तत्रो—तत् पश्चात् । संजयामेव—यतना पूर्वक ।
बहुफासुयं—अत्यन्त प्रासुक । सिज्जा संथारगं—शय्या संस्तारक को । संथरिज्जा—विछाये ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी यदि शय्या संस्तारक भूमि की प्रतिलेखना
करनी चाहे तो आचार्य, उपाध्याय यावत् गणावच्छेदक, बाल, वृद्ध, नव दी-
क्षित, रोगी और मेहमान रूप से आए साधु के द्वारा स्वीकार को हुई
भूमि को छोड़कर उपाश्रय के अन्दर, मध्यस्थान में या सम और विषम
स्थान में या वायु युक्त और वायु रहित स्थान में भूमि की प्रति-
लेखना, और प्रमार्जना करके तदनन्तर अत्यन्त प्रासुक शय्या-संस्तारक
को बिछाए ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में शयन करने की विधि का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि साधु को आसन विछाते समय यह देखना चाहिए कि आचार्य, उपाध्याय आदि ने कहां आसन लगाया है। उन्होंने जिस स्थान पर आसन किया हो उस स्थान को छोड़कर शेष अवशिष्ट भाग में सम-विषम, हवादार या विना हवा वाली जैसी भी भूमि हो उसका प्रतिलेखन करके वहां पर आसन करले। इसका तात्पर्य यह है कि वह आचार्य आदि की सुविधा का ध्यान अवश्य रखे। इसके लिए वह चिपम एवं विना हवादार भूमि पर आसन अवश्य करले, परन्तु, उसके लिए किसी के स्थान का परिवर्तन न करे और न परिवर्तन करने के लिए संघर्ष करे। इससे साधु समाज के पारस्परिक प्रेम-स्नेह का भाव अभिव्यक्त होता है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'विज्जा सथारण' का अर्थ है शय्या या आसन करने का उपकरण^१।

साधु को संस्तारक पर कैसे बैठना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा० बहु० संथरित्ता अभिकंखिज्जा—
वहुफौसुए सिज्जासंथारए दुरुहित्तए ॥ से भिक्षू० बहु० दुरुह-
माणो पुव्वामेव ससीसोवरियं कायं पाए य पमज्जिय २ तथो संज-
यामेव बहु० दुरुहित्ता तथो संजयामेव बहु० सइज्जा ॥१०८॥

छाया—स भिक्षुः वा० बहु० संस्तीर्य अभिकान्तेन् बहुप्रासुकु शय्यासंस्तारके दूरोहितुं, स भिक्षु० बहु० दूरोहन् पूर्वमेव सशीर्षोपरिक कायं पादौ च प्रमृज्य २ ततः संयतमेव बहु० दूरुह्य ततः संयतमेव बहु० शयीत ।

पदार्थ—से भिक्षू वा० वह साधु या साध्वी । बहु०—बहु प्रासुक शय्या संस्तारक को । संथरित्ता—विछा करके । बहुफौसुए—बहु प्रासुक । सिज्जासंथारए—शय्या संस्तारक पर । दुरुहित्तए—बैठना । अभिकंखिज्जा—चाहे तो—अथ सूत्रकार बैठने के विषय में कहते हैं ।

से भिक्खू० — वह साधु या साध्वी । बहु० — बहु प्रासुक शय्या संस्तारक पर । दुरुहमाणे — बैठता हुआ । पुव्वामेव — बैठने से पहले ही । सत्तीसोवरिय काय — शीर्ष-सिर के ऊपर का भाग और सर्व शरीर, तथा । पाए — पैर पर्यन्त । पमज्जिय २ — सारे शरीर को प्रमार्जित करके । तत्रो — तदनन्तर । संजयामेव — साधु या साध्वी यतना पूर्वक । बहु० बहु प्रासुक शय्या संस्तारक पर बैठे । दुरुहिता — बैठकर । तत्रो — तदनन्तर । संजयामेव — सयत — साधु या साध्वी । बहु० — बहु प्रासुक शय्या संस्तारक पर यतना पूर्वक । सइज्जा — शय्यन करे ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी प्रासुक शय्यासंस्तारक पर जब बैठकर शयन करना चाहे तब पहले सिर से लेकर पैरो तक शरीर को प्रमार्जित करके फिर यतना पूर्वक उस पर शयन करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु संस्तारक को यतना पूर्वक विछाने के बाद उस पर शयन करने से पहले अपने शरीर का सिर से लेकर पैरों तक प्रमार्जन कर ले । क्योंकि, यदि शरीर पर कोई छुद्र जन्तु चढ़ गया हो या बैठ गया हो तो उसकी हिंसा न हो जाए और शरीर पर लगी हुई धूल से वस्त्र भी मैले न हों । अस्तु, संयम की साधना को शुद्ध बनाए रखने के लिए साधु को शरीर का प्रमार्जन करके ही शयन करना चाहिए ।

शयन किस तरह करना चाहिए, उसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० बहु० सयमाणो नो अन्नमन्नस्स हत्थेण हत्थं, पाएण पायं, कायेण कायं आसाइज्जा, से अनासायमाणो तत्रो संजयामेव बहु० सइज्जा ॥ से भिक्खू वा० उस्सासमाणो वा, नीसासमाणो वा, कासमाणो वा, छीयमाणो वा, जंभायमाणो वा, उड्डोए वा, वायनिसग्गं वा करेमाणो पुव्वामेव आसयं वा, पोसयं वा पाणिणा परिपेहिता तत्रो संजयामेव ऊससिज्जा वा जाव वायनिसग्गं वा करेज्जा ॥१०६॥

छायां—स भिक्षु वी० बहु० शीयानः न अन्योऽन्यस्य हस्तैन हस्तं; पादेन पादं, कायेन काय आशातयेत् स अनाशातयन् ततः संयतमेव बहु० शयीत् । सभिक्षुः, दा० उच्छ्वमन् वा निरश्वसन् वा कासमान वा क्षुतकुर्वाणः वा जृम्भमाणो वा उद्गिरन् वा वातनिसर्गं कुर्वन् वा पूर्वमेव वा आस्यं वा पोष्यं वा पाणिना परिपिधाय ततः सयतमेव उच्छ्वसेत् वा यावत् वातनिसर्गं वा कुर्यात् ।

पदार्थ—से भिखूँ वा—वह साधु या साध्वी । बहु०—वह प्रासुक शय्या सस्तारक पर । सयमाणे—शयन करता हुआ । अर्न्मन्तस्स—परस्पर-एके साधु दूसरे साधु के प्रति । हथेण हत्थ—अपने हाथ से दूसरे के हाथ को । पाएण—पैर से दूसरे के । पायं—पैर-को । कायेण काय—शरीर से दूसरे के शरीर को । नो आसाइज्जा—आशातना न करे । से—वह साधु । णसायमाणे—आशातना न करता हुआ । तत्रो—तदनन्तर । सजयामेव—यत्ना पूर्वक । बहु०—प्रासुक शय्या सस्तारक पर । सइज्जा—शयन करे ।

पदार्थ—से भिखूँ वा—वह साधु अथवा साध्वी । उसासमाणे वा—उच्छ्वास लेता हुआ, अथवा । नीसासमाणे वा—निश्वास लेता हुआ इसी प्रकार । कासमाणे वा—खासता हुआ । छीयमाणे वा—छीकता हुआ । जंभायमाणे वा—उवासी लेता हुआ । उड्डीए षा—डकार नेता हुआ अथवा । वायनिसग्ग वा करेमाणे—अपान वायु को छोड़ता हुआ । पुव्वामेव—पहले ही । आसयं वा पोसयं वा—मुख को, या गुदा को । पाणिणा—हाथ से । परिपेहिता-ढाप कर । तत्रो—तत् पश्चात् । संजयामेव—यत्ना पूर्वक । उसासिज्ज वा—उच्छ्वास ले । जाव—यावत् । वायनिसग्गं वा—अपान वायु का निस्सरण । करेज्जा—करे अर्थात् यद्यो द्वार से वायु को छोड़े ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी शयन करते हुए परस्पर-एक दूसरे को अपने हाथ से दूसरे के हाथ की, पैर से दूसरे के पैर को और शरीर से दूसरे के शरीर को आशातना न करे । अर्थात् इनका एक दूसरे से स्पर्श न हो । किन्तु आशातना न करते हुए ही शयन करे ।

मूलार्थ—इसके अतिरिक्त साधु या साध्वी उच्छ्वास अथवा निश्वासे लेता हुआ खासता हुआ, छीकता हुआ, उवासी लेता हुआ अथवा अपान वायु को छोड़ता हुआ पहले ही मुख या गुदा को हाथ से ढापकर उच्छ्वास ले या अपान वायु का परित्याग करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को शयन करते समय अपने हाथ-पैर से एक-दूसरे साधु की अशानना नहीं करनी चाहिए। अपने शरीर एवं हाथ-पैर का दूसरे के शरीर आदि से स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्योंकि, ऐसी प्रवृत्ति से शारीरिक कुचेष्टा एवं अविनय प्रकट होता है, और मनोवृत्ति को चञ्चलता एवं मोहनीय कर्म की उद्दीरण के कारण मोहनीय कर्म का उदय भी हो सकता है। अतः साधु को शयन करते समय किसी भी साधु के शरीर को हाथ एवं पैर आदि से स्पर्श नहीं करना चाहिए।

यदि साधु को श्वासोच्छ्वास, छींक आदि के आने पर जो मुह एवं गुदा स्थान पर हाथ रखने का कहा गया है, उसका अभिप्राय इतना ही है कि उससे वायुकायिक जीवों की हिंसा न हो। प्रस्तुत प्रसंग में इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि यह वर्णन सामान्य रूप से चलने वाले श्वासोच्छ्वास के लिए नहीं, अपितु विशेष प्रकार के श्वासोच्छ्वास के लिए है। आगम में लिखा है कि फूंक आदि मारने से वायु काय की हिंसा होती है, इसलिए साधु को इस तरह से बचना करने का आदेश दिया गया है^१।

कुछ लोगों का कहना है कि भाषा के पुद्गल चार स्पर्श वाले होते हैं अतः वे आठ स्पर्श वाले वायुकाय की हिंसा कैसे कर सकते हैं? इसका समाधान यह है कि भाषा-वर्गणा के पुद्गल उत्पन्न होते समय चार स्पर्श वाले होते हैं, परन्तु भाषा के रूप में व्यक्त होते समय आठ स्पर्श वाले हो जाते हैं। इसी कारण शरीर से उत्पन्न होने वाली अचित्त वायुकाय को आठ स्पर्श युक्त माना गया है और यह ५ प्रकार की मानी गई हैं^१। अतः मुह से निकलने वाली वायु से वायुकायिक जीवों की हिंसा होती है।

यहां एक प्रश्न पैदा हो सकता है कि जब साधु-साध्वी मुख पर मुखवत्त्रिका लगाते हैं, तब फिर श्वासोच्छ्वास से होने वाली वायुकायिक जीवों की हिंसा को रोकने के लिए मुह पर हाथ रखने की क्या आवश्यकता है? हम यह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यहा सामान्य रूप से चलने वाले श्वासोच्छ्वास के समय मुह पर हाथ रखने का विधान नहीं किया है। यह विधान विशेष परिस्थिति के लिए है— जैसे उवासी, डकार एवं छींक आदि के समय जोर से निकलने वाली वायु का वेग मुखवत्त्रिका से नहीं रक सकता है, ऐसे समय पर मुह पर हाथ रखने का आदेश दिया गया है और मुख के साथ नाक का भी

^१ प्रश्न व्याकरण सूत्र, अ० १, दशवैकालिक सूत्र, अ० ४।

^१ पत्रविहा अचिता वाउकाड्या प० न० अकंठे, वंते, पीलए, सन्नराणुगए, मनुच्छिमे।

ग्रहण किया गया है। जैसे मुख से निकलने वाली वायु के वेग को रोकने के लिए मुख पर हाथ रखने को कहा है, उसी तरह अपान वायु के वेग को रोकने के लिए गुदा स्थान पर भी हाथ रखने का आदेश दिया है। इससे यह मानना पड़ेगा कि उस समय लघु चोलपट्टक (घोती के स्थान में पड़ने का वस्त्र) भी नही रखने थे। परन्तु, ऐसी बात नहीं है। आगम में चोलपट्टक एवं मुखवस्त्रिका दोनों का विधान मिलता है। अतः इन प्रसंगों पर उक्त स्थानों पर हाथ रखने का उद्देश्य केवल वायुकायिक जीवों की रक्षा करना ही है।

अब सामान्य रूप से शय्या का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० समा वेगया सिज्जा भविज्जा विस-
मा वेगया सि० पवाया वे० निवाया वे० ससरक्खा वे० अप्पसस-
रक्खा वे० सदंसमसगा वे० अप्पदंसमसगा० सपरिसाडा वे० अप-
रिसाडा वे० सउवसग्गा वे० निरुवसग्गा वे० तहप्पगाराहिं सिज्जा-
हिं संविज्जमाणाहिं पग्गहियतरागं विहारं विहरिज्जा नो किं-
चिवि गिलाइज्जा, एवं खलु० जं सब्बट्ठेहिं सहिए सया जए
त्तिवेमि ॥११०॥

छाया—स भिक्षुर्वा० समा वा एकदा शय्या भवेत् विषमा वा एकदा
शय्या० प्रवाता वा० निर्वाता वा० मरजस्का वा० अल्परजस्का वा०
सदंशमशका वा० अल्पदंशमशका वा० सपरिशाटा वा० अपरिशाटा वा०
सोपसर्गा वा० निरुपसर्गा वा० तथाग्रकाराभिः शय्याभिः सविद्यमानाभिः
प्रगृहीततर विहारं विहरेत् न किञ्चिदपि ग्ल्हायेत् एव खलु० यत् सर्वार्थैः
सहितः सदा यतेत इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—से—उस । भिक्खू वा०—साधु या साध्वी को । वेगया—किसी समय ।

समासिञ्जा—सम शय्या । भविञ्जा—मिलती है । वेगया—अथवा किसी समय । विसमासि०—
विपम शय्या मिलती है । वे०—कभी । पवाया—वायु युक्त शय्या मिलती है । निवाया वे०—
कभी वायु रहित शय्या मिलती है । ससरकखा वे—कभी रज ये युक्त शय्या मिलती है तो ।
अपससरकखा वे०—कभी रज से रहित शय्या प्राप्त होती है । वेगया—किसी समय ।
सदंसमसगा—डास मच्छर युक्त शय्या, उपलब्ध होती है । अपसंसमसगा—किसी समय दंसमसगादि
से रहित शय्या मिलती है । उपरिसाड़ा वे०—अथवा किसी समय सर्वप्रकार से गिरी हुई
शय्या मिलती है । अपरिसाड़ा०—या दृढ़ बनी हुई तथा जनाकीर्ण शय्या मिलती है । सउव-
सगा वे०—अथवा किसी समय उपसर्गादि युक्त शय्या मिलती है । निरुवसगा वे०—या कभी
उपसर्ग रहित शय्या प्राप्त होती है । तहप्पगाराहि—तथा प्रकार की सिञ्जाहि—शय्याओं की ।
सिञ्जमाणार्हाहि—उपस्थिति में । पगहियतरागं—उन्हें ग्रहण करके । विहार विहरिञ्जा—विहार
करता हुआ विचरे । नो किञ्चि विगलाइञ्जा—किन्तु किञ्चिन्मात्र भी खेद को प्राप्त न हो ।
एवं खलु—इस प्रकार निश्चय ही वह साधु या साध्वी साधु के सम्पूर्ण आचार से निष्पन्न
होता है । जं—जो । सव्वट्ठोहि—ज्ञान दर्शन और चारित्र्य से । सया—सदा । सहिए—
युक्त हो कर विचरने का । जए—यत्न करे । तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—संयम शील साधु या साध्वी को किसी समय सम या विपम
शय्या मिले, हवादार या कम हवा वाला स्थान प्राप्त हो, इसी प्रकार
धूलियुक्त या धूलिरहित, अथवा डांस मच्छर युक्त या उसके बिना की
शय्या मिले, इसी भाँति सर्वथा गिरी हुई, जीर्ण-शीर्ण अथवा सुदृढ़ शय्या
मिले या उपसर्ग युक्त या उपसर्ग रहित शय्या मिले, इन सब प्रकार की
शय्याओं के प्राप्त होने पर वह उनमें समभाव से निवास करे । किन्तु
मानसिक दुःख एवं खेद का विलकुल अनुभव न करे । यही भिक्षु का
सम्पूर्ण भिक्षु भाव है । जो कि सर्व प्रकार से ज्ञान दर्शन और चारित्र्य से
युक्त होकर तथा सदा समाहित हीकर विचरने का यत्न करे । इस प्रकार
मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को हर परिस्थिति में समभाव रखना
चाहिए । चाहे उसे सम शय्या मिले या विपम मिले, सर्दी-गर्मी के अनुकूल स्थान मिले या
प्रतिकूल मिले, डांस-मच्छर एवं धूल आदि में युक्त स्थान मिले या इनसे रहित मिले । कहने

का तात्पर्य ग्रह है कि अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों- अवस्थाओं में-उसे समभाव रखना चाहिए । अनुकूल स्थान मिलने पर उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए और प्रतिकूल मिलने पर द्वेष नहीं करना चाहिए । साधु को राग-द्वेष से ऊपर उठकर विचरना चाहिए । वस्तुतः यही साधुता है और इस पथ पर गतिशील साधक ही अपनी साधना में सफल होकर-साध्य को प्राप्त कर सकता है ।

'त्तिविमि' को व्याख्या पूर्ववत् समझे ।-

॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ॥

॥ द्वितीय अध्ययन समाप्त ॥

पार करना चाहिए। द्वितीय उद्देशक में यह अभिव्यक्त किया गया है कि नौका से नदी पार करते समय यदि नाविक छल-कपट से बर्ताव करे तो उस समय साधु को क्या करना चाहिए। और तृतीय उद्देशक में गति करते समय अहिंसा, सत्य आदि की रक्षा कैसे करनी चाहिए, इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रस्तुत उद्देशक में वर्षावास कल्प समाप्त होते ही विहार करने का आदेश देते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अव्भुवगए खलु वासावासे अभिपवुट्ठे बहवे पाणा,
अभिसंभूया बहवे बीया अहुणाभिन्ना अंतरा से मग्गा बहु-
पाणा, बहुबीया जाव ससंताणगा अणभिककंता पंथा नो वि-
न्नाया मग्गा सेवं नच्चा नो गामाणुगामं दूइज्जिज्जा, तत्रो संज-
यामेव वासावासं उवल्लिइज्जा ॥१११॥

छाया—अभ्युपगते खलु वर्षावासे अभिप्रवृष्टे बहवः प्राणिनः अभिसंभूताः
बहूनि बीजानि अधुना भिन्नानि अन्तराले तस्य मार्गाः बहुप्राणिनः बहुबी-
जा यावत् संसन्तानकाः अनभिक्रान्ताः पन्थानः नो विज्ञाता मार्गाः स
एवं ज्ञात्वा न ग्रामानुग्रामं यायात् ततः सयतमेव वर्षावासम् उपलीयेत् ।

पदार्थ—खलु—वाक्यालंकार में है। वासावासे—वर्षाकाल के सामने। अव्भुवगए—
प्राजाने पर। अभिपवुट्ठे—वर्षा ऋतु अर्थात् आषाढ चतुर्मास के पहले ही वर्षा के हो जाने से
बहवे पाणा—बहुत से द्वीन्द्रिय आदि जीव। अभिसंभूया—उत्पन्न हो गए हैं और। बहवे
बीया—बहुत से बीज। अहुणाभिन्ना—अंकुरित हो गए हैं अर्थात् बरसात के कारण उत्पन्न
हुए अकुरो से पृथ्वी हरी भरी हो गई है। अन्तरामग्गा—मार्ग के मध्य में। से—उस भिक्षु
को विहार करना कठिन हो गया है, क्योंकि मार्ग में। बहुपाणा—बहुत से प्राणी और। बहु-
बीया—बहुत से बीज। जाव—यावत्। ससंताणगा—वृद्ध से ज ले उत्पन्न हो गए हैं तथा
वर्षा के कारण। अणभिककंतापथा—जबता के गमनागमन के क्रम व से मार्ग अवच्छेद हो गया
है तथा रास्ते में हरियाली के उत्पन्न हो जाने से। नो विन्नाया मग्गा—मार्ग एवं उन्मार्ग का
पता नहीं लगता है। सेवं—वह साधु इस प्रकार। नच्चा—जानकर। गामाणुगाम—एक ग्राम
से दूसरे ग्राम की ओर। ना दूइज्जिज्जा—विहार न करे किन्तु। सजयामेव—सयत-साधु।
तत्रो—तदनन्तर। वासावास—वही वर्षाकाल। उवल्लिइज्जा—करे।

मूलार्थ—वर्षाकाल में वर्षा होजाने से मार्ग में बहुत से प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं तथा बीज अंकुरित हो जाते हैं, पृथिवी घास आदि से हरी हो जाती है। मार्ग में बहुत से प्राणी, बहुत से बीज तथा जाले आदि की उत्पत्ति हो जाती है, एवं वर्षा के कारण मार्ग अवरुद्ध हो जाने से मार्ग और उन्मार्ग का पता नहीं लगता। ऐसी परिस्थिति में साधु को एक ग्राम से दूसरे ग्राम में विहार नहीं करना चाहिए। किन्तु वर्षाकाल के समय एक स्थान पर ही स्थित रहना चाहिए। तात्पर्य यह है कि साधु वर्षा काल पर्यन्त भ्रमण न करे किन्तु एक ही स्थान पर ठहरे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में साधु को वर्षा काल में विहार करने का निषेध किया गया है। एक वर्ष में तीन चातुर्मास होते हैं—१-ग्रीष्म, २-वर्षा और ३-हेमन्त। इनमें वर्षाकाल में ही साधु को एक स्थान में स्थित होने का आदेश दिया गया है क्योंकि वर्षाकाल में पृथ्वी शस्य-श्यामला हो जाती है, लुब्ध जन्तुओं की उत्पत्ति बढ़ जाती है और हरियाली एवं पानी की अधिकता के कारण मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। अतः उस समय विहार करने से अनेक जीवों की विराधना होना संभव है। इस कारण साधु को वर्षाकाल में विहार नहीं करना चाहिए।

इससे स्पष्ट होता है कि आषाढ़ पूर्णिमा के बाद कार्तिक पूर्णिमा तक विहार नहीं करना चाहिए। यदि कभी आषाढी पूर्णिमा से पूर्व ही वर्षा प्रारम्भ हो जाए और चारों तरफ हरियाली छा जाए तो साधु को उसी समय से एक स्थान पर स्थित हो जाना चाहिए और वर्षावास के लिए आवश्यक वस्त्र आदि ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि, वर्षावास में वस्त्र आदि ग्रहण करना नहीं कल्पता, इसलिए साधु उनका वर्षावास के पूर्व ही संधार कर ले।

वर्षावास का प्रारम्भ चन्द्रमास से माना गया है। अतः वह श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से प्रारम्भ होता है और कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को समाप्त होता है। शाकटायन ने भी आषाढ़, कार्तिक एवं फाल्गुन की पूर्णिमा को चातुर्मास की पूर्णिमा स्वीकार किया है। उसने भी वर्ष में तीन चातुर्मासी को

मान्य क्रिया है॥

इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि साधु को वर्षाकाल में विहार नहीं करना चाहिए। परन्तु, वर्षावास के लिए साधु को किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० सेज्जं गामं वा जाव रायहाणिं वा इमंसि खलु गामंसि वा जाव राय० नो महई विहारभूमी नो महई विहारभूमी नो सुलभे पीढफलगसिज्जासंधारगे नो सुलभे फासुए उंछे अहेसणिज्जे जत्थ बहवे समण० वणीमगा उवागया उवागमिस्संति य अच्चाइन्ना वित्ती नो पन्नस्स निक्खमणे जाव चिंताए, सेवं नच्चा तहप्पगारं गामं वा नगरं वा जाव रायहाणिं वा नो वासावासं उवल्लिइज्जा ॥

मूलम्—से भि० से जं० गामं वा जाव राय० इमंसि खलु गामंसि वा जाव महई विहारभूमी महई विहार० सुलभे जत्थ-पीढ ४ सुलभे फा० नो जत्थ बहवे समण० उवागमिस्संति वा अच्चाइन्ना वित्ती जाव रायहाणिं वा तत्रो संजयामेव वासा-वासं उवल्लिइज्जा ॥११२॥

छाया—सं भिक्खुवा० स यत् ० ग्रामे वा यावत् राजधान्यां वा अस्मिन् खलु ग्रामे वा यावद् राजधान्यां वा न महती विहारभूमिः, न महती विचार-

॥ चतुर्मासान्नाम्नि, ॥ ३, १, १२१ ॥

अणिति वर्तते । चतुर्मासं शब्दात् तत्र भवे प्रग् भवति प्रत्ययान्ते नास्ति । चतुर्मासेषु भवा चातुर्मासी, पौर्णमासी—घ्राणाढी, कार्तिकी, फाल्गुनी चोच्यते । अन्यत्र चातुर्मासः श्लुक् द्विगोरिति श्लुक् ।

—शाकटायन व्याकरण ।

भूमिः न सुलभानि पीठफलकशय्यासंस्तारकानि न सुलभः प्रासुकः उच्छ्रः
 अर्थैपणीयः यत्र वहवः श्रमण० वनीपकाः उपागताः, उपागमिष्यन्ति च अत्याकी-
 र्णा वृत्तिः नो प्राज्ञस्य निष्क्रमण यावत् चिन्ता, तदेवं ज्ञात्वा तथाप्रकारे ग्रामे
 वा नगरे वा यावद् राजधान्या वा न वर्षावासं उपलीयेत । स भिक्षु० स यत्०
 ग्रामे वा यावद् राजधान्यां वा अस्मिन् खलु ग्रामे वा यावत् महती विहार-
 भूमिः, महती विचारभूमिः सुलभानि यत्र पीठ० ४ सुलभः प्रासुकः० न
 यत्र वहवः श्रमण० उपागमिष्यन्ति वा अत्याकीर्णा वृत्तिः यावत् राजधान्यां
 वा ततः संयतमेव वर्षावासं उपलीयेत ।

पदार्थ—से भिक्खु वा—वह साधु या साध्वी । सेज्जं—यदि वह यह जाने । गमं
 वा—ग्राम को अथवा नगर । जाव—यावत् । रायहार्णि वा—राजधानी को । खलु—वाक्या-
 लकार में । इमसि—इस । गामसि—ग्राम । जाव—यावत् । राय०—राजधानी में । विहार—
 भूमी—स्वाध्याय करने के लिए । नो महई—विशाल स्थान नहीं है । विहार भूमि—श्रीर नगर
 से बाहर मल मूत्रादिक त्याग करने की भूमि भी । न महई—विशाल नहीं है । पीठ—श्रीर पीठ ।
 फलग—पाटिया । सिज्जा—शय्या और । संस्तारगे—तृणादि के संस्तारक भी । नो सुलभे—
 सुलभ नहीं है और । फासुए—उसे जो प्रामुक । उच्छे—थोडा २ आहार ग्रहण करना है ।
 अहेसणिज्ज—उम निर्दोष आहार का मिलना भी । नो सुलभे—सुलभ नहीं है और । जत्थ—
 जहाँ पर । वहवे—बहुत । समण०—शाक्यादि श्रमण । जाव—यावत् । वणीमगा—बनीपक
 रक भिखारी आदि । उवागया—आए हुए है । य—या । उवागमिस्सति—आवेगे । अच्चाइ-
 न्नावित्ति—अत्यन्तकीर्ण वृत्ति अर्थात् भिक्षा जाते समय तथा स्वाध्याय, ध्यान और बाहर गमन
 करते समय वे लोग अधिक मख्या में बार-बार मिलते रहते हैं । पन्नत्स—जिस से प्रज्ञावान साधु ।
 नो निक्खमणे जाव चित्ताए—न तो सुख पूर्वक निकल सकता है, और न प्रवेश ही कर सकता
 है तथा वह पांच प्रकार का स्वाध्याय भी नहीं कर सकता है । सेव नच्चा—अतः वह साधु इस
 प्रकार जानकर । न्हप्पारं गमं वा—तथाप्रकार के ग्राम में । नगरं वा—नगर में । जाव—
 यावत् । रायहार्णि वा—राजधानी में । वासवासं—वर्षाकाल अर्थात् चतुर्मास । नो उवल्लि-
 ज्जा—न करे ।

पदार्थ—से भिक्खु वा०—वह साधु या साध्वी । से जं—यदि वह यह जाने कि । गमं वा
 जाव राय० वा—ग्राम, नगर यावत् राजधानी को । खलु—वाक्यालंकार में है । इमसि गामसि—
 इस ग्राम में । जाव—यावत् राजधानी में । महई विहारभूमि—स्वाध्याय के लिए विशाल

भूमि है और । महई वियार — मलमूत्रादि के त्यागने की भूमि भी विशाल है । जत्थ — जहा पर । पीठ ४ — पीठ, फलक, शय्या और संस्तारक की प्राप्ति । सुलभे फा०—सुलभ है प्रासुक तथा एषणीय आहार का मिलना भी । सुलभे — सुलभ है । । जत्थ — जहा पर । वहवे — बहुत से । समण० — शाक्यादि भिक्षुगण । नो उवागमिस्सति — भी आए हुए नहीं है और न आवेंगे । अप्पाइन्ना-वित्ति — मार्ग में भीड़ भी नहीं हैं अर्थात् भिक्षा आदि के समय जाते आते वे मिलते भी नहीं है । ज.व - यावत् स्वाध्याय आदि भी ठीक हो सकता है । इस प्रकार के ग्राम, नगर यावत् । रायह्राणि वा — राजधानी में । तन्नो — तत् पश्चात् । संजयामेव — सयत्-संयम शील साधु । वासावास — वर्षाकाल । उवल्लिइज्जा — रहे ।

मूलार्थ—वर्षा वास करने वाले साधु या साध्वी को ग्राम नगर, यावत् राजधानी की स्थिति को भली-भांति जानना चाहिए । जिस ग्राम, नगर यावत् राजधानी में एकान्त स्वाध्याय करने के लिए कोई विशाल भूमि न हो, नगर से बाहर मल-मूत्रादि के त्यागने की भी कोई विशाल भूमि न हो, और पीठ-फलक-शय्या-सस्तारक की प्राप्ति भी सुलभ न हो, एव प्रासुक और निर्दोष आहार का मिलना भी सुलभ न हो और बहुत से शाक्यादि भिक्षु यावत् भिखारो लोग आए हुए हो जिस से ग्रामादि में भीड़-भाड़ बहुत हो और साधु साध्वी को सुखपूर्वक स्थान से निकलना और प्रवेश करना कठिन हो तथा स्वाध्याय आदि भी न हो सकता हो तो ऐसे ग्रामादि में साधु वर्षाकाल व्यतीत न करे ।

मूलार्थ—जिस ग्राम या नगरादि में विहार और विचार के लिए अर्थात् स्वाध्याय और मल-मूत्रादि का त्याग करने के लिए विशाल भूमि हो, पीठ-फलकादि की सुलभता हो, निर्दोष आहार पानी भी पर्याप्त मिलता हो और शाक्यादि भिक्षु या भिखारी लोग भी आए हुए न हो एव उनकी अधिक भीड़-भाड़ भी न हो तो ऐसे गाव या शहर आदि में साधु साध्वी वर्षाकाल व्यतीत कर सकता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में वर्षावास के क्षेत्र को चुनते समय ५ बातों का विशेष ख्याल रखने का आदेश दिया गया है—१-स्वाध्याय एवं चिन्तन मनन के लिए विशाल भूमि,

मग्गे बहुपाणा जाव ससंताणगा नो जत्थ वहवे जाव उवाग-
मिस्संति, सेवं नच्चा नो गामाणुगामं दूइज्जिज्जा ॥ अह पुणेवं-
जाणिज्जा चत्तारि मासा० कप्पे परिवुसिए, अंतरा से मग्गे अप्पंडा
जाव असंताणगा वहवे जत्थ समणा० उवागमिस्संति, सेवं नच्चा
तत्थो संजयामेव० दूइज्जिज्ज ॥११३॥

छाया—अथ पुनरेवं जानीयात् चत्वारो मासा वर्षावासाना व्यतिक्रान्ताः
हेमन्तानां च पंचदशरात्रकल्पे पर्युषिते अन्तरा ते मार्गाः बहु प्राणिनो यावत्
ससन्तानकाः न यत्र बहवः यावद् उपागमिष्यन्ति स एव ज्ञात्वा न ग्रामानुग्रामं
यायात् । अथ पुनरेव जानीयात् चत्वारो मासा० कल्पे पर्युषिते अन्तरा ते
मार्गाः अल्पांडाः यावत् असन्तानकाः बहवः यत्र श्रमण० उपागमिष्यन्ति स एवं
ज्ञात्वा ततः सयतमेव० यायात् ।

पदार्थ—अह—अथ । पुण—फिर । एवं—इस प्रकार । जाणिज्जा—जाने । वासा-
वासाण—वर्षाकाल के । चत्तारि मासा—चार मास । बीइक्कताण—अतिक्रान्त हो जाने पर
अर्थात् कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा के पश्चात् मार्गशीर्ष प्रतिपदा को साधु को विहार कर देना
चाहिए । यह उत्सर्ग मार्ग है । अब सूत्रकार अपवाद मार्ग के विषय में कहते हैं । य—और ।
हेमन्ताण—यदि वर्षा फिर हो जावे तो हेमन्तकाल के । पंचदसरायकापे—पंचदशरात्र कल्प
में अर्थात् मर्यादा में । परिवुसिए—रहे । अंतरा से मग्गे—उस मार्ग के मध्य में । बहुपाणा—
बहुत प्राणी । जाव—यावत् । ससंताणगा—जालो से युक्त मार्ग हो रहा हो और । जत्थ—
जहा पर । वहवे—बहुत से श्रमण आदि । जाव—यावत् । नो उवागमिस्संति—मार्ग के ठीक
न होने के कारण वे नहीं आयेगे । सेव नच्चा—वह साधु इस प्रकार जान कर । गामाणुगमं—
ग्राम नुग्राम । नो दूइज्जिज्जा—विहार न करे, एक ग्राम से दूसरे ग्राम न जावे । अह—अथ ।
पुण—फिर यदि । एवं—इस प्रकार । जाणिज्जा—जाने कि । चत्तारिमासा कप्पे परि वुसिए—
वर्षाकाल के चार मास व्यतीत हो गए हैं, तदनन्तर हेमन्त काल के भी पंचदशरात्र १५ दिवस
व्यतीत हो गए हैं । अंतरा से मग्गे—मार्ग के मध्य में । अप्पंडा—अण्डादि से रहित । जाव—
यावत् । असताणगा—जाला आदि से रहित मार्ग हो गया है । जत्थ—जहा पर । वहवे—बहुत
से । समण०—शाक्यादि श्रमण आगये है तथा । उवागमिस्संति—और भी आजायेंगे । सेव

मे विहार करना नहीं कल्पता परन्तु हेमन्त और ग्रीष्म काल में विहार करना कल्पता है ॥ आचाराग सूत्र में भी एक स्थल पर कहा है कि यदि साधु मास या वर्षावास कल्प के बाद उली स्थान पर ठहरता है तो उसे कालातिक्रम दोष लगता है ॥ और श्री भगवान महावीर ने भी कार्तिक चातुर्मासी (पूर्णिमा) के पश्चात् मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा को विहार कर दिया था ॥ इससे स्पष्ट होता है कि वर्षा आदि विशिष्ट कारणों के उपस्थित हुए बिना साधु को वर्षा काल के पश्चात् उसी स्थान पर नहीं ठहरना चाहिए ।

वृत्तिकार ने यह भी लिखा है कि यदि वृष्टि आदि न हो तो उत्सर्ग मार्ग में साधु को वर्षावास के समाप्त होने पर चातुर्मासी के तप का पारणा अन्य स्थान पर जाकर करना चाहिए । परन्तु आगम में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता, इसलिए यह कथन प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । आगम में वर्षावास के पश्चात् बिना कारण रात को ठहरना नहीं कल्पता अर्थात् जिस स्थान में वर्षावास किया हो साधु को वहा मार्गशीर्ष कृष्ण की प्रतिपदाकी रात को नहीं ठहरना चाहिए ।

विहार के समय साधु को मार्ग की यत्ना कैसे करनी चाहिए इसका उल्लेख करने हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० गामाणुगामं दूइज्जमाणो पुरयो जुगमायाए पेहमाणो दट्ठूण तसे पाणे उद्धट्टु पादं रीइज्जा साहट्टु पायं रीइज्जा वित्तिरिच्छं वा कट्टु पायं रीइज्जा, सइ परक्कमे संजयामेव परिक्कमिज्जा नो उज्जुयं गच्छिज्जा, तत्रो संजयामेव गामाणुगामं दूइज्जिज्जा ॥

से भिक्खू वा० गामा० दूइज्जमाणो अंतरा से पाणाणि वा

॥ नो कप्पड निग्गथाण वा निग्गथीण वा वासावासांमु चारए ।

कप्पड निग्गथाण वा निग्गथीण वा हेमन्त गिम्हासु चारए ।

— बृहत्कल सूत्र, १, ३६-३७ ।

† श्री आचाराग सूत्र, २, २, २ ।

‡ श्री भगवती सूत्र, शतक १५ ।

सामने चार हाथ प्रमाण भूमि को देखता हुआ चले और मार्ग में त्रस प्राणियों को देखकर पैर के अग्रभाग को उठाकर चले । यदि दोनों ओर जीव हो तो पैरो को संकोच कर या तिर्यक् टेढा पैर रखकर चले । यह विधि अन्यमार्ग के अभाव में कही गई है । यदि अन्य साफ मार्ग हो तो उस मार्ग से चलने का प्रयत्न करे, किन्तु जीव युक्त सरल (सीधे) मार्ग पर न चले । यदि मार्ग में प्राणी बीज, हरी, जल और मिट्टी आदि अचित्त न हुए हो तो साधु को अन्य मार्ग के होने पर उस मार्ग से नहीं जाना चाहिए । यदि अन्य मार्ग न हो तो उस मार्ग से यत्नापूर्वक जाना चाहिए ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को विहार करते समय अपनी दृष्टि गन्तव्य मार्ग पर रखनी चाहिए । अपने सामने की साढ़े तीन हाथ भूमि को देखकर चलना चाहिए । उस समय अपने मन, वचन एवं काय योग को भी इधर-उधर नहीं लगाना चाहिए । यथा तत्र कि साधु को चलते समय स्वाध्याय एवं आत्मचिन्तन भी नहीं करना चाहिए । उस समय उसका ध्यान विवेक पूर्वक चलने की ओर होना चाहिए और रास्ते में आने वाले क्षुद्र जन्तुओं एवं हरित काय की रक्षा करते हुए गति करनी चाहिए । यदि रास्ते में बीज, हरियाली एवं क्षुद्र जन्तु अधिक हों और उस गाँव को दूसरा रास्ता जाता हो — चाहे वह कुछ लम्बा भी पड़ता हो, परन्तु जीवों से रहित हो, तो मुनि को वह जीव-जन्तुओं से युक्त सीधा रास्ता छोड़कर उस निर्दोष मार्ग से जाना चाहिए । यदि दूसरा मार्ग न हो तो यत्नापूर्वक पैरों को संकोच कर या टेढ़े मेढ़े पैर रखकर या अगूठे आदि के बल पर उस रास्ते को तय करे अर्थात् उस मार्ग को विवेकपूर्वक पार करे जिससे जीवों को किसी तरह की पीडा एवं कष्ट न पहुँचे ।

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० गामा० दूइज्जमाणो अंतरा से विरूव-
रूवाणि पच्चंतिगाणि दस्सुगाययाणि मिलक्खूणि अणायरियाणि
दुस्सन्नप्पाणि दुप्पन्नवणिज्जाणि, अकालपडिबोहीणि अकाल-
परिभोईणि सइ लाडे विहाराए संथरमाणोहिं जाणवएहिं नो

विहारवडियाए पवज्जिज्जा गमणाए, केवली वूया आयाणमेयं,
 ते णं वाला अयं तेणो अयं उवचरेण अयं ततो आगए त्तिक्कट्टु तं
 भिक्खुं अक्कोसिज्ज वा जाव उइविज्ज वा वत्थं प० कं० पाय०
 अच्चिदिज्ज वा भिदिज्ज वा अवहरिज्ज वा परिट्ठविज्ज वा,
 ग्रह भिक्खूणां पु० जं तहप्पगाराइं विरू० पच्चंतियाणि दस्सुगा०
 जाव विहारवत्तियाए नो पविज्जज्ज वा गमणाए तत्रो
 संजया गा० दू० ॥११५॥

छाया—म भिक्षुर्वा० ग्रामानुग्रामं गच्छन् अन्तराले स विरूपरूपाणि प्रात्य-
 न्तिकानि दस्युक्कायतनानि म्लेच्छानि अनार्याणि दुःसंज्ञाप्यानि दुष्टप्रज्ञाप्यानि
 अकालप्रतिबोधीनि अकालभोजीनि सति लाढ़े विहाराय संस्तरमाणेषु जनपदेषु
 न विहारप्रतिज्ञया प्रतिश्चेत् गमनाय । केवली भूयात् आदानमेतत् ते वालाः
 अयंस्तेनः अयमुपचारकः अयं ततः आगतः इति कृत्वा त भिक्षुं आक्रोशेषु वा
 यावत् उपद्रवेषु वा वस्त्रं वा पतद्ग्रहं (पात्रं) वा कंचलं वा पादप्रोञ्चन वा आ-
 च्छिन्नद्युः वा भिन्दु वा अयहरेषु वा परिष्ठापयेषु वा अथ भिक्षूणां पूर्वोपदिष्टं
 यत् तथाप्रकाराणि विरूपरूपाणि प्रात्यन्तिकानि दस्युक्कायतनानि यावत् विहार
 प्रत्ययाय न प्रतिपद्येत वा गमनाय ततः संयतः ग्रामानुग्रामं गच्छेत् ।

पदार्थ—ने निस्सू वा०—वह नावु या नाव्वो । नामा०—ग्रामानुग्राम ।
 वृद्धज्जमागे—विहार करना हुआ । अन्तरा ते—जिन मार्ग के मध्य में । विरूपरूपाणि—
 नाना प्रकार के । पच्चंतियाणि—देश को नीना में रहने वाले । दस्युक्कायतानि—
 चोरों के स्थान हो । म्लेच्छाणि—म्लेच्छों के स्थान हो । अनार्याणि—जनार्जों के
 स्थान हो । दुष्टप्रज्ञाप्याणि—जिन्हें आर्य देश की भाषा आदि नहींनाई ने समझाई जा
 सकी है और । दुष्प्रज्ञाप्याणि—जिन्हें कुछ पूर्वक उपदेश दिया जा सकता है अर्थात्
 कष्टपूर्वक उपदेश देने पर भी जो धर्म मार्ग में नहीं आने । अकालप्रतिबोधीनि—

अकाल में जागने वाले और अकाल में ही मृगया-शिकार के लिए उठकर जाने वाले । अकाल परिभोईणि — अकाल में भोजन करने वाले । सइ लाड़े विहाराए — अन्य अच्छे ग्राम्य देश के । सथरमाणेहि — विद्यमान होने पर तथा । जाणवर्णहि — अच्छे अन्य भद्र देश के विद्यमान होने पर । विहार वडियाए — ऐसे देश में विचरने की प्रतिज्ञा से—विहार करने का । नो पवज्जिज्जा गमणाए — मन में विचार न करे अर्थात् ऐसे देशों में विहार करने के लिए कभी सकल्प न करे । केवली बूया — केवली भगवान कहते हैं । आयाणमेय — वह कर्म के आने का कारण है अर्थात् वटा जाने पर कर्म का बन्ध होता है यथा । ते — वे । ण — वाक्यालकार में है । वाला — वाल-अज्ञानी साधु को देखकर साधु के प्रति कहते हैं । अयं — यह । तेणे — चोर है । अयं — यह व्यक्ति । उवचरए — उपचर अर्थात् गुप्तचर (जासूस) है । अय — यह । ततो — वहा से—हमारे शत्रु के गाव से । आगए — आया है अर्थात् हमारा भेद लेने को आया है । त्तिकट्टु — ऐसा कहकर । तं भिवखु — उस भिक्षु को । अक्कोसिज्ज वा — कठोर वचन बोलेंगे । जाव — यावत् । उद्विज्ज वा — मारणातिक उपसर्ग देंगे, या मारेंगे या साधु के । वत्थं चा — वस्त्र । प० — पात्र । क० — कम्बल । पाय० — पादप्रोच्छन तथा रजोहरण या पैर पूछने के वस्त्र आदि का । अच्चिद्विज्ज — छेदन करेंगे । वा — अथवा । भिद्विज्ज — भेदन करेंगे या । अवहरिज्ज वा — उनका अपहरण करेंगे अर्थात् छीन ले । परिट्ठविज्ज वा — या उस मुनि के उपकरणों को तोड़-फोड़ कर फेंक दें । अह भिवखूण — अतः भिक्षुओं को । पु० — तीर्थंकरादि ने पहले ही यह उपदेश दिया है कि । ज — जो । तहप्पगाराइ — तथा प्रकार के । विरुच्च० — नानाविध । पच्चतियाणि — देश की सीमा में होने वाले । दस्सुगा० — चोरो के स्थान में । जाव यावत् । विहारवत्तियाए — विहार करने के लिए । नो पवज्जिज्ज वा गमणाए — मन में विचार भी न करे । तथो — तदनन्तर उक्त स्थानों को छोड़ता हुआ । सजया — समयशील साधु । गा० दू० — ग्रामानुग्राम—एक गाव से दूसरे गाव को विहार करे ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी ग्रामानुग्राम विचरता हुआ जिस मार्ग में नाना प्रकार के देशकी सीमा में रहने वाले चोरो के, म्लेच्छों के और अनाथों के स्थान हो तथा जिनको कठिनता पूर्वक समझाया जा सकता है या जिन्हें आर्य धर्म बड़ी कठिनता से प्राप्त हो सकता है ऐसे अकाल (कुसमय) में जागने वाले, अकाल (कुसमय) में खाने वाले मनुष्य रहते हो, तो अन्य आर्य क्षेत्र के होते हुए ऐसे क्षेत्रों में विहार करने को कभी मन में भी सकल्प न करे । क्योंकि केवली भगवान कहते हैं कि वहां जाना कर्म-बन्धन का कारण है । वे अनाथ लोग साधु को देखकर कहते हैं कि यह चोर

है, यह गुप्तचर है, यह हमारे शत्रु के गांव से आया है, इत्यादि बातें कह कर वे उस भिक्षु को कठोर वचन बोलेंगे उपद्रव करेंगे और उस साधु के वस्त्र, पात्र, कम्बल और पाद प्रोच्छन्न आदि का छेदन भेदन या अपहरण करेगे या उन्हें तोड़ फोड़कर दूर फेंक देगे क्योंकि ऐसे स्थानों में यह सब संभव हो सकता है। इसलिए भिक्षुओं को तीर्थंकरादि ने पहले ही यह उपदेश दिया है कि साधु इस प्रकार के प्रदेशों में विहार करने का सकल्प भी न करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को ऐसे प्रान्तों में विचरना चाहिए जहां आर्य एव धर्म-निष्ठ भद्र लोग रहते हों। परन्तु, सीमान्त पर जो अनार्य देश हैं, जहां पर चोर-डाकू, भील, अनार्य एवं म्लेच्छ लोग रहते हों उन देशों में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि, ये लोग दुर्लभ बोधि होते हैं अर्थात् धर्म एवं आर्यत्व को जल्दी ग्रहण नहीं कर पाते। ये कुसमय में जागृत रहते हैं अर्थात् जिस समय सभ्य एवं सज्जन लोग शयन करते हैं, उस समय उनका धन लूटने के लिए ये लोग जागते रहते हैं और कुसमय में ही भोजन करते हैं तथा उन्हें भक्ष्य-अभक्ष्य का भी विवेक नहीं होता है। यदि ऐसे अनार्य व्यक्तियों के निवास स्थानों की ओर साधु चला जाए तो वे उसे चोर, गुप्तचर आदि समझकर कष्ट देगे, मारेगे-पीटेंगे तथा उसके उपकरण एवं वस्त्र आदि छीन लेंगे या तोड़-फोड़कर दूर फेंक देगे। इसलिए मुनि को ऐसे प्रदेशों की ओर विहार नहीं करना चाहिए।

इससे यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान युग की तरह उस समय भी एक-दूसरे देश की सीमाओं पर तथा अपने राज्य की आन्तरिक स्थिति का तथा चोर-डाकूओं के गुप्त स्थानों का पता लगाने के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति की जाती थी।

प्रस्तुत सूत्र में ऐसे स्थानों पर जाने का निषेध साधु के लिए ही किया गया है, न कि सम्यग्दृष्टि एवं श्रावक के लिए। सम्यग्दृष्टि एवं श्रावक अनुकूल साधुओं के प्राप्त होने पर वहां जाकर उन्हें संस्कारित एवं सभ्य बनाने का प्रयत्न कर सकते हैं।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू० दूइज्जमाणे अंतरा से अरायाणि वा गण-
रायाणि वा जुवरायाणि वा दोरज्जाणि वा वेरज्जाणि वा विरुद्ध-
रज्जाणि सइ लाढे विहाराए संथ० जण० नो विहारवडियाए० ,

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि जिस राज्य में राजा न हो या जिस राज्य में या गणतन्त्र में अशान्ति हो, कलह हो, राज्य प्रबन्ध ठीक न हो, राजा और प्रजा में संघर्ष चल रहा हो, एक ही प्रदेश के दो राजा या दो राजकुमार शासक हों और दोनों में संघर्ष चल रहा हो तो ऐसे देश में साधु को नहीं जाना चाहिए। क्योंकि उसे किसी देश का गुप्तचर आदि समझकर वे उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं।

इससे यह स्पष्ट होता है कि उस युग में भारत में गणराज्य की व्यवस्था भी थी। काशी और कौशल में मल्ल और लिच्छवी जाति के क्षत्रियों का गणराज्य था। इससे यह भी सिद्ध होता है कि उस समय भी भारत कई प्रान्तों (देशों) में विभक्त था, जिनमें अलग-अलग राजाओं का शासन था और एक दूसरे देश के राजा सीमाओं आदि के लिए परस्पर संघर्ष भी करते रहते थे।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा गा० दूइज्जमाणे अंतरा से विहं सि-
या, से जं पुण विहं जाणिज्जा एगाहेण वा दुआहेण वा तिआ-
हेण वा चउआहेण वा पंचाहेण वा पाउणिज्ज वा नो पाउणिज्ज
वा तहप्पगारं विहं अणोगाहगमणिज्जं सइ लाढे जाव गमणाए,
केवली बूया आयाणमेयं, अंतरा से वासे सिया पाणेषु वा पाणेषु
वा वीणेषु वा हरि० उद० मट्टियाए वा अविद्धत्थाए, अह भिक्षू
जं तह० अणोगाह० जाव नो पव० तत्रो सं० गा० दू० ॥११७॥

छाया—स भिक्षुर्वा ग्रामानुग्रामं गच्छन्, अन्तराले तस्य विहं
स्यात्, स यत् पुनः विहं जानीयात् एकाहेन वा द्व्यहेन वा त्र्यहेन वा चतुरहेण
वा पचाहेन वा प्रापणीयं वा नो प्रापणीयं वा तथाप्रकारं विहं अनेकाह गमनीयं
सति लाढे यावद् गमनाय, केवली ब्रूयात् आदानमेतत् अन्तराले तस्य वर्षा स्यात्
प्राणेषु वा पनकेषु वा वीजेषु वा हरितेषु उदकेषु वा मृत्तिकायां वा अविध्वस्तायां,

एगत्रो भोयण भंडगं करिज्जा २ ससीसोवरियं कायं पाए
पमिज्जिज्जा सागारं भत्तं पच्चक्खाइज्जा, एगं पायं जले किच्चा
एगं पायं थले किच्चा तत्रो सं० नावं दुरूहिज्जा ॥११८॥

छा १—स भिक्षुर्वा० ग्रामानुग्रामं गच्छेन्० अन्तराले तस्य नौ-
सन्तार्यमुदकं स्यात्, स यत् पुन. नाव जानीयात् असयतश्च भिक्षुप्रातज्ञया
क्रीणीयात् तापमितीत वा नावा वा नावं परिणाम कृत्वा स्थलाद् वा नावं जले
अवगाहेत, जलाद् वा नाव स्थले उत्कर्षयेत्, पूर्णा वा नाव उत्सिंचेत सन्ना वा
नाव उत्पनात्रयेत् तथाप्रका० १ नावं ऊर्ध्वगामिनी वा अधोगामिनी वा तिर्यग्-
गामिनी वा पर योजनमर्यादया अर्द्धयोजनमर्यादया अल्पतरो वा भूयस्तरो वा
नो दुरूहेत् गमनाय, स भिक्षुर्वा० पूर्वमेव तिर्यक् संपातितां नावं जानीयात्
ज्ञात्वा सः तामादाय एकान्तमपक्रमेत् अपक्रम्य भडग प्रतिलेखयेत् प्रतिक्रिख्य
एकनः भोत्रन भण्डक कुर्यात् कृत्वा सशीर्षोपरिकं कायं पादं प्रमृज्यात्, सागारं
भक्तं प्रत्याख्यायात् एकं पादं जले कृत्वा एकं पादं स्थले कृत्वा ततःसयतः नाव
दूगेहेत् ।

पदार्थ—से भि०वा०—वह साधु या साध्वी । गाम णुगाम—ग्रामानुग्राम । दूइजिज्जा—विहार करते हुए । अतरा से—उस मार्ग के मध्य में । नावा संतारिमे उवए सिया—
नौका द्वारा तैरने योग्य जल हो तो, इस प्रकार के जल से पार होने के लिए । से जं—वह साधु
जो । पुण—फिर । नाव जाणिज्जा—नौका के सम्बन्ध में जाने कि । अ—यदि । असंजए—
गृहस्थ । भिक्खु पडियाए—भिक्षु के लिए । किणिज्ज वा—नौका खरीद ले या । पामिच्चेज्ज
वा—नौका को उधार लेकर साधु को पार उतारे या । नावाए नावं परिणाम कट्टु—एक नौका
से दूसरी नौका का परिवर्तन करके साधु को पार उतारे या । थलाओ वा नावं जलसि ओगा-
हिज्जा—स्थल भूमि पर स्थित नौका को साधु के लिए स्थल से जल में लाए । वा—या । जलाओ
वा नाव थलसि उवकसिज्जा—जल से स्थल में लाए । वा—या । पुण्ण नाव उत्सिचिज्जा—
जल से भरी हुई नौका को साधु के लिए खाली करे या । सन्नं वा नाव उप्पीलाविज्जा—कीचड
में डूबी हुई नौका को निकालकर चलने के लिए तैयार करे । तहप्पगार—तथा प्रकार की नौका ।
उड्ढगामिर्गा—बाहे जल के ऊपर चलने वाली हो अथवा पानी के स्रोत के सामने चलने वाली

हो या । अहेगा०—जल के नीचे चलने वाली हो । तिरियगामि०—तिर्यक् चलने वाली हो । परं जोयण मेराए—उत्कृष्ट योजन की मर्यादा से (एक घण्टे में ८ मील की चाल से) चलने वाली हो । अद्ध जोयण मेराए—या अर्द्धयोजन की मर्यादा से चलने वाली । अप्तरे वा—ऐसी नौका पर थोड़े काल या । भुज्जतरेवा—बहुत काल के लिए । गमणाए—नदी से पार जाने के लिए । नो डुरुहिज्जा—सवार न हो ।

से भिक्खू वा०—वह साधु अथवा साध्वी । पुव्वामेव—पहले ही । तिरिच्छ दंपाइम—तिर्यक् जल में चलने वाली । नावं जाणिज्जा—नौका के सम्बन्ध में जाने । जाणित्ता—श्रीर जानकर । से—वह भिक्षु । तमायाए—उस गृहस्थ की आज्ञा लेकर । एगंतमवक्कमिज्जा—एकान्त स्थान में चला जाए और वहा जाकर । भंडग पडिलेहिज्जा २—भण्डोपकरण की प्रतिलेखना करे और प्रतिलेखन करके । एगमो भोयण भंडगं करिज्जा २—फिर भंडोपकरण को एकत्रित करके ससी-नोवरियं काय—सिर से लेकर शरीर को और । पाए—पैरो को । पमज्जिज्जा—प्रमांजित करे, उसके पश्चात् । सागारं भत्तं पच्चक्खाइज्जा—आगार पूर्वक अन्न पानी का त्याग करे अर्थात् यदि में सकुशल पार हो गया तो आहार पानी करूंगा अन्यथा जीवन पर्यन्त के लिए मेरे आहार पानी का त्याग है, इस प्रकार आगार सहित प्रत्याख्यान करे । एग पाय जले किच्चा—एक पैर जल में रखे और । एग पाय थले किच्चा—एक पैर स्थल में रखे । तत्रो—तदनन्तर । सं०—वह साधु । नाव डुरुहिज्जा—नौका पर चढ़े ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ यदि मार्ग में नौका द्वारा तैरने योग्य जल हो तो नौका से नदी पार करे । परन्तु इस बात का ध्यान रखे कि यदि गृहस्थ साधु के निमित्त मूल्य देना हो या नौका उधार लेकर या परस्पर परिवर्तन करके या नौका को स्थल से जल में या जल से स्थल में लाता हो, या जल से परिपूर्ण नौका को जल से खाली करके या कीचड़ में फंसी हुई को बाहर निकाल कर और उसे तैयार कर के साधु को उस पर चढ़ने को प्रार्थना करे, तो इस प्रकार की ऊर्ध्वगामिनी, अधोगामिनी या तिर्यग् गामिनी नौका, जोकि उत्कृष्ट एक योजन क्षेत्र प्रमाण में, चलने वाली है या अर्द्ध योजन प्रमाण में चलने वाली है, ऐसी नौका पर थोड़े या बहुत समय तक गमन करने के लिए साधु सवार न हो अर्थात् ऐसी नौका पर बैठ कर नदी को पार न करे । किन्तु, पहले से ही तिर्यग् चलने वाली नौका को जानकर, गृहस्थ की आज्ञा लेकर फिर एकान्त

स्थान में चला जाए और वहा जाकर भण्डोपकरण को प्रतिलेखना करके उसे एकत्रित करे, तदनन्तर सिर से पैर तक सारे शरीर को प्रमार्जित करके अगार सहित भक्त पान का परित्याग करता हुआ एक पाव जल में और एक स्थल में रखकर उस नौका पर यत्नापूर्वक चढ़े ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह अभिव्यक्त किया गया है कि विहार करते हुए यदि मार्ग में नदी आ जाए और उसे बिना नौका के पार करना कठिन हो तो साधु अपनी मर्यादा का परिपालन करते हुए विवेक एवं यत्नापूर्वक नौका का उपयोग कर सकता है । यदि मुनि को नदी के किनारे खड़ा देखकर कोई गृहस्थ उसे पार पहुंचाने के लिए नाविक को पैसा देता हो या उससे नौका उधार लेता हो या उससे नाव का परिवर्तन करता हो, तो साधु को उस नाव पर नहीं बैठना चाहिए । इसी तरह यदि कोई नाविक साधु को नदी से पार करने के लिए अपनी नौका को जल में से स्थल पर लाता हो या स्थल घर से जल में ले जाता हो या कर्दम में फंसी हुई नाव को निकाल कर लाता हो, तो साधु उस नौका पर भी सवार न हो, भले ही वह नाव एक योजन गामिनी हो या इससे भी अधिक तेज गति से चलने वाली क्यों न हो । जिस नौका के लिए गृहस्थ को पैसा देना पड़े या जिसमें साधु के लिए नए रूप से आरम्भ करना पड़े साधु उस नाव में न बैठे । परन्तु, जो नाव पहले से ही पानी में हो, तो उस नाव से पार होने के लिए वह नाविक से याचना करे और उसके स्वीकार करने पर एकान्त स्थान में जाकर अपने भण्डोपकरणों को एकत्रित करे और अपने शरीर का सिर से लेकर पैर तक प्रमार्जित करे । उसके पश्चात् सागारिक संथारा करके विवेक पूर्वक एक पैर पानी में और एक पैर स्थल पर रखकर यत्ना से नौका पर चढ़े ।

प्रस्तुत सूत्र में ऊर्ध्वगामिनी, अधोगामिनी और तिर्यग् गामिनी नौकाओं का उल्लेख किया गया है । और इसमें ऊर्ध्व और अधोगामिनी नौकाओं में बैठने का निषेध किया गया है । कारणवश केवल तिर्यग् गामिनी नौका पर सवार होने का ही आदेश दिया गया है । निशीथ सूत्र में भी ऊर्ध्व और अधोगामिनी नौकाओं पर सवार होने वाले को प्रायश्चित्त का अधिकारी बताया गया है ॥ इससे स्पष्ट होता है कि उस समय आकाश में उड़ने एवं पानी के भीतर चलने वाली नौकाएं भी होती थी । ऊर्ध्वगामी नौका से वर्तमान युग के हवाई जहाज जैसे यान का होना सिद्ध होता है और अधोगामी

॥ जे भिक्खु उड्ड्ढ गामिणी वा णावं अहो गामिणि वा णाव दुक्कहत्ति दुक्कहत्तं वा साइज्जइ ।

—निशीथसूत्र, १८, १७ ।

नौका से पनडुब्बी का होना भी प्रमाणित होता है। वृत्तिकार ने उक्त तीनों तरह की नौकाओं का कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है। उपाध्याय पार्वचन्द्र ने इन्हें स्रोत के सामने और स्रोत के अनुरूप और जल के मध्य में गतिशील नौकाएं बताया है। परन्तु यह अर्थ उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। क्योंकि आकाश एवं जल के भीतर चलने वाली नौकाओं के निषेध का तात्पर्य तो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। परन्तु, स्रोत के सामने एवं जल के मध्य में चलने वाली नौका पर सवार नहीं होने का तात्पर्य समझ में नहीं आता। इससे निष्कर्ष यह निकला कि साधु तिर्यग् गामिनी (पानी के ऊपर गति करने वाली) नौका पर सवार हो सकता है ॥

प्रस्तुत सूत्र में एक या अर्ध योजन (८ या ४ मील) तक पानी में रहने वाली नौका पर सवार होने का निषेध किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इतनी या इससे अधिक दूरी का मार्ग नौका के द्वारा तय करना नहीं कल्पता।

नौका में सवार होने के पूर्व जो सागरी अनशन करने का उल्लेख किया गया है, उसका तात्पर्य यह है कि यदि मैं कुशलता पूर्वक किनारे पहुंच जाऊं तो मेरे आहार-पानी का त्याग नहीं है। परन्तु, कभी प्रसंगवश बीच में कोई दुर्घटना हो जाए तो मेरे आहार-पानी आदि का जीवन पर्यन्त के लिए त्याग है।

एक पैर पानी में तथा दूसरा पैर स्थल पर रखने का विधान अप्कायिक जीवों को दया के लिए किया गया है और यहाँ स्थल का अर्थ पानी के ऊपर का आकाश-प्रदेश है, न कि पृथ्वी। इसका तात्पर्य यह है कि साधु को पानी को मथते हुए-आलोलित करते हुए नहीं चलना चाहिए, परन्तु विवेक पूर्वक धीरे से एक पैर पानी में और दूसरा

॥ यह अपवाद मार्ग है। यदि दूसरा लाफ मार्ग हो—जिसमें नदी नहीं पड़ती हो तो साधु को उस मार्ग से जाना चाहिए। यदि अन्य मार्ग न हो और नदी में पानी की अधिकता हो तो मुनि नौका द्वारा उसे पार कर सकता है और यह अपवाद मार्ग उत्तम मार्ग की भांति संघम से सहायक एवं निर्दोष माना गया है। क्योंकि, आगम में इसके लिए कहीं भी प्रायश्चित्त का विधान नहीं किया गया है। वर्तमान में नदी पार करने पर जो प्रायश्चित्त लेने की परम्परा है, वह नौका पर सवार होने या नदी पार करने का प्रायश्चित्त नहीं है। परन्तु, उसके लेने का उद्देश्य यह है कि आगम में जिस विधि से नदी पार करने एवं नौका में सवार होने का उल्लेख किया गया है, उस विधि का यथार्थ पालन नहीं होता है। अतः, प्रमादवश जो आगम की विधि का उल्लंघन होता है, उसका प्रायश्चित्त लिया जाता है, न कि अपवाद मार्ग में नौका में सवार होने का। क्योंकि, अपवाद भी उत्सर्ग की तरह का सम्मार्ग है, यदि आगम में उल्लिखित विधि के अनुरूप सम्भवाव से उसका सेवन किया जाए।

पैर पाती के ऊपर आकाश में रखना चाहिए, इसी विधि से नौका तक पहुँच कर विवेक के साथ नौका पर सवार होना चाहिए।

नौका से सम्बन्धित विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० नावं दुरूहमाणे नो नावाओ पुरओ
दुरूहिज्जा नो नावाओ मग्गओ दुरूहिज्जा नो नावाओ
मज्झओ दुरूहिज्जा नो वाहाओ पगिज्झिय २ अंगुलियाए
उद्दिस्सिय २ ओणमिय २ उन्नमिय २ निज्झाइज्जा । से णं
परो नावागओ नावागयं वइज्जा—आउसंतो ! समणा एयं ता
तुमं नावं उक्कसाहिज्जा वा वुक्कसाहि वा खिवाहि वा रज्जू-
याए वा गहाय आकासाहि, नो से तं परिन्नं परिजाणिज्जा
तुसिणीओ उवेहिज्जा । से णं परो नावागओ नावाग० वइ० --
आउसं० नो संचाएसि तुमं नावं उक्कसित्तए वा ३ रज्जूयाए
वा गहाय आकसित्तए वा आहर एयं नावाए रज्जूयं सयं चेव
णं वयं नावं उक्कसिस्सामो वा जाव रज्जूए वा गहाय आक-
सिस्सामो, नो से तं प० तुसि० । से णं प० आउसं० एयं ता
तुमं नावं आलित्तेण वा पीढएण वा वंसेण वा बलएण वा
अवलुएण वा वाहेहि, नो से तं प० तुसि० । से णं परो० एयं
ता तुमं नावाए उदयं हत्थेण वा पाएण वा मत्तेण वा पडिग्गहेण
वा नावा उस्सिचणेण वा उस्सिचाहि, नो से तं० से णं परो०

समणा ! एयं तुमं नावाए उत्तिंगं हृत्थेण वा पाएण वा बाहुणा
 वा उरुणा वा उदरेण वा सीसेण वा काएण वा उस्सिच्चणेण वा
 चेलेण वा मट्ठियाए वा कुसपत्तएण वा कुविंदएण वा पिहेहि,
 नो से त० ॥ से भिक्खू वा २ नावाए उत्तिंगेण उदयं आसवमाणं
 पेहाए उवरुवरिं नावं कज्जलावेमाणिं पेहाए नो परं उवसंकमित्तु
 एत्रं बूया—आउसंतो गाहावइ एयं ते नावाए उदयं उत्तिंगेण
 आसवइ उवरुवरिं नावा वा कज्जलावेइ, एयप्पगारं मणं वा
 वायं वा नो पुरओ कट्ठु विहरिज्जा अप्पुस्सुए अबहिल्लेसे
 एगंतगएण अप्पाणं विउसेज्जा समाहीए, तत्रो सं० नावा
 संतारिमे व्यउदए आहारियं रीइज्जा, एयं खलु सया जइज्जासि
 त्तिवेमि ॥११६॥

छाया—न भिच्छुवा० नावं दूरोहन् न नावः पुरतो दूरोहेत्—
 (आरोहेत्) न नावः मार्गतः दूरोहेत्-आरोहेत् नो नावः मध्यतः आरुहेन्न
 बाहुभ्यां प्रगृह्य २ अङ्गुल्या उद्दिरय २ अवनम्य २ उवनम्य २ निध्यायेत् ।
 सपरः नौगतः नौगतं वदेद् आयुष्मन्तः श्रमणाः ! एता तावत् त्व नावमु-
 त्कर्षस्व, व्युत्कर्षस्व, क्षिपस्व वा रज्जा वा गृहीत्वा आकर्षस्व ? न स तां
 परिज्ञां परिजानीयात् तूष्णीकः उपेक्षेत । स परो नौगतो नौगत वदेद्-आयु-
 ष्मन्तः श्रमणाः ! न शक्नोषि त्व नावमुत्कर्षियतु वा ३ रज्ज्वा वा गृहीत्वा
 आकर्षियतु वा आहर एतां नावः रज्जूका स्वयं चैव वय नाव उत्कर्षि-
 ष्यामः वा यावद् रज्ज्वा गृहीन्वा आकर्षिष्यामः, न स ता परिज्ञा परिजानीयात्
 तूष्णीक उपेक्षेत । स परः आयुष्मन्तः श्रमणाः ! एतां त्व नावमालिन्तेन वा

पीठकेन वा वशेन वा बलकेन वा अवलुकेन वा वह, न स ता परिज्ञा परि-
जानीयात् तूष्णीकः उपेक्षेत । स परः एतां तावत् त्वं नावि उदकं हस्तेन
वा पादेन वा अमत्रेण वा पतद्ग्रहेण वा नावुर्द्विषचनेन वा उर्त्सिञ्चिष्व ?
न स तां । स परः० श्रमणाः ! एतां त्वं नावः रन्ध्रं हस्तेन वा पादेन
वा बाहुना वा उरुणा वा उदरेण वा शीर्षेण वा फायेन वा उर्त्सिच-
नेन वा चैलेन वा मृत्तिकया वा कुशपत्रेण वा कुविन्दकेन वा पित्रेहि न स
ता । स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा नावः रन्ध्रोदकमाश्रवमाणं प्रेक्ष्य उपर्युपरि
नावं प्लाव्यमानां प्रेक्ष्य न परं उपसंक्रमितुमेवं ब्रूयात् आयुष्मन् ! गृहपते !
एतत् ते नावि उदकं रन्ध्रेण आस्रवति, उपर्युपरि नौ वा प्लवते, एतत् प्रकारं
मनो वा दाचं वा न पुरतः कृत्वा विहरेत् । अल्पोत्सुकः अवहिल्लैरयः एकान्त-
गतेन आत्मानं व्युत्सृजेत् समाधिना, ततः संयतः नौ सन्तार्यं चोदक यथाऽऽर्यं
रीयेत्—गच्छेत् एता खलु सदा यायात् इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—स भिक्षू वा—वह साधु या साध्वी । नाव—नौका पर । दुरुहमाणे—
चढ़ता हुआ । नावाग्रो—नौका के । पुरग्रो—आगे । नो दुरुहिज्जा—न बैठे । नावाग्रो—नौका
के । मज्जग्रो—मध्य में । नो दुरुहिज्जा—न बैठे । नावाग्रो—नौका के । दूमगग्रो—पीछे ।
नो दुरुहिज्जा—न बैठे । बाहग्रो—नौका की दोनों और की बाहों को । पगिञ्चिष्व २—
पकड़ कर २ । अगुलियाए—अगुली को । उर्त्सिच २—उद्देश्य करके । अगुलिय—अगुली ऊंची
करके और । उन्नमिय २—विशेष ऊंची करके । नो निज्जाइज्जा—गानी को न देखे । ण—
वाक्यालंकार में है । से—वह नाविक । परो—अन्य । नावाग्रो—नावा में बैठा हुआ । नावाग्य—
नौका में सवार साधु के प्रति यदि । चइज्जा—कहे कि । आउसतो सनणा—हे आयुष्मन्
श्रमण ! ता—पहले । एध—इस । नाव—नौका को । तुमं—तू । उक्कसाहिज्जा—अमुक दिशा
की ओर खींच ले अथवा । उक्कसाहि वा—विशेष रूप से खींच ले । खिवाहि वा—अथवा अमुक
वस्तु को नौका में रखकर इसे चला ले या । रज्जूयाए वा गहाय—रस्सी को पकड़ कर खींच ले ।
से—वह भिक्षु । त—उम नाविक के । परिन्नं—इस प्रकार के वचन को । नो परिजाणिज्जा—
स्वीकार न करे । किन्तु । तुसिणीग्रो—मौन रूप में । उवेहिज्जा—स्थित रहे अर्थात् उसको हा
या ना कुछ भी न बहे । ण—वाक्यालंकार में है ।

पदार्थ—से—वह । परो—अन्य । नावाग्रो—नौका में बैठा हुआ नाविक । नावाग०—
नौका में स्थित साधु के प्रति । चइ०—कहे कि । आउस०—हे आयुष्मन् श्रमण ! यदि । तुमं—
तू । नाव—नौका को । उक्कसित्तए वा—खींचने के लिए । नो सचाएसि—समर्थ नहीं हैं तो

फिर । रज्जुयाए वा—रस्ती को । गहाय—पकड़ कर । आकसित्तए वा—यह रस्ती । आहर-
मुझे दे दे । एय—इस । नावाए—नौका को । रज्जुय—रज्जू से । सय—मैं स्वयं अपने आप ।
र्ष—फिर । एव—निश्चय ही । णं—वाक्यालंकार में है । वयं—हम लोग । नाव—नौका को ।
उक्कसिस्सामो—दूढ़ कर लेंगे । जाव—यावत् । रज्जूए—रज्जू को । गहाय—ग्रहण करके ।
आकसिस्सामो—रज्जू बान्ध कर विशेष रूप से दूढ़ करेंगे । से—वह भिक्षु । त—उस नाविक
के । प०—इस वचन को भी । नो परिजाणिज्जा—स्वीकार न करे किन्तु । तुसि०—
मौन भाव में रहे अर्थात् चुप रहे ।

पदार्थ—से—वह गृहस्थ । णं—वाक्यालंकार में है । प०—पर-अन्य नाव में बैठा
हुआ नाविक साधु के प्रति कहता है कि । आउस—हे आद्युष्मन् श्रमण ! ता—पहले । तुमं—
तू । एयं—इस । नाव—नाव को । आलित्तेण वा—नौका के चलाने वाले चप्पू से या । पीढएण
वा—पीठ से या । वसेण वा—वास से अथवा । वलएण वा—वहली से—नौका के उपकरण
विशेष से या । अवलुएण वा—नौका को चलाने का वास विशेष, उममें । बाहेहि—नौका का
आगे चला । से—वह भिक्षु । त—उस नाविक के । प०—इस वचन को भी । नो परिज-
णिज्जा—स्वीकार न करे किन्तु । तुसि०—मौन भाव से चुप रहे । णं—वाक्यालंकारमें है ।

पदार्थ—से—वह । परो—अन्य नाव में बैठा हुआ नावागत साधु के प्रति कहने लगा ।
समणा ।—हे आद्युष्मन् श्रमण ! ता—पहले । तुमं—तू । एयं—इस । नावाए—
नौका में । उदर्यं—भरे हुए पानी को । हत्थेण वा—हाथ से । पाएण वा—अथवा पैर से या ।
मणत्ते वा—पात्र से । पडिग्गहेण वा—या बर्तन से या । नावा उस्सिचणेण वा—नौका में रखे
हुए पानी उलीचने के पात्र से । उस्सिचाहि—इस पानी को नौका से बाहर निकाल । नो से तं-
वह साधु उस नाविक के उन वचनों को भी स्वीकार न करे किन्तु मौन धारण करके बैठा रहे ।
ण—वाक्यालंकार में है ।

पदार्थ—से—वह । परो—अन्य नावा में बैठा हुआ नावागत साधु के प्रति कहने लगा ।
समणा ।—हे आद्युष्मन् श्रमण ! तुमं—तू । एयं—इस । नावाए—नौका के । उत्तिंगं—छिद्र
को । हत्थेण वा—हाथ से । पाएण वा—पैर से । बाहुणा वा—बाहु-भुजा से । उरुणा वा—
जघादि से । उदरेण वा—पेट से । सीसेण वा—सिर से । काएण वा—शरीर से । उस्सिचणेण
वा—उत्सिचन—नौका से जल निकालने के पात्र विशेष से या । चेलेण वा—बस्त्र से । मट्ठिया
वा—मिट्टी से या । कुसपत्तेण वा—कुशापत्र से । कुविदएण वा—कुविन्द नामक तृण विशेष
से । पिहेहि—बन्द कर दे । नो से तं—वह साधु उस नाविक के इस वचन को भी स्वीकार न
करे किन्तु मौनावलम्बन करके बैठा रहे ।

पदार्थ—से भिक्षु वा०—वह साधु अथवा साध्वी । नावाए—नौका के । उत्तिंगेण—

छिद्र के द्वारा । उदय — पानी को । आसवमाणं — आता हुआ । पेहाए — देखकर । उवस्वरि — बहुत से जल से । नाव — नौका को । कञ्जलावेमाणि — भरी हुई । पेहाए — देखकर । पर — अन्य गृहस्थ के । उवसकमित्त — पास जाकर । नो एयं ब्रूया — इस प्रकार न कहे कि । आवसतो ग हावइ — हे आयुष्मन् गृहपते ! एयते — तुम्हारी इस । नावाए — नौका में । उत्तिगेण — छिद्र के द्वारा । उदयं — जल । आसवइ — प्रारहा है । उवस्वरि — ऊपर २ बहुत जल से । नावा वा — नौका । कञ्जनवेइ — भर रही है । एवप्पगार — इस प्रकार के । मण वा वाय वा — मन अथवा वचन को । पुरओ कइट्टु — आगे करके अर्थात् प्रधान रखकर । नो विहरिज्जा — विहरण न करे किन्तु । अप्पुस्सुट्टु — शरीर तथा उपकरणदि पर ममत्त्व न रखता हुआ, और । अब हिल्लेसे — जिस की समय से बाहर लेश्या नहीं है तथा । एगतगएण — एकान्त गत अर्थात् राग द्वेष से रहित होकर । अप्पाण — आत्मा को-आत्मगत ममत्व भाव को । विउसेज्जा — छोड़ कर और । सभाहीए — ज्ञानदर्शन तथा चारित्र्य में समाहित होकर रहे । तओ — तदनन्तर । संजयामेव — मयत्त साधु । नावासतारिमे — नौका से तरने योग्य । व्यउवए — जल में । आहारिय — जिस प्रकार अनन्त तीर्थकरों ने ईर्या का वर्णन किया है उसी प्रकार । रीइज्जा — चले । एवं खलु — निश्चय ही यह । सया — सदा ही । जइज्जासि — यतना शील वने । तिवेमि — इस प्रकार में करता हूँ ।

मूलार्थ — साधु या साध्वी नौका पर चढते हुए नौका के आगे, पीछे और मध्य में न बैठे । और नौका के बाजू को पकड़कर या अंगुली द्वारा उद्देश्य (स्पर्श) करके तथा अंगुली ऊची करके जल को न देखे । यदि नाविक साधु के प्रति कहे कि हे आयुष्मन् श्रमण ! तू इस नौका को खीच या अमुक वस्तु का नौकामे रखकर और रज्जू को पकड़कर नौका को अच्छी तरह से बान्ध दे । या रज्जू के द्वारा जोर से कस दे । इस प्रकार के नाविक के वचनो को साधु स्वीकार न करे किन्तु मग्न वृत्ति को धारण कर अवस्थित रहे ।

यदि नाविक फिर कहे कि आयुष्मन् श्रमण ! यदि तू इस प्रकार नहीं कर सकता तो मुझे रज्जू लाकर दे । हम स्वयं नौका को दृढ बन्धनी से बान्ध लेंगे और उसे चलायेंगे फिर भी साधु चुप रहे ।

यदि नाविक कहे कि आयुष्मन् श्रमण ! तू इस नौका को चप्पू से,

पीठ से, बांस से, बलक और अबलुक से आगे कर दे। नाविक के इस वचन को भी स्वीकार न करता हुआ साधु मौन रहे।

फिर नाविक बोले कि आयुष्मन् श्रमण ! तू नाव में भरे हुए जल को हाथ से, पांव से, भाजन से, पात्र से और उत्सिंचन से बाहर निकाल दे। नाविक के इस कथन को भी अस्वीकार करता हुआ साधु मौन रहें। यदि फिर नाविक कहे कि — आयुष्मन् श्रमण ! तू नावा के इस छिद्र को हाथ से, पैर से, भुजाओं से, जंघा से, उदर से, सिर से और शरीर से, नौका से जल निकालने वाले उपकरणों से, वस्त्र से, मिट्टी से, कुश पत्र और कुबिंद से रोक दे — बन्द कर दे। साधु नाविक के उक्त कथन को भी अस्वीकार कर मौन धारण करके बैठा रहे।

साधु या साध्वी नौका में छिद्र के द्वारा जल भरता हुआ देखकर एवं नौका को भरती हुई देखकर, नाविक के पास जाकर ऐसे न कहे कि हे आयुष्मन् गृहपते ! तुम्हारी यह नौका छिद्र द्वारा जल से भर रही है और छिद्र से जल आ रहा है। इस प्रकार के मन और वचन को उस और न लगाता हुआ विचरे। वह शरीर एवं उपकरणादि पर मूर्छा न करता हुआ, लेश्या को संयम में रखे तथा ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य में समाहित होकर आत्मा को राग और द्वेष से रहित करने का प्रयत्न करे। और नौका के द्वारा तैरने योग्य जल को पार करने के बाद जिस प्रकार तीर्थंकरों ने जल के विषय में ईर्या समिति का वर्णन किया है—उसी प्रकार उसका पालन करे। यही साधु का समग्र आचार है अर्थात् इसी में उसका साधु भाव है। इस प्रकार मैं कहता हूं।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि नाविक साधु को नौका के बांधने एवं खोलने तथा चलाने आदि का कोई भी कार्य करने के लिए कहे तो साधु को उसके वचनों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। परन्तु, मौन रहकर आत्म-चिन्तन में सलग्न रहना

चाहिए। इसी तरह नौका में पानी भर रहा हो तो साधु को उसकी सूचना भी नहीं देनी चाहिए। इन सूत्रों से कुछ पाठकों के मन में यह सन्देह हो सकता है कि यह सूत्र दया-निष्ठ साधु की अहिंसा एवं दया भावना का परिपोषक नहीं है। परन्तु, यदि इस सूत्र पर गहराई से सोचा-विचारा जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रस्तुत सूत्र साधु के अहिंसा महाव्रत का परिपोषक है। क्योंकि, साधु ६ काय का संरक्षक है, यदि वह नाव को खींचने, बांधने एवं चलाने आदि का प्रयत्न करेगा तो उसमें अनेक त्रस एवं स्थावर कायिक जीवों की हिंसा होगी और नौका में छिद्र आदि का कथन करने से एकाएक लोगों के मन में भय की भावना का संचार होगा। जिससे उनमें भाग दौड़ मच जाना सम्भव है और परिणाम स्वरूप नाव खतरनाक स्थिति में पहुँच सकती है। इसलिए साधु को इन सब भ्रमों से दूर रहकर अपने आत्म-चिन्तन में संलग्न रहना चाहिए। इसमें उन अन्य व्यक्तियों के साथ साधु स्वयं भी तो उसी नौका में सवार है। यदि नौका में किसी तरह की गड़बड़ होती है तो उसमें साधु का जीवन भी तो खतरे में पड़ता है। फिर भी साधु अपने लिए किसी तरह का प्रयत्न नहीं करता। क्योंकि, जिस प्रवृत्ति में अन्य जीवों की हिंसा हो वैसी प्रवृत्ति करना साधु को नहीं कल्पता। प्रस्तुत सूत्र में साधुत्व की उत्कृष्ट साधना को लक्ष्य में रखकर यह आदेश दिया है कि वह मृत्यु का प्रसंग उपस्थित होने पर भी नाव में होने वाली किसी तरह की सावध प्रवृत्ति में भाग नहीं ले परन्तु मौन भाव से आत्म-चिन्तन में लगा रहे।

यदि कोई साधारण साधु कभी परिस्थितिबश व्यावहारिक दृष्टि को सामने रखकर नौका को संकट से बचाने के लिए कोई प्रयत्न करे तो उसे भगवान द्वारा दी गई आज्ञा के उल्लंघन का प्रायश्चित्त लेना चाहिए। निशीथ सूत्र में नौका सम्बन्धी कार्य करने का जो प्रायश्चित्त बताया गया है वह— जो लोगों के प्रति मुनि की दया भावना है, उनकी रक्षा की दृष्टि है, उसका नहीं है वह प्रायश्चित्त केवल मर्यादा भंग का है। क्योंकि, उक्त प्रवृत्ति में प्रमादबश हिंसा का होना भी सम्भव है, इसलिए उक्त दोष का निवारण करने के लिए ही प्रायश्चित्त का विधान किया गया है। और उक्त क्रियाओं के करने का लक्ष्य चौमासिक प्रायश्चित्त बताया गया है॥

कुछ प्रतियों में प्रस्तुत सूत्र का अन्तिम अंश इस प्रकार भी मिलता है— ‘एवं खलु तस्स भिक्खुस्स भिक्खुणीए वा सामग्गियं ज सव्वट्ठेहि सहित्ते सदा जएज्जासि।’ परन्तु, इससे अर्थ में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता है।

प्रस्तुत सूत्र में साधु की विशिष्ट साधना एवं उत्कृष्ट अध्यवसायों का उल्लेख किया गया है। नौका में आरूढ़ हुआ साधु अपने विचार एवं चिन्तन को इधर उधर न लगाकर आत्म चिन्तन में ही लगाए रहता है और ६ काय की रक्षा के लिए अपने जीवन का व्यामोह भी नहीं रखता है। इसलिए नौका में पानी भरने की स्थिति में भी जबकि उसका अपना जीवन भी संकट में पड़ा हो, आध्यात्मिक विचारणा में व्यस्त रहना उसकी विराट् साधना का प्रतीक है, इससे उसके आत्म-चिन्तन की स्थिरता का स्पष्ट परिचय मिलता है। इस तरह प्रस्तुत सूत्र में दिया गया आदेश साधुत्व की विशुद्ध साधना के अनुकूल ही प्रतीत होता है।

‘त्तिवेमि’ की व्याख्या पूर्ववत् समझें।

॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

तृतीय अध्यायन-ईयैषणा

द्वितीय उद्देशक

प्रथम उद्देशक के अन्तिम दो सूत्रों में नौका से नदी पार करने का उल्लेख किया गया है। अब प्रस्तुत उद्देशक में यह अभिव्यक्त किया गया है कि नौका पर सवार होने के पहले और बाद में साधु को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस विषय को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से शां परो शावा० आउसंतो समणा ! एयं ता तुमं
छत्तगं वा जाव चम्मछेयणगं वा गिरहाहि, एयाणि तुमं विरुव-
रूवाणि सत्थजायाणि धारेहि, एयं ता तुमं दारगं वा पज्जेहि,
नो से तं० ॥१२०॥

छाया—स परः नाविगतः नाविगतं वदेत् आयुष्मन् श्रमण ! एतत् तावत् त्व
छत्रकं वा यावत् चर्मछेदनकं वा गृहाण एतानि त्वं विरूपरूपाणि शस्त्रज्ञातानि
धारय ? एतं तावत् त्वं दारकं वा पायय, न स तां परिज्ञां परिजानीयात्, तूष्णीकः
उपेक्षेत ।

पदार्थ—ण —वाक्यालंकार में है। से—वह। परो शावा०—यदि नात्रिक नौका में
वैठे हुए मुनि को इस प्रकार। वदेज्जा—कहे। आउसंतो समणा—हे आयुष्मन् श्रमण !।
ता—पहले। तुमं—तू। एयं—मेरे इस। छत्तगं वा—छत्र। जाव—यावत्। चम्मछेयणगं
वा—चर्म छेदिका—चमडे को काटने के शस्त्र विशेष को। गिरहाहि—ग्रहण कर और फिर।
तुमं—तू। एयाणि—ये। विरुवरूवाणि—नाना प्रकार के जो। सत्थजायाणि—शस्त्र-आयुध
विशेष हैं इनको। धारेहि—धारण कर, तथा। ता—पहले। तुमं—तू। एयं—इस। दारगं—
वालक को। पज्जेहि—पानी आदि पिला दे। से—वह साधु। तं—उस नाविक-गृहस्थ के
इस। परिन्नं—वचन को। नो परिजाणिज्जा—स्वीकार न करे किन्तु। तुसिणीओ—मीन
धारण करके। उवेहेज्जा—वैठा रहे।

मूलार्थ—यदि नाविक नाव पर सवार युनि को यह कहे कि हे आयु-
ष्मन् श्रमण ! बहने तू मेरा छत्र यावत् चर्मछेदन करने के शस्त्र को
ग्रहण कर । इन विविध शस्त्रों को धारण कर और इस बालक को पानी
पिला दे । वह साधु उसके उक्त वचन को स्वीकार न करे, किन्तु मौन
धारण करके बैठा रहे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि नाविक साधु को छत्र, शस्त्र आदि
धारण करने के लिए कहे या अपने बालक को पानी पिलाने के लिए कहे तो साधु
उसकी बात को स्वीकार न करे, किन्तु मौन भाव से आत्म चिन्तन में संलग्न रहे।
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि नाविक मुनि जीवन से सर्वथा अपरिचित होने के कारण उसे
ऐसे आदेश देता है । यदि वह साधु के त्याग निष्ठ जीवन से परिचित हो तो वह साधु
के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता । अतः उसके भाषण करने के ढंग से उसकी
अनभिज्ञता प्रकट होती है और साधु के मौन रहकर उसके आदेश को अस्वीकार करने
के पीछे एकमात्र प्राणी जगत की रक्षा एवं संयम साधना को विशुद्ध रखने का भाव
स्पष्ट होता है । क्योंकि, यदि साधु छत्र, शस्त्र आदि धारण करेगा तथा नाविक के बच्चों
को पानी पिलाएगा या उसके ऐसे ही अन्य कार्य करेगा तो उसमें त्रस एवं स्थावर अनेक
जीवों की दिसा होगी और परिणाम स्वरूप उसकी संयम साधना भी टूट जाएगी । अतः
साधु को नाविक के आदेशानुसार कार्य नहीं करना चाहिए, परन्तु मौन भाव से उसे
अस्वीकार करके अपनी आध्यात्मिक साधना में व्यस्त रहना चाहिए ।

नाविक का कार्य न करने पर यदि कोई नाविक क्रुद्ध होकर साधु के साथ
दुष्टता का व्यवहार करे, उसे उठाकर नदी की धारा में फेंक दे तो उस समय साधु को
क्या करना चाहिए ? इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से णं परो नावागए नावागयं वएज्जा!—आउसंतो !
एस णं समणे नावाए भंडभारिए भवइ, से णं बाहाए गहाय
नावाओ उदगंसि पक्खिविज्जा, एयप्पगारं निग्घोसं सुच्चा निसम्म
से य चीवरधारी सिया खिप्पामेव चीवराणि उव्वेढिज्ज वा निवे-

ढिञ्ज वा उप्फेसं वा करिञ्जा, अह० अभिवकंतकूरकमा खलु
 बाला बाहाहिं गहाय ना० पक्खिविञ्जा से पुब्बामेव वइञ्जा—
 आउसंतो ! गाहावई मा मेत्तो बाहाए गहाय नावात्थो उदगंसि
 पक्खिवह, सयं चैव णं अहं नावात्थो उदगंसि त्रोगाहिस्सामि,
 से णोवं वयंतं परो सहसा बलसा बाहाहिं ग० पक्खिविञ्जा तं
 नो सुमणे सिया, नो दुम्मणे सिया, नो उच्चावयं मणं नियंछिञ्जा
 नो तेसिं बालाणं घायए वहाए समुट्ठिञ्जा, अप्पुस्सुए जाव
 समाहीए तत्थो सं० उदगंसि पविञ्जा ॥१२१॥

छाया—स परो नौगतः नौगतं वदेत्-आयुष्मन् ! एष श्रमणः नावि
 भायडभारोभवति, तदेनं बाहुभ्यां गृहीत्वा नावः उदके प्रक्षिपत एतत् प्रकारं
 निर्घोषं श्रुत्वा निशम्य स च चीवरधागी स्यात्, क्षिप्रमेव चीवराणि उद्वेष्टयेद्
 वा निर्घोषयेद् वा, उप्फेसं-शिरवेष्टनं वा कुर्यात्, अथ पुनरेवं जानीयाद् अभि-
 कान्तकूरकर्माणः खलु बालाः बाहुभ्या गृहीत्वा नावः उदके प्रक्षिपेयुः स
 पूर्वमेव वदेत्-आयुष्मन् गृहपते ! मा मा, इतो बाहुभ्या गृहीत्वा नावः उदके
 प्रक्षिपत ! स्वयं चैव अहं नावः उदके अवगाहिष्ये तम् एव वदन्त परः सहसा
 बलेन बाहुभ्या गृहीत्वा नावः उदके प्रक्षिपेत् तदा न सुमनाः स्यान्न दुर्मनाः
 स्यान्न उ ॥१२१॥ अतः नियच्छेन्न तेषां बालानां घाताय वधाय समुत्तिष्ठेद्
 अत्पोत्सुकः यावन् समाधिना ततः भयतमेव उदके प्लवेत् ।

पदानि—जं वासातकार मे हे । से—यह । परो नावागए—नौका पर सवार
 नाविक । नावामय—याः नौका पर चढ़े हुए अन्य गृहस्थ । ० । वइञ्जा—इस प्रकार रहे ।
 ण—वातवातान्तर मे हे । आउसत—हे आयुष्मन् गृहस्थ ! एत—यह । समणे—साधु ।
 नायाए—नौका मे चढ़ा हुआ साधु । भइन्नारिए भवइ—नेटारहित भाण्डोपकरण की भांति

भार रूप हैं। णं—प्राग्बत् । से—इसको । बाहाए—भुजाओं से । गहाय—पकड़कर । नावाओ—नाव से बाहर । उदगंसि—जल में । पक्खिविज्जा—फँक दो-गिरा दो । एयप्पगार—इस प्रकार के । निग्घोस—निर्घोष शब्द को । सुच्चा—सुनकर । निसम्म—दिल में विचार कर । य—फिर । से—वह साधु । चीवरधारी सिया—यदि वस्त्रधारी हो तो । खिप्पामेव—जल्दी ही । चीवराणि—वस्त्रों को । उग्गेडिज्जा—पृथक् कर दे । वा—अथवा । निवेडिज्जा वा—एकत्र कर उन्हें भली-भान्ति बान्ध ले या । उप्फेस वा करिज्जा—सिर पर लपेट ले । अह पुणेव जाणिज्जा—और फिर इस प्रकार जाने । खलु—निश्चयार्थक है । अमिकंत कूर कम्मा—अत्यन्त क्रूर कर्म करने वाला । बाला—ये अज्ञानी जीव । बाहाहि गहाय—मुझे भुजाओं से पकड़ कर । नावाओ—नौका से बाहर । उदगंसि—जल में । पक्खिविज्जा—गिरावेंगे । से—वह साधु । पुब्बामेव—उससे पूर्व ही उनके प्रति इस प्रकार । वड्ढज्जा—कहे । आउसंतो गाहावई—आयुष्मन् गृहस्थो ! मेत्तो—मुझे इस नौका से । बाहाए गहाय—भुजाओं से पकड़ कर । नावाओ—नौका से बाहर । उदगंसि—जल में । मा पक्खिवह—मत फँको । च—फिर । एव—निश्चय । ण—वाक्यालंकार में है । अहं—मैं । सय—स्वयं ही । नावाओ—तुम्हारी नौका से । उदगंसि—जल में । ओगाहिम्मसामि—उतर जाऊंगा । से—उस साधु के । णं—प्राग्बत् । एव—इस प्रकार । वयल—बोलते हुए यदि । परो—अन्य गृहस्थ । सहसा—साहस पूर्वक शीघ्र ही । बलसा—बल पूर्वक । बाहाहि गहाय—उसे भुजाओं से पकड़ कर । पक्खिविज्जा—जल में फँक दे । त—तो वह साधु । सुमणे—श्रेष्ठ मन वाला । नो सिया—न हो तथा । दुम्मणे—दुष्ट मन वाला भी । नो सिया—न होवे और । नो उच्चावय मणं नियं-छिज्जा—अपने मन को ऊँचा नीचा भी न करे तथा । तेसि बालाणं—उन बाल अज्ञानी जीवों का । घावाए—घात करने के लिए । वहाए—वध करने के लिए भी । नो समुट्ठिज्जा—उद्यत न हो अर्थात् उनके विनाश का उद्योग न करे किन्तु । अप्पुस्सुए—राग-द्वेष से रहित होकर । जाव—यावत् । समाहीए—समाधि से संयम में विचरे । तओ—तदनन्तर । अं—साधु । उदगंसि—जल में । पक्खिज्जा—शांति पूर्वक प्रविष्ट हो जाए, तात्पर्य यह है कि जल में वहता हुआ मन में उन गृहस्थादि के प्रति किसी प्रकार का राग द्वेष न रहे ।

मूलार्थ—यदि नाविक नौका पर बैठे हुए किसी अन्य गृहस्थ को इस प्रकार कहे कि हे आयुष्मन् गृहस्थ ! यह साधु जड़ वस्तुओं की तरह नौका पर केवल भार भूत ही है । यह न कुछ सुनता है और ना कोई काम ही करता है । अतः इसको भुजा से पकड़ कर इसे नौका से बाहर जल में फँक दो । इसप्रकार के शब्दों को सुनकर और उन्हें हृदय में धारण करके

वह मुनि यदि वस्त्रधारी है तो शीघ्र ही वस्त्रों को फैलाकर, फिर उन्हें अपने सिर पर लेपट कर विचार करे कि ये, अत्यन्त क्रूर कर्म करने वाले अज्ञानी लोग मुझे भुजाओं से पकड़कर नौका से बाहर जल में फेंकना चाहते हैं। ऐसा विचार कर वह उनके द्वारा फेंके जाने के पूर्व ही उन गृहस्थों को सम्बोधित करके कहे कि आयुष्मन् गृहस्थो ! आप लोग मुझे भुजाओं से पकड़ कर जबरदस्ती नौका से बाहर जल में मत फेंको। मैं स्वयं ही इस नौका को छोड़ कर जलमें प्रविष्ट हो जाऊंगा। साधु के ऐसे कहने पर भी यदि कोई अज्ञानी जीव शीघ्र ही बलपूर्वक साधु की भुजाओं को पकड़ कर उसे नौका से बाहर जल में फेंकदे, तो जल में गिरा हुआ साधु मन में हर्ष-शोक न करे। वह मनमें किसी तरह का संकल्प-विकल्प भी न करे और उनकी घात-प्रतिघात करने का तथा उनसे प्रतिशोध लेने का विचार भी न करे इस तरह वह मुनि राग द्वेष से रहित होकर समाधिपूर्वक जल में प्रवेश कर जाए।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में साधु को हर परिस्थिति में समभाव बनाए रखने का आदेश दिया गया है। साधुता का आदर्श ही यह है कि वह दुःखों की तपती हुई दीपहरी में भी समभाव की सरस धारा को न सूखने दे। अपने आदेश का पालन होते हुए न देखकर यदि कोई नाविक उसे नदी की धारा में फेंकने की योजना बनाए और साधु उसे सुन ले तो उस समय साधु उस पर क्रोध न करे और न उसका अनिष्ट करने का प्रयत्न करे, प्रत्युत वह उससे मधुर शब्दों में कहे कि तुम मुझे फेंकने का कष्ट क्यों करते हो। यदि मैं तुम्हें बोझ रूप प्रतीत होता हूँ और तुम मुझे तुरन्त ही नौका से हटाना चाहते हो तो तो मैं स्वयं ही सरिता की धारा में उतर जाता हूँ। उसके इतना कहने पर भी यदि कोई अज्ञानी नाविक उसका हाथ पकड़कर उसे जल में फेंक दे, तो साधु उस समय शांत भाव से अपने भौतिक देह का त्याग कर दे। परन्तु, उस समय उन व्यक्तियों पर मन से भी क्रोध न करे और न उनसे प्रतिशोध लेने का ही सोचे और उन्हें किसी तरह का अभिशाप भी न दे और न दुर्वचन ही कहे।

प्रस्तुत सूत्र में साधुता के आदर्श एवं उज्ज्वल स्वरूप का एक चित्र उपर्युक्त

किया गया है। साधु की इस विराट् साधना का यथार्थ रूप तो अनुभव गम्य ही है, शब्दों के द्वारा उस स्वरूप को प्रकट करना कठिन ही नहीं, असम्भव है। आत्मा के इस विशुद्ध आचरण के सामने दुनिया की सारी शक्तियाँ निस्तेज हो जाती हैं इसके प्रखर प्रकाश के सामने सहस्र-सहस्र सूर्यों का प्रकाश भी धूमिल सा प्रतीत होता है। आत्मा की यही महान् शक्ति है जिसकी साधना करके मानव आत्मा से परमात्मा बनता है, साधक से सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है।

इस सूत्र में सचेतक साधु को ही निर्देश करके यह आदेश दिया गया है। क्योंकि, जिनकल्पी मुनि मुखवस्त्रिका एवं रजोहरण ही रखते हैं, परन्तु, यहाँ पर वस्त्रों को फँसाकर फिर उन्हें समेटने का आदेश दिया गया है। इससे यही स्पष्ट होता है कि यह पाठ स्थविर कल्पी मुनि को लक्ष्य करके कहा गया है। परन्तु, सूत्रकार ने प्रस्तुत प्रकरण में वस्त्र की तरह पात्र का स्पष्ट उल्लेख क्यों नहीं किया, यह विद्वानों के लिए विचारणीय है।

यदि कोई नाविक साधु को जल में फँक दे तो उस समय उसे क्या करना चाहिए इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० उदगंसि पवमाणो नो हत्थेण हत्थं
 पाएण पायं काएण कायं आसाइज्जा, से अणासायणाए अणा-
 सायमाणो तत्रो सं० उदगंसि पविज्जा ॥ से भिक्खू वा० उदगंसि
 पवमाणो नो उम्मुग्गनिमुग्गियं करिज्जा, मामेयं उदगं कन्नेसु
 वा अच्चीसु वा नक्कंसि वा मुहंसि वा परियावज्जिज्जा, तत्रो०
 संजयामेव उदगंसि पविज्जा ॥ से भिक्खू वा उदगंसि पवमाणो
 दुब्बलियं पाउणिज्जा, खिप्पामेव उवहिं विगिंचिज्ज वा विसोहि-
 ज्ज वा, नो चेव णं साइज्जिज्जा, अह पु० पारए सिया उदगा-
 त्तो तीरं पाउणित्तए, तत्रो संजयामेव उदउल्लेण वा ससि-

शिङ्गेण वा काएण उदगतीरे चिट्ठिज्जां ॥ से भिक्खू वा०
 उदउल्लं वा २ कायं नो आमज्जिज्जा वा णो पमज्जिज्जा वा
 संलिहिज्जा वा निल्लिहिज्जा वा उव्वलिज्जा वा उव्वट्ठिज्जा वा
 आयाविज्ज वा पया०, अह पु० विगओदओ मे काए छिन्न-
 सिणोहे काए तहप्पगारं कायं आमज्जिज्ज वा पयाविज्ज वा तओ
 सं० गामा० दूइज्जिज्जा ॥१२२॥

छाया—स भिक्षुर्वा० उदके प्लवमानः नो हस्तेन हस्तं पादेन पाद कायेन
 काय आसादयेत्, स अनासादनया अनासादमानः ततः संयतमेव उदके
 प्लवेत् । स भिक्षुर्वा० उदके प्लवमानः नो उन्मज्जनानिमज्जने कुर्यात् मा मे एतद्
 उदकं कर्णयोः वा अक्षणो वा नासिकयोः वा मुखे वा पर्यापद्येत्, ततः संयतमेव
 उदके प्लवेत् । स भिक्षुर्वा उदके प्लवमानः दौर्बल्यं प्राप्नुयात् । क्षिप्रमेव
 उपधि विगिचेत्—त्यजेत् वा विशोधयेत् वा नो चैवंसादयेत् । अथ पुनरेवं
 जानीयात् पारगः स्याद् उदकात् तीरं प्राप्तुं ततः संयतमेव उदकार्द्रेण
 सस्निग्धेन वा कायेन उदकतीरे तिष्ठेत् । स भिक्षुर्वा० उदकार्द्रं वा २ काय नो
 आमार्जयेद् वा प्रमार्जयेद् वा संलिखेद् वा निलिखेद् वा उद्वलेद् वा उद्वेषट-
 येद् वा आतापयेद् वा प्रतापयेद् वा, अथ पुनरेवं जानीयात् विगतोदको मे
 कायः छिन्नस्नेहः कायः तथाप्रकारं कायं आमार्जयेद् वा प्रतापयेद् वा ततः
 संयतमेव ग्रामानुग्रामं गच्छेत् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू वा—साधु या साध्वी । उदगसि—जल मे । पवमाणे—
 वहता हुआ । हत्येण हत्य—हाथ से हाथ को । पाएण पाय—पैर से पैर को । काएण काय—
 शरीर से शरीर को । नो आसाइज्जा—स्पर्श न करे । से—वह भिक्षु । अणासायणाए—
 हस्तादि का परस्पर स्पर्श न करने से फिर । अणासायमाणे—स्पर्श न करता हुआ । तओ—
 तदनन्तर । सं०—साधु । उदगसि—जल मे । पविज्जा—वहे या नरे किन्तु अण्कायिक जीवो

की रक्षा के लिए काया के द्वारा किञ्चिन्मात्र भी पुरुषार्थ न करे । से भिक्खू वा—वह साधु या साध्वी । उदगंसि—जल में । पवमाणे—वहता हुआ । उम्मुग्गनिमुग्गिय—नीचे से ऊपर आने जाने अर्थात् डुबकिएं लगाने का यत्न । नो करिज्जा—न करे । मे—मेरे । एयं—यह । उदगं—जल । कन्नेसु वा—कानों में । अच्छीसु वा—आखी नें । नक्कंसि वा—नासिका में । मूहंसि वा—अथवा मुख में । मापरियावज्जिज्जा—मत प्रवेश करे, इस प्रकार की भावना भी न करे । तन्नो—तदनन्तर । सजयामेव—साधु । उदगंसि—जल में । पविज्जा—वहता जाए । से भिक्खू वा—वह साधु या साध्वी । उदगंसि—जल में । पवमाणे—वहता हुआ । दुव्वलियं—दुर्बलता अर्थात् कष्ट को । पाउणिज्जा—प्राप्त करे तो । खिप्पामेव—शीघ्र ही । उव्वहं—उपधि वस्त्रादि का । विंगिचिज्ज वा—त्याग कर दे या । विसोहिज्ज वा—थोड़े से उपकरणों का त्याग कर दे । च—पुनः । एव—निश्चय । ण—वाक्यालंकार में है । नो साइज्जा—उपधि पर ममत्व न करे । अहं—अथ । पुण—फिर । एव—इस प्रकार । जाणिज्जा—जाने कि यदि वह उपधि युक्त ही । पारए सिया—किनारे पर पहुँचने में समर्थ है । उदगाओ—पानी से । तीरं—तीर को । पाउणित्तए—प्राप्त करने के समर्थ है । तन्नो—तो तीर पर पहुँचकर । सजयामेव—सयम पूर्वक । उदउल्लेण वा—जल से भीगे हुए शरीर से अर्थात् जब तक शरीर से जल बिन्दु टपक रहे हैं या । ससिण्ढेण वा—जल से उसका शरीर स्निग्ध है । काएण वा—या जब तक शरीर भीगा हुआ है तब तक । उदगतीरे—नदी के किनारे पर ही । चिट्ठिज्जा—ठहरे । से भिक्खू वा०—वह साधु या साध्वी । उदउल्लं वा—जलाद्रं—जब तक जल बिन्दु टपक रहे हो । काय—तब तक उस भीगे हुए शरीर को । नो आमज्जिज्जा—हाथ से स्पर्श न करे । नो पनज्जिज्जा—प्रमाजित न करे तथा । संलिहिज्जा—पूँछे नहीं । निलिहिज्ज वा—द्वार २ पोछे नहीं, और । उव्वलिज्ज वा—हाथ से मले नहीं तथा । उव्वट्ठिज्जा वा—उबटन की भाँति शरीर को मल कर मल को उतारे नहीं । आयाविज्ज वा पया०—सूर्य के थोड़े या अधिक आताप से शरीर को सुखाए भी नहीं । अह पु०—फिर इस प्रकार जाने कि । विगओदओ—मेरा शरीर जल बिन्दुओं से रहित और । छिन्न सिणेहे—स्नेह से रहित हो गया है अर्थात् अब गीला नहीं रहा है । मे काए—मेरे शरीर से न तो जल बिन्दु टपक रहे हैं और न वह गीला ही है । तहप्पगारं—तथा प्रकार के । कायं—शरीर को । आमज्जिज्ज वा—हाथ से स्पर्श करे । जाव—यावत् । पयाविज्ज वा—धूप में आतापना दे । तन्नो—तदनन्तर । सजयामेव—संयमशील साधु । गामा०—ग्रामानुग्राम । दूइज्जिज्जा—विचरे ।

मूलार्थ—साधु वा साध्वी जलमें बहते समय अप्काय के जीवों की रक्षा के लिए अपने एक हाथ से दूसरे हाथ का एव एक पैर से दूसरे पैर का और शरीर के अन्य अवयवों का भी स्पर्श न करे । इस तरह वह परस्पर

शरीर एव उसके वस्त्र आदि सूख न जाए । परन्तु, वह अपने भीगे हुए वस्त्रों को निचोड़ कर धूप में सुखाने का तथा अपने शरीर को वस्त्र से पोंछकर या धूप में खड़ा होकर सुखाने का प्रयत्न भी नहीं करे । जब उमका शरीर स्वभाविक रूप से सूख जाए तब वह वहा से गात्र की ओर विहार करे ।

इस सम्बन्ध में वृत्तेकार का कहना है कि यदि वहा चोर आदि का भय हो तो वह अपने हाथों को लम्बा फैलाकर गीला शरीर भी सुखाकर गात्र की ओर जा सकता है । परन्तु, आगम में इस अपवाद का उल्लेख नदी मिलने से यह जरा विचारणीय एवं चिन्तनीय है ।

प्रस्तुत पाठ में नदी पार करके किनारे पर आने के पश्चात् उसे ईर्यापथिक प्रतिक्रमण करने का उल्लेख नहीं किया है । परन्तु वृत्तिकार ने इसका उल्लेख किया है । इमका कारण यह है कि यदि आगम में बताई गई विधि से प्रवृत्ति न की गई हो तो उसकी शुद्धि के लिए ईर्यापथिक प्रतिक्रमण करना चाहिए । अन्यथा प्रतिक्रमण की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है ।

आगम में मास में दो या तीन वार महात्मदी का उल्लंघन करने का निषेध किया गया है ॥ तथा उसका प्रायश्चित्त भी बताया गया है ॥ इससे स्पष्ट होता है कि मास में एक वार महानदी पार करने का निषेध नहीं है, न उसे सबल दोष ही माना गया है और न उसके लिए प्रायश्चित्त का ही विधान किया गया है । आगम में यह भी बताया गया है कि यदि कोई साध्वी जल में गिर गई हो तो साधु उसे पकड़कर निकाल ले ॥ आगम में यह भी बताया गया है एक समय में समुद्र के जल में दो एवं नदी के जल में ३ जीव सिद्ध हो सकते हैं । इससे सूर्य के उजले की तरह यह साफ हो जाता है कि आत्मा की शुद्धि एव अशुद्धि भावों पर आधारित है । दुर्भाव पूर्वक की गई द्रव्य हिंसा ही पापकर्म का कारण हो सकती है । आगम में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि विवेक एवं यदना पूर्वक चलते समय यदि साधु के पैर के नीचे आकर कुकुरट आदि कोई जीव मर जाए तब भी साधु को ईर्यापथिक क्रिया अथवा पुण्य कर्म का बन्ध होता है, सांप्रायिकी

॥ बृहत्कल्प सूत्र, उ० ४ ।

† निशीथ सूत्र, उ० १२ ।

‡ समवायाग सूत्र, २१ ।

॥ स्थानाग सूत्र, स्थान ५, उ० २ ।

† उत्तराध्ययन सूत्र, ३६, ५०-५४ ।

क्रिया का बंध नहीं होता। अस्तु वीतराग भगवान की आज्ञा के अनुसार विवेक पूर्वक नदी पार करने का कोई प्रायश्चित्त नहीं बताया गया है और न उसके लिए ईर्यापथिक प्रतिक्रमण का ही उल्लेख किया गया है क्योंकि प्रायश्चित्त विवेक पूर्वक, सावधानी से काय करने का नहीं होता, वह तो असावधानी एवं आज्ञा के उल्लंघन करने का होता है।

साधु-साध्वी को रास्ते में किस तरह चलना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा० गामानुगामं दूइज्जमाणे नो परंहि
सद्धिं परिजविय २ गामा० दूइ०, तत्रो० सं० गामा० दूइ-
ज्जिज्जा ॥१२३॥

श्रुत्या—म भिक्षुर्वा० ग्रामानुग्रामं गच्छन् न परैः मार्गं परियाप्य २ ग्रामानुग्राम गच्छेत् ततः संयतमेव ग्रामानुग्राम गच्छेत् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षू वा—साधु अथवा साध्वी । गामानुगामं—एक ग्राम में दूसरे ग्राम को । दूइज्जमाणे—जाता हुआ । परंहि—गृहस्थों के । सद्धिं—साथ । परिजविय २—बहुत बोलता हुआ । नो दूइ०—न जाए । तत्रो सं०—तदनन्तर साधु यत्रापुर्वक । गामा० दूइ०—ग्रामानुग्राम विहार करे ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए गृहस्थों के साथ वार्तालाप करता हुआ गमन न करे । किन्तु ईर्यासमिति का यथाविधि पालन करता हुआ ग्रामानुग्राम विहार करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु या साध्वी को विहार करते समय या चलते समय अपने साथ के अन्य साधु से या गृहस्थ से बातें नहीं करनी चाहिए । क्योंकि, बातें करने से मार्ग में आने वाले जीव जन्तुओं को बचाया नहीं जा सकेगा तथा मार्ग का सम्यक्तया अवलोकन भी नहीं हो सकेगा । आगम में यहाँ तक कहा गया है कि साधु को चलते समय पाँचों तरह का स्वाध्याय— १ वाचना, २ पृच्छना, ३ परियटना-

४ अनुप्रेक्षा और ५ धर्मकथा का स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए। इस तरह अपने योगों को सब ओर से हटाकर ईर्यासभिति का पालन करना चाहिए।

जिस नदी में जवा प्रमाण पानी हो उस नदी को साधु किस तरह पार करे, इस विषय को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० गामा० दू० अंतरा-से जंघासंता-
रिमे उदगे सिया, से पुब्बामेव ससीसोवारयं कायं पाए यपमज्जि-
ज्जा २ एगं पायं जले किच्चा एगं पायं थले किच्चा तत्रो सं०
उदगंसि आहारियं रीएज्जा ॥ से भिक्खू वा० आहारिय रीयमाणे
नो हत्थेण इत्थं जाव आणासायमाणे तत्रो संजयामेव जंघा-
संतरिमे उदए अहारियं रीएज्ज । से भिक्खू वा० जंघासंतरिमे
उदए अहारियं रीयमाणे नो सायावडियाए नो परिदाहवडियाए
मइ महाजयंसि उदयसि कायं विउसिज्जा, तत्रो संजयामेव
जंघा संतारिमे उदए अहारियं रीएज्जा, अह पुण एवं जाणिज्जा
पाए सिया उदगात्रो तीरं पाउणित्तए, तत्रोसंजयावमे उदउल्लेण
वा २ काएण दगतीरए चिट्ठिज्जा ॥ से भि० उदउल्लं वा काय
सभि० कायं नां आमज्जिज्ज वा नो० अह पु० विगत्रोदए मे काए
छिन्नसिणेहे तहप्पगारं कायं आमज्जिज्ज वा० पयाबिज्ज वा
तत्रो सं० गामा० दूइ० ॥१२४॥

छाया—स भिक्षुर्वा० ग्रामानुग्रामं गच्छन् अन्तराले तस्य जघासन्तार्यमुदकं स्यात्, मः पूर्वमेव सशीर्षोपरिकं काय पादं च प्रमृज्य २ एकं पादं जले कृत्वा- एकं पादं स्थले कृत्वा ततः सयतमेव उदके यथाऽऽर्यं रीयेत । स भिक्षुः० यथार्थं रीयमाणो (गच्छन्) न हस्तेन हस्तं यावद् अनासादयन् ततः संयतमेव जंघासन्तार्यमुदकं यथार्थं रीयेत । स भिक्षुर्वा० जंघासन्तार्यमुदकं यथार्थं रीय- माणो न साताप्रतिपत्त्या नो परिदाह प्रतिपत्त्या महति महालये उदके कायं व्युत्सृजेत्, ततः संयतमेव जघासन्तार्यमुदकं यथार्थं रीयेत. अथ पुनरेव जानी- यात् पारगः स्यादुदकात् तीरं प्राप्तुं, ततः संयतमेव उदकार्द्रेण वा २ कायेन दकतीरके तिष्ठेत् । स भिक्षुर्वा० उदकार्द्रं वा कायं सस्निग्धं वा कायं न आमृज्यात् वा न । अथ पुनरेवं जानीयात् विगतोदकः मे कायः छिन्नस्नेहः तथाप्रकारं कायं आमृज्याद् वा० प्रतापयेद् वा ततः सयतमेव ग्रामानुग्रामं गच्छेत् ।

पदार्थ—से भिखू वा०—वह साधु या साध्वी । गामा० दू०—ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ । से—उसके । अतरा—मार्ग में । जघा सतारिमे—जघा से तैरने-पार करने योग्य । उदके—पानी । सिया—हो तो । से—वह भिक्षु । पुष्वामेव—पहले ही । सीसोवरिय कायं—अपने शरीर को मस्तक । य—से लेकर । पाए—पैरो तक । पमज्जिज्ज वा—प्रमाजित करे और प्रमाजित करके । एगं पार्यं—एक पैर को । जले किच्चा—जल में रखकर । एग पय—दूसरे पैर को । थले किच्चा—स्थल में-जल से बाहर रखकर । तौ—तदनन्तर । स—मयम-बक । उदगि—जल में । आह रिय—जिम प्रकार तीर्थकरो ने ईर्यासमिति विषयक कथन किया है उसी प्रकार । रीइज्जा—गमन करे । मे मि०—वह साधु या साध्वी । आहारिय—जघा प्रमाण जल में ईर्यासमिति पूर्वक । रीयमाणे—चलता हुआ । नो हृत्येग हृत्य जाव—ज्ञाथ में हाथ य वत् शरीर के अवयवों का स्पर्श न करे और । अनासायमाणे—हाथ आदि का स्पर्श न करता हुआ । तन्नो—तदनन्तर । सजयामेव—यत्नापूर्वक । जघा सतारिमे उदए—जघा द्वारा तैरने-पार करने योग्य पानी में । अहारिय—जैसे तीर्थकरादि ने ईर्यासमिति का वर्णन किया है उसी प्रकार । रीइज्जा—उसमें गमन करे । से भिखू वा०—वह साधु अथवा साध्वी । जघातारिमे—जंघाप्रमाण-जघा द्वारा तरने योग्य । उदके—जल में । अहारियं—यथाह—ईर्यासमिति पूर्वक । रीयमाणे—चलता हुआ साधु । सायावडियाए—साता के लिए । परिदाह वडियाए—दाह शांति के लिए । महड महालयसि—बड़े विस्तृत और गहरे । उदगसि—

पानी में । काय—शरीर को । नो विउसिज्जा—प्रविष्ट न करे, अर्थात् साता के लिए गहरे जल में प्रवेश न करे । तन्नो—तदनन्तर । सजयामेव—यत्नापूर्वक । जंघासतारिमे उदए—जघा-प्रमाण जल मे । अहारियं—यथाहं—ईर्यासमिति पूर्वक । रीएज्जा—चले गमन करे । अह पुण एव जाणिज्जा—अथ पुन. इस प्रकार जाने, यथा । पारएसिया—में उपधि के साथ पार हो सकता हूँ । तव उपधि का परित्याग न करे और । उदगाओ—जल मे से । तीरं—तीर को । पाउणित्तए—प्राप्त करे । तन्नो—तदनन्तर । संजयामेव—सयम पूर्वक । उदउल्लेण वा र कायेण—जब तक शरीर पर से जल बिन्दु गिरते हैं और शरीर गीला है तब तक । दगतीरए चिट्ठज्जा—पानी के किनारे पर ही खड़ा रहे । से मि०—वह साधु या साध्वी । उदउल्ल वा कायं—जलाद्रं काय को, अर्थात् जिससे जल बिन्दु टपक रहे हो तथा । ससिकायं—जल से भोगे हुए शरीर को । नो आमज्जिज्ज वा—स्पर्श न करे । जाव—यावत् । नो०—आतापितं न करे, धूप में न बैठे । अह पु०—अथ फिर यदि इस प्रकार जाने कि । मे—मेरा । काय—शरीर । विगओदए—विगतोदक—सचित्त जल से रहित हो गया है तथा । छिन्न सिणेहे—किञ्चिन्मात्र भी आद्रं—गीला नहीं रहा । तहूपगार—तथा प्रकार के । काय—शरीर को । आमज्जिज्ज वा—हाथ से स्पर्श यावत् पोछे और । पयाविज्ज वा—सूर्य का आताप दे अर्थात् जल को अचित्त हुआ जानकर शरीर आदि को पोछे सुखावे । तन्नो—तदनन्तर । स०—यत्नापूर्वक । गामा०—ग्रामानुग्राम । दूइज्जिज्जा—विहार करे ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी को ग्रामानुग्राम विहार करंते हुए यदि मार्ग में जंघा प्रमाण जल पड़ता हो तो उसे पार करने के लिए साधु सिर से लेकर पैर तक शरीर की प्रतिलेखना करके एक पैर जल में और एक पैर स्थल में रखकर, जैसे भगवान ने ईर्यासमिति का वर्णन किया है उस के अनुसार उस पानी के स्रोत को पार करना चाहिए । उस नदी में चलते समय मुनि को हाथों और पैरों का परस्पर स्पर्श नहीं करना चाहिए । और शारीरिक शान्ति के लिए या दाह उपशान्त करने के लिए गहरे और विस्तार वाले जल में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए और उसे यह अनुभव होने लगे कि मैं उपधि अर्थात् उपकरणादि के साथ जल से पार नहीं हो सकता तो उपकरणादि को छोड़ दे, और यदि यह जाने कि मैं उपकरणादि के साथ पार हो सकता हूँ तब उपकरण सहित पार हो जाए । परन्तु, पार पहुंचने के पश्चान् जब तक उसके शरीर से जल बिन्दु टपकते रहें

और जब तक शरीर गीला रहे तब तक जल के किनारे पर ही खड़ा रहे और तब तक अपने शरीर को हाथ से स्पर्श भी न करे यावत् आतापना भी न देवे। जब तक शरीर बिलकुल सूख न जाए अर्थात् उसको यह निश्चय हो जाए कि मेरा शरीर पूर्णतया सूख गया है, तब शरीर को प्रमार्जना करके ईर्यासमिति पूर्वक ग्रामानुग्राम विचरने का प्रयत्न करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि विहार करते समय रास्ते में नदी आ जाए और उसमें जंघा प्रमाण पानी हो और उसके अतिरिक्त अन्य मार्ग न हो तो मुनि उसे पर करके जा सकता है। इसके लिए पहले वह सिर से पैर तक अपने शरीर का प्रमार्जन करे। इस प्रसंग में वृत्तिकार का कहना है कि मुख से नीचे के भाग का रजोहरण से और उससे ऊपर के भाग का मुखवस्त्रिका से प्रमार्जन करे। परन्तु, मुखवस्त्रिका से प्रमार्जन की बात आगम अनुकूल प्रतीत नहीं होती। क्योंकि, मुखवस्त्रिका का प्रयोग भाषा की सावधता को रोकने एवं वायुकायिक जीवों की रक्षा की दृष्टि से किया जाता है न कि मुंह आदि पोंछने के लिए। शरीर आदि का प्रमार्जन करने के लिए रजोहरण एवं प्रमार्जनिका रखने का विधान है। और प्रमार्जनिका शरीर के प्रमार्जन के लिए ही रखी गई है। अतः यहां रजोहरण एव प्रमार्जनिका से शरीर का प्रमार्जन करना ही युक्ति संगत प्रतीत होता है।

इस तरह शरीर का प्रमार्जन करके विवेक पूर्वक नौका पर सवार होने के प्रकरण में बताई गई विधि के अनुसार साधु एक पैर जल में और दूसरा पैर स्थल (पानी के ऊपर के आकाश प्रदेश) पर रखकर गति करे। परन्तु, भैसे की तरह पानी को रौंदता हुआ न चले और मन में यह भी कल्पना न करे कि मैं पानी में उतर तो गया हूँ अब कुछ गहराई में डुबकी लगाकर शरीर की दाह को शान्त कर लू। उसे चाहिए कि वह अपने हाथ-पैरों को भी परस्पर स्पर्श न करता हुआ, अप्कायिक जीवों को विशेष पीड़ा न पहुँचाता हुआ नदी को पार करे। यदि नदी पार करते समय उसे अपने उपकरण बोझ रूप प्रतीत होते हों और उन्हें लेकर नदी से पार होना कठिन प्रतीत होता हो, तो वह उन्हें वहीं छोड़ दे। यदि उपकरण लेकर पार होने में कठिनता का अनुभव न होता हो तो उन्हें लेकर पार हो जाए। परन्तु, नदी के किनारे पर पहुँचने के पश्चात् जब तक शरीर एवं वस्त्रों से पानी टपकता हो या वे गीले हों तब तक वह वहीं खड़ा रहे उस समय वह अपने हाथ से शरीर का स्पर्श न करे और न वस्त्रों को ही निचोड़े। उनके सूख जाने पर अपने शरीर का प्रतिलेखन करके विहार करे।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त जंघा का अर्थ साथल पर्यन्त पानी नहीं, परन्तु गोडे से नीचे के भाग तक पानी समझना चाहिए। क्योंकि, यदि साथल या कमर तक पानी होगा तो ऐसी स्थिति में पैरों को उठाकर आकाश में रखना कठिन होगा। और कोप में भी इसका अर्थ गोडे से नीचे का भाग ही क्रिया है*। वृत्तिकार ने भी इसी बात को पुष्ट क्रिय है। अतः जानु का अर्थ जवा या गोडे तः पानी का होना ही युक्तिसंगत प्रतीत होता है।

नदी पार करने के पश्चात् साधु को किस प्रकार चलना चाहिए, इस सम्बन्ध में सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० गामा० दूइज्जमाणे नो मट्टियाग-
एहिं पाएहिं हरियाणि छिंदिय २, विकुज्जिय २, विफालिय २
उम्मग्गेण हरियवहाए, गच्छिज्जा जमेयं पाएहिं मट्टियं खिप्पा-
मेव हरियाणि अवहरंतु. माइट्ठाणं संफासे नो एवं करिज्जा
से पुव्वामेव अप्पहरियं मग्गं पडिलेहिज्जा तत्रो० सं०
गामा० ॥ से भिक्खू वा २ गामानुगामं दूइज्जमाणे अंतरा से
वप्पाणी वा फ० पा० तो० अ० अगल पासगाणि वा गड्डा-
त्रो वा दरीत्रो वा सइ परक्कमे संजयामेव परिक्कमिज्जा नो
उज्जु० केवली० से तत्थ परक्कममाणे पयलिज्ज वा २ से तत्थ
पयलमाणे वा २ रुक्खाणि गुक्खाणि वा गुम्माणि वा लयात्रो
वा वल्लीत्रो वा तणाणि वा गहणाणि वा हरियाणि वा अबलं-
विय २ उत्तरिज्जा, जे तत्थ पाडिपहिया उवागच्छंति ते पाणी
जाइज्जा २, तत्रो सं० अबलंविय २ उत्तरिज्जा तत्रो सं० गामा दू०

* जंघा (स्त्री०) जाघ, जानु के नीचे का भाग। प्राक० श म० पृ० ४२८।

से भिक्षु वा० गा० दूइज्जमाणे अंतरा से जवसाणि वा
सगडाणि वा रहाणि वा सचक्काणि वा परचक्काणि वा से
णं वा विरूवरूपं संनिरुद्धं पेहाए सइ परक्कमे सं० नो उ० ,
से णं परो सेणागथो ऋइज्जा आउसंतो ! एस णं समणो सेणाए
अभिनिवारियं करेइ, से णं वाहाए गहाय आगसह, से णं परो
वाहाहिं गहाय आगसिज्जा, तं नो सुमणे सिया जाव समाहिए
तथो सं० गामा० दू० ॥१२५॥

छाया—स भिक्षुर्वा० ग्रामानुग्रामं गच्छन् न भृत्तिकागर्तैः पादैः हरितानि
क्षित्वा २ विकुब्ध्य २ विपाट्य २ उन्मार्गेण हरितवधाय गच्छेत् ।
यदेनां पादाभ्यां भृत्तिकां क्षिप्रमेव हरितानि अपहरन्तु, मातृस्थानं संस्पृशेत् न
एवं कुर्यात् स पूर्वमेव अल्पहरितं मार्गं प्रतिलेखयेत् ततः संयतमेव ग्रामानु-
ग्रामं गच्छेत् । स भिक्षुर्वा० वा ग्रामानुग्रामं गच्छन् अन्तराले तस्य वप्राणि वा
परिखा वा प्राकाराणि वा तोरणानि वा अर्गजानि वा अर्गलपाशका वा गर्ता
वा दर्यो वा सति परक्रमे संयतमेव परिक्रामेन्न ऋजुकं गच्छेत्, केवली त्रूयाद्
आदानमतत्, स तत्र पराक्रममाणः प्रस्खलेद् वा २ स तत्र प्रसखलन् वा २
वृक्षान् वा गुच्छानि वा गुल्मानि वा लताः वा तृणानि वा गहनानि वा
हरितानि वा अवलम्ब्य २ उत्तरेत्, ये तत्र प्रातिपथिका उपागच्छन्ति तेभ्यः
पाणिं याचेत् याचित्वा ततः संयतमेव अवलम्ब्य २ उत्तरेत्, ततः संयतमेव
ग्रामाग्रामं गच्छेत् । स भिक्षुर्वा० वा० ग्रामानुग्रामं गच्छन् अन्तराले तस्य यव-
सानि वा शकटानि वा रथा वा स्वचक्राणि वा परचक्राणि वा स वा
विरूवरूपं संनिरुद्धं प्रेक्ष्य सति परक्रमे संयतमेव पराक्रमेत् न ऋजुकं गच्छेत्,
स परः सेनागतः वदेत्, आयुष्मन् ! एष श्रमणः सेनायाः अभिनिवारिकां

करोति एन वाहुना गृहीत्वा आकर्षत स परः वाहुभ्या गृहीत्वा आकर्षेत्
तन्न सुमनाः स्थात्, यात्रत् समाधना, सयतमेव श्रमानुग्रामं गच्छेत् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षू वा—साधु या साध्वी । गामा०—ग्रामानुग्राम ।
दूइज्जमाणे—जाते हुए । मट्टियाहि—मिट्टी या कीचड़ से भरे हुए । पाएहि—पैरो की मिट्टी
या कीचड़ उतारने के लिए । हरियाणि—हरी वनस्पति को । छिदिय २—छेद २ कर । विकु-
ज्जिय २—या हरे पत्ते एकत्रित करके । विफालिय २—हरित वनस्पति को छील कर मिट्टी को
न उतारे तथा मिट्टी को उतारने के लिए । हरिय वहाए—हरित काय के वध के लिए ।
उम्मणेण—उन्मार्ग से । नो गच्छेज्जा—गमन न करे । जमेयं—जैसे यह । पाएहि—पैरो की ।
मट्टिय—मिट्टी को । विप्पामेव—शीघ्र ही । हरियाणि—हरितकाय । अबहरंतु—अपहरण
करे, अर्थात् हरित काय के स्पर्श से स्वयमेव मिट्टी उत्तर जावेगी, यदि इस प्रकार के भाव लाकर
वह हरियाली पर चलता है, तो । माइट्ठाण संफासे—मानुस्थान-कपट का सेवन करता है अतः ।
एव—इस प्रकार । नो करिज्जा—न करे किन्तु । से—वह भिक्षु । पुव्वामेव—पहले ही ।
अपहरिय—हरितकाय से रहित । मग्ग—मार्ग का । पडिलेहिज्जा—प्रतिलेखन करे । तओ—
तदनन्तर । स०—यत्नापूर्वक । गामा०—ग्रामानुग्राम । दू०—विहार करे । से भिक्षू वा—
वह साधु अथवा साध्वी । गामाणुगाम—एक ग्राम से दूसरे ग्राम को । दूइज्जमाणे—जाता हुआ ।
से—उसके । अतरा—मार्ग में यदि । वप्पाणि वा—खेत की क्यारियों या । क०—कोट की खार्ई
या । प०—प्रकोट । तो०—तोरण-द्वार या । अ०—अर्गला-कपाट निरोधक कीली । अगल
पासगाणि वा—अर्गला पाशक । गड्ढाओ वा—गर्त खड्डे अथवा । वरीओ—पर्वत की गुफायें
आ जाए तो । सइ परक्कमे—अन्य मार्ग के होने पर वह उस मार्ग से । संजयामेव—यत्नापूर्वक ।
परिक्कमिज्जा—गमन करे । नो उज्जू०—किन्तु सीधा न जावे अर्थात् अन्य मार्ग के सद्भाव
में उक्त विषम मार्ग से गमन न करे । केवली०—केवली भगवान कहते हैं कि यह कर्म वन्धन
का कारण है । से—वह साधु । तत्थ—उस निषिद्ध मार्ग में । परक्कममाणे—चलता हुआ
कदाचित् । पयलिज्ज वा २—फिसलकर गिर पड़े, अथवा । से—वह भिक्षु । तत्थ—उस
स्थान पर । पयलमाणे वा—फिसलता एव गिरता हुआ । रुक्खाणि वा—वृक्षों को अथवा ।
गुच्छाणि वा—गुच्छों को । गुम्माणि वा—अथवा गुल्मों को । लयाओ—लताओं को । बल्लीओ
वा—वल्लियों अथवा । तिणाणि—तृणों को । गहणाणि वा—अथवा आकीर्णं वनस्पति को ।
अवलविय अबलविय—पकड़ २ कर । उत्तरिज्जा—उतरे अथवा । से तत्थ—जो वहा पर ।
पडिपहिया—प्रति पथिक प्रतिपान्थ । उवागच्छति—आते हैं । ते—उनसे । पाणीजाइज्जा २—
हाथ मार्ग २ कर, जैसे कि हे आयुष्मन् ! तू मुझे अपना हाथ दे जिसे पकड़कर मैं उतर सकू ।
तओ—तदनन्तर । संजयामेव—यत्नापूर्वक । अवलविय २—उसका सामने से आने वाले पथ

का हाथ पकड़ कर । उत्तरिज्जा—उतरे इन दोपों को देखता हुआ साधु विषम मार्ग को छोड़कर । तत्रो—तदनन्तर । सं—यत्चायुक्त साधु । गा०—ग्रामानुग्राम । डु०—विहार करे । से—मिक्खु वा—वह साधु अथवा साध्वी । गाना० दूइज्जमाणे—ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ । से—उसके । अतरा—मार्ग में अर्थात् मार्ग के मध्य में । जवसाणि वा—यव और गोधूमादि धान वा । सगड़ाणि वा—गकट आदि गड़ड़ा-गड़ड़ी आदि । रहाणि वा—अथवा रथ अथवा । सचक्काणि—स्वचक्र-स्वकीय राज्य सेना । पर चक्काणि वा—पर चक्र पर राजा की सेना । सेणं वा—सेना को । विरुवरुवं—नाना प्रकार के । संनिलुद्धं—एकत्र मिले हुए संघ को । पेहाए—देखकर । सइपस्वकमे—जाने योग्य अन्य मार्ग के सद्भाव में । संजयामेव—यत्नापूर्वक । परवकमिज्जा—उसी मार्ग में जाने का प्रयत्न करे किन्तु । नो० उ०—सरल-सीधे मार्ग से न जावे कारण कि उबर से जाने पर अनेक प्रकार के कष्टों की सम्भावना है यथा—जब साधु सेना युक्त मार्ग में प्रयाण करेगा तब । णं—वाक्यालंकार में है । से—वह । परो—सेनापति आदि माधु को देखकर । सेणागधो—सेना में रहने वाला पुरुष किसी से । वइज्जा—कहे कि । आउसंतो—हे आयुधमन् सद् गृहस्थ ! एसणं—यह । समणे—श्रमण साधु । सेणाए—सेना का । अनिनिवारिय—गुप्तचरी (जासूसी) । करेइ—करता है अर्थात् यह श्रमण हमारी सेना का भेद लेता फिरता है । णं—वाक्यालंकार में है । से—इसकी । बाहाए—भुजाओं को । गहाय—पकड़ कर । प्रागसह—आर्कापित करो अर्थात् आगे पीछे खँचो । णं—पूर्ववत् । से—वह । परो—अन्य आज्ञा पाने वाला व्यक्ति उस साधु को । भुजाहि—भुजाओं से । गहाय—पकड़कर । प्रागसिज्जा—श्रीचक्र आगे-पीछे करे । तं—तो वह साधु । नो सुमणेतिया—न तो प्रसन्न हो और न रुष्ट हो किन्तु । जाव—यावत् । समाहिए—समभाव से विचरे । तत्रो—तदनन्तर । सं—मंथत-साधु । गाना०—ग्रामानुग्राम । डुइ०—विहार करे ।

म्लार्थ—साधु अथवा साध्वी ग्रामानुग्राम विचरते हुए मिट्टी और कीचड़ से भरे हुए पैरों को, हरितकाय का छेदन कर, तथा हरे पत्तों को एकत्रित कर उनसे मसलता हुआ मिट्टी को न उतारे, और न हरितकाय का वध करता हुआ उन्मार्ग से गमन करे । जैसे कि-ये मिट्टी और कीचड़ में भरे हुए पैर हरी पर चलने से हरितकाय के स्पर्श से स्वतः ही मिट्टा रक्षित हो जाएंगे, ऐसा करने पर साधु को मातृस्थान (कपट) का स्पर्श होता है । अतः साधु को इस प्रकार नहीं करना चाहिए । किन्तु, पहले हा हरा से रहित मार्ग को देखकर यत्नपूर्वक गमन करना चाहिए । और यदि मार्ग के मध्य में खेतों के क्यारे हो, खाई हो, कोट

हो, तोरण हो, अर्गला और अर्गलापाश हो, गर्त हो तथा गुफाएं हो, तो अन्य मार्ग के होते हुए इस प्रकार के विषम मार्ग से गमन न करे। केवली भगवान कहते हैं कि यह मार्ग दोष युक्त होने से कर्म बन्धन का कारण है। जैसे कि-पैर आदि के फिसलने तथा गिर पडने से शरीर के किसी अंग-प्रत्यंग को आघात पहुंचने के साथ साथ जो वृक्ष, गुच्छ-गुल्म और लतायें एवं तृण आदि हरित काय को पकड़ कर चलना या उतरना है और वहां पर जो पथिक आते हैं उनसे हाथ भागकर अर्थात् हाथ के सहारे की याचना करके और उसे पकड़ कर उतरना है, ये सब दोष युक्त हैं, इसलिए उक्त सदोष मार्ग को छोड़कर अन्य निर्दोष मार्ग से एक ग्राम से दूसरे ग्राम को ओर प्रस्थान करे। तथा यदि मार्ग में यव और गोधूम आदि धान्य, शकट, रथ, स्वकोय राजा की या पर राजा की सेना चल रही हो, तब नाना प्रकार की सेना के समुदाय को देखकर, यदि अन्य गन्तव्य मार्ग हो तो उसी मार्ग से जाए किन्तु कष्टोत्पादक इस सदोष मार्ग से जाने का प्रयत्न न करे। इस मार्ग से जाने में कष्टोत्पत्ति की सम्भावना है। जैसे कि जब उक्त मार्ग से साधु जाएगा तो सम्भव है उसे देखकर कोई सैनिक किसी दूसरे सैनिक को कहें कि आयुष्मन् ! यह श्रमण हमारी सेना का भेद लेने आया है। अतः इसे भुजाओ से पकड़ कर खैचो अर्थात् आगे-पीछे करो, और तदनुसार वह सैनिक साधु को पकड़ कर खैचे, परन्तु साधु को उस समय उस पर न प्रसन्न और न रुष्ट होना चाहिए, किन्तु उसे समभाव एवं समाधि पूर्वक एक ग्राम से दूसरे ग्राम को विहार करने का प्रयत्न करना चाहिये।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में साधु को नीन बातों को ध्यान में रखने का आदेश दिया है—
 १ नदी पार करके किनारे पर पहुंचने के बाद वह अपने पैरों में लगा हुआ कीवड़ हरित काय (हरी वनस्पति—घास आदि) से साफ न करे और न इस भावना से हरियाली पर चले कि इस पर चलने से मेरे पैरस्वतः ही साफ हो जाएंगे, २ यदि अन्य

मार्ग हो तो जिस मार्ग में खेत को क्रयारियां, खड्डे, गुफाएं आदि पड़ती हों उस विषय मार्ग से भी न जाए, क्योंकि पैर फिसल जाने से वह गिर पड़ेगा और परिणाम स्वरूप शरीर में चोट आएगी या कभी वचाव के लिए वृत्त आदि को पकड़ना पड़ेगा। इससे वनस्पति कायिक जीवों की हिंसा होगी और जिस मार्ग पर सेना का पड़ाव हो या सैनिक घूम रहे हों तो अन्य मार्ग के होते हुए उस मार्ग से भी न जाए। क्योंकि वे साधु को गुप्तचर समझकर उसे परेशान कर सकते हैं एवं कष्ट भी दे सकते हैं। कभी अन्य मार्ग न होने पर जिस मार्ग पर सेना का पड़ाव हो उस मार्ग से जाते हुए साधु को यदि कोई सैनिक पकड़ कर कष्ट देने लगे तो उस समय उसे उस पर राग-द्वेष नहीं करना चाहिए। ऐसे विद्वत् समय में भी उसे समभाव पूर्वक उस वेदना को सहन करना चाहिए।

इससे स्पष्ट होता है कि साधु को अपने पैरों में लगी हुई मिट्टी को साफ करने के लिए वनस्पति काय की हिंसा नहीं करनी चाहिए। जैसे अपवाद मार्ग में मास में एक बार महानदी पार करने का आदेश दिया गया है, वैसे वृत्त पर चढ़ने एवं हरित-काय को कुवजते हुए चलने का आदेश नहीं दिया गया है, अपितु उमका निषेध किया गया है और वृत्त पर चढ़ने वाले को प्रायश्चित्त का अधिकारी बताया है॥

इस तरह साधु को वनस्पति काय की हिंसा न करते हुए एवं विषय मार्ग तथा सेना से युक्त रास्ते का त्याग करके सम मार्ग से विहार करना चाहिए। त्रिमये स्व एवं पर की विराधना न हो।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० गामा० दृड्ज्जमाणे अंतरा से पाडि-
वहिया उवागच्छिज्जा, ते गां पाडिवहिया एवं वड्ज्जा-आउ०
समणा ! केवड्ए एस गामे जाव रायहाणी वा ? केवड्इया
इत्थ आसा हत्थी गामपिंडोलगा मणुस्सा परिवमंति ? मे

बहुभक्ते बहुउदए बहुजणो बहुजवसे से अप्पभक्ते अप्पुदए
अप्पजणो अप्पजवसे ? एयप्पगाराणि पसिणाणि पुच्छिज्जा,
एयप्प० पुट्ठो वा अप्पुट्ठो वा नो वागरिज्जा, एवं खलु० जं
सव्वट्ठेहिं ॥१२६॥

ध्याया—स भिन्नुवा० ग्रामानुग्रामं गच्छन् अन्तराले तस्य प्रातिपथिकाः
उपागञ्छेयुः, ते प्रतिपथिकाः एव वदेयुः आयुष्मन् श्रमण ! कियान् एष ग्रामः ?
वा यावत् राजधानी वा कियन्तः अत्र अश्वाः हस्तिनः ग्रामपिण्डा वल्का
मनुष्याः परिवसन्ति ? स बहुभवत व्हूयदकः बहुजनो स (अथ) अल्पभवतः
अल्पोदकः अल्पजनः अल्पयवसः ? एतत्प्रकारान् प्रश्नान् पृच्छेत् एतत्
प्रकारान् प्रश्नान् पृष्टो वा अपृष्टो वा नो व्याकुर्यात् । एवं खलु यत्०
सर्वार्थैः० । इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—से भिक्खू वा — वह साधु या साध्वी । गामाणुगाम — ग्रामानुग्राम । दुइज्ज-
माणे — विहार करता हुआ । अतरा से — उसके मार्ग मे । पाडिबहिद्या — सम्मुख-सामने जाने
वाले पथिक । मुसाफिर — यदि । उवागच्छिज्जा — आ जावे और । ण — काक्यालकार मे । ते —
वे पथिक । एव वइज्जा — इस प्रकार कहे । आउ०समणा — आयुष्मन् श्रमण ! । केबइया —
कितने प्रमाण मे । एस — यह । गामे वा — ग्राम है । जाव — यावत् । रायहाणी वा — राजधानी
है ? और । केवईया — कितने । इत्थ — यहां पर । आसा — अश्व-घोड़े । हत्थी — हाथी हैं, तथा
यहां पर कितने । गामपिण्डोलगा — ग्राम याचक ग्राम में भिक्षावृत्तिसे निर्वाह करने वाले भिखारी
लोग हैं, तथा यहां पर कितने । मणुस्सा — मनुष्य । परिवसति — निवास करते हैं तथा । से —
इस ग्राम आदि में क्या । बहुभक्ते — आहारादि खाद्य पदार्थ प्रचुर हैं ? बहु उदय — यहां पानी
पर्याप्त है ? बहुजणे — बहुत लोग वसते हैं । बहुजवसे — बहुत धान्यादि है ? से — अथवा ।
अप्पभक्ते — आहार । अप्पुदए — पानी आदि थोडा है । अप्पजणे — लोग भी कम है और ।
अप्पजवसे — अल्प धान्यादि है ? एयप्पगाराणि — इस प्रकार के । पसिणाणि — प्रश्नों की यदि ।
पुच्छिज्जा — पूछे तब साधु । एयप्प० — इस प्रकार के प्रश्नों का । पुट्ठो वा — पूछने पर या ।
अपुट्ठो वा — न पूछने पर भी । नो वागरिज्जा — उत्तर न दे । एवं — इस प्रकार । खलु —
निश्चय ही । तस्स — उस । भिक्खूस्स — साधु या साध्वी का । सामग्गिय — समग्र-सम्पूर्ण आचार

है । ज - जो । सध्वट्ठेहि - ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य से तथा । समझए - समिति मे । सहिए - युक्त हुआ । सया सदा । जएज्जयासि - यत्न करे । तिवेमि इस प्रकार मे कहता हू ।

मूलार्थ—साधु अथवा साधवा ग्रामानुग्राम, विहार करता हुआ उसके मार्ग में यदि कोई सामने से और पथिक आजाए और साधु से पूछे । क - आयुष्मन् श्रमण ! यह ग्राम यावत् राजधानी कैसी है ? यहा पर कितने घोड़े, हाथी और ग्राम याचक है, तथा कितने मनुष्य निवास करते है ? क्या इस ग्राम यावत् राजधानी में अन्न, पानी, मनुष्य एवं धान्य बहुत है या थोड़ा है ? ऐसे प्रश्नों को पूछने पर साधु जवाब न देवे और उसके बिना पूछे भी ऐसी बातें न करे । परन्तु, वह मौन भाव से विहार करता रहे और सदा सयम साधना में सलग्न रहे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि विहार करते समय रास्ते में यदि कोई पथिक मुनि से पूछे कि-जिस गांव या शहर से तुम आ रहे हो उसमें कितने हाथी-घोड़े हैं, कितना अन्न है, कितने मनुष्य हैं अर्थात् वह गांव धन-धान्य से सम्पन्न है या अभाव ग्रस्त है ? तो मुनि को इसका कोई उत्तर नहीं देना चाहिए । क्योंकि, इस चर्चा से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है और न यह चर्चा आत्म विकास में ही सहायक है । यह तो एक तरह की बिकथा है, जो आध्यात्मिक प्रगति में बाधक मानी गई है । इसलिए साधु को उम समय मौन रहना चाहिए । यदि पूछने वाला कोई आध्यात्मिक साधक हो और उससे आध्यात्मिक विचारों के प्रसार होने की सम्भावना हो तो साधु के लिए उक्त प्रश्नों का उत्तर देने का निषेध नहीं है । इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह प्रतिबन्ध इस लिए लगाया गया है कि केवल व्यर्थ की बातों में साधक का समय नष्ट न हो ।

कुछ हस्त लिखित प्रतियों में "अप्यजवसे" पद के आगे यह पाठ मिलता है— "एयप्पगाराणि पसिणाणि पुट्ठो वा अपुट्ठो वा नो आइक्खेज्जा एयप्पगाराणि पसिणाणि नो पुच्छेज्जा ।" और उपाध्याय पार्श्वचन्द्र एव राजकोट से प्रकाशित आचाराङ्ग सूत्र (मूल एवं भाषान्तर) में यह पाठ उपलब्ध होना है— "एयप्पगाराणि पसिणाणि पुट्ठो नो आइक्खेज्जा एयप्पगाराणि पसिणाणि नो पुच्छेज्जा ।" इन उभय पाठों में केवल शब्दों के हेर-फेर है, परन्तु इनके अर्थ में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता है ।

प्रस्तुत सूत्र से यह भी स्पष्ट होता है कि उस युग में हाथी-बोड़ों का अधिक उपयोग होता था और उन्हीं के आधार पर गांय के वैभव का अनुमान लगाया जाता था। इस कारण प्रश्नों की पंक्ति में 'सव से पहले उनका दल्लेख किया गया है।

कुछ हस्तलिखित प्रतियों में 'त्तिवेमि' पद भी मिलता है, जिसकी व्याख्या पूर्ववत् समझे।

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

तृतीय अध्यायन-ईयैषणा

तृतीय उद्देशक

द्वितीय उद्देशक के अन्तिम सूत्रों में जो गमन विधि का उल्लेख किया गया है, उसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खु वा० गामा० दूइज्जमाणे अंतरा से चप्पाणि वा जाव दरीओ वा जाव कूडागाराणि वा पासायाणि वा नूम-गिहाणि वा रुक्खगिहाणि वा पव्वयगि० रुक्खं वा चेइयकडं थूमं वा चेइयकडं आएमणाणि वा जाव भवणागिहाणि वा नो वाहाओ पगिज्झिय २ अंगुलियाए उद्दिमिय २ थोणमिय २ उन्नमिय २ निज्झाइज्जा, तथो सं० गामा० ॥ से भिक्खु वा गामा० दू० माणे अंतरा से कच्छाणि वा दवियाणि वा नूमाणि वा वलयाणि वा गहणाणि वा गहणविदुग्गाणि वा वणाणि वा वणावि० पव्वयाणि वा पव्वयवि० अगडाणि वा तलागाणि वा दहाणि वा नईथो वा वावीथो वा पुक्खरिणीथो वा दीहियाथो वा गुंजालियाथो वा सराणि वा सरपंतियाणा वा मरमरपंतियाणि वा नो वाहाओ पगिज्झिय २ जाव निज्झाइज्जा, केवली०, जे तत्थ मिगा वा पमू वा पंगी वा मरीसिवा वा सीहा वा जलचरा वा थलचरा वा, खहचरा वा मत्ता ते उत्तमिज्ज वा

वित्तसिज्ज वा वाडं वा सरणां वा कंखिज्जा, वारित्ति मे अयं स-
मणे, अह भिक्खूणां पु० जं नो बाहाओ पगिज्झिय २ निज्झा-
इज्जा, तत्रो संजयामेव आयरिउवज्झायएहिं सद्धिं गामाणुगामं
दूइज्जिज्जा ॥१२७॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा ग्रामानुग्रामं गच्छन् अन्तराले तस्य
वप्राणि वा यावत्, दर्यो वा यावत् कूटागाराणि वा प्रासादाश्वा नूमगृहाणि (भूमि-
गृहाणि) वा वृक्षगृहाणि वा पर्वतगृहाणि वा वृक्ष वा चैत्यकृत, स्तूपं वा चैत्यकृतं
आदेशनानि वा यावत् भवनगृहाणि वा नो बाहू प्रगृह्य २ अंगुत्था उद्दिश्य २
अवनम्य २ उन्नम्य २ निध्यायेत् । ततः संयतमेव ग्रामानुग्रामं गच्छेत् । स
भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा ग्रामानुग्राम गच्छन् अन्तराले तस्य कच्छा वा, द्रविकानि
वा निम्नानि वा बलानि वा गहनानि वा गहनविदुर्गानि वा वनानि वा
वनवि० वा पर्वता वा पर्वतवि० वा अवटा वा तडागा वा ह्रदा वा नद्यो
वा वाप्यो वा पुष्करिण्यो वा दीर्घिका वा गुञ्जालिका वा सरासि वा सरः-
पक्तय वा सरःसरःपंक्तयः वा नो बाहू प्रगृह्य २ यावत् निध्यायेत्, केवली
ब्रूयात् आदानमेतन् । ये तत्र मृगा वा पशवो वा पक्षिणो वा सरिसृपा वा
सिंहा वा जलचरा वा स्थलचरा वा खेचरा वा सत्त्वास्ते उत्त्रसेयुः वा वित्रसेयुः
वा वाट वा शरण वा कांक्षेयुः वारयतीति मे अयं श्रमणः अथ भिक्षूणां पूर्वोप-
दिष्ट यत् नो बाहू प्रगृह्य २ निध्यायेत् तत संयतमेव आचार्योपाध्यायैः
सार्द्धं ग्रामानुग्रामं गच्छेत् ।

पदार्थ—से भिक्खू वा—वह साधु या साध्वी । गामा०—ग्रामानुग्राम । दूइज्जिज्जा—
विहार करता हुआ । अतरा—मध्य में । से—उसके अर्थात् उसके मार्ग में यदि । वापणि वा—
खेत की क्यारियें । जाव—यावत् । दरीओ वा—पर्वत की गुफाये । जाव—यावत् ।
कूटागाराणि—पर्वत के ऊपर के घर अथवा । प्रासादाणि—प्रासाद—महल । नूमगिहाणि
वा—भूमि घर—तहलाने आदि । व्वख गिहाणि वा—वृक्ष के आश्रित घर अथवा वृक्ष के ऊपर

का निवास स्थान । पव्वाणि—पर्वत की गुफा आदि । वृक्ष वा—वृक्ष अथवा । चैड्यकड—
 वृक्ष के नीचे का व्यन्तर स्थान । थूभवा—व्यन्तर का स्तूप । चैड्यकड—चैत्यकृत अर्थात् व्यन्तर-
 आदि के आकार युक्त स्तूप । आएसणाणि वा—लोहकार शाला आदि । जाव—यावत् ।
 भवणगिहाणि वा—भवन गृह आदि आजाए तो वह इनको । बाहाओ—भुजाओ को । पगिञ्जिभ्य
 २—उठा उठा कर । अगुलियाए—अगुलियों को । उहिसिय २—फैला-फैला कर । ओणमिय
 २—शरीर को नीचा करके । उन्नमिय २—शरीर को ऊचा करके । नो निञ्झाड्जजा—
 न देखे । तओ—तदनन्तर । स०—साधु । गामा०—ग्रामानुग्राम विहार करे । से भिक्खू वा—
 वह साधु या साध्वी । गामा०—ग्रामानुग्राम । ढूइज्जमाणे—विहार करता हुआ ।
 अतरा—मध्य मे । से—वह । कच्छाणि वा—नदी के समीपवर्ति निम्नप्रदेश तथा खर-
 चूजे आदि के क्षेत्र, या । दवियाणि वा—जंगल मे घास आदि के लिए राजा के द्वारा रोकी
 हुई भूमि । नूमाणि वा—खड्ड आदि । वलयाणि वा—अथवा नदी आदि से वेष्टित भूमि भाग ।
 गहणाणि वा—जल से रहित प्रदेश अरण्यक्षेत्र तथा । गहण विदुगाणि वा—अरण्य मे विषम
 स्थान । वणाणि वा—अथवा वन । वण विदुगाणि वा—वन मे विषम स्थान । पव्वाणि
 वा—पर्वत । पव्वथ विदुगाणि वा—पर्वत मे विषम स्थान । अगडाणि वा—अथवा कूप ।
 तलागाणि वा—तालाव अथवा । दहाणि वा—भील । नईओ वा—नदिये अथवा । वावीओ
 वा—कमल रहित बावडी । पुक्खरिणिओ वा—पुष्करणी-कमल युक्त बावडी । वीहियाओ
 वा—दीघिका—लम्बी बावडी जिसमे जनता जल-क्रीडा करती है । गुञ्जालियाथो वा—
 अथवा दीर्घ गम्भीर और कुटिल जलाशय । सराणि वा—अथवा बिना खोदा हुआ तालाव ।
 सर पंतिघाणि वा—परस्पर मिले हुए बहुत से सरोवर । सर सरपंतिघाणि वा—बहुत से
 सरोवरो की पंक्तियें आदि रास्ते में हो तो वह साधु । बाहाओ—भुजाओ को । पगिञ्जिभ्य २—
 ऊची कर के । जाव—यावत् । नो निञ्झाड्जजा—उन्हे न देखे क्योंकि । केवली०—केवली
 भगवान कहते हैं कि ये कर्म बन्धन के कारण है जैसेकि । जे—जो । तत्थु—वहा पर ।
 मिगावा—मृग-हरिण हैं । पसू वा—पशु अर्थात् अन्य पशु है । पक्खी वा—पक्षी है । सरी-
 सिवा—अथवा साप है । सीहा वा—सिंह-शेर हं अथवा । जलचरा—जलचर जीव हैं ।
 थलचरा वा—स्थलचर जीव है । खहचरा वा—खेचर-आकाश में विचरने वाले जीव है, इस
 प्रकार के जो । सत्ता—सत्व-जीव हैं वे साधु की उक्त चेष्टा को देखकर । उत्तसिञ्ज वा—
 घास को प्राप्न होंगे । वित्तसिञ्ज वा—वित्तास-विशेष रूप से त्रास पाएंगे । बाडं वा सरणं
 वा—आश्रय को । कांखिज्जा—चाहेगे अथवा । मे—मुझे । अयं समणे—यह श्रमण । वारित्ति—
 हटाता है इस प्रकार जान कर भागेगे । अह—इसलिए । भिक्खूणं—भिक्षुओ को । पुव्वो-
 व विट्ठा—तीर्थंकरादि ने पहले ही यह उपदेश दिया है कि । जं—साधु इस प्रकार के स्थानों
 को । बाहाओ—भुजाओ को । पगिञ्जिभ्य—ऊपर उठाकर के । नो निञ्झाड्जजा—न देखे ।

वाले दर्शनीय स्थलों को अपने हाथ को ऊपर उठाकर या अंगुलियों को फैलाकर या कुछ ऊंचा होकर या झुक कर नहीं देखना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि इससे वह अपने गन्तव्य स्थान पर कुछ देर से पहुंचेगा, जिससे उसकी स्वाध्याय एवं ध्यान साधना में अन्तराय पड़ेगी और किसी सुन्दर स्थल को देखकर सके मन में विकार भाव भी जाग सकता है और उसे इस तरह झुककर या ऊपर उठाकर ध्यान से देखते हुए देखकर किसी के मन में साधु के प्रति सन्देह भी उत्पन्न हो सकता है। यदि संयोग से उस दिन या उस समय के आसपास उक्त स्थान में आग लग जाए या चोरी हो जाए तो उसके अधिकारी साधु पर इसका दोषारोपण भी कर सकते हैं। अतः इन सब दोषों से बचने के लिए साधु को मार्ग में पड़ने वाले दर्शनीय स्थलों को और अपना ध्यान न लगाकर यत्नापूर्वक अपना रास्ता तय करना चाहिए।

यहां यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सूत्रकार ने दर्शनीय स्थलों को इस तरह से देखने के लिए इन्कार किया है, जिससे किसी के मन में साधु के प्रति सन्देह उत्पन्न होता हो या उसके मन में विकारी भाव जागृत होता हो। परन्तु, इसका अर्थ यह नहीं है कि साधु उस तरफ से निकलते हुए आंखों को मूंद कर चले। साधु अपनी गति से चलता है और आंखों के सामने आने वाले दृश्य उसके सामने आएँ तो वह आंखें बन्द नहीं करेगा, परन्तु उस तरफ विशेष गौर से न देखता हुआ स्वाभाविक गति से अपना रास्ता तय करेगा।

प्रस्तुत सूत्र में दर्शनीय स्थानों के प्रसंग में—व्यन्तर आदि देव मन्दिर का चर्चण किया गया है, परन्तु जिन मन्दिर का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय जिन मन्दिर नहीं थे। यदि उस समय जिन मन्दिर की परम्परा होती तो सूत्रकार उसका भी अवश्य उल्लेख करते।

इस सूत्र से यह भी ज्ञात होता है कि उस समय के राजा गांव या शहर के बाहर जङ्गल में गायों एवं थोड़े आदि पशुओं के चरने के लिए कुछ गोचर भूमि या चरागाह छोड़ते थे, जिन पर किसी तरह का कर नहीं लिया जाता था। इससे यह सहज ही ज्ञात हो जाता है कि उस समय पशु रक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसके अतिरिक्त खेत, जलाशय, गुफाओं आदि का उल्लेख करके उस युग की वास्तु कला एवं संस्कृति पर विशेष प्रकाश डाला गया है।

यदि साधु को आचार्य एवं उपाध्याय आदि के साथ विहार करना हो तो उन्हें किस तरह चलना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा २ आयरिउवज्झा० गामा० नो
 आयरियउवज्झायस्स हत्थेण वा हत्थं जाव अणासायमाणे तत्रो
 संजयामेव आयरिउ० सद्धिं जाव दूईज्जिजा ॥ से भिक्षू वा
 आय० सद्धिं दूइज्जमाणे अंतरा से पाडिवहिया उवागच्छिज्जा,
 ते णां० पा० एवं वइज्जा—आउसंतो ! समणा ! के तुब्भे ? कत्रो
 वा एह ? कहिं वा गच्छिहिह ? जे तत्थ आयरिए वा उवज्झाए
 वा से भासिज्ज वा वियागरिज्ज वा, आयरिउवज्झायस्स भास-
 माणस्स वा वियागरेमाणस्स वा नो अंतरा भासं करिज्जा,
 तत्रो सं० अहाराइणिए वा दूइज्जिज्जा ॥ से भिक्षू वा अहा-
 राइणियं गामा० दू० नो राइणियस्स हत्थेण हत्थं जाव अणा-
 सायमाणे तत्रो सं० अहाराइणियं गामा० दू० ॥ से भिक्षू वा
 २ अहाराइणियं गामाणुगामं दूइज्जमाणे अंतरा से पाडिवहिया
 उवगच्छिज्जा, ते णां पाडिवहिया एवं वइज्जा—आउसंतो !
 समणा ! के तुब्भे ? जे तत्थ सब्वराइणिए से भासिज्ज वा
 वागरिज्ज वा, राइणियस्स भासमाणस्स वा वियागरेमाणस्स
 वा नो अंतरा भासं भासिज्जा, तत्रो संजयामेव अहाराइणियाए
 गामाणुगामं दूइज्जिज्जा ॥१२८ ॥

छाया—भिक्षुर्वा० आचार्योपाध्यायैः साद्धं ग्रामानुग्रामं गच्छन् न

आचार्योपाध्यायस्य हस्तेन वा हस्त यावत् अनासादमानः ततः संयतमेव
 आचार्योपाध्यायैः सार्द्धं यावत् गच्छेत् । स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा
 आचार्योपाध्यायैः सार्द्धं गच्छन् अन्तराले तस्य प्रातिपथिका उपागच्छेयुः ते
 प्रातिपथिकाः एवं वदेयुः आयुष्मन्तः श्रमणाः ! के यूयम् ? कुतो वा आगच्छथ ?
 कुत्र वा गमिष्यथ ? यः तत्र आचार्यो वा उपाध्यायो वा स भाषेत वा
 व्यागृणीयाद् वा आचार्योपाध्यायस्य भाषमाणस्य व्यागृणतः वा नो
 अंतरा-मध्ये भाषां कुर्यात्, ततः संयतमेव यथा रात्निकैः सार्द्धं गच्छेत् ।
 स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा यथारात्निकं ग्रामानुग्रामं गच्छन् न रात्निकस्य
 हस्तेन हस्तं-यावत् अनासादमानः ततः संयतमेव यथारात्निकं ग्रामानुग्रामं
 गच्छेत् । स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा यथा रात्निकं ग्रामानुग्रामं गच्छन् अन्तराले
 तस्य प्रातिपथिका उपागच्छेयुः, ते प्रातिपथिकाः एव वदेयुः आयुष्मन्तः
 श्रमणाः ! के यूयं ? यस्तत्र सर्वे रात्निकः स भाषेत व्यागृणीयात् वा
 रात्निकस्य भाषमाणस्य वा व्यागृणतः वा न अन्तराले भाषां भाषेत
 ततः संयतमेव यथा रात्निकैः सार्द्धं ग्रामानुग्रामं गच्छेत् ।

पदार्थ—से भिक्खू वा०—वह साधु अथवा साध्वी । आयरिउवज्झाएहि—आचार्य और
 उपाध्याय के । सद्धि—साथ । गामा०—एक ग्राम से दूसरे ग्राम को । दूइज्जमाणे—विहार
 करता हुआ । आयरिउवज्झायस्स—आचार्य और उपाध्याय के । हत्थेण हत्थं—हाथ से हाथ ।
 जाव नो०—यावत् स्पर्श न करे अर्थात् हाथ से हाथ पकड़ कर न चले । जाव—यावत् । अणा-
 सायमाणे—आशातना न करता हुआ । तत्रो—तदनन्तर । संजयामेव—यत्नापूर्वक । आयरिय
 उवज्झाएहिं—आचार्य और उपाध्याय के । सद्धि—साथ । जाव—यावत् । दूइज्जिज्जा—
 गमन करे-विहार करे ।

पदार्थ—से भिक्खू वा—वह साधु अथवा साध्वी । आय०—आचार्य और उपाध्याय
 के । सद्धि—साथ । दूइज्जमाणे—गमन करते हुए । अंतरा से—उसके मार्ग में यदि कोई ।
 पाडिबहिया—पथिक । उवागच्छिज्जा—सामने आ जाए । णं—और । ते—वह । पाडिबहिया—
 पथिक । एवं—साधु को इस प्रकार । वइज्जा—कहे । आउसंतो समणा—आयुष्मन् श्रमण !
 के तुम्हे—आप कौन है ? कस्रो वा एह—कहाँ से आ रहे हो ? कहिं वा गच्छिहि—कहाँ पर
 जाएंगे, तो । तत्थ—वहाँ पर । जे—जो । आयरिए—आचार्य । वा—या । उवज्झाए वा—

उपाध्याय है तो । से- वह । मासिज्जा—उसे उत्तर दें या । वियागरिज्जा—विशेष प्रकार से उत्तर दे तब । आपरिय उवज्भायस्स—आचार्य अथवा उपाध्याय के । मासमाणस्स—उत्तर देते हुए या । वियागरेमाणस्स—विशिष्ट उत्तर देते हुए वह साधु । अतरा—बीच में । नो मास करिज्जा—किसी प्रकार का उत्तर प्रत्युत्तर न करे अर्थात् बीच में न बोले । तओ—तदनन्तर । सं—साधु । अहाराइणिए वा—यथा रत्नाधिक के साथ । दूइज्जिज्जा—गमन करे ।

पदार्थ—से भिक्खू वा—वह साधु या साध्वी । अहाराइणिय—रत्नाधिक के साथ । गामा०—ग्रामानुग्राम । दू०—विहार करता हुआ । राइणियस्स—रत्नाधिक के । हत्थेण—हाथ से । हत्थं—हाथ को । नो—स्पर्श न करे । जाव—यावत् । अणासायमाणे—आशातना न करता हुआ । तओ—तदनन्तर । सं०—साधु । अहाराइणियं—रत्नाधिक के साथ । गामा०—ग्रामानुग्राम । दू०—विहार करे । से भिक्खू वा—वह साधु अथवा साध्वी । अहाराइणिय—रत्नाधिक के साथ । गामाणुगामं—एक ग्राम से दूसरे ग्राम के प्रति । दूइज्जमाणे—विहार करते हुए । अतरा से—उसके मार्ग में यदि कोई । पाडिवहिया—पथिक (मुसाफिर) सामने से । उवागच्छिज्जा—आ जाए । ण—और । ते—वे । पाडिवहिया—पथ, उस साधु को । एव वइज्जा—इस प्रकार कहे । आउसंतो समणा—आयुष्मन् श्रमणो ! के तुब्भे—आप कौन हैं ? तो । जे—जो । तत्थ—वहा पर । सब्बराइणिए—सर्वरत्नाधिक है अर्थात् जिसका दीक्षा पर्याय सब से अधिक है । से—वह । मासिज्ज वा—उत्तर दे । वागरिज्ज वा—अथवा विशेष रूप से संभाष करे । राइणियस्स—उस ज्येष्ठ साधु के । मासमाणस्स—भाषण करते या । वियागरेमाणस्स—विशेष रूप से उत्तर देते समय । अतरा—उसके बीच में । नो मास मासिज्जा—संभाषण न करे अर्थात् बीच में न बोले । तओ—तदनन्तर । संजयामेव—संयत-साधु । अहाराइणियाए—रत्नाधिक के साथ । गामाणुगामं—ग्रामानुग्राम । दूइज्जिज्जा—विहार करे ।

मूलार्थ—साधु अथवा साध्वी आचार्य और उपाध्याय के साथ विहार करता हुआ, आचार्य और उपाध्याय के हाथ से अपने हाथ का स्पर्श न करे, और आशातना न करता हुआ ईर्यासमिति पूर्वक उनके साथ विहार करे । उनके साथ विहार करते हुए मार्ग में यदि कोई व्यक्ति मिले और वह इस प्रकार कहे कि आयुष्मन् श्रमण ! आप कौन हैं ? कहां से आये हैं ? और कहां जाएंगे ? तो आचार्य या उपाध्याय जो भी साथ में है वे उसे सामान्य अथवा विशेष रूप से उत्तर दें । परन्तु, साधु को उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए । किन्तु, ईर्यासमिति का

ध्यान रखता हुआ उनके साथ विहार चर्या में प्रवृत्त रहे। और यदि कभी साधु रत्नाधिक (अपने से दीक्षा में बड़े साधु) के साथ विहार करता हो तो उस रत्नाधिक के हाथ से अपने हाथ का स्पर्श न करे और यदि मार्ग में कोई पथिक सामने मिले और पूछे कि आयुष्मन् श्रमणो ! तुम कौन हो ? तो वहा पर जो सबसे बड़ा साधु हो वह उत्तर देवे उसके सभाषण में अर्थात् उत्तर देने के समय उसके बीच में कोई साधु न बोले किन्तु यत्नापूर्वक रत्नाधिक के साथ विहार में प्रवृत्त रहे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु आचार्य, उपाध्याय एवं रत्नाधिक (अपने से दीक्षा में बड़े साधु) के साथ विहार करते समय अपने हाथ से उनके हाथ का स्पर्श करता हुआ न चले और यदि रास्ते में कोई व्यक्ति मिले और वह पूछे कि आप कौन हैं ? कहां से आ रहे हैं ? और कहा जाएंगे ? आदि प्रश्नों का उत्तर साथ में चलने वाले आचार्य, उपाध्याय या बड़े साधु दें, परन्तु छोटे साधु को न तो उत्तर देने का प्रयत्न करना चाहिए और न बीच में ही बोलना चाहिए। क्योंकि आचार्य आदि के हाथ एवं अन्य अङ्गोपांग का अपने हाथ आदि से स्पर्श करने से तथा वे किली के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हों उस समय उनके बीच में बोलने से उनकी अशान्ति होगी और वह साधु भी असभ्य सा प्रतीत होगा। अतः उनकी विनय एवं शिष्टता का ध्यान रखते हुए साधु को विवेक पूर्वक चलना चाहिए।

यदि कभी आचार्य, उपाध्याय या बड़े साधु छोटे साधु को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहे तो वह उस व्यक्ति को उत्तर दे सकता है और इसी तरह यदि आचार्य आदि के शरीर में कोई वेदना हो गई हो या चलते समय उन्हें उसके हाथ के सहारे की आवश्यकता हो तो वह उस स्थिति में उनके हाथ आदि का स्पर्श भी कर सकता है। अस्तु, यहां जो निषेध किया गया है, वह बिना किसी कारण से एवं उनकी आज्ञा के बिना उनके हाथ आदि का स्पर्श करने एवं उनके बीच में बोलने के लिए किया गया है।

प्रस्तुत सूत्र में आचार्य आदि के साथ विहार करने के प्रसंग में जो साधु-साध्वी का उल्लेख किया है, वह सूत्र शैली के अनुसार किया गया है। परन्तु, साधु-साध्वी एक साथ विहार नहीं करते हैं, अतः आचार्य आदि के साथ साधुओं का ही विहार होता है, साध्वियों का नहीं। उनका विहार आचार्या (प्रवर्तिनी) आदि के साथ होता है। साधु

और साध्वी दोनों के नियमों में समानता होने के कारण दोनों का एक साथ उल्लेख कर दिया गया है। अतः जहाँ साधुओं का प्रसंग हो वहाँ आचार्य आदि का और जहाँ साध्वियों का प्रसंग हो वहाँ प्रवर्तिनी आदि का प्रसंग समझना चाहिए।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० दूइज्जमाणो अंतरा से पाडिवहिया उवागच्छिज्जा, ते णं पा० एवं वइज्जा—आउ० स० ! अविद्याइं इत्तो पडिवहे पासह, तं० मणुस्सं वा गोणं वा महिसं वा पसुं वा पक्खि वा सिरीसिवं वा जलयरं वा से आइक्खह दंसेह, तं नो आइक्खिज्जा नो दंसिज्जा, नो तस्स तं परिन्नं परिजाणिज्जा, तुसिणीए उवेहिज्जा, जाणं वा नो जाणंति वइज्जा, तत्रो सं० गामा० दू० ॥ से भिक्खू वा० गा० दू० अंतरा से पाडि० उवा० , ते णं पा० एवं वइज्जा—आउ० स० ! अविद्याइं इत्तो पडिवहे पासह, उदगपसूयाणि कंदाणि वा मूलानि वा तथा पत्ता-पुफा फला बीया हरिया उदगं वा संनिहियं अगणिं वा संनिखित्तं से आइक्खह जाव दूइज्जिज्जा ॥ से भिक्खू वा० गामा० दूइज्जमाणो अंतरा से पाडि० उवा० , ते णं पाडि० एवं आउ० स० अविद्याइं इत्तो पडिवहे पासह जवसाणि वा जाव से णं वा विरूवरूवं संनिविट्ठं से आइक्खह, जाव दूइज्जिज्जा ॥ से भिक्खू वा० गामा० दूइज्जमाणो अंतरा पा० जाव आउ० स०

तथैव यावत्, दूयेत् ।

पदार्थ—से निक्खू वा—वह साधु या साध्वी । दूइज्जमाणे—विहार करते हुए । अंतरा से—उसके मार्ग में । पाडिबहिया—पथिक लोग सामने से । उवागच्छिज्जा—आजाए । ण—और । ते—वे साधु को । एव—इस प्रकार । वइज्जा—कहें कि । आउसतो समणा ?—आयुष्मन् श्रमण । अविद्याइ—क्या आपने । इत्तो पडिबहे—इस मार्ग में आते हुए किसी को । पासह—देखा है । तं—जैसे कि । मणुस्स वा—मनुष्य को । गोणं वा—बैल को । महिस वा—महिष को । पसुं वा—पशु को । पक्खि वा—पक्षी को । त्तिरीसिबं वा—सर्प को अथवा । जलयर वा—जलचर को । से—उसको । आइक्खह—कहो और । दसेह—दिखलाओ, इस प्रकार के प्रश्न किये जाने पर साधु । तं—उसे । नो आइक्खिज्जा—न तो कुछ कहे और । नो दसिज्जा—न दिखलावे । तस्स—उसके । तं परिर्न—इस कथन को । नो परिजाणिज्जा—स्वीकार न करे किन्तु । तुसिणीए उवहेज्जा—यौन वृत्ति में रहे अर्थात् चुप रहे । जाण वा—अथवा जानता हुआ भी । जणति—मैं जानता हूँ इस प्रकार । नो वइज्जा—न कहे अर्थात् चुप रहे । तओ—तदनन्तर । स—यतना पूर्वक । गामा०—ग्रामानुग्राम । दू०—विहार करे ।

पदार्थ—से निक्खू वा—वह साधु या साध्वी । गा०—एक ग्राम से दूसरे ग्राम को । दू०—गमन करता हुआ । अंतरा से—उसके मार्ग में यदि । पाडि०—पथिक लोग । उवा—सामने आजाए । ण—और । ते—वे । पा०—पथिक लोग । एव वइज्जा—इस प्रकार कहें । आउ० स०—आयुष्मन् श्रमण ! अविद्याइ—अपिच-क्या आपने । इत्तो—इस । पडिबहे—मार्ग में इनको । पासह—देखा है ? जैसे कि । उदग पसूयाणि—उदकप्रसूत-जलसे उत्पन्न हुए । कदाणि—कन्द । मूलाणि वा—अथवा मूल । तथा—त्वचा—वृक्ष की छाल । पत्ता—पत्र । पुष्पा—पुष्प-फूल । फला—फल । बीया—बीज । हरिया—हरित काय । उदगं—उदक-पानी । वा—अथवा । सनिहियं—सनिहित पानी के स्थान तडाग आदि । अगणि सनिहितं—अप्रवलित हुई अग्नि । ते—उसको । आइक्खह—कहो । जाव—यावत् । दूइज्जिज्जा—विहार करे । से निक्खू वा—वह साधु या साध्वी । गामा०—ग्रामानुग्राम । दूइज्जमाणे—विहार करता हुआ । से—उसके । अन्तरा—मार्ग में यदि । पाडि०—पथिक लोग । उवा०—आजाएँ । ण—और । ते—वे । पाडि०—पथिक लोग । एव०—इस प्रकार कहे । आउ० स०—आयुष्मन् श्रमण । अविद्याइ—क्या आपने । इत्तो पडिबहे—इस मार्ग में । पासह—देखा है जैसे कि । जवसाणि वा—यव, गोधूमादि धान्य को । जाव—यावत् । से ण वा—राजा की सेना को । विरुवरुव—नाना प्रकार के । सनिवित्ठ—उतरे हुए राजा के कटक-सेना को । से—उसे । आइक्खह—कहो-बतलाओ । जाव—यावत् । दूइज्जिज्जा—ग्रामानुग्राम विहार करे । से निक्खू वा—वह साधु अथवा साध्वी । गामा०—दूइज्जमाणे—एक ग्राम से, दूसरे ग्राम को

जाते हुए। अतरा—मार्ग में। पा०—पथिक लोग। जाव—यावत् प्राजावे और साधु के प्रति कहें कि। आउ० स०—प्रायुष्मन् श्रमण। केवद्वए—कितनी दूर। इत्तो—यहा से। गामे वा—ग्राम है। जाव—यावत्। रायहाणिं वा—राजधानी है। से—उसे। आइकखह—कहो। जाव—यावत्। वू०—मोनवृत्ति से विहार करे। से निक्खू वा—वह साधु प्रथवा साध्वी। गामाणु-गामं—एक ग्राम से दूसरे ग्राम के प्रति। वूइज्जमाणे—विहार करते हुए। से—उसके। अतरा—मार्ग में यदि। पाइिवहिया—पथिक प्राजावे और पूछे कि। आउसंतो समणा—प्रायुष्मन् श्रमण। केवद्वए—कितनी दूर। इत्तो—यहा से। गामस्स वा—ग्राम का प्रथवा। नगरस्स वा—नगर का। जाव—यावत्। रायहाणिं वा—राजधानी का। मग्गो—मार्ग है। से—उसे। आइकखह—कहो अर्थात् बतलाओ? शेष। तहेव—उसी प्रकार। जाव—यावत्। वूइज्ज-ज्जा—मोन वृत्ति से विहार करे।

मूलार्थ—संयमशील साधु प्रथवा साध्वी को विहार करते हुए यदि मार्ग के मध्य में सामने से कोई पथिक मिले और वे साधु से कहें कि प्रायुष्मन् श्रमण! क्या आपने मार्ग में मनुष्य को, मृग को, महिष को, पशु को, पक्षी को, सर्प को और जलचर को जाते हुए देखा है? यदि देखा हो तो बतलाओ वे किस ओर गए हे? साधु इन प्रश्नों का कोई उत्तर न दे और मौन भाव से रहे, तथा उसके उक्त वचन को स्वीकार न करे, तथा जानता हुआ भी यह न कहे कि मैं जानता हूँ। और ग्रामानु-ग्राम विचरते हुए साधु को मार्ग में वे पथिक यह पूछें कि प्रायुष्मन् श्रमण! क्या आपने इस मार्ग में जल से उत्पन्न होने वाले कन्दमूल, त्वचा, पत्र, पुष्प, फल, बोज, हरित, एवं जलके स्थान और प्रज्वलित हुई अग्नि को देखा है तो बतलाओ कहां देखा हे? इसके उत्तर में भी साधु कुछ न कहे अर्थात् चुप रहे। तथा ईर्या समिति पूर्वक विहार चर्या में प्रवृत्त रहे और यदि यह पूछें कि इस मार्ग में धान्य और राजाओं की सेना कहां पर है? तो इस प्रश्न के उत्तर में भी मौन रहे। यदि वे पूछें कि प्रायुष्मन् श्रमण! यहा से ग्राम यावत् राजधानी कितनी दूर है? तथा यहां से ग्राम नगर यावत् राजधानी का मार्ग कितना शेष रहा है? इन का भी उत्तर न दे तथा जानता हुआ भी मैं जानता हूँ ऐसे न कहे, किन्तु मौन

धारण करके ईर्यासमिति पूर्वक अपना रास्ता तय करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि विहार करते समय कोई पथिक पूछे कि हे मुनि ! आपने इधर से किसी मृग, गाय आदि पशु-पक्षी या मनुष्य आदि को जाते हुए देखा है ? इसी तरह जलचर एव वनस्पतिकाय या अग्नि आदि के सम्बन्ध में भी पूछे और कहे कि यदि आपने इन्हें देखा है तो बताइए वे कहाँ हैं या किस ओर गए हैं ? उसके ऐसा पूछने पर साधु को मौन रहना चाहिए । क्योंकि, यदि साधु उसे उनका सही पता बता देता है तो उसके द्वारा उन प्राणियों की हिंसा होना सम्भव है । अतः पूर्ण अहिंसक साधु को प्राणीमात्र के हित की भावना को ध्यान में रखते हुए उस समय मौन रहना चाहिए ।

प्रस्तुत प्रसंग में प्रयुक्त 'जाण वा नो जाणति वड्ज्जा' के अर्थ में दो विचार-धाराएँ हमारे सामने हैं । परन्तु, इस बात में सभी विचारक एकमत हैं कि साधु को ऐसी भाषा का विलकुल प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे अनेक प्राणियों की हिंसा होती हो । इस दया की भावना को ध्यान में रखते हुए वृत्तिकार उक्त पदों का यह अर्थ करते हैं— साधु जानते हुए भी यह कहे कि मैं नहीं जानता । स्व० आचार्य श्री [जवाहर लाल जी महाराज ने भी सद्धर्म मण्डन में इसी अर्थ का समर्थन किया है । इसमें साधु की भावना असत्य बोलने की नहीं, प्रत्युत उसकी उपेक्षा करके जीवों की रक्षा करने की भावना है । परन्तु, फिर भी इस भाषा में कुछ असत्य का अंश रह ही जाता है, अतः यह विचारणीय है कि साधु ऐसी भाषा का प्रयोग कैसे कर सकता है ।

यह भी तो स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रसंग में प्रयुक्त 'वा' शब्द अपि (भी) के अर्थ में व्यवहृत हुआ है और 'नो' शब्द 'वड्ज्जा' क्रिया से संबद्ध है । इस तरह इसका अर्थ हुआ कि साधु जानते हुए भी यह नहीं कहे कि मैं जानता हूँ । मोग्गी से प्रकाशित आचाराङ्ग सूत्र के गुजराती अनुवाद में भी यही अर्थ किया गया है कि 'खरु जाणता छर्ता जाणुं छुं' एम न बोलवुळ्ळी । उपाध्याय पार्श्वचन्द्र ने भी आचाराङ्ग की वालाबबोध टीका में उपरोक्त अर्थ को ही स्वीकार किया है ।

आगमों में प्रायः 'नो' शब्द का क्रिया के साथ ही सम्बन्ध माना गया है । उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है— 'न निर्णेह कर्हिचि कुव्वेज्जा' अर्थात् कहीं पर भी स्नेह न करेके । इस सूत्र में 'न' का क्रिया के साथ ही सम्बन्ध माना गया है । इसके अतिरिक्त

आगम में ऐसे अनेक स्थल हैं, जिनमें 'नो' शब्द को क्रिया के साथ ही सम्बद्ध माना है। इसलिए प्रस्तुत प्रसंग में 'नो' शब्द को 'वहज्जा' क्रिया से सम्बद्ध मानना ही युक्ति-युक्त प्रतीत होता है। यदि इस तरह से 'नो' शब्द को क्रिया के साथ जोड़कर अर्थ नहीं करेंगे तो फिर मौन रखने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा। फिर तो साधु सीधा ही यह कहकर आगे बढ़ जाएगा कि मैं नहीं जानता। परन्तु, आगम में जो मौन रखने को कहा गया है उससे यह स्पष्ट होता है कि साधु को जानते हुए भी यह नहीं कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता। साधु को जीवों की हिंसा एवं असत्य भाषा दोनों से बचना चाहिए।

आगम में कहा गया है कि जिस भाषा के प्रयोग से जीवों की हिंसा होती हो वैसे सत्य भाषा भी साधु को नहीं बोलनी चाहिए। और यह भी बताया गया है कि साधु को सत्य एवं व्यवहार भाषा बोलनी चाहिए और मिश्र एवं असत्य भाषा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। साधु दूसरे महाव्रत में असत्य भाषण का सर्वथा त्याग करता है। और आगम में उसे अणु मात्र (स्वरूप) झूठ बोलने का भी निषेध किया गया

ॐ णेरइयाण भते । जीवाणो किं चलियं कम्मं वन्धति, अचलियं कम्मं वन्धन्ति ?

गोयमा ! णो चलियं कम्मं वन्धन्ति, अचलियं कम्मं वन्धन्ति ।

यहाँ पर 'णो' शब्द का वन्धति क्रिया के साथ सम्बन्ध है।

णेरइयाण भते जीवाणो किं चलियं कम्मं उदीरति, अचलियं कम्मं उदीरन्ति ?

गोयमा ! णो चलियं कम्मं उदीरन्ति, अचलियं कम्मं उदीरन्ति ।

यहाँ पर "उदीरति" क्रिया के साथ 'नो' पद का सम्बन्ध है।

सा भते ! कि अत्तकडा कज्जइ, परकडा कज्जइ, तदुभय कडा कज्जइ ?

गोयमा ! अत्तकडा कज्जइ, णो परकडा कज्जइ, णो तदुभयकडा कज्जइ । .

—भगवती सूत्र, शत, १-उद्दे० १

। तथेयं पक्खा भाषा, गुरुभूयो वधाइणी ।

सत्तन्ना वि गा न वत्तव्वा, जणो पावस्स मागमो ॥ —दशवैकालिक सूत्र ७, ११

‡ चउण्हं मलु भासाण परिमखाय पन्नवं ।

दुण्हं विणय सितो, दो न भासिज्जा मव्वमो ॥ —दशवैकालिक सूत्र ७, १,

ॐ ग्रहावरे दुच्चे भन्ते ! महव्वये मुमावायाओ वेरमण ।

मन्व भने मुमावाय पच्चान्नामि ।

—दशवैकालिक सूत्र ४

है† । इससे यह स्पष्ट होता है कि साधु को ऐसे प्रसंगों पर मौन रहना चाहिए । चाहे उस पर कितना भी कष्ट क्यों न आए, फिर भी जानते हुए भी उसे यह नहीं कहना चाहिए कि मैं जानता हूँ और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए ।

इसी विषय को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू० गा० दू० अंतरा से गोणं वियालं पडिवहे पेहाए जाव चित्तचिल्लडं वियालं प० पेहाए नो तेसिं भीअो उम्मग्गेणं गच्छिज्जा नो मग्गाअो उम्मगं संकमिज्जा नो गहणं वा वणं वा दुग्गं वा अणुपविसिज्जा नो रुक्खंसि दूरुहिज्जा नो महइमहालयंसि उदयंसि कायं विउसिज्जा नो वाडं वा सरणं वा सेणं वा सत्थं वा कंखिज्जा अप्पुस्सुए जाव समाहीए तअो संजयामेव गामाणुगामं दूइज्जिज्जा ॥ से भिक्खू० गामाणुगामं दूइज्जमाणे अंतरा से विहं सिया, से जं पुण विहं जाणिज्जा, इमंसि खलु विहंसि बहवे आमोसगा उवगरणपडियाए संपिंडिया गच्छिज्जा, नो तेसिं भीअो उम्मग्गेण गच्छिज्जा जाव समाहीए तअो संजयामेव गामाणुगामं दूइज्जेज्जा ॥१३०॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा ग्रामानुग्रामं दूयमान अन्तराले तस्य गा व्यालं प्रतिपथे प्रेक्ष्य यावत् चित्रकं व्यालं प्रातपथे प्रेक्ष्य न तेभ्यो भीतः उन्मार्गेण गच्छेत्, न मार्गतः उन्मार्गं संक्रामेत्, न गहनं वा बन वा दुर्गं वा

† एष च दोसं ददूणं, नायपुत्तेण भासिय ।

अणुमायपि मेहावी, मायामोसं विवज्जए ।

अनुप्रविशेत् न वृक्षं आरोहेत् न महति महालये उदके काय व्युत्सृजेत्, न बाट वा शरणं वा सेनां वा सार्थं वा कांचेत् अल्पोत्सुकः यावत् समाधिना, ततः सयतमेव ग्रामानुग्रामं दूयेत् । स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा ग्रामानुग्राम दूयमानः अन्तरालं तस्य विहं स्यात् स यत् पुनः विहं जानीयात् अस्मिन् खलु विहे बहवः आमोपकाः उपकरणप्रतिज्ञया संपिण्डिताः आगच्छेयुः न तेभ्यो भीतः उन्मार्गेण गच्छेत्, यावत् समाधिना, ततः संयतमेव ग्रामानुग्रामं दूयेत्-गच्छेत् ।

पदार्थ—से भिक्खू०—वह साधु या साध्वी । गा० दू०—ग्रामानुग्राम विहार करते हुए । से—उसके । अन्तरा—मार्ग के मध्य में आए हुए । गोण—वृषभ को । विद्याल—सर्प को । पडिवहे—रास्ते में देखकर । जाव—यावत् । चित्तचित्तलड—चीते को, चीते के वच्चे को । विद्यालं—क्रूर सर्प को । प०—मार्ग में । पेहाए—देखकर । तेसि—उनसे । भीओ—डरता हुआ । उम्मगगेणं—उन्मार्ग से । नो गच्छिज्जा—गमन न करे । और । मग्गाओ—मार्ग से । उम्मगं—उन्मार्ग को । नो संकम्मिज्जा—संक्रमण न करे । गहणं वा—गहन—वृक्ष समूह से युक्त स्थान । वन वा—वन । दुग्गं वा—विषम स्थान इनमें । नो पविसिज्जा—प्रवेश न करे और । ख्वसि—वृक्ष पर । नो दुवहिज्जा—न चढ़े । महइमहालयसि—अति विस्तृत गहरे जट में । कायं—शरीर को । नो विउसिज्जा—तिरोहित न करे । बाइ वा—बाड़ का । सरणं—शरण । सेनं वा—सेना का अथवा । सत्थं वा—किसी अन्य साथियों का आश्रय । नो कखिज्जा—न चाहे । अप्पुम्सुए—राग-द्वेष से रहित होकर । जाव—यावत् । समाहीए—समाधि युक्त होकर । तओ—तदनन्तर । संजयामेव—सयम शील साधु । गामाणु-गाम—एक ग्राम से दूसरे ग्राम को । दूइज्जिज्जा—विहार करे । से भिक्खू०—वह साधु अथवा साध्वी । गामाणुगामं—ग्रामानुग्राम । दूइज्जिज्जाणे—विहार करता हुआ । अंतरा से—उसके मार्ग में । विह सिधा—अटवी हो तो । से—वह साधु । जं—जो । पुण—फिर । विह—अटवी को । जाणिज्जा—जाने । खलु—निश्चयार्थक है । इमसि—इस । विहसि—अटवी में । बहवे—बहुत से । आमोसगा—चोर । उवगरणपडियाए—साधु के उपकरण को लेने के लिए । संपिडिया—एकत्र होकर यदि सामने । गच्छिज्जा—ग्रा जाएं तो । तेसि—उनसे । भीओ—डर कर । उम्मगगेण—उन्मार्ग से । नो गच्छिज्जिज्जा—गमन न करे । जाव—यावत् । समाहीए—समाधियुक्त होकर । तओ—तदनन्तर । संजयामेव—यत्नापूर्वक । गामाणु-गामं—ग्रामानुग्राम । दूइज्जिज्जा—विहार करे ।

मूलार्थ—सयमशील साधु अथवा साध्वी को ग्रामानुग्राम विहार करते

हुए मार्ग में यदि मदोन्मत्त वृषभ-बैल या विपैले साप या चोते आदि हिंसक जीवों का साक्षात्कार हो तो उसे देखकर साधु को भयभीत नहीं होना चाहिए तथा उनसे डरकर उन्मार्ग में गमन नहीं करना चाहिए और मार्ग से उन्मार्ग का सक्रमण भी नहीं करना चाहिए। और गहन वन एवं विषम स्थान में भी साधु प्रवेश न करे, एवं न विस्तृत और गहरे जल में ही प्रवेश करे और न वृक्ष पर ही चढ़े। इसी प्रकार वह सेना और अन्य साथियों का आश्रय भी न ढूँढे, किन्तु राग-द्वेष से रहित होकर यावत् समाधिपूर्वक ग्रामानुग्राम विहार करे।

यदि साधु या साध्वी को विहार करते हुए मार्ग में अटवी आ जाए तो साधु उसको जानले, जैसे कि अटवी में चोर होते हैं और वे साधु के उपकरण लेने के लिए इकट्ठे होकर आते हैं, यदि अटवी में चोर एकत्रित हो कर आएँ तो साधु उनसे भयभीत न हो तथा उनसे डरकर उन्मार्ग की ओर न जाए किन्तु राग-द्वेष से रहित होकर यावत् समाधिपूर्वक ग्रामानुग्राम विहार करने में प्रवृत्त रहे।

दिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में साधु की निर्भयता के सर्वोत्कृष्ट रूप का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि यदि साधु को रास्ते में उन्मत्त बैल, शेर आदि हिंसक जन्तु मिल जाएँ या कभी मार्ग भूल जाने के कारण भयंकर अटवी में गए हुए साधु को चोर, डाकू आदि मिल जाएँ तो मुनि को उनसे भयभीत होकर इधर-उधर उन्मार्ग पर नहीं जाना चाहिए, न वृक्ष पर चढ़ना चाहिए और न विस्तृत एवं गहरे पानी में प्रवेश करना चाहिए, परन्तु राग-द्वेष से रहित होकर अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए।

प्रस्तुत प्रसंग साधु की साधुता की उत्कृष्ट साधना का परिचायक है। वह अभय का देवता न किसी को भय देता है और न किसी से भयभीत होता है। क्योंकि, प्राणी जगत को अभयदान देने वाला साधक कभी भय ग्रस्त नहीं होता। भय उसी प्राणी के मन में पनपता है, जो दूसरों को भय देता है या जिसकी साधना में, अहिंसा में अभी पूर्णता नहीं आई है। क्योंकि भय एवं अहिंसा का परस्पर विरोध है। मानव जीवन में

जितना-जितना अहिंसा का विकास होता है उतना ही भय का हास होता है और जब जीवन में पूर्ण अहिंसा साकार रूप में प्रकट हो जाती है तो भय का भी पूर्णतः नाश हो जाता है। अस्तु अहिंसा निर्भयता की निशानी है।

यह वर्णन पूर्ण अहिंसक साधक को ध्यान में रखकर किया गया है। सामान्यतः सभी साधु हिंसा के त्यागी होते हैं, फिर भी सबकी साधना के स्तर में कुछ अन्तर रहता है। सब के जीवन का समान रूप से विकास नहीं होता। इसी अपेक्षा से वृत्तिकार ने प्रस्तुत सूत्र को जिनकल्पी मुनि की साधना के लिए बताया है। क्योंकि स्थविर कल्पी मुनि को यदि कभी समाधि भंग होती हो तो हिंसक जीवों से युक्त मार्ग का त्याग करके अन्य मार्ग से भी आ-जा सकता है। आगम में भी लिखा है कि यदि मार्ग में हिंसक जन्तु बैठे हों या धूम-फिर रहे हों तो मुनि को वह मार्ग छोड़ देना चाहिए।

वृत्तिकार ने प्रस्तुत सूत्र जो जिनकल्पी मुनि से सम्बद्ध बताया है। हिंसक जन्तुओं से भयभीत न होने के प्रसंग में तो यह युक्ति संगत प्रतीत होता है। परन्तु, अटवी में चोरों द्वारा उपकरण छीनने के प्रसंग में जिनकल्पी की कल्पना कैसे घटित होगी? क्योंकि उनके पास वस्त्र एवं पात्र आदि तो होते ही नहीं, अतः उनके लूटने का प्रसंग ही उपस्थित नहीं होगा। इसका समाधान यह है कि आचाराङ्ग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध में वृत्तिकार ने एक, दो और तीन चादर रखने वाले जिनकल्पी मुनि का भी वर्णन किया है, उन्होंने कुछ जिनकल्पी मुनियों के लक्ष्य १२ उपकरण स्वीकार किए हैं। अतः इस दृष्टि से इस साधना को जिनकल्पी मुनि की साधना मानना युक्तिसंगत ही प्रतीत होता है।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खुवा० गा० दू० अन्तरा से आमोसगा-
संपिंडिया गच्छिज्जा, ते णां आ० एवं वइज्जा आउ० स० ! आहर,
एयं वत्थं वा ४ देहिं निक्खिवाहि, तं नो दिज्जा निक्खि-
विज्जा, नो वंदिय २ जाइज्जा, नो अज्जलिं कट्टु जाइज्जा,

❀

साण सूइय गावि, दित्त गोण हय गयं।

सडिब्भ कलह जुद्ध द्वरधो परिवज्जए।।

नो कलुण्णवडियाए जाइज्जा, धम्मियाए जायणाए जाइज्जा, तुसि
णीयभावेण वा उवेहिज्जा ते णं आमोसगा सयं करणिज्जंतिकट्टु
अक्कोसंति वा जाव उद्विंति वा वत्थं वा ४ अच्चिदिज्ज वा
जाव परिट्ठविज्ज वा, तं नो गामसंसारियं कुज्जा, नो राय-
संसारियं कुज्जा, नो परं उवसंकमित्तु बूया—आउसंतो ! गाहा-
वई ! एए खलु आमोसगा उवगरणवडियाए सयं करणिज्जंतिकट्टु
अक्कोसंति वा जाव परिट्ठवंति वा, एयप्पगारं मणं वा वायं वा
नो पुरओ कट्टु विहरिज्जा, अप्पुस्सुए जाव समाहीए तओ संजया-
मेव गामा० दू० । एयं खलु० सया जइ० ॥१३१॥ त्तिवेमि ॥

छाया—म भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा ग्रामानुग्रामं दूयमानः अन्तराले तस्य आमो-
पकाः सपिण्डिताः आगच्छेयुः ते आमोषकाः एवं वदेयुः—आयुष्मन् श्रमण !
आहर एतद् वस्त्र वा ४ देहि निक्षिप ? तद् नो दद्यात् निक्षिपेत् न वन्दित्वा २
याचेत् न अञ्जलिं कृत्वा याचेत्, न करुणप्रतिज्ञया याचेत्, धार्मिकया याचनया
याचेत् तूष्णीकभावेन वा उपेक्षत ते आमोषकाः स्वयकरणीयमिति कृत्वा, आक्रो-
शन्ति वा यावत् अपद्रावयन्ति वा, वस्त्र वा आच्छिन्द्युः तद् यावत् परिष्ठापयेयुर्वा
तद् न ग्रामसंसारणीयं कुर्यात्, न राजसंसारणीयं कुर्यात्, न पर उपसंक्रम्य ब्रूयात्—
आयुष्मन् गृहगतं ! एते खलु आमोषकाः उपकरणप्रतिज्ञया स्वयकरणीयमिति-
कृत्वा आक्रोशन्ति वा यावत् परिष्ठापयन्ति वा एतत् प्रकारं मानसं वा वाचं वा
न पुरतः कृत्वा विहरेत् । अल्पोत्सुकः यावत् समाधिना ततः सयतमेव ग्रामानुग्रामं
दूयेत् । एतत् खलु भिक्षोः सामग्र्यं यत् सर्वार्थैः समितः सहितः सदा जयेत् ।
इति त्रयीमि । समाप्तमीर्याख्य तृतीयमध्ययनम् ।

पदार्थ—से भिषखू वा—वह साधु या साध्वी । गा०—एक ग्राम से दूसरे ग्राम को विहार करता हुआ । अतरा—मार्ग में । से—उसके सामने । आमोसगा—चोर । सर्पिण्या—एकत्रित होकर । अगच्छिज्जा—आ जाए । ण—पूर्ववत् । ते—वे । आमोसगा—चोर । एवं वड्ज्जा—इस प्रकार कहे । आउ० स —आयुष्मन् श्रमण ! आहर—लाओ । एय वत्थ चा० ४—यह वस्त्रादि । देहि—हमें दे दो, और । निखिवाहि—यहा पर रख दो । तब वह साधु । त—उमे । नो विज्जा—न देवे किन्तु उन्हे भूमि पर । निखिवाविज्जा—रख दे, परन्तु । बंदिमं २—उन चोरो की स्तुति करके । नो जाइज्जा—उन वस्त्रादि की याचना न करे, तथा । अंजलि कट्टु—हाथ जोड कर । नो जाइज्जा—याचना न करे तथा । कलुण वडियाए—दीन वचन बोलकर । नो जाइज्जा—याचना न करे किन्तु । धम्मियाए—धार्मिक । जायणाए—याचना से अर्थात् धर्म कथन पूर्वक । जाइज्जा—याचना करे अथवा । तुसिणीय भावेण वा—मीन भाव से अयस्थित रहे । णं—वाक्यालंकार में है । ते—वे । आमोसगा—चोर । सयंकरणिज्जति कट्टु—चोर का कर्तव्य जानकर यदि इस प्रकार करें यथा । अक्कोसति वा—साधु को आक्रोसते है । जाव—यावत् । उद्विचति—जीवन से रहित कर देते है । वा—अथवा । वत्थं वा—वस्त्रादि को । अच्छिदिज्जा—छीन लेते है । वा—अथवा । जाव—यावत् छीने हुगो को । परिट्ठयिज्जा—वहाँ पर ही फेंक देते हैं । तो भी साधु । तं—इस बात को । ग्राम संसारिय—गाँव मे जाकर लोगो से । नो कुज्जा—न कहे और । नो रायसंसारियं कुज्जा—राजा आदि के पास जाकर भी न कहे तथा । नो परं उपसकमित्तु बूया—न अन्य गृहस्थो के पास जाकर कहे कि । आउसंतो गाहावई—आयुष्मन् सद् गृहस्थो ! एए खलु आमोसगा—निदमय ही इन चोरो ने । उवगरण वडियाए—मेरे उपकरण ले लिए । सयंकरणिज्जति कट्टु—उन्होंने अपना कर्तव्य समझ कर मुझे । अक्कोसति—कठोर वचन कहे । जाव—यावत् । परिट्ठयंति—मेरे उपकरण आदि फेंक दिए । एयप्पगार—इस प्रकार का । मण वा—मन । पायं धा—ग्रामवा वचन को । पुरओ कट्टु—आगे करके । नो विहरिज्जा—न विचरे किन्तु । अप्पसुए—राग-द्वेष से रहित । जाव—यावत् । समाहीए—समाधि युक्त होकर । तओ—अदम्य । सजयामेव—यत्नापूर्वक । गामा०—ग्रामानुग्राम । बुइ०—विहार करे । एयं खलु०—निदमय ही यह उस साधु और साध्वी का सम्पूर्ण आचार है । सया जइ०—जो कि सर्व अर्थों से यत्न और समितियो से समित हो सदा यत्न गील रहे । त्तिवेमि—इस प्रकार में कहना है :

दे, परन्तु उन्हें वापिस प्राप्त करने के लिए मुनि उनकी स्तुति करके, हाथ जोड़ कर या दीन वचन कह कर उन वस्त्रादि की याचना च करे अर्थात् उन्हें वापिस देने को न कहे । तथा यदि मागना हो तो उन्हें धर्म का मार्ग समझाकर मांगे अथवा मौन रहे । वे चोर अपने चोर के कर्तव्य को जानकर साधु को मार-पीटें या उसका वध करने का प्रयत्न करें और उसके वस्त्रादि को छीन ले, फाड़ डालें या फैंक दें तो भी वह भिक्षु ग्राम में जाकर लोगो से न कहे और न राजा से हो कहे एवं किसी अन्य गृहस्थ के पास जाकर भी यह न कहे कि आयुष्मन् गृहस्थ ! इन चोरों ने मेरे उपकरणादि की छीनने के लिए मुझे मारा है और उपकरणादि को दूर फैंक दिया है । ऐसे विचारो को साधु मन मे भी न लाए और न वचन से उन्हें अभिव्यक्त करे । किन्तु राग-द्वेष से रहित हो कर समभाव से समाधि मे रहकर ग्रामानुग्राम विचरे । यही उसका यथार्थ साधुत्व-साधु भाव है । इस प्रकार मैं कहता हू ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में भी पहले सूत्र की तरह साधु की निर्भयता एवं सहिष्णुता पर प्रकाश डाला गया है । इसमें बताया गया है कि विहार करते समय यदि रास्ते में कोई चोर मिल जाए और वह मुनि से कहे कि तू अपने उपकरण हमें दे दे या जमीन पर रख दे । तो मुनि शान्त भाव से अपने वस्त्र पात्र आदि जमीन पर रख दे । परन्तु, वह उन्हें वापिस प्राप्त करने के लिए उन चोरों की स्तुति न करे, न उनके सामने दीन वचन ही बोले । यदि बोलना उचित समझे तो उन्हें धर्म का मार्ग दिखाकर उन्हें पथ भ्रष्ट होने से बचाए, अन्यथा मौन रहे । इसके अतिरिक्त यदि कोई चोर साधु से वस्त्र आदि प्राप्त करने के लिए उसे मारे-पीटे या उसका वध करने का प्रयत्न भी करे और उसके सभी उपकरण भी छीन ले या उन्हें तोड़-फोड़ कर दूर फैंक दे, तब भी मुनि उस पर राग-द्वेष न करता हुआ समभाव से गांव में आ जाए । गांव में आकर भी वह यह बात किसी भी गृहस्थ, अधिकारी या राजा आदि से न कहे । और न इस सम्बन्ध में किसी तरह का मानसिक चिन्तन ही करे । वह मन, वचन और काया से उस से (चोर से) किसी भी तरह का प्रतिशोध लेने का प्रयत्न न करे ।

इस सूत्र में माधुता के महान् उज्ज्वल रूप को चित्रित किया गया है। अपना अपकार करने वाले व्यक्ति का कभी बुरा नहीं चाहना एवं उसे कष्ट में डालने का प्रयत्न नहीं करना, यह आत्मा की महानता को प्रकट करता है। यह आत्मा के विकास की उत्कृष्ट श्रेणी है जहां पर पहुंच कर मानव अपने बधिक के प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखता। वह मारने एवं पूजा करने वाले दोनों पर समभाव रखता है, दोनों को मित्र समझता है और दोनों का हित चाहता है। यही श्रेणी आत्मा से परमात्मा पद को प्राप्त करने की या साधक से सिद्ध बनने की श्रेणी है।

‘त्तिवेमि’ की व्याख्या पूर्ववत् समझें।

॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ॥

॥ तृतीय अध्ययन समाप्त ॥

चतुर्थ अध्यायन-भाषैषणा

प्रथम उद्देशक

तृतीय अध्यायन में ईर्यासमिति का वर्णन किया गया है। अतः संयम पथ पर गतिशील मुनि को किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यह प्रस्तुत अध्यायन में बताया गया है। यह अध्यायन दो उद्देशों में विभक्त है। पहले उद्देश में वचन, विभक्ति आदि का वर्णन किया गया है और दूसरे उद्देश में ऐसी भाषा का प्रयोग करने का निषेध किया गया है, जिसमें अपने या दूसरे के मन में क्रोध आदि विकारों की उत्पत्ति होती हो। इस तरह साधु को कैसी भाषा बोलनी चाहिए इसका वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा २ इमाइं वयायाराइं सुच्चा निसम्म
इमाइं अणागाराइं अणारियपुच्चाइं जाणिज्जा जे कोहा वा
वायं विउंजंति जे माणा वा० जे मायाए वा० जे लोभा वा
वायं विउंजंति जाणओ वा फरुस वयंति अजाणओ वा फ०
सव्वं चेयं सावज्जं वज्जिज्जा विवेगमायाए, धुवं चेयं जाणिज्जा
अधुवं चेयं जाणिज्जा असणं वा ४ लभिय नो लभिय भुंजिय
नो भुंजिय अदुवा आगओ अदुवा नो आगओ अदुवा एइ
अदुवा नो एइ अदुवा एहिइ अदुवा नो एहिइ, इत्थवि आगए
इत्थवि नो आगए इत्थवि एति इत्थवि नो एति इत्थवि एहिति
इत्थवि नो एहिति ॥ अणुवीइ निट्ठाभासी समियाए संजए भासं
भासिज्जा, तंजहा—एगवयाणं १ दुवयाणं २ बहुब० ३ इत्थि०

४ पुरि० ५ नपुंसग वयणां ६ अज्भक्त्य व० ७ उवणीयवयणां ८
 अवणीय वयणां ९ उवणीय अवणीय व० १० अवणीय उवणीय
 व० ११ तीय व० १२ पडुप्पन्न व० १३ अणागय व० १४
 पञ्चकख वयणां १५ परुक्ख व० १६ से एगवयणां वइस्सामीति
 एगवयणां वइज्जा जाव परुक्ख वयणां वइस्सामीति परुक्ख वयणां
 वइज्जा. इत्थी वेस पुरिसो वेस, नपुंसगं वेस एयं वा चेयं अन्नं
 वा चेयं अणावीइ निट्ठाभासी समियाए संजए भासं भासिज्जा,
 इच्चेयाइं आययाणाइं उवातिकम्म ॥ अहभिकखू जाणिज्जा
 चत्तारि भासज्जायाइं, तंजहा-सच्चमेगं पढमं भासज्जायं १ वीयं
 मोसं २ तईयं सच्चामोसं ३ जं नेव सच्चं नेव मोसं नेव
 सच्चामोस असच्चामोसं नाम तं चउत्थं भासज्जायं ४ ॥ से
 वेमि जे अईया जे य पडुप्पन्ना जे अणागया अरहंता भगवंतो
 सव्वे ते एयाणि चेव चत्तारि भासज्जायाइं भासिसु वा भासंति
 वा भासिस्संति वा पन्नविंसु वा ३, सव्वाइं च एं एयाइं अचि-
 त्ताणि वण्णमंताणि गंधमंताणि, रसमंताणि फासमताणि च-
 ओवचइयाइ, विप्परिणामधम्माइं भवंतीति अक्खायाइं । १३२।

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा इमान् वग्गाचारान् श्रुत्वा निशम्य
 इमान् अनाचारान् अनाचीणं पूर्वान् जानीयात् ये क्रोधाद् वा वाचं विप्रयुजन्ति,
 येमानाद् वा वाचं विप्रयुजन्ति, ये मायया वाचं विप्रयुजन्ति ये लोभाद् वा

वाचं विप्रयुजन्ति जानाना वा परुष वदन्ति अजानाना वा परुषं वदन्ति सर्वं
 चैतत् सावद्यं वर्जयेत् विवेकभादाय, ध्रुवं चैतन् जानीयात् अध्रुवं चैतत् जानी-
 यात् ॥ अशन वा ४ लब्ध्वा, नो लब्ध्वा भुक्त्वा नो भुक्त्वा अथवा आगतः
 अथवा नो आगतः, अथवा एति, अथवा नो एति अथवा एष्यति अथवा न
 एष्यति, अत्रापि आगतः अत्रापि नो आगतः, अत्रापि एति अत्रापि नो एति अत्रा-
 पि एष्यति अत्रापि नो एष्यति । अनुविचिन्त्य निष्ठाभाषी समित्या- (समतया
 वा) संयतः भाषां भाषेत । -तद्यथा— एकवचनं (१) द्विवचन (२) बहुवचनं
 (३) स्त्रीवचनम् (४) पुरुषवचनम् (५) नपुंसकवचनम् (६) अध्यात्म वचनम् (७)
 उपनीतवचनम् (८) अपनीतवचनम् (९) उपनीतापनीतवचनम् (१०) अपनीतोप-
 नीतवचनम् (११) अतीतवचनम् (१२) प्रत्युत्पन्नवचनम् (१३) अनागतवचनम्
 (१४) प्रत्यक्षवचनम् (१५) परोक्षवचनम्, (१६) स एक वचन वदिष्यामीति
 एकवचनम्, वदेत् यावत् परोक्षवचनं वदिष्यामीति परोक्षवचनं वदेत्,
 स्त्री वा एषा, पुरुषो वा एषः नपुंसक वा एतद्, एतद् वा चैतद् अन्यद् वा
 चैतत्, अनुविचिन्त्य निष्ठाभाषी समित्या संयतः भाषा भाषेत, इत्येतानि
 आयतनानि उपातिक्रम्य । अथ भिन्नः जानीयात् चत्वारि भाषाजातानि तद्यथा-
 सत्प्रमेक प्रथम भाषाजातम् (१) द्वितीया मृषा (२) तृतीया सत्यामृषा (३) या
 नैव सत्या नैव मृषा नैव सत्यामृषा असत्यामृषा नाम तत् चतुर्थ भाषाजातम् (४)
 अथे ब्रवीमि ये अतीता ये प्रत्युत्पन्ना ये, अनागताः अहंनो भगवन्तः सर्वेते एतानि
 चैवचत्वारि भाषाजातानि अभाषन्त वा भाषन्ते वा भाषिष्यन्ते वा व्यजिज्ञपन्
 वा ३ सर्वाणि च एतानि अचिञ्चानि, ब्रूवन्ति, गन्धयन्ति, रसवन्ति, स्पर्शवन्ति
 चायोषज्यिकानि विपरिणामधर्माणि भवन्तीति आख्यातानि ।

- पदार्थ - से—वह । भिन्नू वा २—साधु या साध्वी । इमाहं—इन कहे जाने वाले ।
 वचायाराहं—वाणी के आचार को । सुच्चा—सुन कर । निसम्न—विचार कर । इमाह—इन
 कहे जाने वाले । अणायाराहं—अनाचारो को । अणारियपुव्वाहं—पूर्व साधुओं, तें, जिनका
 आचरण नहीं किया उसके सम्बन्ध में । जाणिज्जा—जाने—जैसे कि— । जे—जो । कोहावा—
 क्रोध से । वार्यं—वचन का । विज्जति—प्रयोग करते हैं । जे माणा था०—जो मानपूर्वक वचन

बोलते हैं तथा । जे मायाए वा०—जो माया-छलपूर्वक बोलते है । जे लोभा वा—जो लोभ के चक्षीभूत होकर । वार्य विउजति - वचन का प्रयोग करते हैं । वा—अथवा । जानघोवा फरस घषति—जान कर कठोर वचन बोलते हैं, अर्थात् किमी के दोष हो जानते हुए उसे उद्धाटन करने के लिए कठोर भाषा का प्रयोग करते है । वा—अथवा । अजाणघो—नही जानते हुए । क०—कठोर वचन बोलते है । सव्रं चेष—यह सब । सावज्जं—सावद्य-हिंसा-पाप युक्त वचन हैं अतः । वियेग मायाए—विवेक को ग्रहण करके अर्थात् विवेक युक्त होकर । वज्जिज्जा—साधु इन सापथ वचनो को छोड़ दे अर्थात् सावद्य भाषा न बोले, तथा । घुवं चेष जाणिज्जा—यह पदार्थ ध्रुव है—निश्चित है ऐसा जाने । च—श्रीर । अघुव चेषं जाणिज्जा—यह पदार्थ अघुव अनिश्चित है ऐसा जाने । असण वा ४—यह साधु अशनादि चतुर्विध आहार । लमिय—लेकर आया या । नो लमिय—लेकर नही आया । भुंजिय—कोई साधु आहार के लिए गया हो श्रीर किसी कारणवश यदि उसे विलम्ब हो गया हो तो अन्य साधु यह न कहे कि वह रास्ते में ही आहार करके आया या । नो भुंजिय—विना आहार किए ही आया । अदुवा—अथवा । आगघो—राजा आदि पीछे आए थे । अदुवा—अथवा । नो आगघो—नही आए थे । अदुवा—अथवा । एइ - राजा आदि आता है । अदुवा—अथवा । नो एइ—नही आ रहा है । अदुवा—अथवा । एहिइ—आया । अदुवा—अथवा । नो एहिइ—नही आया इस प्रकार की निश्चित भाषा न बोले । अथ क्षेत्र के विषय में कहते है— । इत्थवि—अमुक व्यक्ति यहां पर ही । आगए—आया था । इत्थवि—यहां पर । नो आगए—नही आया था । इत्थवि—यहां पर । एइ—आता है । इत्थवि—यहां पर । नो एति—नही आता है । इत्थवि—यहां पर ही । एहिति—आया । इत्थवि नो एहिति—यहां पर नही आया, इस प्रकार की निश्चय रूप भाषा न बोले किन्तु । अणुधीइ—विचार कर । निट्ठाभासी - निश्चय पूर्वक बोलने वाला अर्थात् निश्चय किए जाने पर बोलने वाला । समियाए—भाषा समिति से युक्त । संजए—साधु । मासं मासिज्जा—भाषा को बोले । तंजहा—जैसे कि । एगवयणं १—एक वचन । दुवयण २—द्विवचन । वहु० व० ३—बहुवचन । इत्थि० ४—स्त्री वचन । पुरि० ५—पुरुष वचन । नपुंसग वयणं ६—नपुंसक वचन । अअरथ व० ७—अप्रधातन वचन । उघणीय वयण ८—उपनीत-प्रशंसाकारी वचन । अघणीय वयण ९ -अपनीत-निन्दाकारी वचन । उघणीय अघणीय व० १०—प्रशंसा श्रीर निन्दा युक्त वचन । अघणीय उघणीय व० ११—निन्दा श्रीर प्रशंसायुक्त वचन । तीय व० १२—अतीत काल का वचन । पडुपन्न व० १३—वर्तमान काल का वचन । अनागव व० १४—अनागत काल का वचन । पच्चषल वयणं १५—प्रत्यक्ष वचन । परोषल व० १६—श्रीर परोक्ष वचन आदि को जान कर । से—वह-साधु । एगवयण—एक वचन । वइस्तामीति—बोल्गा । ऐसा विचार करके । एगवयण—एक वचन । वइज्जा—बोले । जाव—

यावत् । परवृत्त वयणं—परोक्ष वचन । वइस्सामीति—बोलूंगा ऐसा विचार करके । परवृत्त-वयणं—परोक्ष वचन । वइज्जा—बोले । इत्थि वेस—यह स्त्री है । पुरिसो वेस—यह तुरुप है । नपुंसग वेस—यह नपुंसक है । एय वा—यह स्त्री ही है अथवा । च—और । एय—यह । अन्नं वा—और कोई है । च—पुनः । एय—यह । अगु गोइ—विचार कर । निट्ठा-भासी—निश्चित एकान्त भाषा बोलने वाला । सजए—साधु । समियाए—भाषा समिति युक्त । भास—भाषा को । भासिज्जा—बोले । इच्चेयाइ—ये पूर्वोक्त तथा आगे कहे जाने वाले । आययणाइ—भाषा के दोष स्थानों को । उवातिकम्म—अति क्रम करके-उल्लंघन करके भाषण करे । अह भिक्खु -अथ भिक्षु । चत्तारि—चार प्रकार की । भासज्जाह—भाषाओं को । जाणिज्जा—जानने का यत्न करे । तजहा—जैसे कि । सच्चमेग पढम भासज्जाय—पहली सत्य भाषा है । वीय मोस—दूसरी मृषा भाषा है । नईयं सच्चा मोस—तीसरी सत्य-मृषा अर्थात् मिश्र भाषा है । जं—जो भाषा । नेव—न । सच्च—सत्य है । नेव मोस—न मृषा है, तथा । नेव—न । सच्चामोसं—सत्य और मृषा हैं । तं—उसका । चउत्थं नाम—चौथी । असच्चामोसं—असत्यामृषा अर्थात् व्यवहार । भासज्जायं—भाषा है । से वेमि—यह जो कुछ मैं कह रहा हूँ यह सब । जे -जो । अईया—अतीत काल में । जे य—और जो । पडुप्पन्ना—वर्तमान काल में तथा । जे—जो । अणागया—अनागत-भविष्यत् काल में । अरहता भगवन्तो—अरिहन्त भगवान हो चुके हैं, हैं या होंगे । ते सव्वे—वे सब । एयाणि वेव चत्तारि भासज्जाइ—यही चार प्रकार की भाषाएँ । भासिसु—बोलते थे । भासति—बोलते हैं और भासिस्सति वा—बोलेंगे, तथा इन्ही भाषाओं की । पन्निविसु वा ३—उन्होंने प्ररूपणा की, प्ररूपणा करते हैं और करेंगे । सव्वाइ च ण एयाइ—ये सभी प्रकार की भाषाएँ । अचित्ताइ—अचित्त हैं । वण मंताणि—वर्ण युक्त । गन्ध मंताणि—गन्ध युक्त । रस मंताणि—रस युक्त और । फास मंताणि—स्पर्श युक्त है, अर्थात् सभी प्रकार के भाषा द्रव्य वर्ण गन्ध, रस और स्पर्श युक्त हैं । चओवचयाइ—उपचय और अपचय वाले अर्थात् मिलने और वच्छडने वाले हैं तथा ये । विप्परिणाम धम्माइ—विविध प्रकार के परिणाम-धर्म वाले । भवन्तीति—होते हैं ऐसा । अब्खायाइ—तीर्थंकरों ने कहा है ।

मूलार्थ—संयमशील साधु और साध्वी वचन के आचार को सुन कर और हृदय में धारण करके वचन अनाचार को (जिनका पूर्व के मुनियों ने आचरण नहीं किया) जानने का प्रयत्न करे । जो मुनि क्रोध, मान, माया और लोभ से वचन बोलते हैं अर्थात् इनके वशीभूत, होकर भाषण करते हैं, तथा जो किसी के दोष को जानते हुए अथवा न जानते

हुए भी उसके मर्म को उदघाटन करने के लिए कठोर वचन बोलते हैं ऐसी भाषा सावद्य है अतः विवेकशील साधु इसे छोड़ दे । और वह निश्चयात्मक भाषा भी न बोले, जैसे कि—कल अवश्य ही वर्षा होगी, अथवा नहीं होगी । यदि कोई साधु आहार के लिए गया हो, तब अन्य साधु उसके लिए ऐसा न कहे कि वह साधु अशनादि चतुर्विध आहार अवश्य लेकर आएगा, अथवा बिना लिये ही आएगा । और यदि किसी साधु को भिक्षार्थ गये हुए किसी कारण से कुछ विलम्ब होगया हो, तो संयमशील साधु अन्य साधुओं के प्रति इस प्रकार भी न कहे कि वह साधु-जोकि भिक्षा के लिए गया हुआ है, वहां पर भोजन करके आएगा अथवा आहार किए बिना ही आएगा । इस तरह भूत काल की किसी बात का जब तक निश्चय न हो जाए तब तक निश्चयात्मक वचन न बोले तथा—राजा अवश्य आया था, अथवा (वर्तमानकाल में) आता है अथवा [भविष्यत् काल में] अवश्य आएगा, अथवा तीनों काल में न आया था, न आता है और न आएगा, इसप्रकार के निश्चयात्मक वचन भी न बोले । जिसप्रकार कालके विषय में कहा गया है उसी प्रकार क्षेत्रके विषय में भी समझना चाहिए । यथा पीछे अमुक व्यक्ति अमुक नगरादि में आया था, अथवा नहीं आया था, इसी प्रकार अमुक व्यक्ति आता है या नहीं आता है, और अमुकव्यक्ति अमुक नगरादि में आएगा अथवा नहीं आएगा । तात्पर्य कि जिस विषय में वस्तु तत्त्व का पूर्णतया निश्चय न हो उसके विषय में निश्चयात्मक वचन साधु को नहीं बोलना चाहिये । अतः विचार पूर्वक निश्चय करके भाषा समिति से समित हुआ साधु, भाषा का व्यवहार करे अर्थात् भाषा समिति का ध्यान रखता हुआ सयन भाषा में बोले । एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तथा स्त्रीलिंग वचन, पुरुष लिंग वचन और नपुंसक लिंग वचन, एवं अव्यात्म वचन प्रशंसा युक्त वचन, निन्दायुक्त वचन निन्दा और प्रशंसा युक्त वचन,

भूतकाल सम्बन्धि वचन, वर्तमानकाल सम्बन्धि वचन और भविष्यत काल सम्बन्धि वचन, तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष वचन आदि को भली भाँति जानकर बोले । यदि उसे एक वचन बोलना हो तो वह एक वचन बोले यावत् परोक्ष वचन पर्यन्त जिस वचन को बोलना हो उसी को बोले । तथा स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद अथवा स्त्रीपुरुष और नपुंसक वेद या जब तक निश्चय न हो, तब तक निश्चयात्मक वचन न बोले, जैसेकि—यह स्त्री ही है इत्यादि २ अतः विचार पूर्वक भाषा समिति से युक्त हुआ साधु भाषा के दोषों को त्याग कर सभाषण करे ।

साधु को भाषा के चारो भेदों को भी जानना चाहिये, सत्य भाषा २ मृषा-असत्य भाषा, ३ मिश्र भाषा और ४ असत्यामृषा- जो न सत्य है, न असत्य और न सत्यासत्य किन्तु असत्यामृषा या व्यवहार भाषा के नाम से प्रसिद्ध है । जो कुछ मैं कहता हूँ— भूतकाल में जो अनन्त तीर्थंकर हो चुके हैं और वर्तमान काल में जो तीर्थंकर हैं, तथा भविष्यत् काल में जो तीर्थंकर होंगे, उन सब ने इसी प्रकार से चार तरह की भाषा का वर्णन किया है, करते हैं और करेंगे । तथा ये सब भाषा के पुद्गल अचित्त हैं, तथा वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श वाले हैं, तथा उपचय और अपचय अर्थात् मिलने और विच्छुडने वाले एवं विविध प्रकार के परिणामों को धारण करने वाले होते हैं । ऐसा सर्वज्ञ और सर्वदर्शी तीर्थंकर देवों ने प्रतिपादन किया है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि साधु को भाषा शास्त्र का पूरा ज्ञान होना चाहिए । उसे व्याकरण का भली-भाँति बोध होना चाहिए । जिससे वह बोलते समय विभक्ति, लिंग एवं वचन आदि की गलती न कर सके । इससे स्पष्ट होता है कि साधु को जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान के साथ व्यवहारिक शिक्षा का भी महत्त्व है । साधक को जिस भाषा में अपने विचार अभिव्यक्त करने हैं, उसे उस भाषा का

परिज्ञान होना जरूरी है। यदि उसे उस भाषा का ठीक तरह से बोध नहीं है तो वह बोलते समय अनेक गलतिएं कर सकता है और कभी-कभी उसके द्वारा प्रयुक्त भाषा उसके अभिप्राय से विरुद्ध अर्थ को भी प्रकट कर सकती है। इसलिए साधक को भाषा का इतना ज्ञान अवश्य होना चाहिए जिससे वह अपने भावों को स्पष्ट एवं शुद्ध रूप से अभिव्यक्त कर सके।

भाषा के सम्बन्ध में दूसरी बात यह है कि साधु-साध्वी को निश्चयात्मक एवं संदिग्ध भाषा नहीं बोलनी चाहिए। इसका कारण यह है कि कभी परिस्थितिबश वह कार्य उसी रूप में नहीं हुआ तो साधु के दूसरे महाव्रत में दोष लगेगा। इसी तरह जिस बात के विषय में निश्चित ज्ञान नहीं है उसे प्रकट करने से भी दूसरे महाव्रत में दोष लगता है। अतः साधु को बोलते समय पूर्णतया विवेक एवं सावधानी रखनी चाहिए।

तीसरी बात यह है कि मनुष्य क्रोध, मान, माया और लोभ आदि विकारों के बश भी झूठ बोलता है। जिस समय मनुष्य के मन में क्रोध की आग धधकती है उस समय वह यह भूल जाता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। इसी तरह जब मनुष्य के जीवन में अभिमान, माया एवं लोभ का अन्धड़ चलता है तो उस समय भी भाषा के दोष एवं गुणों का सही ज्ञान नहीं रख सकता और उन मनोविकारों के बश वह असत्य भाषा का भी प्रयोग कर देता है। इसलिए साधु को सदा इन कषायों से ऊपर उठकर बोलना चाहिए। यदि कभी इनका उदय हो रहा हो तो साधु को उस समय मौन रहना चाहिए। उसे पहले उदयमान कषायों को उपशान्त करके फिर बोलना चाहिए।

भाषा के स्वरूप के सम्बन्ध में यहां कुछ बताना अनुचित एवं अप्रासंगिक नहीं होगा। साधारणतया मुझ द्वारा बोले जाने वाले शब्दों के समूह को भाषा कहते हैं। जैन आगमों में शब्द को पुद्गल माना गया है। कुछ भारतीय दर्शन शब्द को आकाश का गुण मानते हैं। परन्तु यह मान्यता उचित प्रतीत नहीं होती। क्योंकि आकाश अरूपी है, अतः उसका गुण भी अरूपी ही होगा। परन्तु, शब्द रूपी है, इस लिए वह अरूपी आकाश का गुण नहीं हो सकता। और आज वैज्ञानिक साधनों ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि शब्द आकाश का गुण नहीं, प्रत्युत स्वयं एक मूर्त पदार्थ है। वह पुद्गल के द्वारा रोका जाता है, ग्रहण किया जाता है और स्थानान्तर में भी भेजा जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शब्द आकाश का गुण नहीं, प्रत्युत भाषा वर्गणा के पुद्गलों का समूह है। अतः भाषा वर्गणा के पुद्गल अचित्त एवं वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श से युक्त हैं तथा परिवर्तनशील हैं।

व्यक्ति द्वारा बोली जाने वाली भाषा चार प्रकार की मानी गई है— १ सत्य भाषा, २ असत्य भाषा, ३ मिश्र भाषा (जिसमें सत्य और असत्य की मिलावट हो) और ४ असत्यायमृषा (जिस भाषा में न झूठ है और न सत्य है, जिसे व्यवहार भाषा कहते हैं) । इसमें साधु पहली और चौथी अर्थात् सत्य एवं व्यवहार भाषा का प्रयोग कर सकता है । परन्तु, उसे दूसरी और तीसरी अर्थात् असत्य एवं मिश्र भाषा का प्रयोग करना नहीं कल्पता ।

इससे यह स्पष्ट हो गया कि साधु को भाषा के दोषों का परित्याग करके त्रिवेक-पूर्वक बोलना चाहिए । भाषा के दोषों से बचने के लिए सूत्रकार ने १६ प्रकार के वचनों का उल्लेख किया है । इसमें प्रयुक्त द्विवचन संस्कृत व्याकरण के अनुसार रखा गया है । क्योंकि प्राकृत में एक वचन और बहुवचन ही होता है । द्विवचन का प्रयोग संस्कृत में होता है । अतः उक्त भाषा को ध्यान में रखकर ही सूत्रकार ने द्विवचन शब्द का उल्लेख किया हो ऐसा प्रतीत होता है । ये वचनों के १६ प्रकार इस प्रकार से हैं—

१ एक वचन— (संस्कृत भाषा में)—वृक्षः, घटः, पटः इत्यादि ।

(प्राकृत भाषा में)—बच्छो-रुक्खो, घडो, पडो इत्यादि ।

२ द्विवचन— वृक्षौ, घटौ, पटौ इत्यादि, प्राकृत में द्विवचन होता ही नहीं ।

३ बहुवचन— वृक्षाः, घटाः, पटाः इत्यादि ।

(प्राकृत में)— बच्छा, रुक्खा, घडा, पडा इत्यादि ।

४ स्त्री लिंग वचन—(स०) कन्या, वीणा, राजधानी इत्यादि । (प्रा०) कन्ना, वीणा, रायहाणी इत्यादि ।

५ पुरुष वचन— (स०) घटः, पटः, कृष्ण, साधुः इत्यादि ।

(प्राकृत०) घडो, पडो, कण्हो, साहू इत्यादि ।

६ नपुंसक लिंग व०— पत्रम्, ज्ञानम्, चारित्र्यम्, दर्शनम् इत्यादि ।

पत्तं, नाणं, चरित्तं, दंसणं इत्यादि ।

७ अध्यात्म वचन—जिस वचन के बोलने का चित्त में निश्चय किया गया हो; फिर उसको छिपाने के लिए अन्य वचन के बोलने का विचार होने पर भी अकस्मात् वही वचन मुख से निकले उसे अध्यात्म वचन कहते हैं । जैसे कि— कोई वणिक् रूई के व्यापार के लिए किसी अन्य ग्राम या नगर में गया, उसने अपने मन में निश्चय किया कि मैं किसी अन्य व्यक्ति के पास रूई का नाम नहीं लूंगा । परन्तु जब वह तृपातुर होकर किसी कूप पर पानी पीने के लिए गया तब उसने वहाँ पानी भरने वालों से कहा कि मुझे शीघ्र ही रूई पिलाओ ! इसी का नाम अध्यात्म वचन है । वृत्तिकार भी यही

कटुयं निष्टुरं फरुसं अग्रहयकरिं छेयणकरिं भेयणकरिं परिया-
वणकरिं उहवणकरिं भूत्रोवघाइयं अभिकंख नो भासिज्जा ।
से भिक्खू वा भिक्खुणी वा से जं पुण जाणिज्जा, जा य भासा
सच्चा सुहुमा जा य भासा असच्चामोसा तहप्पगारं भासं असा-
वज्जं जाव अभूत्रोवघाइयं अभिकंख भामं भासिज्जा ॥१३३॥

छाया—स भिक्षुर्वा० स यत् पुनः जानीयात् पूर्वं भाषा अभाषा भाष्य-
माणा भाषा भाषा भाषासमयव्यतिक्रान्ता च भाषिता भाषा अभाषा ।

स भिक्षुर्वा० स यत् पुनः जानीयात् या च भाषा सत्या १ या च भाषा
मृषा २ या च भाषा सत्यामृषा ३ या च भाषा असत्याऽमृषा ४ तथाप्रकारां भाषां
मावद्या सक्रियां कर्कशा कटुका निष्टुरां परुषा, आश्रवकी छेदनकरी भेदनकरी
परितापनकरी, अपद्रावणकरी भूतोपघातिका अभिकांच्य नो भाषेत, स भिक्षुर्वा
भिक्षुर्वा वा स यत् पुनः जानीयात् या च भाषा सत्या सूत्तमा या च भाषा
असत्याऽमृषा तथाप्रकारा भाषा अमावद्या यावन् अभूतोपघातिकाम् अभिकांच्य
भाषां भाषेत ।

पदार्थ—से भिक्खू वा—वह साधु या साध्वी । से—वह । जं—जो । पुण—फिर ।
जाणिज्जा—जाने । पुर्वि भासा—भाषण करने से पूर्व जो भाषा द्रव्य वर्गणा के पुद्गल एकत्र
हुए है वे भाषा के योग्य होने पर भी । अभासा—प्रभाषा-भाषा नहीं है किन्तु । भासिज्ज-
माणा भासा—भाषण करते हुए ही वह । भासा—भाषा होती है । च—फिर । णं—वाक्या-
लंकार में है । भासा समयवीडकता—भाषा समय से व्यतिक्रान्त हुई । भासिया भासा—
भाषण के पश्चात् वह भाषा । अभासा—प्रभाषा होती है । इसका तात्पर्य यह है कि भूत और
भविष्यत् काल को छोड़कर केवल वर्तमान काल में बोली जाने वाली भाषावर्गणा के पुद्गलो
को ही भाषा कह सकते हैं । अब भाषण करने के योग्य तथा अयोग्य भाषा के विषय में कहते
हैं । से भिक्खू वा०—वह साधु या साध्वी । से जं पुण जाणिज्जा—फिर इस प्रकार जाने ।
जाय भासा—और जो भाषा । सच्चा—सत्य है । जाय भासा—तथा जो भाषा । मोसा—मृषा-
असत्य है । जा य भासा—और जो भाषा । सच्चास सा—सत्यासत्य अर्थात् मिश्र है । जा, य-

भासा—एवं जो भाषा । असच्चाऽमोसा—असत्याऽमृषा अर्थात् व्यवहार भाषा है । तहृपगारं—
 तथा प्रकार की । भास—भाषा जो कि । सावज्ज—सावद्य-पाप जनक है तथा । कक्कसं—
 कर्कश-कठोर है । सकिरियं—क्रिया युक्त है । कडुयं—कटुक है-चित्त को उद्वेग करने वाली
 है । निट्ठुरं—निष्ठुर है । फहसं—दूसरे के मर्म को प्रकाश करने वाली है तथा । अण्हयकारि—
 कर्मों का आस्रवण करने वाली है । छेयणकारि—जीवो का छेदन करने वाली है । भेयणकारि—
 भेदन करने वाली है । परिषावणकारि—परिताप देने वाली है एवं । उद्ववणकारि—उपद्रव करने
 वाली है और । भूओवघादयं—भूतोपघातिनी है-जीवो का विनाश करने वाली है । अमिकख—मन
 में विचार कर इस प्रकार की सत्य भाषा भी । नो भासिज्जा—न बोने, अर्थात् जिस भाषा से पर
 प्राणी का अहित होना हो तथा उसे कष्ट पहुंचता हो तो ऐसी भाषा यदि सत्य भी हो तो भी
 साधु न बोने । तथा । से मिक्खू वा—वह साधु या साध्वी । से—वह । ज—जो । पुण—फिर ।
 जाणिज्जा—जह जाने कि । जा य भासा—जो भाषा । सच्चा—सत्य है-यथार्थ है । सुहुमा—सूक्ष्म
 विचार परिपूर्ण । जा य—और जो भाषा । असच्चाऽमोसा—असत्याऽमृषा अर्थात् व्यवहार भाषा है ।
 तहृपगारं—तथा प्रकार की । असावज्ज—असावद्य-पापरहित । जाव—यावन् । अभूओवघा-
 दयं—अभूतोपघातिनी—जीवो का विनाश करने वाली नहीं है । अमिकख—विचार कर । भासं
 भासिज्जा—भाषा को बोले-संभाषण करे ।

मूलार्थ—सयमशील साधु या साध्वी को भाषा के विषय में यह जान-
 ना चाहिए कि भाषावर्गणा के एकत्रित हुए पुद्गल बोलने से पहले
 अभाषा और भाषण करते समय भाषा कहलाते हैं, और भाषण करने
 के पश्चात् वह बोलो हुई भाषा अभाषा हो जाती है । साधु या साध्वी
 को भाषा के इन भेदों को भी जानना चाहिए कि-जो सत्य भाषा, असत्य
 भाषा, मिश्र भाषा और व्यवहार भाषा है, उन में असत्य और मिश्र भाषा
 का व्यवहार साधु साध्वी के लिए सर्वथा वर्जित है, केवल सत्य और
 व्यवहार भाषा ही उनके लिये आचरणीय है, उसमें भी यदि कभी सत्य
 भाषा भी सावद्य, सक्रिय, कर्कश, कटुक, निष्ठुर और कर्मों का आस्रवण
 करने वाली, तथा छेदन, भेदन, परिताप और उपद्रव करने वाली एवं जीवो
 का घात करने वाली हो तो विचारशील साधु ऐसी सत्य भाषा का भी
 प्रयोग न करे, किन्तु सयमशील साधु या साध्वी उसी सत्य और व्यवहार
 भाषा—जो कि पापरहित यावत् जीवोपघातक नहीं है—का ही विवेक

पूर्वक व्यवहार करे । अर्थात् वह निर्दोष भाषा बोले ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में भाषा के सम्बन्ध में दो बातें बताई गई हैं— १ भाषा की अनित्यता और २-कौन सी भाषा बोलने के योग्य या अयोग्य है । इसमें बताया गया है कि भाषा वर्गण के पुद्गल जब तक वाणी द्वारा मुखरित नहीं होते, तब तक उन्हें भाषा नहीं कहा जाता । और बोले जाने के बाद भी उन पुद्गलों की भाषा संज्ञा नहीं रह जाती है । इससे स्पष्ट होता है कि जब तक उनका वाणी के द्वारा प्रयोग होता है तब तक भाषा वर्गण के उन पुद्गलों को भाषा कहते हैं । अतः तात्वादि व्यापार से वाणी के रूप में व्यवहृत होने से पहले और बाद में वे पुद्गल भाषा के नाम से जाने पहचाने नहीं जाते । जैसे आक आदि के सहयोग से घड़े के आकार को प्राप्त करने के पहले तथा घड़े के टूट जाने के बाद वह मिट्टी घड़ा नहीं कहलाती है । उमी तरह भाषा वर्गण के पुद्गल वाणी के रूप में मुखरित होने से पहले और बाद में भाषा नहीं कहलाते हैं । इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि भाषा निश्च नहीं, अनित्य है । क्योंकि तात्वादि के सहयोग से भाषा वर्गण के पुद्गलों को भाषा के आकार में प्रस्फुटित किया जाता है । इस लिए वह कृतक है और जो पदार्थ कृतक होते हैं, वे अनित्य होते हैं, जैसे घट । इससे यह स्पष्ट हुआ कि भाषा भाषावर्गण के पुद्गलों का समूह है, वर्ण, गन्ध, रस एवं स्पर्श युक्त है, कृतक है और इस कारण से अनित्य है ।

प्रस्तुत सूत्र में दूसरी बात यह कही गई है कि साधु असत्य एवं मिश्र भाषा का विरकुल प्रयोग न करे । सत्य एवं व्यवहार भाषा में भी जो सावध हो, सक्रिय हो, कर्कश-कठोर हो, कड़वी हो, कर्म बन्ध कराने वाली हो, मर्म का उद्घाटन करने वाली हो तो साधु को ऐसी सत्य भाषा भी नहीं बोलनी चाहिए । इससे यह सिद्ध होता है कि साधु को सदा ऐसी सत्य एवं व्यवहार भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जो निरवयव हो, अनर्थकारी न हो । कठोर एवं कड़वी न हो, दूसरे के मर्म का भेदन करने वाली न हो । अतः साधु को सदा मधुर, निर्दोष एवं निष्पापकारी सत्य एवं व्यवहार भाषा का प्रयोग करना चाहिए ।

इसके लिए सूत्रकार ने जो 'सुदुमा' शब्द का प्रयोग किया है, उसका यही अर्थ है कि मुनि को कुराम्र एवं सुदन (गड़ी) दृष्टि से विचार करके विवेक पूर्वक भाषा का प्रयोग करना चाहिए । परन्तु, वृत्तिकार ने इसका अर्थ यह किया है कि सुदम—कुराम्र वृद्धि से संन्यक्त पर्यालोचन करने पर कभी-कभी असत्य भाषा भी सत्य का स्थान ग्रहण कर लेती है । जैसे किनी शिखरी या हिंसक द्वारा मृग आदि के विषय में पूछने पर

देखने पर भी सत्य को प्रकट नहीं किया जाता। यह ठीक है कि दूसरे भाष्य - ४२५६० में भी कहा है कि भूठ नहीं बोलना चाहिए, परन्तु साथ में यह भी तो है कि ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो दूसरे प्राणी के लिए कष्टकर हो। इस तरह का सत्य भी भूठ हो जाता है। परन्तु, वृत्तिकार के ये विचार कहां तक आगम से मेल खाते हैं, विद्वानों के लिए विचारणीय है।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० पुमं आमंतेमाणे आमंतिए वा
अपडिसुणेमाणं नो एवं वड्जा--होलित्ति वा गोलित्ति वा
वसुलेत्ति वा कुपक्खेत्ति वा घडदासित्ति वा साणेत्ति वा तेणित्ति
वा चारिएत्ति वा माईत्ति वा मुसावाइत्ति वा, एयाइं तुमं ते
जणगा वा, एयप्पगारं भासं सावज्जं सक्किरियं जाव भूओवघाइयं
अभिकंख नो भासिज्जा। से भिक्खू वा० पुमं आमंतेमाणे आमं-
तिए वा अपडिसुणेमाणे एवं वड्जा--अमुगे इ वा आउसोत्ति वा
आउसंतारोत्ति वा सावगेत्ति वा उवासगेत्ति वा धम्मिएत्ति वा
धम्मपिएत्ति वा, एयप्पगारं भासं असावज्जं जाव अभिकंख
भासिज्जा। से भिक्खू वा २ इत्थिं आमंतेमाणे आमंतिए य
अपडिसुणेमाणं नो एवं वड्जा--होली इ वा गोलीत्ति वा इत्थी-
गमेणं नेयव्वं ॥ से भिक्खू वा २ इत्थिं आमंतेमाणे आमंतिए
य अपडिसुणेमाणं एवं वड्जा--आउसोत्ति वा भइणित्ति वा
भोईत्ति वा भगवईत्ति वा साविगेत्ति वा उवासिएत्ति वा धम्मिएत्ति

वा, धम्मप्पिण्णत्ति वा, एयप्पगारं भासं असावज्जं जाव अभिकंख
भासिज्जा ॥१३४॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा पुमांसम् आमन्त्रयन् आमन्त्रितं वा अशृण्वन्तं
नैवं वदेत्—होल इति वा गोल इति वा वृषल इति वा कुपक्ष इति वा घटदास
इति वा श्वेति वा स्तेन इति वा चारिक इति वा मायीति वा मृषावादीति वा
एतानि त्व तव जनकौ वा एतत्प्रकारां भाषा सावधा सक्रियां यावद् भूतोप-
घातिकाम् अभिकाक्ष्य न भाषेत । स भिक्षुर्वा ० पुमांसं आमन्त्रयन् आमन्त्रितो
वा अशृण्वन्तं एवं वदेत्—अमुक इति वा आयुष्मन् ! इति वा, आयुष्मन्त
इति वा, श्रावक इति वा, उपासक इति वा, धार्मिक इति वा, धर्मप्रिय इति वा,
एतत्प्रकारां भाषामसावधां यावत् अभिकाक्ष्य भाषेत । स भिक्षुर्वा २ स्त्रिय
आमन्त्रयन् आमन्त्रितां वा अशृण्वती नो एवं वदेत्—होलीति वा, गोलीति
वा, नेस्त्रीगमेन तव्यम् । स भिक्षुर्वा २ स्त्रियं आमन्त्रयन् आमन्त्रितां वा
अशृण्वतीम् एवं वदेत्—आयुष्मति इति वा, भगिनि ! इति वा, भवतीति वा,
भगवतीति वा, श्रावके ! इति वा, उपसिके ! इति वा, धार्मिके ! इति वा,
धर्मप्रिये ! इति वा, एतत्प्रकारां भाषामसावधां यावद् अभिकाक्ष्य भाषेत ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू वा २—साधु या साध्वी । पुमं—पुरुष को । आनतेमाणे—
आमन्त्रण करता हुआ । आमन्तिण्ण वा—अथवा आमन्त्रित किए जाने पर । अप्पडिसुणेमाणं—उसे
सुनाई न दे तो उसे । एवं—इस प्रकार । नो वडज्जा—न कहे । होलिति वा—हे होल ।
गोलिति वा—हे गोल ! ये दोनों शब्द अवज्ञा के सूचक हैं, अथवा । वसुलेति वा—हे वृषल !
कुपक्खेति वा—हे कुपक्ष ! घटदासिति वा—हे घटदास ! इस प्रकार तथा । साणेति वा—
हे श्वान-कुत्ते ! तेणेति वा—हे चोर ! चारिण्णत्ति वा—हे गुप्तचर ! पाईत्ति वा—हे छलिये !
मृसावाडित्ति वा—हे मृषावादी-भूठ बोलने वाले ! इस प्रकार न कहे अथवा । एयाइ तुम—
तू ऐसा ही है या । ते जणगा वा—तेरे माता-पिता भी ऐसे ही हैं । एयप्पगारं—इस प्रकार की ।
भासं—भाषा जो कि । सावज्जं—पाप युक्त । स किरियं—क्रिया युक्त । जाव—यावत् ।
नूअ्रोवघाइय—प्राणियों की विनाशक है उसे । अभिकंख—विचार कर-मन में सोचकर । नो
भासिज्जा—साधु ऐसी भाषा न बोले । से भिक्खू वा ०—वह साधु या साध्वी । पुमं—पुरुष को

आमतेमाणे—बुलाता हुआ । आमंति ए वा—बुलाए जाने पर । अप्पडिसुणे माणे—उसके न सुनने पर । एवं वड्ज्जा—इस प्रकार कहे । अमुगेइ वा—हे अमुक ! अर्थात् उसका जो नाम हो उस नाम से । आउसोत्ति वा—अथवा हे आयुष्मन् ! इस प्रकार । आउसंतारोत्ति वा—अथवा हे आयुष्मानो ! सावगेत्ति वा—हे श्रावक ! उवासगेत्ति वा—हे उपासक ! अथवा । धम्मिएत्ति वा—हे धार्मिक ! अथवा । धम्मपिएत्ति वा—हे धर्म प्रिय ! एयप्पगारं—इस प्रकार की । असावज्जं—असावद्य-पाप रहित । जाव—यावत् । अभिकंख—विचार कर । भासं—भाषा को । भासिज्जा—बोले । सेभिवखू वा०—वह साधु या साध्वी । इत्थिं—स्त्री को । आमंतेमाणे—आमन्त्रित करता हुआ—बुलाता हुआ । आमंति ए वा—अथवा आमन्त्रित किए जाने पर । अप्पडिसुणेमाणे—उसके न सुनने पर । एवं—इस प्रकार । नो वड्ज्जा—न कहे यथा । होलीइ वा—हे होली इस प्रकार तथा । गोलीति वा—हे गोली इस प्रकार । इत्थीगमेणं—पूर्वोक्त सम्पूर्ण आलापक स्त्री के सम्बन्ध में भी । नेयव्वं—जान लेने चाहिए । से भिवखू वा०—वह साधु या साध्वी । इत्थि—स्त्री को । आमंतेमाणे—आमन्त्रित करता हुआ । आमंति ए वा—अथवा आमन्त्रित किए जाने पर । अप्पडिसुणे माणे—उसके न सुनने पर । एवं वड्ज्जा—इस प्रकार कहे, जैसे कि । आउसोत्ति वा—हे आयुष्मन् ! भड्णिगि वा—हे भगिनि ! भोईत्ति वा—हे पूज्ये । भगवईत्ति वा—हे भगवती ! तथा । सावगेत्ति वा—हे श्राविके ! उवासिएत्ति वा—हे उपासिके ! धम्मिएत्ति वा—हे धार्मिके ! और । धम्मपिएत्ति वा—हे धर्म प्रिये ! एयप्पगारं—इस प्रकार की । भासं—भाषा को जोकि । असावज्जं—असावद्य है । जाव—यावत् । अभिकंख—विचार कर । भासिज्जा—बोले ।

मूलार्थ—संयमशील साधु या साध्वी पुरुष को आमन्त्रित करते हुए उसके न सुनने पर उसे हे होल ! है गोल ! है वृषल ! हे कुपक्ष ! हे घटदास ! हे श्वान ! हे चोर ! हे गुप्तचर ! हे कपटी ! हे मृषावादी ! तुम ही क्या और तुम्हारे माता पिता भी इसी प्रकार के हैं । विवेक शील साधु इस तरह की सावद्य, सक्रिय यावत् जीवो पघातिनी भाषा को न बोले । किन्तु संयम-शील साधु अथवा साध्वी कभी किसी व्यक्ति को आमन्त्रित कर रहे हों और वह न सुने तो उसे इस प्रकार संबोधित करे—हे अमुक व्यक्ति ! हे आयुष्मन् ! हे आयुष्मानों ! हे श्रावक ! हे उपासक ! हे धार्मिक ! हे धर्म प्रिय ! आदि इस प्रकार की निरवद्य पाप रहित भाषा को बोले इसी तरह संयमशील साधु या साध्वी स्त्री को बुलाते समय उसके न

सुनने पर उसे हे होली ! हे गोली ! इत्यादि जितने सम्बोधन पुरुष के प्रति ऊपर दिये गये हैं । उन नीच संबोधनों से संबोधित न करे किन्तु उस के न सुनने पर उसे हे आयुष्मति ! हे भगिनि ! हे बहिन ! हे पूज्य ! हे भगवति ! हे श्राविके ! हे उपासिके , हे धार्मिके और हे धर्मप्रिये । इत्यादि पाप रहित कोमल एवं मधुर शब्दों से संबोधित करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में साधु को किसी भी गृहस्थ के प्रति हलके एवं अवज्ञापूर्ण शब्दों का प्रयोग करने का निषेध किया गया है । इसमें बताया गया है कि किसी पुरुष या स्त्री को पुकारने पर वह नहीं सुनता हो तो साधु उन्हें निम्न श्रेणी के सम्बोधनों से सम्बोधित न करे, उन्हें हे गोलक, मूर्ख आदि अलंकारों से विभूषित न करे । क्योंकि, इससे सुनने वाले के मन को आघात लगता है और साधु की असभ्यता एवं अशिष्टता प्रकट होती है । इसलिए साधु को ऐसी सदोष भाषा नहीं बोलनी चाहिए । यदि कभी कोई बुलाने पर नहीं सुन रहा हो तो उसे मधुर, कोमल एवं प्रियकारी सम्बोधनों से पुकारना चाहिए, उसे हे धर्मप्रिय, देवानुप्रिय, आर्य, श्रावक अथवा हे धर्मप्रिये, देवानुप्रिये, श्राविका आदि शब्दों से सम्बोधित करना चाहिए । इससे प्रत्येक प्राणी के मन में हर्ष एवं उत्साह पैदा होता है और साधु के प्रति भी उसकी श्रद्धा बढ़ती है । अतः साधु-साध्वी को सदा मधुर, निर्दोष एवं कोमल भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए ।

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भि० नो एवं वइज्जा-नभोदेविति वा गज्ज-
देविति वा विज्जुदेविति वा पवुट्ठ दे० निवुट्ठदेवित्तए वा
पडउ वा वासं मा वा पडउ निप्फज्जउ वा सस्सं मा वा नि०
विभाउ वा रयणी मा वा विभाउ उदेउ वा सूरिए मा वा उदेउ
सो वा राया जयउ वा मा जयउ, नो एयप्पगारं भासं भासिज्जा ।
पन्नवं से भिक्खू वा २ अंतलिकखैति वा गुज्झाणुचरिएति वा

समुच्छिष्टे वा निवडे वा पत्रो ए वड्ज्जा वृट्ठबलाहगेत्ति वा, एयं
खलु तस्स भिक्खुस्स भिक्खुणीए वा सामग्गियं जं सव्वट्ठेहिं
समिहए सहिए सया जड्ज्जासि, तिबेमि ॥१३५॥

छाया—स भिक्षुः भिक्षुकी वा नैवं वदेत्-नभो देव इति वा, गर्जति देव
इति वा विद्युद् देव इति वा प्रवृष्टो देव इति वा निवृष्टो देव इति वा पततु
वा वर्षा मा वा पततु निष्पद्यतां वा सस्यं मा वा निष्पद्यताम्, विभातु वा
रजनी मा वा विभातु उदेतु वा सूर्यः मा वा उदेतु स वा राजा जयतु वा
सा जयतु, नो एतत्प्रकारा भाषां भाषेत । प्रज्ञावान् स भिक्षुर्वा २ अन्त-
रिक्षमिति वा गुह्यानुचरितमिति वा समूर्च्छितो वा निपतति वा पयोदः वदेत्-
वृष्टो बलाहक इति वा । एतत् खलु तस्य भिक्षोः भिक्षुक्याः वा सामग्र्यं
यत् मर्वायैः समितः सहितः सदा यनेत, इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—से भिक्खू वा २—वह साधु अथवा साध्वी । एव—इस प्रकार । नो वड्ज्जा—
न बोले, यथा— । नभोदेविति वा—आकाश देव है । गज्जदेविति वा—गाज-वादलो की गर्जन-
देव है । विज्जुदेविति वा—विद्युत् देव है या । पवुट्ठदे०—देव वर्षता है । निवुट्ठेविति वा—
निरन्तर देव वरसता है । पडु वा वासं—वर्षा वरसे । मा वा पडु—या वर्षा न वरसे ।
निष्फज्जु वा सस्स—घान्य उत्पन्न हो । मा वा निष्फज्जुसस्सं—घान्य उत्पन्न न हो । विभाउ-
वा रयणी—रात्रि व्यतिक्रान्त या शोभा युक्त हो । मा वा विभाउ०—या शोभा युक्त न हो ।
उदेउ वा सूरिए—सूर्य उदय हो । मा वा उदेउ—या उदय न हो । सोवा—वह । राया—राजा ।
जयउ—विजयी बने । वा—या । मा जयउ—विजयी न बने । एयप्पगार—इस प्रकार की ।
मासं—भाषा की । नो मासिज्जा—न बोले । पन्नवं—प्रज्ञावान्-बुद्धिमान् । से भिक्खू वा—
वह साधु या साध्वी यदि कारण हो तो । अंतलिक्खेत्ति वा—आकाश को आकाश फट्टे, इन
प्रकार यावन्मात्र आकाश के नाम है उन नामो से आकाश को पुकारे । गुज्झाणुचरिएत्ति वा—
या यह आकाश देवताओ के चलने का मार्ग है इन लिए इनको गुह्यानुचरित भी कहते है अथवा ।
समुच्छिष्टे—समूर्द्धिम जल । निवडे—पडता है या । पयोए—यह मेघ जल प्रदाता है, ऐसा ।
वड्ज्जा—रहे या । वृट्ठबलाहगेत्ति—ऐसा कहे कि वादन वरम रहा है । एय खलु—निश्चय ही
यह । तस्स—उत्त । भिक्खुस्स—भिक्षु । वा—आर । निक्खुणीए—साध्वी का । सामग्गियं—

सम्पूर्ण आचार है। जं—जो। सन्वदोर्ह—ज्ञान दर्शन और चारित्र्य रूप अर्थों से युक्त और। समिए—पांच समितियों के। सहिए—सहित। सया—सदा। जाइज्जासि—निरवद्य भाषा बोलने का यत्न करे। त्तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ।

मूलार्थ—संयमशील साधु अथवा साध्वी इस प्रकार न कहे कि आकाश देव है, गर्ज (बादल) देव है, विद्युत् देव है, वेव वरस रहा है, या निरन्तर बरस रहा है, एवं वर्षा बरसे या न बरसे। धान्य उत्पन्न हों या न हों। रात्रि व्यतिक्रान्त हो या न हो। सूर्य उदय हो या न हो। और यह भी न कहे कि इस राजा की विजय हो या इसकी विजय न हो। आवश्यकता पड़ने पर प्रज्ञावान् साधु अथवा साध्वी इस प्रकार बोले कि यह आकाश है, देवताओं के गमनागमन करने से इसका नाम गुह्यानुचरित भी है। यह पयोधर जल देने वाला है। समुच्छिम जल बरसाता है, या यह मेघ बरसता है, इत्यादि भाषा बोले। जो साधु या साध्वी साधना रूप पांच समिति तथा तीन गुप्ति से युक्त हैं उनका यह समग्र आचार है, अतः उसके परिपालन में वे सदा प्रयत्नशील रहते हैं इस प्रकार मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि संयमनिष्ठ एवं विवेकशील साधु-साध्वी को अर्थार्थ भाषा का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे—आकाश, बादल, विजली, वर्षा आदि को देव कहकर नहीं पुकारना चाहिए। प्राकृतिक दृश्यों में दैवी शक्ति की कल्पना करके उन्हें देवत्व के सिंहासन पर बैठाना यथार्थता से बहुत दूर है। अतः इसमें असत्यता का अंश भी रहता है। इस कारण साधु को उन्हें देवत्व के सम्बोधन से न पुकार कर व्यवहार में प्रचलित आकाश, बादल, विजली या विद्युत् आदि शब्दों से ही उनका उच्चारण करना चाहिए।

इसी तरह साधु-साध्वी को यह भी नहीं कहना चाहिए कि वर्षा हो या न हो, धान्य एवं अन्न उत्पन्न हो या न हो, शीघ्रता से रात्रि व्यतीत होकर सूर्योदय हो या न हो, अमुक राजा विजयी हो या न हो। क्यों कि इस तरह की भाषा बोलने से संयम में अनेक दोष लगते हैं, अतः साधु को ऐसी सदोष भाषा का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'समुच्छिम वा निवइए' पाठ का यह अर्थ है—बादल

सम्पूर्ण जल बरसाता है। अर्थात् सूर्य की किरणों के ताप से समुद्र, सरिता आदि में स्थित जल वाष्प रूप में ऊपर उठता है और ऊपर ठण्डी हवा आदि के निमित्त से फिर पानी के रूप को प्राप्त करके बादलों के रूप में आकाश में घूमता है और हवा पहाड़ एवं बादलों की पारस्परिक टक्कर से बरसने लगता है।

इससे यह स्पष्ट हो गया कि साधु को सदा मधुर, प्रिय, यथार्थ एवं निर्दोष भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए।

‘त्तिबेनि’ की व्याख्या पूर्ववत् समझें।

॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

ॐ इस विषय में विशेष जानकारी करने के जिज्ञासुओं को स्थानाङ्ग सत्र के चतुर्थ स्थान का भवलोकन करना चाहिए।

चतुर्थ अंध्ययन—भाषेण

द्वितीय उद्देशक

साधु को कैसी भाषा बोलनी चाहिए और किस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए इसका प्रथम उद्देशक में विचार किया गया है। अत्र प्रस्तुत उद्देशक में इसी विषय पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा २ जहा वेगइयाइं रूवाइं पासिज्जा-
तहावि ताइं नो एवं वइज्जा—गंडी गंडीति वा कुट्ठी कुट्ठीति
वा जाव महुमेहुणीति वा हत्थच्छिन्नं वा हत्थच्छिन्नेति वा
एवं पायच्छिन्नेति वा नक्कच्छिराणोइ वा कराणच्छिन्नेइ वा उट्ठ-
च्छिन्नेति वा, जे यावन्ने तहप्पगारा एयप्पगाराहिं भासाहिं वुइया
२ कुप्पंति माणवा ते यावि तहप्पगाराहिं भासाहिं अभिकंख
नो भासिज्जा ॥ से भिक्खू वा० जहा वेगइयाइं रूवाइं पासि-
ज्जा तथावि ताइं एवं वइज्जा, तंजहा-ओयसी ओयंसिति वा
तेयंसी तेयंसीति वा जसंसी जसंसीइ वा वच्चंसी वच्चंसीइ वा
अभिरूयंसी २ पडिरूवंसी २ पासाइयं २ दरिसाणज्जं दरिसणी-
यत्ति वा, जे यावन्ने तहप्पगारा तहप्पगाराहिं भासाहिं वुइया २ नो
कुप्पंति माणवा ते यावि तहप्पगारा एयप्पगाराहिं भासाहिं अभि-
कंख भासिज्जा ॥ से भिक्खू वा० जहा वेगइयाइं रूवाइं पासि-

ज्जा, तंजहा वप्पाणि वा जाव गिहाणि वा, तहावि ताइं नो
 एवं वइज्जा, तंजहा—सुक्कडे इ वा सुट्ठुकडे इ वा साहुकडे इ
 वा कल्लजाणे इ वा करणिज्जे इ वा, एयप्पगारं भासं सावज्जं जाव
 नो भासिज्जा । से भिक्खू वा० जहा वेगइपाइं रूवाइं पासिज्जा,
 तंजहा- वप्पाणि वा जाव गिहाणि वा तहा विताइं एवं वइज्जा,
 तंजहा — आरम्भकडे इ वा सावज्ज कडे इ वा पयत्तकडे इ वा
 पासाइयं पासाइए वा दरिसणीयं दरिसणीयंति वा अभिरूवं
 अभिरूवंति वा पडिरूवं पडिरूवंति वा एयप्पगारं भासं असावज्जं
 जाव भासिज्जा ॥१३६॥

छाया—स भिक्षुः भिक्षुकी वा यथा वैककानि रूपाणि कानिचिद् रूपाणि
 पश्येत् तथापि तानि नो एवं वदेत् तद्यथा गडी गंडी इति वा कुष्ठी कुष्ठीति
 वा यावत् मधुमेही मधुमेहीति वा हस्त्वञ्छिन्नं हस्त्वञ्छिन्नइति वा एवं पादच्छिन्नं
 पादच्छिन्न इति वा नासिकाञ्छिन्न इति वा कर्णाञ्छिन्न इति वा ओष्ठ छिन्न
 इति वा, ये यावन्तः तथाप्रकाराः (तान्) एतत्प्रकाराभिः भाषाभिः उक्ताः २
 कुप्यन्ति मानवाः तांश्चापि तथाप्रकाराभिः भाषाभिः अभिकाच्य नो भाषेत ।

स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा यथा वैककानि रूपाणि पश्येत् तथापि तानि एवं
 वदेत्—तद्यथा-ओजस्विनं ओजस्वीति वा तेजास्विनं तेजस्वीतिवा, यश-
 स्विनं यशस्वीति वा वर्चस्विनं वर्चस्वीति वा अभिरूपवन्तं अभिरूप-
 वानिति, प्रतिरूपिणं प्रतिरूपीति वा प्रासादनीयं प्रासादनीयमिति, दर्शनीयं
 दर्शनीयमिति वा, ये यावन्तः तथाप्रकाराः (तान्) तथाप्रकाराभिः भाषाभिः
 उक्ताः २ नो कुप्यन्ति मानवाः तांश्चापि तथाप्रकारान् एतत्प्रकाराभिः
 भाषाभिः अभिकाच्य भाषेत ।

छाया—स भिक्षुर्वा० यथा वैककानि रूपाणि पश्येत् तद्यथा—वप्राणि वा यावद् गृहाणि वा तथापि तानि नो एवं वदेत्, तद्यथा-सुकृतमिति वा सुष्ठुकृतमिति वा साधुकृतमिति वा, कल्याणमिति वा करणीयमिति वा, एतद् प्रकारां भाषां सावद्यां यावत् नो भाषेत । स भिक्षुर्वा० यथा वैककानि रूपाणि पश्येत् तद्यथा वप्राणि वा यावद् गृहाणि वा तथापि तानि एवं वदेत्, तद्यथा आरम्भकृतमिति वा सावद्य कृतमिति वा प्रयत्नकृतमिति वा प्रासादीयं प्रासादोयइति वा दर्शनीयं दर्शनीयमिति वा अभिरूपं अभिरूपमिति वा प्रतिरूप वा प्रतिरूपमिति वा एतत्प्रकारां भाषां असावद्यां यावद् भाषेत ।

पदार्थ—से भिक्षु वा—वह साधु या साध्वी । जहावि—यद्यपि । एगइयाइ—कई एक । रूवाइं—रूपो को । पासिज्जा—देखता है । तहावि—तथापि उन्हे देखकर । नो एवं वहज्जा—इस प्रकार न कहे । तंजहा—जैसे कि । गंडी—जिसको गण्ड रोग-कण्ठमाला या पादशून्य हो गया हो उसे गण्डी कहते है उसको । गंडीति—हे गण्डी ! ऐसे कहना तथा । कुट्ठी—कुष्टी-कुष्ठ रोग वाले को । कुट्ठीति वा—हे कुष्टी ! कहना । जाव—यावत् । महुमेहुणीति—मधुमेह के रोगी को मधुमेही कहकर पुकारना । वा—अथवा । हत्य छिन्न—जिसका हाथ कट गया हो उसे । हत्याछिन्नेति वा—हाथ कटा कहना । एव—इसी प्रकार । पायछिन्नेति वा—पैर कटे को पैर कटा कहना । नक्कछिन्नेइ वा—नाक कटे को नाक कटा या नकटा कहना और । कण्ण छिन्नेइ वा—कान कटे को कान कटा तथा । उट्ठछिन्नेति वा—जिसके ओष्ठ का छेदन हो गया हो उसे ओष्ठ कटा कहना । जे यावन्ने—जो जितने भी । तहप्पगारा—तथा प्रकार के हैं उनको । एयप्पगाराहि—इस प्रकार की । मासाहि—भाषाओ से । वुइया—सम्बोधित करने पर । माणवा—वे पुरुष । कुप्पति—क्रोधित हो जाते है अतः । ते यावि—उनको फिर । तहप्पगाराहि—तथा प्रकार की । मासाहि—भाषाओ से । अमिकख—विचार कर अर्थात् यह भाषा सदीप अथ च कष्ट प्रद है ऐसी पर्यालोचना करके । नो पासिज्जा—उन्हे ऐसी भाषा से सम्बोधित न करे ।

से भिक्षु वा०—वह साधु या साध्वी । जहावि—यद्यपि । एगइयाइं रूवाइं—कई रूपो को । पासिज्जा—देखता है । तहावि—तथापि । ताइं—उनको देखकर । एवं वहज्जा—इस प्रकार कहे । तंजहा—जैसे कि । श्रोयसी०—श्रोजस्वी को-यदि व्याधि युक्त व्यक्ति मे कोई विशिष्ट गुण हो तो उसको सामने रखकर उसे आमन्त्रित करे और यदि वह

श्रोजस्वी है तो उसको । श्रोयंसिञ्चि वा—श्रोजस्वी कह कर सम्बोधित करे, इसी प्रकार । तेर्यंसी—तेजस्वी को । तेर्यंसिञ्चि वा—तेजस्वी-तेज वाला कहे । जसंसी—यशस्वी-यश वाले को । जससी इ वा—यशस्वी कह कर पुकारे । वच्चंसी—वर्चस्वी-जिसका वचन आदेय हो अथवा लब्धि युक्त हो तो उसे । वच्चंसी इ वा—वर्चस्वी कहे । अभिरूपंसि—रूप सम्पन्न को रूपवान कहे । पडिरूवंसि—प्रतिरूप को प्रतिरूप शब्द से बुलावे, इसी प्रकार । पासाइयं २—प्रासाद गुण युक्त को प्रासादीय श्रौर । वरिसणिज्जं—दर्शनीय को । वरिसणीयति वा—दर्शनीय कहकर सम्बोधित करे । जे यावन्ने—जो जितने भी । तहप्पगारा—तथा प्रकार के है उनको । तहप्पगाराहि—तथा प्रकार की । भासाइं—भाषाओं से । बुइया २—सम्बोधित करने पर वे । माणवा—मनुष्य । नो कुप्पति—कोषित नहीं होते हैं । अतः । ते यावि—वे भी । तहप्पगारा—जो कि उक्त प्रकार के हैं उनके प्रति । एयप्पगाराहि—इस प्रकार की । भासाहि—भाषाओं द्वारा । अभिकख—सोच विचार कर । भासिज्जा—बोले ।

से भिक्खू वा—वह साधु या साध्वी । जहावि—यद्यपि । एगइयाइं—कितने एक । रूवाइं—रूपों को । पासिज्जा—देखता है । तजहा—जैसे कि- । वप्पाणि वा—खेतों की क्या-रिणं । जाव—यावत् । गिहाणि वा—घर आदि । तहावि—तथापि । ताइं—उनको देखकर । एव—इस प्रकार । नो वडिज्जा—न कहे । तजहा—जैसे कि- । मुक्कडेइ वा—प्रमुक्त वस्तु को देखकर यह अच्छी बनी है । सुट्ठुकडेइ वा—यह बहुत सुन्दर बनी है । ताहुकडेइ वा—साधु कृत है । कल्लाने इ वा—यह कल्याणकारी है । करणिज्जे इ वा—यह करने योग्य है इत्यादि । एयप्पगार—इस प्रकार की । भासं—भाषा जो कि । सावज्जं—सावध है । जाव—यावत् । नो भासिज्जा—न बोले । से भिक्खू वा—वह साधु या साध्वी । जहावि—यद्यपि । एगइयाइं—कितने एक । रूवाइं—रूपों को । पासिज्जा—देखता है । तंजहा—जैसे कि- । वप्पाणि वा—खेतों की क्या-रिणं । जाव—यावत् । गिहाणि वा—घर आदि । तहावि—तथापि । ताइं—उनको देखकर । एवं वडिज्जा—इस प्रकार कहे । तंजहा—जैसे कि- । आरम्मकडेइ वा—यह आरम्भ कृत है । सावज्जकडेइ वा—यह सावध कृत है, तथा । पयत्तकडेइ वा—यह कार्य प्रयत्नकृत प्रयत्नसाध्य है, इसी प्रकार । पासाइयं—प्रासादीय को । पासाइए वा—प्रासादीय श्रौर । वरिसणिज्जं—दर्शनीय को । वरिसणीयति वा—दर्शनीय कहे तथा । अनिरुव—अभिरूप-रूप सम्पन्न को । अभिरुवति वा—अभिरूप श्रौर । पडिरूवं—प्रतिरूप को । पडिरुवति वा—प्रतिरूप बतलावे । एयप्पगारं—इस प्रकार की । भासं—भाषा को । भासावज्जं—भनावद्य । जाव—यावत् निर्दोष है । भासिज्जा—बोले ।

मूलाथं—सयमशील साधु या साध्वी किसी रोगी आदि को देखकर ऐसा न कहे—हे गंडी ! हे कुप्टी ! हे मधुमेही ! इत्यादि । इसी प्रकार

यावत् मात्र रोग है उनका नाम लेकर उस व्यक्ति को-जो कि उन रोगों से पीड़ित है-आमन्त्रित न करे। इसी प्रकार जिसका हाथ, पैर, कान, नाक, श्रोष्ठ आदि कटे हुए हों, उसे कटे हाथ वाला, लगडा, कटे कान-वाला, नकटा या कटे हुए श्रोष्ठ वाला आदि शब्दों से सम्बोधित न करे। इस प्रकार की भाषा के बोलने से लोग कुपित हो सकते हैं, उनके मन को आघात लगता है, अतः भाषा समिति का विवेक रखने वाला साधु ऐसी भाषा का प्रयोग न करे। परन्तु, यदि किसी व्यक्ति में कोई गुण हो तो उसे उस गुण से सम्बोधित करके बुला सकता है। जैसे कि— हे ओजस्वी, हे तेजस्वी, हे यशस्वी, हे वर्चस्वी, हे अभिरूप, हे प्रतिरूप, हे प्रेक्षणीय और हे दर्शनीय इत्यादि। इस प्रकार की निरवद्य भाषा के प्रयोग से सुनने वाले मनुष्य के मन में क्रोध नहीं, प्रत्युत हर्ष भाव पैदा होता है, अतः वह ऐसी मधुर एवं निर्दोष भाषा बोल सकता है। इसी प्रकार साधु अथवा साध्वी बावडी, कुए, खेतों के क्यारे यावत् घरों को देखकर उनके सम्बन्ध में इस प्रकार न कहे कि यह अच्छा बना हुआ है, बहुत सुन्दर बना हुआ है, इस पर अच्छा कार्य किया गया है, यह कल्याणकारी है और यह कार्य करने योग्य है। इस प्रकार की भाषा से सावद्य क्रिया का अनुमोदन होता है। अतः साधु इस प्रकार की सावद्य भाषा न बोले। किन्तु उन बावडी यावत् घरों को देखकर इस प्रकार कहे कि यह आरम्भ कृत है, सावद्य है और यह प्रयत्न साध्य है, तथा यह देखने योग्य है, रूपसम्पन्न है और प्रतिरूप है। इस प्रकार की निरवद्य भाषा का प्रयोग करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति गण्डी, कुष्ठ (कोढ़) और मधुमेह इत्यादि भयंकर रोगों से पीड़ित हो या उसका हाथ, पैर, नाक, कान, श्रोष्ठ आदि कोई अङ्ग कटा हुआ हो, तो साधु को उसे उस रोग एवं कटे हुए अङ्गों के नाम से सम्बोधित करके नहीं बुलाना चाहिए। जैसे कि— कोढ़ के रोगी को कोढ़ी, अन्धे को अन्धा या नाक कटे हुए व्यक्ति को नकटा कह कर पुकारना साधु को नहीं

कल्पता । क्योंकि, पहले तो वह उक्त बीमारियों एवं अज्ञोपाज्ञों की होनता के कारण परेशान, दुःखी एवं चिन्तित है । फिर उसे उस रूप में सन्बोधित करने से उसके मन को अवश्य ही आघात पहुंचेगा और उसके मन में साधु के प्रति दुर्भावना जागृत होगी । वह यह भी सोच सकता है कि वह साधु कितना असभ्य एवं असंस्कृत है कि साधना के पथ पर गतिशील होने के पश्चात् भी इनकी दूसरे व्यक्ति को चिढ़ाने, परेशान करने एवं उसका नज़ाक उड़ाने की दुष्ट मनोवृत्ति नहीं गई है । वस्तुतः वैरा के साथ अभी इसके अन्तर जीवन का परिवर्तन नहीं हुआ है । इससे उसके मन में साधु से प्रतिशोध लेने की भावना भी जागृत हो सकती है । अन्तु साधु को किसी के मन को चुभने वाली भाषा भी नहीं बोलनी चाहिए । इससे दूसरे व्यक्ति को मानसिक हिंसा होती है इसलिए साधु को प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह रोगी हो, अपंग हो, अंगहीन हो सदा प्रिय एवं नशुर सन्बोधनों से सन्बोधित करना चाहिए ।

प्रस्तुत सूत्र में गण्ड, कुष्ठ और मधुमेह तीन रोगों का नाम निर्देश किया गया है और 'कृद्वोति वा जाव' पद में यच्चत् शब्द से उन रोगों की ओर भी इशारा कर दिया है जिसका उल्लेख आचाराङ्ग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के घृताध्ययन में किया गया है । ये तीनों असाध्य रोग माने गए हैं । गण्ड- यह बात प्रधान रोग होता है, इस रोग का आक्रान्त होने पर नमुन्य के पैर एवं गिट्टे में सूजन आ जाता है और कोढ़ एवं मधुमेह का रोग तो असाध्य रोग के रूप में प्रसिद्ध ही है । अतः साधु को इन असाध्य रोगों से पीड़ित एवं अंग हीन व्यक्ति को पाप कारी एवं नर्म भेदी शब्दों से सन्बोधित नहीं करना चाहिए ।

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा २ असणां वा ४ उवक्खडियं तथा-
विहं नो एवं वड्जा, तं०—सुकडेत्ति वा सुट्ठुकडे इ वा साहु-
कडे इ वा कल्लाणे इ वा करणिज्जे इ वा, एयप्पगारं भासं सा-
वज्जं जाव नो भासिज्जा ॥ से भिक्खू वा २ असणां वा ४ उव-
क्खडियं पेहाय एवं वड्जा—तं-आरंभकडेत्ति वा सावज्जकडेत्ति
वा पयत्तकडे इ वा भइयं भइत्ति वा ऊमढं ऊसे इ वा रसियं

यावत् मात्र रोग है उनका नाम लेकर उस व्यक्ति को-जो कि उन रोगों से पीड़ित है-आमन्त्रित न करे। इसी प्रकार जिसका हाथ, पैर, कान, नाक, श्रोष्ठ आदि कटे हुए हों, उसे कटे हाथ वाला, लगड़ा, कटे कान-वाला, नकटा या कटे हुए श्रोष्ठ वाला आदि शब्दों से संबोधित न करे। इस प्रकार की भाषा के बोलने से लोग कुपित हो सकते हैं, उनके मन को आघात लगता है, अतः भाषा समिति का विवेक रखने वाला साधु ऐसी भाषा का प्रयोग न करे। परन्तु, यदि किसी व्यक्ति में कोई गुण हो तो उसे उस गुण से सम्बोधित करके बुला सकता है। जैसे कि— हे ओजस्वी, हे तेजस्वी, हे यशस्वी, हे वर्चस्वी, हे अभिरूप, हे प्रतिरूप, हे प्रेक्षणीय और हे दर्शनीय इत्यादि। इस प्रकार की निरवद्य भाषा के प्रयोग से सुनने वाले मनुष्य के मन में क्रोध नहीं, प्रत्युत हर्ष भाव पैदा होता है, अतः वह ऐसी मधुर एवं निर्दोष भाषा बोल सकता है। इसी प्रकार साधु अथवा साध्वी बावड़ी, कुएँ, खेतों के बगारे यावत् घरों को देखकर उनके सम्बन्ध में इस प्रकार न कहे कि यह अच्छा बना हुआ है, बहुत सुन्दर बना हुआ है, इस पर अच्छा कार्य किया गया है, यह कल्याणकारी है और यह कार्य करने योग्य है। इस प्रकार की भाषा से सावद्य क्रिया का अनुमोदन होता है। अतः साधु इस प्रकार की सावद्य भाषा न बोले। किन्तु उन बावड़ी यावत् घरों को देखकर इस प्रकार कहे कि यह आरम्भ कृत है, सावद्य है और यह प्रयत्न साध्य है, तथा यह देखने योग्य है, रूपसम्पन्न है और प्रतिरूप है। इस प्रकार की निरवद्य भाषा का प्रयोग करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति गण्डी, कुष्ठ (कोढ़) और मधुमेह इत्यादि भयंकर रोगों से पीड़ित हो या उसका हाथ, पैर, नाक, कान, श्रोष्ठ आदि कोई अङ्ग कटा हुआ हो, तो साधु को उसे उस रोग एवं कटे हुए अङ्गों के नाम से सम्बोधित करके नहीं बुलाना चाहिए। जैसे कि— कोढ़ के रोगी को कोढ़ी, अन्धे को अन्धा या नाक कटे हुए व्यक्ति को नकटा कह कर पुकारना साधु को नहीं

कल्पता । क्योंकि, पहले तो वह उक्त वीमारियों एवं अङ्गोपाङ्गों की हीनता के कारण परेशान, दुःखी एवं चिन्तित है । फिर उसे उस रूप में सम्बोधित करने से उसके मन को अवश्य ही आघात पहुंचेगा और उसके मन में साधु के प्रति दुर्भावना जागृत होगी । वह यह भी सोच सकता है कि यह साधु कितना असभ्य एवं असंस्कृत है कि साधना के पथ पर गतिशील होने के पश्चात् भी इसकी दूसरे व्यक्ति को चिढ़ाने, परेशान करने एवं उसका मजाक उड़ाने की दुष्ट मनोवृत्ति नहीं गई है । वस्तुतः वेश के साथ अभी इसके अन्तर जीवन का परिवर्तन नहीं हुआ है । इससे उसके मन में साधु से प्रतिशोध लेने की भावना भी जागृत हो सकती है । अस्तु साधु को किसी के मन को चुभने वाली भाषा भी नहीं बोलनी चाहिए । इससे दूसरे व्यक्ति की मानसिक हिंसा होती है इसलिए साधु को प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह रोगी हो, अपंग हो, अगहीन हो सदा प्रिय एवं मधुर सम्बोधनों से सम्बोधित करना चाहिए ।

प्रस्तुत सूत्र में गण्ड, कुण्ड और मधुमेह तीन रोगों का नाम निर्देश किया गया है और 'कृदठोति वा जाव' पद में यावत् शब्द से उन रोगों की ओर भी इशारा कर दिया है जिसका उल्लेख आचाराङ्ग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के धूताध्ययन में किया गया है । ये तीनों असाध्य रोग माने गए हैं । गण्ड- यह वात प्रधान रोग होता है, इस रोग का आक्रमण होने पर मनुष्य के पैर एवं गिट्ठे में सूजन आ जाता है और कोढ़ एवं मधुमेह का रोग तो असाध्य रोग के रूप में प्रसिद्ध ही है । अतः साधु को इन असाध्य रोगों से पीड़ित एवं अंग हीन व्यक्ति को पाप कारी एवं मर्म भेदी शब्दों से सम्बोधित नहीं करना चाहिए ।

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा २ असणं वा ४ उवक्खडियं तथा-
विहं नो एवं वइज्जा, तं०—सुकडेत्ति वा सुट्ठुकडे इ वा साहु-
कडे इ वा कल्लाणे इ वा करणिज्जे इ वा, एयप्पगारं भासं सा-
वज्जं जाव नो भासिज्जा ॥ से भिक्खू वा २ असणं वा ४ उव-
क्खडियं पेहाय एवं वइज्जा—तं-आरंभकडेत्ति वा सावज्जकडेत्ति
वा पयत्तकडे इ वा भइयं भइत्ति वा ऊमढं ऊमे इ वा रसियं

यावत् मात्र रोग है उनका नाम लेकर उस व्यक्ति को-जो कि उन रोगों से पीड़ित है-आमन्त्रित न करे। इसी प्रकार जिसका हाथ, पैर, कान, नाक, श्रोष्ठ आदि कटे हुए हो, उसे कटे हाथ वाला, लगड़ा, कटे कान-वाला, नकटा या कटे हुए श्रोष्ठ वाला आदि शब्दों से सम्बोधित न करे। इस प्रकार की भाषा के बोलने से लोग कुपित हो सकते हैं, उनके मन को आघात लगता है, अतः भाषा समिति का विवेक रखने वाला साधु ऐसी भाषा का प्रयोग न करे। परन्तु, यदि किसी व्यक्ति में कोई गुण हो तो उसे उस गुण से सम्बोधित करके बुला सकता है। जैसे कि— हे ओजस्वी, हे तेजस्वी, हे यशस्वी, हे वर्चस्वी, हे अभिरूप, हे प्रतिरूप, हे प्रेक्षणीय और हे दर्शनीय इत्यादि। इस प्रकार की निरवद्य भाषा के प्रयोग से सुनने वाले मनुष्य के मन में क्रोध नहीं, प्रत्युत हर्ष भाव पैदा होता है, अतः वह ऐसी मधुर एवं निर्दोष भाषा बोल सकता है। इसी प्रकार साधु अथवा साध्वी बावड़ी, कुएँ, खेतों के बगारे यावत् घरों को देखकर उनके सम्बन्ध में इस प्रकार न कहे कि यह अच्छा बना हुआ है, बहुत सुन्दर बना हुआ है, इस पर अच्छा कार्य किया गया है, यह कल्याणकारी है और यह कार्य करने योग्य है। इस प्रकार की भाषा से सावद्य क्रिया का अनुमोदन होता है। अतः साधु इस प्रकार की सावद्य भाषा न बोले। किन्तु उन बावड़ी यावत् घरों को देखकर इस प्रकार कहे कि यह आरम्भ कृत है, सावद्य है और यह प्रयत्न साध्य है, तथा यह देखने योग्य है, रूपसम्पन्न है और प्रतिरूप है। इस प्रकार की निरवद्य भाषा का प्रयोग करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति गण्डी, कुण्ड (कोढ़) और मधुमेह इत्यादि भयकर रोगों से पीड़ित हो या उसका हाथ, पैर, कान, श्रोष्ठ आदि कोई अङ्ग कटा हुआ हो, तो साधु को उसे उस रोग एवं कटे हुए अङ्गों के नाम से सम्बोधित करके नहीं बुलाना चाहिए। जैसे कि— कोढ़ के रोगी को कोढ़ी, अन्ये को अन्धी या नाक कटे हुए व्यक्ति को नकटा कह कर पुकारना साधु को नहीं

कल्पता । क्योंकि, पहले तो वह उक्त वीमारियों एवं अङ्गोपाङ्गों की होनता के कारण परेशान, दुःखी एवं चिन्तित है । फिर उसे उस रूप में सम्बोधित करने से उसके मन को अवश्य ही आघात पहुँचेगा और उसके मन में साधु के प्रति दुर्भावना जागृत होगी । वह यह भी सोच सकता है कि यह साधु कितना असभ्य एवं असंस्कृत है कि साधना के पथ पर गतिशील होने के पश्चात् भी इसकी दूसरे व्यक्ति को चिढ़ाने, परेशान करने एवं उसका मजाक उड़ाने की दुष्ट मनोवृत्ति नहीं गई है । वस्तुतः वेश के साथ अभी इसके अन्तर जीवन का परिवर्तन नहीं हुआ है । इससे उसके मन में साधु से प्रतिशोध लेने की भावना भी जागृत हो सकती है । अस्तु साधु को किसी के मन को चुभने वाली भाषा भी नहीं बोलनी चाहिए । इससे दूसरे व्यक्ति की मानसिक हिंसा होती है इसलिए साधु को प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह रोगी हो, अपंग हो, अंगहीन हो सदा प्रिय एवं मधुर सम्बोधनों से सम्बोधित करना चाहिए ।

प्रस्तुत सूत्र में गण्ड, कुष्ठ और मधुमेह तीन रोगों का नाम निर्देश किया गया है और 'कुट्टोति वा जाव' पद में यावत् शब्द से उन रोगों की ओर भी इशारा कर दिया है जिसका उल्लेख आचाराङ्ग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के धूताध्ययन में किया गया है । ये तीनों असाध्य रोग माने गए हैं । गण्ड- यह वात प्रधान रोग होता है, इस रोग का आक्रमण होने पर मनुष्य के पैर एवं गिट्ठे में सूजन आ जाता है और कोढ़ एवं मधुमेह का रोग तो असाध्य रोग के रूप में प्रसिद्ध ही है । अतः साधु को इन असाध्य रोगों से पीड़ित एवं अंग हीन व्यक्ति को पाप कारी एवं मर्म भेदी शब्दों से सम्बोधित नहीं करना चाहिए ।

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा २ असणां वा ४ उक्खडियं तथा-
विहं नो एवं वइज्जा, तं०—सुकडेत्ति वा सुट्ठुकडे इ वा साहु-
कडे इ वा कल्लाणे इ वा करणिज्जे इ वा, एयप्पगारं भासं सा-
वज्जं जाव नो भासिज्जा ॥ से भिक्खू वा २ असणां वा ४ उक्-
खडियं पेहाय एवं वइज्जा—तं—आरंभकडेत्ति वा सावज्जकडेत्ति
वा पयत्तकडे इ वा भदयं भदेत्ति वा ऊमढं ऊमं इ वा रसियं

यावत् मात्र रोग है उनका नाम लेकर उस व्यक्ति को-जो कि उन रोगों से पीड़ित है-आमन्त्रित न करे। इसी प्रकार जिसका हाथ, पैर, कान, नाक, ओष्ठ आदि कटे हुए हों, उसे कटे हाथ वाला, लगडा, कटे कान-वाला, नकटा या कटे हुए ओष्ठ वाला आदि शब्दों से सम्बोधित न करे। इस प्रकार की भाषा के बोलने से लोग कुपित हो सकते हैं, उनके मन को आघात लगता है, अतः भाषा समिति का विवेक रखने वाला साधु ऐसी भाषा का प्रयोग न करे। परन्तु, यदि किसी व्यक्ति में कोई गुण हो तो उसे उस गुण से सम्बोधित करके बुला सकता है। जैसे कि— हे ओजस्वी, हे तेजस्वी, हे यशस्वी, हे वर्चस्वी, हे अभिरूप, हे प्रतिरूप, हे प्रेक्षणीय और हे दर्शनीय इत्यादि। इस प्रकार की निरवद्य भाषा के प्रयोग से सुनने वाले मनुष्य के मन में क्रोध नहीं, प्रत्युत हर्षा भाव पैदा होता है, अतः वह ऐसी मधुर एवं निर्दोष भाषा बोल सकता है। इसी प्रकार साधु अथवा साधुवा बावडी, कुए, खेतों के क्यारे यावत् धरो को देखकर उनके सम्बन्ध में इस प्रकार न कहे कि यह अच्छा बना हुआ है, बहुत सुन्दर बना हुआ है, इस पर अच्छा कार्य किया गया है, यह कल्याणकारी है और यह कार्य करने योग्य है। इस प्रकार की भाषा से सावद्य क्रिया का अनुमोदन होता है। अतः साधु इस प्रकार की सावद्य भाषा न बोले। किन्तु उन बावडी यावत् धरो को देखकर इस प्रकार कहे कि यह आरम्भ कृत है, सावद्य है और यह प्रयत्न साध्य है, तथा यह देखने योग्य है, रूपसम्पन्न है और प्रतिरूप है। इस प्रकार की निरवद्य भाषा का प्रयोग करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति गण्डी, कुष्ठ (कोढ़) और मधुमेह इत्यादि भयकर रोगों से पीड़ित हो या उसका हाथ, पैर, नाक, कान, ओष्ठ आदि कोई अङ्ग कटा हुआ हो, तो साधु को उसे उस रोग एवं कटे हुए अङ्गों के नाम से सम्बोधित करके नहीं बुलाना चाहिए। जैसे कि— कोढ़ के रोगी को कोढ़ी, अन्ये को अन्धा या नाक कटे हुए व्यक्ति को नकटा कह कर पुकारना साधु को नहीं

२ मणुन्नं २ एयप्पगारं भासं असावज्जं जाव भासिज्जा ॥१३७॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा अशनं वा ४ उपस्कृतं तथाविधं नो एव वदेत्, तद्यथा—सुकृतमिति वा सुष्ठुकृतमिति वा साधुकृतमिति वा कल्याण-मिति वा करणीयमिति वा एतत्प्रकारा भाषां यावद्यां यावत् नो भावेन ।

स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा अशनं वा ४ उपस्कृतं प्रेच्य एव वदेत्, तद्यथा आरम्भकृतमिति वा सावद्यकृतमिति वा प्रयत्नकृतमिति वा भद्रकं भद्र-मिति वा उच्छ्रितं उच्छ्रितमिति वा रसित २ मनोज्ञं २ एतत्प्रकारा भाषा असावद्यां यावत् भावेन ।

पदार्थ—से भिक्खू वा २—वह-संयमशील साधु या साध्वी । अशनं वा ४—अशनादिक चतुर्विध आहार अर्थात् अशन पान खादिम और स्वादिम रूप । उवक्खडियं—उपस्कृत-तैयार किए हुए । तथाविहं—तथाविध आहार-पदार्थ को । एवं—इस प्रकार । नो वड्ज्जा—न कहे- । त०—जैसे कि- । सुकडेति वा—यह भोजन अच्छा बनाया हुआ है । सुष्ठुकडे इ वा—यह भोजन बहुत अच्छा बनाया गया है । साहुकडे इ वा—यह भोजन श्रेष्ठ बनाया गया है । कल्लाणे इ वा—यह भोजन कल्याणकारी है तथा । करणिज्जे इ वा—यह कार्य अवश्य करने योग्य है । एयप्पगार—साधु इस प्रकार की । सावज्ज—सावद्य । जाव—यावत्-प्राणियों का घात करने वाली । भास—भाषा । नो भासिज्जा—न बोले । से भिक्खू वा २—वह साधु या साध्वी । उवक्खडियं—उपस्कृत-तैयार किए हुए । अशनं वा ४—अशन, पान, खादिम और स्वादिम रूप चतुर्विध आहार को । पेहाय—देखकर । एव वड्ज्जा—इस प्रकार कहे । तंजहा—जैसे कि । आरम्भकडेति वा—यह आहार आरम्भ कृत अर्थात् आरम्भ से बनाया गया है । सावज्ज कडे इ वा—यह सावद्य कार्य है । पयत्तकडे इ वा—यह आहार बड़े प्रयत्न से तैयार किया गया है, या । भद्दय—भद्र पदार्थ को । भद्देति वा—भद्र कहे । ऊसद्व—वर्ण, गन्ध, रसादि से युक्त पदार्थ को । ऊसद्वे इ वा—वर्ण गन्ध रसादि युक्त कहे और । रसिय २—सरस को मरम तथा । मणुन्न २—मनोज्ञ को मनोज्ञ कहे । एयप्पगारं—इस प्रकार की । असावज्ज—असावद्य-निष्पाप । जाव—यावत् प्राणियों का विनाश न करने वाली । भास—भाषा को । भासिज्जा—बोले ।

मूलार्थ—संयमशील साधु या साध्वी उपस्कृत-तैयार हुए-अशनादि चतुर्विध आहार को देखकर इस प्रकार न कहे कि यह आहारादि पदार्थ

सुकृत है, सुष्ठुकृत है और साधु कृत है तथा कल्याणकारी और अवश्य करणीय है। साधु इस प्रकार की सावद्य यावत् जीवोपघातिनी भाषा न बोले।

किन्तु संयमशील साधु या साध्वी उपस्कृत अशनादि चतुर्विध आहार को देखकर इस प्रकार कहे कि यह आहारादि पदार्थ बड़े आरम्भ से बनाया गया है। यह सावद्य पाप युक्त कार्य है यह प्रत्यन्त यत्न से बनाया हुआ है, यह भद्र अर्थात् वर्णगंध रसादि से युक्त है, सरस है और मनोज्ञ है, साधु ऐसी निरवद्य एव निष्पाप भाषा का प्रयोग करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु-साध्वी को आहार आदि के सम्बन्ध में यह नहीं कहना चाहिए कि यह आहार अच्छा बना है, स्वादिष्ट बना है, बहुत अच्छे ढंग से पकाया गया है। क्योंकि, आहार ६ काय के आरम्भ से बनता है, अतः उसकी प्रशंसा एवं सराहना करना ६ कायिक जीवों की हिंसा का अनुमोदन करना है और साधु हिंसा का पूर्णतया अर्थात् तीन करण और तीन योग से त्यागी होता है। अतः इस प्रकार की भाषा बोलने से उसके अहिंसा व्रत में दोष लगता है। इस कारण संयम-निष्ठ मुनि को ऐसी सावद्य भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि कभी प्रसंगवश कहना ही हो तो वह ऐसा कह सकता है कि यह आरम्भीय (आरम्भ से बना हुआ) है, सरस, वर्ण, गन्ध, रस एवं स्पर्श वाला है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि साधु उसके यथार्थ रूप को प्रकट कर सकता है, परन्तु, सावद्य भाषा में आहार आदि की प्रशंसा एवं सराहना नहीं कर सकता।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा भिक्खुणी वा मणुस्सं वा गोणां वा महिसं वा मिगं वा पसुं वा पक्खिं वा सरीसिवं वा जलचरं वा सेत्तं परिवूढकायं पेहाए नो एवं वइज्जा-थूले इ वा पमेइले इ वा वट्टे इ वा वज्जे इ वा पाइमे इ वा, एयप्पगारं भासं सावज्जं नो

भासिज्जा ॥

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा मणुस्सं वा जाव जलयरं वा सेत्तं परिवूढकायं पेहाए एवं वइज्जा-परिवूढकायेत्ति वा उव-चियकाएत्ति वा थिरसंघयणेत्ति वा चियमंससोणिएत्ति वा बहु-पडिपुन्नइंदिएत्ति वा एयप्पगारं भासं असावज्जं जाव भामिज्जा ।

से भिक्खू वा २ विरूवरूवाओ गाओ पेहाए नो एवं वइज्जा, तं-जहा-गाओ दुज्झाओत्ति वा दम्मेत्ति वा, गोरहत्ति वा वाहिमत्ति वा रहजोग्गात्ति वा, एयप्पगारं भासं सावज्जं जाव नो भासिज्जा ।

से भि० विरूवरूवाओ गाओ पेहाए एवं वइज्जा, तंजहा-जुवंगवित्ति वा धेणुत्ति वा रसवइत्ति वा हस्से इ वा महल्ले इ वा महव्वए इ वा संबहणित्ति वा, एयप्पगारं भासं असावज्जं जाव अभिक्खं भासिज्जा ।

से भिक्खु वा० तहेव गंतुमुज्जाणाइं पव्वयाइं वणाणि वा रुक्खा महल्ले पेहाए नो एवं वइज्जा, तं--पासायजोग्गात्ति वा तोरणजोग्गाइ वा गिहजोग्गाइ वा फलिहजो० अग्गलजो० नात्राजो० उदग० दोणजो० पीढचंगत्रेरनगलकुलियजंतलट्ठी नाभिगंडीआसणजो० सयणजाणउवस्सयजोग्गाइ वा, एयप्पगार० नो भामिज्जा ॥

वा पशु वा पक्षिण वा सरोसृप वा जलचरं वा स तं परिवृद्ध कायं प्रेक्ष्य नैवं वदेत्—स्थूल इति वा प्रमेदुर इति वा वृत्त इति वा वध्य इति वा (वाहन योग्य इति वा) पाच्य इति वा, एतत्प्रकारां भाषा सावद्या यावत् नो भाषेत ।

स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा मनुष्य वा यावत् जलचरं वा स तं परिवृद्ध-कायं प्रेक्ष्य एवं वदेत्—परिवृद्ध काय. इति वा, उपचित्तकाय इति वा स्थिरसंहनन इति वा, चित्तमासशोणित इति वा बहुप्रतिपूर्णइन्द्रिय इति वा एतत्प्रकारा भाषा असावद्याम् यावद् भाषेत ।

स भिक्षुर्वा २ विरूपरूपाः गाः प्रेक्ष्य नो एव वदेत्, तद्यथा—गावः दोह्या-दोहन योग्या इति वा दम्य इति वा गोरहक इति वा वाहनयोग्य इति वा रथयोग्य इति वा, एतत्प्रकारा भाषा सावद्या यावत् नो भाषेत ।

स भिक्षुर्वा० विरूपरूपा. गाः प्रेक्ष्य एव वदेत्, तद्यथा—युवा गौरिति वा धेनुरिति वा रसवतोति वा, ह्रस्व इति वा महान् इति वा महापयाइति वा संवहन इति वा, एतत्प्रकारां भाषां असावद्यां यावत् अभिकाक्ष्य भाषेत ।

स भिक्षुर्वा० तथैव गत्वा उद्यानानि पर्वतान् वनानि वा वृक्षान् महतः प्रेक्ष्य नैवं वदेत्, तद्यथा—प्रासाद योग्य इति वा तोरणयोग्य इति वा गृह योग्य इति वा फलक योग्य इति वा अर्गला योग्य इति वा, नौ योग्य इति वा उदक० द्रोणयोग्य इति वा पीठ चंगवेर लांगल कुलिक यन्त्र यष्टि नाभि-गडी आसन योग्य इति वा शयनगानोपाश्रय योग्य इति वा, एतत्प्रकारां भाषा नो भाषेत ।

स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा तथैव गत्वा एव वदेत् तद्यथा—जातिमन्त इति वा दोर्धवृत्ता इति वा महालया इति वा, प्रयात शाखा इति वा विटपि शाखा इति वा, प्रासादीया इति वा यावत् प्रतिरूपा इति वा एतत्-

प्रकारां भाषां असावद्यां यावत् भाषेत ।

स भिक्षुर्वा भिक्षुको वा बहुसम्भूतानि वनफलानि प्रेक्ष्य तथापि नैव वदेत्, तद्यथा-पक्वानि इति वा, पाकखाद्यानीति वा वेलोचितानि वा टालानीति वा (कोमलास्थीनीति वा) द्वैधिकानीति वा, एतत्प्रकारां भाषां सावद्यां यावत् नो भाषेत ।

स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा बहुसम्भूतानि वनफलानि आम्राणि— (आम्रान् वा) प्रेक्ष्य एवं वदेत् तद्यथा—असमर्था इति वा बहुनिर्वर्तित फला इति वा बहुसम्भूता इति वा भूतरूपा इति वा, एतत्प्रकारां भाषाम् असावद्यां यावद् भाषेत ।

स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा बहुसम्भूता औषधीः प्रेक्ष्य तथापि ताः नैव, वदेत् तद्यथा पक्वा इति वा, नीला इति वा (आर्द्रा इति वा) छविमत्य इति वा, लाइमा इति वा (लाजायोग्या रोपण योग्या इति वा) भंजिमा इति वा (पचन योग्या भंजन योग्या इति वा) बहुखाद्या इति वा, एतत्प्रकारां भाषां सावद्यां न भाषेत ।

स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा बहुसम्भूता औषधीः प्रेक्ष्य तथापि एव वदेत्, तद्यथा--रूढा इति वा, बहुसम्भूता इति वा स्थिरा इति वा उच्छिन्ना इति वा, गर्भिता इति वा, प्रसूता इति वा ससारा इति वा, एतत्प्रकारां भाषां असावद्या यावद् भाषेत ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू वा भिक्खुणी वा—साधु या साध्वी । भणुस्सं वा—मनुष्य को । गोणं वा—गोण-वृषभ को । महिसं वा—महिष-भैसे को । भिगं वा—मृग-हरिण को । पसुं वा—ग्रन्थ पशु को । पविख वा—पक्षी को । सरीसिवं वा—सर्प को तथा । जलचरं वा—जलचर जीवो को । से—वह भिक्षु । तं—उनमे से किसी एक । परिवूह काय—पुष्ट शरीर वाले को । पेहाए—देखकर । एवं—इस प्रकार । नो वड्ज्जा—न कहे । थूले इ वा—यह स्थूल है इस प्रकार । पमेइले इ वा—यह विशिष्ट भेद से युक्त है इस प्रकार । वट्टे इ वा—यह वृत्त अर्थात् गोलाकार है । वज्जेइ वा—यह वध्य-मारने योग्य है या बोझा ढोने योग्य है । पाइसे इ वा—पकाने योग्य है । एयप्पगारं—इस प्रकार की । मास—भाषा जो कि । सावज्ज—सावध । जाव—यावत्-भूतोपघातिनी है । नो मासेज्जा—न बोले । से भिक्खू वा—

भिवखुणी वा—वह साधु या साध्वी । मणुस्सं वा—मनुष्य को । जाव—यावत् । जलघर वा—जलनर जीवो को । से—वह । त—उन जीवो मे से । परिवूढ कार्य—परिपुष्ट शरीर वाले को । पेहाए—देखकर । एव—इस प्रकार । वइज्जा—कहे— । परिवूढ-काएत्ति—यह वृषभादि अमुक जीव परिपुष्ट शरीर वाला है अथवा यह । उवच्चिय काएत्ति वा—उपचित काय-शरीर वाला है । थिर संघयणेत्ति वा—इसका संहनन बडा दृढ है अथत् इसका शरीर बडा मंगठित है । चियमससोणिएत्ति—इसके शरीर मे मास और रघिर विशेष रूप से है तथा । बहुपडिपुन्न इविएत्ति वा—इसकी सभी इन्द्रिये परिपूर्ण है । एयप्पगार—इस प्रकार को । असावज्ज—असावद्य-पाप रहित । जाव—यावत् जीव विराधना शून्य । भासं—भाषा को । भासिज्जा—भाषण करे—बोले ।

पदार्थ—से भिवखू वा भिवखुणी वा—वह साधु अथवा साध्वी । विरूवरूवाओ—नाना प्रकार के । गाओ—गौ आदि पशुओ को । पेहाए—देखकर । एवं—इस प्रकार । नो वइज्जा—न कहे । तज्जा—जैसे कि । गाओ वुज्जाओत्ति वा—ये गौएँ दोहने के योग्य हैं अथवा इनके दोहने का समय हो रहा है । दम्मेत्ति वा—या यह वैल दमन करने के योग्य है । गोरहत्ति वा—या यह तीन वर्ष का युवक वैल है । वहिमत्ति वा—यह वैल हल आदि वहन करने योग्य है । रहजोगत्ति वा—यह वैल रथ में जोतने योग्य है । एयप्पगार—इस प्रकार की । सादब्बं—सावद्य । जाव—यावत् भूतोपघातिनी । भास—भाषा को । नो भासेज्जा—न बोले । से—वह । भिवखू वा भिवखुणी वा—साधु या साध्वी । विरूवरूवाओ—नाना प्रकार के । गाओ—गौ आदि पशुओ को । पेहाए—देखकर । एव वइज्जा—इस प्रकार कहे । तज्जा—जैसे कि । जुवंगवित्ति वा—यह वृषभ बडा युवा है अथवा । घेणुत्ति वा—यह गाय जवान है या । रसवइत्ति वा—बहुत दूध देने वाली है । हस्सेइ वा—या यह छोटा वैल है । महल्ले इ वा—यह बडा वैल है और । महव्वए इ वा—यह वैल बडी आयु का है । सवाहणित्ति वा—यह भार का उदहन कर रहा है । एयप्पगारं—इस प्रकार की । असावज्ज—असावद्य-निष्पाप । भासं—भाषा को । जाव—यावत् । अमिकंख—मन में विचार कर । भासिज्जा—बोले ।

से भिवखू वा भिवखुणी वा—वह साधु अथवा साध्वी । तहेव—उसी प्रकार । गत्तु-मुज्जाणाइं—उद्यानादि मे जाकर तथा । पव्वयाइ—पर्वतो और । वणाणि—वनो मे जाकर । महल्ले—अत्यन्त मोटे । ख्ख्वा—वृक्षो को । पेहाए—देखकर । एवं—इस प्रकार । नो वइज्जा—नही बोले । तज्जा—जैसे कि- । पासाय जोग्गात्ति वा—यह वृक्ष प्रासाद (मकान बनाने) के योग्य है । तोरण जोग्गाइ वा—अथवा यह तोरण बनाने के योग्य । गिहजोग्गा इ वा—अथवा यह घर के योग्य है । फलिह जो०—अथवा यह फलक बनाने के योग्य है । अग्गल जो०—यह अगला के योग्य है और । नावा जो०—यह नाव के योग्य है और यह वृक्ष । उदग० दोण जो०—उदक द्रोणी के योग्य है इसी प्रकार । पीढ—पीढ के योग्य हैं । चगवेर—काठ का वर्तन विशेष

उनके सम्बन्ध में । एव—इस प्रकार । नो वड्ज्जा—न बोले ! तंजहा—जैसे कि । पक्काइ वा—यह धान्य परिपक्व हो गया है या यह औषधि पक गई है अथवा । नीलीया इ वा—यह अभी नीली अर्थात् कच्ची है । छवीइया इ वा—यह सुन्दर छवी-शोभा वाली है । लाइमा इ वा—यह काटने योग्य है । भज्जिमा इ वा—यह पकाने योग्य है या भूञ्जने योग्य है । बहु खज्जा इ वा—यह भली-भानि खाने योग्य है । एयप्पगार—इस प्रकार की मावद्य भाषा को । नो मासिज्जा नही बोले । से भिक्खू वा०—वह साधु या साध्वी । बहु०—बहुत परिणाम में उत्पन्न होने वाली औषधि-धान्य विशेष को । पेहाए—देखकर । तहावि—तथापि । एव—इस वकार । वड्ज्जा—बोले-कहे । तजहा—जैसे कि- । रुढा इ वा—इसमें अकुर निकला है । बहु सभूया इ वा—बहुत परिमाण में उत्पन्न हुई है । थिरा इ वा—यह औषधि स्थिर है । ऊसढा इ वा—यह रस से भरी हुई है । गग्गियाइ वा—यह अभी गर्भ में है । पसूया इ वा—यह प्रसूत-उत्पन्न हो गई है । ससारा इ वा—इसमें धान्य पड गया है । एयप्पगारं—इस प्रकार की । असावज्जं—असावद्य-निष्पाप । जाव—यावत् अहिंसक । मासं—भाषा को । मासि०—बोले ।

मूलार्थ—संयमशील साधु अथवा साध्वी, मनुष्य, वृषभ (बैल), महिष (भैंस), मृग, पशु-पक्षी, सर्प और जलचर आदि जीवों में किसी भारी शरीर वाले जीव को देख कर इस प्रकार न कहे कि यह स्थूल है, यह मेदा युक्त है, वृत्ताकार है, वध या वहन करने योग्य और पकाने योग्य है । किन्तु, उन्हें देख कर ऐसी भाषा का प्रयोग करे कि यह पुष्ट शरीर वाला है, उपचित्त काय है, दृढ सहननवाला है इसके शरीर में रुधिर और मांसका उपचय हो रहा है और इसको सभी इन्द्रिणं परिपूर्ण है ।

संयमशील साधु और साध्वी गाय आदि पशुओं को देख कर इस प्रकार न कहे कि यह गाय दोहने योग्य है अथवा इसके दोहने का समय हो रहा है तथा यह बैल दमन करने योग्य है, यह वृषभ छोटा है, यह वहन के योग्य है और यह हल आदि चलाने के योग्य है, इस प्रकार की सावद्य यावत् जीवोपघातिनी भाषा का प्रयोग न करे । परन्तु आवश्यकता पडने पर उनके लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करे कि यह वृषभ जवान है, यह गाय प्रौढ है, दूध देने वाली है, यह बैल छोटा है, यह बड़ा है और यह गकट आदि को वहन करता है ।

संयमशील साधु अथवा साध्वी क्रियो उद्यान (बगीचे) पर्वत या वन आदि में कुछ विनाश वृक्षों को देख कर उनके सम्बन्ध में भी इस प्रकार न कहें कि यह वृक्ष मकान आदि में लगाने योग्य है, यह नोरप के योग्य है, और यह गृह के योग्य है तथा इसका फलक बन सकता है, इसकी अर्गला बन सकती है और यह नौका के लिए भा अच्छा है। इसकी उदक-द्राणी (जल भरने की टोकरी) अच्छी बन सकती है और यह पीठ के योग्य है, इसकी चक्र नाभि अच्छी बनेगी, यह गंडी के लिए अच्छा है, इसका आमन अच्छा बन सकता है और यह पर्यक (पलंग) के योग्य है, इससे जकट आदि का निर्माण किया जा सकता है और यह उपाश्रय बनाने के लिए उपयुक्त हैं। साधु को इस प्रकार की सावद्य भाषा का व्यवहार नहीं करना चाहिए। किन्तु, उक्त स्थानों में अवस्थित विनाश वृक्षों को देख कर उनके सम्बन्ध में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करे कि ये वृक्ष अच्छी जाति के हैं, दीर्घ और वृत्त तथा बड़े विस्तार वाले हैं। इनकी आम्बाएं चारों ओर फैली हुई हैं, ये वृक्ष मन को प्रसन्न करने वाले अभिरूप और नितान्त सुन्दर हैं। साधु इस प्रकार की अमावद्य-निष्पाप भाषा का व्यवहार करे।

संयमशील साधु अथवा साध्वी वन में बहुत परिमाण में उत्पन्न हुए फलों को देख कर उनके सम्बन्ध में भी इस प्रकार न कहें कि ये फल पक गए हैं, अतः खाने योग्य है या ये फल पलाल आदि में रख कर पकाने के पश्चात् खाने योग्य हो सकते हैं। इनके तोड़ने का समय हो गया है। ये फल अभी बहुत कोमल हैं, क्योंकि इनमें अभी तक गुठलियाँ नहीं पड़ी हैं और ये फल खण्ड-खण्ड करके खाने योग्य हैं। विवेकशील साधु इस प्रकार की सावद्य भाषा न बोलें। किन्तु, आवश्यकता पड़ने पर वह इस प्रकार कहें कि ये वृक्ष फलों के भार से नमू हा रहे हैं। अर्थात् ये उनका भार सहन करने में अनमर्थ प्रतीत हो रहे हैं। ये वृक्ष बहुत

फल दे रहे हैं। ये फल बहुत कोमल है, क्योंकि अभी तक इनमें गुठला नहीं पड़ी है, इत्यादि। साधु इस प्रकार को पाप रहित सयत भाषा का व्यवहार करे।

सयमशील साधु अथवा साधु बहुत परिमाण में उत्पन्न हुई औषधियों को देख कर उनके सम्बन्ध में भी इस प्रकार न कहे कि यह औषधि (धान्य विशेष) पक गई है। यह अभी नौली अर्थात् कच्ची या हरी है। यह काटने योग्य या भूजने या खाने योग्य है। साधु इस प्रकार की सावध यावत् जीवोपघातिनी भाषा को न बोले। किन्तु, अधिक परिमाण में उत्पन्न हुई औषधियों को देख कर यदि उनके संबन्ध में बोलने की आवश्यकता हो तो साधु इस प्रकार बोले यह अभी अकुरित हुई हैं। यह औषधि अधिक उत्पन्न हुई है। यह स्थिर है और यह बीजों से भरी हुई है, यह सरस है। यह अभी गर्भ में ही है या उत्पन्न हो गई है। साधु इस प्रकार की असावध-निष्पाप भाषा का व्यवहार करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में भाषा के प्रयोग में विशेष सावधानी रखने का आदेश दिया गया है। साधु चाहे सजीव पदार्थों के सम्बन्ध में कुछ कहे या निर्जीव पदार्थों के सम्बन्ध में कुछ बोले, परन्तु, उसे इस बात का सदा ख्याल रखना चाहिए कि उसके बोलने से किसी भी प्राणी को कष्ट न ही। अस्तित्व एवं मिश्र भाषा की तरह दूसरे जीवों की हिंसा का कारण बनने वाली भाषा भी, भले ही वह सत्य भी क्यों न हो साधु के बोलने योग्य नहीं है। अतः भाषा समिति में ऐसे शब्द बोलने का भी निषेध किया गया है जिससे प्रत्यक्ष या परोक्ष में किसी जीव की हिंसा की प्रेरणा मिलती हो या हिंसा का समर्थन होता हो।

साधु प्राणी मात्र का रक्षक है। अतः बोलते समय उसे प्रत्येक प्राणी के हित का ध्यान रखना चाहिए। प्रस्तुत सूत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि साधु को किसी गाय-भैंस, मृग आदि पशु-पक्षी एवं जलचर तथा वनस्पति (पेड़-पौधों) आदि के सम्बन्ध में भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे उन जीवों को किसी तरह का कष्ट पहुँचे। किसी भी पशु-पक्षी के मोटापन को देख कर साधु को यह नहीं कहना

डाणि वा ८ ॥१३६॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा तथाप्रकारान् शब्दान्शृणुयान् तथापि एतान् नैव वदेत्, तद्यथा—सुशब्दः इति वा दुःशब्दः इति वा एतत्प्रकारां भाषां सावद्यां नो भाषेत ॥ स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा तथापि तान् एवं वदेत् तद्यथा सुशब्दं सुशब्द इति वा दुःशब्दं दुःशब्द इति वा, एतत् प्रकारां असावद्यां यावत् भाषेत, एवं रूपाणिकृष्णइति वा ५ गन्धान् सुरभिगन्ध इति वा २ रसान् तिबतइति वा ५ स्पर्शान्—कर्कश इति वा ८ ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षू वा २—साधु या साध्वी । तठप्पगाराइं—तथा प्रकार के । सदाइं—शब्दो को । सुणिज्जा—सुने और सुनकर । तहावि—तथापि । एयाइं—इनके सम्बन्ध मे । एव—इस प्रकार । नो वडज्जा—न बोले । तजहा—जैसे कि- (सुसहेति वा—सुन्दर शब्द सुनकर बोलने वाले के प्रति राग भाव लाकर यह कहना, आपने यह बहुत अच्छा कहा यह बड़ा मज़लकारी है तथा । दुसहेति वा—दुःशब्द-बुरे शब्द को सुन कर बोलने वाले के प्रति द्वेष भाव लाकर यह कहना- तुमने बहुत बुरा कहा, यह बड़ा ही अनिष्टकारी है । एप्पगारं—इस प्रकार की । सावज्जं—सावद्य । भास—भाषा को । नो भासिज्जा—न बोले । से मि०—वह साधु या साध्वी शब्दो को सुनता हुआ । तहापि—तथापि । ताइं—उन शब्दो के सम्बन्ध मे । एव—इस प्रकार । वडज्जा—बोले । तजहा—जैसे कि । सुसदं—सुशब्द—सुन्दर शब्द को । सुसदिति वा—यह सुन्दर शब्द है इस प्रकार कहे तथा । दुसदं—दुष्ट शब्द को । दुसदिति वा—यह दुष्ट शब्द है इस प्रकार कहे । एप्पगार—इस प्रकार की । असावज्जं—असावद्य-निष्पाप । जाव—यावत् भाषा को । भासिज्जा—बोले । एव—इसी प्रकार । रूपाइ—रूप के विषय में । किण्हेति वा—कृष्ण को कृष्ण यावत् श्वेत को श्वेत कहे । गंधाइ—गन्ध के विषय में । सुरभिगधिति वा—सुगन्ध को सुगन्ध और दुर्गन्ध को दुर्गन्ध कहे । रसाइ—रसादि के विषय में भी । तित्ताणि वा—तित्त को तित्त यावत् मधुर को मधुर नहे । फासाइ—स्पर्श के विषय में । कवखडाणि वा—कर्कश को कर्कश यावत् मृदु को मृदु कहे तात्पर्य कि जो पदार्थ जिस तरह का हो उसको उसी प्रकार का बतलाए ।

मूलार्थ—संयमशील साधु साध्वी किसी भी शब्द को सुनकर वह किसी भी सुशब्द को दुःशब्द अर्थात् शोभनीय शब्द को अशोभनीय एवमागलिक को अमामलिक न कहे । किन्तु सुशब्द अच्छे शब्द को सुन्दर

और दुःशब्द को दुःशब्द और असुन्दर शब्द को असुन्दर ही कहे । इसी प्रकार रूपादि के सम्बन्ध में भी ऐसी ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए । कुरूप को कुरूप और सुन्दर को सुन्दर तथा सुगन्धित एव दुर्गन्धित पदार्थों को क्रमशः सुगन्ध एव दुर्गन्ध युक्त तथा कटु को कटुक और कर्कश को कर्कश कहे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि साधु को ५ वर्ण; २ गन्ध, ५ रस और ८ स्पर्श के सम्बन्ध में कौसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए । इसमें स्पष्ट बताया गया है कि साधु को जैसे वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श का पदार्थ हो उससे विपरीत नहीं कहना चाहिए । राग-द्वेष के वश अच्छे पदार्थ हो उससे विपरीत नहीं कहना चाहिए । राग-द्वेष के वश अच्छे पदार्थ को बुरा और बुरे पदार्थ को अच्छा नहीं बताना चाहिए । कुछ व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कुरूपवान् व्यक्ति को सुन्दर एवं रूप सम्पन्न को कुरूप बताने का भी प्रयत्न करते हैं । परन्तु, राग-द्वेष एवं स्वार्थ से ऊपर उठे हुए साधु किसी भी पदार्थ का गलत रूप में वर्णन न करे । उसे सदा सावधानी पूर्वक यथार्थ एवं निर्दोष वचन का ही प्रयोग करना चाहिए । वर्ण की तरह गन्ध, रस एव स्पर्श के सम्बन्ध में भी यथार्थ एव निर्दोष भाषा का व्यवहार करना चाहिए ।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा० वंता कोहं च माणं च मायं च
लोभं च अणुवीड् निट्ठाभासी, निसम्मभासी, अतुरियभासी,
विवेगभासी समियाए संजए भासं भासिज्जा ॥५॥ एवं खलु०
सया जइ० त्तिवेमि ॥१४०॥

ध्याया—स भिक्षुः भिक्षुकी वा वान्त्वा क्रोधं च मानं च माणं च लोभं च

१४० समिधुयंगमेतान् शब्दान् शृणुयान् तथापि नैव वदेन् तत्र वा लोभनः शब्दोऽलोभनो वा माण-
लि लो ज्माणिनीको वा, इत्ययं न व्याहृतव्यः । विपरीतत्वाद्—यथावस्ति तदव्ययप्रज्ञापनाधिपते एतद्
यश्च, तत्र वा—“सुमहति” लोभन शब्दलोभनमेवद्रूपाद् प्रज्ञाभनत्वशोभनमिति ॥ एवंपादिसूत्र-
मन्त्रियम् । (सूत्रकार)

अनुविचिन्त्य निष्ठा भाषी निशम्यभाषी अन्वरितभाषी विवेकभाषी समित्या संयतः भाषां भाषेत २ । एव खलु तस्य भिक्षोः २ सामग्र्यं यन् मर्त्राश्रैः समित्या सहितः सदा यतेत इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—से छिन्नखू चा०—वह साधु या साध्वी । कोहं च—क्रोध को । माण च—मान को । माय च—माया कपट युक्त व्यवहार को । लोभ च—लोभ को । वंता—वमन—छोड़ करके और । अणुवीड—विचार पूर्वक पर्यालोचन करके । निष्ठाभासी—एकान्त-सर्वथा असावद्य वचन बोलने वाला । भिसम्म भासी—हृदय में अत्यन्त विचार कर भाषण करने वाला । श्रुतुगियभासी—सम्भाल कर शनैः-शनैः बोलनेवाला और । विवेग भासी—विवेक पूर्वक बोलने वाला । संजए—साधु । समियाए—भाषासमिति युक्त । भासं—भाषा को । भासिज्जा—बोले । एवं खलु—इस प्रकार निश्चय ही । तस्स—उस । भिन्खुस्स २—साधु और साध्वी का यह । सामगियं—समग्र-सम्पूर्ण आचार है । जंसठ्वट्ठहिं - जो ज्ञानादि अर्थों से तथा । समिए—पांच सन्नितियों से । सहिए—युक्त है अतः वह । सया—सदा-सर्व काल में उक्त आचार का परिपालन करने का । जएज्जासि—यत्न करे । त्तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—क्रोध, मान, माया और लोभ का परित्याग करने वाला, एकान्त निरवद्य भाषा बोलने वाला, विचार पूर्वक बोलने वाला शनैः २ बोलने वाला और विवेक पूर्वक बोलने वाला संयत साधु या साध्वी भाषा समिति से युक्त संयत भाषा का व्यवहार करे । यही साधु और साध्वी का समग्र आचार है । इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में भाषा अध्ययन का उपसंहार करते हुए बताया गया है कि साधु को क्रोध, मान, माया और लोभ का परित्याग करके भाषा का प्रयोग करना चाहिए और उसे बहुत शीघ्रता से भी नहीं बोलना चाहिए । क्योंकि, वह क्रोधादि विकारों के वश झूठ भी बोल सकता है और अविवेक एवं शीघ्रता में भी असत्य भाषण का होना सम्भव है । अतः विवेकशील एवं संयत निष्ठ साधक को कषायों का त्याग करके, गम्भीरता-पूर्वक विचार करके धीरे-धीरे बोलना चाहिए । इस तरह साधु को सोच विचार-पूर्वक निरवद्य, निष्पापकारी, मधुर, प्रिय एवं यथार्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए ।

‘त्तिवेमि’ की व्याख्या पूर्ववत् समझें ।

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

॥ चतुर्थ अध्ययनसं समाप्त ॥

पंचम अध्यायन—वस्त्रैषणा

प्रथम उद्देशक

चतुर्थ अध्यायन मे भाषा समिति से सम्बद्ध विषय पर प्रकाश डाला गया है । प्रस्तुत अध्यायन मे यह बताया गया है कि भाषा समिति में प्रवृत्तशील माधु-साधु को किस तरह से और कैसा वस्त्र ग्रहण करना चाहिए । इस अध्यायन के दो उद्देशक हैं, पहले उद्देशक में वस्त्र ग्रहण करने की विधि तथा द्वितीय उद्देशक में वस्त्र धारण करने का उल्लेख किया गया है । वस्त्र भी द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का बताया गया है । द्रव्य वस्त्र तीन प्रकार का बताया गया है— १-एकेन्द्रिय जीवों के शरीर मे निर्मित कपास, (Cotton) सण (Jute) आदि के वस्त्र, २-विकलेन्द्रिय जीवों के बनाए गए तारों से निष्पन्न रेशमी (Silk) वस्त्र और ३-पञ्चेन्द्रिय जीवों के बालों से बनाए गए ऊन (Woollen) के वस्त्र या कम्बल आदि । और ब्रह्मचर्य के अठारह सहस्र गुणों को धारण करना भाव वस्त्र कहलाता है । वस्त्र दूसरों के एवं अपने मन में विकृति पैदा करने वाले गुप्ताङ्गों को आवृत्त करने तथा शीत-ताप से बचाने के लिए एक उपयोगी साधन है । इसी तरह मानव मन मे उठने वाले विकारी भावों का क्षय या क्षयोपशम करने तथा सायक को विकारों के शीत-तापमय व अनुकूल-प्रतिकूल आघातों से बचाने के लिए १८ हजार शीलांग गुण सर्व श्रेष्ठ साधन है, आत्म विकास में अत्यधिक सहयोगी हैं, इसी कारण इन्हें भाव वस्त्र कहा गया है । परन्तु, प्रस्तुत अध्यायन मे द्रव्य वस्त्रों के सम्बन्ध मे ही विचार किया गया है । क्योंकि, याचना द्रव्य वस्त्र की ही की जाती है, भाव वस्त्र की नहीं । आत्मा में स्थित अनन्त वीर्य ही भाव वस्त्र है और उसकी प्राप्ति मांग कर नहीं, प्रत्युत आत्म साधना से ही की जा सकती है । इस लिए सूत्रकार इस सम्बन्ध मे यहा कुछ नहीं कह कर, यह बताते हैं कि साधक को कैसे वस्त्र की याचना करनी चाहिए । साधु के लिए कल्पनीय वस्त्रों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम—से भि० अभिकंखिजा वत्थं एसित्तए, से जं
पुण्ण वत्थं जाणिजा, तंजहा—जंगियं वा भंगियं वा साणियं
वा पोत्तगं वा खोमियं वा तूलकडं वा, तहप्पगारं वत्थं वा

जे निग्गंथे तरुणो जुगवं वलवं अप्पायंके थिरसंघयणो से एगं वत्थं धारिज्जा नो वीयं, जा निग्गंथी सा चत्तारि संघाडीओ धारिज्जा, एगं दुहत्थवित्थारं दो तिहत्थवित्थाराओ एगं चउहत्थवित्थारं, तहप्पगारेहिं वत्थेहिं असंधिज्जमाणेहिं, अह-पच्छा एगमेगं ससिविज्जा ॥१४१॥

छाया—स भिन्नुवां भिन्नुकी वा अभिकांक्षेत् वस्त्रमेषितुं (अन्वेषुडुम्) स यत् पुनः वस्त्रं जानीयात् तद्यथा-जांगमिक वा भागिक वा माणिकं वा पोतकं वा क्षौमिकं वा तूलकृतं वा तथाप्रकार वस्त्र वा यो निर्ग्रन्थः तरुणः युगमान् बलवान् अल्पातकः स्थिरसहननः स एक वस्त्रं धारयेत् नो द्वितीय, या निर्ग्रन्थी सा चनस्र सघाटिका धारयेत्, एका द्विहस्तविस्तारा, द्वे त्रिहस्त विस्तारे, एका चतुर्हस्तविस्तारां, तथाप्रकारैः वस्त्रैः असधीयम नै अथ-गरचात् एरुमेकेन संसीव्येत् ।

पदार्थ—से—वह । भिन्नु वा०—साधु या साध्वी । वत्थ - वस्त्र की । एसिचप—एपणा । अभिकांक्षिज्जा—या गत्रेपणा करनी चाहे तो । से—वह—साधु । जं—जो । पुण—फिर । वत्थ—वस्त्र के विषय मे । जाणिज्जा—इस प्रकार जाने । तजहा—जैसे कि । जंगिय वा—जङ्गम-जीवो से उत्पन्न हुआ- (ऊंट आदि की ऊन से बना हुआ) अथवा । भगिय वा—विकलेन्द्रिय जीवो के तन्तुओ से बना हुआ रे।मी वस्त्र या । साणियं वा—सण (Jute) तथा बल्कल आदि से निष्पन्न वस्त्र । पोत्तग वा—या ताड पत्र आदि से बना हुआ वस्त्र । खोमिय वा—कपास आदि से बनाया गया वस्त्र या । नूलकड वा—आक आदि की तूली-रुई से बना हुआ वस्त्र । तहप्पगारं—तथा प्रकार के अन्य । वत्थ—वस्त्र को भी । धारिज्जा—धारण करे । जे निग्गंथे—जो निर्ग्रन्थ । तरुणे—तरुण-युवावस्था मे है तथा । जुगवं—तीसरे या चौथे आरे का जन्मा हुआ है । बलवं—बलवान । अप्पायके—रोग रहित और । थिर-संघयणे—दृढ मँहनन वाला है । से—वह । एग वत्थ—एक वस्त्र को । धारिज्जा—धारण करे । नो वीय—दूसरा वस्त्र धारण न करे । जा निग्गंथी—और जो साध्वी है । सा—वह । चत्तारि संघाडीओ धारिज्जा—चार चादरे धारण करे । एग—एक चादर । दुहत्थवित्थारं—दो हाथ प्रमाण चौडी हो । दो तिहत्थवित्थाराओ—दो चादरें तीन हाथ प्रमाण चौडी हो और ।

एग—एक । चउहृत्यवित्यार—चार हाथ प्रमाण चौड़ी हो । सहृपगारेहि—तथाप्रकार के । अत्येहि—वस्त्रो के । असंधिज्जमाणेहि—पृथक्-पृथक् न मिलने पर । अह—अथ । पच्छा—पश्चात् । एगमेयं—एक को एक के साथ । ससिविज्जा—सी ले ।

मूलार्थ—सयमशील साधु तथा साध्वी यदि वस्त्र की गवेपणा करने की अभिलाषा रखते हों तो वे वस्त्र के सम्बन्ध में इस प्रकार जाने कि—
उन का वस्त्र, विकलेन्द्रिय जीवों की लारों से बनाया गया रेशमी वस्त्र, मन तथा बल्कल का वस्त्र, ताड़ आदि के पत्तों से निष्पन्न वस्त्र और कपास एवं आक की तूलो से बना हुआ सूती वस्त्र एव इस तरह के अन्य वस्त्र की भी मुनि ग्रहण कर सकता है । जो साधु तरुण बलवान, रोग रहित और दृढ़ शरीर वाला है वह एक ही वस्त्र धारण करे, दूसरा न धारण करे । परन्तु साध्वी चार वस्त्र-चादरें धारण करे । उसमें एक-चादर दो हाथ प्रमाण चौड़ी, दो चादरे तीन हाथ प्रमाण और एक चार हाथ प्रमाण चौड़ी होनी चाहिए । इस प्रकार के वस्त्र न मिलने पर वह एक वस्त्र को दूसरे के साथ सी ले ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बनाया गया है कि साधु ६ तरह का वस्त्र ग्रहण कर सकता है— १-जांगिक-जंगम-चलने-फिरने वाले अंड, भेड़ आदि जानवरों के बालों से बनाए हुए उन के वस्त्र, २-भंगिय-विभिन्न विकलेन्द्रिय जीवों की लार से, निर्मित तन्तुओं से निर्मित रेशमी (Silk) वस्त्र, ३-साणिय-सण (Jute) या बल्कल से बना हुआ वस्त्र,

❧ एक तरह का वस्त्र, पाट का बना हुआ वस्त्र ।

— प्राकृत शब्द महार्णव, पृ० ७६२ ।

भंगिय (भांगिक=भंगायाइदम्) सन का वस्त्र, कौड़ी की लार के रस के द्वारा बना हुआ वस्त्र ।

— अर्थ मागधी कोष, भा० ४, पृ० २ ।

भंगिय = अत्तसीमयं अर्थात् अलसी का बना हुआ वस्त्र ।

—स्थानान्त सूत्र, वृत्ति (आचार्य अभयदेव सूत्रि)

भंगिय शब्द का रेशमी वस्त्र अर्थ भी होता है और आजकल एक ऐसा रेशमी वस्त्र

४-पोतरु-ताड़ पत्रों के रेशों से बनाया हुआ वस्त्र, ५-लोमिय-रुपास से निष्पन्न वस्त्र और ६-तूलरुड़े-आरु के डोडों में से निकलने वाली रूई से बना हुआ वस्त्र। इन ६ तरह के वस्त्रों में सभा तरह के वस्त्रों का समावेश हो जाता है। अतः वह इनमें से किसी भी तरह का वस्त्र ग्रहण कर सकता है।

प्रस्तुत सूत्र में साधु और साध्वी के लिए वस्त्रों का परिमाण भी निश्चित कर दिया गया है। यदि साधु युक्त, निरोगी, शक्ति सम्पन्न एवं हृष्ट-पुष्ट शरीर वाला हो तो वह एक वस्त्र ही ग्रहण कर सकता है, दूसरा नहीं। इससे यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि वृद्ध, कमजोर, रोगी एवं जर्जरित शरीर वाला साधु एक से अधिक वस्त्र भी रख सकता है।

साध्वी के लिए चार वस्त्रों (चादरों) का विधान किया गया है। उसमें एक चादर दो हाथ की हो, दो चादरें तीन-तीन हाथ की हों, और एक चार हाथ की हो। साध्वी को उपाश्रय में रहने समय दो हाथ वाली चादर का उपयोग करना चाहिए, गोची एवं जङ्गल आदि जाते समय तीन-तीन हाथ वाली चादरों को क्रमशः काम में लेना चाहिए और अवशिष्ट चौथी (चार हाथ वाली) चादर को व्याख्यान के समय ओढ़ना चाहिए। इसका तात्पर्य इतना ही है कि आहार आदि के लिए स्थान से बाहर निकलते समय एवं व्याख्यान में परिषदा के सामने बैठते समय साध्वी अपने अधिकांश अङ्गों-पाङ्गों को आवृत करके बैठे, जिससे उन्हें देखकर किसी के मन में विकार भाव जागृत न हो।

प्रस्तुत सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि उस समय भारतीय शिल्पकला एवं वस्त्र उद्योग पर्याप्त उन्नति पर था। यन्त्रों के सहयोग के बिना ही विभिन्न तरह के सुन्दर, आकर्षक एवं मजबूत वस्त्र बनाए जाते थे। अंग्रेजों के भारत में आने के पूर्व ढाका में बनने वाली मलमल इतनी बारीक होती थी कि २० गज की मलमल का पूरा थान एक वांस की नली में समाविष्ट किया जा सकता था। आगम में भी ऐसे वस्त्राभूषणों का उल्लेख मिलता है, जो वज्रन में हलके और बहुमूल्य होते थे। इससे उस युग की शिल्प कला की उन्नति का स्पष्ट परिचय मिलता है।

भी मिलने लगा है जिसके लिए कीड़ों को मारना नहीं पड़ता। इसे टसर का रेशम कहते हैं। यह रेशम वी कीड़ों से प्राप्त होता है। ये कीड़े इसका निर्माण करने के बाद स्वतः बाहर निकल जाते हैं। यह रूई की तरह होता है और उसी तरह कात कर इसका धागा बनाया जाता है। इसे भी भगिय वस्त्र कह सकते हैं। परन्तु, साधु के लिए अलसी का बना हुआ वस्त्र यह अर्थ करना युक्ति सगत प्रतीत होता है।

—लेखक

इस (वन्त्र के) विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भि० परं अद्भुजोपमेराए वस्थपडिया० नो
अभिसंधारिज्जा गमगाए ॥१४२॥

आया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा परमद्वेयोजनमयांदायाः वस्त्र प्रतिज्ञया
नो अभिसन्धारयन् गमनाय ।

पदायं—से भिक्षु वा—वह नाथु वा नाथ्वी । वस्थ पडिया—वस्त्र की जाचना
करने हेतु । अद्भुजोपमेराए—आधे योजन की नज्जादाने । परं—आगे । गमगाए—जाने
का । नो अभिसंधारिज्जा—विचार न करे ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी को वस्त्र की जाचना करने के लिए आधे
योजन से आगे जाने का विचार नहीं करना चाहिए ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में वस्त्र ग्रहण करने के लिए क्षेत्र नर्थादा का उल्लेख किया गया है ।
साधु या नाथ्वी को आधे योजन से आगे के क्षेत्र में जाकर वस्त्र लाने का संकल्प भी
नहीं करना चाहिए । जैसे आगम में साधु-साध्वी को आधे योजन से आगे का लाया
हुआ आहार-पानी करने का निषेध किया गया है, उसी तरह प्रस्तुत सूत्र में क्षेत्र का
अतिक्रान्त करके वस्त्र ग्रहण करने का भी निषेध किया गया है ।

वृत्तिकार ने इस पर कोई विशेष प्रकाश नहीं डाला है, उन्होंने केवल शब्दों का
अर्थ मात्र किया है । यह नहीं बताया कि यह आदेश सानान्य सूत्र से सन्वद्ध है या
अभिग्रह विशेष से ।

इस विषय पर और प्रकाश डालते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भि० से जं० अस्मिपडियाए एगं साहम्मियं
समुद्दिस्स पाणाइं जहा पिंडेमणाए भाणियव्वं ॥ एवं वहवे
साहम्मिया एगं साहम्मिणिं वहवे साहम्मिणीओ वहवे ममण-

माहण० तहेव पुरिसतरकडा जहा पिडेसणाए ॥१४३॥

छाया—स भिन्तुर्वा भिक्षुकी वा यत् । स अस्वप्रतिज्ञया एकं साधर्मिक समुद्दिश्य प्राणानि यथा पिंडपणायां (तथैव) भणितव्यम् । एवं बहवः साधर्मिकाः एका साधर्मिणी वल्लयः साधर्मिण्यः बहवः श्रमण ब्राह्मण० तथैव पुरुषान्तरकृताः यथा पिण्डैषणायाम् ।

पदार्थ—से मि०—वह साधु या साध्वी । से जं—वस्त्र के विषय में इस प्रकार जाने- । अस्स पिंडियाए—जिसके पास धन नहीं है उसकी प्रतिज्ञा से । एग—एक । साहम्मियं—साधर्मिक का । समुद्दिस्स—उद्देश्य रख कर । पाणाइ—प्राणियों की हिंसा करके । जहा—जैसे । पिंडेसणाए—पिंडैषणा अध्ययन में आहार विषयक वर्णन किया गया है, ठीक उसी प्रकार इस म्यान में वस्त्र विषयक । साणियव्वं—वर्णन कहना चाहिए । एव—इसी प्रकार । बहवे साहम्मिया—बहुत से साधर्मि साधु । एगं साहम्मिणि—एक साधर्मिणी साध्वी तथा । बहवे साहम्मिणीओ—बहुत सी साध्विण्य और । बहवे समण माहण—बहुत से शाक्यादि श्रमण और ब्राह्मणादि । तहेव—उसी प्रकार । पुरिसतरकडा—पुरुषान्तर कृत । जहा—जैसे कि— । पिंडेसणाए—पिंडैषणा अध्ययन में कहा गया है ।

मूलार्थ—संयमशील साधु या साध्वी को वस्त्र के विषय में यह जानना चाहिए कि जिसके पास धन नहीं है उसकी प्रतिज्ञा से कोई व्यक्ति एक या अनेक साधु या साध्वियों के लिए प्राण भूत आदि की हिंसा करके वस्त्र तैयार करे तो साधु-साध्वी को वह वस्त्र नहीं लेना चाहिए। यदि वह बहुत से शाक्य आदि श्रमण-ब्राह्मणों के लिए तैयार किया गया है और वह पुरुषान्तर हो गया तो साधु उसे ग्रहण कर सकता है । यह सारा प्रकरण पिण्डैषणा के प्रकरण की तरह समझना चाहिए ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु-साध्वी को आघातकर्म आदि दोष युक्त वस्त्र ग्रहण नहीं करना चाहिए । यदि किसी व्यक्ति ने एक या अनेक साधुओं या एक और अनेक साध्वियों को उद्देश्य करके वस्त्र बनाया हो तो साधु-साध्वी को वह वस्त्र ग्रहण नहीं करना चाहिए । यदि वह वस्त्र किसी शाक्य आदि श्रमण या ब्राह्मणों के लिए

बनाया गया हो, परन्तु पुरुषान्तर कृत नहीं हुआ हो तो वह वस्त्र भी लीकार न करे। यदि वह पुरुषान्तर कृत हो गया है तो साधु उसे ग्रहण कर सकता है। वस्त्र ग्रहण करने का न करने की सारी विधि आहार ग्रहण करने की विधि की तरह ही है। अतः सूत्रकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकार को पिंडैषणा के प्रकार की तरह समझना चाहिए। अर्थात् साधु को सदा निर्दोष वस्त्र ही ग्रहण करना चाहिए।

अब उन्नत गुणों की शुद्धि को रखते हुए वस्त्र ग्रहण की नयींदा का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भि० से जं० अमंजए भिक्षुपडियाए कीयं
वा वीयं वा रत्तं वा घट्टं वा मट्टं वा संप्रधूपितं वा तहस्पगारं
वत्थं अपुरितन्तरकडं जाव नो० ग्रह पु० पुरिसं० जाव
पडिगाहिजा ॥१४४॥

छाया—स भिक्षुर्वा० स यन्० अमंयतः भिक्षुप्रतिज्ञया क्रान्तं वा वीतं
वा रत्तं वा घृष्टं वा मृष्टं वा सन्प्रधूपितं वा तथाप्रकारं वस्त्रं अपुरुषान्तर कृतं
यावन् नो प्रतिगृह्णीयात् । अथ पुनरेवं जानीयात् पुरुषान्तरकृतं यावन्
प्रतिगृह्णीयात् ।

पदार्थ—से नि०—वह साधु या नाथी । से जं०—वस्त्र के विषय में फिर यह जाने कि ।
असत्त्व—असंयत-गृह्य ने । भिक्षुपडियाए—साधु के लिए यदि । कीयं वा—वस्त्र नोन लिया हो ।
वीयं वा—ओकर रखा हो । रत्तं वा—रङ्ग कर रखा हो । घट्टं वा—चित्रा हो । मट्टं वा—
मसना हो और । संप्रधूपितं वा—धूप के मुकामित किया हो तो । तहस्पगारं तथा गकर
के । वत्थं—वस्त्र को । अपुरितन्तरकड—जो कि पुरुषान्तर कृत नहीं है । जाव—जावन् ।
नो०—ग्रहण न करे । ग्रह पु०—और यदि यह जाने कि- । पुरिसं—पुरुषान्तर कृत है तो ।
जाव—यावन् । पडिगाहिजा—ग्रहण कर ने ।

सूत्रार्थ—चंद्रमशाल साधु या साध्वी को वस्त्र के विषय में यह
जानना चाहिए कि यदि किसी गृह्य ने साधु के लिए वस्त्र खरीदा हो,
धोया हो, रंगा ह, विस कर साक्त किया हो, शृंगारित किया हो या धूप
आदि से नुगन्धित किया हो और वह पुरुषान्तरकृत नहीं हुआ है तो साधु-

साधु उसे ग्रहण न करे। यदि वह पुरुषान्तर कृत हो गया है तो साधु-साधु उसे ग्रहण कर सकते हैं।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में उत्तर गुण में लगाने वाले दोषों से बचने का आदेश दिया गया है इस में बताया गया है कि जो वस्त्र साधु के लिए खरीदा गया हो, धोया गया हो, रङ्गा गया हो, अच्छी तरह से रगड़ कर साफ किया गया हो, शृङ्गारित किया गया हो या धूप-आदि से सुवासित बनाया गया हो तो साधु को वैसा वस्त्र ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि इस तरह का वस्त्र पुरुषान्तर कृत हो गया हो तो साधु उसे ग्रहण कर सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि जो वस्त्र मूल से साधु के लिए ही तैयार किया गया हो उसे साधु किसी भी स्थिति-परिस्थिति में स्वीकार न करे—चाहे वह पुरुषान्तर कृत हो या न हो, हर हालत में वह अकल्पनीय है। परन्तु, जो वस्त्र मूल से साधु के लिए नहीं बनाया गया है, परन्तु उसके तैयार होने के बाद साधु के निमित्त उसमें कुछ विशेष क्रियाएँ की गई हैं। ऐसी स्थिति में साधु उसे तब तक स्वीकृत नहीं कर सकता, जब तक कि वह पुरुषान्तरकृत नहीं हो गया है। यदि किसी व्यक्ति ने उसे अपने उपयोग में ले लिया है, तो फिर साधु उसे ले भी सकता है।

इस वस्त्र प्रकरण को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

ॐ साधु के लिए खरीदा गया वस्त्र साधु को लेना नहीं कल्पता। परन्तु, यदि उसका किसी व्यक्ति ने अपने लिए उपयोग कर लिया हो तो फिर वह वस्त्र साधु के लिए अकल्पनीय नहीं रहता है।

† यह पाठ तीनों काल के साधुओं को दृष्टि में रख कर रखा गया है। क्योंकि भगवान् अजितनाथ से लेकर पार्श्वनाथ तक के साधु-साधु पाँचों रङ्ग के वस्त्र ग्रहण कर सकते थे। या इसका उद्देश्य किसी ऐसे रङ्ग से है जो लगाने के बाद तुरन्त उड़ जाता हो। जैसे— आजकल कुछ सेण्ट एवं इतर रंगीन होते हैं और वस्त्र पर लगाते समय उनका धुंधला सा रंग भी आता है परन्तु वह तुरन्त उड़ जाता है। उनका प्रयोग केवल सुगन्धि के लिए किया जाता है।

‡ पहले से जल में धूप में उस वस्त्र को रख कर सुवासित किया गया हो ऐसा प्रतीत होता है।

मूलम—से भिक्खू वा २ से जाइं पुण वत्थाइं जाणिज्जा, वि-
रुवरूवाइं महद्धणमुल्लाइं, तंजहा-आईणगाणि वा सहिणाणि वा
सहिणकल्लाणाणि वा आगाणि वा कायाणि वा खोमियाणि वा
दुगुल्लाणि वा पट्टाणि वा मलयाणि वा पन्नुन्नाणि वा अंसुया-
णि वा चीणंसुयाणि वा देसरागाणि वा अमिलाणि वा गज्जफला-
णि वा फालियाणि वा कोयवाणि वा कंबलगाणि वा पावराणि
वा, अन्नयराणि वा तह० वत्थाइं महद्धणमुल्लाइं लाभे संते
नो पडिगाहिज्जा ॥

से भि० आइणपाउरणाणि वत्थाणि जाणिज्जा तं०—
उहाणि वा पेसाणि वा पेसलाणि वा किशहमिगाईणगाणि
वा, नीलमिगाईणगाणि वा गोर मि० कणागाणि वा कणाग-
कंताणि वा कणागपट्टाणि वा कणागखइयाणि वा कणागफुमियाणि
वा वग्वाणि वा विवग्वाणि वा (विगाणि वा) आभरणाणि
वा आभरणविचित्ताणि वा, अन्नयराणि तह० आईणपाउरणाणि
वत्थाणि लाभे संते नो० ॥१४५॥

झाया—स भिन्नुवां भिन्नुकी वा म यानि पुनः वस्त्राणि जानीयान् विहयं-
रूपाणि महाधनमूल्यानि, तद्यथा आजिनानि वा श्लक्ष्णानि वा रत्नक्षणकत्वा-
णानि वा आजकानि वा कायकानि वा चौमिकानि वा दुक्कलानि वा पट्टा-

नि वा मलयाणि वा प्रनुन्नानि वा अशुकानि वा चीनाशुकानि वा देश-
गगाणि वा अमिलानि वा गज्जफलानि वा फालिकानि वा कोयवानि वा
कम्बलकानि वा प्रावराणि वा अन्यतराणि वा तथाप्रकाराणि वा वस्त्राणि वा
महाधनमूल्यानि लाभे सति न प्रतिगृहणीयात् ॥

स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा आजिनप्रावराणीयानि वस्त्राणि जानीयात्, तद्यथा
उद्राणि वा पैसानि वा पेशलानि वा कृष्णमृगाजिनानि वा नीलमृगाजिनानि
वा, गौरमृगाजिनानि वा कनकानि वा कनककान्तीनि वा कनकपट्टानि वा
कनकखचितानि वा कनकस्पृष्टानि वा व्याघ्राणि वा व्याघ्रचर्मविचित्रितानि
वा आभरणानि वा आभरणविचित्राणि वा अन्यतराणि तथाप्रकाराणि आ-
जिनप्रावरणानि वस्त्राणि लाभेसति नो प्रतिगृहणीयात् ।

पदार्थ—से भिक्खू वा०—वह साधु या साध्वी । से जाइ' पुण बत्थाणि—जिन वस्त्रों
के विषय में । जाणिज्जा—जाने । विरुवरुवाइ—नाना प्रकार के । महद्धण मुल्लाईं—बहुमूल्य
वस्त्र । तं०—जैसे कि— । आईणगाणि वा—मूपक आदि के चर्म से निष्पन्न । साहिणाणि
वा—श्लक्ष्ण-अत्यन्त सूक्ष्म । सहिणकल्लाणाणि वा—सूक्ष्म और कल्याणकारी । आयाणि वा—
भेड या भेड के सूक्ष्म रोमों से निर्मित वस्त्र । कायाणि वा—इन्द्र नील वर्ण की कपास से
निष्पन्न । खोमियाणि वा—सामान्य कपास से बनाया गया वस्त्र । डुगुल्लाणि—गौड देश में
उत्पन्न होने वाली विशिष्ट-प्रकार की कपास से निष्पन्न । पट्टाणि—पट्टसूत्र—रेशम से
निष्पन्न । मलयाणि वा—मलयज सूत्र से बनाया गया वस्त्र । पन्नुन्नानि वा—वल्कल के तंतुओं
से निर्मित वस्त्र । असुयाणि वा—अशुक-देश विदेश में उत्पन्न होने वाला महार्घ वस्त्र ।
चीणसुयाणि वा—चीनाशुक—चीन देश का बना हुआ रेशमी वस्त्र । देस रागाणि वा—नाना-
प्रकार के देशों के बने हुए विशिष्ट वस्त्र या देश राग में निर्मित वस्त्र । अमिलाणि वा—
आमिल नामक देश में उत्पन्न होने वाले वस्त्र । गज्जफलाणि वा—गजफल नामक देश के
विशिष्ट वस्त्र । फालियाणि वा—फालिय देश में उत्पन्न होने वाले असाधारण वस्त्र । कोयवाणि
वा—कोयव नाम के देश के बने हुए । कम्बलगाणि वा—विशिष्ट प्रकार के कम्बल । प्रावराणि
वा—प्रावरण-कम्बल विशेष तथा इसी प्रकार के । अन्नतराणि वा—कई एक अन्य वस्त्र
विशेष । तह०—तथाप्रकार के वस्त्र । महद्धणमुल्लाईं—जो बहुमूल्य है ऐसे वस्त्रों के । लाभे
सते—मिलने पर । नो पडिगाहिज्जा—साधु उन्हें ग्रहण न करे ।

से मि०—वह साधु या साध्वी । आइणपाउरणाणि—चर्म निष्पन्न पहरने वाले ।

चत्थाणि वा—वस्त्रो को । जाणिञ्जा—जाने । तंजहा—जैसे कि । उद्हाणि वा—सिंधु देश में होने वाले मस्य के सूक्ष्म चर्म से निष्पन्न वस्त्र । पेसाणि वा—सिंधु देश में होने वाले पशुओं के सूक्ष्म चर्म से बने हुए तथा । पेसलाणि वा—उस चर्म पर के सूक्ष्म रोमों से निष्पन्न हुए वस्त्र तथा । किण्डुमिगाईणगाणि वा—कृष्णमृग के चर्म के बने हुए वस्त्र । नीलमिगाईणगाणि वा—नीलमृग के चर्म से निष्पन्न और । गोरमि०—गौर-श्वेत मृगचर्म से निष्पन्न वस्त्र । कणगाणि वा—कनक-सोने की झाल से बनाये गये तथा । कणगकताणि वा—कनक के समान कातिवाले और । कणगपट्टाणि वा—सोने के रस से बनाए गए एव । कणगखड्याणि वा—सोने के तारों से निर्मित । कणगफुसियाणि वा—सोने के स्तवकों से युक्त वस्त्र । वग्घाणि वा—व्याघ्र चर्म निर्मित वस्त्र अथवा । विवग्घाणि वा—नाना प्रकार के व्याघ्र चर्म निष्पन्न वस्त्र अथवा । विगाणि वा—बूक चर्म से निष्पादित वस्त्र । आभरणाणि वा—प्रधान आभरणों से विभूषित वस्त्र अथवा । आभरणविचित्राणि वा—विचित्र प्रकार के आभरणों से विभूषित और । अन्नघराणि वा—अन्य कई एक । तहपगाराणि—तथाप्रकार के । आईण पाउरणाणि—चर्म निष्पन्न पहरने योग्य । बत्थाणि—वस्त्र । लाभे संते—मिलने पर । तो पडिगाहिज्जा—साधु ग्रहण न करे ।

मूलार्थ—संयमशील साधु अथवा साध्वी को महाधन से प्राप्त होने वाले नाना प्रकार के बहुमूल्य वस्त्रों के सम्बन्ध में जानना चाहिए और मूपकादि के चर्म से निष्पन्न, अत्यन्त सूक्ष्म, वर्ण और सौन्दर्य से सुशोभित वस्त्र तथा देशविशेषोत्पन्न बकरी या बकरे के रोमों से बनाए गए वस्त्र एव देशविशेषोत्पन्न इन्द्रनील वर्ण कपास से निर्मित, समान कपास से बने हुए और गौड देश की विशिष्ट प्रकार की कपास से बने हुए वस्त्र, पट्ट सूत्र-रेशम से, मलय सूत्र से और वल्कल तन्तुओं से बनाए गए वस्त्र तथा अंशुक और चीनाशुक, देशराज नामक देश के, अमल देश के तथा गजफल देश के और फलक तथा कोदव देश के बने हुए प्रधान वस्त्र अथवा ऊर्ण कम्बल तथा अन्य बहुमूल्य वस्त्र—कम्बल विशेष और अन्य इसी प्रकार के अन्य भी बहुमूल्य वस्त्र, प्राप्त होने पर भी विचारशील साधु उन्हें ग्रहण न करे ।

संयमशील साधु या साध्वी को चर्म एवं रोम से निष्पन्न वस्त्रों के

सम्बन्ध मे भी परिज्ञान करना चाहिए। जैसे— सिन्धुदेश के मत्स्य के चर्म और रोमो से बने हुए, सिन्धु देश के सक्षमचर्म वाले पशुओं के चर्म एव रोमो से बने हुए तथा उस चर्म पर स्थित सूक्ष्म रोमो से बने हुए एव कृष्ण, नील और श्वेत मृग के चर्म और रोमो से बने हुए तथा स्वर्णजल से सुशोभित, स्वर्ण के समान काति और स्वर्ण रम के स्तवकों से विभूषित, स्वर्ण तारो से खचित और स्वर्ण चन्द्रिकाओ से स्पर्शित बहु-मूल्य वस्त्र अथवा व्याघ्र या वृक के चर्म से बने हुए, सामान्य और विशेष प्रकार के आभरणो से सुशोभित अन्यप्रकार के चर्म एवं रोमो से निष्पन्न वस्त्रो को मिलने पर भी सयमशील मुनि स्वीकार न करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को देश या विदेश में बने हुए विशिष्ट रेशम, सूत, चर्म एवं रोमों के बहुमूल्य वस्त्रों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसे कीमती वस्त्रों को देखकर चोरों के मन में दुर्भाव पैदा हो सकता है और साधु के मन में भी ममत्व भाव जागृत हो सकता है। चर्म एव मुलायम रोमों के वस्त्र के लिए पशुओं की हिंसा भी होती है। अतः पूर्ण अहिंसक साधु के लिए ऐसे कीमती एवं महारम्भ से बने वस्त्र ग्राह्य नहीं हो सकते। इसलिए भगवान ने साधु के लिए ऐसे वस्त्र ग्रहण करने का निषेध किया है।

प्रस्तुत सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय एवं भारतीय सीमा के निकट के देशों में वस्त्रउद्योग काफी उन्नति पर था और उस समय मशीनरी युग से भी अधिक सुन्दर और टिकाऊ वस्त्र बनता था। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि उस युग में भारत आज से अधिक खुशहाल था। उसका व्यापारिक व्यवसाय अधिक व्यापक था। चीन एव उसके निकटवर्ती देशों से वस्त्र का आयात एव निर्यात होता रहता था। इससे यह स्पष्ट जान-कारी मिलती है कि उस युग में शिल्पकला विकास की चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी और जनता का जीवनस्तर काफी उन्नत था। भारत में गरीबी, भुखमरी एव अभाव कम था और अन्य देशों के साथ भारत के व्यापारिक सम्बन्ध भी काफी अच्छे थे। उस युग के भारतीय औद्योगिक, व्यवसायिक एवं व्यापारिक इतिहास की शोध करने वाले इतिहास वेत्ताओं के लिए प्रस्तुत सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है।

वस्त्र ग्रहण करते समय किए जाने वाले अभिग्रहों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इच्चेइयाइं आयतगाइं उवाइकम्म अह भिक्खू जाणिज्जा चउहिं पडिमाहिं वत्थं एसित्तए, तत्थ खलु इमा पढमा-पडिमा,से भि० २ उहेसिय वत्थं जाइज्जा, तं०—जंगियं वा जाव तूलकडं वा, तह० वत्थं सयं वा णं जाइज्जा, परो० फासुयं पडि० ,पढमा पडिमा (१) अहावरा दुच्चा पडिमा से भि० पेहाए वत्थं जाइज्जा गाहावई वा० कम्मकरी वा, से पुब्बामेव आलो-इज्जा—आउसोत्ति वा २ दाहिसि मे इत्तो अन्नयरं वत्थं ? तहप्प० वत्थं सयं वा० परो० फासुयं एस० लाभे० पडि० दुच्चा पडिमा, (२) अहावरा तच्चा पडिमा—से भिक्खू वा० से जं पुण्ण० तं अंतरिज्जं वा उत्तरिज्जं वा तहप्पगारं वत्थं सयं० पडि० , तच्चा-पडिमा (३) अहावरा चउत्था पडिमा—से० उज्झियधम्मियं वत्थं जाइज्जा जं चउत्ते वहवे समण्ण० वणीमगा नायकंखंति तहप्प० उज्झिय० वत्थं मयं० परो० फासुयं जाव प० चउत्थापडिमा (४) इच्चेयाणां चउराहं पडिमाणं जहा पिंडेसणाए । सिया णं एताए एमणाए एसमाणं परो वइज्जा—आउसंतो समणा ! इज्जाहि तुमं मासेण वा दसराएण वा पंचराएण वा सुते सुततरे वा तो ते वयं अन्नयरं वत्थं दाहामो. एयप्पगारं निग्घोसं सुच्चा

निसम्म से पुव्वामेव आलोइज्जा—आउसोत्ति वा ! २ नो खलु मे कप्पइ एयप्पगारं संगारं पडिसुणित्तए, अभिकंखसि मे दाउं इयाणिमेव दलयाहि, से शेवं वयंतं परोवइज्जा—आउ० स० ! अणुगच्छाहि तो ते वयं अन्नं० वत्थं दाहामो, से पुव्वामेव आलोइज्जा—आउसोत्ति ! वा २ नो खलु मे कप्पइ संगारवयणे पडिसुणित्तए० से शेवं वयंतं परो शेया वइज्जा—आउसोत्ति वा ! भइणित्ति वा ! आहरेयं वत्थं समणस्स वा दाहामो, अवियाइ वयपच्छावि अप्पणो सयट्ठाए पाणाइं ४ समारंभ—समुद्दिस्स जाव चेइस्सामो, एयप्पगारं निग्घोसं सुच्चा निसम्म तहप्पगारं वत्थं अफासुयं जाव नो पडिगाहिज्जा ॥ सिया ण परो नेता वइज्जा ! आउसोत्ति वा ! २ आहर एयं वत्थं सिणाणेण वा ४ आघंसित्ता वा प० समणस्स णं दाहामो, एयप्पगारं निग्घोसं सुच्चा नि० से पुव्वामेव आउ० भ० ! मा एयं तुमं वत्थं सिणाणेण वा जाव पघंसाहि वा, अभि० एमेव दलयाहि, से शेवं वयंतस्स परो सिणाणेण वा पघंसित्ता दलइज्जा, तहप्प० वत्थं अफा० नो० पडिगाहिज्जा ॥ से णं परो नेता वइज्जा -भ० ! आहर एयं वत्थं सीओदगवियडेण वा २ उच्छोलेत्ता वा पहोलेत्ता वा समणस्स णं दाहामो० , एय० निग्घोसं तहेव नवरं मा एयं तुमं

वत्थं सीत्रोदगं उंसिं उच्छोलेहि वा, पहोलेहि वा, अभि-
 कंखसिं सेसं तहेव जाव नो पडिगाहिज्जा ॥ से णं परो ने-
 चां भं ! आहरेयं वत्थं कंदाणि वा जाव हरियाणि वा विसो-
 हिता समणस्स णं दाहामो, एयं निग्घोसं तहेव, नवरं मा
 एयाणि तुमं कंदाणि वा जाव विसोहेहि, नो खलु मे कप्पइ
 एयप्पगारे वत्थे पडिगाहित्तए, से सेवं वयंतस्स परो जाव विसो-
 हित्ता दलइज्जा, तहप्पं वत्थं अफासुयं नो पडिगाहिज्जा ॥
 सिया से परो नेता वत्थं निसिरिज्जा, से पुव्वां आं भं !
 तुमं चेव णं संतयं वत्थं अंतोअंतेणं पडिलेहिज्जिस्सामि,
 केवली बूया आं, वत्थंतेण बद्धे सिया कुंडले वा गुणे वा
 हिरण्णे वा सुवण्णे वा मणी वा जाव रयणावली वा पाणे,
 वा बीए वा हरिए वा अह भिक्षू णं पुं जं पुव्वामेव वत्थं
 अंतोअंतेणं पडिलेहिज्जा ॥१४६॥

छाया—इत्येतानि आयतनानि उपातिक्रम्य अथ भिक्षुः जानी-
 यात् चतसृभिः प्रतिमाभिः वस्त्रमेषितु (अन्वेष्टुं) तत्र खलु (१) इयं
 प्रथमा प्रतिमा—स भि० उद्दिश्य वस्त्रं याचेत्, तद्यथा—स जांगमिकं वा
 यावत् तूलकृतं वा तथाप्रकारं वस्त्रं स्वयं वा याचेत् परो० प्रासुकं०
 प्रति० प्रथमा प्रतिमा (२) अथापरा द्वितीया प्रतिमा—स भिक्षुर्वा०
 प्रेक्ष्य वस्त्रं याचेत् गृहपति वा० कर्मकरी वा स पूर्वमेव आलोचयेत्-
 आयुष्मन् इति वा दास्यसि मे इतः अन्यतरद् वस्त्रं ? तथाप्रकार

वस्त्रं स्वयं वा० परो० प्रासुकमेषणोय लाभे० प्रति०, द्वितीया प्रतिमा
 (३) अथापरा तृतीया प्रतिमा—स भिक्षुर्वा० स यत् पुनः तमन्तरीय
 वा उत्तरीयं वा तथाप्रकार वस्त्रं स्वयं० प्रतिगृह्णीयात्, तृतीया
 प्रतिमा । [४] अथापरा चतुर्थी प्रतिमा—स० उज्जिभक्तधर्मिकं वस्त्रं
 याचेत यच्च अन्ये बहवः श्रमण० वनीपकाः नावकांक्षन्ति तथा-
 प्रकारं उज्जिभक्त० वस्त्रं स्वयं परो० प्रासुकं यावत् प्रतिगृह्णीयात्,
 चतुर्थी प्रतिमा । आसां चतसृणा प्रतिमाना यथा पिंडैपणायं
 (अर्थात् शेषो विधि पिंडैषणा वन्नेय) । स्यात् (कदाचित्) एतया
 एषणया एषयन्तं परो वदेत्—आयुष्मन् श्रमण ! गच्छ त्व मासेन वा दश-
 रात्रेण वा पञ्चरात्रेण वा श्वः परश्वो वा ततः ते वयं अन्यतरद् वस्त्रं दा-
 स्यामः एतद्प्रकार निर्घोषं श्रुत्वा निशम्य स पूर्वमेव आलोचयेत् आयुष्मन् !
 इति वा २ न खलु मे कल्पते एतत्प्रकार संकेतं प्रतिश्रोतुं, अभिकाक्षसि
 मे दातुमिदानोमेव ददस्व ? तमेव वदन्तं परो वदेत्, आयुष्मन् श्रमण !
 अनुगच्छ तावत् ते वयं अन्यतरद् वस्त्रं दास्यामः, स पूर्वमेव आलोचयेत्
 आयुष्मन् इति वा २ न खलु मे कल्पते संकेत वचनं प्रतिश्रोतुं, तं तदेव
 वदन्तं परो नेता वदेत्—आयुष्मन् इति वा भगिनि ! इति वा आहर एतद्
 वस्त्रं श्रमणाय दास्यामः अपि च वयं पश्चादपि आत्मनः स्वार्थं-(आत्मार्थं)
 प्राणानि ४ समारभ्य समुद्दिश्य यावत् चेतयिष्यामः-करिष्यामः, एतत्प्रकार
 निर्घोषं श्रुत्वा निशम्य तथाप्रकार वस्त्रमप्रासुकं यावत् न प्रतिगृह्णीयात् ।
 स्यात् परो नेता वदेत् आयुष्मन् इति वा आहर एतद् वस्त्रं स्नानेन वा ४
 आघर्ष्यं वा प्रघर्ष्यं वा श्रमणाय या दास्यामः, एतत् प्रकारं निर्घोषं श्रुत्वा
 निशम्य स पूर्वमेव आयुष्मन् ! इति वा भगिनि ! इति मा एतत् त्वं वस्त्रं
 स्नानेन वा यावत् प्रघर्षस्व ? अभिकाक्षसि मे दातुं एवमेव ददस्व ? स
 तस्यैव वदतः परः स्नानेन वा प्रघर्ष्यं दद्यात् तथाप्रकार वस्त्रमप्रासुकं न
 प्रतिगृह्णीयात् । स परो नेता वदेत् भगिनि ! आहर एतद् वस्त्रं शीतोदक

त्रिकटेन वा २ उत्क्षाल्य वा प्रक्षाल्य वा श्रमणाय दास्यामः० एतत्प्रकारं
निर्घोष तथैव नवर मा एतत् त्वं वस्त्रं शीतोदक० उष्णोदक० उत्क्षाल्य
वा प्रक्षाल्य वा, अभिकाक्षसि, शेषं तथैव यावत् न प्रतिगृह्णीयात् । स
परो नेता आ० भ० आहर एतद् वस्त्र कन्दानि वा यावत् हरितानि वा
विशोध्य श्रमणाय दास्यामः एतत्प्रकार निर्घोषं, तथैव, नवरं मा एतानि
त्वं कन्दानि वा यावद् विशोध्य ? नो खलु मे कल्पते एतत्प्रकाराणि
वस्त्राणि प्रतिग्रहीतुं, स तस्यैव वदतः परो यावत् विशोध्य दद्यात्,
तथाप्रकार वस्त्रमप्राप्तुकं न प्रतिगृह्णीयात् । स्यात् स परो नेता वस्त्रं
निसृजेत् ? स पूर्वमेव० आ० भ० ! त्वं चैव सान्तिकं वस्त्रं अन्तोपान्तेन
प्रत्युपेक्षिष्ये, केवली ब्रूयात् आदानमेतत् वस्त्रान्तेन बद्धं स्यात्, कुण्डलं
वा गुणं वा हिरण्य वा, सुवर्णं वा मणिं वा यावत् रत्नावली वा, प्राणी
वा वीजं वा हरित वा, अथ भिक्षूणां पूर्वोपदिष्टमेतत् यत् पूर्वमेव वस्त्रं
अन्तोपान्तेन प्रतिलेखयेत् ।

पदार्थ—इच्छेइयाइ—ये पूर्वोक्त तथा वक्ष्यमाण । आयतणाइ—वस्त्रैपणा के स्थान ।
उवाइकम्म—इनको अतिक्रम करके अर्थात् छोडकर । ग्रह—ग्रह । भिक्षु—भिक्षु-साधु ।
चउहि पडिमाहि—चार प्रतिमाप्रो—ग्रभिग्रह विशेषो से । वत्थ—वस्त्र की । एसित्तए—गवेषणा
करनी हो तो वह उन्हें । जाणिज्जा—जाने । तत्थ—उन चार प्रतिमाप्रो मे से । इमा—
यह । पढमा—पट्टी । पडिमा—प्रतिमा है । से निवखू वा २—वह माधु या साध्वी ।
उहेसिय—मन मे निश्चित किये हुए । वत्थ—वस्त्र की । जाइज्जा—याचना करे । तंजहा—
जंमेकि । जगिय वा—जगम जीवो के रोमां से निष्पन्न होने वाले । जाव—यावत् । तूलकड-
चा—अर्कतूल निमित्त वस्त्र । तहएपगार—तथाप्रकार के । वत्थं—वस्त्र की । तथ वापं—
अथ । जाइज्जा—याचना करे या । परो—गृहस्थ देवे नो । फात्तुय—प्रागुरु मीर एपणीग
जानकर । पडि०—उमे ग्रहण करले । पढमा पडिमा—यह पट्टी प्रतिमा ह । ग्रहावर-
वोच्चा पडिमा—अथ दूसरी प्रतिमा के विषय मे कहते है । से नि०—यह माधु या साध्वी ।
पेहाए—देवकर । वत्थ—वस्त्र की । जाइज्जा—याचना करे । गाहावई वा०—गृहस्थ यात्र
कम्मकरी वा—दान दानी आदि गृहस्थो मे । से—वत्त न.पु । पुवामेय—पत्ने हो ।
आलोएज्जा—अन्त को देवे, देवकर एग तरह पहे । आउमोत्तिवा २—प्रागुरुमन् गृहस्थ ।
अथवा नगिनी ! रहिन १३१ नुम । मे—मुझे । इत्तो—उन वस्त्रो मे मे । अन्तपरं—दिनी ।

वत्थ—वस्त्र को । दाहिसि—दोगे ? तहृप्प०—तथाप्रकार के । वत्थ—वस्त्र की । सयं वा०—स्वयं याचना करे या । परो—यदि गृहस्थ विना मागे ही देवे तो । फासुय—प्रासुक तथा । एस०—एषणीय जानकर । ल भे०—मिलने पर । पडि०—ग्रहण करले । दुच्चा पडिमा—यह दूसरी प्रतिमा अभिग्रह विशेष है । अहावरा तच्चा पडिमा—अब तीसरी प्रतिमा को कहते हैं । से भिखू वा०—वह साधु या साध्वी । से जं पुण०—फिर वस्त्र के सम्बन्ध में जाने । त०—जैपेकि । अतरिज्जं वा—गृहस्थ का भीगा हुआ अथवा । उत्तरिज्ज वा—गृहस्थ के पहनने का उत्तरासन । तहृप्पगारं—तथाप्रकार के । वत्थं—वस्त्र की । सय—स्वयं याचना करे या गृहस्थ विना मागे ही स्वयं देवे तो प्रासुक और एषणीय जानकर मिलने पर । पडि०—ग्रहण करले । तच्चा पडिमा—यह तीसरी प्रतिमा है । अहावरा चउत्था पडिमा—अब चौथी प्रतिमा को कहते हैं । से भिखू वा०—वह—सयम शीत साधु या साध्वी । उज्झिभयम्मिय—उत्सृष्ट धर्म वाला अर्थात् जो गृहस्थ ने भोग लिया है । और जो फिर उसके काम में आने वाला नहीं इस प्रकार के । वत्थ—वस्त्र की । जाइज्जा—याचना करे । ज च—और जिसको । अ ने—प्रथ्य । बहुवे—बहुन में । समण०—द्याक्यादि भिक्षु यावत् । वगीमगा—भिखारी लोग । नावकखंति—नहीं चाहते । तहृप्प०—तथाप्रकार के । उज्झिभय०—उज्झित धर्म वाले । वत्थं—वस्त्र को । सय—स्वयं मागे । परो०—गृहस्थ दे तो । फासुय—प्रासुक । जाव—यावत् एषणीय जानकर । पडिमा०—ग्रहण करले । चउत्थपडिमा—यह चौथी प्रतिमा कही है । इच्चेयाण—इन । चउण्ह पडिमाण—चार प्रतिमाओं के विषय में । जहा—जैमे । पिण्डेसणाए—पिण्डेपणा अध्ययन में वर्णन किया गया है उनी प्रकार यहा समझना चाहिए । णं—वाक्यलकार में है । सिया—कदाचित् । एताए—इन पूर्वोक्त । एसणाए—एषणा अर्थात् वस्त्रैषणा से । एसमाणं—वस्त्र की गवेपणा करने वाले साधु के प्रति । परो—कोई अन्य गृहस्थ । वडज्जा—कहे कि । आउसतो समणा—आयुष्मन् श्रमण । तुमं इज्जाहि—तुम इस समय जाओ । किन्तु । मासेण वा—एक मास के बाद अथवा । दसराएणवा—दस दिन के बाद अथवा । पच्चरायेण वा—पाच दिन के बाद अथवा । सुते सुततरे वा—कल या कल के अन्तर से तुमने आना । तो—तव । वय—हम । ते—तेरे को । वत्थ—वस्त्र । दाहामो—देवोंके । एयप्पगार—इस प्रकार के । निग्घोस—शब्द को । सुच्चा—सुनकर । निसम्म—हृदय में धारण कर । से—वह—साधु । पुवामेव—पहले ही । आलोइज्जा—देखे और देखकर इस प्रकार कहे । आउसोत्ति वा—आयुष्मन् गृहस्थ ! अथवा भगिनि ! । नो मे कप्पइ—मुझे नहीं कल्पता । एयप्पगार—इस प्रकार का । सगार—प्रतिज्ञा वचन । पडिसुणित्तए—सुनना अर्थात् मैं आपके इस प्रतिज्ञा वचन को स्वीकार नहीं कर सकता यदि तुम । मे—मुझे । दाउं—देना । अभिकंखसि—चाहते हो तो । इयाणीमेव—इसी समय । दलयाहि—दे दो । से णे व वयंत—उस साधु के इस प्रकार कहने पर भी यदि । परो—गृहस्थ । वडज्जा—कहे कि । आउ० स०—आयुष्मन् श्रमण । अणुगच्छाहि—अब तो तुम जाओ, थोड़े समय के पश्चात् तुमने आजाना । तो—उस समय पर ।

वर्य—हम । ते—तुम्हें । अन्न० - कोई । वत्थ—वस्त्र । दाहामो—देदेंगे । से पुव्वामेव आ-
लोइज्जा—वह साधु पहले ही देखे और देखकर गृहस्थ के प्रति कहे । आउसोत्ति वार—आयुष्मन्
गृहस्थ ! अथवा भगिनी । संगार वयणे—प्रतिज्ञा युक्त वचन । पडिसुणित्तए०—स्वीकार करना ।
नो खलु मे कप्पइ—मुझे नहीं कल्पता । यदि मुझे तुम देना चाहते हो तो इसी समय दे दो ?
सेव वयत्त—इस प्रकार बोलते हुए भिक्षु के प्रति । से परो गेया—वह नेता-गृहस्थ घर के
किसी व्यक्ति को यदि । वइज्जा—कहे कि । आउसोत्ति वा—हे आयुष्मन् ! अथवा ।
अइणित्ति वा—हे बहिन ! एय वत्थं—वह वस्त्र । आहर—लाओ । समणस्स—साधु को ।
दाहामो—देगे । अविद्याइं—यद्यागि । वर्यं—हम । पच्छावि—पीछे गी । अप्पणो सयट्ठाए—
अपने लिए । पाणाइ—प्राणियों का । समारम्भ—समारम्भ करके । समुद्दिस्स—उद्देश्य करके ।
जाव—यावत् । चेइस्सामो—वस्त्र बना लेगे । एयप्पगारं—इस प्रकार के । निग्घोसं—शब्द को ।
सुच्चा—सुन कर । निसम्म—विचार कर । तहप्पगारं—तथाप्रकार के । वत्थ—वस्त्र को ।
अफासुय—अप्रासुक । जाव—यावत् अनेषणीय जानकर । नो पडिगाहिज्जा—ग्रहण न करे ।
ण—वाक्यालंकार मे है । सिधा—कदाचित् । परोनेता—अन्य गृहस्थ-गृहस्वामी यदि । वइज्जा—
घर के किसी स्त्री या पुरुष को इस प्रकार आमन्त्रित करता हुआ कहे । आउसोत्ति वा २—
आयुष्मन् ! अथवा बहव ! एय वत्थं—वह वस्त्र । आहर—ला, इसको । सिणाणेण वा ४—
स्नानादि सुगन्धित द्रव्यों से आघर्षण करके । प०—प्रघर्षण करके । समणस्स—भ्रमण-साधु
को । दाहामो—देगे । ण—वाक्यालंकार मे है । एयप्पगारं—इस प्रकार के निर्घोष-शब्द को ।
सुच्चा—सुनकर । निसम्म—हृदय मे विचार कर । से—वह साधु । पुव्वामेव—पहले ही देख
कर कहे कि । आउ० हे आयुष्मन् ! अथवा । म०—हे भगिनि ! तुम—तुम । एय वत्थं—
इस वस्त्र को । सिणाणेण वा—स्नानादि से । जाव—यावत् । मा पयंसाहि—मत प्रघर्षित
करो ? अमि०—यदि तुम देना चाहते हो तो । एमेव दत्तयाहि—इसी तरह दे दो ? सेवं
वयत्तस्स—उसके इस प्रकार कहने पर । से परो—वह गृहस्थ यदि । सिणाणेण वा—स्नानादि
से । पयंसित्ता—प्रघर्षित करके । दलइज्जा—देवे तो । तहप्प०—तथाप्रकार के । वत्थ—
वस्त्र को । अफासुयं—अप्रासुक जानकर । नो प०—ग्रहण न करे । णं—वाक्यालंकार मे है ।
से परो—वह गृहस्थ । नेता—गृह स्वामी यदि घर के किसी भी व्यक्ति को । वइज्जा—कहे ।
म०—हे भगिनि ! आहर—ला । एय वत्थं—वह वस्त्र उसको । सीओदग विद्यङ्गेण वा—
निर्मल शीतल या उष्ण जल से । उच्छोलेत्ता वा—उत्क्षालन करके । पहोलेत्ता वा—प्रक्षालन
करके । समणस्स—भ्रमण-साधु को । दाहामो—देगे । ण—वाक्यालंकार में । एय०—इस
प्रकार के । निग्घोसं—निर्घोष-शब्द को सुनकर । तहेव—उसी प्रकार कहे जैसे कि पूर्व कह चुके
हैं । नवर—इतना विशेष है तब साधु उस गृहस्थ या स्त्री के प्रति सम्बोधन करता हुआ कहे ।
तुम—तुम । एयं वत्थं—इम वस्त्र को । सीओदग०—शीतोदक से । उत्ति०—उष्णोदक से ।

मा—मत । उच्छोलेहि वा—उत्क्षालन करो तथा । पहोलेहि वा—प्रक्षालन मत करो । अग्नि-
 कखसि—यदि तुम चाहते हो मुझे देना तो इसी प्रकार दे दो । खेस—शेष वर्णन । तहेव—
 उसी प्रकार है जैसे कि पूर्व लिखा जा चुका है । जाव—यावत् धोकर देवे तो । नो पडिगा-
 हिज्जा—उसे अप्रासुक जानकर ग्रहण न करे । से—वह । परो—अन्य गृहस्थ । ने०—घर
 का स्वामी कहे कि । आ० म०—हे आयुष्मन् ! अथवा हे भगिनि ! आहर—लाओ । एय
 वत्थ—यह वस्त्र, इसे । कदाणि वा—कन्द । जाव—यावत् । हरियाणि वा—हरी से ।
 विसोहिता—विशुद्ध करके । समणस्स—श्रमण—साधु को । दाहामो—देंगे । ण—वाक्या-
 लकार में । एयप्पगार—इस प्रकार के । निग्घोस—निर्घोष-शब्द को सुनकर । तहेव—उसी
 प्रकार—अर्थात् शेष वर्णन पूर्ववत् ही है । नवर—इतना विशेष है कि तब साधु गृहस्थ के प्रति
 कहे कि । तुम—तुम । एयाणि कदाणि—इन कन्दादि से । जाव—यावत् हरियाली से
 वस्त्र को । मा विसोहि—विशुद्ध मत करो । खनु—निश्चयार्थ में है । मे—मुझे । नो
 कप्पइ—नहीं कल्पता । एयप्पगारे—इस प्रकार के । वत्थे—वस्त्रो का । पडिगाहित्तए—
 ग्रहण करना । सेव वयत्तस्स—इस प्रकार कहते हुए साधु के । से—वह । परो—गृहस्थ ।
 जाव—यावत् कन्दादि से । विसोहिता—विशुद्ध कर । दलइज्जा—देवे नो । तहृप्प०—तथा
 प्रकार के— । वत्थ—वस्त्र को । अफामुय—अप्रासुक और अनेपणीय जानकर । नो पडिगा-
 हिज्जा—ग्रहण न करे । सिया—कदाचित् । से—वह । परो—अन्य । नेता—गृहस्वामी ।
 वत्थं—वस्त्र को घर से लाकर । निसिरिज्जा—साधु को देवे तो । से—वह साधु । पुब्बा—
 पहले ही देखे और देखकर । आ० म०—आयुष्मन् गृहस्थ ! या हे भगिनि-बहन ! तुम चैव—
 तुम्हारा ही । संत्थिय वत्थं—यह वस्त्र है मैं इसकी । अतोअतेण—अन्तप्रान्त अर्थात् चारो
 कोनी से । पडिलेहिज्जिस्तमि—प्रतिलेखना करूंगा अर्थात् इस चारो ओर से अच्छी तरह से
 देखूंगा ? क्योंकि । केवली बूया—केवली भगवान कहते हैं कि । आ०—विना प्रतिलेखना किए
 वस्त्र का लेना कर्म बन्धन का कारण है । सिया—कदाचित् ; वत्थेण—वस्त्र के अन्त में ।
 वद्धे—कुछ बन्धा हुआ हो यथा । कुडले वा—कुडल । गुणे वा—घागा—डोरा । हिरण्णे—
 हिरण्य-वादी आदि अथवा । सुवण्णे वा—सुवर्ण—सोना अथवा । मणी वा—माणरत्न । जाव—
 यावत् । रथणावली वा—रत्नावली-रत्नों की माला आदि । पाणे वा—कोई प्राणी । बीए वा—
 बीज अथवा । हरिए वा—हरी आदि । अह—अथ । भिक्षूण—भिक्षुओं के लिए । पु०—
 पहले ही तीर्थकरादि ने आदेश दे रखा है । जं—जोकि साधु । पुब्बामेव—पहले ही ।
 वत्थं—वस्त्र को । अतोअतेण—अन्तप्रान्त से-चारो ओर से । पडिलेहिज्जा—प्रतिलेखना करे,
 अर्थात् प्रतिलेखना करके ग्रहण करे ।

मूलार्थ—वस्त्रैपणा के इन पूर्वोक्त तथा वक्ष्यमाण दोषो को छोड़कर

संयमशील साधु अथवा साध्वी इन चार प्रतिमाओं—अभिग्रह विशेषो से वस्त्र की गवेषणा करे, यथा—ऊन प्रादिके वस्त्रों का सकल्प कर उद्देश्य रख कर स्वयं वस्त्र की याचना करे या गृहस्थ ही बिना मांगे वस्त्र देवे, यदि प्रासुक होगा तो लूगा, यह प्रथम प्रतिमा है। दूसरी प्रतिमा—देख कर वस्त्र को याचना करूंगा। तीसरी प्रतिमा—गृहस्थ का पहना हुआ वस्त्र लूगा। चौथी प्रतिमा—उज्ज्वल धर्म वाला वस्त्र लूगा, जिसे अन्य शाक्यादि श्रमण न चाहते हों। इन प्रतिमाओं—अभिग्रहों को धारण करने वाला साधु अन्य साधुओं की निन्दा न करे तथा स्वयं अहंकार भी न करे, किन्तु जो जिनाज्ञा में चलने वाले हैं वे सब पूज्य हैं इस प्रकार की समाधि अर्थात् समभाव से विचरे। वस्त्र की गवेषणा करते हुए साधु को यदि कोई गृहस्थ कहे कि आयुष्मन् श्रमण ! अब तो तुम चले जाओ। किन्तु मासादि के अन्तर से अर्थात् एक मास या दस दिन अथवा पांच दिन आदि के अनन्तर तुमने यहां आना तब साधु उस गृहस्थ के प्रति कहे कि आयुष्मन् गृहस्थ ! मुझे यह प्रतिज्ञापूर्वक वचन सुनना नहीं कल्पता। अतः यदि तुम देना चाहते हो तो अभी दे दो। इस पर यदि गृहस्थ कहे कि आयुष्मन् श्रमण ! अभी तुम जाओ, थोड़े समय के अनन्तर आकर वस्त्र ले जाना। तब भी मुनि यही कहे कि आयुष्मन् गृहस्थ ! मुझे यह सकेत पूर्वक वचन स्वीकार करना नहीं कल्पता। यदि तुम देना चाहते हो तो इसी समय दे दो। तब गृहस्थ ने किसी निजी पुरुष या बहिन आदि को बुलाकर कहा कि यह वस्त्र इस साधु को दे दो। हम पीछे अपने लिए प्राणियों का समारम्भ करके और बना लेंगे। गृहस्थ के इस प्रकार के शब्दों को सुनकर पश्चात्कर्म लगने से उस वस्त्र को अप्रासुक तथा अनेषणीय जान कर साधु ग्रहण न करे। और यदि घर का स्वामी अपने परिवार से कहे कि लाओ इस वस्त्र को जल से धोकर और सुगन्धित द्रव्यों से घर्षित करके इस साधु को देवें, तब साधु उसे ऐसा

करने से मना करे । उसके मना करने-निषेध करने पर भी यदि गृहस्थ उक्त क्रिया करके वस्त्र देना चाहे तो साधु उस वस्त्र का कदापि ग्रहण न करे एवं यदि शीतल अथवा उष्ण जल से धोकर देना चाहे और रोकने पर भी न रुके तो साधु उस वस्त्र को भी स्वीकार न करे । इसी प्रकार यदि वस्त्र में कन्द मूल आदि वनस्पति बान्धी हुई हो या रखी पड़ी हो उसको अलग करके देना चाहे तो भी न ले । और यदि गृहस्थ साधु को वस्त्र दे ही दे तो साधु बिना प्रतिलेखना किए, बिना अच्छी तरह देखे-भाले उस वस्त्र को कदापि ग्रहण न करे, कारण कि केवली भगवान कहते हैं कि विना प्रतिलेखना के वस्त्र का ग्रहण कर्म बन्धन का हेतु होता है, सम्भव है वस्त्र के किनारे में कुण्डल, डोरा, चान्दी, सोना, मणि यावत् रत्नावली आदि बंधे हुए हो अथवा प्राणी बीज और हरी सब्जी आदि बंधी हुई हो । इसलिए तीर्थकरादि ने पहले ही मुनिगो को आज्ञा प्रदान की है कि साधु बिना प्रतिलेखना किए इन वस्त्रों को ग्रहण न करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में वस्त्र ग्रहण करने की चार प्रतिज्ञाओं का वर्णन किया गया है—१ उद्दिष्ट, २ प्रेक्षित, ३ परिभुक्त और ४ उत्सृष्ट धार्मिक । १- अपने मन में पहले संकल्पित वस्त्र की याचना करना उद्दिष्ट प्रतिज्ञा है । २- किसी गृहस्थ के यहां वस्त्र देख कर उस देखे हुए वस्त्र की ही याचना करना प्रेक्षित प्रतिज्ञा है । ३- गृहस्थ के अन्तर परिभोग या उत्तरीय परिभोग या उसके पहने हुए वस्त्र की याचना करना परिभुक्त प्रतिज्ञा है । ४- मैं वही वस्त्र ग्रहण करूंगा कि जो उत्सृष्ट धर्मवाना-फैरने योग्य है । इस तरह के अभिग्रहों को धारण करके वस्त्र की याचना करने की विधि ठीक उसी तरह से बताई गई है, जैसे पिडैबेरा अध्यायन में आहार ग्रहण करने की विधि का उल्लेख किया गया है ।

इसमें दूसरी बात यह बताई गई है कि यदि कोई गृहस्थ वस्त्र की याचना करते समय साधु से यह कहे कि आप मास या १० - १५ दिन के पश्चात् आकर वस्त्र ले जाना, तो साधु उसकी इस बात को स्वीकार न करे । वह स्पष्ट कहे कि यदि आपकी वस्त्र देने की इच्छा हो तो अभी दे दो, अन्यथा कुछ दिन के बाद नहीं आऊंगा । इस निषेध के पीछे दो कारण हैं— एक तो यह है कि यदि उस समय

गृहस्थ के पास वस्त्र नहीं है तो वह साधु के लिए नया वस्त्र खरीद कर ला सकता है या उसके लिए और कोई सावध क्रिया कर सकता है। दूसरी बात यह है कि किसी कारणवश साधु निश्चित समय पर नहीं पहुंच सके तो उसे भाषा समिति में दोष लगेगा।

यदि किसी गृहस्थ की वस्त्र की दुकान हो और उसमें कुछ दिन में वस्त्र आने वाला हो तो साधु कुछ समय के बाद भी वहां जाकर वस्त्र ला सकता है। क्योंकि, उसमें उसके लिए कोई क्रिया नहीं की गई है। परन्तु, इस कार्य के लिए साधु को निश्चित समय के लिए बन्धना नहीं चाहिए। यदि उसे यह ज्ञात हो जाए कि कुछ समय बाद आने वाला वस्त्र निर्दोष है तो वह गृहस्थ से इतना ही कहे कि जैसा अवसर होगा देखा जाएगा। परन्तु, यह न कहे कि मैं अमुक समय पर आकर ले जाऊंगा। वह इतना कह सकता है कि यदि सम्भव हो सका तो मैं अमुक समय पर आने का प्रयत्न करूंगा।

इस तरह साधु को सभी दोषों से रहित निर्दोष वस्त्र को अच्छी तरह देखकर ग्रहण करना चाहिए। ऐसा न हो कि उसके किसी कोने में कोई सचित्त या अचित्त वस्तु बन्धी हो गे उस पर कोई सचित्त वस्तु लगी हो। अतः वस्त्र ग्रहण करने के पूर्व साधु को उसका सम्यक्तया अवलोकन कर लेना चाहिए।

इस विषय पर और विस्तार से विचार करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भि० से जं० सत्र्यंडं० ससंताणं तहप्प० वत्थं अफा०
नो प० ॥ से भि० से जं० अप्पंडं जाव अप्पसंताणं अनलं
अथिरं अधुवं अधारणिज्जं रोइज्जंतं न रुच्चइ तह अफा० नो प० ॥
से भि० से जं० अप्पंडं जाव अप्पसंताणं अलं थिरं धुवं धार--
णिज्जं रोइज्जंतं रुच्चइ तह वत्थं फासु० पडि० ॥ से भि० नो नवए
मे वत्थेत्तिकट्टु नो बहुदेमिएण सिणाणेण वा जाव पघसिज्जा ।
से भि० नो नवए मे वत्थेत्तिकट्टु नो बहुदे० सीओदग
वियडेण वा २ जाव पओइज्जा ॥ से भिक्खू वा २ दुब्भिगंधे मे
वत्थेत्तिकट्टु नो बहु० सिणाणेण तहेव बहुसीओ० उस्सिं०

आलावत्रो ॥१४७॥

छाया—स भिक्षु० स यद् साड० स सन्तानक तथाप्रकारं वस्त्रमग्रासुकं न प्रतिगृह्णीयात् । स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा स यत् अल्पाड यावत् अल्पसन्तानकमनलमस्थिरमध्रुवमधारणीयं रोच्यमानं न रोचते तथाप्रकारमप्रासुकं० न प्रतिगृह्णीयात् । स भिक्षु० स यत् अल्पाड यावत् अल्प सन्तानकमल स्थिरं ध्रुवं धारणीय रोच्यमानं रोचते तथाप्रकारं वस्त्रं प्रासुकं प्रतिगृह्णीयात् । स भिक्षु० नो नवं मे वस्त्रमिति कृत्वा नो बहुदेश्येन स्नानेन वा यावत् प्रघर्षयेत् । स भिक्षु० नो नव मे वस्त्रमतिकृत्वा नो बहुदेश्येन० शीतोदकविकटेन वा यावत् प्रघावेत् (प्रक्षालयेत्) । स भिक्षुर्वा २ दुर्भि गन्धं मे वस्त्रमिति कृत्वा नो बहुदेश्येन० स्नानेन तथैव बहुशीतोदकेन वा उष्णोदक विकटेन वा आलापकः ।

पदार्थ—से मि०—वह साधु या साध्वी । से जं०—वस्त्र के सम्बन्ध में जाने, जैसे कि- । स अड—अण्डो से युक्त । जाव—यावत् । ससनाणग—मकड़ी के जाले आदि से युक्त । तहृप्प०—तथा प्रकार के । वत्थ—वस्त्र को । अफा०—अप्रासुक जान कर । नो पडि०—ग्रहण न करे । से मि०—वह साधु या साध्वी । से जं०—वस्त्र के सम्बन्ध में जाने, यथा । अप्पंड—अण्डो से रहित । जाव—यावत् । अप्पसताणग—मकड़ी के जालो से रहित । अनल—अभीष्ट कार्य करने में असमर्थ । अथिरं—अस्थिर-जीर्ण । अध्रुव—अध्रुव-जो कि थोड़े काल की आज्ञा होने से ध्रुव नहीं हैं । अधारणिज्ज—धारण करने के योग्य । रोइज्जतं—अच्छा सुन्दर वस्त्र देते हुए भी । न रुच्चइ—दाता को नहीं रुचता अर्थात् दाता का मन प्रसन्न न हो अथवा यदि वह वस्त्र साधु को भी रुचता न हो—अनुकूल न हो तो । तहृप्प०—उस वस्त्र को । अफा०—अप्रासुक जानकर । नो पडिगाहिज्जा—ग्रहण न करे ।

से मि०—वह साधु या साध्वी । से जं०—वस्त्र को जाने, यथा- । अप्पंड—अण्डो से रहित । जाव—यावत् । अप्पसताणग—मकड़ी आदि के जालो से रहित । अलं—अभीष्ट कार्य करने में समर्थ । थिर—स्थिर और । ध्रुव—ध्रुव-जिसकी साधु को सदा के लिए आज्ञा दे दी गई हो । धारणिज्ज—धारण करने के योग्य तथा । रोइज्जतं—गृहस्थ की देने की रुचि को देख कर यदि । रुच्चइ—साधु को रुचे तो । तहृप्प०—तथा प्रकार के । वत्थ—वस्त्र को । फासु०—प्रासुक जान कर मिलने पर । पडि०—साधु ग्रहण कर ले । से मि०—वह साधु या साध्वी । तिकट्टु—ऐसा विचार कर कि । मे—मेरे पास । नवए—नवीन । वत्थ—वस्त्र । नो—नहीं है । बहुदेश्येण—थोड़े बहुत । सिणाणेण वा—स्नानादि सुगन्धित द्रव्य से । जाव—

चाहिए, जो अण्डे एव मकड़ी के जालों या अन्य जीव-जन्तुओं से युक्त हो। इसके अतिरिक्त वह वस्त्र भी साधु के लिए अप्राप्त है, जो अण्डों आदि से युक्त तो नहीं है, परन्तु जीर्ण-शीर्ण होने के कारण पहनने के अयोग्य हैं और गृहस्थ भी उसे कुछ दिन के लिए ही देना चाहता है और साधु को भी वह पसन्द नहीं है। अतः जो वस्त्र अण्डों आदि से रहित हो, मजबूत हो, गृहस्थ की देने के लिए पूरी अभिलाषा हो और साधु के मन को भी पसन्द हो तो ऐसा वस्त्र साधु ले सकता है।

इसमें दूसरी बात यह बताई गई है कि यदि कोई वस्त्र मैला हो गया हो या दुर्गन्धमय हो तो साधु को विभूषा के लिए उसे पानी एवं सुगन्धित द्रव्यों से रगड़ कर सुन्दर एवं सुवासित बनाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। वृत्तिकारने इस पाठ को जिनकल्पी मुनि से मन्वद्ध माना है। उनका कहना है कि यदि जिनकल्पी मुनि के वस्त्र मैले होने के कारण दुर्गन्धमय हो गए हों तब भी उन्हें उस वस्त्र को पानी एवं सुगन्धित द्रव्यों से धोकर साफ एवं सुवासित नहीं करना चाहिए*।

‘अधारणज्ज’ पद की व्याख्या करते हुए वृत्तिकार का कहना है कि लक्षण हीन उपधि को धारण करने से ज्ञान, दर्शन, और चरित्र का उपघात होता है। और ‘अनलं अस्थिरं अध्रुव और अधारणीय’ इन चार पदों के १६ भग्न होते हैं, उनमें १५

* अपि च-स भिक्षुर्यद्यपि मलोपचितत्वाद् दुर्गन्धि वस्त्रं स्यात्, तथापि तदपनयनार्थं सुगन्धिद्रव्योदकादिना नो धावनादि कुर्याद् गच्छनिर्गतः, तदन्तर्गतस्तु यतनया प्रासुकोदकादिना लोकोपघातससन्निभयात् मलोपनयनार्थं कुर्यादपीति।

— आचाराङ्ग वृत्ति ।

चत्वारिंशद्विधा भागा, दोष भागा य माणुसा ।

आसुरा य दुवे भागा, मङ्गलं वत्थस्स रक्खसो ॥१॥

देविण्णसुत्तमो लोभो, माणुसेसु अ मङ्गिमो ।

आसुरेसु अ गेल्लन्नु, मरण जाण रक्खसे ॥२॥

त्रै चैयम् । द्विचर्च —

लक्षणहीणो उवही उवहणइ नाणदसण चरित्त ॥ इत्यादि,

भंग अशुद्ध माने गए हैं और अन्तिम भंग शुद्ध माना गया है। कुञ्ज प्रतियों में 'रोङ्जत' के स्थान पर 'देङ्जत' और कुञ्ज प्रतियों में 'वङ्जत' पाठ भी उपलब्ध होता है।

वस्त्र प्रक्षालन करने के बाद उसे धूप में रखने के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

॥ स्थापनायत्रम्

४	अल	स्थिर	ध्रुव	धारणीयं
१	०	०	०	०
२	०	०	०	१
३	०	०	१	०
४	०	०	१	१
५	०	१	०	०
६	०	१	०	१
७	०	१	१	०
८	०	१	१	१
९	१	०	०	०
१०	१	०	०	१
११	१	०	१	०
१२	१	०	१	१
१३	१	१	०	०
१४	१	१	०	१
१५	१	१	१	०
१६	१	१	१	१

मूलम्—से भिक्खू वा० अभिकंञ्जिज्ज वत्थं आयावित्तए वा
 प० तहप्पगारं वत्थं नो अणंतरहियाए जाव पुढवीए संताणए
 आयाविज्ज वा प० ॥ से भि० वत्थं आ० प० त० वत्थं थूणंसि
 वा गिहेलुगंसि वा उसुयालंसि वा कामजलसि वा अन्नयरे
 तहप्पगारे अंतलिक्खजाए दुब्बद्धे दुन्निक्खत्ते अणिकंपे चलाचले
 नो आ० नो प० ॥ से भिक्खू वा० अभि० आयावित्तए वा
 तह० वत्थं कुडियंसि वा भित्तंसि वा सिलंसि वा लेलुंसि वा
 अन्नयरे वा तह० अंतलि० जाव नो आयाविज्ज वा प० ॥ से
 भि० वत्थं आया० प० तह० वत्थं खंधंसि वा मं० मा० पासा०
 ह० अन्नयरे वा तह० अंतलि० नो आयाविज्ज वा० प० । से०
 तमायाए एगंतमवक्कमिज्जा २ अहेउम्मामथंडिल्लंसि वा जाव
 अन्नयरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिल्लंसि पडिलेहिय २ पमज्जिय
 २ तत्रो सं० वत्थं आयाविज्ज वा पया० , एयं० खलु० सया
 जइज्जासि ॥१४८॥ तिबेमि ॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा अभिकाक्षेत वस्त्रमातापयितुं वा परिता-
 पयितुं तथाप्रकारं वस्त्रं नो अनन्तरहितायां यावत् पृथिव्या सतानायाम् आता-
 पयेद् वा परितापयेत् । स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा अभिकाक्षेत वस्त्रमातापयितुं
 वा परितापयितुं वा तथाप्रकारं वस्त्रं स्थूणार्यां वा गिहेलुके वा उदूखले वा
 कामजले वा अन्यतरिस्मन् तथाप्रकारे अन्तरिक्षजाते दुर्बद्धे दुर्निक्षिप्ते अनिकंपे
 चलाचले नो आतापयेत् वा नो परितापयेद् वा । स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा०

अभिकांक्षेत आतापयितुं वा परितापयितुं वा, तथाप्रकारं वस्त्रं कुड्ये वा भित्तौ वा शिलायां वा खेलौ वा अन्यतरस्मिन् वा तथाप्रकारे अन्तरिक्षजाते यावत् नो आतापयेत् वा प्रतापयेद् वा । स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा वस्त्रमातापयितुं वा प्रतापयितुं वा तथाप्रकारं वस्त्रं स्कन्धे वा मञ्चके वा माले वा ग्रामादे वा हर्म्ये वा अन्यतरस्मिन् वा तथाप्रकारे अन्तरिक्षजाते नो आतापयेत् वा परितापयेद् वा । स तदादाय एकान्तमपक्रामेत, अषक्रम्य अधः दग्धस्थंडिले वा यावत् अन्यतरस्मिन् वा तथाप्रकारे स्थंडिले प्रतिलिख्य २ प्रमृज्य २ ततः सयतमेव वस्त्रमातापयेद् वा प्रतापयेद् वा एवं खलु तस्य भिक्षोः भिक्षुचया वा माम्भूय यत् सर्वार्थैः समितः सहितः सदा यत्नेत इति ब्रवीमि । पञ्चमस्य प्रथमोद्देशकः समाप्तः ।

वदार्थ — से भिक्खू ७ — वह साधु या साध्वी । अभिकंक्षिञ्जा — चाहे । वत्थं — वस्त्र को । आयावित्तए वा — आताप या । प० — परिताप देना तो । तहएपगार — तथाप्रकार के । वत्थं — वस्त्र को । अणंतरहियाए — सचित पृथ्वी तथा आर्द्र पृथिवी । जाव — यावत् । पुढवीए — पृथिवी पर । संताणए — जल आदि से युक्त पृथिवी पर । नो आयाविञ्ज वा० प० — आताप और परिताप न दे अर्थात् धूप मे न सुखावे । से भि० — वह साधु या साध्वी । अभि० — चाहे । वत्थं — वस्त्र को । आ० प० — आताप और परिताप दे तो । त० — तथाप्रकार के । वत्थं — वस्त्र को । धूपमि वा — स्तूणा-स्तम्भ, खूटी आदि पर । निहेलुमसि वा — गृह के द्वारो पर । उसुयालंसि वा — या ऊबन्व पर । कामजलंसि वा — स्नान के पीठ पर अर्थात् चौकी पर । अन्नघरे — अन्न । तहएप० — तथा प्रकार के । अतलिक्खजाए — अन्तरिक्ष भूमि से ऊचे स्थान पर जो । दुच्चट्टे — ऊपर भग्ने भानि से बान्धा हुआ नहीं है । बुन्निक्खित्ते — दुष्ट प्रकार से भूमि पर रोपण क्रिया दृष्टा है और जो । अणिकपे — निश्चल स्थान नहीं है । चलाचले — वायु के द्वारा इधर उधर हो रहा है । नो आ० नो प० — आताप या परिताप न दे । से भिक्खू वा० — वह साधु या साध्वी । अभि० — यदि चाहे वस्त्र को । आयावित्तए — आताप दे । तह० — तथा प्रकार के । वत्थं — वस्त्र का । कुडियमि वा — घर की दीवार पर । भित्तंसि वा — नदी के तट पर । मित्तमि वा — निया १ । भेरुमि वा — यिना खंड पर अर्थात् किसी पत्थर पर । अन्नघरे वा — अन्न का अर्थ । तहएप० — तथा प्रकार के । अंतलिक्ख० — अन्तरिक्षस्थान पर । जाव — यावत् । नो आयाविञ्ज वा० प० — आताप और परिताप न दे-सुखाए नहीं । से भि० — वह साधु या साध्वी यदि चाहे । वत्थं — वस्त्र को । आया० प० — आताप या परिताप देना तो ।

तह०—तथाप्रकार के । वत्थ—वस्त्र को । खधसि वा—स्तम्भ पर । म—मजे पर । मा०—माले पर । पासा०—प्रासाद पर । ह०—हर्म्य पर । अन्नयरे वा—अन्य । तह०प०—तथा प्रकार के । अतलिख—अन्तरिक्ष—भूमि से ऊँचे स्थानों पर । नो आयाविज्ज वा० प०—आताप और परिताप न दे । से—वह-भिक्षु । तमायाए—उस वस्त्र को लेकर । एगतमववकमिज्जा—एकान्त में चला जावे वहाँ जाकर । अहे—अथ । उभाम थंडिलसि वा—जो भूमि अग्नि से दग्ध हो बढ़ा या । अन्नयरसि—अन्य । तह०गारसि—उसी प्रकार की । थंडिलसि वा—निर्दोष स्थंडिल भूमि का । पडिलेहिय २—प्रतिलेखन करके । पमज्जिय २—रजोहरणादि से प्रामाजित करके । तथो—तत्पश्चात् । सजयामेव—यतना पूर्वक । वत्थ—वस्त्र को । आयाविज्ज वा पया०—आताप और परिताप दे अर्थात् सुखाए । एय खलु—नेश्चय ही यह । तस्स भिक्खुस्स—उस साधु और साध्वी का । सामग्गियं—सम्पूर्ण आचार है । ज—जो । सव्वट्ठेहि—ज्ञान दर्शन चारित्र्य रूप अर्थों से तथा । समिय—पाँच समितियों से । सहिए—सहित है वह उसके पालन करने में । सया—सदा । जएज्जासि—यत्न करे । तिबेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—संयमशील साधु या साध्वी यदि वस्त्र को धूप में सुखाना चाहे तो वह गीली जमीन पर यावत् अण्डो और जालो से युक्त जमीन पर न सुखावे तथा न वस्त्र को स्तंभ पर, घर के दरवाजे पर, ऊखल और स्नान पीठ (चौकी) पर सुखाए एवं इसी प्रकार के अन्य, भूमि से ऊँचे स्थान पर—जोकि दुर्बद्ध, दुर्निक्षिप्त कपनशील तथा चलाचल हो उन पर और घर की दीवार पर, नदी के तट पर, शिला और शिलाखड पर, स्तम्भ पर, मच पर, माल पर, तथा प्रासाद और हर्म्य-प्रासाद विशेष पर वस्त्र को न सुखावे । यदि सुखाना हो तो एकान्त स्थान में जाकर वहाँ अग्नि-दग्ध स्थंडिल यावत् इसी प्रकार के अन्य निर्दोष स्थान का प्रतिलेखन और प्रमार्जना करके यत्न पूर्वक सुखाए । यही साधु का समग्र-सम्पूर्ण आचार है, इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि जो स्थान गीला हो, वीज, हरियाली एवं अण्डों आदि से युक्त हो तो साधु ऐसे स्थान पर वस्त्र न सुखाए । और वह स्तम्भ पर, घर के दरवाजे पर एवं ऐसे अन्य ऊँचे स्थानों पर भी वस्त्र न सुखाए । क्योंकि हवा

के भोंकों से ऐसे स्थानों पर से वस्त्र के गिरने से या उसके हिलने से वायुकायिक एवं अन्ध्र जीवों की विराधना होने की सम्भावना है। इसलिए साधु को ऐसे ऊँचे स्थानों पर वस्त्र नहीं सुखाना चाहिए जो अच्छी तरह बन्वा हुआ नहीं है, भली-भाँति आरोपित नहीं है, निश्चल नहीं है, चलायमान है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो अन्तरिक्ष का स्थान सम्यक्तया बन्वा हुआ आरोपित, स्थिर एवं अचलायमान हो तो अपवाद मार्ग में वहाँ पर साधु वस्त्र सुखा भी सकता है।

प्रस्तुत सूत्र में मकान आदि स्थानों पर भी वस्त्र सुखाने का निषेध किया है। इसका उद्देश्य आचाराङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के पहले अध्यायन के ७वें उद्देशक में आहार विधि के प्रकरण में दिया गया उद्देश्य ही है। यदि मञ्च एवं मकान आदि की छत पर जाने का मार्ग प्रशस्त है और वहाँ किसी भी जीव की विराधना होने की सम्भावना नहीं है तो साधु मञ्च एवं मकान आदि की छत पर भी वस्त्र सुखा सकता है। वस्तुतः सूत्रकार का उद्देश्य यह है कि साधु को प्रासुक एवं निर्दोष भूमि पर ही वस्त्र सुखाने चाहिए, जिससे किसी भी प्राणी की हिंसा न हो।

‘त्त्रिवेमि’ की व्याख्या पूर्ववत् समझें।

॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

पंचम अध्यायन-वात्रेयणा

द्वितीय उद्देशक

प्रथम उद्देशक में वस्त्र ग्रहण करने की विधि का वर्णन किया गया था, अथ प्रस्तुत उद्देशक में वस्त्र धारण करने की विधि का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम—से भिक्षू वा० अहसणिजाइं वत्थाइं जाइजा
अहापरिग्गहियाइं वत्थाइं धारिज्जा नो धोइज्जा नो रएज्जा नो
घोयरत्ताइं वत्थाइं धारिज्जा, अपलिउंचमाणो गामंतरेसु० ओम-
चैलिए, एयं खलु वत्थधारिस्स सामग्गियं ॥ से भिक्षू वा० गा-
हावइकुलं पविसिउकामे सव्वं चीवरमायाए गाहावइकुलं निक्ख-
मिज्ज वा पविसिज्ज वा, एवं वहिया विहारभूमिं वा वियार-
भूमिं वा गामाणुगामं वा दूइज्जिज्जा, अह पु० तिक्कदेसियं वा
वासं वासमाणं पेहाए जहा पिंडेसणाए नवरं सव्वं चीवर-
मायाए ॥१४६॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा यथैषणीयानि वस्त्राणि याचेत् यथा-
परिगृहीतानि वस्त्राणि धारयेत् । नो धावेत् नो रजयेत्, नो धौतरक्तानि
वस्त्राणि धारयेत् अपरिकुंचमानः ग्रामान्तरेषु अत्रमचेलकः एवं खलु वस्त्र-
धारिणः सप्तग्रयम् ॥ स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा गृहपतिकुलं प्रवेष्टुकामः सर्वं
चीवरमादाय गृहपतिकुल निष्कामेत् वा प्रविशेत् वा एवं वहिः विहार भूमिं वा

विचारभूमिं वा ग्रामानुग्रामं वा दूयेत्-गच्छेत् । अथ पुनः एव जानी-
यात् । तीव्रदेशिकां वा वर्षा वर्षेन्तं प्रेक्ष्य, यथा पिडैपणायाम् । नवरं सर्वं
चीवरमादाय ।

पदार्थ—से निषखू वा०—वह साधु या साध्वी । अहेसणिज्जाई—अथ एपणीय-
अर्थात् भगवदाज्ञानुसार । वत्थाई—जो वस्त्र है उनकी । जाइज्जा—याचना करे फिर ।
अहापरिगहियाई—यथा परिगृहीत । वत्थाई—वस्त्रो को । धारेज्जा—धारण करे तथा उन
वस्त्रो को विभूषा के लिए । नो धोइज्जा—न तो धोए और । नो रएज्जा—न रंगे, इतना
ही नहीं किन्तु । नो धोय रत्ताइ वत्थाई—धोए और रंगे हुए वस्त्रो को । नो धारिज्जा—
धारण भी न करे । गामंतरेसु०—ग्रामादि मे । अपलिउचमाणे—वस्त्रो को न गोपता हुआ
विचरे तथा । ओनचेलिए—असार वस्त्र अथवा थोडा वस्त्र धारण कर सुख पूर्वक विचरे ।
एयं—यह । खलु—निश्चय ही । वत्थधारिस्स—वस्त्रधारी मुनि का । सामगियं—सम्पूर्ण
आचार है ।

से भि०—वह साधु अथवा साध्वी । गाहावइकुलं—गृहपति कुल में आहारादि के
लिए । पविसिउ कामे—प्रवेश करने की इच्छा वाला । सर्व्वं—सर्व । चीवरमायाए—
वस्त्र लेकर । गाहावई कुलं—गृहपति कुल में । निखलमिज्ज वा पविसिज्ज वा—निष्क्रमण
और प्रवेश करे अर्थात् उपाश्रय से निकले और गृहस्थ के घर मे प्रवेश करे । एवं—इसी
प्रकार । वहिया—वस्ती आदि से बाहर । विहारभूमि वा—विहार-स्वाध्याय करने की भूमि मे
अथवा । वियार भूमि वा—मल आदि का त्याग करने की भूमि मे अथवा । गामाणुगामं—
ग्रामानुग्राम विहार करते समय वस्त्र लेकर ही । दूइज्जिज्जा—प्रयाण करे । अह पुण—अथ-
इस प्रकार जाने । तिक्क देसिय वा—थोड़ी या बहुत । वानं वासमाण—वर्षा वरसती हुई को ।
पेहाए—देख कर । जहा—जैसे । पिडेसणाए—पिण्डैपणा अध्ययन मे आहार विषयक वर्णन
किया है उसी प्रकार यहा पर भी जान लेना चाहिए किन्तु । नवरं—इतना विशेष है कि । सर्व्वं
चीवरमायाए—सर्व वस्त्रो को ग्रहण करके जावे ।

मूलार्थ—संयमशील साधु या साध्वो भगवान द्वारा दी गई आज्ञा के
अनुरूप एपणीय और निर्दोष वस्त्र की याचना करे और मिलने पर उन्हें
धारण करे । परन्तु, विभूषा के लिए वे उन्हें न धोए और न रंगे तथा
धोए हुए और रंगे हुए वस्त्रों को पहने भी नहीं । किन्तु, अल्प और
असार [साधारण] वस्त्रो को धारण करके ग्राम आदि में सुख पूर्वक विचरण
करे । वस्त्रधारी मुनि का वस्त्र धारण करने सम्बन्धी यह सम्पूर्ण आचार

गृहस्थ के घर में जाते हुए या स्वाध्याय भूमि में तथा जंगल के लिए जाते समय अपने सभी वस्त्र साथ लेकर जाए। इससे यह स्पष्ट होता है कि साधु के पास आवश्यकता के अनुसार बहुत ही थोड़े वस्त्र होते थे। और आगम में भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि साधु को स्वल्प एव साधारण (असार) वस्त्र रखने चाहिए।

इस पाठ से यह भी ध्वनित होता है कि उम युग में शहर या गांव से बाहर एकान्त में स्वाध्याय करने की प्रणाली थी। क्योंकि एकान्त स्थान में ही चित्त की एकाग्रता बनी रहती है। यह भी बताया गया है कि साधु को शौच के लिए भी गांव या शहर से बाहर जाने का प्रयत्न करना चाहिए। बिना किसी विशेष कारण के उपाश्रय में शौच नहीं जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में कुछ और विशेष बातें बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से एगइथो मुहुत्तगं २ पडिहारियं वत्थं जाइज्जा,
 जाव एगाहेण वा दु० ति० चउ० पंचाहेण वा विप्पवसिय २
 उवागच्छिज्जा, नो तह वत्थं अप्पणो गिगिहज्जा नो अन्न-
 मन्नस्स दिज्जा, नो पामिच्चं कुज्जा नो वत्थेण वत्थपरिणामं
 करिज्जा, नो परं उवसंक्रमित्ता एवं वइज्जा—आउ० समणा !
 अभिकंखसि वत्थं धारित्तए वा परिहरित्तए वा ? थिरं वा संतं
 नो पत्तिच्छिदिय २ परट्ठविज्जा, तहप्पगारं वत्थं ससंधियं
 वत्थं तस्स चैव निसिरिज्जा नो णं साइज्जिज्जा ॥ से एगइथो
 एयप्पगारं निग्घोसं सुच्चा नि० जे भयतारो तहप्पगाराणि
 वत्थाणि ससंधियाणि मुहुत्तगं २ जाव एगाहेण वा० पू विप्प-
 वसिय २ उवागच्छंति, तह० वत्थाणि नो अप्पणा गिरहंति नो
 अन्नमन्नस्स दत्तयंति तं चैव जाव नो साइज्जंति, बहुवयणंण

है अर्थात् यही उसका भिक्षुभाव है ।

आहारादि के लिए जाने वाले समयनिष्ठ साधु-साध्वी गृहस्थ के घर मे जाते समय अपने भी वस्त्र साथ मे लेकर उसपाश्र्वय से निकलें और गृहस्थ के घर मे प्रवेश करें । इसी प्रकार वस्ती से वाहर, स्वाध्याय भूमि एव जगल आदि जाते समय तथा ग्रामानुग्राम विहार करते समय भी वे सभी वस्त्र लेकर विचरें । इसी प्रकार थोडी या अधिक वर्षा वरसती हुई को देखकर साधु वैसा ही आचरण करे जैसा पिंडैपणा अध्ययन मे वर्णन किया गया है । केवल इतनी ही विशेषता है कि वह अपने सभी वस्त्र साथ लेकर जाए ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि आगम में वर्जित विधि के अनुसार साधु को निर्दोष एवं एषणीय वस्त्र जिस रूप में प्राप्त हुआ हो वह उसे उसी रूप में धारण करे । विभूषा की दृष्टि से साधु न तो उस वस्त्र को स्वयं धोए और न रंगे और यदि कोई गृहस्थ उसे धोकर या रंगकर दे तब भी वह उसे स्वीकार न करे । इससे यह स्पष्ट होता है कि साधु को विभूषा के लिए वस्त्र को धोना या रगता नही चाहिए । क्योंकि, वह वस्त्र का उपयोग केवल लज्जा ढकने एव शोतादि से बचने के लिए करता है, न कि शारीरिक विभूषा के लिए । परन्तु, यदि वस्त्र पर गन्दगी लगी है या उसे देखकर किसी के मन में घृणा उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति मे वह उसे विवेक पूर्वक साफ करता है तो उसके लिए शास्त्र की निषेध नहीं है । क्योंकि, अशुचियुक्त वस्त्र के कारण वह स्वाध्याय भी नहीं कर सकेगा । अतः उसका निवारण करना आवश्यक है । विभूषा के लिए वस्त्र धोने का निषेध करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि साधु स्वाध्याय एवं ध्यान के समय को केवल अपने शरीर को सजावट के लिए वस्त्र धोने में समाप्त न करे । क्योंकि, साधु की साधना शरीर एव वस्त्रों को सुन्दर बनाने के लिए नहीं, प्रयुक्त आत्मा को स्वच्छ एवं पूर्ण स्वतंत्र बनाने के लिए है । अतः उसे अपना पूरा समय आत्म साधना मे ही लगाना चाहिए ।

इस सूत्र मे साधु को यह आदेश भी दिया गया है कि वह आहार के लिए

गृहस्थ के घर में जाते हुए या स्वाध्याय भूमि में तथा जंगल के लिए जाते समय अपने सभी वस्त्र साथ लेकर जाए। इससे यह स्पष्ट होता है कि साधु के पास आवश्यकता के अनुसार बहुत ही थोड़े वस्त्र होते थे। और आगम में भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि साधु को स्वल्प एव साधारण (असार) वस्त्र रखने चाहिए।

इस पाठ से यह भी ध्वनित होता है कि उस युग में शहर या गांव से बाहर एकान्त में स्वाध्याय करने की प्रणाली थी। क्योंकि एकान्त स्थान में ही चित्त की एकाग्रता बनी रहती है। यह भी बताया गया है कि साधु को शौच के लिए भी गांव या शहर से बाहर जाने का प्रयत्न करना चाहिए। बिना किसी विशेष कारण के उपाश्रय में शौच नहीं जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में कुछ और विशेष बातें बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से एगइत्रो मुहुत्तगं २ पडिहारियं वत्थं जाइज्जा,
जाव एगाहेण वा दु० ति० चउ० पंचाहेण वा विप्पवसिय २
उवागच्छिज्जा, नो तह वत्थं अप्पणो गिगिहज्जा! नो अन्न-
मन्नस्स दिज्जा, नो पामिच्चं कुज्जा नो वत्थेण वत्थपरिणामं
करिज्जा, नो परं उवसंकमित्ता एवं वइज्जा—आउ० समणा !
अभिकंखसि वत्थं धारित्तए वा परिहरित्तए वो ? थिरं वा संतं
नो पलिच्छिदिय २ परट्ठविज्जा, तहप्पगारं वत्थं ससंधियं
वत्थं तस्स चेव निसिरिज्जा नो णं साइज्जिज्जा ॥ से एगइत्रो
एयप्पगारं निग्घोसं सुच्चां नि० जे भयतारो तहप्पगाराणि
वत्थाणि ससंधियाणि मुहुत्तगं २ जाव एगाहेण वा० ५ विप्प-
वसिय २ उवागच्छंति, तह० वत्थाणि नो अप्पणा गिरहंति नो
अन्नमन्नस्स दलयंति तं चेव जाव नो साइज्जंति, बहुवयणेण

है अर्थात् यही उसका भिक्षुभाव है ।

आहारादि के लिए जाने वाले सयमनिष्ठ साधु—साध्वी गृहस्थ के घर में जाते समय अपने भी वस्त्र साथ में लेकर उसपाश्र्व से निकलें और गृहस्थ के घर में प्रवेश करें । इसी प्रकार वस्ती से बाहर, स्वाध्याय भूमि एवं जंगल आदि जाते समय तथा ग्रामानुग्राम विहार करते समय भी वे सभी वस्त्र लेकर विचरें । इसी प्रकार थोड़ी या अधिक वर्षा वरसती हुई को देखकर साधु वैसा ही आचरण करे जैसा पिंडैपणा अध्ययन में वर्णन किया गया है । केवल इतनी ही विशेषता है कि वह अपने सभी वस्त्र साथ लेकर जाए ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि आगम में वर्जित विधि के अनुसार साधु को निर्दोष एवं एषणीय वस्त्र जिस रूप में प्राप्त हुआ हो वह उसे उसी रूप में धारण करे । विभूषा^१ की दृष्टि से साधु न तो उस वस्त्र को स्वयं धोए और न रगे और यदि कोई गृहस्थ उसे धोकर या रगकर दे तब भी वह उसे स्वीकार न करे । इससे यह स्पष्ट होता है कि साधु को विभूषा के लिए वस्त्र को धोना या रगना नहीं चाहिए । क्योंकि, वह वस्त्र का उपयोग केवल लज्जा ढकने एवं शीतादि से बचने के लिए करता है, न कि शारीरिक विभूषा के लिए । परन्तु, यदि वस्त्र पर गन्दगी लगी है या उसे देखकर किसी के मन में घृणा उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में वह उसे विवेक पूर्वक साफ करता है तो उसके लिए शास्त्रकार का निषेध नहीं है । क्योंकि, अशुचियुक्त वस्त्र के कारण वह स्वाध्याय भी नहीं कर सकेगा । अतः उसका निवारण करना आवश्यक है । विभूषा के लिए वस्त्र धोने का निषेध करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि साधु स्वाध्याय एवं ध्यान के समय को केवल अपने शरीर की सजावट के लिए वस्त्र धोने में समाप्त न करे । क्योंकि, साधु की साधना शरीर एवं वस्त्रों को सुन्दर बनाने के लिए नहीं, प्रत्युत आत्मा को स्वच्छ एवं पूर्ण स्वतंत्र बनाने के लिए है । अतः उसे अपना पूरा समय आत्म साधना में ही लगाना चाहिए ।

इस सूत्र में साधु को यह आदेश भी दिया गया है कि वह आहार के लिए

गृहस्थ के घर में जाते हुए या स्वाध्याय भूमि में तथा जंगल के लिए जाते समय अपने सभी वस्त्र साथ लेकर जाए। इससे यह स्पष्ट होता है कि साधु के पास आवश्यकता के अनुसार बहुत ही थोड़े वस्त्र होते थे। और आगम में भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि साधु को स्वल्प एव साधारण (असार) वस्त्र रखने चाहिए।

इस पाठ से यह भी ध्वनित होता है कि उस युग में शहर या गांव से बाहर एकान्त में स्वाध्याय करने की प्रणाली थी। क्योंकि एकान्त स्थान में ही चित्त की एकाग्रता बनी रहती है। यह भी बताया गया है कि साधु को शौच के लिए भी गांव या शहर से बाहर जाने का प्रयत्न करना चाहिए। बिना किसी विशेष कारण के उपाश्रय में शौच नहीं जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में कुछ और विशेष बातें बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से एगइत्रो मुहुत्तगं २ पडिहारियं वत्थं जाइज्जा,
 जाव एगाहेण वा दु० ति० चउ० पंचाहेण वा विप्पवसिय २
 उवागच्छिज्जा, नो तह वत्थं अप्पणो गिरिहज्जा नो अन्न-
 मन्नस्स दिज्जा, नो पामिच्चं कुज्जा नो वत्थेण वत्थपरिणामं
 करिज्जा, नो परं उवसंकमित्ता एवं वइज्जा—आउ० समणा !
 अभिकंखसि वत्थं धारित्तए वा परिहरित्तए वो ? थिरं वा संतं
 नो पलिच्छिदिय २ परट्ठविज्जा, तहप्पगारं वत्थं ससंधियं
 वत्थं तस्स चैव निसिरिज्जा नो णं साइज्जिज्जा ॥ से एगइत्रो
 एयप्पगारं निग्घोसं सुच्चा नि० जे भयतारो तहप्पगाराणि
 वत्थाणि ससंधियाणि मुहुत्तगं २ जाव एगाहेण वा० ५ विप्प-
 वसिय २ उवागच्छंति, तह० वत्थाणि नो अप्पणा गिरहंति नो
 अन्नमन्नस्स दलयंति तं चैव जाव नो साइज्जंति, बहुवयणेण

है अर्थात् यही उसका भिक्षुभाव है ।

आहारादि के लिए जाने वाले सयमनिष्ठ साधु—साध्वी गृहस्थ के घर मे जाते समय अपने भी वस्त्र साथ मे लेकर उसपाश्र्व से निकलें और गृहस्थ के घर मे प्रवेश करें । इसी प्रकार वस्ती से वाहर, स्वाध्याय भूमि एव जगल आदि जाते समय तथा ग्रामानुग्राम विहार करते समय भी वे सभी वस्त्र लेकर विचरें । इसी प्रकार थोड़ी या अधिक वर्षा वरसती हुई को देखकर साधु वैसा ही आचरण करे जैसा पिडैपणा अध्ययन मे वर्णन किया गया है । केवल इतनी ही विशेषता है कि वह अपने सभी वस्त्र साथ लेकर जाए ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि आगम में वर्जित विधि के अनुसार साधु को निर्दोष एवं एषणीय वस्त्र जिस रूप मे प्राप्त हुआ हो वह उसे उसी रूप में धारण करे । विभूषा^१ की दृष्टि से साधु न तो उस वस्त्र को स्वयं धोए और न रगे और यदि कोई गृहस्थ उसे धोकर या रंगकर दे तब भी वह उसे स्वीकार न करे । इससे यह स्पष्ट होता है कि साधु को विभूषा के लिए वस्त्र को धोना या रगना नहीं चाहिए । क्योंकि, वह वस्त्र का उपयोग केवल लज्जा ढकने एव शीतादि से बचने के लिए करता है, न कि शारीरिक विभूषा के लिए । परन्तु, यदि वस्त्र पर गन्दगी लगी है या उसे देखकर किसी के मन में घृणा उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति मे वह उसे विवेक पूर्वक साफ करता है तो उसके लिए शास्त्र-द्वारा का निषेध नहीं है क्योंकि, अशुचियुक्त वस्त्र के कारण वह स्वाध्याय भी नहीं कर सकेगा । अतः उसका निवारण करना आवश्यक है । विभूषा के लिए वस्त्र धोने का निषेध करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि साधु स्वाध्याय एवं ध्यान के समय को केवल अपने शरीर की सजावट के लिए वस्त्र धोने में समाप्त न करे । क्योंकि, साधु की साधना शरीर एव वस्त्रो को सुन्दर बनाने के लिए नहीं, प्रत्युत आत्मा को स्वच्छ एवं पूर्ण स्वतंत्र बनाने के लिए है । अतः उसे अपना पूरा समय आत्म साधना मे ही लगाना चाहिए ।

इस सूत्र मे साधु को यह आदेश भी दिया गया है कि वह आहार के लिए

गृहस्थ के घर में जाते हुए या स्वाध्याय भूमि में तथा जंगल के लिए जाते समय अपने सभी वस्त्र साथ लेकर जाए। इससे यह स्पष्ट होता है कि साधु के पास आवश्यकता के अनुसार बहुत ही थोड़े वस्त्र होते थे। और आगम में भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि साधु को स्वल्प एव साधारण (असार) वस्त्र रखने चाहिए।

इस पाठ से यह भी ध्वनित होता है कि उम युग में शहर या गांव से बाहर एकान्त में स्वाध्याय करने की प्रणाली थी। क्योंकि एकान्त स्थान में ही चित्त की एकप्रता बनी रहती है। यह भी बताया गया है कि साधु को शौच के लिए भी गांव या शहर से बाहर जाने का प्रयत्न करना चाहिए। बिना किसी विशेष कारण के उपाश्रय में शौच नहीं जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में कुछ और विशेष बातें बनाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से एगइत्रो मुहुत्तगं २ पडिहारियं वत्थं जाइज्जा,
 जाव एगाहेण वा दु० ति० चउ० पंचाहेण वा विप्पवमिय २
 उवागच्छिज्जा, नो तह वत्थं अप्पणो गिरिहज्जा नो अन्न-
 मन्नस्स दिज्जा, नो पामिच्चं कुज्जा नो वत्थेण वत्थपरिणामं
 करिज्जा, नो परं उवमंक्कमित्ता एवं वइज्जा—आउ० समणा !
 अभिकंखसि वत्थं धारित्तए वा परिहरित्तए वा ? थिरं वा संतं
 नो पलिच्छिदिय २ परट्ठविज्जा, तहप्पगारं वत्थं ससंधियं
 वत्थं तस्म चैव निसिरिज्जा नो णं साइज्जिज्जा ॥ से एगइत्रो
 एयप्पगारं निग्घोसं सुच्चा नि० जे भयतारो तहप्पगाराणि
 वत्थाणि समंधियाणि मुहुत्तगं २ जाव एगाहेण वा० पू विप्प-
 वसिय २ उवागच्छंति, तह० वत्थाणि नो अप्पणा गिरहंति नो
 अन्नमन्नस्स दत्तयंति तं चैव जाव नो साइज्जंति, बहुवयणेण

भाणियव्वं से हंता अहमवि मुहुत्तगं पाडिहारिय वत्थ जाइत्ता जाव
एग्गाहेण वा ५ विप्पवसिय २ उवागच्छिस्सामि, अविियाइं एय
ममेव सिया, माइट्ठाणं सफासे नो एवं करिज्जा ॥१५०॥

छाया—म एककः मुहूर्तकं प्रातिहारिकं वस्त्रं याचेत् याचित्वा यावत्
एकाहेन वा द्व्यहेन वा त्र्यहेन वा चतुरहेन वा पंचाहेन उपित्वा २ उपागच्छेत्
नो तथा वस्त्रं आत्मना गृह्णीयात् नो अन्यस्मै दद्यात् नो प्रामृज्यं कुर्यात् नो
वस्त्रेण वस्त्रपरिणामं कुर्यात्, नो पग्गुपसक्रम्य एवं वदेत्-आयुष्मन् ! श्रमण !
अभिकांचसि वस्त्रं धारयितुं वा परिहृतुं वा स्थिरं वा सत् परिच्छिन्द्य २
परिष्ठापयेत् तथाप्रकारं वस्त्रं ससन्धितं वस्त्रं तस्मै चैव निसृजेत् नो स्वा-
दयेत् । स एककः एतत्प्रकारं निर्घोषं श्रुत्वा निशम्य ये वयत्रातारः तथा-
प्रकाराणि वस्त्राणि समन्धितानि, मुहूर्तकं २ यावत् एकाहेन वा० ५ उपित्वा २
उपागच्छन्ति तथाप्रकाणि वस्त्राणि नो आत्मना गृह्णति, नो अन्योऽन्यस्मै-
ददति तच्चैव नो स्वादयन्ति बहुवचनेन भाणितव्यं । स हंत अहमपि मुहूर्तकं
प्रातिहारिकं वस्त्रं याचित्वा यावत् एकाहेन वा० ५ उपित्वा २ उपाग-
मिष्यामि । अपि च एतन् ममैव स्यात्, मातृस्थानं संस्पृशेत् नो एव कुर्यात् ।

पदार्थ—एगइओ—कोई । से—भिक्षु । मुहुत्तग २—मुहूर्त मात्र काल का उद्देश
कर । पाडिहारियं—प्रतिहारक—जो लेकर फिर पीछे उसी को दिया जाए, उसे प्रातिहारक
कहते हैं । वत्थ—वस्त्र की । जाइज्जा—याचना करे । जाव—यावत् वस्त्र की याचना करके
वह अकेला ही ग्रामादि में चला जाए और वहाँ पर । एगाहेण वा—एक दिन । दु०—दो दिन ।
ति०—तीन दिन । चउ०—चार दिन अथवा । पचाहेण वा—पाच दिन । विप्पवसिय २—
ठहर कर फिर । उवागच्छिज्जा—वहाँ पर ही आ जाए । तहूपगार—तथा प्रकार का । वत्थ—
वस्त्र, यदि पढ़ने से फट गया हो, उपहत हो गया हो तो । अप्पणो—उस वस्त्र का स्वामी-
जिसने वस्त्र दिया था वह, उपहत हुआ जानकर स्वयं । नो गिण्हिज्जा—ग्रहण न करे । नो
अन्तमन्त्स दिज्जा—न परस्पर में किसी को दे । नो पमिच्च कुज्जा—न किसी को उधार
तथा । वत्थेण—वस्त्र से । वत्थपरिणामं नो करिज्जा—वस्त्र का परिणामन अर्थात् बदला-

अदला-बदली करे तथा न अन्य किसी के पास जाकर यह कहे कि आयुष्मन् श्रमण ! तुम इस वस्त्र को ले लो, एव वस्त्र के दृढ होने पर उसे छिन्न-भिन्न करके परठे भो नही, किन्तु उपहत वस्त्र उसो को दे दे ।

कोई साधु इस प्रकार के समाचार को सुन कर-अर्थात् अमुक साधु अमुक साधु से कुछ समय के लिए वस्त्र मांग कर ले गया था और वह वस्त्र उपहत हो जाने पर उसने नही लिया अपितु उसी को दे दिया ऐसा सुनकर वह यह विचार करे कि यदि मै भी मुहूर्त आदि का उद्देश्य रख कर प्रातिहारिक वस्त्र की याचना कर यावत् पाच दिन पर्यन्त किसी अन्य ग्रामादि मे निवास कर फिर वहा पर आ जाऊंगा ता वह वस्त्र उपहत हो जाने से मेरा ही हो जाएगा, इस प्रकार के विचार के अनुसार यदि साधु प्रातिहारिक वस्त्र का ग्रहण करे तो उसे मातृस्थान का स्पर्श होता है अर्थात् माया के स्थान का दोष लगता है । इसलिए साधु ऐसा न करे बहुत से साधुओं के सम्बन्ध मे भी इसी तरह समझना चाहिए ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि किसी साधु ने अपने अन्य किसी साधु से कुछ समय का निश्चय करके वस्त्र लिया हो और उतने समय तक वह ग्रामादि मे विचरण करके वापिस लौट आया हो और उसका वह वस्त्र कहीं से फट गया हो या मैला हो गया हो, जिसके कारण वह स्वीकार न कर रहा हो तो उस मुनि को वह वस्त्र अपने पास रख लेना चाहिए । और जिस मुनि ने वस्त्र दिया था उसे चाहिए कि वह या तो उम उपहत (फटे हुए या मैले हुए) वस्त्र को ग्रहण कर ले । यदि वह उसे नही लेना चाहे तो फिर वह उसे अपने दूसरे साधुओं मे न बाँटे और मजबूत वस्त्र को फाड़ कर परठे (फैके) भी नही और उसके बदले में उससे वैसे ही नए वस्त्र को प्राप्त करने को अभिलाषा भी नही रखे । और उस लेने वाले मुनि को भी चाहिए कि यदि वह दाता मुनि उसे वापिस न ले तो वह किसी एकलविहारी मुनि को यदि उस वस्त्र की आवश्यकता हो तो उसे दे दे । अन्यथा स्वयं उसका उपभोग करे । यह नियम जैसे एक साधु के लिए है उसी तरह अनेक साधुओं के लिए भी यही विधि समझनी चाहिए ।

किसी साधु से ऐसा जानकर कि प्रातिहारिक रूप लिया हुआ वस्त्र थोड़ा सा

फट जाने पर देने वाला मुनि वापिस नहीं लेता है, इस तरह वह वस्त्र लेने वाले मुनि का ही हो जाता है। इस भावना को मन में रख कर कोई भी साधु प्रातिहारिक वस्त्र ग्रहण न करे। यदि कोई साधु इस भावना से वस्त्र ग्रहण करता है, तो उसे माया का दोष लगता है।

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भि० नो वराणमंताइं वत्थाइं विवराणाइं करिज्जा,
 विवराणाइं न वराणमंताइं करिज्जा, अन्नं वा वत्थं लभिस्सामित्ति-
 कट्टु नो अन्नमन्नस्स दिज्जा, नो पामिच्चं कुज्जा, नो वत्थेण
 वत्थपरिणामं कुज्जा, नो परं उवसंकमित्तु एवं वदेज्जा-आउसो० !
 समभिकंखसि मे वत्थं धारित्तए वा परिहरित्तए वा ! थिरं वा
 संत नो पल्लिच्छिदिय २ परिट्ठविजा, जहा मेयं वत्थं पावगं
 परो मन्नइ, परं च णं अदत्तहारी पडिपहे पेहाए तस्स वत्थस्स
 नियाणाय नो तेसिं भीओ उम्मग्गेणं गच्छिज्जा, जाव अप्पुस्सुए,
 तओ संजयामेव गामाणुगामं दूइज्जिज्जा ॥ से भिक्खू वा०
 गामाणुगामं दूइज्जमाणे अंतरा से विहं सिया, से जं पुण विहं
 जाणिज्जा, इमंसि खलु विहंसि वहवे आमोसगा वत्थपडियाए
 संपिंडिया गच्छेज्जा, णो तेसिं भीओ उम्मग्गेणं गच्छेज्जा जाव
 गामा० दूइज्जिज्जा ॥ से भि० दूइज्जमाणे अंतरा से आमोसगा
 पडियागच्छेज्जा, ते णं आमोसगा एवं वदेज्जा—आउसं० !
 आहरेयं वत्थं देहि णिक्खिवाहि जहा रियाए णाणत्तं वत्थ-

पडियाए, एय खलु० जइज्जासि, तिबेमि ॥१५१॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा नो वर्णवन्ति वस्त्राणि विवर्णानि कुर्यात् विवर्णानि न वर्णवन्ति कुर्यात् अन्यद् वा वस्त्रं लप्स्ये इति कृत्वा नो अन्योन्यस्मै दद्यात्, नो ग्रामित्य कुर्यात् नो वस्त्रेण वस्त्रपरिणाम कुर्यात् नो परम् उपसंक्रम्य एव वदेत्-- आयुष्मन् श्रमण ! समभिकाक्षमि मे वस्त्रं धारयितुं वा परिहर्तुं वा स्थिर वा सत् नो परिच्छिन्द्य २ परिष्ठापयेत्, यथा ममेद वस्त्रं पापक परोमन्यते पर च अदत्ताहारि प्रतिपथे प्रेक्ष्य तस्य वस्त्रस्य निदानाय नो तेभ्यो भीतः उन्मार्गेण गच्छेत् यावत् अल्पोन्सुकः इततः सयतमेव ग्रामानुग्राम दूयेत ।

स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा ग्रामानुग्रामं दूयमानः-गच्छन् अन्तरा-अन्तराले विह- (अरण्य) स्यात् स यत् पुनः विहं जानीयात्, अस्मिन् खलु विहे वहवः आमोषकाः वस्त्रप्रतिज्ञया संपिंडिताः गच्छेयुः नो तेभ्यो भीतः उन्मार्गेण गच्छेत् यावत् ग्रामानुग्राम दूयेत ॥ स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा दूयमानः अन्तरा तस्य आमोषकाः प्रतिज्ञया आगच्छेयुः । ते आमोषकाः एव वदेयुः— आयुष्मन् श्रमण ! आहर ? इद वस्त्रं ? देहि ? निक्षिप ? यथा ईर्यायां नानात्वं वस्त्रप्रतिज्ञया, एव खलु तस्य भिक्षोः २ सामग्र्य यत् सर्वाथः समित्या सहितः सदायतेत, इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—से भि०—वह साधु या साध्वी । वणमताई—वर्ण वाले । बत्थाई—वस्त्रो को । विवण्णाइ—विवर्ण । नो करिज्जा—न करे । विवण्णाई—वर्ण रहित-सुन्दरता रहित वस्त्रो को । वणमताई—वर्ण युक्त । न करिज्जा—न करे । वा—या । अन्न—अन्य । बत्थं—वस्त्र । लभिससामि—प्राप्त करूंगा । तिकट्टु—ऐसा विचार करके । अन्नमन्नस्स—परस्पर किसी एक साधु को वस्त्र । नो दिज्जा—न दे । पामिच्चं—वस्त्र को उधार न दे । बत्थेण—वस्त्र से । बत्थपरिणाम—वस्त्र का बदला-बदला । नो कुज्जा—न करे । परं उवसकमित्तु—पर-अन्य साधु के पास जाकर । एवं—इस प्रकार । नो वदिज्जा—न कहे ।
!- क्या तू । मे—मेरा । बत्थ—वस्त्र । धारएत्ति वा—

धारण करना अथवा । परिहरित्तए वा—पहरना ; समभिकखसि—चाहता है । थिर वा सतं—
 वृद्ध वस्त्र होने पर । पलिच्छिदिय २—खण्ड-खण्ड करके । नो परिट्टविज्जा—परठे नहीं ।
 जहा—जैसे । मेय—मेरे इस वस्त्र को यावत् । परोमन्नइ—अन्य व्यक्ति निकृष्ट मानता है
 ऐसा विचार करके न परठे । च—पुनः । णं—वाक्यालकार मे है । पर—अन्य-गृहस्थ ।
 अत्तहारि—बिना दिए लेने वाला अर्थात् चोर । पडिपहे—मार्ग मे सामने आते हुए को ।
 पेहाए—देख कर । तस्स वत्थस्स—उस वस्त्र के । नियणाय—रखने के लिए । तेसि—उनसे ।
 भीओ—डर कर । उम्मगेण—उन्मार्ग से । नो गच्छिज्जा—गमन न करे । जाव—यावत् ।
 अपुस्सुए—राग-द्वेष से रहित होकर । तओ—सदनन्तर । संजयमेव—यतनापूर्वक ।
 गामाणुगाम—एक ग्राम से दूसरे ग्राम के प्रति । दूइज्जिज्जा—गमन करे-विहार करे ।

से भिक्खू वा—वह साधु या साध्वी । गामाणुगाम—ग्रामानुग्राम । दूइज्जमाणे—
 गमन करते हुए । अतरा—मार्ग के मध्य मे । से—उसके । विहं सिया—यदि अटवी आजाए
 तो । से जं पुण—वह फिर । विहं जाणिज्जा—अटवी को जाने । खलु—निश्चयार्थक है ।
 इमंसि विहंसि—इस अटवी में । बह्वे—बहुत से । आमोसगा—चोर । वत्थपडियाए—वस्त्र
 छीनने के लिए । सपिडिया—एकत्र होकर । आगच्छेज्जा—आए हैं तो । तेसि भीओ—
 उनसे डर कर । उम्मगेणं—उन्मार्ग से । णो गच्छेज्जा—गमन न करे । जाव—यावत् ।
 गामा०—ग्रामानुग्राम । दूइज्जेज्जा—विहार करे ।

से भि०—वह साधु या साध्वी ग्रामानुग्राम । दूइज्जेमाणे—विहार करता हुआ ।
 से—उसके । अतरा—मार्ग में । आमोसगा—चोर एकत्र होकर । पडियागच्छेज्जा—वस्त्र
 छीनने के लिए आजाएं । ण—वाक्यालकार मे है । ते—वे । आमोसगा—चोर । एव—इस
 प्रकार । वदेज्जा—कहे । आउसो०—आयुष्मन् श्रमण ! एय वत्थ—यह वस्त्र । आहर—ला ।
 देहि—हमारे हाथ मे दे दे या । णिक्खिवाहि—हमारे आगे रख दे तब । जहा इरियाए—जैसे
 ईर्ष्याध्ययन में वर्णन किया है उसी प्रकार करे । णाणत्तं—उससे इतना विशेष है । वत्थ
 पडियाए—वस्त्र के लिए अर्थात् यहा पर वस्त्र का अधिकार समझना । एयं खलु—निश्चय ही
 यह । तस्स—साधु और साध्वी का । सामगिय—सम्पूर्ण आचार है । ज—जो । सव्वट्ठेहं—
 सर्व अर्थों से तथा । समिए—पाचो समितियों से । सहिए—युक्त । सया—सदा संयम पालन का ।
 जइज्जासि—यत्न करे । त्तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—संयमशील साधु और साध्वी सुन्दरवर्णवाले वस्त्रों को
 विवर्ण—विगत वर्ण न करे तथा विवर्ण को वर्ण युक्त न करे । तथा मुझे
 अन्य सुन्दर वस्त्र मिल जाएगा ऐसा विचार कर के अपना पुराना वस्त्र

किमी और को न दे। और न किसी से उधारा वस्त्र लवे एव अपने वस्त्र की परस्पर अदला-बदली भी न करे। तथा अन्य श्रमण के पास आकर इस प्रकार भी न कहे कि आयुष्मन् ! श्रमण ! तुम मेरे वस्त्र को ले लो, मेरे इस वस्त्र को जनता अच्छा नहीं समझती है इसके अतिरिक्त उस दृढ वस्त्र को फाड़ करके फैंके भी नहीं तथा मार्ग में आते हुए चोरो को देख कर उस वस्त्र की रक्षा के लिए चोरो से डरता हुआ उन्मार्ग से गमन न करे, किन्तु राग-द्वेष से रहित होकर साधु ग्रामानुग्राम विहार करे-विचरे। यदि कभी विहार करते हुए मार्ग में अटवी आ जाए तो उसको उल्लघन करते समय यदि बहुत से चोर एकत्र होकर सामने आ जाए तब भी उनसे डरता हुआ उन्मार्ग में न जाए। यदि वे चोर कहें कि आयुष्मन् श्रमण ! यह वस्त्र उतार कर हमें दे दो, यहा रख दो ? तब साधु वस्त्र को भूमि पर रख दे, किन्तु उनके हाथ में न दे और उनसे करुणा पूर्वक उसकी याचना भी न करे। यदि याचना करनी हो तो धर्मपूर्वक करे। यदि वे वस्त्र न दें तो नगरादि में जाकर उनके संबन्ध में किसी से कुछ न कहे। यही वस्त्रैषणा विषयक साधु और साध्वी का सम्पूर्ण आचार है, अतः ज्ञान, दर्शन और चारित्र तथा पाच समितियों से युक्त मुनि विवेकपूर्वक आत्म-साधना में सलग्न रहे। इस प्रकार मैं कहता हू।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि साधु उज्ज्वल या मैला जैसा भी वस्त्र मिला है वह उसे उसी रूप में धारण करे। किन्तु, वह न तो चोर आदि के भय से उज्ज्वल वस्त्र को मैला करे और न विभूषा के लिए मैले वस्त्र को साफ करे। और नए वस्त्र को प्राप्त करने की अभिलाषा से साधु अपने पहले के वस्त्र को किसी अन्य साधु को न दे और न किसी से अदला-बदली करे तथा उस चलते हुए वस्त्र को फाड़ कर भी न फैंके।

सूत्रकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि साधु को सदा निर्भय होकर विचरना चाहिए। यदि कभी अटवी पार करते समय चोर मिल जाएं तो उनसे अपने वस्त्र को

बचाने की दृष्टि से साधु रास्ता छोड़ कर उन्मार्ग को और न जाए। यदि वे चोर साधु से वस्त्र मांगें तो साधु उस वस्त्र को जमीन पर रख दे, परन्तु उनके हाथ में न दे और उसे वापिस लेने के लिए उनके सामने गिडगिड़ाहट भी न करे और न उनकी खुशामद ही करे। यदि अवसर देखे तो उन्हें धर्म का उपदेश देकर सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करे। इससे यह स्पष्ट होता है कि वस्त्र केवल संयम साधना के लिए है, न कि ममत्व के रूप में है। अतः साधु को किसी भी स्थिति में उस पर ममत्वभाव नहीं रखना चाहिए। इससे साधु जीवन के निर्ममत्व एवं निर्भयत्व का स्पष्ट परिचय मिलता है।

‘चित्तेभि’ की व्याख्या पूर्ववत् समझनी चाहिए।

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

॥ पञ्चम अध्यायन समाप्त ॥

किमी और को न दे। और न किसी से उधारा वस्त्र लवे एवं अपने वस्त्र की परस्पर अदला-बदली भी न करे। तथा अन्य श्रमण के पास आकर इस प्रकार भी न कहे कि आयुष्मन् ! श्रमण ! तुम मेरे वस्त्र को ले लो, मेरे इस वस्त्र को जनता अच्छा नहीं समझती है इसके अतिरिक्त उस दृढ वस्त्र को फाड़ करके फैंके भी नहीं तथा मार्ग में आते हुए चोरों को देख कर उस वस्त्र की रक्षा के लिए चोरो से डरता हुआ उन्मार्ग से गमन न करे, किन्तु राग-द्वेष से रहित होकर साधु ग्रामानुग्राम विहार करे-विचरे। यदि कभी विहार करते हुए मार्ग में अटवी आ जाए तो उसको उल्लघन करते समय यदि बहुत से चोर एकत्र होकर सामने आ जाए तब भी उनसे डरता हुआ उन्मार्ग में न जाए। यदि वे चोर कहें कि आयुष्मन् श्रमण ! यह वस्त्र उतार कर हमें दे दो, यहाँ रख दो ? तब साधु वस्त्र को भूमि पर रख दे, किन्तु उनके हाथ में न दे और उनसे करुणा पूर्वक उसकी याचना भी न करे। यदि याचना करनी हो तो धर्मपूर्वक करे। यदि वे वस्त्र न दें तो नगरादि में जाकर उनके संबन्ध में किसी से कुछ न कहे। यही वस्त्रैषणा विषयक साधु और साध्वी का सम्पूर्ण आचार है, अतः ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य तथा पाच समितियों से युक्त मुनि विवेकपूर्वक आत्म-साधना में सलग्न रहे। इस प्रकार मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि साधु उज्ज्वल या मैला जैसा भी वस्त्र मिला है वह उसे उसी रूप में धारण करे। किन्तु, वह न तो चोर आदि के भय से उज्ज्वल वस्त्र को मैला करे और न विभूषा के लिए मैले वस्त्र को साफ करे। और नए वस्त्र को प्राप्त करने की अभिलाषा से साधु अपने पहले के वस्त्र को किसी अन्य साधु को न दे और न किसी से अदला-बदली करे तथा उस चलते हुए वस्त्र को फाड़ कर भी न फैंके।

सूत्रकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि साधु को सदा निर्भय होकर विचरना चाहिए। यदि कभी अटवी पार करते समय चोर मिल जाए तो उनसे अपने वस्त्र को

बचाने की दृष्टि से साधु रास्ता छोड़ कर उन्मार्ग को और न जाए। यदि वे चोर साधु से वस्त्र मांगे तो साधु उस वस्त्र को जमीन पर रख दे, परन्तु उनके हाथ में न दे और उप्पे वापिस लेने के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाहट भी न करे और न उनकी खुशामद ही करे। यदि अवसर देखे तो उन्हें धर्म का उपदेश देकर सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करे। इससे यह स्पष्ट होता है कि वस्त्र केवल संयम साधना के लिए है, न कि ममत्व के रूप में है। अतः साधु को किसी भी स्थिति में उस पर ममत्वभाव नहीं रखना चाहिए। इससे साधु जीवन के निर्ममत्व एवं निर्भयत्व का स्पष्ट परिचय मिलता है।

‘त्तिबेभि’ की व्याख्या पूर्ववत् समझनी चाहिए।

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

। पञ्चम अध्यायन समाप्त ॥

षष्ठ अध्ययन—पात्रौषणा

प्रथम उद्देशक

यह हम देख चुके हैं कि पहले अध्ययन में आहार ग्रहण करने की विधि का, दूसरे अध्ययन में आहार करने एवं ठहरने के स्थान का, तीसरे अध्ययन में गमनागमन में विवेक रखने के लिए ईर्या समिति का, चौथे में आहार आदि के लिए गमन करते एवं विहार करते समय भाषा में विवेक रखने के लिए भाषा समिति का और पांचवें अध्ययन में इस समय साधना में प्रवर्तमान साधक को कैसा वस्त्र ग्रहण करना चाहिए इसका उल्लेख किया गया है। अब प्रस्तुत अध्ययन में आहार ग्रहण करने के लिए कैसा पात्र होना चाहिए इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा अभिक्खिज्जा पायं एसित्तए, से जं पुण पायं जाणिज्जा, तंजहा—अलाउयपायं वा, दारुपायं वा मट्टियापायं वा, तहप्पगारं पायं जे निग्गंथे तरुणे जाव थिर--संघयणे से एगं पायं धारिज्जा, नो विइयं ॥ से भि० परं अद्ध-जोयणमेराए पायपडियाए नो अभिसंधारिज्जा गमणाए ॥ से भि० से ज० अस्सि पडियाए एगं साहम्मियं समुद्दिस्स पाणाइं ४ जहा पिंडेसणाए चत्तारि आलावगा, पंचमे बहवे समण० पगणिय २ तहेव ॥ से भिक्खू वा० अस्संजए भिक्खु-पडियाए बहवे समणमाहणे० वत्थेसणाऽऽलावओ ॥ से भिक्खू वा० से जाइं पुण पायाइं जाणिज्जा विरूवरूवाइं महद्धण-

मुल्लाई, तंजहा—अयवायाणि वा तउपाया० तंव पाया० सीसग
पाया० हिरराणापा० सुवराणापा० रीरिअ पाया० हारपुडपा०
मणिकायकंसपाया० संखसिंगपा० दंतपा० चेलपा० सेलपा०
चम्मपा० अन्नयराइं वा तह० विरूवरूवाइं महद्वणमुल्लाईं
पायाइं अफासुयाइं नो पडिगाहिज्जा ॥ से भि० से जाइं पुण
पाया० विरूव० महद्वणवंधणाइं तं० अयवंधणाणि वा जाव
चम्मवंधणाणि वा, अन्नयराइं तहप्प० महद्वणवंधणाइं अफा०
नो प० ॥ इच्चेयाइं आयतणाइं उवाइक्कम्म अह भिक्खू
जाणिज्जा चउहिं पडिमाहिं पायं एसित्तए, तत्थ खलु इमा पढमा
पडिमा—से भिक्खू० उद्दिसिय २ पायं जाइज्जा, तंजहा—
अलाउयपायं वा ३ तह० पायं सयं वा णां जाइज्जा जाव पडि०
पढमा पडिमा १ ॥ अहावरा० से० पेहाण पायं जाइज्जा, तं० —
गाहावइं वा कम्मकरिं वा से पुव्वामेव आलोइज्जा, आउ० भ० !
दाहिसि मे इत्तो अन्नयरं पायं तं० —अलाउयपायं वा ३ तह०
पायं सयं वा जाव पडि०, दुच्चा पडिमा २ ॥ अहा० से भि० से
जं पुण पायं जाणिज्जा मंगइयं वा वेजइयंतियं वा तहप्प० पायं
सयं वा जाव पडि० तच्चा पडिमा ३ ॥ अहावरा चउत्था
पडिमा—से भि० उज्झियवग्गियं जाणज्जा जावण्णे वहवे ममणा

जाव नावकंखति तह० जाएज्जा जाव पडि० , चउत्था पडिमा
 ४ ॥ इच्चेइयारां चउराहं पडिमाणां अन्नयरं, पडिमं जहा—पिंडे-
 सणाए ॥ से शां एयाए एसणाए एसमारा पासित्ता परो-
 वइज्जा, आउ० स० ! एज्जासि तुमं मासेण वा जहा वत्थेसणाए,
 से शां परो नेता व० —आ० भ० ! आहरेय पायं तिल्लेण वा
 घ० नव० वसाएव अब्भंगित्ता वा तहेव सिणाणादि तहेव सी-
 ओदगाइं कंदाइं तहेव ॥

से शां परो ने० —आउ० स० ! मुहुत्तगं २ जाव अच्चाहि
 ताव अभ्हे असणां वा उवकरेंसु वा उवक्खडेंसु वा, तो ते वयं
 आउसो० ? सपाणां सभोयणां पडिग्गहं दाहामो, तुच्छए पडिग्गहे
 दिन्ने समणस्स नो सुट्ठु साहु भवइ, से पुव्वामेव आलोइज्जा-
 आउ० भइ० ! नो खलु मे कप्पइ आहाकम्मिए असणे वा ४
 भुत्तए वा०, मा उवकरेहि मा उवक्खडेहि, अभिकंखसि मे दाउं ए-
 मेव दलयाहि, से सेवं वयंतस्स परो असणां वा ४ उवकरित्ता
 उवक्खडित्ता सपाणां सभोयणां पडिग्गहगं दलइज्जा तह० पडि-
 ग्गहगं अफासुयं जाव नो पडिगाहिज्जा ॥ सिया से परो उव-
 णित्ता पडिग्गहगं निसिरिज्जा, से पुव्वामेव आउ० ! भ० !
 तुमं चेव शां संतियं पडिग्गहगं अंतोअंतेणां पडिलेहिस्सामि,

केवली० आयाण० अतो पडिग्गहगंसि पाणाणि वा वीया० हरि० ,
 अ३ भिक्खूणं पु० जं पुञ्जामेव पडिग्गहगं अंतोअंतेणं पडि० स--
 अंडाहं सव्वे आलावगा भाणियव्वा जहा धत्थेसणाए,
 नाणत्तं तिल्लेण वा घय० नव० वसाए वा सिणाणादि जाव
 अन्नयरंसि वा तहप्पगा० थंडिलंसि पडिलेहिय २ पम० २
 तत्रो० संज० आमज्जिज्जा, एवं खलु० सया जएज्जासि
 त्तिवेमि ॥१५२॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा अभिकाक्षेत पात्रमेषितुं (अन्वेष्टु) नन्
 यत् पुनः पात्रं जानीयात्, तद्यथा—अलाबुपात्र वा दोरुपात्रं वा मृत्तिकापात्रं
 वा, तथाप्रकारं पात्रं या निर्ग्रन्थः तरुणः यावत् स्थिरसंहननः स एकं
 पात्रं धारयेत् न द्वितीयम् । स भिक्षुर्वा भिक्षुको वा परं अर्द्धयोजन
 मर्यादायाः प्रात्रप्रतिज्ञया नाभिसन्धारयेद् गमनाय । स भिक्षुर्वा
 भिक्षुकी वा, तत् यत् अस्वप्रतिज्ञया एकं साधर्मिक समुद्दिश्य प्राणानि
 ४ यथा पिण्डैषणाया चत्वारः आलापकाः, पचमे बहवः श्रमण०
 प्रगण्य २ तथैव । स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा असयनः भिक्षुप्रतिज्ञया बहवः
 श्रमण ब्राह्मण० वस्त्रैषणाऽऽलापकः । स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा तत्
 यानि पुनः पात्राणि जानीयात्, विरूपरूपाणि महद्वनमूल्यानि, तद्यथा-
 अयःपात्राणि वा त्रपुः पात्राणि वा ताम्रपात्राणि वा सीसक पात्राणि वा
 हिरण्यपात्राणि वा० सुवर्णपात्राणि वा रीतिपात्राणि वा हारपुटपात्राणि वा
 मणिकाचकसपात्राणि वा शंखशृंगपात्राणि वा दन्त पात्राणि वा चेल पा०
 शिला पा० चर्मपात्राणि वा अन्यतराणि वा तथाप्रकाराणि विरूपरूपाणि
 महद्वनमूल्यानि पात्राणि अप्रासुकानि न प्रतिगृह्णोयात् । स भिक्षुर्वा

जाव नावकंखति तह० जाएज्जा जाव पडि० , चउत्था पडिमा
 ४ ॥ इच्चेइयारां चउराहं पडिमाणां अन्नयरं पडिमं जहा—पिंडे-
 सणाए ॥ से णां एयाए एसणाए एसमारा पासित्ता परो-
 वइज्जा, आउ० स० ! एज्जासि तुमं मासेण वा जहा वत्थेसणाए,
 से णां परो नेता व० —आ० भ० ! आहरेयं पायं तिल्लेण वा
 घ० नव० वसाएव अब्भंगित्ता वा तहेव सिणाणादि तहेव सी-
 ओदगाइं कंदाइं तहेव ॥

से णां परो ने० —आउ० स० ! मुहुत्तगं २ जाव अच्छाहि
 ताव अग्हे असणां वा उवकरेंसु वा उवक्खडेंसु वा, तो ते वयं
 आउसो० ? सपाणां सभोयणां पडिग्गहं दाहामो, तुच्छए पडिग्गहे
 दिन्ने समणास्स नो सुट्ठु साहु भवइ, से पुव्वामेव आलोइज्जा-
 आउ० भइ० ! नो खलु मे कप्पइ आहाकम्मिए असणे वा ४
 भुत्तए वा०, मा उवकरेहि मा उवक्खडेहि, अभिकंखसि मे दाउं ए-
 मेव दलयाहि, से सेवं वयंतस्स परो असणां वा ४ उवकरित्ता
 उवक्खडित्ता सपाणां सभोयणां पडिग्गहगं दलइज्जा तह० पडि-
 ग्गहगं अफासुयं जाव नो पडिगाहिज्जा ॥ सिया से परो उव-
 णित्ता पडिग्गहगं निसिरिज्जा, से पुव्वामेव आउ० ! भ० !
 तुमं चेव णां संतियं पडिग्गहगं अंतोअंतेणां पडिलेहिस्सामि,

केवली० आयाण० अतो पडिग्गहगंसि पाणाणि वा वीया० हरि० ,
 अ३ भिक्खूणं पु० जं पुग्गामेव पडिग्गहगं अंतोअंतेणं पडि० स---
 अंडाइं सव्वे आलावगा भाणियव्वा जहा वत्थेसणाए,
 नाणत्तं तिल्लेण वा घय० नव० वसाए वा सिणाणादि जाव
 अन्नयरंसि वा तहप्पगा० थंडिलंसि पडिलेहिय २ पम० २
 तयो० संज० आमज्जिज्जा, एत्तं खलु० सया जएज्जासि
 त्तिवेमि ॥१५२॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा अभिकाक्षेत पात्रमेषितुं (अन्वेष्टुं) नन्
 यत् पुनः पात्रं जानीयात्, तद्यथा—अलाबुपात्र वा दोरुपात्र वा मृत्तिकापात्रं
 वा, तथाप्रकारं पात्रं या निर्ग्रन्थ. तरुणः यावत् स्थिरसंहननः स एकं
 पात्रं धारयेत् न द्वितीयम् । स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा परं अर्द्धयोजन
 मर्यादायाः पात्रप्रतिज्ञया नाभिसन्धारयेद् गमनाय । स भिक्षुर्वा
 भिक्षुकी वा, तत् यत् अस्वप्रतिज्ञया एकं साधमिक समुद्दिश्य प्राणानि
 ४ यथा पिण्डैषणायां चत्वारः आलापकाः, पचमे बहव. श्रमण०
 प्रगण्य २ तथैव । स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा असयनः भिक्षुप्रतिज्ञया बहवः
 श्रमण ब्राह्मण० तस्त्रैषणाऽऽलापकः । स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा तत्
 यानि पुनः पात्राणि जानीयात्, विरूपरूपाणि महद्वनमूल्यानि, तद्यथा-
 अयःपात्राणि वा त्रपुः पात्राणि वा ताम्पात्राणि वा सीसक पात्राणि वा
 हिरण्यपात्राणि वा० सुवर्णपात्राणि वा रीतिपात्राणि वा हारपुटपात्राणि वा
 मणिकाचकसपात्राणि वा शखशृगपात्राणि वा दन्त पात्राणि वा चेल पा०
 शिला पा० चर्मपात्राणि वा अन्यतराणि वा तथाप्रकाराणि विरूपरूपाणि
 महद्वनमूल्यानि पात्राणि अप्रासुकानि न प्रतिगृह्णोयात् । स भिक्षुर्वा

जाव नावकंखति तह० जाएज्जा जाव पडि० , चउत्था पडिमा
 ४ ॥ इच्चेइयारां चउगहं पडिमाणां अन्नयरं, पडिमं जहा—पिंडे-
 सणाए ॥ से शां एयाए एसणाए एसमारा पासित्ता परो-
 वइज्जा, आउ० स० ! एज्जासि तुमं मासेण वा जहा वत्थेसणाए,
 से शां परो नेता व० —आ० भ० ! आहरेयं पायं तिल्लेण वा
 घ० नव० वसाएव अब्भंगित्ता वा तहेव सिणाणादि तहेव सी-
 ओदगाइं कंदाइं तहेव ॥

से शां परो ने० —आउ० स० ! मुहुत्तगं २ जाव अच्छाहि
 ताव अम्हे असणां वा उवकरेंसु वा उवक्खडेंसु वा, तो ते वयं
 आउसो० ? सपाणां सभोयणां पडिग्गहं दाहामो, तुच्छए पडिग्गहे
 दिन्ने समणस्स नो सुट्ठु साहु भवइ, से पुव्वामेव आलोइज्जा-
 आउ० भइ० ! नो खलु मे कप्पइ आहाकम्मिए असणो वा ४
 भुत्तए वा०, मा उवकरेहि मा उवक्खडेहि, अभिकंखसि मे दाउं ए-
 मेव दलयाहि, से सेवं वयंतस्स परो असणां वा ४ उवकरित्ता
 उवक्खडित्ता सपाणां सभोयणां पडिग्गहगं दलइज्जा तह० पडि-
 ग्गहगं अफासुयं जाव नो पडिगाहिज्जा ॥ सिया से परो उव-
 शित्ता पडिग्गहगं निसिरिज्जा, से पुव्वामेव आउ० ! भ० !
 तुमं चेव शां संत्तियं पडिग्गहगं अंतोअंतेणां पडिलेहिस्सामि,

भिक्षुकी वा तद् यानि पुनः पात्राणि विरूपरूपाणि महद्वनबन्धनानि, तद्यथा—अयोबन्धनानि वा यावत् चर्मबन्धनानि वा अन्यतराणि तथा-प्रकाराणि महद्वनबन्धनानि अप्रासुकानि न प्रतिगृह्णीयात्, इत्येतानि आयतनानि उपातिक्रम्य, अथ भिक्षुः जानीयात्, चतसृभिः प्रतिमाभिः पात्रमेषितु (अन्वेष्टु) तत्र खलु इयं प्रथमा प्रतिमा १ । स भिक्षुः० उद्दिश्य २ पात्रं याचेत्, तद्यथा—अलाबुकपात्रं वा ३ तथाप्रकारं पात्रं स्वयं वा याचेत्, यावत् प्रतिगृह्णीयात्, प्रथमा प्रतिमा ॥१॥

अथापरा० स० प्रेक्ष्य पात्रं याचेत् तद्यथा—गृहपतिं वा कर्मकरी वा, स पूर्वमेव आलोचयेत्, आयुष्मति ! भगिनि ! दास्यसि मे इतः अन्यतरत् पात्रं तद्यथा—अलाबुकपात्रं वा ३ तथाप्रकारं पात्रं स्वयं वा यावत् प्रतिगृह्णीयात्, द्वितीया प्रतिमा ॥२॥ अथापरा—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा स यत् पुनः पात्रं जानीयात्, स्वागिक वा वैजयन्तिक वा तथाप्रकारं पात्रं स्वयं वा यावत् प्रतिगृह्णीयात्, तृतीया प्रतिमा ॥३॥ अथापरा चतुर्थी प्रतिमा—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा उज्जितधर्मिक याचेत् यावत् अन्ये बहवः श्रमणाः यावत् नावकाक्षन्ति तथाप्रकारं याचेत् यावत् प्रति-गृह्णीयात्, चतुर्थी प्रतिमा ॥४॥ इत्येतासां चतसृणां प्रतिमानां अन्यतरा प्रतिमां यथा पिंडैषणायाम् । स एतया एषणया एषमाणं दृष्ट्वा परो वदेत्—आयुष्मन् श्रमण ! एष्यसि त्वं मासेन वा यथा वस्त्रैषणायाम्, स परो नेता वदेत्—आयुष्मति, भगिनि ! आहर एतत् पात्रं तैलेन वा घृतेन वा नवनीतेन वा वसया वा अभ्यज्य, तथैव स्नानादि, तथैव शीतोदकानि कन्दानि तथैव । स परो नेता०—(एवं वदेत्-) आयुष्मन् श्रमण ! मुहूर्तकं यावत् ग्रास्व-तिष्ठ ? तावत् वयमशनं वा ४ उपकुर्मः उपस्कुर्मः । ततस्ते वयं आयुष्मन् श्रमण ! सपानं सभोजनं पतद्ग्रह (पात्र) दास्यामः । तुच्छके प्रतिग्रहे दत्ते श्रमणस्य नो सुष्ठु, साधु भवति । स पूर्वमेव आलोचयेत्, आयुष्मति ! भगिनि० । नो खलु मे कल्पते आधाकर्मिक अशनं

वा ४ भोक्तुं वा मा उपकुरु मा उपस्कुरु अभिकांक्षसि मे दातु एवमेव ददस्व तस्य एवं वदतः परः अशन वा उपकृत्य उपस्कृत्य सपान सन्नोजन पतद्ग्रहं दद्यात् तथाप्रकारं पतद्ग्रह-पात्रमप्रासुक यावत् न प्रतिगृह्णीयात् । स्यात् स परः उपनीय प्रतिग्रहक निसृजेत्, स पूर्वमेव आलोचयेत् आयुष्मति ! भगिनि ! त्वं चैव स्वागिकं पतद्ग्रहकं अन्तोन्तेन प्रतिलेखिष्यामि । केवली ब्रूयात् आदानमेतत् अन्तः पतद्ग्रहके प्राणानि वा वीजानि वा हरितानि वा अथ भिक्षूणां पूर्वोपदिष्टं यत् पूर्वमेव पतद्ग्रहकं अन्तोन्तेन प्रति० साण्डानि. सर्वे आलापकाः भणितव्याः यथा-वस्त्रैपणायामू, नानात्वं तैलेन वा घृतेन वा नवनीतेन वा वसया वा स्नानादि यावत् अन्यतरम्मिन् वा तथाप्रकारे स्थडिले प्रतिलिख्य २, प्रमृज्य २ ततः संयतमेव, अमृज्यात् । एव खलु तस्य भिक्षोः सामग्र्यं सदा यतेत । इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—से—यदि वह । निरखू वा—साधु या साध्वी । पाय—पात्र की । एस्ति-त्तए—गवेपणा करनी । अभिकखिज्जा—चाहता है तो । से—वह नाधु । जं—जो । पुण—फिर । पाय—पात्र के सम्बन्ध में यह । जाणिज्जा—जाने । तजहा—जैनेकि । अलाउयपार्थं वा—तूवे का पात्र है अथवा । दारुपार्थं—काष्ठ का पात्र है अथवा । नदिट्टया पार्थं वा—मिट्टी का पात्र है और । तहपपारं पाय—तथाप्रकार के पात्र ह । जे—जो । निग्गंथे—निग्रन्थ । नरुणे—युवक है । जाव—यावत् । धिरसंघयणे—निर नहनन वाला है अर्थात् जिनका शरीर दृढ़ है । से—वह साधु । एगं पाय—एक ही पात्र । धारिज्जा—धारण करे । नो विइय—दूनरा पाय न रखे । से निरखू वा—वह साधु या साध्वी । अद्दजोयणनेगाए—अद्द योजन की मर्थादा से । पर—उपरान्त । पायपडियाए—पात्र ग्रहण की प्रतिज्ञा में । गमणाए—जाने के लिए । नो अनिसधारिज्जा—मन में विचार न करे ।

से निरखू वा०—वह साधु या साध्वी । से—वह । ज—जो फिर । पार्थं—पात्र तो । जाणिज्जा—जाने । अस्तिपडियाए—साधु की प्रतिज्ञा से गृह्णने । एगंसाहन्मियं—एक नामों नाधु का । समुद्दिस्स—उद्देश्य रख कर अर्थात् साधु के निमित्त में । पाणाइं ८—प्राणी, भूत, जीव और सत्त्व का यिनाश करके पात्र तैयार किया है, देव वानं । जहा—जैने पिडे सगाए—पिडेपणा अध्वयन में किया गया है उसी तरह । नत्तारि—चार । आलावगा—

आलापक जानने चाहिये । पंचमे—पाचवे आलापक मे । बहवे—बहुत से । समग०—शाक्यादि श्रमण तथा ब्राह्मण आदि के लिए । पगणिय २—गिन २ कर अर्थात् उनका उद्देश्य रखकर पात्र बनाए । तहेव—शेष वर्णन जैसे पिण्डैषणा अध्ययन में आहार के विषय में क्रिया गया है उसी प्रकार यहा पर अर्थात् पात्र के सम्बन्ध मे भी जान लेना चाहिए ।

से भिक्खू वा—वह साधु या साध्वी । अस्तंजए—अमयत, गृहस्थ । भिक्खुपडियाए—साधु की प्रतिज्ञा से । बहवे—बहुत से । समणमाहणे०—शाक्यादि श्रमण तथा ब्राह्मणादि के विषय में । वत्थेसणाऽऽलावओ—जैसे 'वस्त्रैषणा आलापक में कहा गया है उसी प्रकार पात्रैषणा आलापक भी जानना चाहिए । से भिक्खू वा—वह साधु या साध्वी । से—वह-साधु । जाइं—जो । पुण—फिर । विरूबरूवाइ—नाना प्रकार के । पायाइ—पात्रो के सम्बन्ध मे । जाणिज्जा—जाने । महद्धणमुल्लाइ—जो बहुमूल्य हैं, कीमती हैं । तजहा—जैसेकि । अयपायाणि वा—लोहे के पात्र । तउपाया०—कली के पात्र । तंबपाया०—ताम्र के पात्र । सीसगपा०—सीसे के पात्र । हिरणपः०—चान्दी के पात्र । सुवण पा०—सुवर्ण-सोने के पात्र । रीरिअयाया०—पीतल के पात्र । हारपुडपा—लोहविशेष के पात्र । मणिकायकसपाया०—मणि, काच और कासी के पात्र । संखसिग पा०—संख-शंख और शृंग के पात्र । दंतपा०—दान्त के पात्र । चेल पा०—चस्त्र के पात्र । सेल पा०—पत्थर के पात्र तथा । चम्मपा०—चर्म के पात्र और । अन्नपराइं—अन्य । तहप्प०—इसो तरह के । विरूवरूवाइ—विविध । महद्धणमुल्लाइ—मूल्य वाले । पायाइं—पात्रो को । अफासुयं—अप्रासुक जान कर । जाव—यावत् । नोपडि०—ग्रहण न करे ।

से भिक्खू वा—वह साधु अथवा साध्वी । से - वह । जाइं—जो । पुण—फिर । पाय—पात्र को । जाणिज्जा—जाने । विरूबं०—नाना प्रकार के-विविध-भान्ति के । महद्धणवधणाइ—जिनके मूल्यवान् बन्धन हैं । तं०—जैसे कि । अयबंधणाणि वा—लोहे के बन्धन । जाव—यावत् । चम्मबंधणाणि वा—चर्म के बन्धन वाले, तथा । अन्नपराइं—अन्य भी । तहप्प०—तथाप्रकार के । महद्धणवधणाइ—कीमती बन्धनो को जानकर और उन बन्धनो के कारण इन पात्रो को । अफा०—अप्रासुक मान कर । नो पडि०—ग्रहण न करे । इच्छेयाइ—ये सब पूर्वोक्त । अयतणाइं—पात्र सम्बन्धी दोषो के स्थान है । इनको । उवाइवकम्म—अतिक्रम करके अर्थात् छोड़कर पात्र ग्रहण करना चाहिए ।

अह—अथ । भिक्खू—साधु । जाणिज्जा—यह जाने कि । चउहि पडिमाहि—उभे चार प्रतिमाओ—अभिग्रह विशेषो से । पाय—पात्र की । एत्तिए—गवेषणा करनी है । खलु—वाक्यालंकार मे है । तत्थ—उन चार प्रतिमाओ मे से । इमा—यह । पढमा—पहली । पडिमा—

से—पात्र की गवेपणा करते हुए उस भिक्षु को देखकर । परो—ग्रन्थ गृहस्थ । नेता—गृहस्वामी अपने कौटुम्बिक जन को । वड्डज्जा—इस प्रकार कहे । आउ०—हे आयुष्मन् अथवा । म०—हे भगिनि-वहिन ! आहरेय पायं—ला यह पात्र, इसको । तिल्लेण वा—तैल से अथवा । घ०—घृत से अथवा । नव०—नवनीत मक्खन से अथवा । वसाए वा—वसा-श्रीपथि के रस विशेष से । अग्भगिन्ता—चोपड कर । तहेव—इसी भाती । सिण णादि—सुगन्धित द्रव्य से स्नानादि तहेव—उसी प्रकार । सीओदगाइ—शीत व उष्ण जलादि के विषय में तथा । तहेव—उसीप्रकार । कदाइ—कदादि के सम्बन्ध में जान लेना । ण—वाक्यलकार में है । से—पात्र की गवेपणा करते हुए भिक्षु को देखकर । परो—गृहस्थ । नेता—गृहस्वामी साधु के प्रति यदि । वड्डज्जा—कहे । आ उ० स०—आयुष्मन्-श्रमण । मुहुत्तगं २—मूर्हतं पर्यन्त तुम यहां पर । अच्छाहि—ठहरो । जाव—यावत् । ताव—तव तक । अग्हे—हम । असणं वा—अशनादिक चतुर्विध आहार को । उवकरेसु वा—एकत्रित कर अथवा । उवक्खडेसु वा—उपस्कृत करके अर्थात् अग्नादि को तैयार करके । आउसो०—आयुष्मन्-श्रमण । तो—तदनन्तर । ते—तुमको । वय—हम । सपाण—पानी के साथ । सभोयणं—भोजन के साथ । पडिग्गहं—पात्र को । दाहामो—देने । कारण कि । तुच्छए—खाली । पडिग्गहे—पात्र में । दिन्ने—दिया हुआ । समणस्स—साधु को । सुट्ठु—अच्छा और । साहु—श्रेष्ठ । नो भवइ—नहीं होता है तव । से—वह साधु । पुव्वामेव—पहले ही । आलोइज्जा—देखे और देख कर इस प्रकार कहे । आउ०—आयुष्मन् गृहस्थ । अथवा । मइ०—हे भगिनि-वहिन ! खलु—निश्चय ही । आहाकम्मिए—आधाकर्मिक अर्थात् आधाकर्मोदि दोषो से युक्त । असणे वा ४—अशनादि चतुर्विध आहार को । भुत्तए वा—भोगना अर्थात् खाना पीना । मे—मेरे को । नो कप्पइ—नहीं कल्पता अतः । मा उवकरेहि—मेरे निमित्त इसे एकत्र न करो तथा । मा उवक्खडेहि—मेरे लिए इसका संस्कार मत करो ? यदि । मे—मुझे । दाउ अमिक्खसि—देना चाहते हो तो । एसेव—इसी तरह । दलयाहि—दे दो ? से—वह । परो—गृहस्थ । सेव वयतस्म—साधु के इस प्रकार कहने पर भी यदि । असण वा ४—अशनादि चतुर्विध आहार को । उवकरित्ता—एकत्र कर और । उवक्खडिता—संस्कार करके । सपाण—पानी सहित । सभोयण—भोजन सहित अर्थात् पानी और भोजन से । पडिग्गहं—पात्र को भर कर । दल्लइज्जा—देवे तो । तह०—तथा प्रकार के । पडिग्गहं—पात्र को । अफामुय—अप्रामुख जान कर । जाव—यावत् । नो पडिग्गाहिज्जा—ग्रहण न करे । सिधा—कदाचित् । से—उस भिक्षु को । परो—गृहस्थ । उवणित्ता—घर के भीतर से लाकर । पडिग्गहं—पात्र को । निसिरिज्जा—दे देवे तो । से—वह भिक्षु । पुव्वामेव—पहले ही । आलोएज्जा—देखे और देख कर इस प्रकार कहे । आउ०—आयुष्मन् गृहस्थ । प्रथवा । म१—हे भगिनि-वहिन । ज्ञ—युनरर्थक है । एव—अवधारण अर्थ में है । ण—वाक्यलकार में है । सत्तिय—विद्यमान । न्म—तुम्हारे । पडिग्गहं—पात्र को । अतोअंतेण—

सब प्रकार से अर्थात् भीतर और बाहर से। पडिलेहिस्सामि—प्रतिलेखन करूंगा अर्थात् देखूंगा? क्योकि। केवली वूया०—केवली भगवान कहते हैं कि। आयाण०—यह कर्म बन्धन का कारण है; अर्थात् बिना प्रतिलेखन किए पात्र लेना कर्म बन्धन का हेतु होता है कारण कि। अंतोपडि-ग्गहगसि—पात्र के भीतर कदाचित्। पाणाणि वा—क्षुद्र जीव हो। वीया०—अथवा बीज हो या। हरि०—हरी हो। अहे—इस लिए। भिक्खूण—भिक्षुओं को। पु०—पूर्वोपदिष्ट अर्थात् तीर्थंकरादि की आज्ञा है कि। जं—जो। पुव्वामेव—पहले ही। पडिग्गहग—पात्र को, अन्तोअंतेण—भीतर और बाहर से। पडि०—प्रतिलेखन करे-अच्छी तरह से देखे, यदि। स-अडाइ—वह अडादि से युक्त हो तो उसे ग्रहण न करे। सब्बे आलावगा—यहां पर सभी आलापक। भाणियव्वा—कहने चाहिए। जहा—जैसे कि। वत्थेसणाए—वस्त्रैषणा के विषय में कथन किया गया है उसी प्रकार पात्रपणा के सम्बन्ध में जानना। नाणत्तं—इसमें इतना विशेष है यथा। तिल्लेण वा—तैल से या। घय०—घृत से अथवा। नव०—नवनीत से। वसाए वा—वसा—चर्बी अथवा औषधि विशेष से। सिणाणादि—या सुगन्धित स्नानादि से ॥ जाव—यावत्। अन्नघरसि वा—अन्य किसी पदार्थ से पात्र संस्पर्शित हुआ हो तो। तहप्पणा०—तथाप्रकार के। थडिलंसि—स्थंडिल में जाकर। पडिलेहिय २—प्रतिलेखना कर अर्थात् भूमि को देख कर। पम० २—उसे प्रमाजित कर। तओ०—तदनन्तर। सजयामेव—यत्नापूर्वक। आमज्जिज्जा—पात्र को मसले। एय खलु—यह निश्चय ही। तस्स भिक्खुस्स—उस भिक्षु का। सामग्गियं—सम्पूर्ण आचार है। जं—जो। सब्बट्ठेहि—सर्व अर्थों से। समिएहि—पात्र समित्तियों से युक्त। सया—सदा। जएज्जासि—यत्न करे। तिबेभि—इस प्रकार मैं कहता हू।

मूलार्थ—संयम शील साधु या साध्वी जब कभी पात्र की गवेषणा करना चाहें तो सब से पहले उन्हें यह जानना चाहिए कि तूबे का पात्र, काष्ठ का पात्र, और मिट्टी का पात्र साधु ग्रहण कर सकता है। और उक्त प्रकार के पात्र को ग्रहण करने वाला साधु यदि तरुण है स्वस्थ है स्थिर सहनन वाला है तो वह एक ही पात्र धारण करे, दूसरा नहीं और वह अर्द्धयोजन के उपरान्त पात्र लेने के लिए जाने का मन में सकल्प न करे।

यदि किसी गृहस्थ ने एक साधु के लिए प्राणियों की हिंसा करके पात्र बनाया हो तो साधु उसे ग्रहण न करे। इसी तरह अनेक साधु, एक साध्वी एवं अनेक साध्वियों के सम्बन्ध में उसी तरह जानना चाहिए

जैसे कि पिण्डैषणा अध्ययन में वर्णन किया गया है। और शाक्यादि भिक्षुओं के लिए बनाए गए पात्र के सम्बन्ध में भी पिण्डैषणा अध्ययन के वर्णन की तरह समझना चाहिए। शेष वर्णन वस्त्रैषणा के आलापकों के समान समझना। अपितु जो पात्र नाना प्रकार के तथा बहुत मूल्य के हो-यथा लोहपात्र, त्रपुपात्र-कली का पात्र, ताम्रपात्र, सीसे, चान्दी और सोने का पात्र, पीतल का पात्र, लोह विशेष का पात्र, मणि, कांच और कासे का पात्र एवं शंख और शृंग से बना हुआ पात्र, दांत का बना हुआ पात्र, पत्थर और चर्म का पात्र और इसी प्रकार के अधिक मूल्यवान अन्य पात्र को भी अप्रासुक तथा अनैषणीय जान कर साधु ग्रहण न करे। और यदि लकड़ी आदि के कल्पनीय पात्र पर लोह, स्वर्ण आदि के बहुमूल्य बन्धन लगे हो तब भी साधु उस पात्र को ग्रहण न करे। अतः साधु उक्त दोषों से रहित निर्दोष पात्र ही ग्रहण करे।

इसके अतिरिक्त चार प्रतिज्ञाओं के अनुसार पात्र ग्रहण करना चाहिए।
 १-पात्र देख कर स्वयमेव याचना करूंगा। २-साधु पात्र को देख कर गृहस्थ से कहे-आयुष्मन् गृहस्थ ! क्या तुम इन पात्रों में से अमुक पात्र मुझे दोगे ! या वैसा पात्र बिना मागे ही गृहस्थ दे दे तो मैं ग्रहण करूंगा।
 ३-जो पात्र गृहस्थ ने उपभोग में लिया हुआ है, वह ऐसे दो-तीन पात्र जिनमें गृहस्थ ने खाद्यादि पदार्थ रखे हो वह पात्र ग्रहण करूंगा। ४-जिस पात्र को कोई भी नहीं चाहता, ऐसे पात्र को ग्रहण करूंगा।

इन प्रतिज्ञाओं में से किसी एक का धारक मुनि किसी अन्य मुनि की निन्दा न करे। किन्तु यह विचार करता हुआ विचरे कि जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले सभी मुनि आराधक हैं।

पात्र की गवेषणा करते हुए साधु को देख कर यदि कोई गृहस्थ उसे कहे कि आयुष्मन् श्रमण ! इस समय तो तुम जाओ। एक मास के बाद

आकर पात्र ले जाना, इत्यादि। इस विषय में शेष वर्णन वस्त्रैपणा के समान जानना।

यदि कोई गृहस्थ साधु को देख कर अपने कौटुम्बिक जनों में से किसी पुरुष या स्त्री को बुलाकर यह कहे कि वह पात्र लाओ उस पर तेल, घृत, नवनीत या वसा आदि लगाकर साधु को देवें। शेष स्नानादि तीन उदक तथा कन्द-मूल विषयक वर्णन वस्त्रैपणा अध्ययन के समान जानना।

यदि कोई गृहस्थ साधु से इस प्रकार कहे कि आयुष्मन् श्रमण ! आप मुहूर्त पर्यन्त ठहरें। हम अभी अशनादि चतुर्विध आहार को उपस्कृत करके आपको जल और भोजन से पात्र भर कर देंगे। क्योंकि साधु को खाली पात्र देना अच्छा नहीं रहता। नव साधु उनसे इस प्रकार कहे कि आयुष्मन् गृहस्थ ! या भगिनि-वहिन ! मुझे आधाकर्मिक आहार-गनी ग्रहण करना नहीं कल्पता। अतः मेरे लिए आहारादि सामग्री को एकत्र और उपसंस्कृत मत करो। यदि तुम मुझे पात्र देने की अभिलाषा रखते हो तो उसे ऐसे ही दे दो। साधु के इस प्रकार कहने पर भी यदि गृहस्थ आहार आदि बना कर उससे पात्र को भर कर दे तो साधु उसे अप्रासुक जानकर स्वीकार न करे।

यदि कोई गृहस्थ उस पात्र पर नई क्रिया किए विना ही लाकर दे तो साधु उसे कहे कि मैं तुम्हारे इस पात्र को चारों तरफ से भली-भांति प्रतिलेखना करके लूंगा। क्योंकि विना प्रतिलेखना किए ही पात्र ग्रहण करने का केवली भगवान ने कर्मवध का कारण बताया है। हो सकता है कि उस पात्र में प्राणी, बीज और हरी आदि हो, जिस से वह कर्मवन्ध का हेतु बन जाए। शेष वर्णन वस्त्रैपणा के समान जानना। केवल इतनी ही विशेषता है कि यदि वह पात्र तैल से, घृत से, नवनीत से और वसा

या ऐसे ही किसी ग्रन्थ पदार्थ से स्निग्ध किया हुआ हो तो साधु स्थंडिल भूमि में जाकर वहा भूमि की प्रतिलेखना और प्रमार्जना करे । और तत्पश्चात् पात्र को धूली आदि का प्रमार्जित कर-मसल कर रूक्ष बना ले । यही साधु का समग्र आचार है । जो साधु ज्ञान दर्शन चारित्र्य से युक्त समितियों से समित है वह इस आचार को पालन करने का प्रयत्न करे । इस प्रकार मैं कहता हू ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को तूम्बे, काष्ठ एव मिट्टी का पात्र ही ग्रहण करना चाहिए । इसके अतिरिक्त साधु को लोह, ताम्र, स्वर्ण-चान्दी आदि धातु के तथा काच के पात्र स्वीकार नहीं करने चाहिए । और साधु को अधिक मूल्यवान पात्र एव काष्ठ आदि के पात्र भी जो कि धातु से संवेष्टित हों तो उन्हें भी ग्रहण नहीं करना चाहिए । यदि काष्ठ आदि के पात्र पर कोई गृहस्थ तैल, घृत आदि स्निग्ध पदार्थ लगाकर दे या साधु के लिए आहार आदि तैयार करके उस आहार से पात्र भर कर देवे तब भी साधु को उस सदोष आहार आदि से युक्त पात्र को ग्रहण नहीं करना चाहिए । साधु को सब तरह से निर्दोष एव एषणीय पात्र को चारों ओर से भली-भांति देख कर ही ग्रहण करना चाहिए । इस सम्बन्ध में शेष वर्णन पिडैपणा प्रकरण की तरह समझना चाहिए ।

प्रस्तुत सूत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि साधु तरुण, नीरोग, दृढ संहनन वाला हो तो उसे एक ही पात्र रखना चाहिए । वृत्तिकार ने प्रस्तुत पाठ को जिनकल्प से सम्बद्ध माना है^१ । क्योंकि, स्थविरकल्प साधु के लिए तीन पात्र रखने का विधान है । हा, अभिग्रहनिष्ठ साधु अपनी शक्ति के अनुरूप अभिग्रह धारण कर सकता है ।

इसमें यह भी बताया गया है कि साधु पात्र ग्रहण करने के लिए आधे योजन से

^१ तत्र च, यः स्थिरसहननाद्यपेत स एकमेव पात्र विभूयात् न च द्वितीयं, स च जिनकल्पिकादिः, इतरस्तुपात्रकसद्वितीय पात्र धारयेत्, तत्र सघाटके सत्येकस्मिन् भवत द्वितीये पात्र पानक मात्रक त्वाचार्यादिप्रायोग्यकृतेऽशुद्धस्य वेति । — श्री आचाराङ्ग वृत्ति ।

ऊपर न जाए। इसका तात्पर्य यह है कि साधु जिस स्थान में ठहरा हुआ हो उस समय वह पात्र लेने के लिए आधे योजन से ऊपर जाने का संकल्प न करे। परन्तु, विहार के समय के लिए यह प्रतिबन्ध नहीं है।

आहार, वस्त्र आदि की तरह साधु-साध्वी को वह पात्र भी ग्रहण नहीं करना चाहिए जो उनके लिए बनाया गया है। साधु को आधा कर्म आदि दोषों से रहित पात्र को स्वीकार करना चाहिए।

‘त्तिवेमि’ की व्याख्या पूर्ववत् समझनी चाहिए।

॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

षष्ठ अद्ययन-पात्रैषणा

द्वितीय उद्देशक

प्रथम उद्देशक में पात्र गवेषणा की विधि का उल्लेख किया गया है, अब अस्तुत उद्देशक में पात्र सम्बन्धी शेष विधि का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा २ गाहावइकुलं पिंड० पविट्ठे
समाणे पुव्वामेव पेहाए पडिग्गहं अवहट्ठु पाणे पमज्जिय रयं
तत्रो सं० गाहावइ० पिंड० निक्ख० प० , केवली० याउ० ! अंतो
पडिग्गहंसि पाणे वा बीए वा हरि० परियावज्जिज्जा, अह
भिक्खूणा पु० जं पुव्वामेव पेहाए पडिग्गहं अवहट्ठु पाणे पम-
ज्जिय रयं तत्रो सं० गाहावइ निक्खमिज्ज वा २ ॥१५४॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुको वा गृहपतिकुलं पिंडयातप्रतिज्ञया प्रविष्टः सन्
पूर्वमेव प्रेक्ष्य पतद्ग्रहं अपहृत्य (आहृत्य) प्राणिनः प्रमृज्य रजः ततः संयतमेव
गृहपतिकुलं पिंडयातप्रतिज्ञया निष्क्रामेद् वा प्रविशेद् वा केवलीं ब्रूयात्
कर्मादानमेतत् । आयुष्मन् ! अन्तः पतद्ग्रहे प्राणिनो वा बीजानि वा हरितानि
वा पर्यापद्येरन् । अथ भिक्षूणां पूर्वोपदिष्टं यत् पूर्वमेव प्रेक्ष्य पतद्ग्रहं अप-
हृत्य प्राणिनः प्रमृज्य रजः, ततः संयतमेव गृहपतिकुलं निष्क्रामेद् वा
प्रविशेद् वा ।

पदार्थ—से भिक्खू०—वह साधु या साध्वी । गाहावइ कुल—गृहस्थ के कुल में ।
पिंडयापडियाए—प्राहार प्राप्ति के लिए । पविट्ठे समाणे—प्रवेश करना हुआ । पुव्वामेव—

पहले ही । पेहाण - देखकर । पडिगह्य - पात्र का अर्थ यदि पात्र में । पाणे - प्राणि हो तो उनको । अत्रहृद्दु - निकाल कर तथा । पमज्जिय रयं - रजको प्रमार्जित कर । तत्रो - तदनन्तर । सं० - यतना पूर्वक । माहावड० - गृहपति के कुल में । पिड० प० - आहार प्राप्ति के लिए । निक्वमिञ्ज वा प० - निकले या प्रवेश करे क्योंकि । केवली० - केवली भगवन् कहते हैं । आउ० - आयुष्मन् शिर्य प्रतिनेवनना और प्रमार्जना किए बिना पात्र का जे जाना कर्म चन्वन का कारण है, क्योंकि । अनोपडिगह्यसि - पात्र के बीच में । पाणे वा - प्राणी । पीए वा - अथवा बीज । हरि० - अथवा हरी तथा सचिन रज यदि हो तो उनका । परिषा-चगिज्जजा - बिनाय हो जाएगा । ग्रह - उप लिए । निक्वण - भिक्षुओं को । प० - तीर्थरुगादि ने पहले ही यह आज्ञा दी है । जं - जोकि । पुच्चासेव - पहले ही । पडिगह्य - पात्र का । पेहाण - देखकर उममें रहे हुए । पाणे - प्राणी आदि को । अत्रहृद्दु - निकाल कर तथा । रयं - रज आदि को । पमज्जिय - प्रमार्जित कर के । तत्रो - तदनन्तर । म० - माधु । माहावड० - गृहस्थ के घर में मित्रा के लिए । पविमेञ्ज वा - प्रवेश करे । निक्वमिञ्जा वा - निकले ।

मूलार्थ—गृहस्थ के घर में आहार पानी के लिए जाने से पहले समय-निष्ठ माधु साधु अपने पात्र का प्रतिलेखन करे । यदि उसमें प्राणि आदि हो तो उन्हें बाहर निकाल कर एकान्त में छोड़ दे और रज आदि का प्रमार्जित कर दे । उसके बाद साधु आहार आदि के लिए उपाश्रय में जाकर निकले और गृहस्थ के घर में प्रवेश करे । क्योंकि भगवान का कहना है कि बिना प्रतिलेखना किए हुए पात्र को लेकर जाने से उममें रहे हुए शुद्ध जीव जन्तु एवं बीज आदि की विराधना हो सकती है । अतः माधु को आहार पानी के लिए जाने से पूर्व पात्र का सम्यक्तया प्रतिलेखन करके आहार को जाना चाहिए, यही भगवान की आज्ञा है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि माधु-साधु को आहार-पानी के लिए जाने से पहले अपने पात्र का सम्यक्तया प्रतिलेखन करना चाहिए । जबकि माधु मार्गद्वारा ने पात्र साफ करके वाचना है और प्रात उनका प्रतिलेखन कर लेना है, फिर भी आहार-पानी को ज्ञाते समय पुनः प्रतिलेखन करना अन्यायपूर्ण है । क्योंकि कभी-कभी कोई लुट जन्तु या रज (बूल) आदि पात्र में अचिष्ट हो जाते हैं । अतः जोंवा और सा के लिए उमका प्रतिलेखन एवं प्रमार्जित करना जरूरी है । यदि पात्र में न देखा जाए और वे लुट जन्तु उममें रह जाए तो उनकी विराधना हो सकती है । इस लिए बिना प्रमार्जन

क्रिए पात्र लेकर आहार को जाना कर्म बन्ध का कारण बताया गया है । अतः साधु को सदा विवेक पूर्वक पात्र का प्रतिलेखन करके ही गोचरी को जाना चाहिए ।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भि० जाव समाणे सिया से परो आहट्टु
अंतो पडिग्गहंसि सीओदगं परिभाइत्ता नीहट्टु दलइज्जा,
तहप्प० पडिग्गहगं परहत्थंसि वा परपायंसि वा अफासुयं
जाव नो प०, से य आहच्च पडिग्गहिए सिया खिप्पामेव
उदगंसि साहरिज्जा, से पडिग्गहमायाए पाणं परिट्ठविज्जा,
ससिणिड्ढाए वा भूमीए नियमिज्जा ॥ से० उदउल्लं वा ससि-
णिद्धं वा पडिग्गहं नो आमज्जिज्जा वा २ अह पु० विगओदए मे
पडिग्गहए छिन्नसिणोहे तह० पडिग्गहं तओ० सं० आमज्जिज्ज
वा जाव पयाविज्ज वा ॥ से भि० गाहो० पविसिउकामे पडिग्गह-
मायाए गाहा० पिंड० पविसिज्ज वा नि०, एवं बहिया वियारभूर्मीं
विहारभूर्मीं वा गामा० दूइज्जिज्जा, तिब्बदेसियाए जहा विइयाए
वत्थेसणाए नवरं इत्थ पडिग्गहे, एयं खलु तस्स० जं सब्बट्ठेहिं
सहिए सया जएज्जासि, त्तिवेमि ॥१५४॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा गृहपतिकुलं पिण्डपातप्रतिज्ञया प्रविष्टः
सन् स्यात् स परः आहृत्य अन्तः पतद्ग्रहे शीतोदकं परिभाज्य निःसाये दद्यात्,
तथाप्रकारं पतद्ग्रहं परहस्ते वा परपात्रे वा अप्रासुक यावत् न प्रतिगृह्णीयात्
स च आहृत्य प्रतिगृहीतं स्यात् क्षिप्रमेव उदके आहरेत् प्रक्षिपेत् । स पतद्ग्रह-

मादाय पानं परिष्ठायेत्, सस्निग्धायां वा भूमौ नियमेत्-प्रक्षिपेत् ॥ स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा उदकाद्रं वा सस्निग्धं वा पतद्ग्रहं नो आमृज्येत् २ अथ पुनः एव जानीयान् विगतोदकं मे पतद्ग्रह (पात्रं) छिन्नस्नेहं तथाप्रकारं पतद्ग्रहं ततः संयतमेव आमृज्येत् वा यावत् परितापयेत् वा ॥ स भिक्षुर्वा गृहपतिकुलं प्रवेष्टुकापः पतद्ग्रहमादाय गृहपतिकुलं पिण्डपातप्रतिज्ञया प्रविशेद् वा निष्क्रामेद् वा, एवं बहिः विचारभूमिं वा विहारभूमिं वा ग्रामानुग्राम दूयेत-गच्छेत् । तीव्रदेशीया यथा द्वितीयायां वस्त्रैपण्यायां, नवरं अत्र पतद्ग्रहे, एव खलु तस्य भिक्षोः २ मामग्र्यं यत् सर्वाथैः समितैः सहितः सदा यतेत । इति ब्रवीमि ।

पदार्थ-से मि० - वह साधु या साध्वी । जाव समाणे - गृहपति के घर मे प्रवेश करते हुए । सिया - कदाचित् । से - उस साधु को । परो - गृहस्थ । आहट्टु - घर के भीतर से बाहर लाकर । अंतोपडिग्गहंसि - गृहस्थ के अन्य किसी पात्र में । सीओदगं - सचित्त पानी को । परिमाइत्ता - घट आदि के किसी अन्य बर्तन मे डालकर । निहट्टु - फिर उसे लाकर । दलइज्जा - दे तो । तहप्पगारं - तथाप्रकार के । पडिग्गहं - पात्र को-जोकि पानी से भरा हुआ है । परहत्थंसि वा - गृहस्थ के हाथ मे है । पर पायसि वा - या अन्य पात्र मे है तो । अफासुयं - उसे अप्रासुक । जाव - यावत् अनेपणीय जानकर । नो प० - साधु ग्रहण न करे । य - पुनः । से - वह-पात्र । आहत्त - कदाचित् । पडिग्गहिए सिया - ग्रहण कर लिया हो तो । से - वह साधु । खिप्पामेव - जीव ही । उदगंसि - उस पानी को डालने योग्य भाजन में । साहरिज्जा - डाल दे । पडिग्गहमायाए - यदि गृहस्थ पानी वापिस लेना न चाहे तो पानी युक्त पात्र को लेकर किसी अन्य एकान्त स्थान में जाकर । पाण - पानी को । परिट्ठविज्जा - परठ दे । वा - अथवा । स सिणिद्धाए भूमिए - स्निग्ध भूमि पर । नियमिज्जा - परठ दे । से- मि० - वह साधु अथवा साध्वी पानी को परठने के बाद । उदउल्लं वा - जिससे पानी के बिन्दु टपक रहे हैं अथवा । ससिणिद्धं वा - जो पानी से गीला है । पडिग्गहं - उस पात्र को नो आमज्जिज्जा - मार्जित न करे; मसले नही यावत् धूप में सुखाए नही । अह पुण एवं जाणिज्जा - और यदि इस प्रकार जाने । मे - मेरा । पडिग्गहए - पात्र । विगओदेए - पानी से रहित हो गया है और । छिन्नसिणेहे - गीला भी नही है । तह० - तथाप्रकार के । पडिग्गह - पात्र को । तओ - तत्पश्चात् । सं० - साधु । आमज्जिज्ज वा - प्रमार्जित करे । जाव - यावत् । पयाविज्ज वा - धूप मे सुखाए ।

से मि० - वह साधु या साध्वी । गाहा० - गृहपति के घर में । पविसिउ कामे - प्रवेश करने की इच्छा करता हुआ । पडिग्गहमायाए - पात्र को लेकर । गाहा० - गृहपति के घर

में । पिंड० — आहार प्राप्ति के लिए । पविसिञ्ज वा — प्रवेश करे यथवा । नि० — निकले । एव बहिया — इसी प्रकार बाहर । धियार भूर्मी वा — स्थंडिल में जाना हो तो पात्र लेकर जाए और । विहार भूर्मी वा — स्वाध्याय भूमि में जाना हो तो पात्र लेकर जाए तथा । गामा० दूइ-जिज्ज्जा — ग्रामानुग्राम विहार करना हो तब भी पात्र लेकर विहार करे । तिब्वदेसियाए — यदि थोड़ी-बहुत वर्षा बरस रही हो तो । जहा — जंसे । विइयाए — द्वितीय । वत्थेसणाए — वस्त्रैपणा के विषय में वर्णन किया है, शेष वर्णन उसी तरह समझ लेना चाहिए । नवर — इतना विशेष है । इत्थ — यहा पर । पडिग्गहे — पात्र का अधिकार जानना । खलु — निश्चय ही । एव — इस प्रकार । तस्स भिक्खूसस वा० २ — उम् साधु या साध्वी का । सामग्गिय — समग्र-सम्पूर्ण आचार है । ज सव्वट्ठेहि — जो सर्व अर्थों से युक्त । समिएहि — समितियों के । सहिए — सहित । सया — सदा । जएज्जासि — इसके पालन में यत्न करे । त्तिवैमि — इस प्रकार मैं कहता हू ।

मूलार्थ—गृहस्थ के घर में गए हुए साधु या साध्वी ने जब पानी की याचना की और गृहस्थ घर के भीतर से सचित्त जल को किसी अन्य भाजन में डाल कर साधु को देने लगा हो तो इस प्रकार के जल को अप्रासुक जानकर साधु ग्रहण न करे । कदाचित्-असावधानी से वह जल ले लिया गया हो तो शीघ्र ही उस जल को वापिस करदे । यदि गृहस्थ उसे वापिस न ले तो फिर वह उस जल युक्त पात्र को लेकर स्निग्ध भूमि में अथवा अन्य किसी योग्य स्थान में जल को परठ दे और पात्र को एकान्त स्थान में रख दे, किन्तु जब तक उस पात्र से जल के बिन्दु टपकते रहें या वह पात्र गीला रहे तब तक उसे न तो पोछे और न धूप में सुखावे । जब यह जान ले कि मेरा यह पात्र अब दिग्गत जल और स्नेह से रहित हो गया है तब उसे पोछ सकता है और धूप में भी सुखा सकता है ।

सयमशील साधु या साध्वी जब आहार लेने के लिए गृहस्थ के घर में जाए तो अपने पात्र साथ लेकर जाए । इसी तरह स्थंडिल भूमि और स्वाध्याय भूमि में जाते समय भी पात्र को साथ लेकर जाए और ग्रामानुग्राम विहार करते समय भी पात्र को साथ में ही रखे । और न्यूनाधिक

वर्षा के समय की विधि का वर्णन वस्त्रैषणा अध्ययन के दूसरे उद्देशक के अनुसार समझना चाहिए। यही साधु या साध्वी का समग्र आचार है। प्रत्येक साधु साध्वी को इसके परिपालन करने का सदा प्रयत्न करना चाहिए।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि गृहस्थ के घर में पानी के लिए गए हुए साधु-साध्वी को कोई गृहस्थ सचित्त पानी देने का प्रयत्न करे तो वह उसे स्वीकार न करे। और यदि कभी असावधानी से ग्रहण कर लिया हो तो उसे अपने उपयोग में न लाए। वह उसे उसी समय वापिस कर दे, यदि गृहस्थ वापिस लेना स्वीकार न करे तो एकान्त स्थान में स्निग्ध भूमि पर परठ दे और उस पात्र को तब तक न तो षोड्छे एवं न धूप में सुखाए जब तक उसमें पानी की बून्दें टपकती हों या वह गीला हो।

सचित्त पानी देने के सम्बन्ध में वृत्तिकार ने चार कारण बताए हैं— १ गृहस्थ की अनभिज्ञता-वह यह न जानता हो कि साधु सचित्त पानी लेते हैं या नहीं, २ शत्रुता-साधु को बदनाम करके उसे लोगों के सामने सदोष पानी ग्रहण करने वाला बताने की दृष्टि से, ३ अनुकम्पा-साधु को प्यास से व्याकुल देखकर अचित्त जल न होने के कारण दया भाव से और ४ विमर्षता-किसी विचार के कारण उसे ऐसा करने को विवश होना पड़ा हो। यह स्पष्ट है कि गृहस्थ चाहे जिस परिस्थिति एवं भावनावश सचित्त जल दे, परन्तु साधु को किसी भी परिस्थिति में सचित्त जल का उपयोग नहीं करना चाहिए।

सचित्त जल को परठने के सम्बन्ध में वृत्तिकार का कहना है कि यदि गृहस्थ उस सचित्त जल को वापिस लेना स्वीकार न करे तो साधु को उसे कूप आदि में समान जातीय जल में परठ देना चाहिए। और उपाध्याय पार्श्व चन्द्र ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि यदि साधु के पास दूसरा पात्र हो तो उसे उस सचित्त जल युक्त पात्र को एकान्त में परठ (छोड़) देना चाहिए। परन्तु, ये दोनों कथन आगम सम्मत प्रतीत नहीं होते। क्योंकि, आगम में पानी को परठने के लिए स्पष्ट रूप से स्निग्ध भूमि का उल्लेख किया गया है। अतः उस जल को कुंए आदि में डालना उचित प्रतीत नहीं होता। क्योंकि इस क्रिया में अप्कायिक एवं अन्य जीवों की हिंसा होगी। और उस सचित्त जल के साथ पात्र को परठना भी उचित प्रतीत नहीं होता, यदि वह मजबूत है। क्योंकि, चलते हुए मजबूत पात्र को परठना एवं परठने वाले का समर्थन करना दोष युक्त माना है और उसके लिए आगम में लघु चातुर्मासी प्रायश्चित्त बताया है ॥

में । पिंड०—आहार प्राप्ति के लिए । पविसिञ्ज वा—प्रवेश करे यथवा । नि०—निकले । एव वहिया—इसी प्रकार वाहर । वियार भूमी वा—स्थंडिल में जाना हो तो पात्र लेकर जाए और । विहार भूमि वा—स्वाध्याय भूमि में जाना हो तो पात्र लेकर जाए तथा । गामा० दूड-ज्जिञ्जा—ग्रामानुग्राम विहार करना हो तब भी पात्र लेकर विहार करे । तिव्वदेसियाए—यदि थोड़ी-बहुत वर्षा बरस रही हो तो । जहा—जैसे । विइयाए—द्वितीय । वत्येसणाए—वस्त्रेषण। के विषय में वर्णन किया है, शेष वर्णन उसी तरह समझ लेना चाहिए । नवर—इतना विशेष है । इत्थ—यहां पर । पडिग्गहे—पात्र का अधिकार जानना । खलु—निश्चय ही । एव—इस प्रकार । तस्स भिवखूस्स वा० २—उस साधु या साध्वी का । सामग्गिय—समग्र-सम्पूर्ण आचार है । ज सव्वट्ठेहि—जो सर्व अर्थों से युक्त । समिएहि—समितियों के । सहिए—सहित । सया—सदा । जएज्जासि—इसके पालन में यत्न करे । त्तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—गृहस्थ के घर में गए हुए साधु या साध्वी ने जब पानी की याचना की और गृहस्थ घर के भीतर से संचित जल को किसी अन्य भाजन में डाल कर साधु को देने लगा हो तो इस प्रकार के जल को अप्रासुक जानकर साधु ग्रहण न करे । कदाचित्—असावधानी से वह जल ले लिया गया हो तो शीघ्र ही उस जल को वापिस करदे । यदि गृहस्थ उसे वापिस न ले तो फिर वह उस जल युक्त पात्र को लेकर स्निग्ध भूमि में अथवा अन्य किसी योग्य स्थान में जल को परठ दे और पात्र को एकान्त स्थान में रख दे, किन्तु जब तक उस पात्र से जल के बिन्दु टपकते रहें या वह पात्र गीला रहे तब तक उसे न तो पोछे और न धूप में सुखावे । जब यह जान ले कि मेरा यह पात्र अब क्षिण जल और स्नेह से रहित हो गया है तब उसे पोछ सकता है और धूप में भी सूखा सकता है ।

संयमशील साधु या साध्वी जब आहार लेने के लिए गृहस्थ के घर में जाए तो अपने पात्र साथ लेकर जाए । इसी तरह स्थंडिल भूमि और स्वाध्याय भूमि में जाते समय भी पात्र को साथ लेकर जाए और ग्रामानुग्राम विहार करते समय भी पात्र को साथ में ही रखे । और न्यूनाधिक

वर्षा के समय की विधि का वर्णन वस्त्रैषणा अध्ययन के दूसरे उद्देशक के अनुसार समझना चाहिए। यही साधु या साध्वी का समग्र आचार है। प्रत्येक साधु साध्वी को इसके परिपालन करने का सदा प्रयत्न करना चाहिए।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि गृहस्थ के घर में पानी के लिए गए हुए साधु-साध्वी को कोई गृहस्थ सचित्त पानी देने का प्रयत्न करे तो वह उसे स्वीकार न करे। और यदि कभी असावधानी से ग्रहण कर लिया हो तो उसे अपने उपयोग में न लाए। वह उसे उसी समय वापिस कर दे, यदि गृहस्थ वापिस लेना स्वीकार न करे तो एकान्त स्थान में स्निग्ध भूमि पर परठ दे और उस पात्र को तब तक न तो ढोँछे एवं न धूप में सुखाए जब तक उसमें पानी की बून्दें टपकती हों या वह गीला हो।

सचित्त पानी देने के सम्बन्ध में वृत्तिकार ने चार कारण बताए हैं— १ गृहस्थ की अनभिज्ञता-वह यह न जानता हो कि साधु सचित्त पानी लेते हैं या नहीं, २ शत्रुता--साधु को बदनाम करके उसे लोगों के सामने सदोष पानी ग्रहण करने वाला बताने की दृष्टि से, ३ अनुकम्पा-साधु को प्यास से व्याकुल देखकर अचित्त जल न होने के कारण दया भाव से और ४ विमर्षता--किसी विचार के कारण उसे ऐसा करने को विवश होना पड़ा हो। यह स्पष्ट है कि गृहस्थ चाहे जिस परिस्थिति एवं भावनावश सचित्त जल दे, परन्तु साधु को किसी भी परिस्थिति में सचित्त जल का उपयोग नहीं करना चाहिए।

सचित्त जल को परठने के सम्बन्ध में वृत्तिकार का कहना है कि यदि गृहस्थ उस सचित्त जल को वापिस लेना स्वीकार न करे तो साधु को उसे कूप आदि में समान ज्वातीय जल में परठ देना चाहिए। और उपाध्याय पार्श्व चन्द्र ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि यदि साधु के पास दूसरा पात्र हो तो उसे उस सचित्त जल युक्त पात्र को एकान्त में परठ (छोड़) देना चाहिए। परन्तु, ये दोनों कथन आगम सम्मत प्रतीत नहीं होते। क्योंकि, आगम में पानी को परठने के लिए स्पष्ट रूप से स्निग्ध भूमि का उल्लेख किया गया है। अतः उस जल को कुएं आदि में डालना उचित प्रतीत नहीं होता। क्योंकि इस क्रिया में अप्कायिक एवं अन्य जीवों की हिंसा होगी। और उस सचित्त जल के साथ पात्र को परठना भी उचित प्रतीत नहीं होता, यदि वह मजबूत है। क्योंकि, चलते हुए मजबूत पात्र को परठना एवं परठने वाले का समर्थन करना दोष युक्त माना है और उसके लिए आगम में लघु चातुर्मासी प्रायश्चित्त बताया है*।

* जे भिक्खू पडिग्गहं अलं, थिरं, धुवं, वारणिज्जं णो धरइ धारंतं वा साइज्जइ ।
निगीथ सूत्र, उद्देशक १४ ।

इससे स्पष्ट होता है कि साधु उस पानी को न तो कुंए आदि में फेंके, न पात्र सहित ही परठे, परन्तु एकान्त छाया युक्त सिन्धु स्थान में विवेक पूर्वक परठे ।

वस्त्र आदि की तरह पात्र के सम्बन्ध में भी यह बताया गया है कि साधु जब भी आहार-पानी के लिए गृहस्थ के घर में जाए या शौच के लिए बाहर जाए या स्वाध्याय भूमि में जाए तो अपने पात्र को साथ लेकर जाए । इससे स्पष्ट होता है कि साधु को बिना पात्र के कहीं नहीं जाना चाहिए । इसका कारण यह है कि पात्र किसी भी समय काम में आ सकता है । अतः उपाश्रय से बाहर जाते समय उसे साथ रखना उपयुक्त प्रतीत होता है ।

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

॥ षष्ठ अध्यायन समाप्त ॥

सप्तम अध्ययन-अवग्रह प्रतिमा

प्रथम उद्देशक

छठे अध्ययन मे पात्रैपणा का वर्णन किया गया था, परन्तु, साधु पात्र आदि सभी उपकरण किसी गृहस्थ की आज्ञा से ही ग्रहण करता है। क्योंकि उसने पूर्णतया चोरी का त्याग कर रखा है। अतः प्रस्तुत अध्ययन में अवग्रह का वर्णन किया गया है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से अवग्रह चार प्रकार का होता है और सामान्य रूप से पांच प्रकार का अवग्रह माना गया है—१ देवेन्द्र अवग्रह, २ राज अवग्रह, ३ गृहपति अवग्रह, ४ ज्ञान्यातर अवग्रह और ५ सावर्त्मिक अवग्रह। उक्त अवग्रहों का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—समण भविस्सामि अणुगारे अकिंचणो अपुत्ते अपसू
परदत्तभोई पावं कम्मं नो करिस्सामित्ति समुट्ठाए सव्वं भंते० !
अदिन्नादाणं पच्चक्खामि, से अणुपविस्सित्ता गामं वा जाव
रायहाणिं वा नेव सयं अदिन्नं गिरिहज्जा नेवज्जनेहिं अदिन्नं
गिहाविज्जा अदिन्नं गिरहंतेवि अन्ने न समणुजाणिज्जा,
जेहिवि सद्धिं संपव्वइए तेसिंपि जाइं छत्तगं वा जाव चम्मछे-
यणगं वा तेसिं पुव्वामेव उग्गहं अणुणन्नविय अपडिलेहिय २
अपमज्जिय २ नो उग्गिरिहज्जा वा, परिगिरिहज्ज वा, तेसिं
पुव्वामेव उग्गहं जाइज्जा अणुणन्नविय पडिलेहिय पमज्जिय तत्रो
सं० उग्गिरिहज्जा वा प० ॥१५५॥

झाया—अमणो भविस्सामि अनगारः अकिंचनः अपुत्रः अपशुः परदत्त-

इससे स्पष्ट होता है कि साधु उस पानी को न तो कुँए आदि में फेंके, न पात्र सहित ही परठे, परन्तु एकान्त छाया युक्त सिग्ध स्थान में विवेक पूर्वक परठे ।

वस्त्र आदि की तरह पात्र के सम्बन्ध में भी यह बताया गया है कि साधु जब भी आहार-पानी के लिए गृहस्थ के घर में जाए या शौच के लिए बाहर जाए या स्वाध्याय भूमि में जाए तो अपने पात्र को साथ लेकर जाए । इससे स्पष्ट होता है कि साधु को बिना पात्र के कहीं नहीं जाना चाहिए । इसका कारण यह है कि पात्र किसी भी समय काम में आ सकता है । अतः उपाश्रय से बाहर जाते समय उसे साथ रखना उपयुक्त प्रतीत होता है ।

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

॥ षष्ठ अध्यायन समाप्त ॥

सप्तम अध्ययन-अवग्रह प्रतिमा

प्रथम उद्देशक

छठे अध्ययन में पात्रैषणा का वर्णन किया गया था, परन्तु, साधु पात्र आदि सभी उपकरण किसी गृहस्थ की आज्ञा से ही ग्रहण करता है। क्योंकि उसने पूर्णतया चोरी का त्याग कर रखा है। अतः प्रस्तुत अध्ययन में अवग्रह का वर्णन किया गया है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा में अवग्रह चार प्रकार का होता है और सामान्य रूप से पांच प्रकार का अवग्रह माना गया है—१ देवेन्द्र अवग्रह, २ राज अवग्रह, ३ गृहपति अवग्रह, ४ शय्यातर अवग्रह और ५ साधर्मिक अवग्रह। उक्त अवग्रहों का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—समणो भविस्सामि अणुगारे अकिंचणो अपुत्ते अपसू
परदत्तभोई पावं कम्मं नो करिस्सामित्ति समुट्ठाए सव्वं भंते० !
अदिन्नादाणां पच्चक्खामि, से अणुपविसित्ता गामं वा जाव
रायहाणिं वा नेव सयं अदिन्नं गिरिहज्जा नेचऽन्नेहिं अदिन्नं
गिहाविज्जा अदिन्नं गिरहंतेवि अन्ने न समणुजाणिज्जा,
जेहिवि सद्धिं संपव्वइए तेसिंपि जाइं छत्तगं वा जाव चम्मछे-
यणगं वा तेसिं पुव्वामेव उग्गहं अणुणन्नविय अपडिलेहिय २
अपमज्जिय २ नो उग्गिरिहज्जा वा, परिगिरिहज्ज वा, तेसिं
पुव्वामेव उग्गहं जाइज्जा अणुणन्नविय पडिलेहिय पमज्जिय तत्रो
सं० उग्गिरिहज्जा वा प० ॥१५५॥

छाया—श्रमणो भविष्यामि अनगारः अकिंचनः अपुत्रः अपशुः परदत्त-

भोजी पापं कपे न करिष्यामि, इति समुत्थाय सर्वं भदन्त ! अदत्तादानं प्रत्याख्यामि, स अनुभविश्य ग्राम वा यावद् राजधानी वा नैव स्वयमदत्तं गृह्णीयात्, नैवान्धैः अदत्तं ग्राहयेत् अदत्तं गृह्णीतोऽप्यन्यान् न समनुजानीयात्, यैरपि (माधुभिः) सार्द्धं संप्रव्रजितः तेषामपि यानि छत्रक वा यावत् चर्मच्छेदनक वा तेषा पूर्वमेव अवग्रहमननुज्ञाप्याप्रतिलिख्य २ अप्रमृज्य २ नावगृह्णीयाद् वा प्रतिगृह्णीयाद् वा तेषां पूर्वमेव अवग्रहं याचेतानुज्ञाप्य प्रतिलिख्य प्रमृज्य ततः सयतमेवावगृह्णीयात् प्रतिगृह्णीयाद् वा ।

पदार्थ—समण भविस्तामि—मैं श्रमण-तपस्वी साधु बनूंगा । किस प्रकार का ? अणगारे—अनगार—घर से रहित । अकिञ्चणे—अकिञ्चन—परिग्रह से रहित । अपुत्ते—पुत्र आदि से रहित । अपसू—अौर द्विपद चतुष्पदादि पशुओं से रहित एव । परदत्तभोई—दूसरे का दिया हुआ भोजन करने वाला, मैं । पाव क्रमन्—पाप कर्म को । नो करिस्तामि—नहीं करूंगा । त्ति—इस प्रकार की । समुद्ठाए—प्रतिज्ञा में उद्यत होकर मैं ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ । भते—हे भगवन् ! मैं । सब्ब—सर्व प्रकार के । अदिन्नादानं—अदत्तादान का । पच्चक्खामि—प्रत्याख्यान करता हूँ, इस प्रतिज्ञा से । से—वह-भिक्षु । गामं वा—ग्राम और नगर । जाव—यावत् । रायहाणि वा—राजधानी में । अणुपविसित्ता—प्रवेश करके । नेव सय अदिन्न गिण्हिज्जा—बिना दिए अदत्त—पदार्थ को स्वयं ग्रहण न करे तथा । नेवन्नेहि अदिन्न गिण्हिज्जा—बिना दिए पदार्थ को दूसरो से ग्रहण भी न करावे और । अदिन्न गिण्हतेवि—अदत्त को ग्रहण करने वाले । अन्ने—अन्य व्यक्तियों का । नो समणुजाणिज्जा—अनुमोदन भी न करे, इतना ही नहीं किन्तु । जेहिवि सद्धि—जिनके साथ । सपव्वइए—प्रव्रजित हुआ या जिनके साथ रहता है । तेसिपि—उनके भी । जाइं—जो । छत्तगं वा—छत्र । जाव—यावत् । चम्म छेयणग वा—चर्म छेदक आदि उपकरण विशेष है । तेसि—उनका । पुव्वा—पहले । उग्गह—अवग्रह—आज्ञा विशेष । अणणुन्नविद्य—लिए बिना । अपडिलेहिय—बिना प्रतिलेखन किए और । अपमज्जिय—बिना प्रमार्जन किए । नो उगिण्हिज्जा वा—एक वार ग्रहण न करे तथा । परिगिण्हज्ज—वार २ ग्रहण न करे, किन्तु । पुव्वामेव—पहले ही । तेसि—उनके पास । उग्गह—अवग्रह की । जाइज्जा—याचना करे अर्थात् आज्ञा मागे । अणुन्नविद्य—उनकी आज्ञा लेकर तथा । पडिलेहिय—प्रतिलेखना और । पमज्जिय—प्रमार्जना करके । तओ—तदनन्तर । स०—यतनपूर्वक । उगिण्हिज्जा वा प०—एक वार अथवा अधिक वार ग्रहण करे ।

मूलार्थ—दीक्षित हाते समय दोक्षार्थी विचार पूर्वक कहता है कि मैं श्रमण बनने वाला बनूंगा, जो घर से, परिग्रह से, पुत्रादि

सम्बन्धियों से और द्विपद-चतुष्पद आदि पशुओं से रहित होकर गोचरी (भिक्षा) लाकर सयम का पालन करने वाला साधक बनूगा, परन्तु कभी भी पापकर्म का आचरण नहीं करूंगा। हे भदन्त ! इस प्रकार की प्रतिज्ञा में आरूढ़ होकर आज मैं सर्वप्रकार के अदत्तादान का प्रत्याख्यान करता हूँ।

ग्राम, नगर, यावत् राजधानी में प्रविष्ट सयमशील साधु स्वयं अदत्त—बिना दिए हुए पदार्थों को ग्रहण न करे, न दूसरों से ग्रहण कराए और जो अदत्त ग्रहण करता है उसकी अनुमोदना (प्रशंसा) भी न करे। एव वह मुनि जिनके पास दीक्षित हुआ है, या जिनके पास रह रहा है उनके छत्र यावत् चर्म छेदक आदि उपकरण विशेष है, उनको बिना आज्ञा लिए तथा बिना प्रतिलेखना और प्रमार्जन किए ग्रहण न करे। किन्तु पहले उनसे आज्ञा लेकर और उसके बाद उनका प्रतिलेखन एव प्रमार्जन करके उन पदार्थों को स्वीकार करे। अर्थात् बिना आज्ञा से वह कोई भी वस्तु ग्रहण न करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में साधु के अस्तेय महाव्रत का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि साधु किसी व्यक्ति की आज्ञा के बिना सामान्य एव विशिष्ट कोई भी पदार्थ स्वीकार न करे। वह दीक्षित होते समय यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं घर, परिवार, धन-धान्य आदि का त्याग करके तप-साधना के तेजस्वी पथ पर आगे बढ़ूंगा और साध्य-सिद्धि तक पहुँचने में सहायक होने वाले आवश्यक पदार्थों एवं उपकरणों को बिना आज्ञा के ग्रहण नहीं करूंगा। इस तरह साधक जीवन पर्यन्त के लिए चोरी का सर्वथा त्याग करके साधना पथ पर कदम रखता है। यहाँ तक कि वह अपने सांभोगिक साधुओं की किसी भी वस्तु को उनकी आज्ञा के बिना ग्रहण नहीं करता। यदि किसी साधु को छत्र, चर्म छेदनी आदि पदार्थ पड़े हुए हैं और अन्य साधु को उनकी आवश्यकता है, तो वह उस साधु की आज्ञा के बिना उन्हें ग्रहण नहीं करेगा। प्रस्तुत प्रसंग में छत्र का अर्थ है—वर्षा के समय सिर पर लिया जाने वाला ऊन का कम्बल। और स्थविर कल्पी मुनि विशेष कारण उपस्थित होने पर छत्र भी रख सकते हैं। वृत्तिकार

भोजी पापं कपे न करिष्यामि, इति समुत्थाय सर्वं भदन्त ! अदत्तादानं प्रत्याख्यामि, स अनुग्रविश्य ग्राम वा यावद् राजधानी वा नैव स्वयमदत्तं गृह्णीयात्, नैवान्यैः अदत्तं ग्राहयेत् अदत्तं गृह्णीतोऽप्यन्यान् न समनुजानीयात्, यैरपि (माधुभिः) सार्द्धं संप्रव्रजितः तेषामपि यानि छत्रक वा यावत् चर्मच्छेदनक वा तेषा पूर्वमेव अवग्रहमननुज्ञाप्याप्रतिलिख्य २ अप्रमृज्य २ नावगृह्णीयाद् वा प्रतिगृह्णीयाद् वा तेषां पूर्वमेव अवग्रहं याचेतानुज्ञाप्य प्रतिलिख्य प्रमृज्य ततः सयतमेवावगृह्णीयात् प्रतिगृह्णीयाद् वा ।

पदार्थ—समण भविस्सामि—मैं धमण-तपस्वी साधु वनूगा । किस प्रकार का ? अणगारे—अनगार-घर से रहित । अकिंचणे—अकिंचन-परिग्रह से रहित । अपुत्ते—पुत्र आदि से रहित । अपसू—और द्विपद चतुष्पदादि पशुओं से रहित एव । परदत्तभोई—दूसरे का दिया हुआ भोजन करने वाला, मैं । पाय क्रमन्—पाप कर्म को । नो करिस्सामि—नहीं करूंगा । त्ति—इस प्रकार की । समुट्ठाए—प्रतिज्ञा में उद्यत होकर मैं ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ । भते—हे भगवन् ! मैं । सब्ब—सर्व प्रकार के । अदिन्नादानं—अदत्तादान का । पच्चक्खामि—प्रत्याख्यान करता हूँ, इस प्रतिज्ञा से । से—वह-भिक्षु । गामं वा—ग्राम और नगर । जाव—यावत् । रायहारिण वा—राजधानी में । अणुपविसिन्ता—प्रवेश करके । नेव सय अदिन्न गिण्हिज्जा—बिना दिए अदत्त—पदार्थ को स्वयं ग्रहण न करे तथा । नेवनेहि अदिन्न गिण्हिज्जा—बिना दिए पदार्थ को दूसरी से ग्रहण भी न करावे और । अदिन्न गिण्हिजेवि—अदत्त को ग्रहण करने वाले । अन्ने—अन्य व्यक्तियों का । नो समणुजाणिज्जा—अनुमोदन भी न करे, इतना ही नहीं किन्तु । जेहिवि सद्धि—जिनके साथ । सपव्वइए—प्रव्रजित हुआ या जिनके साथ रहता है । तेसिपि—उनके भी । जाइ—जो । छत्तगं वा—छत्र । जाव—यावत् । चम्म छेयणम वा—चर्म छेदक आदि उपकरण विशेष है । तेसि—उनका । पुव्वा—पहले । उग्गह—अवग्रह—प्राज्ञा विशेष । अणुण्णविद्य—लिए बिना । अपडिलेहिय—बिना प्रतिलेखन किए और । अपमज्जिय—बिना प्रमार्जन किए । नो उग्गिण्हिज्जा वा—एक वार ग्रहण न करे तथा । परिगिण्हिज्ज—बार २ ग्रहण न करे, किन्तु । पुव्वामेव—पहले ही । तेसि—उनके पास । उग्गह—अवग्रह की । जाइज्जा—याचना करे अर्थात् आज्ञा मागे । अणुण्णविद्य—उनकी आज्ञा लेकर तथा । पडिलेहिय—प्रतिलेखना और । पमज्जिय—प्रमार्जना करके । तथो—तदनन्तर । स०—यतनपूर्वक । उग्गिण्हिज्जा वा ५०—एक वार अथवा अधिक वार ग्रहण करे ।

मूलार्थ—दीक्षित होते समय दीक्षार्थी विचार पूर्वक कहता है कि मैं

नो-तप करने वाला वनूगा, जो घर से, परिग्रह से, पुत्रादि

सम्बन्धियों से और द्विपद-चतुष्पद आदि पशुओं से रहित होकर गोचरी (भिक्षा) लाकर संयम का पालन करने वाला साधक बनूँगा, परन्तु कभी भी पापकर्म का आचरण नहीं करूँगा। हे भदन्त ! इस प्रकार की प्रतिज्ञा में आरूढ़ होकर आज मैं सर्वप्रकार के अदत्तादान का प्रत्याख्यान करता हूँ।

ग्राम, नगर, यावत् राजधानी में प्रविष्ट सयमशील साधु स्वयं अदत्त—बिना दिए हुए पदार्थों को ग्रहण न करे, न दूसरों से ग्रहण कराए और जो अदत्त ग्रहण करता है उसकी अनुमोदना (प्रशंसा) भी न करे। एव वह मुनि जिनके पास दीक्षित हुआ है, या जिनके पास रह रहा है उनके छत्र यावत् चर्म छेदक आदि उपकरण विशेष है, उनको बिना आज्ञा लिए तथा बिना प्रतिलेखना और प्रमार्जन किए ग्रहण न करे। किन्तु पहले उनसे आज्ञा लेकर और उसके बाद उनका प्रतिलेखन एवं प्रमार्जन करके उन पदार्थों को स्वीकार करे। अर्थात् बिना आज्ञा से वह कोई भी वस्तु ग्रहण न करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में साधु के अस्तेय महाव्रत का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि साधु किसी व्यक्ति की आज्ञा के बिना सामान्य एवं विशिष्ट कोई भी पदार्थ स्वीकार न करे। वह दीक्षित होते समय यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं घर, परिवार, धन-धान्य आदि का त्याग करके तप-साधना के तेजस्वी पथ पर आगे बढ़ूँगा और साध्य-सिद्धि तक पहुँचने में सहायक होने वाले आवश्यक पदार्थों एवं उपकरणों को बिना आज्ञा के ग्रहण नहीं करूँगा। इस तरह साधक जीवन पर्यन्त के लिए चोरी का सर्वथा त्याग करके साधना पथ पर कदम रखता है। यहाँ तक कि वह अपने सांभोगिक साधुओं की किसी भी वस्तु को उनकी आज्ञा के बिना ग्रहण नहीं करता। यदि किसी साधु को छत्र, चर्म छेदनी आदि पदार्थ पड़े हुए हैं और अन्य साधु को उनकी आवश्यकता है, तो वह उस साधु को आज्ञा के बिना उन्हें ग्रहण नहीं करेगा। प्रस्तुत प्रसंग में छत्र का अर्थ है—वर्षा के समय सिर पर लिया जाने वाला ऊन का कम्बल। और स्थविर कल्पी मुनि विशेष कारण उपस्थित होने पर छत्र भी रख सकते हैं। वृत्तिकार

ने भी अपचाद मार्ग में छत्र-छाता रखने की बात कही है* । अतः छत्र शब्द से कम्बल और छत्र दोनों में से कोई भी पदार्थ हो सकता है । इसी तरह साधु किसी कार्य के लिए गृहस्थ के घर से चर्म छेदनी† या असि पुत्र (चाकू) आदि लाया हो और दूसरे साधु को इन वस्तुओं को या उसके पास में स्थित वस्तुओं में से किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता हो तो वह उक्त मुनि की आज्ञा लेकर उस वस्तु को ग्रहण कर सकता है । इस तरह साधु स्तेय कर्म से पूर्णतः निवृत्त होकर साधना पथ में गति-प्रगति करता हुआ अपने लक्ष्य पर पहुंचने का प्रयत्न करता है ।

इस विषय को आगे बढ़ाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भि० आगंतारेसु वा ४ अणुवीड उग्गहं जाइज्जा,
जे तत्थ ईसरे जे तत्थ समहिट्ठए ते उग्गहं अणुन्नविज्जा कामं
खलु आउसो० ! अहालंदं अहापरिन्नायं वसामो जाव आउसो !
जाव आउसंतस्स उग्गहे जाव साहम्मिया एइ तावं उग्गहं
उग्गिहिहस्सामो, तेण परं विहरिस्सामो ॥ से किं पुण तत्थोग्ग-
हंसि एवोग्गहयंसि जे तत्थ साहम्मिया संभोइया समणुन्ना उवा-
गच्छिज्जा जे तेण सयमेसित्तए असणे वा ४ तेण ते साहम्मिया
३ उवनिमंतिज्जा, नो चेव ण परवडियाए अयोगिज्झिय २
उवनि० ॥१५६॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा आगन्तारेषु वा ४ अनुविचिन्त्य अवग्रह

* 'छत्रकमिति-छद अपवारणे' छादयतीति छत्र-वर्षाकल्पादि यदि वा कारणिकः
ववचित् कुकण देसादावतिवृष्टि सम्भवात् छत्रकमपि गृह्णीयाद् । —आचाराङ्ग वृत्ति ।

† नागून काटने या अन्य कार्यों के लिए साधु चर्म छेदनी आदि शस्त्र गृहस्थ के यहाँ से लाते हैं, परन्तु सूर्यास्त पूर्व ही वापिस लौटा देते हैं। क्योंकि घातु के पदार्थ रात को साधु अपनी निश्राम में नहीं रखते । अतः दिन में जब तक ये पदार्थ जिस साधु के पास हो उसकी आज्ञा के बिना अन्य साधु नहीं ले सकता । —लेखक ।

याचेत, यस्तत्र ईश्वरः यस्तत्र समधिष्ठाता तान् अवग्रहं अनुज्ञापयेत्, काम खलु आयुष्मन् गृहपते ! यथालन्दं यथापरिज्ञातं वसामः यावद् आयुष्मन् ! यावत् आयुष्मतः अवग्रहे यावत् साधर्मिकाः एष्यन्ति [समागमिष्यन्ति] तावद्वग्रहमवग्रहीष्यामः तेन परं विहरिष्यामः ॥ स किं पुनः तत्रावग्रहे एवावग्रहीते ये तत्र साधर्मिकाः साम्भोगिकाः समनोज्ञाः उपागच्छेयुः ये तेन स्वयं एषितुमशनं वा ४ तेन तान् साधर्मिकान् ३ उपनिमन्त्रयेत्, नो चैव पराप्रत्ययेन अवगृह्य २ उपनिमन्त्रयेत् ।

पदार्थ - से भिक्खू०—वह साधु अथवा साध्वी । आगंतारेसु वा—धर्मशाला आदि मे जाकर । अणुवीद्—विचार कर । उगग्रहं—अवग्रह की । जाइज्जा—याचना करे । तत्थ—उस धर्मशाला का । जे—जो । ईसरे—स्वामी है । तत्थ—उसका । जे—जो । समहिट्ठए—प्रधिष्ठाता है । ते—उनकी । उगग्रहं—आज्ञा । अणुन्नविज्जा—मागे । खलु—वाक्यालंकार मे है । आउसो—आयुष्मन् गृहस्थ ! काम—यदि आपकी इच्छा हो । अहालंदं—जितने समय के लिए आप आज्ञा दें तथा । अहापरिन्नायं—जितने क्षेत्र की आज्ञा दे, उतने समय तक उतने ही क्षेत्र मे । वसामो—हम निवास करेंगे । जाव—यावत् । आउसो—आयुष्मन् गृहस्थ ! जाव—यावन्मात्र काल प्रमाण । आउसंतस्स—आयुष्मन् का—आपका । उगग्रहे—अवग्रह होगा तथा । जाव—यावन्मात्र । साहम्मिया—साधर्मिक-साधु । एइ—आएगे । तावं—तावन्मात्र काल तक । उगग्रहं—अवग्रह को । उगिगिहस्सामो—ग्रहण करके रहेंगे । तेण पर—उसके पश्चात् । विहरिस्सामो—विहार कर जायेंगे । से—वह-साधु । किं पुण—फिर क्या करे । तत्थ—वहा । उगग्रहंसि—अवग्रह मे । एवोगगहियसि—प्रकर्ष पूर्वक आज्ञा दिए जाने पर । जे—जो । तत्थ—वहा । साहम्मिया—साधर्मिक-साधु । समोइया—साम्भोगिक-सम समाचारी के मानने वाले, तथा एक गुरु के शिष्य । समणुन्ना—उग्र विहार करने वाले अर्थात् क्रिया करने वाले । उवागच्छिज्जा—अतिथि रूप मे आए । जे—जो । तेण—उस-परमार्थी साधु से । सयं—स्वयमेव । एसित्तए—गवेषणा करके । असणं वा ४-अशनादिक चतुर्विध आहार लाया गया है । तेण—उसे । ते—उन । स्पहम्मिए—साधर्मिक साधुओं को । उवनिमंतिज्जा—निमन्त्रित करे । णं—वाक्यालंकार में है । एव—अवधारण अर्थ मे है । च—परन्तु । पर वड्डियाए—दूसरे के लाए हुए आहार की । ओगिज्झिय २—अपेक्षा से । नो उवनिमंतिज्ज—निमन्त्रित न करे ।

मूलार्थ—सयमशील साधु या साध्वी धर्मशाला आदि में जाकर और विचार कर उस स्थान की आज्ञा मागे । उस स्थान का जो स्वामी या अधिष्ठाता हो उससे आज्ञा मांगते हुए कहे-आयुष्मन् गृहस्थ ! जिस प्रकार तुम्हारी

इच्छा हो अर्थात् जितने समय के लिए जितने क्षेत्र में निवास करने की तुम आज्ञा दोगे उतने काल तक उनमें ही क्षेत्र में हम निवास करेंगे, अन्य जितने भी साधर्मिक साधु आएंगे वे भी उतने काल तक उतने क्षेत्र में ठहरेंगे । उक्तकाल के बाद वे विहार कर जाएंगे ।

इस प्रकार गृहस्थ की आज्ञा के अनुसार वहाँ निवसित साधु के पास यदि अन्य साधु-जोकि साधर्मी है, समग्र समाचारी वाले हैं और उग्र विहार करने वाले हैं, अतिथि के रूप में आजाए तो वह साधु अपने द्वारा लाए हुए आहारादि का उसे आमंत्रण करे, परन्तु अन्य के लाए हुए आहारादि के लिए उन्हें निमन्त्रित न करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में मकान ग्रहण करने सम्बन्धी अवग्रह का उल्लेख किया गया है । इसमें बताया गया है कि साधु अपने ठहरने योग्य निर्दोष एवं प्रासुक स्थान को देखकर उसके स्वामी या अधिष्ठाताः से उस मकान में ठहरने की आज्ञा मांगें । आज्ञा मांगते समय साधु यह स्पष्ट कर दे कि आप जितने समय के लिए जितने क्षेत्र में ठहरने एवं उसका उपयोग करने की आज्ञा देंगे उतने समय तक हम उतने ही क्षेत्र में ठहरेंगे । और यदि हमारे अन्य सांभोगिक साधु आएंगे तो वे भी उस अवधि तक उतने ही क्षेत्र में ठहरेंगे जितने क्षेत्र को काम में लेने की आपने आज्ञा दी है । इससे स्पष्ट है कि कोई भी साधु बिना आज्ञा लिए किसी भी मकान में नहीं ठहरता है ।

उक्त मकान में स्थित साधु के पास यदि कोई साधर्मिक, साम्भोगिक और समान समाचारी वाला अन्य साधु अतिथि रूप में आ जाए तो वह अपने लाए हुए आहार-पानी का आमन्त्रण करके उनकी सेवा करे, परन्तु अन्य द्वारा लाए हुए आहार-पानी का आमन्त्रण न करे । इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं— एक तो यह है कि साधु को अपने अतिथि साधु की स्वयं सेवा करनी चाहिए । इससे पारस्परिक प्रेम-स्नेह में अभिवृद्धि होती है । दूसरी यह कि साधु का एक माण्डले पर बैठकर आहार-पानी

ॐ स्वामी का अर्थ मकान मालिक से है और अधिष्ठाता का अर्थ है—मकान की देख-रेख के लिए रखा हुआ न्यक्ति अर्थात् अपनी अनुपस्थिति में जिसे वह मकान देख-रेख रखने के लिए दे रखा हो ।

करने का सम्बन्ध उसी साधु के साथ होता है जो साधर्मिक, साम्भोगिक और समान आचार-विचार वाला है।

अब असम्भोगी साधु के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए इसका वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से आगंतारेसु वा ४ जाव से किं पुण तत्थोग्ग-
हंसि एवोग्गहियंसि जे तत्थ साहम्मिया अन्नसंभोइया सम-
णुन्ना उवागच्छिज्जा जे तेण सयमेसित्तए पीढे वा फलए
वा सिज्जा वा संथारए वा तेण ते साहम्मिए अन्नसंभोइए
समणुन्ने उवनिमंतिज्जा नो चेव णं परवडियाए ओगिज्झिय २
उवनिमंतिज्जा ॥

से आगंतारसु वा ४ जाव से किं पुण तत्थुग्गहंसि एवो-
ग्गहियंसि जे तत्थ गाहावईण वा गाहा० पुत्ताण वा सूई वा
पिप्पलए वा कण्णसोहणए वा नहच्छेयणए वा तं अप्पणो
एगस्स अट्ठाए पाडिहारियं जाइत्ता नो अन्नमन्नस दिज्ज वा
अणुपइज्ज वा, सयंकरणिज्जंतिकट्टु, से तमायाए तत्थ
गच्छिज्जा २ पुब्बामेव उत्ताणए हत्थे कट्टु भूमीए वा ठवित्ता-
इमं खलु २ त्ति आलोइज्जा, नो चेव णं सयं पाणिग्गा
परपाणिंसि पच्चप्पिणिज्जा ॥१५७॥

छाया—स आगन्तारेषु वा ४ यावत् स किं पुनः तत्रावग्रहे एवावग्रहीते ये तत्र साधर्मिकाः अन्यसाम्भोगिकाः समनोज्ञा उपागच्छेद्युः ये तेन स्वयमेपितव्याः पीठं वा फलकं वा शय्या वा सस्तारको वा तेन तान् साधर्मिकान् अन्यसाम्भोगिकान् समनोज्ञान् उपनिमन्त्रयेत् नो चैव परप्रन्ययेन अवगृह्य २ उपनिमन्त्रयेत् । स आगन्तारेषु वा ४ यावत् स किं पुनः तत्रावग्रहे एवावग्रहीते ये तत्र गृहपतीना वा गृहपतिपुत्राणां वा सूची वा पिप्पलक वा कर्णशोधनको वा नखच्छेदनको वा ते आश्मनः एकस्यार्थाय प्रातिहारिक याचित्वा नो अन्योन्यस्य दद्याद् वा अनुप्रदद्याद् वा स्वयं करणीयमितिकृत्वा स तदादाय तत्र गच्छेत्, पूर्वमेव उत्तानकं हस्त कृत्वा भूमौ वा स्थापयित्वा इदं खलु २ इति आलोचयेत् नो चैव स्वय पाणिना परपाणौ प्रत्यर्पयेत् ।

पदार्थ—से—वह साधु । आगन्तारेषु वा—धर्मशाला आदि मे । जाव—यावत् । से—वह भिक्षु । तत्थोवगहसि—वहा अवग्रह लिए जाने पर । एवोगहियसि—प्रकृपं पूर्वक आज्ञा दिए जाने पर । पुण किं—पुनः वह वहा क्या करे ? अव सूत्रकार इस सम्बन्ध में कहते हैं । जे—जो । तत्थ—वहा पर । साहम्मिया—अतिथि रूप मे साधर्मिक हैं । अन्न समोइया—अन्य साम्भोगिक है अर्थात् जिनसे एक माडले पर बैठकर आहार करने का सम्भोग नहीं है किन्तु । समणुन्ना—वे उग्र विहारी हैं अर्थात् उत्तम आचार वाले है यदि वे । उवागच्छिज्जा—ग्रा जाये । जे—जो । तेण—पहले वहा ठहरे हुए साधु हैं उनको । सयमेसिन्तए—स्वय के गवेपणा किए हुए । पीठे वा—पीठ । फलए वा—फलक-पट्टा । सिज्जा वा—शय्या-वस्ती । सथारए वा—संस्तारक आदि । तेण—उस पीठ फलकादि से । ते—उन । साहम्मिए—साधर्मिक जो कि । अन्नसंमोइए—अन्य साम्भोगिक तथा । समणुन्ने—उग्र विहारी-उत्तम आचार वाले हैं । उवनिमत्तिज्जा—प्रेम पूर्वक निमन्त्रित करे । च—फिर । एव—अवधारणार्थक है । णं—वाक्यालकार में है । पर वडियाए—परन्तु दूसरे के लिए हुए पीठ-फलकादि । ओगिन्धिय—उनकी अपेक्षा से । नो उवनिमत्तिज्जा—निमन्त्रित न करे ।

से—वह भिक्षु । आगन्तारेषु वा ४—धर्म शाला आदि के विषय मे । जाव—यावत् । से—वह । तत्थुगहसि—आज्ञा लेने पर । एवोगहियंसि—विशेषता से आज्ञा प्राप्त होने के पश्चात् । उस साधु को क्या करना चाहिए ? इस सम्बन्ध में सूत्रकार कहते हैं कि । जे—जो । तत्थ—वहा पर । गाहावईण वा—गृहपतियो के उपकरण अथवा । गाहा० पुत्ताण वा—गृहपति के पुत्रों के उपकरण । सूई वा—वस्त्रादि के सीने वाली सूई अथवा ।

विष्पलए वा—कैची-कतरनी। कणपोहणए वा—कान के मन को निकालने वाली शलाका कर्णशोधक सलाई। नहच्छेयणए वा—नख छेदन करने वाला उपकरण आदि पड़े हो तो। तं—उसको। अत्पणो—अपने। एगस्स—एक के। अट्ठाए—लिए। पाडिहारियं—प्रातिहारक-वापिस दिए जाने वाला। जाइत्ता—माग कर। अन्नमन्नस्स—परस्पर अन्य साधुओं को। नो दिज्ज वा—न दे। न अणुपइज्ज वा—बार बार न दे किन्तु। सयं करणिज्जतिकट्ठु—अपना कार्य पूरा करके। से—वह साधु। तमायाए—उस सूई आदि को लेकर। तत्थ—वहा गृहस्थ के पास। गच्छिज्जा २—जाए और वहा जाकर। पुब्बामेव—पहले ही। उत्ताणए हत्थे कट्ठु—सीधा हाथ पसार कर और सूई आदि को हाथ में रख कर। वा—अथवा। भूमोए—पृथ्वी पर। ठवित्ता—रख कर फिर गृहस्थ के प्रति कहे। इम खलु २ त्ति—यह निश्चय ही तुम्हारी वस्तु है, ऐसा कह कर वह वस्तु उसको दिखावे परन्तु। सयं पाणिणा—अपने हाथ से। पर पाणिसि—गृहस्थ के हाथ में। नो पच्चप्पिणिज्जा—न दे।

मूलार्थ—आज्ञा प्राप्त कर धर्मशाला आदि में ठहरे हुए साधु के पास यदि उत्तम आचार वाले असभोगी साधु-साधु अनिधिरूप में आजाएं तो वह स्थानीय साधु अपने गवेषणा किए हुए पीढ़, फलक, शय्या-सस्तारक आदि के द्वारा अल्पसांभोगिक साधुओं को निमन्त्रित करे, परन्तु दूसरे द्वारा गवेषित पीढ़, फलकादि द्वारा निमन्त्रित न करे।

यदि कोई साधु गृहस्थ के पास से सूई, कैची, कर्णशोधनिका और नखछेदक आदि उपकरण अपने प्रयोजन के लिये माग कर लाया हो तो वह उन उपकरणों को अन्य भिक्षुओं को न दे। किन्तु अपना कार्य करके गृहस्थ के पास जाए और लम्बा हाथ करके उन उपकरणों को भूमि पर रख कर गृहस्थ से कहे कि यह तुम्हारा पदार्थ है, इसे संभाल लो, देख लो परन्तु उन सूई आदि वस्तुओं को साधु अपने हाथ से गृहस्थ के हाथ पर न रखे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि गत सूत्र में कथित विधि से आज्ञा लेकर ठहरे हुए साधु के पास कोई असभोगिक एवं अपने समान समाचारी का पालन नहीं करने वाले साधु आ जाएं तो वह अपने लिए हुए शय्या-संथारे या पाट-तख्त आदि से उसका सत्कार-सम्मान करे अर्थात् उसे उनका आमन्त्रण करे, परन्तु अन्य के

मूलम्—से भि० से जं० उग्गहं जाणिज्जा अणंतरहियाए
पुढवीए जाव संताणए तह० उग्गहं नो गिरिहज्जा वा २ ॥ से
भि० से जं० पुण्ण उग्गहं थूणंसि वा ४ तह० अंतलिकखजाए
दुब्बद्धे जाव नो उगिरिहज्जा वा २॥

से भि० से जं० कुलियंसि वा ४ जाव नो उगिरिहज्ज
वा २ ॥ से भि० खंधंसि वा ४ अन्नयरे वा तह० जाव नो
उग्गहं उगिरिहज्ज वा २ ॥ से भि० से जं० पुण्ण० ससागारियं०
सखुड्डपसुभत्तपाणां नो पन्नस्स निकखमणपवेसे जाव धम्माणु-
ओगचिंताए, सेवं नच्चा तह० उवस्सए ससागारिए० नो उग्गहं
उगिरिहज्जा वा २ ॥ से भि० से जं० गाहावइकुलस्स मज्झं-
मज्झेणं गंतुं पंथे पडिबद्धं वा नो पन्नस्स जाव सेवं न० ॥ से
भि० से जं० इह खलु गाहावई वा जाव कम्मकरीओ वा अन्न-
मन्नं अक्कोसंति वा तहेव तिल्लादि सिणाणादि सीओदग-
वियड़ादि निगियाइ वा जहा सिज्जाए आलावगा, नवरं उग्गह-
वत्तव्वया ॥ से भि० से जं० आइन्नसंलिकखे नो पन्नस्स०
उगिरिहज्ज वा २, एयं खलु ॥१५८॥

आया—स भिनुर्वा भिक्षुको वा स यत् अवग्रहं जानीयात् अनन्तरहितायां
पृथिव्या यावत् सन्तानकः तथाप्रकार अवग्रहं न गृह्णीयात् वा २ । स भिक्षुर्वा

भिक्षुकी वा स यत् पुनः अवग्रहं स्थूणायां वा ४ तथाप्रकार अन्तरिक्षजातं दुबद्धं यावत् नो अवगृह्णीयात् वा २ ।

स भिक्षुर्वा० स यत् कुल्यके यावत् नो अवगृह्णीयाद् वा २ ॥ स भिक्षुर्वा० स्कन्धे वा ४ अन्यतरस्मिन् वा तथाप्रकारं यावत् नो अवग्रह अवगृह्णीयाद् वा २ ॥ स भिक्षुर्वा० स यत्० पुनः० ससागारिक० सक्षुद्रपशु-भक्तपानं नो प्राज्ञस्य निष्क्रमणप्रवेशः यावत् धर्मानुयोगचिन्तायां तदेव ज्ञात्वा तथाप्रकारमुपाश्रयं ससागारिक० नो अवग्रह अवगृह्णीयाद् वा २ ॥ स भिक्षुर्वा० स यत्० गृहपतिकुलस्य मध्य-मध्येन गन्तु पथि प्रतिबद्ध वा नो प्राज्ञस्य यावत् तदेव ज्ञात्वा० ॥ स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा स यत्० इह खलु गृहपतिर्वा यावत् कर्मकर्यो वा अन्योन्यम् आक्रोशन्ति वा तथैव तैजादि, स्नानादि, शीतोदक विकटादि नग्नादि वा यथा शय्यायाम् आलापकाः नवरम् अवग्रहवक्तव्यता ॥ स भिक्षुर्वा० स यत्० आकीर्णसलिख्ये नो प्राज्ञस्य० अवगृह्णीयाद् वा २ एतत् खलु० ।

पदार्थ—से मि०—वह साधु या साध्वी । से—वह । ज—जो । पुण०—फिर अवग्रह को । जाणिज्जा—जाने । अणतरहिद्याए—सचित्त । पुढवीए—पृथ्वी के विषय में । जाव—यावत् । सताणए—मकड़ी के जाले आदि से युक्त पृथ्वी में । तह०—तथाप्रकार के । उग्गह—अवग्रह को । नो गिण्हिज्ज वा—ग्रहण न करे या गृहस्थ से आज्ञा न मागे ।

से मि०—वह साधु अथवा साध्वी । से—वह । ज—जो । पुण०—फिर । उग्गह—अवग्रह को । जाणिज्जा—जाने । थूणसि वा ४—स्तूप आदि के विषय में । तह०—तथाप्रकार के । अंतलिवखजाए—अन्तरिक्ष-भूमि से ऊचे स्थानों को जो । दुबद्धे—प्रस्थिर है । जाव—यावत् ऐसे अवग्रह को । नो उगिण्हिज्ज वा २—ग्रहण न करे अथवा गृहस्थ से उसकी याचना न करे ।

से मि०—वह साधु अथवा साध्वी । से—वह । जं०—जो फिर अवग्रह को जाने । कुलियसि वा ४—भोजन आदि के विषय में जो कि चलाचल स्वभाव वाले स्थान हैं । जाव—यावत् । नो उगिण्हिज्ज वा २—अवग्रह को ग्रहण न करे और गृहस्थ से याचना भी न करे ।

से मि०—वह साधु या साध्वी फिर अवग्रह को जाने । खघसि वा—स्कन्ध आदि के विषय में । अन्नघरे वा—अन्न इसी प्रकार का ऊचा अथवा विषम स्थान । तह०—तथा—

प्रकार के। जाव—यावत् । उगहं—अवग्रह को । नो उगिण्हिज्ज वा २—ग्रहण न करे अर्थात् इस प्रकार के अवग्रह की गृहस्थ से याचना न करे ।

से मि०—वह साधु या साध्वी । से जं० पुण—वह जो फिर अवग्रह को जाने । ससागारिय—जो उपाश्रय गृहस्थो से युक्त, अग्नि और जल से युक्त तथा स्त्री पुरुष और नपुंसक आदि से युक्त हो तथा । सखुड्डपसुमत्तपाणं—बालक पशु और उनके खाने-पीने के योग्य अन्नपानादि से युक्त हो । पन्नस्स—प्रज्ञावान् साधु को । निक्खमणपवेसे—निकलना और प्रवेश करना । नो—नहीं कल्पता । जाव—यावत् । धम्माणुश्रीगच्छिताए—ऐसे स्थान में धर्मानुष्ठान एवं धर्मानुयोग चिन्ता आदि करनी नहीं कल्पती । सेव—वह-भिक्षु इस प्रकार । नच्चा—जानकर । तह०—तथा प्रकार के । उवस्सए—उपाश्रय में । स सागारिय—जो कि गृहस्थ आदि से युक्त है । उगहं—अवग्रह को । नो उगिण्हिज्ज वा २—ग्रहण न करे और न उसकी याचना करे ।

से मि०—वह साधु अथवा साध्वी । से जं०—वह जो फिर अवग्रह को जाने । गाहावई०—गृहपति कुल के । मज्झ मज्झेण—मध्य २ से । गंतु—जाने का । पंथे—मार्ग हो । वा—अथवा । पडिबद्धं—मार्ग स्त्रियो से आकीर्ण हो या स्त्री वर्ग अपनी नाना प्रकार की शारीरिक चेष्टाये कर रहा हो तो । पन्नस्स—प्रज्ञावान् साधु को उन्हें उलंघ कर जाना । नो—नहीं कल्पता अतः । सेव नच्चा—साधु इस प्रकार जानकर । तहपगारे०—तथाप्रकार के उपाश्रय के विषय में अवग्रह की याचना न करे ।

से मि०—वह साधु अथवा साध्वी । से जं० पुण०—वह जो फिर अवग्रह को जाने । इह खलु—निश्चय ही यहाँ । गाहावई वा—गृहपति । जाव—यावत् । कम्मकरीअदे वा—गृहपति की दासियों । अन्नमन्नं—परस्पर । अक्कोसति वा—आक्रोश करती हैं, आपस में लड़ती-भगडती हैं । तहेव—उसी प्रकार । तिल्लादि—तैल आदि चोपड सकती हैं तथा । सिणाणादि—स्नानादि करती हैं । सीअोदग वियडादि—शीतल सञ्चित्त जल से वा उष्ण जल से स्नान करती हैं । वा—अथवा । निगियाइ—मैदुन आदि क्रीडा के लिए नग्न होती हैं । वा—अथवा । जहा—जैसे । तिज्जाए—शय्या अध्ययन के । आलाषगा—आलापक कथन किए गए हैं उम्मी प्रकार यहा भी जान लेना । नवर—इतना विशेष है । उगहवत्तवया—यहा पर अवग्रह की वक्तव्यता है, अर्थात् अवग्रह का विषय है ।

से मि०—वह साधु अथवा साध्वी । से जं०—वह जो फिर अवग्रह को जाने । आइन्न संलिकसे—जो उपाश्रय चित्रों में आकीर्ण है ऐसे उपाश्रय में उहरेने के लिए । पन्नस्स०—प्रज्ञावान् साधु को तथाप्रकार के उपाश्रय का । उगिण्हिज्जा वा २—अवग्रह नहीं लेना चाहिए ।

एयं खलु० — निश्चय ही यह साधु और साध्वी का समग्र याचार है । त्रिवेदि — इस प्रकार में कहता हू ।

मूलार्थ—संयम निष्ठ साधु-साध्वी को सचित्त पृथ्वी या जीव जन्तु युक्त स्थान की आज्ञा नहीं लेनी चाहिए और जो उपाश्रय भूमि से ऊँचा, स्तम्भ आदि के ऊपर एवं विषम हो उसमें भी ठहरने की आज्ञा न लेनी चाहिये और जो उपाश्रय कच्ची भोत पर स्थित हो और अस्थिर हो उसकी भी साधु याचना न करे । जो उपाश्रय स्तम्भ आदि पर अवस्थित और इसी प्रकार के अन्य किसी विषम स्थान में हो तो उसकी आज्ञा भी नहीं लेनी चाहिये । जो उपाश्रय गृहस्थों से युक्त हो, अग्नि और जल से युक्त हो, एव स्त्री, बालक और पशुओं से युक्त हो तथा उनके योग्य खान-पान को सामग्री से भरा हुआ हो तो बुद्धिमान साधु को ऐसे उपाश्रय में भी नहीं ठहरना चाहिए जिस उपाश्रय में जाने के मार्ग में स्त्रियों बैठी रहती हो या वे नाना प्रकार की शारीरिक चेष्टायें करती हो, ऐसे उपाश्रय में भी बुद्धिमान साधु ठहरने की आज्ञा न मांगे । जिस उपाश्रय में गृहपति यावत् उनकी दासियों परस्पर आक्रोश करती हो, या तैलादि की मालिश करती हो, स्नानादि करती और नग्न होकर बैठती हो इस प्रकार के उपाश्रय की भी साधु याचना न करे । और जो उपाश्रय चित्रों से आकीर्ण हो रहा हो उसकी भी आज्ञा नहीं लेनी चाहिये यह साधु और साध्वी का समग्र आचार है । इस प्रकार मैं कहता हू ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में साधु को कैसे मकान में ठहरना चाहिए इसका उल्लेख करते हुए शय्या अध्ययन में वर्णित बातों को दोहराया है । जैसे— जो उपाश्रय अस्थिर दीवार एवं स्तम्भ पर बना हुआ हो, विषम स्थान पर हो, स्त्रियों से आवृत्त हो, जिसके आने-जाने के मार्ग में स्त्रियाँ बैठी हों, परस्पर तैल की मालिश कर रही हों, या अस्त-व्यस्त ढङ्ग से बैठी हों, तो ऐसे स्थान की साधु को याचना नहीं करनी चाहिए । इसका

तात्पर्य यह है कि साधु को ऐसे स्थान में ठहरने का संकल्प नहीं करना चाहिए, जिस में जीवों की हिंसा एवं संयम की विराधना होती हो, मन में विकार उत्पन्न होता हो और स्वाध्याय एवं ध्यान में विघ्न पड़ता हो ।

यह साधु का उत्सर्ग मार्ग है । परन्तु, यदि किसी गांव में सयम साधना के अनुकूल मकान नहीं मिल रहा है, तो साधु एक-दो रात के लिए परिवार वाले मकान आदि में भी ठहर सकता है । यह अपवाद मार्ग है और ऐसी स्थिति में साधु को एक-दो रात्रि से अधिक ऐसे मकान में ठहरना नहीं कल्पता है* ।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'कुलियसि एवं शूर्णसि' का अर्थ कोष† में कुड्य दीवार एवं स्तम्भ किया है । और 'धर्मागुञ्जोगर्चिताए' का अर्थ है—साधु को उसी स्थान की याचना करनी चाहिए जिसमें धर्मानुश्रम भली-भांति साधा जा सके अर्थात् जहां सयम में बिल्कुल दोष न लगे ऐसे स्थान में ठहरना चाहिए ।

॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

सप्तम अध्ययन-अवग्रह प्रतिमा

द्वितीय उद्देशक

प्रस्तुत अध्ययन अवग्रह से सम्बद्ध है । प्रथम उद्देशक में अवग्रह के सम्बन्ध में कुछ विचारकिया गया था । उसी विचार धारा को आगे बढ़ाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से आगंतारेसु वा ४ अणुवीइ उग्गहं जाइज्जा,
जे तत्थ ईसरे० ते उग्गहं अणुन्नविज्जा कामं खलु आउसो !
अहालंदं अहापरिन्नायं वसामो जाव आउसो ! जाव आउसं-
तस्स उग्गहे जाव साहमिम्थाए ताव उग्गहं उगिणिहस्सामो,
तेण परं वि० , से किं पुण तत्थ उग्गहंसि एवोग्गहियंसि जे
तत्थ समणाण वा माह० छत्तए वा जाव चम्मच्छेदणए वा तं
नो अन्तोहितो बाहिं नीणिज्जा बहियाओ वा नो अंतो पवि-
सिज्जा सुत्तं वा नो पडिबोहिज्जा, नो तेसिं किंचिवि अप्पत्तियं
पडिणीय करिज्जा ॥१५६॥

छाया—म आगन्तागारेषु वा ४ अनुविचिन्त्य अवग्रहं याचेत्, यस्तत्र ईश्वरः ०
तान् अवग्रहमनुज्ञापयेत् कामं खलु आयुष्मन् ! यथालन्दं यथापरिज्ञात वसामः
यावत् आयुष्मन् ! यावत् आयुष्मतः अवग्रहः यावत् साधर्मिकाः तावत् अवग्रहम-
वग्रहीष्यामः तेन पर विहरिष्याम , स किं पुनः तत्र अवग्रहे एवावग्रहीते ये तत्र श्रम
ण ना वा ब्राह्मणाना वा छत्रक वा यावत् चर्मच्छेदनकः वा तद् नो अन्ततः बहिः

निर्णयेत् बहिष्ठो वा नो अन्तः प्रवेशयेत्, सुप्तं वा नो प्रतिबोधयेत्, नो तेषां किञ्चिदपि अप्रीतिकं प्रत्यनीकतां कुर्यात् ।

पदार्थ—से—वह भिक्षु । आगतारेसु वा ४—धर्मशाला आदि मे । अणुवीड—विचार कर । उग्गह—अवग्रह की । जाइज्जा—याचना करे । जे—जो । तत्थ—वहा पर । ईसरे०—घर का स्वामी तथा अधिष्ठाता हो । ते—उनको । उग्गहं—अवग्रह । अणुन्नविज्जा—वतलाए जैसे कि । खलु—निश्चय ही । आउसो—हे आयुष्मन् गृहस्थ ! कामं—जितने समय तक आपकी इच्छा हो । ग्रहालद—उतने समय तक । ग्रहा परिन्नाय—तावत् प्रमाण क्षेत्र में । वसामो—हम निवास करेगे । जाव—यावत् काल पर्यन्त तुम्हारी आज्ञा होगी । आउसो !—हे आयुष्मन् ! जाव—यावत् काल पर्यन्त । आउमंतस्स—आयुष्मन् का—आपका । उग्गहे—अवग्रह हीगा उतने समय तक ही रहेगे, तथा । जाव—जितने भी । साहम्मियाए—और साधमिक साधु आयेगे वे भी । ताव—तावन्मात्र । उग्गह—अवग्रह । उग्गिहस्सामो—ग्रहण करेगे यथात् आपकी आज्ञानुसार रहेगे । तेण परं—उसके बाद । विहरिस्सामो—विहार कर जायेगे । से—वह भिक्षु । तत्थ—वहा । उग्गहंसि—अवग्रह लेने पर तथा । एवोग्गहियसि—अवग्रह के ग्रहण करने के पश्चात् । पुण कि—उसे फिर क्या करना चाहिए ? इस विषय में सूत्रकार कहते हैं । जे—जो । तत्थ—वहा पर । समणण वा—शाक्यादि श्रमणो अथवा । माह०—ब्राह्मणो के । छत्तए वा—छत्र । जाव—यावत् । चम्म छेदणए वा—चर्म छेदनक पडे हो तो । तं—उनको । अतोहो—भीतर से । बाहि—बाहर । नो नीणिज्जा—न निकाले । वा—और । बहियाओ—बाहर से । अतो—भीतर । नो पविसिज्जा—न रहे । वा—अथवा । सुत्तं—सोए हुए को । नो पडिबोहिज्जा—जागृत न करे । तेसि—उनके । किञ्चिदि—किञ्चिन्मात्र भी । अप्पत्तिय—मन को पीडा तथा । पडिणीय—प्रतिकूलता । नो करिज्जा—उत्पन्न न करे ।

मूलार्थ—साधु धर्मशाला आदि स्थानों मे जाकर और विचार कर अवग्रह की याचना करे । उक्त स्थानो के स्वामी, अधिष्ठाता से याचना करते हुए कहे कि हे आयुष्मन् गृहस्थ ! हम यहाँ पर ठहरने को आज्ञा चाहते हैं आप हमे जितने समय तक और जितने क्षेत्र मे ठहरने की आज्ञा देगे उतने समय और उतने ही क्षेत्र मे ठहरेंगे । हमारे जितने भी साधमी साधु यहां आएगे तो वे भी इसी नियम का अनुसरण करेगे । तुम्हारे द्वारा नियत की गई अवधि के बाद विहार कर जाएगे । उक्त स्थान मे ठहरने के लिए गृहस्थ को आज्ञा प्राप्त हो जाने पर साधु उस स्थान मे प्रवेश करते

समय यह ध्यान रखे कि यदि उन स्थानों में शाक्यादि श्रमण तथा ब्राह्मणों के छत्र यावत् चर्म छेदक आदि उपकरण पड़ें हों तो वह उनको भीतर में बाहर न निकाले और बाहर से भीतर न रखे तथा किसी सुपुत्र श्रमण आदि का जागृत न करे और उनके साथ किंचिन्मात्र भी अप्रीतिजनक काय न करे जिस से उनके मन को आघात पहुंचे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि गृहस्थ की आज्ञा प्राप्त करके उसके मकान में ठहरते समय साधु को कोई ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे उस गृहस्थ या उसके मकान में ठहरे हुए शाक्यादि अन्य मत के भिक्षुओं के मन को किसी तरह का आघात पहुंचे और उनके मन में साधु के प्रति दुर्भाव एवं अप्रीति पैदा हो । यदि उस मकान में पहले कोई श्रमण-ब्राह्मण ठहरे हुए हों और उनके छत्र, चामर आदि उपकरण पड़े हों तो साधु उन उपकरणों को बाहर से भीतर या भीतर से बाहर न रखे और यदि वे सुपुत्र हों तो साधु उन्हें जागृत न करे और उनके साथ किसी तरह का असभ्य एवं अशिष्ट व्यवहार भी न करे । क्योंकि साधु का जीवन स्व और पर के कल्याण के लिए है । वह अपने हित के साथ-साथ अन्य प्राणियों को भी सन्मार्ग दिखाकर उनकी आत्मा का हित करने का प्रयत्न करता है । अतः उसे प्रत्येक मानव के साथ वर्तव्य करते समय अपनी साधुता को नहीं छोड़ना चाहिए । उसकी साधुता प्रत्येक मानव के साथ—चाहे वह किसी भी पन्थ, मत, देश, जाति एवं धर्म का क्यों न हो, मानवता का, शिष्टता का एवं मधुरता का व्यवहार करने में है । इस लिए साधु को प्रत्येक स्थान में ठहरते समय इस बात की ओर विशेष लक्ष्य रखना चाहिए कि उसके व्यवहार से मकान मालिक एवं उसमें स्थित या अन्य आने-जाने वाले व्यक्तियों के मन को किसी तरह का संकलेश न पहुंचे ।

यदि आम्र के बगोचे में ठहरे हुए साधु को आम्र आदि ग्रहण करना हो तो वह उन्हें कैसे ग्रहण करे, इसका उल्लेख करने हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भि० अभिकंखिज्जा अन्नवाणं उवागच्छित्तए जे
तत्थ ईसरे २ ते उग्गहं अणुजाणाविज्जा—कामं खलु जाव वि-
हरिस्सामो, से किं पुण० एवोग्गहियंसि अह भिक्खू इच्छिज्जा
अवं भुत्तए वा से जं पुण अवं जाणिज्जा सअंडं ससंताणं तह०

लह० चोयगं वा लहसुण्णालगं वा भुत्तए वा २ से जं० लसुण्णं
वा जाव लसुण्णवीयं वा म अंडं जात्र नो पडि० , एवं अतिरिच्छ-
च्छिन्नेवि तिरिच्छच्छिन्ने जात्र प० ॥१६०॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा अभिकाक्षेत् आम्रवनमुपागंतु यस्तत्र
ईश्वरः तमवग्रहमनुजापयेत्—काम खलु यावद् विहरिष्यामः स किं
पुन तत्र अवग्रहे एवावग्रहीते, अथ भिक्षुः इच्छेत आम्र भोक्तु वा स यत्
पुनः आम्रं जानीयात् साण्ड ससन्तानक तथाप्रकारं आम्रमप्रासुक नो-
प्रतिगृह्णीयात् । स भिक्षुर्वा० स यत् पुनः आम्रं जानीयात् अल्पाण्डमल्प-
मन्तानकमतिरश्चोनच्छिन्नमव्यवच्छिन्नमग्रामुकं यावत् नो प्रतिगृह्णीयात् ॥
स भिक्षुर्वा० स यत् पुनः आम्रं जानीयात् अल्पाण्डं वा यावद् सन्तानकं तिर-
श्चोनच्छिन्न व्यवच्छिन्न यावत् प्रासुकं प्रतिगृह्णीयात् ॥ स भिक्षुर्वा भिक्षुकी
वा स यत् पुन आम्रं जानीयात् आम्रभित्तक (आम्राद्धम्) वा आम्रपेशिका
आम्रत्वच वा आम्रशालक वा आम्रडालकं वा भोक्तु वा पातु वा स यत्०
वा आम्रभित्तक वा ५ साण्डमप्रासुक० नो प्रतिगृह्णीयात् ॥ स भिक्षुर्वा० स
यत्० आम्रं वा आम्रभित्तक वा अल्पाण्ड० अतिरश्चोनच्छिन्नमव्यवच्छिन्न-
मप्रासुक नो प्रतिगृह्णीयात् ॥ स भिक्षुर्वा० स यत्० आम्रडालक वा
अल्पाण्ड ५ तिरश्चोनच्छिन्न व्यवच्छिन्न प्रतिप्रासुकगृह्णीयात् ॥ स भिक्षुर्वा
भिक्षुकी वा अभिकाक्षेत् इक्षुवन उपागन्तु, यस्तत्र ईश्वर. यावत् अव-
ग्रहीते० ॥ अथ भिक्षुः इच्छेत् इक्षु भोक्तुं वा पातु वा० स यत्० इक्षु जा-
नीयात् साण्ड यावत् नो प्रतिगृह्णीयात् अतिरश्चानच्छिन्न तथैव तिरश्चोन-
च्छिन्नमपि तथैव ॥ स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा अभिकाक्षेत् अन्तरिक्षुकं
वा इक्षुगडिका वा इक्षुत्वच वा इक्षुशालकं वा इक्षुडालक वा भोक्तुं
वा पातु वा० स यत् पुनः अतिरिक्षक वा यावत् डालक वा साण्ड०-
नो प्रतिगृह्णीयात् ॥ स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा अभिकाक्षेत् लशनवन-

मुपागन्तुं तथैव त्रयोऽपि आलापकाः नवरं लग्नम् ॥ स भिक्षुर्वा २
लशुनं वा लग्नकन्दं वा लशुनत्वच वा लग्ननालकं वा भोक्तुं वा
पातु वा २ स यत् ० लशुन वा यावत् लशुनबीज वा साण्डं वा यावत्
नो प्रतिगृह्णीयात् एवं अतिरश्चीनछिन्नमपि तिरश्चीनछिन्नं यावत्
प्रतिगृह्णीयात् ।

पदार्थ—से मि०—वह साधु अथवा साध्वी यदि । अमिकखिज्जा—चाहे । अत्र
वण—आम्र वन मे । उवागच्छित्तए—आकर अत्रग्रह की याचना करे । जे—जो । तत्थ—वहा
पर । ईमरे २—आम्रवन का स्वामी अथवा वन का अधिष्ठाता है । ते—उसको । उगह—
अत्रग्रह का । अणुजाणाखिज्जा—अनुज्ञापन करावे अर्थान् उसमे आज्ञा मागे । कामं खलु—जैसे
अपनी इच्छा हो वैसे ही । जाव—यावत् । विहरिस्सामो—हम विचरेंगे । से—वह भिक्षु ।
कि—फिर क्या करे ? अत्र सूत्रकार इस विषय मे कहते हैं । पुण०—फिर । तत्थ—वहा पर ।
एवोगहियसि—आज्ञा मिल जाने पर । अह—अथ । निक्खू—भिक्षु—साधु । अवं भुत्तए वा—
आम्र का आहार करना । इच्छिज्जा—चाहे तो । से—वह-भिक्षु । जं—जो । पुण—फिर ।
अवं—आम्रफल के मन्वन्ध मे यह । जाणिज्जा—जाने कि । स अडं—जो आम्र अण्डो के सहित
है । मसंताण—जालो से युक्त है तो । तह०—तथाप्रकार के । अवं—आम्र को । अफा०—
अप्रामुक जानकर । नो प०—ग्रहण न करे ।

से मि०—वह साधु अथवा साध्वी । से ज—वह जो फिर । अत्र जाणिज्जा—आम्र
फल को जाने । अपडं—अण्डो से रहित । अप्सताणग—जालो से रहित । अतिरिच्छिन्नं—
जो तिरछा छेदन नहीं किया हुआ है तथा जो । अक्कोच्छिन्नं—अखण्डित है उसको । अफामुयं—
अप्रामुक । जाव—यावत् अनेपणीय जानकर । नो पडिगाहिज्जा—ग्रहण न करे ।

से मि०—वह साधु या साध्वी । से जं०—वह फिर आम्र के फल को जाने जो ।
अपडं—अण्डो से रहित । जाव—यावत् । संताणगं—जालो से रहित । तिरिच्छिन्नं—
तिरछा छेदन किया हुआ । वुच्छिन्नं—वण्ड-खण्ड किया हुआ उनको । फा०—प्रामुक जान-
कर । पडि०—ग्रहण करे ।

से मि०—वह साधु या साध्वी यदि आम्र फल को ग्रहण करना चाहे तो ।
अंभित्तग—आम्र का अर्द्ध भाग । वा—अथवा । अत्र सालगं वा—आम्रफल का रस अथवा ।
अवडालगं वा—आम्रफल के सूक्ष्म-सूक्ष्म वण्ड । भुत्तए वा पायए वा—पाना या पीना चाहें
तो । से जं—वह भिक्षु जो । पुण—फिर जाने कि । अंभ नित्तगं वा—यदि आधा आम्र फल ।

लह० चोयगं वा लहसुणालगं वा भुत्तए वा २ से जं० लसुणं
वा जाव लसुणवीयं वा स अंडं जाव नो पडि० , एवं अतिरिच्छ-
छिन्नेवि तिरिच्छछिन्ने जान प० ॥१६०॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा अभिकाक्षेत् ; आम्नवनमुपागतं यस्तत्र
ईश्वरः तमवग्रहमनुज्ञापयेत्—काम खलु यावद् विहरिष्यामः स किं
पुन तत्र अवग्रहे एवावग्रहीते, अथ भिक्षुः इच्छेत आम्न भोक्तुं वा स यत्
पुनः आम्नं जानीयात् साण्ड ससन्तानक तथाप्रकारं आम्नमप्रासुक नो-
प्रतिगृणीयात् । स भिक्षुर्वा० स यन् पुनः आम्नं जानीयात्-अल्पाण्डमल्प-
सन्तानकमतिरश्चोनछिन्नमव्यवच्छिन्नमप्रासुकं यावत् नो प्रतिगृणीयात् ॥
स भिक्षुर्वा० स यत् पुनः आम्नं जानीयात् अल्पाण्डं वा यावद् सन्तानकं तिर-
श्चोनछिन्नं व्यवच्छिन्नं यावत् प्रासुकं प्रतिगृणीयात् ॥ स भिक्षुर्वा भिक्षुकी
वा स यत् पुन आम्नं जानीयात् आम्नभित्तक (आम्नाद्धम्) वा आमूपेशिका
आम्नत्वच वा अम्नशालक वा आमूडालकं वा भोक्तु वा पातु वा स यत्०
वा आम्नभित्तक वा ५ साण्डमप्रासुक० नो प्रतिगृणीयात् ॥ स भिक्षुर्वा० स
यत्० आम्न वा आम्नभित्तक वा अल्पाण्ड० अतिरश्चोनछिन्नमव्यवच्छिन्न-
मप्रासुक नो प्रतिगृणीयात् ॥ स भिक्षुर्वा० स यन्० आम्नडालक वा
अल्पाण्ड ५ तिरश्चोनछिन्न व्यवच्छिन्न प्रतिप्रासुकगृणीयात् ॥ स भिक्षुर्वा
भिक्षुकी वा अभिकाक्षेत् इक्षुवन उपागन्तु, यस्तत्र ईश्वरः यावत् अव-
ग्रहीते० ॥ अथ भिक्षुः इच्छेत् इक्षु भोक्तुं वा पातु वा० स यत्० इक्षु जा-
नीयात् साण्ड यावत् नो प्रतिगृणीयात् अतिरश्चानछिन्नं तथैव तिरश्चीन-
छिन्नमपि तथैव ॥ स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा अभिकाक्षेत् अन्तरिक्षुकं
वा इक्षुगडिका वा इक्षुत्वच वा इक्षुशालकं वा इक्षुडालक वा भोक्तुं
वा पातु वा० स यत् पुनः अन्तरिक्षुक वा यावत् डालकं वा साण्ड०-
नो प्रतिगृणीयात् ॥ स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा अभिकाक्षेत् लशनवन-

आलापक । तहेव—उसी प्रकार पूर्व की भाति जानना । नवरं—केवल इतना विशेष है ।
 लहसुण—यहा पर लशुन का अधिकार समझना चाहिए । से भि०—वह साधु अथवा साध्वी ।
 अभिकविज्जा—चाहे । लहसुण वा—लशुन को । लहसुण कंदं वा—लशुन के कन्द को । लह०-
 चोयगं वा—लशुन की त्वचा-छाल को अथवा । लहसुण नालगं वा—लशुन की नाल को ।
 भुत्तए वा—भोगना तथा पीना । से जं पुण—वह जो फिर । लहसुण वा—लशुन लशुन कन्द ।
 जाव—यावत् । लहसुणवीर्यं वा—लशुन के बीज को, जो । स अंडं—अंडादि से युक्त है ।
 जाव—यावत् । नो पडि०—ग्रहण न करे । एवं—इसी प्रकार । अतिरिच्छ छिन्नेऽवि—जो
 तिरछा छेदन नहीं किया हुआ, जो कि अचित्त है उसे ग्रहण न करे । तिरिच्छछिन्ने—
 तिरछा छेदन किया हुआ है जो कि अचित्त है । जाव—यावत् । पडि०—ग्रहण कर ले ।

मूलार्थ—यदि कोई संयम निष्ठ साधु या साध्वी आ के वन में
 ठहरना चाहे तो वह उस बगीचे के स्वामी या अधिष्ठाता से उसके लिए
 याचना करते हुए कहे कि हे आयुष्मन् गृहस्थ ! मैं यहा पर ठहरना
 चाहता हू । जितने समय के लिए आप आज्ञा देगे उतने समय ठहर कर
 बाद मे विहार कर दूंगा । इस तरह बागवान की आज्ञा प्राप्त होने पर
 वह वहा ठहरे । यदि वहा स्थित साधु को आम्ररुज खाने को इच्छा हो तो
 उसे कैसे आम्रफल को ग्रहण करना चाहिए ? इसके सम्बन्ध मे बताया
 गया है कि वह फल अंडादि से युक्त हो तो वह उसे ग्रहण न करे । अंडादि
 से रहित होने—परन्तु यदि उसका तिरछा छेदन न हुआ हो तथा उसके
 अनेक खण्ड भी न किए गए हो तो भी उसे साधु स्वीकार न करे । परन्तु
 यदि वह अंडादि से रहित हो, तिरछा छेदन किया हुआ हो और खंड २
 किया हुआ हो तो अचित्त एव प्रामुक होने से साधु उसे ग्रहण
 कर सकता है । परन्तु आम्र का आधा भाग, उसकी फाड़ी, उसकी छाल
 और उसका रस एवं उसके किए गए सूक्ष्म खंड यदि अंडादि से युक्त हो
 या अंडादि से रहित होने पर भी तिरछे कटे हुए न हो और खंड २ न
 किए गए हो तो साधु उसे भी ग्रहण न करे । यदि उनका तिरछा छेदन
 किया गया है, और अनेक खंड किए गए हैं तत्र उसे अचित्त और प्रामुक
 जानकर साधु ग्रहण कर ले ।

सअडं—अण्डो से युक्त है तो । अफा०—उसको अप्रासुक जानकर । नो प०—ग्रहण न करे ।

से सि०—वह साधु अथवा साध्वी । से ज०—वह साधु जो । अंबं—आम्रफल को । अंबं भित्तग वा—अथवा उसके अर्द्ध भाग-खण्ड को, जो कि । अप्पडं—अण्डादि से रहित होने पर भी । अतिरिच्छच्छिन्न २—तिरछा छेदन नहीं किया हुआ और न खण्ड-खण्ड किया गया है तो उसको भी अप्रासुक जानकर । नो प०—ग्रहण न करे ।

से जं०—वह साधु या साध्वी फिर आम्र फल को जाने । अथडालग वा—यावत् आम्रफल के सूक्ष्म-सूक्ष्म खण्ड किए हुए है । अप्पडं—अण्डादि से रहित है और । तिरिच्छच्छिन्न—तिरछा छेदन किया हुआ है । वुच्छिन्न—खण्ड २ किया हुआ है तथा परिपक्व होने से अचित्त हो गया है उसको । फासुय—प्रासुक जान कर । पडि०—ग्रहण करे ।

से मि०—वह साधु अथवा साध्वी यदि । अमिकखिज्जा—चाहे । उच्छुवर्ण—इक्षु-वन मे । उवागच्छित्तए—जाना । जे—जो । तस्थ—वहा । ईसरे—इक्षु वन का स्वामी है । जाव—यावत् । उग्गहसि०—उसकी आज्ञा मे ठहरे । अह भिक्खू—अतः साधु । उच्छुं—इक्षु को । भुत्तए वा पा०—खाना या पीना । इच्छिज्जा—चाहे तो । से—वह भिक्षु । ज—जो । पुण—फिर । उच्छु—इक्षु के सम्बन्ध में यह । जाणिज्जा—जाने कि । सअड—जो इक्षु अण्डो से युक्त । जाव—यावत् जालो से युक्त है उसको । नो पडि०—ग्रहण न करे । अतिरिच्छच्छिन्न—जो तिरछा छेदन नहीं किया हुआ । तहेव—उसी प्रकार अर्थात् आम्र फल के समान दूसरा आलापक जानना । तहेव—उसी प्रकार । तिरिच्छन्नेऽवि—तिरछा छेदा हुआ भी आलापक जानना यह आलापक अचित्त विषयक है और इससे पहला सचित्त विषय में है ।

से मि०—वह साधु अथवा साध्वी । अमिकखिज्जा—चाहे । अंतरुच्छुयं वा—इक्षु के पर्व भाग का मध्य अथवा । उच्छुगडिय वा—इक्षु की गडिका-कतली । उच्छुवोयग वा—अथवा इक्षु की छाल । उच्छुसा०—इक्षु का रस । उच्छुडा०—इक्षु के सूक्ष्म खण्ड । भुत्तए वा—भोगने अथवा । पा०—पीने । से—वह भिक्षु । जं—जो । पुण—फिर । जाणिज्जा—जाने । अंतरुच्छुय वा—इक्षु के पर्व का मध्य भाग । जाव—यावत् । डालग वा—इक्षु के सूक्ष्म २ खण्ड । सअड—अण्डादि से युक्त होता । नो पडि०—ग्रहण न करे । से मि०—वह साधु या साध्वी । से जं०—यह जाने । अंतरुच्छुय वा—इक्षु के पर्व का मध्य भाग । जाव—यावत् । अप्पडं वा—अण्डादि से रहित हो तो । जाव—यावत् । पडि०—ग्रहण करले । अतिरिच्छच्छिन्न—जो तिरछा छेदन नहीं किया हुआ अतः सचित्त होने से । तहेव—उसी प्रकार अग्र हृद्य ह । से मि०—वह साधु अथवा साध्वी । ल्हसण वर्ण—यदि लशुन के वन मे । उवागच्छित्तए—गमन करना । अमिकखि०—चाहे तो यावत् । तिन्निवि—तीनों ही । आलावगा—

ग्रानापक । तहेव—उमी प्रकार पूर्व की भाति जानना । नवरं—केवल इतना विशेष है ।
 ल्हसुण—यहा पर, लगुन का अधिकार समझना चाहिए । से मि०—वह साधु अथवा साध्वी ।
 अमिरुखिउजा—चाहे । ल्हसुण वा—लगुन को । ल्हसुण कंदं वा—लगुन के कन्द को । ल्ह०-
 चोयगं वा—लगुन की त्वचा—छाल को अथवा । ल्हसुण नालगं वा—लगुन की नाल को ।
 भुत्तए वा—भोगना तथा पीना । से जं पुण—वह जो फिर । ल्हसुण वा—लगुन लगुन कन्द ।
 जाव—यावत् । ल्हसुणवीयं वा—लगुन के बीज को, जो । स अंडं—अंडादि मे युक्त है ।
 जाव—यावत् । नो पडि०—ग्रहण न करे । एवं—इसी प्रकार । अतिरिच्छ छिन्नेऽवि—जो
 तिरच्छा छेदन नहीं किया हुआ, जो कि सचित्त है उमे ग्रहण न करे । तिरिच्छछिन्ने—
 तिरच्छा छेदन किया हुआ है जो कि अचित्त है । जाव—यावत् । पडि०—ग्रहण कर ले ।

मूलार्थ—यदि कोई संयम निष्ठ साधु या साध्वी आ के वन मे
 ठहरना चाहे तो वह उस वगीचे के स्वामी या अधिष्ठाता से उसके लिए
 याचना करते हुए कहे कि हे प्रायुष्मन् गृहस्थ ! मै यहा पर ठहरना
 चाहता हू । जितने समय के लिए आप आज्ञा देंगे उतने समय ठहर कर
 वाद मे विहार कर दूगा । इस तरह वागवान की आज्ञा प्राप्त होने पर
 वह वहा ठहरे । यदि वहा स्थित साधु को आम्रफल खाने को इच्छा हो तो
 उसे कैसे आम्रफल को ग्रहण करना चाहिए ? इसके सम्बन्ध मे बताया
 गया है कि वह फल अंडादि से युक्त हो तो वह उसे ग्रहण न करे । अंडादि
 मे रहित होने—परन्तु यदि उसका तिरच्छा छेदन न हुआ हो तथा उसके
 अनेक खण्ड भो न किए गए हो तो भी उसे साधु स्वीकार न करे । परन्तु
 यदि वह अंडादि से रहित हो, तिरच्छा छेदन किया हुआ हो और खंड २
 किया हुआ हो तो अचित्त एवं प्रामुक हाने से साधु उसे ग्रहण
 कर सकता है । परन्तु आम्र का आधा भाग, उसकी फाड़ी, उसकी छाल
 और उसका रस एवं उसके किए गए सूक्ष्म खंड यदि अंडादि से युक्त हो
 या अंडादि से रहित होने पर भी तिरछे कटे हुए न हो और खंड २ न
 किए गए हो तो साधु उमे भी ग्रहण न करे । यदि उनका तिरच्छा छेदन
 किया गया है, और अनेक खंड किए गए हैं तब उसे अचित्त और प्रामुक
 जानकर साधु ग्रहण कर ले ।

यदि कोई साधु या साध्वी इक्षु वन में ठहरना चाहे और वन पालक की आज्ञा लेकर वहा ठहरने पर यदि वह इक्षु (गन्ना) खाना चाहे तो पहले यह निश्चय करे कि जो इक्षु अंडादि से युक्त है और तिरछा कटा हुआ नहीं है तो वह उसे ग्रहण न करे। यदि अंडादि से रहित और तिरछा छेदन किया हुआ हो तो उसको अचित्त और प्रासुक जानकर ग्रहण करले। इसका शेष वर्णन आम्र के समान ही जानना चाहिए। यदि साधु इक्षु के पर्व का मध्य भाग, इक्षुगडिका, इक्षुत्वचा-छाल, इक्षुरस और इक्षु के सूक्ष्म खड आदि को खाना-पीना चाहे तो वह अंडादि से युक्त या अंडादि से रहित होने पर भी तिरछा कटा हुआ न हो तथा वह खंड-खंड भी न किया गया हो तो साधु उसे ग्रहण न करे। इसी प्रकार लशुन के सम्बन्ध में भी तीनों आलापक समझने चाहिए।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में आम्र फल, इक्षु खण्ड आदि के ग्रहण एवं त्याग करने के सम्बन्ध में वर्णन किया गया है। आम्र आदि पदार्थ किस रूप में साधु के लिए ग्राह्य एवं अग्राह्य हैं, इसका नयसापेक्ष वर्णन किया गया है। और इसका सम्बन्ध केवल पक्व आम्र आदि से है, न कि अर्ध पक्व या अपक्व फलों से। पक्व आम्र आदि फल भी यदि अण्डों आदि से युक्त हों, तिरछे एवं खण्ड-खण्ड में कटे हुए न हों तो साधु उन्हें ग्रहण न करे और यदि वे अण्डे आदि से रहित हों, तिरछे एवं खण्ड-खण्ड में कटे हुए हों तो साधु उन्हें ग्रहण कर सकता है। उस पक्व फल के तिर्यक् एवं खण्ड-खण्ड में कटे हुए होने का उल्लेख उसे अचित्त एवं प्रासुक सिद्धि करने के लिए है। निशीथ सूत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि साधु सचित्त आम्र एवं सचित्त इक्षु ग्रहण करता है तो उसे चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है। इन्से स्पष्ट होता है कि साधु अचित्त एवं प्रासुक आम्र आदि ग्रहण कर सकता है। यदि वह पक्व फल जीव-जन्तु से रहित हो और तिर्यक् कटा हुआ हो तो साधु के लिए अग्राह्य नहीं है और न वह सचित्त ही रह जाता है।

अव अवग्रह के अभिग्रह के सम्बन्ध में सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भि० आगंतारेसु वा ४ जावोग्गहियंसि जे
 तत्थ गाहावईण वा गाहा० पुत्ताण वा इच्चेयाइं आयतणाइं
 उवाइक्कम्म अह भिक्खू जाणिज्जा, इमाहिं सत्तहिं पडिमाहिं
 उग्गहं उग्गिणिहत्तए, तत्थ खलु इमा पढमा पडिमा—से आगंता-
 रेसु वा ४ अणुवीइ उग्गहं जाइज्जा जाव विहरिस्सामो पढमा-
 पडिमा ॥१॥ अहावरा० जस्स णं भिक्खुस्स एवं भवइ—अहं च
 खलु अन्नेसिं भिक्खूणां अट्ठाए उग्गहं उग्गिणिहस्सामि,
 अणोसिं भिक्खूणां उग्गहे उग्गहिए उवल्लिस्सामि, दुच्चा
 पडिमा ॥२॥ अहावरा० जस्स णं भि० अहं च० उग्गिणिहस्सामि
 अन्नेसिं च उग्गहे उग्गहिए नो उवल्लिस्सामि, तच्चा पडिमा ॥३॥
 अहावरा० जस्स णं भि० अहं च० नो उग्गहं उग्गिणिहस्सामि,
 अन्नेसिं च उग्गहे उग्गहिए उवल्लिस्सामि, चउत्था पडिमा
 ॥४॥ अहावरा० जस्स णं अहं च खलु अणो अट्ठाए उग्गहं
 च उ० नो दुग्गहं नो तिग्गहं नो चउग्गहं नो पंचग्गहं पंचमा पडिमा
 ॥५॥ अहावरा० से भि० जस्स एव उग्गहे उवल्लिइज्जा जे तत्थ
 अहासमन्नागए इक्कडे वा जाव पलाले तस्स लाभे संवसिज्जा,
 तस्स अलाभे उक्कुडुओ वा नेसज्जिओ वा विहरिज्जा, अट्ठा
 पडिमा ॥६॥ अहावरा स० जे भि० अहा संथडमेव उग्गहं जाइज्जा

तंजहा पुढविसिलं वा कट्टसिलं वा अहासंथइमेव तस्स लाभे
संते० तस्स अलाभे उ० ने० विहरिजा, सत्तमा पडिमा ॥७॥
इच्चेयासिं सत्तरहं पडिमाणं अन्नयरं जहा पिंडेसणाए ॥१६१॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा आगन्तागारेपु वा ४ यावत् अवग्रहीते
ये तत्र गृहपत्नोनां वा गृहपतिपुत्राणा वा इत्येतानि आयतनानि उपातिक्रम्य
अथ भिक्षुः जानीयात्--आभिः सप्ताभिः प्रतिमाभिः अवग्रहमवग्रहीतु । तत्र
खलु इय प्रथमा प्रतिमा-स आगन्तागारेषु वा ४ अनुविचिन्त्यावग्रह याचेत्
यावत् विहरिष्यामः प्रथमा प्रतिमा ॥१॥ अथापरा० यस्य भिक्षोः एवं
भवति-अह च खलु अन्येषां भिक्षूणां अर्थायावग्रहमवग्रहोष्यामि अन्येषां
भिक्षूणामवग्रहे अवग्रहीते उपालयिष्ये द्वितीया प्रतिमा ॥२॥ अथा-
परा० यस्य भिक्षो एवं भवति अह च० अवग्रहोष्यामि अन्येषां च अवग्रहे
अवग्रहीते नो उपालयिष्यं तृतीया प्रतिमा ॥२॥ अथापरा० यस्य भि०
अह च० नो अवग्रहमवग्रहोष्यामि, अन्येषा च अवग्रहे अवग्रहीते
उपालयिष्ये, चतुर्थी प्रतिमा ॥४॥ अथापरा० यस्य अह च खलु आत्मनः
अर्थाय अवग्रह च अवग्रहोष्यामि नो द्वयोः नो त्रयाणा नो चतुर्णां नो
पञ्चाना पचमी प्रतिमा ॥५॥ अथापरा० स भि० यस्य एव अवग्रहे
उपालयेत् ये तत्र यथा समन्वागते उत्कटः यावत् पलाल. तस्य लाभे
सवसेत्, तस्य अलाभे उत्कुटुको वा निषण्णो वा विहरेत्, षष्ठी
प्रतिमा ॥६॥ अथापरा स० यो भिक्षुः यथासस्तृतमेव अवग्रह याचेत्,
तद्यथा पृथ्वीशिलां वा काष्ठशिलां वा यथासस्तृतमेव तस्य लाभे सति०
तस्यालाभे सति० अवग्रहं० नि० विहरेत्, सप्तमी प्रतिमा ॥७॥ इत्येतासां
सप्तानां प्रतिमानामन्यतरा यथा पिण्डैषणायाम् ।

पदार्थ—से भि०—वह साधु या साध्वी । आगन्तारेपु वा ४—अर्मशाला आदि में ।
जाव—यावत् । ओगहियसि—आज्ञा लेने पर । जे—जो । तत्थ—वहा पर । गाहावईण वा—

गृहपतियो के । गाहा० पुत्ताण वा—अथवा गृहपति के पुत्रो तथा उनके सम्बन्धी जनो । इच्चे-
याइ—ये जो पूर्वोक्त । आयतणाइ—कर्म वन्ध के स्थान है उन दोषो को । उवाइकम्म—
अतिक्रम करके उक्त स्थानो मे रहना चाहिए । अह—अथ । भिक्खू—भिक्षु । इमाहि—ये जो
आगे कहे जाते हैं । सत्ताहि—सात । पडिमाहि—प्रतिमा—अभिग्रहविशेषो से । उगगहं—अवग्रह
को । उगिगिहत्तए—ग्रहण करना । एव जाणिज्जा—जानना चाहिए । खलु—निश्चयार्थक है ।
त्तथ—उन सात प्रतिमाओ मे से । इमा—यह । पडुमा—पहली । पडिमा—प्रतिमा है । से—
चह भिक्षु । आगतारेसु वा ४—धर्मशाला आदि मे । अणुवीइ—विचार कर । उगगहं—अवग्रह
की । जाइज्जा—याचना करे । जाव—यावत् । विहरिस्तामो—विचरुंगा । पडुमा पडिमा—
यह पहली प्रतिमा है । अहावरा०—अथ अपर इससे अन्य । दुच्चापडिमा—दूसरी प्रतिमा यह
है । णं—वाक्यालंकार मे है । जस्स—जिस । भिक्खुस्स—भिक्षु का । एवं भवइ—इस प्रकार
का अभिग्रह होता है । च—पुनः । खलु—वाक्यालंकार मे है । अहं—मैं । अन्नेसि—अन्य ।
भिक्खूणं—भिक्षुओ के । अट्ठाए—अर्थ-प्रयोजन के लिए । उगगहं—अवग्रह की । उगिगिह-
स्तामि—याचना करुंगा और । अण्णेसि—अन्य । भिक्खूणं—भिक्षुओ का । उगगहे—अवग्रह ।
उगगिहए—अवग्रह की आज्ञा ग्रहण किए जाने पर । उवल्लिस्तामि—उसमे वसूंगा-निवास
करुंगा । दुच्चापडिमा—यह दूसरी प्रतिमा है । अहावरा—अथ अपर इसमे आगे । तच्चापडिमा-
तीसरी प्रतिमा कहते है । णं—वाक्यालंकार मे । जस्स—जिस भिक्षु का । एव भवति—
इस प्रकार का अभिग्रह होता है । च खलु—पूर्ववत् ही है । अहं—मैं अन्य भिक्षुओ के लिए
अवग्रह की । उगिगिहस्तामि—याचना करुंगा । च—और । अन्नेसि—अन्य भिक्षुओ का ।
उगगहे—अवग्रह । उगगिहए—याचना किए हुए मे । नो उवल्लिस्तामि—नही वसूंगा अर्थात् निवास
नही करुंगा । तच्चा पडिमा—यह तीसरी प्रतिमा है । ३। अहावरा०—अथ अपर चतुर्थी प्रतिमा यह
है । जस्स—जिस । मि०—भिक्षु का । एवं भवइ—इस प्रकार का अभिग्रह होता है । च खलु—
पूर्ववत् । अहं—मैं । अन्नेसि—अन्य । भिक्खूणं—भिक्षुओ के । अट्ठाए—लिए । उगगह—अवग्रह
की । नो उगिगिहस्तामि—याचना नही करुंगा । अन्नेसि—अन्य भिक्षुओ के । उगगहे—अवग्रह की ।
उगगिहए—आज्ञा लिए जाने पर । उवल्लिस्तामि—उसमे निवास करुंगा । चउत्था पडिमा—
यह चौथी प्रतिमा है । ४। अहावरा—अथ अपर-इससे अन्य । पच्चमा—पाचवी प्रतिमा कहते
हैं । णं—वाक्यालंकार में । जस्स—जिस । भिक्खुस्स—भिक्षुका । एवं भवइ—इस प्रकार का
अभिग्रह होता है । च खलु—पूर्ववत् । अहं—मैं । अप्पणो अट्ठाए—अपने वास्ते । उगगह च-
अवग्रह की । उगिगिहस्तामि—याचना करुंगा । नो दुण्ह—दो के लिए नही । नो तिण्हं—तीन
के लिए नही । नो चउण्हं—चार के लिए नही । नो पंचण्हं—पाच के लिए नही । पंचमा पडिमा-
यह पांचवी प्रतिमा है । अहावरा०—इससे अन्य । छट्ठा पडिमा—छठी प्रातमा कहते हैं । से नि०-
चह साधु अथवा साध्वी । जस्स एव उगगहे—जिस उपाश्रय की आज्ञा लेकर । उवल्लिइज्जा—
रहूगा । जे तत्थ—जो वहा पर । अहाममन्तागए—समीप में ही । इक्कडे वा—तृण विशेष ।

जाव—यावत् । पलाले—पलाल । तस्सलाभे—उसके मिलने पर । संबसिज्जा—वने, अर्थात् संस्तारक आदि करे । तस्स अलाभे—उसके न मिलने पर । उक्कुट्टुओ वा—उत्कुट्टुक आसन अथवा । नेसज्जिओ वा—निपद्या आसन पर । विहरिज्जा—विचरे । छट्ठा पडिमा—यह छठी प्रतिमा है । अहावरा—अथ अपर-इसमें अन्य । सत्तमा पडिमा—सातवी प्रतिमा कहते हैं । जे भिक्खू—जो साधु या साध्वी । अहा सथडमेव—जो पहले ही संस्तुत हो रहा है अर्थात् विद्या हुआ है । उगगहं जाइज्जा—उस अवग्रह की याचना करूंगा । तं०—जैसे कि । पुढविसिलं वा—पृथिवी शिला । कट्टुसिलं वा—काष्ठ शिला अथवा । अहा, सथडमेव—उस उपाश्रय में पलाल आदि पहले ही विद्या हुआ हो । तस्स लाभे सते०—उसके लाभ होने पर उस पर आसन करे । तस्स—उसके । अलाभे—न मिलने पर । उ०—उत्कुट्टुक आसन से अथवा । नि०—निपद्यादि आसन पर । विहरिज्जा—विचरे । सत्तमा पडिमा—यह सातवी प्रतिमा है । इच्चेयासि—इन पूर्वोक्त । सत्तण्ह—सात । पडिमाण—प्रतिमाओं में से साधु ने यदि । अन्नपर—कोई एक प्रतिमा ग्रहण की हुई है तब वह अन्य साधुओं की निन्दा न करे । शेष वर्णन । जहा—जैसे । पिण्डेसणाए—पिण्डेष्णया अध्ययन में सात पिण्डेष्णया प्रतिमाओं का वर्णन किया है उसी प्रकार जान लेना चाहिए ।

मूलार्थ—सयमशील साधु या साध्वी धर्मशाला आदि में गृहस्थ और गृहस्थों के पुत्र आदि सम्बन्धी स्थान के दोषों को छोड़कर इन वक्ष्यमाण सात प्रतिमाओं के द्वारा अवग्रह की याचना करके वहाँ पर ठहरे ।

१- धर्मशाला आदि स्थानों की परिस्थिति को विचार कर यावन्मात्र काल के लिए वहा के स्वामी की आज्ञा हो तावन्मात्र काल वहा ठहरूंगा, यह पहलो प्रतिमा है ।

२- मैं अन्य भिक्षुओं के लिए उपाश्रय की आज्ञा मागूंगा और उनके लिए याचना किए गए उपाश्रय में ठहरूंगा यह दूसरी प्रतिमा है ।

३- कोई साधु इस प्रकार से अभिग्रह करता है कि मैं अन्य भिक्षुओं के लिए तो अवग्रह की याचना करूंगा, परन्तु उनके याचना किए गए स्थानों में नहीं ठहरूंगा । यह तीसरी प्रतिमा का स्वरूप है ।

४- कोई साधु इस प्रकार से अभिग्रह करता है— मैं अन्य भिक्षुओं के लिए अवग्रह की याचना नहीं करूंगा, परन्तु उनके याचना किए हुए स्थानों

मे ठहरूंगा। यह चौथी प्रतिमा है।

५-कोई साधु यह अभिग्रह धारण करता है कि मैं केवल अपने लिए ही अभिग्रह की याचना करूंगा, किन्तु अन्य दा, तीन, चार और पाच साधुओं के लिए याचना नहीं करूंगा। यह पाचवी प्रतिमा है।

६-कोई साधु यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं जिस स्थान की याचना करूंगा उस स्थान पर यदि तृण विशेष—सस्तारक आदि मिल जायेंगे तो उन पर आसन करूंगा, अन्यथा उक्कुटुक आसन आदि के द्वारा रात्रि व्यतीत करूंगा यह छठी प्रतिमा है।

७-जिस स्थान को आज्ञा ली हो यदि उसी स्थान पर पृथ्वी शिला, काष्ठ शिला तथा पलाल आदि बिछा हुआ हो तब वहां आसन करूंगा, अन्यथा उक्कुटुक आदि आसन द्वारा रात्रि व्यतीत करूंगा, यह सातवी प्रतिमा है।

इन सात प्रतिमाओं में से यदि कोई भी प्रतिमा साधु स्वीकार करे, परन्तु वह अन्य साधुओं की निन्दा न करे। अभिमान एवं गर्व को छोड़कर अन्य साधुओं को समभाव से देखे। शेष वर्णनःपिडैपणा अध्ययनवत् जानना चाहिए।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में अभिग्रह से सम्बद्ध सात प्रतिमाओं का वर्णन किया गया है। पहली प्रतिमा में बताया गया है कि साधु सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार मकान की याचना करे और वह गृहस्थ जितने काल तक जितने क्षेत्र में ठहरने की आज्ञा दे तब तक उतने ही क्षेत्र में ठहरे। दूसरी प्रतिमा यह है कि मैं अन्य साधुओं के लिए मकान की याचना करूंगा तथा उनके द्वारा याचना किए गए मकान में ठहरूंगा। तीसरी प्रतिमा में वह यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं अन्य साधु के लिए मकान की याचना करूंगा, परन्तु दूसरे द्वारा याचना किए गए मकान में नहीं ठहरूंगा। चौथी प्रतिमा में वह दूसरे द्वारा याचना किए गए मकान में ठहर तो जाना है, परन्तु, अन्य के लिए याचना नहीं करता है। पांचवी प्रतिमा में वह केवल अपने लिए ही मकान की याचना करता है, अन्य के

जाव—यावत् । पलाले—पलाल । तस्सलाभे—उसके मिलने पर । संबसिज्जा—त्रमे, अर्थात् संस्तारक आदि करे । तस्स अलाभे—उसके न मिलने पर । उक्कुडुओ वा—उत्कुटुक आसन अथवा । नैसज्जिओ वा—निषद्या आसन पर । विहरिज्जा—विचरे । छ्ठा पडिमा—यह छठी प्रतिमा है । अहावरा—अथ अपर-इसमें अन्य । सत्तमा पडिमा—सातवी प्रतिमा कहते हैं । जे भिखू—जो साधु या साध्वी । अहा सथडमेव—जो पहले ही संस्तृत हो रहा है अर्थात् बिछा हुआ है । उगहं जाइज्जा—उम अवग्रह की याचना करूंगा । तं०—जंमे कि । पुढविस्सिलं वा—पृथिवी शिला । कट्टसिलं वा—काष्ठ शिला अथवा । अहा सथडमेव—उस उपाश्रय में पलाल आदि पहले ही बिछा हुआ हो । तस्स लाभे सत्ते०—उसके लाभ होने पर उस पर आसन करे । तस्स—उसके । अलाभे—न मिलने पर । उ०—उत्कुटुक आसन से अथवा । नि०—निषद्यादि आसन पर । विहरिज्जा—विचरे । सत्तमा पडिमा—यह सातवी प्रतिमा है । इच्चेयासि—इन पूर्वोक्त । सत्तण्ह—सात । पडिमाण—प्रतिमाओं में से साधु ने यदि । अन्नयर—कोई एक प्रतिमा ग्रहण की हुई है तब वह अन्य साधुओं की निन्दा न करे । शेप वर्णन । जहा—जैसे । पिण्डेसणाए—पिण्डैषणा अध्ययन में सात पिण्डैषणा प्रतिमाओं का वर्णन किया है उसी प्रकार जान लेना चाहिए ।

मूलार्थ—सयमशील साधु या साध्वी धर्मशाला आदि में गृहस्थ और गृहस्थों के पुत्र आदि सम्बन्धी स्थान के दोषों को छोड़कर इन वक्ष्यमाण सात प्रतिमाओं के द्वारा अवग्रह की याचना करके वहाँ पर ठहरे ।

१-धर्मशाला आदि स्थानों की परिस्थिति को विचार कर यावन्मात्र काल के लिए वहाँ के स्वामी की आज्ञा हो तावन्मात्र काल वहाँ ठहरूँगा, यह पहली प्रतिमा है ।

२-मैं अन्य भिक्षुओं के लिए उपाश्रय की आज्ञा मागूँगा और उनके लिए याचना किए गए उपाश्रय में ठहरूँगा यह दूसरी प्रतिमा है ।

३-कोई साधु इस प्रकार से अभिग्रह करता है कि मैं अन्य भिक्षुओं के लिए तो अवग्रह की याचना करूँगा, परन्तु उनके याचना किए गए स्थानों में नहीं ठहरूँगा । यह तीसरी प्रतिमा का स्वरूप है ।

४-कोई साधु इस प्रकार से अभिग्रह करता है—मैं अन्य भिक्षुओं के लिए अवग्रह की याचना नहीं करूँगा, परन्तु उनके याचना किए हुए स्थानों

में ठहरूंगा। यह चौथी प्रतिमा है।

५-कोई साधु यह अभिग्रह धारण करता है कि मैं केवल अपने लिए ही अवग्रह को याचना करूंगा, किन्तु अन्य दा, तीन, चार और पांच साधुओं के लिए याचना नहीं करूंगा। यह पांचवीं प्रतिमा है।

६-कोई साधु यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं जिस स्थान की याचना करूंगा उस स्थान पर यदि तृण विशेष—सस्तारक आदि मिल जायेंगे तो उन पर आसन करूंगा, अन्यथा उक्कुटुक आसन आदि के द्वारा रात्रि व्यतीत करूंगा यह छठी प्रतिमा है।

७-जिस स्थान को आज्ञा ली हो यदि उसी स्थान पर पृथ्वी शिला, काष्ठ शिला तथा पलाल आदि बिछा हुआ हो तब वहां आसन करूंगा, अन्यथा उक्कुटुक आदि आसन द्वारा रात्रि व्यतीत करूंगा, यह सातवीं प्रतिमा है।

इन सात प्रतिमाओं में से यदि कोई भी प्रतिमा साधु स्वीकार करे परन्तु वह अन्य साधुओं की निन्दा न करे। अभिमान एवं गर्व को छोड़कर अन्य साधुओं को सम्भाव से देखे। शेष वर्णनःपिडैषणा अध्ययनवत् जानना चाहिए।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में अवग्रह से सम्बद्ध सात प्रतिमाओं का वर्णन किया गया है। पहली प्रतिमा में बताया गया है कि साधु सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार मकान की याचना करे और वह गृहस्थ जितने काल तक जितने क्षेत्र में ठहरने की आज्ञा दे तब तक उतने ही क्षेत्र में ठहरे। दूसरी प्रतिमा यह है कि मैं अन्य साधुओं के लिए मकान की याचना करूंगा तथा उनके द्वारा याचना किए गए मकान में ठहरूंगा। तीसरी प्रतिमा में वह यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं अन्य साधु के लिए मकान की याचना करूंगा, परन्तु दूसरे द्वारा याचना किए गए मकान में नहीं ठहरूंगा। चौथी प्रतिमा में वह दूसरे द्वारा याचना किए गए मकान में ठहर तो जाना है, परन्तु, अन्य के लिए याचना नहीं करता है। पांचवीं प्रतिमा में वह केवल अपने लिए ही मकान को याचना करता है, अन्य के

लिए नहीं। छठी प्रतिमा में वह यह प्रतिज्ञा करता है कि जिस मकान में ठहरूंगा उसमें घास आदि रखा होगा तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा उकड़ू आदि आसन करके रात व्यतीत करूंगा और सातवीं प्रतिमा में वह उन्हीं तख्त, शिलापट एवं घास आदि को काम में लेता है, जो पहले से मकान में बिछे हुए हों।

इसमें प्रथम प्रतिमा सामान्य साधुओं के लिए है। दूसरी प्रतिमा का अधिकारी मुनि गच्छ में रहने वाले साम्भोगिक एवं उःकट संयम निष्ठ असाम्भोगिक साधुओं के साथ प्रेम भाव रखने वाला होता है। तीसरी प्रतिमा उन साधुओं के लिए है जो आचार्य आदि के पास रहकर अध्ययन करना चाहते हैं। चौथी प्रतिमा उनके लिए है, जो गच्छ में रहते हुए जिनकल्पी बनने का अभ्यास कर रहे हैं। पाचवीं, छठी और सातवीं प्रतिमा केवल जिनकल्पी मुनि से सम्बद्ध है। ये भेद वृत्तिकार ने किए हैं। मूलपाठ में किसी कल्प के मुनि का संकेत नहीं किया गया है। वहां तो इतना ही उल्लेख किया गया है कि मुनि इन सात प्रतिमाओं को ग्रहण करते हैं, चाहे वे जिन कल्प पर्याय में हों या स्थविर कल्प पर्याय में हो। सामान्य रूप से प्रत्येक साधु अपनी शक्ति के अनुसार अभिग्रह ग्रहण कर सकता है। इसी कारण सूत्रकार ने यह उल्लेख किया है कि स्थान सम्बन्धी समस्त दोषों का त्याग करके साधु को अवग्रह की याचना करनी चाहिए।

ॐ यहा पाठको के अवलोकनार्थ वृत्ति का वह समग्र पठ दिया जाता है—अथ भिक्षु सप्तभिः प्रतिमाभिरभिग्रहविशेषैरवग्रहं गृह्णीयात्, तत्रेय प्रथमा प्रतिमा, तद्यथा—स भिक्षुरागन्तागारादौ पूर्वमेव विचिन्त्यैवभूतः प्रतिश्रयो मया ग्राह्यो, नान्यथाभूत इति प्रथमा। तथान्यस्य च भिक्षोरेदभूतोऽभिग्रहो भवति, तद्यथा—ग्रहं न खल्वन्येषा साधूना वृत्तेऽवग्रहं 'ग्रहीष्यामि' याचिष्ये, अन्येषा वावग्रहे गृहीते साते 'उपालयिष्ये' वत्स्यामीति द्वितीया। प्रथमा प्रतिमा सामान्येन, इयं तु गच्छान्तर्गताना साधूना साम्भोगिकानामसाभोगिकानां चोद्युक्त विहारिणा; यतस्तेऽन्योऽन्यार्थं याचन्त इति। तृतीया त्वय—अन्यार्थमवग्रहं याचिष्ये, अन्यावगृहीते तु न स्थास्यामीति, एषा त्वाहालन्दिकाना, यतस्ते सूत्रार्थविशेषमाचार्यादभिकाक्षन्त आचार्यार्थं याचन्ते। चतुर्थी पुनरहमन्येषां कृतेऽवग्रहं न याचिष्ये अन्यावगृहीते च वत्स्यामीति, इयं तु गच्छे एवाभ्युद्यतविहारीणा जिनकल्पाद्यर्थं परिकर्म कुर्वताम्। अथापरापञ्चमी—ग्रहमात्मकृतेऽवग्रहमवग्रहीष्यामि न चापरेपा द्वित्रिचतुष्वञ्चानामिति, इयं तु जिनकल्पिकल्प। अथापरा पष्ठी—यदीयमवग्रहं ग्रहीष्यामि, इतरथोत्कुटुको वा निपण्ण उपविष्टो वा रजनी गमिष्यामीत्ये जिनकल्पिका देरिति। अथापरा सप्तमी—एवैव पूर्वोक्ता, नवरं यथासंस्तृतमेव शिलादिकं ग्रहीष्यामि नेतर-दिति शेषमात्मोत्कर्षवर्जनादि पिण्डैपणावन्नेयमिति ॥

पिण्डैपणा आदि अध्ययनों की तरह इसमें भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अभिग्रह ग्रहण करने वाले मनि को अन्य साधुओं को घृणा एवं तिरस्कार को दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। परन्तु सब का सामान्य रूप से आदर करते हुए यह कहना चाहिए कि भगवान की आज्ञा के अनुरूप आचरण करने वाले सभी साधु मोक्ष मार्ग के पथिक हैं।

अब अबग्रह के भेदों का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — सुयं मे आउमंतेणं भगवया एवमकस्यायं-इह खलु
थेरोहिं भगवन्तेहिं पंचविहे उगहे पन्नते, तंजहा—देविंद उगहे १
राय उगहे २ गाहावड उगहे ३ सागारिय उगहे ४ साहम्मिय
उगहे ५ एवं खलु तस्म भिक्खुस्म भिक्खुणीए वा सामग्गियं
॥१६२॥ उगहपडिमा सम्मत्ता ॥

छाया—श्रुतं मया आयुष्मन् ! तेन भगवता एवमाख्यातं इह खलु स्थविरैः
भगवद्भिः पंच विधः अबग्रहः प्रज्ञप्तः तद्यथा—देवेन्द्रावग्रहः १ राजावग्रहः २
गृहपति-अवग्रहः ३ सागारिकावग्रहः ४ साधमिकावग्रहः ५ एवं खलु तस्य भिक्षोः
भिक्षुक्याः वा सामग्र्यम् ॥ अबग्रहप्रतिमा समाप्ता ।

पदार्थ—आउसं—हे आयुष्मन्-प्रियशिष्य ! मे-मैंने । सुयं—सुना है । तेषंभग-
वया—उस भगवान ने । खलु—निश्चय ही । इह—इस त्रिन प्रवचन में । थेरोहिं भगवन्तेहिं—स्थ-
विर भगवन्तो अर्थात् पूज्य स्थविरों ने-भगवन्तो ने । पंचविहे—पांच प्रकार का । उगहे—अवग्रह ।
पन्नत्ते—प्रतिपादन किया है । तंजहा—जैमेकि । देविंद उगहे १—देवेन्द्र का अवग्रह १-
रायउगहे २—राजा का अवग्रह २ । गाहावड उगहे ३—गृहपति का अवग्रह । सागारियउगहे—
सागारिक का अवग्रह ४ । साहम्मिय उगहे ५—साधमिक का अवग्रह ५ । एवं खलु—इस प्रकार
निश्चय ही । तस्म—उस । भिक्खुस्स—भिक्षु का साधु का । वा—अथवा । भिक्खुणीए—भिक्षुकी
साध्वी का-प्राणी का यह । मानसिगयं—मनस्य आचार है । उगहपडिमा सम्मत्ता—यह अवग्रह
प्रतिमा समाप्त हुई ।

मूलार्थ—हे आयुष्मन्-शिष्य ! मैंने भगवान से इस प्रकार सुना है कि

इस जिन प्रवचन में पूज्य स्थविरो ने पांच प्रकार का अवग्रह प्रतिपादन किया है १-देवेन्द्र अवग्रह, ४-राज अवग्रह, ३-गृहपति अवग्रह, ४-सागारिक अवग्रह और ५-साधमिक अवग्रह^१। इस प्रकार यह साधु और साध्वी का समग्र-सपूर्ण आचार वर्णन किया गया है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में पांच प्रकार के अवग्रह का वर्णन किया गया है— १-देवेन्द्र अवग्रह, २-राज अवग्रह, ३-गृहपति अवग्रह, ४-सागारिक अवग्रह और ५-साधमिक अवग्रह। दक्षिण भरत क्षेत्र में विचरने वाले मुनियों को प्रथम देवलोक के सुधर्मेन्द्र की आज्ञा ग्रहण करना देवेन्द्र अवग्रह कहलाता है। इससे यह स्पष्ट कर दिया गया है कि तिर्यक् लोक पर भी देवों का आधिपत्य है। आगम में बताया गया है कि साधु जङ्गल में या अन्य स्थान में जहाँ कोई व्यक्ति न हो देवेन्द्र की आज्ञा लेकर तृण, काष्ठ आदि ग्रहण कर सकता है। आज भी साधु बाहर शौच के लिए बैठते समय या विहार के समय में रास्ते में किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करना हो तो देवेन्द्र (शकेन्द्र) की आज्ञा लेकर बैठते हैं। इस तरह साधु कोई भी वस्तु बिना आज्ञा के ग्रहण नहीं करते।

भरत क्षेत्र के ६ खण्डों पर चक्रवर्ती का शासन होता है। अतः उसकी आज्ञा से उन देशों में विचरना यह राज अवग्रह कहलाता है और उस युग में एक देश अनेक भागों में विभक्त था, जैसे आज भारत कई प्रान्तों में बंटा हुआ है, परन्तु, इस समय सब प्रान्त केन्द्र से सम्बद्ध होने से वह अखण्ड कहलाता है। परन्तु, उस समय उन विभागों के स्वतन्त्र शासक थे; अतः उन विभिन्न देशों में विचरते समय उनकी आज्ञा लेना गृहपति अवग्रह कहलाता है।

१ उगहेत्ति—अवगृह्यते स्वामिना स्वीक्रियते यः सोऽवग्रहः। देविदोगहेत्ति देवेन्द्र-
ज्ञा ईशानो वा तस्यावग्रहो—दक्षिणं लोकार्धमुत्तरवेत्ति देवेन्द्रावग्रहः। रामोगहेत्ति—राजा-
चक्रवर्ती तस्यावग्रहः षड्खण्डभरतादि क्षेत्र राजावग्रहः। गाहावई उगहेत्ति—गृहपतिः—सागारियः-
उगहेत्ति—साहागारेण गेहेन वर्तते इति सागार स एव सागारिकस्तस्यावग्रहो गृहमेवेत्ति सागारिका-
वग्रहः। साहम्मिय उगहेत्ति समनेनवर्णेण चरन्तीति साधमिका साधवेषया साधव एव तेषाम-
वग्रहः—नदाभाव्य पञ्चक्रोशपरिमाणं क्षेत्रमृतुवद्धे मासमेकवर्षासु चतुरो मासान् यावदिति साध-
मिकावग्रहः।

— भवगती सूत्र, श० १६, उ० २ वृत्ति (आचार्य अभयदेव सूरि।)

† भगवती सूत्र।

जिस व्यक्ति के मकान में ठहरना हो उसकी आज्ञा ग्रहण करना सागारिक अवग्रह कहलाता है। आगार का अर्थ है— घर, अतः अपने घर या मकान पर आधिपत्य रखने वाले को सागारिय कहते हैं। और इसे शय्यातर अवग्रह भी कहते हैं। क्योंकि, साधु जिससे मकान की आज्ञा ग्रहण करता है, उसे आगनिक भाषा में शय्यातर कहते हैं।

जिस मकान में पहले से साधु ठहरे हों तो साधु उनकी आज्ञा से ठहर जाता है, यह साधर्मिक अवग्रह है। अपने साम्भोगिक साधुओं की किसी वस्तु को ग्रहण करना हो तो भी साधु को उनकी आज्ञा लेकर ही ग्रहण करना चाहिए। इस तरह साधु को बिना आज्ञा के सामान्य एवं विशेष कोई भी पदार्थ ग्रहण करना नहीं कल्पता है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'थेरेहि भगवतेहि' पद में भगवान को ज्ञान स्वरूप मानकर उनके लिए स्थविर शब्द का प्रयोग किया गया है, जो सर्वथा उपयुक्त है। और 'सामगियं' शब्द से साधु के समग्र आचार को ओर निर्देश किया गया है।

'त्तिबेमि' की व्याख्या पूर्ववत् समझें।

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

॥ सप्तम अध्ययन समाप्त ॥ (प्रथम चूला समाप्त)

॥ सप्तसप्तिकाख्या द्वितीय चूला—स्थान सप्तिका ॥

अष्टम अध्ययन

यह हम पहले देख चुके हैं कि आचाराङ्ग सूत्र का द्वितीय श्रुतस्कन्ध चार चूलाओं में विभक्त है। पहली चूला और दूसरी चूला सात-सात अध्ययनों में विभक्त है और तीसरी और चौथी चूला में एक-एक अध्ययन है। प्रथम चूला के सातों अध्ययन विभिन्न विषयों एवं उद्देशों में विभक्त थे। परन्तु, द्वितीय चूला के सातों अध्ययन उद्देशों में विभक्त नहीं हैं, सबका विषय एक ही प्रवाह में गतिमान है। प्रथम चूला के अन्तिम अध्ययन (७वें अध्ययन) में अभिव्यक्त अवग्रहों से याचना किए गए स्थान में साधु को किस तरह से कायोत्सर्ग आदि क्रियाएँ करनी चाहिए इसका वर्णन द्वितीय चूला में किया गया है। द्वितीय चूला के सातों अध्ययनों का सम्बन्ध अवग्रह के द्वारा ग्रहण किए गए स्थानों में साधना करने की विधि से है, इस लिए इसका नाम 'सप्तसप्तिकाख्या चूला' रखा गया है। इसके प्रथम अध्ययन में साधु को उपाश्रय में कायोत्सर्ग आदि किस प्रकार करना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा० अभिकंखेज्जा ठाणं ठाइत्तए, से
 अणुपविसिज्जा मामं वा जाव रायहाणि वा, से जं पुण्ण ठाणं
 जाणिज्जा—सअंढं जाव मक्कडासंताणयं तं तह० ठाणं अफा-
 सुयं अणोस० लाभे संते नो प०, एवं सिज्जागमेण्ण नेयव्वं जाव
 उदयपसूयाइति ॥ इच्चेयाइं आयतणाइं उवाइकम्म २ अह
 भिक्षू इच्छिज्जा चउहिं पडिमाहिं ठाणं ठाइत्तए, तत्थिमा
 पढमा पडिमा—अचित्तं खलु उवसज्जिज्जा अवलंबिज्जा काएण्ण
 विप्परिकम्माइ नो सवियारं ठाणं ठाइस्सामि पढमा पडिमा ॥

अहावरा दुच्चा पडिमा—अचित्तं खलु उवसज्जिज्जा अव—

लंबिज्जा काएण विपरिकम्माई नो सवियारं ठाणं ठइस्सामि
दुच्चा पडिमा ॥

अहावरा तच्चा पडिमा—अचित्तं खलु उवसज्जेज्जा अव-
लंबिज्जा नो काएण विपरिकम्माई नो सवियारं ठाणं ठइस्सा-
मिति तच्चा पडिमा ॥

अहावरा चउत्था पडिमा—अचित्तं खलु उवसज्जेज्जा नो
अवलंबिज्जा काएण नो परकम्माई नो सवियारं ठाणं ठइस्सा-
मिति वोसट्ठकाए वोसट्ठकेसमंसुलोमनहे संनिरुद्धं वा ठाणं
ठाइस्सामिति चउत्था पडिमा ॥ इच्चेयासिं चउत्तहं पडिमाणं
जाव पग्गहियतरायं विहरिज्जा, नो किचिचि वइज्जा, एयं खलु
तस्स जाव तस्स० जाव जइज्जासि त्तिवेमि ॥१६३॥

छाया—स भिक्षुर्वा० अभिकांक्षेत् स्थानं स्थातुं स अनुप्रविशेद् ग्रामं
वा यावत् राजाधानी वा, स यत् पुनः स्थानं जानीयात्-साण्डं यावत् मर्कटा-
सन्तानकं तत् तथाप्रकारं स्थानमप्रासुकमण्योपखीय लाभेसति नो प्रतिगृह्णीयात् ।
एव शय्यागमेन नेतव्यम्, यावत् उदकप्रसृतानि, इति, इन्धेतानि आयतनानि
उपातिक्रम्य २ अथ भिक्षुः इच्छेत् चतसृभिः प्रतिमाभिः स्थानं स्थातुम्, तत्र,
इय प्रथमा प्रतिमा—अचित्तं खलु उपाश्रयिष्यामि अवलम्बयिष्ये कायेन वि-
परिक्रमिष्यामि सविचारं स्थानं स्थास्यामि प्रथमा प्रतिमा ॥१॥ अथापरा
द्वितीया प्रतिमा—अचित्तं खलु उपाश्रयिष्यामि अवलम्बयिष्ये कायेन विपरि-
क्रमिष्यामि नो सविचारं स्थानं स्थास्यामि द्वितीया प्रतिमा । २॥ अथापरा

तृतीया प्रतिमा—अचिच्चं खलु उपाश्रयिष्यामि अवलम्बयिष्ये नो कायेन त्रि-
परिक्रमिष्यामि नो सविचारं स्थानं स्थास्यामीति तृतीया प्रतिमा ॥३॥ अथा-
परा चतुर्थीप्रतिमा—अचिच्चं खलु उपाश्रयिष्यामि नो अवलम्बयिष्ये कायेन नो
परिक्रमिष्यामि नो सविचारं स्थानं स्थास्यामीति व्युत्सृष्टकायः व्युत्सृष्टकेश-
श्मश्रुजोमनखः सनिरुद्ध वा स्थानं स्थास्यामीति चतुर्थी प्रतिमा ॥४॥ इत्येता-
सां चतसृणां प्रतिमानां यावत् प्रगृहीतान्यतरां विहरेत् नो किञ्चिदपि वदेत् । एतत्
खलु तस्य यावद् तस्य० यावन् यतेत, इति ब्रवीमि । स्थानमप्तैकरुः समाप्तः ।

पदार्थ—से भिक्खू वा—वह साधु या साध्वी यदि । ठाणं—स्थान में । ठाडत्ताए—
स्थित होना । अभिक्खेज्जा—चाहे, तो । से—वह भिक्षु । गामं वा—ग्राम में, नगर में ।
जाव—यावत् । रायहाणि वा—राजधानी में । अणुपविसिज्जा—प्रवेश करे और वहा प्रवेश करके ।
से ज पुण०—वह जो फिर । ठाण—स्थान को । जाणिज्जा—जाने-प्रार्थात् स्थान का अन्वेषण करे ।
स अड—जो स्थान अण्डादि से । जाव—यावत् । मक्कडासन्ताणयं—मकड़ी आदि के जाले से
युक्त है । त—उस । तह०—तथाप्रकार के । ठाण—स्थान को । अफासुय—अप्रासुक तथा ।
अणेस०—अनेपणीय जानकर । लाभेसते—मिलने पर भी । नो प०—ग्रहण न करे अर्थात् ऐसे
स्थान में न ठहरे । एवँ—इसी प्रकार अन्य सूत्र भी । सिज्जागमेण—सय्या अध्ययन के समान जान
लेना । जाव—यावत् । उदयपसूयाइति—उदकप्रसूत कन्दादि, अर्थात् जिस स्थान में कन्दादि विद्य-
मान हो उसे भी ग्रहण न करे । इच्चेयाइ—ये पूर्वोक्त तथा वक्ष्यमाण जो । आयातणाईं—कर्मो-
पादान रूप दोष स्थान हैं इनको । उवाइक्कम्म—छोड़कर अर्थात् इनका उल्लंघन करके । अह—
अथ तदन्तर । भिक्खू०—भिक्षु-साधु । चउहिं पडिमाहिं—वक्ष्यमाण-आगे कही जाने वाली चार
प्रतिमाओं के अनुसार । ठाण—स्थान में । ठाडत्ताए—ठहरने की । इच्छिज्जा—इच्छा करे ।
तत्थ—उनमें से । इमा—यह । पडिमा—पहली । पडिमा—प्रतिमा है; यथा । खलु—निश्चयार्थक
है । अचित्तं—अचित्त स्थानक में । उवसज्जिज्जा—आश्रय लूंगा और । अवलंबिज्जा—अचित्त
भीत आदि का सहारा लूंगा । काएण—काया से । विप्परिकम्माइ—हाथ पैर आदि का संकोच-
न प्रसारण करूंगा तथा । सवियार—थोड़ा सा पाद आदि का सप्रसारण-मर्यादित भूमि से बाहिर
पैरो को थोड़ा सा भी नहीं फैलाऊंगा इस प्रकार । ठाण—बँडे होकर । ठाडत्तागि—ठहरूंगा—
अर्थात् मर्यादित भूमि में ही हाथ आदि का संचालन एव बैठने, उठने तथा खडे होने आदि की
क्रियाएं करूंगा । पडिमा पडिमा—यह पहली प्रतिमा का स्वरूप है । अहावरा—इसके अतिरिक्त
अन्य । दुच्चापडिमा—दूसरी प्रतिमा के सम्बन्ध में कहते हैं । अचित्तं खलु—अचित्त स्थान में ।
उवसिज्जेज्जा—आश्रय लूंगा और । अवलंबिज्जा—भीत आदि का, अवलम्बन करूंगा तथा ।
काएण—कामा से । विप्परिकम्माइ—हाथ पैर आदि का संकोचन प्रसारण करूंगा किन्तु ।

नो विचारं—पैरों से सक्रमणादि नहीं करूंगा प्रधात् अमरण नहीं करूंगा, इस प्रकार । ठाणंठा-
इस्सामि—स्थान में ठहरूंगा या छाटा रहूंगा । बुच्चापडिमा—यह दूसरी प्रतिमा का स्वरूप है ।
अहावारा—अब इससे भिन्न । तच्चापडिमा—तीसरी प्रतिमा यह है । खलु—पूर्ववत् । अचित्त-
अधिस स्थान का । उवसज्जेज्जा—आश्रय लूंगा और । अवलंबिज्जा—अचित्त भीत आदि का
साहारा लूंगा किन्तु । काएण—काया से । नो विपरिकम्माई—संकोचन प्रसारण आदि क्रियाएं
नहीं करूंगा । नो सविचारं—न पैर आदि से भूमि का संक्रमण करूंगा, इस प्रकार । ठाणंठा-
इस्सामि—स्थान में ठहरूंगा । इति—यह । तच्चापडिमा—तीसरी प्रतिमा कही है । अहावारा
चउत्थीपडिमा—अब चौथी प्रतिमा कहते हैं । अचित्तं खलु—अचित्त स्थान पर । उवसज्जेज्जा—
अच्छे हीनर कायोत्सर्गादि करूंगा । नो अवलंबिज्जा—अचित्त भीत आदि का आश्रय नहीं लूंगा ।
नो काएण विपरिकम्माई—काया से संकोचन प्रसारण नहीं करूंगा और । नोसविचारं—न हाथ
पैर आदि को हिताऊंगा । इति—इस प्रकार । ठाणं—स्थान पर । ठाइस्सामि—ठहरूंगा तथा ।
ओसट्ठकाये—कुछ काल के लिए काया के ममत्व भाव को त्याग कर और । ओसट्ठकेसममुलोम-
चहे—रेश, दाढ़ी, मूँछ, रोम, नख के ममत्व भाव को छोड़ कर । वा—अथवा । संनिच्छं—
सम्पत् प्रकार से काया का निरोध करके । इति—इस प्रकार । ठाणंठाइस्सामि—स्थान में ठहरूंगा
अर्थात् यदि कोई केशादि का भी उत्पाटन करे तो भी ध्यान से विचलित नहीं होऊंगा ।
चउत्थापडिमा—यह चौथी प्रतिमा का स्वरूप है । इच्चेयांसि—इन पूर्वोक्त । चउण्हं पडिमाणं—
चार प्रतिमाओं । जाय—यावत् में से । पग्गहियतरायं—किसी एक प्रतिमा को ग्रहण करके ।
विहरिउजा—विचरे किन्तु । नो किंचिदि वइज्जा—अन्य किसी मुनि की—जिसने प्रतिमा ग्रहण
नहीं की—न तो निन्दा करे और न उनके विषय में कुछ कहे । वह यह न सोचे कि मैंने उत्कृष्ट
भाव से अमुक प्रतिमा ग्रहण की है अतः मैं उत्कृष्ट ूति वाला हूँ और ये मुनि—जिन्होंने प्रतिमा
धारण नहीं की शिथिलता चारी हैं इस प्रकार न कहे । एयंखलु—निश्चय ही यह । तस्स०—
उस भिक्षु का समग्रानार-सम्पूर्ण आचार है । जाय—यावत् । जइज्जासि—इस का पालन करने
में यत्न करे । त्तिथेमि—इस प्रकार में करता हूँ । ठाणसत्तिवकय सम्पत्तं—पहला स्थान सप्तक
समाप्त हुआ ।

मूलार्थ—किसी गांव या शहर में ठहरने का इच्छुक साधु-साध्वी पहले
ग्रामादि में जाकर उस स्थान को देखे, जो स्थान मकड़ी आदि के जालों
से या अण्डे आदि से युक्त हो उसके मिलने पर भी उसे अप्रासुक और
अनेपणीय जान कर ग्रहण न करे । शेष वर्णन शय्या अध्ययन के समान
जानना चाहिए ।

साधु को स्थान के दोषों का छोड़ कर स्थान की गवेषणा करनी चाहिये और उसे उक्त स्थान पर चार प्रतिमाओं के द्वारा बैठे बैठे या खड़े होकर कायोत्सर्गादि क्रियाएँ करनी चाहिएँ । १-मैं अपने कायोत्सर्ग के समय अचित्त स्थान में रहूँगा, और अचित्त भीत आदि का सहारा लूँगा, तथा हस्त पादादि का संकोचन प्रसारण भी करूँगा एवं स्तोक मात्र, पादादि से मर्यादित भूमि में भ्रमण भी करूँगा ।

२-मैं कायोत्सर्ग के समय अचित्त स्थान में ठहरूँगा, अचित्त भीत आदि का आश्रय भी लूँगा, तथा हस्त पाद आदि का संकोचन प्रसारण भी करूँगा किन्तु पादों से भ्रमण नहीं करूँगा ।

३-मैं कायोत्सर्ग के समय अचित्त स्थान में रहूँगा, अचित्त भीत आदि का सहारा भी लूँगा, परन्तु हस्तपादादि का संकोच प्रसारण एवं पादों से भ्रमण नहीं करूँगा ।

४-मैं कायोत्सर्ग के समय अचित्त स्थान में ठहरूँगा, परन्तु भीत आदि का अवलम्बन नहीं लूँगा तथा हस्त पाद आदि का संचालन और पादों से भ्रमण आदि कार्य भी नहीं करूँगा, परन्तु एक स्थान में स्थित होकर कायोत्सर्ग के द्वारा शरीर का सम्यक्तया निरोध करूँगा और परिमित काल के लिये शरीर के ममत्व का परित्याग कर चुका हूँ अतः उक्त समय में यदि कोई मेरे केश, श्मश्रू और नख आदि का उत्पाटन करेगा तब भी मैं अपने ध्यान को नहीं तोड़ूँगा ।

इन पूर्वोक्त चार प्रतिमाओं में से किसी एक प्रतिमा का धारक साधु अन्य किसी भी साधु की-जो प्रतिमा का धारक नहीं—अहंकार में आकर अवहेलना न करे किन्तु सब में समान भाव रखता हुआ विचरे । यही संयमशील साधु का समग्र आचार है, इसप्रकार मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में कायोत्सर्ग की विधि का उल्लेख किया गया है स्थान के संबन्ध

में पूर्व सूत्रों में बताई गई विधि को फिर से दुहराया गया है कि साधु को अण्डे एवं जालों आदि से रहित निर्दोष स्थान में ठहरना चाहिए और उसके साथ कायोत्सर्ग के चार अभिग्रहों का भी वर्णन किया गया है।

यह स्पष्ट है कि साधु की साधना मन, वचन और काया योग का सर्वथा निरोध करने के लिए है। परन्तु, यह कार्य इतना सुगम नहीं है कि साधु शीघ्रता से इसे साध सके। अतः उस स्थिति तक पहुँचने के लिए कायोत्सर्ग एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा साधक सीमित समय के लिए अपने योगों को रोकने का प्रयास करता है। इसमें भी सभी साधकों की शक्ति का ध्यान रखा गया है, जिससे प्रत्येक साधक सुगमता के साथ अपने लक्ष्य स्थान तक पहुँचने में सफल हो सके। इसके लिए कायोत्सर्ग करने वाले साधकों के लिए चार अभिग्रह बताए गए हैं।

पहले अभिग्रह में साधक अचित्त भूमि पर खड़ा होकर कायोत्सर्ग करता है, आवश्यकता पड़ने पर वह अचित्त दीवार का सहारा भी ले सकता है, हाथ-पैर आदि का संकुचन एवं प्रसारण भी कर सकता है और थोड़ी देर के लिए कुछ कदम चल भी सकता है।

दूसरे अभिग्रह में साधक कुछ आगे बढ़ता है। अचित्त भूमि पर खड़ा हुआ साधक आवश्यकता पड़ने पर अचित्त दीवार का सहारा ले लेता है, हाथ-पैर आदि का संकुचन-प्रसारण भी कर लेता है, परन्तु वह अपने स्थान से क्षण मात्र के लिए भी चलता नहीं है। वह अपनी शारीरिक गति को रोक लेता है।

तीसरे अभिग्रह में वह अपनी साधना में थोड़ा सा और विकास करता है। अब वह हाथ-पैर आदि के संकुचन-प्रसारण आदि को रोक कर स्थिर मन से खड़े रहने का प्रयत्न करता है और आवश्यकता पड़ने पर केवल अचित्त दीवार का सहारा लेता है।

चौथे अभिग्रह में साधक अपनी कायोत्सर्ग साधना की चरम-सीमा पर पहुँच जाता है। यह सीमित काल के लिए बिना किसी सहारे के एवं बिना हाथ-पैर आदि का संचालन किए अचित्त भूमि पर स्थिर मन से खड़ा रहता है। वह इस क्रिया के समय अपने शरीर से सर्वथा ममत्व हटा लेता है। यदि कोई डंस-मंस उसे काटता है या कोई अज्ञानी व्यक्ति उसके बाल, दाढ़ी, नख आदि उखाड़ता है या उसे किसी तरह का कष्ट देता है, तब भी वह अपने कायोत्सर्ग से, आत्म चिन्तन से विचलित नहीं होता है। उस समय उसके योग आत्म-चिन्तन में इनने संलग्न हो जाते हैं कि उसे अपने

शरीर पर होने वाली क्रियाओं का पता भी नहीं चलता है। वह उस समय अपने ध्यान को, चिन्तन को, अध्यवसाय को बाहर से हटा कर आत्मा के अन्दर केन्द्रित कर लेता है। अतः उस समय उसकी समस्त साधना आत्म हित के लिए होती है और निश्चय दृष्टि से उतने समय के लिए वह एक तरह से संसार से मुक्त होकर आत्म सुखों में रमण करने लगता है और अनन्त आत्म आनन्द का अनुभव करने लगता है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'संनिरुद्ध' और 'वोसंढुकाए' दो पद योग साधना के मूल हैं। जिनके आधार पर उत्तर काल में अनेक योग ग्रन्थों का निर्माण हुआ है।

'तत्त्वैमि' की व्याख्या पूर्ववत् समझनी चाहिए।

॥ अष्टम अध्यायन समाप्त ॥

सप्तमणिकान्या द्वितीया चूला—निपीधिकां

नवम अध्ययन

अष्टम अध्ययन में कायोत्सर्ग का शर्णन किया गया, और प्रस्तुत अध्ययन में स्वाध्याय पर विचार अभिव्यक्त किए गए हैं। इसी कारण प्रस्तुत अध्ययन का निपीधिका नाम रखा गया है। मूल पाठ में 'निमीहित्य' शब्द का प्रयोग किया गया है, संस्कृत में इसके "निपीधिका और निशीधिका" दोनों रूप बनते हैं। आचारारंग वृत्ति के संपादक ने इस बात को नोट में स्पष्ट कर दिया है। परन्तु, निपीधिका पद अधिक प्रसिद्ध होने के कारण यह अध्ययन 'निपीधिका' के नाम से ही प्रसिद्ध है। अतः इस अध्ययन में स्वाध्याय भूमि कैसी होनी चाहिए तथा साधक को किस तरह से स्वाध्याय में संलग्न रहना चाहिए, इसे स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खु वा० अभिकं० निमीहित्यं फासुयं गम-
णाए, से पुण निमीहित्यं जाणिज्जा-मयंडं तह० अफा० नो चेइस्सा-
मि । से भिक्खु० अभिकंखेज्जा निमीहित्यं गमणाए, से पुण नि-
अप्पपाणं अप्पवीयं जाव मंताणयं तह० निमीहित्यं फासुयं चेइ-
स्सामि, एवं सिज्जागमेणं नेयव्वं जाव उदयप्पमूयाइं । जे तत्थ
दुवग्गा तिवग्गा चउवग्गा पंचवग्गा वा अभिसंधारित्ति निमी-
हित्यं गमणाए ते नो अन्नमन्नस्म कायं आलिं गिज्ज वा विलिं-
गिज्ज वा चुंविज्ज वा ढंतेहिं वा नहेहिं वा अच्चिंदिज्ज वा वुच्चिं० ,

ॐ निपीधनिपीधयो प्राकृते एकेन निमीहित्येन वाच्यत्वात् एवं निक्षेपवर्णनं,
तथा च निपीधिका निशीधिकेत्युभयमपि समतमभिवानयोः ।

—आचारारंग वृत्ति (टिप्पण)

अथ सूत्रकार-जो साधु वहा पर स्वाध्याय करने के लिए गये हुए है उनके विषय में कहते हैं—जे—जो । तत्थ — वहाँ पर । दुवग्गा — दो साधु । तिवग्गा — तीन साधु । चउवग्गा — चार साधु । पचवग्गा — अथवा पाच साधु । अभिसधारिति—सन्मुख हो । निसीहियं—स्वाध्याय भूमि में । गमणाए—जाने के लिए तैयार हो या वहा चले जाएं फिर । ते—वे साधु । अन्नमन्नस्स — परस्पर एक दूसरे के । काय — शरीर को । नो आल्लिगिज्ज वा — आल्लिगन न करे अथवा । विल्लिगिज्ज वा — जिस से मोह का उदय होता हो इस प्रकार का आल्लियन न करे तथा । चुंबिज्ज वा — मुख चुम्बन न करे अथवा । दंतेहि वा — दातो से । नहेहि वा — नखो से । अच्चिदिज्ज वा — शरीर को परस्पर छेदन न करे । बुच्चि० — जिससे विशेष मोहानल प्रदीप्त हो इस प्रकार की पारस्परिक कुचेष्टा न करे । एवं खलु — इस प्रकार निश्चय हो । तस्स — उस । भिक्खुस्स — भिक्षु का समग्र आचार है । जाव — यावत् । ज — जो कि । सव्वट्ठेहि — सर्व अर्थों से । सहिए — सहित है । समिए — पाच समितियों से युक्त है, इस में । सया — सदा समय पालन करने में । जएज्जा — यत्नशील हो तथा । सेयमिणं — इस आचार का पालन करना श्रेय है — कल्याण रूप है इस प्रकार । मन्निज्जासि — माने । त्तिबेमि — इस प्रकार मैं कहता हूं । निसीहिया सत्तिक्कय — निषीधिका अध्ययन समाप्त हुआ ।

मूलार्थ—जो साधु या साध्वी प्रासुक अर्थात् निर्दोष स्वाध्याय भूमि में जाना चाहे तब वह स्वाध्याय भूमि को देखे और स्वाध्याय भूमि अण्डे आदि से युक्त हो तो इस प्रकार की अप्रासुक, अनेषणीय स्वाध्याय भूमि को जान कर कहे कि मैं इसमें नहीं ठहरूंगा । यदि स्वाध्याय भूमि में प्राणी, बीज यावत् जाला आदि नहीं है तो उसे प्रासुक एवं एषणीय जान कर कहे कि मैं यहां पर ठहरूंगा । शेष वर्णन शय्या अध्ययन के अनुसार जानना चाहिए । जैसे जहां पर उदक से उत्पन्न हुए कन्दादिक हों वहां पर भी न ठहरे ।

उस स्वाध्याय भूमि में गए हुए दो, तीन, चार, पांच साधु परस्पर शरीर का आल्लिगन न करें, न विशेष रूप से शरीर का आल्लिगन करें, न मुख चुम्बन करें, दान्तो से या नखों से शरीर का छेदन भी न करें, और जिस क्रिया या चेष्टा से मोह उत्पन्न होता हो इस तरह की क्रियाएं भी न करें । यही साधु और साध्वी का समग्र आचार है । जो साधु

बहवे—बहुत से । समण माहण०—शावयादि श्रमण ब्र ह्राण । कि०—कृपण । व०—भिक्षारी एवं । अतिहि—अतिथियो का । समुद्विदस्स—उद्देश रख कर । पाणाइं—प्राणी । भूयाइ—भूत् । जीवाइं—जीव । सत्ताइ—सत्त्वो का विनाश करके । जाव—यावत् । उद्वेसिय—प्रीव्देशिक स्थंडिल साधु को । चेएइ—देता है । तह०—तथाप्रकार का । थंडिल्ल—स्थंडिल । अपुरिसतरकड—अपुरुषान्तर कृत है । जाव—यावत् । बहिया अनीहइं—बाहर निकाला हुआ नहीं है अर्थात् भोगा हुआ नहीं है या । अन्नयरसि वा—अन्य इसी प्रकार का सदोष स्थंडिल है तो ; तह०—तथाप्रकार के । थंडिल्लसि—स्थंडिल में । नो उच्चारपासवण०—मल मूत्र का त्याग न करे । अह—अथ । पुण—फिर । एवं—इस प्रकार । जाणेज्जा—जाने कि यदि वह । पुरिसंतरगडं—पुरुषान्तर कृत है । जाव—यावत् । बहिया नीहइं—किसी के द्वारा भोगा हुआ है । अन्नयरसि वा—इसी प्रकार का अन्य कोई निर्दोष स्थंडिल है तो । तहएपगारं—तथाप्रकार के । थ०—स्थंडिल में । उच्चार०—मलमूत्र का । वोसि०—त्याग करे ।

से मि०—वह साधु अथवा साध्वी । से जं—वह जो फिर स्थंडिल को जाने । अस्सिपडियाए—किसी गृहस्थ ने साधु के लिए । कयं वा—स्थंडिल किया अथवा । कारियं वा—कराया अथवा । पामिच्चिय वा—उधार लिया हो अथवा । छन्न वा—उसके ऊपर छा डाली हो । घट्ठं वा—संवारा हो । मट्ठ वा—विशेष रूप से संवारा हो । लित्त वा—लीपा पीता हो या । समट्ठं वा—समतल किया हो तथा । संपधूपियं वा—दुर्गन्ध दूर करने के लिए धूप से सुवासित किया हो । अन्नयरसि वा—इस तरह का अन्य कोई सदोष स्थंडिल हो तो । तह०—तथाप्रकार के । थंडि०—स्थंडिल में । नो उ०—मल मूत्र को न परठे ।

से मि०—वह साधु या साध्वी । से ज०—वह जो । पुण—फिर । थ०—स्थंडिल को । जाणेज्जा—जाने, यथा । इह खलू—निश्चय ही इस संसार में । गाहावइ—गृहपति । वा—अथवा । गाहा० पुत्ता—गृहपति के पुत्र साधु के वास्ते । कंवाणि वा—कन्व अथवा । जाव—यावत् । हरियाणि वा—हरी वनस्पति इन को । अतराओ वा—अन्दर से । बाहि—बाहर । नीहरति—निकालते हैं अथवा । बहियाओ—बाहर से । अतो—अन्दर । साहरंति—रखते है अथवा । अन्नयरसि—अन्य कोई इसी प्रकार का सदोष स्थंडिल है तो । तह० थ०—तथाप्रकार के स्थंडिल में । नो उच्चा०—मल मूत्र का परित्याग न करे ।

से मि०—वह साधु अथवा साध्वी । से जं—वह जो । पुण०—फिर स्थंडिल को जाणेज्जा—जाने । खवसि वा—एक स्तम्भ पर स्थंडिल भूमि हो, अथवा स्तम्भो पर हो । पीठसि वा—पीठ पर हो अथवा । मचंसि वा—मच पर । मालंसि वा—माले पर । अट्ठसि वा—घटारी पर । पासायसि वा—प्रासाद पर अथवा इसी कार के, अन्नयरसि वा—किसी अन्य स्थान पर हो तो । तह०—तथाप्रकार के स्थंडिल पर । नो उ०—उच्चार प्रश्रवण—मल मूत्र का परित्याग न करे ।

से मि०—वह साधु या साध्वी । से जं—वह जो । पुण—फिर स्थंडिल को जाने । अणतरहियाए पृथ्वीए—सचित्त पृथ्वी पर । ससिणिद्धाए पु०—स्निग्ध-गीली पृथ्वी पर । ससरक्खाए पु०—सचित्तरज युक्त पृथ्वी पर तथा । मदिट्याए—कच्ची मिट्टी से युक्त पृथ्वी पर या । मक्कड़ाए—वहा पर सचित्त मिट्टी का काम किया हुआ हो अर्थात् सचित्त मिट्टी मसली हुई हो या । चित्तमताए—सचित्त । सिलाए—शिला पर । चित्तमंताए लेनुयाए—सचित्त शिला के टुकड़े पर । कोलावाससि वा—जहा पर घुण आदि जीव हो अथवा । वारुयसि—काठ पर अथवा । जीवपइट्टियसि वा—जहा पर जीव रहते हैं । जाव—यावत् । मक्कडासंताणयंसि—मकड़ी के जालो से युक्त स्थान पर या । अन्न०—इस प्रकार अन्य कोई स्थान हो तो । तह०—तथाप्रकार के । य०—स्थंडिल पर । तो उ०—मल मूत्रादि का परित्याग न करे ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी उच्चार प्रश्रवण मलमूत्र की बाधा हो तो स्वकीय पात्र मे उससे निवृत्त होकर मूत्रादि को परठ दे । यदि स्वकीय पात्र न हो तो अन्य साधर्मी साधु से पात्र की याचना करके उसमें अपनी बाधा का निवारण करके परठ दे, किन्तु मल-मूत्र का कभी भी निरोध न करे । परन्तु अण्डादि जीवों से युक्त स्थान पर मल मूत्रादि न परठे-त्यागे । जो भूमि द्वीन्द्रियादि जीवों से रहित है, उस भूमि पर मल-मूत्र का त्याग करे ।

यदि किसी गृहस्थ ने एक साधु या बहुत से साधुओं का उद्देश रखकर स्थण्डिल बनाया हो अथवा एक साध्वी या बहुत सी साध्वियों का उद्देश्य रखकर स्थण्डिल बनाया हो अथवा बहुत से श्रमण ब्राह्मण, कृपण, भिखारी एव गरीबों को गिन गिन कर उनके लिए प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वो की हिंसा करके स्थण्डिल भूमि को तैयार किया हो तो इस प्रकार का स्थण्डिल पुरुषान्तर कृत हो या अपुरुषान्तर कृत हो किसी अन्य के द्वारा भोगा गया हो या न भोगा गया हो, उसमें साधु-साध्वी मलमूत्र का परित्याग न करे ।

यदि किसी गृहस्थ ने श्रमण, ब्राह्मण, कृपण, वनीपक-भिखारो, अतिथियो का निमित्त रखकर प्राणी, भूत, जीव, सत्त्वो की हिंसा करके

स्थण्डिल बनाया हो तो इस प्रकार का स्थण्डिल, जब तक वह अपुरुषान्तर कृत है अर्थात् किसी के भोगने में नहीं आया है तब तक इस प्रकार के स्थण्डिल में मल मूत्र का परित्याग न करे । यदि इस प्रकार जान ले कि यह पुरुषान्तर कृत है या अन्य के द्वारा भोगा हुआ है तो इस प्रकार के स्थण्डिल में मल मूत्र का त्याग कर सकता है ।

यदि साधु या साध्वी इस प्रकार जान ले कि गृहस्थ ने साधु की प्रतिज्ञा से स्थण्डिल बनाया या बनवाया है, उधार लिया है, उस पर छत ढाली है- उसे सम किया है और संवारा है तथा धूप से सुगन्धित किया है तो इस प्रकार के स्थण्डिल में मल मूत्र का त्याग न करे ,

यदि साधु इस प्रकार जाने कि गृहपति या उसके पुत्र कन्द मूल और हरि आदि पदार्थों को भीतर से बाहर और बाहर से भीतर ले जाते या रखते हैं, तो इस प्रकार के स्थण्डिल में मल मूत्रादि न परठे ।

यदि साधु इस प्रकार जाने कि यह स्थण्डिल भूमि स्तम्भ पर है, पीठ पर है, मन्च पर है, माले पर है तथा अटारी और प्रासाद पर है अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य विषम स्थान पर है तो इस प्रकार की स्थण्डिल भूमि पर मल मूत्र का परित्याग न करे । तथा सचित्त पृथ्वी पर, स्निग्ध-गीली पृथ्वी पर, सचित्त रज से युक्त पृथ्वी पर, जहा पर सचित्त मिट्टी मसली गई हो ऐसी पृथ्वी पर, सचित्त शिला पर, सचित्तशिला खड पर, घुण युक्त काष्ठ पर, द्वीन्द्रियादि जीव युक्त काष्ठ पर, यावत् मकड़ी के जाला-आदि से युक्त भूमि पर मल मूत्रादि न परठे ।

हिन्दी विवेचन

श्रुत सूत्र में उच्चार-प्रश्रवण का त्याग करने की विधि बताई गई है । मल और मूत्र को क्रमशः उच्चार और प्रश्रवण कहते हैं । साधु को कभी भी इनका निरोध नहीं करना चाहिए । क्योंकि इनके निरोध से शरीर में अनेक व्याधियाँ एवं भयकर रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जिनके कारण आध्यात्मिक साधना में रुकावट पड़ सकती है । इसलिए साधु को यह आदेश दिया गया है कि वह अपने मल मूत्र का

त्याग करने के पात्र में उसकी बाधा को निवारण करले। यदि किसी समय उसके पास अपना पात्र नहीं है तो उसे चाहिए कि अपने साधमिक साधु से उसकी याचना करले। परन्तु, मल-मूत्र को रोक कर न रखे। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि साधु को मल-मूत्र का त्याग करने के लिए एक अलग पात्र रखना चाहिए, जिसे मग्नक या समाधि भी कहते हैं।

साधु को ऐसे स्थान पर मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, जो हरियाली से, बीजों से, नितोद् काय से, जुद्ध जीव-जन्तुओं से युक्त हो या सचित हो, गीला हो, सचित मिट्टी वाला हो तथा सचित शिला एव शिला खण्ड पर हो। इसके अतिरिक्त साधु को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो मल-मूत्र त्यागने का स्थान एक या अनेक साधु-साध्वियों को उद्देश्य मे रखकर तथा भ्रमण-त्राहणों के साथ भी जैन भ्रमणों के लक्ष्य में रखकर बनाया गया हो तो उस स्थान में भी मल-मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए—चाहे वह स्थान पुरुषान्तरकृत भी क्यों न हो। यदि वह स्थान केवल अन्य मत के भ्रमण-त्राहणों के लिए बनाया गया है तो पुरुषान्तरकृत होने पर साधु उस स्थान में मल-मूत्र का त्याग कर सकता है।

जो स्थान अन्तारक्ष में हो अर्थात् मंच, स्तंभ आदि पर हो तो ऐसे स्थानों पर भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। मार्ग की विषमता के कारण ही ऐसे स्थानों पर परठने का निषेध किया गया है, जैसेकि पूर्व के अध्यायों में ऐसे स्थानों पर हाथ-पैर आदि धोने एवं वस्त्र आदि सुखाने का निषेध किया गया है। अतः यदि ऊपर के स्थानों पर जाने का मार्ग प्रशस्त हो, जीवों की विराधना न होती हो तो साधु उन स्थानों का उपभोग भी कर सकता है।

जिस स्थान से कन्द-मूल आदि भीतर से बाहर एवं बाहर से भीतर लाए जा रहे हों तो ऐसे स्थान पर भी साधु को मल-मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि सम्भवतः यह क्रिया स्थान को परठने योग्य बनाने के लिए की जा रही हो, अतः साधु को ऐसे स्थान का भी परठने के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए।

जिस स्थान पर साधु के उद्देश्य से कोई विशेष क्रियाएं की गई हों, जैसे—स्थान को सम बनाया गया हो, छायादार बनाया गया हो, सुचारित बनाया गया हो, तो जब तक ये स्थान पुरुषान्तर कृत न हो जाएं तब तक साधु को उनका उपयोग नहीं करना चाहिए।

इससे यह स्पष्ट होता है कि साधु को सचित, जीव जन्तु एवं हरियाली युक्त तथा सद्यो भूमि पर मल-मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। उसे सदा अचित जीव-

अगणिपडण्ट्ठा० अन्नयरंसि वा तह० नो उ० ॥ से भि० से
 जं० आरामाणि वा उज्जाणाणि वा वणाणि वा वणसडाणि
 वा देवकुलाणि वा सभाणि वा पवाणि वा अन्न० तह० नो
 उ० ॥ से भि० से जं० पुण० जा० अट्टालयाणि वा चरियाणि वा
 दाराणि वा गोपुराणि वा अन्नयरंसि वा तह० थं० नो उ० ।
 से भि० से जं० जाणे० तिगाणि वा चउक्काणि वा चच्चराणि
 वा चउम्मुहाणि वा अन्नयरंसि वा तह० नो उ० ॥ से भि० से
 जं० जाणे० इंगालदाहेसु वा स्वारदाहेसु वा मडयदाहेसु वा
 मडयथूमियासु वा, मडयचेइएसु वा अन्नयरंसि वा तह० थं० नो
 उ० ॥ से जं० जाणे० नइयायतणेसु वा पंकाययणेसु वा ओघाय-
 यणेसु वा सेयणवहंसि वा अन्नयरंसि वा तह० थं० नो उ० ।
 से भि० से जं० जाणे० नवियासु वा मट्टियखाणियासु वा नवियासु
 गोप्पहेलियासु वा गवाणीसु वा खाणीसु वा अन्नयरंसि वा
 तह० थं० नो उ० ॥ से जं० जा० डागवच्चंसि वा सागव०
 मूलग० हत्थंकरवच्चंसि वा अन्नयरंसि वा तह० नो उ० वो० ॥
 से भि० से जं० असणवणंसि वा सणव० धायइव० केयइवणंसि वा
 अम्भव० अयोगव० नागव० पुन्नागव० चुल्लागव० अन्नयरेसु
 तह० पत्तोवेएसु वा पुप्फोवेएसु वा फलोवेएसु वा वीथोवेएसु वा

चतुर्मुखेषु वा अन्यतरस्मिन् वा तथा० स्थं० नो उ० व्यु० ॥ स भि०
 स यत् पुनः एवं स्थं० जानीयात् अंगारदाहेषु वा क्षारदाहेषु वा मृतक-
 दाहेषु वा मृतकस्तूपिकामु वा मृतकचैत्येषु वा अन्यतरस्मिन् वा तथा०
 स्थं० नो उ० व्यु० ॥ स भि० स यत् पुनः एव स्थं० जानीयात्
 नद्यायतनेषु वा पकायतनेषु वा प्रोवायतनेषु वा सेचनपथे वा अन्यतरस्मिन्
 वा तथा० स्थ० नो उ० व्युत्सृजेत् । स भि० स यत् पुनः एव स्थ०
 जानीयात् नचासु वा मृतखानिषु वा नचासु गोप्रहेल्यासु वा गचादनीषु वा
 खनीषु वा अन्यतरस्मिन् वा तथाप्रकारे स्थडिले नो उच्चारप्रश्रवण व्यु०
 स भि० स यत् पुनः एवं स्थं० जानीयात् डालवर्चसि वा शाकवर्चसि
 वा मूलकवर्चसि वा हस्तकरवर्चसि वा अन्यतरस्मिन् वा तथाप्रकारे स्थ-
 डिले नो उच्चारप्रश्रवणं व्युत्सृजेत् ॥ स भि० स यत् पुनः स्थ०
 जानीयात् ग्रशनवने वा क्षणवने वा धातकीवने वा केतकीवने वा आम्रवने
 अशोकवने वा नागवने वा पुन्तागवने वा चुल्लगवने वा अन्यतरेषु वा
 तथाप्रकारेषु स्थडिलेषु वा पत्रोपेतेषु वा पुष्पोपेतेषु वा फलोपेतेषु वा बीजो-
 पेतेषु वा हरितोपेतेषु वा नो उ० व्यु० ।

पदार्थ—से मि०—वह साधु या माध्वी । स जं—वह जो फिर । थंडिलं जाणे—
 स्थंडिल के सम्बन्ध में जाने । खलु—निश्चय । इह—इस ममार में । गाहावई वा—गृहपति ।
 गाहावइ पुत्ता वा—या गृहपति के पुत्र ने । कंवाणि वा—कन्द मूल आदि । जाव—यावत् ।
 बीयाणि वा—बीज आदि । परिमाडिसु वा—भूतकाल में रने थे । परिमाडिति—वर्तमान काल
 में रखते हैं । परिमाडिस्तति वा—ग्रौर आगामी काल में रयेगे । अन्नपरसिवा—अथवा
 अन्य कोई । तह०—तथाप्रकार के स्थंडिल में । नो उ०—उच्चार प्रश्रवण का परित्याग न
 करे-परठे नहीं ।

से मि०—वह साधु या माध्वी । से जं पुण थ० जाणे—वह पुनः स्थंडिल के
 सम्बन्ध में जाने । इहखलु—निश्चय ही इस ममार में । गाहावई वा—गृहपति या ।
 पा० पुत्ता वा—गृहपति के पुत्र ने । सालीणि—शाली-धान्य । वा—अथवा । घोहीणि वा—
 ग्रीहि-धान्य विशेष । मुग्गाणि वा—मूग । मासाणि वा—उदद । कुलत्वाणि वा—कुल्व—

पहाडी प्रदेश में उत्पन्न होने वाला धान्य विशेष तथा । जवाणि वा—यव अथवा ; जबजवाणि वा—मोटे यव या ज्वार आदि को । पद्दिरिसु वा—भूतकाल में वपन किया है । पद्दिरिति वा—अथवा वर्तमान काल में बो रहा है । पद्दिरिस्तति वा—या भविष्यत् काल में कोएगा । अन्नयरंसि—अथवा अन्य कोई ऐसी क्रिया करता है । तह०—तथाप्रकार के । थडि०—स्थंडिल में । नो उ०—उच्चार प्रश्रवण का व्युत्सर्ग न करे । से मि०—वह साधु या साध्वी । से ज०—वह पुनः स्थंडिल के सम्बन्ध में जाने कि । आमोयाणि वा—जहा पर कचरे का ढेर लगा हो । घासाणि वा—भूमि पर बड़ी बड़ी दरारे पडी हुई हो । मिलुयाणि वा—भूमि पर सूक्ष्म रेखाये पडी हुई हो । विज्जुलयाणि वा—या कीचड हो । खाणुयाणि वा—स्तम्भ और कीलकादि गाडे हुए हो या । कडयाणी वा—इक्षु आदि के डडे पडे हो । पगडाणि वा—वडे एवं गहरे खड्डे हो । वरीणि वा—अथवा गुफाएं हो । पडुग्गाणि वा—किले की दीवार हो । सभाणि वा विषमाणि वा—पूर्ववत् स्थान सम हो अथवा विषम हो या । अन्नयरंसि—ऐसा ही अन्य कोई स्थान हो तो । तह०—तथाप्रकार के स्थंडिल में । नो उ०—मल मूत्र आदि का त्याग न करे ।

से मि०—वह साधु या साध्वी । से ज पुण—वह पुनः । थंडिल्लंजाणिज्जा—स्थालि के सम्बन्ध में जाने कि । माणुसरधणानि वा—जहा भाजन तैयार करने के लिए चूल्हा या भट्ठी आदि हो या । महिसकरणानि वा—जहा पर भँस को रखने एवं बान्धने का स्थान हो इसी प्रकार । वसह क०—वृषभ आदि के लिए स्थान हो या । अस्स क०—घोडो को बान्धने का स्थान हो या । कुक्कुडक०—मुर्गे कुक्कुड को रखने की जगह हो या । मक्कडक०—बन्दर को रखने का स्थान हो या । गय क०—हाथी को बाधने का स्थान हो या । लावय क०—लावक पत्नी को रखने का स्थान हो या । चट्टय क०—चटक-चिडिया को रखने का स्थान हो या । तित्तरि क०—तित्तर को रखने का स्थान हो या । कबोय क०—कपोत—कबूतर को रखने का स्थान हो या । कविजल करणानि वा—कपिजल (जीव विशेष) को रखने का स्थान । अर्थात् इन पूर्वोक्त जीवो के रहने के जो स्थान हो तथा इन जीवो का उद्देश्य रखकर जहाँ पर इनके लिए उक्त क्रियाएँ की जाती हो अथवा । अन्नयरंसि वा—अन्त्र इसी प्रकार के स्थान हो तो उन स्थानों में । नो उ०—मल मूत्रादि का त्याग न करे ।

से मि०—वह साधु या साध्वी । से ज०जार्ण—वह पुनः स्थंडिल के सम्बन्ध में जाने कि । वेहाणसट्ठाणेषु वा०—जहा पर मनुष्य फासी लेते हो उन स्थानों में । गिद्ध-पइठा० वा—जहा पर मरने की इच्छा से गृध्रादि पक्षियों के स्थान पर शरीर को लधिर से मसृष्ट करके लेट जाते हैं ऐसे स्थानों में । तरुपडनट्टाणेषु वा०—जहा वृक्ष से गिर कर या । मेरुपडन ठा०—पर्वत से गिर कर मरते हो ऐसे स्थानों में या । विसम्बखणम ठा०—

के स्थानों में तथा नालाव में जल प्रवेश करने वाले मार्गों में । सेयणवहसि वा—पानी के नाले पर जिससे खेतों को पानी दिया जाता हो या । अन्नपरसि वा—अन्य कोई । तह०—इसी प्रकार का । थ०—स्थान हो तो उसमें । नो उ०—मल मूत्रादि का त्याग न करे ।

से मि०—वह साधु या साध्वी । से ज० पुण० जाणे०—वह जो फिर स्थंडिलादि भूमि को जाने । नवियासु वा—अथवा नई । मट्टियखणिआसु—मृत्तिका की खानों में । नवियासु वा०—नूतन । गोप्पहेलियासु वा—गोम्रों के चरने के स्थानों में । गवाणीसु वा—सामान्य गौम्रों के चरने के स्थानों में । खणीसु वा—खानों के स्थानों में तथा । अन्नपरसि वा—अन्य किसी । तह०—ऐसे ही । थ०—स्थंडिल में । नो उ०—मल मूत्रादि का त्याग न करे ।

से मि०—यह साधु या साध्वी । से ज०—वह जो । पुण—फिर । जाणे—जाने । डागवच्चसि वा—जिस सब्जी के पौदों में डालिये अधिक हो या । सागवच्चसि वा—जिस में पत्ते अधिक हो ऐसे स्थान पर या । मूलगवच्चसि वा—मूली आदि के खेतों में । हत्थकर वच्चसि—वा—कपित्थ—वनस्पति विशेष के स्थानों में (कपित्थ—वनस्पति विशेष) तथा । अन्नपरसि वा—अन्य । तह०—तथाप्रकार के स्थान हो तो उन में । नो उ०—मल मूत्रादि का त्याग न करे ।

से मि०—वह साधु या साध्वी । से ज० पुण० जाणे—वह फिर स्थंडिल भूमि के सम्बन्ध में जाने । असणवणसि वा—वीथक नामक वनस्पति के वनों में । सण व०—सण (Jute) के वन में । धायइ व०—धातकी वृक्ष के वनों में । केयइवणसि—केतकी वृक्षों के वनों में । अंब व०—आम्रवृक्ष के वनों में । असोण व०—अशोक वृक्ष के वनों में । नाग व०—नाग वृक्ष के वनों में । पुन्नाग व०—पुन्नाग वृक्ष के वनों में । चुल्लग व०—चुल्लक वृक्ष के वनों में । अन्नपरसु—तथा अन्य कोई । तह०—इसी प्रकार का स्थान उसमें अर्थात् स्थंडिल में जो । पतोवेणु वा—पत्रों से युक्त हो । पुण्कोवेणु वा—पुष्पों से युक्त हो । फलोवेणु वा—फलों से युक्त । बीओवेणु वा—बीजों से युक्त और । हरिओवेणु वा—हरि वनस्पति से युक्त ऐसे स्थानों में । नो ० वा०—मल मूत्रादि का परित्याग नहीं करे ।

मूलार्थ—संयमशील साधु या साध्वी स्थण्डिल के सम्बन्ध में यह जाने कि जिस स्थान पर गृहस्थ और गृहस्थ के पुत्रों ने कन्दमूल यावत् बोज आदि रखे हुए हैं, या रख रहे हैं या रखेंगे । तो साधु इस प्रकार के स्थानों में मल-मूत्रादि का त्याग न करे । इसीप्रकार गृहस्थ लोगों ने जिस स्थान पर शाली, व्रीही, मूग, उड़द, कुलत्थ, यव और ज्वार आदि बोजे हुए हैं, बीज रहे हैं और बीजगे, ऐसे स्थानों पर भी साधु मल-मूत्रादि

मिट्टी की नई खानों में, नई गोचर भूमि में, सामान्य गीत्रों के चरने के स्थानों और खानों में, मल मूत्रादि का परित्याग न करे। डाल प्रधान शाक के खेतों में, पत्र प्रधान शाक के खेतों में, और मूली गाजर आदि के खेतों में तथा हस्तकर नामक वनस्पति के क्षेत्र में, इस प्रकार के स्थानों में भी मल-मूत्र को न त्यागे। बीरक के वन में, शणी के वन में, घातकी (वृक्ष विशेष) के वन में, केनको के वन में, आम्र वृक्ष के वन में, अशोक वृक्ष के वन में, नाग और पुन्नाग वृक्ष के वन में, चूलक वृक्ष के वन में और इसी प्रकार के अन्य पत्र, पुष्प, फलो, पत्तों तथा बीज और हरी वनस्पति से युक्त वन में मल मूत्र को न त्यागे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में सार्वजनिक उपयोगी एवं धर्म स्थानों पर मल-मूत्र के त्याग करने का निषेध किया गया है। साधु को शाली (चावल), गेहूँ आदि के खेत में, पशुशाला में, भोजनालय में आम्र आदि के बगीचों में, प्याऊ में, देव स्थानों पर, नदी पर, कुएँ आदि स्थानों पर मल-मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। व्यवहारिक दृष्टि से भी यह कार्य अच्छा नहीं लगता है और उनके रक्त के मन में क्रोध आजाने के कारण अनिष्ट होने की ही संभावना रहती है। देवालय, नदी, सरोवर आदि स्थानों को कुछ लोग पूज्य मानते हैं, केवल नदी के पानी को ही नहीं, कुछ लोग तो उसके कीचड़ को भी पवित्र मानते हैं। इसलिए ऐसे स्थानों पर साधु को मल-मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए।

कूड़े-कंकट के ढेर, खड्डे एवं फटी हुई जमीन पर भी न फरठे। क्योंकि, वहाँ परठने से अनेक जीवों की हिंसा होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त साधु को ऐसे स्थानों पर भी मल-मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, जहाँ लोगों को फासी दी जाती हो या अन्य तरह से वध किया जाता हो। क्योंकि, उनके मन में घणा पैदा होने से संघर्ष हो सकता है।

इस सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि साधु सभ्यता एवं स्वच्छता का पूरा ख्याल रखते थे। गाँव एवं शहर की स्वच्छता नष्ट न हो तथा उनके प्रति किसी के मनमें घणा की भावना पैदा न हो इसका भी परठते समय ध्यान रखा जाता था। इससे यह

सिद्ध होता है कि साधु अपनी साधना के लिए किसी भी प्राणी का अहित नहीं करता । वह प्रत्येक प्राणी की रक्षा करने का प्रयत्न करता है ।

मल-मूत्र के त्याग के सम्बन्ध में कुछ और आवश्यक बातें बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भि० सयपाययं वा परपाययं वा गहाय से तमायाए एगंतमवक्कमे अणावायंसि असंलोयंसि अप्पाणांसि जाव मक्कडासंताणयंसि, अहारामंसि वा उवस्सयंसि तथो संजयामेव उच्चारपासवणं वोसिरिज्जा, से तमायाए एगंतमवक्कमे अणावाहंसि जाव संताणयंसि अहारामंसि वा भामथंडिल्लंसि वा अन्नयरंसि वा तह० थंडिल्लंसि अचित्तंसि तथो संजयामेव उच्चारपामवणं वोमिरिज्जा. एयं खलु तस्स० सया जइज्जासि, त्तिवेमि ॥१६७॥

ज्ञाया—स भि० स्वकीय पात्रक वा पर पात्रक वा गृहीत्वा स तमादाय एकान्तमपक्कामेत् अनापाते असंलोके अल्पप्राणे यावत् मर्कटासन्ताने यथारामे वा उपाश्रये ततः सयतमेव उच्चारप्रश्रवणं व्युत्सृजेत्, स तमादाय एकान्तमपक्कामेत् अनाशये यावत् सन्तानके यथारामे वा दग्धस्थडिल्ले वा अल्पतरस्मिन् वा तथाप्रकारे स्थडिल्ले अचित्ते ततः संयतमेव उच्चारप्रश्रवणं व्युत्सृजेत्, एनत् खलु तस्यभिन्नोः २ सामग्र्यं यत् सर्वार्यैः समितः सहितः सदा यवेत् इति अचीमि ।

पदाने—से भि०—वह साधु या साध्वी । सयपाययं—स्वकीय पात्र प्रपत्र । पर-पाययं वा—परकीय पात्र को । गहाय—ग्रहण करने । से—वह भिक्षु । तमायाए—उन पात्र को लेकर । एगंतमवक्कमे—एकान्त स्थान में जाये और वहा जानकर । अणावायसि—ब्रह्म पर

कोई आता जाता न हो तथा । असलोपसि—जहा पर कोई देखता न हो उम स्यान पर । अषपाणसि—जहा पर द्वीन्द्रियादि जीवों का अभाव हो (जाव—यावत्) मक्कड़ासताण्यसि—मकड़ी आदि के जाले न हो उस स्थान पर अथवा । अहारामसिवा—आराम बगीचे आदि की निचली भूमि मे तथा । उवस्सयसि—उपाश्रय मे । तओ—तत् पश्चात् साधु । सजयामेव—यतना पूर्वक । उच्चार पासवण—मल मूत्र का । वोसिरिज्जा—व्युत्सर्ग-त्याग करे फिर । से—वह भिक्षु । तमायाए—उस पात्र को लेकर । एगंतमवक्कमे—एकांत स्थान मे चला जावे और वहां जाकर । अणावाहसि—जहा किसी भी जीव की हिंसा न हो उस स्थान पर । जाव—यावत् । संताणयसि—मकड़ी आदि का जाला न हो उस स्थान पर । अहारामसि वा—उद्यान की अचित्त भूमि पर या । उक्कामथडिल्लसि वा—दग्ध भूमि पर या । अननयरसि वा—अन्य कोई । तहं—इसी प्रकार का । थंडिल्लसि—स्थंडिल हो तो । अचित्तिसि—जो कि अचित्त है तो उसमें । तओ—तत् पश्चात् । सजयामेव—साधु यतना पूर्वक । उच्चार पासवणं—उच्चार प्रश्रवण-मल मूत्रादि को । वोसिरिज्जा—त्यागे । खलु—निश्चयार्थक है । एव—इस प्रकार । तस्स—उस साधु अथवा साध्वी का समग्र आचार है । ज—जो । सव्वट्ठेहि—ज्ञानदर्शन और चारित्र रूप अर्थों से तथा । समिण्ह—समितियों से । सहिए—सहित होकर इसकी । सया—सदा । जइज्जासि—पालन करने में यत्नशील हो । त्तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—संयमशील साधु या साध्वी स्वपात्र अथवा परपात्र को लेकर बगीचे या उपाश्रय के एकान्त स्थान मे जाए और जहा पर न कोई देखता हो और न कोई आना जाता हो तथा जहा पर द्वीन्द्रियादि जीव जन्तु एवं मकड़ी आदि के जाले भी न हो, ऐसी अचित्त भूमि पर बैठकर साधु उच्चार प्रश्रवण का परिष्ठापन करे, उसके पश्चात् वह उस पात्र को लेकर एकान्त स्थान मे जाए जहां पर न कोई आता जाता हो और न कोई देखता हो, जहां पर किसी जीव की हिंसा न होती हो यावत् जल आदि न हो, उद्यान-बाग की अचित्त भूमि मे अथवा अग्नि से दग्ध हुए स्थंडिल में, इसी प्रकार के अन्य अचित्त स्थंडिल मे—जहा पर किसी भी जीव की विराधना न होती हो, साधु मल मूत्र का परि-त्याग करे । इस प्रकार साधु और साध्वी का समग्र आचार वर्णित हुआ है जो कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूप अर्थों में और पांचो समितियों से

एकादश अध्ययन

प्रस्तुत अध्ययन में यह अभिव्यक्त किया गया है कि निर्दोष स्वाध्याय भूमि में स्वाध्याय करते हुए या निर्दोष स्थान पर मल मूत्र का त्याग करते समय कोई साधु मयुर या मनोज्ञ शब्दों को सुनने का प्रयत्न न करे । वह सदा समभाव पूर्वक अपनी साधना में संलग्न रहे, इसका वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भि० झुङ्गसहाणि वा नंदीस० झल्लरीस०
 अन्नयराणि वा तह० विरूवरूवाइं सदाइं वितताइं कन्न-
 सोयणपडियाए नो अभिसंधारिजा गमणाए ॥ से भि०
 अहावेगइयाइं सदाइं सुणेइ, तं०—वीणासहाणि वा विपंची
 स० पिप्पी (बद्धी) सगस० तूणयसदा० षणयस० तुंबवीणीय
 सहाणि वा ढंकुणसदाइं अन्नयराइं तह० विरूवरूवाइं० सदाइं०
 वितताइं कणणसोयणपडियाए नो अभिसंधारिजा गमणाए ॥ से
 भि० अहावेगइयाइं सदाइं सुणेइ, तं० —तालसहाणि वा कंसता-
 लसहाणि वा लत्तियसदा० गोधियस० किरिकिरियास० अन्न-
 यरा० तह० विरूव० सहाणि कणण० गमणाए ॥ से भि० अहावे-
 ग० तं० —संखसहाणि वा वेणु० बंसस० खरमुहिस० परिपिरिया
 स० अन्नय० तह० विरूव० सदाइं भुसिराइं कन्न० ॥१६८॥

छाया—स भि० मृदगशब्दान् वा नन्दीश० भ्रूल्लरीश० वा अन्यतरान्
 चा तथा० विरूपरूपान् शब्दान् विततान् कर्णश्रवणप्रतिज्ञया न अभिसन्धारयेद्
 गमनाय ॥ से भि० यथा वा एककान् शब्दान् शृणोति तद्यथा वीणाशब्दान् वा
 विपचीश० वा पिप्पीसकश० वा (बद्धीसक शब्दान् वा) तूणकश० वा
 पणकश० वा तुम्बवीणाश० वा ढंकुणश० वा अन्यतरान् वा तथा०
 विरूपरूपान् शब्दान् विततान् कर्णश्रवणप्रतिज्ञया नाभिसन्धारयेद् गमनाय ॥
 स भि० यथावैककान् श० शृणोति तद्यथा-तालश० वा कंसतालश० वा
 लतिका (कंशिका) श० वा गोहिकश० वा किरिकिगियाश० अन्यतरान् वा
 तथा० विरूपरूपान् विततान् कर्णश्रवणप्रतिज्ञया नाभिसन्धारयेद् गमनाय ।
 स भि० यथा वैककान् शब्दान् शृणोति तद्यथा—शंखश० वेणुश० वा वशश०
 वा खरमुखी श० वा पिरिपिरिया श० वा अन्यतरान् वा तथा० विरूपरूपान्
 श० शुषिरान् कर्णश्रवणप्रतिज्ञया नाभिसन्धारयेद् गमनाय ।

पदार्थ—से भि०—वह साधु या साध्वी । मुद्गासद्दाणि वा—मृदंग के शब्द ।
 नन्दीसद्दाणि वा—नन्दी नाम के वाद्यन्तर के शब्द । भ्रूल्लरीसद्दाणि वा—भ्रूल्लरी या छंने के
 शब्द तथा । अन्नयराणि वा—अन्य किसी वाद्ययन्त्र के । तह्वपगाराणि—तथाप्रकार के शब्द ।
 विरुवरूवाइ—नानाप्रकार के । वितताइ—शब्दों को । कणसोयणपडियाए—सुनने के लिए ।
 गमणाए—जाने का । नो अभिसंधारिज्जा—मन में संकल्प न करे ।

से भि०—वह साधु या साध्वी । अहावेगइयाइ—जैसे कई एक । सद्दाइ—शब्दों
 को । सुणेइ—सुनता है । तंजहा—जैसे कि । वीणासद्दाणि वा—वीणा के शब्द । विपचीसद्दाणि
 वा—विपची-वीणा विशेष के शब्द । पिप्पीसकसद्दाणि वा—बद्धीसक नाम वाले वाद्य के शब्द ।
 तूणयसद्दाणि वा—तूण नाम के वाद्यविशेष के शब्द । पणयसद्दाणि वा—पणक-ढोलक के शब्द ।
 तुंबवीणियसद्दाणि वा—तुम्ब वीणा के शब्द । ढंकुणसद्दाणि वा—ढंकुण नाम के वाद्य के शब्द
 तथा । अन्नयराइ—अन्य कोई । तह०—तथाप्रकार के वाद्ययंत्र के । विरुवरूवाइ—नानाविध ।
 सद्दाइ—शब्दों को । वितताइ—जोकि वितत हैं । कणसोयणपडियाए—सुनने की प्रतिज्ञा से ।
 गमणाए—जाने का । नो अभिसंधारिज्जा—मन में संकल्प न करे ।

से भि०—वह साधु या साध्वी । अहावेगइयाइ—कई एक । सद्दाइ—शब्दों को ।
 सुणेइ—सुनता है । तंजहा—जैसे कि । तालसद्दाणि वा—ताल के शब्द । कंसतालसद्दाणि—
 कंस ताल—वाद्य विशेष के शब्द । लतियसद्दाणि वा—कंशिका नाम के वाद्य विशेष के शब्द ।

गोधियस०—काख एव हाथ में रखकर बजाए जाने वाले वाद्ययंत्र के शब्द । किरिकिरिया स०—दशमयी कदम्बिका वाद्य विशेष के शब्द तथा । अन्नपरा०—अन्य कोई । तह०—इसी प्रकार के । विरूब०—विविध भाति के । सद्दाई—शब्दों को । कण्ण०—श्रवण करने के लिए । गमणाए—जाने का । नो अमिसंधारिज्जा—मन में संकल्प न करे ।

ते मि०—वह साधु या साध्वी । अहावेण०—कई एक शब्दों को सुनता है । तजहा—जैसे कि । संखसद्दाणि वा—शंख के शब्द । वेणु०—वेणु के शब्द । वंस स०—वस—वास के शब्द । खरमुही स०—खरमुखी नामक वाद्य के शब्द । परिविरिया स०—वास की नली के शब्द तथा । अन्न०—अन्य कोई । तह०—तथाप्रकार के । उम्भिसिराड्—सुशिर । सद्दाइ—शब्दों को । कन्नसो०—सुनने के लिए । गमणाए—जाने का । नो अमिसंधारिज्जा—मन में संकल्प न करे । अथात् सुनने के लिए न जावे ।

मूलार्थ—संयमशील साधु या साध्वी मृदग के शब्द, नन्दा के शब्द और मल्लरी के शब्द, तथा इसी प्रकार के अन्य वितत शब्दों को सुनने के लिए किसी भी स्थान पर जाने का मन में संकल्प न करे ।

इसी प्रकार वीणा के शब्द, विपञ्ची के शब्द, वद्धीसक्क के शब्द तूनक और ढोल के शब्द, तुम्ब वीणा के शब्द, हुंकरण के शब्द इत्यादि शब्दों को एक ताल शब्द, कशताल शब्द, कांसो का शब्द, गोधी का शब्द, किरिकरी का शब्द तथा शंख शब्द, वेणु शब्द, खरमुखी शब्द और परिविरिका के शब्द इत्यादि नाना प्रकार के शब्दों को सुनने के लिए भी साधु न जावे तात्पर्य कि इन उपरोक्त शब्दों को सुनने की भावना से साधु कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान को न जाए ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में वाद्ययंत्रों से निकलने वाले मनोज्ञ एवं मधुर शब्दों को श्रवण करने का निषेध किया गया है । इसमें चार प्रकार के वाद्ययंत्रों का उल्लेख किया गया है—१ वितत, २ तत, ३ घन और ४ सुधिर । मृदग, नन्दी, मल्लर आदि के शब्द 'वितत' कहलाते हैं, वीणा, विपञ्ची आदि वाद्य यंत्रों के शब्दों को 'तत' सज्ञा दी गई है, हस्तताल, कांस ताल आदि शब्दों को 'घन' कहा जाता है और शंख, वेणु आदि के शब्द 'सुधिर' कहलाते हैं । इसप्रकार सभी तरह के वाद्ययंत्रों से प्रस्फुटित शब्दों को सुनने के लिए साधु प्रयत्न न करे । सूत्रकार ने यहाँ तक निषेध किया है कि साधु को इन

शब्दों को सुनने के लिए मन में सकल्प भी नहीं करना चाहिए । क्योंकि ये शब्द मोह एवं विकार भाव को जागृत करने वाले हैं । अतः साधु को इन से सदा बचकर रहना चाहिए ।

शब्द के विषय में कुछ और बातों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भि० अहावेग० तं० वप्पाणि वा फलिहाणि
 वा जाव मराणि वा सागराणि वा सरसरपंतियाणि वा अन्न०
 तह० विरूव० सहाइं करण० ॥ से भि० अहावे० तं० कच्छाणि
 वा णूमाणि वा गहणाणि वा वणाणि वा वणदुग्गाणि वा पव्व-
 याणि वा पव्वयदुग्गाणि वा अन्न० ॥ अहा० तं० गामाणि
 वा नगराणि वा निगमाणि वा रागहोणाणि वा आसमपट्टण-
 संनिवेसाणि वा अन्न० तह० नो अभि० ॥ से भि० अहावे०
 आरामाणि वा उज्जाणाणि वा वणाणि वा वणसंडाणि वा
 देवकुलाणि वा सभाणि वा पवाणि वा अन्नय० तहा० सहाइं
 नो अभि० ॥ से भि० अहावे० अट्टाणि वा अट्टालयाणि वा
 चरियाणि वा दाराणि वा गोपुराणि वा अन्न० तह० सहाइं
 नो अभि० ॥ से भि० अहावे० तंजहा—तियाणि वा चउक्काणि
 वा चच्चराणि वा चउम्मुहाणि वा अन्न० तह० सहाइं नो
 अभि० ॥ से भि० अहावे० तंजहा—महिसकरणट्टाणाणि वा
 चसभक० अस्सक० हत्थिक० जाव कविंजलकरणाट्टा० अन्न०

तह० नो अभि० ॥ से भि० अहावे० तंज० महिसजुद्धाणि वा
जाव कविंजलजु० अन्न० तह० नो अभि० ॥ से भि० अहावे० तं०
जूहियठाणाणि वा हयजू० गयजू० अन्न० तह० नो अभि० ॥ १६६ ॥

छाया—स भि० यथावैककः तद्यथा वप्रान् वा परिखा वा यावन्
सरांसि सागरान् वा सरः सरः पत्नी वा अन्य० तथा० विरू० श० कर्ण० ॥
स भि० यथा वैककः त० कच्छानि वा नूमानि वा गहनानि वा वनानि वा
वनदुर्गाणि वा पर्वतान् वा पर्वतदुर्गाणि वा अन्य० ॥ यथा वा एककः त०
ग्रामान् वा नगराणि वा निगमान् वा राजधानीः वा आश्रमपट्टनसन्नि-
वेशान् वा अन्यतरान् वा अन्य० तथा० शब्दान् कर्ण० अभि० ॥ स भि०
यथा वैककः आरामान् वा उद्यानानि वा वनानि वा वनषडानि वा देव-
कुलानि वा सभा वा प्रपा वा अन्य० तथा० शब्दान् नाभि० ॥ स भि०
यथा वैककः त० अट्टानि वा अट्टालकानि वा चरिकानि वा द्वाराणि वा
गोपुराणि वा अन्य० तथा० शब्दान् नाभि० ॥ स भि० यथा वा एककः
त० त्रिकानि वा चतुष्कानि वा चच्चराणि वा चतुर्मुखानि वा अन्य० तथा०
शब्दान् नाभि० ॥ स भि० यथा वैककः त० महिषकरणस्थानानि वा वृषभ
क० अश्व क० हस्ति क० यावत् कपिजलकरणस्थानानि वा अन्य० तथा०
शब्दान् कर्ण० नाभि० गमनाय ॥ स भि० यथा वैककः त० महिषयुद्धानि वा
यावत् कपिजलयुद्धानि वा अन्य० तथा० नाभि० । स भि० यथा वैककः
तद्यथा यूथ स्थानानि वा हययू० गज यू० अन्य० तथा० नाभि० ।

पदार्थ—से भि०—वह साधु या साध्वी । अहावे०—यथा कई एक । सद्वाण—
शब्दों को । सुर्णेइ—सुनता है । तजहा—जैसे कि । वप्पाणि वा—खेत के क्यारो के विषय में
कोई गाता हो अथवा वहा कोई वाद्य बजाता हो । फलिहाणि वा—खाई में होने वाले शब्द ।
जाव—यावत् । सराणि वा—सरोवर के शब्द । सागराणि वा—समुद्र के शब्द । सरसरपंति-
याणि वा—सरोवर की पकितयो के शब्द । अन्न०—अन्य कोई । तह०—इसी प्रकार के ।
विरूव०—नानाविध । सहाईं—शब्दों को । कण्ण०—श्रवण करने के लिए । नो अभिसं-

धारिज्ज गमणाए — जाने का मनमें सकल्प न करे ।

से मि० — यह साधु या साध्वी । अहावे० — कई तरह के । सद्दाण — शब्दों को । सुणेइ — सुनता है । तं० — जैसे कि । कच्छाणि वा — नदी के पानी से आवृत्त वन के । णूमाणि वा — वृक्षों के या । गहणाणि वा — वनस्पति के समूह । बणाणि वा — वन के या । बणडुग्गाणि वा — विषम वन के शब्दों को । पव्वयाणि वा — या पर्वत एवं । पव्वयडुग्गाणि वा — विषम पर्वत पर होने वाले शब्दों या । अन्न० — अन्य । तह० — इसी तरह के । विरूव० — नाना प्रकार के । सद्दाइ — शब्दों को । ळणा० — कान से सुनने की प्रतिज्ञा से । नो अभिसंधारिज्ज-गमणाए — उस ओर जाने का मन में विचार न करे ।

से मि० — वह साधु या साध्वी । अहावे० — कभी कई प्रकार के । सद्दाण — शब्दों को सुणेइ — सुनता है । तं० — जैसे कि । गामाणि वा — ग्राम के शब्द अथवा । नगराणि वा — नगर के शब्द । निगमाणि वा — निगम (जहाँ पर बहुत वणिक निवास करते हैं) के शब्द । रायहाणाणि वा — राजधानी के शब्द । आसमपट्टणसंनिवेशाणि वा — आश्रम — तापस आदि के स्थान के शब्द, पत्तन के शब्द, सन्निवेश — सराय आदि के शब्द अर्थात् इन स्थानों में कोई गीत गाता हो या कोई वाजतर बखता हो या । अन्न — अन्य कोई । तह० — इसी प्रकार के । विरूव० — नाना विध । सद्दाइ — शब्दों को । कण० — सुनने के लिए । नो अभिसंधारिज्ज गमणाए — जाने का मनमें विचार न करे ।

से मि० — वह साधु या साध्वी । अहावे० — कभी कई तरह के शब्दों को सुनता है, जैसे कि । आरामाणि वा — आराम में होने वाले शब्द तथा । उज्जाणाणि वा — उद्यान में होने वाले शब्द और । बणाणि वा — वन में होने वाले शब्द । वणषडाणि वा — वनषड में होने वाले शब्द । देवकुलाणि वा — देव कुल में होने वाले शब्द । समाणि वा — सभा में होने वाले शब्द । पवाणि वा — प्रपा-जलदान के स्थान में होने वाले शब्द । अन्नथ० तह० — अन्य इसी तरह के । विरूव० — नाना प्रकार के शब्दों को सुनने के लिए । नो अभि सचा० — जाने का विचार न करे ।

से मि० — वह साधु या साध्वी । अहावे० — कभी कई । सद्दाण — शब्दों को । सुणेइ — सुनता है । तंजहा — जैसे कि । अट्टाणि वा — अट्टारी पर होने वाले शब्द । अट्टालयाणि वा — अट्टारी की फिरनी में होने वाले शब्द । चरियाणि वा — प्राकार और नगर के मध्य में होने वाले आठ हाथ प्रमाण राजमार्ग के शब्द । दाराणि वा — द्वार में होने वाले शब्द । गोपुराणि वा — नगर के बड़े द्वार पर होने वाले शब्द अथवा । अन्न० — अन्य । तह० — इसी प्रकार के । सद्दाइ — शब्दों को कान से सुनने की प्रतिज्ञा से । नो अभि० — जाने का मन में संकल्प न करे ।

से मि०—वह साधु या साध्वी । अहावे०—कभी कई । सद्गण—शब्दों को । सुणेइ—सुनता है । त०—जैसे कि । तियाणि वा—जहा पर नगर में तीन मार्ग मिलते हों वहाँ पर होने वाले शब्द । चउक्काणि वा—चौराहे पर होने वाले शब्द । चच्चराणि वा—जहा पर बहुत से मार्ग संमिलित होते हों वहा पर होने वाले शब्द तथा । चउम्मुहाणि वा—चतुर्मुख मार्ग में होने वाले शब्द । अन्न०—तथा अन्य । तह०—इसी प्रकार के । सद्दाइ—शब्दों को कान से सुनने के लिए । नो अभि०—जाने का मन में विचार न करे ।

से मि०—वह साधु या साध्वी । अहावे०—कभी कई तरह के । सद्गण—शब्दों को । सुणेह—सुनता है । तजहा—जैसे कि । महिसकरणट्ठाणाणि वा—भैस शाला में होने वाले शब्द । वसभकरणट्ठाणाणि वा—वृषभ शाला में होने वाले शब्द । अस्सक०—घुडशाला में होने वाले शब्द । हत्थिक०—हस्तीशाला में होने वाले शब्द । जाव—यावत् । कविजलकरणट्ठा०—जहा पर कविजल पक्षी के ठहरने का स्थान है वहा पर होने वाले शब्द तथा । अन्न—अन्य । तह०—तथाप्रकार के । सद्दाइ—शब्दों को कान से सुनने की प्रतिज्ञा से । नो०अभि०—जाने का मन में विचार न करे ।

से मि०—वह साधु या साध्वी । अहावे०—कई तरह के । सद्गण—शब्दों को । सुणेइ—सुनता है । तजहा०—जैसे कि । महिसजुद्धाणि वा—भैंसों के युद्ध क्षेत्र में होने वाले शब्द । जाव—यावत् । कविजल जु०—कविजल पक्षियों के युद्ध क्षेत्र में होने वाले शब्द । अन्न—तथा अन्य । तह०—तथाप्रकार के । सद्दाइ—शब्दों को सुनने की प्रतिज्ञा से । नो अभि०—सन्मुख होकर जाने के लिए मन में विचार न करे ।

से मि०—वह साधु या साध्वी । अहावे०—कई तरह के । सद्गण—शब्दों को । सुणेइ—सुनता है । त०—जैसे कि । जूहियठाणाणि वा—वर वधु के मिलन स्थल पर होने वाले शब्द अर्थात् विवाह वेदी के समय पर होने वाले शब्द । ह्य जु०—घोड़ों के युथ जहा पर रहते हों उन स्थानों में होने वाले शब्द । गयजू०—हाथी के युथ के स्थान में होने वाले शब्द तथा । अन्न०—अन्य । तह०—इसी प्रकार के । सद्दाइ—शब्दों को सुनने की प्रतिज्ञा से । नो अभि०—जाने का मन में विचार न करे ।

मूलार्थ—संयमशील साधु या साध्वी कभी कई तरह के शब्दों को सुनते हैं । परन्तु उन्हें खेत के क्यारों में एवं खाई यावत् सरोवर, समुद्र और सरोवर को पंक्तियाँ इत्यादि स्थानों में होने वाले शब्दों को सुनने के लिए जाने का मन में संकल्प नहीं करना चाहिए । और साधु जल-बहुल प्रदेश, वनस्पति समूह, वृक्षों के सघन प्रदेश, वन, पर्वत और विषम

वर्बत इत्यादि स्थानो मे होने वाले शब्दो को सुनने के लिए जाने का भी सकल्प न करे ।

इसी भाति ग्राम, नगर, निगम, राजधानी, आश्रम, पत्तन और सन्निवेश आदि स्थानो में होने वाले शब्दो को सुनने के लिए जाने का भी मन मे सकल्प न करे । तथा आराम, उद्यान, वन, वन-खण्ड, देवकुल, सभा और प्रगा (जल पिलाने का स्थान) आदि स्थानो मे होने वाले शब्दो को सुनने की प्रतिज्ञा से वहां जाने के लिए मनमे विचार न करे । एव अट्टारी, प्राकार, प्राकार के ऊपर की फिरनी और नगर के मध्य का आठ हाथ प्रमाण राजमार्ग, द्वार तथा नगर मे प्रवेश करने का बडा द्वार इत्यादि स्थानों मे होने वाले शब्दो को सुनने के लिए भी जाने का मन मे भाव न लाए ।

इसी तरह नगर के त्रिपथ, चतुष्पथ, बहुपथ और चतुर्मुख मार्ग, इत्यादि स्थानो मे होने वाले शब्दो को सुनने के लिए जाने का भी मन मे विचार न करे । इसी भाति भैंसशाला, वृषभशाला, घुड़शाला, हस्तीशाला और कपिजल पक्षी के ठहरने के स्थान आदि पर होने वाले शब्दो को सुनने के लिए भी जाने का विचार न करे । तथा वर-वधू के मिलने का स्थान (विवाह-वेदिका) घोडो के यूथ का स्थान, हाथी-यूथ का स्थान यावत् कपिजल पक्षी का स्थान इत्यादि स्थानो के शब्दो को सुनने के लिए भी जाने का विचार न करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु कों खेतों में, जंगल में, घरों में या विवाह आदि उत्सव के समय होने वाले गीतों को या पशुशालाओं एवं अन्य प्रसंगों पर होने वाले मधुर एव मनोज्ञ गीतों को सुनने के लिए उन स्थानों पर जाने का संकल्प नहीं करना चाहिए । ये सब तरह के सांसारिक गीत मोह पैदा करने वाले हैं, इनके सुनने से मन में विकार भाव जागृत हो सकता है । अतः समयनिष्ठ साधु-साध्वी को इनका श्रवण करने के लिए किसी भी स्थान पर जाने का संकल्प नहीं करना चाहिए ।

इस सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि उस युग में विवाहोत्सव मनाने की परम्परा थी और वर-वधू के मिलन के समय राग-रग को बढ़ाने वाले गीत भी गाए जाते थे ।

प्रस्तुत सूत्र से उस युग की सभ्यता का स्पष्ट परिज्ञान होता है और विभिन्न ढरसवों एवं उन पर गीत आदि गाने की परम्परा का भी परिचय मिलता है । उस युग में भी जनता अपने मनोविनोद के लिए विशिष्ट अवसरों पर गीत आदि गाकर अपना मनो-विनोद करती थी । अतः साधु को इन गीतों को सुनने के लिए जाना तो दूर रहा, परन्तु उनके सुनने की अभिलाषा भी नहीं करनी चाहिए ।

इस सम्बन्ध में कुछ और बातें बताते हुए सूत्रकार कहते हैं ..

मूलम्—से भि० जात्र सुगोइ, तंजहा-अक्खाइयठाणाणि
वा माणुमाणियट्ठाणाणि वा महताऽऽहयनट्टगीयवाइयतंती-
तलतालत्तुडियपडुप्पवाइयट्ठाणाणि वा अन्न० तह० सदाइं
नो अभिसं० ॥ से भि० जात्र सुगोइ, तं० कलहाणि वा डिंवाणि
वा डमराणि वा दोरजाणि वा वेर० विरुद्धर० अन्न० तह०
सदाइं नो० ॥ से भि० जात्र सुगोइ, खुडिडयं दारियं परिभुत्तमं-
डियं अलंकियं निवुज्झमाणि पेहाए एगं वा पुरिसं वहाए नी-
णिज्जमाणं पेहाए अन्नयराणि वा तह० नो अभि० ॥ से० भि०
अन्नयराइं विरुव० महासवाइं एवं जाणेजा तंजहा—बहुस-
गडाणि वा बहुरहाणि वा बहुमिलक्खूणि वा बहुपच्चंताणि वा
अन्न० तह० विरुव० महासवाइं कन्नसोयपडियाए नो अभिसंधा-
रिजा गमणाए ॥ से भि० अन्नयराइं विरुव० महुस्सवाइं एवं जा-
णिजा, तजहा—इत्थीणि वा पुरसाण वा थेराणि वा डहराणि

वा मञ्जिमाणि वा अभरणविभूषियाणि वा गायंताणि वा
 वायंताणि वा नच्चंताणि वा हसंताणि रमंताणि वा मोहं-
 ताणि वा विपुलं असणं पाणं खाइमं साइमं परिभुंजंताणि वा
 परिभायंताणि वा विद्धडिडयमाणाणि वा विगोवयमाणाणि
 अन्नय० तह० विरूव० महु० कन्नसाय० ॥ से भि० नो इहलोइ-
 एहिं सहेहिं नो परलोइएहिं स० नो सुएहिं स० नो असुएहिं स०
 नो दिट्ठेहिं स० नो अदिट्ठेहिं स० नो कंतेहिं स० सज्जिजा नो
 गिज्जिजा नो मुज्जिजा नो अज्जोववज्जिज्जा, एवं खलु जाव
 जएज्जासि त्तिवेमि ॥ सहसत्तिक्कयो सम्मतो ॥१७०॥

छाया—स भि० यावत् शृणोति, तद्यथा आख्यायिकास्थानानि वा
 भानोन्मानस्थानानि वा महान्ति आहतनाट्यगीतवादित्रतंत्रीतलतालवृटित—
 प्रत्युत्पन्नास्थानानि वा अन्य० तथा० शब्दान् नो अभिस० ॥ स भि० यावत्
 शृणोति तद्यथा क्लृहानि वा डिग्गानि वा डरगाणे वा द्विराज्यानि वा वेर०
 विरुद्धराज्यानि वा अन्य० तथा० शब्दान् नो० ॥ स भि० यावत् शृणोति त०
 लुल्लिका वा दरिका वा परिभुस्तमंडिता, अलंकृतां (अश्वादिना) नीयमानां
 प्रेक्ष्य, एक वा पुरुषं वधाय नीयमानं प्रेक्ष्य, अन्य० तथा० शब्दान् नो०
 अभि० ॥ स भि० अन्य० विरूपरूपान् वा महाश्रवान् एवं जानीयात् तद्यथा—
 बहुशकटानि वा बहुरथानि वा बहुम्लेच्छानि वा बहुप्रात्यन्तिकानि वा अन्य०
 त० विरूप० महाश्रवान् वा कर्णश्रवणप्रतिज्ञया नो अभिसन्धारयेद् गमनाय ॥
 स भि० अन्य० विरूप० वा महोत्सवान् एवं जानीयात् तद्यथा—स्त्रीः वा पुरुषान्
 वा स्थविरान् वा बालान् वा मध्यमान् वा अभरणविभूषितान् वा गायतो
 वा वादयतो वा नृत्ततो वा हसतो वा रममाणान् वा मोहयतो वा विपुलम्

अशन पान खादिम सादिम परिभुजमाणान् वा परिभाजयतो वा विच्छेदमा-
नान् वा विगोपयतो वा अन्य० तथा० विरूव० मधु० कर्ण० स० ॥ म भि० नो
इहलौकिकैः शब्दैः नो पारलौकिकैः श० नो श्रुतै श० नो अश्रुतैः श० नो दृष्टैः
श० नो अदृष्टैः श० नो कान्तैः श० मज्जयेत नो गृध्येन् नो मुह्येत् नो अधुप-
पद्येत एव खलु तस्य भिक्षोः यावत् यतेत् । इतिब्रवीमि । शब्द मन्तैककः समाप्तः ॥

पदार्थ—से मि०—वह माधु या माध्वी । जाव—यावत् । सुणेइ—शब्दों को सुनता है ।
तजहा—जैसेकि । अत्रखाइयठाणाणि वा—कथा करने के स्थान पर । माणुसमाणियट्ठाणाणि वा—
तोल—माप करने के स्थान पर या घुड दौड आदि के स्थानों पर । महताऽऽ—महान । आहय—
आहत । नट्ट—नृत्य । गीय—गीत । वाईय—वादित्र । तती—तत्री । तल—कामी का वाद्य ।
ताल—वाद्यविशेष । तुडिय—त्रुटित—ढोल आदि के । पडुप्पवाइयट्ठाणाणि वा—उत्पन्न होते
शब्दों को । अन्न०—तथा अन्य । तह०—तथाप्रकार के । सदाइ—शब्दों को सुनने के लिए ।
नो अभि स०—जाने का मनमें विचार न करे ।

से मि०—साधु या साध्वी । जाव—यावत् । सुणेइ—शब्दों को सुनता है । न०—
जैसेकि । कलहाणि वा—कलह के शब्द । डिवाणि वा—स्वचक्र—राजा के स्वदेश में परस्पर
होने वाले विरोध के शब्द । डमराणि वा—पर राज्य के विरोधी शब्द । दो रजजाणि—दो
राजाओं के परस्पर विरोधी शब्द । वेर०—परस्पर वैर विरोध के शब्द तथा । अन्न—अन्य,
तह०—तथाप्रकार के । सदाइ—शब्दों को सुनने के लिए । नो अभि स०—जाने का मन में
विचार न करे ।

से मि०—वह साधु या साध्वी । जाव सुणेइ—यावत् विभिन्न प्रकार के शब्दों को
सुनता है । व०—जैसेकि । परिभुत्तमडिय—परिवार से घिरी हुई, आभूषणों से मंडित और
अलक्षिय—अलक्षित हुई । निबुजमाणि—घोड़े आदि पर बैठकर ले जाती हुई को । खुडिय
वा—छोटी । दारिय—बालिका । पेहाए—देखकर । वा—अथवा । एगपुरिस—किसी एक
अपराधी पुरुष को । बहाए—बध के लिए । निणिज्जमाण—वध भूमि में ले जाते हुए को ।
पेहाए—देखकर । वा—अथवा । अन्नयराणि—अन्य । तह०—तथाप्रकार के शब्दों को सुनने
के लिए । नो अभि स०—जाने का मन में विचार न करे । से मि०—वह साधु अथवा साध्वी
अन्न०—अन्य कोई । विरूव०—नाना प्रकार के । महासवाइ—महान आश्रव के स्थानों
को । एव—इस प्रकार । जाणिज्जा—जाने । त०—जैसेकि । बहुसगडाणि वा—बहुत से शकटों
के स्थान । वहरहाणि वा—बहुत से रथों के स्थान अर्थात् जहाँ पर शकट और रथ दोनों बहुत
संख्या में रहते हैं वह स्थान । वा०—या । बहुमिलक्खणि—बहुत से म्लेच्छों के स्थान या

वाले शब्दो को सुनने के लिए जाने का मन मे विचार नहीं करना चाहिए ।

इसी प्रकार कलह के स्थान, अपने राज्य के विरोधी स्थान, पर राज्य के विरोधी स्थान, दो राज्यों के परस्पर विरोध के स्थान, वंर के स्थान और पहा पर राजा के विरुद्ध वार्तालाप होता हो इत्यादि स्थानो मे होने वाले शब्दो को सुनने के लिए भी जाने का मन मे संकल्प न करे ।

यदि किसी वस्त्राभूषणो से शृंगारित और परिवार से घिरी हुई छोटी बालिका को अश्वादि पर बिठा कर ले जाया जा रहा हो तो उसे देखकर तथा किसी एक अपराधी पुरुष को वध के लिए वध्यभूमि मे लेजाते हुए देखकर साधु उन स्थानो मे होने वाले शब्दो को सुनने की भावना से उन स्थानो पर जाने का मन मे विचार न करे ।

जो महा आश्रव के स्थान है —जहा पर बहुत से शकट. बहुत से रथ, बहुत से म्लेच्छ, बहुत से प्रान्तीय लोग एकत्रित हुए हो तो साधु साध्वी वहां पर उनके शब्दो को सुनने को प्रतिज्ञा से जाने का मन मे संकल्प भो न करे ।

जिन स्थानों मे महोत्सव हो-रहे हो, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध और युवा आभरणो से विभूषित होकर गीत गाते हों, वाद्यन्तर बजाते हो, नाचते और हसते हो, एव आपस में खेलने और रतिक्रीड़ा करते हो. तथा विपुल अशन, पान, खादिम और स्वादिम पदार्थो को खाते हो, परस्पर बाटते हो, गिराते हो, तथा अपनी प्रसिद्धि करते हों तो ऐसे महोत्सवों के स्थानो पर होने वाले शब्दो को सुनने के लिए-साधु वहां पर जाने का कभी भी संकल्प न करे ।

वह साधु या साध्वी स्वजाति के शब्दो और परजाति के शब्दो में आसक्त न बने, एवं श्रुत या अश्रुत तथा दृष्ट या अदृष्ट शब्दो और प्रिय शब्दो मे आसक्त न बने । उनकी आकांक्षा न करे और उनमे मूर्छित भी न होवे । यही साधु और साध्वी का सम्पूर्ण आचार है और इसी के पालन

में उसे सदा संलग्न रहना चाहिए ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत मंत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि साधु को जहाँ बहुत से लोग एकत्रित होकर गाते-बजाते हों, नृत्य करते हों, रतिक्रीड़ा करते हों, हंसी-मजाक करते हों, रथ एवं घोड़ों की दौड़ कराते हों, बालिका को श्रृङ्गारित करके अश्व पर उसकी सवारी निकालते हों, किसी अपराधी को फांसी देते समय गधे पर बिठाकर उसकी सवारी निकाल रहे हों और इन अवसरों पर वे जो शब्द कर रहे हों उन्हें सुनने के लिए साधु को उक्त स्थानों पर जाने का संकल्प नहीं करना चाहिए । और जहाँ पर अपने देश के राजा के विरोध में, या अन्य देश के राजा के विरोध में या दो देशों के राजाओं के पारस्परिक संघर्ष के सम्बन्ध में बातें होती हों, तो साधु को ऐसे स्थानों में जाकर उनके शब्द सुनने का भी संकल्प नहीं करना चाहिए । क्योंकि इन सब कार्यों से मनमें राग-द्वेष की उत्पत्ति होती है, चित्त अशांत रहता है और स्वाध्याय एवं ध्यान में विघ्न पड़ता है । अतः संयमनिष्ठ साधक को श्रोत्र इन्द्रिय को अपने वशमें रखने का प्रयत्न करना चाहिए । उसे इन सब असंयम के परिपोषक शब्दों को सुनने का त्याग करके अपनी साधना में संलग्न रहना चाहिए ।

इस अध्ययन में यह पूर्णतया स्पष्ट कर दिया गया है कि साधु को राग-द्वेष बढ़ाने वाले किसी भी शब्द को सुनने की अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए । साधु का जीवन अपनी साधना को मूर्त रूप देना है, साध्य को सिद्ध करना है । अतः उसे अपने लक्ष्य के सिवाय अन्य विषयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए । राग-द्वेष पैदा करने वाले प्रेम-स्नेह एवं विग्रह, कलह आदि के शब्दों की ओर उसे अपने मन को बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए । यही उसको साधुता है और यही उसका ध्येय आचार है ।

॥ एकादश अध्ययन समाप्त ॥

सप्तसप्तिकाख्या द्वितीया चूला—रूपसप्तैकका

द्वादश अध्ययन

एकादश अध्ययन मे श्रुतेन्द्रिय के विषय का वर्णन किया गया है । प्रस्तुत अध्ययन मे चक्षु इन्द्रिय से संबद्ध विषय का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते है—

मूलम्—से भि० अहावेगइयाइं रूवाइं पासइ, तं - गंथि-
माणि वा वेष्टिमाणि वा पूरिमाणि वा संघाइमाणि वा कट्ठ-
कम्माणि वा पोत्थकम्माणि वा चित्तक० मणिकम्माणि वा दंत
क० पत्तच्छिज्जकम्माणि वा विविहाणि वा वेष्टिमाइं अन्नयराइं
विरू० चक्खूदंसणपडियाए, नो अभिसंधारिज्ज गमणाए, एवं
नायव्वं जहा सइपडिमा सव्वा वाइत्तवज्जा रूवपडिमावि त्तिवेमि
पंचमंसत्तिक्कयं ॥१७१॥

छाया—स भि० अथाप्येककानि रूपाणि पश्यति, त० ग्रथिनानि वा
वेष्टिमानि वा पूरिमाणि वा संघानिमानि वा काष्ठ कर्माणि वा पुस्तककर्माणि वा
चित्रकर्माणि वा मणिकर्माणि वा दन्तकर्माणि वा पत्रच्छेद्यकर्माणि वा त्रिवि-
धानि वा वेष्टिमानि अन्य० विरूप० चक्षुर्दर्शनप्रतिज्ञया नाभिसन्धारयेद्
गमनाय ॥ एव ज्ञातव्य यथा शब्दप्रतिमा सर्वा वादित्त्रवज्ज्या रूपप्रतिमाअपि ।
पंचमं सप्तैककमध्ययनम् समाप्तम् ।

पदार्थ—से भि०—वह साधु या साध्वी । अहावेगइयाइ—कभी कई तरह के ।
रूवाइ—रूपों को । पासइ—देखना है । त०—जैसेकि । गंथिमाणि वा—गूथे हुए पुस्तकों से
निष्पन्न चरित्तिकादि का । वेष्टिमाणि वा—वस्त्र से वेष्टित अथवा निष्पन्न पुस्तलिकादि का ।

पुरिमाणि वा—अनेक पदार्थों से निर्मित पुरुषाकृति । सघाइमाणि वा—नानाप्रकार के वर्णों को एकत्रित करके उससे निर्मित चोलकादि वा । कट्टकम्माणि वा—काष्ठ के द्वारा निर्मित कई पदार्थ । पोत्यकम्माणि वा—पुस्तक कर्म-ताडपत्रादि से निष्पन्न पुस्तकादि वस्तु । चित्तक०—त्रिव्रकर्म तीन आदि पर चित्रित चित्र आदि । मणिकम्माणि वा—नाना प्रकार की मणियों द्वारा निर्मित स्वन्तिकादि पदार्थ । दंतक०—दान्तों से निष्पन्न चूड़िये आदि पदार्थ । पत्तद्यिञ्जकम्माणि वा—एक छेदन क्रिया से उत्पन्न रुरादि तथा अन्य । विविहाणि—विविध प्रकार के । वेदिमाइं—त्रेष्टनों में निष्पन्न हुए । तह०—इसी तरह के । अन्नघराइं—कई एक । विन्०—विविध रूपों वाले पदार्थों के रूपों को । चवसूदंसण पडिमाए—चक्षु से देखने की प्रतिज्ञा ने । नो अनि संघारिञ्जकवगाए—पात्रु उन ग्रौर जाने का मन में विचार न करे । एवं—इम-प्रकार । नायव्वं—जातना चाहिए । जहा—त्रेसेकि । सहवडियाए—शब्द सम्बन्धि प्रतिज्ञा का चर्पण किया गया है वह । सव्वा—मत्र । वाहत्तवज्जा—वादिश्यों को छोड़ कर । रूपपडिमावि रूपप्रतिज्ञा के विषय में मनके । पंचमंनतिश्कय—पाचवीं सप्तकका समाप्त । तिवेमि—ऐसा में कहना है ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी फूलों से निष्पन्न स्वस्तिकादि, वस्त्रों से निष्पन्न पुचलिकादि, पुरिम निष्पन्न पुरुषाकृति और सघान निष्पन्न चोलकादि, इमोप्रकार काष्ठ में निर्मित पदार्थ, पुस्तक, चित्र, मणियों से, हाथों दांत में, पत्रों से तथा बहुत से पदार्थों से निर्मित सुन्दर एवं सुरूप पदार्थों के विविध रूपों को देखने के लिए जाने का मन से सकल्प भी न करे । शेष वर्णन गद्वद अव्ययन की तरह जानना चाहिए । केवल वाद्यगन्ध को छोड़ कर अन्य वर्णन रूप प्रतिज्ञा के समान ही जानना चाहिए । ऐसा में कहना है । पंचम सप्तकका समाप्त ।

दिन्दो विवेचन

पशुन सूत्र में रूप-मौन्दर्य को देखने का नियम किया गया है । उस में बताया गया है कि चार कारणों से वस्तु या मनुष्य के मौन्दर्य में अभिवृद्धि होती है— १ फूलों को गूँथकर उनमें माला गुलदस्ता आदि बनाने से पुष्पों का मौन्दर्य एवं उन्हें आरण करने वाले व्यक्ति की सुन्दरता भी बढ़ जाती है । २ वस्त्र आदि से आवृत्त व्यक्ति भी सुन्दर प्रतीत होना है । विविध प्रकार की पोशाक भी मौन्दर्य को बढ़ाने का एक साधन है । ३ विविध माँचों में डालने से आभूषणों का मौन्दर्य चमक उठना

हैं और उन्हें पहनकर स्त्री-पुरुष भी विशेष सुन्दर प्रतीत होने लगते हैं । ४ वस्त्रों की सिलाई करने से उनकी सुन्दरता बढ़ जाती है और विविध फैशनों से सिलाई किए हुए वस्त्र मनुष्य की सुन्दरता को और अधिक चमका देते हैं । इससे यह स्पष्ट होगया है कि विविध संस्कारों से पदार्थों के सौन्दर्य में अभिवृद्धि हो जाती है । साधारण सी लकड़ी एवं पत्थर पर चित्रकारों करने से वह असाधारण प्रतीत होने लगती है । उसे देखकर मनुष्य का मन मोहित हो उठता है । इसी तरह हाथी दात, कागज, मणि आदि पर किया गया विविध कार्य एवं चित्रकला आदि के द्वारा अनेक वस्तुओं को देखने योग्य बना दिया जाता है और कला कृतिए उस समय के लिए नहीं, बल्कि जब तक वे रहती हैं मनुष्य के मन को आकर्षित किए बिना नहीं रहती हैं । इससे उस युग की शिल्प की एक भांकी मिलती है, जो उस समय विकाश के शिखर पर पहुँच चुकी थी उस समय मशीनों के अभाव में भी मानव वास्तु-कला एवं शिल्पकला में आज से अधिक उन्नति कर चुका था ।

इन सब कलाओं एवं सुन्दर आकृतियों तथा दर्शनीय स्थानों को देखने के लिए जाने का निषेध करने का तत्पर्य यह है कि साधु का जीवन साधना के लिए है, आत्मा को कर्म बन्धनों से मुक्त करने के लिए है । अतः यदि वह इन सुन्दर पदार्थों को देखने के लिए इधर उधर जाएगा या दृष्टि दौड़ाएगा तो उससे चक्षु इन्द्रिय का पोषण होगा, मन में राग-द्वेष या मोह की उत्पत्ति होगी और स्वाध्याय एवं ध्यान की साधना में विघ्न पड़ेगा । अतः समय निष्ठ साधु को सदा अध्यात्म चिन्तन में संलग्न रहना चाहिए । उसे अपने मन एवं दृष्टि को इधर-उधर नहीं दौड़ाना चाहिए । चक्षु इन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना साधना का मूल उद्देश्य है । अतः साधु को विविध वस्तुओं एवं स्थानों के रूप सौन्दर्य को देखने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए ।

॥ द्वादश अध्याय समाप्त ॥

सप्तसप्तिकाख्या द्वितीया चूला—परक्रिया

त्रयोदश अध्ययन

प्रस्तुत अध्ययन में साधु के लिए दूसरे व्यक्ति द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है। अतः इस अध्ययन का नाम 'परक्रिया' रखा गया है। 'पर' शब्द का ६ प्रकार से कथन किया गया है—१ तत्पर, अन्यतर पर, ३ आदेश पर। ४ क्रम पर, ५ बहु पर और ६ प्रधान पर।

१ तत्पर—एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न होने के कारण उसे तत्पर कहते हैं अर्थात् वह परमाणु तत्—उस परमाणु से पर-भिन्न है।

२ अन्यतर पर—एक द्रव्य दो परमाणु से युक्त, दूसरा तीन परमाणु से युक्त है और इन्हीं तरह अन्य द्रव्य अन्य अनेक परमाणु वाले परमाणुओं से युक्त हैं, इस तरह वे परस्पर एक दूसरे से अन्यतर हैं, यही अन्यतर पर कहलाता है।

३ आदेश पर—किसी व्यक्ति के आदेश पर कार्य करना आदेश पर कहलाता है। क्योंकि आदेश का परिपालक आदेश देने वाले से भिन्न है। जैसे—नौकर अपने स्वामी या अधिकारी के आदेश पर कार्य करते हैं।

४ क्रम पर—जैसे एक प्रदेशी द्रव्य से, द्वि प्रदेशी द्रव्य क्रम पर है। इसी प्रकार इस से आगे की सख्या की भी कल्पना की जा सकती है। सख्या के क्रम से जो पर हों उन्हें क्रम पर कहते हैं।

५ बहु पर—एक परमाणु से तीन या चार परमाणु वाले द्रव्य बहु पर हैं, क्योंकि उनकी भिन्नता एक से अधिक परमाणुओं में हैं।

६ प्रधान पर—पद की प्रधानता के कारण जो अपने सजातीय पदार्थों से भिन्न है, उसे प्रधान पर कहते हैं। जैसे—मनुष्यों में तीर्थंकर भगवान प्रधान हैं, पशुओं में सिंह और वृक्षों में अर्जुन, सुवर्ण और अशोक वृक्ष प्रधान माना गया है।

इससे यह स्पष्ट हो गया कि जो व्यक्ति अपने से भिन्न है, उसे पर कहते हैं। अतः साधु भिन्न गृहस्थ के द्वारा साधु के लिए की जाने वाली क्रिया को पर क्रिया कहते हैं। उक्त परक्रियाओं का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—परकिरियं अज्भत्थियं संसेसियं नो तं सायए नो तं नियमे, सिया से परोपाए आमज्जिज्ज वा पमज्जिज्ज वा नो तं सायए नो तं नियमे । से सिया परो पायाइं संवाहिज्ज वा पलिमहिज्ज वा नो तं सायए नो तं नियमे । से सिया परो पायाइं फुसिज्ज वा रइज्ज वा नो तं सायए नो तं नियमे । से सिया परो पायाइं तिल्लेण वा घ० वसाए वा मक्खिज्ज वा अम्भिगिज्ज वा नो तं० २ । से सिया परो पायाइं लुद्धेण वा कक्केण वा चुन्नेण वा वरणेण वा उल्लोढिज्ज वा उव्वलिज्ज वा नो तं० २ । से सिया परो पायाइं सीओद्गवियडेण वा २ उच्छोलिज्ज वा पहोलिज्ज वा नो तं० २ । से सिया परो पायाइ अन्नयरेण विलेवणजायेण आलिपिज्ज वा विलिपिज्ज वा नो तं २ । से सिया परो पायाइं अन्नयरेण धूवणजाएण धूविज्ज वा पधू० नो तं २ । से सिया परो पायाओ आणुयं वा कंटयं वा नीहरिज्ज वा विसोहिज्ज वा नो तं २ । से सिया परो पायाओ पूयं वा सोणियं वा नीहरिज्ज वा विसो० नो तं० २ । से सिया परो कायं आमज्जेज्ज वा पमज्जिज्ज वा नो तं सायए नो तं नियमे । से सिया परो काय लोट्ठेण वा संवाहिज्ज वा पलिमहिज्ज वा नो तं० २ । से सिया परो काय

तिल्लेण वा घ० वसा० मक्खिज्ज वा अब्भंगिज्ज वा नो तं०
 २ । से सिया परो काय लुद्धेण वा ४ उल्लोढिज्ज वा
 उव्वल्लिज्ज वा नो तं० २ । से सिया परो काय सीओ० उप्पि-
 णो० उच्छोलिज्ज वा प० नो तं० २ । से सिया परो कायं
 अन्नयरेण विलेवणजाएण आलिपिज्ज वा २ नो तं २ ।
 से० कायं अन्नयरेण धूवणजाएण धूविज्ज वा प० नो तं० २ ।
 से० कायंसि वणं आमज्जिज्ज वा २ नो तं० २ । से० वणं
 संवाहिज्ज वा पलि० नो तं० २ । से० वणं तिल्लेण वा घ०
 २ मक्खिज्ज वा अब्भं० नो तं० २ । से० वणं लुद्धेण वा
 ४ उल्लेढिज्ज वा उव्वलेज्ज वा नो तं० २ । से सिया परो
 कायंसि वणं सीओ० उ० उच्छोलिज्ज वा प० नो तं० २ । से
 सिया परो णं वा गंडं वा अरइं वा पुलइयं वा भगंदलं वा
 अन्नयरेणं सत्थजाएणं अच्चिदिज्ज वा विच्चिदिज्ज वा नो
 तं० २ । से सिया परो अन्न० जाएण अच्चिदिता वा वि-
 च्छिदिता वा पूयं वा सोणियं वा नीहरिज्ज वा त्रि० नो तं० २ ।
 से० कायंसि गंडं वा अरइं वा पुलइयं वा भगंदलं वा आम-
 जिज्ज वा २ नो तं० २ । से० गंड वा ४ संवाहिज्ज वा पलि०
 नो तं० २ । से० कायं गंडं वा ४ तिल्लेण वा ३ मक्खिज्ज वा

२ नो तं० २ । से० गंडं वा ४ लुद्धेण वा ४ उल्लोढिज्ज वा
 उ० नो तं० २ । से० गंडं वा ४ सीओदग २ उच्छोतिज्ज वा
 प० नो तं० २ । से० गंडं वा ४ अन्नयरेणां सत्थजाएणां
 अच्चिदिज्ज वा वि० अन्न० सत्थ० अच्चिदिता वा २ पूयं
 वा २ सोणियं वा नीह० विसो० नो तं० साए २ । से
 सिया परो कायंसि सेयं वा जल्लं वा नीहरिज्ज वा वि० नो
 त० २ । से सिया परो अच्चिमलं वा कणमलं वा दंतमलं वा
 नहम० नीहरिज्ज वा २ नो तं० २ । से सिया परो दीहाइं वालाइं
 दीहाइं वा रोमाइं दीहाइं भमुहाइं दीहाइ कक्खरोमाइं दीहाइं
 वत्थिरोमाइं कप्पिज्ज वा संठविज्ज वा नो तं० २ । से सिया परो
 सीसाओ लिक्खं वा जूयं वा नीहरिज्ज वा वि० नो तं० २ ।
 से सिया परो अंकंसि वा पलियंकंसि वा तुयट्टावित्ता पायाइं
 आमज्जिज्ज वा पम० एवं हिट्ठिमो गमो पायाइ भाणियव्वो ।
 से सिया परो अंकंसि वा २ तुयट्टावित्ता हारं वा अद्ध हारं वा
 उरत्थं वा गेवेयं वा मउडं वा पालंबं वा सुवन्नसुत्तं वा आवि-
 हिज्ज वा पिणहिज्ज वा नो तं० २ । से० परो आरामंसि वा
 उज्जाणांसि वा नीहरित्ता वा पविसित्ता वा पायाइ आमज्जिज्ज
 वा प० नो त साएइ ॥ एव नेयव्वा अन्नमन्नकिरियावि ॥१७२॥

छाया—परक्रिया आध्यात्मिकी साश्लेषिकी नो ताम् अस्वादयेत् नो तां नियमयेत् । स्यात् तस्य परः पादौ आमृज्यात् वा प्रमृज्यात् वा नो ताम् आस्वादयेत् नो ता नियमयेत् । तस्य स्यात् परः पादौ सवाहयेत् वा, परिमर्दयेत् वा नो तां आस्वादयेत् नो तां नियमयेत् । स्यात् तस्य परः पादौ स्पर्शयेत् वा रञ्जयेत् वा नो ता नियमयेत् । स्यात् तस्य परः पादौ तैलेन वा घृतेन वा वसया वा अक्षयेत् वा अभ्यण्जयेत् वा नो ता ० २ । तस्य स्यात् परः पादौ लोद्रेण वा करकेन वा चूर्णेन वा वर्णेन उल्लोलयेत् वा उद्वर्तयेत् वा नो तां ० २ । तस्य स्यात् परः पादौ शीतोदकविकटेन वा उष्णोदकविकटेन वा उच्छ्रोलयेत् वा प्रधावयेत् वा नो ता ० २ । तस्य स्यात् परः पादौ अन्यतरेण विलेपनजातेन आलिम्पेद् वा विलियेद् वा नो ता ० २ । तस्य स्यात् परः पादौ अन्यतरेण धूपनजातेन धूपयेत् वा प्रधूपयेत् वा नो ता ० २ । तस्य स्यात् परः पादौ खणुक वा कटकं वा निहरेत् वा विशोधयेत् वा नो तां ० २ । तस्य स्यात् परः पादौ पूर्य वा शोणित वा निहरेत् वा विशोधयेत् वा नो ता ० २ । तस्य स्यात् परः काय आमृज्यात् वा प्रमृज्यात् वा नो तां ० २ । तस्य स्यात् परः कायं लोद्रेण सवाहयेत् वा परिमर्दयेत् वा नो ता २ । तस्य स्यात् परः काय तैलेन वा घृतेन वा वसया वा अक्षयेत् वा अभ्यजयेत् वा नो तां ० २ । तस्य स्यात् परः कायं लोद्रेण वा ४ उल्लोलयेत् वा उद्वर्तयेत् वा नो तां ० २ । तस्य स्यात् परः काय शीतोदकविकटेन वा उष्णोदकविकटेन वा उच्छ्रोलयेत् वा प्रधावयेत् वा नो ता ० २ । तस्य स्यात् परः काय अन्यतरेण विलेपनजातेन आलिम्पेत् वा विलिम्पेत् वा नो तां ० २ । तस्य स्यात् परः कायं अन्यतरेण धूपनजातेन धूपयेत् वा प्रधूपयेत् वा नो तां २ । तस्य स्यात् परः कायं व्रणमामृज्यात् वा प्रमृज्यात् वा नो ता २ । तस्य स्यात् परः काये व्रणं सवाहयेत् वा परिमर्दयेत् वा नो ता २ । तस्य स्यात् परः काये व्रणं तैलेन वा घृतेन वा वसया वा अक्षयेत् वा अभ्यजयेत् वा नो तां ० २ ।

तस्य स्यात् परः काये व्रणं लोघ्रेण वा ४ उल्लोलयेद् वा उद्वर्तयेद् वा नो तां ० २ । तस्य स्यात् परः काये व्रणं शीतोदकविकटेन वा उष्णोदकविकटेन वा उच्छ्रोलयेत् वा प्रधावयेत् नो तां २ । तस्य स्यात् परः काये व्रण गड वा अरतिं वा पुलकितं वा भगन्दर वा अन्यतरेण शस्त्रजातेन आच्छिन्द्यात् वा विच्छिन्द्यात् वा नो तां ० २ । तस्य स्यात् परः अन्यतरेण शस्त्रजातेन आच्छिन्द्य वा विच्छिन्द्य वा पूयं वा शोणितं वा निहरेत् वा विशोधयेत् वा नो तां ० २ । तस्य स्यात् परः काये गडं वा अरतिं वा पुलकितं वा भगदर वा आमृज्यात् वा प्रमृज्यात् वा नो तां ० २ ॥ तस्य स्यात् परः काये गडं वा ४ सवाहयेत् वा परिमर्दयेत् वा नो तां ० २ तस्य स्यात् परः काये गडं वा ४ तैलेन वा ३ अक्षयेत् वा अम्यंजयेत् वा नो तां ० २ । तस्य स्यात् परः काये गडं वा ४ लोघ्रेण १ ४ उल्लोलयेत् वा उद्वर्तयेत् वा नो तां ० २ । तस्य स्यात् परः काये गडं वा ४ शीतोदकविकटेन वा उष्णोदकविकटेन वा उच्छ्रोजयेत् वा प्रधावयेत् वा नो तां ० २ । तस्य स्यात् परः काये गडं वा ४ अन्यतरेण वा शस्त्रजातेन आच्छिन्द्यात् वा विच्छिन्द्यात् वा अन्यतरेण शस्त्रजातेन आच्छिन्द्य वा विच्छिन्द्य वा पूय वा शोणितं वा निहरेत् वा विशोधयेत् वा नो तां ० २ । तस्य स्यात् परः काये स्वेन वा जल वा निहरेत् वा विशोधयेत् वा नो तां २ । तस्य स्यात् परः अक्षिमलं वा कर्णमल वा दन्तमलं वा नखमल वा निहरेत् वा विशोधयेत् वा नो तां २ । तस्य स्यात् परः दीर्घाणि वालानि दीर्घाणि वा रोमाणि दीर्घे म्रुवी दीर्घाणि कक्षरोमाणि दीर्घाणि वस्तिरोमाणि कृत्सेत् वा सस्यापयेत् वा नो तां २ । तस्य स्यात् परः शीर्षतः लिक्षा वा यूका वा निहरेत् वा विशोधयेत् वा नो तां २ । तस्य स्यात् परः अके वा पर्यके वा स्वपायित्वा आमृज्यात् वा प्रमृज्यात् वा, एवं अघोगमः पादादौ भणितव्य । तस्य स्यात् परः अके वा पर्यके वा स्वपायित्वा हार वा

अर्द्धहारं वा उरस्थ वा श्वेयकं मुकटं वा प्रालम्ब वा सुवर्णसूत्रं वा
आबध्नोयात् वा पिधापयेत् वा नो तां २ । नस्य स्यात् परः आरामे वा
उद्याने वा निहृत्य वा प्रविश्य वा पादौ आमृज्यात् वा प्रमृज्यात् वा नो
तामास्वादयेत् नो तां नियमयेत् । एव नेतव्या अन्योन्यक्रियापि ।

पदाङ्ग—परकिरिय—अपने से भिन्न अन्य व्यक्ति की चेष्टा हो परक्रिया कहते
हैं, वह परक्रिया । अञ्जलित्यय—अपनी आत्मा में क्रिया करता हुआ, अर्थात् कोई व्यक्ति
साधु के योगोपाय विषयक कार्य व्यापार रूप चेष्टा, यथा । संतैसियं—संतोषिणी क्रिया
प्रार्थित् पापकर्म की जनक । तं—उस क्रिया को । नो सायए—मन से भी न चाहे । त—
उस क्रिया को । नो नियमे—बाणी और काया से न कराए । सिया—कदाचित् । परो—
गृहस्थ । से—उस साधु के । पाए—पैरो को । आमज्जिज्ज वा—वस्तु से थोड़ा सा झान्डे
पल्लज्ज वा—वस्त्रादि से अच्छी तरह प्रमार्जन करे अर्थात् पूंछ कर साफ करे तो । त—उस
क्रिया को । नो सायए—साधु मन से भी न चाहे । तं नो नियमे—और वचन एव शरीर से उस
क्रिया को न कराए । से सिया परो—कदाचित् गृहस्थ उस साधु के । पायाइं—चरणों को ।
नंवाहिज्ज वा—समर्दन करे प्रथवा । पल्लिमदिज्ज वा—सर्व प्रकार से मर्दन करे तो । त—
साधु उस क्रिया को । नो सायए—मन से भी न चाहे और । त—उसको । नो नियमे—वचन
और काया से न कराए । सिया—कदाचित् । परो—गृहस्थ । से—उस साधु के । पायाइं—
चरणों को । फुसिज्ज वा—स्पर्शन करे । रइज्ज वा—अथवा रगे तो । तं—उस क्रिया को
नो सायए—मन से न चाहे । तं—उसको । नो नियमे—वचन और काया से न कराए ।
सिया—कदाचित् । परो—गृहस्थ । से—साधु के । पायाइं—चरणों को । तिल्लेण वा—तेल
से । घ०—धूत से । वसाए वा—प्रथवा वसा—घीपथि विशेष से या सुगन्धित द्रव्य से ।
अभित्ताज्ज वा—मसरो । अन्निभिज्ज वा—क्षिरोप रूप से मर्दन करे तो । तं—साधु उन
क्रिया को । नो सायए—मन से न चाहे और । तं—उस क्रिया को । नो नियमे—बाणी और
शरीर से न कराए । सिया—कदाचित् । परो—गृहस्थ । से—उसके—साधु के । पायाइं—
चरणों को । तुज्जेण वा—पीठ से । कक्केण वा—कर्म नामक द्रव्य विशेष से । चुन्नेण वा—
दर्पा से—गोश्रादि के चूर्ण से । घण्णेण वा—प्रवीर प्रादि रत्न से । उल्लोडिज्ज वा—उद्बन्धन
करे प्रथवा । उच्चल्लिज्ज वा—शरीर को मनुष्ट करे तो । तं—उस क्रिया को । नो सायए—
मन से न चाहे तथा । त—उसको । नो नियमे—बाणी और शरीर से न कराए । सिया—
कदाचित् । परो—गृहस्थ । से—उसके—साधु के । पायाइं—पैरो को । तीतोदगविज्ज वा—
तीता स्वस्त एव निर्गत वा से वा । उन्निपोडगविज्ज—उष्ण जल से । अल्लोनिज्ज वा—

छीटे दे या । पहोलिज्ज वा—घोए तो । तं—उस क्रिया को । नो सायए—मन मे न चाहे और । तं—उसको । नो नियमे—वचन और काया मे न कराए । सिया—कदाचित् । परो—गृहस्थ । से—उस साधु के । पायाइं—पैरो को । अन्नघरेण—अन्य किसी । विलेवणजाएण—विलेपन से । आलिपिज्ज वा—आलेपित करे । विलिपिज्ज वा—विलेपन करे तो । तं—उस क्रिया को । नो सायए—मन से न चाहे । तं नो नियमे—उस क्रिया को वचन और काया से न करावे । सिया—कदाचित् । परो—गृहस्थ । से—उस साधु के । पायाइं—पैरो को । अन्नघरेण—अन्य किसी । धूवण जाएण—धूप से । धूविज्ज वा—धूपित करे । विधूविज्ज वा—विधूपित करे तो । त नो सायए—उस क्रिया को मनमे न चाहे । तं नो नियमे—उसको वाणी और शरीर से न कराए । सिया—कदाचित् । परो—गृहस्थ । से—उस साधु के । पायाओ—पैरो से । खानुयं वा—खानु या । कटयं—कटक-काटे को । निहरिज्ज वा—निकाले या । विसोहिज्ज वा—चरण को कटक के शल्य से विशुद्ध करे तो । तं नो सायए—उसको मन से न चाहे । तं नो नियमे—उसको वचन और काया से न कराए । सिया—कदाचित् । परो—गृहस्थ । से—उसके-साधु के । पायाओ—चरणों से । पूरं वा—पीप-राध को । सोणियं वा—या शोणित-खून को । नीहरिज्ज—निकाल कर । विसोहिज्ज वा—चरणों को शुद्ध करे तो । तं नो सायए—उस क्रिया को मनमे न चाहे । तं नो नियमे—उसको वचन और शरीर से न कराए ।

सिया—कदाचित् । परो—गृहस्थ । से—उसके-साधु के । कायं—शरीर को । आमज्जेज्ज वा—वस्त्रादि से पोछे । पमज्जिज्ज वा—वार वार पोछे तो । तं नो सायए—उस क्रिया को मन से न चाहे । तं नो नियमे—उसे वचन और काया से न कराए । सिया—कदाचित् । परो—गृहस्थ । से—उसके । कायं—शरीर को । लोडेण वा—लोध्रदि से । सवाहिज्ज वा—सवाहन-समर्दन करे । पलिमहिज्ज वा—या पूरी तरह से मालिश करे तो । त नो सायए—उस क्रिया को साधु मन से न चाहे तथा । तं नो नियमे—वाणी और शरीर से न कराए । सिया—कदाचित् । परो—गृहस्थ । से—उस साधु के । कायं—शरीर को । तिल्लेण वा—तैल मे । घ० वा—या घृन मे । वसा०—या वसा—प्रौषधि विशेष से या सुगन्धित द्रव्य से । मविखज्ज वा—मसले या । अब्भंगिज्ज वा—चोपडे । त नो सायए—उस क्रिया को मन से न चाहे । तं नो नियमे—वाणी और शरीर से न कराए ॥ सिया—कदाचित् । परो—गृहस्थ । से—उसके-साधु के । कायं—शरीर को । लुद्धेण वा ४—लोध्रादि से । उल्लोहिज्ज वा—उद्वर्तन करे या । उव्वल्लिज्ज वा—ससृष्ट करे तो । तं नो सायए—उस क्रिया को साधु न तो मन से चाहे । तं नो नियमे—और न वचन तथा शरीर से कराए ॥ सिया—कदाचित् । परो—गृहस्थ । से—उस साधु की । कायं—काया-शरीर को । सीओ—

जीवन निर्मल जल ने या । उसिणो०—उष्ण जल से । उच्छोलिज्ज वा—उत्क्षालन करे—झींटे दे । प०—अथवा बोए तो । तं नो सायए—उम क्रिया को साधु न तो मन से चाहे । तं नो नियमे—और न वाणी और शरीर में कराए । सिया—कदाचित् । परो—गृहस्थ । से—उस साधु की । कार्यं—काया को । अन्नपरण—अन्य किसी । विलेपण जाएण—विलेपन से । मालिपिज्ज वा—आलेपन करे । विालिपिज्ज वा—या विलेपित करे तो । तं नो सायए नो नियमे—उसको साधु न तो मन में चाहे और न वचन तथा काया से कराए ॥ सिया—कदाचित् । परो—गृहस्थ से—उम साधु के । कार्यं—शरीर को । अन्नपरण—अन्य किसी । धूपजाएण—धूप से । धूपिज्ज वा—धूपित करे । पधूपिज्ज वा—या प्रधूपित करे तो । तं नो सायए—उस क्रिया को मन में न चाहे तथा । तं नो नियमे—उस क्रिया को शरीर और वाणी में न कराए ॥

सिया—कदाचित् । परो—गृहस्थ । से—उस साधु के । कायसि—शरीर पर हुए । वणं—व्रण-फोड़े को देखकर । आमज्जिज्ज वा २—वस्त्र से थोड़ा मा पोछे या वार वार पोछे तो साधु । तं नो सायए—उस क्रिया को मन में न चाहे । त नो नियमे—तथा वाणी और शरीर में उक्त क्रिया को न कराए ॥ सिया—कदाचित् । से—उस साधु के । कायसि—शरीर पर । वणं—व्रण को देखकर । परो—अन्य गृहस्थ । सवाहिज्ज वा—उसका सवाहन करे या । पलि०—मर्त प्रकार ने मर्दन करे तो साधु गृहस्थ की । तं—उस क्रिया को । नो सायए—मन में न तो चाहे तथा । नो त नियमे—न उसको वचन और काया में कराए ॥ सिया—कदाचित् । से—उस साधु के । कायसि—शरीर में होने वाले । वणं—व्रण को देख कर । परो—गृहस्थ उमे । तिल्लेण वा—तैल से । घ०—अथवा घृत से वा । वसाए—वसा मुगन्धित द्रव्य से । मक्खिज्ज वा—मसले । अब्भं०—अथवा चोपडे तो । तं०—उस क्रिया को साधु मन में । नो सायए—न चाहे । त नो नियमे—तथा वचन और काया से न कराए । सिया कदाचित् । से—उस साधु के । कायसि—काया में होने वाले । वणं—व्रण को देख कर । परो—गृहस्थ । लुट्टेण वा ४—लोभ्रादि से । उल्लोहिज्ज वा—उद्वर्तन करे । उव्वल्लेज्ज वा—अथवा मर्मप्ट करे तो साधु गृहस्थ की । तं—इस क्रिया को । नो सायए—न तो मन से चाहे और । तं नो नियमे—न उसको वचन तथा काया में कराए । सिया—कदाचित् । से—उस साधु के । कायसि—शरीर में हुए । वणं—व्रण को देखकर । परो—गृहस्थ । सीत्रो० उ०—जीतल निर्मल जल से या उष्ण जल से । उच्छोलिज्ज वा—उत्क्षालन करे या बोए तो । त—उस क्रिया को । नो सायए० २—न तो मन से चाहे, न वचन में कहे और न काया से कराए । सिया—कदाचित् । से—उस साधु के । कायसि—शरीर में हुए । वणं—व्रण को देख कर । परो—गृहस्थ तथा । अरइं वा—अरति-व्रण विशेष । पुलइयं वा—पुलक व्रण विशेष अथवा । नगंदलं वा—भगन्दर नाम के व्रण विशेष को देख कर उमे । अचिद्धिज्ज वा—थोड़ा सा छेदन करे । विचिद्ध-

दिञ्ज वा — विशेष रूप से छेदन करे तो । तं — गृहस्थ की इस क्रिया को साधु । नो सायए — न तो मन से चाहे । तं नो नियमे — न वाणी से कहे और न काया से कराए । सिया — कदाचित् । से — साधु के । कायसि — शरीर गत । वणं — व्रण आदि को देखकर । परो — गृहस्थ उसे । अन्न० — अन्य किसी । सत्थजाएण — शस्त्र विशेष में । अच्छिदित्ता वा — थोड़ा सा छेदन करके । विच्छिदित्ता वा — विशेष रूप में छेदन करके उस में से । पूयं वा — पीप को । सोणियं वा — या शोणित खून को । नीहरिञ्ज वा — निकाले । वि० — या विशुद्ध करे तो । तं — गृहस्थ की उक्त क्रिया को साधु । नो सायए — मन से न चाहे । त नो नियमे — उक्त क्रिया को वचन तथा काया से न कराए ।

सिया — कदाचित् । से — उस साधु के । कायसि — शरीर में होने वाले १. गंड वा — गड-व्रण विशेष को । अरइं वा — अरति-अर्श विशेष को । पुलइयं वा — पुलक-व्रण विशेष को भगंदल वा — अथवा भगन्दर नाम के व्रण विशेष को देखकर । परो — गृहस्थ यदि उसे । आम-ज्जिञ्ज वा — वस्त्रादि से थोड़ा सा साफ करे । पमज्जिञ्ज वा — अथवा विशेष रूप से प्रमा-जित करे तो साधु । त नो सायए नो नियमे — उसको मन से न चाहे, वाणी से न कहे और शरीर से न कराए । सिया — कदाचित् । से — साधु के । कायसि — शरीर में उत्पन्न हुए । गंडं वा ४ — फोड़े आदि को देखकर । परो — गृहस्थ उसे । संवाहिञ्ज वा — सवाहन करे-थोड़ा सा मसले । पलि० — सर्व प्रकार से समर्दन करे-ममले तो साधु । तं नो सायए तं नो नियमे — गृहस्थ की इस क्रिया को न मन से चाहे, न वचन और काया से कराए । सिया — कदाचित् । से — साधु के । कायसि — शरीर में उत्पन्न हुए । गड वा ४ — गंडादि व्रण को देख कर । परो — गृहस्थ उसे । तिल्लेण वा — तैल से । घ० — घृत से । वसा० — या वसा-किसी सुगन्धित द्रव्य से । मक्खिञ्ज वा २ — मसले तो । तं — उस क्रिया को । नो सायए — मन से न चाहे । तं नो नियमे — उसको वाणी और शरीर से न कराए । सिया — कदाचित् । से — साधु के । कायसि — शरीर में उत्पन्न हुए । गडं वा ४ — गडादि व्रण को देखकर । परो — गृहस्थ उसे । लुद्धेण वा ४ — लोध्रादि से । उल्लेद्धिञ्ज वा — उद्धर्तन करे । उ० — अथवा स मृष्ट करे । त नो सायए — उस क्रिया को मन से न चाहे । त नो नियमे — उस क्रिया को वचन और काया से न कराए । सिया — कदाचित् । से — उसके साधु-के । कायसि — शरीर में से उत्पन्न हुए । गड वा — फोड़े आदि को देख कर । परो — गृहस्थ उसे । सीओदग० — शीतोदक से । उ० — अथवा उष्णोदक से । उच्छोलिञ्ज वा — उत्क्षालन करे-छीटे देवे । प० — अथवा प्रक्षालन करे-धोवे । त — उस क्रिया को साधु । नो सायए — मन से न चाहे । तं — उस क्रिया को साधु । नो नियमे — वाणी से न कहे तथा शरीर से न कराए । सिया — कदाचित् । से — उसके-साधु के । कायसि — शरीर में उत्पन्न हुए । गंडं वा ४ — गंडादि व्रणों को देख कर । परो — गृहस्थ उन्हें । अन्न-

यरेणे — किमी । सत्यजाएण — जन्त्र विशेष मे । अर्च्छिदिज्ज वा — योडा सा छेदन करे । वि० — विशेष छेदन करे । तथा । अन्न०सत्य० — अन्य किसी शस्त्र विशेष मे उन त्रण को । अर्च्छिदि-
त्ता वा २ — योडा या अत्रिक छेदन करके उसमें मे । पूय वा — पीप को । सोणियं वा — या
शोणित को । नीहरि० — निकाल कर । विसोहि० — उने विगुद्ध करे तो । तं — उन क्रिया को ।
नो मायए — माधु मन से न चाहे । त० — उन क्रिया को माधु । नो नियमे — वाणी ने न कहे
और शरीर से न कराए ।

सिया — कदाचित् । से — उनके-माधु के । कायसि — शरीर में उत्पन्न हुए । सेय
वा — स्वेद को देखकर । परो — गृहस्थ अथवा शरीर में उत्पन्न हुए । जल्लं वा — मलयुक्त
जल को देखकर उने । नीहरिज्ज वा — निकाले । वि० — विगुद्ध करे तो । तं — उन क्रिया को ।
नो सायए — माधु मन मे न चाहे । त नो नियमे — उन क्रिया को वाणी और शरीर ने न
कराए । सिया — कदाचित् । परो — गृहस्थ । से — उनके-साधु के । अर्च्छिमल वा — आल के मूल
को । कणमल वा — कान के मूल को । नहमलं वा — नखों के मूल को । नीहरिज्ज वा — दूर
करे । वि० — अथवा विगुद्ध करे तो । तं — उस क्रिया को । नो सायए — मन मे न चाहे तथा ।
त नो नियमे — उस क्रिया को वचन और काया ने न कराए । सिया — कदाचित् । परो —
गृहस्थ । से — उनके-साधु के । दीहाडं — दीर्घ । वालाड् — वालो को । दीहाड — दीर्घ । रोमाड् —
रोमो को । दीहाडं नमूहाडं — दीर्घ भ्रुवो को तथा । दीहाड कयखरोमाड् — दीर्घ कक्षा के रोमों
को । दीहाड — दीर्घ । वत्थिरोमाडं — वन्ति के रोमो को-गुह्य प्रदेश के रोमो को । कप्पिज्ज वा —
काटे । संठविज्ज वा — अथवा सवारे अर्थात् कैंची उस्तरे आदि ने काट कर संवारे, सुशोभित
करे तो । त — उन क्रिया को । नो मायए — माधु मन से न चाहे । तं — उसको । नो नियमे —
वाणी और शरीर से न करावे ॥ सिया — कदाचित् । परो — गृहस्थ । से — उनके-माधु के ।
सीमाओ — निर मे मे । लिक्खं — लीखो । वा — अथवा । जूय वा — जूओ को । नीहरिज्ज
वा — निकाले । वि० — अथवा विगुद्ध करे तो । त — उन को साधु । नो सायए — मन ने न
चाहे । तं नो नियमे — तथा उस क्रिया को वचन से और शरीर ने न कराए ।

सिया — कदाचित् । परो — गृहस्थ । से — उन को-माधु को । अंकंसि वा — अपनी
गोद में । पलियकंसि वा — अथवा पर्यंक पर । तुयट्टावित्ता — मुलाकर अर्थात् गोद आदि मे
लिटा कर उमके । पादाड् — चरणो को । आमज्जिज्ज वा — योडा मा वन्नादि ने भाडे अथवा ।
पम० — अच्छी तरह से प्रमाजित करे तो । एवं — इन प्रकार । हिदिठमो — पूर्वोक्त । गमो —
पाठ जो कि । पायाडं — पैरो के विषय में कहा है वट् मव यहा पर भी । नाणियव्वो — कटना
चाहिए । सिया — कदाचित् । परो — गृहस्थ । से — उन माधु को । अंकंसि वा — अपनी गोद
मे । पलियंकंसि वा — पर्यंक मे । तुयट्टावित्ता — लिटा कर । हार वा — (न लटी के हार को ।
हार — नो लटी के हार को । उरत्थ वा — छाती पर नटका कर । गेवेय वा — या मने मे
आन कर । मउड वा — मुष्ट तथा । पानय द्वा — मुमके प्रादि ने पुस्त करके या । नुवण्णमुत्तं

वा—सुवर्ण के सूत्र को । आविहिज्ज वा—वान्धे । पिणहिज्ज वा—या पहरावे तो । त—उस क्रिया को साधु । नो सायए—मन से न चाहे । त—तथा उसको । नो नियमे—वचन और काया से न कराए ।

सिया—कदाचित् । परो—गृहस्थ । से—उसको—साधु को । आरामसि वा—आराम मे । उज्जाणसि वा—अथवा उधान में । नीहरित्ता वा—ले जाकर । पविसित्ता वा—अथवा प्रवेश कराकर उसके । पायाइ—चरणो को । आमज्जिज्ज वा—थोडा सा झाडे । पमज्जिज्ज वा—अथवा विशेष रूप से प्रमाजित करे तो । त—उस क्रिया को साधु । नो सायए—न तो मन से चाहे तथा । नो तं—नाही उसको । नियमे—वाणी और शरीर द्वारा करावे । एव—इसी प्रकार । अन्नमन्नकिरियावि—परस्पर साधुओ की क्रिया के विषय में भी । नेयव्वा—जान लेना चाहिए अर्थात् जिस प्रकार पर-गृहस्थ सम्बन्धि क्रिया के विषय में कथन किया है । उसी प्रकार साधुओ की परस्पर क्रिया के सम्बन्ध में जान लेना चाहिए ।

मूलार्थ—यदि कोई गृहस्थ मुनि के शरीर पर कर्मबन्धन रूप क्रिया करे तो मुनि उसको मन से न चाहे और न वचन से तथा काया से उसे करावे । जैसे—कोई गृहस्थ मुनि के चरणो को साफ करे, प्रमाजित करे, आमर्दन या समर्दन करे - तैल से, घृत से या वसा (औषधिविशेष) से मालिश करे । एव लोध्र से, कर्क से, चूर्ण से या वर्ण से उद्वर्तन करे या निर्मल शीतल जल से, उष्ण जल से प्रक्षालन करे या इसी प्रकार विविध प्रकार के विलेपनो से आलेपन और विलेपन करे । धूप विशष से धूपित और प्रधूपित करे, मुनि के पैर में लगे हुए कंटक आदि को निकाले और शल्य को शुद्ध करे तथा पैरो से पीप और रुधिर को निकाल कर शुद्ध करे तो मुनि गृहस्थ से उक्त क्रियाएं कदापि न कराए ।

इसो तरह यदि कोई गृहस्थ साधु के शरीर मे उत्पन्न हुए व्रण-सामान्य फोडा, गड, अर्श, पुलक और भगदर आदि व्रणो को शस्त्रादि के द्वारा छेदन करके पूय और रुधिर को निकाले तथा उसको साफ करे एव जितनी भी क्रियाएं चरणो के सम्बन्ध में कही गई है वे सब क्रियाएं करे, तथा साधु के शरीर पर से स्वेद और मल युक्त प्रस्वेद को दूर करे, एव आख कान दात और नखो के मल को दूर करे तथा शिर के लम्बे केशों,

और शरीर पर के दोर्घ रोमों को अथच बस्ति (गुदा आदि गुह्य प्रदेश) गत दीर्घ रोमों को कतरे अथवा संवारे, तथा सिर मे पड़ी हुई लीखों और जुओ को निकाले । इसी प्रकार साधु को गोद मे या पलग पर बिठा कर या-लिटाकर उसके चरणो को प्रमार्जन आदि करे, तथा गोद मे या पलग पर बिठा कर हार (१८ लडीका) अर्द्धहार [९ लडी का] छाती पर पहना-नेवाले आभूषणो (गहने) गले में डालने के आभूषणो एव मुकुट,माला और सुवर्ण के सूत्र आदि को पहनाये, तथा आराम और उद्यान में ले जाकर चरण प्रमार्जनादि पूर्वोक्त सभी क्रियाए करे,तो मुनि उन सब क्रियाओं को न तो मन से चाहे और न वाणी अथच शरीर द्वारा उन्हे करवाने का प्रयत्न करे । तथा इसी प्रकार साधु भो परस्पर मे पूर्वोक्त क्रियाओ का आचरण न करें ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में परक्रिया के सम्बन्ध मे विस्तार से वर्णन किया गया है । इस में बताया गया है कि यदि कोई गृहस्थ साधु के पैर आदि का प्रमार्जन करके उसे गर्म या ठण्डे पानी से धोए और उस पर तैल, घृत आदि स्निग्ध पदार्थों की मालिश करे या उसके घाव आदि को साफ करे या बवासीर आदि की विशेष रूप से शल्य चिकित्सा आदि करे, या कोई गृहस्थ साधु को अपनी गोद में या पलग पर बैठा मालिश कर उसे आभूषणों से सुसज्जित करे, या उसके सिर के बाल, रोम, नख एवं गुप्तांगों पर बड़े हुए बालों को देखकर उन्हें साफ करे, तो साधु उक्त क्रियाओं को न मन से चाहे और न वाणी एवं काया से उनके करने की प्रेरणा दे । वह उक्त क्रियाओं के लिए स्पष्ट इनकार कर दे ।

यह सूत्र विशेष रूप से जिन कल्पी मुनि से संबद्ध है, जो रोग आदि के उपन्न होने पर भी औषध का सेवन नहीं करते । स्थविर कल्पी मुनि निरवद्य एवं निर्दोष औषध ले सकते हैं । ज्ञातासूत्र में शैलक राजऋषि के चिकित्सा करवाने का उल्लेख है । परन्तु साधु को बिना किसी विशिष्ट कारण के गृहस्थ से तैल आदि का मर्दन नहीं करवाना चाहिए । और इसी दृष्टि से सूत्रकार ने गृहस्थ के द्वारा चरण स्पर्श आदि का निषेध किया है । यह निषेध भक्ति की दृष्टि से नहीं, बल्कि तैल आदि की मालिश करने की अपेक्षा से किया गया है । यदि कोई गृहस्थ श्रद्धा एवं भक्तिवश साधु

का चरण स्पर्श करे तो इसके लिए भगवान ने निषेध नहीं किया है । उपासकदशांग सूत्र में बताया गया है कि जब गौतम आनन्द श्रावक को दर्शन देने गए तो आनन्द ने उनके चरणों का स्पर्श किया था । इससे स्पष्ट होता है कि यदि कोई गृहस्थ वैयावृत्य करने या पैर आदि प्रक्षालन करने के लिए पैरों का स्पर्श करे तो साधु उसके लिए इन्कार करदे । यह वैयावृत्य करवाने का प्रकरण जिनकल्पी एवं स्थविर कल्पी सभी मुनियों से सम्बन्धित है अर्थात् किसी भी मुनि को गृहस्थ से पैर आदि की मालिश नहीं करवानी चाहिए और गृहस्थ से उनका प्रक्षालन भी नहीं करवाना चाहिए ।

इसी तरह यदि कोई गृहस्थ साधु को अपनी गोद में या पलंग पर बैठकर उसे आभूषण आदि से सजाए या उसके सिर के बाल, रोम, नख आदि को साफ करे तो साधु ऐसी क्रियाएँ न करवाए । इस पाठ से यह स्पष्ट होता है कि यह जिनकल्पी मुनि के प्रकरण का है, और वह केवल मुखवस्त्रिका और रजोहरण लिए हुए है । क्योंकि इस पाठ में बताया गया है कि कोई गृहस्थ मुनि के सिर के, कुक्षि क तर्था गुप्तांगों के बढ़े हुए बाल देखकर उन्हें साफ करना चाहे तो साधु-ऐसा न करने दे । यहा पर मूँछ एवं दाढ़ी के बालों का उल्लेख नहीं किया गया है । इस से स्पष्ट होता है कि मुखवस्त्रिका के कारण उसके दाढ़ी एवं मूँछों के बाल दिखाई नहीं देते हैं और चादर एवं चोलपट्टक नहीं होने के कारण कुक्षि एवं गुप्तांगों के बाल परिलक्षित हो रहे हैं । इससे यह भी सिद्ध होता है कि सर्वथा नग्न रहने वाले जिनकल्पी मुनि भी मुखवस्त्रिका और रजोहरण रखते थे अतः यदि कोई गृहस्थ कुक्षि आदि के बाल साफ करे तो साधु उससे साफ न कराए ।

इससे यह स्पष्ट होता है कि साधु को गृहस्थ से पैर दवाने आदि की क्रियाएँ नहीं करवानी चाहिए । क्योंकि यह कर्म बन्ध का कारण है, इसलिए साधु मन, वचन और शरीर से इनका आसेवन न करे । और बिना किसी विशेष कारण के परस्पर में भी उक्त क्रियाएँ न करे । क्योंकि दूसरे साधु के शरीर आदि का स्पर्श करने से मन में विकार भाव जागृत हो सकता है और स्वाध्याय का महत्वपूर्ण समय यों ही नष्ट हो जाता है । अतः साधु को परस्पर में मालिश आदि करने में समय नहीं लगाना चाहिए । परन्तु विशेष परिस्थिति में साधु अपने साधर्मिक साधु की मालिश आदि कर सकता है, उसके घावों को भी साफ कर सकता है । अस्तु, यह पाठ उत्सर्ग मार्ग से संबद्ध है और उत्सर्ग मार्ग में साधु को परस्पर में ये क्रियाएँ नहीं करनी चाहिए ।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार लिखते हैं—

मूलम्—से सिया परो सुद्धेणं असुद्धेणं वा वइबलेण वा तेइच्छं आउट्टे से० असुद्धेणं वइबलेणं तेइच्छं आउट्टे० । से सिया परो गिलाणस्स सचित्ताणि वा कंदाणि वा मूलाणि वा तयाणि वा हरियाणि वा खणित्तु वा कड्डित्तु वा कड्ढावित्तु वा तेइच्छं आउट्टाविज्ज नो तं सा० २ कड्डुवेयणा पाणभूयजीवसत्ता वेयणां वेइंति, एयं खलु० समिए सया जए सेयमिणां मन्निज्जासि । तिबेमि ॥१७३॥

आया—तस्य स्यात् परः शुद्धेन अशुद्धेन वा वाग्बलेन चिकित्साम् आवर्तेत (व्याध्युपशमकर्तुमभिलषेत) तस्य स्यात् परः अशुद्धेन वाग्बलेन चिकित्सामावर्तेत ॥ तस्य स्यान् परः ग्लानस्य सचित्तानि वा कन्दानि वा मूलानि वा त्वचो वा हरितानि वा खनित्वा कर्पित्वा वा कर्पयित्वा वा चिकित्सामावर्तेत (कर्तुमभिलषेत) नो तामस्वादयेत् नो ता नियमयेत् । कटुकवेदना प्राणिभूतजीवसत्त्वा वेदना वेदयन्ति । एतत् खलु० समितः सदा यत्तेत श्रेयइद मन्येत । इति त्रयीमि ।

पदार्थ—से—उस साधु को । सिया—कदाचित् । परो—गृहस्थ । सुद्धेणं—शुद्ध । असुद्धेणं—या अशुद्ध । वइबलेणं—मंत्रादि के बल से । तेइच्छ—चिकित्सा । आउट्टे—करनी चाहे । से—उस साधु को । सिया—कदाचित् । परो—गृहस्थ । असुद्धेणं—अशुद्ध । वइबलेण—मंत्रादि के बल से । तेइच्छ—चिकित्सा । आउट्टे—करनी चाहे । से—उस साधु को । सिया—कदाचित् । परो—गृहस्थ । गिलाणस्स—रोगी जान कर । सचित्ताणि वा—सचित्त । कंदाणि वा—कन्द या । मूलाणि वा—मूल । तयाणि वा—त्वचा—रूत की छान या । हरियाणि वा—हरि-वनस्पति काय को । खणित्तु—गोद करके । कड्डित्तु—निहान कर वा कड्ढावित्तु—निकलवा कर । तेइच्छं—चिकित्सा । आउट्टाविज्ज वा—करनी चाहे नो नायु । तं—उस क्रिया को । नो तायए—मन ने न चाहे तथा । तं—उसका । नो नियम—

वाणी से और शरीर से न कराए किन्तु मुनि यह भावना भावे कि। कडुवेयणा—यह जीव अशुभ कर्म का उपार्जन करके उसके फल स्वरूप कटुक वेदना का अनुभव करता है और सभी प्राणभूयजीवसत्ता—प्राणी भूत जीव और सत्व अपने किए हुए अशुभ कर्म के अनुसार। वेयण—वेदना का। वेईति—अनुभव करते हैं। इस प्रकार की विचारणा से उत्पन्न हुए रोगपरीपह की वेदना को सम भाव से सहन करे। एयं—इस प्रकार। खलु—निश्चय ही। तस्त—उस। भिवखुस्त २—साधु और साध्वी का यह। सामग्गिय—सम्पूर्ण आचार है। जाव—यावत्। समिए—पाच समितिथो से युक्त साधु। सया—सदा इसके पालन करने में। जएज्जासि—यत्न करे और। सेयमिण—यह अनुप्रेक्षा मेरे लिए कल्याण प्रद है। मन्निज्जासि—ऐसा माने। त्तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हू।

मूलार्थ—यदि कोई सद्गृहस्थ शुद्ध अथवा अशुद्ध मंत्रवल से साधु की चिकित्सा करनी चाहे, इसी प्रकार किसी रोगी साधु को कन्द मूल आदि सचित्त वृक्ष, छाल और हरी बनस्पति का अवहनन करके चिकित्सा करनी चाहे तो साधु उसकी इस क्रिया को न तो मन से चाहे और न वाणी तथा शरीर से ऐसी सावद्य चिकित्सा कराए। किन्तु उस समय इस अनुप्रेक्षा से आत्मा को सान्त्वना देने का यत्न करे कि प्रत्येक प्राणी अपने पूर्वजन्म के किए हुए अशुभ कर्मों के फलस्वरूप कटुकवेदना का उपभोग करते हैं। अतः मुझे भी स्वकृत अशुभकर्म के फलस्वरूप इस रोग जन्य वेदना को शान्ति पूर्वक सहन करना चाहिए। मेरे लिए यही कल्याणकारी है और इस प्रकार का चिन्तन करते हुए समभाव से वेदना को सहन करने में ही मुनि भाव का संरक्षण है। इसप्रकार मैं कहता हू।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि कोई गृहस्थ शुद्ध या अशुद्ध मंत्र से या सचित्त वस्तुओं से चिकित्सा करे तो साधु उसकी अभिलाषा न रखे और न उसके लिए वाणी एवं शरीर से आज्ञा दे। जिस मंत्र आदि की साधना या प्रयोग के लिए पशु-पक्षी की हिंसा आदि। सावद्य क्रिया करनी पड़े उसे अशुद्ध मंत्र कहते हैं। और जिसकी साधना एवं प्रयोग के लिए सावद्य अनुष्ठान न करना पड़े उसे शुद्ध मंत्र कहते हैं परन्तु साधु उभय प्रकार की मंत्र चिकित्सा न करे और न अपने स्वास्थ्यलाभ के लिए

सचित्त औषधियों का ही उपयोग करे। वह प्रत्येक स्थिति में अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करे। वेदनीय कर्म के उदय से उदित हुए रोगों को समभाव पूर्वक सहन करे। वह यह सोचे कि पूर्व में बन्धे हुए अशुभ कर्म के उदय से रोग ने मुझे आकर घेर लिया है। इस वेदना का कर्ता मैं ही हूँ। जैसे मैंने हंसते हुए इन कर्मों का बंध किया है उसी तरह हंसते हुए इनका वेदन करूँगा। परन्तु इनकी उपशान्ति के लिए किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं दूँगा और न तंत्र-मंत्र का सहारा ही लूँगा।

वृत्तिकार ने यही कहा है कि हे साधक, तुझे यह दुख समभाव पूर्वक सहन करना चाहिए। क्योंकि बन्धे हुए कर्म समय पर अपना फल दिए बिना नष्ट नहीं होते हैं। और इन सब कर्मों का कर्ता भी तू ही है। अतः उसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाले सुख-दुख को समभाव पूर्वक सहन करना चाहिए। क्योंकि सदसद् का ऐसा विवेक तुझे अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं होता है। इसलिए विवेक पूर्वक तुम्हें वेदना को समभाव से सहन करना चाहिए।*

‘त्तिवेमि’ की व्याख्या पूर्ववत् समर्थे।

॥ त्रयोदश अध्ययन समाप्त ॥

* पुनरपि सहनीयो दुःखपाकस्तवार्यं ।

न खलु भवति नाशः कर्मणा संचितानाम् ।

इति सहगणयित्वा यद्दयदायाति सम्यक् ।

सदसदिति विवेकोऽन्यत्र भूयः कुतस्ते ।१।

वा—धोडा सा मसले । पमज्जिज्ज वा—अथवा विशेष रूप से मसले तो । तं—उस क्रिया को । नो सायए—मन से न चाहे । तंनो नियमे—तथा उस क्रिया को वचन और काया से न कराए । सेसं—शेष वर्णन । तचेव—पूर्ववत् ही जानना चाहिए । खलु—निश्चय मे है । एव—यह । तरस भिवखुस्स २—उस साधु और साध्वी का । सामग्गिय—सम्पूर्ण आचार है । जं०—जोकि । सव्वट्ठ हि—ज्ञानदर्शन और चारित्र्य रूप अर्थों से युक्त है । जाव—यावत् । सया—वह सदा इस का पालन करने का । जइज्जासि—यत्न करे । त्तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हू ।

मूलार्थ—वह साधु या साध्वी परस्पर अपनी आत्मा के विषय में की हुई क्रिया-जोकि कर्म बन्धन का कारण है, को न मन से चाहे, न वचन से कहे, और न काया से कराए । जैसे कि परस्पर चरणों का प्रमार्जन आदि करना । शेष वर्णन त्रयोदशव अध्यायन के समान जानना चाहिए । यह साधु का सपूर्ण आचार है, उसे सदा सर्वदा संयम को परिपालन मे प्रयत्नशील रहना चाहिए । इसप्रकार मैं कहता हू ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में पारस्परिक क्रिया का निषेध किया गया है । इसका तात्पर्य यह है कि साधु एक दूसरे साधु को यह न कहे कि तू मेरे पैर आदि की मालिश कर और मैं तेरे पैर की मालिश करू । परन्तु, इसका यह अर्थ नहीं है कि साधु किसी साधु की बीमारी आदि की अवस्था मे गुरु आदिकी आज्ञा से उसकी सेवा भी नहीं करे । यह निषेध केवल बिना कारण ऐसी क्रियाएं करने के लिए किया गया है । जिससे जीवन में आरामतलथी एवं प्रमाद न बढे और स्वाध्याय का समय केवल शरीर को सजाने एवं सवारने मे ही पूरा न हो जाए । इससे स्पष्ट होता है कि विशेष कारण उपस्थित होने पर की जाने वाली सेवा-शुश्रूषा का निषेध नहीं किया गया है । क्योंकि आगम में वैयावृत्य करने से मिलने वाले फल का निर्देश करते हुए बताया है कि यदि वैयावृत्य करते हुए उत्कृष्ट भावना आ जाए तो आत्मा तीर्थकर गौर

कर्म का बन्ध करता है^१। इस प्रकार वैयावृत्य से महानिर्जरा का होना भी बताया गया है[‡]। इससे स्पष्ट होता है कि राग-द्वेष से ऊपर उठकर विना स्वार्थ से की जाने वाली सेवा-शुश्रूषा का सूत्रकार ने निषेध नहीं किया है।

‘तित्थेमि’ का अर्थ पूर्ववत् समझे।

॥ चतुर्दश अध्ययन (द्वितीया चूला) समाप्त ॥

^१ वैयावन्धेण भंते जीवे किं जणयइ ? वैयावन्धेणं तित्थयर नामगोत्त कम्म निववइ ।

—उत्तराध्ययन सूत्र २६, ४३ ।

[‡] व्यवहार सूत्र, उद्देशक १० ।

तृतीया चूला—भावना अध्ययन

पञ्चदश अध्ययन

आचारांग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कंध के नवम अध्ययन में भगवान महावीर की साधना का महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है । उसमें भगवान महावीर की उत्कट साधना का सजीव रूप देखने को मिलता है । उसमें साधना के वर्णन के साथ भगवान के जीवन का परिचय नहीं दिया है । अतः उसकी पूर्ति प्रस्तुत अध्ययन में की गई है । इस में भगवान महावीर के जन्म एवं जीवन-चर्या का उल्लेख करके उनके द्वारा स्वीकृत ५ महाव्रतों की २५ भावनाओं का वर्णन किया गया है । इसमें भगवान को कुमार ग्राम से लेकर जंभिका तक क्या २ कष्ट आए इसका वर्णन नहीं किया गया है । क्योंकि यह विवरण उपधान अध्ययन में किया जा चुका है, अतः उसे यहां फिर से नहीं दोहराया गया । इससे स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत अध्ययन तीसरी चूला के रूप में सन्निहित होने के कारण उपधान अध्ययन की संपूर्ति रूप कहा जा सकता है । प्रस्तुत अध्ययन का महत्व भगवान के दिव्य, भव्य एवं कल्याणकारी जीवन की अलौकिकता को दिखाने में है और उस आदर्श जीवन की साधना से प्रेरणा लेकर साधक के जीवन में साधना का उज्ज्वल प्रकाश फैलाने में है । अतः भगवान महावीर के जीवन का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तेषां कालेषां तेषां समेषां समणे भगवं महावीरे

पंचहत्थुत्तरे यावि होत्था, तंजहा-हत्थुत्तराहिं चुए, चइत्ता गब्भं

वक्कंते हत्थुत्तराहिं गब्भाओ गब्भं साहरिए हत्थुत्तराहिं जाए

हुत्थुत्तराहिं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए हत्थु-

त्तराहिं कसिणो पडिपुण्णो अब्बाघाए निरावरणो अण्णंते अण्णुत्तरे

केवलवरणाण्णदंसणो समुप्पन्ने, साइणाभगवं परिनिव्वुए ॥१७५॥

छाया—तस्मिन् काले तस्मिन् समये श्रमणो भगवान् महावीरः

पचहस्तोत्तरश्चापि अभूत् । तद्यथा हस्तोत्तरासुच्युतः च्युत्वा गर्भे व्युत्क्रान्तः । १। हस्तोत्तरासु गर्भाद् गर्भं सहतः । २। हस्तोत्तरासु जातः । ३। हस्तोत्तरासु मुण्डोभूत्वा अगारादनगारतां प्रव्रजितः । ४। हस्तोत्तरासु, कृत्स्नं प्रतिपूर्णं अन्वाघात निरावरणमनन्तमनुत्तरं केवलवरज्ञानदर्शनं समुत्पन्नम् । ५। स्वातौ भगवान्परिनिवृत्तः ।

पदार्थ—तेण कालेण—उस काल और । तेणंसमएणं—उस समय । सभणे—श्रमण । भगवं—भगवान् । महावीरे—महावीर स्वामी के । पंचहत्युत्तरा होत्या—पांच कल्याणक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुए । तजहा—जैसे । हत्युत्तराहिं च्युए—उत्तराफाल्गुनी में देवलोक से व्युत् ह्युए । चइत्ता—च्युत होकर । गढभंभवर्कते—गर्भ में उत्पन्न हुए । हत्युत्तराहिं—उत्तरा फाल्गुनी में । गढमाओ—गर्भ से । गढं—गर्भ में अर्थात् एक गर्भ से दूसरे गर्भ में । साहरिए—सहरण किये गए । हत्युत्तराहिं—उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में । जाए—उत्पन्न हुए । हत्युत्तराहिं—उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में । मुडे भविस्ता—मुण्डित होकर । आगाराओ—घर से निकल कर । अणगारियं—साधु वृत्ति में । पव्वइए—प्रव्रजित हुए अर्थात् साधु बने । हत्युत्तराहिं—उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में । अणते—अनन्त । अणुत्तरे—प्रधान । अन्वाघाए—निर्व्याघात-व्याघात रहित । निरावरणे—निरावरण-आवरण रहित । कसिणे—सम्पूर्ण । पडिपुण्ण—प्रतिपूर्ण । वर—प्रधान । केवलनाणे—केवल ज्ञान । दसणे—केवल दर्शन से । समुत्पण्णे—समुत्पन्न हुए और । साइणा—स्वाति नक्षत्र में । भगव—भगवान् । परिनिव्वुए—मोक्ष को प्राप्त हुए ।

मूलार्थ—उस काल और उस समय में श्रमण भगवान् महावीर के पांच कल्याणक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में हुए । जैसे कि-भगवान् उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में देवलोक से च्यव कर गर्भ में उत्पन्न हुए, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में ही गर्भ से गर्भान्तर में सहरण किये गए । उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में ही भगवान् ने जन्म लिया । उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में ही भगवान् मुण्डित हो कर सागार से अनगार-साधु बने और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ही भगवान् ने अनन्त, प्रधान, निर्व्याघात, निरावरण, कृत्स्न, प्रतिपूर्ण केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त किया और स्वाति नक्षत्र में भगवान् मोक्ष पधारे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि भगवान् महावीर के पांच कल्याणक उत्तरा-

फाल्गुनी नक्षत्र में हुए और एक स्वाति नक्षत्र में हुआ। भगवान का गर्भ में आना, गर्भ का गर्भान्तर में संहरण, जन्म, दीक्षा एव केवल ज्ञान की प्राप्ति ये पाचों कार्य उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में हुए और स्वाति नक्षत्र में निर्वाण पद प्राप्त किया। इससे ६ कल्याणक सिद्ध होते हैं, परन्तु वस्तुतः देखा जाए तो कल्याणक ५ ही हुए हैं। गर्भ संहरण को नक्षत्र साम्य की दृष्टि से साथ में गिन लिया गया है। परन्तु, इसे कल्याणक नहीं कह सकते। यह तो एक आश्चर्य जनक घटना है। यदि इसके उल्लेख मात्र से इसे कल्याणक माना जाए तो फिर भगवान ऋषभ देव के भी ६ कल्याणक मानने पड़ेगे। क्योंकि आगम में लिखा है कि भगवान के पांच कार्य उत्तराषाढा नक्षत्र में और एक अभिजित् नक्षत्र में हुआ ॐ। परन्तु इतना उल्लेख मिलने पर भी उनके ५ कल्याणक माने जाते हैं। क्योंकि विशिष्ट बात को कल्याणक नहीं माना जाता है। केवल नक्षत्र की समानता के कारण उसका साथ में उल्लेख कर दिया जाता है।

प्रस्तुत सूत्र में 'उस काल और उम समय में' इन दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें 'काल' चौथे आरे का बोधक है और 'समय' जिन समय भगवान गर्भ आदि में आए उस समय का संसूचक है। काल से पूरे युग का और समय से वर्तमान काल का परिज्ञान होता है।

भग-स्वप्नन व्यक्ति को भगवान कहा गया है। भग शब्द के १४ अर्थ होते हैं—१ अर्क, २ ज्ञान, ३ महात्मा, ४ यश, ५ वैराग्य, ६ मुक्ति, ७ रूप, ८ वीर्य (शक्ति), ९ प्रयत्न, १० इच्छा, ११ श्री, १२, धर्म, १३ ऐश्वर्य और १४ योनि। उनमें प्रथम और अन्तिम (अर्क और योनि) दो अर्थों को छोड़कर शेष सभी अर्थ भगवान में मघटित होते हैं।

'हृत्थुत्तरे' शब्द का अर्थ है जिस नक्षत्र के आगे हस्त नक्षत्र है उसे 'हृत्थुत्तरे' नक्षत्र कहते हैं। गणना करने से उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र ही आता है।

इस विषय को विस्तार से स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—समणो भगवं महावीरो इमाए ओसपिणीए सुसम-
सुसमाए समाए वीइक्कंताए सुममाए ममाए वीइक्कंताए सुमम-
दुसमाए समाए वीइक्कताए दूमम सुममाए ममाए बहुविइक्कं-

ॐ पच उत्तराषाढ ग्रभीप उट्ठे ।—जम्बूद्वीप प्रजापति ।

ॐ भगोऽस्थान्नीति भगवान ।

ताए पन्नहत्तरीए वासेहि मासेहि य अद्ध नवमेहि सेसेहि
जे से गिम्हाणां चउत्थे मासे अट्ठमे पक्खे आसाढसुद्धे तस्स णां
आसाढसुद्धस्स छट्ठीपक्खेणां हत्थुत्तराहिं नक्खत्तेणां जोगमुवाग-
णां महाविजयसिद्धत्थपुप्फुत्तरवरपुंडरीयदिसासोवत्थियवद्धमाणा-
ओ, महाविमाणाओ वीसं सागरोवमाइं आउयं पालइत्ता आउ-
क्खणां ठिइक्खणां भवक्खणां चुए चइत्ता इह खलु जंबुदीवे
णां दीवे भारहेवासे दाहिणड्ढभरहे दाहिणमाहणकुंडपुरसंनि-
वेसंमि उमभदत्तस्स माहणास्स कोडोलसगोत्तस्स देवाणांदाए माह-
णीए जालंधरस्सगुत्ताए सीहुवभवभूणां अप्पाणेणां कुच्छिसि
गब्भं वक्कंते ।

छाया—श्रमणो भगवान् महावीरः अस्यां अवसर्पिण्या सुषमसुपमाया
रमाया व्यतिक्रान्ताया, सुपमाया समाया व्यतिक्रान्ताया, सुषमदुपमायां ममायां
व्यतिक्रान्ताया दुषम सुषमाया समाया बहुव्यतिक्रान्ताया पंचसप्तति वर्षेषु
मासेषु च अर्द्धनवमेषु शेषेषु योऽसौ ग्रीष्मस्य चतुर्थो मासः अष्टमः पक्षः-
आषाढ शुद्धः (आषाढ शुक्लः) तस्य आषाढ शुद्धस्य षष्ठीपक्षेण हस्तोत्तराभि-
नक्षत्रेण योगमुपागते महाविजयसिद्धार्थपुष्पोत्तरवरपुण्डरीकदिक् स्वस्तिक वर्द्धमा-
नात् महाविमानात् त्रिंशतिसागरोपमानि आयुष्कं पालयित्वा आयुःक्षयेण
स्थिति क्षयेण भव क्षयेण च्युतः च्युत्वा इह खलु जम्बूद्वीपे द्वीपे भारते वर्षे
दक्षिणाद्धं भगते दक्षिणब्राह्मण कुण्डपुरसनिवेशे ऋषभदत्तस्य ब्राह्मणस्य कडाल
गोत्रस्य देवानन्दाया ब्राह्मण्याः जालन्धरगोत्राया सिहोद्भवभूतेन आत्मना
कुक्षौ गर्भे व्युत्क्रान्तः ।

पदार्थ—समर्ण—श्रमण । भगवं—भगवान् । महावीरे—महावीर । इमाए—इस । ओसपिणीए—अवत्त्रिणी काल के । सुसमसुसमाए—सुपम सुपम नाम वाले चार कोटा कोटी मागर प्रमाण वाले । समाए—प्रथम आरे के । वीइक्कंताए—व्यतीत हो जाने पर, तथा । सुसमाएसमाए वीइक्कताए—मूपमा नाम वाले तीन कोटा कोटी सागर प्रमाण वाले दूसरे आरे के वीत जाने पर । सुसमदुस्समाए समाए वीइक्कताए—सुपम दुपम नाम वाले दो कोटा कोटी मागर प्रमाण वाले तीसरे आरे के वीत जाने पर तथा । दुसमसुसमाए समाए बहुवीइक्कंताए—दुपम सुपम नाम वाले चतुर्थ आरे के बहुत वीत जाने पर, अर्थात् चतुर्थ आरक व्यालीस हजार वर्ष कम एक कोटा कोटी सागरोपम प्रमाण का होता है, उसके केवल । पन्नहत्तरीए वासेहि—७५ वर्ष । य—और । अद्धनवमेहिमासेहि—साढ़े आठ मास । सेसेहि—शेष रहने पर । जे—जो । से—यह । गिम्हाणं—ग्रीष्म ऋतु का । चउत्थेमासे—चौथा मास । अट्ठमेपक्खे—आठवा पक्ष । आसाढपुद्धे—आषाढ शुक्ल । ण—वाक्यालंकार मे है । तस्स—उस । आसाढसुद्धस्स—आषाढ शुक्ल पक्ष की । छट्ठीपक्खेणं—छठी रात्रि मे । हत्थुतराहिनक्खत्तेणं—उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के साथ । जोगमुवागएणं—चन्द्रमा का योग आजाने पर अर्थात् उत्तरा फाल्गुनी मे चन्द्रमा के आजाने पर । महाविजयसिद्धत्थुप्फुत्तरवरपुण्डरीयदिसासोवत्थि यवद्ध माणाओ—महाविजय सिद्धार्थ, पुष्पोत्तर प्रधान, पुडरीक-कमलवत् श्वेत, दिक्, स्वस्तिक, वर्द्धमान नाम वाले । महाविमाणाओ—महा विमान से । वीससागरोवमाई—वीस सागरोपम की । आउयं—आयु की । पालइत्ता—पूर्ण कर के । आउक्खएणं—देवायु की क्षय करके, ठिइक्खएण—वैक्रिय शरीर की स्थिति का क्षय करके । भवक्खएण—और देवगति नाम कर्म का क्षय करके अर्थात् देव भव की समाप्त करके । चुए—वहाँ से च्यवे । चइत्ता—च्यवकर । खलु—निश्चयार्थक है । इह—इस । जंबुद्वीवे ण दीवे—जम्बूद्वीप नाम के द्वीप में । भारहेवासे—भारत वर्ष के भरत क्षेत्र के । दाहिणद्धभरहे—दक्षिणाद्धं भरत खण्ड में । दाहिणमाहण कुडपुरसंनिवेशं—दक्षिण दिशा में ब्राह्मण कुंडपुर सन्निवेश में । कोडालगोत्तस्स—कोडाल गोत्री । उसमदत्तस्स—ऋषभ दत्त । माहणस्स—ब्राह्मण की । जालधरस्स गुत्ताए—जालन्धर गोत्रवाली । देवानन्दा ए—देवानन्दा । माहणीए—ब्राह्मणी की । कुच्छिसि—कुक्षी में । सीहुवमवभूएण—सिंह की तरह अर्थात् गुफा मे प्रवेश करते हुए सिंह की भाति । अप्पाणेणं—अपनी आत्मा से । गम्भ वक्कते—गर्भपने उत्पन्न हुए अर्थात् गर्भ में आए ।

मूलार्थ—श्रमण भगवान् महावीर इस अवसर्पिणी काल के सुषम-सुषम नामक आरक, सुषम आरक, सुषम-दुषम आरक के व्यतीत होने पर और दुषम-सुषम आरक के बहु व्यतिक्रान्त होने पर, केवल ७५ वर्ष, साढ़े आठ मास शेष रहने पर ग्रीष्म ऋतु के चौथे मास, आठवे पक्ष आषाढ

शुक्ला षष्ठी की रात्री को उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के साथ चन्द्रमा का योग होने पर, महाविजय सिद्धार्थ, पुष्पोत्तर वर पुण्डरीक, दिक्स्वस्तिक, वर्द्धमान नाम के महाविमान से वीस सागरोपम की आयु को परी करके देवानु, देवस्थिति और देव भव का क्षय करके, इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के दक्षिणार्द्ध भारत के दक्षिण ब्राह्मण कुण्ड पुर सन्निवेश में कुडाल गोत्रीय ऋषभदत्त ब्राह्मण की जालन्धरगोत्रीय देवानन्दा नामकी ब्राह्मणी की कुक्षि में सिंह की तरह गर्भ रूप में उत्पन्न हुए ।

हिन्दी विवेचन

इस सूत्र में बताया गया है कि भगवान महावीर अवसर्पिणी काल के चतुर्थ आरक के ७५ वर्ष साढ़े आठ महीने शेष रहने पर ऋषभदत्त ब्राह्मण की पत्नी देवानन्दा की कुक्षि में आए । यहा काल चक्र के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख किया गया है । यह हम देखते हैं कि काल (समय) सदा अपनी गति से चलता है । और समय के साथ इस क्षेत्र में (भरत क्षेत्र में) परिस्थितियों एवं प्रकृति में भी कुछ परिवर्तन आता है । कभी प्रकृति में विकास होता है, तो कभी ह्रास होता है । जिस काल में प्रकृति उत्थान से ह्रास की ओर गतिशील होती है उस काल को अवसर्पिणी काल कहते हैं और जिसमें प्रकृति ह्रास से उन्नति की ओर बढ़ती है उसे उत्सर्पिणी काल कहते हैं । प्रत्येक काल चक्र ६ आरक में विभक्त है और १० कोटा-कोटी (१० करोड़ X १० करोड़) सागरोपम का होता है । इस तरह पूरा काल चक्र २० कोटा कोटी सागरोपम का होता है । भगवान महावीर अवसर्पिणी कालचक्र के चौथे आरे के—जो ४२ हजार वर्ष कम एक कोटा कोटी सागर का है, ७५ वर्ष ८॥ महीने शेष रहने पर प्राण नामक १० वें स्वर्ग से जिसे महाविजय, सिद्धार्थ वर पुण्डरीक, दिक्स्वास्तिक और वर्द्धमान भी कहते हैं, अपने आयुष्य को पूरा करके भारतवर्ष के दक्षिण ब्राह्मण कुण्डपुर में ऋषभदत्त ब्राह्मण की पत्नी देवानन्दा की कुक्षि में उत्पन्न हुए ।

कुछ हस्तलिखित प्रतियों में 'सीहृभवभूएण' के स्थान में 'सीहृव भूतेण' पलब्ध होता है और यह पाठ असदिग्ध प्रतीत होता है ।

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकाण्ड कहते हैं—

मूलम्—समणे भगवं महावीरे तिन्नाणोवगए यावि हुंथा,

चइस्सामिति जाणइ, चुएमिति जाणइ, चयमाणे न जाणइ, सुहुमेणं
से काले पन्नत्ते ।

छाया—श्रमणो भगवान् महावीरः त्रिज्ञानोपगतश्चापि अभवत् च्योष्ये
इति जानाति च्युतोस्मीति जानाति च्यवमानो न जानाति सूक्ष्मः स कालः
प्रज्ञप्तः ।

पदार्थ—सनणे—श्रमण । भगव—भगवान् । महावीरे—महावीर स्वामी।
तिन्नाणोवणएयावि होत्था—तीन ज्ञानो से युक्त थे अतः । चइस्सामिति जाणइ—वे ऐसा
जानते थे कि मैं यहा से च्यव कर मनुष्य लोक मे जाऊगा तथा । चुएमिति जाणइ—वे यह
भी जानते थे कि मैं स्वर्ग से च्यव कर गर्भ मे आया हू परन्तु । चयमाणे न जाणइ—वे यह
नही जानते थे कि मैं च्यव रहा हूँ क्योंकि । सुहुमेणं से काले पन्नत्ते—यह काल अर्थात् च्यवन
काल अत्यन्त सूक्ष्म कहा गया है ।

मूलार्थ—श्रमण भगवान महावीर तीन ज्ञान (मतिज्ञान श्रुतज्ञान और
अवधि ज्ञान) से युक्त थे वे यह जानते थे कि मैं स्वर्ग से च्यवकर मनुष्य
लोक मे जाऊगा, मैं वहा से च्यव कर अब गर्भ मे आगया हूँ । परन्तु वे
च्यवन समय को नही जानते थे । क्योंकि वह समय अत्यन्त सूक्ष्म होता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र मे बताया गया है कि भगवान महावीर गर्भ में आए उस समय
तीन ज्ञान से युक्त थे—१ मतिज्ञान, २ श्रुत ज्ञान और ३ अवधि ज्ञान । मति और
श्रुत ज्ञान मन और इन्द्रियों की सहायता से पदार्थों का ज्ञान कराता है । परन्तु,
अवधि ज्ञान में मन और इन्द्रियों के बिना सहयोग के ही आत्मा मर्यादित क्षेत्र में
स्थित रूपी पदार्थों को जान और देख सकता है । भगवान महावीर को भी स्वर्ग में
एवं जिस समय गर्भ में आए तब से लेकर गृहस्थ अत्रस्था में रहे तब तक तीन ज्ञान
थे । वे स्वर्ग के आयुष्य को पूरा करके मनुष्य लोक में आने के समय को जानते थे
और गर्भ मे आने के बाद भी वे इस बात को जानते थे कि मैं स्वर्ग से यहां आ गया
हूँ । परन्तु जिस समय वे स्वर्ग से च्युत हो रहे थे उस समय को नहीं जान रहे थे । क्योंकि
यह काल बहुत ही सूक्ष्म होता है, ऋजु गति मे एक समय लगता है और वक्रगति में
आत्मा जघन्य दो और उत्कृष्ट ४ समय में अपने स्थान पर पहुंच जाता है । और
इतने सूक्ष्म समय मे छद्मस्थ के ज्ञान का उपयोग नहीं लगता । अतः च्यवन के समय

वे अपने ज्ञान का उपयोग नहीं लगा सकते थे। इरासे यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान् गर्भ काल में तीन ज्ञान से युक्त थे।

इस विषय में कुछ और बातें बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तत्रो णं समणो भगवं महावीरं हियाणुकंपणं
 देवेणं जीयमेयं तिकट्टु जे से वासाणं तच्चे मासे पंचमे पक्खे
 आसोयबहुले तस्सणं आसोयवहुलस्स तेरसीपक्खेणं हत्थुत्तराहिं
 नक्खत्तेणं जोगमुवागणं वासीहिं राइदिणं वइक्कंतेहिं तेसीइ-
 मस्स राइंदियस्स परियाए वट्टमाणे दाहिणमाहणकुंडपुरसन्निवे-
 सात्रो उत्तरखत्तिपकुंडपुरसंनिवेशंसि नायाणं खत्तियाणं सिद्धत्थस्स
 खत्तियस्स कासवगुत्तस्स तिसलाए खत्तियाणीए वासिट्ठस-
 गुत्ताए असुभाणं पुग्गलाणं अवहारं करित्ता सुभाणं पुग्गलाणं
 पक्खेवं करित्ता कुच्छिसि गव्भं साहरइ जे विग से तिसलाए
 खत्तियाणीए कुच्छिसि गव्भे तंपि य दाहिणमाहणकुंडपुर-
 संनिवेशंसि उस० को० देवा० जालन्धरायणागुत्ताए कुच्छिसि
 गव्भं साहरइ।

छाया—ततः श्रमणो भगवान् महावीरः हितानुकम्पकेन देवेन जीत-
 मेतत् इति कृत्वा यः सः वर्षाणा तृतीयः मासः पंचमः पक्षः आश्विन-
 कृष्णः तस्य आश्विनकृष्णस्य त्रयोदशीपक्षेण उत्तराफाल्गुनीनक्षत्रेण
 योगमुपागतेन द्व्यशीतौ रात्रिन्दिवे व्यतिक्रान्ते त्र्यशीतितमस्यरात्रिन्दिवस्य
 पर्याये वर्त्तमाने दक्षिणत्राह्यणकुण्डपुरसंनिवेशात् उत्तरक्षत्रियकुण्डपुर-

सन्निवेशे ज्ञाताना क्षत्रियाणां सिद्धार्थस्य क्षत्रियस्य काश्यपगोत्रस्य त्रिशला-
याः क्षत्रियाण्याः वासिष्ठगोत्रायाः अशुभानां पुद्गलानां अपहार कृत्वा
शुभानां पुद्गलानां प्रक्षेपं कृत्वा कुक्षौ गर्भं समाहरति (मुञ्चति) ।
योऽपिच तस्याः त्रिशलायाः क्षत्रियाण्याः कुक्षौ गर्भं तमपिच दक्षिण-
ब्राह्मणकुण्डपुरसन्निवेशे ऋषभदत्तस्य कोडालगोत्रस्य देवानदाया ब्राह्मण्याः
जालन्धरायणगोत्रायाः कुक्षौ गर्भं समाहरति (मुञ्चति) ।

पदार्थ—णं—वाक्यालकार मे है । तत्रो—तत् पश्चत् । समण—श्रमण । भगवं-
भगवान् । महावीरे—महावीर स्वामी के । हियाणुकपण देवेण—हित और अनुकम्पा करने
वाले देव ने । जीयमेधंतिकदट्ट—यह हमारा जीत आचार है इस प्रकार कहकर तथा इस
प्रकार करके । जे से—जो यह । वासाण—वर्षा काल का । तच्चेसासे—तीसरा मास । पंचमे-
पवखे—पाचवा पक्ष । आसोयबहुले—आश्विन मास का कृष्ण पक्ष । णं—वाक्यालकार मे है ।
तस्स—उस । आसोय बहुलस्स—आश्विन कृष्ण पक्ष के । तेरसीपक्खेण—त्रयोदशी के दिन ।
हत्थुत्तराहिनवखत्तेण—उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के साथ । जोगमुवागएण—चन्द्रयोग के होने पर ।
वासीहिं—८२ । राइंदिहिं—महोरात्र-रातदिन के । वड्ढकतेहिं—व्यतीत होने पर । तेसीइ-
मस्स—८३ वें । राइदियस्स—दिन के । परियाए—पर्याय के । वट्टमाणे—वरतने पर अर्थात्
८३ वें दिन की रात्रि मे । दाह्णिणमाहणकुण्डपुरसन्निवेशाओ—दक्षिण ब्राह्मण कुण्ड पुर
सन्निवेश से । उत्तरखत्तियकुण्डपुरसन्निवेशसि—उत्तर क्षत्रिय कुण्ड पुर सन्निवेश में । खत्तियाण-
क्षत्रियो में प्रसिद्ध । नायाणं—ज्ञात वंशीय । कासवगुत्तस्स—काश्यप गोत्र वाले । सिद्धत्थस्स—
सिद्धार्थ । खत्तियस्स—क्षत्रिय की भार्या । वासिद्धगुत्ताए—वासिष्ठ गोत्रवाली । तिसला
खत्तियाणीए—त्रिशला क्षत्रियाणी के । असुभाणं पुगगलाण—अशुभ पुद्गलो को । अवहारं
करित्ता—दूर करके । सुभंणं पुगगलाण—शुभ पुद्गलो का । पक्खेवकरित्ता—प्रक्षेपण करके
उसकी । कुच्छिसि—कुक्षौ गर्भाशय मे । गम्भ साहारइ—उस गर्भ को छोड़ता-प्रतिष्ठित करता
है । य—और । जे वि—जो फिर । से—उम । तिसलाए—त्रिशला । खत्तियाणीए—क्षत्रियाणी
की । कुच्छिसि—कुक्षि में । गम्भे—गर्भ था । य— और । तंपि—फिर उसको । दाह्णिण माहण
कुण्डपुर सन्निवेशसि—दक्षिण ब्राह्मण कुण्ड पुर सन्निवेश मे ले जाकर । कोडालगोत्तास्स—
कोडाल गोत्रीय । उसम दत्तस्स—ऋषभ दत्त । माहणस्स—ब्राह्मण की भार्या । जालन्धरा-
यणगुत्ताए—जालन्धर गोत्र वाली । देवानन्दाहाणीए—देवानन्दा ब्राह्मणी की । कुच्छिसि—
कुक्षि मे । गम्भ साहारइ—उस गर्भ को छोड़ता—प्रतिष्ठित करता है ।

मूलार्थ—देवानन्दा ब्राह्मणी के गर्भ में अने के वाद श्रमण भगवान्
महावीर के हित और अनुकम्पा करने वाले देवने, यह जीत आचार है ।

ऐसा कहकर वर्षाकाल के तीसरे मास, पाचवें पक्ष अर्थात्—आश्विन कृष्णा त्रयोदशी के दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के साथ चन्द्रमा का योग होने पर ८२ रात्रिदिन के व्यतीत होने और ८३वें दिन की रात को दक्षिण ब्राह्मण कुण्ड पुर सन्निवेश से, उच्चर क्षत्रिय कुण्ड पुर सन्निवेश में ज्ञात-वशोय क्षत्रियो में प्रसिद्ध काश्यपगोत्री सिद्धार्थ राजा की वासिष्ठ गोत्र वाली पत्नी त्रिशला महाराणी के अशुभपुद्गलो को दूर करके उनके स्थान में शुभ पुद्गलो का प्रक्षेपण करके उसकी कुक्षि में गर्भ को रखा, और जो त्रिशला क्षत्रियाणी की कुक्षि में गर्भ था उसको दक्षिण ब्राह्मण कुण्डपुर सन्निवेश में जाकर काडालगोत्रोय ऋषभ दत्त ब्राह्मण की जालन्धर गोत्रवाली देवानन्दा ब्राह्मणी की कुक्षि में स्थापित किया ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में भगवान महावीर के गर्भ को स्थानान्तर में रखने का वर्णन किया गया है । ८२ दिन तक भगवान महावीर देवानन्दा के गर्भ में रहे थे । उसके बाद ब्राह्मण कुल को तीर्थंकरों के जन्म योग्य न जानकर इन्द्र की आज्ञा से भगवान महावीर के एक हितचिन्तक देव ने उन्हें देवानन्दा के गर्भ से निकाल कर त्रिशला के गर्भ में रख दिया ।

यह घटना आश्चर्यजनक अवश्य है, परन्तु असम्भव नहीं है । आज भी हम देखते हैं कि वैज्ञानिक आप्रेशन के द्वारा गर्भ का परिवर्तन करते हैं और इस क्रिया में गर्भ का नाश नहीं होता है । एक गर्भ स्थान से स्थानान्तरित किए जाने पर भी उसका विकास रूढ़ना नहीं है । और भगवान महावीर के गर्भ का परिवर्तन करने का वर्णन आगमों में अनेक जगह मिलता है* । भगवती सूत्र में देवानन्दा ब्राह्मणी के सम्बन्ध में गौतम के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह मेरी माता है† । इसके अतिरिक्त कल्प सूत्र में गर्भ संहारण के सम्बन्ध में

* स्थानाग सूत्र, स्थान ५: उ० १, स्था० १०, समावायांग सूत्र, ८२-८३, दशश्रुतस्कंध सूत्र, दशा ८ ।

† तएण सा देवानन्दा माहणी आगयपव्हया पप्फुयलोयणा सवरिय बलिय वाहा, कच्चुय परिक्खि वत्तिया धाराहतकलवपुष्फगपिव समुत्तसियरोमकूवा, समण भगव महावीरं

पदार्थ—समणाजसो ?—आयुष्मन् श्रमण ! । सभणे—श्रमण । भगवं—भगवान् । महावीरे—महावीर । तिन्नाणोवणए यावि होत्था—तीन—मति श्रुत और अवधि ज्ञानों से युक्त थे । साहरिज्जिस्सामित्ति—मैं इस स्थान से अन्य स्थान में सहृत किया जाऊँगा यह जानते थे । साहरिज्जमाणे वि जाणइ—वर्तमान में महृत किए जाने को भी जानते हैं तथा । सहरिए—मित्ति जाणइ—मैं सहृत हों चुका हूँ एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थापित किया जा चुका हूँ । अथात् देवानन्दा ब्राह्मणी की कुत्ती ने त्रिशला क्षत्रियाणी की कुत्ती में प्रतिष्ठित किया जा चुका है यह भी जानते थे ।

मूलार्थ—हैं आयुष्मन् श्रमणों ! श्रमण भगवान् महावीर स्वामी गर्भावास में तीन ज्ञान, मति श्रुत अवधि-से युक्त थे । मैं इस स्थान से सहरण किया जाऊँगा, तथा मेरा सहरण हो रहा है और मैं सहृत किया जा चुका हूँ । यह सब जानते थे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि भगवान् महावीर गर्भावास में मति, श्रुत और अवधि इन तीन ज्ञानों से युक्त थे । वे अपने अवधिज्ञान से यह जानते थे कि मेरे गर्भ का सहरण किया जाएगा और जिस समय देव उनके गर्भ का सहरण कर रहा था उस समय भी वे जानते थे कि मुझे स्थानान्तरित किया जा रहा है और त्रिशला की कुत्ति में रखने के बाद भी जानते थे कि मुझे देवानन्दा की कुत्ति से यहाँ लाया गया है इस तरह वे अपने गर्भ सहरण के सम्बन्ध में हुई समस्त क्रियाओं को जानते थे ।

आगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित आचारांग सूत्र में एवं कल्प सूत्र में “साहरिज्जमाणे जाणइ” के स्थान पर “साहरिज्जमाणे नो जाणइ” पाठ छपा है । परन्तु प्राचीन हस्त लिखित एवं अन्य मुद्रित प्रतियों में “साहरिज्जमाणे जाणइ” पाठ उपलब्ध होता है । आगमोदय समिति से प्रकाशित आचारांग का पाठ कल्पसूत्र एवं उसकी सुवोधिका व्याख्या के आधार पर रखा गया है । परन्तु यह पाठ उचित प्रतीत नहीं होता है । क्योंकि स्वर्ग से गर्भ में आते समय का काल बहुत सूक्ष्म होने के कारण वे उसे नहीं जानते हैं । परन्तु गर्भ सहरण काल इतना सूक्ष्म नहीं होता है । देवद्वारा की जाने वाली सहरण की क्रिया में अन्तर मुहूर्त का समय लग जाता है । अतः इस काल में होने वाली क्रिया को वे जान सकते हैं । और कल्प सूत्र की ‘सुवोधिका टीका’ के लेखक उपाध्याय श्री विनय विजय जी उस पर विचार चर्चा करते हुए प्राचीन प्रतियों

के पाठ का ही समर्थन करते हैं॥ इससे यह स्पष्ट होता है “साहरिज्जमाणे जाणइ” पाठ ही प्रामाणिक है।

इस प्रसंग पर यह प्रश्न हो सकता है कि गर्भ का सहरण करते समय गर्भ को कोई कष्ट तो नहीं होता ? आगम में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि इस क्रिया से गर्भ को कोई कष्ट नहीं हुआ। यह क्रिया देव द्वारा निष्पन्न हुई थी, इसलिए गर्भस्थ जीव को बिल्कुल त्रास नहीं पहुंचा। उसे सुख पूर्वक एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थानान्तरित कर दिया गया।

भगवान के जन्म के विषय का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

१११ मूलम्—तेषां कालेषां तेषां समेषां तिसलाए खत्तिया-
णीए अहऽन्नया कयाई नगरहं मामाणां बहुमडिपुणणाणां अद्धट्ठ-
माण राइंदियाणां वीइकंताणां जे से गिम्हाणां पढमे मासे दुच्चे
पक्खे चित्तसुद्धे तस्स णं चित्तसुद्धस्स तेरसीपक्खेणां हत्थु० जोग०
समणां भगवं महावीरं अरोग्गा अरोग्गं पसूया।

छाया—तस्मिन् काले तस्मिन् समये त्रिशलायाः क्षत्रियाण्याः अथ अन्यदा

॥ ननु संहियमाणो न जानातीति कथं युक्तं ? सहरणस्य असंख्य सामयिकत्वात्, भगवतश्च संहरण कर्तृ देवापेक्षया विशिष्टज्ञान वत्त्वात् ? उच्यते, इदं वाक्यं संहरणस्य कौशल ज्ञापकम्, तथा तेन संहरण कृतं भगतः यथा भगवता ज्ञातमपि अज्ञातमिवाभूत् पीडा-
ऽभावात्. यथाकश्चिद्वदति त्वया मम पादात्तथा कंटक उद्धृतः यथा मया ज्ञात एवनेति, सौख्यति शयेच सत्ये वं विधो व्यपदेशः सिद्धान्तेऽपि दृश्यते, तथा हि—‘तर्हि देवा वतरीया, चरतरुणी गीय वाइप रवेण’ । निच्चं सुहिग्र पमुइआ, गयपिकाल न याण ति ।

—कल्पसूत्र, सुबोविका व्याख्या ।

१ पभूणं भंते । हरिणगमेसी सक्कदूए इत्थी गब्भं नह सिरसि वा रोम कूवसि वा साहरितए वा नीहरितए वा ? हुता पभू, नो चेव णं तस्स गब्भस्स आवाह वा विवाह वा उत्पाएज्जा, छविच्छेय पुण करिज्जा ।

—श्री भगवती सूत्र, श० ५, सूत्र १८६ ।

कदाचित् नवसु मासेषु बहुप्रतिपूर्णेषु अर्धाष्टमरात्रिन्दिवे व्यतिक्रान्ते योऽसौ ग्रीष्मार्णां प्रथमो मासः द्वितीयः पक्षः चैत्रशुक्लः तस्य चैत्रशुक्लस्य त्रयोदशी पक्षः (दिवसः) उत्तराफाल्गुनीनक्षत्रेण समं योगमुवागते चन्द्रमसि आरोग्या आरोग्यं प्रसूता ।

पदार्थ—तेण कालेण—उस काल मे । तेणं समएण—उम समय मे । तिसलाए—
 खनियाणीए—त्रिशला क्षत्रियाणी ने । अह—अथ । अन्नयाकयाई—अन्य किसी समय ।
 नवणंमासाण—नव मास । बहुपडिपुण्णाण—पञ्चपूर्ण होने पर । षट्ठमाणराइदियाणं—
 साढे सात अहोरात्र अधिक । विइक्ताण—व्यतीत होने पर । जे—जो । से—वह । गिम्हाणं—
 ग्रीष्म ऋतु के । पड्ढेमासे—प्रथम मास । दुच्चेपक्खे—दूसरे पक्ष । चित्तमुद्धे—चैत्र शुक्ल पक्ष
 मे । णं—वाक्यलकार में है । तस्स—उस । चित्तमुद्धेस्स—चैत्र शुक्ल की । तेरसी पक्खेणं—
 त्रयोदशी तिथि के दिन । हत्थुं—उत्तरा फाल्गुनी । णवखते—नक्षत्र के साथ । जोगमुवागएण—
 चन्द्रमा का योग आजाने पर । समण—श्रमण । भगवन्—भगवान । महावीरं—महावीर को ।
 आरोग्या आरोग्यां पसूया—रोग रहित अर्थात् सुख पूर्वक माता ने प्रसव किया अर्थात् भगवान
 को सुख पूर्वक जन्म दिया ।

मूलार्थ—उस काल और उस समय मे त्रिशला क्षत्रियाणी ने अन्य किसी समय नव मास साढे सात अहोरात्र के व्यतीत होने पर ग्रीष्म ऋतु के प्रथम मास के द्वितीय पक्ष में अर्थात् चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के साथ चन्द्रमा का योग होने पर श्रमण भगवान महावीर को सुख पूर्वक जन्म दिया ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र मे बताया गया है कि ग्रीष्म ऋतु के प्रथम मास और द्वितीय पक्ष अर्थात् चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र मे त्रिशला महाराणी ने बिना किसी प्रकार की पीड़ा के, सुख पूर्वक बाधा-पीड़ा से रहित पुत्र को जन्म दिया । भगवान के जन्म के समय माता एव पुत्र को कोई कष्ट नहीं हुआ । दोनों स्वस्थ, नो रोग एवं प्रसन्न थे ।

भगवान के जन्म से देव-देवियों के मन में होने वाले हर्ष का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं ।

पालो क
चोपडा हाडग
शीहरो बाजार, महावीर - 48589

मूलम्—जराणां राइं तिसला ख० समर्णं महावीरं ३०२००३

रोया अरोयं पसूया तराणां राइं भवणावइवाणमंतरजोइसिय
विमाणवासिदेवेहिं देवीहि य ओवयंतेहिं उप्पयंतेहि य एगे महं
दिव्वे देवुज्जोए देवसन्निवाए देवकहक्कहए उप्पिजलभूए
यावि होत्था ।

छाया—यस्यां रात्रौ त्रिशला क्षत्रियाणी श्रमणं भगवन्त महावीर
अरोग्या अरोग्य प्रसूता (सुषुवे) तस्यां रात्रौ भवनपतिवाणव्यन्तरज्योतिषिक
विमानवासिदेवैः देवीभिश्च अवपतद्भिः उत्पतद्भिश्च एको महान् दिव्यः
देवोद्योतः देवसन्निपातः देवकहकहकः उत्त्पिजलभूतश्चापि अभवत् ।

पदार्थ—जण्णं राइ—जिस रात्रि में । तिसलाखत्तियाणी—त्रिशला क्षत्रियाणी ने ।
समर्णं—श्रमण । भगवं—भगवान । महावीरं—महावीर को । अरोया अरोयं—सुखपूर्वक ।
पसूया—जन्म दिया । तण्ण राइं—उस रात्रि में । भवणवइवाणमंतरजोइसियदेमाणवामि
देवेहि—भवन पति, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक देवो तथा । देविहि य—देवियो के ।
ओवयतेहि—स्वर्ग से भूमि पर आने । य—और । उप्पयतेहि—मेरु पर्वत पर जाने से भूमि पर ।
एगे—एक । मह—महान । दिव्वे—प्रधान । देवुज्जोए—देव विमानो का उद्योत प्रकाश हुआ
और । देवसन्निवाए—देवो के एकत्र होने से । देवकहक्कहए—देवो द्वारा अवर्णनीय कोलाहल
करने से । उप्पिजलभूएयावि होत्था—वह रात्रि देवो के अट्टहास एवं उद्योत से युक्त
हो गई ।

मूलार्थ—जिस रात्रि मे रोगरहित त्रिशला क्षत्रियाणी ने रोग रहित
श्रमण भगवान महावीर को जन्म दिया उस रात्रि मे भवनपति, वाणव्यन्तर,
ज्योतिषी और वैमानिक देवो और देवियो के स्वर्ग से आने और मेरुपर्वत
पर जाने से एक महान तथा प्रधान देवोद्योत और देव सन्निपात के कारण

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि भगवान् के जन्म से भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक चारों जाति के देवों के मन में हर्ष एवं उल्लास छा गया और वे प्रसन्नता पूर्वक भगवान् का जन्मोत्सव मनाने को आने लगे । उन देव देवियों, के रत्न-जटित विमानों की ज्योति एव मधुर ध्वनि से वह रात्रि ज्योतिर्मय हो गई और चारों ओर मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी ।

देवों ने वहां आकर क्या किया इसका वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जराणां रयणिं तिसला खं० ममगां० पमूया तराणां
रयणिं बहवे देवा य देवीशो य एगं महं अमयवासं च १ गंध-
वासं च २, चुन्नवासं च ३ पुष्फवा० ४ हिरन्नवासं च ५ रयणा-
वासं च ६ वासिसु ।

छाया—यस्या रजन्यां त्रिशला क्षत्रियाणी श्रमणं भगवन्त महावीर
प्रसूता (प्रसतवती) तस्या रजन्या बहवो देवाश्च देव्यश्च एकं महद् अमृत-
वर्षं च, गन्धवर्षं च चूर्णवर्षं च, पुष्पवर्षं च, हिरण्य वर्षं च, रत्नवर्षं च
अथर्षयन् ।

पदार्थ—जणं रयणि—जिस रात्रि में । तिसला खं०—त्रिशला क्षत्रियों ने । समर्ण
भगव महावीर—श्रमण भगवान् महावीर को । पमूया—जन्म दिया । तण रयणि—उसी रात्रि
में । बहवे—बहुत से । देवा—देव । य—और । देवीशो—देवियों ने । एगं महं—एक बड़ी
भारी । अमयवासं च—अमृत वृष्टि की और । गंधवासं च—सुगन्धित द्रव्यों की । चुन्न वासं
च—सुगन्धित मय चूर्ण की । पुष्फवास च—पुष्पों की । हिरन्नवास च—तथा हिरण्य सोने-वादी
की और । रयणवास च—रत्नों की । वासिसु—वर्षा बरसाई ।

मूलार्थ—जिस रात्रि में त्रिशला क्षत्रियाणी ने श्रमण भगवान् महावीर
को जन्म दिया, उसी रात्रि में बहुत से देव और देवियों ने अमृत, सुगन्धित
पदार्थ, चूर्ण, पुष्प, चान्दी, स्वर्ण और रत्नों की बहुत भारी वर्षा को ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि भगवान महावीर के जन्म पर हर्षविभोर होकर देवो ने अमृत, सुवासित पदार्थ, पुष्प, चादी, स्वर्ण एवं रत्नों आदि की वर्षा की। उन्होंने उस क्षेत्र को सुवामित एवं रत्नमय बना दिया। महान् आत्माओं के प्रवृत्त पुण्य से यह सब सम्भव हो सकता है।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जराणं रयणि तिसला ख० समणं० पसूया तराणं
रयणि भवणवइवाणमंतरजोइसियविमाणवासिणो देवा य देवीओ
य समणस्स भगवओ महावीरस्स सूइकम्माइं तित्थयराभिसेयं
च करिसु ।

आया—यस्या रजन्यां त्रिशला क्षत्रियाणी श्रमण भगवन्तं महावीरं
प्रसूता (प्रसूतवती)तस्यां रजन्या भवनपति वाणव्यन्तर ज्योतिषिक विमानवा (सनो
देवाश्च देव्यश्च श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य शुचिकर्माणि तीर्थकराभिषेक
च ऋक षुः ।

पदार्थ—जणं रयणि—जिस रात्रि में। तिसला ख०—त्रिशला क्षत्रियाणी ने।
समणं भगव महावीरं—श्रमण भगवान महावीर को। पसूया—जन्म दिया। तणं रयणि—
उस रात्रि में। भवणवइवाणमंतरजोइसियविमाणवासिणो—भवन पति, वाणव्यन्तर, ज्यो-
तिषी और विमान वामी। देवा य—देव और। देवीओ य—देवियो ने। समणस्स भगवओ
महावीरस्स—श्रमण भगवान महावीर का। सूइकम्माइं—शुचिकर्म। च—और। तित्थयरा-
भिसेय—तीर्थकराभिषेक। करिसु—किया।

मूलार्थ—जिस रात्रि में त्रिशला क्षत्रियाणी ने श्रमण भगवान महावीर
को जन्म दिया, उसी रात्रि में भवन पति, वाणव्यन्तर ज्योतिषी और
वैमानिक देव और देवियों ने श्रमण भगवान महावीर का शुचि कर्म
और तीर्थकराभिषेक किया।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में भगवान के जन्मोत्सव का उल्लेख किया गया है । भगवान का जन्म होने पर ५६ दिशा कुमारियों ने भगवान का शुचि कर्म किया और ६४ इन्द्रों ने भगवान को मेरु पर्वत के पण्डक वन में ले जाकर उनका जन्म अभिषेक किया । इसका विस्तृत वर्णन जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में किया गया है^१ और उसी के आधार पर कल्पसूत्र में भी उल्लेख किया गया है । प्रस्तुत सूत्र में तो केवल प्रासंगिक संकेत रूप से उल्लेख किया गया है ।

कुछ प्रतियों में “सूइकम्माइ” के स्थान पर “कोतुगभूति कम्माइ” पाठ उपलब्ध होता है । जिसका अर्थ है—देव-देवियों ने विभिन्न मार्गालिक कार्य किए ।

भगवान के नाम संस्कार के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जत्रो णं पभिइ भगवं महावीरे तिसलाए ख०
कुञ्चिसि गब्भं आगए तत्रो णं पभिइ तं कुलं विपुलेणां हिर-
न्नेणां सुवन्नेणां धरोणां धन्नेणां माणिककेणां मुत्तिएणां संखसिलप्प-
वालेणां अईव २ परिवड्ढइ, तत्रो णं समणस्स भगवत्रो महा-
वीरस्स अम्मापियरो एयमट्ठं जाणित्ता निव्वत्तदसाहंसि

ॐ खिप्पामेव भो देवराणुप्पिया ! चुल्लहिमवताओ वासहरपव्वयाओ गोसीस चंदण कट्ठाइं साहरइ, तएणं ते अभिओगा देवा वाहिइयय मज्झवत्थव्वाहि चउहिं दिसा-कुमारी महत्तरिआहिं एव बुत्ता समाणा हट्ठतुट्ठा । जाव विणएणं वयण पडिच्छति २ ता खिप्पामेव चुल्ल हिमवताओ वासहरपव्वयाओ सरसाइं गोसीस चन्दण कट्ठाइं साहरन्ति, तएणं ताओ मज्झिमहमगवत्थव्वाओ चत्तारि दिसाकुमारीमहत्तरिआओ सरण करेति २ ता अरणि अडेति २ अरणि घडित्ता सरएण अरणि महिति २ ता अग्गि पाडेति २ ता अग्गि सधुक्खेति २ ता गोसीस चंदण कट्ठे पक्खिवति २ ता अग्गि उज्जालति २ ता समिहाकट्ठाइं पक्खिवति २ ता अग्गिहोमं करेति २ ता भूतिकम्मं करेति २ ता रक्खापोट्टलिय वंघन्ति बन्धेत्ता णाणा मणिरयणमत्ति चित्ते दुविहे पाहाणवट्टगोलए गहाय भगवओ तित्थयरस्स कण्णमूलंभि टिट्ठि-आवेति भगवओ भयवं पव्वयाओए २ ।

बुक्कंतंसि सुइभूयसि विपुलं असणपाणखाइमसाइमं उवक्ख-
डावित्ति २ ता मित्तनाइसयणसंबंधिवग्गं उवनिमंतंति मित्त०
उवनिमंतित्ता बहवे समणमाहणक्खिणवणीमगाहिं भिच्छुंडग
पंडरगाईण विच्छुड्ढंति विग्गोवित्ति विस्साणित्ति दायारेसु दाण
पज्जभाइंति विच्छुड्ढित्ता विग्गो० विस्साणित्ता दाया० पज्जभा-
इत्ता मित्तनाइ० भुंजावित्ति मित्त० भुंजावित्ता मित्त० वग्गेण
इममेयारूवं नामधिज्जं कारवित्ति—जओ ण पभिइ इमे कुमारे
त्ति० ख० कुच्छिसि गब्भे आहूए तओ णं पभिइ इमं कुलं विपुलेणं
हिरण्णेशं० संखसिलप्पवालेणं अतीव २ परिवड्ढइ, ता होउ
णं कुमारे वद्धमाणे ।

छाया—यतः प्रभृति भगवान् महावीरः त्रिशलायाः क्षत्रियाण्याः
कुक्षौ गर्भमागतः ततः प्रभृति तत् कुलं विपुलेन हिरण्येन सुवर्णेन
धनेन, धान्येन माणिक्येन मौक्तिकेन शखशिलाप्रवालेन अतीव २ परिवर्द्धते,
ततः श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य अम्बा पितरौ एतमर्थं ज्ञात्वा निर्वर्तित-
दशाहे व्युत्क्रान्ते शुचीभूते विपुल शनपानखादिमस्वादिममुपस्कारयति उप-
स्कार्यं मित्रज्ञातिस्वजनसम्बन्धिवर्गमुपनिमत्रयन्ति मित्रज्ञातिस्वजनसम्बन्धि-
वर्गमुपनिमत्रय बहून् श्रमणब्राह्मणकूपणव्रतपकान् भिक्षोडुगपंडरगादीन्
विच्छर्दयन्ति विगोपयन्ति विश्राणयन्ति, दातृषु दान परिभाजयन्ति, विच्छर्द्यं
विगोप्य विश्राण्य दातृषु परिभाज्य मित्रज्ञातिस्वजनसम्बन्धिवर्गं परिभोज-
यन्ति मित्रज्ञातिस्वजनसम्बन्धिवर्गं भोजयित्वा मित्रज्ञातिस्वजनसम्बन्धि
वर्गेण, इदमेतद्रूपं नामधेय कारयन्ति, यतः प्रभृति अयं कुमारः त्रिश-

लाया क्षत्रियाण्याः कुक्षौ गर्भे आहूतः ततः प्रभृति इदं कुलं त्रिपुलेन
हिरण्येन सुवर्णेन धनेन धान्येन माणिक्येन मौक्तिकेन शखशिलाप्रवालेन
अतीव २ परिवर्द्धते तावत् भवतु कुमारः वर्द्धमानः ।

पदार्थ- णं—वाक्यालकार में है । जश्रो पमिइ—जव से । समणे—श्रमण । भगव-
भगवान । महावीरे महावीर । तिसलाए—त्रिशला । खत्तियाणीए—क्षत्रियाणी की । कुच्छि-
सि—कुक्षि मे । गड्भ—गर्भ रूप मे । आगए—आए है । ण—वाक्यालकार में है । तत्रोपमिइ—
उसी दिन से लेकर । त कुल—वह ज्ञातवशीय कुल । विपुलेण—विशेष रूप से । हिरण्येण—
हिरण्य-चान्दी से । सुवण्णेणं—सुवर्ण से । धनेणं—धन से-रूप्यकादि से । धन्नेणं—शालि आदि
धान्य से । माणिक्येणं—माणिक्य से । मोत्तिएण—मोतियो से । सखसिलप्पवलेण—शख शिला
श्रीर प्रवाल से । अइव २—वहुत । परिवड्ढई—समृद्ध हो रहा है । णं—वाक्यालकार में है ।
तत्रो—तदनन्तर । समणस्स भगवश्रो महावीरस्स—श्रमण भगवान महावीर के । अम्मापियरो—
माता पिता ने । एयमट्ठं जाणित्ता—इस परमार्थ का जानकर । निव्वत्तदसाहसि—दश दिनों
के निर्वर्तित होने तथा । वुक्कतंसि—व्युत्क्रान्त हो जाने एव । सइभूर्यसि—शुद्ध होने पर ।
विपुल—बहुत । असणपाणखाइमसाइम—अशन, पान, खादिम और स्वादिम पदार्थ ।
उवक्खडाविति २ त्ता—तैयार करवा कर । मित्त—मित्र । नाइ—ज्ञाति । सयण—स्वजन ।
सबंघिवग्ग—सम्बन्धि वर्ग को । उवनिमतति—निमत्रिण करते हैं । उवनिमात्तत्ता—और
उन्हे निमत्रण करके फिर । वहवे—बहुत से । समणमाहणकिवणवणीमगाहि—शाक्यादि
श्रमण, ब्राह्मण, कृपण, भिक्षारी तथा । मिच्छुडग पंडरगाईण—भस्म आदि को शरीर में लगाकर
भिक्षा मागने वाले अन्य भिक्षुगणों को । विच्छड्ढंति—भोजन कराते हैं । विगोविति—विगोपन
करते हैं । विस्साणिति—विशेष रूप से आस्वादन करते हैं । दायारेसुदाणपज्जसाइति—
याचक जनो में बाटते हैं और सब को भोजन कराते हैं फिर । विच्छड्ढित्ता—
शाक्यादि को देकर । विगो०—विगोपन कर । विसाणित्ता—आस्वादन कर । दाया०
पज्जसाइत्ता—याचक जनो में बाट करके । मित्त नाइ०—मित्र ज्ञाति जनो को ।
भुजाविति—भोजन कर या । मित्त० भुजावित्ता—मित्रादि को भोजन करवा कर फिर ।
वग्गेण—वर्ग आदि के सम्मुख । इमेयारुबं—इस प्रकार । नामघिज्ज—नाम करण
कारविति—करते हैं । जश्रोणपमिइ—जिस दिन से लेकर । इमे कुमारे—यह कुमार । ति० ख०—
त्रिशला क्षत्रियाणी की । कुच्छिसि—कुक्षि मे । गड्भे—गर्भपने । आहूए—आया है ।
तत्रोण—तव से । पमिइ—लेकर । इमकुल—हमारा यह कुल । विपुलेणं—विपुल विस्तीर्ण
रूप से । हिरण्णेणं—हिरण्य-चान्दी । सुवण्णेणं—सुवर्ण । धनेण—धन । धन्नेण—धान्यादि
से तथा । माणिक्येणं—माणिक्य से । मुत्तएण—मोतियो से और । सखसिलप्पवालेणं—शख
शिला तथा प्रवाल-मूगा आदि से । अतीव २—अत्यन्त । परिवड्ढई—वृद्धि को प्राप्त हुआ

है । णं—वाक्यलंकार मे है । ता—अतः । कुमारे वद्धमाणे— इस कुमार का नाम वर्द्धमान हो अर्थात् मैं इस कुमार का वर्द्धमान नाम रखता हू ।

मूलार्थ—जिस रात को श्रमण भगवान महावीर त्रिशला क्षत्रियाणी की कुक्षे मे आए उसी समय से उम ज्ञातवशीय क्षत्रिय कुल मे हिरण्य-चादी, स्वर्ण, धन, धान्य, माणिक, मोती, शखशिला और प्रवालादि की अभिवृद्धि होने लगी । श्रमण भगवान महावीर के जन्म के ग्यारहवें दिन शुद्ध हो जाने पर उनके माता पिता ने विपुल अशन, पान, खादिम, और स्वादिम पदार्थ बनवाए और अपने मित्र, ज्ञाति, स्वजन और सम्बन्धि वर्ग को निमन्त्रित किया और बहुत मे शाक्यादि श्रमण, ब्राह्मण, कृपण, बनीपक तथा अ-य तापमादि भिक्षुगो को भोजनादि, पदार्थ दिए अपने मित्र, ज्ञाति, स्वजन और सम्बन्धि वर्ग को प्रेमपूर्वक भोजन कराया । भोजन आदि कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात् उनके सामने कुमार के नामकरण का प्रस्ताव रखते हुए सिद्धार्थ ने बताया कि यह बालक जिस दिन से त्रिशला देवी को कुक्षि मे गर्भ रूप से आया है तब से हमारे कुल मे हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, माणिक, मोती, शख, शिला और प्रवालादि पदार्थों की अत्यधिक वृद्धि हो रही है । अतः इस कुमार का गुण सम्पन्न 'वर्द्धमान' नाम रखते है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में भगवान महावीर के नामकरण का उल्लेख किया गया है । भगवान के जन्म के दस दिन के पश्चात् शुद्धि कमे क्रिया गया और अपने स्नेही-स्वजनों को बुलाकर उन्हें भोजन कराया और अनेक श्रमण-ब्राह्मणों एव भिक्षुओं को भी यथेष्ट भोजन दिया गया । उसके बाद सिद्धार्थ राजा ने सबको यह बताया कि इस बालक के गर्भ में आते ही हमारे कुल में धन-धान्य आदि की वृद्धि होती रही है । अतः इसका नाम 'वर्द्धमान' रखते हैं ।

प्रस्तुत सूत्र में केवल गुण सम्पन्न नाम देने का उल्लेख किया गया है । परन्तु नाम करण की परम्परा का अनुयोगद्वार सूत्र में विस्तार से विवेचन किया गया

लाया. क्षत्रियाण्याः कुक्षौ गर्भे आहूतः ततः प्रभृति इद कुलं विपुलेन
हिरण्येन सुवर्णेन धनेन धान्येन माणिक्येन मौक्तिकेन शखशिलाप्रवालेन
अतीव २ परिवर्द्धते तावत् भवतु कुमारः वर्द्धमानः ।

पदार्थं—णं—वाक्यालकार मे है । जश्रो पमिइ—जव से । समणे—श्रमण । भगव-
भगवान । महावीरे महावीर । तिसलाए—त्रिशला । क्षत्रियाणीए—क्षत्रियाणी की । कुच्छि-
सि—कुक्षि मे । गड्भ—गर्भ रूप मे । आगए—आए हैं । ण—वाक्यालकार मे है । तश्रोपमिइ—
उसी दिन से लेकर । त कुल—वह जातवंशीय कुल । विपुलेणं—विशेष रूप से । हिरण्येण-
हिरण्य-चान्दी से । सुवर्णेणं—सुवर्ण से । धनेणं—धन से-रूप्यकादि से । धन्नेणं—शालि आदि
धान्य से । माणिक्येणं—माणिक्य से । मोत्तिणं—मोतियो से । शखसिलप्वलेण—शख शिला
और प्रवाल से । अईव २—बहुत । परिवर्द्धते—समृद्ध हो रहा है । ण—वाक्यालकार मे है ।
तश्रो—तदनन्तर । समणस्स भगवश्रो महावीरस्स—श्रमण भगवान महावीर के । अम्मापियरो—
माता पिता ने । एयमट्ठं जाणित्ता—इस परमार्थ का जानकर । निव्वत्तदसाहसि—दश दिनों
के निर्वातित होने तथा । बुक्कतंसि—व्युत्क्रान्त हो जाने एव । सुइभूर्यसि—शुद्ध होने पर ।
विपुल—बहुत । असणपाणखाइमसाइम—अन्न, पान, खादिम और स्वादिम पदार्थ ।
उवक्खडाविति २ त्ता—तैयार करवा कर । मित्त—मित्र । नाइ—जाति । सयण—स्वजन ।
संबंधिवग्ग—सम्बन्धि वर्ग को । उवनिमतति—निमत्रिण करते है । उवनिमित्ता—और
उन्हे निमत्रण करके फिर । बहुवे—बहुत से । समणमाहणकिवणवणीमगाहि—शाक्यादि
श्रमण, ब्राह्मण, कृपण, भिखारी तथा । मिच्छुडग पंडरगाईण—भस्म आदि को शरीर मे लगाकर
भिक्षा मागने वाले अन्य भिक्षुगणो को । विच्छुडडति—भोजन कराते हैं । त्रिगोविति—विगोपन
करते हैं । विस्साणिति—विशेष रूप से आस्वादन करते है । दायारेसुदाणपज्जमाइति—
याचक जनो मे वाटते हैं और सब को भोजन कराते हैं फिर । विच्छुडडित्ता—
शाक्यादि को देकर । विग्गो—विगोपन कर । विसाणित्ता—आस्वादन कर । दाया०
पज्जमाइत्ता—याचक जनो मे वाट करके । मित्त नाइ०—मित्र ज्ञाति जनो को ।
भुजाविति—भोजन कर या । मित्त० भुंजावित्ता—मित्रादि को भोजन करवा कर फिर ।
वग्गेण—वर्ग आदि के सम्मुख । इमेयारूवं—इस प्रकार । नामधज्ज—नाम करण
कारविति—करते है । जश्रोपमिइ—जिस दिन से लेकर । इमे कुमारे—यह कुमार । ति० ख०—
त्रिशला क्षत्रियाणी की । कुच्छिसि—कुक्षि मे । गड्भे—गर्भपने । आहूए—आया है ।
तश्रोण—तब से । पमिइ—लेकर । इमकुल—हमारा यह कुल । विपुलेण—विपुल विस्तीर्ण
रूप से । हिरण्णेणं—हिरण्य-चान्दी । सुवर्णेणं—सुवर्ण । धनेण—धन । धन्नेण—धान्यादि
से तथा । माणिक्येणं—माणिक्य से । मुत्तेणं—मोतियो से और । शखसिलप्ववालेणं—शख
शिला तथा प्रवाल-मू गा आदि से । अतीव २—अत्यन्त । परिवर्द्धते—वृद्धि को प्राप्त हुआ

है। पं—वाक्यलंकार मे है। ता—ग्रनः। कुमारे वद्धमाणे— इस कुमार का नाम वद्धमान हो अर्थात् मैं इन कुमार का वद्धमान नाम रखता हूँ।

मूलार्थ—जिस रात को श्रमण भगवान महावीर त्रिशला क्षत्रियाणो की कुक्षि में आए उसी समय मे उन ज्ञातवशीय क्षत्रिय कुल मे हिरण्य-चांदी, स्वर्ण, धन, धान्य, माणिक, मोती, शखशिला और प्रवालादि की अभिवृद्धि होने लगी। श्रमण भगवान महावीर के जन्म के ग्यारहवें दिन शुद्ध हो जाने पर उनके माता पिता ने विपुल अशन, पान, खादिम, और स्वादिम पदार्थ बनवाए और अपने मित्र, ज्ञाति, स्वजन और सम्बन्धि वर्ग को निमंत्रित किया और बहुत मे शाक्यादि श्रमण, ब्राह्मण, कृपण, बनीपक तथा अ-य तापमादि भिक्षुओं को भोजनादि, पदार्थ दिए अपने मित्र, ज्ञाति, स्वजन और सम्बन्धि वर्ग को प्रेमपूर्वक भोजन कराया। भोजन आदि कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात् उनके सामने कुमार के नामकरण का प्रस्ताव रखते हुए सिद्धार्थ ने बताया कि यह बालक जिस दिन से त्रिशला देवी को कुक्षि में गर्भ रूप से आया है तब से हमारे कुल मे हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, माणिक, मोती, शख, शिला और प्रवालादि पदार्थों की अत्यधिक वृद्धि हो रही है। अतः इस कुमार का गुण सम्पन्न 'वद्धमान' नाम रखते है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में भगवान महावीर के नामकरण का उल्लेख किया गया है। भगवान के जन्म के दस दिन के पश्चात् शुद्धि कमे किया गया और अपने स्नेही-स्वजनों को बुलाकर उन्हें भोजन कराया और अनेक श्रमण-ब्राह्मणों एवं भिक्षुओं को भी यथेष्ट भोजन दिया गया। उसके बाद सिद्धार्थ राजा ने सबको यह बताया कि इस बालक के गर्भ मे आते ही हमारे कुल में धन-धान्य आदि की वृद्धि होती रही है। अतः इसका नाम 'वद्धमान' रखते है।

प्रस्तुत सूत्र में केवल गुण सम्पन्न नाम देने का उल्लेख किया गया है। परन्तु नाम करण की परम्परा का अनुयोगद्वार सूत्र में विस्तार से विवेचन किया गया

है । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि नाम संस्कार की परम्परा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है ।

भगवान् महावीर के माता पिता भगवान् पार्श्व नाथ के श्रावक थे । फिर भी उन्होंने अन्य मत के श्रमण भिक्षुओं आदि को बुलाकर दान दिया । इससे स्पष्ट होता है कि आगम में श्रावक के लिए अनुकम्पा दान आदि का निषेध नहीं किया गया है । गृहस्थ का द्वार बिना किसी भेद भाव के सब के लिए खुला रहता है । वह प्रत्येक प्राणी के प्रति दया एवं स्नेह भाव रखता है ।

इसी विषय को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तत्रो गां समणो भगवं महावीरे पंचधाइपरिवुडे
तं० १ क्षीरधाईए, २ मज्जणधाईए, ३ मंडणधाईए, ४ खेला—
वणधाईए, ५ अंकधाईए, अंकात्रो अंकं साहरिज्जमाणो रम्मे
मणिकुट्टिमतले गिरिकंदरसमल्लीणोविव चंपयपायवे अहा-
णुपुव्वीए संवड्ढइ, तत्रो गां समणो भगवं० विन्नायपरिणाय
(मित्ते) विणियत्त बाल भावे अप्पुस्सुयाइ उरालाइं माणुस्सगाइं
पंचलक्खणाइं कामभोगाइं सद्वपरिसरसरूवगन्धाइं परियारेमाणो
एवं च गां विहरेइ ॥१७६॥

छाया—ततः श्रमणो भगवान् महावीरः पंचधात्रीपरिवृत्त. तद्यथा
१ क्षीरधात्र्या, २ मज्जनधात्र्या, ४ मडन धात्र्या, ४ क्रीडन धात्र्या,
५ अंक धात्र्या, अंकाद् अंकं समाह्वियमाणः रम्ये मणिकुट्टिमतले
गिरिकन्दरसंलीन इव चम्पकपादपः यथानुपूर्व्यां सवर्धते । ततः श्रमणो
भगवान् महावीरः विज्ञातपरिणतः विनिवृत्तबालभावः अल्पौत्सुक्यान् नदो
रान् मानुष्यकान् पञ्चलक्षणान् कामभोगान् शब्दस्पर्शरसरूपगंधान् परि-
चरन् एवं च विहरति ।

पदार्थ—ण—वाक्यालंकार म है । तम्रो—तदनन्तर । समणे—श्रमण । भगव—
 भगवान । महावीरे—महावीर । पंचघाइपरिचुडे—पाच धाय माताओ स परिवृत्त हुए ।
 तजहा—जैसे कि । खीरधाईए—दूध पिलाने वाली धाय माता से । मज्जणधाईए—स्नान
 कराने वाली माता से । मडणधाईए—वस्त्र और अलंकार पहनाने वाली माता से । खेलावण-
 धाईए—क्रीडा कराने वाली माता से और । अकधाईए—गोद में खेलाने वाली माता से, इस
 प्रकार । अंकाओ अकं साहरिज्जमाणे—एक गोद से दूसरी गोद में महूत होत हुए । रम्भे—
 रमणीय । मणिकुट्टिमत्तले—मणिजाटित आगन में इस तरह वृद्धि को प्राप्त कर रहे है ।
 गिरिकवर समुत्तीणेविध—जैसे पर्वत की गुफा में उत्पन्न हुआ । चपय पायवे—चम्पक नाम
 का प्रधान वृक्ष विघ्न बाधाओ से रहित हो कर वृद्धि को प्राप्त होता है उसी प्रकार श्रमण भगवान
 महावीर भी । अहाणुपुव्वीए—यथानुक्रम । सवड्ढइ—निविघ्नतया वृद्धि को प्राप्त हो रहे
 है । णं—धाक्यालंकार में है । तम्रो—तदनन्तर । समणे भगव महावीरे—श्रमण भगवान महावीर ।
 विन्नापपरिणय—स्वयमेव विज्ञान को प्राप्त हुए । विणियत्तचालभावे—वात भाव को त्याग
 कर यौवन में पदार्पण करते हुए । अप्पुस्सुयाइ—उत्सुकता से रहित अर्थात् उदासीनता से ।
 उरालाइ—प्रधान । माणुस्सगाइ—मनुष्य सम्बन्धि । पचलखणाइ—पाच प्रकार के । सहफरि-
 सरसरूवमंघाइ—शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्ध से युक्त । कामभोगाइ—काम भोगों का ।
 परियारेमाणे—उपभोग करते हुए । एवं—इस प्रकार से । विहरइ—विहरण करते है । च—
 समुन्नय प्रथं में है । णं—धाक्यालंकार में है ।

मूलार्थ—जन्म के बाद भगवान महावीर का पाच धाय माताओ के
 द्वारा मालन-पालन होने लगा । दूध पिलाने वाली धाय माता, स्नान कराने
 वाली धाय माता, वस्त्रालंकार पहनाने वाली धाय माता, क्रीडा कराने वाली
 और गोद खिलाने वाली धाय माता, इन ५ धाय माताओ को गोद में तथा
 मणिमडित रमणीय आगन प्रदेश में खेलने लगे और पर्वत गुफा में स्थित
 चम्पक वेल की भान्ति विघ्न बाधाओ से रहित होकर यथाक्रम बढ़ने
 लगे । उसके पश्चात् ज्ञान-विज्ञान सपन्न भगवान महावीर बाल भाव
 को त्याग कर युवावस्था में प्रविष्ट हुए और मनुष्य सम्बन्धि उदार
 शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्धादि से युक्त पाच प्रकार के काम भोगों
 का उदासीन भाव से उपभोग करते हुए विचरने लगे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि भगवान सुख पूर्वक बढ़ने लगे। उनके लालन-पालन के लिए ५ धाय माताएं रखी हुई थीं। दूध मिलाने वाली, स्नान कराने वाली, वस्त्रालंकार पहनाने वाली, क्रीड़ा कराने वाली और गोद में खिलाने वाली, इन विभिन्न धाय माताओं की गोद में आमोद-प्रमोद से खेलने हुए भगवान ने बाल भाव का त्याग कर यौवन वय में कदम रखा। यौवन का नशा बड़ा विचित्र होता है। परन्तु भगवान ज्ञान-विज्ञान से सम्पन्न थे। अतः प्राप्त भोगों में भी वे आसक्त नहीं हुए। वे शब्द, रस स्पर्श आदि भोगों का उदासीन भाव से उपभोग करते थे। इस कारण वे सक्रिय कर्मों का बन्धन नहीं करते थे। क्योंकि भोगों के साथ जितनी अधिक आसक्ति होती है, कर्म बन्धन भी उतना ही प्रगाढ़ होता है। भगवान उदासीन भाव से रहते थे, अतः उन का कर्म बन्धन भी शिथिल ही होता था।

अब भगवान के गुण निष्पन्न नाम एवं उनके परिवार का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—समणो भगवं महावीरे कासवगुत्ते, तस्स ण इमे
तिन्नि नामधिज्जा एवमाहिज्जंति, तंजहा-अम्मापिउसंति बद्ध-
माणे (१) सहसमुइए समणे (२) भीमं भयभेरवं उरालं अचलयं
परीसहसहत्तिकट्टु देवेहिं से नामं कयं समणे भगवं महा-
वीरे (३) समणस्स णं भगवओ महावीरस्स पिया कासवगुत्तेण,
तस्स णं तिन्नि नाम० तं०-सिद्धत्थे इ वा, सिज्जंसे इ वा, जसं-
से इ वा, समणस्स णं अम्मा वासिट्ठस्सगुत्ता तीसे णं तिन्नि
ना० तं०-तिसला इ वा, विदेहदिन्ना इ वा पियकारिणी इ वा,
समणस्स णं भ० पित्तिअए सुपासे कासवगुत्तेणं, समण० जिट्ठे-
भाया नंदिवद्धणे कासवगुत्तेण, समणस्स णं जेट्ठा भइणा

सुदंमणा कामवगुत्तेणं, ममणस्म णं भग० भज्जा जमोया को-
डिन्नागुत्तेणं, समणस्म णं धूया कामवगोत्तेणं, तीसेणं दो
नामधिज्जा एवमा० —अणुज्जा इ वा, पियदंमणा इ वा,
ममणस्म णं भ० नत्तूई कोसियागुत्तेणं, तीसेणं दो नाम० तं०
सेसवई इ वा, जसवई इ वा ॥१७७॥

झाया—श्रमणो भगवान् महावीरः काश्यपगोत्रः तस्य इमानि त्रीणि
नामधेयानि एवमाख्यायन्ते, तद्यथा अम्वापितृमत्कं वद्धंमानः, सहसंमुदितः
श्रमणः । भीमं भयभैरवं उदारमचलं परीपहमह इतिकृत्वा देवैः तस्यनाम
कृत श्रमणो भगवान् महावीरः, श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य पिता काश्यप-
गोत्रः तस्य त्रीणि नामधेयानि एवमाख्यायन्ते तद्यथा—मिद्धार्थं इति वा
श्रेयाम इति वा यशस्वी इति वा, श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य अम्वा, वासिष्ठ
गोत्रा तस्याः त्रीणि नामधेयानि एवमाख्यायन्ते, त्रिशला इति वा, विदेहदत्ता
इति वा, प्रियकारिणी इति वा, श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य पितृव्यः,
सुपाईर्वं काश्यपगोत्रः, श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य ज्येष्ठो भ्राता नन्दि-
वद्धंनः काश्यपगोत्रः, श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य ज्येष्ठा भगिनी सुदर्शना
काश्यपगोत्रा । श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य भार्या यशोदा कौडिन्य-
गोत्रा । श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य दुहिता काश्यपगोत्रा, तस्याः द्वेनाम-
धेये, एवमाख्यायेते, तद्यथा अनोज्जा इति वा प्रियदर्शना इति वा । श्रमणस्य
भगवतो महावीरस्य दौहित्रो काश्यपगोत्रा तस्याः द्वे नामधेये एवमाख्यायेते
तद्यथा-शेषवती इति वा यशस्वती इति वा ।

पदायं—समणे भगवं महावीरे—श्रमण भगवान् महावीर । कासवगुत्ते—काश्यप
गोत्री । णं—वाक्यालकार मे है । तस्स—उसके । इमे—ये । तिन्नि—तीन । नामधिज्जा—
नाम । एवमाहिज्जति—इम प्रकार कहे जाते है । तंजहा—जैसे कि । अम्मापिउसति—माता
पता की ओर से दिया गया । वद्धमान—वद्धमान नाम था । सह संमुइए समणे—स्वाभाविक

गुण से उत्पन्न हुआ श्रमण अर्थात् सम भाव धारण करने से तथा अत्यन्त घोर तप करमे से श्रमण कहलाए एव । भीम—रीद्र । भयभेरव—अत्यन्त भय के उत्पन्न करने वाला । उराल—प्रधान । अचल—अचल । परीसहस्रहृतिकट्टु—परीषहो के सहन करने से । देवेहि—देवो ने । से—उनका—वर्द्धमान का । समणे भगव महावीरे—श्रमण भगवान् महावीर ऐसा । नामकय—नाम रखा । समणस्स भगवओ महावीरस्स—श्रमण भगवान् महावीर के । पिया—पिता । कासवगुत्तेण—काश्यप गोत्रीय थे । तस्स ण—उसके । तिन्नि—तीन । नाम०—नाम कहे गए हैं । त०—जैसे कि । सिद्धत्थे इ वा—सिद्धार्थ यह । सिज्ज से इ वा—श्रेयास यह । जसं से इ वा—और यशस्वी यह तीन नाम थे । समणस्स भगवओ महावीरस्स—श्रमण भगवान् महावीर की । अम्मा—माता । वासिट्ठस्सगुता—वासिष्ठ गौत्र वाली । तीसे णं—उसके । निन्नि नाम०—तीन नाम कहे गए हैं । तं०—जैसे कि । तिसला इ वा—त्रिशला इति । विदेहदिन्ना इ वा—विदेह दत्ता और । पियकारिणी इ वा—प्रियकारिणी इति । समणस्स भगवओ महावीरस्स—श्रमण भगवान् महावीर के । पित्तिए—पितृव्य—पिता के भाई । कासवगुत्तेण—काश्यप गोत्रीय का । सुपासे—सुपाश्वं नाम था । समणस्स भगवओ महावीरस्स—श्रमण भगवान् महावीर के । जिट्ठे माया—ज्येष्ठ भ्राता । कासव गुत्तेण—काश्यप गोत्रीय का । नंदिवद्धणे—नन्दी-वर्द्धन नाम था । समणस्स भगवओ महावीरस्स—श्रमण भगवान् की । जेट्ठामइणी—ज्येष्ठ वहन । कासव गुत्तेण—काश्यप गोत्रीय का । सुदसणा—सुदर्शना नाम था । समणस्स भगवओ महावीरस्स—श्रमण भगवान् महावीर की । मज्जा—भार्या । कोडिन्नागुत्तेण—कौडिन्य गोत्रीय का । जसोया—यशोदा नाम था । समणस्स भगवओ महावीरस्स—श्रमण भगवान् महावीर की । धूया—पुत्री । कासवगुत्तेण—काश्यप गोत्रीय थी । तीसेणं—उसके । दो नामधिज्जा—दो न म एवमाहिज्जाति—इस प्रकार कहे जाते हैं । अणुज्जा इ वा—अनोज्जा इति । पियदसणा इ वा—प्रियदर्शना इति अर्थात् अनोज्जा और प्रियदर्शना ये दो नाम थे । समणस्स भगवओ महावीरस्स—श्रमण भगवान् महावीर की । नत्तूए—दौहित्री । कोसियागुत्तेणं—कौशिक गोत्र वाली थी । तीसेण—उसके । दो नामधिज्जा एवमा०—दो नाम इस प्रकार कहे गए हैं । त०—जैसे कि । सेसवई इ वा—शेष वती इति और । जसवई इ वा—यशवती इति ।

मूलार्थ—काश्यपगोत्रीय श्रमण भगवान् महावीर के इस प्रकार से तीन नाम कहे गये हैं—माता पिता का दिया हुआ वर्द्धमान, स्वाभाविक समभाव होने से श्रमण और अत्यन्त भयोत्पादक परीषहो के समय अचल रहने एवं उन्हें समभाव पूर्वक सहन करने से देवों के द्वारा प्रणिष्ठित महावीर । श्रमण भगवान् महावीर के काश्यपगोत्रीय पिता के सिद्धार्थ,

श्रेयास और यशस्वी ये तीन नाम थे । श्रमण भगवान महावीर की वासिष्ठ गोत्र वाली माता के त्रिशला, विदेह दत्ता और प्रियकारिणी ये तीन नाम थे । श्रमण भगवान महावीर के पितृव्य—पिता के भाई का नाम मुपाश्व था, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के काश्यपगोत्री ज्येष्ठ भ्राता का नाम नन्दीवर्द्धन था । भगवान की ज्येष्ठ भगिनी का नाम सुदर्शना था । भगवान की भार्या-जो कि कौडिन्य गोत्रवाली थी-का नाम यशोदा था । भगवान को पुत्री के अनोजा और प्रियदर्शना ये दो नाम कहे जाते हैं तथा श्रमण भगवान महावीर की दौहित्री जिसका-कौशिक गोत्र था-के शेषवती और यशवती यह दो नाम थे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में भगवान के नाम एवं परिवार का परिचय दिया गया है । भगवान के वर्द्धमान, श्रमण और महावीर इन तीन नामों का उल्लेख किया गया है । वर्द्धमान नाम माता-पिता द्वारा दिया गया था । और दीक्षा ग्रहण करने के बाद भगवान की समभाव पूर्वक तपश्चर्या करने की प्रवृत्ति थी, उससे उन्हें श्रमण कहा गया और देवों द्वारा दिए गए घोर परीपहों में भी वे आत्म चिन्तन से विचलित नहीं हुए तथा उन्हें समभाव पूर्वक सहते रहे, इससे उन्हें महावीर कहा गया । आगमों एवं जन साधारण में उनका यही नाम अधिक प्रचलित रहा है । और आज भी वे महावीर के नाम से संसार में विख्यात हैं ।

भगवान महावीर के पिता के तीन नाम थे—सिद्धार्थ, श्रेयास और यशस्वी । उनकी माता के त्रिशला, विदेहदत्ता और प्रियकारिणी ये तीन नाम थे । उनके पिता के भाई का नाम मुपाश्व था और उनके बड़े भाई का नाम नन्दीवर्द्धन था । उनके सुदर्शना नाम की एक ज्येष्ठ बहन थी । उनकी पत्नी का नाम यशोदा था । उनकी पुत्री के अनोजा और प्रियदर्शना ये दो नाम थे, जिसका विवाह जमाली के साथ किया गया है । उनके एक दौहित्री भी थी, जिसके शेषवती और यशवती ये दो नाम थे । इस तरह से भगवान महावीर का विशाल परिवार था ।

अब उनके माता-पिता के सम्बन्ध में कुछ बातों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार लिखते हैं—

मूलम्—समणस्स णं ३ अम्मापियरो पासावच्चिज्जा समणां-
 वासगा यावि हुत्था, ते णं बहूइं वासाइ समणोवासगपरियागं
 पालइत्ता छएह जीवनिक्कायाणं सारक्खणनिमित्तं आलोइत्ता
 निदित्ता गरिहित्ता पडिक्कमित्ता अहारिहं उत्तरगुणपायच्छिताइं
 पडिवज्जित्ता कुससंथारगं दुरूहिता भत्तं पच्चक्खायंति २ अप-
 च्छिमाए मारणांतियाए संलेहणाए ज्झुसियसरीरा काल-
 मासे कालंकिच्चा तं सरीरं विप्पजहिता अच्चुए कप्पे देवत्ताए
 उववन्ना, तच्चो णं आउक्खएणां भव० ठि० चुए चइत्ता महाविदेहे
 वासे चरमेणं उस्मासेणं सिज्झिस्संति बुज्झिस्संति मुच्चिस्संति परि-
 निव्वाइस्संति सब्बदुक्खाणमंतं करिस्संति ॥१७८॥

छाया—श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य अम्बापितरौ पार्श्वपत्ये श्रमणो-
 पासकौ चापि अभूताम् । तौ बहूनि वर्षाणि श्रमणोपासक पर्याय पालयित्वा
 षण्णां जीवनिक्कायानां संरक्षणनिमित्तम् आलोच्य निन्दित्वा गहित्वा प्रतिक्रम्य
 यथार्हं उत्तरगुणप्रायश्चित्तानि प्रतिपद्य कुशसंस्तारक दुरूह्य भक्त प्रत्या-
 ख्यातः २ अपश्चिमया मारणन्तिकया संलेखनया ज्झोषितशरीरौ कालमासे काल
 कृत्वा तच्छरीरं विप्रजह्य अच्युते कल्पे देवतया उपपन्नौ, ततः आयुः क्षयेण
 भवक्षयेण स्थितिक्षयेण, च्युतौ त्यक्त्वा महाविदेहवर्षे चर्मेण उच्छ्वासेन सेत्स्यतः
 भोत्स्यतः मोक्षयतः परिनिर्वास्यतः सर्वदुखानामन्तं करिष्यतः ।

पदार्थ — समणस्स भगवओ महावीरस्स — श्रमण भगवान महावीर के । अम्मापियरो —
 माता पिता । पासावच्चिज्जा — भगवान पार्श्वनाथ के साधुओ के । समणोवासगा यावि हुत्था —

श्रमणोपासक थे । च - पुनर्गर्भक है । अवि - समुच्चयार्थक है । ण - वाक्यालंकार में है । ते -
 वे दोनों । वहडं - बहुत । वासाइ - वर्षों की । समणोवासक परियाग - श्रमणोपासक की पर्याय
 को - श्रावक धर्म को । पालइत्ता - पालकर । छण्हंजीवनिकायाण - छै प्रकार की जीविकाया-
 ममूह की । सारक्खणनिमित्त - रक्षा के निमित्त । आलोइत्ता - आलोचना कर के । निदिता -
 आत्मा की साक्षी से निन्दा कर के । गरहिता - गुरु आदि की साक्षी से गर्हणा कर के । पडिक्क-
 मित्ता - पाप कर्म से प्रतिक्रमण करके । अहारियं - यथा योग्य । उत्तरगुणपायच्छिताइं -
 उत्तर गुण सम्बन्धि प्रायश्चित्त को । पडिब्बज्जित्ता - ग्रहण करके । कुससंथारगं - कुशा के सस्तारक
 पर । दुक्खहिता - बैठकर । भत्तपच्चवखायति - भवत प्रत्याख्यान स्वीकार करते है । भवत्त
 प्रत्याख्यान के पश्चात् । अपच्छिमाए - अन्तिम । मारणंतियाए - मारणान्तिक । संलेहणाए -
 शरीर की सलेखना मे । ज्जुसिप्र सरीरा - शरीर को सुखा कर । कालमासे - काल
 के समय । कालं किच्चा - काल करके । त सरीरं - उस शरीर को । विपजहिता - त्याग
 कर । अच्चुए कप्पे - अच्युत नामा वारहवे देवलोक मे । देवत्ताए - देवपने । उववन्ना -
 उत्पन्न हुए । ण - वाक्यालंकार मे है । तत्रो - तदनन्तर । आउक्खएण - देवलोक की आयु का
 क्षय करके । भव० - देव भव का क्षय करके । ठि० - देव स्थिति का क्षय करके । चुए - वहा
 से च्यवे श्रीर । चइत्ता - च्यव कर-च्युत होकर । महविदेहावासे - महाविदेह क्षेत्र मे । चरमेणं -
 अन्तिम । उस्सासेण - श्वाभोच्छ्वास से । सिज्जिहस्सति - सिद्ध होंगे । बुज्जिहस्सति - बृद्ध होंगे ।
 मुच्चिहस्सति - कर्मों से मुक्त होंगे । परिनिव्वाहरसंति - निर्वाग को प्राप्त होंगे । सव्व दुक्खाण-
 मत करिस्सति - सर्व प्रकार के दुखों का अन्त करेंगे ।

मूलार्थ—श्रमण भगवान महावीर स्वामी के माता पिता भगवान
 पार्श्वनाथ के साधुओं के श्रमणोपासक-श्रावक थे । उन्होंने बहुत वर्षों तक
 श्रावक धर्म का पालन करके छै जीविकाया की रक्षा के निमित्त आलो-
 चना करके, आत्म-निन्दा और आत्मगर्हा करके पापों से प्रतिक्रमण कर
 के-पीछे हटकर के, मूल और उत्तर गुणों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त
 ग्रहण करके, कुशा के आमन पर बैठकर, भक्त प्रत्याख्यान नामक अनशन
 को स्वीकार किया । और अन्तिम मारणान्तिक शारीरिक सलेखना
 द्वारा शरीर को सुखाकर अपनी आयु पूरी करके उस औदारिक शरीर
 को छोड़ कर अच्युत नामक १२ व देवलोक मे देवपने उत्पन्न हुए ।
 तदनन्तर वहा से देव सम्बन्धि प्रायु, भव और स्थिति का क्षय करके

वहाँ से च्यवकर महाविदेह क्षेत्र में चर्म श्वासोच्छ्वास द्वारा सिद्ध-बुद्ध मुक्त एवं परिनिवृत्त होंगे और सर्वप्रकार के दुःखों का अन्त करेंगे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि भगवान् महावीर के माता-पिता जैन श्रावक थे, वे भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा के उपासक थे । इससे स्पष्ट होता है कि भगवान् महावीर के पूर्व भी जैन धर्म का अस्तित्व था । अतः भगवान् महावीर उसके संस्थापक नहीं, प्रत्युत जैन धर्म के प्रचारक थे, अनादि काल से प्रवहमान धार्मिक प्रवाह की प्रगति देने वाले थे । उनका कुल जैनधर्म से सस्कारित था । अतः भगवान् के माता-पिता के लिए 'पार्श्वपत्य' शब्द का प्रयोग किया गया है । 'अपत्य' शब्द शिष्य एवं सन्तान दोनों के लिए प्रयुक्त होता रहा है ।

महाराज सिद्धार्थ एवं महाराणी त्रिशला श्रावक धर्म का आराधन करते हुए अन्तिम समय में विधि पूर्वक आलोचना एवं अनशन ग्रहण करके १२ वें स्वर्ग में गए और वहाँ से महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर मोक्ष जाएंगे । इससे स्पष्ट है कि साधु एवं श्रावक दोनों मोक्ष मार्ग के पथिक हैं । चतुर्थ गुणस्थान का स्पर्श करने के बाद यह निश्चित हो जाता है कि वह आत्मा अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करेगा । यह ठीक है कि सम्यक्त्व एवं श्रावकत्व की साधना से ऊपर उठकर ही आत्मा निर्वाण पद को पा सकती है । श्रावक की साधना में मुक्ति प्राप्त नहीं होती । क्योंकि, उक्त साधना में आत्मा पचम गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ती और समस्त कर्म बन्धनों एवं कर्म-जन्य साधनों पे सर्वथा मुक्त होने के लिए १४वें गुणस्थान को स्पर्श करना आवश्यक है । और उस स्थान तक साधुत्व की साधना करके ही पहुँचा जा सकता है । अतः भगवान् के माता-पिता यहाँ के आयुष्य को पूरा करके १२ वें स्वर्ग में गए, वहाँ से महाविदेह क्षेत्र में मनुष्य भव करके दीक्षा ग्रहण करेंगे और श्रमणत्व की साधना करके समस्त कर्म बन्धनों को तोड़ कर सिद्ध-बुद्ध एवं मुक्त बनेंगे ।

कल्पसूत्र की सुबोधिका वृत्ति में लिखा है कि आवश्यक निर्युक्ति में बताया है कि भगवान् के माता-पिता चौथे स्वर्ग में गए और आचाराग में १२ वां स्वर्ग बताया गया है ❀ । यदि निर्युक्तिकार ने चौथे स्वर्ग का उल्लेख चतुर्थ जाति के (वैमानिक)

❀ अष्टाविंशति वर्षातिक्रमे भगवतो मातापिनरो आवश्यकामिप्रायेण तूर्यं स्वर्गं आचारागाभिप्रायेण तु अनशनेन अच्युत गतौ ।

—कल्पसूत्र सुबोधिका वृत्ति ।

देवों के रूप में किया है. तब तो आचारांग से विपरीत नहीं कहा जा सकता । क्योंकि १२ वां स्वर्ग वैमानिक देवों में ही समाविष्ट हो जाता है और यदि उनका अभिप्राय चौथे देवलोक से ही है तो वह मान्य नहीं हो सकता । क्योंकि आगम में स्पष्ट रूप से १२ वें स्वर्ग का उल्लेख किया गया है । अत आगम का कथन ही प्रामाणिक माना जा सकता है ।

अब भगवान के दीक्षा महोत्सव का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तेषां कालेण तेषां समेषां समणे भ० नाए नायपुत्ते
 नायकुलनिवृत्ते विदेहे विदेहदिन्ने विदेहजच्चे विदेहमूमाले तीसं
 चामाडं विदेहंमिच्छिकट्टु अगारमज्जे वसिता अम्मापिज्जहिं
 कालगएहिं देवलोगमणुपत्तेहिं, समत्तपइन्ने चिच्चा हिरण्णां
 चिच्चा सुवन्नं चिच्चा वलं चिच्चा वाहणां चिच्चा धणकणागरयणा-
 संतसारसावइज्जं विच्छड्डित्ता विग्गोवित्ता विस्साणित्ता दायारेसु
 दाणां दाइत्ता परिभाइत्ता संवच्छरं दलइत्ता जे से हेमताणां पढमे
 मासे पढमे पक्खे मग्गसिरवहुले तस्स णां मग्गसिरवहुलस्स
 दममीपक्खेणां, हत्थुत्तरा० जोग० अभिनिक्खमणाभिप्पाए यावि
 हुत्था ।

छाया—तस्मिन् काले तस्मिन् समये श्रमणो भगवान् महावीरः ज्ञान-
 ज्ञानपुत्रः ज्ञानकृत्निवृत्तः विदेह. विदेहदत्तः विदेहार्चः विदेहसुकुमालः
 त्रिशद् वर्षाणि विदेहे इति कृत्वा अगारमध्ये उपित्वा अम्बापित्रोः काल-
 गतयोः देवलोकमनुप्राप्तयो ममाप्तप्रतिज्ञः त्यक्त्वा हिरण्य त्यक्त्वा
 सुव्रणं, त्यक्त्वा वलं, त्यक्त्वा वाहनं, त्यक्त्वा धनकनकरत्नमत्तमागस्वा-
 पतेयं विच्छर्त्वा विगोप्य विश्र ण्य दानुषु दानं दत्त्वा पग्भिजाज्य मन्वत्सर दत्त्वा

यः स हेमन्ताना प्रथमो मासः प्रथमः पक्ष मार्गशीर्षवह्वलः तस्य मार्गशीर्ष-
बहुलस्य दशमीपक्षेण हस्तोत्तरानक्षत्रेण योगमुपागतेन अभिनिष्क्रमणाभिप्राय-
श्चापि अभवत् ।

पदार्थ—तेण कालेणं तेणं समएणं—उस काल और उस समय में । समणे भगव
महावीरे—श्रमण भगवान महावीर । नाए ज्ञात-प्रसिद्ध । नायपुत्ते—ज्ञात पुत्र । नाय कुल
निव्वते—ज्ञात कुल में चन्द्रमा के समान आल्हाद उत्पन्न करने वाले । विदेहे—वज्र नाराच-
सहनन तथा समचतुरस्र सस्थान के अति सुन्दर होने से विदेह-अर्थात् विशिष्ट देह-शरीर वाले ।
विदेहविन्ने—त्रिशला देवी के पुत्र होने से विदेह दिन्न अर्थात् भगवान को विदेह दिन्न
या विदेह दत्त कहते हैं । विदेहजच्चे—विदेहार्च—अर्थात् त्रिशला माता के शरीर से उत्पन्न
होने या कामदेव पर विजय प्राप्त करने से भगवान को विदेहार्च कहा गया है । विदेहसूमाले—
विदेहसुकुमाल अर्थात् गृहस्थावास में अतिमुकुमार होने से विदेह सुकुमाल भी कहते हैं ऐसे
भगवान । तीसं वासाइ—तीस वर्ष पर्यन्त । विदेहंसित्तिकट्टु—घर में इस प्रकार से किया ।
अगार मज्जे—घर के मध्य में । वसित्ता—निवास कर के । अम्मा पिऊहि—माता पिता के ।
कालगएहि—स्वर्गवास होने और । देवलोगमणुपत्तोहि—देवलोक को प्राप्त करने से । समत्त-
पइन्ने—भगवान की प्रतिज्ञा समाप्त होगई । भगवान ने गर्भ में यह प्रतिज्ञा की थी कि माता पिता
के रहते हुए मैं दीक्षा ग्रहण नहीं करूंगा । अतः अब इस प्रतिज्ञा के समाप्त होने पर । चिच्चा-
हिरन्न—भगवान हिरण्य को छोड़ कर । चिच्चा सुवण्णं—सुवर्ण को छोड़ कर । चिच्चा वल-
वल सेना को छोड़ कर । चिच्चा वाहण—वाहन को छोड़ कर अर्थात् पालकी आदि की सवारी
का त्याग कर के तथा । धणकणगरयणसत्तसारसावइज्ज—धन, कनक, रत्न आदि सार
भूत लक्ष्मी को । विच्छडिडत्ता—छोड़ कर । विगोवित्ता—धन को प्रकट कर तथा । विसा-
णित्ता—दान देकर । दाथारेसु बाणं दाइत्ता—याचको को देकर । परिभाइत्ता—ज्ञाति जनो में
बाट कर और । संबच्छरंदलइत्ता—साम्बत्सरिक दान देकर । जे—जो । से—वह । हेमताण-
हेमन्त ऋतु का । पढमे मासे—प्रथम मास । पढमे पक्खे—प्रथम पक्ष । मगसिर बहुले—मार्ग
शीर्ष कृष्ण पक्ष । तसण—उस । मगमिरवहुलस्स—मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष की । दसमीपक्खेण-
दशमी के दिन । हत्थुत्तरा०—उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के साथ । जोग०—चन्द्रमा का योग आने
पर । अभिनिक्खमणिप्पाए याविहुत्था—भगवान के मन में दीक्षा लेने का मकल्प उत्पन्न हुआ ।

मूलार्थ—उस काल और उस समय में श्रमण भगवान महावीर प्रसिद्ध
ज्ञान पुत्र, ज्ञात कुल में चन्द्रमा के समान, वज्रऋषभनाराच सहनन
के धारक, त्रिशला देवी के पुत्र, त्रिशला माता के अंगजात, घर में सुकु-
माल अवस्था में रहने वाले तीस वर्ष तक घर में निवास करके माता

कल्प सूत्र की वृत्ति में विस्तार से वर्णन किया गया है ।†

अब भगवान् द्वारा दिए गए सांवत्सरिक दान का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—सवच्छरेण होहिइ अभिनिक्रमणं तु जिणवरिंदस्स ।
तो अत्थसंपया णं, पवत्तई पुव्वसूराओ ।१।

एगा हिरण्ण कोडी, अट्ठेव अण्णुणागा सयसहस्सा ।
सूरोदयमाईयं दिज्जइ जा पायरासुत्ति ।२।

तिन्नेव य कोडिसया अट्ठासीइं च हुंति कोडीओ ।
असिइं च सयसहस्सा, एयं संवच्छरे दिन्नं ।३।

वेसमण्णकुंडधारी, देवा लोगंतिया महिड्डीया ।
बोहिति य तित्थयरं पन्नरसमुं कम्मभूमीसु ।४।

बंधंमि य कप्पंमी बोद्धवा कणहराइणो मज्झे ।
लोगंतिया विमाणा, अट्ठसु वत्था असंखिज्जा ।५।

† विच्छद्दइत्ता—विच्छर्द्य—विशेषेण त्यक्त्वा, पुन. किं कृत्वा ? विगोवइत्ता—विगोप्य—
तदेव गुप्तं सहानातिशयात् प्रकटीकृत्येति भावः, अथवा विगोप्य—कुत्सनीयमेतदस्थिरत्वादित्यु-
क्त्वा, पुनः किं कृत्वा ? दाण दायारेहिपरिभाइत्ता—दीयते इति दानं तत् दायाय-दानार्थं आच्छंति
आगच्छन्तीति दायारा-याचकास्तेभ्यः परिभाज्य विभागैर्दत्त्वा, यद्वा परिभाव्य—भ्रालोच्य, इदं
अमुकस्य देय, इदं अमुकस्यैव विचार्येत्यर्थं. पुनः किं कृत्वा ? दाण दाइयाणं परिभाइत्ता—दानं
दानं दायिका-गोत्रिकास्तेभ्यः परिभाज्य-विभागशो दत्त्वा इत्यर्थः ।

एए देवनिष्काया भगवंं वोहिति जिणवरं वीरं ।
सव्वजगज्जीवहियं अरिहं ! तित्थं पवत्तेहि ।६।

झाया—सम्बत्सरेण भविष्यति अभिनिष्क्रमण तु जिनवरेन्द्रस्य ।

नतः अर्थसम्पदा प्रवर्तते पूर्वं सूर्यात् ।१।

एकाहिरण्यकोटिः अष्टत्र अन्यूनकाः शतसहस्राः ।

सूर्योदयादादौ दीयते या प्रातराश इति ।२।

त्रीण्येव च कोटि शतानि, अष्टागोतिश्च भवन्ति कोटयः ।

अशीतिश्च अत सहस्राणि एतत् सम्बत्सरे दत्तम् ।३।

त्रैश्रमणकुण्डलधरा देवाः, लोकान्तिका महिंकाः ।

बोधयन्ति च तीर्थकर, पंचदशसु कर्मभूमिषु ।४।

त्राहो च कल्पे बोधव्याः कृष्णराजेः मध्ये ।

लोकान्तिका विमानाः अष्टसु विस्ताराः असखेयाः ।५।

एते देवनिष्कायाः भगवन्तं बोधयन्ति जिनवरं वीरम् ।

सर्वजगज्जीवहित, अहंन् ! तीर्थं प्रवर्तय ।६।

पदार्थ—अभिनिष्क्रमणतु—दाया लेने का समय । जिणवरिदस्स—जिनेन्द्र देव का ।
संबच्छरेण होहिइ—प्राज्ञ ने एक वर्ष पश्चान् होगा । तो—तत् पश्चात् । अत्य संपयानं—
अर्थ संपदा—धन सम्पत्ति का दान । पुव्वसूराओ पवत्तइ—अब पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता
है तब मैं आरम्भ होता है ।

मूलार्थ—श्री भगवान् बोध लेने से एक वर्ष पहले साम्बत्सरिक दान-
वर्षी दान देना आरम्भ कर देते हैं, और वे प्रतिदिन सूर्योदय से लेकर एक
पहर दिन चढ़ने तक दान देते हैं ।

पदार्थ—एकाहिरण्य कोटी—एक कोड़ मुद्रा और । अणूणमा—नमूण । अट्ठेव—
आठ ही । सयसहस्स—लाख अधिक मुद्रा का दान । सूर्योदयमाईर्यं—सूर्योदय में लेकर । जा—
जाओ । पायरासुति—एक प्रहर पर्यन्त । दिज्जइ—दिया जाता है ।

मूलार्थ—एक कोड़ आठ लाख मुद्रा का दान सूर्योदय से लेकर एक पहर पर्यन्त दिया जाता है ।

पदार्थ—तिन्नेव—तीन । य—पुनः । कोडिसया—मी कोड़ । च—और । अट्ठासीइं हुंति कोडीओ—अठासी ८८ कोड़ होते हैं । च—पुनः—फिर । असिइसयससहस्सा—अस्सी ८० लाख एव । संवच्छरेदिन्न—भगवान ने एक वर्ष में इतनी स्वर्ण मुद्रा दान में दी ।

मूलार्थ—भगवान ने एक वर्ष में ३८८ कोड़ ७० लाख मुद्राका दान दिया

पदार्थ—वैश्रमण कुण्डधारी देवा—कुण्डल धारण करने वाले वैश्रमण देव और । महिड्डिया—महा ऋद्धि वाले । लोमंतिया—लोकान्तिक देव । पन्नरस्सुकम्मभूमिसु—१५ कर्म भूमि में होने वाले । तित्थयर—तीर्थकर भगवान को । य—पुनः । बोहिति—प्रतिबोधित करते हैं ।

मूलार्थ—कुण्डल के धारक वैश्रमण देव और महाऋद्धि वाले लोकातिक देव १५ कर्म भूमि में होने वाले तीर्थकर भगवान को प्रतिबोधित करते हैं ।

पदार्थ—य—पुनः । वभमिकप्पमी—ब्रह्म कल्प में । कण्हराइणोमज्जे—कृष्ण राजि के मध्य में । अट्टसु—आठ प्रकार के । असिखिज्जा—असंख्यात । वत्था—विस्तार वाले । लोमंतिया विमाणा—लोकान्तिक देवों के विमानों को । बोधव्वा—जानना चाहिए ।

मूलार्थ—ब्रह्मकल्प में कृष्णराजि के मध्य में आठ प्रकार के लोका-न्तिक विमान असंख्यात विस्तार वाले जानने चाहिए ।

पदार्थ—एएदेव निकाया—यह सब देवों का समूह । भगवं—भगवान । जिनवर—जिनवर । वीरं—वीर को । बोहिति—बोध देते हैं । अरिहं—हे अर्हन् ! सबजगज्जीवहिध—सर्व जगत के जीवों को हितकारी । तित्थ—तीर्थ की । पवत्तेहि—प्रवृत्ति करो ? अर्थात् संसारवृत्ति समस्त जीवों के हित के लिए धर्म रूप तीर्थ की स्थापना करो ।

मूलार्थ—यह सब देवों का समूह जिनेश्वर भगवाने महावीर को बोध देने के लिए सविनय निवेदन करते हैं कि हे अर्हन् देव ! आप जगत् वासी जीवों के हितकारी तीर्थ-धर्म रूप तीर्थ की स्थापना करा ।

हिन्दी विवेचन

पहली तीन गाथाओं में यह बताया गया है कि भगवान एक वर्ष तक प्रति-दिन सूर्योदय से एक पहर तक एक करोड़, आठ लाख स्वर्ण मुद्रा का दान करते

हैं। उन्होंने एक वर्ष में ३८८८ क्रोड़ ८० लाख स्वर्ण मुद्रा का दान दिया था।

इसमें यह स्पष्ट होता है कि केवल साधु को दिया जाने वाला आहार-पानी चमत्-पात्र आदि का दान ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि अनुकम्पा दान भी अपना महत्व रखता है। यदि दीन दुःखी एवं अपादिज को दान देना पाप का एवं ससार बढ़ाने का कार्य होता, तो समार का त्याग करने वाले तीर्थंकर ऐसा क्यों करते। भगवान द्वारा दिया गया दान इस बात को स्पष्ट करता है कि अनुकम्पादान भी पुण्य दान्य एवं आत्म विकास का साधन है। इससे आत्मा की दया एवं अहिंसक भावना का विकास होता है और इस वृत्ति का विकास आत्मा के लिए अहितकर नहीं हो सकता। आगमों में भी अनेक स्थलों पर अनुकम्पा दान का उल्लेख मिलता है। तुंगिया नगरी के भ्रावकों की धर्म भावना एवं उदारता का उल्लेख करते हुए उनके लिए 'अभंगद्वारे' का विशेषण दिया गया है। अर्थात् उनके घर के दरवाजे अतिथियों के लिए सदा खुले रहते थे। इससे स्पष्ट होता है कि वे विना किन्ही सांप्रदायिक एवं जातीय भेद भाव के अपने द्वार पर आने वाले प्रत्येक याचक को यथःशक्ति दान देते थे। अतः तीर्थंकरों के द्वारा दिए जाने वाले दान को केवल प्रशंसा प्राप्त करने के लिए दिया जाने वाला दान कहना उचित प्रतीत नहीं होता। क्योंकि, महापुरुष कभी भी प्रशंसा के भूखे नहीं होते। वे जो कुछ भी करते हैं, दया एवं त्याग भाव से प्रेरित होकर ही करते हैं। अतः भगवान के दान ने उनकी उदारता, जगत्त्वसलता एवं अनुकम्पा दान के महत्व का उज्ज्वल आदर्श हमारे सामने उपस्थित होता है, जो प्रत्येक धर्म-निष्ठ सद्गृहस्थ के लिए अनुकरणीय है।

चौथी गाथा में दो बातों का उल्लेख किया गया है—१ भगवान एक वर्ष में जितना दान करते हैं, उस धन की व्यवस्था वैश्रमण देव करते हैं। उनके आदेश से उनकी आज्ञा में रहने वाले लोकपाल देव उनके कोष को भर देते हैं। यह परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। प्रत्येक तीर्थंकर के लिए ऐसा किया जाता है। २ प्रत्येक तीर्थंकर भगवान के हृदय में जब दीक्षा लेने की भावना पैदा होती है, तब लौकान्तिक देव अपनी परंपरा के अनुसार आकर उन्हें धर्म तीर्थ की स्थापना करने के लिए प्रार्थना करते हैं।

कुछ प्रतियों में 'विमण कुण्डवारी' के स्थान पर 'विमण कुण्डलवारी' पाठ भी उपलब्ध होता है।

पांचवीं गाथा में लौकान्तिक देवों के निवाम स्थान का उल्लेख किया गया है। अरुणोदयि समुद्र से उठकर तमस्काय ब्रह्म (५ वें) देवलोक तक गई है और उस

में नव तरह की कृष्ण राजिए हैं वे ही नव लौकान्तिक देवों के विमान माने गए ।
उन्हीं विमानों में लौकान्तिक देवों की उत्पत्ति होती है । ब्रह्म देवलोक के समीप होने
से उन्हें लौकान्तिक कहते हैं । कुछ आचार्यों का अभिमत है कि लोक ससार का अन्त
करने वाले अर्थात् एक भव करके मोक्ष जाने वाले होने के कारण इन्हें लौकान्तिक
कहते हैं^१ । ये नव प्रकार के होते हैं—१ सारश्वत, २ आदित्य, ३ वन्हय, ४ वरुण, ५
गर्दतोय, ६ त्रुटित, ७ अच्यवाध, ८ आग्नेय और ९ अरिष्ट ।

छठी गाथा में यह बताया गया है कि लौकान्तिक देव अपने आवश्यक
आचार का पालन करने के लिए तीर्थकर भगवान को तीर्थ की स्थापना करने की
प्रार्थना करते हैं । यह तो स्पष्ट है कि गृहस्थ अवस्था में भी भगवान तीन ज्ञान से युक्त
होते हैं और अपने दीक्षा काल को भली-भांति जानते हैं । अतः उन्हें सावधान करने
की आवश्यकता ही नहीं, है । फिर भी जो लौकान्तिक देव उन्हें प्रार्थना करते हैं,
वह केवल अपनी परम्परा का पालन करने के लिए ही ऐसा करते हैं ।

साधु साध्वी, श्रावक और श्राविका चारों को तीर्थ कहा गया है और इस चतुर्विध
संघ रूप तीर्थ की स्थापना करने के कारण ही भगवान को तीर्थकर कहते हैं^१ ।

इसके आगे का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं ।

मूलम्—तत्रो शां समणस्स भ० म० अभिनिक्खमणाभि-
प्पायं जाणित्ता भवणावइवा० जो० विमाणवासिणो देवा य
देवीत्रो य सएहिं २ रूवेहिं सएहिं २ नेवत्थेहिं सए० २ चिंधेहिं
सव्विद्धीए सव्वजुईए सव्वबलसमुदएणां सयाइं २ जाणवि-
माणाइं दुरूहंति सया० दुरूहित्ता अहावायराइं पुग्गलाइं

^१ लोकान्ते—ससारान्ते भवा लोकान्तिका एकावतारत्वात् ।

—कल्पसूत्र, सुबोधिका वृत्ति (उपा० विजय विजय जी)

‡ तित्थं भते ! तित्थे तित्थंकरे तित्थे ? गोयमा ! अरहा ताव नियमा तित्थगरेति । तित्थे
पुण चउवण्ण इण्णे समणसक्के, तजहा-समणा, समणीओ, सावगा, साविद्याओ ।

भगवती सूत्र २०, ८

परिसाडति २ अहासुहमाइं पुग्गलाइं परियाइंति २ उड्ढं
 उप्पयंति उड्ढं उप्पइत्ता ताए उक्कट्ठाए सिग्घाए चवलाए
 तुरियाए दिव्वाए देवगईए अहे णं ओवयमाणा २ तिरिएणां
 असंखिज्जाइं दीवममुद्दाइं वीइक्कममाणा २ जेणेव जंबुद्दीवे
 दीवे तेणेव उवागच्छंति २ जेणेव उत्तरखत्तियकुंडपुरसंनिवेशे तेणेव
 उवागच्छंति, उत्तरखत्तियकुंडपुरसंनिवेशस्स उत्तरपुरच्छिमे
 दिसीभाए तेणेव भूत्ति वेगेण ओवइया ।

छाया—ततः श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य अभिनिष्क्रमणाभिप्रायं ज्ञात्वा
 भवनपतित्राणवन्तरज्ज्योतिषिंवेमानवामिनो देवाश्च देव्यश्च स्वकैः २ रूपैः
 स्वकैः २ नेरथ्यैः स्वकैः २ चिन्हैः सर्वर्द्ध्या सर्वच्चुत्या सर्ववल्लसमुदयेन
 स्वकानि २ यानविमानानि आगेहन्ति स्वकानि यानविमानानि आरुह्य यथा-
 वादगन् (अमारान्) पुद्गलान् परिशातयन्ति परिशात्य यथासूचमान् पुद्ग-
 लान् पर्याददते पर्यादोय ऊर्ध्वम् उत्पतन्ति ऊर्ध्वम् उत्पत्य तथा उत्कृष्टया
 शीघ्रया चपलया त्वगितया दिव्यया देवगत्या अधः अवपतन्तः त्रियं अमखेयान्
 द्वाषममुद्दान् व्यतिक्रमन्तः २ यत्रैव जम्बुद्वीपो द्वीः तत्रैवोपागच्छन्ति,
 उषागत्य यत्रैव उत्तरक्षत्रियकुण्डपुरमन्निवेशः तत्रैव उपागच्छन्ति उत्तर-
 क्षत्रियकुण्डपुरमन्निवेशस्य उत्तरपौरस्त्यो दिग्भागः तत्रैव भूटिति वेगेन
 अवपतिताः ।

पदार्थ—णं—वाक्यालंकारार्थक है । तत्रो—तत् पश्चात् । समणस्व—श्रमण ।
 भगवओ—भगवान् । महावीरस्स—महावीर के । अनिनिस्समणामिप्पायं—दीक्षा लेने के
 अभिप्राय को । जाणितो—ज्ञानकर । भवणवइ—भवनपति । वा०—वाणव्यन्तर । जो०—
 ज्योतिषी । विमाणवा सणो—वैमानिक । देवा—देव । य—और । देवीओ—देविये । सएहि २—
 अपने २ । ल्वेहि—रूपो से । सएहि २—अपने २ । नेव्थेहि—वेको ने । सए० २ चिचेहि—

अपने २ चिन्हों से युक्त होकर तथा । सन्निवड्ढीए - सर्व ऋद्धि से । सर्वजुईए—सर्व ज्योतिष । सर्वबलसमुदण—सर्व बल समुदाय से । सयाइं २ जाण विमानाईं—अपने २ विमानों पर । डुरुहति—चढ़ते हैं । सया०—अपने २ विमानों पर । डुरुहिता—चढ़कर । अहावाय-राईं—यथा बादर अर्थात् स्थूल-निस्सार । पुग्गलाइ—पुद्गलो को । परिसाइति—गिरा कर । अहाहुमाइ—सूक्ष्म । पुग्गलाइ—पुद्गलो को । परियाइति २—ग्रहण करते हैं और उन्हे ग्रहण करके । उड्ड—ऊपर ऊंचे । उप्पयति—उत्तान करते हैं । उड्डउप्पइसा—ऊंचे उत्तान करके । ताए—उस । उक्कट्टाए—उत्कृष्ट । सिग्घाए—शीघ्र । चवलाए—चपल । तुरियाए—त्वरित । दिट्ठाए—दिव्य । देवगईए—देव गति से । अहेण—नीचे की ओर । ओवयमाणा २—उतरते हुए । तिरियेण—तिर्यक् लोक में स्थित । असखिज्जाइ—असंख्यात । दीवसमुदाईं—द्वीप समुद्रों को । बीइक्कममाणा—व्यतिक्रम करते हुए—उल्लघते हुए । जेणेव—जहा पर । जंबुद्वीवे दीवे—जम्बू द्वीप नामा द्वीप है । तेणेव—वहा पर । उवागच्छति—आते हैं, आकर । जेणेव—जहा पर । उत्तरखनियकुण्डपुरसन्निवेशे—उत्तर क्षत्रिय कुंड पुर सन्निवेश है । तेणेव—वहा । उवागच्छति—आते हैं फिर । उत्तरखतियकुण्डपुरसन्निवेशे—उत्तर क्षत्रिय कुंड पुर सन्निवेश के । उत्तरपुरत्थिमे विसीमाए—उत्तर पूर्व दिशा के मध्य भाग अर्थात् ईशान कोण में जो स्थान है । तेणेव—वहा पर । अतिवेणेण—बड़े तीव्र वेग से । ओवइया—उतरते है ।

मूलार्थ—तदनन्तर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के दीक्षा लेने के अभिप्राय को जानकर भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक देव और देविय अपने अपने रूप, वेष और चिन्हों से युक्त होकर तथा अपनी २ सर्वप्रकार की ऋद्धि, द्युति और बल समुदाय से युक्त होकर अपने २ विमानों पर चढ़ते है और उनमें चढ़कर बादर पुद्गलो को छोड़कर सूक्ष्म पुद्गलो को ग्रहण करके ऊंचे होकर उत्कृष्ट, शीघ्र, चपल, त्वरित और दिव्य प्रधान देवगति से नीचे उतरते हुए तिर्यक् लोक में स्थित असंख्यात द्वीप समुद्रों को उल्लघन करते हुए जहां पर जम्बूद्वीप नामक द्वीप है वहा पर आते हैं । जम्बूद्वीप में भी उत्तर क्षत्रिय कुण्डपुर सन्निवेश में आकर उसके ईशान कोण में जो स्थान है वहा पर बड़ी शीघ्रता से उतरते है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि भगवान के दीक्षामहोत्सव में सम्मिलित

सीसरत्तचंदणं अणुलिपइ २ ईसि निस्मामवायवोज्झं वरनयर-
 पट्टणुग्गयं कुमलनरपसंमियं अस्सत्तालापेलवं छेयारियक्काग-
 खइयंतकम्मं हंसलक्खणां पट्टजुयलं नियंसावेइ २ हारं अद्धहारं
 उरत्थं नेवत्थं एगावलि पालंबसुत्तं पट्टमउडरयणमालाउ आविं-
 धावेइ आविंधावित्ता गंधिमवेढिमपूरिमसंधाइमेणां मल्लेणां कप्प-
 रुक्खमिन्न समलंकरेइ २ ता दुच्चंपि महया वेउव्विथसमुग्घाणां
 समोहणाइ २ एगं महं चदप्पहं सिवियं सहस्सवाहणियं विउव्वत्ति,
 तंजहा-ईहा-मिग-उमभ-तुरग-नर-मकर-विहग-वानर कुंजर - रुरु-
 सरभ-चमर-सइलसीह-वणालय-भत्तिचित्तलय-विज्जाहर - मिहुणजुय-
 लजंतजोगजुत्तं अचीसहस्समालिणीयं सुनिरूवियं मिसिमिसित्त-
 रूवगसहस्स कलियं ईसिं भिसमाणां भिड्ढिसमाणां चक्खुल्लोयणा
 लेसं मुत्ताहलमुत्ताजालंतरोवियं तवणीयपवरलंबूसगपलंबतमुत्त-
 दामं होरद्धारभूणसमोणयं अहियपिच्छणिज्जं पउमलयभत्तिचित्तं
 अनोगवणभत्तिचित्तं कुंदलयभत्तिचित्तं नाणालयभत्ति० विरइयं
 सुभं चारुकंतरूवं नाणामणिपंचवन्नघंटापडायपडिमंडियग्ग-
 सिहर पासाईयं दरिसणिज्जं सुरूवं ।

छाया—ततः शक्रः देवेन्द्रः देवराजः शनै २ यान विमानं प्रस्थापयति
 शनैः २ यान विमान प्रस्थाप्य शनैः २ यानविमानतः प्रत्यवतरति २, शनैः
 २ एकातमपक्रामनि एकान्तमपक्रम्य महता वक्रियेण समुद्घातेन समव-

प्रासादीयां दर्शनीया सुरूपाम् ।

पदार्थ—ण—वाक्यालकारार्थक है । तश्री—तदनन्तर । सवके—शक्र । देविदे—
 देवेन्द्र । देवराया—देवराज । सणिय २—शनैः-शनै-धीरे धीरे । जाण विमाण—त्रिमाण ।
 पट्ठवेत्ति—स्थापित करता है फिर । सणियं २—धीरे धीरे । जाण विमाणं—विमान को ।
 पट्ठवेत्ता—चार अंगुल प्रमाण भूमि से ऊंचा स्थापित करके फिर । सणिय—शनैः २ ।
 जाणविमाणाश्री—विमान से । पच्चोरुहनि—नीचे उतरता है और वहा उतर कर । सणिय
 २—शनै २ । एगतभवक्कमइ—एकान्त मे अपक्रमण करता है । एगंतभवक्कमिता—एकान्त मे
 अपक्रमण करके । महया—महान् । वेउव्विएण—वैक्रिय । समुघाएणं—समुद्घात को ।
 समोहणइ—फोडता है अर्थात् वैक्रिय समुद्घात करता है और वैक्रिय समुद्घात कके ।
 एगं—एक । महं—महान-बडा । नानामणिकणगरयणमत्तिचित्त—नाना प्रकार के मणि, कनक,
 रत्नादि से चित्रित दीवार वाले । सुभं—शुभ । चारु—मनोहर । कतरुव्वं—कान्त रूप वाले ।
 देवच्छदयं—देवच्छन्दक को । विउव्वइ—वनाता है । तस्सण—उस । देवच्छंदयस्स - देवच्छदक
 के—चौतरे के । बहूमज्जभेसभाए—मध्यम देश भाग में अर्थात् मध्य में । एगमह—एक बडा
 भारी । सपायपीड—पाद पीठ से युक्त । नानामणिकणगरयणमत्तिचित्त—नाना विध
 मणि, स्वर्ण, रत्नादि से चित्रित भित्ति वाले । सुभं—शुभ । चारुकंतख्व—मनोहर कान्त स्वरूप ।
 सिंहासण विउव्वइ—सिंहासन को वनाता है उमे वनाकर । जेणेव—जहां पर । समणे भगव्वं
 महावीरे—श्रमण भगवान महावीर हैं । तेणेव—वहा पर । उव्वागच्छइ—घाता है और वहां
 आकर । समण भगव महावीर—श्रमण भगवान महावीर को । तिकखुत्तो—तीनवार । आदाहिण—
 प्रादक्षिण । पयाहिणं—प्रदक्षिणा । करेइ—करता है और प्रदक्षिणा करके । समण भगव
 महावीर—श्रमण भगवान महावीर को । वंदइ—वन्दना करता है । णमसइ—नमस्कार करता
 है फिर वन्दना नमस्कार करके । समण भगव्वं महावीरं—श्रमण भगवान महावीर को ।
 गहाय—लेकर । जेणेव—जहा पर । देवच्छदए—देवच्छंदक है । तेणेव—वहा पर । उवागच्छइ—
 आता है और वहा आकर । सणियं २ शनैः २ । पुरत्थाभिमुह—पूर्वाभिमुख-पूर्व दिशा को
 मुख करवा कर भगवान को । सीहासणे—सिंहासन पर । निसीयावेइ—बैठाता है फिर । सणियं
 सणिय—शनैः २ । निसीयावित्ता—उन्हे वहा बैठा कर । सयपागसहस्सपागेहि—शत और सहस्र
 औपधियो के योग से बने हुए शतपाक, सहस्रपाक नाम से प्रसिद्ध । तिल्लेहि—तैलो की ।
 प्रव्वभगेइ—मालिश करता है और मालिश करके । गधकासाईएहि—सुगन्धि युक्त द्रव्यो से ।
 उल्लोलेइ—उद्धर्तन करता है और उद्धर्तन करने के पश्चात् । सुद्धोदएण—शुद्ध-निर्मल जल से ।
 मज्जावेइ २—स्नान कराता है उन्हे स्नान कराकर फिर सुगन्ध युक्त वस्त्र से शरीर को पोछता
 है और शरीर पोछ कर । जस्स मूल्त्तं—जिसका मूल्य । णं—वाक्यालकार में है । सयसहस्सेणं

साहिष्णुं— एक लख सुवर्ण मूद्रा से भी अधिक है । तिपडोलतिलिष्णुं— इस प्रकार बहुमूल्य रूप सीतेण— अत्यन्त शीतल । गोमीसरत्तचदणं— गोशीर्षं रक्त चन्दन से । अणुलिपड— लेपन करता है गोशीर्षं चन्दन का लेपन करके । ईसि— थोडा । निस्सासवायवोज्झं— नाक की हवा से उडते दाले । वर नयरपट्टणुगय— विशिष्ट शहर मे निर्मित एव । कुसलनरपसंसियं— कुशल पुरुषो द्वारा प्रशमित । अम्सलालापेलव— अश्व की लाला के समान श्वेत और मनोहर । छेयारिय कणगखइयत कम्म— विद्वान् शिल्पाचार्यं द्वारा जिस वस्त्र के किनारे सुवर्ण की तारो से खचित हैं । हसलवखण— हसके समान श्वेत वर्ण वाला ऐसा । पट्टजुयल— वस्त्र युगल को । नियसावेइ— पहनाता है उमे पहनाकर । हार अट्टहारं— हार-अठाह लडी का, अट्टहार-नी लडी का । उरत्य— वक्षस्थल मे । नेवत्यं— सुन्दर वेप । एगवलि— एकावली हार । पालंवमुत्तं— प्रालम्बसूत्र अर्थात् लटकते हुए भुमके । पट्टमउडरयणमालाउ— कटि सूत्र, मूकुट, रत्न मालाए आदि । आर्विषावेइ— पहनाता है । अर्विष वित्ता— उन्हे पहना कर फिर । गथिमवेद्विमपुरिमसंघ इमेणं-अन्यित, वेष्टित, पूरिम, और संघानिम इन चार प्रकार के पुष्पो की । मल्लेणं— मालाओ से विभूषित । कप्पवक्षमिव— कल्पवृक्ष की भाति । अलंकरेइ २ ता— भगवान को अलंकृत करता है उन्हे अलंकृत करने के अनन्तर । दुच्चंपि— द्वितीय वार । महया— बहुत विस्तृत । वेउच्चिय समुघाएणं— वैक्रिय समुद्घात । समोहणइ— कर्ता है वह वैक्रिय समुद्घात करके । एगमहं— एक वडी । चंदप्पहं— चन्द्रप्रभा नाम की । सिवियं— शिविका । सहस्स वाहणियं— नहस्र वाहनिका अर्थात् हजार पुरुषो द्वारा उठाई जाने वाली पालकी को । विउच्चति— वैक्रिय समुद्घात से बनाता है जोकि विविध भाति के चित्रों से चित्रित की गई है । नं— जैसे कि । ईहा— वृक विशेष । मृग— हिरण । उसम— दृषभ-बैल । तूरग— अश्व-घोडा । नर— मनुष्य । मकर— मगर मच्छ । विहग— पक्षी । वानर— वन्दर । कुंजर— हाथी । रुह— मृग विशेष । सरम— शरभ-अष्टपाद जीव विशेष और । चमर— चमरी गाय । सहूल— शार्दूल । सीह— सिंघ-शेर । वणलय— वनलता । नत्तिचित्तलय— भक्ति चित्र लता— नाना प्रकार की वन लताओ से चित्रित, अर्थात् इन चित्रो से वह शिविका चित्रित हो रही है, इसी प्रकार । विञ्जाहर— विद्याधर तथा । मिहणजुयल— मियून युगल अर्थात् स्त्री पुरुष का जोडा । जंत— यत्र विशेष का चित्र । जोगजुत्त— योगयुक्त अर्थात् युगलो से युक्त । अच्चिसहस्समालिणीयं— सहस्र सूर्य की किरणो से युक्त । सुनिह्विय— भली प्रकार से निरूपण किया है । मिसिमिसित्तरुयगसहस्सकलिय— प्रदीप्त नहस्ररूपो से युक्त जो । ईसि— थोडा । मिसमाण— देदीप्यमान । निञ्जिसमाण— और अत्यन्त देदीप्यमान । चक्खुलोपणलेसं— चक्षुओ द्वारा जिसका तेज देखा नहीं जा सकता इस प्रकार की वह शिविका तथा । मुत्ताहल मूत्ताजालंतरोवियं— मुक्ताफल-मोती और मुक्ताजाल-मोतियो के जालो से युक्त तथा । तवणीयपवरलंबूसपलंबंतमुत्तदामं— सुवर्णमय पावडी युक्त चारो और सटकती हुई मोतियो की माला जिस मे दीवत रही हैं और । हारदहार नसणसमोणयं— हार, अट्टहार आदि नूपणो ने विनूपित । अहियपिच्छणिज्ज— अधिक प्रेक्षणीय

देखने योग्य । पद्मलयभस्त्रिचित्तं—पद्मलता की भाँति चित्रित । असोमवनभस्त्रिचित्तं—अशोक वन की भाँति चित्रित । कुदलयभस्त्रिचित्तं—कुलता की भाँति चित्रित । नाणालयभस्त्रिचित्तं—नाना प्रकार की पुष्पलताओं की भाँति चित्रित । विरड्य—विरचित । शुभ—शुभ । चारुकतरुर्वं—मनोहर कान्त रूप, तथा । नाणामणिपचवन्घटापडाय पंडिमडियगसिहरं—नाना प्रकार की पाचवर्ण वाली मणियों, घण्टा तथा पताकाओं से जिसका शिखर भाग मंडित हो रहा है अर्थात् पाच वर्ण की मणियों, घण्टियों और ध्वजा तथा पताकाओं से जिसका शिखर भाग सुशोभित हो रहा है इस प्रकार की । पासाड्य—प्रासादीय । दरिसणिज्ज—दर्शनीय । सुदं—वह शिविका सुन्दर एव सुरूप वाली है ।

मूलार्थ—तत् पश्चात् शक्र देवो का इन्द्र देवराज शनैः २ अपने विमान को स्थापित करता है, फिर शनैः २ विमान से नीचे उतरता है और एकान्त में जाकर वैक्रिय समुद्घात करता है । उससे नाना प्रकार की मणियों तथा कनक, रत्नादि से जटित एक बहुत बड़े कान्त मनोहर रूप वाले देवछन्दक का निर्माण करता है । उस देवछन्दक के मध्य भाग में नाना विध मणि, कनक, रत्नादि से खचित, शुभ, चारु और कान्तरूप एक विस्तृत पादपोठ युक्त सिंहासन का निर्माण किया । उसके पश्चात् जहाँ पर श्रमण भगवान महावीर थे वहाँ वह आया और आकर भगवान को वन्दन—नमस्कार किया और श्रमण भगवान महावीर को लेकर देवछन्दक के पास आया और धीरे २ भगवान को उस देवछन्दक में स्थित सिंहासन पर बैठाया और उनका मुख पूर्व दिशा की ओर रखा । शतपाक और सहस्र पाक तैलों से उनके शरीर की मालिश की और सुगन्धित द्रव्य से शरीर को उद्धर्तन करके शुद्ध निर्मल जल से भगवान को स्नान कराया, उसके बाद एक लाख की कीमत वाले विशिष्ट गोशीर्ष चन्दनादि का उनके शरीर पर अनुलेपन किया, उसके बाद भगवान को नासिका की वायु से हिलने वाले, तथा विशिष्ट नगरों में निर्मित, प्रनिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रशसित और कुशल कारीगरों के द्वारा स्वर्णतार से विभूषित, हंस के समान श्वेत, वस्त्र युगल को पहनाया । फिर हार, अर्द्धहार पहनाए तथा एकावली हार, लटकती हुई मालायें, कटि सूत्र, मुकुट और

रत्नों की मालाये पहनाई । तदनन्तर ग्रन्थिम, वेष्टिम, पुरिम और संघा-
तिम इन चार प्रकार की पुष्प मालाओं से कल्पवृक्ष की भान्ति भगवान
को अलकृत किया ।

इस प्रकार अलकृत करने के पश्चात् इन्द्र ने पुनः वैक्रियसमुद्-
घात किया और उसमे चन्द्रप्रभा नाम की एक विराट् सहस्र वाहिनो
शिविका (पालकी) का निर्माण किया । वह शिविका ईहामृग, वृषभ,
अश्व, मगरमच्छ, पक्षी, बन्दर, हाथी, रुह, शरभ, चमरी, शार्दूल और
सिंह आदि जोवो तथा वनलंताओ एवं अनेक विद्याधरो के युगल, यत्र योग
ग्रादि से चित्रित थी । सूर्य ज्याति के समान तेजवालो, तथारमणोय
जगमगाती हुई, हजारो चित्रों से युक्त और देदीप्यमान होने के कारण
मनुष्य उसको ओर देख नहीं सकता था, वह स्वर्णमय शिविका मोतियों
के हारों से सुशोभित थी । उस पर मोतियों की सुंदर मालाये भूल
रही थी तथा पद्मलता, अशोकलता, कुन्दलता एव नाना प्रकार के
अन्ध बन लताओ से चित्रित थी । पाच प्रकार के वर्णोंवाली मणियो,
घटियो और ध्वजा पताकाओ से उसका शिखर भाग सुशोभित हो रहा
था इसप्रकार वह शिविका दर्शनीय और परम सुन्दर थी ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र मे भगवान की दीक्षा के पूर्व शक्रेन्द्र द्वारा की गई प्रवृत्ति का दिग्-
दर्शन कराया गया है । शक्रेन्द्र ने उत्तर वैक्रिय करके एक देवछन्दक बनाया और उस
पर सिंहासन बनाकर भगवान को बैठाया और शतपाक एवं सहस्रपाक (सौ या हजार
विशिष्ट औषधियों एवं जड़ी-बूटियों से बनाया गया) तैल स भगवान के शरीर की
मालिश की, सुगन्धित द्रव्यों से उबटन किया और उसके बाद स्वच्छ, निर्मल एवं सुवासित
जल पे भगवान को स्नान कराया । उसके पश्चात् भगवान को बहुमूल्य एवं श्रेष्ठ श्वेत
वस्त्र युगल पहनाया। और विविध आभूषणों से विभूषित करके हजार व्यक्तियों

ॐ इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस युग में पुरुष सिलाई किया हुआ वस्त्र कम
पहनते थे । उपाशक दशाग मे श्रावको की वस्त्र मर्यादा में रखे गए वस्त्रों मे क्षेम युगल वस्त्र

द्वारा उठाई जाने वाली शक्रेन्द्र द्वारा बनाई गई विशाल शिविका (पालकी) पर भगवान को बैठाया । उस तरह शक्रेन्द्र ने अपनी भक्ति एवं श्रद्धा को अभिव्यक्त किया । इससे यह स्पष्ट होता है कि महान पुरुषों की सेवा के लिए मनुष्य तो क्या देव भी सदा उपस्थित रहते हैं ।

कुछ प्रतियों में 'मञ्जाबेइ' के पश्चात् 'गन्धकासाएहि गायाइ लहेइ लूहिता' पाठ भी उपलब्ध होता है और यह शुद्ध एवं प्रामाणिक प्रतीत होता है । इसी तरह 'मुल्ल सवमहस्सण तियडोल नित्तिएण' के स्थान पर 'पलसयसहस्सेणं तिक्खो लाभितएण' पाठ भी उपलब्ध होता है ।

इस विषय में कुछ और बातों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—सीया उवणीया जिणवरस्स, जरमरणविप्पमुक्कस्स ।

ओसत्तमल्लदामा, जलथलयदिव्वकुमुमेहिं । १।

सिबियाइ मज्झयारे दिव्वं वररयणारूवचिंचइयं ।

सीहासणं महरिहं सपायपीढं जिणवरस्स । २।

आलइयमालमउडो, भासुरबुंदी वराभरणधारी :

खोमियवत्थनियत्थो, जस्स य मुल्लं सयसहस्सं । ३।

छट्ठेण उ भत्तेणं अज्झवसाणेण सुंदरेण जिणो ।

लेसाहिं विसुज्झंतो आरुहइ उत्तमं सीयं । ४।

सीहासणे निविट्ठो सक्कीसाणा य दोहि पासेहिं ।

वीयंति चामराहिं, मणिरयणविचित्तदंडाहिं । ५।

का उल्लेख मिलता है एक वस्त्र पहनने के लिए और दूसरा चादर के रूप में ओढ़ने के लिए । अन्य मत के ग्रंथों में कृष्ण के लिए पीताम्बर का उल्लेख मिलता है । यह सूत्र उस युग की वस्त्र परम्परा पर प्रकाश डालता है ।

पुंविं उक्खिता, माणुसेहिं साहट्टु रोमकूवेहिं ।
 पच्छा वहंति देवा, सुरअसुरगरुलनागिंदा ।६।
 पुरओ सुरा वहंति अमुरा पुण दाहिणांमि पासंमि ।
 अवरं वहंति गरुला नागा पुण उत्तरे पासे ।७।
 वणासडं व कुसुमियं पउमसरो वा जहा सरयकाले ।
 सोहइ कुसुमभरेणां, इय गगणायलं सुरगणेहिं ।८।
 सिद्धत्थवणां व जहा कणायारवणां व चंपयवणां वा ।
 सोहइ कुसुमभरेणां इय गगणायलं सुरगणेहिं ।९।
 वरपडहभेरिज्झल्लरिसंखसयसहस्सिएहिं तूरेहिं ।
 गगणायले धरणियले तूरनिनाओ परमरम्मो ।१०।
 ततविततं धणज्झुसिरं आउज्जं चउव्विहं बहुविहीयं ।
 वाइति तत्थ देवा, बहूहिं आनट्टगसएहिं ।११।

छाया—शिविका उपनीता, जिनवरस्य जराभरणविप्रमुक्तस्य ।

अवसक्तमाल्यदामा, जलस्थलज्जदिव्यकुसुमैः ।१।

शिविकाया मध्यभागे, दिव्य वररत्नरूपप्रतिविम्बितं ।

सहामनं महार्हं मपादपीठं जिनवरस्य ।२।

अलंकृतमाज्जामुकुट भासुरशरीरो वराभरणधारी ।

परिहितचौमिकवस्त्र, यस्य च मूल्यं शतमहस्रम् ३।

षष्ठेन तु भक्तेन, अध्यवसानेन मुन्दरेण जिनः ।
 लेश्याभिः विशुद्धान्तः, आरोहति उत्तमा शिविकां ।४।
 सिंहासने निविष्टः शक्रेशानौ च द्वाभ्यां पार्श्वाम्ब्याम् ।
 वोजयत. चामरैः मणिरत्नविचित्रदण्डैः ।५।
 पूर्वम् उत्क्षिप्ता मानुषैः संहृष्टरोमकूपैः ।
 पश्चाद् वहन्ति देवाः, सुरासुरगरुडनागेन्द्राः ।६।
 पुगतः सुरा वहन्ति असुराः पुनः दक्षिणे पार्श्वे ।
 अपरे वहन्ति गरुडाः नागाः पुनरुत्तरे पार्श्वे ।७।
 वनषड् मिव कुसुमितं, पद्मसर इव यथा शरत्काले ।
 शोभते कुसुमभरेण, इति गगनतलं सुरगणैः ।८।
 सिद्धार्थवनमिव यथा, कर्णिकारवनमिव चम्पकवनमिव ।
 शोभते कुसुमभरेण, इति गगनतलं सुरगणैः ।९।
 वरपटहभेरिज्ज्वल्लरीशखशतसहस्रैः तूयः ।
 गगनतले धरणीतले, तूर्य निनाद परमरम्यः ।१०।
 ततविततं घनजम्भुपिरम्, आतोद्यं चतुर्विधं बहुविधं वा ।
 वाद्यन्ते तत्र देवाः, बहुभिः आनर्तक शतैः ।११।

पदार्थ—जिनवरस्स—जिनेश्वर की । जरमरणविष्पमुक्कस्स—जरा और मृत्यु से वि-
 मुक्ति के लिए । सीया—शिविका । उवणीया—लाई गई । जथलय दिठ्वकुसुमेहि—उसमे
 जल और स्थल में उत्पन्न होने वाले दिव्य पुष्पो के समान वैक्रियलब्धि से उत्पन्न किए गए ।
 पुष्पो से । ओसत्तमल्लदामा—गूथी हुई मालाये बान्धी गई । कहने का तात्पर्य यह है कि वैक्रि-
 यलब्धि जन्य पुष्पो की मालाओ से धह शिविका अलकृत हो रही है ।

सिंघियाड—शिविका के । मज्झयारे—मध्य भाग में । जिणवरस्स—जिने-
 श्वर का । दिव्वं—दिव्य तथा । वर रयण रूव चिच्चइयं श्रेष्ठ रत्नो से प्रतिविम्बित तथा । महरिह-
 वहुमूत्यवान् । सपायपीड—पाद पीठिका सहित । सीहासण—सिंहासन है । अर्थात् शिविका के
 मध्य भाग में भगवान के लिए एक दिव्य सिंहासन का निर्माण किया गया ।

आलयमालमउडो—मालाओ तथा मुकुट से अलंकृत होने से । भासुरबुंदी—जिनका शरीर देदीप्यमान हो रहा है । वराभरणधारी—उन्हो ने श्रेष्ठ आभूषणों को धारण कर रखा है । खोमियवत्थ नियत्थो—जो क्षौभिक—कपास से उत्पन्न हुए बस्त्र को पहने हुए है । य—और । जस्स—जिसका । मुल्लं—मूल्य । सयसहस्सं—एक लाख है ।

छट्ठेण भत्तेण—षष्ठ भक्त के साथ तथा । सुंदरेण—सुन्दर । अज्भवसा—णेण—अध्यवसाय और । लेसाहिं—लेश्याओं से युक्त । विसुज्जत्तो—विशुद्ध ऐसे । जिणो—जिनेन्द्र भगवान । उत्तमंसीय—उत्तम शिविका में । आरुहई—बैठते है—शिविका गत सिंहासन पर बैठते हैं ।

सीहासणे निविट्ठो—जब भगवान शिविका में रक्खे हुए सिंहासन पर विराजमान हो गए तब । य—पुनः । सक्कीसाणा—शक्रेन्द्र और ईशानेन्द्र । दोहिं पासेहिं—दोनों ओर । चमराहिं—चामरों को । वीयसि—ढुलाते हैं । भणिरयणविचित्तदडाहिं—चामरों के दण्ड माणरत्तादि से चित्रित है ।

साहट्दुरोमकूवेहिं—जिनके रोम कूप हृष वश विकसित हो रहे है ऐसे । माणुसेहिं—मनुष्यों ने । पुव्वि—प्रथम - उक्खित्ता—उस शिविका को उठाया और । पच्छा—पीछे । देवा—देव । सुर—वैमानिक देव । असुर—असुर कुमार देव । गरुल—गरुड़ कुमार देव । नागिंदा—नाग कुमारों के इन्द्र । वहति—उठाते हैं ।

चारो दिशाओ से जिसप्रकार देवों ने शिविका को उठाया है उसका वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते है—पुराओ—पूर्व दिशा में । सुरा—वैमानिक देव । वहति—उठाते हैं । पुण—फिर । असुरा दाहिणंमि पासंमि—दक्षिण दिशा की ओर से असुर कुमार देव उठाते हैं । अवरे—पश्चिम दिशा में । गरुला—सुवर्ण कुमार देव । वहति—वहन करते हैं । पुण—फिर । नागा उत्तरेपासे—उत्तर दिशा की ओर नाग कुमार देव वहन करते हैं ।

व—जैसे । कुसुमियं—विकसित हुआ । वणसंडं—वनषंड शोभता है । वा—या । जहा—जैसे । सरयकाले—शरत् काल मे । कुसुम भरेणं—विकसित पुष्प समूह से युक्त । पउमसरो—पद्म सरोवर । सोहइ—सुशोभित होता है । इय—इसी प्रकार । सुरगणेहिं—देवों के समूह से । गगणयलं—आकाश मंडल सुशोभित हो रहा है ।

व—अथवा । कुसुम भरेण—पुष्पो से समूह से । सिद्धत्थवणं—सरसों का वन । जहा—जैसे । कणियार वणं—कचनार अथवा कनेर का वन । वा—अथवा । चंपय वणं—चम्पक वन । सोहइ—सुशोभित होता है । इय—इसी प्रकार । गगणयल—आकाश मंडल ।

सुरगणेहिं—देवो के समूह से शोभा पा रहा है ।

वरपङ्कह—प्रधान पटह । भेरी—भेरी । उभल्लरी—भाज एक प्रकार का वाद्य-
न्तर। संख—शख । सयसहसोहिं—लाखों । तूरेहिं—वाद्यो—वाजन्तरो से । गणयले—आकाश
मडल तथा । घरणयले—अवनी तल । तूरिनाओ—वाद्य त्रों के शब्दो से । परमरम्मो ।
परमरमणीक हो रहा है ।

तत्थ—वहा पर । ततत्रितं—तत—वीणा आदि, वितत—मृदगादि वाद्य ।
घण—ताल आदि । ज्जुसिर—वश और शखादि । आउज्ज—वाद्यन्तर । चउव्विहं—चार प्रकार
के अथवा । बहुविहीय—बहुत प्रकार के वाद्यन्तर को । देव—देव । वायंति—बजाते हैं और ।
बहूहिं—वे विविध प्रकार के । आनट्टगसएहिं—नाटक करनेवालो के साथ है ।

मूलार्थ—जरा मरण से विप्रमुक्त जिनवर के लिए शिविका लाई
गई, जोकि जल और स्थल पर पैदा होने वाले श्रेष्ठ फूलो और वैक्रिय
लब्धि से निर्मित पुष्प मालाओ से अलंकृत थो ।

उस शिविका के मध्य में प्रधान रत्नो से अलंकृत यथा योग्य पाद
पोठिकादि से युक्त, जिनेन्द्र देव के लिए सिंहासन का निर्माण किया
गया था ।

जिनेन्द्र भगवान महावीर एक लाख रुपए की कीमत वाले क्षौम
युगल (कार्पास) के वस्त्र को धारण किए हुए थे और आभूषणो, मालाओ
तथा मुकुट से अलंकृत थे ।

उस समय प्रशस्त अर्घ्यवसाय एव लेख्याओं से युक्त भगवान षष्ट
भवन बेलो की तपश्चर्या ग्रहण करके उस शिविका-पालको मे बैठे ।

जब श्रमण भगवान महावीर शिविका पर आरूढ हुए तो शक्रेन्द्र
और ईशानेन्द्र शिविका के दोनो तरफ खड़े होकर मणियो से अटित डंडे
वाली चामरो को भगवान के ऊपर झुलाने लगे ।

सब से पहले मनुष्यो ने हर्ष एव उल्लास के साथ भगवान की शिविका
उठाई । उसके पश्चात् देव, सुर, असुर, गरुड़ और नागेन्द्र आदि देवो

ने उसे उठाया ।

शिविका को पूर्व दिशा से सुर-वैमानिक देव उठाते हैं, दक्षिण से असुर कुमार, पश्चिम से गरुड कुमार और उत्तर दिशा से नाग कुमार उठाते हैं ।

उस समय देवों के आगमन से आकाश मडल वैसा ही सुशोभित हो रहा था जैसे खिले हुए पुष्पों से युक्त उद्यान या शरद् ऋतु में कमलों से भरा हुआ पद्म सरोवर शोभित होता है ।

जिस प्रकार से सरसों, कचनार तथा चम्पक वन फूलों से सुहावना प्रतीत होता है, उसी तरह उस समय आकाश मडल देवों से सुशोभित हो रहा था ।

उस समय पटह, भेरी, भाङ्ग शख आदि श्रेष्ठ वाद्यों से गुंजायमान आकाश एवं भूभाग बड़ा ही मनोहर एवं रमणीय प्रतीत हो रहा था ।

उस समय देव तत, वितत, घन और भुषिर इत्यादि अनेक तरह के बाजे बजा रहे थे तथा विभिन्न प्रकार के नृत्य कर रहे थे एवं नाटक दिखा रहे थे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथाओं में यह अभिव्यक्त किया गया है कि भगवान् देव निर्मित सहस्र वाहिका शिविका में बैठे और देवों एवं मनुष्यों ने उस शिविका को उठाया । शक्रेन्द्र और ईशानेन्द्र उस शिविका के दोनों ओर खड़े थे और भगवान् के ऊपर रत्न एवं भण्डियों से विभूषित डंडों से युक्त चमर झुला रहे थे । उस समय देव एवं मनुष्य सभी के चेहरों पर उल्लास एवं हर्ष परिलक्षित हो रहा था और आज सब अपने आपको धन्य मान रहे थे ।

जिस समय भगवान् शिविका में बैठकर जा रहे थे, उस समय, देव, असुर, किन्नर, गन्धर्व आदि ऋषि हर्ष के साथ बाजे बजा रहे थे और विभिन्न प्रकार के नृत्य कर रहे थे । सारा वातावरण हर्ष एवं उल्लास से भरा हुआ था ।

इतने हर्ष एवं आनन्द के वानावरण में भी भगवान प्रशस्त अध्यवसायों के साथ शान्त बैठे हुए थे। उस समय भगवान ने षष्ठ भक्त-बेले का तप स्वीकार कर रखा था।

अब भगवान की दीक्षा से संबंधित विषय का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तेषां कालेषां तेषां समेषां जे से हेमंताणां पढमे
 मासे पढमे पक्षे मग्गसिरबहुले तस्स णां मग्गसिरबहुलस्स
 दसमीपक्षेणं सुव्रणं दिवसेणं विजएण मुहुत्तेणं हत्थुत्तरा-
 नंक्खत्तेणं जोगोवगएणं पाईणगामिणीए छायाए विइयाए पोरि-
 सीए छट्ठेणं भत्तेणं अपाणएणं एगसाडगमायाए चंदप्पभाए
 सिवियाए सहस्सवाहिणियाए सदेव मणुयासुराए परिसाए
 समणिज्जमाणो उत्तरखत्तियकुंडपुरसंनिवेशस्स मज्झमज्झेणं
 निगच्छइ २ जेणोव नायसंडे उज्जाणे तेषोव उवागच्छइ २
 ईसिं रयणिप्पमाणं अच्छोप्पेणं भूमिभाएणं सणियं २ चंदप्पभं
 सिवियं सहस्सवाहिणिं ठवेइ २ सणियं २ चंदप्पभाओ सीयाओ
 सहस्सवाहिणीओ पच्चोयरइ २ सणियं २ पुरत्थाभिमुहे सीहा-
 सणे निसीयइ आभरणालंकारं ओमुअइ, तओणं वेसमणे देवे
 जन्नुव्वायपडिओ भगवओ महावीरस्स हंसलक्खणेणं पडेणं
 आभरणालंकारं पडिच्छइ, तओणं समणे भगवं महावीरे दाहि-
 णेणं दाहिणं वामेणं वामं पंचमुट्ठियं लोयं करेइ, तओणं सक्के-

देविंदे देवराया समणस्म भगवत्रो महावीरस्म जन्नुवायपडियाए
वहरामएणां थालेणा केसाइं पडिच्छइ २ अणुजाणसि भंतेत्तिकट्टु
खीरोयसागरं साहरइ, तत्रो णं समणो जाव लोयं करित्ता
सिद्धाणां नमुवकारं करेइ २ सव्वं मे अकराणज्जं पावकम्मंति
कट्टु सामाइयं चरित्तं पडिवज्जइ २ देवपरिसं च मणुयपरिसं
च, आलिकखचित्तभूयमिव ठवेइ ।

छाया—तस्मिन् काले तस्मिन् समये यः स हेमन्तस्य प्रथमो—
मासः प्रथमः पक्षः मार्गशीर्षवहूलः तस्य मार्गशीर्षवहूलस्य दशमीपक्षे
सुव्रतेदिवसे विजयमुहुर्ते हस्तोत्तरानक्षत्रेण योगोपगते प्राचीनगा-
मिन्या छायाया द्वितीयायां पौरुष्यां षष्ठेन भक्तेन अपानकेन एकंशाटक-
मादाय चन्द्रप्रभाया शिविकाया सहस्रवाहिन्यां सदेवमनुजासुरया परिपदा
समन्वीयमानः उत्तरक्षत्रियकुण्डपुरमन्निवेशस्य मध्यनद्येन निर्गच्छति,
निर्गत्य च यत्रैव जातखण्डमुद्यान तत्रैव उपागच्छति उपागत्य ईपत् रत्नि-
प्रमाणम् अस्पर्शेन भूमिभागेन शनैः २ चन्द्रप्रभा शिविका सहस्रवाहिनी
स्थापयति स्थापयित्वा शनैः २ चन्द्रप्रभातः शिविकात सहस्रवाहिनिकातः
प्रत्यवतरति प्रत्यवतीर्य शनैः २ पर्वाभिमुखः मिहासने निपीदति, आभर-
णालंकारमवमुञ्चति, ततो वैश्रमणो देवः जानुपादपतितः भगवतो महावीरस्य
हस्तलक्षेण पटेन आभरणालकारान् प्रतीच्छति, ततः श्रमणो भगवान्
महावीरः दक्षिणेन दक्षिण वामेन वामं पञ्चमुष्टिकं लोचं कराति ततः
शतो देवेन्द्रो देवराज. श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य जानुपादपतितः
वज्रमयेन स्थानेन केशान् प्रतीच्छति प्रतीच्छ्य अनुजानीहि भदन्त इति
कृत्वा क्षीरोदकसागरे संहरते, ततः श्रमणो यावत् लोचं कृत्वा मिदंन्धः नम-

स्कार करोति, कृत्वा सर्वं मे अकरणीयं पाप कर्म, इति कृत्वा सामायिक-
चारित्र्य प्रतिपद्यते, प्रतिपद्य देवपरिषदं च मनुजपरिषदं च आलेख्यचित्र-
भूतमिवस्थापयति ।

पदार्थ—तेर्ण कालेण तेर्णं समएण—उस काल श्रीर उस समय में । जे से—
जो वह । हेर्मताण—हेमन्तऋतु का—शीतकाल का । पढ़मे मासे—प्रथम मास । पढ़मे पक्खे—
पहला पक्ष । भग्गसिर बहुले—मार्गशीर्ष का पहला पक्ष अर्थात् कृष्ण पक्ष का । ण—वाक्या-
लकारार्थक है । तस्स—उस । भग्गसिर बहुलस्स—मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष के । दसमी पक्खेण—
दशमी के दिन । सुव्वए ण—सुव्रत नाम वाले । दिवसेणं—दिन में । विजएण मुहुरोणं—
विजय मुहूर्त में तथा । हत्थुत्तरा नक्खत्तेणं—उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ । जोगोव्वगएण—
चन्द्रमा का योग आने पर । पाईण गामिणीए छायाए—पूर्व दिशा गामी छाया के होने पर ।
विइयाए पोरिसीए—द्वितीय पहर के बीत जाने पर । अपाणएण—निर्जल-बिना पानी के ।
छट्ठेणं मत्तेणं—षष्ठ भक्त दो उपवास से युक्त । एगसाङ्गमायाए—केवल एक देवदूष्य वस्त्र
को लेकर । चदप्पभायाए—चन्द्रप्रभा नामक । सिवियाए—शिविका जोकि । सहस्स वाहिणीयाए—
सहस्र पुरुषों से उठाई जा सकती है, उस में बैठकर । सदेवमणुयासुराए—देव मनुष्य और
असुर कुमारों की । परिसाए—परिषद् के साथ । समणिज्जमाणे—निकलते हुए । उत्तर
खत्तियकुडपुर संनिवेशस्स—उत्तर क्षत्रिय कुण्डपुर संनिवेश के । मज्झमज्जेण—मध्य २ में से
होकर । निगच्छइ २—निकलते हैं और वहा से निकल कर । जेणेव—जहाँ पर । नापसंडे
उज्जाणे—जात खण्ड नामक उद्यान था । तेणेव—वहा पर । उवागच्छइ २—आते हैं और
वहा आकर । ईसि—थोड़ी सी । रयणिप्पमाणं—हाथ प्रमाण । अच्छोप्पेणं—ऊंची । भूमि
भाएण—भूमि भाग से । सणियं २—शनैः २ । चदप्पभं—चन्द्रप्रभा नाम की । सिवियं—
शिविका । सहस्सवाहिणिं—सहस्र वाहिनी को । ठवेइ २—स्थापन करते हैं उसे स्थापन करने
के बाद फिर । सणिय २—शनैः २ । चदप्पभाओ—भगवान उस चन्द्रप्रभा । सीयाओ—
शिविका । सहस्सवाहिणिओ—सहस्र वाहिनी से । पच्चोरुहइ २—नीचे उतरते हैं और उस
से उतर कर फिर । सणिय २—शनैः २ । पुरत्थामिमुहे—पूर्वाभिमुख होकर । सीहासणे—
सिंहासन पर । निसीयइ २—बैठते हैं उस पर बैठने के अनन्तर । आभरणालकार—भगवान
आभरण और अलकारों को । ओमुअइ—उतारते हैं । ण—वाक्यालकारार्थक है । तओ—तत्
पश्चात् । वेत्तमणे देवे—वैश्रमण देव । जन्नुवाय पडिओ—भक्ति पूर्वक जानुको नीचे कर
विनय पूर्वक । भगवओ महावीरस्स—भगवान महावीर के । आभरणालंकार—आभरण और
अलकारों को । हसलक्खणेणं—हसलक्षण-हस के समान श्वेत उज्ज्वल हस चिन्ह युक्त ।
पडेणं—पट के द्वारा । पडिच्छइ—ग्रहणकरता है । तओणं—तदनन्तर । समणे—श्रमण ।

भगवं—भगवान् । महावीरे—महावीर । दाहिणेण—दक्षिण हाथ से । दाहिणं—दक्षिण दिशा के । वामेण—श्रीर वाम हाथ से । वामं—वाम दिशा के केशो का । पंचमुट्ठियं—पाच मौष्टिक । लोयं करेइ—लोच करते है । तओ—तदनन्तर । सक्के—शक । देविदे—देवेन्द्र । देवराया—देवराज । सभणस्स—श्रमण । भगवणो—भगवान् । महावीरस्स—महावीर के । जन्नुवाय पडियाए—जानु नीचे करके चरण कमलो मे पडकर अर्थात् विनय पूर्वक । वइरामए ण—वज्रमय । थालेण—थाल मे । केसाइं—भगवान् के केशो को । पडिच्छइ २—ग्रहण करता है, वह उन्हे ग्रहण करके कहता है । भंते—हे भगवन् ! अणुजाणेसि—आपकी आज्ञा हो तो में इन्हे ग्रहण करूं । त्तिकट्टु—ऐसा कहकर उन केशो को । खीरोय सागर—क्षीरोदधि समुद्र मे ले जाकर । साहरइ—पवाहित कर देता है । तओणं—तदनन्तर । समणे—श्रमण । जाव—यावत् । लोयकरित्ता—लोचकर अर्थात् केशो का लुंचन करके फिर । सिद्धाण—सिद्धो को । नमुक्कारं—नमस्कार । करेइ २—करते है उन्हे नमस्कार करके फिर । मे—मझे । सर्व्वं—सर्व प्रकार से । पावकम्मं—पाप कर्म । अकरणिज्जं—अकरणीय है । त्तिकट्टु—ऐसा कहकर भगवान् । सामाइयं चरित्तं—सामायिक चारित्र को । पडिवज्जइ—ग्रहण करते है और सामायिक चारित्र को ग्रहण करके फिर उस समय भगवान् ने । देवपरिसच्च—देव परिषद् और । मणुयपरिसच्च—मनुज परिषद् को । आलिक्खचित्तं भूयमिव—भीत पर लिखे हुए चित्र की भांति । ठवेइ—बना दिया अर्थात् भगवान् को दीक्षित होते देख कर देवो की और मनुष्यो की परिषदा भित्ति-चित्र की तरह चेष्टा रहित स्तब्ध सी हो गई ।

मूलार्थ—उस काल और उस समय मे जब हेमन्त ऋतु का प्रथम मास प्रथमपक्ष अर्थात् मार्गशीर्ष मास का कृष्ण पक्ष था, उसकी दशमी तिथि के सुव्रत दिवस विजय मुहूर्त मे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ चन्द्रमा का योग आने पर पूर्वगामिनी छाया और द्वितीय प्रहर के ज्योतने पर निर्जल-बिना पानी के दो उपवासों के साथ एक मात्र देवदूष्य वस्त्र को लेकर चन्द्रप्रभा नामकी सहस्र वाहिनी शिविका में बैठे । उसमे बैठकर वे देव मनुष्य तथा असुर कुमारों की परिषद् के साथ उत्तर क्षत्रिय कुण्डपुर सन्निवेश के मध्य २ में से होते हुए जहां ज्ञात खण्ड नामक उद्यान था वहा पर आते हैं । वहां आकर देव थोड़ी सी-हाथ प्रमाण ऊंची भूमि पर भगवान् की शिविका को ठहरा देते है । तब भगवान् उसमें से शनैः २ नीचे उतरते है और पूर्वाभिमुख होकर सिंहासन पर बैठ जाते

है। उसके पश्चात् भगवान् अपने आभरणालकारों को उतारते हैं। तब वैश्रमण देव भक्ति पूर्वक भगवान् के चरणों में बैठकर उनके आभरण और अलंकारों को हस के समान श्वेत वस्त्र में ग्रहण करता है। तत्पश्चात् भगवान् ने दाहिने हाथ से दक्षिण को ओर के केशों का और वाम कर से बायं पासे के केशों का पाच मुष्टिक लोच किया, तब देवराज शक्रेन्द्र श्रमण भगवान् महावीर के चरणों में पड़ कर घुटनों को नीचे टेक कर वज्र मय थाल में उन केशों को ग्रहण करता है और हे भगवन्! आपकी आज्ञा है, ऐसा कहकर उन केशों को क्षीरोदधि-क्षीर समुद्र में प्रवाहित कर देता है। इसके पश्चात् भगवान् सिद्धों को नमस्कार करके सर्वप्रकार के सावद्यकर्म का परित्याग करते हुए सामायिक चारित्र्य ग्रहण करते हैं। उस समय देव और मनुष्य दोनों भीत पर लिखे हुए चित्र की भाँति अवस्थित हो गए, अर्थात् चित्रवत् निश्चेष्ट हो गए।

हिन्दी विवेचन

अस्तुत सूत्र में भगवान् की दीक्षा के सम्बन्ध में वर्णन किया गया है। जब भगवान् की शिविका ज्ञात खण्ड बगोचे में पहुँची तो भगवान् उससे नीचे उतर गए और एक वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुह करके बैठ गए और क्रमशः अपने सभी वस्त्राभूषणों को उतार कर वैश्रमण देव को देने लगे। सभी आभूषणों को उतारने के पश्चात् मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी को तृतीय पहर के समय त्रिजय मुहूर्त में उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का चन्द्रमा के साथ योग होने पर भगवान् ने स्वयं पञ्च मुष्टि लुचन करके सिद्ध भगवान् को नमस्कार करते हुए सामायिक चारित्र्य ग्रहण किया। समस्त सावद्ययोगों का त्याग करके भगवान् ने साधना के पथ पर कदम रखा। उस समय भगवान् ने केवल देवदूष्य वस्त्र स्वीकार किया। भगवान् के केशों को शक्रेन्द्र ने ग्रहण किया और उन्हें क्षीरोदधि समुद्र में विसर्जित कर दिया।

इस पाठ से यह स्पष्ट होता है कि उस युग में भी दिवस, मुहूर्त एवं नक्षत्र आदि देखने की परम्परा थी। और पंच मुष्टि लोच एवं अलंकारों आदि के उतारने का उल्लेख करके भगवान् की सहिष्णुता, त्याग एवं तप भावना को दिखाया गया है।

कुछ प्रतियों में 'जन्नु वाय पडियाए' के स्थान पर 'भत्तुवाय पडियाए' पाठ

उपलब्ध होना है ।

भगवान की दीक्षा के समय वातावरण को शान्त बनाए रखने के लिए इन्द्र के द्वारा सभी वादियों को वन्द करने का आदेश देने का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—दिव्यो मणुस्मघोसो, तुरियनिनाथो य सक्कवयणोणं ।

खिप्पामेव नीलुक्को, जाहे पडिवज्जइ चरित्तं ।१।

पडिवज्जित्तु चरित्तं ग्रहोनिमं सव्वपाणभूयहियं ।

माहट्टु लोमपुलया मव्वे देवा निशामिति ।२।

आया—दिव्यो मनुष्यघोसः, तूर्यनिनादश्च शक्वचनेन ।

खिप्रमेव निर्लुप्तः यदा प्रतिपद्यते चरित्रम् ।१।

प्रतिपद्य चरित्रं ग्रहनिशं सर्वप्राणिभूतहितम् ।

संहृत्य रोमपुलकाः सर्वे देवा, निशामयन्ति ।२।

पदार्थ—जाहे—जब भगवान । चरित्तं—चारित्र्य को । पडिवज्जइ—ग्रहण करने लगे तो । दिव्यो—देवों के श्रेष्ठ शब्द तथा । मणुस्मघोसो—मनुष्यों के शब्द । य—और । तुरियनिनाथो—ब्राह्मणों के शब्द । सक्कवयणोणं—शक्रेन्द्र के वचन से । खिप्पामेव—जोत्र ही । नीलुक्को—वन्द कर दिये गए ।

चरित्तं—चारित्र्य को । पडिवज्जित्तु—ग्रहण करके । ग्रहोनिमं—रात दिन । सव्वपाणभूयहियं—भगवान ने सर्व प्राण, भूत, जीवों के हित के लिए चारित्र्य ग्रहण किया । माहट्टुलोमपुलया—जिनकी रोम राजी पुनक्ति हो रही है ऐसे । सव्वेदेवा—सभी देव । निशामिति—इसे सुनने हैं अर्थात् सहर्ष अव्यव करते हैं ।

मूलार्थ—जिस समय भगवान सामायिक चारित्र्य ग्रहण करने लगे, उस समय शक्रेन्द्र की आज्ञा से सभी वादियों आदि से होने वाले शब्द वन्द कर दिए गए ।

सामायिक चारित्र्य ग्रहण करके भगवान रात-दिन सब प्राणियों

के हित में संलग्न हुए अर्थात् वे सभी प्राणियों की रक्षा करने लगे । सभी देवों ने हर्षित भाव से यह सुना कि भगवान ने संयम स्वीकार कर लिया है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत उभय गाथाओं में यह अभिव्यक्त किया गया है कि जिस समय भगवान सामायिक चारित्र ग्रहण करने लगे उस समय शक्रेन्द्र ने सभी प्रकार के वादित्रों को बन्द करने का आदेश दिया और उसके आदेश से सभी देव एवं मानव शान्त चित्त से भगवान के चारित्र ग्रहण करने के उद्देश्य को सुनने लगे । इस में यह स्पष्ट बताया गया है कि चारित्र सर्व प्राणियों का हितकारक है, प्राणिमात्र के प्रति मैत्रीभाव को अभिव्यक्त करने तथा प्राणिमात्र की रक्षा करने के उद्देश्य से ही साधक साधना के या साधुत्व के पथ पर कदम रखता है ।

समस्त सावद्य योगों का त्याग करके संयम स्वीकार करते ही भगवान को चतुर्थ मनः पर्यव ज्ञान हो गया, इस का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं...

मूलम्—तत्रो णं समणस्स भगवओ महावीरस्स सामाइयं
खओवसमियं चरित्तं पडिवन्नस्स मणपज्जवणाणे नामं नाणे
समुप्पन्ने अड्ढाइज्जेहिं दीवेहिं दोहि य समुद्देहिं सन्नीणं पंचि-
दियाणं पज्जत्ताणं वियत्तमणसाणं मणोगयाइं भावाइं जाणेइ ।

छात्रा—ततः श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य सामायिकं क्षायोपशमिकं
चरित्रं प्रतिषन्नस्य मनःपर्यवज्ञानं नाम ज्ञानं समुत्पन्नं, अर्द्धतृतीये द्वीपे
द्वयोः च समुद्रयोः संज्ञिनां पञ्चेन्द्रियाणां पर्याप्तानां व्यक्तमनसां मनो-
गतान् भावान् जानाति ।

पदार्थ—णं—प्राग्वत् । तत्रो—तत् पश्चात् । समणस्स—श्रमण । भगवओ—भगवान् ।
महावीरस्स—महावीर को । सामाइयं—सामायिक । खओवसमियं—क्षायोपशमिक । चरित्तं-
चारित्र । पडिवन्नस्स—ग्रहण करते ही । मणपज्जव नाण—मन. पर्याय ज्ञान । नाम—
नाम का । नाणे—ज्ञान । समुप्पन्ने—उत्पन्न हुआ, उस ज्ञान से भगवान् । अड्ढाइज्जेहिं—

अटाई । चीवेहि—द्वीपो मे । य—और । दोहिसमुद्रेहि—दो समुद्रो मे । सन्निणं—मनयुक्त ।
पञ्जत्ताणं—पर्याप्त । पंचिन्द्रियार्णं—पञ्चेन्द्रिय । वियन्तमणसाण—व्यक्त मन वालो के ।
मणोगदाइ—मनोगत । भावाइं—भावो को । जाणेइ—जानते हैं ।

मूलार्थ—क्षायोपशमिक सामायिक चारित्र ग्रहण करते ही श्रमण भगवान महावीर को मनः पर्याय ज्ञान उत्पन्न हुआ । जिसके द्वारा वे अटाई द्वीप, दो समुद्रो मे स्थित संज्ञीपर्याप्त पञ्चेन्द्रिय जीवों के मनोगत भावों को स्पष्ट जानने लगे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में मनः पर्याय ज्ञान का वर्णन किया गया है । इस ज्ञान से व्यक्ति अटाई द्वीप और दो समुद्रों में स्थित पर्याप्त सन्ती पञ्चेन्द्रिय जीवों के मनोगत भावों को जान सकता है जिस समय भगवान ने सामायिक चारित्र स्वीकार किया उसी समय उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हो गया और वे मन वाले प्राणियों के मानसिक भावों को देखने जानने लगे ।

इस से यह स्पष्ट हो गया कि मनः पर्याय ज्ञान क्षेत्र एव विषय की दृष्टि से ससीम है और इससे उन्हीं प्राणियों के मानसिक भावों को जाना जा सकता है, जिन के मन है । क्योंकि मन वाले प्राणी ही स्पष्ट रूप से मानसिक चिन्तन कर सकते हैं । अतः उनके चिन्तन से मनोवर्गणा के पुद्गलों के बनते हुए आकारों के द्वारा उनके चिन्तन का, उनके मानसिक विचारों का स्पष्ट परिचय मिल जाता है ।

इस में दूसरी बात यह बताई गई है कि सामायिक चारित्र की प्राप्ति क्षायोपशम भाव में हुई है । इससे स्पष्ट होता है कि आध्यात्मिक साधना का ग्रहण क्षायोपशमिक भाव में ही किया जा सकता है, औदयिक भाव में नहीं । क्योंकि सम्यग्ज्ञान पूर्वक की गई आध्यात्मिक क्रियाएं ही सम्यग् होती हैं और सम्यग्ज्ञान क्षायोपशम भाव में ही प्राप्त होता है । अतः सामायिक चारित्र को क्षायोपशमिक भाव में माना गया है ।

भगवान ने दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात् जो अभिग्रह ग्रहण किया, उसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम—तत्रो गां समणे भगवं महावीरे पञ्चइए समाणे-
मित्तनाइं सयणसंबंधिवग्गं पडिविसज्जेइ, २ इमं एयारूवं

अभिग्रहं अभिगिराहइ-वारस वासाइं वोसट्टकाए चियत्तदेहे
जे केइ उवसग्गा समुपज्जंति तंजहा—दिव्वा वा माणुस्सा वा
तेरिच्छिया वा, ते सब्बे उवसग्गे समुप्पन्ने समाणे सम्मं सहिस्सामि
खमिस्सामि अहियासइस्सामि ।

छाया—ततः श्रमणो भगवान् महावीर प्रव्रजितः सन् मित्रज्ञाति-
स्वजनसम्बन्धिवर्गं , प्रतिविसर्जयति प्रतिविसर्ज्य इमं एतद्रूपं अभिग्रह
अभिगृह्णाति, द्वादश वर्षाणि व्युत्सृष्टकायः त्यक्तदेह- ये केचिद् उपसर्गा-
समुत्पद्यन्ते, तद्यथा—दिव्याः वा मानुष्या वा तैरिश्चिका वा नान् मर्वाण् उपसर्गान्
समुत्पन्नान् सतः सम्यक् सहिष्ये क्षमिष्ये अधिसहिष्ये ।

पदार्थ—णं—वाक्यालकार में है । तत्रो—तदनन्तर । समणे—श्रमण । भगवं—
भगवान् । महावीरे—महावीर । पव्वइए समाणे—प्रव्रजित-दीक्षित होने पर । मित्तनाइ—
मित्र ज्ञाति और । सयण संबंधि वर्गं—स्वजन सम्बन्ध वर्ग को । पड्डिविसज्जेइ—विसर्जित
करके । इम—यह । एयारुवं—एतादृश इस प्रकार के । अभिग्रह—अभिग्रह-प्रतिज्ञा विशेष को ।
अभिगिण्हइ—ग्रहण करते हैं । वारस वासाइं—बारह वर्ष पर्यन्त । वोसट्टकाए काया शरीर
का व्युत्सर्ग तथा । चियत्त देहे—शरीर गत ममत्व को छोड़ते हुए । जे केइ—जो कोई भी ।
उवसग्गा—उपसर्ग । समुप्पज्जति—उत्पन्न होगा । तंजहा—जैसे कि । दिव्वा वा—देवसम्बन्धि ।
माणुस्सा वा—अथवा मनुष्य सम्बन्धि । तेरिच्छिया वा—अथवा तिर्यच सम्बन्धि । ते सब्बे—
उन सभी । उवसग्गे—उपसर्गों के । समुप्पन्ने समाणे—उत्पन्न होने पर उन सब को । सम्मं—
सम्यक् प्रकार से । सहिस्सामि—सहन करूंगा । खमिस्सामि—क्षमा करूंगा । अहियासइस्सामि—
खेदरहित हो कर सहन करूंगा ।

मूलार्थ—श्रमण भगवान् महावीर ने प्रव्रजित होने के पश्चात् अपने
मित्र ज्ञाति और स्वजन सम्बन्धि वर्ग को विसर्जित किया और उन सब
के चले जाने के याद भगवान् ने इस प्रकार का अभिग्रह प्रतिज्ञा धारण
किया कि मैं आज से लेकर बारह वर्ष तक अपने शरीर पर ममत्व नहीं
रखूंगा और देव, मनुष्य और तिर्यच सम्बन्धि जो भी उपसर्ग उत्पन्न

होंगे, उन सभी उपसर्गों को समभाव पूर्वक सहन करूंगा, सदा क्षमा भाव रखूंगा, और स्थिरता पूर्वक उन कष्टों पर विजय प्राप्त करूंगा अर्थात् उनके सहन करने में किसी प्रकार से खिन्न एव अप्रसन्न नहीं होऊंगा।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में भगवान महावीर की महान साधना एव सहिष्णुता का उल्लेख किया गया है। भगवान ने दीक्षा ग्रहण करते ही अपने शरीर पर से सर्वथा आसक्ति हटा दी। उन्होंने यह प्रतिज्ञा ग्रहण की कि मैं १२ वर्ष तक अर्थात् सर्वज्ञता प्राप्त नहीं होने तक देव-दानव, मानव और तिर्यञ्च—पशु पक्षी एवं क्षुद्र जन्तुओं द्वारा होने वाले किसी भी परीषह का, उपसर्ग का प्रतिकार नहीं करूंगा, आने वाले समस्त कष्टों को समभाव पूर्वक सहन करूंगा, सब प्राणियों के प्रति क्षमा एवं मैत्री भाव रखूंगा। अपने को कष्ट देने वाले किसी भी प्राणी के अहित का संकल्प नहीं करूंगा। अस्तुतः यह भावना उनकी उत्कट साधना एवं महान् शक्ति की परिचायक है। इसी विशिष्ट शक्ति के कारण आप वर्द्धमान एवं श्रमणत्व से आगे बढ़कर महावीर बने। भगवान की महावीरता प्राणियों को दण्ड से दबाने में नहीं, प्रत्युत महान् कष्टों को समभाव पूर्वक सहने, दुखों की संतप्त दोपहरी में भी शान्त एवं अटल भाव से आत्म चिन्तन में सलग्न रहने, आततायियों को भी मित्र समझ कर उन्हें क्षमा करने तथा राग-द्वेष एवं कषाय रूप आध्यात्मिक शत्रुओं का नाश करने में थी।

इस प्रकार अनेक उपसर्गों को समभाव पूर्वक सहन करते हुए भगवान विहार करते हैं, उनकी विहारचर्चा का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्—तत्रो गां स० भ० महावीरे इमं एयारूवं अभिग्रहं
अभिगिगिहत्ता वोसिट्ठचत्तदेहे दिवसे मुहुत्तसेसे कुम्मारगामं
समणुपत्ते ।**

छाया—ततः श्रमणो भगवान महावीरः, इमम् एतद्रूपम् अभिग्रहम् अभिगृह्य व्युत्सृष्टत्यक्तदेहः दिवसे मुहूर्तशेषे कुमारग्रामं समनुप्राप्तः ।

पदार्थ—णं—वाक्यालंकारार्थक है। तत्रो—तत् पश्चात्। समणे—श्रमण। सगवं—भगवान। महावीरे—महावीर। इम—यह। एयारूव—एतादृग्रूप। अभिग्रह—अभिग्रह—प्रतिज्ञा विशेष को। अभिगिगिहत्ता—ग्रहण करके। वोसिट्ठचत्तदेहे—जिसने शरीर के ममत्व और

देह का सस्कार करने का भी त्याग कर दिया है । मुहुत्तसेसे दिवसे— एक मुहुत्तं दिन के रहने पर । कुम्भार गाम — कुमार नामक ग्राम को । समणुपत्ते — प्राप्त हुए-पहुंचे ।

। मूलार्थ-शरीर पर से ममत्व त्याग के अभिग्रह से युक्त श्रमण भगवान् महावीर- जिस दिन दीक्षा ग्रहण की, उसी दिन शाम को एक. मुहुत्तं (४८ मिन्ट) दिन रहते कुमार ग्राम पहुंचे ।

हिन्दी विवेचन

इसमें यह बताया गया है कि भगवान् ने जित्त दिन दीक्षा ग्रहण की उती दिन पहला विहार कुमार ग्राम की ओर किया और सूर्यास्त से एक मुहुत्तं (४८ मिन्ट) पहले कुमार ग्राम पहुंच गए ।

विहार के समय भगवान् की क्या वृत्ति थी, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तत्रो णं स० भ० म० वोसिट्ठचत्तदेहे अणुत्तरेणं
आलएणं अणुत्तरेणं विहारेणं एवं संजमेणं पग्गहेणं संवरेणं तवेणं
बंभवेरवासेणं खंतीए मुत्तीए समिईए गुत्तीए तुट्ठीए ठाणेणं
कमेणं सुचरियफलनिव्वाणमुत्तिमग्गेणं अप्पाणं भावेमाणे
विहरइ ।

छाया—ततः श्रमणो भगवान् महावीरः व्युत्सृष्टत्यक्तदेहः अनुत्तरेण
आलयेन अनुत्तरेण विहारेण एव संयमेन प्रग्रहेण सवरेण तपसा ब्रह्मचर्यवासेन
क्षान्त्या मुक्त्या समित्या गुप्तया तुष्ट्या स्थानेन क्रमेण सुचरितफलनिर्वाण-
मुन्नितमार्गेण आत्मानं भावयन् विहरति ।

पदार्थ — णं — वाक्यालंकारार्थक है । तत्रो—तदनन्तर । स० भ० म०—श्रमण भगवान् महावीर । वोसिट्ठचत्तदेहे—जिस ने देह के ममत्व और शरीर के सस्कार का परित्याग किया हुआ है । अणुत्तरेण—प्रधान अथवा अनुपम । आलएण—स्त्री, पशु, पडक (नपु सक) आदि से रहित वसती के सेवन से । अणुत्तरेणं—प्रधान-अनुपम । विहारेणं—विहार से । एव—इसी प्रकार । संजमेणं—अनुपम संयम से । पग्गहेणं—अनुपम प्रयत्न से । संवरेणं—

अनुपम संवर से । तवेणं — अनुपम तप से । वनचरेवातेणं — अनुपम ब्रह्मचर्यं वान । खंतीए — अनुपम क्षमा से । मुत्तीए — अनुपम निर्लोभता से । सभिईए — अनुपम समिति से । गुत्तीए — अनुपम गुप्ति से । तुड्ठीए — अनुपम तुष्टि से । ठाणेण — एक स्थान में कायोत्सर्गादि करके ध्यान करने से । फनेणं — अनुपम क्रियानुष्ठान करने से । सुचरियफलनिव्वानमुत्तिमगेणं — नशचरण ने-जिनका फल निर्वाण है, प्रौर मुक्ति जिसका लक्षण है-तथा ज्ञान दर्शन प्रौर चरिय रूप मुक्ति मार्ग के भेवन से युक्त होकर । अप्पाणं — आत्मा को । भावेमाणे — भावित करते हुए । विहरइ — विचरते हैं ।

मूलार्थ—तदनन्तर शरीर के ममत्व और संस्कार का परित्याग करने वाले श्रमण भगवान महावीर अनुपम वसतो के सेवन से, अनुपम विहार से, एव अनुपम संयम, सवर, तप, ब्रह्मचर्य, क्षमा, निर्लोभता, समिति, गुप्ति, सन्तोष, कायोत्सर्गादि स्थान और अनुपम क्रियानुष्ठान से तथा सच्चरित के फल रूप निर्वाण और मुक्ति मार्ग-ज्ञान दर्शन चारित्र के सेवन से युक्त होकर आत्मा को भावित करते हुए विचरते है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में भगवान महावीर की महान् एवं विशुद्ध साधना का उल्लेख किया गया है । वे सदा निर्दोष, प्रासुक एवं एषणीय स्थानों में ठहरते थे और वे ईर्ष्या के सभी दोषों से निवृत्त होकर सदा अप्रमत्त भाव से विहार करते थे और उत्कृष्ट तप, संयम, समिति-गुप्ति, क्षमा, स्वाध्याय-कायोत्सर्ग आदि से आत्मा को शुद्ध बनाने हुए विचर रहे थे । ऋद्धने का तात्पर्य यह कि भगवान महावीर । प्रत्येक क्षण आत्मा को राग-द्वेष एवं कर्म बन्धनों से सर्वथा मुक्त-उन्मुक्त बनाने में लगता था ।

भगवान को सद्दिष्टाना का उल्लेख करते हुए सूचकार करते हैं—

मूलम्—एवं वा विहरमाणस्म जे केइ उवसग्गा समुप्पजंति दिव्वा वा माणुस्सा वा तिरिच्छिया वा ते, सव्वे उवसग्गे समुप्पन्ने ममाणे अणाउले अव्वहिण् अहीणमाणसे तिविहमाणव-यणायगुत्ते सम्मं सहइ, खमइ तितिक्खइ अहियासेइ ॥

अर्था—एवं वा विहरमाणस्म ये केचिन् उमग्गाः ममुत्तद्यन्ते दिव्या

वा मानुष्या वा तैरिच्छिका वा तान् सर्वान् उपसर्गान् समुत्पन्नान् सतः
अनाकुलः अव्यथितः अदीनमानसः त्रिविधमनोवचनकायगुप्तः सम्यक् सहते
क्षमते तितिक्षते अध्यास्ते ।

पदार्थ—एवं—इस प्रकार । वा—समुच्चय अर्थ में आया है । विहरमाणस्त—
विचरते हुए भगवान को । जे केइ—जो कोई । उसवग्गा—उपसर्ग । समुत्पज्जति—उत्पन्न होते
हैं । दिव्वा वा—देव सम्बन्धि । माणुस्ता वा—अथवा मनुष्य सम्बन्धि । तिरिच्छिया वा—तिर्यक्
सम्बन्धि । ते—उन । सव्वे—सब । उवसग्गे—उपसर्गों को । समुत्पन्ने सनाणे—प्राप्त होने पर
उन्हे । अणाउले—अनाकुलता से-शान्त चित्त से । अक्खहिए—स्थिरत। पूर्वक । अदीणमाणसे—
अदीन चित्त होकर तथा । निविह मण वयकायगुत्ते—मन वचन और काया से गुप्त होकर ।
सम्म—सम्यक् प्रकार से । सहइ—उन उपसर्गों को सहन करते हैं । खमइ—उपसर्ग प्रदाताओं
को क्षमा करते हैं । तितिक्षइ—अदीन मन से सहन करते हैं । अहियासेइ—निश्चल भावो से
सहन करते हैं ।

मूलार्थ—इस प्रकार विचरते हुए श्रमण भगवान महावीर को देव,
मनुष्य और तिर्यक् सम्बन्धि जो कोई भी उपसर्ग प्राप्त हुए वे उन सब
उपसर्गों को खेद रहित बिना दानता के समभाव पूर्वक सहन करते रहे ।
और वे मन वचन तथा काया से गुप्त होकर उन उपसर्गों को भली भान्ति
सहन करते और उपसर्ग दाताओं को क्षमा करते तथा सहिष्णुता और
स्थिर भावो से उनपर विजय प्राप्त करते थे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में भगवान की सहिष्णुता, क्षमा एवं आध्यात्मिक साधना के
विकास का वर्णन किया गया है । वे सदा समभाव पूर्वक विचरते थे । कभी भी कष्टों से
विचलित नहीं हुए और न अभयकर वेदना देने वाले व्यक्ति के प्रति उन्होंने द्वेष भाव रखा
वे क्षमा के अवतार प्रत्येक प्राणी को तन, मन और वचन से क्षमा ही करते रहे ।
वह अभय का देवता सब प्राणियों को अभय दान देता रहा । यही भगवान महावीर की
साधना थी कि दुःख देने वाले के प्रति द्वेष मत रखो, सब के प्रति मैत्री भाव रखो,
सब को क्षमा दो और आने वाले प्रत्येक दुःख सुख को समभाव पूर्वक सहन करो ।

इस महान् साधना एवं घोर तपश्चर्या के द्वारा 'राग-द्वेष एवं चार घातिक

कर्मों का क्षय करके भगवान ने केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त किया । इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तत्रो णां समणस्स भगवत्थो महावीरस्स एएणां
विहारेणां विहरमाणास्स वारस वामा वीङ्ककंता, तेरसपस्स य
वामस्स धरियाए वट्टमाणास्स जे से गिम्हाणां दुच्चे मासे चउत्थे
पक्खे वह्माहसुद्धे तस्स णां वेस्साहसुद्धस्स दसमीपक्खेणां सुव्वएणां-
दिवसेणां विजएणां मुहुत्तेणां हत्थुत्तराहिं नक्खत्तेणां जोगोवगएणां
पाईणागामिणीए छायाए वियत्ताए पोरिसीए जंभियगामस्स नग-
रस्स वहिया नईए उज्जुवालियाए उत्तरकूले सामागस्स गाहाव-
इस्स कट्ठकरणांसि उड्डंजाणाअहोमिरस्स भाणकोट्ठोव-
गयस्स वेयावत्तस्स चेइयस्स उत्तरपुरच्छिमे दिसीभागे साल-
रुक्खस्स अटूरसामंते उक्कुडुयस्स गोदोहियाए आयावणाए आ-
यावेसाणस्स छट्ठेणां भत्तेणां अपाणाणां सुक्कज्जभाणांतरियाए वट्ट-
माणास्स निव्वारणे कसिणे पडिपुन्ने अवाहए निरावरणे अणांते
आणुत्तरे केवलवरणाणादंसेणे समुप्पन्ने ।

छाया—तत्र श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य एतेन विहारेण विहरमाणस्य
द्वादश वर्षा व्यतिक्रान्ताः त्रयोदशस्य च वर्षस्य पर्याये वर्तमानस्य योऽसौ
श्रोत्रस्य द्वितीयो मासः चतुर्थः पक्षः वैशाखशुक्लः तस्य वैशाखशुक्लस्य
दशमीपक्षे सुत्रते दिवसे विजये मूर्ध्नि हस्तोत्तरेण नक्षत्रेण योगोपगते प्राचीन
गामिन्यां छायाया व्यक्ताया पौर्णमास्य (पार्श्वात् पौर्णमास्य) जृम्भिकग्रामस्य

नगरस्य बहिस्तात् नद्याः ऋजुवालुकायाः उत्तरकूले श्यामाकस्य गृहपतेः ऊर्ध्वजानु अधः शिरसः ध्यानकोष्ठोपगतस्य व्यावृत्तस्य चैत्यस्य उत्तरपौरस्त्ये दिग्भागे शालवृक्षस्य अदूरसामन्ते उत्कटुकस्य गोदोहिकया आतापनया आतापयतः षष्ठेन भक्तेन अपानकेन शुक्ल ध्यानान्तरे वर्तमानस्य निर्वाणे कृत्स्ने प्रतिपूर्णे अव्याहते निरावरणे अनन्ते अनुत्तरे केवलवरज्ञानदर्शने समुत्पन्ने ।

पदार्थ—णं—वाक्यालंकारार्थक है । तन्मो—तदनन्तर । समणस्स—श्रमण । भगवन्मो—भगवान् । महावीरस्स—महावीर को । एएणं—इस प्रकार के । विहारेणं—विहार से । विहरमाणस्स—विचरते हुआ को । वारस वासा—द्वादश वर्ष । वीइवकता—व्यतीत हो गए । य—पुनः । तेरसमस्स—तेरहवें । वासस्स—वर्ष के । परियाए—मध्य में । वट्टमाणस्स—वर्तते हुए । जे—जो । से—यह । गिम्हाण—ग्रीष्म ऋतु के । दुच्चेमासे—दूसरे मास में । चउत्थेपक्खे—चतुर्थ पक्ष में । वइसाहपुद्धे—वैशाख शुक्ल पक्ष में । ण—प्राग्दत् । तस्स—उस । वेसाहसुद्धस्स पक्खस्स—वैशाख शुक्ल पक्ष को । दसमी पक्खेण—दशमी के दिन । सुव्वएण दिवसेण—सुव्रत नामक दिवस में । विजएणं मूहुत्तेणं—विजय मूर्ह्रा में । हत्थुत्तराङ्गं नखल्लेणं—उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के साथ । जोगोवगएण—चन्द्रमा का योग आने पर । पाईण गामिणीए छायाए—दिन से पिछले पहर में । वियत्ताए पोरिसीए—वियत नाम वाली पौरुषी के आने पर अर्थात् पाश्चात्य पौरुषी में । जमियगामस्स—जृम्मकग्राम नाम के । नगरस्स—नगर के बहिया—बाहिर । उज्जुवालियाए—ऋजू वालुका नामक । नईए—नदी के । उत्तरकूले—उत्तर तटपर । सामागस्स—श्यामाक नाम के । गाहावइस्स—गृहपति के । कट्टककरणं सि—क्षेत्र में । उड्डंजाणु अहोसिरस्स—ऊपर को जानु और नीचे को सिर इस प्रकार । भाणकोट्टोवगयस्स—ध्यान रूपी कोष्ठ में प्रविष्ट हुए भगवान् को । वेयावत्तस्स—वैधावृत्य नामक । चेइयस्स—चैत्य-यक्ष मंदिर के । उत्तरपुरच्छिमे विसीभागे—उत्तर पूर्व दिग् भाग अर्थात् ईशान कोण में । साल रुक्खस्स—शाल वृक्ष के । अदूरसामते—न अति दूर न अति समीप । उक्कुडुयस्स—उत्कटुक और । गोदोहियाए—गोदोहिक आसन से । आतावणाए—आतापना । आयावेमाणस्स—लेते हुए । अपानएणं—निर्जन—पानी रहित । छट्ठेणं भक्तेणं—षष्ठभक्त-दो उपवास पूर्वक । सुक्कज्जभाणं तरियाए—शुक्ल ध्यान में । वट्टमाणस्स—आरूढ हुए भगवान् को । निव्वणे—निर्दीप । कसिणे—संपूर्ण अर्थ का ग्राहक । पडिपुन्ने—प्रतिपूर्णे । अक्वाहए—व्याघात रहित । निरावरणे—आवरण रहित । अनन्ते—प्रमत्त । अनुत्तरे—सब से प्रधान । केवलवरणाणं दंसणे—सर्व श्रेष्ठ केवल ज्ञान और केवल दर्शन । समुत्पन्ने—उत्पन्न हुए ।

मूलार्थ—श्रमण भगवान् महावीर को इस प्रकार के विहार से विचरते हुए बारह वर्ष व्यतीत हो गए। तेरहवें वर्ष के मध्य में श्रोष्म ऋतु के दूसरे मास और चौथे पक्ष में अर्थात् वैशाख शुक्ला दशमी के दिन सुव्रत नामक दिवस में विजय मुहूर्त में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ चन्द्रमा का योग आने पर दिन के पिछले पहर, जूम्भक ग्राम नगर के बाहर ऋजु बालिका नदी के उत्तर तट पर, श्यामाक गृहपति के क्षेत्र में वैयावृत्य नामक यक्ष मन्दिर के ईशान कोण में शाल वृक्ष के कुछ दूरी पर ऊँचे गोडे और नीचा शिर कर के ध्यान रूप कोष्ट में प्रविष्ट हुए तथा उत्कटुक और गोदो-हिक आसन से सूर्य को आतापना लेते हुए, निर्जल छट्ठ भक्त तप युक्त शुक्ल ध्यान ध्याते हुए भगवान को निर्दोष, सम्पूर्ण, प्रनिपूर्ण, निर्व्याघात, निरावरण, अनत, अनुत्तर, सर्वप्रधान केवल ज्ञान और केवल दर्शन उत्पन्न हुआ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया है कि साधना के बारह वर्ष कुछ महीने बीतने पर वैशाख शुक्ला १० को जूम्भक ग्राम के बाहिर, ऋजु बालिका नदी के तट पर, श्यामाक गृहपति के क्षेत्र (खेत) में, जहाँ जीर्ण व्यन्तरायतन था, दिन के चतुर्थ पहर में, सुव्रत नामक दिन, विजय मुहूर्त एवं उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का चन्द्र के साथ योग होने पर उक्कडु और गोदुह आसन से शुक्ल ध्यानः में संलग्न भगवान ने राग-द्वेष एवं ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय इम चार धातिक कर्मों का सर्वथा क्षय करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन का प्राप्त किया।

प्रस्तुत प्रसंग में मुहूर्त आदि के वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि उस समय लौकिक पचांग की ज्योतिष गणना को स्वीकार किया जाता था। ग्राम, नदी आदि के नाम के साथ देश (प्रान्त) के नाम का उल्लेख कर दिया जाता तो वर्तमान में उस स्थान का पता लगाने में कठिनाई नहीं होती और इससे लोगों में स्थान सम्बन्धी भ्रान्तियाँ नहीं फैलती और ऐतिहासिकों में विभिन्न मतभेद पैदा नहीं होता। परन्तु इसमें देश का नामो-

ः शुक्ल ध्यान के चार भेद हैं — १ पृथक्त्व वितर्क सविचारं, २ एकत्व वितर्क अविचारं, ३ सूक्ष्म क्रियं अप्रतिपत्ति और, ४ उच्छिन्न क्रिय अनिर्वर्ति। इसमें से भगवान पहले दो भेदों के चिन्तन में, ध्यान में संलग्न थे।

ल्लेख नहीं होने से यह षाठ विद्वानों के लिए चिन्तनीय एवं विचारणीय है ।

केवल ज्ञान के सामर्थ्य का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भगवं अरहं जिणे केवली सव्वन्नू सव्वभाव-
दरिसी सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स पज्जाए जाणइ, तं-आगइं
गइं ठिइं चवणं उववायं भुत्तं पीयं कडं पडिसेवियं आविकम्मं
रहोकम्मं लवियं कहियं मणोमाणसियं सव्वलाए सव्वजीवाणं
सव्वभावाइं जाणमाणे पासमाणे एवं च णं विहरइ ॥

छाया—स भगवान् अर्हन् जिनः केवली सर्वज्ञः सर्व भावदर्शी सदेव-
मनुजासुरस्य लोकस्य पर्यायान् जानाति, तद्यथा-आगतिं गतिं स्थितिं
च्यवनं उपपातं भुक्तं पीतं कृतं प्रतिसेवितं आविःकर्म रहःकर्म लपितं कथितं
मनोमानसिकं सर्वलोके सर्वजीवानां सर्वभावान् जानन् पश्यन् एव च
विहरति-विचरति ।

पदार्थ—से—वह । भगवं—भगवान् । अरहं—अर्हन्-पूज्य । जिणे—जिन-राग द्वेष
को जीतने वाले । केवली—सम्पूर्ण ज्ञान वाले । सव्वन्नू—सर्वज्ञ-सब कुछ जानने वाले ।
सव्वभावदरिसी—सर्व भावो-पदार्थों को देखने वाले । सदेवमणुयासुरस्स—देव मनुष्य और
असुर कुमार देवों के । लोगस्स—तथा सर्व लोक के । पज्जाए—पर्यायों को । जाणइ—जानते
हैं । तंजहा—जैसा कि । आगइं—जीवों की आगति को । गइं—गति को । ठिइं—स्थिति को ।
चवणं—च्यवन अर्थात् देव लोक से देवों के च्यवन को । उववायं—उपपात अर्थात् नारकी और
देव के जन्म स्थान को । भुत्तं—खाद्य । पीयं—पेय पदार्थों को । कडं—किये हुए कार्य को
अर्थात् चौर्यादि कर्म को । पडिसेवियं—मैयुनादि सेवन को । आविकम्मं—प्रकट कार्य को ।
रहोकम्मं—गुप्त कार्य को । लवियं—प्रलाप करते हुए को । कहियं—गुप्त वार्ता को ।
मणोमाणसियं—जीवों के चित्त और मन के भावों को । सव्वलाए—सर्व लोक के विषय को ।
सव्वजीवाणं—सर्व जीवों के । सव्वभावाइं—सर्व भावों को । जाणमाणे—जानते हुए ।
पासमाणे—देखते हुए । एवं—इस प्रकार । विहरइ—विचरते हैं । चणं—प्राग्बत् ।

मूलार्थ—वे भगवान् अर्हन्त, जिन, केवली, सर्वज्ञ, सर्वभावदर्शी, देव, मनुष्य और असुरकुमार तथा लोक के सभी पर्यायों को जानते हैं, जैसेकि—जीवों की प्रागति, गति, स्थिति, च्यवन, उत्पाद तथा उनके द्वारा खाए पीए गए पदार्थों एवं उनके द्वारा सेवित प्रकट एवं गुप्त सभी क्रियाओं का तथा अन्तर रहस्यों को एवं मानसिक चिन्तन को प्रत्यक्ष रूप से जानते देखते हैं। वे सम्पूर्ण लोक में स्थित सर्व जीवों के सर्व भावों को तथा समस्त पुद्गलो-परमाणुओं को जानते देखते हुए विचरते हैं।

हिन्दी विवेचन

इसमें बताया गया है कि भगवान् समस्त लोकालोक को तथा लोक में स्थित समस्त जीवों को, उनकी पर्यायों को, सारी जीवों के प्रत्येक प्रकट एवं गुप्त कार्यों तथा विचारों को तथा अन्त-अन्त परमाणुओं एवं उन से निर्मित पुद्गलो एवं उनकी पर्यायों को जानते-देखते हैं। उनके ज्ञान में दुनिया का कोई भी पदार्थ छिपा हुआ नहीं है। लोक के साथ-साथ अलोक में स्थित अनन्त आकाश प्रदेशों को भी वे जानते देखते हैं।

केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन संपन्न आत्मा को अर्हन्त, जिन सर्वज्ञ, सर्वदर्शी आदि कहते हैं। केवल ज्ञान का अर्थ है—वह ज्ञान जो पदार्थों की जानकारी के लिए पूर्ववर्ती मति, श्रुत, अवधि एवं मनः पर्याय चारों ज्ञानों में से किसी की अपेक्षा नहीं रखता है। वह केवल अर्थान् अकेला ही रहता है, और किसी अन्य ज्ञान की सहायता के बिना ही समस्त पदार्थों के समस्त भावों को जानता देखता है।

प्रस्तुत सूत्र में सर्वज्ञ और सर्वदर्शी शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि सर्वज्ञ को पहले समय में ज्ञान होता है और दूसरे समय दर्शन होता है। जब कि छद्मस्थ को प्रथम समय में दर्शन और द्वितीय समय ज्ञान होता है। इस पर जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में विस्तार से विचार किया गया है और वृत्तिकार ने उस पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है।

ॐ अतएव सर्वज्ञो-विशेषाश पुरस्कारेण सर्वज्ञाना, नवदर्शी-सामान्याशपुरस्कारेण सर्वज्ञता, नवर्हता केवल ज्ञान केवल दर्शनावरणयो लीणायोहान्यनमय एव क्षीणत्वेन युगप-दुःपत्निकृत्वेनोपयोगस्वभावात् त्रमप्रवृत्ती च मिद्धाया “नव्वन्नु सव्वदरिती” इति सूत्र यथा ज्ञान-प्राप्त्य सूचकमुपन्यस्त तथा “सव्वदरिती सव्वन्नु” इत्येव दर्शनप्राप्त्यसूचकं किं न ? तुन्यन्या-

भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद देवों ने उसका महोत्सव मनाया, उसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जराणं दिवसं समणस्स भगवओ महावीरस्स
निव्वाणे कसिणे जाव समुप्पन्ने तराणं दिवसं भवणधइवाणमंतर-
जोइसियविमाणवासि देवेहिं य देवीहि य उवयंतेहिं जाव उप्पिं—
जलगभूए यात्रि होत्था ।

छाया—यद् दिवसं श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य निर्वाणः कृत्स्नः यावत्
समुत्पन्नः तद् दिवसं भवनपतिवाणव्यन्तरज्योतिषिक्रविमानवा सिदेवैश्च देवा-
भिरच उत्पत्तद्भिः यावद् उत्पिंजलक भूतश्चापि अभवन् ।

पदार्थ—जराणं दिवस—जिस दिन । समणस्स—श्रमण । भगवओ—भगवान ।
महावीरस्स—महावीर स्वामी को । निव्वाणे—निर्वाण-निर्मल । कसिणे—सम्पूर्ण । जाव—
यावत् केवल-ज्ञान केवल दर्शन । समुप्पन्ने—उत्पन्न हुआ । तराणं दिवसं—उसी दिन । भवण-
वइवाणमंतर जोइसिय विमाणवासि देवेहि—भवनपति वानव्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक
देवो । य—प्रीर । देवीहि—देवियो से । य—पुन । उवयंतेहिं—प्राकाश से देवो और देवियो
के आने जाने से । जाव—यावत् । उप्पिंजलगभूए यात्रिहोत्था—प्राकाश में उद्योत और देवो
से आकाश आकीर्ण हो गया था ।

मूलार्थ—जिस दिन श्रमण भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान
और केवल दर्शन उत्पन्न हुआ उसी दिन भवनपति, वाण व्यन्तर- ज्यो
तिषी और वैमानिक देवो के आने जाने से आकाश आकीर्ण हो रहा था
और वहा का सारा आकाश प्रदेश जगमगा रहा था ।

यत्वात्, नैवं, “सव्वओ लद्धीओ सागारोवउत्तस्स उववज्जति, णो अणगारोवउत्तस्स”—(सर्वा
लव्वयः साकारोपयुक्तस्योत्पद्यन्ते नानाकारोपयुक्तस्य) इत्यात्रमादुवपत्तिक्रमेण सर्वदा जिनाना
प्रथमे समये ज्ञानं ततो द्वितीये दर्शनं भवतीति ज्ञापनार्थत्वादित्यमुपन्यासस्येति, छद्मस्थानां
प्रथमे समये दर्शनं द्वितीये ज्ञानमि ति प्रसगाद् बोध्यम् ।

जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, वृत्ति, द्वितीय वक्षस्कार ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि जब भगवान को बल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हुआ तो उनके द्वारा होने वाले अनन्त उपकार का स्मरण करके तथा उस पूर्ण आत्मा के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पण करने के लिए भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक देव वहाँ आए और उन्होंने केवल्य महोत्सव मनाया ।

अब भगवान द्वारा दी गई धर्मदेशना (उपदेश) का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तत्रो णं समणे भगवं महावीरे उत्पन्नवरणाण-
दंसणधरे अप्पाणं च लोगं च अभिसमिक्ख पुब्बं देवाणं धम्म-
माइक्खइ, तत्रो पच्छा मणुस्साणं ।

छाया—ततः श्रमणो भगवान् महावीरः उत्पन्नवरज्ञानदर्शनधरः
आत्मानं च लोकं च अभिसमीक्ष्य पूर्वं देवानां धर्ममाख्याति ततः पश्चात्
मनुष्याणाम् ।

पदार्थ—णं—वाक्यालकार में है । तत्रो—तदनन्तर । 'उत्पन्नवरणाणदंसणधरे'—
उत्पन्न प्रधान ज्ञान दर्शन के धारक । समणे—श्रमण । भगवं—भगवान । महावीरे—महावीर
ने । अप्पाणं च—अपनी आत्मा को और । लोगं च—लोक को । अभि समिक्ख—केवल ज्ञान
द्वारा जान कर । पुब्बं देवाण—पहले देवों को । तत्रो पच्छा—तदनन्तर । मणुस्साणं—मनुष्यों
को । धम्ममाइक्खइ—धर्म का उपदेश दिया ।

मूलार्थ—तदनन्तर उत्पन्न प्रधान ज्ञान और दर्शन के धारक श्रमण
भगवान महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान द्वारा अपनी आत्मा तथा लोक
को भली भाँति देखकर पहले देवों को और पश्चात् मनुष्यों को धर्म का
उपदेश दिया ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि भगवान ने अपनी सेवा में उपस्थित चारों
जात के देवों को धर्मोपदेश दिया । उसके बाद उन्होंने जनता (मनुष्यों) को धर्मोपदेश
दिया । इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं, एक तो यह कि महापुरुष अपने पास आने वाले

देव, मानव आदि प्रत्येक व्यक्ति को धर्मोपदेश देकर सन्मार्ग बताते हैं, उन्हें समस्त बन्धनों से मुक्त होने की राह बताते हैं। दूसरी बात यह है कि तीर्थंकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही उपदेश देने हैं। वे जब संपूर्ण पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को जानने-देखने लगते हैं, तभी वे प्रवचन करते हैं। जिससे उनके प्रवचन में विरोध एवं विपरीतता को अवकाश नहीं रहता और उसमें यथार्थता होने के कारण जनता के हृदय पर भी उसका अमर होता है।

स्थानांग सूत्र में बताया गया है कि भगवान के प्रथम प्रवचन में केवल देव ही उपस्थित थे, उस समय कोई मानव वहाँ उपस्थित नहीं था। और देव त्याग, व्रत, नियम आदि को स्वीकार नहीं कर सकते। इस कारण भगवान का प्रथम प्रवचन व्रत स्वीकार करने की (आचार की) अपेक्षा से असफल रहा था। इसलिए इस घटना को आगम में अन्य आश्चर्यकारी घटनाओं के साथ आश्चर्य जनक माना गया है॥

अब मानव को दिए गए धर्मोपदेश के सम्बन्ध में सूत्रकार कहते हैं ।

मूलम्—तत्रो णं समणे भगवं महावीरे उत्पन्ननाणदंसण-
धरे गोयमाईणं समणाणं पंच महव्वयाइं सभावणाइं छज्जीव-
निकाया आतिक्खति भासइ परूवेइ, तं०—पुढ्विकाए जाव
तसकाए ।

छाया—ततः श्रमणो भगवान् महावीरः उत्पन्नज्ञानदर्शनधरः गौतमा-
दीना श्रमणानां पंचमहाव्रतानि सभावनानि षड्जीवनिकायान् आख्याति भाषते
प्ररूपयति तद्यथा पृथिवीकायः यावत् त्रसकायः ।

पदार्थ—ण—वाक्यालंकारार्थक है। तत्रो—तदनन्तर। उत्पन्न नाणदंसणधरे—उत्पन्न हुए प्रधान ज्ञान और दर्शन को धरने वाले। समणे—श्रमण। भगवं—भगवान। महावीरे—महावीर ने। गोयमाई ण—गीतमादि। समणाणं—श्रमणों को। सभावणाइ—भावनाओं से युक्त। पंचमहव्वयाइ—पांच महाव्रत और। छज्जीवनिकाया—षट् जीव निकाय का। आतिक्खति—सामान्य रूप से उपदेश दिया। भासइ—भगवान ने अर्द्धमागधी भाषा में भाषण किया। परूवेइ—विस्तार से तत्वों का प्रतिपादन किया। तजहा—जैसेकि। पुढ्विकाए—पृथिवीकाय

ॐ स्थानांग सूत्र, स्थान १० ।

जाव—यावत् । तसकाए—त्रसकाय ।

मूलार्थ—तत् पश्चात् केवल ज्ञान और दर्शन के धारक श्रमण भगवान महावीर ने गौतमादि श्रमणों को भावना सहित पाच महाव्रतों और पृथिवी आदि षट् जीव निकाय स्वरूप का सामान्य प्रकार से तथा विशेष प्रकार से अर्द्धमाग धोभाषा मे प्रतिपदन किया ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में भगवान द्वारा दिए गए उपदेश का वर्णन किया गया है । इसमें बताया गया है कि देवों को उपदेश देने के बाद भगवान ने गौतम आदि गणधरों, साधु-साध्वियों एवं श्रावक श्राविकाओं के सामने ५ महाव्रत एवं उसकी २५ भावनाओं तथा षट्जीविकाय आदि का उपदेश दिया । इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान को सर्वज्ञता प्राप्त होने के बाद इन्द्रभूति गौतम आदि विद्वान उनके पास आए और विचार-चर्चा करने के बाद भगवान के शिष्य बन गए । अतः उन्हें एव अन्य जिज्ञासु मनुष्यों की मोक्ष का यथार्थ मार्ग बताने के लिए संयम साधना के स्वरूप को बताना आवश्यक था । जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति में भगवान ऋषभदेव के सम्बन्ध में कहा गया है कि भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि जैसे यह संयम साधना या मोक्ष मार्ग मेरे लिए हितप्रद, सुखप्रद, एवं सर्व दुखों का नाशक है, उसी तरह जगत के समस्त प्राणियों के लिए भी अनन्त सुख-शान्ति का द्वार खोलने वाला है ।

तस्स ण भगवतस्स एतेणं विहारेण विहारमाणस्स एगे वास सहस्से वीइक्कते समाणे पुरिमतालस्स नगरस्स बहिया सगडमहसि उज्जाणसि णिग्गोहवरपायवस्स अहे उक्काणंतरियाए वट्टमाणस्स फग्गुणबहुलस्स इक्कारसीए पुव्वण्हकालसमयसि अट्ठमेणं भतेण अपाणएणं उत्तरासाढा नक्खत्तेणं जोगमुवागएणं अणुत्तरेणं नाणेणं जाव चरित्तेणं अणुत्तरेणं तवेण वलेणं वीरिएणं अलएण विहारेण भावणाए खतीए मुत्तीए गुत्तीए तुट्ठीए अज्जवेण मह्वेणं लाघवेणं सुचरिअसोवच्चिअ फल निव्वाणमग्गेण अघाण भावेमाणस्स अण ते अणुत्तरे णिवाघाए गिरावरणे कसिणे पडिपुण्णे केवल वरनाणदंसणे समुप्पन्ने, जिणे जाए केवली सव्वन्नूसव्वदरिसी सणे रइअ तिरिअनरामरस्स लोणस्स पज्जवे जाणइ पासइ तजहा—आगइ गइ ठिइ उववायं भूत कड पडिसेविय आवीकम्म रत्तोकम्मं तत काल मणवयकाये जोगे एवमादी जीवाणवि सव्वभावे अजीवाणवि सव्वभावे मोक्ख मग्गस्स विसुद्धतराए भावे जाणमाणे पासमाणे एस खल्लु मोक्खमग्गे ममअणोसि च जीवाणं हियसुह णिस्सेस करे सव्वदुक्ख विमोक्खणे परमसुइसमाणे भविससइ । तते ण से भगव समणाण निग्गथाण य णिग्गथीण य पच महव्वयाइ सभावणाइ छज्जीवनिकाए घम्मं देसमाणे विहरति, तजहा पुढविकाइए भावणाग्गेण पच महव्वयाइ सभावणाइ भाणिअवाइति ।

—जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र ।

अतः सभी तीर्थंकर जगत के सभी प्राणियों की रक्षा रूप दया के लिए उपदेश देते हैं। उनका यही उद्देश्य रहता है सभी प्राणी साधना के यथार्थ स्वरूप को समझकर उस पर-चलने का प्रयत्न करे।

इसी दृष्टि से भगवान् महावीर गौतम आदि सभी साधु साध्वियों एवं अन्य मनुष्यों के सामने उपदेश देते हैं और साधना के प्रशस्त पथ का-जिस पर चलकर आत्मा अनन्त शान्ति को पा सके, प्रसार एवं प्रचार करने के लिए चार तोर्थ—साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका की स्थापना करते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर सर्वज्ञ बनने के बाद तीर्थ की स्थापना करते हैं, इसे संघ भी कहते हैं। जिसके द्वारा विश्व में धर्म का, अहिंसा का शान्ति का प्रचार किया जा सके।

इस तरह साधना के मार्ग का यथार्थ रूप बताते हुए भगवान् महावीर प्रथम महाव्रत के सम्बन्ध में कहते हैं—

मूलम्—पढमं भन्ते ! महव्वयं पच्चक्खामि सव्वं पाणाइवायं
से सुहुमं वा बायरं वा तसं वा थावरं वा नेव सयं पाणाइवायं
करिज्जा ३ जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणासा वयसा कायसा
तस्स भन्ते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं
वोसिरामि ।

छाया—प्रथम भदन्त ! महाव्रतं प्रत्याख्यामि सर्वं प्राणातिपातं तत्
सूक्ष्मं वा बादरं वा त्रस वा स्थावर वा नैव स्वयं प्राणातिपातं कुर्यात्-करोमि
३ यावज्जीव त्रिविधं त्रिविधेन मनसा वचसा कायेन तस्य भदन्त ! प्रतिक्रमामि
निन्दामि गर्हे आत्मानं व्युत्सृजामि ।

पदार्थ—भन्ते—हे भगवन् । पढमं—में प्रथम । महव्वयं—महाव्रत को । पच्च-
क्खामि—ज्ञ प्रजा से प्राणातिपात को अनिष्ट जानकर प्रत्याख्यान प्रज्ञा से उस का प्रत्याख्यान

‡ सव्व जग जीव रक्खण दयदुयाए भगवया पावयण सुकहियं ।

—प्रश्नव्याकरण सूत्र, सवरद्वार ।

करता हू । सर्व्वं—सर्व्व प्रकार के । पाणाइवाय—प्राणातिपात का त्याग करता हू । से—वह । सुहृमं वा—सूक्ष्म जीव अथवा । वायर व—वादर-स्थूल जीव । तसं वा—त्रस या । यावरं वा—स्थावर जीव । वा—समुच्चयाय मे है । एव—निश्चय ही । सय—स्वय-ग्रपने ग्राप । पाणाइवाय—प्राणानिपात-प्राणियो का वध । न करिज्जा ३—नहीं करूंगा, न अन्य से वध कराऊंगा । वध करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूंगा । जावज्जीवाए—जीवन पर्यन्त । तिविहं—निन करण । तिविहेणं—तीन योग जैसे कि । मणसा—मन से । वयसा—वचन से । कायसा—काया से । भते—हे भगवन् ! तस्स—उन पाप से । पडिक्कमामि—निवृत्ति करता हू । पीछे हटता हू । निदामि—आत्मा की साक्षी से उसकी निन्दा करता हू । गग्गिहामि—गुरु की नाखी से गर्हणा करता हू । अप्पाणं—अपनी आत्मा को पाप से । वोत्तिरामि—पृथक् करता हू ।

मूलार्थ—हे भगवन्, मैं प्रथम महाव्रत मे प्राणातिपात से सर्वथा निवृत्त होता, हू, मैं सूक्ष्म, वादर, त्रस-स्थावर समस्त जीवो का न तो स्वय प्राणातिपात-हनन करूंगा, न दूसरो से कराऊंगा, और न उनका हनन करने वालो की अनुमोदना करूंगा । हे भगवन् ! मैं यावज्जीव अर्थात् जीवनपर्यन्त के लिए तीन करण और तीन योग से-मनसे वचन से और काया से इस पाप से प्रतिक्रमण करता हू-पीछे हटता हू, आत्म साक्षी से इस पाप की निन्दा करता हू और गुरु साक्षी से गर्हणा करता हू । तथा अपनी आत्मा को हिंसा के पाप से पृथक् करता हू ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र मे प्रथम महाव्रत का वर्णन किया गया है । उम महाव्रत को स्वीकार करते समय साधक गुरु के सामने हिंसा से सर्वथा निवृत्त होने की प्रतिज्ञा करता है । वह जीवन पर्यन्त के लिए सूक्ष्म या वादर (स्थूल), त्रस या स्थावर किमी भी प्राणी की मन, वचन और काया से किसी भी तरह की हिंसा नहीं करता, न अन्य प्राणी से हिंसा करवाता है और न हिंसा करने वाले प्राणी का अनुमोदन—ममर्थन ही करता है ।

प्रस्तुत सूत्र मे प्रयुक्त 'प्राणाविपात' का अर्थ है, प्राणी का नाश करना । क्योंकि, प्रत्येक प्राणी में स्थित आत्मा का अस्तित्व सदा काल बना रहना है । अतः प्राणी की हिंसा का अर्थ है, उनके प्राणी का नाश कर देना । और प्राणी की अपेक्षा से ही मनुष्य जीव को प्राणी कहा जाता है । क्योंकि, वह प्राणी को वारण किए हुए है ।

मनुष्यों का निर्दोष परिपालन करने के लिए उनकी भावनाओं का आचरण

करना आवश्यक है । इसलिए प्रथम महाव्रतों की भावनाओं का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तस्मिमात्रो पंच भावणात्रो भवन्ति, तत्स्थिमा पढमा
भावणा इरियासमि ए से निग्गंथे नो अणइरियासमि एत्ति, केवली
बूया० अणइरियासमि ए से निग्गंथे पाणाइं भूयाइं जीवाइं
सत्ताइं अभिहणिज्ज वा वत्तिज्ज वा परियाविज्ज वा लेसिज्ज वा
उद्विज्ज वा, इरियासमि ए से निग्गंथे नो अणइरियासमि इत्ति
पढमा भावणा ॥१॥

छाया--तस्य इमा. पञ्च भावना भवन्ति, तत्र इयं प्रथमा भावना--ईर्या
समितः स निग्रन्थः नो अनीर्याममितः इति केवली ब्रूयात् आदानमेतत् अनीर्या-
समितः सः निग्रन्थः प्राणिनः भूतानि, जीवान् सत्त्वानि अभिहन्याद् वा वर्तयेद्
वा परितापयेद् वा श्लेषयेत् वा अपद्रापयेद् वा, ईर्यासमितः सः निग्रन्थः
नो अनीर्यासमितः इति प्रथमा भावना ।

पदार्थ—तस्म—उस प्रथम महाव्रतकी । इमा—ये—आगे कही जानं वाली । पच—
पाच । भावणात्रो—भावनायें । भवन्ति—होती हैं । तत्स्थिमा—उन पाँचों में से यह—जोकि आगे ।
कही जाती हैं । पढमा—प्रथम । भावणा—भावना है । इरियासमि ए—ईर्यासमिति से युक्त ।
से—वह । निग्गंथे—निग्रन्थ । नो अणइरिया समि एत्ति—ईर्यासमिति से रहित साधु नहीं कहा
जाता, इस प्रकार से । केवली बया०—केवली भगवान कहते हैं और यह कर्म आने का कारण
है क्योंकि । अणइरियासमि ए—ईर्या समिति से रहित । से निग्गंथे—वह निग्रन्थ—साधु । पाणाइं—
प्राणियों को । भूयाइं—भूतों को । जीवाइं—जीवों को । सत्ताइं—सत्त्वों को । अभिहणिज्ज
वा - अभिहनन करता है । वत्तिज्ज वा—एकत्रित करता है तथा । परियाविज्ज वा—परिता-
पना देता है । लेसिज्ज वा—भूमि से सश्लिष्ट करता है । उद्विज्ज वा—जीवन से रहित करता
है, अतः वह निग्रन्थ नहीं, परन्तु । इरियासमि ए—ईर्या समिति से युक्त साधु । से निग्गंथे—
वह निग्रन्थ होता है अर्थात् वह किसी जीव की हिंसा नहीं करता है । नो अण इरियासमि इत्ति—
वह ईर्या समिति से रहित नहीं होता है इस प्रकार । पढमाभावना—यह प्रथम भावना है ।

मूलार्थ—प्रथम महाव्रत की ५ भावनाएँ होती हैं उनमें से पहली भावना यह है—निर्ग्रन्थ ईर्या समिति से युक्त होता है, न कि उससे रहिन। भगवान् कहते हैं कि ईर्या समिति का अभाव कर्म आने का द्वार है। क्योंकि इससे रहित निर्ग्रन्थ प्राणी, भूत, जीव और सत्व की हिंसा करता है उन्हें एक स्थान से स्थानान्तर में रखना है, परिताप देता है, भूमि से सञ्चिष्ट करता है और जीवन से रहिन करता है। इसलिए निर्ग्रन्थ को ईर्या समिति युक्त होकर सयम का आराधन करना चाहिए, यह प्रथम भावना है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में पहले महाव्रत की प्रथम भावना का उल्लेख किया गया है। भावना साधक की साधना को शुद्ध रखने के लिए होती है। प्रथम महाव्रत की प्रथम भावना ईर्यासमिति से संबद्ध है। इस में बताया गया है कि साधु को विवेक एवं यतना पूर्वक चलना चाहिए। यदि वह विवेक पूर्वक ईर्या समिति का पालन करते हुए चलता है, तो पाप कर्म का बन्ध नहीं करता है*। और इसके अभाव में यदि अविवेक से गति करता है तो पाप कर्म का बन्ध करता है। अतः साधक को ईर्या समिति के परिपालन में सदा सावधान रहना चाहिए। इससे वह प्रथम महाव्रत का सम्यक्तया परिपालन कर सकता है। ईर्या समिति गति से संबद्ध है†। अतः चलने-फिरने में विवेक एवं यतना रखना साधु के लिए आवश्यक है।

अब सूत्रकार द्वितीय भावना के सम्बन्ध में कहते हैं।

मूलम्—अहावरा दुच्चा भावणा—मणं परियाण्ड से निग्गंथे,
जे य मणे पावए सावज्जे सकिरिए अराहयकरे छेयकरे भेयकरे

* जय चरे जयं चिट्ठे, जयमासे जय सए। जय भुञ्जन्तो भासन्तो पावकम्मं न बधई ॥

—दशवैकालिक सूत्र, ४, ८।

† ईरण-गमनं ईर्या तस्या समितो-दत्तावधानः पुरतो—

युगमात्रभूभागन्यस्तदृष्टिगामीत्यर्थः ॥

—आचाराग वृत्ति।

अहिगरणिए पाउसिए पारियाविए पाणाइवाइए भूआवघाइए,
तहप्पगारं मणं नो पधारिज्जा गमणाए, मणं परियाणइ से नि-
ग्गन्थे, जे य मणे अपावएत्ति दुच्चा भावणा ॥२॥

छाया—अथापरा द्वितीया भावना मनः परिजानाति सः निर्ग्रन्थः यच्च
मनः पापक सावद्य सक्रियं आश्रवकरं छेदकरं भेदकरं आधिकरणिकं प्राद्वेषिक
परितापिकं प्राणातिपातकं भूतोपघातिकं तथाप्रकारं मनः नो प्रधारयेत्
गमनाय, मनः परिजानाति स निर्ग्रन्थः यच्च मनः अपापकम् इति द्वितीया
भावना ।

पदार्थ—ग्रहावरा — अब इससे भिन्न । दुच्चाभावणा — दूसरी भावना को कहते हैं ।
मणं परियाणइ — जो पाप मयी विचारणा से मनको हटावे । से निग्गन्थे—वह निर्ग्रन्थ है ।
य—पुनः । जे—जो । मणे—मन । पावए—पापयुक्त । सावज्जे—सावद्य-पापरूप । सकरिए—
क्रियायुक्त । अण्हयकरे—आश्रव के करने वाला । छयकरे—प्राणियों के छेदन करने वाला ।
भेयकरे—भेदन करने वाला । अहिगरणिए—कलह करने वाला । पाउसिए—द्वेष करने वाला ।
परियाविए—परिताप का देने वाला । पाणाइवाइए—प्राणातिपात के करने वाला । भूआव-
घाइए—भूतो का उपघात करने वाला है तो साधु । तहप्पगारं—तथाप्रकार के । मण—मन को ।
नो पधारिज्जा—धारण न करे । मणं रिजाणइ—जो मन को हिंसा से हटाता है । य—पुनः ।
जे—जिसका । मणे—मन । अपावएत्ति—पाप से रहित है । से निग्गन्थे—वह निर्ग्रन्थ है ।
दुच्चाभावणा—यह दूसरी भावना है ।

मूलार्थ—अब दूसरी भावना को कहते हैं—जो मनको पापों से हटाता
है वह निर्ग्रन्थ है । साधु ऐसे मन (विचारों) को धारण न करे, पापकारी,
सावद्यकारी, क्रिया युक्त, आश्रव करने वाला, छेदन तथा भेदन करने
वाला, कलहकारी, द्वेषकारी, परितापकारी, प्राणों का अतिपात करने
वाला और जीवों का उपघातक है । जो अपने मनको पाप से हटाता है वह
निर्ग्रन्थ है, यह दूसरी भावना है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत मूत्र में मन शुद्धि का वर्णन किया गया है । पहले महाप्रत को निर्दोष एवं शुद्ध बनाए रखने के लिए मन को शुद्ध रखना आवश्यक है । मन के बुरे संकल्प विकारों से हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है और उसके कारण सावक की प्रवृत्ति में अनेक दोष उत्पन्न होते हैं । क्योंकि कर्म बन्ध का मुख्य आवार मन (परिणाम) है क्रिया से कर्म वर्णना के पुद्गल आते हैं, परन्तु उनका बन्ध परिणामों की शुद्धता एवं अशुद्धता या तीव्रता एवं मन्दता पर आधारित है^१ । अन्य दार्शनिकों एवं विचारकों ने भी मन को बन्धन एवं मुक्ति का कारण माना है^२ । बुरे मन से आत्मा पाप कर्मों का संग्रह करके संसार में परिभ्रमण करता है और शुभ संकल्प एवं मानसिक चिन्तन मनन से अशुभ कर्म बन्धनों को तोड़ कर आत्मा मुक्ति की ओर बढ़ता है । अन्तु, सावक को सदा मानसिक संकल्प एवं चिन्तन को शुद्ध बनाए रखना चाहिए । क्योंकि, वाचिक एवं कायिक प्रवृत्ति को विशुद्ध बनाए रखने के लिए मन के चिन्तन को विशेष शुद्ध बनाए रखना आवश्यक है । मानसिक चिन्तन जितना अधिक शुद्ध होगा, प्रवृत्ति उतनी ही अधिक निर्दोष होगी ।

अतः मानसिक चिन्दन की शुद्धता के बाद वचन शुद्धि का उल्लेख करते हुए मूत्रकार तीसरी भावना के सम्बन्ध में कहते हैं—

मूलम्-अहावरा तच्चा भावणा-वडं परिजाणइ मे निग्गंथे जा
य वडं पाविया सावजा सकिरिया जाव भूओववाइया तहप्पगारं
वडं नो उच्चारिज्जा, जे वडं परिजाणइ से निग्गंथे, जा य वडं
अपावियति तच्चा भावणा ॥३॥

छाया—अथापरा तृतीया भावना वाच परिजानाति सः निग्रन्थः या
च वाक् पापिका सावद्या सक्रिया यावत् भूतोपघातिका तथाप्रकारां वाचं नो
उच्चारयेत् यो वाचं परिजानाति स निग्रन्थः या च वाक् अपापिकेति
तृतीया भावना ।

^१ परिणामे बन्धः ।

^२ कर्म एव कारणं बन्ध-मोक्षयोः ।

पदार्थ—अहावरा—अब दूसरी के बाद । तच्चा—तीसरी । भावणा—भावना को कहते हैं । वड् परिजाणइ—पापमय वचन को जो छोड़ता है । से निग्गथे—वह निर्ग्रन्थ है । जा य—और जो । वई—वाणी । पाविद्या—पाप युक्त है । सावज्जा—सावद्य है । सकिरिषा—क्रिया युक्त । जाव—यावत् । भूओवघाइया—भूतो-जीवो का उपघात करने वाली है । तहूपगार—तथाप्रकार की । वई—वाणी-वचन का । नो उच्चारिज्जा—उच्चारण न करे । जे—जो । वड् परिजाणइ—सदोष वाणी वचन को 'ज्ञ' प्रज्ञा से जान कर और 'प्रत्याख्यान' प्रज्ञा से त्याग करता है । से निग्गथे—वह निर्ग्रन्थ है । जाव—यावत् । वह—साधु की वाणी । अपावियत्ति—पाप से रहित हो इस प्रकार यह । तच्चा भावणा—तीसरी भावना है ।

मूलार्थ—अब तीसरी भावना का स्वरूप कहते हैं—जो साधक सदोष वाणी-वचन को छोड़ता है, वह निर्ग्रन्थ है । जो वचन पापमय, सावद्य और सक्रिय यावत् भूतो-जीवो का उपघातक, विनाशक हो, साधु उस वचन का उच्चारण न करे । जो वाणी के दोषो को जानकर उन्हें छोड़ता है और पाप रहित निर्दोष वचन का उच्चारण करता है उसे निर्ग्रन्थ कहते हैं । यह तीसरी भावना है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में वाणी की निर्दोषता को वर्णन किया गया है । इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि सावद्य, सदोष एवं पापकारी भाषा का प्रयोग करने वाला व्यक्ति निर्ग्रन्थ नहीं हो सकता । क्योंकि सदोष एवं पापयुक्त भाषा से जीव हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है । अतः साधु को अपने वचन का प्रयोग करते समय भाषा की निर्दोषता पर पूरा ध्यान रखना चाहिए । उसे कर्कश, कठोर, व्यक्ति-व्यक्ति में छेद-भेद एवं फूट डालने वाले, हास्यकारी, निश्चयकारी, अन्य प्राणियों के मन में कष्ट, वेदना एवं पीड़ा देने वाली, सावद्य एवं पापमय भाषा का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए । प्रथम महाव्रत की शुद्धि के लिए भाषा की शुद्धता एवं निर्दोषता का परिपालन करना आवश्यक है ।

अब चौथी भावना का विश्लेषण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अहावरा चउत्था भावणा-आयाणभंडमत्तनिकखेवणासमिण् से निग्गथे, नो अणायाणभंडमत्तनिकखेवणासमिण्, केवली वूया-आयाणभंडमत्तनिकखेवणा असमिण् से

निर्गन्धे, पाणाडं भूयाडं जीवाडं सत्ताडं अभिहिणज्जा वा जाव
उद्विज्ज वा, तम्हा आयाणभंडमत्तनिकखेवणासमिण् मे निर्गन्धे
नो आयाणभंडमत्तनिकखेवणा असमिण्ति चउत्था भावणा ।४।

श्रुत्या—अथापग चतुर्थी भावना-आदानभाण्डमात्रनिक्षेपणाममितः
स निर्ग्रन्थः नो अनादानभांडमात्रनिक्षेपणाऽसमितः केवली ब्रूयात् आदान-
मेतन् अदानभांडमात्रनिक्षेपणासमितः स निर्ग्रन्थाः प्राणिनः भूतानि,
जीवान् सत्त्वानि अभिहन्थाद् वा यावन् अद्राप्येद् वा तम्पान् आदा-
नभाण्डमात्रनिक्षेपणा समितः स निर्ग्रन्थाः नो आदान भाण्डमात्रनिक्षेपणा
असमितः इति चतुर्थी भावना ।

पदार्थ—अहावरा—तीसरी भावना में आगे अब । चउत्था भावना—चौथी भावना
को कहते हैं यथा । आयाण भंडमत्त निकखेवणा समिण्—भाण्डोपकरण समिति से युक्त है अर्थात्
यतना पूर्वक वस्त्र-पात्रादि उपकरणों को ग्रहण करना है तथा यतना पूर्वक उन्हें उठाता एवं रखता
है । मे निर्गन्धे—वह निर्ग्रन्थ है । नो आयाण भंडमत्त निकखेवणा असमिण्—साधु आदान
भाण्डमात्र निक्षेपणा असमिति जाना न हो क्योंकि । केवली—केवली भगवान । ब्रूया—कहते
है कि यह कर्म बन्धन का कारण है अतः जो साधु । आयाण भंडमत्त निकखेवणा असमिण्—
भाण्डोपकरण लेना ह्मारा और रखता ह्मारा समिति में रहित होता है । मे निर्गन्धे—वह साधु ।
पाणाडं—प्राणी । भूयाडं—भूत । जीवाडं—जीव और । सत्ताडं—सत्त्वों को । अभिहिणज्ज वा—
अभिहन्तन करना है । जाव—यावन् । उद्विज्ज वा—प्राणों में पृथक् करता है । तम्हा—इस
लिए । अदाग भंडमत्तनिकखेवणा समिण्—जो आदान भाण्डमात्र निक्षेपणा समिति से युक्त है ।
मे निर्गन्धे—वह निर्ग्रन्थ साधु है । नो आयाण भंडमत्त निकखेवणा असमिण्ति-अतः साधु आदान
भाण्ड मात्र निक्षेपणा असमिति से युक्त न हो अर्थात् समिति से युक्त हो यह । चउत्थीभावना—
चौथी भावना कही गई है ।

मूलार्थ—अब चतुर्थ भावना को कहते हैं—जो आदान भाण्डमात्र निक्षेपणा
समिति से युक्त होता है वह निर्ग्रन्थ है । अतः साधु आदान भाण्डमात्र
निक्षेपणा समिति से रहित न हो, क्योंकि केवली भगवान कहते हैं कि जो
इससे रहित होता है, वह निर्ग्रन्थ प्राणों भूत, जीव, और सत्त्वों का हसक

होता है यावत् उनको प्राणों से रहित करने वाला होता है । अतः जो साधु इस समिति से युक्त है वह निर्ग्रन्थ है । यह चौथी भावना है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में शारीरिक क्रिया की शुद्धि का उल्लेख किया गया है । साधु को मन, वचन की शुद्धि के साथ शारीरिक प्रवृत्ति को भी सदा शुद्ध रखना चाहिए । उसे अपनी साधना में आवश्यक भंडोपकरण आदि ग्रहण करना पड़े या कहीं रखने एवं उठाने की आवश्यकता पड़े तो उसे यह कार्य विवेक एवं यतना पूर्वक करना चाहिए । अयतना से कार्य करने वाला साधु प्रथम महाव्रत को शुद्ध नहीं रख सकता और वह पाप कर्म का बन्ध करता है । क्योंकि अविवेक से जीवों की हिंसा का होना संभव है और जीव हिंसा पाप बन्धन का कारण है तथा इससे प्रथम महाव्रत का भी खण्डन होता है । अतः साधु को प्रत्येक उपकरण विवेक से उठाना एवं रखना चाहिए ।

अत्र पांचवीं भावना का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अहावरा पंचमा भावणा—आलोइयपाणभोयण—
भोई से निग्गंथे नो अणालोइयपाणभोयणभोई, केवली बूया०-
अणालोइयपाणभोयणभोई से निग्गंथे पाणाणि वा ४ अभि-
हणिज्ज वा जाव उद्विज्ज वा, तम्हा आलोइयपाणभोयण-
भोई से निग्गंथे, नो अणालोईयपाणभोयणभोईत्ति पंचमा
भावना ॥५॥

छाया—अथापरा पंचमी भावना आलोकितपानभोजनभोजीसः
निर्ग्रन्थः नो अनालोकितपानभोजनभोजी केवली ब्रूयात् आदानमेतत्
अनालोकितपानभोजनभोजी स निर्ग्रन्थः प्राणिनः वा ४ अभिहन्त्याद् वा
यावत् अपद्रोपयेद् वा तस्मात् आलोकितपानभोजनभोजी सः निर्ग्रन्थः नो
अनालोकितपानभोजन भोजी इति पंचमी भावना ।

पदार्थ—ग्रहावरा पंचमा भावना—अत्र पांचवी भावना को कहते हैं । आलोइयपाण-
भोयणमोई—जो विवेक पूर्वक देखकर आहार-पानी करता है । से निग्रंथे—वह निग्रंथ है ।
नो ग्रणालोइय पाण भोयणमोई—और विना देखे आहार पानी करने वाला नि-
ग्रंथ नहीं है क्योंकि । केवली बूया०—केवली भगवान कहते हैं कि यह कर्म बन्ध का हेतु है ।
ग्रणालोइयपाण भोयणमोई—जो विना देखे आहार पानी करता है । से—वह । निग्रंथे—निग्रंथ
पाणाणि वा ४—प्राणि भूत जीव और सत्वो का । अग्निहृणिज्ज वा—अग्निहनन करने । जाव—
यावत् । उहविज्ज वा—प्राणो मे रहिन करने वाला होता है । तम्हा—इमलिए । आलोइय-
पाणभोयण मोई—जो देवकर आहार पानी करता है । से—वह । निग्रंथे—निग्रंथ है ।
नो ग्रणालोइय पाण भोयण मोईति—न कि विना देखे आहार, पानी करने वाला, इम प्रकार ।
पचमा भावणा—यह पांचवी भावना है ।

मूलार्थ—अत्र चौथी के बाद पांचवी भावना को कहते हैं-जो विवेक
पूर्वक देख कर आहार-पानी करता है वह निग्रंथ है और जो विना देखे
आहार पानी करता है, वह निग्रंथ प्राणि आदि जीवो को हिंसा करता
है, उन्हें प्राणो से पृथक् करता है । इसलिए देखकर आहार पानी करने
वाला ही निग्रंथ होता है । यह पांचवी भावना है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र मे यह बताया गया है कि साधु को विना देखे खाने-पीने के पदार्थों
का उपयोग नहीं करना चाहिए । आहार को जाने के पूर्व मुनि को अपने पात्र भी भली-
भाति देख लेने चाहिए और उसके बाद प्रत्येक गान्ध एवं पेय पदार्थ सम्यक्तया देख
कर ही ग्रहण करना चाहिए और उन्हें देख कर ही खाना पीना चाहिए । विना देखे
पदार्थ लेने एवं गान्ध से जीवों की हिंसा होने एवं रोग आदि उत्पन्न होने की
संभावना है । अतः साधु को इस में पूरा विवेक रखना चाहिए । ये पांचों भावनाएँ प्रथम
महाव्रत को शुद्ध एवं निर्दोष रखने के लिये आवश्यक हैं । इनके सम्यक् आराधन से
साधक अपनी साधना मे तेजस्विता ला सकता है ।

प्रथम महाव्रत का उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—प्यावता महव्वए सम्मं काएण फामिए पालिए
तीरिए किट्टिए अयट्टिए आणाए आराहिए यावि भवइ, पढमे

भते ! महव्वए पाणाइवायाओ वेरमणां ॥

छाया—एतावता महाव्रत सम्यक् कायेन स्पर्शितं पालितं तीर्णं कीर्तितम् अवस्थितं आज्ञया आराधित चापि भवति, प्रथमे भदन्त ! महाव्रते प्राणातिपाताद् विरमणम् ।

पदार्थ—एतावता—इस प्रकार । महव्वए—प्रथम महाव्रत को । इम्मं—सम्यक्तया । कायेण—काया से । फासिए—स्पर्शित किया । पालिए—पालन किया । तीरिए—पार पहुँचाया । किट्टिए—कीर्तन किया । अवट्टिए—अवस्थित रखा जाता है और । घाणाए—उसका आज्ञा पूर्वक । आराहिए—आराधन किया । यावि भवइ—जाता है । च, पुनः और अपि-समुच्चय अर्थ में जानना । भते—हे भगवन् । पढ्मेमहव्वए—मैं प्रथम महाव्रत में । पाणाइवायाओ-प्राणातिपात से । वेरमणं—निवृत्त होता हूँ अर्थात् प्रथम महाव्रत प्राणातिपात विरमण रूप है ।

मूलार्थ—साधक द्वारा स्वीकृत प्राणातिपात (हिंसा) के त्याग रूप प्रथम महाव्रत को इस प्रकार काया से स्पर्शित करके उसका पालन किया जाता है, उसे तीर पर पहुँचाया जाता है, उसका कीर्तन किया जाता है, उसे अवस्थित रखा जाता है और उसका आज्ञा के अनुरूप आराधन किया जाता है । इस प्रकार प्रथम महाव्रत में साधु प्राणातिपात से निवृत्त होता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह अभिव्यक्त किया गया है कि प्रत्येक साधना का महत्त्व उसका परिपालन करने में है । प्रथम महाव्रत का सम्यक्तया आचरण करने से ही आत्मा का विकास हो सकता है । जब तक वह जीवन में साकार रूप ग्रहण नहीं करता तब तक साधक की साधना में तेजस्विता नहीं आसकती । इसलिए साधक को चाहिए कि वह आगम में दिए गये आदेश के अनुसार प्रथम महाव्रत को आचरण में उतारकर जीवन पर्यन्त उसका परिपालन करे, एक सम्यक्तया आराधन करे ।

अब द्वितीय महाव्रत का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अहावरं दुच्चं महव्वयं पच्चक्खामि, सव्वं मुसावायं वइदोसं, से कोहा वा लोहा वा भया वा हासा वा नेच सयं

मुसं भामिज्जा नेवन्नेणं मुसं भासाविज्जा अन्नपि मुसं भासंतं
न समणुमन्निज्जा तिविहं तिविहेणं मणसा वयसा कायसा, तस्स
भंते ! पडिक्कमामि जाव वोसिरामि ॥

छाया—अथापर द्वितीयं महाव्रतं प्रत्याख्यामि सर्वं मृषावादं वाग्दोषं
सः क्रोधाद् वा लोभाद् वा भयाद् वा हामाद् वा नेव स्वयं मृषा भाषेत नैवा-
न्येन मृषा भाषयेन् अन्यमपि मृषा भाषमाणं न समनुजानीयान् त्रिविधं
त्रिविधेन मनसा वचसा क्रायेन तस्य भदन्त । प्रतिक्रमामि यावत् व्युत्सृजामि ।

पदार्थ—ग्रहावरं—अब अन्य । दुच्चं—दूसरे । महव्वय—महाव्रत को कहते हैं ।
सर्वं मुसावायं—सर्व प्रकार के मृषावाद । बइदोसं—वाणी-वचन के दोषों का । पच्चवखामि—
प्रत्याख्यान करता हूँ अर्थात् ज्ञ प्रज्ञा से उन्हें जानकर प्रत्याख्यानप्रज्ञा से उनका प्रत्याख्यान करता
हूँ-त्याग करता हूँ । से—वह साधु । कोहा वा—क्रोध से । लोहा वा—लोभ से । भयावा—भय
से । हासा वा—हास्य से । एय—निश्चयार्थक है । सय—स्वयं अपने आप । मुस—मृषा
भूठ । न नातिज्जा—न बोले । अन्नेण—दूसरो से । मुसं—मृषा-भूठ । न भासविज्जा—न
बुनावे तथा । मुस-मृषा । भासंत—भाषण करते हुए । अन्नपि—अन्य व्यक्ति का । न समणुम-
न्निज्जा—अनुमोदन भी न करे । तिविहं—तीन करण और । तिविहेण—तीन योग से । मणसा—
मन से । वयसा—वचन से । कायसा—काया से । भंते—हे भगवन् मैं । तस्स—उस मृषा वाद
रूपी पाप ने । पडिक्कमामि—पीछे हटता हूँ । जाव—यावत् आत्म साक्षी से उसकी निन्दा और
गुरुसाक्षी से गर्हणा करता हुआ । वोसिरामि—मृषा वाद से अपने आत्मा को पृथक
करता हूँ ।

मूलार्थ—इस द्वितीय महाव्रत में साधक यह प्रतिज्ञा करता है कि हे भगवन् !
मैं आज से मृषावाद और सदोष वचन का सर्वथा परित्याग करता हूँ । अतः
साधु क्रोध से, लोभ से, भय से, और हास्य से न स्वयं भूठ बोलता है न
अन्य व्यक्ति को असत्य बोलने की प्रेरणा देता है और न मृषा भाषण करने
वालों का अनुमोदन करता है इस तरह साधक तीन करण एव तीन योग से
मृषावाद का त्याग करके यह प्रतिज्ञा करता है कि हे भगवन् ! मैं मृषावाद
से पीछे हटता हूँ, आत्म साक्षी से उसकी निन्दा करता हूँ और गुरु साक्षी

से उसकी गहणा करता हू और अपनी आत्मा को मृपावाद से सर्वथा पृथक् करता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

वस्तुतः सूत्र में दूसरे महाव्रत का वर्णन किया गया है । असत्य आत्मा के लिए पतन का कारण है । उससे आत्मा में अनेक दोष आते हैं और पाप कर्म का बन्ध होता है । इस लिए साधक उसका सर्वथा त्याग करता है और उसके साथ उसके कारणों का भी त्याग करता है । इसमें बताया गया है कि व्यक्ति क्रोध, मान, माया और लोभ के वश होकर झूठ बोलता है । अतः साधक को इन कापायों का त्याग कर देना चाहिए । और यदि कर्मोद्गम से कभी कषाय का उदय हो रहा हो तो मौन ग्रहण करके पहले कषाय को उपशान्त करना चाहिए, उसके बाद भाषा का प्रयोग करना चाहिए ।

इससे स्पष्ट होता है कि जो साधक असत्य भाषा का सर्वथा त्याग नहीं करता, वह निर्ग्रन्थ नहीं कहला सकता । वस्तुतः असत्य से पूर्णतः निवृत्त साधक ही निर्ग्रन्थ कहला सकता है ।

उक्त महाव्रत की भावनाओं का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तस्सेमात्रो पंच भावणात्रो भवति । तत्थिमा
पढमा भावणा-अणुवीइभासी से निग्गंथे, नो अणुवीइभासी,
केवली बूया-अणुवीइभासी से निग्गंथे समावज्जिज्ज मोसं
वयणाए, अनुवीइभासी से निग्गंथे नो अणुवीइभासित्ति
पढमा भावणा ॥१॥

अहावरा दुच्चा भावणा-कोहं परियाणइ से निग्गंथे. न य
कोहणे सिया, केवली बूया-कोहपत्ते कोहत्तं समावइज्जा मोसं
वयणाए, कोहं परियाणइ से निग्गंथे, न य कोहणे सियत्ति दुच्चा
भावणा ॥२॥

अहावरा तच्चा भावणा लोभं परियाणइ से निग्गंथे नो
अ लोभणए सिया, केवली बूया०-लोभपत्ते लोभी समावइज्जा मोसं
वयणाए, लोभं परियाणइ से निग्गंथे, नो य लोभणए सियत्ति
तच्चा भावणा ॥३॥

अहावरा चउत्था भावणा-भयं परिजाणइ से निग्गंथे, नो
भयभीरुए सिया, केवली बूया०-भयपत्ते भीरू समावइज्जा मोसं
वयणाए, भयं परिजाणइ से निग्गंथे, नो भयभीरुए सिया,
चउत्था भावणा ॥४॥

अहावरा पंचमा भावणा-हासं परियाणइ से निग्गंथे, नो य
हासणए, सिया केव० हासपत्ते हासी समावइज्जा मोसं वयणाए,
होसं परिजाणइ से निग्गंथे, नो हासणए सियत्ति पंचमी
भावणा ॥५॥

छाया—तस्येमाः पच भावना भवन्ति—

तत्र इय प्रथमा भावना—अनुविचित्यभाषी स निर्ग्रन्थः नो अननुविचि-
न्त्य भाषी, केवली ब्रूयात् आदानमेतत् अननुविचित्यभाषी स निर्ग्रन्थः
समापद्येत मृपावचनं अनुविचित्यभाषी स निर्ग्रन्थः नो अननुविचिन्त्यभाषीति
प्रथमा भावना ।

छाया—अथापरा द्वितीया भावना-क्रोधं परिजानाति स निर्ग्रन्थः न च
क्रोधनः स्यात् केवली ब्रूयात् आदानमेतन् क्रोधप्राप्तः क्रोधत्वं समावदेत् मृपा
वचनं क्रोधं परिजानाति स निर्ग्रन्थः न च क्रोधनः स्यात् इति द्वितीया भावना

अथापरा तृतीया भावना-लोभं परिजानाति स निर्ग्रन्थः न च लोभनः स्यात् केवली ब्रूयात् आदानमेतत् लोभप्राप्तः लोभी समावदेत् मृषावचनं लोभ परिजानाति स निर्ग्रन्थः न च लोभनः स्यात् इति तृतीया भावना ।

अथापरा चतुर्थी भावना-भय परिजानाति सः निर्ग्रन्थः नो भयभीरुकः स्यात् केवली ब्रूयात् आदानमेतत्, भयप्राप्तः भीरुः समावदेत् मृषावचनम्, भय परिजानाति सः निर्ग्रन्थः नो भयभीरुकः स्यात् चतुर्थी भावना ।

अथापरा पचमी भावना-हासं परिजानाति स निर्ग्रन्थः न च हसनकः स्यात् केवली ब्रूयात् आदानमेतत् हासं प्राप्तः हामी समावदेत् मृषावचनं हासपरिजानाति स निर्ग्रन्थः नो हसनकः स्यादिति पचमी भावना ।

पदार्थ—तस्स—उस द्वितीय महाकृत की । इमा—ये आगे कही जाने वाली । पच भावणाओ—पाच भावनार्ये । भवन्ति—होती हैं । तत्स्थिता—उन पाच भावनाओ मे से यह । पठना भावणा—पहली भावना है । अणुवीड भासी—जो विचार कर भाषण करता है । से निग्गथे—वह निर्ग्रन्थ है । नो अणुवीड भासी—जो बिना विचारे भाषण करता है । केवली ब्रूया०—केवली भगवान कहते हैं कि यह कर्म बन्धा का हेतु है । अणुवीड भासी—बिना विचार किये बालन वाला । से—वह । निग्गथे—निर्ग्रन्थ-साधु । मोसं—मृषावाद । वयणाए—वचन को । समावज्जज्ज—प्राप्त होता है, अतः । अणुवीड भासी—जो विचार पूर्वक बोलता है । से निग्गथे—वह निर्ग्रन्थ है । नो अणुवीड भासिन्धि—न कि जा बिना विचारे बोलता है । पठमा भावणा—यह प्रथम भावना है ।

अहावरा—अब अन्य । दुच्चा भावणा—दूसरी भावना को कहते हैं । कोह—क्रोध का । परिघाणइ—ज प्रज्ञा से—इम के कटु परिणाम को जान कर प्रयाख्यान प्रज्ञा से उसका जो त्याग करता है । से निग्गथे—वह निर्ग्रन्थ है । नो कोहणे सिया—साधु क्रोधी-क्रोधशील न हो । केवली ब्रूया—केवली भगवान कहते हैं यह कर्म बन्धा का कारण है । कोहपत्तो—क्रोध को प्राप्त हुआ । कोहत्त—साधु क्रोध भाव को प्राप्त कर । मोसवयणाए—मृषा वचन । समावइज्जा-गावता है अतः, माधु कात्र न करे । काहपरिघाणइ—जो क्रोध के कटुफल को जान कर उसे छोड़ता है । से निग्गथे—वह निर्ग्रन्थ है । य—पुनः । न कोहणे सिधत्ति—साधु क्रोधी-क्रोध करने वाला न हो । दुच्चा भावणा—यह दूसरी भावना है ।

अहावरा तच्चा भावणा—अब तीसरी भावना को कहते हैं । लोभ परिघाणइ—जो

लोभ के कटुफल को जानकर लोभ का परित्याग करता है । से निगम्ये—वह निर्ग्रन्थ है । य—
 और । नो लोभणए सिया—साधु लोभ शील न होवे । केवली वूया—केवली भगवान कहते हैं ।
 लोमपत्ते—लोभ को प्राप्त हुआ । लोभी—लोभी-लोभ करने वाला । मोसं वयणाए समावइज्जा—
 मृषा वचन बोलता है अतः । लोभपरियाणइ—जो साधु लोभ के कटुफल को जान कर लोभ
 का परित्याग करता है । से निगम्ये—वह निर्ग्रन्थ । नो य लोभणए सियत्ति—साधु लोभ शील-
 लोभी न हो इस प्रकार यह । तच्चा भावणा—तीसरी भावना है ।

अहावरा चउत्था भावणा—अव चतुर्थ भावना को कहते हैं । भय परिजाणइ—भय को
 जानकर उसका परित्याग करता है । से निगम्ये—वह निर्ग्रन्थ है । नो भवभीरुए सिया—साधु
 भय से भीरु न बने । केवली वूया—केवली भगवान कहते हैं । भयपत्ते—भय को प्राप्त हुआ
 भीरु—डरने वाला साधु । मोस वयणाए—मृषा वचन । समावइज्जा—बोल देता है अतः ।
 भय परिजाणइ—जो भय का परित्याग करता है । से निगम्ये—वह निर्ग्रन्थ है इसलिए । नो
 भयभीरुए सिया—भय से भीरु न हो । त्ति—इस प्रकार । चउत्था भावणा—यह चतुर्थ भावना है ।

अहावरा पंचमा भावणा—अव पाचवी भावना को कहते हैं । हासं परिजाणइ—
 हास्य को जान कर जो हास्य का परित्याग करता है । से निगम्ये—वह निर्ग्रन्थ है । नो य
 हासणए सिया—और फिर वह निर्ग्रन्थ हसन शील न हो क्योंकि । केवली०—केवली भगवान
 कहते हैं, यह कर्म बन्धन का हेतु है । हासपत्ते—हास्य को प्राप्त होकर । हाभी—हास्य करने वाला
 मोसं—मृषा । वयणाए—वचन । समावइज्जा—बोलने वाला होता है अर्थात् वह झूठ भी बोल
 देता है अतः जो । हास परिजाणइ—हास्य का परित्याग करता है । से निगम्ये—वह निर्ग्रन्थ है ।
 नो हासणए सियत्ति—न कि हास्य शील होने वाला । पंचमा भावणा—यह पाचवी भावना
 कही है ।

मूलार्थ—इन द्वितीय महाव्रत को ये पाच भावनाएं हैं—

उन पाच भावनाओं में से प्रथम भावना यह है जो विचार पूर्वक
 भाषण करना है वह निर्ग्रन्थ है, बिना विचारे भाषण करने वाला निर्ग्रन्थ
 नहीं है । केवला भगवान कहते हैं कि बिना विचारे बोलने वाले निर्ग्रन्थ
 को मृषा भाषण की संप्राप्ति होती है अर्थात् मिथ्या भाषण का दोष
 लगता है अतः विचार पूर्वक बोलने वाला साधक ही निर्ग्रन्थ कहला
 सकता है ।

❀ सरदार मल चौपडा ❀

1934, सौराष्ट्र वाणी

द्वितीय महाव्रत की दूसरी भावना यह है कि जो साधक क्रोध के कटु फल को जानकर उसका परित्याग करता है, वह निर्ग्रन्थ है। केवलो भगवान का कहना है कि क्रोध एवं आवेश के वश व्यक्ति असत्य वचन का प्रयोग कर देता है। अतः क्रोध से निवृत्त साधक ही निर्ग्रन्थ होता है।

तीसरी भावना यह है कि लोभ का परित्याग करने वाला साधक निर्ग्रन्थ होता है। लोभ के वश होकर भी व्यक्ति झूठ बोल देता है, अतः साधक को लोभ नहीं करना चाहिए।

चौथी भावना यह है कि भय का सर्वथा परित्याग करने वाला व्यक्ति निर्ग्रन्थ^३ कहलाता है। भय से युक्त व्यक्ति अपने बचाव के लिए झूठ बोल देता है। अतः मुनि को सदा पूर्णतः भय से रहित रहना चाहिए।

पांचवी भावना यह है कि हास्य का त्याग करने वाला साधक निर्ग्रन्थ कहलाता है। हास्यवश भी व्यक्ति असत्य भाषण कर सकता है। इस लिए मुनि को हास्य-हंसी-मजाक का सर्वथा परित्याग करना चाहिए।

हिन्दी विवेचन

प्रथम महाव्रत की तरह द्वितीय महाव्रत की भी ५ भावनाएँ हैं—१ विवेक-विचार से बोलना, २ क्रोध के वश, ३ लोभ के वश, ४ भय के वश और ५ हास्य के वश असत्य नहीं बोलना चाहिए। भाषा बोलने के पूर्व विवेक रखना प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकर है। परन्तु असत्य का सर्वथा त्याग करने वाले साधक के लिए यह अनिवार्य है कि वह विवेक पूर्वक एवं भाषा की सदोषता तथा निर्दोषता का विचार करके बोले। वह सदा इस बात का ख्याल रखे कि किसी भी तरह असत्य एवं सदोष भाषा का प्रयोग न होने पाए।

यह भी स्पष्ट है कि क्रोध और लोभ के वश भी व्यक्ति झूठ बोल जाता है। उस समय उसे बोलने का विवेक नहीं रहता है। इसी तरह भय भी मनुष्य के विवेक को विलुप्त कर देता है। उससे छुटकारा पाने के लिए भी असत्य का सहारा ले लेता है। अतः साधु को इन सब दोषों से मुक्त रहना चाहिए। उसे क्रोध लोभ, एवं भय आदि विकारों से उन्मुक्त होकर विचरना चाहिए।

हम देखते हैं कि हंसी-मजाक के बश भी लोग भूठ बोलते हैं। अतः साधक को इससे भी दूर रहना चाहिए। हंसी-मजाक से एक तो जीवन की गम्भीरता नष्ट होती है। दूसरे में वह लोगों की दृष्टि में छिछला सा व्यक्ति प्रतीत होता है। स्वाध्याय एवं ध्यान का समय भी व्यर्थ ही नष्ट होता है और साथ में असत्य का भी प्रयोग हो जाता है। इसलिए साधक को हंसी मजाक का परित्याग करके सदा आत्म साधना में संलग्न रहना चाहिए।

अब द्वितीय महाव्रत का उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्—एतावता दोच्चे महव्वए सम्मं काएण फासिए जाव
आणाए आराहिए यावि भवइ, दुच्चे भंते ! महव्वए ॥**

छाया—एतवाता द्वितीयं महाव्रतं सम्यक् कायेन स्पर्शितं यावत् आज्ञया
आराधित चापि भवति द्वितीय भदन्त महाव्रतम् ।

पदार्थ—एतावता—इस प्रकार। दोच्चे महव्वए—द्वितीय महाव्रत को। सम्मं—
सम्यक् प्रकार से। काएण—काया से। फासिए—स्पर्शित कर। जाव—यावत्। आणाए—आज्ञा
का। आराहिए—आराधक। भवइ—होता है। भंते !—हे भगवन् ! दोच्चे—दूसरा।
महव्वए—महाव्रत स्वीकार करता हू।

मूलार्थ—इस प्रकार दूसरे महाव्रत को सम्यक् प्रकार से काया से
स्पर्शितकर यावत् आज्ञा पूर्वक आराधित करने से हे भदन्त ! यह दूसरा
महाव्रत होता है। अर्थात् उक्त महाव्रत की सम्यक्तया अराधना होती है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यही बताया गया है कि द्वितीय महाव्रत का महत्त्व उसके आरा-
धन में है। आगम में दिए गए-आदेश के अनुसार काया से उसका आचरण करना ही
दूसरे महाव्रत का परिपालन करना है। अतः वचन के बताए गए समस्त दोषों का परि-
त्याग करके दूसरे महाव्रत का पालन करने वाला साधक ही वास्तव में निर्ग्रन्थ एवं आ-
राधक कहलाता है।

अब सूत्रकार तीसरे महाव्रत के संबंध में कहते हैं—

मूलम्—अहावरं तच्चं भंते ! महव्वयं पचक्खामि सुव्वं

अदिन्नादाणं, से गामे वा नगरे वा रन्ने वा अप्पं वा वहुं वा
 अणुं वा थूलं वा चित्तमंतं वा अचित्तमंतं वा नेव सयं अदिन्नं
 गिरिहंज्जा नेवन्नेहिं अदिन्नं गिराहाविज्जा अदिन्नं अन्नंपि
 गिराहत्तं न समणुजाणिज्जा जावज्जीवाए जाव वोसिरामि ॥

झाया—अथापरं तृतीय भदन्त ! महाव्रतं प्रत्याख्यामि सर्वम् अदत्ता-
 दानं तद् ग्रामे वा नगरे वा अरण्ये वा अल्पं वा बहु वा अणु वा स्थूल वा
 चित्तवद् वा अचित्तमद् वा नैव स्वयं अदत्तं गृह्णीयात् नैवान्यै अदत्तं ग्राहयेत्
 अदत्तं अन्यमपि गृह्णन्त न समनुजानामि यावज्जीवं यावत् व्युत्सृजामि ।

पदार्थ—अहावरं—अथ अपर । भते—हे भगवन् । तच्च—तृतीय । महत्त्वयं—महा-
 व्रत के विषय मे । सर्वं—सर्व प्रकार के । अदिन्नादाण—अदत्तादान का । पच्चवखामि—प्रत्या-
 ख्यान करता हू । से—वह । गामे वा—ग्राम मे । नगरे वा—नगर मे अथवा । रन्ने वा—
 अरण्य मे । अप्पं वा—स्वल्प या । वहुं वा—बहुत या । अणुं वा—सूक्ष्म या । थूल वा—स्थूल
 पदार्थ या । चित्तमत वा—सचित्त या । अचित्त मत वा—अचित्त पदार्थ । एव—निश्चयार्थक है ।
 अदिन्नं—किसी के दिए धना । सयं—स्वयं-अपने आप । न गिरिहंज्जा—ग्रहण नहीं करूंगा
 तथा । अन्नेहिं—औरो से । नेवगिराहाविज्जा—ग्रहण नहीं कराऊंगा । अदिन्नं—अदत्त को ।
 गिरिहंतं—ग्रहण करने वाले । अन्नंपि—अन्य व्यक्ति का । न समणुजाणिज्जा—अनुमोदन नहीं
 करूंगा । जावज्जीवाए—जीवन पर्यन्त । जाव—यावत् (शेष पाठ पूर्ववत् जानना) । वोसिरामि
 अदत्तादान से अपने को पृथक् करता हू ।

मूलार्थ— हे भगवन् ! मैं तृतीय महाव्रत के विषय मे
 सर्वप्रकार से अदत्तादान का प्रत्याख्यान करता हू । वह अदत्तादान-
 चोरी से ग्रहण किया जाने वाला पदार्थ चाहे ग्राम मे, नगर मे
 अरण्य-अटवी मे हो, स्वल्प हो, बहुत हो, स्थूल हो, एव सचित्त अथवा
 अचित्त हो उसे न तो स्वयं ग्रहण करूंगा, न दूसरो से ग्रहण कराऊंगा
 और न ग्रहण करने वाले व्यक्ति का अनुमोदन करूंगा, मैं जीवन पर्यन्त

के लिए इस महाव्रत को तीन करण और तीन योग से ग्रहण करता हूँ । और इस अदत्तादान (चौर्य कर्म) के पाप से मैं अपनी आत्मा को सर्वथा पृथक करता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र मे स्तेय (चौर्य कर्म) के त्याग का उल्लेख किया गया है । चोरी आत्मा को पतन की ओर ले जाती है । इस कार्य को करने वाला व्यक्ति साधना मे संलग्न होकर आत्म शक्ति को नहीं पा सकता । क्योंकि इससे मन सदा अनेक सकल्प विकल्पों में उलझा रहता है । अतः साधक को कभी भी अदत्त ग्रहण नहीं करना चाहिए चाहे वह पदार्थ साधारण हो या मूल्यवान हो, छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी क्यों न हो, साधु को बिना आज्ञा के या बिना दिया हुआ कोई भी पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए । वह न स्वयं चोरी करे, न दूसरे व्यक्ति को चोरी करने के लिए कहे और न चोरी करने वाले का समर्थन ही करे । इस तरह वह सर्वथा इस पाप से निवृत्त होकर समय में संलग्न रहे ।

इस महाव्रत की भावनाओं का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तस्मिमात्रो पंच भावणाओ भवन्ति ।

तत्थिमा पट्टमा भावणा-अणुवीइ मिउग्गहं जाई से निग्गंथे
नो अणुवीइमिउग्गहंजाई से निग्गंथे, केवली वूया०—अणु—
वीइमिउग्गहंजाई निग्गंथे अदिन्नगिराहेज्जा, अणुवीइमिउग्गह-
जाई से निग्गंथे नो अणुवीइमिउग्गहजाइत्ति पट्टमा भावणा

॥१॥

मूलम्—अहावरा दुच्चा भावणा—अणुन्नवियपाणभोयणभोई
से निग्गंथे, नो अणुणुन्नविय पाणभोयणभोई, केवलीवूया०—
अणुणुन्नवियपाणभोयणभोई मे निग्गंथे अदिन्न भुंजिज्जा,

तम्हा अणुन्नवियपाण भोयणभोई से निग्गंथे नो अणुणुन्न-
वियपाणभोयणभोई त्ति दुच्चा भावणा ॥२॥

अहावरा तच्चा भावणा-निग्गंथेणां उग्गहंसि उग्गहियंसि
एतावताव उग्गहणसीलए सिया, केवली बूया०-निग्गंथेणां उग्ग-
हंसि अणुग्गहियंसि एतावताव अणुग्गहणसीले अदिन्न अोगि-
सिहज्जा, निग्गंथेणां उग्गहं उग्गहियंसि एतावताव उग्गहण-
सीलए त्ति तच्चा भावणा ॥३॥

अहावरा चउत्था भावणा-निग्गंथेणां उग्गहंसि उग्गहियंसि
अभिकखणां २ उग्गहणसीलए सिया, केवली वूया०—निग्गंथेणां
उग्गहंसि उ अं अभिकखणां २ अणुग्गहणसीले अदिन्नं गिरिह-
ज्जा, निग्गंथे उग्गहसि उग्गहियंसि अभिकखणां २ उग्गहण-
सीलए त्ति चउत्था भावणा ॥४॥

अहावरा पंचमा भावणा—अणुवीइ मिउग्गहजाई से निग्गंथे
साहम्मिएसु, नो अणुणुवीईमिउग्गहजाई, केवली बूया०
अणुणुवीइ मिउग्गहजाई से निग्गंथे साहम्मिएसु अदिन्नं
उगिरिहज्जा अणुणुवीइ मिउग्गहजाई से निग्गंथे साहम्मिएसु नो
अणुणुवीइमिउग्गह जाई इइ पंचमा भावणा ॥५॥

छाया— तस्येमाः पच भावनाः भवन्ति—

तत्र इयं प्रथमा भावना-अनुविचिन्त्य मितावग्रह्याची न निर्ग्रन्थः न अननुविचिन्त्यमितावग्रह्याची न निर्ग्रन्थः केवली ब्रूयान् अननुविचिन्त्य-मितावग्रह्याची निर्ग्रन्थः अदत्तं गृह्णीयान् अनुविचिन्त्य मितावग्रह्याची न निर्ग्रन्थः नो अननुविचिन्त्य मितावग्रह्याचीति प्रथमा भावना ।

अथापरा द्वितीया भावना-अनुज्ञाप्य पानभोजनभोजी न निर्ग्रन्थः नो अननुज्ञाप्यपानभोजनभोजी । केवली ब्रूयान्-अननुज्ञाप्यपानभोजनभोजी न निर्ग्रन्थः अदत्तं मृञ्जान्, तन्मान् अनुज्ञाप्य पानभोजनभोजी न निर्ग्रन्थः न अननुज्ञाप्य पानभोजनभोजीति द्वितीया भावना ।

अथापरा तृतीया भावना-निर्ग्रन्थेन अवग्रहे अवगृहीते एतावता अवग्रहणशीलः स्यात्, केवली ब्रूयान् निर्ग्रन्थेन अवग्रहे अनवगृहीते एतावता अनवग्रहणशीलः अदत्तं गृह्णीयान्, निर्ग्रन्थेन अवग्रहे अवगृहीते एतावता अवग्रहणशील इति तृतीयाभावना ।

अथापरा चतुर्थी भावना-निर्ग्रन्थेन अवग्रहे अवगृहीते अभीक्षणं २ अवग्रहणशीलकः स्यात् केवली ब्रूयान् निर्ग्रन्थेन अवग्रहे तु अभीक्षणं ० अनवग्रहणशीलः अदत्तं गृह्णीयान्, निर्ग्रन्थः अवग्रहे अवगृहीते अभीक्षणं २ अवग्रहणशीलक इति चतुर्थी भावना ।

अथापरा पंचमी भावना अनुविचिन्त्य मितावग्रह्याची न निर्ग्रन्थः साधनिकेषु नो अननुविचिन्त्य मितावग्रह्याची, केवली ब्रूयान् अननुविचिन्त्य मितावग्रह्याची न निर्ग्रन्थः साधनिकेषु अदत्तं अवगृह्णीयान्, अनुविचिन्त्य मितावग्रह्याची न निर्ग्रन्थः साधनिकेषु नो अननुविचिन्त्य मितावग्रह्याचीति पंचमी भावना ।

वदार्थ—उच्चिवाग्रो—इय वीचरे नहात्त वीं डे । वच—उच्च । भावनाग्रो—भावनाग्रं । नवति—है ।

वदित्यन्त—इय उच्च भावनाग्रो नै डे नह । वदना—वदय । भावना—भावना है ।

अणुवीड—जो विचार कर । मिउग्गहं—मित-प्रमाण पुग्सर अवग्रह की । जाई—याचना करता है । से निग्गंथे—वह निर्ग्रन्थ है । नो अणुवीड—जो बिना विचारे । मिउग्गह—मितावग्रह की । जाई—याचना करने वाला नहीं होता है । से निग्गंथे—वह निर्ग्रन्थ । केवली बूया०—केवली भगवान कहते हैं । अणुवीड—बिना विचारे । मिउग्गह—मित अवग्रह की । जाई—याचना करने वाला । निग्गंथे—निर्ग्रन्थ । अदिन्न—अदत्तादान का । गिण्हेज्जा—ग्रहण करता है, अतः जो । अणुवीड—विचार कर । मिउग्गहजाई—मित अवग्रह की याचना करता है । से निग्गंथे—वह निर्ग्रन्थ होता है । नो अणुवीड मिउग्गहजाई—न कि बिना विचारे मितावग्रह की याचना करने वाला भी । त्त—इस प्रकार । पड़माभावना—यह प्रथम भावना कही गई है ।

अहावरा बुच्च भावणा—अथ अपर द्वितीय भावना को कहते हैं । अणुन्नविद्य—गुरु आदि की आज्ञा ले कर । पाण भोयण भोई—जो आहार पानी करता है । से निग्गंथे—वह निर्ग्रन्थ है । नो अणुन्नविद्य पाणभोयण भोई—न कि गुरुजनों की आज्ञा के बिना आहार पानी करने वाला । केवली बूया—केवली भगवान कहते हैं । अणुन्नविद्य—गुरुजनों की आज्ञा प्राप्त किये बिना जो । पाण भोयण भोई—आहार पानी करता है । से निग्गंथे—वह निर्ग्रन्थ । अदिन्न—अदत्तादान का । भुज्जिज्जा—भोगने वाला होता है । तम्हा—इस लिए । अणुन्नविद्य—गुरुजनों की आज्ञा ले कर जो । पाण भोयण भोई—आहार पानी करता है । से निग्गंथे—वह निर्ग्रन्थ है । नो अणुन्नविद्य पाण भोयण भोई—न कि बिना आज्ञा के आहार पानी करने वाला । त्त—इस प्रकार । बुच्च भावणा—यह दूसरी भावना कही गई है ।

अहावरा तच्चा भावणा—अब तीसरी भावना को कहते हैं । निग्गंथेण—निर्ग्रन्थ साधु । उग्गहसि-अवग्रह मागने पर । उग्गहियसि—प्रमाण पूर्वक क्षेत्र औरकाल प्रमाण अवग्रहण को । एतावताव—इस प्रकार । उग्गहणसीलएसिया—प्रमाण पूर्वक अवग्रह के ग्रहण करने के स्वभाव वाला हो । केवली बूया०—केवली भगवान कहते हैं । निग्गंथेण—निर्ग्रन्थ । उग्गहसि—अवग्रह के । अणुग्गहियसि—प्रमाण पूर्वक ग्रहण न करने से । एतावता—इस प्रकार । अणुग्गहणसीले—आज्ञा न लेने के स्वभाव वाला होने से । अदिन्न—अदत्त का । ओगिण्हेज्जा—ग्रहण करता है अर्थात् अदत्तादान का सेवन करने वाला होता है । निग्गंथेण—निर्ग्रन्थ-साधु । उग्गह—अवग्रह के । उग्गहियसि—प्रमाण पूर्वक ग्रहण करने पर । एतावताव—इस प्रकार । उग्गहणसीलएत्ति—अवग्रहण शील होता है इस प्रकार यह । तच्चा भावणा—तीसरी भावना कथन की गई है ।

अहावरा चउत्था भावणा—अब चौथी भावना को कहते हैं । निग्गंथे—निर्ग्रन्थ । उग्गहसि—अवग्रह के । उग्गहियसि—लेने पर । अन्नियवण २—बारबार । उग्गहण सीलएसिया—अवग्रहण शील से अर्थात् पदार्थों की बार बार आज्ञा लेने के स्वभाव वाला हो क्योंकि ।

केवली ब्रूया—केवली भगवान् कहते हैं । निर्ग्रन्थ—निर्ग्रन्थ-नाथु । उगहृत्ति—अवग्रह के । उगहृत्ति—ग्रहण कर लेने पर । अन्निकल्पणं—वार वार । अणुगहृत्ति—आज्ञा न लेने वाला । अदत्तं गिण्हिज्जा—अदत्त का ग्रहण करता है अतः । निर्ग्रन्थे—निर्ग्रन्थ । उगहृत्ति—अवग्रह की । उगहृत्ति—याचना करे किन्तु । अन्निकल्पणं २—वार वार । उगहृत्ति—अवग्रह के ग्रहण करने वाला हो इस प्रकार । उच्यते भावणा—यह चौथी भावना कही गई है ।

महावरा पचमा भावणा—प्रव पांचवी भावना को कहते हैं । ते निर्ग्रन्थे—वह निर्ग्रन्थ । साहम्मिणु—साधर्मियों से । अणुवीड—विचार कर । मिउगहृत्ति—मितावग्रह की याचना करे । नो अणुवीड—न कि बिना विचारे । मिउगहृत्ति—मित-प्रमाण पूर्वक अवग्रह की । जाई—याचना करे । केवली ब्रूया—केवली भगवान् कहते हैं । अणुवीड—बिना विचार । मिउगहृत्ति—मितावग्रह की याचना करने वाला । ते निर्ग्रन्थे—वह निर्ग्रन्थ । साहम्मिणु—न धर्मियों से । अदत्तं—अदत्त का । उगिण्हिज्जा—ग्रहण करता है अतः । अणुवीड मिउगहृत्ति—विचार कर मितावग्रह की जो याचना करना है । ते निर्ग्रन्थे—वह निर्ग्रन्थ है । साहम्मिणु—साधर्मियों से । नो अणुवीड—विचार न करके । मिउगहृत्ति—मितावग्रह की याचना करने वाला निर्ग्रन्थ नहीं होता । इइ—इस प्रकार यह । पचमा भावणा—पांचवी भावना कही गई है ।

मूलार्थ—इम तोमरे महाव्रत की ये पाच भावनाएँ हैं—

उन पांच भावनाओं में से प्रथम भावना यह है—जो विचार कर मर्यादा पूर्वक अवग्रह की याचना करने वाला है, वह निर्ग्रन्थ है, न कि बिना विचार किए मितावग्रह की याचना करने वाला । केवली भगवान् कहते हैं कि बिना विचार किये अवग्रह की याचना करने वाला निर्ग्रन्थ अदत्त को ग्रहण करता है । इसलिए निर्ग्रन्थ को विचार पूर्वक ही अवग्रह की याचना करना चाहिए ।

अब दूसरी भावना को कहते हैं—गुरु जनो की आज्ञा लेकर आहार पानी करने वाला निर्ग्रन्थ होता है, न कि बिना आज्ञा के आहार-पान करने वाला । केवली भगवान् कहते हैं कि जो निर्ग्रन्थ गुरु आदि की आज्ञा प्राप्त किये बिना आहार-पानी आदि करता है वह अदत्तादान का भोगने वाला होता है । इसलिए आज्ञा पूर्वक, आहार-पानी करने वाला ही निर्ग्रन्थ होता है ।

अब तृतीय भावना का स्वरूप कहते हैं—निर्ग्रन्थ-साधु क्षेत्र और काल के प्रमाण पूर्वक अवग्रह की याचना करने वाला होता है । केवली भगवान कहते हैं कि जो साधु मर्यादा पूर्वक अवग्रह की याचना करने वाला नहीं होना वह अदत्तादान को सेवन करने वाला होता है, अन. प्रमाण पूर्वक अवग्रह का ग्रहण करना यह तीसरी भावना है ।

अब चौथी भावना को कहते हैं—निर्ग्रन्थ अवग्रह के ग्रहण करने वाला हो । केवली भगवान कहते हैं कि निर्ग्रन्थ बार २ अवग्रह के ग्रहण करने वाला हो यदि वह ऐसा न होगा तो उसको अदत्तादान का दोष लगेगा । अतः जो बार २ मर्यादा पूर्वक अवग्रह को याचना करने वाला होता है, वही इस व्रत की आराधना करने वाला होता है ।

पांचवी भावना यह है कि जो साधक साधर्मिकों से भी विचार पूर्वक मर्यादा पूर्वक अवग्रह की याचना करता है वह निर्ग्रन्थ है, न कि बिना विचार के आज्ञा लेने वाला । केवली भगवान कहते हैं कि साधर्मियों से भी विचार कर मर्यादा पूर्वक आज्ञा लेने वाला निर्ग्रन्थ ही तृतीय महाव्रत की आराधना कर सकता है । यदि वह उनसे विचार पूर्वक आज्ञा नहीं लेता है तो उसे अदत्तादान का दोष लगता है । इसलिए मुनि को सदा विचार पूर्वक ही आज्ञा लेनी चाहिए ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में तृतीय महाव्रत की ५ भावनाओं का उल्लेख किया गया है । पहले और दूसरे महाव्रत की तरह तीसरे महाव्रत की भी पांच भावनाएँ होती हैं— १ साधु किसी भी आवश्यक एवं कल्पनीय वस्तु को बिना आज्ञा ग्रहण न करे । २ प्रत्येक वस्तु के ग्रहण करने को जाने के पूर्व गुरु की आज्ञा ग्रहण करना, ३ क्षेत्र और काल की मर्यादा को ध्यान में रखकर वस्तु ग्रहण करने जाना, ४ बार बार आज्ञा ग्रहण करना और ५ साधर्मिक साधु की कोई वस्तु ग्रहण करनी हो तो उसकी (साधर्मिक की) आज्ञा लेना । इस तरह साधु को बिना आज्ञा के कोई भी पदार्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए ।

अब तृतीय भावना का स्वरूप कहते हैं—निर्ग्रन्थ-साधु क्षेत्र और काल के प्रमाण पूर्वक अवग्रह की याचना करने वाला होना है । केवली भगवान कहते हैं कि जो साधु मर्यादा पूर्वक अवग्रह की याचना करने वाला नहीं होना वह अदत्तादान को सेवन करने वाला होता है, अन. प्रमाण पूर्वक अवग्रह का ग्रहण करना यह तीसरी भावना है ।

अब चौथी भावना को कहते हैं—निर्ग्रन्थ अवग्रह के ग्रहण करने वाला हो । केवली भगवान कहते हैं कि निर्ग्रन्थ वार २ अवग्रह के ग्रहण करने वाला हो यदि वह ऐसा न होगा तो उसको अदत्तादान का दोष लगेगा । अतः जो वार २ मर्यादा पूर्वक अवग्रह को याचना करने वाला होता है, वही इस व्रत की आराधना करने वाला होता है ।

पाचवी भावना यह है कि जो साधक साधर्मिको से भी विचार पूर्वक मर्यादा पूर्वक अवग्रह की याचना करता है वह निर्ग्रन्थ है, न कि बिना विचार के आज्ञा लेने वाला । केवली भगवान कहते हैं कि साधर्मियों से भी विचार कर मर्यादा पूर्वक आज्ञा लेने वाला निर्ग्रन्थ ही तृतीय महाव्रत की आराधना कर सकता है । यदि वह उनसे विचार पूर्वक आज्ञा नहीं लेता है तो उसे अदत्तादान का दोष लगता है । इसलिए मुनि को सदा विचार पूर्वक ही आज्ञा लेनी चाहिए ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में तृतीय महाव्रत की ५ भावनाओं का उल्लेख किया गया है । पहले और दूसरे महाव्रत की तरह तीसरे महाव्रत की भी पांच भावनाएं होती हैं— १ साधु किसी भी आवश्यक एवं कल्पनीय वस्तु को बिना आज्ञा ग्रहण न करे । २ प्रत्येक वस्तु के ग्रहण करने को जाने के पूर्व गुरु की आज्ञा ग्रहण करना, ३ क्षेत्र और काल की मर्यादा को ध्यान में रखकर वस्तु ग्रहण करने जाना, ४ वार वार आज्ञा ग्रहण करना और ५ साधर्मिक साधु की कोई वस्तु ग्रहण करनी हो तो उसकी (साधर्मिक की) आज्ञा लेना । इस तरह साधु को बिना आज्ञा के कोई भी पदार्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए ।

अब तृतीय भावना का स्वरूप कहते हैं—निर्ग्रन्थ-साधु क्षेत्र और काल के प्रमाण पूर्वक अवग्रह की याचना करने वाला होता है । केवली भगवान कहते हैं कि जो साधु मर्यादा पूर्वक अवग्रह की याचना करने वाला नहीं होना वह अदत्तादान को सेवन करने वाला होता है, अतः प्रमाण पूर्वक अवग्रह का ग्रहण करना यह तीसरी भावना है ।

अब चौथी भावना को कहते हैं—निर्ग्रन्थ अवग्रह के ग्रहण करने वाला हो । केवली भगवान कहते हैं कि निर्ग्रन्थ वार २ अवग्रह के ग्रहण करने वाला हो यदि वह ऐसा न होगा तो उसको अदत्तादान का दोष लगेगा । अतः जो बार २ मर्यादा पूर्वक अवग्रह को याचना करने वाला होता है, वही इस व्रत की आराधना करने वाला होता है ।

पांचवी भावना यह है कि जो साधक साधर्मिको से भी विचार पूर्वक मर्यादा पूर्वक अवग्रह की याचना करता है वह निर्ग्रन्थ है, न कि बिना विचार के आज्ञा लेने वाला । केवली भगवान कहते हैं कि साधर्मिको से भी विचार कर मर्यादा पूर्वक आज्ञा लेने वाला निर्ग्रन्थ ही तृतीय महाव्रत की आराधना कर सकता है । यदि वह उनसे विचार पूर्वक आज्ञा नहीं लेता है तो उसे अदत्तादान का दोष लगता है । इसलिए मुनि को सदा विचार पूर्वक ही आज्ञा लेनी चाहिए ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में तृतीय महाव्रत की ५ भावनाओं का उल्लेख किया गया है । पहले और दूसरे महाव्रत की तरह तीसरे महाव्रत की भी पांच भावनाएं होती हैं—
१ साधु किसी भी आवश्यक एवं कल्पनीय वस्तु को बिना आज्ञा ग्रहण न करे । २ प्रत्येक वस्तु के ग्रहण करने को जाने के पूर्व गुरु की आज्ञा ग्रहण करना, ३ क्षेत्र और काल की मर्यादा को ध्यान में रखकर वस्तु ग्रहण करने जाना, ४ बार बार आज्ञा ग्रहण करना और ५ साधर्मिक साधु की कोई वस्तु ग्रहण करनी हो तो उसकी (साधर्मिक की) आज्ञा लेना । इस तरह साधु को बिना आज्ञा के कोई भी पदार्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए ।

सकता है । क्योंकि इसका त्याग करके वह मोह कर्म को गाठ से छूटने का, मुक्त होने का प्रयत्न करता है । इसलिए साधक न तो स्वयं विषय-भोग का सेवक करे, न दूसरे व्यक्ति को विषय-वासना की ओर प्रवृत्त करे और न उस ओर प्रवृत्त व्यक्ति का समर्थन ही करे । इस तरह साधु प्रतिज्ञा करता है कि भगवान मैं गुरु एव आत्म साक्षी से उसका त्याग-प्रत्याख्यान करता हूँ एवं उसकी निन्दा एवं गर्हणा करता हूँ ।

अब चौथे महाव्रत की भावनाओं का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तस्मेमात्रो पंच भावणात्रो भवन्ति ।

तत्थिमा षडमा भावणा-नो निग्गंथे अभिक्खणां २
इत्थीणां क्हं कहित्तए सिया, केवली बूया०, निग्गंथेणां अभि-
क्खणां २ इत्थीणां क्हं कहेमाणो मंतिमेया संतिविभंगा संति—
केवलापन्नतात्रो धम्मात्रो भंसिज्जा, नो निग्गंथेणां अभिक्खणां—
२ इत्थीणां क्हं कहित्तए सियत्ति षडमा भावणां ॥१॥

अहावरा दुच्चा भावणा-नो निग्गंथे इत्थीणां मणोहराइं २
इंदियाइं आलोइत्तए निज्झाइत्तए सिया, केवली बूया-निग्गंथे
णां इत्थीणां मणोहराइं २ इंदियाइं आलोएमाणो निज्झाएमाणो
संतिमेया संतिविभंगा, जाव धम्मात्रो भंसिज्जा, नो निग्गंथे
इत्थीणां मणोहराइं २ इंदियाइ आलोइत्तए निज्झाइत्तए सियत्ति
दुच्चा भावणा ॥२॥

अहावरा तच्चा भावणा-नो निग्गंथे इत्थीणां पुव्वर-
याइं पुव्वकीलियाइं सुमरित्तए सिया, केवली बूया०-निग्गंथे णां

इत्थीणां पुव्वरयाइं पुव्वकीलियाइं सरमाणे संतिभेया जाव भंसिज्जा, नो निग्गंथे इत्थीणां पुव्वरयाइं पुव्वकीलियाइं सरित्तए सियत्ति तच्चा भावणा ॥३॥

अहावरा चउत्था भावणा-नाइमत्तपाणभोयणभोई से निग्गंथे न पणीयरसभोयणभोइ से निग्गंथे, केवली बूया०-अइमत्तपाणभोयणभोई से निग्गंथे, पणियरसभोयणभोई संति-भेया जाव भंसिज्जा, नाइमत्तपाणभोयणभोई से निग्गंथे नो पणीयरसभोयणभोइत्ति चउत्था भावणा ॥४॥

अहावरा पंचमा भावणा-नो निग्गंथे इत्थीपसुपंडगसस-त्ताइं सयणासणाइं सेवित्तए सिया, केवली बूया—निग्गंथे णं इत्थीपसुपंडगसंसत्ताइं सयणासणाइं सेवेमाणे संतिभेया जाव भंसिज्जा० नो निग्गंथे इत्थीपसुपंडगसंसत्ताइं सयणासणाइं सेवित्तए सियत्ति पंचमा भावणा ॥५॥

एतावथा चउत्थे महव्वए सम्मं कायेण फासिए जाव आराहिए यावि भवइ चउत्थं भंते! महव्वयं ।

छाया— तस्येमाः पंच भावनाः भवन्ति—

तत्र य प्रथमा भावना-नो निर्ग्रन्थः अभीक्ष्णं २ स्त्रीणां कथा कथयिता

स्यात्, केवली ब्रूयात् निर्ग्रन्थः अभीक्ष्णं २ स्त्रीणां कथां कथायन् शान्ति-
भेदाः शान्तिविभगाः शान्तिकेवलिप्रज्ञप्ताद्धर्माद् अश्येत् नो निर्ग्रन्थः
अभीक्ष्णं स्त्रीणां कथां कथायिता स्यादिति प्रथमा भावना ।

अथापरा द्वितीया भावना-नो निर्ग्रन्थः स्त्रीणां मनोहराणि २ इन्द्रियाण
आलोकयिता निर्व्याता स्यात् केवली ब्रूयात्-निर्ग्रन्थः स्त्रीणां मनोहराणि २
इन्द्रियाणि आलोकयन् निर्व्यायन् शान्तिभेदाः शान्तिविभगा यावत् धर्माद्
अश्येत् नो निर्ग्रन्थः स्त्रीणां मनोहराणि २ इन्द्रियाणि आलोकयिता, निर्व्याता
स्यादिति द्वितीया भावना ।

अथापरा तृतीया भावना-नो निर्ग्रन्थः स्त्रीणां पूर्वृतानि पूर्वक्रीडितानि
स्मरन् स्यात्, केवली ब्रूयात् निर्ग्रन्थः स्त्रीणां पूर्वृतानि पूर्वक्रीडितानि
स्मरन् शान्तिभेदा यावत् अश्येत्, नो निर्ग्रन्थः स्त्रीणां पूर्वृतानि पूर्व-
क्रीडितानि स्मरतां स्यात् इति तृतीया भावना ।

अथापरा चतुर्थी भावना—नातिमात्रपानभोजनभोजी स निर्ग्रन्थः न
प्रणीतरसभोजनभोजी स निर्ग्रन्थः केवली ब्रूयात् अतिमात्रपानभोजनभोजी
सः निर्ग्रन्थः प्रणीतरसभोजनभोजी शान्तिभेदा यावत् अश्येत्, नातिमात्रपान-
भोजनभोजी स निर्ग्रन्थः नो प्रणीतरसभोजनभोजी चतुर्थी भावना ।

अथापरा पचमी भावना-नो निर्ग्रन्थः स्त्रीपशुपण्डकसंसक्तानि शयना-
सनानि सेविता स्यात् केवली ब्रूयात् आदानगेतच् निर्ग्रन्थः स्त्रीपशुपण्डक-
संसक्तानि शयनासनानि सेवमानः शान्तिभेदाः यावत् अश्येत् नो
निर्ग्रन्थः स्त्रीपशुपण्डकसंसक्तानि शयनासनानि सेविता स्यादिति पचमा
भावना ।

एतावता चतुर्थं महाव्रत सम्यक् कायेन स्पर्शितं यावत् आराधितं चापि
भवति चतुर्थं भदन्त महाव्रतम् ।

पदार्थ—तस्स—उस महाव्रत की । इमाओ—ये । पच—पाच । भावणाओ—
भावनायें । भवन्ति—होती है ।

तत्थिमा—उन पाच भावनाओ मे से यह । पढना—प्रथम । भावणा—भावना कही
गई है । निग्गथे—निग्गन्थ-साधु । अभिक्खणं—वार-वार । इत्थीणं—स्त्रियो की । कह—कया ।
कहिँत्तए—करने वाला । नो सिया—न हो अर्थात् वार २ स्त्रियो की कामो पादक कथा न
करे, वयोकि । केवली बूया०—केवली भगवान कहते है । णं—वाक्यालंकारार्थक है । निग्गथे—
निग्गन्थ साधु । अभिक्खणं—वार २ । इत्थीणं—स्त्रियो की । कहं—कथा । कहेमाणे—करता
हुआ । संति भेया—शांति-चारित्र समाधि का भेद करता है तथा । सत्तिविभंगा—शांति-ब्रह्म-
चर्य का भग करता है । सति केवलि पन्नताओ—शांतिरूप केवली भगवान के प्रतिपादन किए
हुए । धम्माओ—धर्म से । भंसिज्जा भ्रष्ट हो जाता है । णं—वाक्यालंकारार्थक है अतः ।
निग्गथे—निग्गन्थ साधु । अभिक्खणं २—पुनः पुन । इत्थीणं—स्त्रियो की । कहं—कथा को ।
कहिँत्तए—करने वाला । नो सिए—न हो । त्ति—इस प्रकार । पढमा भावणा—यह प्रथम
भावना कही गई है ।

अहावरा अथ अपर । दुच्चा भावणा—दूसरी भावना को कहते हैं । निग्गथे—
निग्गन्थ-साधु । इत्थीणं—स्त्रियो की । मणोहराइ २—मनोहर तथा मनोरम । इदियाइं—इन्द्रियो
को । आलोइत्तए—काम दृष्टि से अवलोकन तथा । निज्झाइत्तए—ध्यान या स्मरण करने
वाला । नो सिया—न हो । केवली बूया—केवली भगवान कहते है । ण—वाक्यालंकार मे है ।
निग्गथे—जो निग्गन्थ । इत्थीणं—स्त्रियो की । मणोहराइं २—मनोहर तथा मनोरम । इदियाइं-
इन्द्रियो को । आलोएमाणे—देखता हुआ । निज्झाएमाणे—आसक्ति पूर्वक देखता हुआ विचरता
है वह । संति भेया—शांति रूप चारित्र का भेदन करता है और । सत्ति विभगा—शांति रूप
ब्रह्मचर्य का भग करता हुआ । जाव—यावत् । धम्माओ—केवलि प्रज्ञप्त धर्म से भी । भंसिज्जा-
भ्रष्ट हो जाता है अतः । निग्गथे—निग्गन्थ-साधु । इत्थीणं—स्त्रियो की । मणोहराइ २—मनोहर
तथा मनोरम-मन को लुभाने वाली । इदियाइं-इन्द्रियो को । आलोइत्तए—अवलोकन करने ।
निज्झाइत्तए—विशेष रूप से देखने या ध्यान करने की वृत्ति वाला । नो सिया—न बने ।
त्ति—इस प्रकार । दुच्चा भावणा—यह दूसरी भावना कही गई है ।

अहावरा—अथ द्वितीय भावना से आगे अब । तच्चा भावणा—तीसरी भावना को
कहते है । निग्गथे—निग्गन्थ-साधु । इत्थीणं—स्त्रियो की । पुव्वरयाइ—पूर्व रति को ।
पुव्वकीलियाइं—तथा पूर्व क्रीडा को । सुमरित्तए—स्मरण करने वाला । नो सिया—न हो, वयो
कि । केवली बूया—केवली भगवान कहते है । ण—प्राग्वत् । निग्गथे—निग्गन्थ । इत्थीणं—
स्त्रियो की । पुव्वरयाइ—पूर्व रति का । पुव्वकीलियाइ—पूर्व क्रीडा का । सरमाणे—स्मरण
करता हुआ । सत्तिभेया—शांति का भेदक । जाव—यावत् । भंसिज्जा—केवली भाषित धर्म स

भ्रष्ट हो जाता है अतः । निगंथे — निर्ग्रन्थ-साधु । इत्थीणं — स्त्रियो की । पुव्वरयाई — पूर्व रति और । पुव्वकीलियाई — पूर्व क्रीडा का । सरित्तए — स्मरण करने वाला । नो सियत्ति — न बने इस प्रकार यह । तच्चाभावणा — चतुर्थ महाव्रत की तीसरी भावना कही गई है ।

अहावरा — अथ अपर । चउत्था भावणा — चौथी भावना को कहते हैं । नाइमत पाणभोयणभोई — जो साधु मात्रा-प्रमाण से अधिक आहार पानी नहीं करता है । से निगंथे — वह निर्ग्रन्थ है । न पणीयरसभोयणभोई — जो प्रणीत रस-प्रकाम भोजन का उपभोग करने वाला नहीं है, अर्थात् सरस आहार नहीं करता है । से निगंथे — वह निर्ग्रन्थ है — साधु है । केवली बूया — केवली भगवान कहते हैं, कि यह कर्म बन्धन का हेतु है । अइमत्तपाणभोयणभोई — प्रमाण से अधिक आहार पानी करने वाला । से निगंथे — वह निर्ग्रन्थ-साधु । पणीयरसभोयणभोई — प्रणीत रस युक्त भोजन करने वाला । संति भेया — शान्ति रूप ब्रह्मचर्य व्रत का विधातक । जाव — यावत् । भंसिज्जा — धर्म से भ्रष्ट हो जाता है अतः । नाइमत्तपाणभोयणभोई — जो प्रमाण से अधिक आहार-पानी करने वाला नहीं है । से — वह । निगंथे — निर्ग्रन्थ है । नो पणीयरसभोयणभोई — जो प्रणीत रस युक्त भोजन को भोगने वाला भी नहीं है । से — वह । निगंथे — निर्ग्रन्थ है । त्ति — इस प्रकार । चउत्था भावणा — यह चौथी भावना का स्वरूप कहा गया है ।

अहावरा पंचमा भावणा — अब पाचवी भावना को कहते हैं । निगंथे — निर्ग्रन्थ-साधु । इत्थी — स्त्री । पनु — पशु । पण्डग — पंडक-नपुंसक आदि से । संसत्ताइ — संसक्त-नयुक्त सयणात्तपाई — चय्या आसनादि से । सेवित्तए — सेवन करने वाला । नो सिया — न हो । केवली० — केवली भगवान कहते हैं कि । इत्थियपनुपण्डगसंसत्ताइ — स्त्री पशु और नपुंसक आदि से युक्त । सयणात्तपाई — चय्या-उपाश्रय आसनादि का । सेवेभाणे — सेवन करने वाला । निगंथे — निर्ग्रन्थ । संति भेया — शान्ति का भेदक अर्थात् ब्रह्मचर्य का भंग करने वाला । जाव — यावत् धर्म से । भंसिज्जा — भ्रष्ट हो जाता है इस लिए । निगंथे — निर्ग्रन्थ । इत्थियपनुपण्डगसंसत्ताइ — स्त्री पशु और नपुंसक आदि से युक्त । सयणात्तपाई — उपाश्रय और आसनादि को । सेवित्तए — सेवन करने वाला । नो सिया — न हो । त्ति — इन प्रकार यह । पंचमा — पाचवी । भावणा — भावना कही गई है ।

एतावता — इन प्रकार । चउत्थे महव्वए — चतुर्थ महाव्रत को । काएण — काया से । फासिए — स्पर्शिन करता हुआ । जाव — यावत् । आराहिए यावि भवइ — आराधित होता है । भंते ! — हे भगवन् ! चउत्थे — चतुर्थ । महव्वए — महाव्रत को मैं स्वीकार करता हूँ ।

मूलार्थ — चतुर्था महाव्रत की ये पांच भावनाएं हैं —

उन पांच भावनाओं में से प्रथम भावना इस प्रकार है—निर्ग्रन्थ साधु बार-बार स्त्रियों की काम जनक कथा न कहे । केवली भगवान कहते हैं कि बार २ स्त्रियों की कथा कहने वाला साधु शान्ति रूप चारित्र और ब्रह्मचर्य का भग करने वाला होता है तथा शान्ति रूप केवलि प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है । अतः साधु को स्त्रियो की बार २ कथा नही करनी चाहिए यह प्रथम भावना है ।

अब चतुर्थ महाव्रत की दूसरी भावना कहते हैं—निर्ग्रन्थ-साधु काम-राग से स्त्रियों की मनोहर-तथा मनोरम इन्द्रियो को सामान्य अथवा विशेष रूप से न देखे । केवली भगवान कहते हैं—जो निर्ग्रन्थ—साधु स्त्रियों की मनोहर-मनको लुभाने वाली इन्द्रियों को आसक्ति पूर्वक देखता है वह चारित्र और ब्रह्मचर्य का भग करता हुआ सर्वज्ञ प्रणीत धर्म से भी भ्रष्ट हो जाता है । अतः निर्ग्रन्थ-साधु को स्त्रियो की मनोहर इन्द्रियो को काम दृष्टि से कदापि नही देखना चाहिए । यह दूसरी भावना का स्वरूप है ।

अब तीसरी भावना का स्वरूप कहते हैं—निर्ग्रन्थ-साधु स्त्रियो के साथ की हुई पूर्व रति और क्रीडा-काम के स्मरण न करे । केवली भगवान कहते हैं जो निर्ग्रन्थ साधु स्त्रियो के साथ की गई पूर्व रति और क्रीडा आदि का स्मरण करता है वह शान्तिरूप चारित्र का भेद करता हुआ यावत् सर्वज्ञ प्रणीत धर्म से भी भ्रष्ट हो जाता है । इसलिए सयमशील मुनि को पूर्व रति और क्रीडा आदि का स्मरण नही करना चाहिए । यह तीसरी भावना का स्वरूप है ।

अब चतुर्थ भावना का स्वरूप वर्णन करते हैं—वह निर्ग्रन्थ प्रमाण से अधिक आहार-पानी तथा प्रणीत रस प्रकाम भोजन न करे । क्योंकि केवली भगवान कहते हैं कि इस प्रकार के आहार-पानी एवं प्रणीत-रस

साधु को पूर्व में भोगे गए भोगों का भी चिन्तन-मनन नहीं करना चाहिए। क्योंकि, इससे मन की परिणति में विकृति आती है और उससे उपशान्त विकारों को जागृत होने का अवसर भी मिल सकता है। इसी तरह साधक को श्रृङ्गार रस से युक्त या वासना को उद्दीप्त करने वाले उपन्यास, नाटक आदि का भी अध्ययन, श्रवण एवं मनन नहीं करना चाहिए।

ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए साधु को सदा प्रमाण से अधिक एवं सरस तथा प्रकाम भोजन भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रतिदिन अधिक आहार करने से तथा प्रकाम आहार करने से शरीर में आलस्य की वृद्धि होगी, आराम करने की भावना जागेगी, स्वाध्याय एवं ध्यान से मन हटेगा। इससे उसकी भावना में विकृति भी आ जाएगी। अतः इन दोषों से बचने के लिए उसे सदा सरस आहार नहीं करना चाहिए तथा प्रमाण से भी अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। सादे एवं प्रमाण युक्त भोजन से वह ब्रह्मचर्य का भी ठीक-ठीक परिपालन कर सकेगा और साथ में प्रायः विमारियों से भी बचा रहेगा और आलस्य भी कम आएगा जिससे वह निर्वाध रूप से स्वाध्याय एवं ध्यान आदि साधना में सलग्न रह सकेगा।

यह उत्सर्ग सूत्र है और ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए ही सरस आहार का निषेध किया गया है। अपवाद मार्ग में अर्थात् साधना के मार्ग में कभी आवश्यकता होने पर साधु सरस आहार स्वीकार भी कर सकता है। जैसे-अरिष्ट नेमिनाथ के ६ शिष्यों ने महाराणी देवकी के घर से सिंह केसरी मोदक ग्रहण किए थे। कालो आदि महाराणियों ने अपने तप की प्रथम परिपाटी में पारणों में सभी तरह की विगय (दूध, दही आदि) ग्रहण की थीं। भगवान् महावीर ने एक महीने की तपस्या के पारणों के दिन सरस आहार ग्रहण किया था। और आशातना के विषय का वर्णन करते हुए आगम में बताया गया है कि यदि शिष्य गुरु के साथ आहार करने बैठे तो वह सरस आहार को शीघ्रता से न खाए। और छेद सूत्रों में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि साधु मैथुन सेवन की दृष्टि से घी, दूध आदि विगय का सेवन करता है तो उसे प्रायश्चित्त आता है।

ॐ अन्तगड सूत्र । † भगवती सूत्र शतक १५ ।

‡ समवायाग सूत्र, ३३, दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र, दशा ३ ।

ॐ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुण वड्डियाए खीर वा दहि वा णवणीयं वा सप्पि वा गुड वा खउं वा सक्कर वा मच्छडियं वा अण्णयरं वा पणीय आहार आहारेइ आहरंत वा साइज्जइ ।

निशीय सूत्र ७९ ।

इससे स्पष्ट होता है कि अपवाद मार्ग में साधु सरस आहार ग्रहण कर सकता है । परन्तु उत्सर्ग मार्ग में ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए उसे सरस आहार नहीं करना चाहिए ।

ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए साधु को स्त्री, पशु एवं नपुंसक से रहित मकान में ठहरना चाहिए । क्योंकि स्त्री आदि का अधिक संसर्ग रहने से मन में विकारों की जागृति होना संभव है । इससे उसकी साधना का मार्ग अवरोद्ध हो जाएगा । अतः साधु को इनसे रहित स्थान में ही ठहरना चाहिए ।

इस तरह चौथे महाव्रत के सम्बन्ध में दिए गए आदेशों का आचरण करना तथा उनका सन्यस्तथा परिपालन करना ही चौथे महाव्रत की आराधना करना है और इस तरह उसका परिपालन करने वाला निर्भ्रन्थ ही आत्मा का विकास कर सकता है ।

अब पांचवें महाव्रत का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अहावरं पंचमं भंते ! महव्यं सर्वं परिग्रहं पञ्च-
खामि, से अल्पं वा बहुं वा अणुं वा थूलं वा चित्तमंतचित्तमंतं
वा नैव सयं परिग्रहं गिरिहज्जा नैवन्नेहिं परिग्रहं गिराहा-
विज्जा अन्नंपि परिग्रहं गिरहंतं न समणुजाणिज्जा जाव
वोसिरामि ॥

छाया—अथापरं पंचमं भदन्त ! महाव्रतं, सर्वं परिग्रहं प्रत्याख्यामि
तद् अल्पं वा बहुं वा अणुं वा थूलं वा चित्तवन्तं वा अचित्तं वा नैव स्वयं
परिग्रहं गृहीष्यात् नैवान्यैः परिग्रहं ग्राह्येत् अन्यमपि परिग्रहं गृह्यन्तं न
समनुजानीयात् यावत् व्युत्सृजामि ।

पदार्थ—अहावरं अथ अपर । पंचमं—पांचवा । महव्यं—महाव्रत कहते हैं ।
भंते—हैं भगवन् । सर्वं—सर्व प्रकार के । परिग्रहं—परिग्रह का । पञ्चखामि—परित्याग
करता हूँ । से—वह-साधु । अल्पं वा—अल्प । बहुं वा—बहुत । अणुं—अणु-सूक्ष्म । वा—
अथवा । थूलं वा—थूल । चित्तमंतमचित्तं वा—सचित्त या अचित्त अर्थात् चेतना युक्त जिष्यादि
अथवा अचित्त-चेतना रहित वस्तु । एव—निश्चयार्थक है, इन प्रकार के । परिग्रहं—परिग्रह

को । सय—स्वय । न गिण्हिज्जा—ग्रहण नहीं करूंगा । नेवग्नेह—न अन्य व्यक्ति से । परिग्रह—परिग्रह को । गिण्हाविज्जा—ग्रहण कराऊंगा । परिग्रह—परिग्रह को । गिण्हंतं—ग्रहण करने वाले । अन्नपि—अन्य व्यक्ति का । न समणुजाणिज्जा—अनुमोदन भी नहीं करूंगा । जाव—यावत् । बोसिरामि—परिग्रह से अपनी आत्मा को पृथक् करना हूँ-परिग्रह रूप आत्मा का व्युत्सर्जन करता हूँ ।

मूलार्थ—हे भगवन् ! पांचवे महाव्रत के विषय में सर्व प्रकार के परिग्रह का परित्याग करता हूँ । मैं अल्प, बहुत, सूक्ष्म, स्थूल तथा सचित्त और अचित्त किसी भी प्रकार के परिग्रह को न स्वयं ग्रहण करूंगा, न दूसरो से ग्रहण कराऊंगा और न ग्रहण करने वालो का अनुमोदन करूंगा । मैं अपनी आत्मा को परिग्रह से सर्वथा पृथक् करता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में साधक को परिग्रह से निवृत्त होने का आदेश दिया गया है । परिग्रह से आत्मा में अशान्ति बढ़ती है । क्योंकि, रात दिन उस के बढ़ाने एवं सुरक्षा करने की चिन्ता बनी रहती है । जिससे साधक निश्चिन्त मन से स्वाध्याय आदि की साधना भी नहीं कर सकता है । इसलिए भगवान ने साधक को परिग्रह से सर्वथा मुक्त रहने का आदेश दिया है । साधु को थोड़ा या बहुत, सूक्ष्म या स्थूल किसी भी तरह का परिग्रह नहीं रखना चाहिए । इसके साथ आगम में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि साधु साधना में सहायक उपकरणों को त्वीकार कर सकता है । वस्त्र का परित्याग करने वाले जिन कल्पी मुनि भी कम से कम मुखवस्त्रिका और रजोहरण ये दो उपकरण अवश्य रखते हैं । वर्तमान में दिगम्बर मुनि भी मोर पिच्छी और कमण्डल तो रखते ही हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि संयम में सहायक होने वाले पदार्थों को रखना या ग्रहण करना परिग्रह नहीं है । परन्तु उन पर भ्रमता, मूर्खी एवं आसक्ति रखना परिग्रह है । आगम में स्पष्ट कहा गया है कि संयम एवं आध्यात्मिक साधना में तेजस्विता लाने वाले उपकरण (वस्त्र-पात्र आदि) परिग्रह नहीं हैं । मूर्खी एवं किन्तु उन पर आसक्ति करना परिग्रह है । तत्त्वार्थ सूत्र में भी वस्त्र रखने को परिग्रह नहीं कहा है । उन्होंने भी आगम में

न सो परिग्रहो वृत्तो, नायपुरीण ताइणा ।

मुच्छा परिग्रहो वृत्तो, इइ वृत्त महेसिणा ॥

अभिव्यक्त मूर्च्छा, या ममत्व को ही परिग्रह माना है। वस्त्र एवं पात्र ही क्यों, यदि अपने शरीर पर भी ममत्व है, अपनी साधना पर भी ममत्व है तो वह भी परिग्रह का कारण बन जायगा । अतः साधक को मूर्च्छा ममता एवं आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संयम साधना में संलग्न रहना चाहिए ।

अत्र पंचम महाव्रत की भावनाओं का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं ।

मूलम्—तस्मिमात्रो पंच भावणात्रो भवन्ति ।

तत्थिमा पढमा भावणा-सोयत्रो णं जीवे मणुन्नामणुन्नाइं
सद्दाइं सुणोइ मणुन्ना मणुन्नेहिं सद्देहिं नोसज्जिज्जा नोरज्जिज्जा
नो गिज्भेज्जा नो मुज्भेज्जा नो अज्भोववज्जिज्जा नो वि-
णिघायमावज्जेज्जा, केवली बूया०-निग्गंथेणं मणुन्नामणुन्नेहिं
सद्देहिं सज्जमाणो रज्जमाणो जाव विणिघायमावज्जमाणो संति-
भेया संतिविभंगा संतिकेवलिपन्नतात्रो धम्मात्रो भंसिज्जा, न
सक्का न सोउसद्दा, सोतविसयमागया । रागदोसा उ जे तत्थ,
ते भिक्खू परिवज्जए । १। सोयत्रो जीवे मणुन्नामणुन्नाइं सद्दाइं
सुणोइ पढमा भावणा ॥१॥

अहावरा दुच्चा भावणा—चक्खुत्रो जीवो मणुन्नामणुन्नाइं
रूवाइं पासइ, मणुन्नामणुन्नेहिं रूवेहिं मज्जमाणो जाव विणिघा-
यमावज्जमाणो संतिभेया जाव भंसिज्जा—नो सक्कारूवमहूटुं,

चक्खु विसयमागयं । राग दोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिवज्ज-
ए, चक्खुओ जीवो मणुन्ना २ रूवाइं पासइ, दुच्चा भावणा ।

अहावरा तच्चा भावणा-घाणओ जीवे मणुन्नामणुन्ना इं
गंधाइं अग्घायइ मणुनामणुन्नेहिं गंधेहिं नो सज्जिज्जा नो रज्जिज्जा
जाव नो विणिघायमावज्जिज्जा, केवली बूया-मणुन्नामणुन्नेहिं
गंधेहिं सज्जमाणो जाव विणिघायमावज्जमाणो संतिभेया जाव
भंसिज्जा—न सक्का गंधमग्घाउं, नासाविसयमागयं । राग-
दोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिवज्जए ।१। घाणओ जीवो
मणुन्नामणुन्नाइ गंधाइं अग्घायइत्ति तच्चा भावणा ॥३॥

अहावरा चउत्था भावणा-जिब्हाओ जीवो मणुन्ना-
मणुयाइं रसाइं अस्साएइ, मणुन्नामणुन्नेहिं रसेहि नो सज्जिज्जा
जाव विणिघायमावज्जिज्जा, केवली बूया-निग्गथे णं मणुन्ना-
मणुन्नेहिं रसेहिं सज्जमाणो जाव विणिघायमावज्जमाणो संति-
भेया जाव भंसिज्जा-न सक्का रसमस्साउं, जीहा विसय मागयं ।
रागदोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिवज्जए ।१। जीहाओ जीवो
मणुन्नामणुन्नाइं रसाइं अस्साएइत्ति चउत्था भावणा ॥४॥

अहावरा पंचमा भावणा—फासओ जीवो मणुन्नामणुन्नाइं

फासाइं पडिसेवेइ मणुन्नामणुन्नेहिं फासेहिं नो सज्जिज्जा
जाव नो विणिघायमावज्जिज्जा, केवली बूया—निग्गंथे णं
मणुन्नामणुन्नेहिं फासेहिं सज्जमाणे जाव विणिघायमावज्जमाणे
संतिभेया संतिविभंगा संतिकेवलीपन्नत्ताओ धम्माओ भंसिज्जा
न सक्का फासमवेएउं, फासविसयमागयं । रागदोसा उ जे तत्थ ते
भिक्षु परिवज्जए । १। फासओ जीवो मणुन्नामणुन्नाइं फासाइं
पडिसेवेएति पंचमा भावणा ॥५॥

एतावयाव पंचमे महव्वते सम्मं अवट्ठिण्ण आणाए अराहिण्ण
यावि भवइ, पंचमं भंते ! महव्वयं ! इच्चेएहिं पंचमहव्वएहिं
पणावीसाहि व भावणाहिं संपन्ने अणगारे अहासुयं अहाकप्पं
अहामग्गं सम्मं काण्ण फासित्ता पालित्ता तीरित्ता किट्ठित्ता
आणाए अराहित्ता यावि भवइ ।

छाया— तस्येमाः पच भावनाः भवन्ति—

तत्र इयं प्रथमा भावना—श्रोत्रतः जीवः मनोज्ञामनोज्ञान् शब्दान् शृणोति
मनोज्ञामनोज्ञेषु शब्देषु नो सज्जेत नो रज्जेत नो गृध्येत् नो मूच्छेत् नो अद्युपप-
द्येत नो विनिघतमापद्येत, केवली ब्रूयात्-आदानमेतत्, निर्ग्रन्थः मनोज्ञामनोज्ञेषु
शब्देषु सज्जमानः रज्जमानः यावत् विनिघतमापद्यमानः, शान्तिभेदाः शान्ति-
विभंगाः शान्ति केवलि प्रज्ञप्ताद् धर्मात् भ्रश्येत्, न शक्याः न श्रोतुं शब्दाः
श्रोत्रविषयमागताः रागद्वेषास्तु ये तत्र तान् भिक्षुः परिवर्जयेत् श्रोत्रतः जीवः

मनोज्ञामनोज्ञान् शब्दान् शृणोति प्रथमा भावना ।

अथापरा द्वितीया भावना-चक्षुष्टो जीवः मनोज्ञामनोज्ञानि रूपाणि पश्यति मनोज्ञामनोज्ञेषु रूपेषु सज्जमानः यावत् विनिघातमापद्यमानः शान्तिभेदा. यावद् अश्येत् न शक्यं रूपमद्रष्टुं चक्षुर्विषयमागत रागद्वेषास्तु ये तत्र तान् भिक्षुः परिवर्जयेत् । चक्षुष्टो जीवो मनोज्ञामनोज्ञानि रूपाणि पश्यति द्वितीया भावना ।

अथापरा तृतीया भावना-घ्राणतो जीवो मनोज्ञामनोज्ञान् गधान् आजिघ्रति, मनोज्ञामनोज्ञेषुगन्धेषु नो मज्जेत यावत् नो रज्जयेतयावत् नो विनिघात-मापद्येत केवली ब्रूयान्-आदानमेतत् मनोज्ञामनोज्ञेषु गधेषु सज्जमानः यावत् विनिघातमापद्यमानः शान्तिभेदा यावत् अश्येत् । न शक्योगन्धोघ्रातु, नासाविषय मागतः, रागद्वेषास्तु ये तत्र तान् सिद्धुः परिवर्जयेत् । घ्राणतो जीवः मनोज्ञामनोज्ञान् गधान् आजिघ्रति इति तृतीया भावना ।

अथापरा चतुर्थी भावना-जिह्वातो जीवः मनोज्ञामनोज्ञान् रसान् आस्वादयति, मनोज्ञामनोज्ञेषु रसेषु नो सज्जेत यावत् नो विनिघात मापद्येत केवली ब्रूयात्-निर्ग्रन्थः मनोज्ञामनोज्ञेषु रसेषु सज्जमानः यावद् विनिघातमापद्यमानः शान्तिभेदा यावत् अश्येत् । न शक्यः रसआवा-दयितुं जिह्वाविषयमागतः । रागद्वेषास्तु ये तत्र तान् भिक्षुः परिवर्जयेत् जिह्वातो जीवः मनोज्ञामनोज्ञान् रसान् आस्वदते इति चतुर्थी भावना ।

अथापरा पंचमी भावना-स्पर्शतः जीवः मनोज्ञामनोज्ञान् स्पर्शान् प्रतिसेवते मनोज्ञामनोज्ञेषु स्पर्शेषु न सज्जेत यावत् नो विनिघातमपाद्येत केवली ब्रूयात् आदानमेतत्, निर्ग्रन्थ. मनोज्ञामनोज्ञेषु स्पर्शेषु सज्जमानः यावत् विनिघातमापद्यमानः शान्तिभेदाः, शान्ति विभगाः केवलिप्रज्ञप्ताद्

धर्माद् भ्रश्येत् न शक्यः स्पर्शोऽवेदितुं स्पर्शविषयमागतः । रागद्वेषास्तु ये
तत्र तान् भिक्षुः परिवर्जयेत् स्पर्शतः जीवः मनोज्ञामनोज्ञान् स्पर्शान् प्रति
संवेदयति, इति पंचमी भावना ।

एतावता पचमे महोव्रतं सम्यक् अवस्थितः आज्ञाया आराधकञ्चापि
भवति, षष्ठमं भदन्त महाव्रतम् । इत्येतैः पंच महाव्रतैः पचविंशत्या च
भावनाभिः सम्पन्नः अनामार यथाश्रुतं यथाकल्पं यथामार्गं कायेन स्पृष्ट्वा
पालयित्वा तीर्त्वा कीर्तयित्वा आज्ञाया आराधिता चापि भवति ।

पदार्थ—तस्मिन्मात्रो—उस महाव्रत की ये । पंच—पाच । भावनाओ—भावनायें
भवति—हैं ।

तत्प्रियमा—उन पांच भावनाओ में से । षष्ठमा भावना—प्रथम भावना यह है ।
णं—वाक्यालंकारार्थक है । जीवे—जीव । सोयओ—श्रोत इन्द्रिय से । मणुन्नामणुन्नाइं—
मनोज्ञामनोज्ञ अर्थात् प्रिय और अप्रिय । सद्दाइं—शब्दों को । सुणेहि—सुनता है किन्तु ।
मणुन्नामणुन्नेहि—प्रिय और अप्रिय । सद्देहि—शब्दों में । नो सज्जज्जा—प्रासक्त न हो ।
नो रज्जज्जा—अनुरक्त-राग युक्त न हो । नो गिज्जेज्जा—गृद्धि वाला न हो । नो मुज्जिज्जा—
मोहित या मूर्च्छित न हो । नो अज्जभोववज्जज्जा—अत्यन्त आसक्त न हो । नो विणिघाय
भावज्जज्जा—और विनाश को प्राप्त न हो अर्थात् राग द्वेष न करे कारण कि । केवली चूया-
केवली भयवान कहते हैं कि यह कर्म बन्ध का हेतु है । ण—पूर्ववत् । निगंये—निर्गन्ध-साधु
मणुन्नामणुन्नेहि—मनोज्ञामनोज्ञ-प्रिय और अप्रिय । सद्देहि—शब्दों में । सज्जमाणे—प्रासक्त
होता हुआ । रज्जमाणे—राग करता हुआ । जाव—यावत् । विणिघायभावज्जमाणे—राग द्वेष
करता हुआ । सतिभेया—ज्ञान का भेदक । सतिविभंगा—ज्ञान रूप अपरिग्रहव्रत का भेदक ।
सति केवली पन्नताओ—ज्ञान रूप केवलि प्रणीत-केवली भाषित । धम्माओ—धर्म से । असज्जजा-
धष्ट हो जाता है अर्थात् धर्म से पतित हो जाता है । सोतविषयमागया—श्रोत्र विषय में प्राप्ति
हुए । सद्दा—शब्द । न सक्का—समर्थ नहीं । न सोउं—न सुनने को अर्थात् ग्रहण करने वाले शब्द
प्रसङ्ग सुने जाते हैं किन्तु । जे—जो । तत्त्व—यहां पर । रागदोसा—राग द्वेष है । उ—विनय
में है । त—उसको अर्थात् राग द्वेष को । निगल्लू—भिक्षु-साधु । परिवज्जे—छोड़ दे ।
चोयया—ध्यात में । जीवे—जीव-साधु । मणुन्नामणुन्नाइं—प्रिय और अप्रिय । सद्दाइं—शब्दों
को । सुणेइं—सुनता है किन्तु उन पर रागद्वेष नहीं लाता । षष्ठमा भावना—यह प्रथम भावना है ।

ग्रहायरा वुञ्चा भावना—प्रथम दूसरी भावना की कहने ८ । जीवो—जीव । चरन्तो—

चक्षु से-चक्षु द्वारा । मणुन्नामणुन्नाइं—मनोज्ञामनोज्ञ प्रिय और अप्रिय । रुवाइ—रूपो को । पासह—देखता है, फिर । मणुन्नामणुन्नेहि—मनोज्ञामनोज्ञ । रुवेहि—रूपो मे । सज्जमाणे—आसक्त होता हुआ । जाव—यावत् । विणिघायमावज्जमाणे—राग-द्वेष के वशी भूत हो कर विनाश को प्राप्त होता हुआ । सति मेया—शान्ति भेद । जाव—यावत् । भंसिज्जा—धर्म से भ्रष्ट हो जाता है । चक्खुविसयमागय—चक्षु विषय को प्राप्त हुआ । रुवं—रूप । अदट्ठं न सक्का—अदृष्ट नहीं रह सकता अर्थात् वह दिखाई देगा ही किन्तु । तत्थ—वहा पर । जे—जो । रागदोसा—रागद्वेष उत्पन्न होता है । त—उसको । भिक्खू—भिक्षु-साधु । परिवज्जए—त्याग-दे छोड़ दे । उ—वितर्क मे है ।

अहावरा तच्चा भावणा—अथ अपर तीसरी भावना यह है । जीवे—जीव । घाणओ-घ्राण इन्द्रिय से । मणुन्ना २ इ—मनोज्ञामनोज्ञ प्रिय और अप्रिय । गंधाइ—गंधो को । अगघायइ-सू घता है । मणुन्नामणुन्नेहि—मनोज्ञामनोज्ञ । गंधेहि—गंधो में । नो सज्जिज्जा—आसक्त न हो । नोरज्जिज्जा—राग भाव न करे । जाव—यावत् । नो विणिघायमावज्जिज्जा—द्वेष से विनाश को प्राप्त न हो । केवली बूया—केवली भगवान कहते है । मणुन्नामणुन्नेहि—प्रिय तथा अप्रिय । गंधेहि—गंधो मे । सज्जमाणे—आसक्त होता हुआ । जाव—यावत् । विणिघायमावज्जमाणे—विनिघात-विनाश को प्राप्त होता हुआ । सतिमेया—शान्ति रूप चारित्र्य का भेद करता है । जाव—यावत् । भंसिज्जा—धर्म से भ्रष्ट हो जाता है । नासाविसयमागयं—नासिका के विषय को प्राप्त हुआ । गंधं—गन्ध । न सक्का अगघाउं-अगन्ध नहीं हो सकता अर्थात् नासिका के सन्निधान को प्राप्त हुआ गन्ध नासिका के छिद्रो में प्रविष्ट होता है किन्तु । तत्थ—उस में । जे—जो । रागदोसा—रागद्वेष उत्पन्न होता है । ते—उसे । भिक्खू—साधु । परिवज्जए—त्याग दे अर्थात् उसमे राग-द्वेष न करे । घाणओ—घ्राणेन्द्रिय से । जीवो—जीव । मणुन्ना २ इं गंधाइ-प्रिय और अप्रिय गन्ध को । अगघायइ—ग्रहण करता है, सू घता है । त्ति—इस प्रकार यह । तच्चा भावणा—तीसरी भावना कही गई है ।

अहावरा चउत्था भावणा—अथ यह चौथी भावना कही जाती है । जीवो—जीव । जिह्वाओ—जिह्वा से । मणुन्ना २ इं—मनोज्ञामनोज्ञ-प्रिय तथा अप्रिय । रसाइं—रसो का । अस्ताएइ—आस्वादन करता है-स्वाद लेता है किन्तु । मणुन्नामणुन्नेहि—प्रिय और अप्रिय । रसेहि—रसो में । नो सज्जिज्जा—आसक्त न हो । जाव—यावत् । विणिघायमावज्जिज्जा—विनिघात-विनाश को प्राप्त न होवे । केवली बूया—केवली भगवाव कहते हैं । णं—वाक्यालंकार ग्रथ में है । निग्गये—निर्ग्रन्थ-साधु । मणुन्नामणुन्नेहि—प्रिय तथा अप्रिय । रसेहि—रसो में ।

सम्प - अच्छी तरह से । काएण - काया द्वारा । कासित्ता - स्पर्शित कर । पालित्ता - पालन कर । तीरित्ता - तीरित कर । किट्टित्ता - कीर्तित कर के । आणाए - आजा का । आराहिता - आराधन करने वाला । यावि भवइ - होता है ।

मूलार्थ—इस पंचम महाव्रत की ये पांच भावनाएँ हैं—

उन पांच भावनाओं में से प्रथम भावना यह है—श्रोत्र से यह जीव प्रिय तथा अप्रिय शब्दों को सुनता है, परन्तु वह प्रिय तथा अप्रिय शब्दों में आसक्त न हो, राग भाव न करे, नृद्ध न हो, मूर्च्छित न हो, तथा अत्यन्त आसक्ति एवं राग द्वेष न करे, केवली भगवान् कहते हैं कि साधु मनोज्ञा-मनोज्ञ शब्दों में आसक्त होता हुआ, राग करता हुआ, यावत् विद्वेष करता हुआ शान्ति भेद एक शान्ति विभंग करता है और केवली भाषित धर्म से अष्ट हो जाता है तथा श्रोत्र विषय में आए हुए शब्द ऐसे नहीं जा सुने न जावें किन्तु उनके सुनने पर जो राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, भिक्षु उसका परित्याग कर दे । अतः जीव के श्रोत्रेन्द्रिय के विषय में आए हुए प्रिय और अप्रिय शब्दों में राग द्वेष न करे । यह प्रथम भावना कही गई है ।

चक्षु के द्वारा यह जीव प्रिय तथा अप्रिय रूपों को देखता है, प्रिय सुन्दर रूपों में आसक्त होता हुआ यावत् द्वेष करता हुआ शान्ति भेद यावत् धर्म से पतित हो जाता है । तथा चक्षु के विषय में आया हुआ रूप अदृष्ट नहीं रह सकता अर्थात् वह अवश्य दिखाई देगा, परन्तु उसको देखने से उत्पन्न होने वाले राग द्वेष का भिक्षु परित्याग कर दे । इस तरह चक्षु के द्वारा देखे जाने वाले प्रिय और अप्रिय रूपों पर राग-द्वेष नहीं करना चाहिए, यह द्वितीय भावना है ।

तीसरी भावना यह है—नासिका के द्वारा जीव प्रिय तथा अप्रिय गंधों को सूघता है, परन्तु प्रिय तथा अप्रिय गंधों को सूघता हुआ उनमें राग-

द्वेष न करे, क्योंकि केवली भगवान कहते हैं कि प्रिय तथा अप्रिय गंधों में राग द्वेष करता हुआ साधु शान्ति का भेदन करता हुआ धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। तथा ऐसे भी नहीं कि नासिका के सन्निधान में आए हुए गंध के परमाणु पुद्गल सूँघे न जा सकें। परन्तु इसका तात्पर्य इतना ही है कि साधु उनमें राग द्वेष न करे।

चतुर्थ भावना इस प्रकार वर्णन की गई है—जीव जिह्वा से प्रिय तथा अप्रिय रसों का आस्वाद लेता है किन्तु उनमें रागद्वेष न करे। केवली भगवान कहते हैं प्रिय तथा अप्रिय रसों में आसक्त एवं राग-द्वेष करने वाला निर्ग्रन्थ शान्ति भेद और धर्म से पतित होजाता है। तथा जिह्वा को प्राप्त हुआ रस अनास्वादित नहीं रह सकता किन्तु उसमें जो राग-द्वेष की उत्पत्ति होती है उसका भिक्षु परित्याग करदे। और जिह्वा से आस्वादित होने वाले प्रिय तथा अप्रिय रसों में राग-द्वेष से रहित होना यह चतुर्थ भावना है।

अब पांचवी भावना को कहते हैं—यह जीव स्पर्शेन्द्रिय के द्वारा प्रिय और अप्रिय स्पर्शों का अनुभव करता है, किन्तु प्रिय स्पर्श में राग और अप्रिय स्पर्श में द्वेष न करे। केवली भगवान कहते हैं कि साधु प्रिय स्पर्श में राग और अप्रिय में द्वेष करता हुआ शान्ति भेद, शान्ति विभक्त करता हुआ शान्तिरूप केवलि भाषित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। स्पर्शेन्द्रिय के सन्निधान में आए हुए स्पर्श के पुद्गल बिना स्पर्शित हुए-बिना अनुभव किए नहीं रह सकते, किन्तु वहाँ पर जो रागद्वेष की उत्पत्ति होती है साधु उसको सर्वथा छोड़ दे। स्पर्शेन्द्रिय के द्वारा जीव प्रिय तथा अप्रिय स्पर्शों का अनुभव करता है, उनमें राग और द्वेष का न करना यह पांचवी भावना कही गई है।

इस प्रकार यह पांचवां महाव्रत सम्यक् प्रकार से काया द्वारा स्पर्श

किया हुआ, पालन किया हुआ, तीर पहुंचाया हुआ, कीर्तन किया हुआ अवस्थित रखा हुआ और आज्ञा पूर्वक आराधन किया हुआ होता है । इस पाचवें महाव्रत में सर्व प्रकार के परिग्रह का त्याग किया जाता है ।

इन पांच महाव्रत और उनकी पञ्चीस भावनाओं से सम्पन्न हुआ साधु यथा श्रुत यथा कल्प और यथामार्ग अर्थात् श्रुत-कल्प और मार्ग के अनुसार इनका सम्यक्तया काया से स्पर्श कर, पालन कर और तीर पहुंचा कर और भगवान की आज्ञानुसार इनका आराधन करके आराधक बन जाता है इस प्रकार मैं कहना हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में पांचवें महाव्रत की पांच भावनाएँ बताई गई हैं—१ प्रिय और अप्रिय शब्द, २ रूप, ३ गन्ध, ४ रस और ५ स्पर्श पर राग द्वेष न करे । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि साधक कान, आंख, नाक आदि बन्द करके चले । उसे अपनी इन्द्रियों को बन्द करने की आवश्यकता नहीं है । शब्द कान में पड़ते रहें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु, उन प्रिय या अप्रिय शब्दों के ऊपर राग-द्वेष नहीं करना चाहिए । मधुर एवं कर्ण प्रिय गीतों को सुनने या इसी तरह दूसरे व्यक्ति की निन्दा-चुगली सुनने के लिए उस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए । इससे स्वाध्याय का अमूल्य समय नष्ट होता है एवं मन में रागद्वेष की भावना भी उत्पन्न हो सकती है । अतः साधक को किसी भी तरह के शब्दों पर राग-द्वेष नहीं करना चाहिए ।

इसी तरह अपनी आंखों के सामने आने वाले सुन्दर एवं कृत्सित रूप पर भी राग-द्वेष नहीं करना चाहिए । उसे सुन्दर, सुहावने दृश्यों एवं लावण्यमयी स्त्रियों आदि के रूप को देखकर उस पर मुग्ध एवं आसक्त नहीं होना चाहिए और न धृष्टित दृश्यों को देखकर नाक-भौं सिकोड़ना चाहिए । साधक को सदा राग-द्वेष से ऊपर उठकर तटस्थ रहना चाहिए ।

इसी तरह वायु के साथ पदार्थों में से आने वाली सुगन्ध एवं दुर्गन्ध के समय भी साधु को मध्यस्थ भाव रखना चाहिए । सुवासित पदार्थों में राग भाव नहीं रखना चाहिए और न दुर्गन्ध मग्न पदार्थों पर द्वेष भाव । साधक को सदा राग-द्वेष से ऊपर उठकर संयम साधना में सलग्न रहना चाहिए ।

चतुर्थ चूला—विमुक्ति

सौलह्यां अध्ययन

पन्द्रहवें अध्ययन में ५ महाव्रत और उसकी २५ भावनाओं का उल्लेख किया गया है। अब प्रस्तुत अध्ययन में विमुक्ति-मोक्ष के साधन रूप साधनों का उल्लेख किया गया है। यह स्पष्ट है कि महाव्रतों की साधना कर्मों से मुक्त होने के लिए ही है। अतः इस अध्ययन में निर्जरा के साधनों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। इस वर्णन को पांच अधिकारों में विभक्त किया गया है—१ अनित्य अधिकार, २ पर्वत अधिकार, ३ रूप्य (चांदी) अधिकार, ४ भुजगतगु अधिकार और ५ समुद्र अधिकार। इस तरह समस्त साधना का उद्देश्य मुक्ति है। मुक्ति भी देश मुक्ति एवं सर्व मुक्ति अर्थात् दो प्रकार की कही गई है। सामान्य साधु से लेकर भवस्थ केवली पर्यन्त की देश मुक्ति मानी गई है और अष्ट कर्मबन्धन का सर्वथा क्षय करके निर्वाण पद को प्राप्त करना सर्व मुक्ति कहलाती है। उक्त उभय प्रकार की मुक्ति की प्राप्ति कर्म निर्जरा से होती है। अतः निर्जरा के साधनों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अणिच्चमावासमुचिति जंतुणो पलोयए सुच्चमिणं अणुत्तर
विउसिरे विन्नु अगारवधणां, अभीरु आरम्भपरिग्रहं चए ॥१॥

छाया—अनित्यमावाममुपयान्ति जन्तवः, प्रलोकयेत् श्रुत्वा इदमनुत्तरम्।

अयुत्सृजेत् विज्ञः अगारबन्धनं, अभीरुः आरम्भपरिग्रहं त्यजेत् ॥

पदार्थ—इणं—इस जिन प्रवचन को, जो। अणुत्तरं—सर्व श्रेष्ठ है, जिसमें यह कहा गया है कि। जंतुणो—जीव। आवासं—मनुष्य आदि जन्मों को प्राप्त करते हैं, वे। अणित्यं—अनित्य हैं ऐसा। सुच्चं—सुनकर। पलोयए—उस पर गभीरता एवं अन्तर हृदय से विचार कर के। विन्नु—विद्वान् व्यक्ति। आगारवध वा—पारिवारिक स्नेह बन्धन को। विउसिरे—त्याग दे, और वह। अभीरु—सात प्रकार के भय एवं परीषद्ही से तड़ी उरने वाला साधक। आरम्भ-परिग्रहं ममस्त प्रकार के सावध कर्म एवं परिग्रह को भी। चए—छोड़ दे।

मूलार्थ—सर्व श्रेष्ठ जिन प्रवचन में यह कहा गया है कि आत्मा

मनुष्य आदि जिन योनियों में जन्म लेता है, वे स्थान अनित्य हैं । ऐसा सुनकर एव उस पर हार्दिक चिन्तन करके समस्त भयों से निर्भय बना हुआ विद्वान् पारिवारिक स्नेह बन्धन का, समस्त सावज्य कर्म एवं परिग्रह का त्याग कर दे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में अनित्यता के स्वरूप का वर्णन किया गया है । भगवान् ने अपने प्रवचन में यह स्पष्ट कर दिया है कि संसार में जीवों के उत्पन्न होने की जितनी भी योनियाँ हैं, वे अनित्य हैं । क्योंकि अपने कृत कर्म के अनुसार जीव उन योनियों में जन्म ग्रहण करता है और अपने उस भव के आयु कर्म के समाप्त होते ही उस योनि के प्राप्त शरीर को छोड़ देता है । इस तरह समस्त योनियाँ कर्म जन्य हैं, इस कारण वे अनित्य हैं । जब तक जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है, तब तक वह अपने कृत कर्म के अनुसार एक योनि से दूसरी योनि में परिभ्रमण करता रहता है । इससे योनि की अनित्यता स्पष्ट हो जाती है । परन्तु इससे उसके अस्तित्व का नाश नहीं होता इसलिए उसे मिथ्या नहीं कहा जा सकता । यह ठीक है कि संसार अनित्य है, संसार में स्थित जीव एक योनि से दूसरी योनि में भटकता रहता है । इससे हम निःसंदेह कह सकते हैं कि संसार मिथ्या नहीं, अनित्य एवं परिवर्तनशील है । परन्तु इसके साथ यह भी स्पष्ट है कि परिभ्रमण के कारण जीव के आत्म प्रदेशों में किसी तरह का अन्तर नहीं आता है । उसकी योनि की पर्यायें, शरीर आदि की पर्यायें एवं ज्ञान-दर्शन की पर्यायें परिवर्तित होती रहती हैं, परन्तु इन परिवर्तनों के कारण आत्म द्रव्य नहीं बदलता, उसके असंख्यात प्रदेशों में किसी भी तरह की न्यूनाधिकता नहीं आती है ।

इस तरह संसार की अनित्यता के स्वरूप को सुन कर और उस पर गहराई से चिन्तन मनन करके विद्वान् एव निर्भय व्यक्ति संसार से ऊपर उठने का प्रयत्न करता है । फिर वह पारिवारिक स्नेह बन्धन में बंधा नहीं रहता है । वह मृत्यु के समय ज्वरदस्ती टूटने वाले स्नेह बन्धन को स्वेच्छा से तोड़ देता है । वह अनासक्त भाव से पारिवारिक ममता का एवं सावज्य कर्मों का तथा समस्त परिग्रह का त्याग करके साधना के मार्ग पर कदम रख देता है ।

इस गाथा में आत्मा की द्रव्य रूप से नित्यता एवं योनि आदि पर्यायों या संसार की अनित्यता, अस्थिरता एवं परिवर्तनशीलता को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है । और साथ में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है । कि विद्वान् एव निर्भय व्यक्ति

ही इसके यथार्थ स्वरूप को समझकर सांसारिक संबंधों एवं साधनों का परित्याग कर सकता है ।

अब पर्वत अधिकार का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं ।

**मूलम्—तहागयं भिक्षुमणंतसंजयं, अणेलिसं विन्नु चरंतमेसणं
तुदंति वायाहिं अभिह्वं नरा, सरंहि संगामगयं व कुंजरं ॥२॥**

छाया—तथागत भिक्षुमनतसयतं, अनीदृश विज्ञः चरतमेषणाम् ।

तुदन्ति वाग्भिः अभिद्रवन्तो नराः शरैः, संग्रामगतमिव कुंजर ।

पदार्थ—तहागयं—तथा भूत अग्नित्यादि भावनायुक्त । भिक्षु—भिक्ष-साधु जो । अनतसंजय—एकेन्द्रियादि जीवो मे अर्थात् उनकी रक्षा मे सदैव यत्नशील है । अणेलिसं—अनुपम संयमशील । विन्नु—विद्वान् मुनिको जो । चरंतमेसणं—शुद्धाहार की गवेषणा करने वाला है नरा—कोई अनार्य पुरुष । वायाहिं—असभ्य वचनो से । तुदन्ति—व्यथित करते है-व्यथापहुचाते हैं और । अभिह्वं—लोष्टपाषाणादि से प्रहार करते है । व—जैसे । संगामगयं—संग्राम में गये हुए । कुंजरं—हस्ती को । सरंहि—शरो-बाणो से तोडते हैं ।

मूलार्थ—अनित्यादि भावनाओं से भावित, अनन्त जीवो की रक्षा करने वाले अनुपमसंयमी और जिनागामानुसार शुद्ध आहार को वेषणा करने वाले भिक्षु को देखकर कतिपय अनार्य व्यक्ति साधु पर असभ्य वचनो एव पत्थर आदि का इस तरह प्रहार करते है, जैसे संग्राम मे वीर योद्धा शत्रु के हाथी पर बाणो की वर्षा करते है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में साधु की सहिष्णुता एवं समभाव वृत्ति का उल्लेख किया गया है । इसमे बताया गया है जैसे युद्ध के समय वीर योद्धा शत्रु पक्ष के हाथी पर शस्त्रों एवं बाणों का प्रहार करते हैं और वह हाथी उन प्रहारों को सहता हुआ उन पर विजय प्राप्त करता है, उसी प्रकार यदि कोई असभ्य, अशिष्ट या अनार्य पुरुष किसी साधु के साथ अशिष्टता का व्यवहार करे, उसे अभद्र गालियों दे या उसपर पत्थर आदि फेंके तो साधु समभाव पूर्वक उस वेदना को सहता हुआ राग-द्वेष पर विजय प्राप्त करे । उस समय साधु उत्तेजित न हो और न आवेश में आकर उनके साथ वैसा ही व्यवहार

करे और न उन्हें श्राप-अभिशाप दे । क्योंकि, इससे उसकी आत्मा में राग-द्वेष की प्रवृत्ति बढ़ेगी और परस्पर वैर भाव में अभिवृद्धि होगी और कर्म बन्ध होगा । अतः साधु अपनी प्रवृत्ति को राग-द्वेष की ओर न बढ़ने दे । उस समय वह क्षमा एवं शान्ति के द्वारा राग-द्वेष एवं कषायों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करे । जिसके वश में हो कर वे दुष्ट एव असभ्य व्यक्ति दुर्व्यवहार कर रहे हैं और इसके द्वारा कर्मबन्ध करके ससार परिभ्रमण बढ़ा रहे हैं । साधु रागद्वेष के इस भयंकर परिणाम को जानकर आत्मा के इन महान शत्रुओं को दबाने का, नष्ट करने का प्रयत्न करे । इसका तात्पर्य यह है कि साधु को हर हालत में, प्रत्येक परिस्थिति में अपनी अहिंसा वृत्ति का परित्याग नहीं करना चाहिए । उसे सदा समभाव एवं निर्भयता पूर्वक प्रत्येक प्राणी को क्षमा करते हुए राग-द्वेष पर विजय पाने का प्रयत्न करना चाहिए ।

साधु को और परिषहों के उत्पन्न होने पर भी पर्वत की तरह अचल, अटल एवं निष्कंप रहना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तहृप्पगारेहिं जणोहिं हीलिए, ससहफासा फरुसा उईरिया ।

तित्तिक्खए नाणि अदुट्ठचेयसा, गिरिव्व वाएण न संपवेयए ।३।

आया—तथाप्रकारैः जनेर्हीलितः, सशब्द स्पर्शाः परुषाः उदीरिताः ।

तितिक्खते ज्ञानी अदुष्टचेताः, गिरिरिव वातेन न संपवेपते ।

पदार्थ—तहृप्पगारेहिं—तथाप्रकारके । जणोहिं—जनोके द्वारा । हीलिए—हीलित अर्थात् तर्जित और ताडित किया हुआ तथा । फरुसा ससहफासा—तीव्र आक्रोश और शीतोष्णादि के स्पर्शसे । उईरिया—उदीरित मुनि । तित्तिक्खए—उन परीषहो को सम्यक् प्रकार से सहन करता है, क्योंकि वह । नाणि—ज्ञानवान् है अर्थात् यह मेरे पूर्वकृत कर्मों का ही फल है अतः मुझे ही इसे भोगना होगा ऐसा जानता है अतः । अदुट्ठचेयसा—अदुष्ट-कलुपता रहित मन वाला वह मुनि अनार्य पुरुषो द्वारा किये जाने वाले उपद्रवो से । वाएण—वायु से । गिरिव्व—पर्वन की भाँति । न संपवेयसे—कम्पित नहीं होता अर्थात् जैसे पर्वन वायु से कम्पायमान नहीं होता ठीक उसी प्रकार सयमशील मुनि भी उक्त परीषहोपसर्गों से चलायमान नहीं होता है ।

मूलार्थ—असस्कृत एवं असभ्य पुरुषो द्वारा आक्रोशादि शब्दो से या शीतादि स्पर्शों से पीडित या व्यथित !कया हुआ ज्ञानयुक्त मुनि उन परीषहोपसर्गों को शान्ति पूर्वक सहन करे । जिस प्रकार वायु के प्रवल वेग से

भी पर्वत कम्पायमान नहीं होता, ठीक उसी प्रकार सयम शील मुनि भी इन परीषहो से कम्पित-विचलित न हो अर्थात् अपने संयम व्रत में दृढ़ रहे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में पूर्व गाथा की बात दुहराई गई है। इसमें यह बताया गया है कि जैसे प्रचण्ड वायु के वेग से भी पर्वत कम्पायमान नहीं होता, उसी तरह ज्ञान संबन्ध मुनि असभ्य एवं असंस्कृत व्यक्तियों द्वारा दिए गए परीषहों—कष्टों से कम्पित नहीं होता, अपनी समभाव की साधना से विचलित नहीं होता। वह कष्टों के भयकर तूफानों में भी अचल, अटल एवं स्थिर भाव से अपनी आत्म साधना में संलग्न रहता है। वह उन परीषहों को अपने पूर्व कृत कर्म का फल जानकर समभाव पूर्वक उन्हें सहन करता है और उन कर्मों को या कर्म बन्ध के कारण राग-द्वेष और कषायों को क्षय करने का प्रयत्न करता है।

प्रस्तुत गाथा में प्रयुक्त 'नाणी अदुट्ठचेयसा' पद का अर्थ यह है कि ज्ञानी उन कष्टों को पूर्व कृत कर्म का फल समझकर उसे समभाव पूर्वक सहन करता है। वह इस घोर संकट के समय भी विषमता की ओर गति नहीं करता है। वृत्तिकार ने भी इसी बात को स्वीकार किया है।

साधु की सब प्राणियों के प्रति रही हुई समभाव की भावना का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं।

मूलम्—उवेहमाणो कुसलेहिं संवसे, अकंतदुक्खी तसथावरा दुही।

अलूसए सव्वसहे महामुणी, तहाहि से सुस्समणो समाहिए।४।

छाया—उपेक्षमाणः कुशलैः संवसेत्, अकान्तदुःखिनः तसस्थावरात् दुःखिनः।

अलूषयन् सर्वमहः महामुनिः, तथाह्यमो सुश्रमणः समाहितः।

पदार्थ—उवेहमाणे—मध्यस्थ भाव का अवलम्बन करता हुआ जो परीषहों को सहन करता हुआ। कुसलेहिं—गीतार्थ मुनियों के साथ। सव्वसे—रहे। अकंतदुक्खी—अनिष्ट दुःख-प्रसता वेदनीय जिनको हो रहा है ऐसे। दुही—दुःखी तस और स्थावर जीवों को। अलूसए—किसी प्रकार का परिताप न देता हुआ। सव्वसहे—पृथिवी की भांति सर्व प्रकार के परीषहोपसर्गों को सहन करे। तहाहि—इसी कारण से ही। से—वह। महामुणी—महामुनि। सुसमण—श्रेष्ठ श्रमण। समाहिए—कहा गया है।

मूलार्थ—परीषहोपसर्गों को सहन करता हुआ अथवा मध्यस्थ भाव का अवलम्बन करता हुआ वह मुनि गीताथ मुनियों के साथ रहे सब प्राणियों को दुःख अप्रिय लगता है ऐसा जानकर त्रस और स्थावर जीवों को दुःखों देख कर उन्हें किसी प्रकार का परिताप न देता हुआ पृथिवी की भांति सर्व प्रकार के परीषहोपसर्गों को सहन करने वाला महामुनि—लोकवर्ति पदार्थों के स्वरूप का ज्ञाता होता है। अतः उसे सुश्रमण-श्रेष्ठश्रमण कहा गया है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में बताया गया है कि मुनि संसार के यथार्थ स्वरूप का ज्ञाता एव दृष्टा है। अतः वह कष्टों एवं परीषहों से विचलित नहीं होता है। क्योंकि वह यह भी जानता है कि प्रत्येक प्राणी को सुख प्रिय लगता है, दुःख अप्रिय लगता है और संसार में स्थित एकैन्द्रिय, द्वीन्द्रिय आदि प्राणी दुःखों से संतप्त हैं, इसलिए वह किसी भी प्राणी को संक्लेश एवं परिताप नहीं देता। वह अन्य प्राणियों से मिलने वाले दुःखों को समभाव पूर्वक सहन करता है, परन्तु अपनी तरफ से किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देता। यह उसको साधुता का उज्ज्वल आदर्श है। और इस विशिष्ट साधना के द्वारा वह अपनी आत्मा का विकास करता हुआ अन्य प्राणियों को कर्म बन्धन से मुक्त करने में सहायक बनता है।

इससे यह स्पष्ट हो गया कि साधु को सदा मध्यस्थभाव रखना चाहिए। दुष्ट एवं असभ्य व्यक्तियों पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए और उसे सदा गीतार्थ एवं विशिष्ट ज्ञानियों के साथ रहना चाहिए। क्योंकि, मूर्खों के संसर्ग से समय एव शक्ति का दुरुपयोग होने की सम्भावना बनी रहती है। अतः साधक को ज्ञानी पुरुषों के सहवास में रहना चाहिए, उनके साथ रहकर वह अपनी साधना को आगे बढ़ा सकता है। इससे उसके ज्ञान में भी विकास होगा और ज्ञानवान एवं चिन्तनशील साधक लोक के यथार्थ स्वरूप को जानकर कर्म बन्धन से मुक्त हो सकता है। अतः साधक को गीतार्थ मुनियों के साथ रहे रहकर अपनी साधना को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् - त्रिऊ नए धम्मपयं अणुत्तरं, विणीयतरहस्स मुणिस्स भायथो।

समाहियस्सग्गिग्गिहा व तेयसा, तवो य पन्ना य जसो य वड्डइ।५।

छाया—चिद्वान् नतः धर्मपदमनुत्तरं, विनीततृष्णस्य मुनेऽध्यायतः ।

समाहितस्याग्निशिखेव तेजसा, तपश्च प्रज्ञा च यशश्च गच्छते ।

पदाथ—नए—विनयवान् । विउ—समयज्ञ । अणुत्तर—प्रधान । धर्म पय—धर्मपद-यति धर्म—क्षमा मार्दव आदि के विषय मे प्रवृत्ति करने वाले । विनीयतणहस्स—तृष्णा को दूर करने वाले । उभायश्रो—धर्मध्यान करने वाले । समाहियस्स—समाधिमान् । मुनिस्स—मुनि के । अग्निशिखा व—अग्नि शिखा के समान । तेजसा—तेज । य—और । तपो—तप और । य—पुनः । पन्ना- प्रज्ञा-बुद्धि और । जसो—यश । वड्ढइ—अभिवृद्ध होते हैं अथवा अग्नि शिखा की भांति तेज से प्रदीप्त हुए मुनि का तप प्रज्ञा और यश वृद्धि को प्राप्त होता है ।

मूलार्थ—क्षमा मार्दवादि दश प्रकार के श्रेष्ठ यति-श्रमण धर्म मे प्रवृत्ति करने वाला विनयवान् एवं ज्ञान सपन्न मुनि- जो तृष्णा रहित होकर धर्म ध्यान मे संलग्न है और चारित्र्य को परिपालन करने मे मावधान है, उसके तप, प्रज्ञा और यश अग्नि शिखा के तेज की भांति वृद्धि को प्राप्त होते है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में संयम से होने वाले लाभ का उल्लेख किया गया है । क्षमा, मार्दव आदि दश धर्मों से युक्त एवं तृष्णा से रहित होकर धर्म ध्यान में संलग्न विनय सपन्न मुनि की तपश्चर्या, प्रज्ञा एव यश-प्रसिद्धि आदि में अभिवृद्धि होती है । वह निर्धूम अग्नि शिखा की तरह तेजस्वी एव प्रकाश-युक्त बन जाता है । उसकी साधना में तेजस्विता आ जाती है । इसमें स्पष्ट होता है कि क्षमा, मार्दव आदि से आत्मा के ऊपर लगा हुआ कर्म मूल दूर होता है और परिणाम स्वरूप उसकी उज्ज्वलता, ज्योतिर्मयता और तेजस्विता प्रकट हो जाती है ।

इस विषय में कुछ और बातों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—दिसोदिसंज्ञांतजिगोण ताइणा, महव्वया रवेमपया पवेइया ।

महागुरु निस्सयरा उईरिया, तमेव तेउत्तिदिसं पगासगा ।६।

छाया—दिशोदिश अनन्तजिनेन त्रायिना महाव्रतानि चेमपदानि प्रवेदितानि ।

महागुरुणि निःस्वकराणि उदीरितानि तम इव तेज इति त्रिदिश प्रकाशकानि

कर्म प्रवाह की अपेक्षा से है। बन्धने वाला प्रत्येक कर्म अपनी स्थिति के अनुसार फल देकर आत्मा से पृथक् हो जाता है, परन्तु साथ में अन्य कर्म बन्धते रहते हैं। इस तरह आत्मा पहले के बाधे हुए कर्मों को यथा समय भोग कर क्षय करता है और फिर नए कर्मों का बन्ध करता रहता है। इस प्रकार कर्मों का प्रवाह अनादि काल से चला आ रहा है। इस बात को इससे स्पष्ट कर दिया गया है कि महाव्रतों का आचरण करके साधक उस प्रवाह को सर्वथा नष्ट कर सकता है। यदि एक ही कर्म अनादि काल से चला आता हो तो उसे नष्ट करना असंभव था। परन्तु एक कर्म अनादि नहीं है। व्यक्ति की दृष्टि से वह सादि है, अर्थात् अमुरु समय में बन्धा है और अपने बन्धे हुए काल पर फल देकर क्षय हो जाता है। इस तरह कर्म व्यक्ति की दृष्टि से सादि है, परन्तु समष्टी—प्रवाह की अपेक्षा से अनादि है। क्योंकि संसार में स्थित जीव एक के बाद दूसरी, तीसरी—कर्म प्रकृतियों का बन्ध करता रहता है। इस कारण उसे नष्ट भी किया जा सकता है और उसे नष्ट करने का साधन है—महाव्रत। क्योंकि, राग-द्वेष, कषाय एवं हिंसा आदि प्रवृत्तियों से कर्म का बन्ध होता है और महाव्रत इन प्रवृत्तियों के—आश्रय के द्वार को रोकने एवं पूर्व बन्धे कर्मों को क्षय करने का महान् साधन है। इस तरह सत्त्व के द्वारा आत्मा जब अभिनव कर्म प्रवाह के स्रोत का आना बन्द कर देता है और पुरातन कर्म जल को तप, स्वाध्याय एवं ध्यान आदि साधना से सर्वथा सुखा देता है, क्षय कर देता है, तब वह कर्म बन्धन से सर्वथा मुक्त उन्मुक्त हो जाता है।

अस्तु, महाव्रत की साधना आत्मा को कर्म बन्धन से मुक्त करती है और इसका उपदेश सर्वज्ञ पुरुष देते हैं। क्योंकि वे राग-द्वेष से मुक्त हैं और अपने निरावरण ज्ञान के द्वारा समस्त पदार्थों को सम्यक्तया देखते जानते हैं। अतः उनका उपदेश तेज-अग्नि की तरह प्रकाशमान है और प्रत्येक आत्मा को प्रकाशमान बनने की प्रेरणा देता है।

महाव्रतों को शुद्ध रखने के लिए उत्तर गुणों में सावधानी रखने का आदेश देते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—सिएहिं भिक्खू असिण् परिव्वण्, असज्जमित्थीसु चइज्ज पूयणं
अणिसिओ लोगमिणं तथा परं, न मिज्जई कामगुणोहिं पंडिए ।७।

छाया—मित्तं भिक्खुः असितः परिव्रजेत्, असजन् स्त्रीषु त्यजेत् पूजनम् ।

अनिश्रितः लोकमिमं तथा परं, न मीयते कामगुणैः पंडितः ।

पदार्थ—सिएहिं—कर्म एवं गृह पाश में आवद्ध व्यक्तियों के साथ । असिण्—नहीं

बन्धा हुआ । भिक्षु—भिक्षु अर्थात् उनका मंग न करता हुआ साधु । परिव्वए—संयम ग्रहण कर के विचरे तथा । इत्थीसु—स्त्रियो मे । असज्ज—असक्त न होता हुआ अर्थात् उनका संग न आस्ता हुआ । पूरण—अपने पूजा-मान सम्मान की अभिलाषा को । अइज्ज—त्याग कर । अणिसिओ—स्त्री ससखं से असम्बद्ध होकर । लोगमिण—इस लोक में । तथा—तथा । परं—पर लो ८ मे अर्थात् इस लोक तथा परलोक के विषय मे आशा रहित हो कर । कामगुणेह—काम गुणो-प्रिय शब्दादि विषयो को । न मिज्जइ—स्वीकार न करे । पडिए—जो साधु काम गुणो को स्वीकार नहीं करता तथा उनके परिणाम को जानता है वह पडित है ।

मूलार्थ—साधु कर्मपाश से बन्धे हुए गृहस्थों या अन्य तीर्थियों के सम्पर्क से रहित होकर तथा स्त्रियों के संसर्ग का भी त्याग करके विचरे और वह, पूजा सत्कार आदि की अभिलाषा न करे, और लोक तथा परलोक के सुख की कामना भी न रखे । वह मनोज्ञ शब्दादि के विषय मे भी प्रतिबद्ध न होवे । इस तरह उनके कटुविपाक को जानने के कारण वह मुनि, पडित कहलाता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में बताया गया है कि साधु को राग-द्वेष से युक्त एवं कम पाश में आवद्ध गृहस्थ एवं अन्य तीर्थियों का संसर्ग नहीं करना चाहिए और उसे स्त्रियों के संसर्ग का भी त्याग कर देना चाहिए । उसे पूजा-प्रतिष्ठा एवं ऐहिक या पारलौकिक सुखों की अभिलाषा भी नहीं रखनी चाहिए । परन्तु इन सब से मुक्त-उन्मुक्त होकर संयम साधना में संलग्न रहना चाहिए । क्योंकि गृहस्थ एवं अन्य मत के भिक्षुओं के सम्पर्क से उसके मन में राग-द्वेष की भावना जागृत हो सकती है और आध्यात्मिक साधना पर रंशय हो सकता है । दूसरे मे उसका स्वाध्याय एव चिन्तन करने का अमूल्य समय—जिसके द्वारा वह आत्मा के ऊपर पड़े हुए कर्म आवरण को अनावृत्त करता हुआ आध्यात्मिक साधना के पथ पर आगे बढ़ता है, व्यर्थ की बातों में नष्ट होगा । और कभी साधु की उत्कृष्ट साधना को देखकर अन्यमत के भिक्षु के मन में ईर्ष्या की भावना जाग उठी तो वह साधु को शारीरिक कष्ट भी पहुंचा सकता है । इस तरह उनका संसर्ग आत्म साधना मे बाधक होने के कारण त्याज्य बताया गया है ।

इसी तरह स्त्रियों के संसर्ग से भी विषय वासना उद्दीप्त हो सकती है और मान-पूजा प्रतिष्ठा की भावना एवं ऐहिक तथा पारलौकिक सुखों की अभिलाषा भी पतन का कारण है । क्योंकि इसके वशीभूत आत्मा अनेक तरह के अन्धे बुरे कर्म करता है ।

इसलिए साधक को इन सब के कटु परिणामों को जानकर इनसे मुक्त रहना चाहिए । जो साधक इनके विषाक्त एवं दुःख परिणामों को सम्यक्तया समझकर इनसे सर्वथा पृथक् रहता है, वही श्रमण वास्तव में पंडित है, ज्ञानी है और वही साधक कर्म बन्धन से मुक्त हो सकता है ।

एक उदाहरण के द्वारा इस विषय को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तथा विमुक्कस्स परिन्नचारिणो,
धिईमओदुक्खखमस्स भिक्खुणो ।
विसुज्झई जंसि मल पुरेकडं,
समीरियं रूपमलं व जोइणा ॥८॥

आया—तथा विप्रमुक्तस्य परिज्ञाचारिणो,
धृतिमतः दुःखक्षमस्य भिक्षोः ।
विशुध्यति यस्य मल पुराकतं,
समीरित रूप्यमलमिव ज्योतिषा ।

पदार्थ—तथा—तथा । विप्रमुक्कस्स—विप्रमुक्त—सग से रहित । परिन्नचारिणो—ज्ञान पूर्वक क्रिया करने वाला । दुक्ख खमस्स—दुख को सहन करने वाला । धिईमओ—धैर्यवान । भिक्खुणो—भिक्षु का । पुरेकडं—पूर्वकृत । मलं—कर्म रूप मल । विसुज्झई—दूर हो जाना है । व—जैसे । जोइसा—अग्नि द्वारा । समीरियं—प्रेरित किया हुआ । रूपमल—चान्दी का मल अर्थात् जैसे अग्नि द्वारा चान्दी का मल उसमे पृथक् हो जाता है ठीक उसी प्रकार तप सयम के द्वारा कर्ममल दूर हो जाता है ।

मूलार्थ—जिस तरह अग्नि चांदी के मैल को जलाकर उसे शुद्ध बना देती है, वही प्रकार सब संसर्गों से रहित ज्ञान पूर्वक क्रिया करने वाला, धैर्यवान एवं सहिष्णु साधक अपना साधना से आत्मा पर लगे हुए कर्ममल को दूर करके आत्मा को निरावरण बना लेता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में कर्ममल को हटाने के साधनों का उल्लेख किया गया है । कर्म

बन्ध का कारण राग-द्वेष है। अतः इसका परिज्ञान रखने वाला साधक ही सम्यक् साधना के द्वारा उसे हटा सकता है। जैसे चांदी पर लगे हुए मैल को अग्नि द्वारा नष्ट किया जा सकता है। उसी प्रकार कर्म के मैल को ज्ञान पूर्वक क्रिया करके ही हटाया जा सकता है। उसके लिए साधक को धैर्य के साथ सहिष्णुता का रखना भी आवश्यक है। क्योंकि अधीरता, आतुरता, अस्थिरता एवं असहिष्णुता अथवा परीषद एवं दुःखों के समय हाय-त्राय एवं विविध संकल्प-विकल्प आदि की प्रवृत्ति कर्म बन्ध का कारण है। इससे आत्मा कर्म बन्धन से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकती है। उसके लिए साधना आवश्यक है। और साधक को साधना के समय आने वाले कष्टों को भी धैर्य एवं समभाव पूर्वक सहन करना चाहिए। क्योंकि इससे कर्मों की निर्जरा होती है। जैसे चान्दी आग में तप कर शुद्ध होती है, उसी तरह तप एवं परीषदों की आग में तपकर साधक की आत्मा भी शुद्ध बन जाती है।

इससे यह स्पष्ट हो गया है कि ज्ञानपूर्वक की गई क्रिया ही आत्म विकासी में सहायक होती है और साधना के साथ धैर्य एवं सहिष्णुता का होना भी आवश्यक है। अब सर्पत्वग् का उदाहरण देते हुए सूत्रकार कहते हैं।

मूलम्—से हु परिन्नासमयंमि वट्टई, निराससे उवरय मेहुणा चरे।

भुयंगमे जुन्नतयं जहा चए, विमुच्चई से दुहसिज्ज माहणे। ६।

छांया-सः हि परिज्ञासमये वर्तते, निराशंसः उपरतः मैथुनात् चरेत्।

भुजगमः जीर्णत्वचं यथा त्यजेत् विमुच्यते सः दुःखशय्यातः माहनः।

पदार्थ—से—वह-भिक्षु। हु—निश्चयार्थक है। परिन्नासमयंसि—मूलोत्तर गुणों के विषय में वर्तने वाला तथा पिण्डेषणा की शुद्धि करने वाला सम्यग् ज्ञान के विषय में। वट्टई—प्रवृत्त हो रहा है तथा। निराससे—इस लोक और परलोक के विषयों की आशा से रहित और। मेहुणा—मैथुन से। उवरय—उपरत-विरत हुआ। चरे—सयम मार्ग में विचरता है। जहा—जैसे। भुयंगमे—सर्प। जुन्नतयं—जीर्ण त्वचा-काचली को चए—त्याग देता है। से—उसी प्रकार वह। माहणे—अहिंसा का उपदेष्टा साधु। दुहसिज्ज—दुखरूप शय्या से। विमुच्चई—विमुक्त हो जाता है अर्थात् संसार चक्र से छूट जाता है।

मूलार्थ—जिस प्रकार सर्प अपनी जीर्ण त्वचा-काचली को त्याग कर उससे पृथक् हो जाता है, उसी तरह महाव्रतों से युक्त, शास्त्रोक्त

क्रियाओं का परिपालक, मैथुन से सर्वथा निवृत्त एवं लोक-परलोक के सुख की अभिलाषा से रहित मुनि नरकादि दुःख रूप शय्या या कर्म बन्धनों से सर्वथा मुक्त हो जाता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में सर्प का उदाहरण देकर बताया गया है कि जिस प्रकार सर्प अपनी त्वचा-काँचली का त्याग करने के बाद शीघ्रगामी एवं हलका हो जाता है । उमी तरह साधक भी सावद्य कार्यों, विषय विकारों एवं भौतिक सुखों की अभिलाषा का त्याग करके निर्मल, पवित्र एवं शीघ्र गति से मोक्ष की ओर बढ़ने की योग्यता प्राप्त कर लेता है । क्योंकि सावद्य कार्य एवं विषय विकार आदि कर्म बन्ध के कारण हैं । इससे आत्मा कर्मों से बोझिल बनती है और फल स्वरूप उसकी ऊपर उठनेकी गति अवरुद्ध हो जाती हैं । अतः इस गाथा में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि साधक को आगम में बताए गए महाव्रतों एवं अन्य क्रियाओं का पालन करना चाहिए । इससे आत्मा पर पड़ा हुआ कर्मों का बोझिल आवरण दूर हो जाता है । जिससे आत्मा में अपने आपको सर्वथा अनावृत्त करने की महान् शक्ति प्रकट हो जाती है ।

अब समुद्र का उदाहरण देते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जमाहु ओहं सलिल अपारयं महासमुद्दं व भुयाहि दुत्तरं ।

अहे य गां परिजाणाहि पंडिए, से हु मुणी अंतकडेत्ति बुच्चई । १० ।

**छाया—यमाहुः ओघ सलिलं अपारम् महासमुद्रमिव भुजाभ्यां दुस्तरम्
अथैन च परिजानीहि पंडितः स खलु मुनिः अन्तकृत इति उच्यते ।**

पदार्थ—ज—जो । ग्राहु—अनन्त तीर्थकरादि ने कहा है । ओह—ओघरूप । सलिल—जल । अपारय—जिसका पार नहीं आता ऐसे । महासमुद्दं—महा समुद्र को । भुयाहि—भुजाओं से तैरना । दुत्तरं—दुस्तर है । व—इसी प्रकार ससार रूप समुद्र को पार करना कठिन है । अहेयण—च-पुन । णं—वाक्यालंकारार्थक है । परिजाणीहि—अतः साधु ज प्रज्ञा से संसार के स्वरूप को जान कर प्रत्याख्यान परिज्ञा से उसका परित्याग करे । से पंडिए—सत्य और असत्य के स्वरूप को जानने वाला वह पंडित । मुणी—मुनि । हु—निश्चय ही । अतकडेत्ति—कर्मों का अन्त करने वाला । बुच्चई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—महासमुद्र की भांति ससार रूप समुद्र को पार करना

दुष्कर है, हे शिष्य । तू इस संसार के स्वरूप का ज्ञ परिज्ञा से जान कर प्रत्याख्यान परिज्ञा से उसका त्याग कर दे । इस प्रकार त्याग करने वाला पण्डित मुनि कर्मों का अन्त करने वाला कहलाता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में समुद्र का उदाहरण देकर संसार के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है । समुद्र में अपरिमित जल है, अनेक नदियाँ आकर मिलती हैं । इसलिए उसे भुजाओं से तैर कर पार करना कठिन है । उसी तरह यह सागर सागर भी सामान्य आत्माओं के लिए पार करना कठिन है । इन संपार सागर में आसन्न के द्वारा मिथ्यात्व, अत्रत, प्रमाद कपाय और योग रूप जल आता रहता है । इसलिए साधक को यह आदेश दिया गया है कि इस दुस्तर संसार सागर को पार करने के लिए तू इसके स्वरूप का परिज्ञान कर । अर्थात् संसार समुद्र में परिभ्रमण एवं उसे पार होने के स्वरूप का ज्ञान कर । आसन्न संसार परिभ्रमण का कारण है और संवर या आसन्न का त्याग संसार से पार होने का साधक है । अतः तू ज्ञ परिज्ञा के द्वारा आसन्न के स्वरूप का ज्ञान कर और प्रत्याख्यान परिज्ञा के द्वारा उसका त्याग कर । इस तरह तू आश्रय के स्वरूप को जानकर उसका सर्वथा त्याग कर देगा तो संसार सागर से पार हो जाएगा । क्योंकि, ज्ञान पूर्वक क्रिया करने वाला साधक ही संसार समुद्र को उल्लस कर निर्वाण पद को प्राप्त करता है । इसलिए उसे संसार का अन्त करने वाला कहा गया है । इससे दो बातें सिद्ध होती हैं — १ ज्ञान और क्रिया का समन्वय ही मुक्ति का मार्ग है और, २ संसार अनादि होने हुए भी मान्त है, आत्मा सम्यक् साधना के द्वारा उसका अन्त करके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकता है ।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए मूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जहाहि चद्धं इहमाणवेहिं, जहाय तेसिं तु विमुक्क आहिण् ।

अहातहा वंधविमुक्क जेविऊ, से हु मुणी अंतकडेत्ति बुच्चई । ११ ।

छाया-यथा हि चद्धं इहमानवे, यथा च तेषां तु विमोक्षः आख्यातः ।

यथा तथा बन्धविमोक्षयोः यो विद्वान् स खलु मुनिरन्तकृदिति उच्यते ॥

उन कर्मों का बन्धा हुआ है। तु—पुन । धिमुक्क—उन कर्मों के बन्ध से विमुक्त होना चाहिए—कहा गया है। जे—जो साधु । वधविमुक्क—बन्ध और मोक्ष के । अहात्तहा—यथार्थ स्वरूप का । वेऊ—वेत्ता है-सम्यक् प्रकार से जानने वाला है । हु—निश्चय ही । से—वह । मुणी—मुनि । अतकडेति—कर्मों का अन्त करने वाला । बुच्चई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—इस ससार में आत्मा ने आस्रव का सेवन करके जिस प्रकार कर्म बाधे हैं उसी तरह सम्यक् ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र की आराधना करके उन आबद्ध कर्मों से मुक्त हो सकता है । जो मुनि बन्ध मोक्ष के यथार्थ स्वरूप को जानता है, वह निश्चय ही कर्मों का अन्त करने वाला कहा गया है ।

हिन्दो विवेचन

प्रस्तुत गाथा में बन्ध और मोक्ष के स्वरूप का वर्णन किया गया है । आत्मा जिस प्रकार कर्म को बान्धता है और साधना से जिस प्रकार तोड़ता है, उसका परिज्ञाता मुनि ही इस ससार का अन्त करता है । यह हम देख चुके हैं कि कर्म बन्ध का कारण आस्रव है । मिथ्यात्व, अन्नत, कषाय, प्रमाद और योगरूप आस्रव से कर्म वर्गणा के पुद्गलों का आत्म प्रदेशों के साथ बन्ध होता है । जैसे आग में रखे हुए लोहे के गोले में अग्नि के परमाणु प्रविष्ट हो जाते हैं और वह लोहे का गोला आग के गोले जैसा दिखाई देता है । उसी तरह कर्म वर्गणा के परमाणुओं से आवृत आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर कर्मों के अनुरूपगति करता है । परन्तु सम्यक् ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र की साधना से आत्मा कर्म आवरण से अनावृत्त हो जाता है । क्योंकि, आस्रव कर्म के आने का द्वार है, तो संवर कर्म के आगमन को रोकने का कारण है और तप आदि निर्जरा के साधन हैं । इस प्रकार जब साधक बन्ध और मोक्ष के यथार्थ स्वरूप को जान कर सम्यक् प्रवृत्ति करता है, तो वह संसार का अन्त करके निर्वाण पद को प्राप्त करता है । अतः सर्वज्ञ पुरुषों ने ऐसे साधक को ससार का अन्त करने वाला कहा है ।

इससे स्पष्ट होता है कि साधक के लिए संसार में परिभ्रमण कराने वाले और कर्म बन्धन से मुक्त कराने वाले दोनों साधनों की जानकारी करना आवश्यक है । क्योंकि वह आस्रव का यथार्थ ज्ञान करके उससे निवृत्त होकर संवर की साधना से अभिनव कर्मों के आगमन को रोक लेता है और निर्जरा के द्वारा पूर्व बंधे हुए कर्मों को समाप्त कर देता है । इस तरह वह कर्म बन्धन से सर्वथा मुक्त हो जाता है ।

अब विमुक्ति अध्ययन का उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इमंसि लोए परए य दो सुवि, न विज्जई बंधणं जस्स किंचिव
सेहुनिरालंबणमप्पइठिण कलंकली भावपहे विमुच्चई ॥१२॥

तिबेमि ॥

विमुत्ता सम्मत्ता ॥

आचारांग सूत्रं समाप्तम् ॥ ग्रन्थाग्रं २५५४ ॥

आया - अस्मिन्लोके परस्मिन् च द्वयोरपि न विद्यते बन्धनं यस्यकिंचिदपि ।

स खलु निरालम्बनमप्रतिष्ठितः कलंकली भावपथात् विमुच्यते ॥

इति ब्रवीमि । विमुक्तिः समाप्ता । आचारांगसूत्रं समाप्तम् ग्रन्थाग्रं २५५४ ।

परार्थ—इमंसि—इस । लोए—लोक मे । य—और । परए—परलोक मे तथा । दोसुवि—दोनों लोकों में । अपि—पुनरर्थक है । जस्स—जिसका । किंचिवि—किंचिन्मात्र भी राग-द्वेष आदि का । बंधणं—बन्धन । न विज्जई—नहीं है । से—वह । हु—निश्चय ही । निरालंबणं—आलम्बन रहित अर्थात् लोक परलोक सम्बन्धि प्राणा से रहित तथा । मप्पइठिण—प्रतिबन्ध से रहित तावु । कलंकली भावपहे—जन्म-मरण रूप संसार के पर्यटन से । विमुच्चई—छूट जाता है । तिबेमि—इन प्रकार मैं कहता हूं ।

मूलार्थ - इस लोक तथा परलोक एवं दोनों लोकों में जिसका किंचिन्मात्र भी राग आदि का बन्धन नहीं है तथा जो लोक तथा परलोक की प्राणाओं से रहित है अप्रतिबद्ध है, वह साधु निश्चय ही गर्भ आदि के पर्यटन से छूट जाता है अर्थात् मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, इस प्रकार मैं कहता हूं ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में पूर्व गाथाओं में अभिव्यक्त विषय को दोहराते हुए व ताया गया है कि जो साधक इस लोक और परलोक के सुखों की अभिलाषा नहीं रखता है, जो राग-द्वेष से सर्वथा निवृत्त हो चुका है और जो अप्रतिबद्ध विहारी है, वह गर्भावास में नहीं आता अर्थात् जन्म-मरण का सर्वथा उच्छेद करके सिद्ध-बुद्ध मुक्त न जाता है ।

इस से स्पष्ट हो जाता है कि मुक्ति का मार्ग न तो अकेले ज्ञान पर आधारित है और न केवल क्रिया पर। यह ठीक है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान भी साधन है और क्रिया भी साधन है। दोनों मोक्ष के लिए आवश्यक हैं। परन्तु दोनों की विभाजित रूप से नहीं, समन्वित रूप से आवश्यकता है। यदि उनमें समन्वय नहीं है, तो वह मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं हो सकते। कुछ व्यक्ति मुक्ति के लिए ज्ञान साधना पर जोर देते हैं, परन्तु क्रिया का निषेध करते हैं। और कुछ क्रिया को सर्वोपरि मानते हैं परन्तु ज्ञान को आवश्यक नहीं मानते। ज्ञानवादियों का कहना है कि आत्मा एवं सत्सङ्ग के स्वरूप का ज्ञान करना ही मुक्ति है, क्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इधर क्रियावादी कहते हैं कि मुक्ति के लिए क्रिया ही आवश्यक है। किसी व्यक्ति के आयुर्वेद ग्रन्थ कण्ठस्थ है, परन्तु वह उसमें अभिव्यक्त विधि के अनुसार औषध ग्रहण नहीं करता है, तो उसका कोरा ज्ञान उसे रोग से मुक्त नहीं कर सकता है। इसी तरह आचरण के अभाव में सिर्फ ज्ञान ही आत्मा को संसार से छुड़कारा नहीं दिला सकता है। दोनों के कथन में सत्यांश है, परन्तु वे उस सत्यांश को पूर्ण सत्य मान रहे हैं, इसी कारण उनका कथन मिथ्या माना गया है।

जैन दर्शन ज्ञान और क्रिया के समन्वय को मोक्ष मार्ग मानता है। ज्ञान से दृष्टि मिलती है, मार्ग का बोध होता है, परन्तु वह साध्य तक पहुँचाने में असमर्थ है और क्रिया गतिशील है, परन्तु दृष्टि से रहित होने से सन्मार्ग और कुमार्ग का भेद नहीं कर सकती। इसी अचेतना से अकेले ज्ञान को पशु और अकेली क्रिया को अन्धी माना गया है। और दोनों की समन्वित साधना से साधक अपने साध्य को सिद्ध कर सकता है। इसलिए आगम में कहा गया है कि जो साधक सत्र नयों को सुनकर जानकर ज्ञान और क्रिया की साधना करता है वही मुक्ति को प्राप्त करता है॥ स्थानाग सूत्र में भी बताया है कि जो साधक ज्ञान और चरित्र से युक्त है, वह संसार बन्धन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। इस से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ज्ञान और क्रिया की समन्वित साधना से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। यही पूरे आचाराङ्ग सूत्र का सार है। इसे हम यों भी कह सकते हैं कि द्वादशांगी का निबोड़ भी यही है कि ज्ञान और क्रिया की समन्वित साधना से ही आत्मा निर्वाण पद को पा सकता है। क्योंकि, साधक का मुख्य लक्षण निर्वाण पद प्राप्त करना है और आगम या द्वादशांगी के प्रवचन का उद्देश्य

† ज्ञानक्रियाभ्या मोक्षः ।

—आचाराग वृत्ति ।

॥ सर्व्वेसि पि नयाण बद्धु विह्वत्तव्वयं निसामिता ।

तं सम्बनयविसुद्ध ज चरणगुणट्ठयो साह ।

भी यही है कि उसके अध्ययन एवं चिन्तन-मनन से साधक ज्ञान और क्रिया को अपने जीवन में साकार रूप देकर कर्म बन्धन से मुक्त हो सके। अस्तु, ज्ञान और क्रिया का सम्यक्तया आराधन एवं परिपालन करना ही मोक्ष मार्ग है।

सोलहवां अध्ययन (चतुर्थचूला) समाप्त

श्री आचारांग सूत्र समाप्त

श्री आचारांग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध की 'निशीथ' नामक पाचवी चूला का भी उल्लेख मिलता है। परन्तु वर्तमान में यह चूला आचारांग के साथ संबद्ध नहीं है। उसे छेद सूत्रों में स्थान दे दिया गया है। क्योंकि उसका विषय आचारांग से संबद्ध है। आचारांग में साधु के आचार का उल्लेख किया गया है और निशीथ में यह बताया गया है कि यदि प्रमादवश कोई साधु आचार पथ से भटक जाता है, तो उसे क्या प्रायश्चित्त देना चाहिए। इस तरह प्रायश्चित्त से संबद्ध प्रकरण होने के कारण उसे स्वतंत्र रूप से छेद शास्त्रों के साथ जोड़ दिया गया हो, ऐसा प्रतीत होता है और ऐसा करना उचित भी जंचता है।

४६. ऋजु गति—सरल एव सीधी गति
४७. ऋषभदेव—जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या अवतार
४८. एषणीय—आधाकर्म आदि दोषों से रहित पदार्थ
४९. औदारिक शरीर—हाड-मांस आदि औदारिक वर्गणा के पुद्गलों—परमाणुओं से बना हुआ शरीर
५०. औद्देशिक—साधु-साध्वी के उद्देश्य से बनाए गए पदार्थ
५१. कायोत्सर्ग—मन, वचन एवं काय के व्यापार का त्याग करके आत्म चिन्तन में संलग्न होना, ध्यान
५२. क्रियावादी—केवल क्रिया को ही मुक्ति का मार्ग माननेवाले विचारक
५३. केवल ज्ञान—लोक में स्थित समस्त द्रव्यों के समस्त पर्यायो एवं भावों को जानने-देखने वाला ज्ञान, पूर्ण ज्ञान
५४. गच्छ—सघ, सम्प्रदाय
५५. ग्राम धर्म—प्रस्तुत प्रसंग में इसका अर्थ मैथुन है
५६. ग्राम पिंडोलक—भिखारी
५७. गीतार्थ—आगम एव द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को सम्यक् रूप से जाननेवाला साधक
५८. गुप्ति—मन, वचन और काय—शरीर को गोप्यकर रखना
५९. गोचरी—भिक्षाचरी
६०. ज्ञानवादी—ज्ञान मात्र को मुक्ति का कारण माननेवाले विचारक
६१. घातिक कर्म—आत्म के मूल गुणों की घात करने वाले ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मीहनीय और अन्तराय कर्म
६२. चरक संहिता—आयुर्वेद का एक ग्रन्थ
६३. चिलिमलिका—मच्छरदानी
६४. चोलपट्टक—धोती के स्थान में बाँधने का वस्त्र
६५. छट्ट भक्त—दो दिन का उपवास, वेला
६६. छः काय—पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस—द्वीन्द्रियादि जीव
६७. जिनकल्पी—जिन अर्थात् तीर्थंकर के समान आचार का परिपालन करने वाले मुनि
६८. तीन करण—कृत, कारित और अनुमोदित; किसी कार्य को करना, करवाना और उसका समर्थन करना
६९. तीन योग—मन, वचन और काय—शरीर
७०. त्रस जीव—त्रस प्राप्त होने पर दुःख से बचने के लिए सुख के स्थान पर आ—जा सकने वाले प्राणी; द्वीन्द्रिय, तोन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जीव
७१. दीक्षाचार्य—साधुत्व की दीक्षा देने वाले आचार्य
७२. दीक्षार्थी—संयम—साधना स्वीकार करने का इच्छुक साधक, वैरागी
७३. देव—छन्दक—देवोंद्वारा निर्मित चौतरा
७४. नय—वस्तु में स्थित अनन्त धर्मों में से किसी एक धर्म को लक्ष्य करके समझना
७५. निगोद काय—वनस्पति के जीवों की एक जाति
७६. निघण्टु—आयुर्वेद का एक ग्रन्थ
७७. निरावरण—आवरण से रहित
७८. निर्ग्रन्थ—द्रव्य और भाव ग्रन्थि—परिग्रह अथवा धन—धान्य आदि पदार्थों एव क्रोधादि कषायों से निवृत्त साधु
७९. निर्जरा—बन्धे हुए कर्मों का एक देश से क्षय होना
८०. निर्वाण—बन्धे हुए कर्मों का सवथा क्षय करके कर्म-बन्धन से मुक्त होना
८१. निर्व्याघात—व्याघात रहित
८२. परठना—विवेकपूर्वक डाल देना, फैकना
८३. परीषद्—भूख, प्यास, शीत, उष्ण, इसमंस आदि कष्ट
८४. प्रकाम भोजन—विकारोत्पादक सरस आहार
८५. प्रणीत रस—सरस पदार्थ
८६. प्रतिक्रमण—दिन एवं रात में लगे हुए दोषों की आलोचना
८७. प्रतिलेखित—भली भाँति देखे हुए पदार्थ

८८. प्रवर्तिनी-साध्वी संघ की संचालिका, आचार्या
८९. पश्चात् कर्म-साधु-साध्वी को आहार आदि पदार्थ देने के बाद पुनः अपने लिए आहार आदि बनाना
९०. पंडक-नपुंसक, हिंजडा, पुंसत्व एव नारीत्व से रहित
९१. प्रासुक-दोष रहित, शुद्ध पदार्थ
९२. पाइवापत्य-भगवान् पार्श्वनाथ के अपत्य-उपासक या श्रावक
९३. पाइर्वस्थ-शियिल आचारवाले, ढीले-पासत्ये
९४. पिंडैषणा-आहारादि की गवेषणा करना
९५. पुद्गल-परमाणु या परमाणुओं के मेल से बना हुआ स्फुंध
९६. पुरीप-मल-मूत्र
९७. पुरुषान्तरकृत-नव निर्मित स्थान-मकान आदि, जिनका गृहस्थ ने उपयोग कर लिया है
९८. भक्त-पान-आहार-पानी, खाने-पीने के पदार्थ
९९. भक्त-प्रत्याख्यान-जीवन पर्यन्त के लिये आहार-पानी का त्याग करना
१००. मतिज्ञान-मन और इंद्रियों की सहायता से होनेवाला सम्यग्ज्ञान
१०१. मनःपर्येष ज्ञान-दाईं द्वीप-समुद्र में स्थित रानी-मन युक्त पञ्चेन्द्रिय जीवों के मनोगत भावों को जानने-देखनेवाला ज्ञान
१०२. मातृ स्थान-माया, छल-रूप
१०३. मिश्र भाषा-जिस भाषा में सत्य और असत्य का मिश्रण हो
१०४. मुक्ति-कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त होना, मुक्त जीवों के रहने का स्थान
१०५. मुखवस्त्रिका-वायु काय के जीवों की रक्षा के लिए मुँह पर धान्धने का वस्त्र
१०६. मोक्ष-मूर्त
१०७. मोक्ष-सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य का आरोपण, राग-द्वेष, आसक्ति
१०८. योग-मन, वचन और काय-सरीर
१०९. योनि-ससारी जीवों के प्रत्येक स्थान
११०. रत्नाधिक-अपने से दीक्षा में ज्येष्ठ मुनि
१११. लेइया-मन के परिणाम
११२. वर्द्धमान-भगवान् महावीर का जन्म के समय माता-पिता द्वारा दिया गया नाम
११३. वाचनाचार्य-आगमों का अध्ययन कराने वाले आचार्य
११४. विकथा-व्यर्थ की कथा-वार्तालाप, विकारो-त्पादक कथा
११५. विराधना-संयम एवं सम्यग्दर्शन में दोष लगाना
११६. विहार-साधु-साध्वी का एक गाँव से दूसरे गाँव को पैदल जाना
११७. वृत्तिकार-आगमों की संक्षिप्त व्याख्या करने वाले
११८. वेदनीय कर्म-जिस कर्म के उदय से प्राणी सुख-दुःख का संवेदन करता है
११९. सचित्त-सजीव-जीव युक्त, सचेतन-चेतना युक्त
१२०. सद्धर्म मण्डन-जिसमें वीतराग प्ररूपीत सत्य धर्म का वर्णन है, स्व. आचार्य श्री. जवाहरलालजी म. द्वारा रचित ग्रन्थ
१२१. सन्निवेश-मोहल्ला
१२२. समिति-विवेक पूर्वक, चलने, बोलने, आहार ग्रहण करने, उपकरण लेने-रखने, मल-मूत्र का त्याग करने आदि की क्रियाएँ करना, विवेक पूर्वक की जाने वाली शुभ प्रवृत्ति
१२३. सर्वभावदर्शी-विश्व में स्थित समस्त पदार्थों के भावों एवं पर्यायों का ज्ञाता
१२४. सर्वज्ञ प्रणीत-सर्वज्ञ द्वारा प्ररूपित वा उपदिष्ट
१२५. सद्धर्मो-समान धर्म या आचार वाला
१२६. सागर-वर-नार सहित गृहस्थ, श्रावक
१२७. सागारिक संथारा-नागार सहित जन्तु पर्यन्त जन्तुओं का स्वीकार करना

१२८. सान्त-अन्त संहित, सीमा युक्त, जिसका अस्त होता है
१२९. सामायिक-४८ मिनट या जीवन पर्यन्त के लिए की जाने वाली समभाव की साधना
१३०. सुश्रुत संहिता-आयुर्वेदका एक ग्रथ
१३१. संकल्पित कर्म-तीव्र कषाय, प्रगाढ आसक्ति पूर्वक बाधे गए कर्म
१३२. संथारा-जीवन पर्यन्त के लिए आहार-पानी एवं पाप कर्मों का त्याग करना
१३३. संलेखना-आत्मा का सम्यक् प्रकार से लेखन अवलोकन करना, कषायों को पतला करना
१३४. संवर कर्मों के आगमन को रोकने की साधना
१३५. संस्तारक-घास-फूस का बिछौना, तृण शय्या
१३६. स्तेय-चौर्य कर्म
१३७. स्थावर-स्थिर काय वाले प्राणी-जिनके सिर्फ काया-शरीर ही होता है
१३८. स्थंडिल भूमि-शौच जाने का स्थान
१३९. शय्यातर-साधु को मकान की आज्ञा देने वाला
१४०. शस्त्र परिणत-जो पदार्थ शस्त्र के प्रयोग अचित्त हो गया है
१४१. षट् जीविकाय-पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस-द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुर्न्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय जीव
१४२. श्रमण-कषायों को उपशान्त करने वाले तथा समभाव की साधना करने वाला साधु
१४३. श्रमणोपासक-श्रमण की उपासना करने वाला
१४४. श्रुतज्ञान-द्वादशांगी का ज्ञान, सम्यग् दर्शन और ज्ञान
१४५. श्रोत्रेन्द्रिय-कान
१४६. हरित काय-हरियाली, वनस्पति

